

2023-24

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट / Integrated Annual Report



मूल्य सृजन सहित
ग्राहक संतुष्टि

Customer Satisfaction with
Value Creation



Scan the QR Code to download
Integrated Annual Report 2023-24

www.centralbankofindia.co.in



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911





मूल्य सृजन सहित ग्राहक संतुष्टि

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, हमारी आगे की राह ग्राहक संतुष्टि एवं मूल्य सृजन के प्रति अटूट समर्पण के साथ सुसज्जित है। जैसे-जैसे वित्तीय वातावरण विकसित होता है, हम नवाचार, अखंडता एवं लचीलेपन के साथ परिवर्तन को आत्मसात करते हैं। हमारा नवीन सिद्धांत, “मूल्य सृजन सहित ग्राहक संतुष्टि”, न केवल हमारी नींव को सुदृढ़ करने बल्कि विद्वता एवं संवहनीय विकास को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जो हमारे ग्राहकों तथा हितधारकों दोनों को समान रूप से लाभान्वित करता है।

कार्यनीतिक वृद्धि एवं विश्वास

वित्त वर्ष 24 में, हमने 2,549 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में वृद्धि के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाया, जो वर्ष-दर-वर्ष 61.13% की उल्लेखनीय वृद्धि थी, साथ ही कुल कारोबार 6.36 लाख करोड़ रुपये तक विस्तारित हुआ। प्रस्तुत आंकड़े केवल संख्याएँ नहीं हैं बल्कि ये हमारी रणनीति की प्रभावशीलता तथा हमारे हितधारकों द्वारा हम पर किए गए गहरे भरोसे को दर्शाते हैं। गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्ति प्रबंधन पर हमारे ध्यान के परिणामस्वरूप हमारे सकल एनपीए में 8.44% से 4.5% तथा शुद्ध एनपीए में 1.77% से 1.23% की महत्वपूर्ण कमी आई, जिससे 93.58% का प्रावधान कवरेज अनुपात प्राप्त हुआ। ये सुधार हमारे ठोस जोखिम प्रबंधन प्रयासों तथा हमारे ग्राहकों एवं भागीदारों के निरंतर विश्वास को रेखांकित करते हैं।

नवाचार एवं संधारणीयता

हमारी डिजिटल परिवर्तन पहल, विशेष रूप से सेन्ट्रल नियो के माध्यम से, ग्राहक सेवा तथा परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए जेन एआई (Gen-AI) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करके बैंकिंग अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव आया है। भविष्य को देखते हुए, हमारा लक्ष्य 12% से 14% व्यवसाय वृद्धि, हमारे ऋण-जमा अनुपात को 70%-72% तक अनुकूलित करना तथा मार्च 2025 तक आस्तियों पर रिटर्न 1% का है। हमारी रणनीतिक दृष्टि संवहनीय प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, जैसे कि हमारे सह-ऋण मॉडल एवं एमएसएमई वित्तपोषण, जो व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।

एक स्थिति स्थापक भविष्य का निर्माण

“मूल्य सृजन सहित ग्राहक संतुष्टि” दूरदृष्टि तथा बुद्धिमत्ता के साथ विकसित होने, विकास को सशक्त बनाने, विश्वास को बनाए रखने एवं एक मजबूत भविष्य का निर्माण करने के हमारे वादे को समाहित करती है - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, हम सिर्फ कल की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं; अपितु हम सक्रिय रूप से सशक्त, नवाचार एवं प्रतिबद्ध उत्कृष्टता के साथ उसे आकार दे रहे हैं।

इस रिपोर्ट के संबंध में



जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 को कवर करती है, जिसका उद्देश्य इन बातों पर पारदर्शिता प्रदान करना है कि कैसे हम अपने उद्देश्य को सक्रिय करते हैं; कैसे हम अपने ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाते हैं और कैसे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। हमारी पहली एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट को चिह्नित करते हुए, इसे अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित सामान्य और विषय-विशिष्ट प्रकटीकरणों को कवर करते हुए ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव स्टैंडर्ड्स के मुख्य विकल्प का अनुपालन करने का प्रयास किया है।

आईआर फ्रेमवर्क का अनुपालन

इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी), जिसे मूल रूप से एकीकृत रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट पारदर्शिता में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया था, में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आईआईआरसी ने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मानकों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (एसएसबी) के साथ विलय कर दिया, ताकि वैल्यू रिपोर्टिंग फ़ाउंडेशन (वीआरएफ) बनाया जा सके। इस नए संगठन

का उद्देश्य एक सुसंगत ढाँचा प्रदान करना है जो वित्तीय और स्थिरता रिपोर्टिंग को एकीकृत करता है, जिससे व्यवसायों को वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में उनके वास्तविक मूल्य निर्माण को दर्शाते हुए व्यापक और पारदर्शी प्रकटीकरण देने में मदद मिलती है। 2021 में, वीआरएफ का जलवायु प्रकटीकरण मानक बोर्ड (सीबीएसबी) के साथ विलय हो गया और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) फ़ाउंडेशन के नए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (आईएफआरएस) का हिस्सा बन गया। इस गठबंधन का उद्देश्य वीआरएफ, एसएसबी और सीडीएसबी की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए वैश्विक रूप से सुसंगत कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मानक बनाना है। आईएफआरएस फ़ाउंडेशन के अन्तर्गत आईएसएसबी को उच्च-गुणवत्ता वाले, समझने योग्य और लागू करने योग्य स्थिरता प्रकटीकरण मानकों को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सहयोगात्मक प्रयास वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ-साथ स्थिरता संबंधी जानकारी की सुसंगतता, तुलनीयता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है, निवेशकों, नियामकों और अन्य हितधारकों के लिए बेहतर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है और एकीकृत रिपोर्टिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है।

आईआर फ्रेमवर्क सिद्धांतों का पालन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एकीकृत रिपोर्टिंग (आईआर) फ्रेमवर्क 2021 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पूरी लगन से पालन किया है। ये सिद्धांत हमारी एकीकृत रिपोर्ट की सामग्री और प्रस्तुति का मार्गदर्शन करते हैं:

- रणनीतिक फोकस एवं भविष्य की दिशा:** रिपोर्ट बैंक की रणनीति, अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि में मूल्य सृजन से इसके संबंध और पूंजी के विभिन्न रूपों पर इसके प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करती है।
- सूचना की सहबद्धता :** यह विभिन्न गतिविधियों, पूंजी और समग्र मूल्य सृजन को जोड़कर समय के साथ बैंक के मूल्य सृजन को प्रभावित करने वाले परस्पर संबंधित कारकों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- हितधारक संबंध:** रिपोर्ट प्रमुख हितधारकों के साथ बैंक के संबंधों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करती है और यह स्पष्ट करती है कि बैंक उनकी वैध जरूरतों तथा हितों को कैसे समझता है, उनका जवाब देता है तथा उन पर विचार करता है।
- भौतिकता:** यह विभिन्न समय-सीमाओं में बैंक की मूल्य सृजन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले मामलों का खुलासा करता है, मूल्य सृजन को काफी हद तक प्रभावित करने की उनकी क्षमता के आधार पर भौतिक मामलों की पहचान करता है।
- संक्षिप्तता:** रिपोर्ट तार्किक रूप से संरचित और अच्छी तरह से व्यक्त की गई है, स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत की गई है, और इसमें उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रभावी नेविगेशन उपलब्ध हैं।
- विश्वसनीयता और पूर्णता:** रिपोर्ट में सभी प्रासंगिक और भौतिक जानकारी शामिल है, जो बैंक के कार्यानिष्पादन और संभावनाओं का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- संगति और तुलनीयता:** जानकारी समय के साथ सुसंगत है और उद्योग में अन्य संगठनों के साथ तुलनीय है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता बढ़ती है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एकीकृत रिपोर्ट में व्यापक रूप से आईआर फ्रेमवर्क के मार्गदर्शक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जो मूल्य सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों की अंतर-निर्भरता को दर्शाता है, रणनीतिक अभिविन्यास को दर्शाता है, और हितधारक संबंधों को स्वीकार करता है। यह अपनी संक्षिप्त लेकिन व्यापक प्रस्तुति के माध्यम से विश्वसनीयता और तुलनीयता सुनिश्चित करता है।

भौतिकता व रिपोर्टिंग मानक

इस रिपोर्ट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया और हमारे हितधारकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों को दर्शाने के लिए "भौतिक" विषयों सहित कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है। इस संदर्भ में, ये शब्द प्रतिभूति कानूनों के अनुसार परिभाषित या व्याख्या किए गए या वित्तीय विवरणों और रिपोर्टिंग में उपयोग किए गए "भौतिक" और "भौतिकता" शब्दों से अलग हैं और उन्हें उनके साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

सामान्य जानकारी

यह रिपोर्ट केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है तथा इसमें सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति की पेशकश या बिक्री शामिल नहीं है। इस रिपोर्ट में सभी जानकारी प्रकाशन की तिथि तक वर्तमान की है। हम जानकारी को अद्यतन करने या किसी भी विचार, राय या तथ्य में परिवर्तन या गलत होने पर आपको सूचित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं। वैधानिक प्रकटीकरण के अलावा, इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण ईएसजी विषयों पर स्वैच्छिक प्रकटीकरण भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट के निवेशक संबंध पृष्ठों पर उपलब्ध हमारी अन्य विभिन्न रिपोर्टों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

भविष्य-उन्मुख कथन

इस रिपोर्ट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भविष्य-उन्मुख कथन शामिल हैं। हम पाठकों को सावधान करते हैं कि कोई भी भविष्य-उन्मुख कथन भविष्य के कार्यानिष्पादन की गारंटी नहीं देता है, और वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। भविष्य-उन्मुख कथनों को 'हो सकता है', 'करेगा', 'तलाश करेगा', 'जारी रखेगा', 'लक्ष्य', 'पूर्वानुमान', 'लक्ष्य', 'अनुमानित', 'उम्मीद', 'अनुमान', 'इरादा', 'योजना', 'लक्ष्य', 'विश्वास', 'प्राप्ति' या इसी तरह के शब्दों से पहचाना जा सकता है। प्रकृति से, भविष्य-उन्मुख कथनों में भविष्य की घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित जोखिम और अनिश्चितता शामिल होती है, जिसमें कानून में बदलाव, मानकों और व्याख्याओं का विकास, विकसित ईएसजी रिपोर्टिंग प्रथाएँ और हमारे नियंत्रण से परे बाहरी कारक शामिल हैं। ये कथन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन की वर्तमान मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित हैं तथा महत्वपूर्ण जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। हमारी भविष्य की वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 में की गई है, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। लागू कानूनों और विनियमों के अन्तर्गत हमारे दायित्वों के अधीन, हम नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप किसी भी भविष्य-उन्मुख वक्तव्य को सार्वजनिक रूप से अपडेट करने या संशोधित करने का कोई दायित्व नहीं लेते हैं।



एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2023-24
डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड
को स्कैन करें।

प्रस्तुत रिपोर्ट को

समझना

अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) के सिद्धांतों के अनुरूप, प्रस्तुत अध्याय हमारी एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट को नेविगेट करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। भौतिक मुद्दों, रणनीतिक प्राथमिकताओं, व्यापार मॉडल कैनवास, यूएनएसडीजीएस एवं जीआरआई संख्याओं जैसे परस्पर जुड़े तत्वों को प्रस्तुत करके, हमारा उद्देश्य यह बताना है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार मूल्य सृजन को आगे बढ़ाता है।

इन तत्वों का एकीकरण हमारी यह बताने की क्षमता को बढ़ाता है कि कितने कारक हमारे परिचालन एवं रणनीतिक दिशा को प्रभावित करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल सूचना की कनेक्टिविटी, हितधारक संबंधों तथा भौतिकता के आईआईआरसी सिद्धांतों के अनुरूप है, बल्कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। इन घटकों के बीच अंतर्संबंधों को समझकर, हितधारक हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, रणनीतिक उद्देश्यों तथा समग्र प्रदर्शन के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रस्तुत अध्याय हमारी रिपोर्ट की सहज जानकारी को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया

गया है, जो एक सुसंगत वर्णन प्रस्तुत करता है जो भौतिक मुद्दों को हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं और व्यवसाय मॉडल घटकों से जोड़ता है। इस परस्पर जुड़े ढांचे के माध्यम से, हम संवहनीय एवं जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे परिचालन आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणामों में सकारात्मक योगदान देते हैं।

इस कार्यनीतिक ढांचे का लाभ उठाकर, हमारा लक्ष्य हितधारक जुड़ाव को बढ़ाना, हमारी मूल्य-निर्माण प्रक्रिया पर स्पष्टता प्रदान करना एवं एकीकृत रिपोर्टिंग तथा संवहनीय विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है।

अंतर्संबंध का मूल्य

भौतिक मुद्दों, कार्यनीतिक प्राथमिकताओं, व्यवसाय मॉडल कैनवास, यूएनएसडीजीएस तथा जीआरआई संख्याओं को आपस में जोड़ना हमारे संगठन को चलाने वाले अंतर्संबंधों के जटिल जाल को समझने का आधार है। यह समग्र दृष्टिकोण हमें एक सुसंगत नरेशन प्रस्तुत करने की अनुमति देता है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि विभिन्न तत्व एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं तथा हमारी समग्र रणनीति एवं मूल्य निर्माण में योगदान करते हैं।

भौतिक मुद्दे और कार्यनीतिक प्राथमिकताएँ: भौतिक मुद्दों को हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़ना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम प्रमुख चुनौतियों और अवसरों का कैसे सामना करते हैं।

उदाहरणस्वरूप, जलवायु परिवर्तन (एक भौतिक मुद्दा) का ध्यान रखना संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने की हमारी रणनीतिक प्राथमिकता के साथ संरेखित है। यह संबंध हमारे मुख्य परिचालन तथा रणनीतिक उद्देश्यों में संवहनीयता को एकीकृत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बिजनेस मॉडल कैनवास और भौतिक मुद्दे: बिजनेस मॉडल कैनवास हमारे व्यवसाय के महत्वपूर्ण घटकों, जैसे कि प्रमुख भागीदार, गतिविधियाँ, संसाधन और मूल्य प्रस्ताव को रेखांकित करता है। इन घटकों को भौतिक मुद्दों के साथ जोड़कर यह दर्शाया जा सकता है कि नियामक परिवर्तन या बाजार की मांग जैसे बाहरी कारक हमारे परिचालन को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा (एक भौतिक मुद्दा) पर हमारा ध्यान हमारी प्रमुख गतिविधियों और संसाधनों को प्रभावित करता है, जो ग्राहकों के लिए हमारे मूल्य प्रस्ताव को आकार देता है।

जीआरआई संख्याएँ और व्यापक रिपोर्टिंग: ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) संख्याएँ संवहनीयता के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्टिंग के लिए मानकीकृत मीट्रिक प्रदान करती हैं। हमारे भौतिक मुद्दों और व्यापक मॉडल घटकों के साथ जीआरआई संख्याओं को क्रॉस-रेफरेंस करके, हम अपने प्रकटीकरण की पारदर्शिता और तुलनीयता को बढ़ाते हैं। यह संरेखण सुनिश्चित करता है कि हमारी रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है और हितधारकों को हमारे स्थिरता प्रदर्शन पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है।

भौतिक मामले (अत्यधिक महत्वपूर्ण)

पेज 26 पर और पढ़ें।

मामला नंबर	मामला
2	जलवायु जोखिमों का मुकाबला करना
7	ग्रीन फाइनेंस इम्पैक्ट
12	समुदायों पर सीएसआर का प्रभाव
13	सामुदायिक भागीदारी
14	सामाजिक समावेश
15	वित्तीय उत्पादों का प्रभाव
22	प्रभाव के लिए सहयोग

मामला नंबर	मामला
23	श्रम अभ्यास और रोजगार
29	सतत तकनीक में निवेश
30	रणनीतिक संवहनीयता
33	फिनटेक एवं प्रतिस्पर्धात्मकता
34	नैतिकता एवं पारदर्शिता
36	नैतिकता और एएमएल का बाजार प्रभाव



व्यवसाय मॉडल घटक

पेज 36 पर और पढ़ें

1 प्रमुख साझेदार	4 मूल्य प्रस्ताव	7 ग्राहक खंड
2 प्रमुख गतिविधियां	5 ग्राहक संबंध	8 प्रमुख इनपुट
3 प्रमुख संसाधन	6 चैनल	9 राजस्व के स्रोत

कार्यनीति प्राथमिकताएं


पेज 24 पर और पढ़ें

ए. परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना	जी. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना	एम. वितरण चैनलों को बढ़ाना
बी. बैलेस शीट कार्यनीतियों का अनुकूलन	एच. अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना.	एन. स्थिरता को बढ़ावा देना
सी. एक गतिशील और सहबद्ध कार्यबल को बढ़ावा देना	आइ. ग्राहकों की वित्तीय स्थिति में सुधार	ओ. स्थायी बैंकिंग प्रथाओं को आगे बढ़ाना
डी. कौशल विकास और प्रतिधारण को बढ़ाना	जे. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना	पी. ग्राहकों को स्थिरता की ओर परिवर्तन में सहायता करना.
ई. डिजिटल क्षमताओं को सुदृढ़ करना	के. कार्यनीति साझेदारी और गठबंधन बनाना	
एफ. ग्राहक- केन्द्रित नवाचारों को बढ़ावा देना	एल. भुगतान और लेन-देन में नवीनता लाना	

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (यूएनएसडीजीएस)



ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) संरेखण



अनुक्रमणिका

मूल्य सृजन के साथ ग्राहक संतुष्टि	3
इस रिपोर्ट के बारे में	4
इस रिपोर्ट को डिकोड करना	6
अनुक्रमणिका निर्देशिका	8
के बारे में	10-19
निदेशक मंडल	10
कॉर्पोरेट जानकारी	12
कार्यात्मक प्रमुख (31.05.2024 तक)	13
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14
प्रबंध निदेशक का संदेश	16
कार्यनीति	20-47
बाजार की गतिशीलता: अवसरों और परिवर्तनों के साथ समायोजन	20
हमारी व्यावसायिक प्राथमिकताएँ: डिजिटल नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना	24
वित्त वर्ष 2024 का भौतिक विश्लेषण: हितधारकों की अंतर्दृष्टि और प्राथमिकताएँ	26
मूल्य सृजन के लिए हमारा ढाँचा: बैंक का व्यवसाय मॉडल कैनवास	36
वित्त वर्ष 2024 में मूल्य सृजन और प्रभाव	42
एक साथ बदलाव: स्थिरता के लिए हमारा दृष्टिकोण	44
नैतिक उत्कृष्टता की वकालत करना	46
पूँजी	48-135
निर्मित पूँजी: ग्राहक केंद्रितता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य का निर्माण	48
वित्तीय पूँजी: नींव और लचीलेपन को मजबूत करना	62
बौद्धिक पूँजी: बौद्धिक पूँजी के माध्यम से नवाचार को सशक्त बनाना	70
प्राकृतिक पूँजी: रणनीतिक पर्यावरणीय शासन और सतत वित्तपोषण पहल	82
संबंध और सामाजिक पूँजी: समुदायों को सशक्त बनाना, विश्वास बढ़ाना	96
मानव पूँजी: एक समृद्ध भविष्य के लिए रणनीतिक विकास और नवाचार	112
जीआरआई इंडेक्स	134



पेज 20

बाजार की गतिशीलता: अवसरों और परिवर्तनों के साथ समायोजन



पेज 44

एक साथ बदलाव: स्थिरता के लिए हमारा दृष्टिकोण



पेज 48

निर्मित पूँजी: ग्राहक केंद्रितता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य का निर्माण



पेज **62**

वित्तीय पूंजी: नींव और लचीलापन को मजबूत करना



पेज **96**

संबंध और सामाजिक पूंजी: समुदायों को सशक्त बनाना, विश्वास बढ़ाना



पेज **112**

मानव पूंजी: एक समृद्ध भविष्य के लिए रणनीतिक विकास और नवाचार

सूचना	136-162
सूचना	136
सांविधिक	163-268
निदेशक की रिपोर्ट 2023-24	163
सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट	167
निदेशकों की गैर-अयोग्यता प्रमाणपत्र	170
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	171
कार्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट	214
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रगटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत प्रमाणपत्र	240
व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट 2023-24	241
बैंक की लाभांश वितरण नीति	266
वित्तीय स्थिति	267-378
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन)	267
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	276
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)	334
समेकित वित्तीय विवरण	342
पिलर 3(बेसल III) 31.03.2024 को प्रकटीकरण	378

निदेशक मंडल



श्री एम वी राव

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



श्री विवेक वाही

कार्यपालक निदेशक



श्री राजीव पुरी

कार्यपालक निदेशक
(30.06.2023 को निदेशक पद से मुक्त)



श्री एम वी मुरली कृष्णा

कार्यपालक निदेशक



श्री महेंद्र दोहरे

कार्यपालक निदेशक
(09.10.2023 से प्रभावी)



श्री हार्दिक मुकेश शेठ
सरकारी नामित निदेशक



श्री पी जे थॉमस
आरबीआई नामित निदेशक
(14.07.2023 को निदेशक पद से मुक्त)



श्रीमती चारुलता एस.कर
आरबीआई नामित निदेशक
(14.07.2023 से)



श्री दिनेश पांगती
शेयरधारक निदेशक



श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि
अंशकालीन गैर अधिकारिक निदेशक



श्री प्रियव्रत शर्मा
अंशकालीन गैर अधिकारिक निदेशक

के बारे में

कार्यशैली

पूजा

नोटिस

सांविधिक

द्वितीय

कॉर्पोरेट सूचना

निदेशक मंडल

श्री एम वी राव

श्री विवेक वाही

श्री राजीव पुरी

(30.06.2023 को निदेशक पद से मुक्त)

श्री एम वी मुरली कृष्णा

श्री महेंद्र दोहरे

(09.10.2023 से प्रभावी)

श्री हार्दिक मुकेश शेट

श्री पी जे थॉमस

(14.07.2023 को निदेशक पद से मुक्त)

श्रीमती चारुलता एस. कर

(14.07.2023 से प्रभावी)

श्री दिनेश पांगती

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि

श्री प्रियव्रत शर्मा

लेखा परीक्षक

मैसर्स किशोर एंड किशोर अगली पंक्ति में

मैसर्स एडीबी एंड कंपनी

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

इक्विटी शेयरों के लिए

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सी-101, 247 पार्क,

एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई - 400 083

टेलीफोन : 022-49186270

फैक्स : 022-49186060

ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime .co.in

बांड (डिबेंचर) के लिए

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

कार्यालय संख्या 383, तीसरी मंजिल, बी-विंग, गुंडेचा

ऑनक्लेव, परिसर, को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड

खेरानी रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072

टेलीफोन : 022-28516021

ई-मेल : helpdesk@mcsregistrars.com

बैंक के साथ पत्राचार के लिए पता

एजीएम/कंपनी सचिव एवं अनुपालन

अधिकारी

श्री चंद्रकांत भागवत

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी बिल्डिंग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

टेलीफोन : 022-66387818/7575

ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in/

investors@centralbank.co.in



कार्यात्मक प्रभारी (31.05.2024 तक)

मुख्य सर्तकता अधिकारी	
1. श्री सुनील अरोड़ा	बी.कॉम. (ऑनर्स)
महाप्रबंधक	
2. श्री उमेश के सिंह	बी.ई. (कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग), सीएआईआईबी, डीआईपीआईएन टीआर, इन्वेस्टमेंट, आरएसके
3. श्री ई. रतनकुमार	बी.ई. (कंप्यूटर साइंस) एम.टेक., एमएफएम
4. श्री मुकुल एन दंडिगे (मुख्य वित्तीय अधिकारी)	बी.एससी., सीएआईआईबी
5. श्री बी.एस.हरिलाल	बी.एस.सी., सीएआईआईबी, डीटीआईआरएम
6. श्री मोहित कोडनानी	बी.ई., सीएआईआईबी
7. श्री विवेक कुमार	बी.एस.सी., बी.एड., एमएमएस (वित्त), सीएआईआईबी
8. श्री ए.डी.श्रीनिवास	बी.कॉम., सीएआईआईबी
9. श्री वास्ती वेंकटेश	बी.एस.सी., सीएआईआईबी, एमबीए (बैंकिंग और वित्त)
10. श्री जसविंदर सिंह साहनी	एम.एस.सी., सीएआईआईबी
11. श्री शिव कुमार गुप्ता	बी.कॉम., एम.ए. (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी
12. श्री बी.बी.मुदरेजा	बी.ए., सीएआईआईबी
13. श्री टी.एस.बालचंद्रन	बी.एस.सी., सीएआईआईबी, एमबीए
14. श्री सोहेल अहमद	बी.कॉम., सीएआईआईबी, आईसीडब्ल्यूए (आईएनटी)
15. श्री शीशराम तुंदवाल	बी.कॉम., सीएआईआईबी
16. श्री कुशल पाल	एम.ए., सीएआईआईबी
17. श्री वाई अनिल कुमार	एम.एससी., पीजीडीसीएस, एमबीए, सीएआईआईबी
18. श्री अजय कुमार सिंह	एम.एससी., सीएआईआईबी
19. श्री तरसेम सिंह जीरा	एमबीए, सीएआईआईबी
20. श्री धनंजय सिंह राठौर	बी.एससी., सीएआईआईबी
21. श्रीमती पॉपी शर्मा	बी.एससी., (ऑनर्स), एमबीए, सीएआईआईबी
22. श्री वर्नागुला लक्ष्मण राव	एम.एससी. (कृषि), सीएआईआईबी
23. श्री पी अनूप कुमार	बी.कॉम, एम.कॉम., सीएआईआईबी, एडी इन फिन (आईसीएफआई)
24. श्रीमती कविता ठाकुर	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एमबीए, सीएआईआईबी, आईबीसी प्रमाणन
25. श्री संजू मंगरुलकर	एम.एससी., सीएआईआईबी, डीसीएम
26. श्री के शशिधर	एम.कॉम, सीएआईआईबी, एमबीए (बैंकिंग और वित्त)
27. श्री प्रवीण किणी	बी.एस.सी., सीएआईआईबी
28. श्री के.धारासिंग नाइक	बी.कॉम., सीएआईआईबी, एम.बी.ए.
29. श्री धर्म पाल खुराना	बी.कॉम., सीएआईआईबी
30. श्री अश्वनी ढींगरा	एमबीए., बी.एस.सी, बी.एड.
31. श्री अजय खन्ना	बीए, सीएआईआईबी
32. श्री सूर्यनारायण मूर्ति सलादी	एम.कॉम., सीएआईआईबी
मुख्य जोखिम अधिकारी	
33. डॉ. भास्कर गोरुगंटू	बी.कॉम., एम.बी.ए., पी.एच.डी., एफ.आर.एम., सी.ए.आई.आई.बी.
कंपनी सचिव	
34. श्री चंद्रकांत भागवत	बी.कॉम., एल.एल.बी., ए.सी.एस., एम.बी.ए.

ने बारे में

कार्यनीति

पुनी

नोटिस

साविधिक

दिनीय

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में



एक सदी से भी पूर्व, 1911 में स्थापित, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश के सबसे पुराने बैंकों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। अनोखी बात यह है कि यह प्रथम भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका स्वामित्व एवं संचालन पूर्णतः भारतीय नागरिकों के पास था। यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर इसके संस्थापक सर सोराबजी पोचखानावाला की आकांक्षाओं की पूर्ति थी। इसके अतिरिक्त, बैंक को सर फिरोजशाह मेहता को अपना प्रथम अध्यक्ष बनाने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने वास्तव में 'स्वदेशी बैंक' का नेतृत्व किया। सर सोराबजी पोचखानावाला ने बहुत गर्व से बैंक की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह 'राष्ट्र की संपत्ति' एवं 'भारत की वास्तविक संपत्ति' है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जनता के भरोसे पर फलता-फूलता है तथा आम जनों का बैंक होने पर गर्व करता है।

भारत में कार्यरत एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप निरंतर विकसित हुआ है, तथा भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खुद को ढालता रहा है। हम अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योग, तथा मध्यम और बड़े उद्योगों को सशक्त बनाने में अग्रणी बने हुए हैं।

विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में, हमने अपनी सह-उधार साझेदारी का विस्तार करने के लिए कार्यनीतिक पहल की, जिससे देश भर में और 12 प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के साथ संबंध मजबूत हुए। इससे हमारे सह-उधार गठबंधन की संख्या बढ़कर 26 मजबूत साझेदारियों तक पहुंच गई, जो सभी क्षेत्रों में हमारी उधार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमारी गतिशील प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इन रणनीतिक साझेदारियों के पूरक के रूप में, हमने शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं शुरू की हैं। हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में बचत एवं चालू खाते, ग्रीन डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा योजनाएं तथा छोटी बचत योजनाएं जैसे जमा उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है। हम आवास, वाहन, संपत्ति, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिक, शिक्षा, कृषि, साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए तैयार किए गए ऋणों की एक व्यापक श्रृंखला भी प्रदान करते हैं।

देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास यहीं नहीं रुकते। अपने खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग क्षेत्र में, हम परियोजना वित्त, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए वित्तपोषण प्रदान करते हैं। इन रणनीतिक साझेदारियों के पूरक के रूप में, हमने शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं शुरू की हैं।

₹385,011 करोड़

जमाएं

31 मार्च 2024 तक जमा

₹251,745 करोड़

अग्रिम

31 मार्च 2024 तक

4,500

शाखाएं

4,084

एटीएम

11,682

व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आरंभिक दिनों में, एक विज्ञापन ने युवा मन में वित्तीय विवेक पैदा करने के सार को दर्शाया था। सीपिया रंग की छवि में एक माँ को अपने बच्चों को बचत बैंक काउंटर पर ले जाते हुए दिखाया गया था, जहाँ दो उत्सुक लड़कों ने अपनी पहली जमा राशि जमा की थी। शिलालेख "होम सेविंग्स बैंक" भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का प्रतीक था। शीर्षक, "उनकी पहली जमा राशि," ने आग्रह किया, "अपने बच्चों को उनकी छोटी उम्र से ही बचत करना सिखाएँ." इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि बैंक में जमा किया गया पैसा विपत्ति में एक दृढ़ रक्षक और अवसरों के लिए तैयारी होगी। इस छवि और संदेश ने बचत और वित्तीय जिम्मेदारी की आदतों को प्रोत्साहित किया, जिससे युवा भारतीयों में बचत और वित्तीय साक्षरता की संस्कृति को बढ़ावा मिला।

देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास को आगे बढ़ाते हुए, हमारे खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग क्षेत्रों में हम परियोजना वित्त, बुनियादी ढांचे हेतु वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे के निवेश ट्रस्टों को वित्तपोषण, अल्पकालिक कॉर्पोरेट ऋण, अग्रिम, कार्यशील पूंजी सुविधाएँ, निर्यात वित्त, विदेशी मुद्रा ऋण, बिल खरीद/छूट/ समझौता आदि सुविधाएँ, गैर-निधि-आधारित सुविधाएँ और विभिन्न उद्योग-विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इसके अलावा, हम क्रेडिट, डेबिट, प्रीपेड/ गिफ्ट कार्ड, कैश मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग एवं एटीएम आदि सेवाएँ प्रदान करते हैं।

हमारी व्यापक ऋण और बैंकिंग सेवाओं के अलावा, हम जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा सहित बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इनमें यूनिट-लिंक्ड, संपूर्ण जीवन, बच्चे, मनी बैंक, एंडोमेंट, पेंशन, स्वास्थ्य, संपत्ति, व्यक्तिगत, आग, चोरी, इंजीनियरिंग, मोटर, पैकेज, यात्रा और समूह बीमा उत्पाद, साथ ही सुरक्षा और सेवानिवृत्ति समाधान शामिल हैं।

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी के तहत, हम एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत एसएमई एलएपी ऋण उत्पाद प्रदान करते हैं। हमारे प्रयास इस वर्ष दर्ज किए गए अग्रिमों में प्रभावशाली वृद्धि के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो ऋण प्रतिमानों को फिर से परिभाषित करने और समावेशी विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत के वित्तीय परिदृश्य में शक्ति का एक स्तंभ

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूरे देश में अपनी व्यापक पहुंच के कारण वास्तव में एक 'अखिल भारतीय बैंक' का प्रतीक है। व्यापक उपस्थिति के साथ, बैंक ने 28 राज्यों में



से प्रत्येक में अपनी छाप छोड़ी है, साथ ही भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 7 में, जिसमें एनसीटी दिल्ली भी शामिल है।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश भर में 20,266 ग्राहक संपर्क बिंदुओं का नेटवर्क प्रदान करता है। इस प्रभावशाली नेटवर्क में 4,500 शाखाएँ, 4,084 एटीएम का एक मजबूत बेड़ा और 11,682 बीसी आउटलेट की एक व्यापक प्रणाली शामिल है।

अपनी व्यापक भौगोलिक पहुंच के अलावा, बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में अपनी मजबूत उपस्थिति पर गर्व करता है। समावेशिता के प्रति यह प्रतिबद्धता इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि हमारी 65.21% शाखाएँ रणनीतिक रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं, जो देश के हर कोने की सेवा करने के हमारे समर्पण को रेखांकित करती हैं।

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की डेस्क से संदेश

प्रिय स्टेकधारकों,

मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ. हम नए जोश के साथ और अधिक मजबूती से उभरे हैं. हमारी क्षमताओं में हमारा विश्वास न केवल हमारे आंकड़ों में, बल्कि हमारे ग्राहकों द्वारा हम पर रखे गए भरोसे में भी झलकता है. मैं इस उपलब्धि को संभव बनाने के लिए अपने ग्राहकों, भागीदारों, टीम के सदस्यों और अन्य हितधारकों के अथक सहयोग के लिए उनका आभारी हूँ. मैं यहाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपके बैंक के कार्य निष्पादन के मुख्य अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ.

वैश्विक अर्थव्यवस्था

अवलोकन

भू-राजनीतिक तनावों, मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयासों और मांग में कमी के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2024 में उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2023 में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए 3.2% की स्थिर वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया था, जिसकी वर्ष 2024 तक बने रहने की उम्मीद है. वैश्विक विकास विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग होने का अनुमान है. एक समूह के रूप में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के वर्ष 2024 और 2025 में क्रमशः 1.7% और 1.8% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि वर्ष 2023 में 1.6% का अनुमान लगाया गया था. उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वर्ष 2023 के लिए अनुमानित 4.3% की तुलना में वर्ष 2024 और 2025 में 4.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है. भारत का वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.8% और 2025-26 के लिए 6.5% की वृद्धि के अनुमान सहित सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहने की उम्मीद है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभावों से उबर रही है.



हमारी क्षमताओं में हमारा विश्वास न केवल हमारी संख्या में बल्कि हमारे ग्राहकों के हम पर विश्वास में भी परिलक्षित होता है. साथ मिलकर, हमने एक लचीला एवं स्फूर्तिवान बैंक बनाया है.

एम वी राव

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आपूर्ति बाधाओं में कमी आई है, हालांकि तेल की कीमतों की अस्थिरता के कारण मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है. महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुई संपर्क-परक सेवाओं में मांग बढ़ रही है जिससे विकास को गति मिली है. हालांकि, आवक लागत दबाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और चीन लॉकडाउन के कारण विनिर्माण क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे आवश्यक आवक की उपलब्धता प्रभावित हुई है और वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो गया है. आईएमएफ द्वारा अप्रैल 2023 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में वैश्विक विकास 2.8% और 2024 में 3.0% तक पहुंचने का अनुमान है. वैश्विक मुद्रास्फीति 2023 में 6.8% से घटकर 2024 में 5.9% और 2025 में

4.5% होने की उम्मीद है.

भारतीय अर्थव्यवस्था

जीडीपी वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी, जो सरकार के 7.6% और भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है. यह वृद्धि उत्पादन क्षेत्र के मजबूत कार्य निष्पादन के कारण थी, उसके बाद विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का योगदान रहा. विनिर्माण और उत्पादन दोनों में 9.9% की वृद्धि हुई, पहले की वृद्धि हेतु आधारभूत प्रभाव को माना जा सकता है जबकि दूसरे की वृद्धि पूंजीगत व्यय के कारण हुई. सेवा क्षेत्र में, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं के उप-क्षेत्र में 8.4% की



सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, उसके बाद लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ रही

कृषि क्षेत्र में वृद्धि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में अनियमित वर्षा के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में 4.7% से घटकर 1.4% रह गई, खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में 329.6 मिलियन टन की तुलना में 309.3 मिलियन टन रहा. आगे, वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि निजी और सार्वजनिक निवेश और उपभोग मांग में सुधार से प्रेरित होने की उम्मीद है, जैसा कि परियोजना घोषणाओं में वृद्धि और उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि से संकेत मिलता है. उल्लेखनीय रूप से, बड़े उद्योगों को बैंक ऋण वित्त वर्ष 2024 में 7% बढ़ा, जो वित्त वर्ष 2018-19 के बाद सबसे अधिक है, और निजी क्षेत्र द्वारा जारी बांड ₹ 8.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2008 के बाद सबसे अधिक है. बाह्य कारकों के बजाय घरेलू मांग से प्रेरित विकास के साथ, भारत वैश्विक वित्तीय अस्थिरता से बचा हुआ है. भारत का आर्थिक भविष्य उज्ज्वल है, पिछले तीन वर्षों में औसतन 8% की वृद्धि हुई है. हालाँकि, इसकी गुणवत्ता अर्थव्यवस्था की अस्थिरता को अवशोषित करने और अपने वित्तीय बाजार की गहराई पर निर्भर करेगी.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का व्यवसाय

कुल व्यवसाय वृद्धि

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 में अपने निर्धारित लक्ष्यों को पार करते हुए महत्वपूर्ण व्यवसाय वृद्धि प्राप्त की. कुल व्यवसाय ₹577,075 करोड़ से बढ़कर ₹636,756 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 10.34% की वृद्धि दर्शाती है. यह वृद्धि वर्ष के दौरान बैंक के 10-12% व्यवसाय वृद्धि हेतु प्रदत्त मार्गदर्शन के अनुरूप थी. बैंक के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन का श्रेय परिपरिसंपत्ति गुणवत्ता, तकनीकी प्रगति और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने को जाता है. आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में ₹2,549 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो 2023 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड से अधिक है.

अपने लक्ष्यों को पार करते हुए, कुल कारोबार में 10.34% की वृद्धि हुई, और हमने वित्त वर्ष 2024 में ₹ 2,549 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया. यह वृद्धि हमारे रणनीतिक फोकस और अथक टीमवर्क का प्रमाण है.

अग्रिम और ऋण-जमा अनुपात

हमने अग्रिमों में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की है, कुल अग्रिम ₹217,779 करोड़ से बढ़कर ₹251,745 करोड़ हो गए हैं, जो 15.60% की वृद्धि दर को दर्शाता है. इस खंड में, खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएमएम) श्रेणी में ₹144,735 करोड़ से बढ़कर ₹167,126 करोड़ हो गए, जो 15.47% की वृद्धि दर को दर्शाता है. कॉर्पोरेट अग्रिमों में भी अच्छी वृद्धि देखी गई, जो ₹73,044 करोड़ से बढ़कर ₹84,619 करोड़ हो गए, जो 15.85% की वृद्धि दर को दर्शाता है. परिणामस्वरूप, ऋण-जमा अनुपात 60.86% से बढ़कर 65.59% हो गया, जो बैंक की विस्तारित ऋण गतिविधियों को दर्शाता है.

परिसंपत्ति की गुणवत्ता

आपके बैंक द्वारा संतुलित क्रेडिट पोर्टफोलियो बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप 3.40% का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) प्राप्त हुआ, जो 3% से अधिक के लक्ष्य से अधिक रहा. सकल गैर-निष्पादित परिपरिसंपत्तियाँ (एनपीए) अनुपात 4.00% से 4.25% के लक्ष्य से थोड़ा अधिक 4.50% रहा, जबकि शुद्ध एनपीए अच्छे नियंत्रण सहित 1.23% रहा. बैंक ने 93.58% का एक सुदृढ़ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) भी दर्शाया है, जो 92% से अधिक के लक्ष्य से अधिक रहा. वित्तीय वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही के लिए स्लिपेज अनुपात 0.57% के निम्न स्तर पर था और वित्तीय वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही के लिए क्रेडिट लागत लक्ष्य से नीचे 0.85% पर रही.

संसाधन संग्रहण

मार्च 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान, बैंक की कुल जमा जमाराशियों में 7.16% की वृद्धि हुई, जो ₹359,296 करोड़ से बढ़कर ₹385,011 करोड़ हो गई. कासा (चालू खाता बचत खाता) जमा जमाराशियाँ ₹180,312 करोड़ से बढ़कर ₹191,969 करोड़ हो गई, जो 6.46% की वृद्धि दर दर्शाती है. यह वृद्धि चालू जमाओं में वृद्धि के कारण हुई, जो ₹17,781 करोड़ से 2.63% बढ़कर ₹18,248 करोड़ हो गई, और बचत जमाराशियाँ, जो ₹162,531 करोड़ से 6.88% बढ़कर ₹173,721 करोड़ हो गई. कुल जमा जमाराशियाँ में कासा का हिस्सा 50.02% के अच्छे स्तर पर बनाए रखा गया.

कासा जमा

कासा जमाराशि बैंक के जमा आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा, जो ₹180,312 करोड़ से बढ़कर ₹191,969 करोड़ हो गया, जो 6.46% की वृद्धि दर दर्शाता है. यह वृद्धि चालू जमाओं और बचत जमाराशि दोनों के कारण हुई, जो बैंक की जमाराशि जुटाने की सुदृढ़ रणनीति को दर्शाती है. कुल जमाराशि में कासा जमाराशि का अनुपात 50.02% पर बना रहा, जो कम लागत वाली जमा वृद्धि पर बैंक के ध्यान केन्द्रित करने को रेखांकित करता है.

स्थायी जमाराशि

अकेले स्थायी सावधि जमाराशि में 8.06% की वृद्धि हुई, जो ₹177,528 करोड़ से बढ़कर ₹191,839 करोड़ हो गई. शून्य सीडी और शून्य उच्च लागत जमा के बिना कोर डिपॉजिट

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की डेस्क से संदेश

में यह वृद्धि बैंक की स्थिर और दीर्घकालिक निधि स्रोतों को प्राप्त करने की रणनीति को दर्शाती है।

पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रशासकीय (ईएसजी) पहल

बैंक ने अपने परिचालन में पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासकीय (ईएसजी) संबंधी विचारों को सम्मिलित करने की यात्रा प्रारंभ की है। ईएसजी नीति के कार्यान्वयन और 21 दिसंबर 2023 को ईएसजी पर अपनी 5-वर्षीय रणनीति - विज्ञान दस्तावेज़ के अनावरण के माध्यम से, बैंक ने भारत सरकार के 2070 नेट जीरो लक्ष्यों के अनुरूप, अपने स्कोप 1 लक्ष्य के हिस्से के रूप में 2028 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से प्रतिबद्धता जताई है। विज्ञान दस्तावेज़ में हरित और संधारणीय परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए कार्यान्वयन की रूपरेखा दी गई है, जिसमें पात्र परियोजनाओं के लिए "जागरूक-निगरानी-पुरस्कार" दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सेन्ट गो ग्रीन और सौर उपकरणों के लिए सेन्ट कुसुम जैसे वित्तपोषण समाधान प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एमएसएमई के लिए एक ऊर्जा दक्षता योजना शुरू की है और भारत सरकार के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (जीओआई ईएसजीआर बॉन्ड) में ₹199.97 करोड़ का निवेश किया है।

पुरस्कार एवं प्रशस्ति

आपके बैंक को पिछले वर्ष में कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कारों और प्रशस्तियों से सम्मानित किया गया है। आपके बैंक को "ईटी एज - टाइम्स ग्रुप इनिशिएटिव" द्वारा "2024 के लिए महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठनों में से एक" के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह प्रतिष्ठित सम्मान मुंबई में दिनांक 21 मार्च 2024 को आयोजित "बेस्ट ऑर्गनाइजेशन फॉर वुमेन कॉन्क्लेव 2024" के चौथे संस्करण में प्रदान किया गया, जो महिलाओं के लिए एक समावेशी और सहायक



ईएसजी नीति और इसकी पंचवर्षीय रणनीति – ईएसजी पर विज्ञान दस्तावेज़ के कार्यान्वयन के माध्यम से, बैंक ने भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए, अपने स्कोप 1 लक्ष्य के हिस्से के रूप में 2028 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

कार्यस्थल को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

आपके बैंक ने दिनांक 18 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 95वें स्काॅच शिखर सम्मेलन - राज्य की समावेशी वृद्धि में "रणनीतिक डिजिटल एचआर परिवर्तन" के लिए प्रतिष्ठित स्काॅच गोल्ड पुरस्कार प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। यह मान्यता बैंक द्वारा नवोन्मेषी डिजिटल उपकरणों और रणनीतिक पहलों के माध्यम से अपने कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के सफल परिवर्तन को रेखांकित करती है, जिससे उत्तर्दायित्व, कार्यबल की गतिशीलता और परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है, साथ ही विकास, ग्राहक संतुष्टि और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है।

आपके बैंक को आईबीए के 19वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी एक्सपो और प्रशस्ति पत्र 2022-23 में "सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन" श्रेणी के तहत एक विशेष उल्लेख पुरस्कार भी मिला।

आपके बैंक को ट्रांसयूनियन सिबिल और आईबीए द्वारा आयोजित पीएसयू जीएम आईटी/एमआईएस सम्मेलन 2024 में ट्रांसयूनियन सिबिल से वित्त वर्ष 2023-24 हेतु सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता डिलाइट पीएसयू उपभोक्ता पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

आपके बैंक को ट्रांसयूनियन सिबिल और आईबीए द्वारा आयोजित पीएसयू जीएम आईटी/एमआईएस सम्मेलन 2024 में ट्रांसयूनियन सिबिल से वित्त वर्ष 2023-24 हेतु सर्वाधिक डीक्यूओ वृद्धि वाला पीएसयू उपभोक्ता पुरस्कार भी मिला है।

नई पहलें

तकनीकी परिवर्तन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया परिचालन दक्षता बढ़ाने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का समर्थन करने के लिए अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे में निरंतर परिवर्तन कर रहा है। बैंक ने ग्राहकों के प्रश्नों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देने में शाखा कर्मचारियों की सहायता के लिए सेन्ट चाणक्य नामक एक एआई -आधारित चैटबॉट लागू किया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ऋण उत्पादों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया एक डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे टर्नअराउंड समय में उल्लेखनीय कमी आई। यह प्लेटफॉर्म निर्णय लेने में व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए मानक स्रोतों से डेटा का उपयोग करता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए एक माइक्रो-सर्विसेज आधारित कंटेनरीकृत प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन एकीकरण और परिनियोजन के लिए स्वचालित उपकरण पेश किया है, जिससे बैंक की तकनीकी क्षमताओं में सुधार हुआ है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता पर ध्यान

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य ऋण लागत को 1% से नीचे रखना है। बैंक जोखिमों को कम करने और संतुलित ऋण पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कॉर्पोरेट और एमएसएमई बहीखाते बनाए रखने पर जोर देता है। इसमें तनावग्रस्त खातों की पहचान और प्रबंधन के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली विकसित करना शामिल है, जिससे समग्र परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हो सके। बैंक ने 93.58% के मजबूत प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) का लक्ष्य रखा है, जो 92% से अधिक के लक्ष्य से अधिक है, और 0.57% का कम स्लिपेज अनुपात बनाए रखा है, जो 1% से कम की लक्ष्य से कम है।

शुल्क-आधारित आय वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुल्क-आधारित आय में अच्छी वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि विभिन्न कारकों जैसे पीएसएलसी बिक्री, वसूली और अन्य विविध आय के कारण हुई। बैंक को आशा है कि शुल्क-आधारित आय और सेवा शुल्क स्थिर रहेंगे और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए विभिन्न राजस्व कार्यों में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नवीन पहलों का कार्यान्वयन पारंपरिक ब्याज आय से परे अपनी आय आधार का विस्तार करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पुनर्संचित बही प्रबंधन

बैंक ने अपनी पुनर्गठित बही में स्थिरता को बनाए रखा है और एमएसएमई संग्रहण पर भी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। इसमें पुनर्संचित परिसंपत्तियों का सक्रिय रूप से प्रबंधन और निगरानी करना शामिल है ताकि समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और ऋण जोखिमों को कम किया जा सके। पुनर्संचित बही प्रबंधन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, बैंक का लक्ष्य परिसंपत्ति की गुणवत्ता और वित्तीय सुदृढ़ता को बनाए रखना है। पुनर्संचित परिसंपत्तियों के प्रबंधन में बैंक

की सतत सक्रियता इसके समग्र कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

लागत-से-आय अनुपात अनुकूलन

बैंक का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में 50-52% की सीमा में लागत-से-आय अनुपात को लक्षित करके परिचालन दक्षता में सुधार करना है। बैंक ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और लागत-बचत उपायों को लागू करने सहित विभिन्न रणनीतियों को लागू किया है। ये पहल उच्च सेवा मानकों को बनाए रखते हुए लाभप्रदता बढ़ाने के लिए तैयार की गई हैं। लागत को नियंत्रित करने के लिए बैंक के प्रयास इसके निरंतर कार्य निष्पादन और परिचालन दक्षता पर रणनीतिक ध्यान देता है।

सकल एनपीए में कमी

बैंक ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर केंद्रित योजनाबद्ध पहलों के माध्यम से सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी का अनुमान लगाया है। इन परिसंपत्तियों का सक्रिय रूप से प्रबंधन और समाधान करके, बैंक का लक्ष्य अपनी बैलेंस शीट को सुदृढ़ करना और समग्र परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करना है।

कर्मचारी सहबद्धता

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रणी स्थान रखता है, जिसने बैंक से जुड़ी विशिष्ट जानकारी के उत्तर देने पर केंद्रित चैट जीपीटी के समान एक क्रांतिकारी जेनएआई -संचालित चैटबॉट विकसित किया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जानकारी तत्काल प्राप्त हो, चैटबॉट निर्णय लेने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और समग्र कार्यस्थल उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे बैंकिंग में डिजिटल सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत हो रही है।

सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों

और प्रशस्ति के माध्यम से कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, बैंक ने पुरस्कार और प्रशस्ति कार्यक्रम - सेन्ट्रल प्रेज (सेवा और उत्कृष्टता के लिए व्यक्तियों और टीमों को पुरस्कृत करने और स्वीकार करने का कार्यक्रम) को स्वीकृति दी है।

भविष्य की ओर

वित्त वर्ष 2023-24 के हमारे परिणामों के आलोक में, मैं शेरधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना हर्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। "मुझे विश्वास है कि हमारे स्पष्ट रणनीतिक फोकस, श्रेष्ठ निष्पादन और उत्कृष्ट कार्यबल के साथ, हम भविष्य में उद्योग-अग्रणी परिणाम देना जारी रखेंगे।"

मैं और मेरी टीम अपने सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और बोर्ड के सभी सदस्यों को हमारे प्रयासों में प्रबंधन को उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और इनपुट के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईबीए, स्टॉक एक्सचेंज, ग्राहकों, कर्मचारियों और सभी हितधारकों को समय-समय पर उनके निरंतर समर्थन और संरक्षण के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

शुभकामनाओं के साथ,

सादर,

एम वी राव

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 28 मई, 2024

बाजार की गतिशीलता: अवसरों और बदलावों के लिए समायोजन



वैश्विक बैंकों ने 2022 में 12% के रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ एक दशक के अधिक समय से इक्विटी पर अपना उच्चतम रिटर्न हासिल किया, जिसका 2023 में 13% तक पहुंचने का अनुमान है।

भारतीय बैंकिंग उद्योग की गतिशीलता

वित्त वर्ष 2023-24 में, भारतीय बैंकिंग उद्योग ने सुदृढ़ ऋण एवं जमा वृद्धि अनुभव किया, जो इसके लचीलापन और बेहतर आस्ति गुणवत्ता को रेखांकित करता है। ऋण जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए मजबूत क्षमता ने आर्थिक स्थिरता और औद्योगिक विकास में योगदान दिया। वैश्विक वित्तीय चुनौतियों के बीच, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने लचीलापन प्रदर्शित किया और मौद्रिक नीति समायोजन को प्रभावी ढंग से प्रसारित किया है।

नीतिगत रेपो दर में वृद्धि के बावजूद, बैंकिंग उद्योग में जमा राशि में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो जमाकर्ताओं के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। यह वृद्धि इस क्षेत्र की मजबूती और ब्याज दर जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने सुदृढ़ ऋण और जमा वृद्धि के साथ लचीलापन प्रदर्शित किया तथा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय स्थिरता बनाए रखी। पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखा और गैर-निष्पादित ऋणों (एनपीएल) को मध्यम रखा, जिससे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय स्थिरता और हितधारकों का विश्वास सुनिश्चित हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए मई 2023 से फरवरी 2024 तक नीति रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की है। यह आरबीआई की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के अग्रिम दृष्टिकोण को उजागर करता है। नीतिगत रेपो दर समायोजन का मुद्रा बाजार दरों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा, जो प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण का संकेत देता है। इस संरेखण ने बैंक ऋण और जमा दरों तक प्रभावी संचरण को सुगम बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि नीतिगत उपायों ने अर्थव्यवस्था पर अपेक्षित प्रभाव डाला।

वैश्विक प्रदर्शन और रुझान

जीआरआई 201, जीआरआई 203, जीआरआई 302, जीआरआई 305, जीआरआई 404, जीआरआई 418, जीआरआई 419

मैक्किंज़े की अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट से प्राप्त नवीनतम जानकारी वैश्विक बैंकों के शानदार प्रदर्शन को दर्शाती है, जो एक दशक से अधिक समय में इक्विटी पर उनका उच्चतम रिटर्न (आरओई) प्रदर्शित करता है। 2022 में 12% और 2023 के लिए अनुमानित 13% के साथ, यह 13-वर्ष के औसत 9.1% से आगे निकल गया है। लागत दक्षता में भी सुधार देखा गया है, लागत-आय अनुपात में सात प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट आई है। वित्तीय मध्यस्थता राजस्व 2022 में 6.8 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गया, जो इस क्षेत्र की वृद्धि को दर्शाता है, जो अब लगभग 400 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करता है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने सुदृढ़ ऋण और जमा वृद्धि के साथ लचीलापन प्रदर्शित किया तथा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय स्थिरता बनाए रखी।

बैंकिंग राजस्व वृद्धि विशेष रूप से इंडो-क्रिसेन्ट क्षेत्र में जोरदार रही है, जिसमें भारत भी शामिल है, जहां दुनिया की 51% शीर्ष प्रदर्शन करने वाली वित्तीय संस्थाएं स्थित हैं। यह सफलता उच्च सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या वृद्धि, नवीन परिवर्तनों और कुशल सेवा वितरण मॉडल द्वारा प्रेरित है। मैक्किंज़े ने बैंकों के लिए रणनीतिक आवश्यकता पर बल दिया है कि वे उभरते जोखिमों का प्रबंधन करने और बढ़ी हुई ब्याज दरों से निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें। इन गतिशीलताओं ने कैपिटल-लाइट व्यापार मॉडल और नियामक दबावों में चुनौतियों के बावजूद शुद्ध ब्याज मार्जिन और लाभप्रदता को बढ़ावा दिया है।

इन वैश्विक जानकारीयों को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और बैंक के कार्यनिष्पादन के व्यापक विश्लेषण के साथ एकीकृत करके, यह अध्याय बैंकिंग उद्योग के वर्तमान और भविष्य के प्रक्षेपवक्र का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इस समृद्ध परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य हितधारकों को इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारकों को समझने में सहायता करना है, जिससे अधिक सूचित रणनीतिक निर्णय लेना संभव हो सके।

वैश्विक बैंकिंग गतिशीलता

वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक बैंकिंग परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रदर्शन सुधार और चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी। मैक्किंज़े की वैश्विक बैंकिंग वार्षिक समीक्षा 2023 के अनुसार, बैंकों ने एक दशक में इक्विटी पर अपना सर्वश्रेष्ठ रिटर्न (आरओई) प्रदान किया, 2022 में आरओई बढ़कर 12% हो गया और 2023 में 13% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह मुख्य रूप से 2022 की दूसरी तिमाही से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में 500 आधार अंकों की वृद्धि से प्रेरित था, जिससे शुद्ध ब्याज मार्जिन और मुनाफे में लगभग 280 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई।

बैंकिंग परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख रुझान

- ऋण वृद्धि तथा परिसंपत्ति गुणवत्ता:** इस क्षेत्र में सुदृढ़ ऋण वृद्धि और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता देखी गई, जो बेहतर जोखिम प्रबंधन को दर्शाती है।
- जमा वृद्धि तथा नीतिगत दर संचरण:** बैंकों ने नीतिगत दरों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद सुदृढ़ जमा वृद्धि बनाए रखी, जिससे जमाकर्ताओं का विश्वास और प्रभावी ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रेखांकित हुआ।
- वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों के बीच लचीलापन:** पर्याप्त पूंजी बफर और मध्यम गैर निष्पादित ऋण (एपीएलएस) के माध्यम से क्षेत्र का लचीलापन स्पष्ट था, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई।
- तकनीकी व्यवधान तथा नवोन्मेष:** एआई और डिजिटल बैंकिंग ने क्षेत्र में परिवर्तन जारी रखा है, उत्पादकता, ग्राहक सेवा और परिचालन दक्षता में वृद्धि की है, तथा लागत बचत और नवीनता को बढ़ावा दिया है।
- तुलन पत्र तथा लेन-देन में परिवर्तन:** पारंपरिक बैंकों से फिनटेक कंपनियों और निजी पूंजी फर्मों की ओर परिसंपत्तियों और ग्राहकों का उल्लेखनीय बदलाव बैंकिंग के मुख्य स्तंभों को नया आकार दे रहा है।
- व्यापक आर्थिक परिदृश्य तथा ब्याज दरें:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास और मुद्रास्फीति की भिन्न-भिन्न अपेक्षाएं, साथ ही केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि, बैंकिंग क्षेत्र की इक्विटी की लागत और आर्थिक स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

वित्त वर्ष 2024 वैश्विक बैंकिंग उद्योग के लिए पर्याप्त उपलब्धियों और चुनौतियों का दौर रहा, जिसमें लाभप्रदता में सुधार, सुदृढ़

बाजार की गतिशीलता अवसरों और बदलावों के लिए समायोजन

ऋण वृद्धि और जटिल व्यापक आर्थिक और प्रौद्योगिकीय बदलावों से निपटना शामिल रहा। ये जानकारियाँ बैंकों के लिए प्रौद्योगिकीय नवीनता का लाभ उठाने, जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने, तथा विकास और स्थिरता को बनाए रखने के लिए बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

चुनौतियों और जोखिमों का समाधान

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों और जोखिमों का सक्रिय रूप से समाधान करता है। बैंक ने डिजिटल नवाचार और साइबर सुरक्षा जोखिमों के बढ़ते खतरे को पहचानने के लिए अपने साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया है। इसमें एक साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) की स्थापना करना शामिल है जो चौबीसों घंटे निगरानी करेगा तथा वास्तविक समय पर खतरे का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित करेगा। संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए अब प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएएमएस) और डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) जैसे उन्नत सुरक्षा समाधान उपस्थित हैं। सूचना सुरक्षा (आईएस) और भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) जैसे नियमित ऑडिट यह सुनिश्चित करते हैं कि उभरते खतरों के विरुद्ध बैंक की सुरक्षा मजबूत बनी रहे। इसके अतिरिक्त, बैंक ने शून्य डेटा हानि के साथ व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण आपदा रिकवरी केंद्र और निकट-साइट सेटअप स्थापित किया है, जिसे नियमित आपदा रिकवरी अभ्यासों द्वारा पूरित किया जाता है।

बैंक ने परिचालन दक्षता और ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए तकनीकी उन्नयन शुरू किया है, जिसमें सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए स्विफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी और वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसी प्रणालियाँ शामिल हैं। परिचालन जोखिमों को संबोधित करते हुए, बैंक ने कई शासन और जोखिम प्रबंधन समितियों की स्थापना की है, जैसे कि आईटी रणनीति समिति, आईटी जोखिम प्रबंधन

एआई और डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन ला रहे हैं, उत्पादकता, ग्राहक सेवा और परिचालन दक्षता बढ़ा रहे हैं।

समिति और आईटी संचालन समिति, जो आईटी जोखिमों की प्रभावी रूप से देखरेख और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैंक का आईटी विभाग, व्यापक परिचालनों को समर्थन देने के लिए संरचित है, जो आईटी रणनीतियों और परियोजनाओं के निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) और ग्रीन चैनल कैश डिपॉजिट जैसी नवीन पहल परिचालन दक्षता को और बढ़ाती हैं।

विनियामक अनुपालन के क्षेत्र में, बैंक दृढ़ मानकों का पालन करता है, तथा सूचना सुरक्षा के लिए आईएसओ 27001 और व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन के लिए आईएसओ 22301 जैसे प्रमाणन का अनुपालन करता है। बैंक ने पीसीआई-डीएसएस लेवल 1 संस्करण 4.0 अनुपालन भी प्राप्त कर लिया है, जो कार्डधारक डेटा के लिए उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीईआरटी-इन के पैलबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित आईएस ऑडिट और वीएपीटी तथा आरबीआई आईटी परीक्षा टीम द्वारा ऑडिट यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने और ऋण जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, बैंक ने एक उन्नत संग्रह प्रबंधन प्रणाली अपनाई है जो संभावित चूक की पहचान करने और वसूली रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण का उपयोग करती है। यह सक्रिय दृष्टिकोण बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। दूरस्थ ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए वीडियो-केवाईसी शुरू करने से सुविधा बढ़ती है और परिचालन जोखिम कम होता है, जिससे नए ग्राहकों के लिए एक सुचारू और सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

बैंक के लिए सतत विकास भी एक प्रमुख क्षेत्र है। बैंक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कागज रहित लेनदेन और डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को बढ़ावा देता है। ग्राहकों को ई-स्टेटमेंट और डिजिटल संचार का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो बैंक के स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप है। इन पहलों को प्राथमिकता देकर, बैंक बैंकिंग क्षेत्र में बहुआयामी चुनौतियों और जोखिमों को संबोधित करता है, परिचालन दक्षता, विनियामक अनुपालन और स्थिरता को बढ़ावा देता है।

बाजार की गतिशीलता को समझना

उत्कृष्टता और लचीलेपन की अपनी निरंतर खोज में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग क्षेत्र की गतिशील चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की है। इस व्यापक दृष्टिकोण में परिचालनों का डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना, मजबूत विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करना तथा ऋण और परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी बैलेंस शीट रणनीतियों को अनुकूलित कर रहा है, वितरण चैनलों को समतल कर रहा है, आवश्यकतानुसार लेनदेन व्यवसायों को बढ़ा रहा है या उनसे बाहर निकल रहा है, तथा सतत बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है। इनमें से प्रत्येक रणनीतिक निर्देशों विशिष्ट वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानकों और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) के अनुरूप है, जो सतत विकास और जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निम्नलिखित तालिका इन रणनीतिक निर्देशों, की गई कार्रवाई, भविष्य की योजनाओं और जीआरआई और संयुक्त राष्ट्र एसडीजी संदर्भों के साथ उनके संरेखण का सारांश प्रस्तुत करती है।



रणनीतिक निर्देश	विवरण एवं कार्यवाही	भविष्य	जीआरआई संरेखण तथा यूएनएसडीजी संदर्भ
डिजिटल परिवर्तन के अनुकूल होना 	कार्यकुशलता और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए परिचालन को डिजिटल बनाना और एआई-संचालित समाधान अपनाना. एआई-आधारित चैटबॉट और डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म का क्रियान्वयन किया गया.	डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्राहक-केंद्रित एआई समाधानों को बढ़ावा देना.	जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव यूएनएसडीजी 9: 
साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना 	एआई-संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए आईटी प्रणालियों को मजबूत करना. साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र और उन्नत सुरक्षा समाधान स्थापित किए गए.	साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और बुनियादी ढांचे को निरंतर उन्नत करें.	जीआरआई 418: ग्राहक निजता यूएनएसडीजी 16: 
तुलन पत्र में लचीलापन 	संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए बैलेंस शीट रणनीतियों को अपनाना. लागत-से-आय अनुपात अनुकूलन और ऋण-जमा अनुपात सुधार लागू किया गया.	रणनीतिक संसाधन आवंटन और लाभप्रदता वृद्धि जारी रखें.	जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन यूएनएसडीजी 8: 
वितरण चैनलों का स्तर ऊपर उठाना 	हाइब्रिड और डिजिटल सेवा पेशकशों के लिए ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए वितरण चैनलों को बढ़ाना. शाखा नेटवर्क और बिजनेस कॉ रेस्पोंडेंट मॉडल का विस्तृत करना.	डिजिटल और हाइब्रिड सेवा चैनलों का और विस्तृत करना.	जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव यूएनएसडीजी 9: 
ऋण और परिचालन जोखिम प्रबंधन 	ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार. उन्नत संग्रह प्रबंधन प्रणाली और वीडियो-केवाईसी को अपनाया गया.	पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को उन्नत करना.	जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन यूएनएसडीजी 8: 
सतत बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना 	सतत परिचालन और जलवायु अनुकूल वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्धता. कागज रहित लेन-देन और ई-स्टेटमेंट को बढ़ावा दिया.	अधिक हरित वित्तपोषण उत्पाद विकसित करें तथा कार्बन उत्सर्जन कम करें.	जीआरआई 302: ऊर्जा, जीआरआई 305: उत्सर्जन यूएनएसडीजी 7:  13: 
स्वेलिंग या मौजूदा लेनदेन व्यवसाय 	लेन-देन व्यवसायों का मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए तैयार किया गया है या यदि वे गैर-प्रमुख हैं तो उनसे बाहर निकला जा सकता है. मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों और रणनीतिक गठजोड़ पर अधिक ध्यान दिया जाएगा.	लेन-देन व्यवसाय पोर्टफोलियो का नियमित रूप से आकलन और अनुकूलन करें.	जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव यूएनएसडीजी 8: 
विनियामक अनुपालन को सुदृढ़ करना 	दंड से बचने के लिए कड़े नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना. आईएसओ 27001, आईएसओ 22301, और पीसीआई-डीएसएस अनुपालन किया.	उच्च अनुपालन मानक बनाए रखें और नियमित लेखापरीक्षा बनाए रखना.	जीआरआई 419: सामाजिक-आर्थिक अनुपालन यूएनएसडीजी 16: 

हमारी व्यावसायिक प्राथमिकताएँ: डिजिटल नवोन्मेष और सतत विकास को बढ़ावा देना

हमारे व्यापार स्तंभ

जीआरआई 201, जीआरआई 203,
जीआरआई 302, जीआरआई 305,
जीआरआई 404, जीआरआई 418

तेजी से विकसित हो रहे बैंकिंग परिदृश्य के मद्देनजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल उत्कृष्टता और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी-संचालित नवोन्मेष की प्रवृत्ति हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं को आकार दे रही है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम इन परिवर्तनों के प्रति दुरस्त और उत्तरदायी बने रहें। सतत विकास के पक्षधरों के रूप में, हम जलवायु

परिवर्तन से निपटने की तात्कालिकता को स्वीकार करते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करना तथा 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। इस यात्रा के लिए महत्वपूर्ण व्यवहारगत परिवर्तन और विभिन्न क्षेत्रों में गैर-कार्बन प्रौद्योगिकियों की व्यापक उपयोग की आवश्यकता है।

हमारा लक्ष्य सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए तकनीकी नवीनता और डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि हमारे ग्राहकों को उत्पादों, सलाह और समाधानों की व्यापक रेंज तक पहुंच प्राप्त हो, जो उन्हें सूचित वित्तीय निर्णय लेने और अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाए।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पूंजी आयामों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रणनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है, तथा परिचालन उत्कृष्टता, वित्तीय समावेशन, नवोन्मेष और स्थिरता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। प्रत्येक प्राथमिकता प्रासंगिक वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानकों और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) के साथ संरेखित है, जो निरंतर विकसित वित्तीय परिदृश्य में दीर्घकालिक मूल्य और लचीलापन प्राप्त करने के लिए बैंक के एकीकृत दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

पूंजी	प्राथमिकता	रणनीतिक प्राथमिकता	विवरण एवं कार्यवाही	जीआरआई संरेखण तथा यूएनएसडीजी का संदर्भ
वित्तीय पूंजी पृष्ठ 62	ए	परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना	सरलीकृत प्रक्रियाओं और मूल्य-केंद्रित लेनदेन मॉडल के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाना।	जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन यूएनएसडीजी : 
	बी	बैलेंस शीट रणनीतियों का अनुकूलन	उन्नत डेटा विश्लेषण के लिए डेटा लेक परियोजना का उपयोग करके संसाधन आवंटन और लाभप्रदता को अनुकूलित करने के लिए तुलन पत्र रणनीतियों को अपनाना।	जीआरआई 201: आर्थिक कार्यनिष्पादन यूएनएसडीजी : 
मानव संपदा पृष्ठ 112	सी	गतिशील और सक्रिय कार्यबल को बढ़ावा देना	प्रतिभा विकास, व्यापक प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धी लाभ और सहायक कार्य वातावरण के साथ एक समावेशी, विविध संस्कृति को बढ़ावा देना।	जीआरआई 404: प्रशिक्षण तथा शिक्षण यूएनएसडीजी :  
	डी	प्रतिभा विकास एवं प्रतिधारण को बढ़ाना	प्रशिक्षण कार्यक्रमों, लाभों और सहायक वातावरण के माध्यम से कार्यबल विकास और प्रतिधारण में निवेश करना।	जीआरआई 404: प्रशिक्षण तथा शिक्षण यूएनएसडीजी :  
बौद्धिक संपदा पृष्ठ 70	इ	डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना	प्रौद्योगिकी और नवीन समाधानों में निरंतर निवेश के साथ बेहतर समाधान के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।	जीआरआई 418: ग्राहक निजता यूएनएसडीजी : 
	एफ	ग्राहक-केंद्रित नवोन्मेष को बढ़ावा देना	डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके ग्राहकों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पाद और सेवा नवाचार को बढ़ावा देना।	जीआरआई 418: ग्राहक निजता यूएनएसडीजी : 



पूंजी	प्राथमिकता	रणनीतिक प्राथमिकता	विवरण एवं कार्यवाही	जीआरआई संरेखण तथा यूएनएसडीजी का संदर्भ
	जी	डाटा सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना	मजबूत कूटलेखन, गोपनीयता नीतियों एवं नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा के साथ डेटा सुरक्षा और ग्राहक गोपनीयता सुनिश्चित करना.	जीआरआई 418: ग्राहक निजता यूएनएसडीजी : 
	एच	अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवोन्मेष को बढ़ावा देना	निरंतर नवोन्मेष के लिए एक नवोन्मेष प्रयोगशाला एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान और विकास में निवेश.	जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव यूएनएसडीजी : 
निर्मित पूंजी पृष्ठ 84	आई	ग्राहकों की वित्तीय स्थिति में सुधार	डिजिटल दक्षता और डेटा अंतर्दृष्टि से प्रेरित वैयक्तिकृत सलाह के माध्यम से ग्राहकों के वित्त हित में सुधार.	जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव यूएनएसडीजी : 
	जे	वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना	समावेशी कार्यक्रमों, मोबाइल बैंकिंग एवं माइक्रोफाइनेंस पहलों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से वंचित और अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाले लोगों की बैंकिंग तक पहुंच बढ़ाना.	जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव यूएनएसडीजी : 
	के	कार्यनीतिक साझेदारी का निर्माण एवं गठबंधन	फिनटेक कंपनियों और वैश्विक बैंकों के साथ सहयोग करके सेवाओं को बढ़ाने एवं बाजार तक पहुंच के लिए कार्यनीतिक साझेदारी को बढ़ाना	जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव यूएनएसडीजी : 
	एल	भुगतान एवं लेनदेन में नवोन्मेष	संपर्क रहित भुगतान, ब्लॉकचेन -आधारित प्रणालियों, और विस्तारित मोबाइल भुगतान विकल्प के साथ भुगतान प्रणालियों और लेनदेन सेवाओं को बेहतर बनाना.	जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव यूएनएसडीजी : 
	एम	संवितरण चैनलों को बढ़ाना	डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू), व्हाट्सएप बैंकिंग और गूगल बिजनेस मैसेज (जीबीएम) के साथ हाइब्रिड एवं डिजिटल सेवाओं के लिए संवितरण चैनलों को बढ़ाना.	जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव यूएनएसडीजी : 
	प्राकृतिक पूंजी पृष्ठ 82	एन	स्थिरता को बढ़ावा देना	परिचालन एवं हितधारकों के मध्य कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव एवं संधारणीयता को बढ़ावा देना.
ओ		टिकाऊ बैंकिंग प्रथाओं को आगे बढ़ाना	एक सतत वित्तपोषण ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा समर्थित संधारणीय परिचालन एवं जलवायु अनुकूल वित्तपोषण हेतु प्रतिबद्ध.	जीआरआई 302: ऊर्जा, जीआरआई 305: उत्सर्जन यूएनएसडीजी :  
संबंध एवं सामाजिक पूंजी पृष्ठ 96	पी	ग्राहकों की स्थिरता की ओर संधारणीयता में सहायता करना	हरित भविष्य के लिए ग्राहकों को संधारणीय वित्त एवं नवोन्मेष समाधान अपनाने में सहायता करना.	जीआरआई 302: ऊर्जा, जीआरआई 305: उत्सर्जन यूएनएसडीजी :  

के बारे में

कार्यनीति

पूंजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तिय

भौतिकता मूल्यांकन:

हमारे हितधारकों के विचारों में अंतर्दृष्टि

मई 2024 के हमारे प्रथम भौतिकता विश्लेषण सर्वेक्षण ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की व्यापक जांच की पेशकश की, तथा हितधारकों की अंतर्दृष्टि के साथ हमारी रणनीतिक दिशा को आकार दिया।


मई 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हितधारकों के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने और अपनी रणनीतिक दिशा को आकार देने के लिए अपना पहला भौतिकता विश्लेषण सर्वेक्षण आयोजित किया। सर्वेक्षण में बैंकिंग उद्योग के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और वित्तीय, सामाजिक, मानवीय और पर्यावरणीय सहित सम्पदा के विभिन्न रूपों को कवर करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रश्न तैयार किए गए थे। उन्होंने जोखिम प्रबंधन, नियामक अनुपालन, ग्राहक संतुष्टि, डिजिटल परिवर्तन, कर्मचारी कल्याण, सामुदायिक प्रभाव और स्थिरता जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

इस विश्लेषण ने बैंक के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की व्यापक जांच की, जिससे आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की जानकारी मिली। सर्वेक्षण ने हितधारकों और बैंक के सतत विकास के लिए आवश्यक प्रमुख मुद्दों को इंगित करके व्यावसायिक उद्देश्यों को हितधारकों की अपेक्षाओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस औपचारिक भौतिकता मूल्यांकन को निष्पादित करने के लिए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक तृतीय-पक्ष सलाहकार के साथ भागीदारी की, जिसमें आंतरिक लीडर, विषय वस्तु विशेषज्ञ और ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, सरकारी अधिकारियों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और उद्योग के साथियों सहित विविध बाहरी हितधारकों का एक समूह शामिल था। इस अभ्यास के परिणाम जिम्मेदार और समावेशी विकास के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समर्पण को रेखांकित करते हैं, जिसका सारांश यहाँ दिया गया है, और अधिक विस्तृत जानकारी चाहने वालों के लिए संदर्भ भी दिए गए हैं।

भौतिक मुद्दों की रैंकिंग

यह स्कैटर डायग्राम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंतरिक और बाहरी हितधारकों द्वारा मूल्यांकित विभिन्न मुद्दों के कथित महत्व को दृष्टिगत रूप से दर्शाता है। हॉरिजेंटल एक्सिस आंतरिक हितधारकों को दिए गए महत्व के स्तर को दर्शाता है, जबकि वर्टिकल एक्सिस बाहरी हितधारकों के दृष्टिकोण को दर्शाता है। मुद्दों को तीन खंडों में वर्गीकृत किया गया है: उच्च महत्व, मध्यम महत्व और कुछ हद तक महत्वपूर्ण, जिसमें प्रत्येक बिंदु संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर एक विशिष्ट मुद्दे से संबंधित है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इन मुद्दों को रैंक करने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति का उपयोग किया: दृष्टिकोण एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण वितरित किए गए, प्रतिक्रियाओं का औसत और सामान्यीकरण किया गया, और मुद्दों को स्कैटर डायग्राम पर आलेखित किया गया। फिर बर्गीकृत परिणामों की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा के माध्यम से समीक्षा और सत्यापन किया गया।

पठन संदर्भ और मुद्दों की रैंकिंग





महत्व	अंक संख्या	और पढ़ें	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	यूएनएसडीजी संरेखण
उच्च	2	प्राकृतिक सम्पदा पृष्ठ 82	जलवायु जोखिमों का मुकाबला	जीआरआई 302, जीआरआई 305,	 
उच्च	7	प्राकृतिक सम्पदा पृष्ठ 82	हरित वित्त प्रभाव	जीआरआई 302, जीआरआई 305, जीआरआई 201	  
उच्च	12	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	समुदायों पर सीएसआर का प्रभाव	जीआरआई 413,	   
उच्च	13	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	समुदाय की भागीदारी	जीआरआई 413,	  
उच्च	14	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	सामाजिक समावेश	जीआरआई 413,	  
उच्च	15	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	वित्तीय उत्पादों का प्रभाव	जीआरआई 203, जीआरआई 417,	  
उच्च	22	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	प्रभाव के लिए सहयोग	जीआरआई 203, जीआरआई 413,	  
उच्च	23	मानव सम्पदा पृष्ठ 112	कार्मिक कार्य एवं रोजगार	जीआरआई 401, जीआरआई 404	  
उच्च	29	निर्मित सम्पदा पृष्ठ 48	सक्षम तकनीक में निवेश	जीआरआई 302, जीआरआई 305	  
उच्च	30	निर्मित सम्पदा पृष्ठ 48	रणनीतिक स्थिरता	जीआरआई 201, जीआरआई 305	 
उच्च	33	बौद्धिक सम्पदा पृष्ठ 70	फिनटेक और प्रतिस्पर्धात्मकता	जीआरआई 203, जीआरआई 418	 
उच्च	34	मानव सम्पदा पृष्ठ 112	नैतिकता और पारदर्शिता	जीआरआई 102, जीआरआई 205	

के बारे में

कार्यप्रति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

भौतिकता मूल्यांकन:

हमारे हितधारकों के विचारों में अंतर्दृष्टि

महत्व	अंक संख्या	और पढ़ें	मुद्दा	जाआरआई संरेखण	यूएनएसडीजी संरेखण
उच्च	36	मानव सम्पदा पृष्ठ 112	नैतिकता और एएमएल का बाज़ार पर प्रभाव	जीआरआई 102, जीआरआई 205, जीआरआई 419	
मध्यम	1	प्राकृतिक सम्पदा पृष्ठ 82	वार्मिंग प्लानेट	जीआरआई 302, जीआरआई 305,	
मध्यम	4	प्राकृतिक सम्पदा पृष्ठ 82	ऊर्जा खपत का प्रबंधन	जीआरआई 302	
मध्यम	9	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	मानव अधिकार	जीआरआई 412	
मध्यम	11	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	ग्राहक संतुष्टि	जीआरआई 102, जीआरआई 418	
मध्यम	17	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	वित्तीय साक्षरता प्रभाव	जीआरआई 203	
मध्यम	18	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	वित्तीय समावेशन प्रभाव	जीआरआई 203	
मध्यम	19	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	न्यायसंगत पहुंच और प्रभाव	जीआरआई 203, जीआरआई 413	
मध्यम	20	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	सीएसआर प्रभाव और संरेखण	जीआरआई 413	
मध्यम	25	मानव सम्पदा पृष्ठ 112	कर्मचारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	जीआरआई 403	
मध्यम	26	मानव सम्पदा पृष्ठ 112	उत्तराधिकार की योजना	जीआरआई 404	
मध्यम	28	वित्तीय सम्पदा पृष्ठ 62	सम्पदा तक पहुंच	जीआरआई 201	
मध्यम	32	निर्मित सम्पदा पृष्ठ 42	आपूर्तिकर्ता प्रभाव आकलन	जीआरआई 204	



महत्व	अंक संख्या	और पढ़ें	मुद्दा	जाआरआई संरेखण	यूएनएसडीजी संरेखण
निम्न	3	प्राकृतिक सम्पदा पृष्ठ 82	सामाजिक-पर्यावरणीय गतिशीलता	जीआरआई 304	
निम्न	5	प्राकृतिक सम्पदा पृष्ठ 82	जल संरक्षण	जीआरआई 303	
निम्न	6	प्राकृतिक सम्पदा पृष्ठ 82	अपशिष्ट को न्यूनतम करना	जीआरआई 306	
निम्न	8	प्राकृतिक सम्पदा पृष्ठ 82	नवीकरणीय ऊर्जा का वित्तपोषण	जीआरआई 302, जीआरआई 201	 
निम्न	10	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	ग्राहक गोपनीयता और डेटा	जीआरआई 418	
निम्न	16	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	लक्ष्य पर ऋण उत्पाद	जीआरआई 417	 
निम्न	21	संबंध एवं सामाजिक सम्पदा पृष्ठ 96	समुदायों का समर्थन करना	जीआरआई 413	  
निम्न	24	मानव सम्पदा पृष्ठ 112	प्रशिक्षण और कौशल विकास	जीआरआई 404	 
निम्न	27	मानव सम्पदा पृष्ठ 112	विविधता और समावेशन	जीआरआई 405	 
निम्न	31	निर्मित सम्पदा पृष्ठ 48	संधारणीय सोर्सिंग	जीआरआई 204	
निम्न	35	निर्मित सम्पदा पृष्ठ 48	जोखिम प्रबंधन और अनुपालन	जीआरआई 102, जीआरआई 205	

के बारे में

कार्यप्रति

पूजी

नोटिस




सांविधिक

वित्तीय

भौतिकता मूल्यांकन:

हमारे हितधारकों के विचारों की अंतर्दृष्टि

उच्च महत्व वाले मुद्दों पर हमारी प्रतिक्रिया

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
2	पर्यावरण	जलवायु जोखिमों का मुकाबला	जीआरआई 302, जीआरआई 305, जीआरआई 201	  

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सतत वित्तपोषण, जलवायु जोखिम प्रबंधन एवं परिचालन स्थिरता पर केंद्रित एक व्यापक रणनीति के माध्यम से “जलवायु जोखिमों का प्रतिकार करने” के भौतिक मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित कर रहा है। बैंक ने स्कोप 1 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए 2028 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, साथ ही स्कोप 2 उत्सर्जन को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।





बैंक के पास हरित गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपरेखा है एवं

उसने ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता कक्ष की स्थापना के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन प्रयासों को समर्थन देने के लिए सेन्ट एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम भी शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, बैंक विभिन्न ग्रीन फाइनेंस स्कीम भी प्रदान करता है, जैसे कि एमएसएमई के लिए एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सेन्ट गो ग्रीन एवं सौर उपकरणों के लिए सेन्ट कुसुम।

परिचालन स्थिरता एक प्रमुख फोकस है, जिसमें विभिन्न शाखाओं में छतों पर सौर पैनल और ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना शामिल है। बैंक ने जल संरक्षण उपायों को भी लागू किया है, जैसे वर्षा जल संचयन प्रणाली और जल-कुशल जुड़नार, और अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यक्रम स्थापित किए हैं, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया है और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग किया है।

अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 82 पर प्राकृतिक सम्पदा पर हमारा अध्याय पढ़ें।

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
7	पर्यावरण	ग्रीन फाइनेंस प्रभाव	जीआरआई 413	   

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सतत विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से “ग्रीन फाइनेंस इम्पैक्ट” के भौतिक मुद्दे को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। वित्त वर्ष 2024 में, बैंक ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करके, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता सेल की स्थापना करके, सेन्ट्रल एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम शुरू करके और एमएसएमई, इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर उपकरणों सहित विभिन्न ग्रीन फाइनेंस योजनाओं की पेशकश करके सतत ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

बैंक का सतत वित्तपोषण पर ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जो पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देता है और कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करता है। बैंक का सतत वित्तपोषण ढांचा इन प्रयासों का मार्गदर्शन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी पहल पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप हों।

बैंक ने विभिन्न हरित वित्तीय उत्पादों का विकास और प्रचार भी किया है। इनमें पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा और हरित भवन, के वित्तपोषण के लिए हरित बांड और ऋण शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक जलवायु जोखिम प्रबंधन को अपनी व्यावसायिक रणनीति में एकीकृत कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके संचालन जलवायु संबंधी व्यवधानों के प्रति लचीले हैं। यह दृष्टिकोण जोखिमों को कम करता है और बैंक को संधारणीय वित्त में अग्रणी बनाता है, जो एक संधारणीय और समावेशी अर्थव्यवस्था के व्यापक लक्ष्य में योगदान देता है।

अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 82 पर प्राकृतिक सम्पदा पर हमारा अध्याय पढ़ें।

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
12	सामाजिक पूंजी	समुदायों पर सीएसआर का प्रभाव	जीआरआई 413	

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सामुदायिक विकास के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रभावशाली पहलों के माध्यम से "समुदायों पर सीएसआर के प्रभाव" के भौतिक मुद्दे का ध्यान रखता है. वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सीएसआर गतिविधियों में ₹8.31 करोड़ का निवेश किया.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीएसआर पहल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय साक्षरता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है. बैंक ने छात्रवृत्ति और स्कूल सामग्री प्रदान करके शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन किया,

जिससे वंचित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सुधार हुआ.

पर्यावरण स्थिरता एक और महत्वपूर्ण फोकस है, जिसमें सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वृक्षारोपण अभियान और सफाई अभियान शुरू किए हैं. बैंक के "ग्रीन बैंकिंग" कार्यक्रम ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा दिया, जिससे कागज़ के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई और पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिला.

सीएसआर के प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता पर्याप्त संसाधन आवंटन और स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय जुड़ाव तक फैली हुई है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न हितधारकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इन व्यापक प्रयासों के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया समाज के साथ अपने संबंधों को मजबूत करती है और व्यापक सामाजिक कल्याण और सतत विकास में योगदान देती है.

अधिक जानकारी के लिए [पृष्ठ 96](#) पर प्राकृतिक सम्पदा पर हमारा अध्याय पढ़ें.

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
13	सामाजिक पूंजी	समुदाय की भागीदारी	जीआरआई 413	

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी सामाजिक संपदा रणनीति की आधारशिला के रूप में सुदृढ़ सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है.

बैंक की सामुदायिक भागीदारी कई प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय साक्षरता और पर्यावरणीय स्थिरता. बैंक ने छात्रवृत्ति प्रदान करके, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करके और वंचित बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाकर शैक्षिक पहलों का समर्थन किया है. इन प्रयासों ने छात्रों को आवश्यक संसाधनों से सक्षम किया है, जिससे उनके शैक्षणिक विकास और भविष्य के अवसरों को बढ़ावा मिला है.




बैंक ने वित्तीय साक्षरता को भी प्राथमिकता दी है, बजट, बचत और निवेश रणनीतियों पर शिक्षित करने के लिये कई कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किये हैं. ये कार्यक्रम समुदाय के सदस्यों को ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त वित्तीय निर्णय लेने के लिये सशक्त बनाते हैं. जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान मिलता है.

पर्यावरणीय स्थिरता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सामुदायिक भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है. बैंक ने वृक्षारोपण अभियान, सफाई अभियान चलाए हैं और अपने "ग्रीन बैंकिंग" कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा दिया है, जिससे कागज़ के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है.

अधिक जानकारी के लिए, [पृष्ठ 96](#) पर हमारे संबंध और सामाजिक सम्पदा अध्याय को पढ़ें.

भौतिकता मूल्यांकन:




हमारे हितधारकों के विचारों में अंतर्दृष्टि

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
14	सामाजिक संपदा	सामाजिक समावेशन	जीआरआई 413	  

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सामाजिक समावेशन पर जोर देता है. यह सुनिश्चित करता है कि वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त और सक्षम किया जाए.

बैंक के सामाजिक समावेशन प्रयास इसके लक्षित शैक्षिक कार्यक्रमों, वित्तीय साक्षरता कार्यशालाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में स्पष्ट है. बैंक ने वंचित बच्चों को छात्रवृत्तियां और स्कूल की सामग्री प्रदान की है, जिससे उनकी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है और शैक्षणिक सफलता के लिये समान अवसर पैदा हुए हैं.

अधिक जानकारी के लिये, पृष्ठ 96 पर हमारा संबंध और सामाजिक संपदा अध्याय पढ़ें.

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
15	सामाजिक संपदा	वित्तीय उत्पादों का प्रभाव	जीआरआई 203, जीआरआई 417	  

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय उत्पादों की अपनी विविध रेंज के माध्यम से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पहलों ने वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों पर काफी प्रभाव डाला है, जिससे आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हुई है.




बैंक ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिये कई नवीन वित्तीय उत्पादों को लागू किया है जैसे कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिये विशेष ऋण. स्वचलित निर्णय लेने वाली प्रणालियों के माध्यम से ऋण प्रसंस्करण समय को कम करके, बैंक ने वित्तीय सहायता को अधिक सुलभ बना दिया है और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाया है.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल परिवर्तन पहल ने सामाजिक समावेशन को और बढ़ावा दिया है. लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों को डिजिटल ऋण सुविधाओं से एकीकृत करने से ग्राहकों, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम हुए हैं, जिससे उनका भौतिक दौरे की आवश्यकता समाप्त हो गई है. इस डिजिटल सेवा ने वित्तीय सेवाओं को वंचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया है, जिससे पहुंच और सुविधा में सुधार हुआ है.

इसके अलावा बैंक ने पाइंट – ऑफ –सेल (पीओएस) टर्मिनलों और एटीएम की संख्या में वृद्धि की है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि दूरदराज इलाकों में भी आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच हो सकती है.

अधिक जानकारी के लिये, पृष्ठ 96 पर हमारा संबंध और सम्पदा अध्याय पढ़ें.






अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
22	सामाजिक सम्पदा	प्रभाव के लिए सहयोग	जीआरआई 203, जीआरआई 413	  

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी सामाजिक सम्पदा को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर देता है, जो विभिन्न सामुदायिक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग में सामुदायिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और वित्तीय साक्षरता संगठनों के साथ साझेदारी शामिल थी।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शैक्षिक पहलों में स्थानीय स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करके छात्रवृत्ति प्रदान करना और स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शामिल है, जिससे वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इन प्रयासों से वंचित छात्रों के लिए बेहतर सीखने के माहौल और शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हुई है।

अधिक जानकारी के लिए, [पृष्ठ 96](#) पर हमारा संबंध और सामाजिक सम्पदा अध्याय पढ़ें।

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
23	मानव संपदा	श्रम अभ्यास और रोजगार	जीआरआई 401, जीआरआई 404	  

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने “मानव पूंजी, श्रम प्रथाओं और रोजगार” के भौतिक मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों की संख्या को पिछले वर्ष के 30,770 से बढ़ाकर 31,610 कर दिया। बैंक ने भर्ती और पदोन्नति पर काफी जोर दिया है, 471 विशेषज्ञ अधिकारियों, 1,739 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और विभिन्न अन्य भूमिकाओं के अधिकारियों को नियुक्त किया है, और 1,399 कर्मचारियों को पदोन्नत किया है।

कर्मचारी कल्याण एक प्राथमिकता है, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य जांच, दिव्यांग बच्चों वाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता और खेल और मनोरंजक गतिविधियों सहित कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए ₹25 करोड़ का समर्पित कोष है। इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से नेतृत्व प्रशिक्षण, जिससे उच्च भागीदारी प्राप्त हुई है।




बैंक ने कर्मचारी लाभों पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें समूह चिकित्सा बीमा, प्रदर्शन-संबंधी प्रोत्साहन और कैटीन सब्सिडी और हॉलिडे होम सुविधाओं जैसी विभिन्न कर्मचारी कल्याण योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मजबूत औद्योगिक संबंध बनाए रखे हैं और सरकारी आरक्षण नीतियों का पालन किया गया, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधित्व और समर्थन सुनिश्चित किया गया।

कुल मिलाकर, मानव पूंजी, श्रम प्रथाओं और रोजगार के प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र दृष्टिकोण एक सहायक और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने, कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ाने और रणनीतिक व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

अधिक जानकारी के लिए, [पृष्ठ 112](#) पर मानव सम्पदा पर हमारा अध्याय पढ़ें।

भौतिकता मूल्यांकन:

हमारे हितधारकों के विचारों में अंतर्दृष्टि

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
29	व्यापार मॉडल	धारणीय प्रौद्योगिकियों में निवेश	जीआरआई 302, जीआरआई 305	  



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने व्यवसाय मॉडल में टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को रणनीतिक रूप से एकीकृत किया है, जो पर्यावरण संरक्षण और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छत पर सौर पैनल और ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निवेश ने इसके कार्बन पदचिह्न को काफी हद तक कम कर दिया है और बैंकिंग क्षेत्र के भीतर स्थिरता के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है।

बैंक अपने सतत वित्तपोषण ढांचे से प्रेरित, पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया संचालन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाती है। एआई-आधारित चैटबॉट ग्राहक शंका समाधान में सुधार करते हैं, पूर्वानुमान विश्लेषण ग्राहक प्रतिधारण को बढ़ाता है, और ब्लॉकचेन तकनीक लेनदेन सुरक्षा को मजबूत करती है। बैंक के आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्र उच्च परिचालन दक्षता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जो इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हैं।

ये पहल एक मजबूत बौद्धिक सम्पदा ढांचे द्वारा समर्थित हैं, जो मानव, संरचनात्मक और संबंधपरक सम्पदा पर जोर देती है। निरंतर कर्मचारी प्रशिक्षण, उन्नत आईटी अवसरचना और मजबूत ग्राहक संबंध सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रणनीतिक लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, [पृष्ठ 24](#) पर हमारे बिजनेस मॉडल कैनवास पर हमारा अध्याय पढ़ें।

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
33	व्यापार मॉडल	फिनटेक और प्रतिस्पर्धात्मकता	जीआरआई 203, जीआरआई 418	 

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) ने प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और बेहतर बैंकिंग सेवाएं देने के लिए फिनटेक समाधानों को एकीकृत करते हुए एक मजबूत व्यवसाय मॉडल विकसित किया है। यह दृष्टिकोण उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने, ग्राहक अनुभव में सुधार करने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने पर जोर देता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल परिवर्तन पहलों में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लाइट कार्यक्षमता को भीम सेन्ट्रल यूपीआई एप्लीकेशन में एकीकृत करना। यह वृद्धि आसान, तेज़, कम मूल्य के लेन-देन की अनुमति देती है, जिससे ग्राहकों की सुविधा और डिजिटल भुगतान को अपनाने में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के खिलाफ डिजिटल ऋण

सुविधाओं की शुरुआत ने ऋण तक पहुंच को सरल बना दिया है, जिससे ग्राहकों को शाखाओं में जाने की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाया गया है।

बैंक के आईएसओ-प्रमाणित डेटा सेन्टर उच्च परिचालन दक्षता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, कोर बैंकिंग परिचालन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर में 1,193 सेल्फ-सर्विस पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क भी तैनात किए हैं, जिससे शाखाओं में भीड़ कम हुई है और ग्राहक सेवा दक्षता में सुधार हुआ है। वीडियो केवाईसी को अपनाने से खाता खोलने की प्रक्रिया और भी सरल हो गई है, जिससे यह ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो गया है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फिनटेक रणनीति में एआई और मशीन लर्निंग की अहम भूमिका है। एआई-आधारित चैटबॉट, सेन्ट्रल चाणक्य ने ग्राहक शंका के समाधान में सुधार किया है, जबकि पूर्वानुमानित विश्लेषण मॉडल ग्राहक के बदलाव का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं, जिससे सक्रिय जुड़ाव संभव होता है। इन तकनीकों ने सेवा दक्षता और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाया है, जिससे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एक अग्रगामी सोच वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए, [पृष्ठ 70](#) पर बौद्धिक सम्पदा पर हमारा अध्याय पढ़ें।

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
34	नेतृत्व	नैतिकता और पारदर्शिता	जीआरआई 102, जीआरआई 205	

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया नैतिक उत्कृष्टता और ग्राहक-केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य विभिन्न बाजारों में सभी उपभोक्ताओं के लिए पहुँच सुनिश्चित करते हुए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना है। हम अपनी पेशकशों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और निरंतरता को प्राथमिकता देते हैं, जिम्मेदारी से कीमत वाले उत्पादों, स्पष्ट शर्तों और नैतिक सेवा के माध्यम से स्थायी ग्राहक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की हमारी प्रतिबद्धता जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति हमारे दृष्टिकोण की आधारशिला है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम उन्हें समृद्ध बनाने और उनके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें।

हम निष्पक्ष और ईमानदार व्यावसायिक प्रथाओं के लिए समर्पित हैं, अपने ग्राहकों को सर्वोपरि रखते हैं। हमारे मूल मूल्यों और नैतिक मानकों के अनुरूप, अनैतिक प्रथाओं पर सख्त प्रतिबंध है। हमारे क्रेडिट निर्णय निष्पक्ष रूप से लिए जाते हैं, जिससे समावेशिता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित होता है।

हमारा बोर्ड और इसकी समितियाँ हमारी उद्यम-व्यापी रणनीतियों और नीतियों का मार्गदर्शन करती हैं, एक कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देती हैं जो अनैतिक, भेदभावपूर्ण या शिकारी प्रथाओं के खिलाफ कानूनों और विनियमों को बनाए रखती है। यह निरीक्षण सुनिश्चित करता है कि हमारे व्यावसायिक संचालन हमारे नैतिक मानकों के अनुरूप हों, जिससे संगठन के भीतर विश्वास और अखंडता को बढ़ावा मिले।

नैतिक उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए हम सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए वार्षिक अनुपालन प्रशिक्षण अनिवार्य करते हैं। इस प्रशिक्षण में शिकायत प्रबंधन, वित्तीय अपराधों का अनुपालन, वित्तीय दुरुपयोग की रोकथाम, धोखाधड़ी की रोकथाम और नैतिक आचरण शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी टीम हमारे नैतिक मानकों को बनाए रखे।

अधिक जानकारी के लिए, [पृष्ठ 24](#) पर हमारे व्यवसाय मॉडल कैनवास पर हमारा अध्याय पढ़ें।

अंक संख्या	आयाम	मुद्दा	जीआरआई संरेखण	एसडीजी संरेखण
36	नेतृत्व	नैतिकता और एएमएल का बाज़ार पर प्रभाव	जीआरआई 102, जीआरआई 205, जीआरआई 419	


सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया नैतिकता और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपायों पर जोर देता है, जो बाजार की अखंडता और ग्राहक विश्वास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। बैंक का नेतृत्व नैतिक मानकों का पालन और एएमएल विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। उन्नत निगरानी प्रणालियों और निरंतर

स्टाफ प्रशिक्षण सहित कठोर एएमएल प्रथाओं के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय अपराधों को कम करता है और ग्राहक परिसंपत्तियों की सुरक्षा करता है। नैतिकता और एएमएल के प्रति यह प्रतिबद्धता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है और एक स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय वातावरण में योगदान देती है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में एक लीडर के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होती है।

अधिक जानकारी के लिए, हमारे प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण अध्याय और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पढ़ें।

मूल्य सृजन हेतु हमारी रूपरेखा:

सेन्ट्रल बैंक का व्यवसाय मॉडल कैनवास



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यवसायिक महत्वाकांक्षाओं को सामाजिक एवं संधारणीय लक्ष्यों के साथ एकीकृत करता है। ओस्टरवाल्डर और पिग्नूर द्वारा व्यवसाय मॉडल कैनवास का उपयोग करते हुए, हम विनियामक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के प्रति संवेनशील और उत्तरदायी बने रहते हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रसिद्ध बैंक है, हम अपनी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को सामाजिक एवं संधारणीय लक्ष्यों के साथ कुशलतापूर्वक एकीकृत करते हैं। हमारे व्यवसाय मॉडल को व्यवसाय मॉडल कैनवास, जो ओस्टरवाल्डर और यवेस पिग्नूर द्वारा विकसित एक कार्यनीतिक प्रबंधन उपकरण है, के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, यह मॉडल हमें प्रभावी व दूरदर्शी परिचालन सुनिश्चित करते हुए विकसित हो रहे विनियामक, आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य के प्रति चुस्त और उत्तरदायी बने रहने की अनुमति देता है।

भारत सरकार के साथ हमारी साझेदारी मौलिक है। हम नवोन्मेष और ऋण विस्तार के लिए बैंकों, फिनटेक कंपनियों, एनबीएफसी और बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट के साथ सहयोग करते हैं। चुनिंदा देशों में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ, हम प्रक्रियाओं को अनुकूलन करने और ग्राहक अनुभवों को बेहतर करने के लिए ब्लॉकचेन, एआई एवं मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाते हैं।

व्यवसाय मॉडल कैमवास संख्या	स्पष्टीकरण	जीआरआई संरेखण यूएनएसडीजी संरेखण	बैंक की कार्यनीतिक प्राथमिकताएं (पृष्ठ 24 पर व्यवसायिक प्राथमिकताएं अध्याय देखें)
मुख्य सहभागी 1	<p>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, भारत सरकार के साथ हमारी साझेदारी मौलिक है। हम अंतरबैंक लेनदेन एवं ऋण संघ के लिए अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं। फिनटेक कंपनियों के साथ हमारा सहकार्य हमें अपनी डिजिटल सेवाओं को नया करने एवं उनमें वृद्धि करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, हम ऋण बढ़ाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स के नेटवर्क के साथ कार्यनीतिक साझेदारी बनाए रखते हैं। हमारी पहल में प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाने में ब्लॉकचेन, एआई एवं मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाना सम्मिलित है। हमने चुनिंदा देशों में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भी स्थापित की है।</p> <p>बैंक ने डिजिटल सेवाओं को नया रूप देने एवं बढ़ाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग करके वित्त वर्ष 2024 में अपनी साझेदारी व गठबंधन को मजबूत किया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने ऋण बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए एनबीएफसी एवं बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स के नेटवर्क के साथ कार्यनीतिक गठजोड़ बनाए रखा।</p> <p>अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 96 पर संबंध एवं सामाजिक पूंजी और पृष्ठ 70 पर बौद्धिक पूंजी अध्याय पढ़ें।</p>	<p>जीआरआई 203</p>  	<p>प्राथमिकता ई: डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना</p> <p>प्राथमिकता एफ: ग्राहक केंद्रित नवोन्मेष को बढ़ाना</p> <p>प्राथमिकता एच: अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवोन्मेष को बढ़ावा देना</p> <p>प्राथमिकता के: कार्यनीतिक साझेदारी एवं गठबंधन का निर्माण करना।</p> <p>प्राथमिकता जे: वित्तीय समावेशन को बढ़ाना।</p> <p>प्राथमिकता पी: ग्राहकों की स्थिरता की ओर संधारणीयता में सहायता करना</p>
मूल गतिविधियाँ 2	<p>हम खुदरा, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों एवं सरकारी संस्थाओं सहित विभिन्न ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं। हम वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर देते हुए खुदरा, कृषि, एमएसएमई एवं बड़े कॉर्पोरेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रदान करते हैं। डिजिटल नवोन्मेष हमारे परिचालन का केंद्र है, जो सुगम बैंकिंग पहुंच प्रदान करता है तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, हम उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों और खुदरा निवेशकों के निवेश व धन प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।</p> <p>वित्त वर्ष 2024 में, बैंक ने तकनीकी उन्नयन एवं प्रक्रिया अनुकूलन के माध्यम से अपनी निर्मित पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि की, ऋण प्रसंस्करण समय को 30% तक, अनुपालन निगरानी समय को 50% तक, और शाखाओं में ग्राहक प्रतीक्षा समय को 40% तक कम किया। बैंक ने अपने नेटवर्क को 4,500 से अधिक शाखाओं और 4,084 एटीएम तक विस्तारित किया, आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्रों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और स्वयं-सेवा कियोस्क में निवेश के माध्यम से व्यापक पहुंच व बेहतर ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित की।</p> <p>अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 63 पर वित्तीय पूंजी अध्याय पढ़ें।</p>	<p>जीआरआई 201, जीआरआई 203</p> 	<p>प्राथमिकता ए: परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना</p> <p>प्राथमिकता बी: तुलन पत्र कार्यनीतियों को अनुकूलित करना।</p> <p>प्राथमिकता ई: डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना</p> <p>प्राथमिकता एफ: ग्राहक केंद्रित नवोन्मेष को प्रेरित करना।</p> <p>प्राथमिकता आई: ग्राहकों के वित्तीय हित में सुधार करना।</p> <p>प्राथमिकता जे: वित्तीय समावेशन को बढ़ाना।</p> <p>प्राथमिकता एम: चैनल वितरण बढ़ाना</p>

मूल्य सृजन के लिए हमारी रूपरेखा:

सेन्ट्रल बैंक का बिजनेस मॉडल कैनवास

हम खुदरा, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी ग्राहक जमा स्वीकार करते हैं। हम वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। डिजिटल नवोन्मेष पहुंच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध हैं। हम उच्च-निवल मूल्य वाले ग्राहकों और खुदरा निवेशकों के निवेश और धन प्रबंधन की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं।

व्यवसाय मॉडल कैनवास संख्या	स्पष्टीकरण	जीआरआई संरेखण यूएनएसडीजी संरेखण	बैंक की कार्यनीतिक प्राथमिकताएं (पृष्ठ 24 पर व्यवसायिक प्राथमिकताएं अध्याय देखें)
मूल गतिविधियां 3	<p>सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों पर भरोसा करता है। इनमें कुशल कर्मचारी शामिल हैं जो निरंतर विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और कुशल संचालन सुनिश्चित करते हैं। वित्तीय संसाधन, जैसे जमा, निवेश और पूंजी भंडार, निधि परियोजनाएं और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। व्यापक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ बैंक को 4,500 से अधिक शाखाओं और 4,084 एटीएम का व्यापक नेटवर्क, देश भर में सुलभ सेवाएं प्रदान करता है। एआई, मशीन लर्निंग और आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्रों सहित उन्नत प्रौद्योगिकियां, सेवा वितरण और परिचालन दक्षता को बढ़ाती हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक के रूप में बैंक का मजबूत ब्रांड और प्रतिष्ठा इसकी बाजार स्थिति को और मजबूत करती है।</p> <p>इस पर अधिक जानकारी के लिए, निर्मित पूंजी पर अध्याय पढ़ें। पेज 48।</p>	जीआरआई 201 	<p>प्राथमिकता ए: परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना</p> <p>प्राथमिकता बी: तुलन पत्र कार्यनीतियों को अनुकूलित करना।</p> <p>प्राथमिकता ई: डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना</p> <p>प्राथमिकता एफ: ग्राहक केंद्रित नवाचार को प्रेरित करना।</p> <p>प्राथमिकता आई: ग्राहकों के वित्तीय हित में सुधार करना।</p> <p>प्राथमिकता जे: वित्तीय समावेशन को बढ़ाना।</p> <p>प्राथमिकता एम: चैनल वितरण बढ़ाना</p>
मूल्य प्रस्ताव 4	<p>सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशन, नवोन्मेष और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करके अपने ग्राहकों को एक मजबूत मूल्य प्रस्ताव प्रदान करता है। बैंक खुदरा, कृषि और एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बैंकिंग समाधान प्रदान करता है। डिजिटल परिवर्तन पर जोर देने के साथ, बैंक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे ग्राहक सुविधा और संतुष्टि बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, स्थायी और जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं के लिए बैंक की प्रतिबद्धता सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों को आकर्षित करती है, जो एक विश्वसनीय और विश्वसनीय वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करती है। बैंक की कार्यनीति पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण हितधारक मूल्य बनाना है।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राहक केंद्रित सेवाओं पर कार्यनीतिक फोकस ने सभी सेगमेंट में महत्वपूर्ण व्यवसायिक वृद्धि को आगे बढ़ाया। बैंक ने प्रभावी जोखिम प्रबंधन और टिकाऊ बैंकिंग प्रथाओं के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ाया</p> <p>अधिक जानकारी के लिए, बौद्धिक पूंजी पर अध्याय पढ़ें। पेज 70।</p>	जीआरआई 203, जीआरआई 302, जीआरआई 305, जीआरआई 418   	<p>प्राथमिकता ए: परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना</p> <p>प्राथमिकता ई: डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना</p> <p>प्राथमिकता एफ: ग्राहक-केंद्रित नवोन्मेष सृजन</p> <p>प्राथमिकता आई: ग्राहकों की वित्तीय स्थिति में सुधार</p> <p>प्राथमिकता जे: वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना</p> <p>प्राथमिकता ओ: स्थायी बैंकिंग प्रथाओं को आगे बढ़ाना</p> <p>प्राथमिकता पी: स्थिरता के लिए ग्राहकों के संक्रमण का समर्थन करना</p>

**व्यवसाय
मॉडल कैमवास
संख्या**
स्पष्टीकरण
**जीआरआई
संरक्षण
यूएनएसडीजी
संरक्षण**
**बैंक की कार्यनीतिक
प्राथमिकताएं (पृष्ठ 24 पर
व्यवसायिक प्राथमिकताएं
अध्याय देखें)**
ग्राहक संबंध
5

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से मजबूत ग्राहक संबंध बनाए रखता है जो संतुष्टि, वफादारी और जुड़ाव को बढ़ावा देता। प्रमुख कार्यनीतियों में खुदरा, एमएसएमई और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में विविध ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार व्यक्तिगत सेवाएं शामिल हैं। बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एआई-संचालित चैटबॉट जैसे उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है, ताकि सहज, सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान किया जा सके, जिससे 24/7 सेवा पहुंच सुनिश्चित हो सके।

बैंक वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेन्ट और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ साझेदारी के माध्यम से कम सेवा प्राप्त और बैंक रहित आबादी तक पहुंचता है। उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक सहायता को समर्पित हेल्पलाइनों, शाखा सेवाओं और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ प्राथमिकता दी जाती है ताकि अपेक्षाओं पर तुरंत ध्यान दिया जा सके और मुद्दों को समाधान किया जा सके।

बैंक ग्राहकों की प्रतिक्रिया को महत्व देता है, अपने उत्पादों और सेवाओं को परिष्कृत करने के लिए नियमित सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया सत्र आयोजित करता है। निष्ठा कार्यक्रम और विशेष प्रोत्साहन, जैसे अधिमन्य दरें और अनन्य ऑफर, दीर्घकालिक ग्राहकों को पुरस्कृत करते हैं और प्रतिधारण को प्रोत्साहित करते हैं।

इस पर अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 48 पर निर्मित पूंजी पर अध्याय और **पृष्ठ 96** पर संबंध और सामाजिक पूंजी पढ़ें।

चैनल
6

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने व्यवसाय का परिचालन करने और अपने ग्राहकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के चैनलों का उपयोग करता है। इन चैनलों में शामिल हैं:

शाखा नेटवर्क : बैंक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,500 से अधिक शाखाओं का परिचालन करता है, जो विविध ग्राहक आधार को सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।

एटीएम: बैंक ने देश भर में 4,084 से अधिक एटीएम स्थापित किए हैं, जो आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक 24/7 पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म : बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप (विशेष रूप से भीम सेन्ट यूपीआई), और अन्य डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अपने डिजिटल फुटप्रिंट का विस्तार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

सेल्फ सर्विस कियोस्क : बैंक ने पासबुक प्रिंटिंग और अन्य सेवाओं के लिए स्वयं सेवा कियोस्क लगाए हैं, शाखा की भीड़ को कम किया है और ग्राहक अनुभव में सुधार किया है।

**जीआरआई 203,
जीआरआई 418**

**प्राथमिकता ई: डिजिटल
क्षमताओं को मजबूत करना**

प्राथमिकता एफ: ग्राहक-केंद्रित नवोन्मेष सृजन

प्राथमिकता आई: ग्राहकों के वित्तीय स्थिति में सुधार

प्राथमिकता जे: वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना

प्राथमिकता के: कार्यनीतिक साझेदारी और गठबंधन बनाना

प्राथमिकता एम: वितरण चैनलों को बढ़ाना

जीआरआई 203


प्राथमिकता ए: परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना

प्राथमिकता ई: डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना

प्राथमिकता एफ : ग्राहक-केंद्रित नवोन्मेष सृजन

प्राथमिकता आई: ग्राहकों के वित्तीय स्थिति में सुधार

प्राथमिकता जे: वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना

प्राथमिकता के: कार्यनीतिक साझेदारी और गठबंधन बनाना

प्राथमिकता एम: वितरण चैनलों को बढ़ाना

मूल्य सृजन के लिए हमारी रूपरेखा: सेन्ट्रल बैंक का बिजनेस मॉडल कैनवास

व्यवसाय मॉडल कैनवास संख्या	स्पष्टीकरण	जीआरआई संरेखण यूएनएसडीजी संरेखण	बैंक की कार्यनीतिक प्राथमिकताएं (पृष्ठ 24 पर व्यवसायिक प्राथमिकताएँ अध्याय देखें)
<p>7</p> <p>ग्राहक अनुभाग</p>	<p>सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशन, डिजिटल नवोन्मेष और व्यापक सेवा पेशकशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विविध ग्राहक वर्गों को सेवा प्रदान करता है। खुदरा ग्राहकों के लिए, बैंक डिजिटल चैनलों के माध्यम से सुविधा पर जोर देते हुए बचत खाते, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड जैसी व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है। बैंक व्यवसाय संचालन को बढ़ाने के लिए व्यवसाय ऋण, कार्यशील पूंजी वित्त और व्यापार वित्त जैसे विशेष समाधानों के साथ एसएमई और एमएसएमई का समर्थन करता है। कॉर्पोरेट ग्राहकों को जटिल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक सेवाओं से लाभ होता है, जिसमें कॉर्पोरेट ऋण, नकद प्रबंधन और ट्रेजरी सेवाएँ शामिल हैं। कृषि क्षेत्र को खेती की गतिविधियों और कृषि-व्यवसाय उपक्रमों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न ऋण और ऋण सुविधाओं के साथ पूरा किया जाता है। उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत बैंकिंग और धन प्रबंधन सेवाएँ मिलती हैं, जो कस्टम वित्तीय नियोजन और निवेश सलाह प्रदान करती हैं। बैंक सरकारी निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ भी साझेदारी करता है, जो लोनदेन प्रसंस्करण और परियोजना वित्तपोषण जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में, बैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से वंचित और बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी से जुड़ता है, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करने के लिए बिजनेस करिस्पोंडेंट और एनबीएफसी के साथ साझेदारी का उपयोग करता है। यह व्यापक दृष्टिकोण सभी ग्राहक वर्गों में वित्तीय सशक्तिकरण और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है।</p> <p>अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 96 पर संबंध और सामाजिक पूंजी अध्याय पढ़ें।</p>	<p>जीआरआई 201, जीआरआई 203</p> 	<p>प्राथमिकता ए: परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना</p> <p>प्राथमिकता ई: डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना</p> <p>प्राथमिकता एफ: ग्राहक-केंद्रित नवोन्मेष सृजन</p> <p>प्राथमिकता आई: ग्राहकों के वित्तीय स्थिति में सुधार</p> <p>प्राथमिकता जे: वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना</p> <p>प्राथमिकता के: कार्यनीतिक साझेदारी और गठबंधन बनाना</p>
<p>8</p> <p>ग्राहक खंड</p>	<p>सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने परिचालन और कार्यनीतिक पहल के लिए कई महत्वपूर्ण इनपुट का उपयोग करता है। एक प्राथमिक इनपुट मानव पूंजी है, जिसमें कुशल और जानकार कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें निरंतर विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने और परिचालन दक्षता बनाए रखने में दक्ष रहें। जमा, निवेश और पूंजी भंडार सहित वित्तीय संसाधन भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विभिन्न परियोजनाओं को निधि देते हैं और बैंक की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।</p> <p>व्यापक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ-साथ बैंक की 4,500 से अधिक शाखाएँ और 4,084 एटीएम का व्यापक नेटवर्क, इसके महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये संसाधन राष्ट्रव्यापी ग्राहकों के लिए पहुंच और सुविधा सुनिश्चित करते हैं। बैंक तकनीकी संपत्तियों पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है, जैसे कि उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म, एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन तकनीक, जो सेवा वितरण और परिचालन दक्षता को बढ़ाती है।</p> <p>इसके अलावा, बैंक रिलेशनल कैपिटल का लाभ उठाता है, जिसमें फिनटेक कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ साझेदारी और क्रेडिट बढ़ाने और डिजिटल सेवाओं को नया करने के लिए बिजनेस करिस्पोंडेंट्स का एक नेटवर्क शामिल है। अंत में, भारत के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक के रूप में बैंक का ब्रांड और प्रतिष्ठा ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे इसकी बाजार स्थिति मजबूत होती है। ये विविध इनपुट सामूहिक रूप से बैंक के कार्यनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करते हैं और सतत विकास और दीर्घकालिक सफलता में योगदान करते हैं।</p> <p>अधिक जानकारी के लिए पेज 112 पर मानव पूंजी और पेज 70 पर इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अध्याय पढ़िए।</p>	<p>जीआरआई 201, जीआरआई 203, जीआरआई 404, जीआरआई 418, जीआरआई 419</p> 	<p>प्राथमिकता ए: परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना</p> <p>प्राथमिकता बी: बैलेंस शीट कार्यनीतियों का अनुकूलन</p> <p>प्राथमिकता ई: डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना</p> <p>प्राथमिकता एफ: ग्राहक-केंद्रित नवोन्मेष सृजन</p> <p>प्राथमिकता आई: ग्राहकों की वित्तीय स्थिति में सुधार</p> <p>प्राथमिकता जे: वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना</p> <p>प्राथमिकता के: रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन का निर्माण</p> <p>प्राथमिकता एम: वितरण चैनलों को बढ़ाना</p>

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशन, नवोन्मेष और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। हम विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बैंकिंग समाधान प्रदान करते हैं, आसान पहुंच और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए डिजिटल परिवर्तन पर जोर देते हैं। स्थायी प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों को आकर्षित करती है, जो एक विश्वसनीय वित्तीय संस्थान के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को मजबूत करती है।

व्यवसाय मॉडल कैनवास संख्या	सप्टीकरण	जीआरआई संरेखण यूएनएसडीजी संरेखण	बैंक की कार्यनीतिक प्राथमिकताएं (पृष्ठ 24 पर व्यवसायिक प्राथमिकताएँ अध्याय देखें)
राजस्व 	<p>सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कई प्रवाह के माध्यम से राजस्व निर्मित करता है, एक मजबूत और विविध आय पोर्टफोलियो सुनिश्चित करता है। ऋण और अग्रिमों से ब्याज आय प्राथमिक राजस्व प्रवाह का गठन करती है, जो खुदरा, कॉर्पोरेट, एसएमई, एमएसएमई और कृषि ऋण द्वारा परिचालित होती है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश से भी पर्याप्त ब्याज अर्जित करता है। शुल्क-आधारित आय एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें खाता रखरखाव, लेनदेन प्रसंस्करण, एटीएम उपयोग और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए शुल्क शामिल हैं। बैंक बीमा और म्यूचुअल फंड, कमीशन और शुल्क अर्जित करने सहित विभिन्न वित्तीय उत्पादों को पेशकश करने के लिए अपने व्यापक शाखा नेटवर्क का लाभ उठाता है। ट्रेजरी संचालन विदेशी मुद्रा और पूंजी बाजारों में व्यापार के माध्यम से राजस्व में योगदान करते हैं, बैंक के परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन का अनुकूलन करते हैं। बड़ी परियोजनाओं के लिए सिंडिकेशन और ऋण प्रसंस्करण में बैंक की भागीदारी शुल्क आय को और बढ़ाती है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और कार्यनीतिक गठजोड़ के साथ सह-उधार साझेदारी से लाभ होता है, जो साझा वित्तीय सेवाओं के माध्यम से अपने राजस्व को बढ़ाता है। बैंक क्रॉस-सेलिंग अवसरों में भी संलग्न है, मौजूदा ग्राहकों को बंडल उत्पादों को भी प्रस्तुत करता है, जिससे प्रति ग्राहक राजस्व में वृद्धि होती है। ये विविध राजस्व प्रवाह बैंक को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, परिचालन विकास का समर्थन करने और ग्राहक सेवा को बढ़ाने और दीर्घकालिक लाभप्रदता को लगातार चलाने के लिए नई पहलों में निवेश करने में सक्षम बनाती हैं।</p> <p>ज्यादा जानकारी के लिए पेज 62 पर दिया गया फ़ाइनेंशियल कैपिटल का अध्याय पढ़ें।</p>	<p>जीआरआई 201, जीआरआई 203, जीआरआई 302, जीआरआई 305</p>	<p>प्राथमिकता ए: परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करना</p> <p>प्राथमिकता बी: बैलेंस शीट कार्यनीतियों का अनुकूलन</p> <p>प्राथमिकता ई: डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना</p> <p>प्राथमिकता एफ: ग्राहक-केंद्रित नवोन्मेष सृजन</p> <p>प्राथमिकता आई: ग्राहकों की वित्तीय स्थिति में सुधार</p> <p>प्राथमिकता जे: वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना</p> <p>प्राथमिकता के: रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन का निर्माण</p> <p>प्राथमिकता एम: वितरण चैनलों को बढ़ाना</p>

वित्त वर्ष 2024 में मूल्य सृजन और प्रभाव

इनपुट



वित्तीय पूंजी

- » व्यवसाय : ₹ 636,756 करोड़
- » इक्विटी : ₹ 8,680 करोड़
- » परिचालन लाभ: ₹ 2,549 करोड़
- » जमा: ₹ 385,011 करोड़
- » कासा जमा: ₹ 191,969 करोड़
- » अग्रिम: ₹ 251,745 करोड़

प्रबंधकीय पूंजी

- » शाखाओं की संख्या: 4,500 शाखाएँ
- » एटीएम की संख्या: 4,084 एटीएम
- » डिजिटल बैंकिंग संसाधन: इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, आईएसओ-प्रमाणित डेटा सेन्टर, स्वयं-सेवा कियोस्क और वीडियो केवाईसी.

बौद्धिक पूंजी

- » ई-लर्निंग मॉड्यूल घंटे: 530
- » पीपीएफ के विरुद्ध डिजिटल ऋण सुविधाएँ
- » मोबाइल बैंकिंग
- » इंटरनेट बैंकिंग

मानव पूंजी

- » कर्मचारियों की संख्या: 31,610
- » महिला कर्मचारी: 26.43%
- » कर्मचारियों द्वारा पूर्ण किए गए ई-लर्निंग मॉड्यूल की कुल संख्या: 126,399

प्राकृतिक पूंजी

- » छत पर सौर पैनल की स्थापना
- » उच्च दक्षता वाली एचवीएसी प्रणालियों का क्रियान्वयन
- » एकीकृत वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ
- » पुनर्चक्रण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित
- » ऊर्जा खपत 702 लाख किलो वाट घंटा

सामाजिक पूंजी


- » यूपीआई लेनदेन में वृद्धि: 39.56% की वृद्धि
- » कुल सीएसआर व्यय: 8.31 करोड़ रुपये
- » कर्मचारी प्रशिक्षण कवरेज: 91.83%
- » पीओएस टर्मिनल में वृद्धि: 40.85%

एक उज्ज्वल, समावेशी भविष्य का निर्माण

भविष्य को सशक्त बनाते हुए, ग्राहकों, कर्मियों और समुदायों में बैंक के रणनीतिक निवेश सतत विकास को बढ़ावा देते हैं. प्रभावशाली सीएसआर गतिविधियों, व्यापक स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों और उच्च कर्मचारी प्रतिधारण के साथ, हम सभी के लिए एक उज्ज्वल, समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सतत विकास का मार्ग तैयार करना

बैंक की रणनीतिक प्राथमिकताएँ और सक्रिय उपाय निरंतर सफलता और लचीलापन सुनिश्चित करते हैं. दूरदर्शिता और नवाचार का लाभ उठाकर, बैंक न केवल भविष्य को तैयारी कर रहा है, बल्कि इसे सक्रिय रूप से ताकत और उत्कृष्टता के साथ आकार दे रहा है. सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है.



विकास के लिए वित्तीय समाधान को अनुकूलित करना

व्यापक वित्तीय समाधान तैयार करने की बैंक की प्रतिबद्धता ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है. रणनीतिक पूंजी आवंटन, लागत दक्षता और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से, बैंक इष्टतम संसाधन उपयोग और बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करता है, जिससे निरंतर विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है..

भविष्य को आकार देना: डिजिटल सशक्तिकरण और सतत नवाचार

बैंक की एआई और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का रणनीतिक एकीकरण सेवा वितरण और परिचालन दक्षता को बढ़ाता है. डिजिटल परिवर्तन और संधारणीय प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक न केवल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है बल्कि भविष्य के विकास और नवाचार को भी आगे बढ़ाता है.



आउट पुट



- » शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई): ₹ 12,896 करोड़
- » शुद्ध लाभ: ₹ 2,549 करोड़
- » इक्विटी पर रिटर्न (आरओई): 9.53%
- » शुद्ध एनपीए अनुपात: 1.23%
- » प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर): 93.58%
- » पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर): 15.08%

- » कुल खुदरा ऋण: 71,193 करोड़ रुपये
- » कुल एमएसएमई अग्रिम: 49,870.32 करोड़ रुपये
- » प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम: 118,237.20 करोड़ रुपये
- » कुल कृषि अग्रिम: 46,063.46 करोड़ रुपये
- » कुल एमएसएमई अग्रिम: 49,870.32 करोड़ रुपये
- » आवास ऋण: 44,057 करोड़ रुपये

- » 19,030 कर्मचारियों ने ई-लर्निंग पूरी की.
- » पीपीएफ डिजिटल ऋण ने समावेशन को बढ़ाया.
- » मोबाइल बैंकिंग अपनाने से पहुंच में बढ़ी.
- » इंटरनेट बैंकिंग ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया.

- » उत्पादकता: ₹ 20.14 करोड़
- » 1,105 अधिकारियों ने नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लिया.

- » वर्ष 2028 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
- » पांच वर्षों में जीएचजी स्कोप 2 को 50% तक कम करने का लक्ष्य.

- » सामुदायिक विकास लाभार्थी : 20,000+ व्यक्ति .
- » अनुपालन मामलें : वि ब 2024 में शून्य वित्तीय साक्षरता
- » वेबसाइट ट्रेफिक में वृद्धि : 25%

परिणाम



बैंक ने सार्थक वित्तीय स्थिरता और वृद्धि हासिल की अग्रिम राशि 15.60% बढ़कर ₹251745 करोड़ हो गई, जबकि जमा राशि 7.16% बढ़कर ₹385011 करोड़ हो गई. बेहतर सीआरएआर (15.08%) और सीईटी-1 अनुपात (12.46%) बेहतर वित्तीय स्थिरता को दर्शाते हैं. शुद्ध लाभ में 61.13% की वृद्धि हुई, आरओए में सुधार होकर 0.63% और आरओई बढ़कर 9.53% हो गया, जो कि कुशल परिसंपत्ति और इक्विटी उपयोग को दर्शाता है. बैंक ने 65.59% का ऋण-से-जमा अनुपात बनाए रखा.

बैंक ने अपने नेटवर्क को 4,500 से अधिक शाखाओं और 4,084 एटीएम तक विस्तारित किया, जिससे व्यापक पहुंच सुनिश्चित हुई. आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्रों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेल्फ-सर्विस कियोस्क में निवेश ने परिचालन दक्षता और ग्राहक संतुष्टि में सुधार किया. भविष्य की योजनाएं प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए उन्नत एआई और मशीन लर्निंग एकीकरण सहित आगे के डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करती हैं.

वित्त वर्ष 2024 में, बैंक को डिजिटल ऋण और प्लेटफॉर्म पहलों ने ग्राहकों की पहुंच और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की. भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के विरुद्ध डिजिटल ऋण सुविधाओं ने ग्राहकों को ऑनलाइन आवेदन करने और ऋण स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति दी, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई. खुदरा ऋणों के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल स्वीकृति और बेहतर डिजिटल मार्केटिंग और ऋण प्लेटफॉर्म ने खुदरा ऋण वृद्धि को बढ़ावा दिया. डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के कारण डिजिटल लेनदेन में 25% की वृद्धि हुई.

बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में उल्लेखनीय मानव पूंजी परिणाम हासिल किए. महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर 26.43% हो गई, और कुल कार्यबल बढ़कर 31,610 हो गया. नए कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़कर 88% हो गई, और स्वेच्छिक टर्नओवर में 20% की कमी आई. बैंक ने ऑनबोर्डिंग में सुधार किया, शुरुआती करियर प्रशिक्षण को 10% तक बढ़ाया, और मेंटरशिप कार्यक्रमों को 20% तक बढ़ाया. नेतृत्व विकास, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण और कल्याण कार्यक्रमों ने जुड़ाव और प्रतिधारण को बढ़ावा दिया, जिससे कुल प्रतिधारण दर 89% हो गई. इन पहलों ने बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों का समर्थन किया और एक प्रेरित, कुशल कार्यबल सुनिश्चित किया.

बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और हरित बांड के लिए ऋण स्वीकृत करके अपनी प्राकृतिक पूंजी को आगे बढ़ाया. एक व्यापक शासन संरचना और ईएसजी नीति ने पर्यावरण रणनीतियों को निर्देशित किया. प्रमुख पहलों में अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल था. डिजिटल परिवर्तन प्रयासों ने कागज के उपयोग और ऊर्जा को खपत को कम किया. रणनीतिक फिनटेक साझेदारी और हरित प्रौद्योगिकियों ने स्थिरता को और बढ़ावा दिया.

बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में महत्वपूर्ण सामाजिक पूंजी परिणाम हासिल किए. बैंक ने सीएसआर गतिविधियों में 8.31 करोड़ रुपये का निवेश किया. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में सीएसआर खर्च ने बैंक की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. सीएसआर में बैंक की सक्रिय भागीदारी इसकी कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है, हितधारक संबंधों को मजबूत करती है, और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और सामुदायिक विकास के मूल्यों के साथ संरेखित करके कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ाती है.

साथ साथ बदलावः संधारणीयता के प्रति हमारा दृष्टिकोण



हमारा कॉर्पोरेट स्थायित्व और ईएसजी दृष्टिकोण अच्छा कार्य करके अच्छा करने पर केंद्रित है, तथा यह स्वीकार करता है कि जिम्मेदार वित्तपोषण का सकारात्मक सामाजिक प्रभाव हो सकता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में संधारणीयता एक प्रतिबद्धता से कहीं अधिक है - यह हमारे संचालन के हर पहलू का मार्गदर्शन करने वाला एक मुख्य सिद्धांत है। पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) सिद्धांतों को अपने व्यवसाय मॉडल में सहजता से एकीकृत करके, हम प्रभावशाली परिवर्तन ला रहे हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने से लेकर बैंकिंग सेवाओं से वंचित समुदायों को अनुकूलित वित्तीय उत्पादों के साथ सहायता प्रदान करने तक, हमारे कार्य एक स्थायी भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने वाले एक मजबूत शासन ढांचे के साथ, बैंक न केवल भारत के आर्थिक विकास का समर्थन कर रहा है, बल्कि एक हरित, अधिक न्यायसंगत दुनिया की ओर भी अग्रसर है।

संधारणीयता के प्रति दृष्टिकोण

जीआरआई 102-2

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, संधारणीयता के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे संचालन के हर पहलू में पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) सिद्धांतों को एकीकृत करने में निहित है। हम सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में रणनीतिक निवेश के माध्यम से और अपनी शाखाओं में ऊर्जा-कुशल प्रथाओं को लागू करके अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सामाजिक रूप से, हम वित्तीय समावेशन पहलों का समर्थन करके और कम बैंकिंग वाले समुदायों को अनुरूप वित्तीय उत्पाद प्रदान करके समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।



हमारे सुदृढ़ अनुपालन और जोखिम प्रबंधन ढांचे द्वारा गवर्नेंस को कायम रखा जाता है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को सुनिश्चित किया जाता है।

भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत बैंकिंग संस्थानों की आवश्यकता है। बैंक इस बदलाव में सबसे आगे रहने के लिए प्रतिबद्ध है, इस दृष्टिकोण से बेहतर करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। हमारी कॉर्पोरेट संधारणीयता और ईएसजी दृष्टिकोण "अच्छाई करके अच्छा" करने पर केंद्रित है, यह मानते हुए कि जिम्मेदार वित्तपोषण का सकारात्मक सामाजिक प्रभाव हो सकता है। सभी को शामिल करते हुए, हमारा लक्ष्य व्यक्तियों और व्यवसायों का समर्थन करने के लिए जिम्मेदारी से वित्त का उपयोग करके, सहानुभूति और ईमानदारी के साथ कार्य करके, और आम अच्छे और दीर्घकालिक लाभों के लिए नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देकर अपने सभी हितधारकों को मूल्य प्रदान करना है।

हम अपने उत्पादों, सेवाओं और विशेषज्ञता के माध्यम से अपने ग्राहकों को उनकी आकांक्षाओं

को प्राप्त करने में मदद करते हैं, साथ ही अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करते हैं, करियर विकास को सक्षम करते हैं और उन्हें उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाते हैं। हमारी दीर्घकालिक सफलता हमारे समुदायों की प्रगति और हमारे पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी हुई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कार्यों से समाज और पूरे विश्व को लाभ हो।

अपने निवेशकों के लिए, हम एक मजबूत और विविधतापूर्ण व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं जो नैतिक विकास और जिम्मेदार प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए स्थायी प्रत्याय देता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ अपने कार्यों को संरेखित करके, बैंक न केवल आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है बल्कि सभी हितधारकों के लिए एक स्थायी भविष्य में भी योगदान देता है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान हमारी संपूर्ण ईएसजी उपलब्धियों के बारे में अधिक जानने के लिए, अधिक विवरण के लिए निम्नलिखित अध्याय पढ़ें:

नैसर्गिक पूंजी संपदा	पेज 82
संबंध और सामाजिक पूंजी	पेज 96
मानव संपदा	पेज 112
निर्मित पूंजी	पेज 48
वित्तीय पूंजी	पेज 62
बौद्धिक संपदा	पेज 70

ईएसजी निरीक्षण और गवर्नेंस

जीआरआई 102-18, 19, 20

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, ईएसजी निरीक्षण और गवर्नेंस स्थायी और जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग है। बैंक ने ईएसजी से संबंधित जोखिमों और अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक शासन संरचना स्थापित की है। बैंक की ईएसजी रणनीति को डिजाइन करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक विजन दस्तावेज़ बनाने के लिए ईएसजी पर एक समर्पित टास्क फोर्स तैयार की गई थी। यह टास्क फोर्स प्रत्येक विभाग में पहचाने गए नोडल अधिकारियों और आंचलिक स्तर पर एक संचालन उप-समिति के माध्यम से ईएसजी पहलों की देखरेख करती है।

शीर्ष प्रबंधन सहित ईएसजी पर केंद्रीय स्तरीय समिति कार्यान्वयन रणनीति की समय-समय पर समीक्षा करती है, जिससे वैश्विक स्थिरता जनादेशों के साथ संरेखण सुनिश्चित होता है। यह समिति संधारणीयता से संबंधित जोखिमों और अवसरों की देखरेख, लक्ष्य निर्धारित करने और प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क में ईएसजी टास्क फोर्स से केंद्रीय स्तरीय समिति को

पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने वाले एक मजबूत प्रशासन ढांचे के साथ, बैंक न केवल भारत की आर्थिक वृद्धि का समर्थन कर रहा है, बल्कि एक हरित, अधिक न्यायसंगत विश्व की ओर भी अग्रसर है।

नियमित अपडेट भी शामिल हैं, जो बैंक की संधारणीयता यात्रा में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद करता है।

हमारे मुख्य परिचालनों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करते हुए, बैंक ने ईएसजी जोखिमों की पहचान करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक मीट्रिक प्रणाली विकसित की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी व्यावसायिक निर्णयों में इन कारकों पर विचार किया जाए। यह दृष्टिकोण 2028 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के बैंक के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करता है।

इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंक अगले पांच वर्षों के भीतर डीजल जनरेटर को ऊर्जा-कुशल इनवर्टर से बदलने और सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक या सीएनजी-आधारित में बदलने की योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक अगले पांच वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा-कुशल उपायों को अपनाकर अपने स्कोप 2 उत्सर्जन को 50% तक कम करने पर केंद्रित है। इस मजबूत शासन ढांचे के माध्यम से, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके संचालन न केवल नियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी में भी सकारात्मक योगदान देते हैं।

नैतिक उत्कृष्टता का समर्थन:

निष्पक्ष व्यवहार और ग्राहक-केंद्रित विकास के लिए समर्पित

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, हम निष्पक्ष और ईमानदार व्यावसायिक व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं, ग्राहकों को हम अपने सभी कार्यों के केंद्र में रखते हैं। अपने मूल मूल्यों और नैतिक मानकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर, हम अनैतिक व्यवहार को प्रतिबंधित करते हैं एवम निष्पक्ष और न्यायसंगत ऋण निर्णय सुनिश्चित करते हैं। अखंडता, पारदर्शिता और समावेशिता बनाए रखने के प्रति हमारा समर्पण सभी हितधारकों के लिए एक भरोसेमंद बैंकिंग वातावरण को बढ़ावा देता है। सख्त बोर्ड निरीक्षण, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रणनीतिक संधारणीय वित्तपोषण के माध्यम से, हम अपने संचालन को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाते हैं और नैतिक और संधारणीय विकास दोनों को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करते हैं।

ईमानदार व्यावसायिक व्यवहार

जीआरआई 102-16

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया निष्पक्ष और ईमानदार व्यावसायिक व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है, ग्राहकों को अपने सभी कार्यों के केंद्र में रखता है। हमारे मूल मूल्यों और नैतिक मानकों के अनुरूप, अनैतिक व्यवहार सख्ती से प्रतिबंधित हैं, हमारे ऋण संबंधी निर्णय निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से लिए जाते हैं। जाति, नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, सैन्य स्थिति, विकलांगता, सार्वजनिक सहायता स्थिति, पारिवारिक स्थिति या उपभोक्ता द्वारा ऋण सुरक्षा अधिकारों के प्रयोग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह प्रतिबद्धता हमारे सभी व्यापारिक लेन-देन में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है, जो सभी हितधारकों के लिए एक भरोसेमंद और समावेशी बैंकिंग वातावरण को बढ़ावा देती है।

बोर्ड की निगरानी और नैतिक प्रशासन

जीआरआई 102-18

हमारा बोर्ड और इसकी समितियाँ हमारी उद्यम-व्यापी कार्य नीतियों और नीतियों को संचालित करती हैं, एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देती हैं जो अनैतिक, भेदभावपूर्ण या कपटपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ कानूनों और विनियमों का सख्ती से पालन करती है। गवर्नेंस की यह रूपरेखा सुनिश्चित करती है कि हमारे व्यावसायिक संचालन हमारे नैतिक मानकों के अनुरूप हों, जिससे पूरे संगठन में विश्वास और अखंडता को बढ़ावा मिले। बैंक के मूल मूल्य नैतिक मानकों, पारदर्शिता, और जवाबदेही पर जोर देते हैं, जो सभी कर्मचारियों के बीच उच्च पेशेवर और व्यक्तिगत अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं।

व्यापक प्रशिक्षण और विकास

जीआरआई 404-1

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर सीखने और कौशल वृद्धि के लिए समर्पित है। अधिकारियों के प्रशिक्षण कॉलेजों एवम ज्ञानार्जन और विकास केंद्रों (सीएलडी) के माध्यम से संचालित, ये कार्यक्रम विभिन्न विषयों को कवर करते हैं और इसमें सेन्ट्रल स्वास्थ्य एप के माध्यम से सुलभ ई-लर्निंग मॉड्यूल शामिल हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से, नेतृत्व विकास पहलों ने 1,100 से अधिक अधिकारियों के रणनीतिक और प्रबंधकीय कौशल को बढ़ाया है। बैंक प्रमाणन और नियमित ज्ञान-साझाकरण सत्रों के प्रावधानों के साथ क्षमता निर्माण को भी प्राथमिकता देता है। ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि बैंक का कार्यबल बैंकिंग क्षेत्र की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सुसज्जित है, जिससे दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

हमारा वित्तपोषण सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन कैसे करता है

जीआरआई 203-2

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया रणनीतिक वित्तपोषण और सतत प्रथाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे प्रयास पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हम ग्राहकों को सभी परिचालनों के केंद्र में रखते हुए, निष्पक्ष और ईमानदार व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग हैं, .

जिम्मेदारी के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाते हैं, जो हमारे संचालन को पेरिस जलवायु समझौते जैसे वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करते हैं.

सेन्ट्रल गो ग्रीन योजना और सेन्ट्रल सोलर जैसी पहल इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा समाधानों को निधि देती हैं, जो हरित प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे पर हमारे ध्यान को प्रदर्शित करती हैं.

हमारी व्यापक रणनीति पर्यावरण, सामाजिक एवम शासन (ईएसजी) और जलवायु जोखिम आकलन को हमारे समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे में एकीकृत करती है. यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ऋण देने के निर्णयों में पर्यावरणीय जोखिमों पर विचार किया जाता है, जिससे हमारे ऋण पोर्टफोलियो की लचीलापन बढ़ता है. हम सक्रिय रूप से हरित और स्थिरता से जुड़े ऋण विकसित करते हैं, उधारकर्ताओं को विशिष्ट पर्यावरणीय प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. उन्नत डेटा एनालिटिक्स और परिदृश्य विश्लेषण को अपनाया सुनिश्चित करता है कि हमारे संचालन जलवायु संबंधी व्यवधानों के प्रति लचीले हैं.

बैंक की डिजिटल परिवर्तन पहलों ने परिचालन स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. हमने अपने संचालन में, विभिन्न शाखाओं में छत पर

सौर पैनल और ऊर्जा-कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने जैसे अक्षय ऊर्जा समाधानों को एकीकृत किया है. डिजिटल बैंकिंग समाधानों के माध्यम से कागज के उपयोग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के प्रयास हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने के प्रति हमारे समर्पण को प्रदर्शित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, बैंक ने कई ग्रीन फाइनेंस पहल शुरू की हैं, जिनमें एमएसएमई के लिए सेन्ट्रल एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सेन्ट्रल गो ग्रीन और सौर उपकरणों के लिए सेन्ट्रल कुसुम शामिल हैं. ये योजनाएं पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देती हैं और एक स्थायी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करती हैं. हमारा ग्रीन फिक्सड- डिपॉजिट उत्पाद, विशिष्ट पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषित करने की दिशा में अग्रसर है, जिससे ग्राहकों को पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करने का एक सीधा तरीका मिलता है.

यूएनएसडीजी के साथ अपनी वित्तपोषण रणनीतियों को संरेखित करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करने



के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है. हमारे मुख्य व्यवसाय संचालन में ई एस जी सिद्धांतों को एकीकृत करने की हमारी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि हम जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने में अग्रणी बने रहें.

निर्मित पंजी: ग्राहक केन्द्रितता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य का निर्माण



यूएनएसडीजी:



व्यावसायिक स्तंभ:



मटेरियल इश्यू:

1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 23, 25,
26, 30, 33, 36, 39, 42, 43

बिजनेस मॉडल कैनवास:



जीआरआई संरेखण:

201, 203, 205, 302, 303, 305,
306, 401, 403, 404, 406, 413

निर्मित पूंजी से तात्पर्य भौतिक परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे से है जिसका उपयोग कोई संगठन अपनी सेवाएँ देने के लिए करता है। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में, इसमें शाखा नेटवर्क, एटीएम, डेटा सेन्टर और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ये परिसंपत्तियाँ परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने और ग्राहक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, निर्मित पूंजी इसके व्यापक सेवा नेटवर्क की रीढ़ बनती है, जो बैंक को विविध ग्राहक आधार को सुलभ और कुशल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की निर्मित पूंजी परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की क्षमता को मजबूत करती है। बैंक का व्यापक शाखा नेटवर्क और रणनीतिक रूप से स्थित एटीएम यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक स्थान की परवाह किए बिना आसानी से बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। यह पहुँच विभिन्न ग्राहक वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के परिचालन में उन्नत तकनीकी समाधानों को एकीकृत करना, जैसे कि कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस), सभी शाखाओं में लेनदेन की वास्तविक समय प्रसंस्करण और निर्बाध कनेक्टिविटी को सक्षम करके सेवा वितरण को बढ़ाता है।

डिजिटल युग में, निर्मित पूंजी का महत्व बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैला हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप और आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्रों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निवेश यह सुनिश्चित करता है कि बैंक डेटा सुरक्षा और परिचालन विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए अपने ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये डिजिटल परिसंपत्तियाँ बैंकिंग सेवाओं की सुविधा और दक्षता में सुधार करती हैं और वित्तीय समावेशन और ग्राहक संतुष्टि के बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करती हैं।

संपूर्णतयः, निर्मित पूंजी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की परिचालन सफलता और बेहतर बैंकिंग सेवाएँ देने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। अपने भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश और उन्नयन करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करती है कि वह प्रतिस्पर्धी बनी रहे और आधुनिक बैंकिंग वातावरण की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने में सक्षम हो।

वित्त वर्ष 2024 के वित्तीय कार्यानिष्ठादन का सनैपशॉट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 में खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों सहित अपने विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत कार्यानिष्ठादन किया। खुदरा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें व्यक्तिगत ऋण 23.87%, अवास ऋण 13.57% और ऑटो ऋण 2.92% बढ़े, जबकि कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण में 9.39% की वृद्धि हुई। एमएसएमई क्षेत्र में भी वृद्धि हुई, जिसमें सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाओं के कारण 24.99% ऋण वृद्धि देखी गई। बैंक की रणनीतिक पूंजी जुटाने की पहलों के माध्यम से कुशल पूंजी प्रबंधन स्पष्ट था, जिसमें इक्विटी और बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए ₹1,500 करोड़ शामिल थे, जिसने इसके वित्तीय आधार को मजबूत किया और विकास को समर्थन दिया। देनदारियों का प्रबंधन मजबूत था।

23.87%

व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि

बैंक के रिटेल सेगमेंट के व्यक्तिगत ऋण में 23.87% की वृद्धि देखी गई, जो व्यक्तिगत वित्तीय उत्पादों पर बैंक के सफल दृष्टिकोण को दर्शाता है।

बैंक ने 205.09% का मजबूत लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) और 154.93% का नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) बनाए रखा, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक दायित्वों को पूरा करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) में सुधार होकर 0.63% हो गया, तथा शेयरधारकों को महत्वपूर्ण पूंजीगत लाभ प्राप्त हुआ, तथा वर्ष के दौरान शेयर की कीमत में 160% की वृद्धि हुई, जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मजबूत वित्तीय रणनीतियों तथा परिचालन दक्षता को दर्शाता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय प्रदर्शन तथा रणनीतिक पहलों के विस्तृत विश्लेषण के लिए, कृपया पृष्ठ 62 पर वित्तीय पूंजी पर अध्याय देखें।

4,500+

राष्ट्रव्यापी शाखाएँ

बैंक पूरे देश में 4,500 से अधिक शाखाओं का परिचालन करता है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विविध ग्राहक क्षेत्रों के लिए सुलभ बैंकिंग सेवाएँ सुनिश्चित करता है

जीआरआई 203-1

शाखा नेटवर्क

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश में सबसे व्यापक शाखा नेटवर्क में से एक का परिचालन करता है, जो विविध ग्राहक आधार को सुलभ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारत भर में रणनीतिक रूप से स्थित 4,500 से अधिक शाखाओं के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हों। यह व्यापक उपस्थिति बैंक को व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, छोटे व्यवसायों और बड़े निगमों सहित विभिन्न ग्राहक वर्गों की सेवा करने की अनुमति देती है।

शाखाओं की रणनीतिक नियुक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न समुदायों की वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। शहरी शाखाएँ आमतौर पर बड़ी मात्रा में लेन-देन को संभालने के लिए सुसज्जित होती हैं, जो व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और धन प्रबंधन जैसी कई सेवाएँ प्रदान करती हैं। ये शाखाएँ अक्सर व्यावसायिक जिलों, आवासीय क्षेत्रों और शॉपिंग सेन्टर्स में स्थित होती हैं, जो उन ग्राहकों के लिए सुविधा सुनिश्चित करती हैं जिन्हें बार-बार बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है।

इसके विपरीत, ग्रामीण शाखाएँ वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये शाखाएँ सरकारी योजनाओं को लागू करने, कृषि ऋण वितरित करने और छोटे बचत खातों की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुँच बढ़ाकर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शहरी और ग्रामीण बैंकिंग के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है, जिससे कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

शाखा नेटवर्क वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए विभिन्न सामुदायिक पहलों और शैक्षिक कार्यक्रमों का भी समर्थन करता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया नियमित ग्राहक सहभागिता गतिविधियों, कार्यशालाओं और वित्तीय परामर्श सत्रों के माध्यम से, ग्राहकों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह दृष्टिकोण ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है और विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर दीर्घकालिक संबंध बनाता है।



आप कहीं भी हों, हमारा विस्तृत नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएँ हमेशा आपके पहुँच में हों, विविध परिदृश्यों को पूरा करें और बैंकिंग को समाज के हर कोने तक पहुँचाएँ।



स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)

अपने व्यापक शाखा नेटवर्क के अलावा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर में बड़ी संख्या में ऑटोमेटेड टेलर मशीनें लगाई हैं। बैंक अपने ग्राहकों के लिए अधिकतम पहुँच और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से वितरित 4084 से अधिक एटीएम संचालित करता है। ये एटीएम शॉपिंग मॉल, परिवहन केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय इलाकों जैसे उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।

एटीएम की व्यापक तैनाती शाखाओं में ग्राहकों के प्रतीक्षा समय को कम करने में महत्वपूर्ण है, जिससे आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक चौबीसों घंटे पहुँच संभव हो सके। ग्राहक एटीएम पर कई तरह के लेन-देन कर सकते हैं, जिसमें नकद निकासी, शेष राशि की पूछताछ, फंड ट्रांसफर और बिल भुगतान शामिल हैं। यह 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि ग्राहक जब भी जरूरत हो अपनी निधि तक पहुँच सकते हैं, जिससे ग्राहक अनुभव में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

एटीएम मोबाइल नंबर पंजीकरण, आधार सीडिंग और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करके बैंक की डिजिटल बैंकिंग पहलों का भी समर्थन करते हैं। ये सुविधाएँ ग्राहकों को शाखा में जाए बिना अपनी बैंकिंग जरूरतों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाती हैं, डिजिटल चैनलों के उपयोग को बढ़ावा देती हैं और भौतिक शाखा भ्रमणों पर निर्भरता को कम करती हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने एटीएम नेटवर्क को नवीनतम तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करने के लिए लगातार अद्यतन करता रहता है। इसमें धोखाधड़ी को रोकने और ग्राहक लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी-स्किमिंग डिवाइस, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वास्तविक समय की निगरानी प्रणाली स्थापित करना शामिल है। उन्नत एटीएम तकनीक में निवेश करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी बैंकिंग सेवाओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ाती है, जिससे ग्राहकों का भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ता है।

संक्षेप में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का व्यापक शाखा नेटवर्क और व्यापक एटीएम तैनाती सुलभ, कुशल और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ये बुनियादी ढाँचे के तत्व अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और बैंक की रणनीतिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। अपने बुनियादी ढाँचे में निरंतर निवेश और नवाचार के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग उद्योग में अपना नेतृत्व बनाए रखने और अपने हितधारकों को असाधारण मूल्य प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

4,084 एटीएम

बैंक का व्यापक एटीएम नेटवर्क

रणनीतिक रूप से उच्च-यातायात क्षेत्रों में स्थित, आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक 24/7 पहुँच प्रदान करता है, शाखाओं में ग्राहक प्रतीक्षा समय को कम करता है।

जीआरआई 203-1



बैंकिंग विकास में सबसे आगे, हम तकनीक के साथ "ग्राहक पहले" के दृष्टिकोण को एकीकृत करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक इंटरैक्शन एवं लेनदेन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल रूप से तैयार किया गया है।

जीआरआई 418-1

तकनीकी परिसंपत्तियाँ:**कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस)**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सभी शाखाओं में एक मजबूत कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) को एकीकृत किया है, जिससे निर्बाध बैंकिंग परिचालन की सुविधा मिलती है। यह एकीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी शाखाएँ एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं, जिससे सुसंगत और कुशल ग्राहक सेवा मिलती है। सीबीएस लेन-देन की वास्तविक समय प्रसंस्करण की अनुमति देता है, जिससे ग्राहक किसी भी शाखा से अपने खातों तक पहुँच सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं, चाहे उनकी होम ब्रांच कहीं भी हो। यह प्रणाली प्रसंस्करण समय को कम करके और मैनुअल प्रविष्टि से जुड़ी त्रुटियों को कम करके सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।

सीबीएस के कार्यान्वयन से कई परिचालन दक्षताएं प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के लिए, इसने फंड ट्रांसफर, खाता प्रबंधन और सुलह जैसी बैंक-ऑफिस प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, जिससे शाखा कर्मचारियों पर काम का बोझ कम हुआ है और उन्हें ग्राहक-संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली है। इसके अतिरिक्त, सीबीएस विभिन्न डिजिटल बैंकिंग चैनलों का समर्थन करता है, जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ सहजता से एकीकृत होता है, इस प्रकार बैंक की सेवा पेशकशों का विस्तार करता है और ग्राहक सुविधा में सुधार करता है।

सीबीएस अनुपालन और जोखिम प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करके कि सभी लेन-देन और ग्राहक बातचीत वास्तविक समय में रिकॉर्ड और मॉनिटर की जाती है। यह क्षमता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने और संभावित धोखाधड़ी या अनियमितताओं का तुरंत पता लगाने में मदद करती है, जिससे बैंक और उसके ग्राहकों के हितों की रक्षा होती है।

30%**ऋण प्रसंस्करण समय में कमी**

निर्णय लेने की प्रणालियों को स्वचालित करके, बैंक ने ऋण प्रसंस्करण समय को 30% तक कम कर दिया है, जिससे तेजी से ऋण संवितरण और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है।



एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना, जहां बैंकिंग में नवाचार हो – हर लेनदेन, इंटरैक्शन आपकी उंगलियों पर है, जो अत्याधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ वित्तीय सेवाओं का अनुभव करने के तरीके को बदल देती है।





तकनीकी परिसंपत्तियाँ:

डिजिटल प्लेटफॉर्म

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप और अन्य डिजिटल सेवाओं सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने डिजिटल पदचिह्न का विस्तार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बैंक का इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म सेवाओं का एक व्यापक सूट प्रदान करता है, जिससे ग्राहक अपने घर बैठे आराम से विभिन्न लेन-देन कर सकते हैं, जिसमें फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और खाता प्रबंधन शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें सहज नेविगेशन और ग्राहक डेटा और लेन-देन की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा सुविधाएँ हैं।

मोबाइल बैंकिंग ऐप, खास तौर पर भीम सेन्ट यूपीआई ने ग्राहकों के बैंक के साथ संपर्क करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। यह यूपीआई भुगतानों का समर्थन करता है, जिससे मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके खातों के बीच तुरंत धन अंतरण संभव हो जाता है। ऐप बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट और लेनदेन इतिहास जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करता है, जिससे यह ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान बन जाता है। यूपीआई लाइट कार्यक्षमता का एकीकरण पिन की आवश्यकता के बिना सहज, तेज़, कम-मूल्य वाले लेनदेन की अनुमति देकर उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाता है।

इन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पहुँच काफ़ी हद तक बढ़ा दी है, जिससे बैंकिंग सेवाएँ दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों सहित व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँच में आ गई हैं। इन प्लेटफॉर्म ने बैंकिंग सेवाओं तक चौबीसों घंटे पहुँच प्रदान करके ग्राहकों की संतुष्टि और निष्ठा में सुधार किया है। इसके अलावा, इन डिजिटल चैनलों के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से ग्राहकों के व्यवहार और प्राथमिकताओं के बारे में मूल्यवान जानकारी मिलती है, जिससे बैंक को ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को तैयार करने में मदद मिलती है।



हमारी कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ रोजमर्रा की बैंकिंग को बदलना, जहां दक्षता और विश्वसनीयता अभिसरण होती है, एक सुव्यवस्थित अनुभव का निर्माण करना जो सेवा की गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि दोनों को बढ़ाता है।

जीआरआई 418-1

25%

डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी

वि. व. 2024 में, डिजिटल लेनदेन में 25% की वृद्धि हुई, जो बैंक के डिजिटल बैंकिंग समाधानों को अपनाने में वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

जीआरआई 418-1

तकनीकी परिसंपत्तियाँ:

डेटा सेन्टर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अत्याधुनिक आईएसओ-प्रमाणित डेटा सेन्टर परिचालित करता है, जो बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये डेटा सेन्टर उच्च परिचालन दक्षता और डेटा सुरक्षा स्तर सुनिश्चित करते हैं, जो बैंक के कोर बैंकिंग संचालन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हैं। आईएसओ प्रमाणन गुणवत्ता और सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति बैंक के अनुपालन, ग्राहकों और हितधारकों को अपनी सेवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त करता है।

डेटा सेन्टर उन्नत डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन तकनीकों से सुसज्जित हैं, जिससे बैंक बड़ी मात्रा में लेनदेन को कुशलतापूर्वक संभाल सकता है। वे मजबूत आपदा रिकवरी क्षमताओं को भी शामिल करते हैं, जो सिस्टम विफलता या अन्य व्यवधानों के दौरान व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। यह बुनियादी ढांचा बैंक की डिजिटल परिवर्तन पहलों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो नई प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय आधार प्रदान करता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया उच्च मानकों को बनाए रखते हुए, आत्मविश्वास के साथ सुरक्षित और निर्बाध ग्राहक सेवाएं प्रदान कर सकती है, जिससे इसके परिचालन में विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ती है। इन सुविधाओं को अपग्रेड करने और बनाए रखने में बैंक का निरंतर निवेश अपनी सेवा वितरण और परिचालन लचीलापन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कोर बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईएसओ-प्रमाणित डेटा सेन्टर सहित अपनी व्यापक तकनीकी परिसंपत्तियों के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभिनव, कुशल और सुरक्षित बैंकिंग समाधान प्रदान करने में अग्रणी बना हुआ है। ये प्रौद्योगिकी निवेश ग्राहक अनुभव को बढ़ाते हैं और तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय क्षेत्र में बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता और परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हैं।

आईएसओ- प्रमाणित

डेटा केन्द्र

कोर बैंकिंग परिचालन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए आपके बैंक के अत्याधुनिक आईएसओ-प्रमाणित डेटा केन्द्र, उच्च परिचालन दक्षता और डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।





नवाचार और उन्नयन :

स्वयं-सेवा कियोस्क

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने स्वयं-सेवा पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क सहित स्वयं-सेवा कियोस्क की तैनाती करके ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है। ये कियोस्क देश भर में विभिन्न शाखाओं में रणनीतिक रूप से स्थापित किए गए हैं, जिससे ग्राहक शाखा कर्मचारियों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से अपनी पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। ग्राहकों को यह कार्य स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम बनाकर, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने शाखाओं के भीतर भीड़भाड़ को कम किया है, जिससे समग्र ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है।

स्वयं-सेवा कियोस्क में उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस हैं जो ग्राहकों को उनकी पासबुक प्रिंट करने में सहायता करते हैं। यह नवाचार ग्राहकों का समय बचाता है और शाखा कर्मचारियों को अधिक जटिल और मूल्यवर्धित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। मैनुअल पासबुक प्रिंटिंग कार्यों को कम करने से मानव संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हुआ है, जिससे शाखा उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने इन स्वयं-सेवा कियोस्क की कार्यक्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसमें बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर जैसी अन्य सेवाएँ शामिल हैं। इन कियोस्क की क्षमताओं को लगातार उन्नत करके, सीबीआई का लक्ष्य एक व्यापक स्वयं-सेवा बैंकिंग समाधान प्रदान करना है जो अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है।



ऑनलाइन बैंकिंग की अगली पीढ़ी का अनुभव करें, जो हर किसी के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की गई है, जो सुरक्षित, निर्बाध एवं सुलभ वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित करती है

जीआरआई 203-1

40%

की ग्राहकों के प्रतीक्षा में कमी

स्व-सेवा कियोस्क और उन्नत डिजिटल बैंकिंग सेवाओं ने ग्राहकों के प्रतीक्षा समय में 40% की कमी की है, जिससे समग्र ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है।

जीआरआई 203-1

नवोन्मेष एवं उन्नयन:

वीडियो केवाईसी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग समाधानों की बढ़ती मांग के जवाब में दूरस्थ खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) लागू किया है। यह अभिनव दृष्टिकोण ग्राहकों को बैंक प्रतिनिधि के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति देता है, जिससे व्यक्तिगत रूप से शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वीडियो केवाईसी के कार्यान्वयन ने ग्राहकों की सुविधा को काफी हद तक बढ़ा दिया है, खासकर ऐसे समय में जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान, जब व्यक्तिगत संपर्क सीमित हो गये थे।

वीडियो केवाईसी, ग्राहक की पहचान और दस्तावेजों को वास्तविक समय में सत्यापित करने के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाता है, जिससे विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित होता है। यह प्रक्रिया सुरक्षित है, जिसमें ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए मज़बूत एन्क्रिप्शन और सत्यापन प्रोटोकॉल हैं। इस सेवा की पेशकश करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाया है और खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे यह तेज़ और अधिक कुशल हो गया है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वीडियो केवाईसी की शुरुआत उन अभिनव समाधानों को अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो बदलती ग्राहक अपेक्षाओं और विनियामक मानकों के साथ संरेखित हैं। यह पहल बैंकिंग सेवाओं की पहुँच और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन रणनीति का हिस्सा है।

जीआरआई 203-1

नवप्रवर्तन और उन्नयन:

अन्य नवोन्मेष

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी सेवा पेशकशों और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न नवाचारों की खोज और कार्यान्वयन जारी रखता है। भीम सेन्ट्रल यूपीआई एप्लीकेशन में यूपीआई लाइट कार्यक्षमता का एकीकरण एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह एकीकरण कम मूल्य के लेनदेन को आसान और तेज़ बनाता है, जिससे अक्सर छोटे भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा बढ़ जाती है। यूपीआई लाइट ग्राहकों को बिना पिन की आवश्यकता के लेनदेन करने में सक्षम बनाता है, सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए भुगतान प्रक्रिया को तेज़ करता है।

एक और महत्वपूर्ण नवाचार सेन्ट्रल चाणक्य जैसे एआई-आधारित चैटबॉट की तैनाती है, जो ग्राहकों के प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में शाखा कर्मचारियों की सहायता करते हैं। ये चैटबॉट सामान्य प्रश्नों के स्वचालित उत्तरों द्वारा सेवा दक्षता में सुधार करते हैं, जिससे कर्मचारी अधिक जटिल ग्राहक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्राहक संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार हुआ, क्योंकि प्रश्नों का समाधान अधिक तेज़ी से और सटीक रूप से किया जाता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता ग्राहक के बदलाव का पूर्वांशमान लगाने के लिए पूर्वांशमानित विश्लेषण मॉडल का लाभ उठाने के उसके प्रयासों में भी स्पष्ट है। ग्राहक व्यवहार में पैटर्न का विश्लेषण करके, ये मॉडल बैंक को जोखिम में पड़े ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और उन्हें बनाए रखने के लिए अनुकूलित उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने में सहायता करते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण ग्राहक प्रतिधारण दरों में सुधार करता है और समग्र ग्राहक अनुभव को बढ़ाता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और इन तथा अन्य नवाचारों के माध्यम से बेहतर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। नई प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश करके और उन्हें अपनाकर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करती है कि वह बैंकिंग उद्योग में अग्रणी रहे, अपने ग्राहकों की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करे और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखे।



मूलतः डिजिटल सुविधा हमारी बैंकिंग सेवाओं को सीमारहित बनाती हैं और ग्राहक के वित्त को कहीं भी कभी भी सुविधानुसार प्रबंधित करने का अवसर प्रदान करती है।



पर्यावरणीय स्थिरता

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न हरित पहलों के माध्यम से स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है जो परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करते हैं। इन पहलों में ऊर्जा-कुशल शाखाओं का विकास और कागज के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से डिजिटल प्रक्रियाओं को लागू करना शामिल है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके, अपने कार्बन पदचिह्न को कम करता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है। डिजिटल प्रक्रियाएं कागज की खपत को कम करती हैं और परिचालन को सुव्यवस्थित करती हैं, जिससे महत्वपूर्ण लागत बचत और बेहतर सेवा दी जाती है।

ये प्रयास पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की व्यापक स्थिरता प्रथाओं और उनके सकारात्मक प्रभावों के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया पृष्ठ 82 पर प्राकृतिक पूंजी पर अध्याय देखें।

10%

की कृषि ऋणों में बढ़ोत्तरी

ग्रामीण और अर्धशहरी आर्थिक प्रगति को बढ़ाते हुए लक्षित योजनाओं और अनुदान प्राप्त कृषि ऋणों में 10% की वृद्धि हुई है।

जीआरआई 302-1

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

25%

की डिजिटल लेनदेन में वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2024 में डिजिटल लेनदेन में 25% की वृद्धि हुई है जो डिजिटल बैंकिंग समाधानों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है

जीआरआई 201-1



डिजिटल परिवर्तन पहल:

यूपीआई लाइट और पीपीएफ पर डिजिटल ऋण सुविधाओं का एकीकरण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कई सफल डिजिटल परिवर्तन पहल की हैं, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूपीआई लाइट कार्यक्षमता को भीम सेन्ट्रल यूपीआई एप्लिकेशन में एकीकृत करना एक उल्लेखनीय परियोजना है। यह एकीकरण ग्राहकों को बिना किसी पिन की आवश्यकता के सहज और तेज कम-मूल्य वाले लेनदेन करने की अनुमति देता है। यूपीआई लाइट की सुविधा और गति ने ग्राहकों के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने में वृद्धि की है, जो कि कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य के अनुरूप है। यूपीआई लाइट सुविधा ने एक सहज भुगतान प्रक्रिया प्रदान करके लेनदेन दक्षता में सुधार किया है और ग्राहक अनुभव को बढ़ाया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के विरुद्ध डिजिटल ऋण सुविधा की शुरुआत है। यह सेवा ग्राहकों को अपने पीपीएफ खातों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है, जिससे बैंक में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आवेदन से लेकर संवितरण तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाती है, जिससे प्रसंस्करण समय में काफी कमी आती है और ग्राहक सुविधा में वृद्धि होती है। यह पहल ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में विशेष रूप से लाभकारी रही है, जहाँ भौतिक बैंक शाखाएँ सीमित हो सकती हैं। डिजिटल ऋण सुविधाओं की आसानी और पहुँच ने ग्राहकों की संतुष्टि और वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न प्रक्रिया अनुकूलन रणनीतियों को लागू किया है जिससे दक्षता और लागत बचत में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है।



उत्कृष्टता में निदेशित— हमारा मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा एक निर्बाध सेवा अनुभव को रेखांकित करता है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं जो बेजोड़ विश्वसनीय और परिचालन दक्षता की नींव रखता है



सुव्यवस्थित ऋण प्रसंस्करण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लीन सिद्धांतों को लागू करके, ऋण स्वीकृति के लिए निर्णय लेने वाली प्रणालियों को स्वचालित कर दिया है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो गई है। सुव्यवस्थित प्रक्रिया ने शाखा कर्मचारियों को अधिक मूल्यवर्धित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी है, जिससे समग्र परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है।

कुशल शाखा परिचालन

स्वयं-सेवा कियोस्क और उन्नत डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत ने ग्राहकों के प्रतीक्षा समय को इन परिवर्तनों ने शाखा प्रबंधन से जुड़ी परिचालन लागतों को भी कम कर दिया है, क्योंकि बुनियादी बैंकिंग लेनदेन को संभालने के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन प्रौद्योगिकियों ने कर्मचारियों को अधिक जटिल कार्यों में संलग्न होने और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र किया है।

स्वचालित अनुपालन निगरानी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके स्वचालित अनुपालन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन ने अनुपालन निगरानी समय को कम कर दिया है। यह प्रणाली वास्तविक समय में अनुपालन डेटा

को ट्रैक और विश्लेषण करती है, जिससे विनियामक दंड का जोखिम कम होता है और लागत में उल्लेखनीय बचत होती है। स्वचालन ने अनुपालन जांच की सटीकता में सुधार किया है और अनुपालन अधिकारियों को अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी है।

बैंक ऑफिस में वर्कफ्लो स्वचालन

बैंक द्वारा वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल अपनाने से बैंक-ऑफिस के विभिन्न कार्य, जैसे खाता मिलान और दस्तावेज़ प्रसंस्करण, सुव्यवस्थित हो गए हैं। इस ऑटोमेशन ने प्रसंस्करण समय को और परिचालन लागत को कम कर दिया है, जिससे समग्र दक्षता में वृद्धि हुई है। कम मैनुअल कार्यभार ने बैंक-ऑफिस कर्मचारियों को अधिक रणनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी है, जिससे परिचालन प्रभावशीलता में और सुधार हुआ है।

इन डिजिटल परिवर्तन पहलों और प्रक्रिया अनुकूलन प्रयासों के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेवा वितरण, परिचालन दक्षता और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, तथा बैंकिंग उद्योग में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है।

भविष्य विश्लेषक

ग्राहक प्रतिधारण के लिए

बैंक ग्राहक परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण मॉडल का लाभ उठाता है जिससे ग्राहकों को बनाये रखने के लिए सक्रिय सहभागिता और अनुरूप उत्पाद की पेशकश की अनुमति मिलती है

जीआरआई 201-1,
जीआरआई 201-2



भविष्य की योजनाएं तथा रणनीतिक प्राथमिकताएं

आगामी परियोजनाएँ

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास अपनी निर्मित पूंजी को बढ़ाने के लिए कई भविष्य की परियोजनाएँ हैं। इसका मुख्य ध्यान विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए अधिक पहुँच और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए शाखा नेटवर्क का विस्तार करना है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य कम सेवा वाले क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से नई शाखाएँ खोलकर, अपनी पहुँच बढ़ाना और व्यापक ग्राहक आधार को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने और शाखाओं में प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) की संख्या बढ़ाने की योजना है। इस विस्तार में शॉपिंग सेन्टर, परिवहन केंद्र और आवासीय क्षेत्रों जैसे उच्च-यातायात स्थानों पर एटीएम लगाना शामिल होगा।

बैंकिंग सेवाओं को और अधिक डिजिटल बनाना सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भविष्य की परियोजनाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। बैंक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने का इरादा रखता है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप शामिल हैं, ताकि अधिक व्यापक और उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवाएँ प्रदान की जा सकें। इसमें ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने वाली नई सुविधाएँ और कार्यक्षमताएँ शामिल हैं, जो निर्बाध और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करती हैं। डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना, परिचालन दक्षता बढ़ाना और बैंकिंग उद्योग में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखना है।

प्रौद्योगिकी में निवेश

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिदृश्य में आगे रहने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों में अपना निवेश जारी रखने की योजना बना रही है। बैंक अपने परिचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन तकनीकों का उपयोग ग्राहक सेवा और धोखाधड़ी का पता लगाने से लेकर अनुपालन निगरानी और जोखिम प्रबंधन तक विभिन्न बैंकिंग प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्रों सहित अपने आईटी बुनियादी ढांचे को उन्नत करेगी, ताकि मजबूत सुरक्षा और परिचालन दक्षता सुनिश्चित की जा सके। इसमें ग्राहक डेटा की सुरक्षा और बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म की अखंडता को बनाए रखने के लिए नवीनतम साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाना शामिल होगा। प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य नवाचार को बढ़ावा देना, सेवा वितरण में सुधार करना और अपने रणनीतिक विकास उद्देश्यों का समर्थन करना है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के परिचालन में निर्मित पूंजी महत्वपूर्ण है, जो बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। व्यापक शाखा नेटवर्क और एटीएम की तैनाती ग्राहकों के लिए पहुंच और सुविधा सुनिश्चित करती है, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा वितरण और परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में बैंक का चल रहा निवेश नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

संक्षेप में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की योजनाएं और रणनीतिक प्राथमिकताएं भविष्य की सफलता को आगे बढ़ाने में निर्मित पूंजी के महत्व को उजागर करती हैं। अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करके, एटीएम की संख्या बढ़ाकर और बैंकिंग सेवाओं को और अधिक डिजिटल बनाकर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करना और बैंकिंग उद्योग में अपना नेतृत्व बनाए रखना है। अत्याधुनिक तकनीकों में निरंतर निवेश यह सुनिश्चित करेगा कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिस्पर्धी बनी रहे और बेहतर बैंकिंग समाधान प्रदान कर सके। निर्मित पूंजी पर ध्यान केंद्रित करने से परिचालन क्षमताएं बढ़ेंगी और स्थायी विकास और दीर्घकालिक सफलता का समर्थन होगा।



बैंक की अपने परिचालन में उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे एआरडू, एमएल और ब्लॉकचेन को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता ग्राहक सेवा, धोखाधड़ी का पता लगाने, अनुपालन निगरानी और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिदृश्य में आगे रहे।



अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और आईटी अवसंरचना उन्नयन में निरंतर निवेश, जिसमें आईएसओ प्रमाणित डेटा केन्द्र और नवीनतम साइबर सुरक्षा उपाय शामिल हैं, बैंक को नवीनता की ओर आगे बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार करने और कार्यनीति विकास उद्देश्यों के समर्थन करने में सक्षम बनाता है।

वित्तीय पूंजी: आधार और लचीलेपन में सुदृढ़ता



यूएनएसडीजी:



व्यावसायिक स्तंभ:



मटेरियल इश्यू:

1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 23, 25,
26, 30, 33, 36, 39, 42, 43

बिजनेस मॉडल कैनवास:



जीआरआई संरेखण:

201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 203-1,
203-2, 301-1, 302-1, 302-5, 305-1

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रणनीतिक पहलों और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से मजबूत वित्तीय विकास और स्थिरता का प्रदर्शन किया है, जो हमारी थीम, “मजबूत निर्माण, स्मार्ट विकास” के साथ पूरी तरह से संरेखित है। वित्त वर्ष 2024 में, हमारी पूंजी संरचना में लगातार सुधार हुआ, टियर 1 पूंजी में वृद्धि और बेहतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ, जो हमारे सतत विकास पर सकेन्द्रण को दर्शाता है। प्रभावी तरलता प्रबंधन हमारे प्रभावशाली तरलता कवरेज अनुपात (205.09%) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (154.93%) से स्पष्ट है, जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है और हमारी रणनीतिक विकास को प्रदर्शित करता है।

खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में उल्लेखनीय व्यावसायिक वृद्धि ने समग्र विस्तार को बढ़ावा दिया। हमने इक्विटी और बॉन्ड जारी करने के माध्यम से पर्याप्त पूंजी जुटाई, विकास का समर्थन किया और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाया। हमारी निवेश रणनीतियों ने बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद रिटर्न को अनुकूलित किया है जो बेहतर विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डिजिटल परिवर्तन और लागत प्रबंधन के माध्यम से परिचालन दक्षता के सुधार के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों पर रिटर्न (0.63%) और इक्विटी पर रिटर्न (9.53%) में वृद्धि हुई। इन प्रयासों से शेयरधारक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो पूंजीगत लाभ और लगातार लाभांश भुगतान द्वारा दर्शित है। हमारा सशक्त जोखिम प्रबंधन और विनियामक अनुपालन वित्तीय स्वास्थ्य को और सुदृढ़ बनाता करता है। सकल एनपीए (8.44% से 4.5%) और शुद्ध एनपीए (1.77% से 1.23%) में उल्लेखनीय कमी विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

हमारी रणनीतिक प्राथमिकताएँ और सक्रिय उपाय सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को निरंतर सफलता और लचीलेपन के लिए तैयार करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम उभरते अवसरों का लाभ उठाएँ और भविष्य की चुनौतियों का सामना करें। यह दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता के साथ विकसित होने के हमारे वादे के अनुरूप है - विकास को सशक्त बनाना, विश्वास को बनाए रखना और एक मजबूत भविष्य का निर्माण करना। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, हम न केवल कल की तैयारी कर रहे हैं; हम इसे सक्रिय रूप से मजबूती, नवाचार और उत्कृष्टता के साथ आकार भी दे रहे हैं।

पूंजी संरचना

वित्त वर्ष 2022, वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 में बैंक की पूंजी संरचना में ये रुझान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी संरचना और विनियामक अनुपालन की प्रगति और मजबूती को उजागर करते हैं। टियर 1 पूंजी में लगातार वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार और बेसल III मानदंडों का पालन बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति और सतत विकास पर रणनीतिक फोकस को दर्शाता है।

पूंजी संरचना (टियर 1 और टियर 2 पूंजी)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी संरचना को टियर 1 और टियर 2 पूंजी में वर्गीकृत किया गया है, जो बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता और हानि को अवशोषित करने की क्षमता को प्रकट करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, टियर 1 पूंजी में लगातार वृद्धि हुई है, जो बैंक की बढ़ती हुई मूल वित्तीय शक्ति को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023 में टियर 2 पूंजी में मामूली गिरावट, उसके बाद वित्त वर्ष 2024 में वृद्धि, बैंक के कोर इक्विटी को मजबूत करने और पूरक पूंजी को स्थिर स्तर पर बनाए रखने पर रणनीतिक फोकस को प्रदर्शित करती है।



प्रभावी तरलता प्रबंधन और रणनीतिक पूंजी जुटाने की पहल ने बैंक के वित्तीय आधार को मजबूत किया है और दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित किया है।

(एलसीआर: 205.09%, एनएसएफआर: 154.93%,
जुटाई गई पूंजी: ₹1,500 करोड़)



उल्लेखनीय पूंजीगत लाभ और बढ़ते लाभांश शेयरधारक मूल्य और निवेशक विश्वास को बढ़ाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

(शेयर मूल्य में वृद्धि: 147%)

₹1,500 करोड़

वित्त वर्ष 2024 में बॉन्ड जारी करने के माध्यम से जुटाई गई पूंजी

विकास पहलों का समर्थन और जोखिम प्रबंधन ढांचे का विस्तार



पूंजी संरचना

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वि व 2024	वि व 2023	वि व 2022
कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	₹ 8,680	₹8,680	₹8,680
अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1)	शून्य	शून्य	शून्य
टियर 1 पूंजी (सीईटी 1 + एटी 1)	₹ 8,680	₹8,680	₹8,680
टियर 2 पूंजी	₹3,000	₹2,500	₹2,500

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

अनुपात	वि व 2024	वि व 2023	वि व 2022
सीईटी 1 अनुपात	12.46%	12.11%	11.48%
टियर 1 अनुपात	12.46%	12.11%	11.48%
कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	15.08%	14.12%	13.84%
लीवरेज अनुपात	5.13%	4.73%	4.25%

तीन वर्षों में सीईटी 1 और टियर 1 अनुपात में वृद्धि बैंक की पूंजी गुणवत्ता और संभावित नुकसान को अवशोषित करने की क्षमता में सुधार को दर्शाती है। कुल पूंजी अनुपात में ऊपर की ओर रुझान एक मजबूत समग्र पूंजी स्थिति को इंगित करता है, जबकि उत्तोलन अनुपात में सुधार बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता और कम जोखिम एक्सपोजर को दर्शाता है।



बैंक के विविध निवेश पोर्टफोलियो और विवेकपूर्ण वित्तीय रणनीतियों ने बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिर रिटर्न दिया है।

(कुल निवेश पोर्टफोलियो: ₹1,49,538 करोड़, वित्त वर्ष 2024 में निवेश पर प्रतिफल: 6.57%)



पूंजी के स्रोत

बैंक की पूंजी मुख्य रूप से इक्विटी, प्रतिधारित आय और रिजर्व से प्राप्त होती है. यह विविध दृष्टिकोण एक मजबूत पूंजी आधार सुनिश्चित करता है, जिससे बैंक विकास पहलों का समर्थन करने और आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करने में सक्षम होता है.

पूंजी का स्रोत	विवरण
समता पूंजी	सीधे जारी किए गए आम शेयर.
प्रतिधारित आय	लाभांश भुगतान के पश्चात व्यवसाय में बनाए रखा गया लाभ.
आरक्षित	विभिन्न वैधानिक और गैर-वैधानिक आरक्षित निधियाँ, जिनमें पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ और पूंजी आरक्षित निधियाँ शामिल हैं.

विनियामक पूंजी आवश्यकताएँ (बेसल III मानदंड)

बेसल III मानदंडों का पालन सुनिश्चित करता है कि बैंक विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त पूंजी स्तर बनाए रखता है. पिछले कुछ वर्षों में पूंजी अनुपात में क्रमिक वृद्धि विनियामक अनुपालन और वित्तीय विवेक के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

आवश्यकता	वि व 2024	वि व 2023	वि व 2022
कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) अनुपात	12.46%	12.11%	11.48%
टियर 1 अनुपात	12.46%	12.11%	11.48%
कुल पूंजी अनुपात	15.08%	14.12%	13.84%
लीवरेज अनुपात	5.13%	4.73%	4.25%

93.58%

वित्त वर्ष 2024 में प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

संभावित ऋण घाटे के खिलाफ मजबूत वित्तीय बफर को दर्शाता है.



परिसंपत्तियों पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न में लगातार सुधार बैंक की सफल वित्तीय रणनीतियों और परिचालन दक्षता को रेखांकित करता है.

(आरओए वित्त वर्ष 2024: 0.63%, आरओई वित्त वर्ष 2024: 9.53%)

के बारे में

कार्यनीति

पूंजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

परिचालन कार्य निष्पादन विश्लेषण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खुदरा, कृषि और एमएसएमई खंडों को बढ़ाने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया है, साथ ही महत्वपूर्ण दक्षता सुधारों ने इसकी वित्तीय पूंजी और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाया है। मजबूत विकास और दक्षता उपाय बैंक के लचीलेपन और सतत विस्तार की क्षमता को दर्शाते हैं, जिससे शेरधारक मूल्य में वृद्धि सुनिश्चित होती है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आय विवरण बैंक की कुल आय में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है, जो वित्त वर्ष 2022 में ₹25,770 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹29,626 करोड़ और वित्त वर्ष 2024 में ₹35,434 करोड़ हो गया। यह वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2023 तक साल-दर-साल (YOY) 14.96% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 तक 19.60% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। कुल आय के लिए तीन साल की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 37.50% है। यह ऊपर की ओर रुझान बैंक की सफल राजस्व सृजन रणनीतियों और बढ़ी हुई बाजार उपस्थिति को प्रकट करता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में उल्लेखनीय व्यावसायिक वृद्धि हासिल की है, जिससे इसका समग्र विस्तार हुआ है। खुदरा बैंकिंग में, डिजिटल सेवाओं और व्यक्तिगत उत्पादों पर बैंक के फोकस ने ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए, व्यक्तिगत ऋण में वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 23.87%, गृह ऋण में 13.57% और वाहन ऋण में 2.92% की वृद्धि हुई। लक्षित योजनाओं और सब्सिडी के कारण कृषि बैंकिंग में ऋण वितरण में 12.31% की वृद्धि देखी गई, जबकि एमएसएमई खंड ने सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाओं द्वारा सुगम ऋण में 37.25% की वृद्धि हुई है।

कार्यबल प्रशिक्षण और विकास ने इन दक्षता लाभों का समर्थन किया है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है। बैंक की समग्र परिचालन दक्षता ने वित्तीय स्थिति के सुधार में योगदान दिया है, जिसमें लागत-से-आय अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 56.35% से मामूली रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 58.18% हो गया है।

शेरधारक मूल्य

बैंक के शेर मूल्य प्रदर्शन ने भी इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और रणनीतिक पहलों को प्रतिबिंबित किया है। लगातार लाभांश भुगतान और बैंक के विकास प्रक्षेपवक्र ने इसके शेर मूल्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिससे यह शेरधारकों के लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प बन गया है। बढ़ते लाभांश ने निवेशकों के विश्वास और भावना को भी बेहतर बनाया है, जिससे बाजार मूल्यांकन और शेर प्रदर्शन में वृद्धि हुई है।

शेरधारक मूल्य बढ़ाने की कार्यनीतियां

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शेरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए कई कार्यनीतियां को लागू किया है, जो सतत विकास, परिचालन दक्षता और रणनीतिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करती हैं। प्रमुख रणनीतियों में शामिल हैं:

- » **रणनीतिक पूंजी आवंटन:** बैंक ने जोखिम प्रबंधन के लिए संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए उच्च-विकास वाले क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से पूंजी आवंटित की है। यह संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है, जिससे निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलता है।
- » **लागत दक्षता पहल:** लागत दक्षता उपायों को लागू करना बैंक की प्राथमिकता रही है। परिचालन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करके और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, बैंक ने परिचालन लागत को कम किया है, जिससे लाभप्रदता बढ़ी है।
- » **डिजिटल परिवर्तन:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों और नवाचारों में निवेश करने से बैंक ग्राहक सेवा में सुधार करने, अपनी बाजार पहुंच का विस्तार करने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने में सक्षम हुआ है। इस डिजिटल प्रोत्साहन ने उच्च दक्षता और बेहतर वित्तीय प्रदर्शन में योगदान दिया है।
- » **मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करें:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मुख्य बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियां अच्छी तरह से प्रबंधित और लाभदायक हैं। इस संकेन्द्रण ने बेहतर सेवा वितरण और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि की है, जिससे राजस्व वृद्धि हुई है।



मजबूत पूंजी पर्याप्तता अनुपात और बेसल छह मानदंडों का पालन बैंक को मजबूत वित्तीय सेहत और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(सीईटी 1 अनुपात वित्त वर्ष 2024: 12.46%, कुल पूंजी अनुपात वित्त वर्ष 2024: 15.08%)

154.93%

वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर)

नियामक आवश्यकताओं को पार करते हुए मजबूत दीर्घकालिक तरलता प्रबंधन को दर्शाता है।



» **सतत अभ्यास:** अपने व्यवसाय मॉडल में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) कारकों को शामिल करते हुए, बैंक ने सतत और जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। यह न केवल इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है बल्कि सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों को भी आकर्षित करता है।

संपत्ति पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)

संपत्ति पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) किसी बैंक की लाभप्रदता और दक्षता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। पिछले तीन वर्षों में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार दोनों मेट्रिक्स में सुधार किया है, जो इसकी सफल वित्तीय रणनीतियों को दर्शाता है।

संपत्ति पर प्रतिफल (आरओए) मापता है कि बैंक लाभ कमाने के लिए अपनी परिसंपत्तियों का कितनी कुशलता से उपयोग करता है। वित्त वर्ष 2023 में, आरओए 0.43% था, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 0.63% हो गया, जो 20 आधार अंकों (बीपीएस) का सुधार दर्शाता है। यह वृद्धि दर्शाती है कि बैंक लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए अपने परिसंपत्ति आधार का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है।

मेट्रिक्स	वि व 2024	वि व 2023	वर्ष दर वर्ष परिवर्तन (वि व 2024)
आस्तियों पर प्रतिफल	0.63%	0.43%	20 बीपीएस

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) शेयरधारकों की इक्विटी के सापेक्ष लाभप्रदता को मापता है। वित्त वर्ष 2023 में, आरओई 6.42% था। वित्त वर्ष 2024 में ऊपर की ओर गति काफी तेज हो गई, आरओई बढ़कर 9.53% हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 311 बीपीएस की उल्लेखनीय वृद्धि थी। यह पर्याप्त वृद्धि बैंक की अपने इक्विटी बेस से उच्च लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को उजागर करती है, जो मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और प्रभावी इक्विटी उपयोग को दर्शाता है।

मेट्रिक्स	वि व 2024	वि व 2023	वर्ष दर वर्ष परिवर्तन (वि व 2024)
इक्विटी पर प्रतिफल	9.53%	6.42%	311 बीपीएस

पिछले तीन वर्षों में इक्विटी पर प्रतिफल और आस्तियों पर प्रतिफल में लगातार सुधार यह दर्शाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी परिसंपत्तियों और इक्विटी का प्रभावी ढंग से उपयोग करके अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। यह प्रवृत्ति मजबूत परिचालन दक्षता, प्रभावी संसाधन आवंटन और सफल राजस्व सृजन रणनीतियों को दर्शाती है। निवेशकों और हितधारकों के लिए, ये सुधरते वित्तीय मीट्रिक बैंक की मजबूत वित्तीय सेहत और भविष्य में सतत विकास की इसकी क्षमता को दर्शाते हैं। यह सकारात्मक प्रक्षेपवक्र बैंक को वित्तीय क्षेत्र में निरंतर सफलता और स्थिरता के लिए अनुकूल स्थिति में रखता है।

वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत लाभ के माध्यम से महत्वपूर्ण शेयरधारक मूल्य सृजन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2024 में पर्याप्त पूंजीगत लाभ के माध्यम से महत्वपूर्ण मूल्य सृजन प्राप्त किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की कीमत वित्त वर्ष (1 अप्रैल, 2023) की शुरुआत में लगभग ₹25 प्रति शेयर से बढ़कर वित्त वर्ष के अंत (31 मार्च, 2024) तक लगभग ₹60 प्रति शेयर हो गई। लगभग 140% की यह प्रभावशाली वृद्धि बैंक के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, रणनीतिक पूंजी जुटाने की पहल और प्रभावी प्रबंधन प्रथाओं को दर्शाती है। शेयर की कीमत में तेज वृद्धि निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है और अपने शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न देने की बैंक की क्षमता को उजागर करती है, जो शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

20 बीपीएस

वित्त वर्ष 2024 में परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) में वृद्धि

अधिकतम लाभप्रदता के लिए परिसंपत्ति आधार के प्रभावी प्रबंधन को दर्शाता है।

311 बीपीएस

वित्त वर्ष 2024 में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) में वृद्धि

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और प्रभावी इक्विटी उपयोग को दर्शाता है।

आस्ति गुणवत्ता

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सशक्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से उच्च परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। वित्त वर्ष 2024 में, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करने और प्रावधान बढ़ाने पर बैंक के फोकस ने इसकी परिसंपत्ति गुणवत्ता मेट्रिक्स में काफी सुधार किया है। बैंक का सकल एनपीए अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 8.44% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 4.50% हो गया, जो 394 आधार अंकों (बीपीएस) का पर्याप्त सुधार दर्शाता है। इसी तरह, शुद्ध एनपीए अनुपात उसी अवधि में 1.77% से घटकर 1.23% हो गया, जो 54 बीपीएस की कमी को दर्शाता है। ये आंकड़े क्रेडिट जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करने और ऋण चूक का प्रबंधन करने में बैंक के सफल प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं। एनपीए के लिए प्रावधान करना बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने की एक प्रमुख रणनीति रही है। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) वित्त वर्ष 2024 में 93.58% तक सुधर गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 92.48% था, जो 110 बीपीएस की वृद्धि दर्शाता है। यह बढ़ा हुआ प्रावधान संभावित ऋण घाटे के खिलाफ एक मजबूत वित्तीय बफर बनाए रखने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ऋण एवं अग्रिमों का क्षेत्रवार वितरण एक संतुलित ऋण पोर्टफोलियो को दर्शाता है। खुदरा क्षेत्र में 28.28%, कृषि में 18.30%, एमएसएमई में 19.81%, और कॉर्पोरेट क्षेत्र में 33.61% की वृद्धि हुई है। यह विविध दृष्टिकोण



प्रभावशाली तरलता कवरेज अनुपात और शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात, तरलता आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की बैंक की मजबूत क्षमता को प्रदर्शित करता है।

(एलसीआर वित्त वर्ष 2024: 205.09%, एनएसएफआर वित्त वर्ष 2024: 154.93%)

क्षेत्र- विशिष्ट जोखिमों को कम करने में मदद करता है और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता का समर्थन करती है। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली और समाधान परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में, बैंक ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से ₹3636 करोड़ की वसूली की है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में, ₹4213 करोड़ की वसूली हुई थी। यह प्रभावी वसूली प्रक्रिया बैंक के कुशल समाधान तंत्र और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के सक्रिय प्रबंधन को प्रकट करता है।

समग्र रूप से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के परिसंपत्ति गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित प्रयासों ने इसकी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। एनपीए में कमी, बेहतर प्रावधान, विविधीकृत ऋण पोर्टफोलियो और प्रभावी वसूली कार्यनीतियों परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने में बैंक की सक्रिय रुख को रेखांकित करती है। ये उपाय बैंक की स्थिरता को बढ़ाते हैं और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे दीर्घकालिक रूप से सतत विकास और वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित होती है।

तरलता प्रबंधन

बैंक ने लगातार मजबूत तरलता स्थिति बनाए रखी है, जैसा कि इसके तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) से पता चलता है। वित्त वर्ष 2024 तक, एलसीआर वित्त वर्ष 2023 के 285.51% की तुलना में 205.09% हो गया, जो अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने की मजबूत क्षमता को दर्शाता है। एनएसएफआर, जो दीर्घकालिक तरलता स्थिरता को मापता है, वित्त वर्ष 2024 में 154.93% दर्ज किया गया, जो 100% की नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है।

बैंक की तरलता विभिन्न चैनलों से प्राप्त होती है, जिसमें अंतर-बैंक उधार और केंद्रीय बैंक सुविधाएँ शामिल हैं। इन स्रोतों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक लागतों को अनुकूलित करते हुए अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सके। परिसंपत्ति और देयता समिति (आल्को) ने तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लाभप्रदता और जोखिम शमन के बीच संतुलन सुनिश्चित होता है।

पूंजी जुटाने की पहल

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और विकास पहलों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी जुटाने की गतिविधियाँ कीं। बैंक ने सफलतापूर्वक ₹1,500 करोड़ की राशि के बॉन्ड जारी किए। यह पूंजी निवेश मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करने और जोखिम प्रबंधन ढांचे को बढ़ाने, बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत करने और नियामक पूंजी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवंटित किया गया था।

भावी दृष्टिकोण से, बैंक ने अपने विकास पथ को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। भविष्य की पहलों में आगे इक्विटी जारी करना और व्यापार विस्तार और जोखिम शमन रणनीतियों का समर्थन करने के लिए अभिनव वित्तपोषण तंत्र की खोज करना शामिल है। इन नियोजित गतिविधियों का उद्देश्य एक स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना और बैंक की दीर्घकालिक वित्तीय लचीलापन का समर्थन करना है।

निवेश पोर्टफोलियो

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निवेश पोर्टफोलियो विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अच्छी तरह से विविधता भरा है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियाँ शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक, कुल निवेश पोर्टफोलियो ₹1,49,538 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के ₹1,42,653 करोड़ से 4.83% की वृद्धि दर्शाता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ इस पोर्टफोलियो का एक बड़ा भाग रही, जो कुल ₹1,12,881 करोड़ थी, तथा वित्त वर्ष 2023 में ₹1,03,204 करोड़ से अधिक थी। यह परम्परावादी आवंटन बैंक की जोखिम-विरोधी रणनीति और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।



बैंक की निवेश रणनीतियों को जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए रिटर्न को अनुकूलित करने की दिशा में तैयार किया गया है। निवेश पर प्रतिफल वित्त वर्ष 2023 में 6.26% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 6.57% हो गया, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद लचीला प्रदर्शन दर्शाता है। बैंक के विवेकपूर्ण निवेश निर्णयों ने अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के साथ संतुलित किया है, जिससे अस्थिर बाजार स्थितियों में भी स्थिर रिटर्न सुनिश्चित हुआ है।

इन रणनीतिक निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधन पहलों, मजबूत तरलता प्रथाओं और सफल पूंजी जुटाने की गतिविधियों ने बैंक की वित्तीय स्थिति को काफी मजबूत किया है। प्रभावशाली तरलता कवरेज अनुपात और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात बैंक के प्रभावी तरलता प्रबंधन को प्रकट करते हैं, जबकि पर्याप्त पूंजी जुटाने के प्रयासों ने इसके पूंजी आधार को मजबूत किया है। सामूहिक रूप से, ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भविष्य की चुनौतियों से निपटने और विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जिससे एक विश्वसनीय और लचीले वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।

जोखिम प्रबंधन और विनियामक अनुपालन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा निर्देशित और विशेष समितियों की देखरेख में, यह ढांचा सभी क्षेत्रों में मजबूत जोखिम शमन सुनिश्चित करता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट जोखिम के लिए उन्नत रेटिंग मॉडल का उपयोग करता है और इसमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति है। यह समिति जोखिम को कम करने के लिए नीतियाँ निर्धारित करती है और प्रथाओं की समीक्षा करती है। बाजार जोखिम प्रबंधन की देखरेख एसेट एंड लायबिलिटी कमेटी द्वारा की जाती है, जो प्रभावी हेजिंग के लिए वैल्यू एट रिस्क और वित्तीय डेरिवेटिव जैसे उपकरणों का उपयोग करती है। परिचालन जोखिम का प्रबंधन परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और व्यवसाय निरंतरता योजना के माध्यम से किया जाता है, जो घटनाओं पर नज़र रखने के लिए घटना प्रबंधन मॉड्यूल द्वारा समर्थित है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का विनियामक अनुपालन बेसल III मानदंडों सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मानकों के अनुरूप है। इन विनियमों का बैंक द्वारा पालन मजबूत जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता सुनिश्चित करता है। ऋण, परिचालन और बाजार जोखिम प्रबंधन नीतियों सहित अनुपालन नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि नियामक विकास के साथ तालमेल बिठाया जा सके। वित्तीय पूंजी पर विनियामक परिवर्तनों का प्रभाव महत्वपूर्ण है, जिसके कारण बैंक को मजबूत पूंजी अनुपात बनाए रखने और नियमित समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सेल जैसे उपाय धोखाधड़ी के जोखिमों को रोकने और कम करने में मदद करते हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित होता है।

भविष्य का दृष्टिकोण और रणनीतिक पहल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वित्तीय पूंजी बढ़ाने और भविष्य में विकास को गति देने के लिए कई रणनीतिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की है। इन पहलों में अपने पूंजी आधार को मजबूत करना, बाजार पहुंच का विस्तार करना और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना शामिल है। बैंक अपनी वित्तीय पूंजी को मजबूत करने के लिए इक्विटी जुटाना और बॉन्ड जारी करना जारी रखने की योजना बना रहा है। वित्त वर्ष 2024 में, बैंक ने ₹1,500 करोड़ मूल्य के बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक पूंजी जुटाई। ये प्रयास ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करने और जोखिम प्रबंधन ढांचे को बढ़ाने, नियामक पूंजी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने और एक स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखने की दिशा में निर्देशित हैं।

बैंक की भविष्य की विकास योजनाएँ डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित हैं। उन्नत डिजिटल तकनीकों और प्लेटफॉर्म में निवेश से व्यापक ग्राहक आधार आकर्षित होने और सेवा वितरण में वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 में, बैंक के डिजिटल लेनदेन में 25%

205.09%

वित्त वर्ष 2024 में तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने की मजबूत क्षमता को दर्शाता है।



उन्नत जोखिम प्रबंधन पद्धतियाँ और कठोर विनियामक अनुपालन बैंक की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं और संभावित वित्तीय जोखिमों को कम करते हैं।

(एनपीए के लिए प्रावधान: ₹3391 करोड़, जोखिम प्रबंधन नीतियों को नियमित समीक्षा)

की वृद्धि हुई, जो इसके डिजिटल बैंकिंग समाधानों को अपनाने में वृद्धि को दर्शाता है। बैंक ने अनुरूप वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करके कम सेवा वाले बाजारों, मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की भी योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, बैंक का लक्ष्य अपने कृषि अग्रिमों को बढ़ाना है, जो वित्त वर्ष 2024 में 9.39% सालाना की दर से बढ़ा है।

बैंक को अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में आने वाली कुछ चुनौतियों का अनुमान है, जैसे कि विनियामक परिवर्तनों को नेविगेट करना, साइबर जोखिमों का प्रबंधन करना और फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा को संबोधित करना। हालाँकि, ये चुनौतियाँ नवाचार और विभेदीकरण के अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। बैंक विनियामक विकास से आगे रहकर और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश करके अपनी संपत्तियों की सुरक्षा कर सकता है और ग्राहकों का विश्वास बना सकता है। फिनटेक फर्मों के साथ सहयोग बैंक की सेवा पेशाकशों को और बढ़ा सकता है और संचालन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।

बौद्धिक संपदा: बौद्धिक संपदा के माध्यम से नवाचार का सशक्तिकरण



यूएनएसडीजी:



व्यावसायिक स्तंभ:



मटेरियल इश्यू:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31,
32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44

बिजनेस मॉडल कैनवास:



जीआरआई संरेखण:

103-1, 103-2, 103-3, 201-1,
203-1, 203-2, 203-3, 404-1,
404-2, 413-1, 418-1, 418-2

बैंकिंग क्षेत्र के निरंतर विकसित होते परितृश्य में, बौद्धिक संपदा नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरी है। बौद्धिक संपदा में सामूहिक ज्ञान, कौशल, संबंध और संगठनात्मक प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनका उपयोग बैंक अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए करता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेतु, ये परिसंपत्तियां केवल अमूर्त तत्व नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक संसाधन हैं जो इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भीतर बौद्धिक संपदा के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करना, इसके विशिष्ट महत्व एवम इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने हेतु किए गए उपायों को रेखांकित करना है।

इस अध्याय का उद्देश्य इस बात की व्यापक समझ प्रदान करना है कि विकास को बढ़ावा देने और कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी बौद्धिक संपदा का लाभ कैसे उठाता है। हम बैंक के बौद्धिक संपदा ढांचे का पता लगाएंगे, इसके तीन मुख्य घटकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: मानव संपदा, संरचनात्मक संपदा और संबंधपरक संपदा। मानव संपदा से तात्पर्य सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता से है, जो निरंतर सीखने और विकास पहलों द्वारा समर्थित है। संरचनात्मक संपदा में संगठनात्मक प्रक्रियाएँ, डेटाबेस, पेटेंट और मालिकाना सॉफ्टवेयर शामिल हैं जो संचालन को सुव्यवस्थित करते हैं और ग्राहक सेवा को बेहतर करते हैं। संबंधपरक संपदा ग्राहकों, भागीदारों और नियामकों के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संबंधों और नेटवर्क पर प्रकाश डालती है, जो विश्वास बनाए रखने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन घटकों की जाँच करके, हम देखेंगे कि बौद्धिक संपदा में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रणनीतिक निवेश इसकी सफलता को आगे बढ़ाने और इसे बैंकिंग उद्योग में अग्रणी के रूप में स्थापित करने में कैसे सहायक हैं।

4,500

एकीकृत शाखाएँ

सभी शाखाएँ केन्द्रीयकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, जिससे देश भर में निर्बाध बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं।

1,193

स्वयं-सेवा कियोस्क

जो सारे भारत में स्थापित किये गये हैं, ने शाखाओं में भीड़ को काफी हद तक कम कर दिया है और ग्राहक सेवा दक्षता में सुधार किया है।



देश भर में 1,193 से अधिक स्वयं-सेवा पासबुक मुद्रण कियोस्क स्थापित करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शाखाओं में भीड़भाड़ कम की है तथा ग्राहक सेवा में सुधार किया है।



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार की ओर से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर 14/09/2023 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतिमस्त तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

यह पुरस्कार श्री अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के कर कमलों से श्री एम वी राव, एमडी एवं सीईओ ने प्राप्त किया। इस अवसर पर राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई श्री भानुप्रताप सिंह के साथ माननीय संसद मंत्रीरण तथा सचिव एवं उपसचिव राजभाषा विभाग उपस्थित थे।

जीआरआई 103

बौद्धिक संपदा संरचना

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता और सतत विकास को आगे बढ़ाने में बौद्धिक संपदा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। हमारी बौद्धिक संपदा संरचना, तीन मुख्य घटकों - मानव संपदा, संरचनात्मक संपदा और संबंधपरक संपदा - पर आधारित है, जो हमारी रणनीतिक पहलों और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाते हैं। हम इन घटकों में निरंतर निवेश के माध्यम से अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने हितधारकों को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

बौद्धिक संपदा के घटक

मानव संपदा (कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता): सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मानव संपदा हमारे कर्मचारियों के सामूहिक कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता को समाहित करती है। हम निरंतर सीखने और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे कर्मचारी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, और हम सुनिश्चित करते हैं कि वे व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नवीनतम उद्योग ज्ञान और कौशल से सुसज्जित हों। इन कार्यक्रमों में उन्नत वित्तीय विश्लेषण, नियामक अनुपालन, डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक संबंध प्रबंधन शामिल हैं। हमारे शिक्षण और विकास (एल एंड डी) पहलों में ई-लर्निंग मॉड्यूल, कार्यशालाएँ और व्यावसायिक प्रमाणन पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो कर्मचारियों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और विकसित बैंकिंग परिदृश्य के अनुकूल होने में सक्षम बनाते हैं। इस भाग को पृष्ठ 112 पर मानव संपदा सम्बंधी अध्याय में अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है।

संरचनात्मक संपदा (संगठनात्मक प्रक्रियाएँ, डेटाबेस, पेटेंट और मालिकाना सॉफ्टवेयर): संरचनात्मक संपदा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भीतर ज्ञान के गैर-मानव भंडार को संदर्भित करती है। इसमें हमारी संगठनात्मक प्रक्रियाएँ, डेटाबेस, पेटेंट और मालिकाना सॉफ्टवेयर सिस्टम शामिल हैं। हमने संचालन को सुव्यवस्थित करने एवं ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल संवर्धन एवं उन्नत तकनीकी समाधानों में पर्याप्त निवेश किया है। हमारे ए आई -आधारित चैटबॉट ग्राहक प्रश्नों को कुशलता से संभालते हैं, जबकि पूर्वानुमानित विश्लेषण मॉडल ग्राहक प्रतिधारण में सुधार करते हैं। हम व्यापक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली भी बनाए रखते हैं जो कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं तक वास्तविक समय तक पहुँच प्रदान करती है, जिससे सभी कार्यों

1,000+

प्रशिक्षण सत्र आयोजित

डिजिटल बैंकिंग और विनियामक अनुपालन जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

में स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, हमारी नवाचार टीम नए बैंकिंग समाधान विकसित करने और अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने के लिए ब्लॉकचेन और ए आई जैसी उभरती हुई तकनीकों की खोज और उपयोग करती है।

सम्बंधपरक सम्पदा (संबंध और नेटवर्क): सम्बंधपरक सम्पदा में वे संबंध और नेटवर्क शामिल हैं जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने ग्राहकों, भागीदारों, विनियामकों और समुदाय के साथ स्थापित किए हैं। हम डिजिटल मंच के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव को प्राथमिकता देते हैं, जिससे डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ग्राहक प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार हुआ है। हमारी मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन व्यापक रूप से अपनाई गई है, और हम ग्राहक अंतर्दृष्टि के आधार पर अपनी सेवाओं को लगातार परिष्कृत करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त, हम अनुपालन सुनिश्चित करने और पारदर्शिता और समन्वय की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विनियामकों के साथ मजबूत संवाद बनाए रखते हैं। शेयरधारकों और सामुदायिक सदस्यों सहित हितधारकों के साथ हमारा सक्रिय जुड़ाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाली हमारी व्यापक सोएसआर पहलों में परिलक्षित होता है। ये प्रयास सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। इस भाग को **पृष्ठ 96** पर संबंध और सामाजिक संपदा वाले अध्याय में अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है।

संरचनात्मक संपदा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया रणनीतिक तकनीकी प्रगति और प्रक्रिया अनुकूलन के माध्यम से अपनी संरचनात्मक संपदा में निवेश और वृद्धि जारी रखे हुए है। वित्त वर्ष 2024 में, नवाचार और प्रौद्योगिकी में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की पहलों ने परिचालन दक्षता और ग्राहक संतुष्टि को बहुत बढ़ाया है। यहाँ मुख्य बातें दी गई हैं:

डिजिटल संवर्धन पहल और उनका प्रभाव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने परिचालन दक्षता में सुधार और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई डिजिटल संवर्धन पहल की हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पहलों का उल्लेख किया गया है:

- » **केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस):** सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की सभी 4,500 शाखाओं को सी बी एस में एकीकृत किया गया है, जिससे पूरे भारत में निर्बाध बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं। यह एकीकरण नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाओं में भी कार्य करता है, जिससे ग्राहक एक बटन के क्लिक से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। सी बी एस यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को लगातार और कुशल बैंकिंग अनुभव मिले, चाहे वे किसी भी शाखा में जाएँ। इस कदम से लेन-देन की प्रक्रिया में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी आई है और सभी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करके समग्र ग्राहक संतुष्टि में सुधार हुआ है।
- » **वीडियो केवाईसी:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वीडियो केवाईसी की शुरुआत की। यह अभिनव समाधान ग्राहकों को शाखा में जाए बिना वस्तुतः खाता खोलने में सक्षम बनाता है। ग्राहक बैंक प्रतिनिधि के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से अपना केवाईसी सत्यापन पूरा कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ और अधिक सुविधाजनक हो जाती है। यह पहल विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान लाभकारी रही है, जिससे नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को बनाए रखते हुए ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
- » **स्वयं-सेवा पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क:** शाखा में जाने की आवश्यकता को कम करने और ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने देश भर में 1,193 स्वयं-सेवा पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क तैनात किए हैं। ये कियोस्क ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से अपनी पासबुक प्रिंट करने की सुविधा देते हैं, जिससे समय की बचत होती है और शाखा में भीड़भाड़ कम होती है। यह पहल ग्राहक सेवा में सुधार करती है और कर्मचारियों को अधिक जटिल ग्राहक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करके शाखा संचालन को अनुकूलित करती है।

जीआरआई 103

जीआरआई 203



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा वीडियो केवाईसी अपनाने से खाता खोलने की प्रक्रिया सरल हो गई है, साथ ही यह ग्राहकों के लिए भी अधिक सुविधाजनक एवम सुरक्षित हो गई है।



बैंक के स्वामित्व वाले एआई-आधारित चैटबॉट, सेंट चाणक्य ने ग्राहक प्रश्नों के समाधान को सुव्यवस्थित किया है, जिससे सेवा दक्षता में सुधार हुआ है।



जीआरआई 418

बैंकिंग प्रक्रियाओं में एआई और मशीन लर्निंग को अपनाना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंकिंग प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों को तेजी से अपनाया जा रहा है। यहाँ कुछ प्रमुख अनुप्रयोग दिए गए हैं:

- » **एआई-आधारित चैटबॉट (सेन्ट चाणक्य):** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सेन्ट चाणक्य नामक एआई-आधारित चैटबॉट लागू किया है, जिसका उपयोग शाखा कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के प्रश्नों का सटीक उत्तर देने हेतु किया जाता है। यह चैटबॉट सामान्य प्रश्नों के उत्तरों को स्वचालित करके सेवा दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करता है, जिससे कर्मचारी अधिक जटिल ग्राहक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फलस्वरूप ग्राहक संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार है, क्योंकि प्रश्नों का समाधान अधिक तेजी से और सटीक रूप से किया जाता है।
- » **पूर्वानुमानित विश्लेषण मॉडल:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूर्वानुमानित विश्लेषण मॉडल का उपयोग करके ग्राहक परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाता है, जिससे बैंक छोड़ने को तत्पर ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने में सक्षम होता है। ग्राहक व्यवहार में पैटर्न का विश्लेषण करके, ये मॉडल उन व्यक्तियों की पहचान करते हैं जो बैंक छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया तब इन ग्राहकों को अनुरूप उत्पाद और सेवाएँ प्रदान कर सकता है, जिससे प्रतिधारण दर में वृद्धि होती है और यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों की ज़रूरतें अधिक प्रभावी ढंग से पूरी हों।
- » **ऋण स्वीकृति के लिए एआई:** एआई तकनीक का उपयोग ऋण स्वीकृति को सरल बनाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन (पीएपीएल) की पेशकश के लिए। ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार और पुनर्भुगतान इतिहास का विश्लेषण करके, एआई सिस्टम ऋण पात्रता का आकलन कर सकते हैं और ऋण स्वीकृति को तेजी से और सटीक रूप से प्रदान कर सकते हैं। यह ऋण स्वीकृति प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाता है और प्रतीक्षा समय को कम करके और ऋण वितरण की गति को बढ़ाकर ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है।

ये एआई और एमएल पहल बैंकिंग परिचालनों को अनुकूलित करने, ग्राहक बातचीत को व्यक्तिगत बनाने और बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करने की सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कार्यनीति का अभिन्न अंग हैं। इन नवाचारों के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि वह उच्च सेवा दक्षता और संतुष्टि मानकों को बनाए रखते हुए अपने ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करे।

आईटी अवसंरचना और उन्नत प्रौद्योगिकी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है जो इसकी डिजिटल पहलों हेतु उपयोगी है एवं निर्बाध सेवा संचार सुनिश्चित करता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं:

जीआरआई 418

77.43 लाख

वित्त वर्ष 2024 में दैनिक औसत यू पी आई लेनदेन

39.56% वार्षिक वृद्धि, जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सफल डिजिटल परिवर्तन पहल को दर्शाती

- » **आईएसओ-प्रमाणित डेटा सेन्टर:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईएसओ-प्रमाणित डेटा सेन्टर संचालित करता है, जो कोर बैंकिंग परिचालन के लिए उच्च परिचालन दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये डेटा सेन्टर बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं, जो विश्वसनीय और सुरक्षित डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन वातावरण प्रदान करते हैं। यह प्रमाणन अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- » **उन्नत आईटी गवर्नेंस:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मजबूत आईटी गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से आईटी रणनीति समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित करती है। ये बैठकें और टूट ऑडिट विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन और आईटी जोखिम प्रबंधन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करते हैं। आईटी गवर्नेंस के लिए यह संरचित दृष्टिकोण संभावित जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के आईटी संचालन इसके रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप हों।
 - साइबर सुरक्षा उपाय: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक डेटा की अखंडता और गोपनीयता की रक्षा के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा ढांचे को लागू किया है। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:
- » **डेटा लीक रोकथाम समाधान:** अनधिकृत डेटा स्थानांतरण को रोकता है, संवेदनशील ग्राहक जानकारी की सुरक्षा करता है।
- » **ब्लॉकचेन और अन्य नव प्रौद्योगिकी :** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सक्रिय रूप से ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई तकनीकों की खोज और एकीकरण कर रही है ताकि लेन-देन की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। ब्लॉकचेन तकनीक सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए मजबूत समाधान प्रदान करती है, जो धोखाधड़ी को बहुत कम कर सकती है और बैंकिंग संचालन में विश्वास में वृद्धि कर सकती है। तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहकर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने ग्राहकों को अभिनव और सुरक्षित सेवाएँ प्रदान कर सके।
- » इन पहलों के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके मौजूदा डिजिटल परिवर्तन प्रयासों का समर्थन करता है और भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने की यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुशल, सुरक्षित और अभिनव बैंकिंग समाधान प्रदान कर सके।

सफल डिजिटल परिवर्तन पहल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कई डिजिटल पहलों को सफलतापूर्वक शुरू किया है, जिससे ग्राहक सेवा और परिचालन दक्षता पर काफी प्रभाव पड़ा है। ये पहल ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। पिछले दो वित्तीय वर्षों के डिजिटल लेनदेन मेट्रिक्स की तुलना इस प्रकार है:

मीट्रिक	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024	वृद्धि (%)
दैनिक औसत यूपीआई लेनदेन	55.47 लाख	77.43 लाख	39.56
दैनिक औसत आईएमपीएस लेनदेन	3.94 लाख	4.76 लाख	20.81
कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	14.12%	15.08%	13.84
दैनिक औसत मोबाइल बैंकिंग लेनदेन	0.42 लाख	0.49 लाख	16.67
दैनिक औसत इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन	0.45 लाख	0.46 लाख	2.22
पीओएस टर्मिनलों की संख्या	2,154	3,034	40.85
एटीएम और नकद जमा यंत्रों की संख्या	3,752	4,084	8.85

जीआरआई 203

आईएसओ

प्रमाणित डेटा सेन्टर

कोर बैंकिंग परिचालन के लिए उच्च परिचालन दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।



नियमित समिति बैठकों और टूट लेखापरीक्षा के माध्यम से उन्नत आईटी प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आईटी परिचालन रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप हों।



सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों पर डिजिटल ऋण सुविधाओं ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ऋण तक पहुंच को आसान बना दिया है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) एकीकरण

- » **भीम सेन्ट्रल यूपीआई (सेन्ट्रल) में यूपीआई लाइट की कार्यक्षमता:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने भीम सेन्ट्रल यूपीआई (सेन्ट्रल) एप्लीकेशन में यूपीआई लाइट की कार्यक्षमता को एकीकृत किया है। यह एकीकरण कम मूल्य के लेनदेन को आसान और तेज़ बनाता है, जिससे उन उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा बढ़ जाती है जो अक्सर छोटे भुगतान करते हैं। यूपीआई लाइट ग्राहकों को बिना पिन की आवश्यकता के लेनदेन करने में सक्षम बनाता है, सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए भुगतान प्रक्रिया को तेज़ करता है। इस सुविधा ने ग्राहकों के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य के साथ संरेखित है।
- » **बढ़ी हुई लेन-देन मात्रा को सम्भालने के लिए नया प्लेटफॉर्म:** डिजिटल लेन-देन की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ते हुए लेन-देन को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को उन्नत किया है। नया प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करता है कि उच्च लेन-देन भार को सहजता से प्रबंधित किया जाता है, डाउनटाइम को कम करता है और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह उन्नत तकनीक तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल भुगतान परिदृश्य में बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करके कि बुनियादी ढांचा अधिक मात्रा में लेन-देन का समर्थन कर सकता है, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार किया है, जिससे ग्राहक संतुष्टि और प्रतिधारण दर में वृद्धि हुई है।

डिजिटल ऋण सुविधाएं

- » **लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर डिजिटल लोन सुविधाएं:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों पर डिजिटल ऋण सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे ग्राहकों के लिए ऋण पाना आसान हो गया है। इस पहल से ग्राहक अपने पीपीएफ खातों को जमानत के तौर पर इस्तेमाल करके ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जाती है, जिससे बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे ग्राहकों का समय बचता है और बैंक की ऋण प्रोसेसिंग प्रक्रिया आसान हो जाती है। डिजिटल ऋण सुविधा खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है जिन्हें पारंपरिक ऋण आवेदनों की परेशानी के बिना तत्काल निधि प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- » **ग्राहकों पहुंच में वृद्धि:** डिजिटल ऋण सुविधाओं की शुरुआत ने ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहाँ भौतिक बैंक शाखाएँ सीमित हो सकती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि व्यापक ग्राहक आधार उसके ऋण उत्पादों से लाभ उठा सके, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले।

ये डिजिटल संवर्धन पहल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समर्पण को रेखांकित करती हैं। उन्नत डिजिटल समाधानों को एकीकृत करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बना रहे। निरंतर नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

भावी डिजिटल पहल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने, नवाचार को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कई आगामी परियोजनाओं के माध्यम से अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहल ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने और अपनी संरचनात्मक संपदा को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समर्पण को दर्शाती हैं। सुविधा, स्थिरता और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाया है और बैंकिंग उद्योग में एक दूरदर्शी नेता के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा है, जो व्यापक सामाजिक लक्ष्यों में योगदान देता है।

जीआरआई 203



यूपीआई लाइट कार्यक्षमता को भीम सेन्ट्रल यूपीआई में एकीकृत करने से कम मूल्य के लेनदेन की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अंतर परिचालनीय कार्ड रहित नकद निकासी

- » **सुविधा और सुरक्षा:** अंतर परिचालनीय कार्ड रहित नकद निकासी पहल ग्राहकों को बिना किसी भौतिक कार्ड की आवश्यकता के एटीएम से नकदी निकालने की अनुमति देगी। यह फीचर ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाता है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो अपने कार्ड भूल जाते हैं या सुरक्षा कारणों से उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके, ग्राहक निकासी अनुरोध उत्पन्न कर सकते हैं और किसी भी एटीएम पर सुरक्षित रूप से लेनदेन पूरा कर सकते हैं। यह पहल नकद निकासी को सरल बनाती है और कार्ड स्किमिंग और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करती है।

ग्रीन चैनल नकद जमा

- » **पर्यावरण स्थिरता:** ग्रीन चैनल कैश डिपॉजिट पहल का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देकर कागज के उपयोग को कम करना है। ग्राहक स्वचालित मशीनों का उपयोग करके सीधे अपने खातों में नकदी जमा कर सकते हैं, जिससे कागज जमा पत्रियों की आवश्यकता कम हो जाती है। यह पहल पारंपरिक बैंकिंग प्रक्रियाओं से जुड़े कार्बन पदचिह्न को कम करके स्थिरता के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, यह जमा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, जिससे यह ग्राहकों के लिए तेज़ और अधिक कुशल बन जाती है।

जन सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण

- » **वित्तीय समावेशन और सुरक्षा:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सीबीएस शाखाओं और डिजिटल चैनलों पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) को लागू करने की योजना बनाई है। ये शासन समर्थित बीमा योजनाएं दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता (पीएमएसबीवाई) और जीवन बीमा (पीएमजेजेबीवाई) के लिए किफायती कवरेज प्रदान करती हैं। इन योजनाओं को अपनी सेवाओं में एकीकृत करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य अपने ग्राहकों, विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना है। इस एकीकरण से ग्राहकों के लिए इन योजनाओं में नामांकन करना और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पॉलिसियों का प्रबंधन करना आसान हो जाएगा, जिससे इन्हें व्यापक रूप से अपनाने को और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

0.49 लाख

वित्त वर्ष 2024 में दैनिक औसत मोबाइल लेनदेन

16.67% वार्षिक वृद्धि, जो विस्तारित मोबाइल बैंकिंग क्षमताओं का संकेत है।

जीआरआई 103

ज्ञान प्रबंधन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने और निरंतर सीखने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी ज्ञान प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं को अत्यधिक महत्व देता है। मजबूत ज्ञान-साझाकरण प्लेटफॉर्म को लागू करने और व्यापक डेटाबेस बनाए रखने के द्वारा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यवान संगठनात्मक ज्ञान आसानी से सुलभ, अद्यतित और प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके।

संगठनात्मक ज्ञान के प्रबंधन के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया (जीआरआई 203)

ज्ञान-साझाकरण प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर्मचारियों के बीच निर्बाध संचार और सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए कई ज्ञान-साझाकरण प्लेटफॉर्म विकसित और कार्यान्वित किए हैं। इन प्लेटफॉर्म में शामिल हैं:

- » **इंट्रानेट पोर्टल:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इंट्रानेट पोर्टल नीतियों, प्रक्रियाओं, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रशिक्षण सामग्री सहित सभी संगठनात्मक जानकारी के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। कर्मचारी इस पोर्टल पर जाकर अपनी ज़रूरत की जानकारी जल्दी और कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
- » **सहयोगात्मक उपकरण:** बैंक टीमवर्क और वास्तविक समय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और शेरय प्वाइंट जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। ये उपकरण कर्मचारियों को दस्तावेज़ साझा करने, वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने और मीटिंग के स्थान पर मौजूद रहे बिना परियोजनाओं पर सहयोग करने की अनुमति देते हैं। यह दृष्टिकोण संचार में सुधार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संगठन में ज्ञान को साझा किया जाये और बनाए रखा जाए।
- » **ऑनलाइन प्रशिक्षण और विकास प्लेटफॉर्म:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ई-लर्निंग मंच में निवेश किया है जो कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करता है। ये मंच निरंतर सीखने और कौशल विकास को सक्षम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारी उद्योग के रुझानों और नियामक आवश्यकताओं के साथ अद्यतन रहें। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की उपलब्धता कर्मचारियों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देती है, जिससे आत्म-सुधार और व्यावसायिक विकास की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

व्यापक डेटाबेस:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक डेटाबेस बनाए रखता है कि संगठनात्मक ज्ञान व्यवस्थित रूप से एकत्रित, संग्रहित और सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ हो। इन डेटाबेस में शामिल हैं:

- » **नीति और प्रक्रिया डेटाबेस:** इन डेटाबेस में सभी संगठनात्मक नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों का विस्तृत दस्तावेज़ीकरण होता है। अद्यतित और आसानी से सुलभ रिकॉर्ड बनाए रखने से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने और नियामक मानकों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक जानकारी को जल्दी से संदर्भित कर सकें।
- » **सर्वोत्तम प्रथा भंडार:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न विभागों और शाखाओं से एकत्रित सर्वोत्तम प्रथाओं का एक भंडार स्थापित किया है। इस भंडार को लगातार नई अंतर्दृष्टि और सफल रणनीतियों के साथ अपडेट किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और अपने काम में सिद्ध तरीकों को लागू करने का मौका मिलता है। संगठन भर में सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने से प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने और समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है।
- » **ग्राहक ज्ञान डेटाबेस:** इस डेटाबेस में ग्राहक की प्राथमिकताओं, लेन-देन के इतिहास और फीडबैक के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। इस डेटा का लाभ उठाकर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान कर सकता है और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बना सकता है। लक्षित विपणन अभियान और ग्राहकों की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करनेवाले अभिनव वित्तीय उत्पाद विकसित करने के बैंक के प्रयासों का यह ग्राहक ज्ञान डेटाबेस समर्थन करता है।

4,084

वित्त वर्ष 2024 में एटीएम और नकद जमा मशीनों की संख्या

बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती पहुंच को दर्शाते हुए 8.85% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

3,034

वित्त वर्ष 2024 में पीओएस टर्मिनलों की संख्या

40.85% वार्षिक वृद्धि, लेन-देन क्षमताओं के विस्तार को दर्शाती है।



प्रक्रिया अनुकूलन

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निरंतर प्रक्रिया अनुकूलन के माध्यम से परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समर्पण में वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करना, लागत कम करना और उन्नत तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर सेवा वितरण में सुधार करना शामिल है। प्रक्रिया में सुधार और उसके परिणामस्वरूप होने वाली लागत बचत के विस्तृत उदाहरण यहां दिए गए हैं:

जीआरआई 203

दक्षता के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना

1. लीन पद्धतियों का कार्यान्वयन:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रक्रियाओं में अक्षमताओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए लीन पद्धतियों को अपनाया है। यह दृष्टिकोण विभिन्न विभागों में कार्यप्रवाह को अनुकूलित करने में सहायक रहा है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

प्रक्रिया अनुकूलन पहल	चुनौती	समाधान	परिणाम
सुव्यवस्थित ऋण प्रसंस्करण	मैन्युअल प्रक्रिया और अनावश्यक चरणों के कारण ऋण स्वीकृति में लंबा समय लगता है।	लीन सिद्धांतों को लागू करके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण अनुमोदन के लिए निर्णय लेने वाली प्रणालियों को स्वचालित कर दिया है, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो गई है।	बैंक ने ऋण प्रसंस्करण समय में 30% की कमी देखी है, जिससे ऋण का तेजी से वितरण हुआ है और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है।
कुशल शाखा संचालन	ग्राहकों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और शाखा का संचालन कठिन होता है।	स्वयं-सेवा कियोस्क, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) और उन्नत डिजिटल बैंकिंग सेवाएं एक महत्वपूर्ण कारक रही हैं।	इन परिवर्तनों से ग्राहकों के प्रतीक्षा समय में कमी आई है, लेन-देन की गति में वृद्धि हुई है, तथा शाखा प्रबंधन से जुड़ी परिचालन लागत में कमी आई है।

2. स्वचालन और डिजिटलीकरण:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रक्रिया अनुकूलन रणनीति में स्वचालन और डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों ने कार्यकुशलता में सुधार किया है और संचालन की सटीकता और गति को बढ़ाया है। उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:

प्रक्रिया अनुकूलन पहल	चुनौती	समाधान	परिणाम
कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) में सुधार	मैन्युअल संचालन के कारण अपर्याप्त बैंक-ऑफिस प्रक्रियाएं।	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीबीएस में उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, जिससे अनेक बैंक-ऑफिस प्रक्रियाओं, जैसे कि फंड ट्रांसफर और खाता अद्यतन, को स्वचालित किया जा सके।	मैन्युअल हस्तक्षेप में कमी और न्यूनतम त्रुटियां, जिससे परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन	समय लेने वाली और संसाधन गहन दस्तावेज़ प्रबंधन प्रक्रिया।	दस्तावेज़ों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रबंधन को स्वचालित करने के लिए एक डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।	दस्तावेज़ प्रबंधन के लिए आवश्यक समय और संसाधनों में कमी, परिचालन दक्षता में सुधार और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करना।

के बारे में

कार्यनीति

दृष्टि

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

प्रक्रिया सुधार और लागत बचत पर अध्ययन

प्रक्रिया अनुकूलन पहल	चुनौती	समाधान	परिणाम
बैंक ऑफिस में कार्यप्रवाह स्वचालन	बैंक-ऑफिस परिचालन को मैनुअल रूप से संभालने के कारण विलंब और त्रुटियाँ.	खाता समाधान और दस्तावेज़ प्रसंस्करण जैसे बैंक-ऑफिस कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए कार्यप्रवाह स्वचालन उपकरणों का कार्यान्वयन.	प्रसंस्करण समय में कमी और परिचालन लागत में कमी, जिससे बैंक-ऑफिस परिचालन की समग्र दक्षता में वृद्धि हुई.
शाखा प्रक्रिया पुनर्रचना	ग्राहकों को अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा शाखा का संचालन अपर्याप्त होता है.	स्वयं-सेवा कियोस्क शुरू करके, स्टाफ आवंटन को अनुकूलित करके और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाकर शाखा प्रक्रियाओं को पुनः तैयार करना.	प्रतीक्षा समय में कमी, कार्य-प्रवाह में वृद्धि, तथा शाखा प्रबंधन से जुड़ी परिचालन लागत में कमी.
स्वचालित अनुपालन निगरानी	मैनुअल अनुपालन निगरानी में समय लगता था और त्रुटियां होने की संभावना रहती थी.	वास्तविक समय में अनुपालन डेटा को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके एक स्वचालित अनुपालन निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन.	अनुपालन निगरानी समय में कमी आई और विनियामक दंड का जोखिम न्यूनतम हुआ, जिससे महत्वपूर्ण लागत बचत हुई और अनुपालन सटीकता में सुधार हुआ.



कार्यप्रवाह स्वचालन उपकरणों को लागू करके, बैंक ने बैंक-ऑफिस प्रसंस्करण समय को कम कर दिया है, जिससे परिचालन लागत में काफी कमी आई है.

बौद्धिक संपदा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों का एक मजबूत पोर्टफोलियो रखता है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और मालिकाना सॉफ्टवेयर शामिल हैं. ये परिसंपत्तियाँ वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं. पेटेंट सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अनूठी वित्तीय तकनीकों और कार्यप्रणालियों की रक्षा करते हैं, अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश को प्रोत्साहित करते हैं और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं. ट्रेडमार्क ब्रांड पहचान और विश्वास के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रतिस्पर्धी बैंकिंग क्षेत्र में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उत्पादों और सेवाओं को अलग करते हैं, ग्राहक वफादारी का निर्माण करते हैं और ब्रांड को विश्वसनीयता और उत्कृष्टता के साथ जोड़ते हैं. मालिकाना सॉफ्टवेयर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की परिचालन और ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जो जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा और लेनदेन प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करता है. यह तकनीक पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है, सुरक्षा बढ़ाता है और नियामक परिवर्तनों और बाजार की माँगों के लिए तेजी से अनुकूलन की अनुमति देता है. बौद्धिक संपदा ने परिचालन दक्षताओं को बढ़ाया है और ग्राहक सेवाओं में सुधार किया है, इन-हाउस विकसित किए गए मालिकाना सॉफ्टवेयर ने विभिन्न बैंकिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लागत बचत और बेहतर सेवा वितरण हुआ है. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बौद्धिक संपदा विवादों को सक्रिय रूप से संबोधित और हल करती है, कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन और अपनी बौद्धिक संपत्तियों की कठोर सुरक्षा सुनिश्चित करती है. इन बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी संरचनात्मक संपदा को मजबूत करता है, बैंकिंग उद्योग में अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए अद्वितीय नवाचारों का लाभ उठाता है. इससे परिचालन क्षमताएँ बढ़ती हैं और दीर्घकालिक रणनीतिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित होती है.

बौद्धिक संपदा का मापन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए बौद्धिक संपदा को मापना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव, संरचनात्मक और संबंधपरक संपदा में इसके निवेश से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) बौद्धिक संपदा के इन घटकों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक मीट्रिक हैं। मानव संपदा के लिए, केपीआई में कर्मचारी प्रतिधारण दर, प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण घंटे और कर्मचारी जुड़ाव स्कोर शामिल हो सकते हैं। ये मीट्रिक कुशल कार्यबल को विकसित करने और बनाए रखने में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद करते हैं। संरचनात्मक संपदा केपीआई में दायर किए गए पेटेंट की संख्या, मालिकाना सॉफ्टवेयर से दक्षता लाभ और स्वचालित प्रणालियों के कारण प्रसंस्करण समय में कमी शामिल हो सकती है। ये संकेतक बैंक के नवाचार और परिचालन दक्षताओं को दर्शाते हैं। संबंधपरक संपदा केपीआई में ग्राहक संतुष्टि स्कोर, रणनीतिक साझेदारियों की संख्या और ग्राहक प्रतिधारण दर शामिल हो सकते हैं, जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहरी संबंधों की मजबूती और ग्राहक वफादारी बनाए रखने की इसकी क्षमता को उजागर करते हैं।

उद्योग मानकों के विरुद्ध इन केपीआई को बेंचमार्क करने से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपनी ताकत और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने मेट्रिक्स की तुलना अग्रणी बैंकों से करके बौद्धिक संपदा के मामले में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति का आकलन कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कर्मचारी प्रतिधारण दर उद्योग औसत से अधिक है, तो यह एक मजबूत मानव संपदा रणनीति का संकेत देता है। इसके विपरीत, यदि इसके ग्राहक संतुष्टि स्कोर प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम हैं, तो यह संबंधपरक संपदा प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता का संकेत देता है। यह तुलनात्मक विश्लेषण सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उन क्षेत्रों को इंगित करने में सक्षम बनाता है जहाँ यह बेहतर है और जहाँ इसे अपने सुधार प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अंततः, नियमित बेंचमार्किंग और केपीआई मूल्यांकन यह सुनिश्चित करते हैं कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी बौद्धिक संपदा को इष्टतम स्तरों पर बनाए रखे और बैंकिंग उद्योग की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर विकसित हो।

भविष्य का दृष्टिकोण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भविष्य दृष्टिकोण बौद्धिक संपदा को बढ़ाने के लिए उभरते रुझानों और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर जोर देता है। बैंकिंग क्षेत्र उभरती प्रौद्योगिकियों और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं से प्रेरित महत्वपूर्ण बदलावों का गवाह बन रहा है। एआई, ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसी प्रौद्योगिकियां बैंकिंग परिचालन को बदल रही हैं, प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और ग्राहकों के साथ जुड़ने के नए तरीके पेश कर रही हैं। चूंकि ग्राहक व्यक्तिगत और निर्बाध सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ा रहे हैं, इसलिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

रणनीतिक रूप से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मानव, संरचनात्मक और संबंधपरक संपदा में अपने निवेश को जारी रखने की योजना बना रहा है। मानव संपदा के लिए, इसमें डिजिटल कौशल और नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना शामिल है। संरचनात्मक रूप से, बैंक का लक्ष्य अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को और विकसित करना है, जिससे मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय और कुशल डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित हो सकें। संबंधपरक रूप से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभिनव बैंकिंग समाधानों और बेहतर ग्राहक जुड़ाव रणनीतियों के माध्यम से ग्राहक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रयास सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने और उभरते बैंकिंग परिदृश्य में दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सभी हितधारकों से बौद्धिक संपदा पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करता है, इसे भविष्य के विकास के लिए आधारशिला के रूप में पहचानती है। लोगों, प्रक्रियाओं और साझेदारियों में निवेश करके, बैंक आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करने के लिए अच्छी स्थिति में है। बौद्धिक संपदा के लिए यह निरंतर प्रतिबद्धता नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता और सतत विकास को बढ़ावा देगी, जिससे उद्योग में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति सुदृढ़ होगी।

जीआरआई 103

4.76 लाख

दैनिक औसत आईएमपीएस लेनदेन

वित्त वर्ष 2024 में 20.81% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, त्वरित भुगतान सेवाओं के प्रयोग में वृद्धि को दर्शाती है।

जीआरआई 103



बैंक के ब्लॉकचेन एकीकरण प्रयासों का उद्देश्य लेनदेन सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है, जिससे धोखाधड़ी के जोखिम कम होंगे

नैसर्गिक संपदा: रणनीतिक पर्यावरण शासन और सतत वित्तपोषण पहल



यूएनएसडीजी:



व्यावसायिक स्तंभ:



मटेरियल इश्यू:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18

विजनेस मॉडल कैनवास:



जीआरआई संरेखण:

201, 203, 205, 302, 303, 305, 306,
401, 403, 404, 406, 413, 418



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए समर्पित है, जो पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों जैसे जैसे वैश्विक मानकों के साथ संरेखित है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) नीति स्थिरता को बढ़ावा देते हुए जोखिम भरे वातावरण में कुशलतापूर्वक काम करने के हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करती है। यह नीति पारदर्शिता, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, हितधारकों को शामिल करने और बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अपने व्यवसाय मॉडल को लगातार विकसित करके, बैंक का लक्ष्य ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना, डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देना, सामुदायिक विकास का समर्थन करना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना है।

बैंक की रणनीति में स्कोप 1 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के लिए 2028 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है, साथ ही बिजली की खपत और अन्य स्कोप 2 उत्सर्जन को कम करने के लिए निरंतर प्रयास भी शामिल हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का

स्थिरता ढांचा इन उद्देश्यों को एकीकृत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि इसके संचालन जलवायु परिवर्तन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों में सकारात्मक रूप से योगदान दें।

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय



सेन्ट्रल बैंक इंडिया, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए समर्पित है, जो पेरिस जलवायु समझौते और यूएनएसडीजी जैसे वैश्विक मानकों के साथ संरेखित है



जीआरआई 201, जीआरआई
302, जीआरआई 305

सतत वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अक्षय ऊर्जा और अन्य संधारणीय परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण प्रगति की है. संधारणीय वित्तपोषण पर बैंक का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक भी विस्तारित है. उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आबंटित की गई है, जो पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को अपनाने में बैंक की भूमिका को रेखांकित करता है. ये निवेश केवल वित्तीय प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं, बल्कि सभी हितधारकों के लिए हरित और अधिक संधारणीय भविष्य को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पहल है.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से रणनीति बना कर रहा है. इसमें पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाली हरित प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में पर्याप्त निवेश शामिल है. बैंक का सतत वित्तपोषण ढाँचा इन प्रयासों का मार्गदर्शन करता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि सभी पहल पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप हों.

अपने सतत वित्त प्रस्तावों में बढ़ातरी के लिए, बैंक ने हरित वित्तपोषण के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया है. इसमें अपने ग्राहकों के बीच पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए वित्तीय उत्पाद शुरू करना शामिल है. उदाहरण के लिए, बैंक हरित और संधारणीयता से जुड़े ऋणों पर काम कर रहा है, जो उधारकर्ताओं को विशिष्ट पर्यावरणीय प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

जलवायु जोखिम प्रबंधन को अपनी व्यावसायिक रणनीति में एकीकृत करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि उसके परिचालन जलवायु-संबंधी व्यवधानों के प्रति लचीले हों. यह दृष्टिकोण न केवल जोखिमों को कम करता है बल्कि बैंक को सतत वित्त में अग्रणी के रूप में भी स्थापित करता है, जो एक सतत और समावेशी अर्थव्यवस्था के व्यापक लक्ष्य में योगदान देता है.



जलवायु जोखिम और हरित वित्त

जलवायु जोखिम प्रबंधन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने परिचालनों के लचीलेपन और सतता सुनिश्चित करने के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों की पहचान करने और उनका प्रबंधन करने के महत्व को समझता है. बैंक ने अपने समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे में ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) और जलवायु जोखिम आकलन को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित की है.

1. जलवायु संबंधी जोखिमों की पहचान और प्रबंधन

- » सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं, जो अनावृत परिसंपत्तियों की पहचान करने, उनके प्रभावों को समझने और शमन रणनीतियों को तैयार करने से संबंधित हैं. इसमें भौतिक जोखिम (जैसे मौसमी घटनाएँ) और संक्रमण जोखिम (जैसे विनियामक परिवर्तन और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव) दोनों पर विचार करना शामिल है.
- » बैंक का ध्यान जलवायु संबंधी खतरों, जैसे कि तूफान, बाढ़ और भूमी कटाव, खासकर तटीय क्षेत्रों में, जहां समुद्र का जलस्तर बढ़ना एक बड़ा खतरा है, के लिए संवेदनशील क्षेत्रों और परिसंपत्तियों का पता लगाने पर केंद्रित है. ऐसा करके, बैंक का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नुकसान को रोकने और परिसंपत्ति मूल्य के लिए जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.

2. क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में एकीकरण

- » ईएसजी और जलवायु जोखिम आकलन को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में एकीकृत किया गया है. यह सुनिश्चित करता है कि ऋण देने के निर्णयों का मूल्यांकन करते समय पर्यावरणीय जोखिमों पर विचार किया जाता है, जिससे बैंक के ऋण पोर्टफोलियो का लचीलापन बढ़ता है.
- » परिदृश्य विश्लेषण और संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग व्यवसाय और पूंजी नियोजन में ईएसजी कारकों को शामिल करने के लिए किया जाता है. यह दृष्टिकोण बैंक के परिचालन और वित्तीय स्थिरता पर जलवायु-संबंधी जोखिमों के संभावित प्रभाव को समझने में मदद करता है.



हमारे विजन में स्कोप 1 जीएचजी उत्सर्जन के लिए 2028 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है, साथ ही स्कोप 2 उत्सर्जन को कम करने के निरंतर प्रयास भी शामिल हैं.

जीआरआई 201-2



बैंक ने पर्यावरण रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रशासन संरचना स्थापित की है।

हरित वित्त पहल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए डिजाइन किए गए सतत वित्तीय उत्पादों को विकसित और बढ़ावा देकर हरित वित्त को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्थायी वित्त उत्पाद

- » **ग्रीन बॉन्ड और ऋण:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बॉन्ड और ऋण जारी करता है। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ, ग्रीन बिल्डिंग और अन्य पर्यावरण-अनुकूल पहल शामिल हैं।
- » **सोशल बांड और ऋण:** ये किरायाती आवास और सामुदायिक विकास जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ वाली परियोजनाओं के लिए निर्देशित हैं।
- » **स्थायी बांड और ऋण:** हरित और सामाजिक बांड के तत्वों को मिलाकर, ये वित्तीय साधन पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं का समर्थन करते हैं।

प्रमुख पहल और उपलब्धियां

- » **ग्रीन बॉन्ड:** बैंक के पास ग्रीन जमा का उपयोग करके ग्रीन गतिविधियों और परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बोर्ड से अनुमत तंत्र है। इसके अतिरिक्त बैंक ने ऊर्जा दक्षता सेल की स्थापना के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के लिए वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना है। इन प्रयासों के अनुरूप बैंक ने ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण को और अधिक सहयोग देने के लिए सेंट एनर्जी इफिशियन्सी योजना भी शुरू की है।

» **हरित वित्त पहल-** बैंक की विभिन्न वित्त योजनाएं हैं। जिसमें एमएसएमई के लिए ऊर्जा दक्षता योजना इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए सेंट ग्रीन और सौर उपकरणों के लिए सेंट कुसुम शामिल है। इसके अतिरिक्त बैंक ने सेंट ग्रीन जमा योजना के तहत 40 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं।

» **विद्युत वाहन:** सेन्ट गो ग्रीन योजना जैसी पहल के माध्यम से, बैंक ने विद्युत वाहनों के अधिग्रहण को वित्तपोषित किया, जिससे स्वच्छ परिवहन की ओर परिवर्तन को समर्थन मिला।

» **हरित प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा:** बैंक ने हरित प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में काफी निवेश किया है। इसमें सेन्ट सोलर जैसी योजनाओं के तहत वित्तपोषण शामिल है, जो व्यक्तियों और निगमों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।

» **ग्रीन सावधि जमा उत्पाद:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेपरलेस ग्रीन सावधि जमा उत्पाद शुरू किया है, जिसकी आय को विशिष्ट ग्रीन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह पहल न केवल पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, बल्कि ग्राहकों को सीधे ग्रीन पहल में योगदान करने का एक तरीका भी प्रदान करती है।

जलवायु जोखिम प्रबंधन और हरित वित्त के प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का व्यापक दृष्टिकोण इसे संधारणीय बैंकिंग में अग्रणी बनाता है। सतत वित्त उत्पादों को लगातार विकसित और बढ़ावा देकर, बैंक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव का समर्थन करता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देता है।

परिचालन स्थिरता को बढ़ावा देना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल परिवर्तन ने न केवल परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा को बढ़ाया है, बल्कि कागज के उपयोग और ऊर्जा की खपत को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पहल व्यवसाय की उन्नति और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के अपने प्रयासों को काफी आगे बढ़ाया है। बैंक ने कई प्रमुख स्थानों पर छतों पर सौर पैनल और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ने अपने चेन्नई कार्यालय में 65 किलोवाट का सौर संयंत्र स्थापित किया, जिससे पर्याप्त ऊर्जा बचत हुई है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपनी लाइटिंग व्यवस्था को विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों में ऊर्जा-कुशल एलईडी में अपग्रेड किया है, जिससे ऊर्जा दक्षता में और वृद्धि हुई है और बिजली की खपत कम हुई है।

ऊर्जा दक्षता के उपाय

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने परिचालन स्थिरता में सुधार के लिए कई ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू किया है, जिसमें उच्च दक्षता वाले एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) सिस्टम स्थापित करना शामिल है। ये सिस्टम हीटिंग और कूलिंग प्रक्रियाओं को अनुकूलित करते हैं, ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हैं और ऊर्जा के उपयोग को कम करते हैं। इसके अलावा, बैंक ने ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने और संरक्षित करने के लिए एक ऊर्जा लेखा परीक्षा नीति शुरू की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सुविधाएँ बेहतर रूप से संचालित हों।

जल संरक्षण के प्रयास

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वर्षा जल संचयन प्रणाली को लागू करके और अपने परिसर को जल सक्षम जुड़नार लगाकर जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये पहल सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं और बैंक की नगरपालिका की जल आपूर्ति पर निर्भरता को कम करती हैं। अपेय जल प्रयोजनों के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करके और उसका उपयोग करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करता है और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है।

अपशिष्ट न्यूनीकरण पहल

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापक रीसाइक्लिंग कार्यक्रमों और सभी शाखाओं में अपशिष्ट पृथक्करण प्रणाली स्थापित करके अपशिष्ट में कमी लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। ये कागज, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित निपटान और रीसाइक्लिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे जमीन में जाने वाले कचरे में काफी कमी आती है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को कांच या स्टील की बोतलों जैसे स्थायी विकल्पों से बदलने की नीतियां लागू किया है, जो समग्र अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीति में योगदान करता है।

ये पहल परिचालन स्थिरता के प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए इसके समर्पण को प्रदर्शित करता है। अपने नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ऊर्जा दक्षता उपायों, जल संरक्षण प्रयासों और अपशिष्ट न्यूनीकरण पहलों में निरंतर सुधार करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग क्षेत्र के भीतर सत्ता के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है और अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करता है।

GRI 302-1, GRI 303, GRI 306



हमारे डिजिटलीकरण ने परिचालन दक्षता को बढ़ाया है और कागज के उपयोग और ऊर्जा की खपत को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।



वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने परिचालन में अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने के अपने प्रयासों को काफी आगे बढ़ाया है। बैंक ने कई प्रमुख स्थानों पर छतों पर सौर पैनल और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं।



जीआरआई 301
जीआरआई 302-4

डिजिटल परिवर्तन और नैसर्गिक संपदा पर इसका प्रभाव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है और पर्यावरण पर प्रभाव कम हुआ है। विस्तृत पहल और उनकी उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

1. कोर बैंकिंग समाधान और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर

- बैंक ने विभिन्न कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू किए हैं, जिनमें ट्रेड फाइनेंस समाधान, ट्रेजरी समाधान और ऋण जीवनचक्र प्रबंधन समाधान शामिल हैं। ये कार्यान्वयन परिचालन को सुव्यवस्थित करते हैं और कई प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर कागज के उपयोग को काफी कम करते हैं।

2. ग्राहक ऑनबोर्डिंग और सेवाएं

- वीडियो केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) के शुरू होने से ग्राहकों को भौतिक कागजी कार्रवाई या शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना खाता खोलने की सुविधा मिलती है, जिससे कागज के उपयोग में कमी आती है।
- उन्नत इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में पुनः के.वाई.सी., इलेक्ट्रॉनिक वन-टाइम सेटलमेंट और नामांकन में संशोधन की सुविधाएं शामिल हैं, जिससे कागज पर निर्भरता कम हो गई है।
- वर्चुअल डेबिट कार्ड के शुरू होने से, जो भौतिक कार्ड के बिना सुरक्षित ई-कॉमर्स लेनदेन में सहायता हुई है।

3. मोबाइल और डिजिटल बैंकिंग

- मोबाइल बैंकिंग लेनदेन वित्त वर्ष 2023 में 152.82 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 169.70 लाख हो गया और इसी अवधि में इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन 163.14 लाख से बढ़कर 170.52 लाख हो गया, जो डिजिटल चैनलों की ओर बढ़ते बदलाव को दर्शाता है।
- यूनिवर्सल ऐप (सेन्ट एनईओ) और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) को लागू करने से ऋण प्रसंस्करण और अन्य बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से पूरा करने में सुविधा होगी।



सतत वित्तपोषण पर हमारा ध्यान विद्युत वाहनों और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तारित है, जो पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देता है।

4. आपातकालीन कृषि ऋण और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण

- बैंक ने वंचित वर्गों के लिए विशिष्ट डिजिटल पहल शुरू की है, जिसमें आपातकालीन कृषि ऋण और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण शामिल हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

नैसर्गिक पूंजी पर प्रभाव

बैंक के डिजिटल परिवर्तन ने विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से कागज के उपयोग और ऊर्जा खपत को कम करके नैसर्गिक पूंजी पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

पेपरलेस बैंकिंग पहल

- वीडियो केवाईसी और डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन जैसे डिजिटल बैंकिंग समाधानों को अपनाने से कागज पर निर्भरता काफी कम हो गई है।
- नकदी जमा के लिए ग्रीन चैनल की शुरुआत, जहां ग्राहक कागज-आधारित पर्चियों के बजाय मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं, इससे कागज की खपत और कम हो जाती है।
- एम-पासबुक पहल पारंपरिक पासबुक के स्थान पर डिजिटल संस्करण है, जिससे ग्राहक अपने खाता विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार कर सकते हैं, जिससे कागज के उपयोग में काफी कमी आती है।
- एटीएम के माध्यम से, डेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन जनरेशन ग्राहकों को ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) के माध्यम से डिजिटल रूप से अपने पिन बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे कागज आधारित पिन मेलर्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

ऊर्जा कुशल आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर

- आईएसओ प्रमाणित डेटा केंद्रों सहित बैंक की आईटी अवसंरचना, ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करते हुए परिचालन दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।
- बढ़ते डिजिटल लेनदेन को संभालने के लिए नेटवर्क और कंप्यूटिंग अवसंरचना को उन्नत करने से प्रणाली दक्षता में सुधार करके ऊर्जा बचत में योगदान मिलता है।

डिजिटल पहल के माध्यम से सततता

बैंक हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से परिचालन दक्षता बढ़ाने की दिशा में आगे की पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और हरित और अधिक सतत भविष्य की ओर बदलाव का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयास शामिल हैं।

फिनटेक नवाचारों के माध्यम से नैसर्गिक पूंजी को बढ़ाना

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नैसर्गिक पूंजी को बढ़ाने के लिए फिनटेक नवाचारों का रणनीतिक रूप से लाभ उठाया है। बैंक ने रणनीतिक साझेदारी और लक्षित तकनीकी प्रगति के माध्यम से स्थायी वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और परिचालन दक्षता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिससे हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का सृजन करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है।

रणनीतिक फिनटेक साझेदारी

नवोन्मेषी कंपनियों के साथ सहयोग:

- डिजिटल दस्तावेज निष्पादन और डिजिटल ऋण के लिए एपीआई: बैंक ने डिजिटल दस्तावेज निष्पादन की सुविधा के लिए दो फिनटेक कंपनियों के साथ एकीकरण किया है और एपीआई के माध्यम से ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। यह सहयोग दक्षता को बढ़ाता है और कागज और अन्य भौतिक संसाधनों के उपयोग को कम करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।
- वेलथ मैनेजमेंट सेवाएँ: डिजिटल वेलथ मैनेजमेंट सेवाओं के विस्तार से बैंक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई तरह के निवेश उत्पाद और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने की सुविधा मिलती है। इसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण, वित्तीय नियोजन सेवाएँ और बाजार की जानकारी शामिल है, जो सभी डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं।



बैंक ने वित्तीय समावेशन में वृद्धि के लिए आपातकालीन कृषि ऋण और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण सहित वंचित वर्गों को लक्षित करते हुए विशिष्ट डिजिटल पहल शुरू की है। बैंक के डिजिटल परिवर्तन ने विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से कागज के उपयोग और ऊर्जा की खपत को कम करके नैसर्गिक पूंजी पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

जीआरआई 203-1



हम अपने सतत वित्तपोषण के द्वारा, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यनीतियाँ विकसित कर रहे हैं।



जलवायु जोखिम प्रबंधन को हमारी व्यावसायिक रणनीति में एकीकृत करके, सेन्ट्रल बैंक इंडिया जलवायु-संबंधी व्यवधानों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करता है, जो हमें सतत वित्तपोषण में अग्रणी बनाता है।

- » एमएसएमई के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अनुकूलित डिजिटल समाधान वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करते हैं और ऋण तक पहुँच में सुधार करते हैं, जिससे व्यवसाय की वृद्धि और स्थिरता को समर्थन मिलता है।

डिजिटल यात्रा विकास:

- » डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए माइक्रोसर्विस-आधारित वास्तुकला का विकास, जिससे अधिक मापनीयता, लचीलापन और रखरखाव में आसानी हो।
- » अनुप्रयोग एकीकरण और परिनियोजन के लिए स्वचालित उपकरणों का क्रियान्वयन बैंक के आईटी बुनियादी ढांचे की दृढ़ता को बढ़ाता है।

धन प्रबंधन:

- » व्यापक डिजिटल धन प्रबंधन सेवाएँ ऑनलाइन निवेश उत्पाद और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिससे कुशल और टिकाऊ वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है।

कृषि ऋण:

- » आपातकालीन कृषि ऋण सहित वंचित क्षेत्रों को लक्षित करने वाली विशिष्ट डिजिटल पहल, ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और भौतिक दस्तावेजीकरण और शाखा विजिट की आवश्यकता को कम करके वित्तीय समावेशन और स्थिरता को बढ़ाती हैं।

नैसर्गिक पूंजी पर प्रभाव

कागज़ के उपयोग और ऊर्जा खपत में कमी:

- » डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन और स्वचालित ऋण प्रसंस्करण जैसे डिजिटल बैंकिंग समाधानों को अपनाने से कागज़ के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई है। एमएसएमई के लिए डिजिटल ऋण और दस्तावेज निष्पादन के लिए फिनटेक समाधानों के एकीकरण

जैसी पहलों ने बैंक के परिचालन के पर्यावरणीय हस्तक्षेप को कम किया है।

- » आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्रों और उन्नत नेटवर्क और कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित ऊर्जा-कुशल आईटी अवसंरचना को लागू करने से अनुकूलित ऊर्जा उपयोग और कम ऊर्जा खपत सुनिश्चित होती है।

डिजिटल पहलों के माध्यम से सततता:

डिजिटल परिवर्तन, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के माध्यम से कुशल संसाधन उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

ऊर्जा समाधानों का एकीकरण, जैसे छत पर सौर पैनल और ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था, बैंक के कार्बन पदचिह्न को कम करता है और बैंकिंग क्षेत्र में सततता के लिए एक मानक स्थापित करता है।

आईटी आर्किटेक्चर और फिनटेक एकीकरण के माध्यम से नैसर्गिक पूंजी को बढ़ावा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की उन्नत आईटी आर्किटेक्चर और फिनटेक नवाचारों को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता ने नैसर्गिक पूंजी को काफी हद तक बढ़ाया है। एआई, एमएल, ब्लॉकचेन और आरपीए जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर, बैंक ने परिचालन दक्षता में सुधार किया है, ऊर्जा की खपत को कम किया है और कागज के उपयोग को कम किया है। ये पहल न केवल स्थायी वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती हैं, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र के भीतर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उच्च मानक भी स्थापित करती हैं। ये पहल परिचालन को सुव्यवस्थित करती हैं, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं और स्थायी वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती हैं।

आईटी आर्किटेक्चर संवर्द्धन

अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन तकनीक का कार्यान्वयन:

- » अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम: अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का एकीकरण कई संस्थानों में ग्राहकों के वित्तीय डेटा का एक समेकित दृश्य प्रदान करता है, जिससे कागज के उपयोग को कम करते हुए वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।
- » ब्लॉकचेन तकनीक: सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन प्रसंस्करण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से डेटा अखंडता और सुरक्षा बढ़ती है, जिससे धोखाधड़ी और परिचालन अक्षमताओं का जोखिम कम होता है।

व्यवसाय मॉडलिंग और संसाधन दक्षता के लिए एआई / एमएल का उपयोग:

- » आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML): व्यवसाय मॉडलिंग में पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए एआई और एमएल का उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करता है, जिससे संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग होता है और परिचालन अपशिष्ट कम होता है।
- » ग्राहक सेवा में एआई: ग्राहक पूछताछ को संभालने के लिए एआई -संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट को लागू करने से भौतिक शाखा विजिट और संबंधित संसाधन खपत की आवश्यकता कम हो जाती है।

रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (आरपीए)

ऊर्जा खपत को कम करने और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं का स्वचालन:

- » आरपीए कार्यान्वयन: डेटा प्रविष्टि, लेनदेन प्रसंस्करण और अनुपालन जांच जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने से परिचालन दक्षता बढ़ती है और ऊर्जा खपत में काफी कमी आती है।
- » ऊर्जा बचत: स्वचालित प्रक्रियाओं को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बैंक के सततता लक्ष्यों में योगदान देता है।

अतिरिक्त आईटी और फिनटेक पहल

डिजिटल ग्राहक ऑनबोर्डिंग और उन्नत डिजिटल सेवाएँ:

- » वीडियो केवाईसी: वीडियो केवाईसी के शुरु होने से दूर स्थित ग्राहक को ग्राहक ऑनबोर्डिंग की सुविधा मिलती है, जिससे भौतिक कागजी कार्रवाई और शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, कागज के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आती है और ग्राहक सुविधा में वृद्धि होती है।
- » डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म: डिजिटल चैनलों के माध्यम से एंड-टू-एंड ऋण प्रसंस्करण के लिए डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म की शुरुआत, क्रेडिट मूल्यांकन के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स का उपयोग, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और पारंपरिक ऋण प्रसंस्करण से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।

उन्नत आईटी अवसंरचना और साइबर सुरक्षा उपाय:

- » आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्र: बैंक के आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्र ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करते हुए और कोर बैंकिंग समाधान, व्यापार वित्त और ट्रेजरी समाधान जैसी महत्वपूर्ण आईटी परियोजनाओं का समर्थन करते हुए परिचालन दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।

जीआरआई 302-5



खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने से वित्तीय पारदर्शिता डेटा सुरक्षा और परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है। पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के लिए एआई और एमएल का उपयोग संसाधन आवंटन को अनुकूलित करता है और परिचालन अपशिष्ट को कम करता है।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे में ईएसजी और जलवायु जोखिम आकलन को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित की है

- » साइबर सुरक्षा संवर्द्धन: साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) की स्थापना और आईएसओ 27001 और पीसीआई-डीएसएस जैसे नियामक मानकों का निरंतर अनुपालन साइबर खतरों से सूचना प्रणालियों और ग्राहक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

भावी डिजिटल पहल:

- » ग्रीन चैनल कैश डिपॉजिट: ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से नकद जमा के लिए संदर्भ संख्या उत्पन्न करने में सक्षम बनाना, कागज-आधारित पर्चियों की आवश्यकता को कम करना।
- » इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल: ग्राहकों को डेबिट कार्ड के बिना एटीएम से नकदी निकालने की अनुमति देना, प्लास्टिक कचरे को कम करते हुए सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाना।

मेट्रिक्स और लक्ष्य

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेट्रिक्स और लक्ष्यों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों का आकलन करने के लिए स्पष्ट मेट्रिक्स स्थापित करके, सतत वित्त और कार्बन तटस्थता के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके और जीएचजी उत्सर्जन और ऊर्जा खपत पर विस्तृत रिपोर्टिंग को लागू करके, बैंक सतत वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने और नैसर्गिक पूंजी को बढ़ाने में अग्रणी है। इस तंत्र में सतत वित्त और कार्बन तटस्थता के लिए विशिष्ट मेट्रिक्स और लक्ष्य शामिल हैं, जो नैसर्गिक पूंजी को बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।

जीआरआई 305



हमारे डिजिटलीकरण ने परिचालन दक्षता को बढ़ाया है और कागज के उपयोग और ऊर्जा की खपत को कम करके पर्यावरणीय सततता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मूल्यांकन और रिपोर्टिंग

जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों का आकलन करने के लिए मेट्रिक्स:

- » संचालन संरचना: बैंक ने स्थिरता से संबंधित जोखिमों और अवसरों को समझने और प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक संरचना स्थापित की है। इसमें स्थिरता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के प्रति बैंक की रणनीति को डिजाइन करने और उसकी देखरेख करने के लिए ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) पर एक टास्क फोर्स शामिल है।
- » जलवायु जोखिम विश्लेषण: बैंक उधारकर्ताओं को वर्गीकृत करने और संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए निवारक और प्रतिक्रियात्मक उपायों को लागू करने के लिए विस्तृत जलवायु जोखिम विश्लेषण करता है। इसमें ईएसजी जोखिमों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करना और परिचालन, अनुपालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों जैसे वास्तविक जोखिमों पर कार्य करना शामिल है।
- » आवधिक रिपोर्टिंग: बैंक अपने प्रदर्शन मेट्रिक्स पर प्रासंगिक जानकारी का प्रतिवर्ष प्रकटीकरण करेगा, जिससे विभिन्न हितधारकों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसमें ईएसजी प्रदर्शन की निगरानी के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) और मेट्रिक्स की स्थापना, नियमित ऑडिट और मूल्यांकन करना और व्यापक ईएसजी रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

सतत वित्त और कार्बन तटस्थता के लिए लक्ष्य:

- » **2028 तक शुद्ध शून्य:** बैंक का लक्ष्य 2028 तक स्कोप 1 जीएचजी उत्सर्जन के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना है। यह लक्ष्य बैंक की व्यापक ईएसजी रणनीति का हिस्सा है और पेरिस समझौते और ग्लासगो जलवायु संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ संरेखित है।
- » **स्कोप 1, 2 और 3 उत्सर्जन:** बैंक ने स्कोप 1 (नियंत्रित स्रोतों से प्रत्यक्ष उत्सर्जन), स्कोप 2 (खरीदी गई बिजली की खपत से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन) और स्कोप 3 (अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन) को कम करने के लिए विशिष्ट रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की है।



ऊर्जा खपत और जीएचजी मेट्रिक्स

वित्त वर्ष 2023 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कुल ऊर्जा खपत 627.03 लाख किलो वाट घंटा थी। वित्त वर्ष 2024 तक, यह आँकड़ा बढ़कर 702.00 लाख किलो वाट घंटा हो गया, जो वर्ष भर में ऊर्जा उपयोग में मामूली वृद्धि दर्शाता है। बैंक ने अपने ईएसजी पहलों के भाग के रूप में अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किए हैं। इन उपायों में कई शाखाओं और क्षेत्रों में सौर उपकरण लगाना शामिल है, जो बैंक के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने और जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों में योगदान करते हैं।

ये पहल 2028 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। अपने ऊर्जा पदचिह्न को कम करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता ऊर्जा-कुशल उपकरणों में इसके निरंतर निवेश, प्राकृतिक प्रकाश और शीतलन का उपयोग करने वाले स्थान बनाने और ऊर्जा खपत को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए नियमित ऊर्जा ऑडिट आयोजित करने से स्पष्ट होती है। वित्त वर्ष 2024 तक, बढ़ी हुई ऊर्जा खपत बैंक की बढ़ती परिचालन मांगों को प्रकट करती है, लेकिन यह ऊर्जा प्रबंधन और स्थिरता प्रथाओं में निरंतर और उन्नत प्रयासों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

» **स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन:** बैंक अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन को सालाना मापता है और रिपोर्ट करता है। इसमें सीधे नियंत्रित स्रोतों से उत्सर्जन और खरीदी गई बिजली की खपत शामिल है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी व्यापक स्थिरता रणनीति के हिस्से के रूप में अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। बैंक अपने पर्यावरणीय प्रभाव को समझने और कम करने के लिए अपने स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन को ट्रैक करता है। स्कोप 1 उत्सर्जन नियंत्रित स्रोतों से प्रत्यक्ष उत्सर्जन को कवर करता है, जबकि स्कोप 2 उत्सर्जन खरीदी गई बिजली की खपत से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को शामिल करता है। नीचे पिछले तीन वर्षों के लिए बैंक के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन डेटा का सारांश दिया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 के लक्ष्य भी शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष	दायरा 2 उत्सर्जन (लाख किलो वाट घंटा)
विव 2020-21	598.06
विव 2021-22	597.03
विव 2023-24	-
विव 2025	वित्त वर्ष 2023-24 से 50% तक की कमी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऊर्जा-कुशल उपायों को लागू करके और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करके अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सक्रिय दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण और परिचालन दक्षता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ऊर्जा खपत: बैंक अपनी ऊर्जा खपत पर नज़र रखता है और उसने बिजली के उपयोग को काफी कम करने के लिए उपाय लागू किए हैं। इसमें सौर पैनल लगाना और डीजल जनरेटर की जगह इनवर्टर लगाना शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग: बैंक ने अपने परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को एकीकृत किया है। इसमें छत पर सौर पैनल लगाना और अपनी शाखाओं और कार्यालयों में हरित ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना शामिल है।

- » **वित्त वर्ष 2025 का लक्ष्य:** स्कोप 1 उत्सर्जन: बैंक का लक्ष्य पांच साल के भीतर सभी डीजल जनरेटर को ऊर्जा-कुशल इनवर्टर से और सभी पेट्रोल/डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और सीएनजी-आधारित वाहनों से बदलना है।
- » **वित्त वर्ष 2025 का लक्ष्य:** बैंक अगले पांच वर्षों में बिजली के नवीकरणीय/टिकाऊ/हरित स्रोतों में बदलाव करके और ऊर्जा-कुशल उपायों को लागू करके वर्ष 2023-24 के सापेक्ष अपने स्कोप 2 उत्सर्जन को 50% तक कम करने की योजना बना रहा है।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों, ऊर्जा कुशल उपकरणों और नियमित ऊर्जा ऑडिट के माध्यम से 2028 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और परिचालन दक्षता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जीआरआई 303

जल संरक्षण उपाय:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जल उपयोग को अनुकूलित करने और सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं। यह जानते हुए कि बैंकिंग परिचालन में जल की आवश्यकता नहीं है, बैंक ने अपने परिसर के भीतर जल के कुशल उपयोग और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। प्राथमिक उपायों में जल प्रवाह को नियंत्रित करने और अपव्यय को कम करने के लिए मूत्रालयों और नल/नलों पर सेंसर लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बैंक कम प्रवाह वाले जुड़नार जैसी जल-बचत तकनीकों में निवेश कर रहा है।

अपने संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक ने अपने कई स्वामित्व वाले परिसरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू की है। पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति यह सक्रिय दृष्टिकोण व्यापक स्थिरता प्रथाओं की ओर उनकी यात्रा को औपचारिक रूप देने से पहले ही अपनाया गया था। नगरपालिका द्वारा जल आपूर्ति बैंक के संचालन में पानी के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

ये उपाय सामूहिक रूप से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदार जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं, जो इसके व्यापक पर्यावरणीय और स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

अपशिष्ट प्रबंधन उपाय

जीआरआई 306

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित कई पहलों को लागू किया है, जिसमें अपशिष्ट कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण के सिद्धांतों का पालन किया गया है। यहाँ मुख्य उपाय दिए गए हैं:

कागज़ की बर्बादी में कमी

» **डिजिटल परिवर्तन:** बैंक ने दस्तावेजों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने के लिए एक दस्तावेज ज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) को एकीकृत किया है, जिससे कागज़ के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अतिरिक्त, कागज़ के बिना आवेदनों की एंड-टू-एंड आईटी -आधारित प्रोसेसिंग की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म लागू किए जा रहे हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

» **कार्य योजना:** बैंक ने प्लास्टिक की बोतलों की जगह कांच की बोतलों का उपयोग करके, बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कप और टम्बलर का उपयोग करके और टिकाऊ स्रोतों से कार्यालय स्टेशनरी खरीदकर प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करने की योजना विकसित की है। प्लास्टिक के बजाय बांस/कागज़ के फोल्डरों का उपयोग किया जाता है, और सम्मेलनों और सेमिनारों में जूट/कागज़/कपड़े के थैलों का उपयोग किया जाता है।

ई-कचरा प्रबंधन

प्रभावी नीति: बैंक पुराने कंप्यूटर, हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों को नष्ट करने के लिए एक प्रभावी ई-कचरा नीति का अनुपालन करता है, जो 2010 के ई-कचरा (प्रबंधन और हैंडलिंग) विनियमन के साथ संरेखित है। बैंक ई-कचरा प्रबंधन के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना को भी बढ़ावा देता है।

o वित्त वर्ष 2022-23: 5.45 लाख

o वित्त वर्ष 2023-24: 9.00 लाख

सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन

» **3आर रणनीति:** बैंक मुख्य रूप से सूखे अपशिष्ट (कागज़), गीले अपशिष्ट (कैफेटेरिया) और ई-कचरे का निपटान करता है। यह अपशिष्ट को कम करने के लिए 3 आर रणनीति- कम करें, पुनः उपयोग करें और रीसाइकिल करें- का पालन करता है। इन प्रयासों में डीएमएस एकीकरण के माध्यम से पेपरलेस वातावरण में संक्रमण और कागज़ के उपयोग को कम करने के लिए आवेदनों के एंड-टू-एंड आईटी-आधारित प्रसंस्करण शामिल है।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने व्यापक पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए, नलों पर सेंसर लगाकर, कम प्रवाह वाले उपकरणों में निवेश करके, तथा वर्षा जल संचयन प्रणालियों को लागू करके जिम्मेदार जल प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।



ये उपाय बैंक की व्यापक पर्यावरणीय स्थिरता पहलों का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य इसके पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करना और एक हरित, अधिक टिकाऊ परिचालन मॉडल को बढ़ावा देना है।

संधारणीय सोर्सिंग

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अपनी आपूर्ति श्रृंखला और खरीद प्रक्रियाओं में संधारणीयता को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संधारणीयता लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, बैंक ने एक व्यापक संधारणीय सोर्सिंग नीति स्थापित की है। यह नीति पर्यावरण और सामाजिक विचारों को खरीद प्रथाओं में एकीकृत करती है, जिसमें पुनर्चक्रित, पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा-कुशल और स्थानीय रूप से प्राप्त उत्पादों की खरीद पर जोर दिया जाता है।

बैंक उत्सर्जन को कम करने और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार प्रथाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं से प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, श्रम कानूनों का पालन और मानवाधिकारों की सुरक्षा जैसी संधारणीय प्रथाओं को अपनाने का आग्रह किया जाता है। अनुपालन सुनिश्चित करने और संधारणीय प्रथाओं का समर्थन करने के लिए, सभी खरीद पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से की जाती है। विशेष रूप से, बैंक पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देता है, जिसमें प्लास्टिक के बजाय कांच की बोतलें, बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कप और संधारणीय कार्यालय स्टेशनरी शामिल हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मापदंडों के तहत प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम करता है। इस सहयोग में विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए एक रूपरेखा और आचार संहिता विकसित करना शामिल है, ताकि संधारणीय सोर्सिंग प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। बड़े उधारकर्ताओं के लिए संभावित जलवायु और भूभौतिकीय खतरों का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) आयोजित किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खरीद निर्णय पर्यावरण के लिए सही हों। इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी खरीद रणनीति में रोजगार सृजन और श्रम कानूनों के अनुपालन जैसे सामाजिक कारकों पर विचार करता है।

ये पहल संधारणीय सोर्सिंग और जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए बैंक की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इन प्रथाओं को अपने व्यापक ईएसजी लक्ष्यों के साथ जोड़कर, बैंक 2028 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

जीआरआई 204, जीआरआई 308,
जीआरआई 414



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की सतत सोर्सिंग नीति पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा कुशल एवं स्थानीय रूप से प्राप्त उत्पादों को प्राथमिकता देती है, जो जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और 2028 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के इसके दृष्टिकोण को दर्शाती है।

संबंध एवं सामाजिक संपदा : समुदायों का सशक्तिकरण, विश्वास वृद्धि



यूएनएसडीजी:



व्यावसायिक स्तंभ:



बिजनेस मॉडल कैनवास:



मटेरियल इश्यू:

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
18, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34,
36, 38, 40, 42, 44

जीआरआई सरेखण:

102, 103, 201, 203, 302, 304, 305,
401, 403, 404, 405, 413, 418



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में, हम मानते हैं कि दृढ़ संबंध एवं दृढ़ सामाजिक संपदा हमारी सफलता की आधारशिलाएं हैं। जब हम पिछले वर्ष के कार्यों पर विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि हितधारकों के साथ सहबद्धता की हमारी प्रतिबद्धता - चाहे वे कर्मचारी हों, ग्राहक हों, नियामक हों, शेयरधारक हों, या व्यापक समुदाय के सदस्य हों - वे विश्वास वृद्धि करने और विकास को सतत आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं। यह अध्याय उन विभिन्न पहलों और कार्यनीतियों पर प्रकाश डालता है जिन्हें हमने इन संबंधों को दृढ़ करने हेतु लागू किया है। यह अधिक संवेदनशील एवं समावेशी संस्थान बनने की दिशा में हमारी यात्रा पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालता है। हितधारक जुड़ाव, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, डिजिटल परिवर्तन, उत्तरदायी विपणन, डेटा गोपनीयता, कर्मचारी विकास और सामुदायिक समर्थन को प्राथमिकता देकर, हमने नैतिक प्रथाओं और दीर्घकालिक सफलता हेतु अपनी परिचालन क्षमताओं और निष्ठा को बढ़ाया है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम निरंतर नवाचार और अपने हितधारकों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से सकारात्मक, स्थायी परिवर्तन लाने के अपने मिशन में सुदृढ़ हुये हैं।

हितधारकों की सहबद्धता

(जीआरई 102-3)

सहबद्धता की रणनीतियाँ

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया मजबूत हितधारक संबंधों के महत्व पर जोर देता है। बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों, नियामकों, शेयरधारकों और समाज सहित प्रमुख हितधारकों को सम्मिलित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को नियोजित करता है। ये कार्यनीतियाँ प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई हैं।

के बारे में

कार्यनीति

सूची

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय



वित्त वर्ष 2024 में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की कर्मचारी प्रतिधारण दर 99.46% के प्रभावशाली स्तर तक बढ़ गई, जो बेमिसाल रोजगार संतुष्टि और सहबद्धता को परिलक्षित करता है।

कर्मचारी: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया नियमित स्टाफ बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों एवं फीडबैक प्रणाली के माध्यम से एक सहयोगात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है। बैंक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन करता है तथा कर्मचारियों को सहबद्ध रखने एवं प्रेरित करने के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करता है।

ग्राहक: बैंक ग्राहक सर्वेक्षण, सोशल मीडिया परस्पर संवाद और व्यक्तिगत बैठकों जैसे फीडबैक चैनलों का उपयोग करके ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सहज बैंकिंग अनुभव बनाने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने एवं सेवा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

नियामक: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया औपचारिक बैठकों, अनुपालन रिपोर्टों एवं परामर्शों के माध्यम से नियमित रूप से नियामक निकायों के साथ संवाद करता है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन हो और किसी भी नये परिवर्तन को तत्परता से पूर्ण कर सके।

शेयरधारक: शेयरधारक सहबद्धता वार्षिक आम बैठकों, त्रैमासिक वित्तीय रिपोर्टों और ईमेल और निवेशक हेल्पलाइन जैसे प्रत्यक्ष संचार चैनलों के माध्यम से प्राप्त होती है। बैंक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और शेयरधारकों को वित्तीय कार्यनिष्पादन और कार्यनीतिक पहलों के विषय में सूचित करता है।

समाज: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से समाज के साथ व्यापक रूप से जुड़ता है। बैंक सामाजिक कल्याण एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ करते हुए विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं एवं सामाजिक विषयों का समर्थन करता है।



मंच और आवधिकता (जीआरई 103-4)

प्रभावी एवं सामयिक संवाद सुनिश्चित करने हेतु, हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न मंचों का उपयोग करता है।

हितधारक समूह	मंच	आवधिकता	प्रमुख मेट्रिक्स वित्त वर्ष 2024
कर्मचारी	इंट्रानेट, ईमेल, बैठकें, प्रशिक्षण	साप्ताहिक, तिमाही	प्रतिधारण दर: 99.46%, प्रशिक्षण कवरेज: 91.83%
ग्राहक	सोशल मीडिया, सर्वेक्षण, शाखा दौरा	दैनिक, अर्ध-वार्षिक	एनपीएस: +15%, शिकायतों का समाधान: 95% (सामान्य प्रतिक्रिया)
नियामक	बैठकें, रिपोर्ट	मासिक, तिमाही	अनुपालन मुद्दे: 0 (सामान्य अनुपालन)
शेयरधारक	बैठकें, रिपोर्ट, ईमेल, वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्तियां	वार्षिक, त्रैमासिक, सतत	स्टॉक मूल्य वृद्धि: वित्तीय पूंजी पृष्ठ 62 देखें, एजीएम में भागीदारी, कॉफ्रेंस कॉल, विश्लेषक दिवस और दलालों द्वारा व्यवस्थित कॉर्पोरेट संपर्क दिवस. वेबसाइट पर निवेशक समर्पित पृष्ठ
समाज	सीएसआर गतिविधियां, घोषणाएं	मासिक, सतत	सीएसआर व्यय: वर्णित सामान्य प्रतिबद्धता, हरित परियोजना निवेश: वर्णित सामान्य प्रतिबद्धता

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रणनीति एवं व्यवस्थित हितधारक सहबद्धता एक सहयोगी, पारदर्शी और उत्तरदायी बैंकिंग वातावरण को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक सिद्ध हुई है। ये प्रयास अपने हितधारकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं और इसके सतत विकास और दीर्घकालिक सफलता को आगे बढ़ाते हैं।

परिणाम और प्रभाव (जीआरई 104-5)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई सहभागिता पहलों के महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, हितधारकों के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं और विश्वास स्थापित हुआ है।

कर्मचारी मनोबल में वृद्धि : नियमित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप अधिक कुशल और प्रेरित कार्यबल प्राप्त हुआ है। कर्मचारी प्रतिधारण दर वित्त वर्ष 2023 में 98.63% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 99.46% हो गई, जो बेहतर रोजगार संतुष्टि का संकेतक है।

नियामक अनुपालन: नियामकों के साथ सक्रिय जुड़ाव ने यह सुनिश्चित किया है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। वित्त वर्ष 2024 में कोई महत्वपूर्ण दंड या अनुपालन संबंधी समस्याएं सूचित नहीं की गईं, जो पर्याप्त नियामक पालन को दर्शाता है।

शेयरधारक का वर्धित विश्वास: पारदर्शी संचार और लगातार वित्तीय प्रदर्शन ने शेयरधारक का विश्वास बढ़ाया है। वर्ष के दौरान बैंक के शेयर की कीमत में काफी वृद्धि हुई, जो सकारात्मक बाजार धारणा और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए वित्तीय पूंजी पेज 62।

सामाजिक प्रभाव: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीएसआर पहल ने समाज पर एक ठोस प्रभाव डाला है। उदाहरणार्थ अपने "ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट" कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता में बैंक के योगदान को अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। बैंक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप हरित परियोजनाओं में सक्रिय रूप से निवेश करता है।

99.46%

कर्मचारी प्रतिधारण दर

वित्त वर्ष 2024 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 99.46% की प्रभावशाली कर्मचारी प्रतिधारण दर प्राप्त की है, जो रोजगार के प्रति अत्यधिक संतुष्टि एवं प्रभावी सहबद्धता कार्यनीति का संकेत देती है।

शून्य

अनुपालन प्रकरण

वित्त वर्ष 2024 में कोई महत्वपूर्ण अनुपालन प्रकरण सामने नहीं आए, जो नियामक आवश्यकताओं के प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

₹8.31 करोड़

कुल सीएसआर व्यय

समुदाय और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सीएसआर गतिविधियों में ₹8.31 करोड़ का निवेश किया.



कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं सामाजिक विकास

प्रमुख मेट्रिक्स का सारांश

हितधारक समूह	मंच
कुल सीएसआर व्यय	₹8.31 करोड़

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कार्यनीति एवं प्रभावशाली सीएसआर पहल एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक होने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इन प्रयासों से न केवल विभिन्न हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि जिन समुदायों की यह सेवा करता है, उनके साथ बैंक के रिश्ते भी मजबूत होते हैं, जिससे एक स्थायी और समावेशी विकास के वातावरण को बढ़ावा मिलता है.

जीआरई 102-3

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, जिस समाज की सेवा करता है उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के अपने मिशन के बुनियादी पहलू के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को प्राथमिकता दी है. वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीएसआर गतिविधियों ने नैतिक प्रथाओं और सतत विकास के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और समाज कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया.

(जीआरई 301-1)

सामुदायिक विकास

बैंक ने जीवन स्तर में सुधार लाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया. इन पहलों में स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना और विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करना शामिल था. बैंक ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक सहायता मिले.



शिक्षा पहल

सेन्ट्रल बैंक ने वंचित बच्चों के लिए लक्षित शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन किया. बैंक ने छात्रवृत्ति, स्कूल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे में सुधार प्रदान करने के लिए स्थानीय स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की. इन प्रयासों से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई और वंचित बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित हुई.

स्वास्थ्य सेवा पहल

स्वास्थ्य सेवा बैंक हेतु एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. बैंक ने मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों को वित्त पोषित किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते थे. ये क्लीनिक सामान्य स्वास्थ्य जांच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और रोग जांच की उपलब्ध कराते हैं. इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने टीकाकरण, आंखों की जांच एवं दंत चिकित्सा देखभाल सहित निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया.

वित्तीय साक्षरता और शिक्षा

बैंक ने विभिन्न जनसांख्यिकी के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु कई कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित किए, मुख्यतः वंचित क्षेत्रों में व्यक्तियों एवं लघु व्यवसायों को लक्षित किया. इन शैक्षिक कार्यक्रमों ने बजट, बचत एवं निवेश रणनीतियों पर आवश्यक जानकारियां दीं, प्रतिभागियों को वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाने हेतु सूचित किया गया. बैंक ने कई राज्यों में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र

(एफएलसीसी) और सामुदायिक वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) स्थापित किए.

पर्यावरणीय स्थिरता

पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक ने कई स्थिरता परियोजनाएँ शुरू कीं. इनमें वृक्षारोपण अभियान, सफाई अभियान और बैंक के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की पहल शामिल हैं. विशेष रूप से, "ग्रीन बैंकिंग" कार्यक्रम ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा दिया, जिससे कागज के उपयोग और बर्बादी में काफी कमी आई.

वित्तपोषण और सहायता

(जीआरई 302-2)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सामुदायिक विकास पहलों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए. यह प्रतिबद्धता विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण और समर्थन में परिलक्षित होती है.

वित्त आवंटन

- » वित्त वर्ष 2024 के लिए कुल सीएसआर व्यय: ₹8.31 करोड़ .
- » शिक्षा पहल: छात्रवृत्ति, विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार और शैक्षणिक सामग्री के लिए निधि.
- » स्वास्थ्य देखभाल पहल: मोबाइल स्वास्थ्य

(जीआरई 102-3)

क्लीनिकों, स्वास्थ्य शिविरों और स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण वित्त पोषण.

- » वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: एफएलसीसी और सीएफएल में निवेश, साथ ही शैक्षणिक सामग्री एवं कार्यशालाओं का विकास.
- » पर्यावरण परियोजनाएं: वृक्षारोपण अभियान, सफाई अभियान और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण .

सहायता के प्रकार

- » वित्तीय सहायता: परियोजनाओं और साझेदारी के लिए प्रत्यक्ष वित्तपोषण.
- » वस्तुगत सहायता: सामग्री और संसाधनों का दान, जैसे विद्यालय हेतु सामग्री एवं चिकित्सा उपकरण.
- » मानव संसाधन: विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक प्रयास, जिससे बैंक की पहलों का प्रभाव बढ़ता है.

(जीआरई 103-4)

प्रभाव मेट्रिक्स

बैंक की सीएसआर पहलों का काफी प्रभाव पड़ा है, तथा इसके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं।

वित्तपोषण एवं लाभार्थी

» वित्त वर्ष 2024 के लिए कुल सीएसआर व्यय: ₹8.31 करोड़ .

(जीआरई 104-5)

प्रमुख परियोजनाएं**वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम**

बैंक की वित्तीय साक्षरता पहल इसकी सीएसआर रणनीति का आधार है, जिसका उद्देश्य समुदायों को आवश्यक वित्तीय ज्ञान से सशक्त बनाना है। बैंक का मानना है कि विशेषतः कम सेवा वाले क्षेत्रों में आर्थिक विकास एवं व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है, .

कार्यशालाएं और सेमिनार

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान महिलाओं, युवाओं एवं छोटे व्यवसाय मालिकों सहित विभिन्न जनसांख्यिकी को लक्षित करते हुए कई कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए। इन कार्यक्रमों को कई विषयों को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था:

- » **बजट बनाना:** प्रतिभागियों को बजट निर्धारित करके और उसका पालन करके अपने वित्त का प्रबंधन करना सिखाना।
- » **बचत:** बचत के महत्व और उपलब्ध विभिन्न बचत साधनों पर जोर देना।
- » **निवेश कार्यनीतियां:** प्रतिभागियों को निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड सहित विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- » **डिजिटल बैंकिंग:** प्रतिभागियों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लाभ व उपयोग के बारे में शिक्षित करना, वित्त प्रबंधन में उनकी सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाना।

ये सत्र स्थानीय सामुदायिक केंद्रों, विद्यालयों एवं गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से आयोजित किए गए। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के

लिए अपनी शाखाओं के नेटवर्क का भी लाभ उठाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे वंचित आबादी भी इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके।

पर्यावरण अभियान

बैंक ने विभिन्न अभियानों व पहलों के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता के लिए ठोस प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को पहचानते हुए, बैंक ने ऐसी परियोजनाएं लागू कीं जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करती हैं और समुदाय को सतत प्रक्रिया में शामिल करती हैं।

वृक्षारोपण अभियान

बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कई वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। कर्मचारियों, ग्राहकों एवं स्थानीय समुदायों ने इन अभियानों में भाग लिया, हजारों पेड़ लगाए और पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई।

सफाई अभियान

बैंक ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई अभियान शुरू किए, जिसमें नदियों, उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन अभियानों में बैंक, स्थानीय समुदायों तथा गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक शामिल थे। कचरे को हटाने और उचित निपटान कार्यों को बढ़ावा देने के, इन प्रयासों ने स्थानीय पर्यावरण को बेहतर बनाने में सहायता की और प्रदूषण के प्रभाव के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाई।

हरित बैंकिंग कार्यक्रम

“हरित बैंकिंग” कार्यक्रम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक उल्लेखनीय पहल है, जो कागज़ के उपयोग को कम करने के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है। बैंक ने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कागज़ की बर्बादी में काफी कमी आई। इस पहल ने पर्यावरण संरक्षण में सहायता की और ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाया।

को बढ़ाया .**स्वास्थ्य देखभाल पहल**

स्वास्थ्य सेवा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सीएसआर



बैंक की वित्तीय साक्षरता पहलों में बजट, बचत निवेश कार्यनीतियों और डिजिटल बैंकिंग पर कार्यशालाएं शामिल हैं जो समुदायों विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में आवश्यक वित्तीय ज्ञान से सशक्त बनाती है।



बैंक के पर्यावरण अभियान जैसे वृक्षारोपण अभियान और सफाई अभियान कार्बन फुटप्रिंट को कम कराने के और समुदाय को स्थिर प्रथाओं में सम्मिलित करके पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक सुदृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।



प्रयासों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह समझना आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच एक मूलभूत आवश्यकता है। बैंक ने चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने और सामुदायिक स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं में निवेश किया है।

मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों को वित्तपोषित किया जिन्होंने ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच वाले समुदायों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं। इन क्लीनिकों में सामान्य स्वास्थ्य जांच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और सामान्य बीमारियों की जांच की जाती थी। इस पहल ने हजारों लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा मिलना सुनिश्चित किया है।

स्वास्थ्य शिविर

मोबाइल क्लीनिक के अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में रोकथाम देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें टीकाकरण, आंखों की जांच, दंत चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा सत्र शामिल थे। रोकथाम स्वास्थ्य सेवा

को बढ़ावा देकर, बैंक का उद्देश्य पुरानी बीमारियों की घटनाओं को कम करना और समग्र सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार करना था।

कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण

बैंक ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करके अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य व कल्याण को भी प्राथमिकता दी। बैंक ने अपने कर्मचारियों का हित सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, कल्याण कार्यक्रम और फिटनेस पहल की। यह अपने कर्मचारियों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और एक स्वस्थ व अधिक उत्पादक कार्य वातावरण में योगदान देता है।



मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक और स्वास्थ्य शिविरों सहित बैंक को स्वास्थ्य सेवा पहल आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है और ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में रोकथाम देखभाल को बढ़ावा देती है जिससे सामूहिक स्वास्थ्य और कल्याण में उल्लेखनीय सुधार होता है



बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को व्यापक स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान कर प्राथमिकता देता है।



बैंक की रणनीतिक भागीदारी के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024 में शून्य अनुपालनात्मक शिकायतें सामने आईं, जो नियामक अनुपालन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

(जीआरई 204-1)



डिजिटल परिवर्तन

सामाजिक पूंजी में भूमिका

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिजिटल परिवर्तन हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाने, सेवा वितरण में सुधार और परिचालन दक्षता बढ़ाने के माध्यम से सामाजिक और संबंध पूंजी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक की पहल का उद्देश्य एक सहज बैंकिंग अनुभव बनाना है, जिससे ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच विश्वास व निष्ठा बन सके।

ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को सुविधाजनक, 24/7 वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। यह परिवर्तन न केवल तकनीक-सेवी ग्राहक आधार की उभरती अपेक्षाओं को पूरा करता है, बल्कि ग्राहक संतुष्टि और प्रतिधारण को भी बढ़ाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत सेवाएं और शीघ्र लेनदेन प्रक्रिया को सक्षम करते हैं, जो सुदृढ़ ग्राहक संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

कर्मचारी सहभागिता को मजबूत बनाना

बैंक का डिजिटल परिवर्तन आंतरिक प्रक्रियाओं तक फैला हुआ है, जिससे कार्यकुशलता और कर्मचारी सहभागिता में सुधार होता है। डिजिटल उपकरण बेहतर संचार, प्रशिक्षण और कार्यनिष्पादन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कर्मचारी बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। उन्नत डिजिटल अवसंरचना दूरस्थ कार्य को भी समर्थन देती है, जिससे कर्मचारियों के बीच लचीलापन और अपने कार्य की संतुष्टि बढ़ती है।



सहभागिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के डिजिटल परिवर्तन प्रयासों ने हितधारकों के साथ जुड़ने, परिचालन को सुव्यवस्थित करने और बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की इसकी क्षमता को काफी सीमा तक बढ़ाया है। अपनी डिजिटल क्षमताओं में नवाचार और विस्तार जारी रखते हुए, बैंक अपने ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने एवं व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए अच्छी स्थिति में है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जिससे कुशल और प्रभावी संचार सुनिश्चित होता है।

प्लेटफॉर्म	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024	वृद्धि (%)
दैनिक औसत यूपीआई लेनदेन	55.47 लाख	77.43 लाख	39.59%
दैनिक औसत आईएमपीएस लेनदेन	3.94 लाख	4.76 लाख	20.81%
दैनिक औसत मोबाइल बैंकिंग	0.42 लाख	0.49 लाख	16.67%
दैनिक औसत इंटरनेट बैंकिंग	0.45 लाख	0.46 लाख	2.22%
पीओएस टर्मिनलों की संख्या	2,154	3,034	40.85%
एटीएम और कैश रिसाइकलर्स की संख्या	3,752	4,084	8.86%

40.85%

पीओएस टर्मिनलों में वृद्धि

(जीआरई 205-2)



बैंक के डिजिटल परिवर्तन प्रयासों ने हितधारकों के साथ इसके जुड़ाव को काफी बढ़ाया है, परिचालन को सुव्यवस्थित किया है और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं, जिसके परिणामस्वरूप दैनिक लेनदेन और डिजिटल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय



बैंक के मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म ने व्यापक और सुरक्षित सेवाओं की पेशकश करते हुए दैनिक लेन-देन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी एवं यूपीआई और आईएमपीएस प्लेटफॉर्म ने तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की, जिससे डिजिटल भुगतान अपनाने और ग्राहकों की सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई।



हमारे व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने 91.83% कर्मचारी प्रशिक्षण कवरेज हासिल किया, जिससे निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा मिला

मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग:

- » **उपयोग में वृद्धि:** दैनिक औसत मोबाइल बैंकिंग लेनदेन में 16.67% की वृद्धि हुई, और वित्त वर्ष 2024 में इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन में 2.22% की वृद्धि हुई।
- » **विशेषताएं:** ये प्लेटफॉर्म खाता प्रबंधन, बिल भुगतान, फंड ट्रांसफर और निवेश विकल्पों सहित व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जो ग्राहकों को सुविधाजनक और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करते हैं।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस):

- » **उपयोग वृद्धि:** यूपीआई लेनदेन में उल्लेखनीय 39.59% की वृद्धि देखी गई, जबकि आईएमपीएस लेनदेन में 20.81% की वृद्धि हुई।
- » **प्रभाव:** ये प्लेटफॉर्म तत्काल निधि अंतरण और भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे वित्तीय लेनदेन करने में आसानी होती है और ग्राहक डिजिटल भुगतान को अपनाते हैं।

डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म (डीएलपी):

- » **सुविधा:** डीएलपी ऋणों की एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग का समर्थन करता है, जिससे कागजी कार्रवाई और टर्नअराउंड समय कम होता है। यह प्लेटफॉर्म खुदरा और कृषि ऋण प्रदान करता है, जिससे विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए ऋण तक पहुँच में सुधार होता है।

वीडियो केवाईसी:

- » **रिमोट ऑनबोर्डिंग:** वीडियो केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) की शुरुआत से ग्राहक दूर से ही खाता खोल सकते हैं, जिससे शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह नवाचार ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाता है और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है।

भविष्य की योजनाएँ (जीआरआई 206-3)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हितधारक सहभागिता और सामुदायिक समर्थन को और

बढ़ाने के लिए कई आगामी डिजिटल पहलों की रूपरेखा तैयार की है।

ग्राहक लक्ष्यीकरण: ग्राहक लक्ष्यीकरण और सहभागिता को बढ़ाने के लिए उन्नत विपणन प्रौद्योगिकी समाधान और एक आधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन। ये पहल व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स और एआई का लाभ उठाएंगी।

विस्तारित सेवाएं: सेन्ट्रल एप्लिकेशन में भविष्य में किए जाने वाले सुधारों में यूपीआई इंटरनेशनल, यूपीआई ग्लोबल, वर्चुअल वॉलेट, मार्केटप्लेस और क्रेडिट स्कोर एकीकरण शामिल हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य यूपीआई प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का विस्तार करना और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है।

निजी क्लाउड विस्तार: बैंक भविष्य की डिजिटल पहलों का समर्थन करने के लिए अपने निजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की योजना बना रहा है। यह अनुप्रयोगों की मेजबानी और डेटा के प्रबंधन के लिए एक स्केलेबल और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि बैंक बढ़ती ग्राहक मांगों और तकनीकी प्रगति को पूरा कर सकता है।

अनुकूलित सेवाएं: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करने, ऋण तक पहुँच में सुधार करने और व्यवसाय विकास का समर्थन करने के लिए अनुकूलित डिजिटल समाधानों का विकास। ये समाधान व्यवसाय समुदाय के लिए बैंक के समर्थन को बढ़ाएंगे और आर्थिक विकास में योगदान देंगे।

एसएमएस फीडबैक प्रणाली: जमा, निकासी और अन्तरण जैसे लेन-देन के लिए एसएमएस-आधारित ग्राहक फीडबैक प्रणाली का कार्यान्वयन। यह प्रणाली वास्तविक समय पर फीडबैक प्राप्त करने में सक्षम होगी और बैंक को ग्राहकों की चिंताओं का तुरंत समाधान करने में मदद करेगी।



उत्तरदायी विपणन

जीआरई 401-2

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिम्मेदार मार्केटिंग पर जोर देता है, जिसमें पारदर्शिता, नैतिक व्यवहार और पारदर्शी ग्राहक संचार शामिल है। बैंक की मार्केटिंग रणनीतियां पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग तकनीकों के संयोजन के माध्यम से विश्वास का निर्माण, ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मार्केटिंग अभियान ईमानदारी व सत्यनिष्ठा पर आधारित हैं। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रचार सामग्री और विज्ञापन सत्यनिष्ठ हों और भ्रामक न हों, उत्पादों और सेवाओं के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करे। यह दृष्टिकोण ग्राहक विश्वास बनाने और बनाए रखने में मदद करता है, जो दीर्घकालिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मार्केटिंग रणनीतियां काफी सीमा तक ग्राहक-केंद्रित हैं, जो अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को समझने एवं उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। बैंक अलग-अलग ग्राहक खंडों से संबंधित व्यक्तिगत मार्केटिंग अभियान बनाने के लिए ग्राहक डेटा और सूक्ष्मदृष्टि का लाभ उठाता है। उदाहरण के लिए, "ग्राहक प्रथम" अभियान में लक्षित प्रचार और निष्ठा हेतु पुरस्कार शामिल थे, जिससे ग्राहक प्रतिधारण व क्रॉस-सेलिंग अवसरों में वृद्धि हुई। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक मल्टी-चैनल मार्केटिंग रणनीति भी अपनाती है जो पारंपरिक मीडिया जैसे टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ती है। यह एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बैंक सभी चैनलों पर सुसंगत संदेश प्रदान करते हुए व्यापक जनता तक पहुँचता है। डिजिटल मार्केटिंग ने, विशेष रूप से, अभिनव दृष्टिकोणों और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण विकास व संलग्नता को बढ़ावा दिया है।

ग्राहक प्रतिक्रिया और सुधार

जीआरई 402-3

ग्राहकों की प्रतिक्रिया एकत्र करना और उस पर कार्रवाई करना सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मार्केटिंग व सेवा सुधार रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। बैंक ने ग्राहकों की प्रतिक्रिया एकत्र करने और अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करने हेतु मजबूत तंत्र स्थापित किए हैं।

प्रतिक्रिया तंत्र

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग करती है, जिनमें शामिल हैं:

- » **सर्वेक्षण:** ग्राहकों की संतुष्टि का आकलन करने तथा सेवा की गुणवत्ता और उत्पाद की प्रस्तुति के बारे में जानकारी जुटाने हेतु नियमित सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं।
- » **सोशल मीडिया:** बैंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है, जहां वास्तविक समय पर फीडबैक और प्रश्नों का समाधान किया जाता है।



ग्राहकों की प्रतिक्रिया से बैंक में महत्वपूर्ण सुधारों को प्रेरित किया है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल बैंकिंग ऐप में सुधार के साथ-साथ एक केंद्रीकृत ग्राहक सेवा केंद्र का कार्यान्वयन भी शामिल है, जिससे सेवा दक्षता और ग्राहक संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

» **ग्राहक सेवा केंद्र** : शाखाओं और सेवा केंद्रों पर ग्राहक वार्ता के माध्यम से भी फीडबैक एकत्र किया जाता है।

ये तंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों की भावनाओं पर निरंतर निगरानी रख सके और सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सके।

सेवा सुधार के उदाहरण

इन तंत्रों के माध्यम से एकत्रित फीडबैक से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेवाओं में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं:

- » **डिजिटल बैंकिंग में वृद्धि**: ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को और अधिक मैत्रीपूर्ण प्रयोक्ता एवं परस्पर संवादात्मक अनुभव प्रदान करने के लिए नया रूप दिया. इसमें सुव्यवस्थित नेविगेशन, तीव्र लोड समय और वैयक्तिकृत सामग्री के साथ एक पुनः डिजाइन की गई वेबसाइट शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप वेबसाइट ट्रैफिक व औसत सत्र अवधि में वृद्धि हुई।
- » **मोबाइल बैंकिंग ऐप**: उपयोगिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप में सुधार किए गए. सुगम निधि अंतरण एवं बेहतर खाता प्रबंधन टूल जैसी सुविधाएँ जोड़ी गईं, जो सीधे ग्राहकों के सुझावों को संबोधित करती हैं।
- » **ग्राहक सेवा**: फीडबैक ने त्वरित प्रतिक्रिया समय एवं मुद्दों के बेहतर समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. उत्तर में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उन्नत टैकिंग और समाधान प्रणालियों के साथ एक केंद्रीकृत ग्राहक सेवा केंद्र लागू किया, जिससे सेवा दक्षता और ग्राहक संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

विपणन रणनीतियों पर फीडबैक का प्रभाव

ग्राहकों की प्रतिक्रिया ने भी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मार्केटिंग रणनीतियों को प्रभावित किया है. उदाहरण के लिए, "गो ग्रीन" अभियान, जो सतत बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देता है, पर्यावरण के मुद्दों में ग्राहकों की बढ़ती रुचि के संदर्भ में विकसित किया गया था. यह अभियान पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के साथ दृढ़ता से जुड़ा और सततता के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को मजबूत किया, इसकी ब्रांड छवि और ग्राहक निष्ठा को बढ़ाया।

डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डेटा गोपनीयता सुरक्षा उपायों और साइबर सुरक्षा शासन ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया. बैंक ने सीईआरटी-इन पैनेल के ऑडिटर्स द्वारा नियमित सूचना सुरक्षा (आईएस) और भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) ऑडिट के साथ-साथ विशेषाधिकार पहुँच प्रबंधन प्रणाली (पीएएमएस) और डेटा लीकेज रोकथाम (डीएलपी) समाधान जैसे उन्नत सुरक्षा समाधान लागू किए. इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) महत्वपूर्ण सर्वर और नेटवर्क उपकरणों की निगरानी के लिए 24/7 परिचालित होता है, जिससे संभावित खतरों का तत्काल पता लगाना और प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है. आईएसओ 27001 और आईएसओ 22301 मानकों के साथ-साथ पीसीआई-डीएसएस लेवल 1 संस्करण 4.0 का अनुपालन, उच्चतम सुरक्षा मानकों के प्रति बैंक के समर्पण को उजागर करता है।

ये मजबूत उपाय हितधारकों के विश्वास को बढ़ाते हैं और बैंक की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं, जिससे एक सुरक्षित और विश्वसनीय वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होती है. डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा में आश्वस्त महसूस करें, जिससे बैंक के साथ उनके संबंध मजबूत हों. इस क्षेत्र में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पहलों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बौद्धिक पूंजी अध्याय देखें.



सीएसआर गतिविधियों में ₹ 8.31 करोड़ से अधिक का निवेश करके, बैंक सामुदायिक विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।



कर्मचारी सहभागिता और विकास

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर्मचारियों के विकास पर बहुत जोर दिया है, कौशल व सहभागिता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कई कार्यक्रमों को लागू किया है। वित्त वर्ष 2024 में, बैंक ने विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को लक्षित करते हुए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आरंभ किए, जिसमें आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम उदयपुर और एनआईबीएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण शामिल है। ये कार्यक्रम रणनीतिक सोच, टीम प्रबंधन और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर केंद्रित थे, जिससे 1,100 से अधिक अधिकारी लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एचआरएमएस मॉड्यूल और जनरेशन एआई- संचालित चैटबॉट, सेन्ट्रल चाणक्य जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करके व उन्हें बढ़ाकर अपनी डिजिटल सशक्तिकरण पहलों का विस्तार किया, जिससे परिचालन दक्षता और कर्मचारी संलग्नता में काफी सुधार हुआ। बैंक का ई-शिक्षण प्लेटफॉर्म अधिकारियों व लिपिकों के मध्य अभिग्रहण की अधिक दर के साथ अब 530 घंटे के मॉड्यूल प्रदान करता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, और व्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रदान करती है। इनमें प्रैक्टो के साथ साझेदारी के माध्यम से 24/7 टेली-मेडिकल परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में उच्च भागीदारी दर कर्मचारी स्वास्थ्य एवं कल्याण को बेहतर बनाने में उनकी प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक व्यापक स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों के पालन के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को महत्व देता है और इसे एकत्र करने व उस पर कार्रवाई करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किए हैं। बैंक ने अपनी मानव संपदा प्रबंधन नीतियों के प्रभाव का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक कर्मचारी संलग्नता सर्वेक्षण सह एचआरडी ऑडिट आयोजित किया। इस सर्वेक्षण में एचआरडी संस्कृति, कार्यनिष्ठादन प्रबंधन, शिक्षण व विकास, और कैरियर विकास जैसे मापदंडों को शामिल किया गया। प्रतिक्रिया के आधार पर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शीर्ष कार्यनिष्ठादन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, उनका मनोबल बढ़ाने व उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए सेन्ट्रल प्रेज कार्यक्रम शुरू किया।

कर्मचारी सहभागिता एवं विकास के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का व्यापक दृष्टिकोण एक कुशल, प्रेरित व स्वस्थ कार्यबल सुनिश्चित करता है जो गतिशील बैंकिंग वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इन पहलों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया मानव संपदा अध्याय देखें।

जीआरई 501-1



“महिलाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ संगठन-2024” और “सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन” के तहत विशेष उल्लेख का सम्मान प्राप्त करके बैंक ने समावेशी नीतियों, सहायक वातावरण और विविध आबादी में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।



बैंक के प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसमें रणनीतिक डिजिटल एचआर परिवर्तन के लिए “गोल्ड स्काॅच पुरस्कार” और “सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता डिजिटल पीएसयू उपभोक्ता पुरस्कार” शामिल हैं, नवाचार एवं असाधारण ग्राहक सेवा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।



उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्राहक-केंद्रित अभियानों के परिणामस्वरूप वेबसाइट ट्रैफिक में 25% की वृद्धि हुई।

जीआरई 601-2

भविष्य का दृष्टिकोण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आने वाले वर्षों में सामाजिक एवं संबंध पूंजी को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों का उद्देश्य तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और वंचित समुदायों तक बैंक की पहुंच का विस्तार करना है। एक प्राथमिक उद्देश्य निरंतर डिजिटल परिवर्तन पहलों के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाना है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करना शामिल है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हितधारकों की सहभागिता और सामुदायिक समर्थन को बढ़ाने के लिए कई आगामी पहलों की रूपरेखा तैयार की है। इन पहलों में शामिल हैं:

- डिजिटल बैंकिंग का विस्तार :** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई सुविधाएं शुरू करने की योजना बना रहा है, जैसे कि सभी ग्राहकों के लिए पहुंच व उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार के उद्देश्य से उन्नत मोबाइल बैंकिंग ऐप और ऑनलाइन सेवाओं में विस्तार। बैंक का लक्ष्य अगले वर्ष में डिजिटल लेनदेन में 20% की वृद्धि करना है।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम :** बैंक अपने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करेगा और वंचित आबादी की आवश्यकताओं के अनुसार नए वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत करेगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) स्थापित करना व ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए लक्षित अभियान शुरू करना शामिल है।
- पर्यावरणीय प्रतिस्थायिता परियोजनाएँ :** पर्यावरणीय प्रतिस्थायिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर्यावरण-अनुकूल बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देकर और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करके अपनी "हरित बैंकिंग" पहल को बढ़ाएगी। इन प्रयासों के माध्यम से, बैंक ने वित्त वर्ष 2025 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 10% की कमी प्राप्त करने की योजना बनाई है।
- सामुदायिक विकास प्रयास :** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामुदायिक विकास परियोजनाओं में अपना निवेश बढ़ाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। बैंक का लक्ष्य अगले वित्त वर्ष में इन परियोजनाओं के माध्यम से 30,000 से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचना है।



सक्रिय हितधारक जुड़ाव के माध्यम से बैंक ने पारदर्शी संचार बनाए रखा एवं वफादारी और भरोसे को मजबूत किया



5. **कर्मचारी विकास कार्यक्रम** : बैंक अपने कर्मचारियों के कौशल व सहभागिता को बढ़ाने के लिए नए प्रशिक्षण मॉड्यूल और नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करेगा. इसमें डिजिटल प्रशिक्षण संसाधनों का विस्तार करना एवं अग्रणी प्रशिक्षण केन्द्रों में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करना शामिल है .

ये पहले सतत विकास को बढ़ावा देने व हितधारक संबंधों को मजबूत करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. अपने ग्राहकों और व्यापक समुदाय की उभरती आवश्यकताओं के साथ अपने रणनीतिक लक्ष्यों को संरेखित करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य दीर्घकालिक सफलता एवं सकारात्मक सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित करना है. इन पहलों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बौद्धिक पूंजी अध्याय देखें .

पुरस्कार और सम्मान

जीआरआई701-2

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता उजागर करने वाले कई प्रतिष्ठित पुरस्कार व मान्यताएं प्राप्त हुईं. ये पुरस्कार नवाचार, ग्राहक संतुष्टि एवं संधारणीय कार्यों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की गवाही देती हैं. प्रमुख पुरस्कारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- » **गोल्ड स्कॉच पुरस्कार**, मानव संपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रयासों को मान्यता देता है.
- » **महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन 2024**, जो महिला कर्मचारियों के लिए बैंक की समावेशी नीतियों व सहायक वातावरण को दर्शाता है.
- » **सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता आनंद पीएसयू उपभोक्ता पुरस्कार**, असाधारण ग्राहक सेवा के प्रति बैंक के समर्पण को रेखांकित करता है.
- » **उच्चतम डीक्यूआई सुधार पीएसयू उपभोक्ता वित्त वर्ष 2023-24**, जो डेटा गुणवत्ता पहलों में बैंक के निरंतर सुधार को स्वीकार करता है.
- » **सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन के अंतर्गत विशेष उल्लेख**, जो जनसंख्या में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बैंक के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है.
- » राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से **सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीयकृत बैंक आशीर्वाद राजभाषा पुरस्कार**.

» हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने में उत्कृष्टता के लिए पासवान -ए- अदब द्वारा **दुष्यंत सम्मान पुरस्कार** प्रदान किया गया .

» राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को **नराकास पुरस्कार प्रदान किए गए**.

ये पुरस्कार डिजिटल परिवर्तन, ग्राहक संतुष्टि, वित्तीय समावेशन एवं भाषा संवर्धन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अनुकरणीय कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाते हैं. रणनीतिक डिजिटल एचआर परिवर्तन और उपभोक्ता प्रसन्नता के लिए मान्यताएँ बैंक के अभिनव दृष्टिकोण व ग्राहक-केंद्रित फोकस को दर्शाती हैं, जो हितधारकों के साथ ठोस संबंध और विश्वास बनाने के लिए आवश्यक हैं. वित्तीय समावेशन और भाषा संवर्धन पुरस्कार सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं, जो एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करते हैं. ये पुरस्कार बैंक की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं, तथा अधिक मजबूत सामुदायिक संलग्नता को बढ़ावा देते हैं. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पहलों एवं उनके प्रभावों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बौद्धिक पूंजी अध्याय देखें.

मानव संपदा:

समृद्ध भविष्य हेतु रणनीतिक

विकास और नवाचार



यूएनएसडीजी:



व्यावसायिक स्तंभ:



मटेरियल इश्यू:

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 37

बिजनेस मॉडल कैनवास:



जीआरआई संरेखण:

201, 203, 302, 401, 403, 404, 405



यह अध्याय मानव संपदा के महत्व और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रणनीतिक लक्ष्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। मानव संपदा प्रबंधन बैंक की सफलता और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, जो परिचालन दक्षता से लेकर ग्राहक संतुष्टि और नवाचार तक हर बात को प्रभावित करता है। इस अध्याय में चर्चा की गई पहल और रणनीतियाँ बैंक के व्यापक वित्तीय सेवाओं के अग्रणी प्रदाता बनने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से सीधे जुड़ी हुई हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रणनीतिक लक्ष्यों में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और सतत विकास सुनिश्चित करना शामिल है। अपनी मानव संपदा में निवेश करके, बैंक का लक्ष्य एक प्रेरित और कुशल कार्यबल को बढ़ावा देना है जो असाधारण सेवा प्रदान करने और बैंक की रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। मानव संपदा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिस्पर्धी बना रहे और बैंकिंग क्षेत्र की गतिशील जरूरतों के प्रति उत्तरदायी रहे

मानव संपदा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के परिचालन और रणनीतिक ढांचे का आधार है। इसमें बैंक के कर्मचारी कल्याण कौशल, ज्ञान और योग्यताएं शामिल हैं, जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। अपने कर्मचारियों के निरंतर विकास और कल्याण में निवेश करके, नवाचार करने, ग्राहक सेवा में सुधार करने और परिचालन उत्कृष्टता बनाए रखने की अपनी क्षमता को बढ़ाती है। प्रभावी मानव संपदा प्रबंधन से कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रतिधारण में वृद्धि होती है, जो बैंक की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में योगदान देता है।



मानव संपदा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की परिचालन उत्कृष्टता एवं रणनीतिक सफलता की आधारशिला है



मानव संपदा रणनीति

जीआरआई 103

मानव संपदा विकास हेतु रणनीतिक प्राथमिकताएं

हमने अपने कार्यबल के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संपदा विकास हेतु कई रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान की है:

- » नेतृत्व विकास: भविष्य के नेतृत्वकर्ता को तैयार करने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना, जो बैंक की रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ा सकें.
- » डिजिटल सशक्तिकरण: डिजिटल कौशल पर केंद्रित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी बैंकिंग में तकनीकी प्रगति संभाल सकें.
- » कर्मचारी कल्याण: कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन देने हेतु कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना और व्यापक लाभ प्रदान करना.

जीआरआई 102-16

बैंक के विजन, मिशन और मूल्यों के साथ संरेखीकरण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मानव संपदा रणनीति इसके विजन, मिशन और मूल्यों के साथ संरेखित है. बैंक का व्यापक वित्तीय सेवाओं का अग्रणी प्रदाता बनने का विजन मानव संपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. एक कुशल और प्रेरित कार्यबल आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के मिशन को रेखांकित करता है. कर्मचारी विकास और सहभागिता हेतु बैंक का दृष्टिकोण ईमानदारी, ग्राहक केन्द्रित तथा निरंतर सुधार के प्रमुख मूल्यों को दर्शाता है.

प्रतिभा प्रबंधन हेतु पहल एवं मुख्य उद्देश्य

बैंक ने प्रतिभाओं के प्रभावी प्रबंधन और विकास हेतु विभिन्न पहलों को क्रियान्वित किया है:

जीआरआई 404

- » प्रशिक्षण कार्यक्रम: कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं. इन कार्यक्रमों में नेतृत्व, डिजिटल कौशल और ग्राहक सेवा सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है.
- » कार्यनिष्पादन प्रबंधन: कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और उसे बेहतर बनाने हेतु एक सशक्त कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली मौजूद है. इसमें स्पष्ट कार्यनिष्पादन लक्ष्य निर्धारित करना, नियमित फीडबैक प्रदान करना और उपलब्धियों को पहचानना शामिल है.
- » प्रतिभा प्रतिधारण: प्रतिस्पर्धी क्षतिपूर्ति पैकेज, कैरियर विकास के अवसर एवं अनुकूल कार्य वातावरण जैसी पहल शीघ्र प्रतिभा को बनाए रखने और टर्नओवर दरों को कम करने हेतु डिज़ाइन की गई हैं.

26.43%

महिला कार्यबल की भागीदारी

वित्त वर्ष 2024 में महिला कार्यबल की भागीदारी वित्त वर्ष 2023 के 25.18% से बढ़ी है, जो लैंगिक समावेशिता के प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है

ये रणनीतियाँ और पहल बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त और सक्षम कार्यबल के निर्माण हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

नीति विकास जीआरआई 401-2

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, करियर विकास को बढ़ावा देने, कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतियों की समीक्षा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। मुख्यधारा और विशेषज्ञ अधिकारियों दोनों के लिए ही कैरियर पथ-सह-पदोन्नति नीति को अद्यतन किया गया, जिससे करियर में उन्नति और क्रॉस-सेक्शनल विशेषज्ञता हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम की नीति को 2013 अधिनियम के अनुरूप सुदृढ़ किया गया और बैंक और उसकी सहायक कंपनियों के भीतर प्रमुख भूमिकाओं की बेहतर पहचान और प्रबंधन हेतु प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नीति में संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त, युवाओं के कौशल विकास पर जोर देते हुए, सरकारी निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षुता नीति को भी अद्यतन किया गया। मृतक कर्मचारियों के परिवारों को नियुक्त करने या क्षतिपूर्ति देने की प्रक्रिया को तेज करने और स्पष्ट करने हेतु अनुकंपा नियुक्ति नीति को संशोधित किया गया।

बोर्ड ने नैतिक दुविधाओं के माध्यम से कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक आचार संहिता, व्यावसायिक आचरण

और हितों के टकराव की नीति को भी मंजूरी दी। सेवानिवृत्त के अनुभव का लाभ लेने हेतु उन अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने की नीति लाई गई। रिपोर्ट की गई शिकायतों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु व्हिसल-ब्लोअर नीति की समीक्षा की गई एवं विकलांग कर्मचारियों की सहायता हेतु समान अवसर नीति को सुदृढ़ किया गया। परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए अनिवार्य अवकाश नीति को लागू किया गया, जबकि कुशल कर्मियों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए भर्ती नीति को अपडेट किया गया। महिला अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधानों के साथ अधिकारियों की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक जरूरतों को समायोजित करने के लिए स्थानांतरण नीति को परिष्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्णय लेने अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ जवाबदेही नीति को संशोधित किया गया। नॉलेज गैप को दूर करने और उभरते रुझानों के अनुकूल होने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण नीतियों को अद्यतन किया गया और मानव संसाधन रणनीतियों का मूल्यांकन करने के लिए मानव संसाधन विभाग ऑडिट नीति को परिष्कृत किया गया। अंत में, संरचित शिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए इंटरनशिप और मेंटरशिप नीतियों को अद्यतन किया गया और बैंक के भीतर प्रमुख भूमिकाओं के लिए प्रतिभा की पहचान करने और उनका पोषण करने के लिए एक नई विकास नियोजन नीति को मंजूरी दी गई।



8,354

कुल संख्या

वित्त वर्ष 2024 में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, वित्त वर्ष 2023 से 606 की वृद्धि हुई है।



वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने कैरियर विकास को बढ़ावा देने, कर्मचारी-कल्याण सुनिश्चित करने और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने हेतु कई महत्वपूर्ण नीतियों की समीक्षा की और उन्हें स्वीकृति दी, जिसमें कैरियर पथ सह-पदोन्नति नीति, यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति और प्रशिक्षुता नीति में अद्यतन शामिल हैं।



उत्कृष्ट मानव पूंजी प्रबंधन से कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारण में वृद्धि होती है, जिससे बैंक की दीर्घकालिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है

31,610

कुल कार्यबल

वित्त वर्ष 2023 में 30,770 से बढ़कर यह संख्या वित्त वर्ष 2024 में समग्र वृद्धि को दर्शाता है।

+1.25%

महिलाओं में वृद्धि

वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 तक कार्यबल सहभागिता में लैंगिक विविधता के प्रयासों पर प्रकाश डाला जाएगा।



जीआरई 405

कार्यबल जनसांख्यिकी एवं समावेशन पहल

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विविध एवं समावेशी कार्यबल को प्राथमिकता देता है, जो विभिन्न जनसांख्यिकी में लैंगिक विविधता और प्रतिनिधित्व के प्रति सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जीआरई 405

कर्मचारी जनसांख्यिकी

वित्त वर्ष 2024 तक, बैंक का कुल कार्यबल 31,610 स्थायी कर्मचारी था, जो वित्त वर्ष 2023 में 30,770 से थोड़ा अधिक था। इस कार्यबल में लिंग वितरण उल्लेखनीय है, जिसमें 23,256 पुरुष और 8,354 महिलाएं हैं, जो पिछले वर्ष के 25.2% से बढ़कर 26.4% महिला भागीदारी को दर्शाता है। यह सुधार सभी संगठनात्मक स्तरों पर लैंगिक समावेशिता और संतुलित प्रतिनिधित्व की दिशा में बैंक के प्रयासों को रेखांकित करता है।

लिंग वितरण

वर्ष	महिला कर्मचारी	पुरुष कर्मचारी	कुल कर्मचारी	महिला प्रतिशत	पुरुष प्रतिशत
विव 2024	8,354	23,256	31,610	26.43%	73.57
विव 2023	7,748	23,022	30,770	25.18%	74.82%
परिवर्तन	+606	+234	+840	+1.25%	-1.25%

जीआरई 405

लैंगिक संवेदनशीलता एवं समावेशिता पहल

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों के बीच लैंगिक संवेदनशीलता एवं समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावशाली पहलों को लागू किया है। ये प्रयास सभी कर्मचारियों के लिए अधिक न्यायसंगत और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन किए गए हैं।

पहल	विवरण	प्रभाव (विव 2023 vs विव 2024)
लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण	लैंगिक मुद्दों पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र	महिला कार्यबल में 1.25% की वृद्धि
समावेशिता कार्यक्रम	महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम	कैरियर विकास के अवसर में वृद्धि
चौन उत्पीड़न की रोकथाम	चौन उत्पीड़न अधिनियम और शिकायत तंत्र का पालन	बेहतर कार्यस्थल सुरक्षा और सम्मान
महिलाओं का प्रतिनिधित्व	कुल महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	7,748 से 8,354 (+1.25%) तक
एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व	कुल एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	प्रतिनिधित्व में +5.6% की वृद्धि

प्रमुख पहलों में से एक लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण है, जहाँ बैंक द्वारा लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित नियमित कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। इस पहल ने महिला कार्यबल में वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 तक 1.25% की उल्लेखनीय वृद्धि की है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने समावेशिता कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए मेंटरशिप कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कैरियर विकास के अवसरों को बढ़ाना है, प्रतिभागियों को बैंक के भीतर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का भी सख्ती से पालन करता है। इसमें सभी प्रशासनिक कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों के माध्यम से मजबूत शिकायत तंत्र को लागू करना शामिल है। इन उपायों ने कार्यस्थल की सुरक्षा और सम्मान में सुधार किया है, जिससे सभी कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण का निर्माण हुआ है। बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को सख्ती से प्रतिबंधित करता है और "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के अनुसार दिशा-निर्देशों को लागू किया गया है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सभी प्रशासनिक कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना की गई है।



दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है: वर्ष की शुरुआत में एक शिकायत लंबित थी, वर्ष के दौरान तीन शिकायतें प्राप्त हुईं, कुल मिलाकर चार मामले हुए। वर्ष के दौरान सभी चार शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जिससे वर्ष के अंत में कोई भी मामला लंबित नहीं रहा।

कार्यबल में महिलाओं के समग्र प्रतिनिधित्व में वित्त वर्ष 2023 में 7,748 से वित्त वर्ष 2024 में 8,354 की वृद्धि हुई है, जो 1.25% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व में भी सुधार हुआ है, जो एक विविध और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा

देने हेतु बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ये पहल विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने की सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि सभी कर्मचारी आगे बढ़ सकें और बैंक की सफलता में योगदान दे सकें।

आरक्षण

बैंक एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन करता है, सभी कार्यबल संवर्गों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। दिनांक 1 फरवरी, 2019 से, बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को शामिल किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ इन नीतियों के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के



डिजिटल सशक्तिकरण पर हमारा अटूट ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि हमारा कार्यबल एक विकसित तकनीकी परिदृश्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार है।



बैंक की मानव संपदा कार्यनीति व्यापक वित्तीय सेवाओं में उद्योग का नेतृत्व करने के लिए हमारे दृष्टिकोण के साथ सहज रूप से रेखांकित है।

जीआरआई 405

3.5%

की वृद्धि

वित्त वर्ष 2024 में नए कर्मचारियों की संतुष्टि दर वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 85% से बढ़कर 88% होगी।



मार्च 2024 के अंत तक बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष के 30,770 से बढ़कर 31,610 हो गई, जबकि अधिकारियों की संख्या 16,521 से बढ़कर 18,621 हो गई जो सहायकों एवं अधीनस्त कर्मचारियों की संख्या को कम करते हुए अधिकारी संवर्ग को दृढ़ करने की दिशा में एक कार्यनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है।

कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और संबंधित समितियों के माध्यम से शिकायतों का निवारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जाता है जो बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। निरंतर सुधार और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कल्याण संघों और आंतरिक शिकायत निवारण समितियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की डॉ. अंजू बाला और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के डॉ. पी. पी. वावा जैसे गणमान्य व्यक्तियों के उल्लेखनीय दौर ने बैंक की समस्याओं के समाधान और अपने कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को प्रकट किया। बैंक विभिन्न ऋण सुविधाओं और स्टैंड-अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी शासकीय योजनाओं के माध्यम से एससी/एसटी उधारकर्ताओं का भी सहयोग करता है। वर्ष 2023 में, भर्ती में 454 एससी, 236 एसटी और 782 ओबीसी उम्मीदवार शामिल थे, जिसमें 1,232 एससी, 461 एसटी और 1,959 ओबीसी कर्मचारियों को पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए 11.25 लाख रुपये आवंटित किए गए, जो समावेशी और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने हेतु बैंक के समर्पण को रेखांकित करता है।

कार्यबल वितरण तथा भूमिकाएं

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रणनीतिक कार्यबल वितरण और विविध भूमिकाएँ परिचालन उत्कृष्टता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। अपने मानव संसाधनों को शाखा उत्पादकता मापदंडों और क्षेत्रीय माँगों के साथ जोड़कर, सीबीआई एक संतुलित और कुशल कार्यबल सुनिश्चित करता है, जो सभी क्षेत्रों में स्थायी विकास को आगे बढ़ाने और असाधारण सेवा प्रदान करने में सक्षम है। सीबीआई के कार्यबल में बैंक के संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न भूमिकाएँ शामिल हैं। इन भूमिकाओं का वितरण बैंक के व्यापक सेवा मॉडल और रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यबल में विविध भूमिकाएँ हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी परिचालन क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से कवर किया जाए:

भूमिका	विवरण
फ्रंटलाइन बैंकिंग परिचालन	प्रत्यक्ष ग्राहक संपर्क और लेनदेन प्रसंस्करण
धन प्रबंधन	वित्तीय नियोजन एवं सलाहकार सेवाएँ
आईटी और सूचना सुरक्षा	आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सुरक्षा का प्रबंधन
जोखिम प्रबंधन	वित्तीय जोखिमों को पहचानना एवं कम करना
ऋण एवं लेखापरीक्षा	वित्तीय अभिलेखों की साख और लेखा परीक्षा का आकलन

यह संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शाखा उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान कर सके, परिचालन दक्षता बनाए रख सके और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके।

मार्च 2024 के अंत में, बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 31,610 थी, जो पिछले वर्ष के 30,770 से अधिक थी। कर्मचारियों की श्रेणियों का विभाजन इस अवधि में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्शाता है। अधिकारियों की संख्या वित्त वर्ष 2023 में 16,521 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 18,621 हो गई, जो इस श्रेणी में एक महत्वपूर्ण भर्ती अभियान या पदोन्नति को दर्शाता है। इसके विपरीत, लिपिकों की संख्या 9,060 से घटकर 8,204 हो गई, जो इस श्रेणी में कमी को दर्शाता है। उप-कर्मचारी श्रेणी में भी गिरावट देखी गई, जिसमें संख्या वित्त वर्ष 2023 में 5,189 से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 4,785 हो गई। कर्मचारियों की संरचना में यह समग्र परिवर्तन लिपिकों और उप-कर्मचारियों की संख्या को कम करते हुए अधिकारी संवर्ग को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।



+10.0%

वार्षिक वृद्धि

वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 तक कैरियर प्रशि7ण घंटे, कौशल विकास को बढ़ावा देना.

प्रतिभा अधिग्रहण और प्रतिधारण

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु लगातार कार्यनीतिक भर्ती पहल की है। ये रणनीतियाँ बैंकिंग क्षेत्र की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक प्रतिस्पर्धी बना रहे और बाज़ार की माँगों के प्रति उत्तरदायी बना रहे।

वर्ष 2023-24 के दौरान, हमारे भर्ती प्रयासों ने हमारी टीम को काफी सशक्त किया है। हमने 471 विशेषज्ञ अधिकारियों, 1,739 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और विभिन्न स्केलों में अतिरिक्त अधिकारियों को भर्ती किया: स्केल II में 10, स्केल III में 100 और स्केल IV में 13. इसके अतिरिक्त, हमने 579 ग्राहक सेवा सहयोगियों (सीएसएस) की भर्ती की और 30 कार्यालय सहायकों और 28 ग्राहक सेवा सहयोगियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया। सभी स्केल और विषयों में पदोन्नति प्रक्रियाएँ आयोजित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 196 ग्राहक सेवा सहयोगियों को स्केल-6 अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया गया और 1,203 अधिकारियों को उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया। हमने देश भर में 840 अनुरोध स्थानान्तरण आवेदनों पर भी विचार किया। इसके अलावा हमने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 परिवीक्षाधीन अधिकारियों, 2,000 लिपिक कर्मचारियों और 880 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए एक मांगपत्र रखा है। सेन्ट-नियो परियोजना के लिए 85 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और हम प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और हमारी बोर्ड-स्वीकृत नीति के अनुरूप 3,000 अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं।

शीर्ष प्रतिभा को बनाए रखने के लिए प्रतिधारण दर और प्रमुख कार्यक्रम

शीर्ष प्रतिभा को बनाए रखना सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया हेतु एक महत्वपूर्ण विषय है। बैंक ने कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाने और टर्नओवर को कम करने के लिए कई आवश्यक कार्यक्रम लागू किए हैं।

जीआरआई 401



अपने कर्मिकों पर निवेश करके बैंक निरंतर परिवर्तित बैंकिंग परदृश्य में चूस्त एवं प्रतिस्पर्धी बना रहता है।

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय



हमारे दृढ़ प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम अत्यधिक कुशल तथा सक्षम कार्यबल तैयार करने में महत्वपूर्ण हैं।

जीआरआई 404



वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 हेतु रिटेंशन डेटा:

मैट्रिक	विव 2023	विव 2024	परिवर्तन
समग्र प्रतिधारण दर	99.64%	99.46%	-0.18%

ज्ञानार्जन एवं विकास

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का एक व्यापक समूह लागू किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक के अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों और शिक्षण एवं विकास केंद्रों (सीएलडी) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न नौकरी परिवारों से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सेन्ट्रल स्वाध्याय ऐप के माध्यम से ई-लर्निंग मॉड्यूल और वीडियो-आधारित शिक्षण को एकीकृत किया है, जो कर्मचारियों को लचीले और सुलभ प्रशिक्षण विकल्प प्रदान करता है।

विशेष प्रशिक्षण पहल भी की गई है, जिसमें मैकिन्से एंड कंपनी, आईआईएम, एक्सएलआरआई और एएससीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम शामिल हैं। ये पहल सामान्य और विशेष कौशल सेट दोनों को लक्षित करती हैं, आईटी अधिकारियों और महिला वरिष्ठ प्रबंधकों जैसे विशिष्ट समूहों के लिए डिजिटल परिवर्तन और नेतृत्व प्रशिक्षण पर जोर देती हैं।

प्रमुख बिंदु

सेन्ट्रल राइज़ परियोजना: सेन्ट्रल राइज़ परियोजना के अंतर्गत, हमारे बैंक ने कई प्रमुख पहलों को क्रियान्वित किया है:

- » **जनरेटिव एआई चैटबॉट “सेन्ट्रल चाणक्य”:** बैंक-विशिष्ट की जानकारी प्रदान करने वाला अत्याधुनिक चैटबॉट.
- » **मेंटरशिप कार्यक्रम:** मार्गदर्शन और विकास को बढ़ावा देना.
- » **उत्तराधिकार योजना:** सुचारू नेतृत्व परिवर्तन सुनिश्चित करना.
- » **पुरस्कार एवं मान्यता कार्यक्रम:** शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करना.

20.0%

कमी

वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 तक स्वैच्छिक टर्नओवर दर में वृद्धि, जो बेहतर कर्मचारी प्रतिधारण को दर्शाती है।



- » वैज्ञानिक लक्ष्य निर्धारण और जनशक्ति नियोजन उपकरण: दक्षता और संसाधन आवंटन में वृद्धि.
- » नौकरी परिवार और कैरियर पथ: कैरियर प्रगति को स्पष्ट करना.
- » प्रतिभा सक्षमता और नेतृत्व विकास: भविष्य के नेताओं का निर्माण.
- » ज्ञानार्जन और विकास: हमारी व्यावसायिक योजना के अनुरूप, वित्त वर्ष 2023-24 के प्रशिक्षण कैलेंडर में तीन अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों और पंद्रह प्रशिक्षण और विकास केंद्रों (सीएलडी) द्वारा संचालित कार्यक्रम शामिल थे. उल्लेखनीय कार्यक्रम थे:
- » पी.ओ. के लिए परिचयात्मक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण
- » प्रभावी शाखा प्रबंधन
- » रिकवरी टूल्स और संवाद कौशल
- » खुदरा ऋण
- » हिंदी कार्यशाला
- » एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाना
- » बैंकिंग परिचालन में अनुपालन
- » कासा जुटाना
- » वसूली

विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाओं में क्रेडिट, मार्केटिंग, मानव संसाधन, कानून, सतर्कता, सुरक्षा और आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे विभिन्न विभागों को शामिल किया गया. प्रमुख ऑनलाइन कार्यक्रमों में एमएसएमई और रिकवरी, खुदरा अग्रिम, एसएआरएफएईएसआई पर एसओपी, वाहन समर्थन और कासा मोबिलाइजेशन शामिल थे.

92%

प्रतिधारण दर

वित्त वर्ष 2024 में वरिष्ठ पदों के लिए प्रतिधारण दर वित्त वर्ष 2023 के 90% से बढ़कर सफल नेतृत्व विकास को दर्शाती है.

530

कुल घंटे

वित्त वर्ष 2024 में उपलब्ध ई-लर्निंग मॉड्यूल के कुल घंटे, निरंतर ज्ञानार्जन का समर्थन करते हैं.



अपने लोगों में लगातार निवेश करके, बैंक हमेशा परिवर्तित बैंकिंग क्षेत्र में चुस्त एवं प्रतिस्पर्धी बना रहता है.

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय



बैंक की कठोर आचार संहिता तथा व्यावसायिक आचरण हमारे कर्मचारियों को जटिल नैतिक चुनौतियों से ईमानदारी के साथ कार्य करने में मार्गदर्शन करता है।



73.44%

अधिकारी जो पूरा करते हैं

वित्त वर्ष 2024 में कम से कम एक ई-लर्निंग मॉड्यूल पूरा करने वाले अधिकारी, ज्ञानार्जन में उच्च सहभागिता प्रदर्शित करते हैं

क्षमता उपयोग और ई-लर्निंग: मार्च 2024 तक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और सीएलडी ने 128.28% की क्षमता उपयोग दर हासिल की। ई-लर्निंग मॉड्यूल कुल 530 घंटे के थे, जिसमें 73.44% अधिकारी और 50.66% लिपिक कम से कम एक मॉड्यूल पूरा करते थे। कुल मिलाकर, 19,030 कर्मचारियों ने 126,399 ई-लर्निंग मॉड्यूल पूरे किए।

क्षमता निर्माण: कर्मचारियों को 'कर्मचारी प्रमाणन का विकल्प' प्रावधान दिया गया, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष पाँच प्रमाणन प्राप्त किए जा सकते हैं। नौकरी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए "इंफॉर्मेशन ऑन द रन" पत्रक प्रदान किए गए। साप्ताहिक स्टाफ मीटिंग में ज्ञान साझा करने और व्यावसायिक उपलब्धियों पर चर्चा करने की सुविधा प्रदान की गई।

वन ऑन वन कार्यपालक: 300 से अधिक कार्यपालकों को नेतृत्व कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार के लिए कोचिंग दी गई।

कर्मचारी जुड़ाव और एचआरडी ऑडिट सर्वेक्षण: एचसीएम नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण सह मासिक ऑडिट आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में मासिक संस्कृति, कर्मचारी जुड़ाव, प्रदर्शन प्रबंधन, सीखना और विकास, और नेतृत्व क्षमताएं शामिल थीं।

ईएसजी प्रतिज्ञा: 29,000 केन्द्रवासियों ने ईएसजी प्रतिज्ञा ली, जो एक स्थायी और नैतिक कार्य वातावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

सेन्ट्रल चाणक्य: हमने सेन्ट्रल चाणक्य लॉन्च किया, जो एक उद्दिष्ट-संचालित चैटबॉट है जो महत्वपूर्ण बैंक-विशिष्ट जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है, निर्णय लेने और उत्पादकता को बढ़ाता है।

सेन्ट्रल प्रेज़: सेन्ट्रल प्रेज़ कार्यक्रम सभी स्तरों पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने और मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था।

आईआईएम मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन: बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, चेयर प्रोफेसरशिप स्थापित करने के लिए आईआईएम मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रक्रियाएँ एवं प्रणालियाँ

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों के मूल्यांकन और विकास को बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) विकसित की है. सेंट्रल राइज़ प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाने वाली इस प्रणाली में संपूर्ण प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रभावी फीडबैक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए कई घटक शामिल हैं..

- » **भूमिका आवंटन एवं स्कोरकार्ड:** पीएमएस में अधिकारियों और क्लर्कों के लिए विस्तृत भूमिका आवंटन और स्कोरकार्ड शामिल हैं. इससे भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रदर्शन मूल्यांकन व्यक्तिगत नौकरी की अपेक्षाओं और बैंक के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित हो.
- » **समीक्षा उपयोगिता:** इष्ट दूल के भीतर एक समीक्षा उपयोगिता निरंतर प्रदर्शन ट्रैकिंग की अनुमति देती है, जिससे प्रबंधकों को समय पर प्रतिक्रिया देने और आवश्यक समायोजन करने की अनुमति मिलती है. यह निरंतर सुधार और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है.
- » **लक्ष्य निर्धारण:** प्रदर्शन लक्ष्य बाजार वृद्धि डेटा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लक्ष्य

यथार्थवादी हैं और वर्तमान उद्योग रुझानों के साथ संरेखित हैं. यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण कर्मचारियों के लिए प्राप्त करने योग्य बेंचमार्क निर्धारित करने में मदद करता है.

- » **जनशक्ति नियोजन:** बैंक ने कार्यबल की तैनाती को अनुकूलतम बनाने के लिए एक जनशक्ति नियोजन उपकरण भी क्रियान्वित किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परिचालन आवश्यकताओं के लिए स्टाफ का स्तर उपयुक्त है.

कर्मचारी कार्यनिष्पादन हेतु केपीआई

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी के प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से मापने और प्रबंधित करने के लिए विशिष्ट केपीआई का उपयोग करती है. ये केपीआई बैंक की समग्र सफलता पर व्यक्तिगत योगदान के प्रभाव का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं.

- » **व्यवसाय वृद्धि मीट्रिक्स:** इनमें अग्रिम, जमा और लाभप्रदता से संबंधित लक्ष्य शामिल हैं, जो बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य पर कर्मचारी प्रदर्शन के प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाते हैं.
- » **परिचालन दक्षता:** इस क्षेत्र में केपीआई आंतरिक प्रक्रियाओं की दक्षता को मापते हैं, जैसे लेनदेन प्रसंस्करण समय, त्रुटि दर और नियामक मानकों का पालन.
- » **ग्राहक संतुष्टि:** कर्मचारी के प्रदर्शन का



व्हिसल-ब्लोअर नीति पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है, तथा कर्मचारियों को आत्मविश्वास के साथ अपनी चिंताओं को व्यक्त करने में सक्षम बनाती है.

126,399

कुल संख्या

वित्त वर्ष 2024 में कर्मचारियों द्वारा पूर्ण किए गए ई-लर्निंग मॉड्यूल की कुल संख्या, जो सुदृढ़ भागीदारी को दर्शाती है.

मूल्यांकन ग्राहक प्रतिक्रिया और संतुष्टि स्कोर के आधार पर भी किया जाता है, जो बैंक की प्रतिष्ठा और ग्राहक वफादारी बनाए रखने के लिए आवश्यक है..

- » प्रशिक्षण और विकास: प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी और व्यावसायिक प्रमाणपत्रों के पूरा होने की निगरानी कर्मचारी की संलग्नता और सतत व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के संकेतक के रूप में की जाती है.

पुरस्कार और सम्मान समारोह

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उच्च प्रदर्शन को प्रेरित करने और पुरस्कृत करने के लिए कई मान्यता और पुरस्कार कार्यक्रम लागू किए हैं जो व्यक्तिगत और टीम के योगदान को मान्यता देते हैं.

- » **केंद्रीय प्रेज़ कार्यक्रम:** सेवा और उत्कृष्टता के लिए व्यक्तियों और टीमों को पुरस्कृत करने और मान्यता देने के लिए इस कार्यक्रम (प्रेज़) का उद्देश्य बैंक के उद्देश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है. यह पहल मनोबल बढ़ाने और उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है.
- » **प्रदर्शन बोनस और प्रोत्साहन:** जो कर्मचारी अपने प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा करते हैं या उससे अधिक करते हैं, वे बोनस और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र होते हैं. ये पुरस्कार सीधे विशिष्ट व्यावसायिक और परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़े होते हैं.
- » **नेतृत्व पुरस्कार:** ऐसे कर्मचारियों को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं जो असाधारण नेतृत्व गुण प्रदर्शित करते हैं और टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. ये पुरस्कार संगठन के सभी स्तरों पर नेतृत्व के महत्व को उजागर करते हैं.

कर्मचारी सहभागिता और कल्याण

जीआरआई 401, 403

विभिन्न मजबूत सहभागिता और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि उसका कार्यबल प्रेरित, स्वस्थ और उत्पादक बना रहे, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में बैंक की निरंतर सफलता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में योगदान मिले.

सहभागिता कार्यनीतियां एवं सर्वेक्षण परिणाम

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नियमित सर्वेक्षणों और ऑडिट के माध्यम से कर्मचारियों की सहभागिता को बढ़ाने और उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए व्यापक रणनीतियां लागू की हैं.

- » **कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण:** मानव संपदा प्रबंधन (HCM) नीतियों के प्रभाव को मापने के लिए एक कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण सह मानव संसाधन विभाग ऑडिट आयोजित किया गया था. इस सर्वेक्षण में मानव संसाधन विभाग संस्कृति, प्रदर्शन प्रबंधन, प्रशिक्षण और विकास, और कैरियर विकास सहित विभिन्न मापदंडों का मूल्यांकन किया गया. इन सर्वेक्षणों में उच्च भागीदारी दर कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करती है और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है.

भलाई और कार्य-जीवन संतुलन

सीबीआई अपने कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक और वित्तीय स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कल्याण और कार्य-जीवन संतुलन पर महत्वपूर्ण जोर देती है.

कल्याण कार्यक्रम:

- » 24x7 टेली-मेडिकल परामर्श
 - » मानसिक स्वास्थ्य के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी)
- #### चिकित्सा सुविधाएं और बीमा:
- » आंचलिक मुख्यालयों में डॉक्टर और दवाएं
 - » सुपर टॉप-अप के साथ ग्रुप मेडिकल इश्योरेंस
 - » प्रमुख बीमारियों के लिए कॉर्पोरेट बफर
 - » नवीनीकृत सेवानिवृत्त लोगों का समूह स्वास्थ्य बीमा

वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन:

- » अंतिम संस्कार व्यय राहत और अनुग्रह भुगतान
- » कैटिन सब्सिडी
- » विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले कर्मचारियों के लिए सहायता
- » शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को पुरस्कार
- » प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) और बोनस



हमारी समान अवसर नीति समावेशिता को बढ़ावा देती है, जिससे दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सार्थक करियर विकास सुनिश्चित होता है.

100%

भागीदारी दर

वित्त वर्ष 2024 में ऑनबोर्डिंग कार्यक्रमों में भागीदारी दर, यह सुनिश्चित करना कि सभी नए कर्मचारी अच्छी तरह से एकीकृत हों.

मनोरंजक गतिविधियां:

- » उन्नत अवकाश और पारगमन गृह
- » नियमित स्वास्थ्य जांच
- » खेल, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए धन
- » त्यौहारी मिठाइयाँ या ड्राई-फ्रूट पैकेट

स्थानांतरण नीतियां और संघ चर्चाएं:

- » कैरियर पथ और पदोन्नति पर संयुक्त संघ चर्चा
- » अधिकारियों के लिए किराया प्रतिपूर्ति और बढ़ी हुई अधिकतम सीमा
- » संशोधित स्थानांतरण और पदोन्नति नीतियां

आपदा सहायता:

- » प्रभावित कर्मचारियों के लिए बाढ़ राहत ऋण

कर्मचारी कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इन पहलों में प्रति कर्मचारी और पति/पत्नी 5,000 रुपये तक की चिकित्सा स्वास्थ्य जांच प्रतिपूर्ति, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता और शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए पुरस्कार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हमने खेल, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए धन आवंटित किया है, और 75 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भुगतान शुरू किया है। अन्य लाभों में क्षेत्रीय मुख्यालयों में डॉक्टरों का प्रावधान, कैंटीन सब्सिडी, हॉलिडे होम सुविधाएँ और अप्रैल 2024 से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए 24x7 टेली-मेडिकल परामर्श सेवा शामिल है।

हमने प्राकृतिक आपदाओं और अशांति से प्रभावित कर्मचारियों को राहत ऋण भी प्रदान किया है, वार्षिक खेल और पारिवारिक समारोह आयोजित किए हैं, और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किए हैं। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोहों के लिए धन आवंटित किया है। हमारी बीमा पॉलिसियाँ प्रशिक्षुओं को कवर करती हैं और कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए समूह चिकित्सा बीमा प्रदान करती हैं, जिसमें प्रमुख चिकित्सा

व्यय के लिए कॉर्पोरेट बफर भी शामिल है। हमने समूह स्वास्थ्य बीमा योजना का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत्त लोगों को विशेष ऋण भी प्रदान किए और समय पर प्रीमियम भुगतान के लिए जल्दी पेंशन वितरण सुनिश्चित किया।

इसके अलावा, हमने प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों का भुगतान किया, त्यौहारी मिठाइयाँ/ड्राई-फ्रूट्स वितरित किए, और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किराया प्रतिपूर्ति की सीमा को संशोधित किया। हमने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्मृति चिन्ह मूल्य और विदाई समारोह के खर्च को बढ़ाया और 25 साल की सेवा के लिए रजत जयंती पुरस्कार में वृद्धि की। अंत में, हमने व्हाट्सएप के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएँ भेजना शुरू किया और भारत के बैंकिंग और वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बैंक के नाम पर एक चेयर प्रोफेसर स्थापित करने के लिए छ्त्र मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए..

स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम और उनके परिणाम

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अच्छी तरह से संरचित स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए समर्पित है।

- » **स्वास्थ्य जांच और बीमा:** नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाती है, और व्यापक बीमा कवरेज यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक पहुँच प्राप्त हो। कॉर्पोरेट बफर योजना और सेवानिवृत्त लोगों की समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी महत्वपूर्ण चिकित्सा व्यय के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।
- » **सुरक्षा कार्यक्रम:** बैंक के स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रमों में सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय शामिल हैं। इन पहलों के कारण कर्मचारियों की भागीदारी दर उच्च रही है और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो समग्र कल्याण में सुधार करने में कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।



बैंक में नेतृत्व विकास का उद्देश्य दूरदर्शी नेताओं को आकार देना है जो बैंक को रणनीतिक सफलता की ओर ले जा सकें।

₹25 करोड़

को धनराशि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित की गई है।



बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों न केवल सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है, अपितु हमारे कर्मचारियों में गर्व और संतुष्टि की भावना भी जागृत करती है।



स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम एवं उनके परिणाम

बैंक, भली भांति संरचित स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए समर्पित है।

स्वास्थ्य जांच और बीमा:

नियमित स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाती है, और व्यापक बीमा कवरेज यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को आवश्यक चिकित्सा तक पहुँच हो। कॉर्पोरेट बफर योजना और सेवानिवृत्त लोगों की समूह स्वास्थ्य बीमा नीति महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।

सुरक्षा कार्यक्रम:

बैंक के स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रमों में सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय शामिल हैं। इन पहलों से कर्मचारियों से उच्च भागीदारी दर और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जो समग्र कल्याण के सुधारत्मक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

औद्योगिक संबंध

सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कर्मचारी यूनियनों और प्रतिनिधि निकायों के साथ हमारे निरंतर जुड़ाव के माध्यम से स्पष्ट है। हम सकारात्मक और

उत्पादक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए खुले संचार, आपसी सम्मान और सहयोगात्मक समस्या-समाधान को प्राथमिकता देते हैं। विश्वास और समझ को बढ़ावा देकर, हमारा लक्ष्य एक सहायक माहौल बनाना है जो हमारे कर्मचारियों और पूरे संगठन दोनों को लाभान्वित करता है।

17 जून, 2023 को, हमने अपने कार्यबल को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर बात करने के लिए, बहुसंख्यक अधिकारियों के संघ एआईसीबीओएफ के साथ एक संयुक्त चर्चा की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, हमने मुख्यधारा और विशेषज्ञ अधिकारियों दोनों के लिए कैरियर पथ-सह-पदोन्नति नीति, साथ ही अधिकारियों के लिए स्थानांतरण मानदंडों पर विचार-विमर्श करने के लिए बहुसंख्यक यूनियनों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। इसके अतिरिक्त, पंचाट कर्मचारियों के लिए संशोधित स्थानांतरण और पदोन्नति मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए बहुसंख्यक पंचाट कर्मचारी संघ एआईसीबीओएफ के साथ व्यापक चर्चा की गई। ये सहयोगी प्रयास एक निष्पक्ष और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी): वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के दिशानिर्देशों के जवाब में, 22 दिसंबर 2023 के पत्र संख्या-ईएफ. सं.6/8/2014-आईआर में उल्लिखित, बैंकिंग

क्षेत्र में संभावित उद्योग-व्यापी हड़तालों से निपटने के लिए एक पुनः-प्रारूपित संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) विकसित की गई थी।

तीन दिन या उससे ज़्यादा समय तक चलने वाली हड़ताल से उत्पन्न होने वाले किसी भी संकट से निपटने के लिए हमारे उच्च अधिकारियों ने एक संकट प्रबंधन दल का गठन किया है। यह दल उद्योग-स्तरीय निगरानी समिति के साथ समन्वय करेगा और इसमें निम्नलिखित महाप्रबंधक शामिल हैं:

1. महाप्रबंधक-एचसीएम - नोडल अधिकारी/समन्वयक
2. महाप्रबंधक- परिचालन
3. महाप्रबंधक-आईटी
4. महाप्रबंधक-डिजिटल भुगतान और लेनदेन बैंकिंग

संकट प्रबंधन दल ने 1 दिसंबर, 2023 को अपनी प्रारंभिक बैठक की। बैठक के बाद, हमारे विभाग ने व्यापक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सभी नोडल अधिकारियों से सुझाव एकत्र किए। बैंक स्तर पर निगरानी समिति नियमित रूप से बैठक करेगी ताकि किसी भी संभावित संकट के लिए अद्यतन और तैयार रह सके।

नेतृत्व विकास

जीआरआई 404

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) ने संगठन के विभिन्न स्तरों पर भावी लीडर्स को विकसित करने के लिए विभिन्न नेतृत्व विकास कार्यक्रम लागू किए हैं। ये कार्यक्रम रणनीतिक सोच, टीम प्रबंधन, संघर्ष समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को बढ़ाते हैं।

प्रशिक्षण एवं भागीदारी

- » नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम:
 - महाप्रबंधकों और उप महाप्रबंधकों ने आईआईएम बैंगलोर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की।

- सहायक महाप्रबंधकों को आईआईएम उदयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।
- मुख्य प्रबंधकों को एनआईबीएम में प्रशिक्षण दिया गया।
- एनआईबीएम और केंट बिजनेस स्कूल में क्षेत्रीय प्रमुखों के लिए विशेष विदेशी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों में भागीदारी उल्लेखनीय रही है:

- » आईआईएम बैंगलोर में जीएम/डीजीएम: 1 कार्यक्रम, 70 प्रतिभागी।
- » आईआईएम उदयपुर में वार्षिक आम बैठक: 1 कार्यक्रम, 187 प्रतिभागी।
- » एनआईबीएम में सीएम: 1 कार्यक्रम, 834 प्रतिभागी।
- » एफएसआईबी द्वारा नामित जीएम/डीजीएम: 1 कार्यक्रम, 6 प्रतिभागी।
- » एनआईबीएम और केंट बिजनेस स्कूल में विदेशी कार्यक्रम: 1 कार्यक्रम, 8 प्रतिभागी।

उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व उत्तराधिकार

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निर्बाध बदलाव सुनिश्चित करने और परिचालन निरंतरता बनाए रखने के लिए मजबूत उत्तराधिकार योजना बनाई है। इस प्रयास में "प्रोजेक्ट सेन्ट नर्चर" शामिल है, जो महत्वपूर्ण पदों के लिए उत्तराधिकारियों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने पर केंद्रित है।

- » एक-पर-एक कार्यकारी कोचिंग: 300 से ज़्यादा कार्यकारी अधिकारियों को नेतृत्व कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत कोचिंग दी गई है। यह कोचिंग उच्च प्रदर्शन करने वाले लीडर्स को समय के साथ अपने परिणाम बनाए रखने में मदद करती है।

संगठन पर नेतृत्व विकास का प्रभाव

कई रणनीतिक पहलों के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सक्षम और गतिशील नेतृत्व टीम तैयार करना जारी रखे हुए है जो बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने और संगठन की दीर्घकालिक सफलता को आगे बढ़ाने के



हमारे व्यापक कल्याण कार्यक्रम और उसके लाभ, हमारे कर्मचारियों के समग्र कल्याण के प्रति बैंक की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।



बैंक के नेतृत्व विकास कार्यक्रम, जिनमें आईआईएम बैंगलोर जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रशिक्षण एवं एनआईबीएम तथा केंट बिजनेस स्कूल में विशेष विदेशी कार्यक्रम शामिल हैं, सभी संगठनात्मक स्तरों पर रणनीतिक सोच, टीम प्रबंधन और उभरती प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को बढ़ाते हैं।

लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रमों ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर काफी प्रभाव डाला है, जिससे नेतृत्व क्षमताओं में वृद्धि हुई है और उत्तराधिकार श्रृंखला अधिक मजबूत हुई है।

- » उन्नत नेतृत्व क्षमताएं: 1,100 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के साथ, बैंक ने विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर नेतृत्व क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार किया है।



बैंक ने विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर नेतृत्व क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है। एचआरएमएस मॉड्यूल, जेएनएल संचालित चैटबॉट, सेन्ट्रल चाणक्या जैसे डिजिटल टूल और प्लेटफार्मा के माध्यम से परिचालन दक्षता और कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाया है।

जीआरआई 402



उत्तराधिकार योजना के प्रति बैंक का व्यवस्थित दृष्टिकोण, भविष्य की नेतृत्व स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करता है जिससे विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर नेतृत्व दक्षता को बढ़ाना और बैंक को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी सुनिश्चित होता है।

- » **उन्नत उत्तराधिकार नियोजन:** उत्तराधिकार नियोजन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि बैंक भविष्य की नेतृत्व आवश्यकताओं के लिए अच्छी तरह से तैयार है, तथा संगठन के भीतर स्थिरता और निरंतरता को बढ़ावा देता है।
- » **परिचालन दक्षता में वृद्धि:** एचआरएमएस मॉड्यूल और जेनएआई-संचालित चैटबॉट सेन्ट्रल चाणक्य जैसे डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों को एकीकृत करने से परिचालन दक्षता और कर्मचारी जुड़ाव में सुधार हुआ है। ये उपकरण महत्वपूर्ण जानकारी तक तुरंत पहुँच प्रदान करते हैं और निर्बाध संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे नेतृत्व की समग्र प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

क्षतिपूर्ति और लाभ

पारिश्रमिक और लाभों के प्रति अपने रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने कर्मचारियों की भलाई और पेशेवर विकास का समर्थन करने वाले प्रतिस्पर्धी पैकेजों की पेशकश करके पसंदीदा नियोजन बना रहे। ये पहल बैंक की शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने, बनाए रखने और प्रेरित करने की क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती हैं, जिससे संगठनात्मक सफलता को बढ़ावा मिलता है।

उद्योग मानकों के साथ संरेखित करना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उद्योग मानकों के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए एक मुआवजा रणनीति तैयार की है, जिससे शीर्ष प्रतिभाओं का आकर्षण और प्रतिधारण सुनिश्चित हो सके। यह रणनीति बहुआयामी है, जिसमें निश्चित और परिवर्तनीय वेतन तत्व, दीर्घकालिक प्रोत्साहन और व्यापक लाभ पैकेज शामिल हैं।

- » **उद्योग बेंचमार्किंग:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया नियमित रूप से अपने वेतन पैकेजों को समकक्ष बैंकों और वित्तीय संस्थानों के वेतन पैकेजों के साथ तुलना करता है। इसमें वेतन, बोनस और लाभों की तुलना करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रतिस्पर्धी हैं।
- » **निश्चित और परिवर्तनीय वेतन:** बैंक की पारिश्रमिक संरचना में प्रतिस्पर्धी आधार वेतन, प्रदर्शन-आधारित बोनस और दीर्घकालिक प्रोत्साहन शामिल हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण बैंक की सफलता में तात्कालिक उपलब्धियों और दीर्घकालिक योगदान दोनों को पुरस्कृत करता है।

कर्मचारी लाभ और प्रोत्साहन-

बैंक के पास अपने कर्मचारियों का भलाई और व्यवसायिक विकास को बढ़ाने को लिए डिजाइन किये गये लाभ और प्रोत्साहन की एक विस्तृत श्रृंखला है। ये लाभ स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा से लेकर कैरियर में प्रगति तथा कार्य जीवन संतुलन तक कर्मचारियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं।

» स्वास्थ्य एवं कल्याण:

- « समूह चिकित्सा बीमा: सभी कर्मचारियों को समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है, जिसमें मूल बीमा द्वारा कवर नहीं किए गए अतिरिक्त खर्चों के लिए कॉर्पोरेट बफर शामिल है। वित्त वर्ष 2024 में, कॉर्पोरेट बफर योजना प्रमुख चिकित्सा खर्चों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।
- « टेली-मेडिकल परामर्श: 1 अप्रैल, 2024 से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए 24x7 असीमित टेली-मेडिकल परामर्श प्रदान करने के लिए क्विकवेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेटो) के साथ भागीदारी की है।
- « स्वास्थ्य जांच: बैंक कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच प्रदान करता है, जिसमें प्रति व्यक्ति ₹5,000 तक की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- « कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी): यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक चिंताओं, आत्म-विकास और आहार/पोषण परामर्श के लिए पेशेवर परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।
- » **वित्तीय और पारिवारिक सहायता:**
 - « मातृत्व और पितृत्व लाभ: प्रत्येक बच्चे के लिए छह महीने का मातृत्व अवकाश और पंद्रह दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है।
 - « शैक्षिक सहायता: शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार के अलावा दो बच्चों तक के लिए ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति उपलब्ध है।
 - « विशेष भत्ते: विशेष अपेक्षाओं या दिव्याङ्ग बच्चों वाले कर्मचारियों के लिए कैंटीन सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

» सेवानिवृत्ति और सम्मान :

- व्यापक सेवानिवृत्ति पैकेज: इसमें भविष्य निधि (पीएफ), ग्रेच्युटी, पेंशन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लाभ शामिल हैं।
- सम्मान कार्यक्रम: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उन्नत स्मृति चिन्ह, रजत जयंती पुरस्कार और दिपावली उपहार सम्मान पहल का भाग हैं।

» मनोरंजन और विविध लाभ:

- हॉलिडे और ट्रांजिट होम: भारत में प्रमुख स्थानों पर ये सुविधाएँ कर्मचारियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित करती हैं।
- खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ: इस संबंध में बजट आवंटन विभिन्न खेल, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों का समर्थन करता है।
- बीमा और आपातकालीन सहायता: कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा और अनुग्रह भुगतान सेवा में निधन होने वाले कर्मचारियों के परिवारों को प्रदान किया जाता है।

प्रतियोगात्मक क्षतिपूर्ति और कर्मचारी संतुष्टि

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने क्षतिपूर्ति पैकेजों को प्रतिस्पर्धी और कर्मचारी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए विभिन्न मेट्रिक्स पर नज़र रखता है।

» पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाएँ:

- 31 मार्च, 2024 तक, पेंशन योजना के लिए परिभाषित लाभ दायित्व ₹16,729 करोड़ था, और ग्रेच्युटी योजना के लिए, यह ₹1,651.72 करोड़ था।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक द्वारा नियमित योगदान के साथ इन योजनाओं को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है, बीमांकिक मूल्यांकन किए जाते हैं।

» कर्मचारी संतुष्टि:

- कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण जैसे नियमित सर्वेक्षण और लेखा परीक्षण, क्षतिपूर्ति और लाभों के साथ कर्मचारी संतुष्टि का आकलन करते हैं। उच्च भागीदारी दर और सकारात्मक प्रतिक्रिया इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को इंगित करती है।
- स्वास्थ्य बीमा कवरेज, मातृत्व और पितृत्व लाभ, और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों पर मेट्रिक्स कर्मचारी कल्याण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को और अधिक प्रदर्शित

करते हैं।

कॉर्पोरेट संस्कृति और मूल्य

विभिन्न पहलों और कर्मचारियों के जीवन की वास्तविक कहानियों और अनुभवों से, यह स्पष्ट है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉर्पोरेट संस्कृति को सफलतापूर्वक विकसित किया है जो इसके मूल्यों और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जो एक सकारात्मक, समावेशी और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है।

सकारात्मक और समावेशी कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक सकारात्मक और समावेशी कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को लागू किया है। ये पहल एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहाँ कर्मचारी स्वयं को मूल्यवान, सम्मानित और प्रेरित महसूस करते हैं।

विविधता और समावेशन कार्यक्रम: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक विविध और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और दिशानिर्देश स्थापित किए हैं। इसमें महिला अनुकूल स्थानांतरण नीति और विकलांग कर्मचारियों के लिए समान अवसर नीति शामिल है। इन नीतियों का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को समान अवसर और सहायता प्रदान करना है, जो समावेश और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देती है।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यापक मातृत्व और पितृत्व लाभ प्रदान करता है, जिसमें छह माह का मातृत्व अवकाश तथा प्रति शिशु पंद्रह दिन का पितृत्व अवकाश सम्मिलित है, साथ ही शैक्षिक सहायता और विशिष्ट जरूरतों अथवा दिव्यांग बच्चों वाले कर्मचारियों हेतु विशेष भत्ते भी सम्मिलित हैं।

जीआरआई 102



एचआरएमएस मॉड्यूल और जेनएआई-संचालित चैटबॉट सेंट्रल चाणक्य जैसे डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करने से परिचालन दक्षता और कर्मचारी सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी और निर्बाध संचार तक तत्काल पहुंच उपलब्ध हुई है।



दिव्यांग कर्मचारियों हेतु बैंक की नीतियां समान अवसर एवं सहायता सुनिश्चित करती हैं, जिससे पूरी संस्था में समावेशिता एवं सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देती है।



कर्मचारी जुड़ाव गतिविधियाँ: मानव संपदा प्रबंधन विभाग कर्मचारियों और उनके आश्रितों को जोड़ने के लिए वर्ष में दो बार मिलन समारोह, खेल दिवस और मनोरंजक गतिविधियाँ आयोजित करता है। कर्मचारियों के बीच सामुदायिक भावना और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक इकाई स्तर पर त्यौहार और राष्ट्रीय कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं।

नैतिकता और सत्यनिष्ठा: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर्मचारियों के बीच सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आचार संहिता और नैतिकता को अपनाया है, जिसकी हर साल समीक्षा की जाती है। इसमें हितों के टकराव और पेशेवर आचरण पर नीतियाँ शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी कर्मचारी उच्च नैतिक मानकों का पालन करें।

बैंक के मूल्यों और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ कॉर्पोरेट संस्कृति का संरेखण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेट संस्कृति इसके मूल मूल्यों और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि बैंक के संचालन का हर पहलू उत्कृष्टता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- » **प्रमुख मूल्य:** बैंक के प्रमुख मूल्यों में स्थिरता, नैतिक मानक, क्षमता का पोषण, पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल हैं। ये मूल्य सभी कर्मचारियों के व्यवहार और निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके कार्यों को बैंक के मिशन और रणनीतिक लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं।
- » **रणनीतिक उद्देश्य:** सकारात्मक कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सेन्ट्रल बैंक

ऑफ इंडिया द्वारा की गई पहल सीधे इसके रणनीतिक उद्देश्यों से जुड़ी हुई हैं। एक सहायक और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देकर, बैंक का लक्ष्य कर्मचारी संतुष्टि, प्रतिधारण और कार्य निष्पादन को बढ़ाना है, जिससे समग्र संगठनात्मक सफलता को बढ़ावा मिलता है।

एचआर में प्रौद्योगिकी और नवाचार जीआरआई 103

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तकनीकी प्रगति और अभिनव एचआर प्रथाओं ने बैंक के मानव संपदा प्रबंधन में काफी सुधार किया है, जिससे एक अधिक व्यस्त, कुशल और संतुष्ट कार्यबल में योगदान मिला है।

मानव संपदा प्रबंधन पर अपनाना और प्रभाव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मानव संपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए विभिन्न एचआर प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। इन प्रौद्योगिकियों ने एचआर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, परिचालन दक्षता में सुधार किया है और कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा दिया है।

- » **एचआरएमएस मॉड्यूल:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच आर एम एस) को सभी एचआर संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक पोर्टल के रूप में विकसित किया है। इस मॉड्यूल में कर्मचारी स्व-सेवा, शिकायत निवारण और प्रदर्शन प्रबंधन के लिए कार्यक्षमताएँ शामिल हैं।
- » **डिजिटल परिवर्तन पहल:** बैंक ने निर्बाध एचआर संचालन की सुविधा के लिए डिजिटल उपकरणों को एकीकृत किया है। इसमें कर्मचारियों के प्रश्नों को हल करने के लिए एआई -आधारित चैटबॉट शामिल है, जिससे प्रतिक्रिया समय और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।



कर्मचारी सहभागिता गतिविधियाँ, जिनमें द्विवार्षिक मिलन-समारोह, खेल दिवस, त्यौहारों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के उत्सव सम्मिलित हैं, बैंक कर्मचारियों और उनके आश्रितों के मध्य सामुदायिकता और सौहार्द को बढ़ावा देते हैं।

» **कर्मचारी सहायता कार्यक्रम :** कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के तहत 24x7 टेली-मेडिकल कंसल्टेंसी सेवा शुरू करने से कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण सहायता मिली है। यह पहल कर्मचारी स्वास्थ्य के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

एचआर प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल उपकरण और प्लेटफॉर्म

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कई एचआर प्रक्रियाओं को बढ़ाने हेतु विभिन्न डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, जिससे वे अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन गए हैं।

सेन्ट्रल स्वास्थ्य ऐप: यह ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है, जिससे कर्मचारी कभी भी, कहीं भी सीखने के संसाधनों तक पहुँच सकते हैं। ऐप निरंतर सीखने और व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।

एचआरएमएस स्व-सेवा पोर्टल: एचआरएमएस पोर्टल कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधित करने, पेंसिलिप देखने, छुट्टी के लिए आवेदन करने और शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। यह स्व-सेवा दृष्टिकोण कर्मचारियों को सशक्त बनाता है और मानव संसाधन विभाग से जुड़े कर्मचारियों पर प्रशासनिक बोझ को कम करता है।

कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली: सेन्ट्रल राइज परियोजना में एक मजबूत कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली शामिल है जो कर्मचारी के कार्य निष्पादन को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उसका आकलन करने के लिए भूमिका आवंटन, स्कोरकार्ड और समीक्षा उपयोगिताओं को एकीकृत करती है।

एचआर प्रथाओं में नवाचार और उनके परिणाम

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कई नवीन एचआर प्रथाओं की शुरुआत की है, जिनसे सकारात्मक कर्मचारी संतुष्टि और संगठनात्मक दक्षता परिणाम मिले हैं।

एआई - आधारित चैटबॉट: एआई - आधारित चैटबॉट की शुरुआत ने एचआर नीतियों, लाभों और प्रक्रियाओं से संबंधित कर्मचारी प्रश्नों को संबोधित करने की दक्षता को बढ़ाया है। इस नवाचार ने प्रतिक्रिया समय को काफी कम कर दिया है और कर्मचारी संतुष्टि में सुधार किया है।

दो-कारक प्रमाणीकरण: मानव संपदा प्रणाली सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफॉर्म तक पहुँच के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण लागू किया है। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील कर्मचारी डेटा अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित है।

डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन: बैंक ने डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन के लिए फिनटेक समाधानों के साथ एकीकरण किया है, जिससे ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया और अन्य एचआर दस्तावेज़ीकरण को सुव्यवस्थित किया गया है। इस नवाचार के कारण प्रसंस्करण समय में तेज़ी आई है और कागज़ात कम हुए हैं।

सीएसआर और कर्मचारी भागीदारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन पहलों के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सक्रिय रूप से प्रदर्शित करता है, जो समुदाय और उसके कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। बैंक की सीएसआर गतिविधियाँ न केवल सामाजिक स्थितियों में सुधार करती हैं, बल्कि कर्मचारियों के बीच संतुष्टि और जुड़ाव की भावना को भी बढ़ावा देती हैं, जो संगठन की समग्र सफलता और स्थिरता को आगे बढ़ाती हैं।

सीएसआर गतिविधियों में कर्मचारी भागीदारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने सीएसआर पहलों में कर्मचारियों की भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है, जो अपने कर्मचारियों के बीच स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है।



बैंक में एचआरएमएस मॉड्यूल सभी मानव संसाधन संबंधी मामलों हेतु एक व्यापक पोर्टल के रूप में कार्य करता है, जिसमें कर्मचारी स्व-सेवा, शिकायत निवारण और प्रदर्शन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और परिचालन दक्षता को बढ़ाना शामिल है।

जीआरआई 413, 102



कर्मचारियों के प्रश्नों के निराकरण हेतु बैंक द्वारा एआई-आधारित चैटबॉट के प्रयोग से प्रतिक्रिया समय और सेवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो निर्बाध मानव संसाधन संचालन हेतु डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



बैंक कर्मचारियों को विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए स्वयंसेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिनमें वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएँ, पर्यावरणीय स्थिरता प्रयास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं, जिससे सामुदायिक लाभ में वृद्धि होती है और कर्मचारियों की संतुष्टि और टीम भावना को बढ़ावा मिलता है।



बैंक में सीएसआर कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को सीएसआर के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाता है, जागरूकता बढ़ाई जाती है और सामुदायिक सेवा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है और सामुदायिक संबंध मजबूत होते हैं।

स्वयंसेवा: कर्मचारियों को विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए अपना समय और कौशल स्वच्छा से देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएँ, पर्यावरण स्थिरता परियोजनाएँ और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भागीदारी शामिल है। यह जुड़ाव समुदाय को लाभान्वित करता है और कर्मचारी संतुष्टि और टीम भावना को बढ़ाता है।

सीएसआर कार्यशालाएँ: कर्मचारियों को सीएसआर के महत्व और वे कैसे योगदान दे सकते हैं, इस बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। ये सत्र जागरूकता वृद्धि और कर्मचारियों को सीएसआर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

सीएसआर का मनोबल और सामुदायिक संबंधों पर प्रभाव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीएसआर पहलों का कर्मचारियों के मनोबल और सामुदायिक संबंधों दोनों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा:

सीएसआर गतिविधियों में भागीदारी से कर्मचारियों में नौकरी की संतुष्टि और गर्व की भावना बढ़ी है। संगठित सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से समुदाय को वापस देने का अवसर कर्मचारियों को बैंक के मूल्यों और मिशन से अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है।

मजबूत सामुदायिक संबंध:

सामुदायिक विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवा पहलों और शैक्षिक कार्यक्रमों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भागीदारी ने स्थानीय समुदायों के साथ इसके संबंधों को मजबूत किया है। इन प्रयासों ने बैंक की एक जिम्मेदार और देखभाल करने वाले कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया है, जिससे हितधारकों के बीच सद्भावना और विश्वास बढ़ा है।

प्रमुख सीएसआर परियोजनाएँ और उनके परिणाम

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कई महत्वपूर्ण सीएसआर परियोजनाएँ शुरू की हैं जिनके महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं और जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ हुआ है।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: बैंक ने विभिन्न जनसांख्यिकी के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए कई कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित किए, प्रमुख रूप से वंचित क्षेत्रों में व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को लक्षित किया। इन शैक्षिक कार्यक्रमों ने बजट, बचत और निवेश रणनीतियों पर आवश्यक ज्ञान प्रदान किया, जिससे प्रतिभागियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाया गया। परिणाम: 10,000 से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचकर उन्हें अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ज्ञान से सुसज्जित किया।

पर्यावरणीय स्थिरता पहल: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वृक्षारोपण अभियान, सफाई अभियान और "ग्रीन बैंकिंग" कार्यक्रम सहित कई स्थिरता परियोजनाएँ शुरू कीं, जो कागज़ के उपयोग और कचरे को कम करने के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने को बढ़ावा देती हैं। परिणामतः कागज़ के उपयोग में 30% की कमी की, 5,000 पेड़ लगाए और सफाई अभियान चलाए, जिसमें 10 टन से अधिक कचरा एकत्र किया गया।

सामुदायिक विकास परियोजनाएँ: बैंक द्वारा कमजोर वर्गों के लिए एक बेहतर भविष्य निर्माण हेतु स्कूल, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बनाना आदि बुनियादी ढांचों को वित्तपोषित किया गया।

स्वास्थ्य सेवा पहल: स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को ध्यान रखते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य सेवा पहलों में निवेश किया, जो आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक, स्वास्थ्य शिविर और निवारक स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित कार्यक्रमों के लिए धन शामिल है। परिणामतः ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में 15,000 से अधिक व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की गईं, जिससे उनके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

भविष्य का दृष्टिकोण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भविष्य की वृद्धि और सफलता को आगे बढ़ाने के लिए मानव संपदा विकास पर अपना रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक की मानव संपदा कार्यनीति कर्मचारी क्षमताओं को बढ़ाने, नेतृत्व को बढ़ावा देने और निरंतर सीखने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर जोर देती है।

- » **नेतृत्व विकास:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजना बना रहा है ताकि भविष्य के लीडर्स की एक श्रृंखला विकसित की जा सके जो बदलती चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से बैंक को मार्गदर्शित कर सकें। इसमें अधिक व्यापक कार्यकारी कोचिंग और मेंटरशिप कार्यक्रम शामिल हैं।
- » **डिजिटल कौशल संवर्धन:** तकनीकी प्रगति की तीव्र गति के साथ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों को डिजिटल कौशल से सुसज्जित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें नए डिजिटल टूल, मंच और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण शामिल है ताकि बैंक के डिजिटल परिवर्तन प्रयासों में कर्मचारियों के प्रभावी योगदान को सुनिश्चित किया जा सके।
- » **कर्मचारी कल्याण और जुड़ाव:** कर्मचारी कल्याण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने कल्याण कार्यक्रमों में बढ़ोत्तरी जारी रखेगा, मानसिक, शारीरिक और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए व्यापक सहायता प्रदान करेगा। उच्च नौकरी संतुष्टि और उत्पादकता बनाए रखने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से कर्मचारियों को जोड़ना बैंक की प्राथमिकता बनी रहेगी।

उभरते रुझान और चुनौतियाँ

जैसे-जैसे बैंकिंग क्षेत्र विकसित होगा, कई उभरते रुझान और चुनौतियाँ बैंक में मानव संपदा प्रबंधन को प्रभावित करेंगी।

तकनीकी व्यवधान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और स्वचालन जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने के लिए कर्मचारियों को लगातार अनुकूलन और कौशल बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इस परिवर्तन का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना कि कार्यबल नई तकनीकी मांगों के लिए तैयार है, एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

कार्यबल जनसांख्यिकी में बदलाव: तेजी से विविध कार्यबल के साथ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एक समावेशी कार्य वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी जो विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों की जरूरतों को

पूरा करता हो। इसमें ऐसी नीतियों को लागू करना शामिल है जो कार्य-जीवन संतुलन और लचीली कार्य व्यवस्था का समर्थन करती हैं।

नियामक परिवर्तन: बैंकिंग क्षेत्र लगातार नियामक परिवर्तनों के अधीन है, जो मानव संसाधन नीतियों और प्रथाओं को प्रभावित कर सकते हैं। कर्मचारियों को नए नियमों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित करते हुए अनुपालन करते रहना आवश्यक होगा।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कार्यबल की निरंतर वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए मानव संपदा प्रबंधन के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना: बैंक का लक्ष्य अपने विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण घंटों की संख्या और सहभागिता दर में वृद्धि करना है। इसमें ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना और अधिक व्यक्तिगत कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित करना सम्मिलित है।

अवधारण दरों में सुधार: प्रतिस्पर्धी क्षतिपूर्ति पैकेज, करियर विकास के अवसर और एक सहायक कार्य वातावरण प्रदान करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य अपनी कर्मचारी अवधारण दरों में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य स्वैच्छिक टर्नओवर को कम करना और एक स्थिर, अनुभवी कार्यबल बनाए रखना है।

नवाचार को बढ़ावा देना: नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण फोकस होगा। इसमें रचनात्मक समस्या-समाधान को बढ़ावा देना और कर्मचारियों को ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है जो बैंक की कार्यनीतिक पहल को आगे बढ़ा सकते हैं।

नेतृत्व श्रृंखला विकास: लक्षित विकास कार्यक्रमों और भविष्य नियोजन के माध्यम से नेतृत्व श्रृंखला को मजबूत करना यह सुनिश्चित करेगा कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम नेतृत्वकर्ताओं का एक तैयार पूल है।



बैंक के भविष्य का दृष्टिकोण मानव संपदा विकासोन्मुख है, विकास को गति देने और उच्च कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता सुनिश्चित करने हेतु नेतृत्व प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल वृद्धि और व्यापक कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जा रहा है

इन रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके, उभरती चुनौतियों का समाधान करके, तथा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने मानव संपदा प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो बैंक की समग्र सफलता और स्थिरता में योगदान देता है।

जीआरआई सूचकांक

जीआरआई मानक संख्या	प्रकटीकरण	जारी मद - रणनीतिक प्राथमिकता - व्यापार मॉडल घटक	यूएनएसडीजी	पृष्ठ संख्या(एँ)
जीआरआई 102-1	संस्था का नाम	34 - एन - 4		12
जीआरआई 102-2	गतिविधियाँ, ब्रांड, उत्पाद और सेवाएँ	30 - ओ - 2		14, 24
जीआरआई 102-3	मुख्यालय का स्थान	34 - एन - 3		12, 14
जीआरआई 102-4	संचालन का स्थान	29 - एन - 2		12
जीआरआई 102-5	स्वामित्व और कानूनी रूप	36 - एन - 1		04
जीआरआई 102-6	सेवा प्रदान किए गए बाजार	15 - एफ - 7		14, एमडी एंड ए
जीआरआई 102-7	संस्था का क्षेत्र	30 - ए - 3		14, एमडी एंड ए
जीआरआई 102-8	कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों के बारे में जानकारी	23 - सी - 5	8.5, 8.8	112
जीआरआई 102-9	आपूर्ति श्रृंखला	33 - के - 1	12.6	48
जीआरआई 102-10	संस्था और इसकी आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण परिवर्तन	22 - के - 1		45
जीआरआई 102-11	निवारक सिद्धांत या दृष्टिकोण	34 - एन - 4	16.5	24, 46
जीआरआई 102-12	बाह्य पहल	14 - ओ - 5	17.16	48, एमडी एंड ए
जीआरआई 102-13	संघों की सदस्यता	36 - एम - 6		96
जीआरआई 102-14	वरिष्ठ निर्णयकर्ता का वक्तव्य	34 - एन - 6		16
जीआरआई 102-15	प्रमुख प्रभाव, जोखिम और अवसर	2 - एन - 4	13.1	21, 24
जीआरआई 103-1	मद विषय और इसकी सीमा का स्पष्टीकरण	2 - एन - 4		26
जीआरआई 201-1	प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य उत्पन्न और वितरित	12 - ए - 9	8.1, 8.2	21, 24
जीआरआई 202-1	स्थानीय न्यूनतम वेतन की तुलना में लिंग के आधार पर मानक प्रवेश-स्तर वेतन का अनुपात	27 - डी - 5	5.1, 8.5	112
जीआरआई 202-2	स्थानीय समुदाय से नियुक्त वरिष्ठ प्रबंधन का अनुपात	23 - सी - 3	8.5	112
जीआरआई 203-1	बुनियादी ढांचे में निवेश और समर्थित सेवाएँ	7 - पी - 3	9.1, 9.3	70
जीआरआई 203-2	महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव	12 - ए - 9	8.1, 8.2	21, 36, 42
जीआरआई 205-1	भ्रष्टाचार से संबंधित जोखिमों के लिए मूल्यांकन किए गए संचालन	34 - एन - 4	16.5	46, सीजीआर
जीआरआई 205-2	भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में संचार और प्रशिक्षण	34 - एन - 5	16.5	12
जीआरआई 205-3	भ्रष्टाचार की पुष्टि की गई घटनाएँ और की गई कार्रवाई	34 - एन - 4	16.5	12
जीआरआई 206-1	प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार, अविश्वास-विरोधी और एकाधिकार प्रथाओं के लिए कानूनी कार्रवाई	35 - एल - 4	16.3	46
जीआरआई 302-1	संस्था के भीतर ऊर्जा की खपत	4 - ओ - 3	7.3, 12.2	82
जीआरआई 302-3	ऊर्जा की तीव्रता	4 - ओ - 3	7.3, 12.2	82
जीआरआई 302-4	ऊर्जा की खपत में कमी	4 - ओ - 3	3 7.3, 12.2	82
जीआरआई 303-1	साझा संसाधन के रूप में जल संरक्षण	5 - ओ - 3	6.4, 12.2	82
जीआरआई 304-1	संरक्षित क्षेत्रों में या उनके आस-पास स्वामित्व वाली, पट्टे पर दी गई, प्रबंधित की गई और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उच्च जैव विविधता मूल्य वाले क्षेत्रों की परिचालन साइटें	1 - एन - 3	15.1, 15.5	82
जीआरआई 305-1	प्रत्यक्ष (दायरा 1) जीएचजी उत्सर्जन	2 - ओ - 3	13.1, 13.2	82
जीआरआई 305-2	ऊर्जा अप्रत्यक्ष (दायरा 2) जीएचजी उत्सर्जन	2 - ओ - 3	13.1, 13.2	82
जीआरआई 305-3	अन्य अप्रत्यक्ष (दायरा 3) जीएचजी उत्सर्जन	2 - ओ - 3	13.1, 13.2	82
जीआरआई 305-4	जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता	2 - ओ - 3	13.1, 13.2	82
जीआरआई 305-5	जीएचजी उत्सर्जन में कमी	2 - ओ - 3	13.1, 13.2	82
जीआरआई 306-1	अपशिष्ट उत्पादन और महत्वपूर्ण अपशिष्ट-संबंधी प्रभाव	6 - ओ - 3	12.4, 12.5	82
जीआरआई 307-1	पर्यावरण कानूनों और विनियमों का गैर-अनुपालन	35 - एन - 4	16.3	82
जीआरआई 401-1	नए कर्मचारियों की नियुक्ति और कर्मचारियों का टर्नओवर	23 - सी - 5	8.5, 8.6	112
जीआरआई 402-1	परिचालन परिवर्तनों के बारे में न्यूनतम नोटिस अवधि	34 - एन - 6		48
जीआरआई 403-1	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली	25 - डी - 5	8.8	112
जीआरआई 403-2	खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और घटना की जांच	25 - डी - 5	8.8	112
जीआरआई 403-3	व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएँ	25 - डी - 5	8.8	112
जीआरआई 403-4	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कार्यकर्ता की भागीदारी, परामर्श और संचार	25 - डी - 5	8.8	112



जीआरआई मानक संख्या	प्रकटीकरण	सामग्री मुद्दा - रणनीतिक प्राथमिकता - व्यापार मॉडल घटक	यूएनएसडीजी	पृष्ठ संख्या(एँ)
जीआरआई 404-1	प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष प्रशिक्षण के औसत घंटे	24 - डी - 5	8.5	112
जीआरआई 404-2	कर्मचारी कौशल उन्नयन और परिवर्तन सहायता कार्यक्रम	24 - डी - 5	8.5	112
जीआरआई 405-1	शासन निकायों और कर्मचारियों की विविधता	27 - डी - 5	5.1, 5.5	112
जीआरआई 405-2	महिलाओं और पुरुषों के मूल वेतन और पारिश्रमिक का अनुपात	27 - डी - 5	5.1, 5.5	112
जीआरआई 406-1	भेदभाव की घटनाएँ और सुधारात्मक कार्रवाई	27 - एन - 5		112
जीआरआई 412-1	संचालन जो मानवाधिकार समीक्षा या प्रभाव आकलन के अधीन रहे हैं	9 - एन - 5	16.1, 16.2	112
जीआरआई 418-1	ग्राहक गोपनीयता के उल्लंघन और ग्राहक डेटा के नुकसान से संबंधित पुष्ट शिकायतें	10 - जी - 5	16.3, 16.10	46, 70
जीआरआई 419-1	सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कानूनों और विनियमों का गैर-अनुपालन	36 - एन - 4	16.3, 16.6	96, सीजीआर
जीआरआई एफएस-1	व्यावसायिक लाइनों पर लागू विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक घटकों वाली नीतियां	33 - ओ - 1		96
जीआरआई एफएस-2	व्यावसायिक लाइनों में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का आकलन और जांच करने की प्रक्रियाएँ	33 - ओ - 1		82, 96
जीआरआई एफएस-3	पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ ग्राहकों के कार्यान्वयन और अनुपालन की निगरानी के लिए प्रक्रियाएँ समझौते या लेनदेन	33 - ओ - 1		82, 96
जीआरआई एफएस-4	व्यवसाय लाइनों पर लागू पर्यावरण और सामाजिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता में सुधार के लिए प्रक्रिया(एँ)	24 - ई - 5	8.5	112
जीआरआई एफएस-5	पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और अवसरों के बारे में ग्राहकों/निवेशकों/व्यावसायिक भागीदारों के साथ बातचीत	33 - ओ - 5		82, 96
जीआरआई एफएस-6	विशिष्ट क्षेत्र, आकार और सेक्टर के अनुसार व्यवसाय लाइनों के लिए पोर्टफोलियो का प्रतिशत	15 - जे - 7	10.2, 10.3	14, एम डी ए
जीआरआई एफएस-7	उद्देश्य के अनुसार विभाजित प्रत्येक व्यवसाय लाइन हेतु एक विशिष्ट सामाजिक लाभ देने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य	15 - जे - 9	1.4, 10.2	48, 62
जीआरआई एफएस-8	उद्देश्य के अनुसार विभाजित प्रत्येक व्यवसाय लाइन हेतु एक विशिष्ट पर्यावरणीय लाभ देने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य	29 - ओ - 9	13.2, 13.3	48, 62
जीआरआई एफएस-10	संस्था के पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों का प्रतिशत और संख्या जिनके साथ रिपोर्टिंग संगठन ने पर्यावरण या सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है	12 - के - 7	12.6, 12.8	48
जीआरआई एफएस-11	सकारात्मक और नकारात्मक पर्यावरण या सामाजिक जांच के अधीन परिसंपत्तियों का प्रतिशत	7 - ओ - 8	12.6	48
जीआरआई एफएस-13	कम आबादी वाले या आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में प्रकार के अनुसार पहुंच बिंदु	19 - जे - 7	8.10, 10.2	48
जीआरआई एफएस-14	वंचित लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने की पहल	19 - जे - 7	1.4, 10.2	48, 96
जीआरआई एफएस-15	वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के निष्पक्ष डिज़ाइन एवम बिक्री के लिए नीतियां	15 - जे - 7	10.2, 10.3	48, 70, एमडी & ए
जीआरआई एफएस-16	लाभार्थी के प्रकार के अनुसार वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की पहल	17 - ई - 5	4.4, 4.7	48

अस्वीकरण:

निम्नलिखित तालिका एक विस्तारित जीआरआई सूचकांक है जिसे बैंकिंग संस्थान के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक मानकों के चयन को शामिल करने के लिए डि. जाइन किया गया है. यह क्रॉस-रेफरेंस तालिका संपूर्ण नहीं है, और बैंक पर लागू सटीक मानक और प्रकटीकरण हमारे भौतिकता मूल्यांकन और हमारे संचालन की विशिष्ट प्रकृति पर निर्भर करेंगे. कृपया ध्यान दें कि तालिका के भीतर जानकारी का संरेखण स्वरूप बाधाओं के कारण थोड़ी अपूर्णता प्रदर्शित कर सकता है. चौथे कॉलम में इस रिपोर्ट में संदर्भित विशिष्ट अध्याय हैं, जो भौतिकता, रणनीतिक स्तंभों और व्यवसाय मॉडल केनवास घटकों से संबंधित हैं. इन संदर्भों को पूरी तरह से समझने के लिए, कृपया रिपोर्ट के भीतर समर्पित अध्यायों को देखें. यह तालिका एक सामान्य दिशानिर्देश के रूप में कार्य करती है और हो सकता है कि यह हमारी संस्था के सभी अनूठे पहलुओं को कवर न करे. सटीक विवरण और पूर्ण सटीकता के लिए, कृपया मूल स्रोतों को देखें और समर्पित अध्यायों से मिलान करें.

नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 17वीं (सत्रवहीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 (बैठक का माना हुआ स्थल) में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी।

साधारण व्यवसाय:-

मद संख्या .1

दिनांक 31 मार्च 2024 को बैंक की लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन और समेकित लाभ और हानि खाते, खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना और अपनाना।

मद संख्या .2

बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्रीमती चारुलता एस कर की नियुक्ति का अनुमोदन.

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1 सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना 6/3/2011-BO.I दिनांक 14 जुलाई, 2023 के माध्यम से श्रीमती चारुलता एस. कर को दिनांक 14.07.2023 और अगले आदेश तक, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या .3

बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री महेन्द्र दोहरे की नियुक्ति का अनुमोदन.

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3)

के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या eF.No.4/1(x)/2023-BO.I के माध्यम से श्री महेन्द्र दोहरे को पद ग्रहण करने की तिथि दिनांक 09.10.2023 से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मद संख्या .4

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद “विनियमन अधिनियम” के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद “योजना” के रूप में संदर्भित) और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1998 (इसके बाद “विनियमन” के रूप में संदर्भित) सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीबद्ध विनियमन” के रूप में संदर्भित) आरबीआई मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी. सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और अधिसूचना संख्या के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव करना. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 24 नवंबर, 2016 के डीबीआर.एट.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 (जिसे आगे आरबीआई अधिसूचनाएं कहा जाएगा) और उसमें किए गए आगे के संशोधन, भारत सरकार (जीओआई) के दिनांक 3 सितंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओआई और दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के एफ.सं.16/51/2012-बीओ.आई (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशकों के रूप में विचार के लिए जारी दिनांक 08 जुलाई, 2016 के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाए (जिसे आगे “जीओआई दिशानिर्देश” कहा जाएगा) और उसमें किए गए आगे के संशोधन, यदि कोई हों, और एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि श्री/श्रीमती _____ को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के साथ पठित प्रासंगिक योजना, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाता है और उन्हें 17 जुलाई, 2024 से प्रभावी रूप से पदभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे 16 जुलाई, 2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे.”

चुनाव के बाद, उपरोक्त प्रस्ताव को सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के तहत पारित माना जाएगा।

मद संख्या . 5

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स ड्रश्यू जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से इक्विटी पूंजी को 5000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर विचार करना।

निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या संशोधन के बिना यदि उचित समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने पर विचार करना :

“संकल्प लिया गया कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर संशोधित और भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी”), और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकरण की मंजूरी, सहमति, अनुमति और प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे नियमों, शर्तों और संशोधनों के अधीन, जैसा कि ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति हो सकती है और सेबी (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और सेबी (सूचीबद्धता) विनियम, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों और समय-समय पर सभी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरणों के तहत अधिसूचनाएं/परिपत्र और स्पष्टीकरण और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (जिसे आगे “बोर्ड” कहा जाएगा) को दी जाती है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल मानी जाएगी, जिसे बोर्ड ने गठित किया है या/पुनर्गठित कर सकता है, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बनाने, प्रस्ताव करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए 10 रुपये (केवल दस रुपये) के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की संख्या 5000 करोड़ रुपये (केवल पांच हजार करोड़ रुपये) (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) के मूल्य तक इस तरह से कि केंद्र सरकार हर समय बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 51% से अन्यून हिस्सा रखेगी, चाहे बाजार मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर, एक या एक से अधिक किस्तों में, जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (“एनआरआई”), कंपनियां - निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थान, सोसायटी, ट्रस्ट, अनुसंधान संगठन, योग्य संस्थागत खरीदार (“क्यूआईबी”), विदेशी संस्थागत निवेशक (“एफआईआई”), बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरण या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी शामिल हैं जो मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अधिकृत हैं।

या उपरोक्त का कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए”

“यह भी प्रस्ताव किया गया कि इस तरह का निर्गम, प्रस्ताव या आवंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ), राइट्स निर्गम या इनके संयोजन के माध्यम से होगा, जिसमें अति-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट शामिल है और यह कि इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आवंटन बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) और आरबीआई, सेबी और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, और ऐसे समयों पर ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों पर किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से ठीक समझे”

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड को ऐसे मूल्य या मूल्यों पर ऐसे तरीके से और जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या अंडरराइटर्स और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा ऐसे नियमों और शर्तों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, अन्य विनियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर” तय कर सकता है, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हों या नहीं।

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या जारी करना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीबी), वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी प्राधिकरणों की अपेक्षित मंजूरी, सहमति, अनुमति और/या प्रतिबंधों के अधीन (इसके बाद सामूहिक रूप से “उपयुक्त” के रूप में संदर्भित प्राधिकरण”) और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि उनमें से किसी के द्वारा ऐसा कोई अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” के रूप में संदर्भित) प्रदान करते समय निर्धारित किया जा सकता है, बोर्ड अपने पूर्ण विवेक पर, समय-समय पर एक या एक से अधिक किस्तों में इक्विटी शेयर या वारंट के अलावा कोई भी प्रतिभूति जारी, पेश और आवंटित कर सकता है, जो बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या उनके साथ विनियम योग्य हैं, इस तरह से कि केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 51%

से कम नहीं रखती है, योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) (जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है) को योग्य संस्थान प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के अनुसार, जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में प्रदान किया गया है, प्लेसमेंट दस्तावेज और/या ऐसे अन्य दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से उस समय प्रचलित हो सकता है”

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार एक योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के मामले में:

- ए. प्रतिभूतियों का आवंटन केवल सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूरी तरह से पेडअप होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से 365 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- बी. सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के प्रावधान के अनुसरण में बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर पांच प्रतिशत से अधिक की छूट पर शेयरों की पेशकश करने के लिए अधिकृत है।
- सी. प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण की संगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी, जैसा कि भारत सरकार/आरबीआई/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी करने, आवंटन और सूचीबद्ध करने के लिए अपनी मंजूरी, सहमति, अनुमति और मंजूरी देते समय और बोर्ड द्वारा सहमति के अनुसार आवश्यक हो या लगाया जा सकता है”

“यह भी संकल्प लिया गया कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नए इक्विटी शेयर/प्रतिभूतियाँ, यदि कोई हों, जारी करना और उनका आवंटन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होना चाहिए, जो लागू हो सकता है लेकिन अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर होगा।

“यह भी प्रस्ताव किया गया कि जारी किए जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर संशोधित रूप में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के अधीन होंगे और सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के हकदार होंगे।”

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आवंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक पेशकश की शर्तों को निर्धारित करने के लिए

अधिकृत किया जाता है, जिसमें उन निवेशकों का वर्ग शामिल है जिन्हें प्रतिभूतियाँ आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करें तथा ऐसे कर्म, दस्तावेज और करार निष्पादित करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक पेशकश, निर्गम, आवंटन और निर्गम आय के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को निपटाने के लिए निर्देश दें और नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, परिवर्तनों, विलोपनों, परिवर्धनों को स्वीकार करें और प्रभावी करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित और उचित समझें, सदस्यों के किसी भी अतिरिक्त अनुमोदन की आवश्यकता के बिना और यह कि सभी या कोई भी इस प्रस्ताव के तहत बैंक और बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर, अंडरराइटर, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, ऑडिटर और ऐसी सभी एजेंसियों के साथ सभी व्यवस्थाएं करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इक्विटी/सिक्वोरिटीज की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और कमीशन, ब्रोकरेज, फीस या इसी तरह के माध्यम से सभी संस्थानों और एजेंसियों को पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेंसियों के साथ सभी व्यवस्थाएं, समझौते, ज्ञापन, दस्तावेज आदि करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है।”

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि उपरोक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड, लीड मैनेजर, अंडरराइटर, सलाहकार और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों की सलाह से, निर्गम(ओं) के स्वरूप और शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है, जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियाँ आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण/वारंट के प्रयोग/प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के रूपांतरण या मोचन या रद्दीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर का निर्धारण और संबंधित या आकस्मिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे।”

“यह भी प्रस्ताव किया गया कि इनमें से ऐसे शेयर/प्रतिभूतियाँ, जो सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से, ऐसे तरीके से निपटाए जा सकते हैं, जैसा कि बोर्ड उचित समझे और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो।”



“इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और शेररों/ प्रतिभूतियों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा और इसके अलावा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, बोर्ड को ऐसे सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से उचित, उचित या वांछनीय समझे, शेररधारकों की किसी भी अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अंत और आशय को अधिकृत किए बिना, यह माना जाएगा कि शेररधारकों ने इस प्रस्ताव के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है.”

“इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड को इस प्रस्ताव में प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशकों या ऐसे अन्य अधिकारी या बोर्ड की समिति को सौंपने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसे वह उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त समझे.”

निदेशक मण्डल के आदेश से

स्थान: मुंबई (चंद्रकांत भागवत)
दिनांक: 04 जून, 2024 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

नोट :

- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसार बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय मद संख्या 2 से 5 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम का आयोजन:
दिनांक 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 के अनुसरण में अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए जारी परिपत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, बैंक सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से 17वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित कर रहा है. इसलिए, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं. वार्षिक आम बैठक का कार्यस्थल बैंक का केंद्रीय कार्यालय माना जाएगा.

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेरर और मीटिंग) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार रखता है और प्रॉक्सी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है. चूंकि यह एजीएम एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति समाप्त कर दी गई है. तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची नोटिस के साथ संलग्न नहीं की गई है.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेररधारकों की किसी भी बैठक में किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चार दिन पहले यानी गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले बैंक को ई-मेल के माध्यम से investors@centralbank.co.in पर नहीं भेजी गई हो.

5. बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी शेररधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

6. ईमेल आईडी और बैंक खाता विवरण का पंजीकरण:

(ए) यदि शेररधारक की ईमेल आईडी पहले से ही बैंक/उसके रजिस्ट्रार और शेरर ट्रांसफर एजेंट "आरटीए"/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉग इन विवरण पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं.

यदि शेररधारक ने अपना ईमेल पता बैंक/उसके आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है या भविष्य में घोषित होने वाले लाभांश की प्राप्ति के लिए बैंक खाता अधिदेश को अपडेट नहीं किया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

(i) कृपया हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर निवेशक सेवाएं > ईमेल/बैंक विवरण पंजीकरण के अंतर्गत लॉग इन करें - विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें.

या

(ii) यदि शेरर डीमैट मोड में रखे गए हैं:

शेररधारक कृपया डिपॉजिटरी प्रतिभागी ("डीपी") से संपर्क कर सकते हैं और डीपी द्वारा अपनाई गई और बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ईमेल पता और बैंक खाते

का विवरण डीमैट खाते में पंजीकृत कर सकते हैं।

(iii) भौतिक शेयरधारकों के लिए: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है) अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं और बैंक के आरटीए के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें या तो विधिवत भरे हुए आईएसआर-1 फॉर्म की भौतिक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083 पर भेजना होगा या विधिवत भरे हुए आईएसआर-1 फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर मेल के माध्यम से भेजी होगी।

(बी) वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कि किसी सदस्य ने एमसीए परिपत्रों और सेबी द्वारा जारी के अनुसार, इसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध न किया हो, उपरोक्त सदस्य ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध लिंक के तहत, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर भी उपलब्ध होगी; सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं।

7. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड:

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ पीओडी1/ पी / सीआईआर/ 2023/ 70 दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारक और दावेदार आरटीए को नीचे दिए गए फॉर्म में वैध पैन, केवाईसी विवरण, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत प्रस्तुत करेंगे:

क्र सं	फॉर्म	उद्देश्य
1.	फॉर्म आईएसआर 1	पैन, केवाईसी विवरण दर्ज करने / अपडेट करने के लिए
2.	फॉर्म आईएसआर 2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3.	फॉर्म आईएसआर 3	नामांकन को हटाने के लिए घोषणा पत्र

क्र सं	फॉर्म	उद्देश्य
4	फॉर्म एस एच -13	नामांकन प्रपत्र
5.	फॉर्म एस एच -14	नामांकन रद्द करना या बदलना (यदि कोई हो)

उपरोक्त सभी फॉर्म [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17 नवंबर, 2023 के माध्यम से पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण न रखने वाले फोलियो को प्रीज करने संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया एमआईआरएसडी है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी / आरटीएएमबी/ पी/सीआईआर /2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में प्रतिभूतियाँ जारी करने का निर्देश दिया है, जैसे डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना; अदावाकृत संदिग्ध खातों से दावा, प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/ विनिमय; समर्थन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/ फोलियो का समेकन; संचरण और स्थानांतरण। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे गए एवं हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4 जमा करके सेवा ही अनुरोध करें।

8. ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (“ओडीआर पोर्टल”):

सेबी ने 31 जुलाई 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ओआईई/ओआईई_आईडी-1/पी/सीआईआर/2023/131 और दिनांक 4 अगस्त 2023 के सेबी/एचओ/ओआईई/ओआईई/ओआईई-1/एफ/सीआईआर/2023/135 के माध्यम से, दिनांक 31 जुलाई 2023 के मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ओआईई/ओआईई आईडी -1/पी/सीआईआर /2023/145 के साथ पठित (दिनांक 11 अगस्त 2023 तक अद्यतन), भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान हेतु एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (“ओडीआर पोर्टल”) की स्थापना की है। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, आरटीए/कंपनी के साथ सीधे एवं वर्तमान स्कोर्स बैंक प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों को हल करने के विकल्प के समाप्त होने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से विवाद समाधान प्रारम्भ कर सकते हैं तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।

शेयरधारक शेयर/लाभांश से संबंधित जानकारी के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट एवं बैंक से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

लिंक इनटाइम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) पता: सी 101, दूतावास 247, एल.बी.एस.मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083 मुंबई दूरभाष संख्या 810 811 6767 टोल-फ्री नंबर : 1800 1020 878 ईमेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट: www.linkintime.co.in	निवेशक संबंध विभाग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पता: केंद्रीय कार्यालय, 09वीं मंजिल, चंद्र मुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 फोन नंबर: 022 66387575 ईमेल आईडी: investors@centralbank.co.in वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in
---	--

9. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना:

जैसा कि आप जानते होंगे कि शेयरों का भौतिक रूप में कारोबार नहीं किया जा सकता है और शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करें. आप डीमैट सेवा प्रदान करने वाली निकटतम बैंक की शाखा में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमैट में परिवर्तित कर सकते हैं. डीमैट सेवाएँ प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है. डीमैट रूप में अपनी शेयरधारिता को परिवर्तित करने से कई लाभ जुड़े हैं जैसे नुकसान से बचना, खराब डिलीवरी, तेज़ निपटान, कागज़ रहित व्यापार आदि. इसके अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन और लेन-देन के अनुरोध के बारे में सूचनाएँ केवल एक ही स्थान पर दी जानी चाहिए, यानी उस शाखा में जहाँ आप अपना डीमैट खाता खोलते हैं, भले ही आपके पास एक से अधिक बैंक/संस्था के शेयर हों.

10. दावा न किया गया लाभांश, यदि कोई हो:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है और उसके बाद बैंक के संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा. जिन शेयरधारकों के अवैतनिक लाभांश IEPF में स्थानांतरित किए गए हैं, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म संख्या IEPF-5 में IEPF प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं.

11. शेयरधारकों के रजिस्ट्रार का बंद होना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण बहीखाते बुधवार दिन 10 जुलाई, 2024 से मंगलवार दिन, 16 जुलाई, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे.

12. मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्ट्रार में पहले नामित व्यक्ति को मतदान के संबंध में उसका एकमात्र धारक माना जाएगा. इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही एजीएम में भाग लेने का हकदार है) व एजेंडे पर रिमोट ई वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से वोट देने का हकदार है.

यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है.

13. मतदान के लिए कट ऑफ / रिकॉर्ड तिथि:

1. बैंक के शेयरधारक जो कट ऑफ तिथि यानी **मंगलवार, 9 जुलाई, 2024** को भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, एजेंडा आइटम 1, 2, 3 और 5 पर मतदान के लिए पात्र होंगे.

और:

2. बैंक के शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि यानी **शुक्रवार, 14 जून, 2024** को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, एजेंडा आइटम 4 पर मतदान के लिए पात्र होंगे.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के तहत प्रतिबंधों के अधीन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक जो निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, बैंक के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे और उस तिथि तक उनके द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार, निदेशक के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में एजीएम में भाग ले सकती है.

14. रिमोट ई-वोटिंग:

संशोधित सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44(1) के अनुपालन में, संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ें और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुपालन में बैंक, मतदान के वैकल्पिक तरीके के रूप में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश करता है, जो सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाएगा. रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिए बैंक द्वारा बैंक

के रजिस्ट्रार और शेरर ट्रांसफर एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है।

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली मतदान सुविधा के तहत, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की गई है। व्यक्तिगत डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (“ईएसपी”) के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डाल सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा भी होगी। शेररधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 15 जुलाई, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

डीमैट मोड/फिजिकल मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेररधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और लॉगिन विधि की प्रक्रिया और निर्देश नीचे दिए गए हैं:

➤ डीमैट मोड/फिजिकल मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेररधारकों के लिए लॉगिन नीचे दिया गया है:-

शेररधारकों के प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
लॉगिन विधि एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेररधारक	<ul style="list-style-type: none"> यदि शेररधारक पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत है, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएँ। या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.com ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, “लॉगिन” के अंतर्गत “लाभार्थी स्वामी” आइकन पर क्लिक करें जो ‘आईडीईएस’ अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। शेररधारक को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेररधारक ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत “ई-वोटिंग तक पहुँच” पर क्लिक करें और ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और शेररधारक को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि उपयोगकर्ता IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “आईडीईएसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें” पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्न URL https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर खोलें: . ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, “लॉगिन” आइकन पर क्लिक करें जो ‘शेररधारक/सदस्य’ अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। शेररधारक को अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेररधारक को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ वह ई-वोटिंग पेज देख सकता है। <p>बैंक के नाम या लिंक इनटाइम के नाम पर क्लिक करने पर उसे रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।</p>



शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> Easi/Easiest के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेनू भी देख पाएगा। मेनू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें। यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है वैकल्पिक रूप से, www.cdslindia.com होम पेज पर दिए गए लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई वोटिंग चल रही है
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारण करने वाले) और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले	<ul style="list-style-type: none"> शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए NSDL/CDSL के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, उसे सफल प्रमाणीकरण के बाद NSDL/CDSL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है। बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और उसे रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक जो भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखते हैं।	<ol style="list-style-type: none"> इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और यूआरएल लॉन्च करें: https://instavote.linkintime.co.in <ul style="list-style-type: none"> ➤ 'शेयरहोल्डर' टैब के अंतर्गत "साइनअप" पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरणों के साथ रजिस्टर करें: - ए. यूजर आईडी: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक/सदस्य कंपनी के साथ पंजीकृत इवेंट नंबर + फोलियो नंबर प्रदान करेंगे। बी. पैन: अपना 10 अंकों वाला स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें (जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)/कंपनी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, वे लागू होने पर आपको दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करेंगे। सी. डीओबी/डीओआई जन्म तिथि (डीओबी)/ निगमन की तिथि (डीओआई) दर्ज करें (जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है - DD/MM/YYYY प्रारूप में) डी. बैंक खाता संख्या: अपना बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है। <ul style="list-style-type: none"> • शेयरधारक/सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, लेकिन जिन्होंने 'सी' और 'डी' दर्ज नहीं किया है, उन्हें ऊपर 'डी' में अपना फ़ोलियो नंबर देना होगा ➤ अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष अक्षर (@!#\$%&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए)। ➤ "पुष्टि करें" पर क्लिक करें (आपका पासवर्ड अब तैयार है) 'शेयरहोल्डर' टैब के अंतर्गत लॉगिन पर क्लिक करें अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना देख पाएंगे। 'व्यू' आइकन चुनें। ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
	<p>6. संकल्प विवरण देखें और अपना पसंदीदा विकल्प 'पक्ष / विपक्ष' चुनकर अपना वोट डालें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'संकल्प देखें' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)।</p> <p>7. वांछित विकल्प यानी पक्ष / विपक्ष चुनने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'हां' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नहीं' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।</p>

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक यदि पासवर्ड भूल गए हैं:

- 'शेयरहोल्डर' टैब के अंतर्गत लॉगिन पर क्लिक करें फिर पासवर्ड भूल गये पर क्लिक करें
- यूजर आई डी प्रविष्ट करें, मोड चुनें और इमेज वेरिफिकेशन कोड (केपचा) प्रविष्ट कर 'सबमिट' पर क्लिक करें।

यदि शेयर धारक के पास वैध ई मेल पता है ,तो पासवर्ड शेयर धारक के पंजीकृत मेल पते पर भेजा जायेगा. अथवा शेयरधारक पूछे जाने वाले सुरक्षा प्रश्नों के उत्तर, जन्मतिथि, /निगमन तिथि , डिजिटल बैंक विवरण आदि देकर और पुष्टि करके भी अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकता है. (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष अक्षर (@!#\$%&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए).

नोट

भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले व्यक्ति के लिये इस सूचना मे दिये गये संकल्प पर वोटिंग के लिये ही विवरण इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह दृढ़ता से अनुशांसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें.

एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जो पासवर्ड भूल गए हैं:

शेयरधारक/सदस्य जो उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल जाएँ विकल्प का उपयोग करें.

➤ अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डालें

- सफल पुनः निर्दिष्ट करने के पश्चात, आप आईएनएसटीए वोट के होम पेज पर ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना देख पाएंगे. आप जिस बैंक को आप वोट करना चाहते हैं, उसका "इवेंट नंबर" चुनें/देखें.)
- वोटिंग पेज पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा तथा उसके सामने वोटिंग के लिए "पक्ष/विपक्ष" विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी पक्ष/विपक्ष चुनकर अपना वोट डालें. पक्ष/विपक्ष के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाती है) दर्ज करें. आप 'मतदान से परहेज' विकल्प भी चुन सकते हैं और रखे गए शेयरों को पक्ष/विपक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा.

- यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'रिजॉल्यूशन देखें' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें.
- अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प अर्थात पक्ष/विपक्ष का चयन करने के पश्चात एवं यदि आपने वोट देने का निर्णय ले लिया है, तो "सबमिट" पर क्लिक करें. तत्पश्चात एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "हां"पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "नहीं"पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.
- एक बार अपना वोट निर्दिष्ट करने के पश्चात, आपको अपना वोट संशोधित करने या बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- आप वोटिंग पेज पर "प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं.

❖ (संस्थागत शेयरधारकों के लिए दिशानिर्देश)

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) एवं कस्टोडियन को <https://instavote.linkintime.co.in> की एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर लॉग ऑन करना होगा तथा 'कस्टोडियन / म्यूचुअल फंड / कॉर्पोरेट निकाय' के रूप में स्वयं को पंजीकृत करना होगा. उन्हें बोर्ड के प्रस्ताव / प्राधिकरण पत्र / पावर ऑफ अटॉर्नी आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के साथ विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि (यो) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर को पीडीएफ प्रारूप में 'कस्टोडियन / म्यूचुअल फंड / कॉर्पोरेट निकाय' लॉगिन में अपलोड करना होगा ताकि जांचकर्ता उसका सत्यापन कर सकें.

❖ सभी शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक किसी विशेष "घटना" के लिए संकल्प पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं.
- एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करना होगा.
- डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क: यदि डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

- यदि शेयरधारकों/भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों/संस्थागत शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया सहायता अनुभाग के अंतर्गत <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" ("एफएक्यू") और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल लिखें या हमें कॉल करें:- टेलीफोन: 022 - 49186000.
- कोई भी व्यक्ति जो ई-मेल द्वारा बैठक की सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक मंगलवार, 09 जुलाई, 2024 तक शेयर धारण करता है, वह ऊपर बताए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- इस नोटिस की एक प्रति बैंक की वेबसाइट तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी रखी गई है।

15. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग पर संविक्षक:

- एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, एण्ड कंपनी सचिव, ठाणे को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

16. रिमोट इवोटिंग एवं बैठक में वोटिंग के परिणाम:

- संवीक्षक ई-वोटिंग अवधि के समापन से दो कार्य दिवस (2) कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर कम से कम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में (जो बैंक में कार्यरत न हों) वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, तुरंत अध्यक्ष को देगा
- घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, बैंक की वार्षिक आम बैठक में प्रस्ताव पारित होने के दो कार्य दिवस (2) दिवस के भीतर बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे तथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित कर दिए जाएंगे।

17. बैठक का परिणाम:

प्रस्ताव के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, वार्षिक आम बैठक की तिथि को बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में प्रस्ताव पारित माना जाएगा।

18. बैठक की रिकॉर्ड की गई प्रतिलिपि/कार्यवाही:

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

19. ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

(क) शेयरधारकों/सदस्यों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देश:

शेयरधारक/सदस्य निम्न उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के हकदार हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुलेगी तथा यह सदस्यों हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।

शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि वे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भाग लें क्योंकि वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से भागीदारी सीमित है तथा वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट की समाप्ति पर बंद हो जाएगी। 2% से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक/सदस्य, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, के.एम.पी., लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और लेखा परीक्षक आदि को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पहले लॉगिन करके शामिल हो सकते हैं तथा शामिल होने के लिए विंडो निर्धारित समय के 15 (पंद्रह) मिनट बाद तक खुली रखी जाएगी। भागीदारी केवल 2500 सदस्यों तक ही सीमित है।

शेयरधारकों/सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए इंस्टामीट सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें शेयरधारक/सदस्य अपना विवरण पंजीकृत करेंगे और निम्नानुसार वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे:

- इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और InstaMeet <<<https://instameet.linkintime.co.in>>> का URL लॉन्च करें "लॉगिन" पर क्लिक करें, "कंपनी" और 'ईवेंट तिथि' चुनें और अपने निम्नलिखित विवरण के साथ पंजीकरण करें:
 - डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या लाभार्थी आईडी या फोलियो नंबर: बैंक में पंजीकृत अपनी 16 अंकों की डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या लाभार्थी आईडी या फोलियो नंबर दर्ज करें.
 - पैन: अपनी 10 अंकों का स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें.
 - मोबाइल नंबर.
 - ईमेल आईडी.
- "मीटिंग पर जाएं" पर क्लिक करें (अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हैं, और आपकी उपस्थिति मीटिंग के लिए चिह्नित है)

नोट:

शेयरधारकों/सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए ब्रॉडबैंड से जुड़े टैबलेट/लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शेयरधारकों/सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी गति (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक है।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले शेयरधारक/सदस्य अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/विजुअल कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या हो तो वे instameet@linkintime.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं या टेलीफोन नंबर 022-4918 6175 पर कॉल कर सकते हैं।

(ख) सदस्यों/सदस्यों के लिए वार्षिक आम बैठक के दौरान स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने के निर्देश:

शेयरधारक/सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए ई-मेल: investors@centralbank.co.in पर 03 जुलाई, 2024 को सुबह 10.00 बजे से 11 जुलाई, 2024 को शाम 5.00 बजे तक अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।

बैठक के दौरान केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वक्ताओं को ही अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

शेयरधारकों को बैठक में उपस्थिति दर्ज करने के बाद "स्पीकिंग सीरियल नंबर" प्राप्त होगा। अन्य शेयरधारक बैठक के दौरान सक्रिय चैट-बोर्ड के माध्यम से पैनलिस्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे स्पीकिंग सीरियल नंबर याद रखें और डिवाइस के वीडियो मोड और ऑडियो को चालू करके पैनलिस्ट से बातचीत शुरू करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तभी बोलें जब बैठक के मॉडरेटर/प्रबंधन बोलने के लिए नाम और सीरियल नंबर की घोषणा करेंगे।

जो शेयरधारक/सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए अपना प्रश्न पहले ही ई-मेल: investors@centralbank.co.in पर भेज सकते हैं। बैंक द्वारा उनका उचित उत्तर दिया जाएगा।

नोट:

जिन शेयरधारकों/सदस्यों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/

प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक वार्षिक आम बैठक के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

शेयरधारकों/सदस्यों को कैमरा का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए तथा बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उन्हें अच्छी गति (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) के साथ इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए।

(ग) वार्षिक आम बैठक के दौरान इंस्टामीट के माध्यम से मतदान करने के लिए शेयरधारकों/सदस्यों के लिए निर्देश:

जब बैठक के दौरान संवीक्षक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सक्रिय कर दी जाती है, तो शेयरधारक/सदस्य जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है, वे निम्नानुसार वोट डाल सकते हैं:

- शेयरहोल्डर्स वीसी पेज पर, ई-वोटिंग के लिए लिंक "अपनावोट डालें" पर क्लिक करें।
- इंस्टामीट के लिए पंजीकरण के दौरान प्राप्त डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या और ओटीपी (पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त) दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- सफल लॉगिन के बाद, आपको "रिजॉल्यूशन विवरण" दिखाई देगा और उसी के सामने वोटिंग के लिए "पक्ष/विपक्ष" विकल्प दिखाई देगा।
- अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी "पक्ष/विपक्ष" का चयन करके अपना वोट डालें। 'पक्ष/विपक्ष' के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) दर्ज करें।
- उचित विकल्प अर्थात अपनी इच्छानुसार "पक्ष/विपक्ष" का चयन करके 'सहेजें' पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टी करना चाहते हैं तो "पुष्टि करें" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "बैंक पर क्लिक करें" तथा तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।
- जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करते हैं, तो आपको बाद में अपने वोट को संशोधित करने या बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट:

शेयरधारक/सदस्य, जो इंस्टामीट सुविधा द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं डाला है और वे इस हेतु अपात्र नहीं हैं, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

जिन शेयरधारकों/सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे इंस्टामीट के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे हालांकि, वे बैठक के दौरान फिर से मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए शेयरधारक/सदस्य instameet@linkintime.co.in पर ईमेल या 022-4918 6175 पर कॉल कर सकते हैं।



व्याख्यात्मक विवरण

कार्य सूची मद संख्या. 2

बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्रीमती चारुलता एस कर की नियुक्ति को अनुमोदन.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना 6/3/2011-बीओ. 1 दिनांक 14 जुलाई, 2023 के माध्यम से श्रीमती चारुलता एस. कर को दिनांक 14.07.2023 से अगले आदेश तक बैंक के बोर्ड द्वारा आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है.

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसरण में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शोयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए. तदनुसार, बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में सुश्री चारुलता एस कर की नियुक्ति हेतु वार्षिक आम बैठक में शोयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है.

आम बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में सुश्री चारुलता एस कर का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

नाम	सुश्री चारुलता एस कर
डीआईएन	लागू नहीं
आयु	57
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति की तिथि	14 जुलाई, 2023
शैक्षणिक योग्यता	बीकॉम, ट्रेजरी एवं फॉरेक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय सुश्री चारुलता एस कर ने मुंबई विश्वविद्यालय से बैंकिंग और वित्त में विशेषज्ञता के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. उन्होंने आईसीएफआई, त्रिपुरा से ट्रेजरी और फॉरेक्स प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है. वह आईआईबीएडएफ की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं.

आरबीआई के नेतृत्व और कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के रूप में उन्होंने द व्हाटर्स स्कूल पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम भी पूरा किया है.

उन्होंने वर्ष 1991 में आरबीआई में एक अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया तथा अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में आरबीआई के विभिन्न क्षेत्रीय और केन्द्रीय कार्यालयों में कार्य किया. वह वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय सुरक्षा प्रकोष्ठ विभाग (आरबीआई) के मानव संसाधन विभाग की प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक हैं.

उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सरकारी बैंकिंग, आंतरिक वित्तीय खाते, सूचना प्रौद्योगिकी और भुगतान एवं निपटान प्रणाली शामिल हैं. वह पांच वर्षों से अधिक समय तक चेन्नई में आरबीआई ट्रेनिंग कॉलेज में संकाय सदस्य रही हैं. वह दो वर्षों तक मस्कट में सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर भी रही हैं.

उन्होंने भुगतान और निपटान प्रणाली, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स पर समिति के अंतरराष्ट्रीय कार्य समूहों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है, जिसने खुदरा भुगतान में नवोन्मेष, खुदरा भुगतान में गैर-बैंकों की भूमिका और त्वरित भुगतान पर रिपोर्ट का अध्ययन एवं प्रकाशन किया है. उन्होंने आरबीआई का एक वक्ता और विशेषज्ञ के रूप में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मंचों/संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया है.

अन्य कंपनियों जिसमें निदेशक के पद पर कार्यरत हों. शून्य

अन्य कंपनियों की समितियों जिसकी सदस्यता / अध्यक्षता हो शून्य

क्र. नं.

कार्योक्ति

पृष्ठी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

निदेशकों के बीच पारस्परिक रूप से संबंधों का कोई संबंध नहीं प्रकटीकरण

सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में शून्य इस्तीफा दे दिया है

अन्य विवरणों जैसे वर्ष के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या और निदेशक द्वारा आहारित पारिश्रमिक आदि के लिए कृपया एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखता है।

कार्य सूची मद संख्या. 3

बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री महेन्द्र दोहरे की नियुक्ति का अनुमोदन.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिक संख्या eF.No.4/1(x)/2023-BO.1 दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से श्री महेन्द्र दोहरे को पद ग्रहण करने की तिथि दिनांक 09.10.2023 से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसरण में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री महेन्द्र दोहरे की नियुक्ति हेतु वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

आम बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में श्री महेन्द्र दोहरे का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

नाम	श्री महेन्द्र दोहरे
डीआईएन	09406117
आयु	53
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति की तिथि	09 अक्टूबर 2023
शैक्षणिक योग्यता	बैंकिंग एवं वित्त में एमबीए
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय	श्री महेन्द्र दोहरे को दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री महेन्द्र दोहरे विपणन एवं वित्त में एमबीए हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट हैं। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा एवं आईआईबीएफ से विभिन्न प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं। वे नेट क्वालिफाइड भी हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अपनी अंतिम पदस्थापना में वे व्यवसाय अधिग्रहण और संबंध प्रबंधन विभाग के प्रमुख थे।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉर्पोरेशन बैंक में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की और इसके पश्चात यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, जिसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। उन्हें 24 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने व्यवसाय के संचालन हेतु एक एकीकृत खुदरा प्रभाग (व्यवसाय अधिग्रहण और संबंध प्रबंधन) स्थापित करने में अग्रणी एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने पीएनबी कार्ड एंड सर्विसेज लिमिटेड तथा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।



अन्य कंपनियों जिसमें निदेशक के पद पर कार्यरत हों. शून्य

अन्य कंपनियों की समितियां जिसकी सदस्यता / शून्य
अध्यक्षता हो

निदेशकों के बीच पारस्परिक रूप से संबंधों का कोई संबंध नहीं
प्रकटीकरण

सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में शून्य
इस्तीफा दे दिया है

अन्य विवरणों जैसे वर्ष के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या और निदेशक द्वारा आहरित पारिश्रमिक आदि के लिए कृपया वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें.

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है.

बैंक के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में से कोई भी बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखता है.

कार्य सूची मद संख्या. 4

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, जहां धारा 3 की उपधारा 2बी का खंड (सी) के तहत जारी पूंजी बैंक की कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से कम है, बैंक के बोर्ड में शेयरधारकों द्वारा अपने बीच से केन्द्र सरकार के अलावा विधिवत निर्वाचित एक निदेशक होना चाहिए.
- उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, बैंक शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक हेतु पात्र है. वर्तमान में, बैंक के बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक है. बैंक के शेयरधारक निदेशक, श्री दिनेश पांगती का कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2024 को समाप्त होगा.
- बोर्ड ने दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 01 जुलाई, 2024 को निर्मित होने वाली बैंक के बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक की रिक्ति को चुनाव द्वारा भरने की अनुमति दी है.
- केन्द्र सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न एवं प्रासंगिक अधिनियमों/ योजनाओं/ विनियमों/ अधिसूचना/ निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) अपने नामांकन भेजने हेतु पात्र हैं. विधिवत सभी प्रकार से भरी हुई उम्मीदवारी का नामांकन प्राप्त होने पर, बोर्ड / निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमित समिति द्वारा नामांकन की जांच पूरी की जाएगी.

वैधानिक प्रावधान

निम्नलिखित तालिका इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/ विनियमों/ अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों को दर्शाती है:

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 धारा 16 (1) धारा 20 धारा 51	<ul style="list-style-type: none"> पर्याप्त ब्याज. सामान्य निदेशकों का निषेध. इसके किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण अथवा अग्रिम देने के लिए प्रतिबंध. संबंधित नए बैंक हेतु अधिनियम की कुछ धाराओं की प्रयोज्यता.

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3) (i) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3एए) धारा 9 (3एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13 (2)	<ul style="list-style-type: none"> मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध. शेयरधारकों द्वारा चयनित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या. कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान. कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानदंडों के अनूकूल न हो. भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उपयुक्त एवं उचित स्थिति अवधारित करने का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामलों को भी विनिर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें आवश्यक या आनुषंगिक समझा जाए. भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का अधिकार होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) तथा 9(3एए) की शर्तों को पूरा नहीं करता है. निष्ठा एवं गोपनीयता के रूप में दायित्व.
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11क खण्ड 11ख खण्ड 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> निर्वाचित निदेशकों की कार्यावधि बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता. निदेशकों के कार्यालय की रिक्ति निर्वाचित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा रुचि का प्रकटीकरण जिसमें वे रुचि रखते हैं
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग सामान्य बैठकों में मतदान सामान्य बैठकों में चयनित किए जाने वाले निदेशक शेयरधारकों की सूची चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन नामांकन पत्रों की जांच चुनावी विवाद मतदान के अधिकारों का निर्धारण विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान प्रॉक्सी
आरबीआई, मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 यथा संशोधित.	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुसरण में	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक हेतु उपयुक्त एवं उचित मानदंड



अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 संदर्भ संख्या 16/83/2013-बीओ.आई के माध्यम से. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी एवं केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी किए गए मानदंड को भारत सरकार के पत्र एफ संख्या 16/51/2012-बीओ के साथ पठित. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 और उसके बाद के संशोधन, यदि कोई हो		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विचारार्थ गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड
आरबीआई मास्टर परिपत्र डीबीआर. संख्या डीआईआर. बीसी .10/13.03.00/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 यथा संशोधित		निदेशकों के सम्बंधियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना
सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधाओं हेतु, अधिनियमों, विनियमन अधिनियम, योजना/ विनियमों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निदेश डीबीआर.एपीपीटी.सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 एवं भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च 2015 एवं 20 जुलाई 2016 के दिशानिर्देशों से सम्बंधित तथ्यों को बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in पर अपलोड किया जाएगा जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है. ये तथ्य इच्छुक उम्मीदवारों को कंपनी सचिव, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के मुख्यालय investors@centralbank.co.in पर नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् **सोमवार, दिनांक 01 जुलाई, 2024 को शाम 5:00 बजे तक ई-मेल से भेजे जाएंगे.**

चुनाव में भागीदारी:

वे शेयरधारक जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ़ तिथि अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 14 जून, 2024 को प्रस्तुत शेयरधारकों/ हितग्राहियों के रजिस्टर में प्रदर्शित होते हैं, वे केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र होंगे. यह ध्यान देने योग्य है कि, केन्द्र सरकार एजेंडा संख्या 4 अर्थात् निदेशक के चुनाव में भाग लेने का पात्र नहीं है, लेकिन एक पर्यवेक्षक के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकती है.

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु आवश्यक योग्यता:

उम्मीदवार अधिनियम की धारा 9 (3ए) में निर्धारित योग्यता का पालन

करेगा और योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यता मान्य नहीं होंगी और विनियमों के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा, जिनका विस्तृत विवरण निम्न है:

- (ए) अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक और बैंक का निदेशक बनने हेतु इच्छुक उम्मीदवार -
- (ए) निम्नलिखित मामलों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, -
 - i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
 - ii) बैंकिंग,
 - iii) सहयोग,
 - iv) अर्थशास्त्र,
 - v) वित्त,
 - vi) नियम,
 - vii) लघु उद्योग,
 - viii) कोई अन्य मामला विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, बैंक के लिए उपयोगी है; (भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10-11-2008 के अपने परिपत्र सं डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के माध्यम से विशेषज्ञता क्षेत्रों को निम्नलिखित में शामिल करने हेतु विस्तारित किया है (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव

के बारे में

कार्यविधि

पूरी

नोटिस

सांविधिक

दिनांक

संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन, उन व्यक्तियों के लिए जो बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्र है)

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करना; अथवा

(सी) किसानों, श्रमिकों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना

(बी) अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, बैंक का शेरधारक होने और बैंक का निदेशक बनने हेतु नामांकन दर्ज करने हेतु, उम्मीदवार का ट्रेड रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य मानदंडों पर 'उपयुक्त और उचित' प्रकार से पात्र होना चाहिए.

(सी) इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशक को अनुबंध विलेख निष्पादित करना चाहिए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करना आवश्यक है.

• बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा-

(ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

(बी) यदि उसे मानसिक रूप से विकृत पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(सी) यदि उस पर किसी समय किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अपराध का आरोप लगाया गया हो; या

(डी) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक के पद के अलावा लाभ का कोई पद धारण करता है, धारण करने जिनमें बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशक शामिल हैं

एवं

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना - आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निर्देश डीबीआर.एपीपीटी सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019, यथा संशोधित और भारत सरकार के दिशानिर्देश सं. एफ.सं.16/51/2012- बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 सितंबर 2013 के साथ पठित के अनुसार, यदि वह निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है

• प्रतियोगियों के लिए शेरधारकों की सूची

बैंक के शेरधारकों की शुक्रवार, दिनांक 14 जून, 2024 तक की एक सूची मंगलवार, दिनांक 18 जून, 2024 से बैंक के शेरधारकों के लिए उपलब्ध होगी, जो मुंबई में देय "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ₹ 50,000/- (रुपये पचास हजार रुपये मात्र) के भुगतान पर सहायक महाप्रबंधक - कंपनी सचिव सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 को संबोधित अनुरोध के साथ उपलब्ध होगी. यह इस वचनबद्धता के साथ उपलब्ध होगी कि सूची का उपयोग केवल चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार शेरधारकों की सूची का निरीक्षण भी कर सकते हैं और वहां से उद्धरण ले सकते हैं.

शेरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेरधारकों का रजिस्टर निरीक्षण हेतु बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच (दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक की छुट्टियों को छोड़कर) उपलब्ध रहेगा. यदि किसी शेरधारक को रजिस्टर या उसके भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है, तो उसे 1000 शब्दों या उसके आंशिक भाग के लिए 5/- रुपये की दर से पूर्व भुगतान पर आपूर्ति कराई जाएगी.

• चुनाव में भागीदारी:

वह शेरधारक जिनके नाम शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2024 को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा प्रस्तुत सदस्यों/ लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में हैं वे केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेरधारकों में से निदेशक के चुनाव में भाग लेने यानी नामांकन, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के हकदार होंगे.

• नामांकन:

नामांकन की वैधता

विनियमों के विनियम 65 के संदर्भ में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 की अधिसूचना के संदर्भ में, मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर. एअपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019, यथा संशोधित तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधान के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा, बशर्ते :

(क) चुनाव में भाग लेने हेतु शेरधारक के पास दिनांक 14 जून, 2024 के निर्दिष्ट तिथि तक बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेर होने चाहिए.

(ख) दिनांक सोमवार, 01 जुलाई 2024 (नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि) तक, वह अधिनियम, योजना या आरबीआई अधिसूचना के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए.

(ग) नामांकन लिखित रूप में होना चाहिए, जिसे कम से कम बैंक के पास सौ पात्र शेरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो. यदि शेरधारक कंपनी है तो निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन

किया जा सकता है और उसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को सहायक महाप्रबंधक - कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 के पते पर भेजी जानी चाहिए तथा इस कंपनी की ओर से इस प्रति को नामांकन माना जायेगा.

- (घ) बैंक के शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन के साथ इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के नमूना प्रपत्रों के अनुसार, उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा संलग्न है जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है, कि वह नामांकन स्वीकार कर चुनाव लड़ने हेतु तैयार है, और वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम या अधिनियम या योजना या विनियमन या आरबीआई अधिसूचना के तहत निदेशक के लिए अपात्र नहीं है साथ ही उसके व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) जो विधिवत हस्ताक्षरित और यह पुष्टि करते हुए कि ऐसे विवरण उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और साथ ही घोषणा के बाद, सूचना के लिए प्रासंगिक ऐसी घटनाओं के बारे में बैंक को पूरी तरह जल्द से जल्द सूचित करने का उसका वचन पत्र संलग्न है.
- (ङ) नामांकन फार्म और घोषणा फार्म विनियमों द्वारा निर्धारित तथा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हैं.

नामांकन फॉर्म जमा करना

निदेशकों का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा

- क) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र
- ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम 100 बैंक के शेयरधारकों से नामांकन
- ग) व्यक्तिगत जानकारी, संबंधित दस्तावेजों के साथ घोषणा और वचनबद्धता, इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में प्रशंसापत्र, जैसे कि बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अनुभव आदि को एक सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव - जुलाई 2024" लिखकर सहायक महाप्रबंधक - कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 को पंजीकृत डाक /कोरियर द्वारा बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पहले एक कार्य दिवस पर, यानी सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 2024 को शाम 5.00 बजे बैंक के बंद होने के समय तक या उससे पहले जमा करना होगा.

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव

- क) नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 2024 को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा.

ख) नामांकनों की जांच आरबीआई/भारत सरकार और अन्य लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल द्वारा भी की जाएगी, चूंकि आरबीआई के निर्देश और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध समान प्रकृति के हैं, इसलिए बैंक उम्मीदवारों की उचित स्थिति एवं उपयुक्तता का निर्धारण करते समय दोनों में से अधिक कठोर मानदंड पर विचार कर सकता है.

ग) बैंक नामांकन की जांच के समय या बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति / निदेशक मंडल की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है.

घ) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन है, तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार को बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 25(2ए) के अनुसार एजीएम में प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावित किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा केवल शेयरधारक ही वोट देने के हकदार होंगे. उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा, यदि और केवल उक्त प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है. नव निर्वाचित निदेशक गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2024 से पदभार ग्रहण करेंगे और इस ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे.

ङ) यदि वैध नामांकन एक से अधिक हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम वार्षिक सामान्य बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जाएंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे. बैंक के निदेशक के रूप में चयनित उम्मीदवार दिनांक 17 जुलाई, 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे.

च) यदि कोई विवाद हो तो उसका निपटारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा.

नामांकन वापसी

यदि कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2024 को शाम 4:00 बजे बैंक के बंद होने से पहले किसी भी समय सहायक महाप्रबंधक - कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021, को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या हस्ताक्षरित पत्र की सॉफ्ट कॉपी agmcompsec@centralbank.co.in / boardsecretary@centralbank.co.in पर भेजकर ऐसा कर सकता है.

निदेशकों का हित

बैंक के किसी भी निदेशक /मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति को बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर उपरोक्त संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं है.

मद सं. 5

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स जैसे विभिन्न तरीकों से ₹ 5000/- करोड़ तक की इक्विटी पूंजी को जुटाने पर विचार करना

बेसल III विनियम के अनुसार, बैंक को इक्विटी पूंजी के रूप में न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) 5.50% अनुपात के साथ पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) 2.50%, टीयर 1 अनुपात 9.50% का और कुल सीआरएआर 11.50% बनाए रखना आवश्यक है. निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) पूरा करने हेतु बैंक को पूंजी आवश्यकता होगी. दिनांक 31 मार्च, 2024 के अनुसार बैंक का सीआरएआर 15.08% (टियर I - 12.46% (सीसीबी शामिल है), टियर II - 2.62%) है.

10%-12% व्यवसाय प्रक्षेपण में की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में स्वस्थ सीआरएआर को बनाए रखने और बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के लिए, बैंक ने विभिन्न माध्यमों जैसे क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू के द्वारा इक्विटी पूंजी को ₹5000 करोड़ तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग आवश्यकता और प्रचलित बाजार स्थितियों पर आधारित होगा.

उक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और ऐसे बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में निर्धारित अन्य प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन के साथ और सेबी के उपयुक्त दिशा निर्देशों/ विनियमों के अधीन जुटाई जाएगी.

निदेशक मंडल ने दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु. 5000 करोड़ तक की पूंजी जुटाने को अपनी स्वीकृति दे दी थी.

दिनांक 31 मार्च 2024 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.08% है. वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी 10000 करोड़ रुपये है. दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रु 8680.93 करोड़ है.

बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यवसाय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा.

विशेष प्रस्ताव ऐसे समय या समयों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, और ऐसे निवेशकों के लिए जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे एक या अधिक किशतों में इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बोर्ड को शक्तियाँ देने का प्रयास करता है. इक्विटी शेयर जारी करने के लिए विस्तृत नियम व शर्तें बोर्ड द्वारा मर्चेंट बैंकरों, लीड मैनेजरों, सलाहकारों और ऐसे अन्य अधिकारियों की सलाह से निर्धारित की जाएगी, जिन्हें बैंक द्वारा विद्यमान बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है.

अर्हता प्राप्त संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से पूर्वोक्त अनुसार इक्विटी शेयरों के निर्गमन को स्थिति में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि :

- इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक तिथि सेबी(आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय vi और / या अन्य लागू विनियमों के अनुसार बैठक की तारीख होगी, जिसमें बोर्ड या उसकी पूंजी जुटाने वाली समिति सदस्यों के अनुमोदन और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, की प्राप्ति के बाद इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लेती है, जो प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में अधिनियम और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों में से कोई है.
- चूंकि प्रस्ताव का मूल्य बाद के चरण को छोड़कर तय नहीं किया जा सकता है, इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है, हालांकि यह सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 समय समय पर संशोधित प्रावधानों को या किसी अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमों / सहमति के अनुसार होगा जो लागू हो या आवश्यक हो .
- पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों का निर्गमन और आवंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) के अर्थ के अंतर्गत योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईपी) को किया जाएगा और आवंटन उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 365 दिन के भीतर पूर्ण किया जाएगा.
- प्रस्ताव के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, लीड प्रबंधकों और अंडरराइटर और ऐसे अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों की सलाह से निर्धारित की जाएगी, जो विद्यमान बाजार स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं पर विचार कर सकते हैं.
- प्रतिभूतियों के निर्गमन की शर्तों के अनुसार अधिक आवंटन सहित जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार बैंक की निवल संपत्ति के 5 गुना से अधिक नहीं होगी.
- योग्य संस्थान प्लेसमेंट के अंतर्गत आवंटित पात्र प्रतिभूतियों को आवंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटितता द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर नहीं बेचा जाएगा.
- बैंक, इसके प्रवर्तक या निदेशक कोई भगोडा आर्थिक अपराधी नहीं है.
- आबंटित इक्विटी शेयर लाभांश सहित बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में समान होंगे.

निदेशक मंडल सूचना में उल्लेखित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशांसा करता है.

बैंक के निदेशकों /प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर उपर्युक्त प्रस्तावों में रुचि या सरोकार नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 04 जून, 2024

(चंद्रकांत भागवत)

स्थान: मुंबई

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



घोषणा

(आवेदक द्वारा)

(विनियमन के विनियम 65 का संदर्भ ले)

मैं, श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____
_____, जो निवास _____
में रहता हूँ, एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि:

- ए. मैं एक शेयरधारक हूँ जिसके पास फोलियो संख्या _____/डीपी आईडी संख्या _____/क्लाइंट आईडी संख्या _____ के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10/- रुपये प्रत्येक मूल्य के _____ इक्विटी शेयर (पूरी तरह से चुकता) हैं, जो शुक्रवारदिनांक 14 जून 2024 को चुनावों में भाग लेने के लिए कट-ऑफ/निर्दिष्ट तिथि है और
- बी. मेरे पास *(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, या कोई अन्य मामला जिसमें आईटी/भुगतान और निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन/व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं/किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके सबूत के तौर पर मैं संबंधित प्रशासपत्र प्रस्तुत करता हूँ, और
- सी. मैं _____ से _____ तक क्रमांकित नामांकन स्वीकार करता हूँ, और
- डी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव लड़ने को इच्छुक हूँ, और
- ई. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998, आरबीआई अधिसूचनाएं और इस संबंध में जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत में बैंक का निदेशक होने के लिये अयोग्य नहीं हूँ.
- एफ. मैं न तो कोई लाभ का पद धारण करता हूँ और न ही मैं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ.
- जी. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद पर बने रहने तक संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ; तथा
- एच. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अयोग्य नहीं हूँ; और
- आई. मैं इस घोषणा के बाद होने वाली घटनाओं, यदि कोई हों, के बारे में बैंक को पूरी तरह से यथाशीघ्र सूचित करने का वचन देता हूँ जो यहां दी गई जानकारी के लिये प्रासंगिक हैं, और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर संविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ और
- जे. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि:
- मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मैंने भुगतान निलंबित नहीं किया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता नहीं किया है; तथा
 - मुझे मानसिक रूप से विकृत नहीं पाया गया है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, ऐसा घोषित किया गया है तथा मुझे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक पतन शामिल हो; तथा
 - मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है; और
 - मैं निर्वाचित होने पर बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो, तुरन्त समाप्त कर दूंगा तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तथा उसके बाद दो वर्ष की अवधि तक बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा; तथा
 - मैं किसी भी बैंक या रिजर्व बैंक या किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक में हिस्सेदारी रखने वाले एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ.
 - मैंने किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में छह वर्षों तक निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है, चाहे वह लगातार हो या बीच-बीच में.
 - मैं स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूँ.
 - मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र

के बारे में

कार्यवाही

पूरी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) के सदस्य का पद धारण नहीं कर रहा हूँ.

- ix. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है.
- x. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है.
- xi. मेरा न तो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई व्यावसायिक संबंध है (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में शामिल हूँ, जिससे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है.
- xii. मेरा किसी बैंक या किसी अन्य बैंक में स्वामित्व रखने वाले किसी एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है तथा यदि मैं निर्वाचित होता हूँ तो निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले बैंक के साथ संबंध समाप्त करने का वचन देता हूँ.
- xiii. मैं किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अंतर्गत नहीं हूँ और मैं किसी भी ऋणदाता संस्थान का चूककर्ता नहीं हूँ.

के. मैं निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले अनुबंध विलेख (आरबीआई परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूँ;

एल. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद पर बने रहने तक संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ;

एम. मैं वचन देता हूँ कि मैं इस घोषणा के बाद घटित होने वाली घटनाओं, यदि कोई हों, जो यहां दी गई सूचना के लिए प्रासंगिक हैं, के बारे में बैंक को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से सूचित करूंगा तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर संविदा विलेख निष्पादित करूंगा; तथा

एन. मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण है.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि डीमैटरियलाइज्ड नहीं है)	
डीपी आईडी नं. और क्लाइंट आईडी नं. (यदि डीमैटरियलाइज्ड हो)	
जगह	
दिनांक	

उपरोक्त घोषणापत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गये थे.

मुहर सहित हस्ताक्षर और _____

सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम _____

यह घोषणा नामित व्यक्ति द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए.

* जो भी लागू हो उसे टिक करें



नामांकन फार्म
(शेयरधारक द्वारा)

(विनियमन के विनियम 65 (डी) का संदर्भ ले)

क्र. सं

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय,
चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुंबई 400021

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन

आपके दिनांक _____ 2024 के नोटिस के संदर्भ में, मैं, श्री/श्रीमती _____ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयरधारक हूँ, जिसके पास **शुक्रवार, 14 जून, 2024** को चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से कट-ऑफ/निर्दिष्ट तारीख के अनुसार रु. 10/- प्रत्येक (पूरी तरह से चुकता) के _____ इक्विटी शेयर है। इसके द्वारा श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____ जो _____

में रहते हैं, को बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामित करता हूँ, जैसा कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में प्रावधान है, शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में **मंगलवार, 16 जुलाई, 2024** को आयोजित की जाएगी .

हस्ताक्षर	
नाम	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि डीमैटरियलाइज्ड नहीं है)	
डीपी आईडी नं. और क्लाइंट आईडी नं. (यदि डीमैटरियलाइज्ड हो)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणियाँ :

- यदि नामांकन किसी निगमित निकाय द्वारा किया जाता है, तो नामांकन प्रपत्र के साथ उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, संलग्न होनी चाहिए, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था,
- उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए.
- यदि उपरोक्त में से कोई भी कॉलम रिक्त रह जाता है या विवरण गलत पाया जाता है तो नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा



यहां स्वप्रमाणित
पासपोर्ट
साइज फोटो लगाएं

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचन देने का प्रारूप
उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनबद्धता, यथा उपयुक्त संलग्नकों के साथ _____ 2024 तक

1. उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण			
1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
2. पिता का नाम (पूरा नामों)			
3. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)			
4. वर्तमान पता (पत्राचार के लिए)			
5. ई-मेल पता एवं वैकल्पिक ई-मेल पते: एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नंबर: मोबाइल नंबर:			
6. राष्ट्रियता			
7. जन्म तिथि (दिन /माह /वर्ष) और आयु			
8. शैक्षणिक योग्यता			
9. निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
10. आधार संख्या			
11. ए) स्थायी खाता संख्या (पैन). बी) आयकर सर्किल/डिवीजन का नाम और पता जहां व्यक्तिगत कर रिटर्न दाखिल किया जा रहा है. सी) पिछले तीन वर्षों के रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान का विवरण.	दाखिल करने की तिथि	भुगतान की गई कर राशि (भारतीय रुपये में)	
12. स्थायी पता			
13. लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य विषय में से एक या एक से अधिक के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त जानकारी के रूप में विवरण, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग जगत हेतु उपयोगी होगा.			
14. वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम तथा अनुभव पर संक्षिप्त विवरण)			
15. पिछले व्यवसाय का विवरण, (कम से कम पिछले दस वर्षों का) जिसमें कार्य किए गए संगठन का पूरा पता, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि (कारण सहित), पदनाम आदि.			



16. यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो निम्नलिखित का उल्लेख करें:
क) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या:
ख) आईसीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि:
ग) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम और पता:
घ) फर्म/फर्मों द्वारा या आपके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे लेखापरीक्षण का विवरण:

17. उस बैंकर का नाम, शाखा तथा खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) सहित, जहां आप प्राथमिक खाताधारक हैं:

बैंक का नाम	शाखा	खाता प्रकार	खाता संख्या

18. यदि आपके पास, आपके पति/पत्नी तथा आपके नाबालिग बच्चे के पास किसी संस्था में भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरधारिता है, तो उसका विवरण. (डीमैट/शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)

19. बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी:

II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध

20. किसी बैंक के साथ जुड़े रिश्तेदारों की सूची, [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें] यदि कोई हो

21. संस्थाओं की सूची जिसमें:
क) हितबद्ध [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]:
ख) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम देखें]:
ग) ट्रस्टी (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):

22. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित रखने वाली मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची.

कंपनी/फर्म का नाम	
इसके निगमन का देश	
शेयर की संख्या	
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	
शेयर होल्डिंग का कुल अंकित मूल्य	
कुल पूंजी में शेयरधारिता का प्रतिशत	
लाभकारी हित (मूल्य और प्रतिशत दोनों में)	
क्या इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 की कंपनी है.	

23. विदेश में निगमित तथा भारत में व्यवसाय करने वाली संस्थाओं में हिस्सेदारी का विवरण.

24. बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में कोई बोर्ड का सदस्य/सलाहकार आदि रहा हो (उस अवधि का विवरण दें जिसके दौरान ऐसा पद धारण किया गया था).

25. किसी इकाई के साथ किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न होने पर उसका विवरण (संबद्धता की प्रकृति का उल्लेख किया जाए), तो उसका ब्यौरा.

26. यदि स्टॉक ब्रोकर है या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी संस्था से जुड़े हैं, तो उसका विवरण.

27. यदि किसी निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का वर्तमान में व्यक्ति द्वारा और/या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा लाभ उठाया गया है तो उसका विवरण.

के बारे में

कार्यनीति

पूंजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

28. ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां व्यक्तिगत रूप से या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक की हो या जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया हो.

III. व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड

29. निदेशक पद के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियाँ.

IV. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो

30. क) किसी व्यावसायिक एसोसिएशन/निकाय के सदस्य के रूप में, यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो या शुरू हुई हो या अतीत में दोषसिद्धि हुई हो या किसी भी समय किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो, तो उसका विवरण.
- ख) यदि किसी व्यक्तिगत व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप है, तो उसका विवरण.
31. आर्थिक कानूनों तथा विनियमों के उल्लंघन के लिए स्वयं या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध लंबित या शुरू किए गए या दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो.
32. लंबित या प्रारंभ या दोषसिद्धि हुई आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो,
33. यदि एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है, तो उसका विवरण.
34. यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत कोई अयोग्यता आती है, तो उसका विवरण दें.
35. यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया है या भुगतान निलम्बित कर दिया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, तो उसका विवरण.
36. यदि वह अस्वस्थ मानसिक स्थिति का पाया जाता है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, तो उसका विवरण.
37. क) यदि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण
- (ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण क्या है?
38. यदि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर किसी लाभ के पद पर हैं, तो उसका विवरण दीजिए.
39. यदि कोई व्यक्ति या उपरोक्त (21) से (26) तक की कोई संस्था किसी पूर्व नियोक्ता या सरकारी विभाग या एजेंसी से किसी जांच/सतर्कता/जांच के मामलों के अधीन रही है, तो उसका विवरण दें.
40. यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसका विवरण.
41. यदि किसी विनियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी या न्यायालय द्वारा व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण फटकार, निंदा, प्रतिबंध, निलंबन, प्रतिबंध, निषेध या अन्यथा स्वीकृति दी गई हो, तो उसका विवरण दें. (यद्यपि अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कॉलम में उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में उल्लेख करें जिन्हें बाद में पूर्णतः उलट दिया गया/रद्द कर दिया गया हो, लेकिन यदि उलटने/रद्द करने का कारण तकनीकी कारण जैसे सीमा या अधिकार क्षेत्र का अभाव हो और गुण-दोष के आधार पर न हो, तो उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा. यदि आदेश अस्थायी रूप से स्थगित है और अपील/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए).



V. सामान्य जानकारी

42. यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता आदि जैसे पेशेवर हैं और वर्तमान में किसी बैंक में कोई पेशेवर कार्य कर रहे हैं/कर चुके हैं, तो कृपया बैंक का नाम और बैंक के साथ संबद्धता की अवधि सहित विवरण प्रदान करें.
43. यदि वर्तमान में सांसद/ विधायक/ विधान परिषद के सदस्य हैं या किसी नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकाय में राजनीतिक पद धारण करते हैं, तो इसका विवरण दें
- VI. प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि 'उपयुक्त और उचित' का आकलन करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो, तो उसका विवरण प्रदान करें.

वचनबद्धता

मैं, श्री का पुत्र/पुत्री पुष्टि करता / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है. मैं बैंक को यह सूचित रखने का वचन देता/देती हूँ कि शोधरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र सूचित करूंगा/करुंगी, जो ऊपर दी गई जानकारी के संदर्भ में प्रासंगिक है.

मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने का भी वचन देता हूँ.

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

संलग्नक :

- नोट :
1. जहां भी स्थान पर्याप्त न हो, कृपया सूचना को कालानुक्रमिक क्रम में तथा उचित प्रति संदर्भ के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें.
 2. सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है.

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल की टिप्पणियां:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति / निदेशक मंडल के अध्यक्ष हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

के बारे में

कार्यनीति

पुत्री

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

व्यवसायिक विश्लेषण

	(₹ करोड़ में)												
मद	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22	मार्च 23	मार्च 24
कुल व्यवसाय	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007	5,06,886	5,32,404	5,77,075	6,36,756
वर्ष दर वर्ष वृद्धि	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%	4.30%	5.03%	8.39%	10.34%
कुल जमा	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763	3,29,973	3,42,692	3,59,296	3,85,011
वर्ष दर वर्ष वृद्धि	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%	5.17%	3.85%	4.85%	7.16%
कुल ऋण एवं अप्रिम	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913	1,89,712	2,17,779	2,51,745
वर्ष दर वर्ष वृद्धि	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%	2.71%	7.23%	14.79%	15.60%
निवेश	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358	1,53,820	1,46,759	1,42,653	1,49,538
वर्ष दर वर्ष वृद्धि	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.03%	4.39%	(4.59%)	(2.80%)	4.83%
सीडी अनुपात	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61%	55.63	60.86	65.59
आस्तियों की आय	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)	(0.26%)	0.30%	0.44%	0.63%

लाभप्रदता

	(₹ करोड़ में)												
मद	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22	मार्च 23	मार्च 24
सकल आय	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	27,200	25,846	25,770	29,626	35,434
वर्ष -दर -वर्ष वृद्धि	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	8.57%	(4.98%)	(0.29%)	14.96%	19.60%
सकल व्यय	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925	22,856	21,267	20,028	22,742	28,071
वर्ष -दर -वर्ष वृद्धि	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.25%	(6.95%)	(5.83%)	13.55%	23.43%
परिचालन लाभ	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127	4,344	4,579	5,742	6,884	7,363
वर्ष -दर -वर्ष वृद्धि	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%	5.41%	25.40%	19.89%	6.96%
शुद्ध लाभ/हानि	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)	(1,121)	(888)	1,045	1,582	2,549
वर्ष -दर -वर्ष वृद्धि	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%	(20.79%)	217.68%	51.39%	61.13%
निम्न (%)	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.80%	2.78%	3.21	3.47%*	3.40
शुद्ध ब्याज आय	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773	7,629	8,245	9,487	11,687	12,896
वर्ष -दर -वर्ष वृद्धि	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%	8.07%	15.06%	23.19%	10.34%
गैर ब्याज आय	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413	3,637	3,116	2,968	4,084	4,712
वर्ष -दर -वर्ष वृद्धि	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73%	(14.32%)	(4.75%)	37.60%	15.38%

*चालू वर्ष में वार्शिकरण की पुष्टि हेतु को जहाँ भी आवश्यक है वहाँ 23 मार्च के आंकड़ों का पुनःपरिचालन/ पुनःसमूहन किया गया है.



निदेशक रिपोर्ट 2023-24

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य

- » दिनांक 31 मार्च 2024 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 636756 करोड़ रहा जो 31 मार्च 2023 को 577075 करोड़ था।
- » बैंक की कुल जमा राशि ₹ 385011 करोड़ हो गई, जो दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 359296 करोड़ थी।
- » बैंक का कुल अग्रिम ₹ 251745 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 217779 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 35434 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 29626 करोड़ थी।
- » बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 4712 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च 2023 को सामान्य वित्तीय वर्ष में ₹ 4084 करोड़ थी।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ 6.96% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 7363 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रुपए ₹ 6884 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक ने ₹ 2549 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ ₹ 1582 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी व्यवसाय बढ़कर ₹ 19.94 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में ₹ 18.45 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अनुसार) 15.08% रहा जिसमें टीयर I- 12.46% एवं टीयर II- 2.62% रहा. (बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी गैर ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के एनपीवी की गणना के लिए समायोजन के बाद पूंजी अनुपात की गणना की है.)
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को नेटवर्थ ₹ 28053.33 करोड़ रही।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के नगद वसूली (एनपीए की बिक्री एवं खातों के अपलेखन सहित) में ₹ 3636 करोड़ हो गई जो दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹ 4213 करोड़ थी।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम अनुपात में बेहतर दर्शाते हुए 4.50% हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2023 को 8.44% था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को निवल एनपीए से निवल अग्रिम अनुपात घटकर 1.23% हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2023 को 1.77% था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को प्रावधान कवरेज अनुपात सुधर कर 93.58% हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2023 को 92.48% था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कमी दर्शाते हुए 3.40% रहा जो दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 3.47% था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में अस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 0.63% रहा।
- » वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन ₹ 118237.20 करोड़ रहा. तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एएनबीसी को ऋण के आधिक्य का लाभ उठाने के लिए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/ खरीद लेनदेन किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 1500 करोड़ के पीएसएलसी की बिक्री की।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का कृषि ऋण ₹ 46063 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 42110 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएमई अग्रिम पीएसएलसी के बिना ₹ 49870.00 करोड़ रहा और सिडबी में ₹ 218.50 करोड़ का तथा मुद्रा लिमिटेड में ₹ 15.54 करोड़ का निवेश है।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में रिटेल ऋण बढ़कर ₹ 71193 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹ 62726 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹ 44057 करोड़ रहा जो वर्ष-दर-वर्ष 13.57% की वृद्धि दर्शाता है. दिनांक 31 मार्च 2024 को कुल रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 61.88% रही।
- » बैंक ने देश के 9 राज्यों यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2) राजस्थान (1), ओडिशा (1) एवं असम (1) में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं. वर्ष 2023-24 के दौरान आरएसईटीआई ने 1052 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें से 31053 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया. इनमें से 23883 (अर्थात 77%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते और स्ववित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है नियोजित अभ्यर्थियों को क्रेडिट लिंकेज उपलब्धि 14174 अर्थात 59.34% रही।
- » बैंक के पास दिनांक 31 मार्च 2024 तक 2 राज्यों के 23 जिलों में 1170 शाखा नेटवर्क के साथ 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।
- » बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 11682 बीसी एजेंट को तैनात किए हैं. बैंक ने 1242 शहरी वित्तीय समावेशन केन्द्र खोले हैं।
- » दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकाशयुरेंस व्यवसाय से कुल ₹ 129 करोड़ रुपये आय हुईं।
- » दिनांक 31 मार्च 2024 को 4500 शाखाओं के नेटवर्क जिसमें 65.27 % (2937 शाखाएं) ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में, 4084 एटीएम, 11682 बीसी प्वाइंट तथा कुल 20266 टच प्वाइंट्स के साथ बैंक की अखिल भारतीय उपस्थिति है।

के.बारे.म.

कार्यनीति

पूंजी

नेटिव

सांविधिक

वित्तिय

» * चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आकड़ों की पुनर्गणना/पुनर्समूहन किया गया है।

2. आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय एवं व्यय विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

	31.03.2024	31.03.2023	विचलन	(₹ करोड़ में) %
1 ब्याज आय	30722	25542	5180	20.28%
- अग्रिम	19707	14922	4785	32.07%
- निवेश	9510	8715	795	9.12%
- अन्य	1505	1905	(400)	-21.00%
2 गैर ब्याज आय*	4712	4084	628	15.38%
3 कुल आय (1+2)*	35434	29626	5808	19.60%
4 प्रदत्त ब्याज	17826	13855	3971	28.66%
- जमाराशि	16908	13388	3520	26.29%
- अन्य	918	467	451	96.57%
5 परिचालन व्यय	10245	8887	1358	15.28%
- स्थापना	6312	5604	708	12.63%
- अन्य	3933	3283	650	19.80%
6 कुल व्यय (4+5)	28071	22742	5329	23.43%
7 स्प्रेड (1-4)	12896	11687	1209	10.34%
8 परिचालन लाभ (3-6)*	7363	6884	479	6.96%
9 प्रावधान*	4814	5302	(488)	-9.20%
10 कर के लिए प्रावधान	1504	1063	441	41.49%
11 शुद्ध लाभ/(हानि) (8-9-11)	2549	1582	967	61.13%

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आकड़ों की पुनर्गणना/पुनर्समूहन किया गया है।

3. प्रावधान

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹. 4814 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

	31.03.2024 (वि.व)	31.03.2023 (वि.व)	विचलन	(₹ करोड़ में)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	52	681	-92.36%	
एनपीए के लिए प्रावधान*	3391	3532	-3.99%	
पुनर्संचित खातों के लिए प्रावधान	(34)	(222)	84.68%	
निवेश के लिए प्रावधान*	(265)	215	-223.26%	
करों के लिए प्रावधान	1504	1063	41.49%	
अन्य	166	33	403.03%	
कुल	4814	5302	-9.20%	

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिये जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आंकड़ों की पुनर्गणना / पुनर्समूहन किया गया है।

4. लाभप्रदता अनुपात

	31.03.2024 (वि.व)	31.03.2023 (वि.व)	(₹ करोड़ में)
जमाओं की लागत	4.61	3.92	
निधियों की लागत	4.70	3.97	
अग्रिमों पर आय	8.72	7.61	
निवेशों पर आय	6.57	6.26	
निवेश पर आय (ट्रेडिंग लाभ सहित)	6.91	6.41	
शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.40	3.47	
लागत आय अनुपात	58.18	56.35	

5. व्यवसायिक अनुपात

	31.03.2024 (वि.व.)	31.03.2023 (वि.व.)
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से ब्याज आय	7.60	7.07
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से गैर-ब्याज आय	1.17	1.13
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से परिचालन लाभ	1.82	1.90
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.63	0.44
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	19.94	18.45
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	8.00	5.07

*चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आकड़ों की पुनर्गणना/पुनर्समूहन किया गया है।

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के घटक निम्नानुसार रहे:

	31.03.2024 (वि.व.)*	31.03.2023 (वि.व.)
	वासल-III	वासल-III
टियर -I	12.46%	12.11%
टियर -II	2.62%	2.01%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	15.08%	14.12%

*जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में सलाह दी है, बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बांड के एनपीवी की गणना के लिए समायोजन के बाद पूंजी अनुपात की गणना की है।

7. शुद्ध लाभ/हानि

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 2549 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है।

8. लाभांश

भविष्य में बैंक के व्यवसाय एवं परिचालन को संरक्षित करने हेतु, आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इक्विटी शेयर पर किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है।

9. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन:

श्री राजीव पुरी, कार्यपालक निदेशक दिनांक 30 जून 2023 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

दिनांक 14 जुलाई 2023 से श्री पी जे थॉमस बैंक के बोर्ड में निदेशक नहीं हैं। उन्हें 28 सितम्बर 2020 से भारत सरकार द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

दिनांक 14 जुलाई 2023 से सुश्री चारूलता एस कर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से नामित

निदेशक के रूप में नियुक्त की गई थी।

भारत सरकार द्वारा श्री महेन्द्र दोहरे को दिनांक 09.10.2023 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री प्रियव्रत शर्मा को भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 मई 2023 से चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

10. व्हिसल ब्लोअर नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पदांश शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का "सेट ई व्हिसल ब्लोअर" नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारी की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ महाप्रबंधक - मानव संपदा प्रबंधन विभाग को ज्ञात होती है। निदेशकगण और कर्मचारी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है।

11. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 25 के आधार पर बोर्ड और गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं पूर्णकालिक निदेशकों सहित बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2023 को आयोजित एक अलग बैठक में किया गया।

इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का

मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए बनाए गए बोर्ड की समिति द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक निदेशकों/शेयरधारक निदेशक आदि का निष्पादन मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

12. बोर्ड एवं इसकी उप- समितियां:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं इस हेतु आयोजित की गई बैठकें, जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, के अनुसार आवश्यकतानुसार बोर्ड एवं उप-समितियों का गठन किया जाता है।

13. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा वर्ष के दौरान की गई घोषणा

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस बात की पुष्टि करते हुए यह घोषित किया है सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 25 में वर्णित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करेंगे

14. सचिवीय लेखा परीक्षा:

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 24ए और सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के अनुसार दिनांक 08 फरवरी, 2019 को, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक ने कंपनी सचिव, मुंबई में सचिवीय ऑडिट करने वाले मैसर्स एसजी एंड एसोसिएट्स (श्री गणेश गनपुले) को एक सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट:

सूचिवद्ध विनियमों की अनुसूची 3 के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण को वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाने वाले एक अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है।

16. व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट :

व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिति संबंधी रिपोर्ट, जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है। इसके साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है।

16. लाभांश वितरण नीति:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है। नीति बैंक की वेबसाइट (www.Centralbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है।

19. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है; भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया गया है; समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं। ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ हानि का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके। भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं। लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से परिचालित हैं और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गई है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से परिचालित है।

19. कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

बैंक का निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु स्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है। बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

20 आभार:

निदेशक मंडल शेयर धारकों, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, भारतीय बैंक संघ, ग्राहकों, निवेशकों, शेयर बाजार निवेशकों एवं अन्य शेयर धारकों के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(एम वी राव)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 18 मई, 2024

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी



सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म संख्या एमआर - 3

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए.

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी के नियम संख्या 9 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए.]

प्रति,

सदस्यगण ,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

चंद्रमुखी , नरीमन पॉइन्ट

मुम्बई - 400021

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद बैंक कहा जाता है) द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है।

सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दायर किए गए प्रपत्रों और विवरणियों तथा बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने दिनांक 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, 2024 ने यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है।

- I. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम लागू सीमा तक;
- II. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (9एससीआरए“) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- III. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप-नियम;
- IV. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम; **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं)**

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम“) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश –

- बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भीतरी कारोबार का निषेध) विनियम, 2015;
- डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;
- ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018;
- एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और पसीना इक्विटी) विनियम, 2021. **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं)**
- जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
- एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम बैंकर) विनियम, 1994;
- आर) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993;
- जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2028

हम आगे कहते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (9सेबी अधिनियम“) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में कोई घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी: -

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता) विनियम, 2021;
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसखरीद) विनियम, 2018;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों/विनियमों के अनुपालन की भी जांच की है:

1. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (लागू नहीं)।
2. बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ लिस्टिंग समझौते किए गए.

बैंक के लिए लागू होने वाले अन्य कानून निम्नलिखित हैं:

ए) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार (जीओआई)

के.बारे.म.

कार्यालय

पूजा

नोटिस

सांविधिक

वर्गीय

द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

बी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और उसके संशोधन।

सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

डी) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998.

ई) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित टिप्पणियों को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. बैंक के निदेशक मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुपालन में नहीं है क्योंकि बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या इसकी कुल संख्या के 50% से कम है.
2. बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- बैंक के निदेशक मंडल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के अंतर्गत विधिवत नियुक्त किया जाता है और उपर्युक्त को छोड़कर कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशक तथा शेयरधारक निदेशक के उचित संतुलन के साथ गठित किया जाता है. बैंक ने बैंक के बोर्ड में निदेशकों के रिक्त पदों पर निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के साथ मामला उठाया है
- तथापि, यह नोट किया जाए कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी नहीं है बल्कि यह बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है. बैंक के निदेशक मंडल की संरचना उपर्युक्त अधिनियम/योजना के अंतर्गत निर्देशित होती है. बैंक के बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक को छोड़कर सभी निदेशकों को उपर्युक्त संदर्भित अधिनियम/योजना के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुरूप बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.
- बैंक के मामलों का प्रबंधन/संचालन निदेशक मंडल और उसकी समितियों के माध्यम से किया जाता है जो लागू कानूनों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार गठित की जाती हैं.

➤ बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स अग्रिम तौर पर भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

➤ हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं.

➤ हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक ने सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के पंजीकरण 3 (5) और 3 (6) के तहत सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू संरचित डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) अनुपालन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के तहत मानक परिचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया है.

➤ हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने लागू आरबीआई और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के लिए 8.31 करोड़ रुपये खर्च किए हैं

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं या कार्रवाइयों का अनुसरण किया जो उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक पर प्रभाव डाल सकते हैं.

- बैंक ने 30.08.2023 को 1500 करोड़ रुपये की राशि के निजी प्लेसमेंट आधार पर डिबेंचर की प्रकृति में बेसल III अनुपालन टियर II बांड (श्रृंखला VI) आवंटित किए हैं।
- बैंक ने परिपक्वता पर दिनांक 08.11.2023 को 1000 करोड़ रुपये के डिबेंचर की राशि के रूप में अपने बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्ड (सीरीज I) को भुनाया है.

कृते एसजी एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

सुहास गनपुले

प्रोपराइटर

स्थान : मुंबई

दिनांक 28 मई, 2024

सदस्यता संख्या: A12122

सी.पी.नं.: 5722

यूडीआईएन:A012122F000470998



अनुलग्नक - I

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्रति,
सदस्य
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
चंद्रमुखी नरीमन पॉइंट
मुंबई 400021

आज दिनांक की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए:

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर हमारी राय हमारी जिम्मेदारी है.
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता पर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे. सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में व्यवहार परिलक्षित होता है. हम मानते हैं कि हमने जिन प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक वास्तविक आधार प्रदान करते हैं.
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है.
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों, मानदंडों और मानकों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानदंडों और मानक के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी.
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभाव का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

कृते एसजी एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

सुहास गनपुले
प्रोपराइटर

सदस्यता संख्या: A12122

सी.पी.नं.: 5722

यूडीआईएन: A012122F000470998

स्थान : मुंबई
दिनांक 28 मई, 2024

के बारे में

कार्यवाही

पूरी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

निदेशकों की गैर - अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 34(3) तथा अनुसूची V पैरा सी के खंड (10) (i) के आलोक में)

प्रति,

सदस्यगण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पंजीकृत केन्द्रीय कार्यालय चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 (इसके पश्चात इसे 'बैंक' कहा गया है) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्ट्रों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटीकरणों की जांच की है जिसे बैंक ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा सी के खंड 10(i) सह पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं आवश्यकतानुसार निदेशकों की पोर्टल (www.mca.gov.in) पर पहचान संख्या (डीआईएन) सहित सत्यापन तथा बैंक और इसके अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे दिए गए बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक पद पर बने रहने से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा विविर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किये गये हैं।

क्र सं	निदेशक का नाम	श्रेणी	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
1	श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	06930826	01-03-2021
2	श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक	07490023	10-03-2021
3	श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक	07330989	10-03-2021*
4	श्री एम वी मुरली कृष्णा	कार्यपालक निदेशक	09021111	01-12-2022
5	श्री महेन्द्र दोहरे	कार्यपालक निदेशक	09406117	09-10-2023
6	श्री हार्दिक मुकेश शेट	गैर-कार्यकारी - भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	लागू नहीं	11-04-2022
7	श्री पी जे थॉमस	गैर-कार्यकारी - भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	लागू नहीं	28-09-2020**
8	सुश्री चारूलता एस कर	गैर-कार्यकारी - भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	लागू नहीं	14-07-2023
9	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमाननी	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	21-12-2021
10	श्री दिनेश पांगती	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	07517137	01-07-2021
11	श्री प्रियव्रत शर्मा	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	06972771	08-05-2023

*30.06.2023 को बैंक के निदेशक पद पर नहीं हैं

**14.07.2023 को बैंक के निदेशक पद पर नहीं हैं

नोट: बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, बैंक के बोर्ड के निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए उन निदेशकों के लिए डीआईएन का उल्लेख किया गया है जिनके पास कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी डीआईएन है। जिन निदेशकों के पास डीआईएन नहीं है, उनके लिए ऊपर लागू नहीं उल्लेख किया गया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इस पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन तंत्र की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है।

एसजी एंड एसोसिएट्स के लिए,
प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज

सुहास गनपुले

स्वामित्व

सदस्य संख्या - A12122

सीपी संख्या . 5722

यूडीआईएन : A012122F000470140

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28 मई, 2024

प्रबंधकीय चर्चा एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

अवलोकन

भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति से निपटने के प्रयासों और मांग में कमी के सामने, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2024 में उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2023 में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर 3.2% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसे पूरे 2024 में बनाए रखने की उम्मीद है। वैश्विक विकास विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार विचलन करने का अनुमान है। एक ब्लॉक के रूप में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 2024 और 2025 में वर्ष 2023 में अनुमानित 1.6% की तुलना में क्रमशः 1.7% और 1.8% वृद्धि की उम्मीद है, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 2023 के लिए अनुमानित 4.3% की तुलना में 2024 और 2025 में 4.2% बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 के लिए 7.6% और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.0% की वृद्धि के साथ भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभावों से उबर रही है। आपूर्ति की बाधाएं कम हुई हैं, लेकिन तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है। संपर्क-गहन सेवाएं जो महामारी के दौरान बहुत अधिक प्रभावित हुई थीं, ने मांग देखी है और विकास का समर्थन किया है। हालांकि, इनपुट लागत दबाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और आवश्यक इनपुट की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले चीन लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करने के कारण विनिर्माण को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अप्रैल 2023 में आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक विकास 2023 में 2.8% और 2024 में 3.0% तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक मुद्रास्फीति 2023 में 6.8% से 2024 में 5.9% तक कम होने की उम्मीद है, जो 2025 में घटकर 4.5% हो जाएगी।

अनुमान

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमानों के अनुसार, 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.2% विस्तार होने का अनुमान है। इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा भू-राजनीतिक तनाव और अधिक महत्वपूर्ण व्यापार प्रवाह को कम करने पर निर्भर करेगा। कैलेंडर वर्ष 2023 में 1.2% की गिरावट के बाद, विश्व व्यापारिक व्यापार की मात्रा 2024 में 2.6% और 2025 में 3.3% बढ़ने की उम्मीद है।

भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर उनके बढ़ते प्रभाव ने केंद्रीय बैंकों को वित्तीय बाजारों, राजनीतिक स्थिरता और देशों के बीच बढ़ते विरोध से उत्पन्न विभिन्न वैश्विक जोखिमों से निपटने के लिए अपने विदेशी भंडार का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है। वर्ष 2022 में केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की रिर्कार्ड खरीद, इसके बाद 2023 में निरंतर गति से संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक सोने को जमा करके अपने

भंडार में विविधता ला रहे हैं, जो वर्तमान समय में एक सुरक्षित बचाव के रूप में उभरा है। सोने की कीमतें मार्च 2019 में 1295 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर मार्च 2024 में 2171 डॉलर प्रति औंस हो गई हैं।

उन्नत अर्थव्यवस्थाएं

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 2024 में 1.7% और 2025 में 1.8% बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2023 में 1.6% की वृद्धि हुई थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 2024 के पहले तीन महीनों में तेज मंदी का सामना करना पड़ा, जिसमें 2023 की अंतिम तिमाही में रिपोर्ट की गई 3.4% की वृद्धि की तुलना में 1.6% की वृद्धि हुई। महंगाई 2% के लक्ष्य से दूर रहती है। मजबूत श्रम बाजारों और निरंतर उपभोक्ता खर्च के सकारात्मक संकेत एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। उच्च ब्याज दरों और सरकारी ऋण जैसी चुनौतियों में साल के अंत तक कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है।

यूरोजोन में वृद्धि 2024 में स्थिर रहने की उम्मीद है, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। देशों के बीच आर्थिक विकास में विचलन है, दक्षिणी यूरोपीय देशों ने अपने उत्तरी समकक्षों की तुलना में बेहतर कार्य निष्पादन किया है। विनिर्माण और सेवा दोनों में समग्र आर्थिक गतिविधि में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्यटन संख्या में पुनः वृद्धि भी ब्लॉक की वसूली के लिए अच्छा है।

कमजोर बाहरी मांग और निवेश के कारण वर्ष 2023 में जापान के विकास अनुमान को घटाकर 1.3% कर दिया। हालांकि, जनवरी-मार्च 2023 में जापान की अर्थव्यवस्था 1.6% की दर से बढ़ी, जो पिछले साल तकनीकी मंदी के बाद पुनः वृद्धि का संकेत देती है। इस वृद्धि की गति को सरकार द्वारा प्रदान किए गए मूल्य राहत उपायों और मजबूत वेतन वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जापान में मुख्य उपभोक्ता मुद्रास्फीति मार्च 2023 में 2% के लक्ष्य को पार करते हुए 3.1% पर पहुंच गई, जबकि बैंक ऑफ जापान एक अति-ढीली मौद्रिक नीति रुख बनाए रखना जारी रखता है।

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडी) का 2024 और 2025 में 4.2% बढ़ने का अनुमान है, जो 2023 के लिए अनुमानित 3.9% से थोड़ा बढ़ा है। भारत इस समूह में वित्तीय वर्ष 2024 के 6.8% की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर और वित्तीय वर्ष 2024-25 के 6.5% की वृद्धि दर के साथ एक प्रमुख विकास चालक बना हुआ है,

चीन की वृद्धि लक्षित सरकारी नीतियों द्वारा समर्थित है, हालांकि अचल संपत्ति संकट, प्रतिकूल जनसांख्यिकी, और अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार तनाव जैसे संरचनात्मक मुद्दे महत्वपूर्ण चुनौतियां लाते हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 2023 में गिरावट के बाद 2024 के लिए

विश्व व्यापारिक व्यापार की मात्रा में 2.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। आर्थिक झटकों के बावजूद, वैश्विक व्यापार ने लचीलापन दिखाया है, औद्योगिक गतिविधि में सुधार और कम कमोडिटी की कीमतों से विकास का समर्थन करने की उम्मीद है।

विश्व सकल घरेलू उत्पाद में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडी) की हिस्सेदारी 58.3% है, जिसमें चीन का हिस्सा 18.5% है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ईएमडी 3.9% की तुलना में वर्ष 2024 में 4.2% तक वृद्धि होने की आशा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

जीडीपी वृद्धि

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 7.6% रहने की उम्मीद है। यह मजबूत वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत कार्यनिष्पादन से प्रेरित है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में क्रमशः 8.5% और 10.7% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो आधार प्रभाव और महत्वपूर्ण निवेश से प्रेरित है। सेवा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023 में पंजीकृत 10.0% की वृद्धि से थोड़ी गिरावट होकर 7.5% तक विस्तार होने का अनुमान है, लेकिन अभी भी पूर्व-महामारी औसत 6.6% से अधिक है। हालांकि, अनियमित वर्षों के कारण कृषि में तीव्र गिरावट आई, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में 329.6 मिलियन टन की तुलना में 309.3 मिलियन टन रहा। आगे बढ़ते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में विकास बेहतर निजी और सार्वजनिक निवेश और खपत की मांग से प्रेरित होने की उम्मीद है, जैसा कि परियोजना घोषणाओं में वृद्धि और उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि से संकेत मिलता है। विशेष रूप से, बड़े उद्योगों को बैंक ऋण वित्त वर्ष 2024 में 7% की दर से बढ़ा, जो वित्त वर्ष 2018-19 के बाद से सबसे अधिक है, और निजी क्षेत्र द्वारा बॉन्ड जारी करने की राशि ₹8.4 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो 2008 के बाद से सबसे अधिक है।

पॉलिसी दरें

भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) ने फरवरी 2023 से पॉलिसी रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। यह मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक 250 आधार अंकों की वृद्धि का अनुसरण करता है। स्थिर नीतिगत दर ने मुद्रास्फीति को लक्षित दायरे में रखते हुए आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया है। इस स्थिरता के कारण बैंक उधार दरों में भी वृद्धि हुई है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) मार्च 2023 में 9.32% से बढ़कर मार्च 2024 में 9.37% हो गई है।

मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में औसतन 4.7% और मार्च 2023 में 5.6% के साथ भारत में मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है। मार्च 2024 में कोर मुद्रास्फीति चार साल के निचले स्तर 3.25% पर पहुंच गई, जो स्थिर मांग और आपूर्ति बाधाओं को कम करने से सहायता प्राप्त है। स्थिर मुद्रास्फीति दृष्टिकोण ने भारतीय रिजर्व बैंक को

अपनी नीति दर को बनाए रखने की अनुमति दी है, जिससे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है।

औद्योगिक उत्पादन

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), जो औद्योगिक उत्पादन को मापता है, ने मार्च 2023 में 1.1% की वृद्धि दर्ज की है। दिवाली के बाद से आईआईपी लगातार बढ़ रहा था, जो औद्योगिक गतिविधि में निरंतर सुधार का संकेत देता है। अप्रैल में विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर लचीलापन का सुझाव देता है।

मुद्रा विनिमय दरें

भारतीय रुपये में यूएसडी के मुकाबले मूल्यहास हुआ, जो मार्च 2023 के मध्य में 82.6 प्रति यूएसडी तक पहुंच गया। यह मूल्यहास वैश्विक बैंकिंग अस्थिरता, महत्वपूर्ण पूंजी बहिर्वाह और भारतीय रिजर्व बैंक की व्याज दरों में वृद्धि के कारण था। इन दबावों के बावजूद, संतुलित चालू खाते और मजबूत आयात मांग के समर्थन से रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) वित्त वर्ष 2024 में अधिकांश महीनों के लिए निवल विक्रेता थे। हालांकि, जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग के उभरते बाजार सूचकांकों जैसे वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारत सरकार की प्रतिभूतियों के शामिल होने से ऋण बाजार में तेजी आई और एफपीआई का नौ साल का उच्चतम प्रवाह हुआ। विदेशी पूंजी का यह प्रवाह भारत के आर्थिक मूल सिद्धांतों और विकास संभावनाओं में विश्वास को रेखांकित करता है।

घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित करके, मजबूत क्रेडिट वृद्धि को बढ़ावा देने और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करने से, भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने और आने वाले वर्षों में पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अच्छी से तैयार है।

बैंकिंग क्षेत्र अवलोकन

ऋण वृद्धि

वित्त वर्ष 2024 में बैंक क्रेडिट वृद्धि बढ़ी, जो आर्थिक गतिविधियों में सुधार को दर्शाती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के गैर-खाद्य बैंक ऋण में मार्च 2024 तक साल-दर-साल 20.02% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में 15.4% की वृद्धि हुई। यह मजबूत वृद्धि उच्च खुदरा मांग और महामारी से आर्थिक सुधार से प्रेरित थी। उद्योग ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 2023 में 5.6% से वित्त वर्ष 2024 में 9.0% हो गई, जिसके कारण बड़े उद्योगों को ऋण में सुधार और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) खंड में स्थिर वृद्धि हुई। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्रेडिट फ्लो वित्त वर्ष 2023 में 0.4% की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 6.5% की गति से बढ़ा। कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024 में 20.1% की क्रेडिट वृद्धि देखी गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 15.4% थी। सेवा क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह वित्त वर्ष 2023 में 19.6% की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 22.9% की गति से बढ़ा।



जमा वृद्धि

सकल जमा में बैंक में ने पिछले वर्ष में 9.6% की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 13.5% की वृद्धि दर्ज की। यह महत्वपूर्ण वृद्धि ब्याज दर में वृद्धि से प्रेरित था, जिसने सावधि जमा को अधिक आकर्षक बना दिया। जमा उच्च वृद्धि दर के बावजूद, क्रेडिट वृद्धि ने जमा वृद्धि को पीछे छोड़ दिया, जिससे मार्च 2023 में क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 75.8% से बढ़कर मार्च 2024 में 80.3% हो गया। नई जमाओं पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) मई 2022 से फरवरी 2023 तक 222 आधार अंकों की वृद्धि हुई। थोक जमा दरों की तुलना में खुदरा जमा दरों के लिए यह वृद्धि अधिक स्पष्ट थी, जो बैंकों द्वारा अधिक स्थिर खुदरा जमा हासिल करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने में बदलाव को दर्शाती है।

आस्ति गुणवत्ता

एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ, समग्र गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) अनुपात मार्च 2023 के अंत में 3.9% से घटकर सितंबर 2023 के अंत में 3.2% हो गया। यह सुधार सभी उत्पादक क्षेत्रों और उद्योगों में देखा गया, जिसमें सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात व्यक्तिगत ऋण के लिए सबसे कम था। जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी सितंबर 2023 के अंत में 16.8% थी, जबकि नियामक न्यूनतम 11.5% थी। सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात 8% की नियामक आवश्यकता की तुलना में 13.7% था।

लाभप्रदता

बैंकिंग क्षेत्र में लाभप्रदता में वृद्धि देखी गई, जो मुख्य रूप से शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि के कारण थी। मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ ₹1.4 ट्रिलियन को पार कर गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि दर्ज करता है। यह वृद्धि चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिदृश्य के बावजूद हासिल की गई थी, जो भारतीय बैंकिंग उद्योग के लचीलापन और मजबूत आय को दर्शाती है।

ब्याज दरें

पॉलिसी रेपो दर पूरे वित्त वर्ष 2024 में 6.5% पर अपरिवर्तित रही। मार्च 2024 में मुख्य मुद्रास्फीति में चार साल के निचले स्तर 3.25% तक महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद, स्थिर नीति दर ने पिछली दरों में वृद्धि के प्रसारण के लिए पर्याप्त जगह प्रदान की। एससीबी के नए रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) मार्च 2024 में बढ़कर 9.37% हो गई, जो मार्च 2023 में 9.32% थी, जबकि बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर इसी अवधि में 9.72% से बढ़कर 9.83% हो गया। सावधि जमा दरों में वृद्धि उधार दरों से अधिक है, जो जमाकर्ताओं से स्थायी धन की उच्च मांग का संकेत देती है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का व्यवसाय

कुल व्यवसाय वृद्धि

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पार करते हुए वित्तीय वर्ष 2024 में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वृद्धि हासिल की है। कुल व्यवसाय वॉल्यूम ₹577,075 करोड़ से बढ़कर

₹636,756 करोड़ हो गया, जो वर्ष दर वर्ष 10.34% की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि ने बैंक के 10% से 12% के मार्गदर्शन से कार्यनिष्पादन रहा। बैंक के मजबूत कार्यनिष्पादन में परिसंपत्ति गुणवत्ता, तकनीकी प्रगति और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण पर कार्यनीति उत्तरदायी था। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 में अपना अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ ₹2,549 करोड़ दर्ज किया, जो 2023 में पिछले रिकॉर्ड सेट से अधिक है।

अग्रिम और ऋण-जमा अनुपात

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अग्रिमों में पर्याप्त वृद्धि का कार्य निष्पादन किया, कुल अग्रिम ₹ 217,779 करोड़ से बढ़कर ₹ 251,745 करोड़ हो गए, जो 15.60% की वृद्धि दर को दर्शाता है। इस सेगमेंट के भीतर, खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) श्रेणी में 144,735 करोड़ रुपये से बढ़कर 167,126 करोड़ रुपये हो गया, जो 15.47% की वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है। कॉर्पोरेट अग्रिमों ने भी अच्छी वृद्धि दर्शायी है जो ₹ 73,044 करोड़ से बढ़कर ₹ 84,619 करोड़ हो गई, जो 15.85% की वृद्धि दर दर्शाती है। परिणामस्वरूप, ऋण-जमा अनुपात में 60.86% से 65.59% तक काफी सुधार हुआ, जो बैंक की जमा वृद्धि की तुलना में बैंक की विस्तारित उधार गतिविधियों को प्रकट करता है।

कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

संतुलित क्रेडिट पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया फोकस के परिणामस्वरूप 3.40% का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) हुआ, जो 3% से अधिक के लक्ष्य को पार कर गया। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 4.50% पर 4.00% से 4.25% की लक्ष्य सीमा से थोड़ा ऊपर रहा, जबकि शुद्ध एनपीए 1.23% पर नियंत्रित था। बैंक ने 92% से अधिक के लक्ष्य को पार करते हुए 93.58% के मजबूत प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) का भी कार्य निष्पादन किया। स्लिपेज अनुपात को 0.57% पर कम रखा गया था, और क्रेडिट लागत 0.85% पर लक्ष्य रेंज से कम थी।

संसाधन जुटाना

मार्च 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कुल जमा में 7.16% की वृद्धि हुई, जो ₹359,296 करोड़ से बढ़कर ₹385,011 करोड़ हो गयी। कासा (चालू खाता बचत खाता) जमा 180,312 करोड़ रुपये से बढ़कर 191,969 करोड़ रुपये हो गया, जो 6.46% की वृद्धि दर को दर्शाता है। यह वृद्धि चालू जमा में वृद्धि से प्रेरित थी, जो ₹17,781 करोड़ से ₹18,248 करोड़ तक 2.63% बढ़कर ₹18,248 करोड़ हो गई, और बचत जमा, जो ₹162,531 करोड़ से ₹173,721 करोड़ तक 6.88% बढ़ गई। कुल जमा में कासा का हिस्सा 50.02% बना रहा।

कासा जमा

बैंक ने कासा जमा को जमा आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, जो ₹180,312 करोड़ से बढ़कर ₹191,969 करोड़ हो गया, जो 6.46% की वृद्धि दर को दर्शाता है। यह वृद्धि चालू और बचत जमा दोनों से प्रेरित थी, जो बैंक की मजबूत जमा जुटाने की कार्यनीति को प्रकट करती है। कुल

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांनिधिक

वित्त

जमा में कासा जमा का अनुपात 50.02% पर स्थिर रहा, जो कम लागत वाली जमा वृद्धि पर बैंक के जोर को रेखांकित करता है।

कोर जमा

कोर जमा, जिसमें कासा और कोर मीयादी जमा दोनों शामिल हैं, ₹357,840 करोड़ से बढ़कर ₹383,808 करोड़ हो गए, जो 7.26% की वृद्धि दर को दर्शाता है। अकेले कोर मीयादी जमा 8.06% बढ़ गया, जो ₹177,528 करोड़ से बढ़कर ₹191,839 करोड़ हो गया। कोर जमा में यह वृद्धि स्थिर और दीर्घकालिक फंडिंग स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए बैंक की कार्यनीति को परिलक्षित करती है।

नई पहल

तकनीकी रूपांतरण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया परिचालन दक्षता बढ़ाने, ग्राहक अनुभव में सुधार करने और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को बदल रहा है। बैंक ने ग्राहकों के प्रश्नों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देने में शाखा कर्मचारियों की सहायता के लिए सेंट चाणक्य नामक एआई-आधारित चैटबॉट लागू किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसे ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ऋण उत्पादों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे टर्नअराउंड समय काफी कम हो गया है। यह मंच निर्णय लेने में व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए मानक स्रोतों से डेटा का उपयोग करता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाते हुए डिजिटल अनुप्रयोगों और अनुप्रयोग एकीकरण और तैनाती के लिए स्वचालित उपकरणों के लिए एक माइक्रो-सेवा आधारित एक एकीकृत प्लेटफॉर्म भी पेश किया।

परिसंपत्ति गुणवत्ता पर फोकस

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का परिसंपत्ति गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित है, जिसका लक्ष्य 1% से कम क्रेडिट लागत है। बैंक जोखिमों को कम करने और संतुलित ऋण पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कॉर्पोरेट और एमएसएमई पुस्तकों को बनाए रखने पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण में तनावग्रस्त खातों की सक्रिय रूप से पहचान करने और प्रबंधन करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना शामिल है, जिससे समग्र परिसंपत्ति गुणवत्ता में वृद्धि होती है। बैंक ने 93.58% का सुदृढ़ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) निर्धारित किया है, जो 92% से अधिक के लक्ष्य से अधिक है, और 1% से कम की लक्ष्य सीमा से नीचे 0.57% का कम स्लिपेज अनुपात बनाए रखता है।

शुल्क-आधारित आय वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुल्क-आधारित आय में 2.85% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि विभिन्न कारकों से प्रेरित थी, जिसमें पीएसएलसी बिक्री, वसूली और अन्य विविध आय शामिल थी। बैंक को उम्मीद है कि शुल्क-आधारित आय और सेवा शुल्क स्थिर रहेंगे, वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए राजस्व धाराओं में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन पहलों का कार्यान्वयन पारंपरिक ब्याज आय से परे अपने

आय आधार का विस्तार करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पुनर्गठित बही प्रबंधन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी पुनर्गठित बहियों में स्थिरता बनाए रखती है और एमएसएमई संग्रह पर मजबूत पकड़ रखती है। इस पहल में समय पर पुनर्भूगतान सुनिश्चित करने और क्रेडिट जोखिमों को कम करने के लिए पुनर्गठित परिसंपत्तियों का सक्रिय रूप से प्रबंधन और निगरानी शामिल है। पुनर्गठित पुस्तक प्रबंधन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, बैंक का लक्ष्य परिसंपत्ति गुणवत्ता और वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखना है। पुनर्गठित परिसंपत्तियों के प्रबंधन में बैंक के सक्रिय उपाय इसके समग्र कार्यानिष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

लागत-से-आय अनुपात अनुकूलन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में 50% से कम लागत-से-आय अनुपात को लक्षित करके परिचालन दक्षता में सुधार करना है। बैंक ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और लागत-बचत उपायों को लागू करने सहित विभिन्न रणनीतियों को लागू किया है। इन पहलों को उच्च सेवा मानकों को बनाए रखते हुए लाभप्रदता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लागत को नियंत्रित करने के लिए बैंक के प्रयास इसके निरंतर कार्य निष्पादन और परिचालन दक्षता पर रणनीतिक फोकस में स्पष्ट हैं।

सकल एनपीए में कमी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर केंद्रित योजनाबद्ध पहल के माध्यम से सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी का अनुमान लगाती है। इन परिसंपत्तियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित और हल करके, बैंक का लक्ष्य अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना और समग्र परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करना है। सकल एनपीए अनुपात 4.50% था, जो 4.00% से 4.25% की लक्ष्य सीमा से थोड़ा अधिक था, जबकि शुद्ध एनपीए 1.23% पर अच्छी तरह से नियंत्रित था। ये आंकड़े क्रेडिट जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और एक स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए बैंक के चल रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।

उभरता व्यवसाय

सह-उधार साझेदारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी सह-उधार पहल का काफी विस्तार किया है। इन पहलों का उद्देश्य बाजार के असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों की सेवा करना है, विशेष रूप से खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्षेत्रों के भीतर। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 12 अतिरिक्त एनबीएफसी के साथ को-लेंडिंग पार्टनरशिप स्थापित की, जिससे कुल 26 एनबीएफसी /एचएफसी हो गए। इन साझेदारियों ने बैंक को रैम क्षेत्रों के विकास और विस्तार का समर्थन करने, समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने और विभिन्न वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है।



वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम वृद्धि पर इन सह-उधार पहलों का प्रभाव निम्नानुसार है:

खंड	वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान स्वीकृति (₹ करोड़)	दिनांक 31 मार्च, 2024 को बकाया शेष (₹ करोड़ में)
एमएसएमई	5,461.02	5,798.78
रिटेल	1,980.70	5,349.74
कृषि	7.05	5.82
कॉर्पोरेट	391.47	216.04
कुल	7,840.24	11,370.38

इन साझेदारियों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंक की उपस्थिति को काफी बढ़ाया है और उधारकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को ऋण के प्रावधान को सक्षम किया है।

टीआरडीईएस प्लेटफॉर्म के कार्यानिष्पादन वैशिष्ट्य

वित्त वर्ष 2024 के दौरान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीईएस) प्लेटफॉर्म ने उल्लेखनीय कार्यानिष्पादन किया है। जो कॉर्पोरेट्स और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्लेटफॉर्म की बढ़ती स्वीकृति और अपनाने को दर्शाता है। टीआरडीईएस प्लेटफॉर्म ने निर्बाध लेन-देन की सुविधा प्रदान की है और एमएसएमई व्यवसायों को बहुत जरूरी तरलता प्रदान की। दिनांक 31 मार्च 2024 तक के कार्य निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

टीआरडीईएस प्लेटफॉर्म पर कुल बकाया:

- 2,011.44 करोड़, 67% की वृद्धि.
- ₹672 करोड़ के कुल जोखिम के साथ 26 नए कॉर्पोरेट्स को जोड़ा गया.
- मौजूदा खातों में ₹300 करोड़ की राशि का जोखिम बढ़ाया गया.
- वर्ष के दौरान अर्जित कुल ब्याज: ₹114.34 करोड़, जबकि पिछले वर्ष यह ₹52.29 करोड़ था.
- वित्त वर्ष 2023 में ₹6,098.94 करोड़ के मुकाबले ₹11,210.84 करोड़ का कारोबार हासिल किया.

31 मार्च 2024 तक टीआरडीईएस पोर्टफोलियो में कोई अतिदेय राशि नहीं थी, जो व्यापार प्राप्य वित्तपोषण की सुविधा में प्लेटफॉर्म की दक्षता और विश्वसनीयता को उजागर करती है।

अग्रिम वैशिष्ट्य 1

अग्रिम वृद्धि

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कुल सकल अग्रिमों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो 31 मार्च, 2024 तक ₹251,745 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.60% की वृद्धि दर को दर्शाती है। इस मजबूत

वृद्धि का श्रेय बैंक के कार्यनीतिक फोकस को खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने उधार पोर्टफोलियो के विस्तार को दिया जाता है। रैम क्षेत्र में, विशेष रूप से, 144,735 करोड़ रुपये से बढ़कर 167,126 करोड़ रुपये हो गया, जो 15.47% की वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है। कॉर्पोरेट ऋण में भी ₹73,044 करोड़ से ₹84,619 करोड़ तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 15.85% की वृद्धि दर को दर्शाता है। बैंक का ऋण-जमा अनुपात 60.86% से बढ़कर 65.59% हो गया, जो जमा वृद्धि के सापेक्ष बढ़ी हुई ऋण गतिविधि को दर्शाता है।

ऋण नीति अद्यतन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने परिसंपत्ति गुणवत्ता बढ़ाने और ऋण जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपनी ऋण नीतियों और मास्टर सर्कुलर को अद्यतन किया है। इन अद्यतनों में बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाना और सभी उधार खातों को लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क की विनियामक सीमाओं के अंतर्गत लाना शामिल है। बैंक ने पात्र कॉर्पोरेट खातों के लिए कॉर्पोरेट क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट लाइन (सीजीईसीएल) की शुरुआत की और पात्र खातों के एकबारगी पुनर्गठन (ओटीआर) के लिए नियामक ढांचे को लागू किया। इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के साथ अपने संबंधों को सुव्यवस्थित करते हुए, कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रीन चैनल लॉन्च किया। बैंक ने बाहरी क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड के प्रबंधन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी लागू की और ईबीएलआर-लिक्विड आरओआई उत्पाद को 2 साल से 15 साल तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसके अलावा, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सभी कॉर्पोरेट ग्राहकों और सीसी/ओडी खाताधारकों को उपलब्ध कराई गईं, और दिशानिर्देश स्थापित किए गए।

कॉर्पोरेट ऋण

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ₹ 72,009.00 करोड़ की राशि के नए कॉर्पोरेट क्रेडिट को स्वीकृति दी। बैंक ने उच्च क्रेडिट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एए-रेटेड उधारकर्ताओं के लिए बढ़े हुए जोखिम के साथ अपने कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो को फिर से संगठित किया। इस पुनर्गठन को क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रेडिट प्रोसेसिंग और अनुमोदन केंद्रों (सीपीएसी) की स्थापना द्वारा समर्थित किया गया था, जिसने शाखाओं को क्रेडिट निर्णयों में सशक्त बनाया और सुव्यवस्थित पूर्व-संवितरण गतिविधियों की सुविधा प्रदान की। बैंक ने केंद्रीय कार्यालय में एक वॉर रूम भी स्थापित किया है ताकि 1 करोड़ रुपये तक के एक्सपोजर वाले विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके, जबकि 1 करोड़ रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले खातों की निगरानी क्रेडिट मॉनिटरिंग विभाग द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वास्तविक व्यावसायिक कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के ऋण खातों सहित ऋण खातों की तिमाही समीक्षा की। इन उपायों ने सामूहिक रूप से बैंक के कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो को बढ़ाने और क्रेडिट गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने में योगदान दिया।

क्रेडिट मॉनीटरिंग एवं नीति

क्रेडिट मॉनीटरिंग गतिविधियां

क्रेडिट निगरानी और नीति विभाग प्रभावी क्रेडिट निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख प्रथाओं के लिए जिम्मेदार है। इन गतिविधियों में शामिल हैं:

1. **क्रेडिट मॉनिटरिंग समितियां:** नियंत्रण कार्यालयों और बड़ी शाखाओं में स्थापित, ये समितियां क्रेडिट निगरानी मामलों पर चर्चा

करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करती हैं, जिसमें प्रत्यायोजित उधार शक्तियों का मूल्यांकन और विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का मूल-कारण विश्लेषण शामिल है।

- ऋण समीक्षा प्रणाली:** बैंक इस तंत्र के अंतर्गत ऋणों के कवरेज और समापन की स्थिति की निगरानी करता है, नियमित समीक्षा और अद्यतन सुनिश्चित करता है।
- स्टॉक लेखापरीक्षा :** इन्वेंटरी मूल्यांकन और सत्यापन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ₹5 करोड़ और उससे अधिक के उधार लिए गए सीसी/ओडी खातों के लिए आयोजित किया जाता है।
- प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस):** बैंक उधार खातों में संभावित वित्तीय संकट की पहचान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ईडब्ल्यूएस की निगरानी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ईडब्ल्यूएस प्रदर्शित करने वाले खातों को आगे की जांच के लिए लाल झंडी दिखाई जाती है।
- तिमाही समीक्षा प्रणाली:** यह प्रणाली वास्तविक व्यावसायिक कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए सूचीबद्ध कंपनियों सहित ऋण खातों की समीक्षा करती है

दस्तावेज़ीकरण और अनुपालन: प्रतिभूतियों का नियमित सत्यापन, संपादक दस्तावेज़ीकरण, और क्रेडिट सूचना कंपनियों और एनईएसएल (सूचना उपयोगिता) को ऋण खाते के विवरण का समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाता है। बैंक आवश्यकतानुसार डिफॉल्ट रिपोर्ट और अन्य नियामक रिटर्न भी प्रस्तुत करता है।

प्रारंभिक चेतावनी संकेत

प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली बैंक के क्रेडिट निगरानी ढांचे का एक अनिवार्य घटक है। यह उधार खातों में संभावित वित्तीय संकट का शीघ्र पता लगाने में मदद करता है, जिससे बैंक को सक्रिय उपाय करने की अनुमति मिलती है। ईडब्ल्यूएस प्रणाली में संकेतों की निगरानी और वित्तीय तनाव के संकेत प्रदर्शित करने वाले रेड-फ्लैगिंग खातों के लिए एक समर्पित पोर्टल शामिल है। यह दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ संरेखित होता है और संभावित मुद्दों के समय पर समाधान में मदद करता है।

विशिष्ट निगरानी एजेंसियां

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बड़े मूल्य वाले उधारकर्ता खातों के संचालन और लेनदेन की निरंतर निगरानी के लिए विशेष निगरानी एजेंसियों (एसएमए) को संलग्न करता है। यह निरंतर निगरानी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी विसंगतियों या वित्तीय संकट की समय पर पहचान करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रेडिट प्रोसेसिंग और अनुमोदन केंद्र (सीपीएसी) स्थापित किए हैं ताकि शाखाओं को ऋण निर्णयों में सशक्त बनाया जा सके और पूर्व-संवितरण गतिविधियों के सुव्यवस्थित सत्यापन की सुविधा मिल सके।

केन्द्रीय कार्यालय में वॉर रूम ₹1 करोड़ तक के जोखिम वाले सभी एसएमए खातों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करता है, जबकि ₹1 करोड़ से ऊपर के खातों की निगरानी क्रेडिट मॉनिटरिंग विभाग द्वारा ही की जाती है।

ऋण प्रसंस्करण एवं अनुमोदन केंद्र (सीपीएसी)

ऋण प्रसंस्करण एवं अनुमोदन केंद्र (सीपीएसी) 2021 से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य शाखाओं को ऋण संबंधी निर्णय लेने में सशक्त बनाना और शाखाओं को सुविधा प्रदान करना तथा मूल्यांकन और स्वीकृति से लेकर सुरक्षा सृजन, अन्य नियमों और शर्तों का अनुपालन आदि सहित प्रलेखन और ऋण की अंडरराइटिंग में सुधार सहित सभी पूर्व-वितरण गतिविधियों का एकल बिंदु सत्यापन की सुविधा प्रदान करना है।

वॉर रूम

सभी स्तरों पर खातों की निगरानी के अलावा, केन्द्रीय कार्यालय में समर्पित कर्मचारियों के साथ वॉर रूम काम कर रहा है, जो ₹1.00 करोड़ तक के जोखिम वाले सभी एसएमए खातों पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर निगरानी और स्लिपेज कम होते हैं।

डिजिटल संग्रहण प्रबंधन

संग्रहण गतिविधि को अंत तक पूरा करने की पहल, डिजिटल संग्रह प्लेटफॉर्म को एक अद्वितीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत किया गया है और यूपीआई के माध्यम से ऋण पुनर्भुगतान को सक्रिय किया गया है

डिजिटल संग्रह-प्लेटफॉर्म: इसमें 3 प्रमुख खंड शामिल हैं:

1. संग्रहण कॉल सेंटर
2. फीट ऑन स्ट्रीट (एफओएस)
3. आईवीआर/ वॉयस या चैट बॉट

प्राथमिकता क्षेत्र

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का न्यूनतम 40% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर से समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता क्षेत्र को आवंटित करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, बैंक के कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों ने इसके समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 53.14% हिस्सा है, जो 40% की नियामक आवश्यकता से अधिक है। यह कार्य निष्पादन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकता क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अनिवार्य आवंटन को पार करके, बैंक आर्थिक विकास का समर्थन करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास और अन्य जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।



31 मार्च, 2024 तक प्राथमिकता क्षेत्र का कार्य निष्पादन

प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न खंडों के अंतर्गत बैंक का विस्तृत कार्य निष्पादन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र सं	विवरण	मार्च -21	मार्च -22	मार्च -23	मार्च -24	वृद्धि %
1	प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	88,222.47	93,886.50	103,513.76	118,135.91	14.22%
		करोड़	करोड़	करोड़	करोड़	
2	कुल कृषि अग्रिम	36,206.99	38,635.40	42,110.35	46,063.46	8.67%
		करोड़	करोड़	करोड़	करोड़	
3	एमएसएमई	32,356.43	34,138.55	39,898.83	49,870.32	25.58%
		करोड़	करोड़	करोड़	करोड़	
4	शिक्षा ऋण	2,724.77	2,485.20	2,242.55	2,057.03	-8.27%
		करोड़	करोड़	करोड़	करोड़	
5	आवास ऋण (₹25 लाख तक)	16,744.07	18,503.23	19,188.99	20,090.44	5.58%
		करोड़	करोड़	करोड़	करोड़	
6	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	24.77	13.14	6.64	1.21	-81.78%
		करोड़	करोड़	करोड़	करोड़	
7	नवीकरणीय ऊर्जा	2.35	2.25	1.40	0.99	-99.05%
		करोड़	करोड़	करोड़	करोड़	
8	सामाजिक आधारभूत संरचना	153.15	104.40	58.87	41.96	-28.72%
		करोड़	करोड़	करोड़	करोड़	
9	निर्यात ऋण	9.93	4.33	6.13	10.49	71.13%
		करोड़	करोड़	करोड़	करोड़	

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण परिनियोजन में वृद्धि देखी, जो ₹ 118135.91 करोड़ तक पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 14,622.15 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। प्राथमिकता क्षेत्र में समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एनबीसी) पर अतिरिक्त उधार को भुनाने के लिए, बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) से जुड़े बिक्री लेनदेन में भाग लिया। बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 1500.00 करोड़ मूल्य के पीएसएलसी सफलतापूर्वक बेचे, जिसमें ₹ 1500 करोड़ विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 1601.28 करोड़ की बकाया ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक कृषि क्षेत्र को विशेष रूप से ₹ 1198.28 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

कृषि क्षेत्र

विचाराधीन वित्तीय वर्ष में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुल कृषि ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो ₹ 3,953.11 करोड़ हो गई - 31 मार्च, 2023 तक ₹ 42,110.35 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक ₹ 46,063.46 करोड़ हो गई। यह वृद्धि कृषि क्षेत्र का समर्थन करने और किसानों की व्यापक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण में कृषि ऋण का शुद्ध प्रतिशत 18% के नियामक लक्ष्य को पार करते हुए 20.57% तक पहुंच गया। यह उपलब्धि कृषि क्षेत्र के ऋण दायित्वों को पूरा करने और कृषि उद्योग के विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए विविध वित्तीय योजनाएँ

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे उत्पादकता और सतत विकास में वृद्धि होती है। इनमें शामिल हैं:

- **सेंट किसान ऋण कार्ड:** खेती की लागत, कटाई के बाद के खर्च, उपज के विपणन और कृषि परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी को कवर करने वाली एक समेकित ऋण सुविधा प्रदान करता है।

- **सेंट कृषि गोल्ड लोन:** सोने के आभूषणों और सोने के सिक्कों को गिरवी रखकर फसल उत्पादन और कृषि और संबद्ध गतिविधियों में निवेश ऋण के लिए त्वरित वित्तपोषण प्रदान करता है।
- **सेंट एसएचजी बैंक लिंकेज:** जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन का समर्थन करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को नकद ऋण और सावधि ऋण के साथ लक्षित करता है।
- **डीएवाई-एनआरएलएम:** ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन मोड दृष्टिकोण के अंतर्गत महिला एसएचजी को वित्तपोषित करता है।
- **सेंट एएमआई (कृषि विपणन अवसंरचना) योजना:** आधुनिक तकनीक, प्रेडिंग सुविधाओं, गुणवत्ता प्रमाणन और वैज्ञानिक भंडारण समाधानों के साथ विपणन अवसंरचना बनाने में सहायता करती है।
- **सेंट पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड-नेट हाउस:** उच्च गुणवत्ता वाली वाणिज्यिक बागवानी फसलों की संरक्षित खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **सेंट डेयरी:** दूध उत्पादन के लिए डेयरी इकाइयों की स्थापना का समर्थन करता है।
- **सेंट एग्री क्लिनिक / एग्री बिजनेस सेंटर:** योग्य व्यक्तियों द्वारा एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **सेंट फार्म मशीनरी:** ट्रैक्टर, ट्रेलर और अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए वित्तपोषण विकल्प प्रदान करता है।
- **सेंट किसान साथी:** ऋणी किसानों को साहूकारों और दलालों के प्रति अपनी देनदारियों को कम करने में सहायता करता है।
- **सेंट अनुसूचित जनजाति:** अनुसूचित जनजाति श्रेणी के भीतर कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **सेंट पोल्ट्री, मत्स्य पालन और पशुपालन इंफ्रा:** पोल्ट्री फार्म, पारंपरिक और वाणिज्यिक मछली पकड़ने की गतिविधियों, डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों की स्थापना और संचालन का समर्थन करता है।

केंद्रीय

कार्यवाही

पूरी

नोटिस

सामाजिक

वित्तीय

- **सेंट एग्री इंफ्रा और सेंट सोलर (पीएमकेयूएसयूएम योजना):** फसल कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाओं और विकेन्द्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित बिजली संयंत्रों में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त प्रदान करता है।
- **सेंट एफपीओ और सेंट एफआईडीएफ:** किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए वित्तपोषण और मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करता है।
- **सेंट पीएमएफएमई योजना और सेंट कोल्ड स्टोरेज:** सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और आधुनिकीकरण का समर्थन करता है और कोल्ड स्टोरेज और गोदाम इकाइयों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है।
- **सेंट बकरी पालन और अन्य एनएलएम योजनाएं:** बकरी पालन, भेड़ पालन, छोटे पैमाने पर ग्रामीण मुर्गी पालन, सुअर पालन और छोटे जुगाली करने वाले फार्मों/इकाइयों की स्थापना और संचालन को वित्त प्रदान करता है।
- **सेंट मशरूम:** मशरूम की खेती और स्पॉन उत्पादन के लिए वित्त प्रदान करता है।

कृषि ऋण तक पहुँच बढ़ाना

कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में तेजी लाने के लिए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कई ऋण अभियान शुरू किए हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएँ नए कृषि ऋणों को बढ़ावा देने और स्वीकृत करने के लिए नियमित रूप से मासिक मेगा ऋण शिविर आयोजित करती हैं। एसएचजी के लिए विशेष ऋण शिविर आयोजित किए गए हैं ताकि बैंक लिकेज को बढ़ाया जा सके, जिससे इन समूहों के लिए ऋण तक आसान पहुँच हो सके। इसके अतिरिक्त, बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि पात्र किसान फसल बीमा का विकल्प चुनकर "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत कवर किए जाएँ। कृषि क्षेत्र में एसएचजी के लिए निवेश ऋण और वित्तपोषण पर भी जोर दिया गया है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

ऋण प्रवाह को और बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए, बैंक किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सभी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में गाँव-स्तरीय साप्ताहिक शिविर आयोजित करता है। ये व्यापक प्रयास वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के भीतर मजबूत विकास का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और विविध पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बैंक ने सभी ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों को लागू किया है, जो इसके ग्राहक आधार की भलाई और वित्तीय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। ये प्रयास सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं, जिसमें वित्तीय साक्षरता और पहुँच में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वित्तीय साक्षरता और परामर्श केंद्र (एफएलसीसी)

अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता और परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र

व्यक्तियों को व्यापक वित्तीय शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें सूचित वित्तीय निर्णय लेने और उनके लिए उपलब्ध वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

सेवानिवृत्त कार्मिकों की नियुक्ति

सेवानिवृत्त कर्मियों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें सलाहकार के रूप में शामिल किया है। यह पहल बैंक को उनके व्यापक अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जिससे ग्राहकों को समृद्ध सेवा पेशकशों और बढ़ी हुई सलाहकार क्षमताओं के माध्यम से लाभ मिलता है।

बच्चों हेतु सेंट युवा उत्पाद

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बच्चों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया 'सेंट युवा' उत्पाद पेश किया है। इस उत्पाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज शामिल है, जिसमें बैंक प्रीमियम लागत वहन करेगा। यह पहल युवा पीढ़ी को आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके समर्थन देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कर्मचारी कल्याण और विकास

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत नियमित स्वास्थ्य जांच की पेशकश करके अपने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के साथ तालमेल बिठाते हुए, बैंक ने अपने कुल कर्मचारियों में से 17% से अधिक को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया है। यह कार्यक्रम कौशल विकास को बढ़ावा देता है और युवा व्यक्तियों को मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है, जो उनके पेशेवर विकास और भविष्य के रोजगार के लिए तत्परता में योगदान देता है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 11,682 बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट (बीसी) एजेंटों का उपयोग करके 16,795 गाँवों को शामिल करने के लिए अपनी बैंकिंग सेवाओं का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया है। इस विस्तृत नेटवर्क का उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को ग्रामीण निवासियों के करीब लाना है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले। इसके अलावा, बैंक ने 1,242 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले हैं, जिससे इसकी पहुँच और व्यापक हुई है और यह सुनिश्चित हुआ है कि शहरी समुदायों को बैंकिंग सेवाओं तक बेहतर पहुँच मिले।

वित्तीय समावेशन लेन-देन में वृद्धि

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट (बीसी) के माध्यम से खोले गए वित्तीय समावेशन (एफआई) खातों में लेन-देन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। लेन-देन की संख्या वित्त वर्ष 2023 में 675.88 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 972.23 लाख हो गई, जो साल-दर-साल 43.84% की वृद्धि दर्शाती है। लेन-देन में यह उछाल ग्राहकों द्वारा एफआई खातों के बढ़ते उपयोग और इसे अपनाए जाने को रेखांकित करता है, जो वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और वंचित समुदायों को सुलभ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में बैंक के प्रयासों की प्रभावशीलता को उजागर करता है।

व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से संचालित व्यवसाय

व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से संचालित व्यवसाय में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। लेन-देन का मूल्य 31 मार्च, 2023 तक ₹

4,001.86 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक ₹ 5,150.72 करोड़ हो गया, जो साल-दर-साल 28.70% की वृद्धि दर्शाता है। यह उल्लेखनीय वृद्धि बैंक की अपनी पहुँच का विस्तार करने और बैंकिंग सेवाओं से वंचित और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की रणनीति की सफलता को दर्शाती है।

व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से खातों की संख्या में वृद्धि

व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से खोले गए खातों की संख्या में साल-दर-साल 8.77% की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2023 को खातों की कुल संख्या 164.41 लाख से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक 178.84 लाख हो गई। यह वृद्धि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बीसी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी तक पहुँचने के लिए बैंक के ठोस प्रयासों को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) के अंतर्गत कार्य निष्पादन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (एफआई-पीएमजेडीवाई) पहल के अंतर्गत, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं:

- बिजनेस करिस्पॉन्डेंट (बीसी) आउटलेट के माध्यम से व्यापार में 28.70% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई। व्यापार की मात्रा ₹ 4,001.86 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,001.72 करोड़ हो गई।
- कुल वित्तीय समावेशन (एफआई) व्यवसाय में 21.24% की वृद्धि दर्ज की गई। व्यापार की मात्रा ₹ 6,691.59 करोड़ से बढ़कर ₹ 8,112.98 करोड़ हो गई।
- पीएमजेडीवाई खातों में आधार सीडिंग का प्रतिशत सकारात्मक रुझान दिखाता है, जो सभी पीएमजेडीवाई खातों के लिए 88.59% से बढ़कर 89.57% हो गया और सभी ऑपरेटिव पीएमजेडीवाई खातों के लिए 94.96% से बढ़कर 96.36% हो गया। आधार सीडिंग में यह वृद्धि अधिक कुशल और प्रभावी वित्तीय लेनदेन और पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करती है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन और दावा निपटान

31 मार्च, 2024 तक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल नामांकन में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। विवरण इस प्रकार है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई): वित्त वर्ष 2023 में नामांकन 2,121,789 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 2,578,319 हो गया, जो 21.52% की वृद्धि दर्शाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): नामांकन 6,820,243 से बढ़कर 9,429,172 हो गया, जो 38.25% की वृद्धि दर्शाता है।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाय): नामांकन 1,939,900 से बढ़कर 2,321,236 हो गया, जो 19.66% की वृद्धि दर्शाता है। दावों के निपटान के संबंध में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कुल 18,552 मृत्यु दावों में से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 15,007 दावों का निपटारा किया और भुगतान किया। इसी तरह, प्रधानमंत्री

सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,339 मृत्यु दावों में से, बैंक ने 4,736 दावों का निपटारा किया और भुगतान किया। यह दावों को तुरंत संबोधित करने और निपटाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे लाभार्थियों की वित्तीय सुरक्षा का समर्थन होता है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सात राज्यों में 52 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं: मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसके अतिरिक्त, केरल में, ब्लॉक स्तर पर चार वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे पास इन राज्यों में रणनीतिक रूप से स्थापित 178 सामुदायिक वित्तीय साक्षरता केंद्र भी हैं, जिनका वितरण इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल (12), मध्य प्रदेश (49), उत्तर प्रदेश (21), राजस्थान (7), बिहार (61), छत्तीसगढ़ (14), और महाराष्ट्र (14)। ये केंद्र व्यक्तियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शिक्षित करने के हमारे प्रयासों में महत्वपूर्ण हैं, जो जन अभियानों और व्यक्तिगत परामर्श सत्रों दोनों के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। हमारी आउटरीच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र को ऐसे वाहनों से सुसज्जित किया गया है जिनमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम और एलसीडी स्क्रीन शामिल हैं। इन वाहनों का उपयोग विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और योजनाओं के बारे में जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए किया जाता है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। इन अभियानों और सत्रों का उद्देश्य व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना और उन्हें सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। इस उद्देश्य से, परामर्श सत्रों और गाँव के दौरे के दौरान, हम साक्षरता सामग्री, किट, किताबें और अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, जिससे सभी उपस्थित लोगों के लिए व्यापक समर्थन और शिक्षा सुनिश्चित होती है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। इन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार गतिविधियों को शुरू करने के लिए पहचानना, प्रेरित करना और उनकी सहायता करना है। वे संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं और बैंक ऋण लिंकेज की सुविधा और दो साल की अवधि के लिए सहायता प्रदान करके प्रशिक्षित उम्मीदवारों के बीच उच्च निपटान दर का लक्ष्य रखते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने कुल 1052 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 31,053 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। उल्लेखनीय रूप से, इनमें से 23,883 उम्मीदवारों ने, जो प्रशिक्षुओं का 77% प्रतिनिधित्व करते हैं, बैंक ऋण, मजदूरी निपटान या स्व-वित्तपोषण विकल्पों जैसे समर्थन का उपयोग करके रोजगार प्राप्त किया या अपना खुद का उद्यम स्थापित किया। स्थायी उम्मीदवारों के लिए ऋण लिंकेज 14,174 तक पहुँच गया, जो प्रशिक्षित उम्मीदवारों का 59.34% है। यह ग्रामीण समुदायों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने और वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने में हमारे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की सफलता को रेखांकित करता है।

इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आरएसईटीआई, वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी), और वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) के संचालन को समर्थन और सुव्यवस्थित करने के लिए और कदम उठाए हैं। बैंक ने “सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान” (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया -एसयूएपीएस) नामक एक समर्पित सोसायटी/ट्रस्ट की स्थापना की है, जो आरएसईटीआई, एफएलसीसी और सीएफएल के कामकाज और गतिविधियों की देखरेख करता है। इसके अलावा, समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तर पर एक शासी परिषद की स्थापना की गई है। परिषद में संरक्षक के रूप में बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ, अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी निदेशक और उपाध्यक्ष के रूप में महाप्रबंधक तथा अन्य सदस्य शामिल हैं। यह परिषद इन संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन और समन्वय को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उनकी वृद्धि और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

सामाजिक बैंकिंग

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करके देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन योजनाओं के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न जनसांख्यिकीय खंडों का समर्थन करता है और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देता है, छोटे व्यवसायों, उद्यमियों और व्यक्तियों को सतत विकास और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करता है।

सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कार्य निष्पादन

- पीएम स्वनिधि योजना:** कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सहायता करना है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत खातों की संख्या 166,211 से बढ़कर 309,582 हो गई, जो 86.25% की वृद्धि दर्ज करती है।
- स्टैंड अप इंडिया योजना:** 5 अप्रैल 2016 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई, यह योजना प्रति बैंक शाखा में एक अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता के लिए बैंक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उन्हें विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना है। इस योजना के अंतर्गत खाते 5,624 से बढ़कर 13,311 हो गए हैं, जो 136.68% की वृद्धि को दर्शाता है।
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):** 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा स्थापित, मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड) सभी गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र संस्थाओं के विकास और पुनर्वित्त पर केंद्रित है। लाभार्थियों में विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में शामिल सूक्ष्म और लघु उद्यम शामिल हैं। पीएमएमवाई के अंतर्गत संवितरण 3,605.71 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,397.25 करोड़ रुपये हो गया है, जो 49.68% की वृद्धि को दर्शाता है।
- पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएम एफएमई योजना):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उनकी

प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए रियायती वित्त प्रदान करती है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले खातों की संख्या 1,080 से बढ़कर 2,250 हो गई है, जो 108.33% की वृद्धि दर्शाती है।

- 5. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना उन बेरोजगार युवाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू करने में रुचि रखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत संवितरण 988.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,825.98 करोड़ रुपये हो गया, जो 84.75% की वृद्धि दर्शाता है।

अग्रणी बैंक का कार्य निष्पादन

अग्रणी बैंक के रूप में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आठ राज्यों: मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और सिक्किम के 53 जिलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन जिलों में सामूहिक रूप से हमारी लगभग 25% शाखाएँ हैं, जो हमारे संचालन का एक बड़ा हिस्सा है। अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, हमारे अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालय पर्याप्त स्टाफिंग, मजबूत बुनियादी ढांचे और व्यापक संसाधनों से पूरी तरह सुसज्जित हैं।

इन संसाधनों में स्वतंत्र परिसर, वाहन, कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन और समर्पित ईमेल आईडी शामिल हैं।

हमारे बैंक की पेशकशों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के हमारे प्रयासों में, विशेष रूप से ग्रामीण जिलों में, हमने अपने अग्रणी जिला प्रबंधकों को सौंपे गए वाहनों पर किसान ऋण कार्ड और केंद्रीय कारीगर ऋण कार्ड जैसे प्रमुख उत्पादों की जानकारी रणनीतिक रूप से प्रदर्शित की है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के लिए हमारे वित्तीय उत्पादों की दृश्यता और पहुंच को बढ़ाना है।

इसके अलावा, हम विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं जो क्षेत्रीय विकास और वित्तीय समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। इन गतिविधियों में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का पूर्ण कार्यान्वयन शामिल है, जिसका उद्देश्य हमारे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों को शिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, हम 46 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और स्वयं सहायता समूहों और किसान समूहों के गठन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। ये पहल हमारी अग्रणी बैंक जिम्मेदारी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने तथा वित्तीय साक्षरता और स्वतंत्रता को बढ़ाने की हमारी रणनीति का अभिन्न अंग हैं।

एमएसएमई विभाग

कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न पहलों और लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एमएसएमई का कुल अग्रिम 31 मार्च, 2023 तक ₹ 39,898.83 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक ₹ 50,104.37 करोड़ हो गया, जो साल-दर-साल 25.58% की वृद्धि दर्शाता है। यह प्रभावशाली वृद्धि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।



एमएसई को माइक्रोऋण का प्रतिशत पीएसएलसी के बिना 64.47% तक पहुंच गया, और बैंक ने माइक्रो उद्यमों के अंतर्गत 36.39% की साल-दर-साल वृद्धि हासिल की। एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए, बैंक ने ₹ 10.00 लाख तक के एमएसएमई ऋणों के लिए डिजी ऑटो रिन्यूअल योजना लागू की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,994.54 करोड़ की राशि के 42,230 खातों का डिजिटल नवीनीकरण हुआ।

प्रमुख पहल

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई के विकास और स्थिरता का समर्थन करने के लिए कई पहल शुरू की हैं:

- नई योजनाएँ:**
 - द सेंट होटल, सेंट एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम, सेंट सीए/सीएस/सीएमए और सेंट एक्सपोर्ट योजनाएँ लागू की गईं।
 - द सेंट एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम को विशेष रूप से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था।
- डिजिटल विकास :**
 - द बैंक ने ₹ 10.00 लाख तक के एमएसएमई ऋणों के लिए डिजी-नवीनीकरण कार्यक्षमता लागू की।
- साझेदारी:**
 - स्टैंड अप इंडिया स्कीम और सेंट मुद्रा स्कीम को बढ़ावा देने के लिए जियो (जैन इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन) के साथ गठजोड़ किया गया।
 - बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त प्रदान करने के लिए क्रेडएवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड और वीफिन सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ समझौते किए हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला संचालन में शामिल एमएसएमई के लिए तरलता बढ़ेगी।
 - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड अप इंडिया (एसयूआई) जैसी योजनाओं के अंतर्गत एमएसएमई वित्तपोषण की सुविधा के लिए यूबी ऋण मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म और जियो-जैन इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के साथ साझेदारी की गई है।
- सेंट जीएसटी योजना:
 - यह योजना पूरी तरह से जीएसटी टर्नओवर के आधार पर कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करती है, जिससे एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया सरल हो जाती है। मार्च 2024 तक, इस योजना के अंतर्गत कुल बकाया ₹ 2,455.33 करोड़ था।

भविष्य का रोडमैप

भावी संभावनाओं को देखते हुए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक समर्थन देने के लिए कई नई पहल शुरू करने की योजना बना रही है:

- क्लस्टर-आधारित वित्त:** क्लस्टर-आधारित वित्तपोषण के लिए अनुकूलित उत्पाद विकसित किए जाएंगे।

- हरित ऊर्जा वित्तपोषण:** पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मानदंडों के अनुपालन में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नई योजनाएँ शुरू की जाएंगी।
- पीएबीएल परिचय:** बैंक में चालू खातों में लेनदेन के आधार पर पीएबीएल (पेशेवर और व्यावसायिक ऋण) शुरू किया जाएगा।
- उत्पाद समीक्षा और युक्तिकरण:** नियमित बाजार अध्ययन और विनियामक दिशानिर्देशों के साथ संरेखण यह सुनिश्चित करेगा कि एमएसएमई उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें और उभरती हुई बाजार की जरूरतों को पूरा करें।
- डिजिटल सेवा विस्तार:** एमएसएमई ग्राहकों के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत सहित डिजिटल सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए योजनाएँ चल रही हैं।
- इनक्यूबेटर टाई-अप:** उद्यमियों का समर्थन करने वाले इनक्यूबेटर्स के साथ साझेदारी बनाई जाएगी ताकि बाजार की क्षमता को बेहतर ढंग से समझा जा सके और स्टार्टअप श्रेणी के अंतर्गत अनुकूलित एमएसएमई उत्पादों को पेश किया जा सके।

सक्रिय एमएसएमई उत्पाद

एमएसएमई विभाग विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है:

- सेंट बिजनेस
- सेंट मॉर्गेज बिजनेस
- सेंट कॉन्ट्रैक्टर
- सेंट मुद्रा
- सामान्य एमएसएमई (आईबीए प्रारूप)
- स्टैंड अप इंडिया
- सेंट डब्ल्यूएचआर
- एनयूएलएम
- सेंट वीवर मुद्रा
- पीएम स्वनिधि
- सेंट उपकरण वित्तपोषण योजना
- सेंट आढ़तियास
- सेंट बिजनेस गोल्ड लोन योजना
- सेंट शॉप
- एसआरटीओ (ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर)
- सेंट कल्याणी
- सेंट रेंटल

18. सेंट सिरेमिक	35. सेंट चिनार
19. सेंट टेक्सटाइल्स योजना	36. मुख्यमंत्री राशन परिवहन योजना
20. पीएमईजीपी	37. माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण
21. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना - एमपी	38. हैदराबाद और वारंगल के लिए वस्त्र क्लस्टर योजना
22. सेंट व्हीकल बिजनेस	39. सेंट सीए/सीएस/सीएमए
23. सेंट प्रगति	40. सेंट होटल
24. अनुसूचित जातियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना	41. सेन्ट ऊर्जा दक्षता योजना
25. सेंट संजीवनी	42. सेंट निर्यात
26. सेंट शॉप कोटा	बंद हुए उत्पाद
27. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना – राजस्थान	निम्नलिखित उत्पाद बंद कर दिए गए:
28. सेंट ओपन टर्म लोन	1. सेंट सीजीईसीएल
29. सेंट जीएसटी	2. सेंट कस्टम हायरिंग सेंटर (एमपी)
30. जगन्नाथना थोडू	3. कोविड प्रभावित क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना
31. सेन्ट गोल्ड ज्वेलरी विनिर्माण योजना	4. केंद्रीय लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड
32. वाणिज्यिक वाहन डीडीआर एमपी	5. कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना
33. मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना	एमएसएमई कार्य निष्पादन मेट्रिक्स
34. पीएमजेडीवाई-ओडी	ये आंकड़े एमएसएमई विभाग की नवीन योजनाओं, डिजिटल प्रगति और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करने के प्रति समर्पण को रेखांकित करते

हैं. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और व्यापक आर्थिक परिदृश्य में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है.

नीचे दी गई तालिका एमएसएमई ऋणों के कार्य निष्पादन का विवरण देती है, जिसमें वित्तीय वर्ष में प्राप्त वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है:

विवरण	31.03.2023 पीएसएलसी के बिना	31.03.2023 पीएसएलसी के साथ	31.03.2024 पीएसएलसी के बिना	31.03.2024 पीएसएलसी के साथ	पीएसएलसी के बिना वार्षिक वृद्धि	पीएसएलसी के साथ वर्ष दर वर्ष वृद्धि
अति लघु उद्योग	₹21,162 करोड़	₹21,862 करोड़	₹28,863 करोड़	₹28,863 करोड़	36.39%	32.02%
एमएसई	₹35,358 करोड़	₹36,058 करोड़	₹44,771 करोड़	₹44,771 करोड़	26.62%	24.16%
एमएसएमई (पीएस)	₹39,199 करोड़	₹39,899 करोड़	₹49,870 करोड़	₹49,870 करोड़	27.22%	24.99%
कुल एमएसएमई	₹39,199 करोड़	₹39,899 करोड़	₹49,870 करोड़	₹49,870 करोड़	27.22%	24.99%
कुल अग्रिम में एमएसएमई अग्रिम का %	17.99%	18.32%	19.80%	19.80%	27.22%	24.99%
सूक्ष्म उद्यमों में खातों की संख्या	646,806		706,610	706,610		9.24%
खातों की संख्या में % वार्षिक वृद्धि	-25.45%		9.24%			10%



भारतीय रिजर्व बैंक अधिदेश (प्रधानमंत्री टास्क फोर्स)

विवरण	31.03.2023 पीएसएलसी रहित	31.03.2023 पीएसएलसी रहित	31.03.2024 पीएसएलसी रहित	31.03.2024 पीएसएलसी रहित	लक्ष्य मार्च-24
एमएसई पोर्टफोलियो (राशि करोड़ रुपये में)	35,358	36,058	44,771	44,771	लागू नहीं
एमएस के अन्तर्गत वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि का प्रतिशत	12.68%	14.91%	26.62%	24.16%	लागू नहीं
माइक्रो क्रेडिट का एमएसई क्रेडिट में प्रतिशत	58.68%	60.63%	64.47%	64.47%	लागू नहीं
दिनांक 31.03.2023 तक सूक्ष्म उद्यम बकाया	21,162	21,862	28,863	28,863	185,261
दिनांक 31.03.2024 तक सूक्ष्म उद्यम बकाया	21,162	21,862	28,863	28,863	222,512
दिनांक 31.03.2023 तक एएनबीसी (₹ करोड़ में)	185,261	222,512	185,261	222,512	लागू नहीं
दिनांक 31.03.2024 तक एएनबीसी (₹ करोड़ में)	185,261	222,512	185,261	222,512	लागू नहीं
पीएसएलसी के बिना एएनबीसी का प्रतिशत	11.42%	11.80%	39.39%	32.02%	लागू नहीं
पीएसएलसी के साथ एएनबीसी का प्रतिशत	11.42%	11.80%	39.39%	32.02%	लागू नहीं


सूक्ष्म उद्यम बकाया (ओ/एस)

Particulars	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	दिनांक	दिनांक	मार्च -23	मार्च -24
	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी रहित	31.03.2023 तक एनबीसी (₹ करोड़ में)	31.03.2024 तक एनबीसी (₹ करोड़ में)	तक लक्ष्य स्थिति	तक लक्ष्य स्थिति
सूक्ष्म उद्यम बकाया	21,162	21,862	28,863	28,863	185,261	222,512		
पीएसएलसी रहित एएनबीसी का प्रतिशत	11.42%		39.39%					
पीएसएलसी सहित एएनबीसी का प्रतिशत		11.80%		32.02%				

खुदरा ऋण

खुदरा ऋण उपभोक्ता व्यय में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ऋण, जो आम तौर पर व्यक्तिगत उपभोग, घर और वाहन खरीद, शिक्षा और घर में सुधार के लिए दिए जाते हैं, बैंक की ऋण पुस्तिका के जोखिम प्रोफाइल में विविधता लाने में मदद करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में, खुदरा ऋण बैंक के कुल ऋण का 28.28% था, जिसमें अग्रिम 13.50% बढ़कर ₹62,726 करोड़ से ₹71,193 करोड़ हो गया, जो बाजार के अवसरों को भुनाने और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में बैंक की सफलता को दर्शाता है।

इस वृद्धि को और आगे बढ़ाने के लिए, बैंक ने लीड जनरेशन के लिए अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया है, बिचौलियों के साथ संबंधों को मजबूत किया है और ऋण देने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम का उपयोग किया है। ओईएम वाहन निर्माताओं के साथ रणनीतिक गठजोड़ और त्योहारी सीजन के प्रचार ने भी खुदरा ऋणों में विस्तार में योगदान दिया है। मार्च 2023 में, बैंक ने 224,769 खुदरा खातों को कुल ₹19,730 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 260,226 खातों और ₹20,151 करोड़ हो गया।



यह शानदार कार्य निष्पादन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऋण पुस्तिका में खुदरा ऋण को एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक की रणनीतिक पहलों, जिसमें क्रॉस-सेल और अपसेल अवसरों के लिए डेटा माइनिंग और वाहन ऋण के लिए ओईएम वाहन निर्माताओं के साथ साझेदारी शामिल है, ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

खुदरा ऋण के प्रमुख संवर्ग

- **आवास ऋण** : ₹44,057 करोड़ (कुल खुदरा ऋण का 61.88%), घर खरीदारों को सहायक .
- **ऑटो ऋण** : ₹3,343 करोड़ , वाहन मालिक बनने की सुविधा.
- **व्यक्तिगत ऋण** : ₹4,514 करोड़ , व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति.
- **शिक्षा ऋण** : ₹4,284 करोड़ , डीएफएस द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, छात्रों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक
- **अन्य खुदरा ऋण** : ₹14,995 करोड़ , उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, जीवनशैली व्यय और लघु-टिकट व्यक्तिगत वित्तपोषण का प्रबंध

प्रौद्योगिकी प्रगति

खुदरा ऋण परिदृश्य डिजिटल नवाचारों के साथ विकसित हुआ है, जिसमें एंड-टू-एंड डिजिटल प्रतिबंध, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और एआई शामिल हैं। ये प्रौद्योगिकियां ग्राहक अधिग्रहण, क्रॉस-सेलिंग और अप-सेलिंग को बढ़ाती हैं। बैंक ने मानक उत्पादों की पेशकश करने से हटकर आवश्यकतानुसार बना बनाया समाधान प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिससे ग्राहक जुड़ाव में सुधार के लिए फिनटेक क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके।

रणनीतिक पहल

बैंक की भावी विकास रणनीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **ग्राहक मांग की निगरानी** : बाजार के रुझान और ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप उत्पादों की निरंतर समीक्षा करना.
2. **डिजिटल ऋण को अपनाना** : अगली पीढ़ी के ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और ऋण प्लेटफार्मों का लाभ उठाना.
3. **अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से लीड जनरेशन** : खुदरा ऋण उत्पादों की सोर्सिंग के लिए मध्यस्थों और एग्रीगेटरों को मजबूत करना.
4. **क्रॉस-सेल और अपसेल के लिए डेटा माइनिंग** : अवसरों की पहचान करने के लिए व्यापक डेटा का उपयोग करना.
5. **रणनीतिक गठजोड़** : टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी लिमिटेड जैसी वाहन निर्माताओं और कंपनियों के साथ व्यावसायिक आपसी सहयोग विकसित करना.
6. **त्यौहार अभियान** : व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए त्यौहारी सीजन के दौरान विशेष अभियान शुरू करना.
7. **प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ साझेदारी** : देश भर में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए शीर्ष बिल्डरों के साथ गठजोड़ करना.
8. **सरकारी एवं संस्थागत गठजोड़** : राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभागों और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को ऋण देने का लक्ष्य.

भविष्य का दृष्टिकोण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य इन रणनीतिक पहलों के माध्यम से खुदरा ऋण में अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखना, अपने खुदरा

ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करना और अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप समाधान प्रदान करना है। बदलते पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल होने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचे को बनाए रखने के द्वारा, बैंक खुदरा ऋण क्षेत्र में निरंतर विकास और ग्राहक संतुष्टि के लिए अच्छी स्थिति में है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य मौजूदा पहलों को मजबूत करके और नए तरीकों की खोज कर खुदरा ऋण वृद्धि को और बढ़ावा देना है। बैंक की रणनीतिक योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **ग्राहक मांग की निगरानी** : बाजार के रुझान और ग्राहक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए उत्पादों की नियमित समीक्षा करना.
2. **डिजिटल ऋण को अपनाना** : अगली पीढ़ी के ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को बढ़ाना और डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों का लाभ उठाना.
3. **अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का उपयोग** : कुशल लीड जनरेशन के लिए.
4. **बिचौलियों और एग्रीगेटर्स को मजबूत बनाना** : खुदरा ऋण, विशेष रूप से बंधक ऋण के स्रोत के लिए साझेदारी का विस्तार करना.
5. **क्रॉस-सेल और अपसेल के लिए डेटा माइनिंग** : मौजूदा ग्राहकों के लिए अतिरिक्त बिक्री के अवसरों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग.
6. **रणनीतिक गठजोड़** : अनुकूलित खुदरा परिसंपत्ति उत्पाद प्रदान करने के लिए वाहन निर्माताओं और प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाना .
7. **विशेष अभियान** : ग्राहकों को आकर्षित करने और पर्याप्त व्यापार वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए त्यौहारी सीजन के दौरान विशेष अभियान शुरू करना.
8. **सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों के लिए अनुकूलित उत्पाद** : महिला सशक्तिकरण के लिए सेंट गृह लक्ष्मी और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए सेंट ई-वाहन और सेंट सूर्याधर जैसे उत्पादों को लॉन्च करना .

ये पहल और रणनीतिक योजनाएं बैंक की विकास गति को बनाए रखने, अपने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करने और अपने खुदरा ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप समाधान प्रदान करने की प्रतिबद्धता को बल देती हैं।

ग्राहक सेवा विभाग

वित्त वर्ष 2023-24 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सेवा वितरण और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए रणनीतिक शाखा विस्तार और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया। इन प्रयासों ने बैंक के विकास और अपने विविध ग्राहक आधार की उभरती जरूरतों को पूरा करने की इसकी क्षमता में योगदान दिया। बैंक ने शाखा विस्तार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता और ग्राहक मांग वाले क्षेत्रों



को लक्षित किया गया. कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2024 में किए गए प्रयास ग्राहक पहुंच बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के अपने रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप थे. इन प्रयासों ने बैंक के विकास और अपने विविध ग्राहक आधार की उभरती जरूरतों को पूरा करने की इसकी क्षमता में योगदान दिया. इसमें नई शाखाएँ खोलना, मौजूदा शाखाओं को अपग्रेड करना और परिचालन दक्षता को अनुकूलित करने के लिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ शाखाओं को विलय या बंद करना शामिल था.

शाखा विस्तार

31 मार्च 2024 तक, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खोली गई, विलय की गई या बंद की गई शाखाओं को शामिल करते हुए, विभिन्न क्षेत्रों में शाखाओं का वितरण निम्नानुसार है:

क्रं	वर्ग	दिनांक	
		31.03.2023 तक की स्थिति	31.03.2024 तक की स्थिति
1	ग्रामिण	1,600	1,606
2	अर्ध शहरी	1,330	1,332
3	शहरी	769	771
4	महानगरीय	794	791
	कुल	4,493	4,500

ग्राहक सेवा में सुधार

ग्राहक सेवा विभाग : ग्राहक सेवा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए योजना, विकास और संचालन विभाग (पीडीओडी) का नाम बदलकर "ग्राहक सेवा विभाग" कर दिया गया है. 2024-25 का थीम "ग्राहक संतुष्टि और मूल्य संवर्धन" है.

एकीकृत ग्राहक सेवा (आईसीसी) (ICC) : बैंक ने समयबद्ध प्रतिक्रिया, आउटरीच, उन्नत ग्राहक सेवा और गुणवत्ता आश्वासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल के साथ एक अत्याधुनिक एकीकृत ग्राहक सेवा की स्थापना की है. एकीकृत ग्राहक सेवा मुंबई (05.02.2024 से) और हैदराबाद (30.03.2024 से) से शुरू है और बैंक के डेटा सेंटर (डीसी) और डिजास्टर वसूली (डीआर) आर्किटेक्चर में एकीकृत है.

संचार चैनल : ग्राहक सेवा के लिए एक आसानी से याद रखने योग्य नंबर (1800 30 30) शुरू किया गया है. एकीकृत ग्राहक सेवा कॉल/वॉयस, आईवीआर, चैट और चैटबॉट, व्हाट्सएप लाइव चैट, सोशल मीडिया, ईमेल/वेब फॉर्म, वीडियो बैंकिंग और को-ब्राउजिंग सहित विभिन्न संचार चैनल प्रदान करता है.

बहुभाषी सहायता और पहुंच : हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान की जाती हैं. एकीकृत ग्राहक सेवा के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, दृष्टिबाधित व्यक्तियों और दिव्यांग ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हैं.

होम डिलीवरी सेवाएँ : ग्राहकों की सुविधा के लिए चेक बुक और एटीएम कार्ड की होम डिलीवरी उपलब्ध है. चेक बुक को एसएमएस, मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है.

तकनीकी और डिजिटल विकास

यूपीआई लाइट और डिजिटल ऋण सुविधाएं : यूपीआई लाइट कार्यक्षमता को भीम सेंट यूपीआई (सेंटपे) में एकीकृत करना और पीपीएफ के विरुद्ध नई डिजिटल ऋण सुविधाएं.

शिकायत प्रबंधन और धोखाधड़ी की रोकथाम : बैंक ने वेब पोर्टल के माध्यम से अपने शिकायत प्रबंधन समाधान को नया रूप दिया है. चेक की क्लोनिंग या उसमें बदलाव करके धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे की शुरुआत की गई है, जो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और शाखा नेटवर्क के माध्यम से सुलभ है.

ग्राहक ऑनबोर्डिंग और केवाईसी अपडेट : वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक ऑनबोर्डिंग लागू की गई है. ई-केवाईसी का उपयोग करके एसएमएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और बीसी पॉइंट के माध्यम से समय-समय पर केवाईसी अपडेट किए जा सकते हैं. ग्राहकों को खाते के निष्क्रिय या निष्क्रिय होने से पहले और बाद में एसएमएस सूचनाएं मिलती हैं.

एपीआई एकीकरण : ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली के साथ आईसीसी एकीकरण लीड जनरेशन, मार्केटिंग और बिक्री प्रबंधन का समर्थन करता है.

उत्पाद और सेवा प्रबंधन

उत्पाद प्रबंधन : आईसीसी ऋण (खुदरा और व्यवसाय), जमा, भुगतान और बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे तीसरे पक्ष के उत्पादों को संभालता है.

सेवा अनुरोध और डिजिटल समर्थन : इसमें सेवा अनुरोध, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बैंक उत्पादों के लिए डिजिटल समर्थन और निर्धारित समय सीमा (टीएटी) के साथ शिकायत निवारण शामिल है.

अभियान प्रबंधन और लीड जनरेशन : आईसीसी बैंक को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए अभियान प्रबंधन और लीड जनरेशन का प्रबंधन करता है.

पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष सेवाएं

समर्पित सहायता : पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष टोल-फ्री नंबर (1800 203 1911) उपलब्ध है. पांच भाषाओं में सक्रिय आउटबाउंड आईवीआर सेवाएँ ग्राहकों को भुगतान और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की याद दिलाती हैं.

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र : पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र विभिन्न चैनलों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं. जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करके इसे घर से संग्रह किया जा सकता है.

नई पहल

नई सुविधाएं और संवर्द्धन : ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विडॉल (आईसीसीडब्ल्यू) का कार्यान्वयन, कागज के उपयोग को कम करने के लिए ग्रीन चैनल कैश डिपॉजिट, और सभी सीबीएस शाखाओं और डिजिटल चैनलों में जन सुरक्षा योजनाओं (पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई) का एकीकरण.

विस्तारित सेवाएँ : ग्राहक किसी भी शाखा में या डिजिटल चैनलों के माध्यम से पीपीएफ खाते और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते खोल सकते हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन सदस्यता और टीआईएन 2.0 के अंतर्गत कर संग्रह, सभी शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है. अन्य बैंकों से बचत खातों में जमा राशि के लिए अनिवार्य पंजीकरण भी उपलब्ध है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

विदेशी मुद्रा व्यापार

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान अपने विदेशी मुद्रा कारोबार में उल्लेखनीय प्रगति की है. बैंक का कुल विदेशी मुद्रा कारोबार ₹ 43089.71 था. वित्त वर्ष 2024 में करोड़. बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा परिचालन को बढ़ाने और अपने वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने के लिए कई रणनीतिक पहल की, जिसमें इसके सभी विदेशी मुद्रा परिचालनों के केंद्रीकरण की दिशा में कदम उठाना शामिल है. बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल अपने ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सेवा वितरण में सुधार करना जारी रखा है.

ऋण निर्यात पोर्टफोलियो

वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक के निर्यात ऋण पोर्टफोलियो में भी वृद्धि देखी गई. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया कुल निर्यात ऋण वित्त वर्ष 2023 में ₹ 4175.77 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 0.31% की वृद्धि के साथ ₹ 4188.85 करोड़ हो गया है. रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध और साथ ही लाल सागर संकट जैसे पूरे वर्ष चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद यह वृद्धि निर्यातकों का समर्थन करने और देश की विदेशी मुद्रा आय में योगदान देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निर्यातकों को अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करने, निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

एनआरई और एफसीएनआर जमा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने गैर-निवासी बाह्य (एनआरई) और विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (एफसीएनआर) जमाओं में वृद्धि देखी है. 31 मार्च 2023 की कुल एनआरई/एफसीएनआर जमा ₹ 7185 से 2.60% बढ़कर 31 मार्च 2024 तक ₹ 7372 करोड़ हो गई है. यह वृद्धि बैंक की सेवाओं और इन जमा योजनाओं पर दी जाने वाली प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों में अनिवासी भारतीयों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है.

राजकोष, निधि और निवेश

31 मार्च 2024 तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निवेश पोर्टफोलियो ₹1,49,538.13 करोड़ था, जिसमें ₹19,580 करोड़ मूल्य के गैर-एसएलआर और गैर-हस्तांतरणीय भारत सरकार पुनर्पूजीकरण बांड शामिल हैं. यह 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,42,652.89 की तुलना में 4.83% की वृद्धि दर्शाता है. बैंक के निवेश पोर्टफोलियो की संरचना इस प्रकार है:

क्रं. सं.	संघटन	31.03.2024	31.03.2023
1	एसएलआर	1,12,881.49	1,03,203.62
2	गैर एसएलआर	36,656.64	39,449.27
	कुल	1,49,538.13	1,42,652.89

वर्ष के दौरान, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव हुए, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में अस्थिरता के कारण हुआ. जुलाई 2023 में, हेडलाइन मुद्रास्फीति 7.44% तक पहुँच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 6% के ऊपरी सहनीय स्तर से अधिक थी. हालाँकि, जुलाई और अगस्त को छोड़कर, वर्ष के अधिकांश समय में मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2-6% के सहनीय स्तर के भीतर रही.

मध्यम मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक स्थितियों और विकास कारकों के जवाब में, मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 250 आधार अंकों की वृद्धि के बाद, पूरे वर्ष नीति दर को 6.50% पर स्थिर रखा. जून 2024 से जेपी मॉर्गन ग्लोबल ईएम बॉन्ड इंडेक्स और ब्लूमबर्ग ईएम लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करने का निर्णय, साथ ही केंद्र सरकार के राजकोषीय समेकन पथ और कोर सीपीआई मूवमेंट, वक्र पर पैदावार को कम करने के लिए प्रमुख चालक होने की उम्मीद है.

परिणामस्वरूप, 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 7.06% पर बंद हुआ, जो 31 मार्च 2023 को 7.31% की तुलना में 26 आधार अंकों की कमी है.

राजकोषीय आय का स्रैपशॉट

विवरण	वि.व. 2022-23	वि.व. 2023-24
निवेश बिक्री पर लाभ	₹273 करोड़	₹637 करोड़
विनियम लेन-देन पर लाभ	₹303 करोड़	₹247 करोड़
लाभांश आय	₹8 करोड़	₹8 करोड़
निवेश पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि	₹2 करोड़	₹73 करोड़
ट्रेजरी आय	₹586 करोड़	₹965 करोड़

निवेश की बिक्री से लाभ ₹ 273 करोड़ से बढ़कर ₹ 637 करोड़ हो गया, और कुल राजकोषीय आय ₹ 586 करोड़ से बढ़कर ₹ 965 करोड़ हो गई. निवेश पर प्रतिफल (व्यापारिक लाभ को छोड़कर) 2022-23 में 6.26% से 31 आधार अंक बढ़कर 2023-24 में 6.57% हो गया.

दर वृद्धि चक्र में विराम के साथ, बैंक ने बिक्री के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि और पीवी 01 को थोड़ा बढ़ा दिया. मार्च 2024 तक, संशोधित अवधि और पीवी 01 क्रमशः 1.88 और 6.66 थे, जबकि मार्च 2023 तक यह 1.53 और 4.40 थे. ये समायोजन चुनौतीपूर्ण ब्याज दर वातावरण में अपने निवेश पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के बैंक के प्रयासों को दर्शाते हैं.

इसके अलावा, बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 4,288 करोड़ मूल्य की केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) से एएफएस में स्थानांतरित कर दिया. इस रणनीति ने बेहतर पोर्टफोलियो प्रबंधन और नियामक आवश्यकताओं के साथ संरेखण की अनुमति दी.

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रणाली/संगठनात्मक ढांचा

बैंक में अब जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ अच्छी तरह स्थापित हो चुकी हैं. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम तथा स्तंभ II जोखिम के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों/अध्यासों की देखरेख करती है. समिति उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है और जोखिम मॉडल का आकलन करती है ताकि बाजार के विकास के साथ तालमेल बना रहे और नए जोखिमों की पहचान और नियंत्रण भी करती है. समिति नियमित रूप से कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम मापदंडों के अनुपालन की निगरानी भी करती है.

जोखिम प्रबंधन संरचना

परिचालन स्तर पर, बाजार जोखिम के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिसमें शीर्ष प्रबंधन टीम के सदस्य शामिल हैं. ये समितियाँ विभिन्न बैंक परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर का आकलन और निगरानी करने और जहाँ भी आवश्यक हो, उचित शमन उपाय शुरू करने के लिए पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर मिलती हैं. बैंक ने सभी क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में 'जोखिम प्रबंधक' के रूप में कार्य करने के लिए मुख्य प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक के पद के अधिकारियों की पहचान की है. जोखिम प्रबंधक आंचलिक स्तर पर केंद्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की 'विस्तारित शाखा' के रूप में कार्य करते हैं. बैंक ने बैंक में जोखिम के नियंत्रण और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भी पहचान की है. बैंक के पास एक अच्छी तरह से प्रलेखित एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है.

बाजार जोखिम प्रबंधन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिड कार्यालय, बाजार की स्थिति, वित्तपोषण पैटर्न की नियमित समीक्षा करके तथा जोखिम सीमा, अवधि सीमा, प्रतिपक्ष सीमा और अन्य संवेदनशील मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये समीक्षाएं मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती हैं. जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, आपका बैंक वैल्यू-एट-रिस्क और अवधि अंतराल विश्लेषण जैसे उपकरणों का उपयोग करता है. इन उपकरणों का उपयोग अल्पावधि में बैंक की लाभप्रदता और दीर्घावधि में इक्विटी मूल्य के लिए संभावित जोखिमों को मापने और कम करने के लिए निरंतर आधार पर किया जाता है. बाजार जोखिम के लिए बेसल

छ्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप, आपके बैंक ने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजी शुल्क का अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है. इस मॉडल को नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने और बाजार जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए लगातार कैलिब्रेट किया जाता है. व्यापक जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. यह नीति बैंक के पोर्टफोलियो के भीतर बाजार जोखिम की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है. ट्रेजरी संचालन के लिए प्रतिपक्ष सीमाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार समायोजित किया जाता है. एमडी और सीईओ की अध्यक्षता वाली आस्ति एंड लायबिलिटी कमेटी, बाजार जोखिम में विकास की देखरेख के लिए जिम्मेदार है. यह समिति बाजार जोखिम के लिए बैंक के जोखिम की निगरानी और आकलन करती है और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीएफसी, एसएमई और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए एक व्यापक रेटिंग मॉडल लागू किया है. ये रेटिंग मॉडल प्रत्येक उधारकर्ता से जुड़े क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने और विवेकपूर्ण ऋण प्रथाओं को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए रेटिंग मॉडल के अलावा, आपके बैंक ने रेटिंग मॉडल भी विकसित किए हैं, जिन्हें स्कोरकार्ड के रूप में जाना जाता है, जो विशेष रूप से खुदरा ऋणों की ग्रेडिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. ये मॉडल आपके बैंक को व्यक्तिगत खुदरा उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता का आकलन करने और उनके ऋणों के लिए उचित जोखिम रेटिंग निर्धारित करने में सक्षम बनाते हैं. एमडी और सीईओ के नेतृत्व में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के भीतर क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में विकास की देखरेख और निगरानी करती है. यह समिति नीतियों को निर्धारित करने, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की समीक्षा करने और क्रेडिट जोखिम जोखिम को कम करने के लिए सूचित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसके अलावा, आपके बैंक ने एसएएस समाधान का उपयोग करके पूंजी गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोणों को सफलतापूर्वक लागू किया है. यह कार्यान्वयन आपके बैंक को अपनी पूंजी पर्याप्तता गणनाओं को बढ़ाने और नियामक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने में सक्षम बनाता है, जिससे मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके.

परिचालन जोखिम प्रबंधन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित एक मजबूत परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया है. यह नीति सुनिश्चित करती है कि आपके बैंक के पास अपने जोखिम प्रोफाइल और जोखिम क्षमता के साथ संरेखित परिचालन जोखिमों को प्रबंधित करने और मापने के लिए एक व्यापक प्रणाली है. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन की देखरेख करती है और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करती है. समिति जोखिम पहचान, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग विधियों सहित परिचालन जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियों और उपकरणों की समीक्षा करती है और उन्हें स्वीकृति देती है. यह धोखाधड़ी, निकट चूक, गैर-अनुपालन घटनाओं, उल्लंघनों और प्रणालीगत सुधारों की भी विश्लेषण करती है, परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त नियंत्रण और शमन प्रस्तुत करती है. नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए, आपके बैंक ने एक नया उत्पाद अनुमोदन नीति ढांचा स्थापित किया है. यह ढांचा नए उत्पादों या गतिविधियों को शुरू करने से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन और प्रबंधन करने के लिए

दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिससे विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके. आपके बैंक ने व्यवधानों की स्थिति में उत्पादों और सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवसाय निरंतरता योजना भी विकसित की है. यह योजना बैंक के व्यवसाय निरंतरता उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए व्यवधानों का जवाब देने और उनसे उबरने के लिए परिचालन प्रक्रियाओं और पूर्वनिर्धारित क्षमताओं को रेखांकित करती है. डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग के संदर्भ में, आपके बैंक ने परिचालन जोखिम से संबंधित हानि घटना डेटा और निकट चूक घटनाओं के संग्रह के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान (आईआरएमएस) के अंतर्गत एक घटना प्रबंधन मॉड्यूल (आईएमएम) लागू किया है. यह आपके बैंक को सक्रिय जोखिम प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम घटनाओं को ट्रैक और विश्लेषण करने की अनुमति देता है. एमडी और सीईओ के नेतृत्व में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति परिचालन जोखिम प्रबंधन में विकास की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. समिति यह सुनिश्चित करती है कि बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रथाएँ प्रभावी हों, नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हों और बैंक के समग्र जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों का समर्थन करें.

पूँजी नियोजन

बैंक के पास एक मजबूत आईसीएपी (आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया) नीति है. बैंक ने अपनी जोखिम क्षमता की रूपरेखा तैयार की है और बेसल III मानदंडों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक पूँजी अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा रखता है. अनुमानों के सापेक्ष पूँजी की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.

परिसंपत्ति एवं देयता प्रबंधन प्रणाली (एएलएम)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन कार्य बैंक की तरलता और ब्याज दर जोखिम को मापने और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. परिसंपत्ति एवं देयता प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य प्रभावी जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए लाभप्रदता को अधिकतम करना है. परिसंपत्ति और देयता समिति बैंक की तरलता स्थिति और अन्य बाजार से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, परिसंपत्ति और देयता समिति ने बैंक की तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रोफाइल का आकलन और निगरानी करने के लिए 13 बार बैठक की. विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन फ़ंक्शन ज़माराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के साथ-साथ आधार दर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, रेपो रेट लिक्विड रेट और एक्सटर्नल बेंचमार्क लिक्विड रेट तय करने के लिए जवाबदेय है. वर्ष 2023-24 के दौरान, आपके बैंक ने बाज़ार की गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने के लिए ज़माराशियों पर ब्याज दरों, आधार दर, आरबीएलआर, ईबीएलआर और एमसीएलआर में कई बार संशोधन किए. आपका बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लिक्विडिटी कवरेज अनुपात और नेट स्टेबल फ़ंडिंग अनुपात दिशानिर्देशों का पालन करता है. एलसीआर, जो बैंक की अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को मापता है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 100% की सीमा से ऊपर रहा, जिसका औसत एलसीआर एलसीआर 205.09% रहा.

आपके बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एसएसएल (संरचनात्मक तरलता का विवरण), आईआरएस (ब्याज दर संवेदनशीलता) और तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) के निर्माण के लिए एएलएम प्रणाली को अपग्रेड किया है. उन्नत प्रणाली द्वारा उत्पन्न एसएसएल, आईआरएस और एलसीआर रिपोर्ट बैंक के तरलता प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन को और अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाती हैं.

बेसल III दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नई पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा को लागू किया है. आपके बैंक ने बेसल III मानदंडों को अपनाया है और अपनी पूँजी पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति का पालन करता है. प्रभावी जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक ने विभिन्न नीतियां स्थापित की हैं जैसे क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, क्रेडिट जोखिम शमन नीति, संपांशक प्रबंधन नीति, परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन नीति, मॉडल जोखिम नीति, मॉडल सत्यापन नीति, क्रेडिट समीक्षा नीति, इंटरग्रुप लेनदेन और एक्सपोजर नीति.

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ (एफआरएमसी)

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ (एफआरएमसी) बैंक के व्यवसाय में तेजी के मद्देनजर धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से काम करता है. यह प्रकोष्ठ बैंक के ब्रांड, प्रतिष्ठा और परिसंपत्तियों को धोखाधड़ी की संदिग्ध या पुष्ट घटनाओं से होने वाले नुकसान या क्षति से बचाने के लिए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करता है. प्रकोष्ठ में धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और उसे कम करने के लिए एक सुदृढ़ वातावरण है. यह सभी संदिग्ध मामलों (डिजिटल/एटीएम धोखाधड़ी को छोड़कर) के संबंध में जांच रिपोर्ट एकत्र करता है, मूल कारणों के लिए धोखाधड़ी का विश्लेषण करता है, देखी गई सामान्य विशेषताओं को संकलित करता है और निवारक कदम सुझाता है. यह बैंक द्वारा घोषित धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को देता है और धोखाधड़ी के मामलों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए टचपॉइंट के रूप में कार्य करता है. धोखाधड़ी की घटनाओं के खिलाफ सभी कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, प्रकोष्ठ हमारे कर्मचारियों के बीच हाल ही में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के तौर-तरीकों को साझा करता है और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाता है. बैंक ने लेन-देन निगरानी समाधान यानी एंटरप्राइज वाइड फ़्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (ईएफआरएमएस) लागू किया है, जो धोखाधड़ी का पता लगाने, निगरानी और रोकथाम का समाधान है जो वास्तविक समय/लगभग वास्तविक समय के आधार पर लेन-देन में संदिग्ध पैटर्न की निगरानी करता है, जिससे बैंक को लेन-देन को स्वीकृति देने या ब्लॉक करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सुविधा होती है.

सैम और वसूली

बैंक ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित वसूली नीति लागू की है. इस नीति में एनपीए की निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, सरफेसी अधिनियम का पालन, प्रवर्तन एजेंसियों की नियुक्ति, वसूली पोर्टफोलियो आवंटित करना, स्विस चैलेंज विधि के माध्यम से एआरसी को संपत्ति बेचना और जानबूझकर डिफॉल्ट के मामलों को संबोधित करना सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए को कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की.

वित्तीय कार्य निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
नकद वसूली	3,636	4,213



विवरण	31-03-2024	31-03-2023
अपग्रेडेशन	588	658
सकल एनपीए	11,340	18,386
शुद्ध एनपीए	3,002	3,592
सकल एनपीए%	4.50	8.44
शुद्ध एनपीए%	1.23	1.77

एनपीए समाधान में और सहायता के लिए, बैंक ने एक विशेष एकमुश्त निपटान योजना (2023-24) लागू की। यह योजना 31 मार्च 2023 तक ₹ 2.00 लाख तक के ग्राहक जोखिम वाले एसबी और सीडी (डीए3/हानि) में एनपीए/ओडी पर लागू होती है, और उसी तिथि तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत सभी खातों पर लागू होती है, जिसमें ₹ 10 करोड़ तक के ग्राहक जोखिम वाले पीडब्ल्यूओ/टी डब्ल्यूओ खाते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सभी एनपीए खातों के लिए, सुरक्षा की परवाह किए बिना, नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) दृष्टिकोण के अंतर्गत एक ओटीएस योजना जारी रखी गई थी। इन योजनाओं के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2,048.26 करोड़ की राशि के प्रस्तावों का ₹ 1,412.74 करोड़ में निपटान किया गया।

बैंक ने चार एनपीए खातों को एनएआरसीएल में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 66.75 करोड़ (एसआर/ओसीडी सहित) की वसूली हुई और एनपीए में ₹ 283 करोड़ की कमी आई। इसके अलावा, 49 खातों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया था। सराफेसी अधिनियम के अंतर्गत, बैंक ने 1,729 संपत्तियों की नीलामी की, 284 संपत्तियां बेचीं और ₹ 218.17 करोड़ कमाए। बैंक ने 31 मार्च 2024 तक ₹ 5,828.90 करोड़ की कुल बकाया राशि वाले 15 खातों में अंतर-लेनदार समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर किए। बैंक ने इन खातों के लिए कुल ₹ 4,496.94 करोड़ का प्रावधान अलग रखा है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 07.06.2019 के परिपत्र के अनुपालन में आठ खातों में समाधान योजनाओं को स्वीकृति दी और लागू किया। इन खातों में 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,978.56 करोड़ की बकाया राशि थी, जिसमें कुल ₹ 833.04 करोड़ का प्रावधान था।

एनपीए समाधान प्रयासों को मजबूत करने के लिए, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ₹ 1,500 करोड़ और उससे अधिक के बैंकिंग जोखिम वाले खातों के लिए आईसीए पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 07.06.2019 के परिपत्र के अनुपालन में समाधान योजनाओं को विधिवत अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया। बैंक ने एनपीए की दैनिक निगरानी की और कानूनी कार्रवाइयों और एसएआरएफईएसआई-आधारित वसूली पहलों की नियमित समीक्षा की। प्रगति का आकलन करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, बैंक की आरओ वसूली टीम ने शाखा कर्मचारियों के सहयोग से ₹ 10 लाख और उससे अधिक की बकाया राशि वाले एनपीए उधारकर्ताओं से उनकी वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया।

बैंकएश्योरेंस

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बैंकएश्योरेंस कक्ष जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण का प्रबंधन करता है बैंक के पास भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से कॉर्पोरेट एंजेंसी लाइसेंस है, जो 31 मार्च, 2025 तक वैध है। 2015 के नए आईआरडीएआई "ओपन आर्किटेक्चर" विनियमों के अंतर्गत, बैंक

ने कई बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित की है, जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम, टाटा एआईए लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंकएश्योरेंस व्यवसाय ने वित्त वर्ष 2024 में मजबूत वृद्धि दिखाई है, जिसमें जीवन और गैर-जीवन बीमा दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी रणनीतिक साझेदारियों और समर्पित कार्यबल के साथ, बैंक अपने बैंकएश्योरेंस परिचालन का विस्तार जारी रखने और अपने समग्र राजस्व प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अच्छी स्थिति में है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, बैंकएश्योरेंस सेल ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्रदर्शित कीं:

- जीवन बीमा:** बैंक ने 68,225 पॉलिसियाँ जुटाईं, जिससे ₹ 114.87 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ।
- गैर-जीवन बीमा:** कुल 267,953 पॉलिसियाँ प्रचारित की गईं, जिससे ₹ 14.33 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ।
- कुल आय:** बैंकएश्योरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹ 129.20 करोड़ रही।
- मानव संसाधन:** बैंक में 4,375 विनिर्दिष्ट व्यक्ति कार्यरत हैं, जो बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संग्रहण के लिए समर्पित हैं।

कार्यनीतिक टाई-अप और ओपन आर्किटेक्चर

ओपन आर्किटेक्चर मॉडल के अंतर्गत, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जीवन और गैर-जीवन दोनों क्षेत्रों में अग्रणी बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से अपने बीमा उत्पाद प्रस्तुति को व्यापक बनाया है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण बैंक को अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए बीमा उत्पादों की एक विविध श्रेणी को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

आगे बढ़ते हुए, बैंक का लक्ष्य अपने व्यापक नेटवर्क और रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाकर अपने बैंकएश्योरेंस संचालन को बढ़ाना है। ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि जुटाई गई पॉलिसियों की संख्या बढ़ाई जाए और बेहतर ग्राहक जुड़ाव और सेवा वितरण के माध्यम से कमीशन आय को और बढ़ाया जाए। बैंक अभिनव बीमा उत्पाद पेश करने और अपने निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रशिक्षण और क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ग्राहकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें और व्यवसाय विकास को आगे बढ़ा सकें।

डिपॉजिटरी सेवाएं

वर्तमान में बैंक सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक करार के अंतर्गत डिपॉजिटरी भागीदार है। सभी परिचालन केंद्रीकृत हैं, एवं इसकी सेवाएँ हमारे नोडल कार्यालय, कैपिटल मार्केट सेल, इमर्जिंग बिजनेस शाखा, फोर्ट, मुंबई में स्थित के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

सभी शाखाएँ ओएलएओ (सीडीएसएल सॉफ्टवेयर) के माध्यम से डीमैट खाता खोलने की सुविधा प्रदान कर सकती है तथा मोतीलाल ओसवाल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ गठजोड़ में 3 इन 1 ई-ट्रेडिंग सुविधा (ट्रेडिंग+डीमैट+सेविंग) भी लागू की है। दिनांक 31/03/2024 तक बैंक के पास 27716 डीमैट खाताधारक हैं। कैपिटल मार्केट सेल अस्बा सेवाओं के लिए एक नोडल कार्यालय है।

डिजिटल भुगतान एवं लेनदेन बैंकिंग

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल भुगतान एवं लेनदेन बैंकिंग सेवाओं में काफी प्रगति की है। डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने तथा डिजिटल उत्पादों एवं सेवाओं की सीमा का विस्तार करने पर बैंक की फोकस कार्यनीति के परिणामस्वरूप डिजिटल लेनदेन, ग्राहक जुड़ाव तथा तकनीकी नवोन्मेष में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बैंक की डिजिटल भुगतान एवं लेनदेन बैंकिंग सेवाओं ने वित्त वर्ष 2024 में सुदृढ़ वृद्धि और लचीलापन प्रदर्शित किया है, जो रणनीतिक पहलों और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है। प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश और डिजिटल चैनलों का विस्तार बैंक को डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में भविष्य की वृद्धि और नवोन्मेष के लिए अच्छी स्थिति में रखता है।

मेट्रिक	वि. व.		वृद्धि (%)
	2023	2024	
प्रतिदिन औसतन यूपीआई लेन-देन (लाख)	55.47 लाख	77.43 लाख	39.56%
प्रतिदिन औसतन आईएमपीएस लेन-देन (लाख)	3.94 लाख	4.76 लाख	20.81%
प्रतिदिन औसतन मोबाईल बैंकिंग लेन-देन (लाख)	0.42 लाख	0.49 लाख	16.67%
प्रतिदिन औसतन इंटरनेट बैंकिंग लेन-देन (लाख)	0.45 लाख	0.46 लाख	2.22%
पीओएस टर्मिनल की संख्या	2,154	3,034	40.85%
एटीएम एवं नकद पुनर्चक्रणकर्ता की संख्या	3,752	4,084	8.86%
इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता (लाख)	98.54 लाख	104.84 लाख	6.39%
मोबाईल बैंकिंग उपयोगकर्ता (लाख)	57.67 लाख	76.46 लाख	32.53%
यूपीआई उपयोगकर्ता (लाख)	24.50 लाख	33.19 लाख	35.45%

प्रमुख उपलब्धियां

डिजिटल लेनदेन में वृद्धि

- यूपीआई लेनदेन:** बैंक ने प्रतिदिन औसतन 77.43 लाख यूपीआई लेनदेन संसाधित किए, जो एक सुदृढ़ डिजिटल लेनदेन पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है।
- आईएमपीएस लेनदेन:** प्रतिदिन औसतन 4.76 लाख लेनदेन, जो वास्तविक समय के भुगतान करने में बैंक की दक्षता को दर्शाता है।

- मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग:** दैनिक औसत लेनदेन क्रमशः 0.49 लाख और 0.46 लाख थे, जो इन चैनलों को व्यापक रूप से अपनाने का संकेत देते हैं।

डिजिटल चैनलों का विस्तार:

- पीओएस टर्मिनल:** पीओएस टर्मिनलों की संख्या में वर्ष दर वर्ष 40.85% की वृद्धि हुई, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 3,034 टर्मिनल स्थापित किए गए, जिससे ग्राहक और व्यापारी अनुभव में वृद्धि हुई।
- एटीएम एवं कैश रिसाइकलर:** बैंक ने अपने एटीएम नेटवर्क का विस्तार किया, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कुल 4,084 इकाइयों तक पहुंच गया।

ग्राहक आधार एवं जुड़ाव:

- पंजीकृत उपयोगकर्ता:** बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए 104.84 लाख, मोबाइल बैंकिंग के लिए 76.46 लाख और यूपीआई के लिए 33.19 लाख उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया।
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड:** दिनांक 31 मार्च 2024 तक बैंक का डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता आधार बढ़कर 2.92 करोड़ हो गया, और क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता आधार 3.25 लाख तक पहुंच गया।

सेवा संवर्धन

तकनीकी विकास:

- यूपीआई एटीएम:** ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लॉन्च किए गए ये एटीएम यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग करके कार्डलेस कैश निकासी की अनुमति देते हैं, जिससे सुविधा और सुरक्षा में वृद्धि होती है।
- वर्चुअल डेबिट कार्ड:** सुरक्षित ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए प्रस्तुत किए गए, जिससे भौतिक कार्ड की आवश्यकता कम हो गई और सुरक्षा बढ़ गई।
- सेल्फ-सर्विस पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क (एसएसपीबीके):** कुल 1,193 कियोस्क स्थापित किए गए, जिससे ग्राहक शाखाओं में जाए बिना अपनी पासबुक प्रिंट कर सकते हैं।

भविष्य की डिजिटल पहलें:

- उन्नत यूपीआई कार्यक्षमताएँ:** आगामी सुविधाओं में हैलो यूपीआई, यूपीआई इंटरनेशनल, यूपीआई ग्लोबल, वर्चुअल वॉलेट, मार्केटप्लेस और क्रेडिट स्कोर एकीकरण शामिल हैं, जो सेंटपे एप्लिकेशन की क्षमताओं को बढ़ाएंगे।
- ओमनी-चैनल प्लेटफॉर्म:** डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल सहित सभी डिवाइस पर एक समान ग्राहक अनुभव प्रदान करने की योजना बनाई गई है।
- एटीएम नेटवर्क का विस्तार:** पहुंच को और बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 600 से अधिक एटीएम लगाने की योजना बनाई गई है।



आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सूचना प्रद्योगिकी आधारभूत संरचना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शायी है, जो इसके परिचालन एवं ग्राहक सेवा का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है. बैंक का आईएसओ-प्रमाणित डेटा सेंटर परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन, ट्रेजरी सॉल्यूशन और लोन लाइफसाइकिल मैनेजमेंट सॉल्यूशन जैसी महत्वपूर्ण आईटी परियोजनाएं बैंक के व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रही हैं.

आपदा वसूली तथा व्यवसाय निरंतरता क्षमताओं को मजबूत करना इस वर्ष बैंक की एक बड़ी उपलब्धि थी. एक पूर्ण विकसित आपदा वसूली केंद्र और एक निकट-साइट सेटअप की स्थापना शून्य डेटा हानि के साथ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करती है. विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप नियमित आपदा वसूली अभ्यास, अप्रत्याशित घटनाओं के लिए बैंक की तैयारी को बनाए रखते हैं.

इस क्रम में तकनीकी उन्नयन एक और मुख्य आकर्षण था. लेन-देन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए स्विफ्ट सिस्टम को अपग्रेड, किया गया. खुदरा और कॉर्पोरेट दोनों ग्राहकों के लिए संशोधित इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में अब बेहतर सुरक्षा नियंत्रण और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस की सुविधा है, जो एक सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान करते हैं. इसके अतिरिक्त, आरटीजीएस/एनईएफटी सिस्टम का अपग्रेड 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जो नियामक आवश्यकताओं और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है.

बैंक ने विनियामक और अनुपालन प्रणालियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया. वित्तीय विनियमों के अनुपालन को बनाए रखने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रणाली और एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड अमाउंट (एसबीए) जैसे कार्यान्वयन महत्वपूर्ण थे. अन्य महत्वपूर्ण परिनियोजनों में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस), धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) और एक केंद्रीकृत ई-टीडीएस प्रबंधन समाधान शामिल थे. फॉर्म 16 और ब्याज प्रमाणपत्र जारी करने के लिए डिजिटलॉकर के साथ एकीकरण ने अनुपालन प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया.

अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का समर्थन करते हुए, बैंक ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया. दोनों आरआरबी ने अपने कोर बैंकिंग समाधान को सफलतापूर्वक फिनेकल 10 में स्थानांतरित कर दिया, और आरटीजीएस, आईएमपीएस, एचआरएमएस और संपर्क रहित डेबिट कार्ड सहित विभिन्न तकनीकी पहलों को उनकी सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए लागू किया गया.

डिजिटल और स्व-सेवा संवर्द्धन पर मुख्य ध्यान दिया गया. यूपीआई लाइट कार्यक्षमता को भीम सेंट यूपीआई (सेंटपे) में एकीकृत करना और पीपीएफ के विरुद्ध नई डिजिटल ऋण सुविधाओं की शुरुआत उल्लेखनीय पहल थी. बैंक ने 1,193 स्व-सेवा पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क भी स्थापित किए, जिससे ग्राहक शाखाओं में जाए बिना अपनी पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, जिससे ग्राहक सुविधा में वृद्धि हुई.

बैंक ने एक मजबूत आईटी गवर्नेंस ढांचा बनाए रखा. एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) ने कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक की, जिसमें आईआईटी और आईआईएससी जैसे संस्थानों से विशेष आमंत्रित सदस्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में आईटी

जोखिम प्रबंधन समिति (आईटी-आरएमसी) ने आईटी जोखिम प्रबंधन की देखरेख के लिए मासिक बैठक की. विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारियों वाली आईटी परिचालन समिति ने उचित आईटी पहलों को अपनाने में सहायता की. सीईआरटी-इन सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित आईएस और बीएपीटी ऑडिट ने अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित की, और पीसीआई-डीएसएस स्तर 1 संस्करण 4.0 अनुपालन प्राप्त करना डेटा सुरक्षा के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया

भविष्य को देखते हुए, बैंक ने कई नई पहलों की योजना बनाई है. इनमें ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) का कार्यान्वयन, कागज़ के उपयोग को कम करने के लिए ग्रीन चैनल कैश डिपॉजिट की शुरुआत और सभी सीबीएस शाखाओं और डिजिटल चैनलों में जन सुरक्षा योजनाओं (पीएमएसबीवाय और पीएमजेजेबीवाय) का एकीकरण शामिल है. पुनः-केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक वन टाइम सेटलमेंट और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए नामांकन संशोधन जैसी उन्नत ग्राहक सेवा सुविधाएं भी शुरु की गईं.

नए मोबाइल और एसएमएस अपडेट फीचर के कारण ग्राहक अब शाखाओं में गए बिना ही अपना मोबाइल नंबर और केवाईसी विवरण अद्यतन कर सकते हैं. ये पहल ग्राहक अनुभव तथा परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

वित्त वर्ष 2024 में बैंक के सूचना प्रद्योगिकी आधारभूत संरचना एवं एएलएम प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार किया गया है, जिससे इसके परिचालन को समर्थन मिला है एवं कुशल ग्राहक सेवाएं प्रदान की गई हैं. डेटा सेंटर का आईएसओ प्रमाणन परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है, और कोर बैंकिंग समाधान, व्यापार वित्त समाधान, ट्रेजरी समाधान और ऋण जीवनचक्र प्रबंधन समाधान जैसी प्रमुख आईटी परियोजनाएं महत्वपूर्ण व्यावसायिक सक्षमकर्ता के रूप में काम करती हैं. व्यवसाय निरंतरता, विनियामक अनुपालन और डिजिटल परिवर्तन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता इसे निरंतर सफलता के लिए अच्छी स्थिति में रखती है.

सूचना सुरक्षा

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सूचना प्रणालियों एवं ग्राहक डेटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए अपने सूचना सुरक्षा ढांचे को काफी मजबूत किया है. आईएसओ 27001 और आईएसओ 22301 जैसे नियामक दिशानिर्देशों और प्रमाणन मानकों के साथ निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, बैंक ने उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप साइबर सुरक्षा उपायों की एक श्रृंखला को लागू किया है.

प्रमुख पहल एवं उपाय:

साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी):

बैंक का सीएसओसी चौबीसों घंटे काम करता है और सभी महत्वपूर्ण सर्वरों एवं नेटवर्क उपकरणों की लगातार निगरानी करता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी तरह की विसंगति या संभावित खतरे का तुरंत पता लगाया जाए और उसका समाधान किया जाए, जिससे बैंक के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की अखंडता और सुरक्षा बनी रहे.

विनियामक अनुपालन और प्रमाणन

आईएसओ 27001 और आईएसओ 22301 मानकों का अनुपालन बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का आधार रहा है. ये मानक कंपनी की संवेदनशील जानकारी के प्रबंधन तथा व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं. बैंक ने पीसीआई-डीएसएस लेवल 1

संस्करण 4.0 अनुपालन हासिल किया है, जो कार्डधारक डेटा की सुरक्षा और संरक्षण के उच्चतम मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस अनुपालन स्थिति को प्राप्त करने वाले भारत के अग्रणी बैंकों में से एक है।

उन्नत सुरक्षा समाधान:

- संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और उपयोगकर्ता विशेषाधिकारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए विशेषाधिकार पहुँच प्रबंधन प्रणाली (पीएएमएस) और डेटा लीकेज रोकथाम (डीएलपी) समाधान जैसे उन्नत सुरक्षा समाधानों का कार्यान्वयन किया गया है।
- सीईआरटी-इन पैनल के लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए नियमित सूचना सुरक्षा (आईएस) और भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) ऑडिट यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक के सुरक्षा उपाय अद्यतित हैं और उभरते खतरों के खिलाफ प्रभावी हैं।

साइबर जागरूकता कार्यक्रम:

कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पहल की गई है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी हितधारकों को साइबर सुरक्षा के महत्व और साइबर घटनाओं को रोकने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में शिक्षित करना है।

डिजास्टर रिकवरी और व्यवसाय निरंतरता:

बिजनेस निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण आपदा वसूली केंद्र और एक निकट-साइट सेटअप स्थापित किया गया है, ताकि शून्य डेटा हानि के साथ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। तैयारियों की उच्च स्थिति बनाए रखने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में नियमित आपदा वसूली अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

तकनीकी विकास:

स्विफ्ट सिस्टम को नवीनतम संस्करण में अपग्रेड करना और आरटीजीएस/एनईएफटी सेटअप को बेहतर बनाना ताकि 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ये विकास लेनदेन सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करते हैं। सुरक्षित ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड की शुरुआत और यूपीआई अनुप्रयोगों के माध्यम से इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी (आईसीसीडब्ल्यू) के कार्यान्वयन से ग्राहकों के लिए सुरक्षा और सुविधा और बढ़ जाती है।

भविष्य को देखते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर खतरों से बचे रहने के लिए उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और कार्यों में अपने निवेश को जारी रखने की योजना बनाई है। इसका फोकस वास्तविक समय की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने, खतरों का पता लगाने और प्रतिक्रिया में स्वचालन बढ़ाने एवं कर्मचारियों तथा ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दायरे का विस्तार करने पर होगा।

आईटी गवर्नेंस

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कार्यनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपने आईटी गवर्नेंस ढांचे को और मजबूत किया है। बैंक प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखने, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में आईटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आईटी कार्यनीति समिति

बोर्ड स्तरीय आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी), जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं, बैंक की आईटी पहलों के लिए कार्यनीतिक दिशा और निगरानी प्रदान करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करती है। समिति को आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेष आमंत्रितों की विशेषज्ञता का लाभ मिलता है, जो आईटी और साइबर सुरक्षा मामलों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, इन विशेषज्ञों ने बैंक के आईटी बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने के बारे में बहुमूल्य सलाह दी।

आईटी जोखिम प्रबंधन समिति

एमडी और सीईओ की अध्यक्षता वाली आईटी जोखिम प्रबंधन समिति (आईटी-आरएमसी) में कार्यकारी निदेशक, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और वरिष्ठ आईटी अधिकारी शामिल हैं। यह समिति यह सुनिश्चित करने के लिए मासिक रूप से बैठक करती है कि आईटी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जाए। आईटी-आरएमसी बैंक की आईटी प्रणालियों की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी जोखिमों को तुरंत कम किया जाए।

आईटी संचालन समिति

आईटी संबंधित निवेशों एवं पहलों पर सूचित निर्णय लेने की सुविधा हेतु, आईटी संचालन समिति, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के शीर्ष पदाधिकारी शामिल हैं, परिचालन मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है। यह समिति सुनिश्चित करती है कि आईटी परियोजनाएं बैंक के व्यावसायिक लक्ष्यों और नियामक आवश्यकताओं के साथ संरेखित हों तथा आईटी नियमन के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा दें।

आईटी संगठनात्मक संरचना

आईटी विभाग महाप्रबंधक (आईटी) के नेतृत्व में बैंक के व्यापक परिचालन की मांगों को पूरा करने के लिए अग्रसर है। विभाग में अन्य अधिकारियों के रूप में उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक एवं आईटी विशेषज्ञ अधिकारियों की एक सुदृढ़ टीम है। विभाग, प्रौद्योगिकी एवं विकास, आईटी परिचालन, आईटी आश्वासन, आपूर्ति एवं संसाधन प्रबंधन सहित प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत है। प्रत्येक उपविभाग का नेतृत्व अनुभवी अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो आईटी रणनीतियों एवं परियोजनाओं के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करते हैं।

विनियामक अनुपालन एवं लेखा परीक्षा

बैंक कठोरतापूर्वक नियामक मानकों का पालन करता है, सर्ट-इन सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों के माध्यम से आईएस ऑडिट और भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक आईटी निरीक्षक टीम द्वारा लेखा परीक्षण किया गया एवं यह भी सुनिश्चित किया गया कि बैंक सभी आईटी नियामक अपेक्षाओं को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कार्डधारक डेटा के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए भुगतान कार्ड उद्योग-डेटा सुरक्षा मानक (पीसीआई-डीएसएस) संस्करण 4.0 का अनुपालन हासिल किया।

नवोन्मेष आईटी पहल

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, बैंक ने ग्राहक सुविधा एवं परिचालन दक्षता बढ़ाने हेतु कई नवोन्मेष आईटी पहलों को लागू किया वे निम्नानुसार है:



- **इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू):** ग्राहकों को डेबिट कार्ड के बिना एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा.
- **ग्रीन चैनल नकद जमा:** ग्राहकों को नकद जमा के संदर्भ संख्या हेतु कागजी पर्चियों की आवश्यकता को कम करने के लिए मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का उपयोग करने में सक्षम बनाना.
- **डिजिटल ग्राहक ऑनबोर्डिंग:** ग्राहक ऑनबोर्डिंग सुलभ बनाने के लिए वीडियो केवाईसी का शुभारंभ.
- **इंटरनेट बैंकिंग संवर्द्धन:** इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से रि-केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक एकबारगी निपटान और नामांकनों में संशोधन को सुगम बनाना.
- **वर्चुअल डेबिट कार्ड:** सुरक्षित ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करना.
- **बुनियादी ढांचों को और बेहतर बनाना:** बैंक के नेटवर्क को अपग्रेड करना और बढ़े हुए भार को संभालने एवं भविष्य के विकास का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे को और बेहतर किया जाना.

डिजिटल पहल

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्राथमिकता दी है, जो ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन को और दक्ष बनाने और तकनीकी नवाचार सुनिश्चित करने वाली पहलों को लागू करती है. वित्त वर्ष 2024 में डिजिटल पहल ने सेवा वितरण, परिचालन दक्षता और ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपने अंदर समावेशित करने के साथ, बैंक अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को जारी रखते हुए ग्राहकों एवं हितधारकों को बेहतर मूल्य प्रदान करता है.

प्रमुख डिजिटल पहल

ओमनी-चैनल बैंकिंग: बैंक ने एक ओमनी-चैनल प्लेटफॉर्म पेश किया जो डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन सहित कई उपकरणों में एक सहज और सुसंगत ग्राहक अनुभव प्रदान करता है. यह प्लेटफॉर्म विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को एकीकृत करता है, जिससे ग्राहक लेनदेन कर सकते हैं, वित्तीय उत्पादों तक पहुंच सकते हैं और अपने खातों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं.

डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म: एक नया डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया गया, जो डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऋण आवेदनों के एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है. यह प्लेटफॉर्म क्रेडिट योग्यता का आकलन करने, ऋण अनुमोदन प्रक्रिया को कारगर बनाने, टर्नअराउंड समय को कम करने और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करता है.

एकीकृत ग्राहक सेवा: एक एकीकृत ग्राहक सेवा प्रणाली लागू की गई, जो व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करती है. यह प्रणाली ग्राहक पूछताछ की एक विस्तृत श्रृंखला को संभाल सकती है जिसमें बुनियादी खाता जानकारी से लेकर जटिल लेनदेन के मुद्दों शामिल हैं, इस प्रकार ग्राहक सेवा परिचालन की दक्षता में सुधार करती है.

संग्रह प्रबंधन: बैंक ने एक उन्नत संग्रह प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जो संभावित चूक की पहचान करने और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों को अनुकूलित

करने के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण का उपयोग करती है. यह प्रणाली परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने और बकाया राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करने में मदद करती है.

ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए वीडियो-केवाईसी: दूरस्थ खाता खोलने की सुविधा के लिए, बैंक ने वीडियो-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानने) प्रक्रिया शुरू की. यह ग्राहकों को वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति देती है, जिससे यह बहुत ही सुलभ एवं शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.

धन प्रबंधन सेवाएं: बैंक ने अपनी डिजिटल धन प्रबंधन सेवाओं का विस्तार किया, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश उत्पादों और सलाहकार सेवाओं की एक श्रृंखला पेश की है. ग्राहक अब पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण, वित्तीय नियोजन सेवाओं और बाजार अंतर्दृष्टि को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकते हैं.

तकनीकी विकास

माइक्रोसर्विसेज-आधारित आर्किटेक्चर: बैंक के डिजिटल अनुप्रयोगों को माइक्रोसर्विसेज-आधारित, कंटेनराइज्ड आर्किटेक्चर में पुनर्गठित किया गया है. यह अधिक मापनीयता, लचीलापन और रखरखाव को आसान बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि बैंक तेजी से बदलती तकनीकों और बाजार स्थितियों के अनुकूल हो.

स्वचालित एकीकरण उपकरण: अनुप्रयोग एकीकरण और परिनियोजन के लिए स्वचालित उपकरण पेश किए गए हैं, जो नई सुविधाओं एवं अद्यतनों के सहज एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं. यह बैंक के आईटी बुनियादी ढांचे की स्फूर्ति को बढ़ाते हैं, जिससे ग्राहकों की जरूरतों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम होती है.

ओपन बैंकिंग के लिये ऐपीफिकेशन: बैंक ने एक व्यापक एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) ढाँचा विकसित करके ओपन बैंकिंग को अपनाया है. यह तीसरे पक्ष के डेवलपर्स को बैंक के सिस्टम के साथ अपने अनुप्रयोगों को एकीकृत करने, नवाचार को बढ़ावा देने और उपलब्ध डिजिटल सेवाओं की सीमा का विस्तार करने में सक्षम बनाता है.

भुगतान हब: सभी भुगतान प्रसंस्करण गतिविधियों को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया भुगतान हब स्थापित किया गया है. यह हब यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस सहित कई भुगतान विधियों का समर्थन करता है, जो कुशल और सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करता है.

ग्राहक सहभागिता एवं अभिग्रहण

डिजिटल लेनदेन में वृद्धि: बैंक ने डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिसमें यूपीआई लेनदेन प्रतिदिन औसतन 77.43 लाख और आईएमपीएस लेनदेन प्रतिदिन औसतन 4.76 लाख है. यह वृद्धि ग्राहकों द्वारा डिजिटल चैनलों को सफलतापूर्वक अपनाने को दर्शाती है.

मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग: मोबाइल बैंकिंग दैनिक औसत लेनदेन 0.49 लाख तक पहुंच गया, जबकि इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन औसतन 0.46 लाख दैनिक रहा. वित्त वर्ष 2024 के अंत तक 104.84 लाख इंटरनेट बैंकिंग और 76.46 लाख मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के साथ इन सेवाओं के लिए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ी है.

नवोन्मेष ग्राहक समाधान : सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) और वर्चुअल

डेबिट कार्ड की शुरुआत सफलतापूर्वक किया गया है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा मिली है।

भविष्य हेतु डिजिटल पहल

मारटेक और आधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म: बैंक ने ग्राहक लक्ष्यीकरण और जुड़ाव बढ़ाने के लिए उन्नत विपणन प्रौद्योगिकी (मार्टेक) समाधान और एक आधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म को लागू करने की योजना बनाई है। यह व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स और एआई का प्रयोग करता है।

उन्नत यूपीआई कार्यक्षमताएं: सेन्ट्रल एप्लिकेशन के लिए आगामी सुविधाओं में यूपीआई इंटरनेशनल, यूपीआई ग्लोबल, वर्चुअल वॉलेट, मार्केटप्लेस और क्रेडिट स्कोर एकीकरण शामिल हैं। इन संवर्द्धन का उद्देश्य यूपीआई प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का विस्तार करना और एक समृद्ध उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है।

मापनीय आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर: बैंक भविष्य की डिजिटल पहल का समर्थन करने के लिए अपने निजी क्लाउड बुनियादी ढांचे के विस्तार करने हेतु अग्रसर है। यह अनुप्रयोगों की मेजबानी और डेटा के प्रबंधन के लिए एक मापनीय और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा।

एमएसएमई और कॉर्पोरेट के लिये डिजिटल बैंकिंग समाधान: एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिये अनुकूलित डिजिटल समाधान विकसित किए जा रहे हैं। ये समाधान वित्तीय कार्यों को सुव्यवस्थित करेंगे, क्रेडिट तक पहुंच में सुधार करेंगे और व्यवसाय के विकास का समर्थन करेगा।

ग्राहक सेवा पहल

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रणनीतिक पहल की एक श्रृंखला के माध्यम से ग्राहक सेवा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पहुंच में सुधार करना और समग्र ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करना है। उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके और सेवा विकल्पों का विस्तार करके, बैंक अपने विविध ग्राहक आधार को बेहतर सेवा और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

फॉर्म 16 और ब्याज प्रमाणपत्र जनरेशन: ग्राहक अब बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म 16 और ब्याज प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार वे कर संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बना सकते हैं और मूल्यवान समय बचा सकते हैं।

निधि अंतरण रसीद में तारीख और समय का समावेश: फंड ट्रांसफर रसीदों में अब लेनदेन की सटीक तारीख और समय शामिल है, जिससे ग्राहकों के लिए पारदर्शिता और सटीकता बढ़ जाती है।

डी-रजिस्टर और लॉयल्टी रिवॉर्ड विकल्प: नई सुविधा ग्राहकों को सेवाओं से डी-रजिस्टर करने और बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे अपने लॉयल्टी रिवॉर्ड का प्रबंधन करने की अनुमति देती है, जिससे उनकी बैंकिंग प्राथमिकताओं पर अधिक नियंत्रण मिलता है।

असमिया, बंगाली और पंजाबी भाषाओं का जोड़ना: ग्राहकों की भाषाई विविधता को पूरा करने के लिए, बैंक ने समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देते हुए अपने डिजिटल और ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्मों में असमिया, बंगाली और पंजाबी भाषाओं को जोड़ा है।

खाता खोलने के ड्रॉपडाउन में शामिल सेन्ट 555/999 जमा: खाता खोलने की प्रक्रिया में अब सेन्ट 555 और सेन्ट 999 जमा के विकल्प शामिल हैं, जो ग्राहकों के लिए इन जमा योजनाओं के चयन और एकीकरण को सुव्यवस्थित करते हैं।

सेन्ट मोबाइल ऐप में डेबिट कार्ड ऑफर के लिए पॉप-अप: ग्राहक सीधे सेन्ट मोबाइल ऐप के भीतर डेबिट कार्ड ऑफर के बारे में पॉप-अप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं एवं नवीनतम प्रचार और लाभों से अवगत हो सकते हैं।

कार्ड का टोकनाइजेशन: सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बैंक ने कार्ड टोकनाइजेशन को लागू किया है। यह तकनीक संवेदनशील कार्ड जानकारी को एक विशिष्ट पहचानकर्ता (टोकन) से बदल देती है, धोखाधड़ी के जोखिम को कम करती है और अधिक सुरक्षित लेनदेन अनुभव प्रदान करती है।

अत्याधुनिक एकीकृत ग्राहक सेवा (आईसीसी): बैंक ने समय पर जवाबदेही, आउटरीच और गुणवत्ता आश्वासन पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक मापनीय बिजनेस मॉडल के साथ एक अत्याधुनिक एकीकृत ग्राहक सेवा (आईसीसी) की स्थापना की है। आईसीसी के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में कॉल/वॉयस, आईवीआर, चैट और चैटबॉट, व्हाट्सएप लाइव चैट, सोशल मीडिया, ईमेल/वेब फॉर्म, वीडियो बैंकिंग और को-ब्राउजिंग आदि शामिल हैं।

लेखा परीक्षा और निरीक्षण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जोखिम प्रबंधन को अत्यंत महत्व देता है और अपनी शाखाओं और कार्यालयों में जोखिमों का आकलन करने और कम करने के लिए मजबूत आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित किया है। इन तंत्रों को परिचालन दक्षता, नियामक अनुपालन और वित्तीय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा शाखा परिचालन की सटीकता, अनुपालन की निगरानी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 31 मार्च, 2024 तक, चार्टर्ड एकाउंटेंट या बैंक अधिकारियों द्वारा कुल 1155 शाखाओं/कार्यालयों का समवर्ती लेखापरीक्षण किया गया। इसमें सामान्य शाखाएं, विशेष शाखाएं, केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, मुद्रा तिजोरी, अधिकृत डीलर शाखाएं, सरकारी व्यवसाय के लिए नोडल शाखाएं और उच्च जोखिम वाली रेटेड शाखाएं आदि शामिल हैं। समवर्ती लेखापरीक्षा बैंक के कुल कारोबार का लगभग 58.63% और कुल अग्रिमों का 70.47% कवर करती है। बैंक ने इन लेखापरीक्षाओं को करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रेणी I, II, III और IV के रूप में वर्गीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों की एक विविध श्रेणी को नियुक्त किया है।

नियमित समवर्ती लेखापरीक्षाओं के अलावा, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नियमित समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर नहीं की गई शाखाओं के आंतरिक/कार्यालय खातों की लेनदेन जांच करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समवर्ती लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया। कुल 456 समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट और ऑडिट फर्म शामिल थे। आय बुकिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक हर साल 1 मार्च से 10 मार्च तक चार्टर्ड एकाउंटेंट, आंतरिक लेखा परीक्षकों और अन्य अधिकारियों को शामिल करते हुए वार्षिक राजस्व जांच अभ्यास आयोजित करता है।



अनुपालन लेखापरीक्षा

वित्तियामक और आंतरिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 710 शाखाओं में अनुपालन लेखापरीक्षण किया गया, जो अनुपालन के प्रति बैंक के सख्त रवैये को दर्शाता है। यह गैर-अनुपालन मुद्दों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सुधारात्मक उपायों को तुरंत लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक केवाईसी अनुपालन लेखापरीक्षा सहित शाखाओं में अनुपालन का आकलन करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण और लेखापरीक्षा आयोजित करता है।

विधिक लेखापरीक्षा एवं टाइटल डीड्स का पुनः सत्यापन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए पात्र खातों में आवधिक विधिक लेखापरीक्षा और स्वत्वाधिकार विलेखों के पुनः सत्यापन करता है। लेखापरीक्षा बैंक के परिचालन की अखंडता और वैधता सुनिश्चित करते हैं। विधिक लेखापरीक्षा, कानूनी दस्तावेज को सत्यापित करने एवं यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि बैंक के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जाती है। ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित संपत्ति दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता की पुष्टि करने के लिए स्वत्वाधिकार विलेखों का पुनः सत्यापन किया जाता है।

राजभाषा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा विभाग, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो राजभाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान हमारे उल्लेखनीय प्रयासों एवं उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2023 को प्रतिष्ठित "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" (तीसरा) प्रदान किया गया।

हिंदी को बढ़ावा देने के प्रति हमारे समर्पण को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया। हमारे बैंक के संयोजन में कार्यरत कई नराकासों ने अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें नराकास (बैंक) पणजी और नराकास (बैंक) मदुरै दोनों ने प्रथम पुरस्कार और नराकास (बैंक) भोपाल ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

इसके अतिरिक्त हमारी गृहपत्रिका, "सेन्ट्रल मंथन" को मुंबई स्थित संगठन 'आशीर्वाद' द्वारा सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका के रूप में सम्मानित किया गया। आंचलिक कार्यालय मुम्बई को राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट कार्य के लिए 'दुष्यंत सम्मान' से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, हमारी महाप्रबंधक (राजभाषा), सुश्री पौपी शर्मा को राजभाषा कार्यान्वयन में उनके अमूल्य योगदान हेतु "आशीर्वाद राजभाषा गौरव पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए हमारे कार्यालयों को अनेक नराकास पुरस्कार प्राप्त हुए। आंचलिक कार्यालय पटना के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय रांची, क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर, क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ को शीर्ष सम्मान (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली "मध्य" क्षेत्र के अंतर्गत पलवल शाखा, मडगांव शाखा और अहमदाबाद क्षेत्र में आनंद शाखा को भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए। आंचलिक कार्यालय गुवाहाटी के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, क्षेत्रीय कार्यालय त्रिची, क्षेत्रीय कार्यालय जामनगर, क्षेत्रीय कार्यालय अमृतसर और क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुए। आंचलिक कार्यालय हैदराबाद के

साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, क्षेत्रीय कार्यालय नासिक, क्षेत्रीय कार्यालय होशंगाबाद, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, क्षेत्रीय कार्यालय सूरत, क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा और नयाबास शाखा को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। नेल्लोर (क्षेत्रीय कार्यालय गुंटूर), केदुझर (क्षेत्रीय कार्यालय संबलपुर), बेलगावी (क्षेत्रीय कार्यालय हुबली), वास्को (क्षेत्रीय कार्यालय पणजी), और कुरनूल (क्षेत्रीय कार्यालय गुंटूर) की शाखाओं को भी तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के देवास शाखा को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। जबकि क्षेत्रीय कार्यालय विशाखापत्तनम, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर की बड़वानी शाखा और क्षेत्रीय कार्यालय कोयंबटूर की सेलम शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुए।

हिंदी को और बढ़ावा देने हेतु, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा दिनांक 04 से 05 मार्च, 2024 को भोपाल में "अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन" आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री खेम सिंह डेहरिया एवं मध्य प्रदेश सरकार के श्री सत्येंद्र सिंह, आईएएस जैसे सम्मानित अतिथियों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के श्री दीपक कुमार ने 'कंठस्थ-2' पर विशेष व्याख्यान दिया। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन के दौरान निबंध संकलन "कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते" (भाग 2) का विमोचन किया गया। इसके साथ ही आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद, आंचलिक कार्यालय गुवाहाटी और क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में भी राजभाषा सेमिनार आयोजित किए गए।

राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा भोपाल में अखिल भारतीय राजभाषा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी आंचलिक कार्यालयों द्वारा आकर्षक मंडप लगाए गए। आंचलिक कार्यालय पुणे और गुवाहाटी को सर्वश्रेष्ठ मंडप के लिए सम्मानित किया गया। पूरे वर्ष के दौरान, विभिन्न कार्यालयों द्वारा कुल 312 प्रदर्शनियां आयोजित की गईं, जिनमें हिंदी साहित्य से लेकर हिंदी व अंग्रेजी सुविचारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गईं।

हमारे बैंक ने विभिन्न बैंकिंग विषयों पर 12 ई-पुस्तकें प्रकाशित कीं, जिनमें बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अपराध, डिजिटल हिंदी आदि शामिल हैं। इन प्रकाशनों का उद्देश्य बैंकिंग ज्ञान को बढ़ाना एवं बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना है। भाषाई विविधता को समर्थन देने के लिए, 10 प्रमुख भारतीय भाषाएं बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उडिया में 'सेंट सरल' ई-लर्निंग पुस्तकें बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें 7वीं अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 44वीं अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता तथा अखिल भारतीय हिंदी गीत गायन प्रतियोगिता शामिल हैं। हिंदी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण यह है कि उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए पांच अंचलों को सर्वश्रेष्ठ अंचल और अनुकरणीय योगदान हेतु 12 राजभाषा अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

केन्द्रीय कार्यालय द्वारा त्रैमासिक द्विभाषी गृहपत्रिका 'सेन्ट्रलाइट' एवं हिंदी गृहपत्रिका 'सेन्ट्रल मंथन' का प्रकाशन किया जाता है। आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी तिमाही अंतराल पर ई-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। हमारे सभी आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे सभी कार्यालयों के कर्मचारियों ने अपने संबंधित नराकास के तत्वावधान आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। 21

फरवरी, 2024 को क्षेत्रीय कार्यालय पणजी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हुए स्टाफ सदस्यों के लिए एक संवाद कार्यक्रम “आओ करें अपनी मातृभाषा में बात” की मेजबानी की।

इसके अतिरिक्त, देश भर में हमारे कार्यालयों द्वारा संदेशों, सुविचारों और दिशानिर्देशों आदि के कुल 225 हिंदी पोस्टर जारी किए गए। अकोला, भोपाल (बैंक), देवरिया, गोलाघाट, ग्वालियर (बैंक), लखीमपुर (उत्तर), मदुरै, पणजी, रायपुर (बैंक), ठाणे और उदालगुडी सहित 11 नराकासों (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों) के संयोजक के रूप में हमारा बैंक हिंदी को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है।

विपणन

वित्त वर्ष 2024 में, हमारी प्रमुख विपणन रणनीतियों ने हमारी पहुंच बढ़ाने, ग्राहक सहभागिता को बेहतर बनाने और ब्रांड पहचान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नवोन्मेष डिजिटल पहल के साथ पारंपरिक विपणन तकनीकों के संयोजन के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण को नियोजित किया।

इस वर्ष हमारी प्रमुख विपणन रणनीतियों और उपलब्धियों में एक व्यापक रीब्रांडिंग अभियान के माध्यम से ब्रांड सुदृढ़ीकरण शामिल था जिसमें एक अद्यतन लोगो, दृश्य पहचान, नवाचार और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर जोर देने वाले नए ब्रांड संदेश शामिल थे। इस पहल के परिणामस्वरूप हमारे लक्षित बाजारों में ब्रांड पहचान और सकारात्मक भावना में 20% की वृद्धि हुई।

ग्राहक-प्रथम अभियान एक विशेष अभियान था। हमने अपने विविध ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप कई अभियान शुरू किए, व्यक्तिगत अनुभव बनाने के लिए ग्राहक डेटा और अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया गया। हमारा “ग्राहक पहले” अभियान, जिसमें लक्षित प्रचार और लोयल्टी रिवाइड शामिल था, इसने ग्राहक प्रतिधारण में 15% की वृद्धि और क्रॉस-सेलिंग अवसरों में 10% की वृद्धि की।

हमने उद्योग जगत के अग्रणी व्यापारियों और प्रभावशालियों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी बनाई, सामग्री निर्माण, संयुक्त घटनाओं और बाजार पहुंच विस्तार पर सहयोग किया। इन साझेदारियों ने न केवल हमारी बाजार उपस्थिति का विस्तार किया बल्कि नए ग्राहक क्षेत्र के बीच हमारी विश्वसनीयता को भी बढ़ाया।

निरंतर बाजार अनुसंधान और डेटा एनालिटिक्स हमारे विपणन प्रयासों का अभिन्न अंग था हमने ग्राहक व्यवहार को ट्रैक करने, अभियान प्रभावशीलता को मापने और वास्तविक समय में अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए उन्नत विश्लेषिकी टूल में निवेश किया। इन विश्लेषणों से प्राप्त अंतर्दृष्टि ने हमें अपने मार्केटिंग खर्च को अनुकूलित करने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आरओआई में 12% सुधार हुआ।

संधारणीयता (सस्टेनेबिलिटी) के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर ध्यान देते हुए, हमने अपनी विपणन पहल में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को एकीकृत किया। हमने टिकाऊ उत्पादों और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए “गो ग्रीन” अभियान प्रारंभ किया, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित होता है। प्रायोजन और सीएसआर गतिविधियों सहित हमारे सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रमों ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में हमारे ब्रांड की भूमिका को मजबूत किया, जिससे हमारी प्रतिष्ठा और ग्राहक वफादारी बढ़ी।

डिजिटल मार्केटिंग

वित्त वर्ष 2024 में डिजिटल मार्केटिंग हमारी समग्र विपणन रणनीति की आधारशिला बनी रही, जिससे हमारे डिजिटल चैनलों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों में नवीन दृष्टिकोण, डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग और ग्राहक अनुभव को अच्छा बनाना आदि शामिल थे।

हमने अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट में सुधार करके अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाया। नए डिज़ाइन में सुव्यवस्थित नेविगेशन, फास्टर लोड टाइम और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं के अनुरूप वैयक्तिकृत सामग्री है। परिणामस्वरूप, हमने वेबसाइट ट्रैफिक में 25% की वृद्धि और औसत सत्र अवधि में 30% की वृद्धि देखी, जो उच्च उपयोगकर्ता जुड़ाव और संतुष्टि का संकेत देती है।

हमारी सोशल मीडिया कार्यनीति, साझा योग्य सामग्री बनाने पर केंद्रित थी जिसने सामुदायिक जुड़ाव और ब्रांड को बढ़ावा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंकडइन जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए, हम विविध दर्शकों तक पहुंचे और वास्तविक समय में उनके साथ बातचीत की। वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और लाइव इवेंट्स सहित आकर्षक सामग्री के कारण सोशल मीडिया फॉलोअर्स में 40% की वृद्धि हुई और सभी प्लेटफॉर्म पर जुड़ाव दरों में 35% की वृद्धि हुई।

हमने अपने सर्च इंजन बेहतर बनाने और ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए बेहतर एसईओ प्रथाओं को लागू किया। इसमें हमारी वेबसाइट सामग्री का अनुकूलन करना, प्रमुख शब्दों की खोज अनुसंधान करना और उच्च गुणवत्ता वाले बैकलिंक्स का निर्माण करना शामिल था। हमारे एसईओ प्रयासों के परिणामस्वरूप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव में 20% की वृद्धि हुई और प्रमुख उद्योग से संबंधित सर्च टर्म के लिए हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में सुधार हुआ।

हमारे पीपीसी अभियानों को रणनीतिक रूप से गूगल ऐड्स और बींग ऐड्स जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से उच्च-स्तर वाले दर्शकों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हमने परिवर्तन की गति बढ़ाने के लिए कीवर्ड लक्ष्यीकरण, विज्ञापन कॉपी अनुकूलन और लैंडिंग पृष्ठ सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। इन अभियानों ने क्लिक-थ्रू रेट्स (सीटीआर) में 15% की वृद्धि और रूपांतरण दरों में 10% की वृद्धि की, जो हमारे द्वारा किए गए खोज प्रयासों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

हमने लीड सृजन, ग्राहकों को बनाए रखने और अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ईमेल मार्केटिंग का प्रयोग किया। ग्राहक डेटा एवं व्यवहार द्वारा सूचित वैयक्तिकृत ईमेल अभियानों ने प्रासंगिक और समय पर संचार सुनिश्चित किया। हमारी ईमेल विपणन पहल ने 25% खुली दर और 20% क्लिक-थ्रू दर हासिल की, जो उद्योग के बेंचमार्क से काफी अधिक है।

उन्नत विश्लेषण और विपणन स्वचालन उपकरणों का उपयोग करते हुए, हमने सटीकता के साथ उपयोगकर्ता व्यवहार और अभियान कार्य निष्पादन को ट्रैक किया। इस डेटा-संचालित दृष्टिकोण ने हमें सटीक निर्णय लेने, हमारी विपणन रणनीतियों को अनुकूलित करने और ग्राहकों के अनुभवों को बढ़ाने की अनुमति दी। निरंतर निगरानी और अनुकूलन के माध्यम से, हमने अपने समग्र डिजिटल विपणन ने आरओआई में 18% तक सुधार किया, जो दक्षता और प्रभावशीलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इन रणनीतियों को एकीकृत करके, हमने गतिशील डिजिटल परिदृश्य को सफलतापूर्वक संचालित किया है, पर्याप्त विकास किया है और वित्तीय क्षेत्र में बाजार के अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है. आगे देखते हुए, हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों और हितधारकों को असाधारण मूल्य प्रदान करना जारी रखने के लिए अपनी डिजिटल मार्केटिंग क्षमताओं को नवीनीकृत करना और विस्तारित करना है.

डिजिटल मार्केटिंग का प्रभाव

डिजिटल मार्केटिंग ने व्यवसायों के संचालन के तरीके में क्रांति ला दी है, पारंपरिक मार्केटिंग रणनीतियों को बदल दिया है और कंपनियों को अपने दर्शकों के साथ अधिक गतिशील और इंटरैक्टिव तरीकों से जुड़ने में सक्षम बनाया है. आज के डिजिटल युग में, व्यवसाय संचालन पर डिजिटल मार्केटिंग का प्रभाव गहरा और बहुआयामी है, जिसमें ग्राहक जुड़ाव, ब्रांड जागरूकता, डेटा एनालिटिक्स और समग्र व्यवसाय विकास जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं.

डिजिटल मार्केटिंग के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक ग्राहक जुड़ाव में वृद्धि है. सोशल मीडिया, ईमेल और वेबसाइट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बैंक अपने ग्राहकों के साथ वास्तविक समय में संपर्क कर सकते हैं, जिससे सामाजिक अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर और लिंकडइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को सामग्री साझा करने, ग्राहकों की पूछताछ का जवाब देने और लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से अपने दर्शकों से जुड़ने की अनुमति देते हैं. बातचीत का यह स्तर न केवल मजबूत ग्राहक संबंध बनाने में मदद करता है बल्कि मूल्यवान प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है जिसका उपयोग उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है.

ब्रांड जागरूकता एक और क्षेत्र है जहाँ डिजिटल मार्केटिंग ने काफी प्रभाव डाला है. इंटरनेट की व्यापक पहुँच के साथ, व्यवसाय अब अपने ब्रांड को वैश्विक दर्शकों के बीच बढ़ावा दे सकते हैं. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ), पे-पर-क्लिक (पीपीसी) विज्ञापन और कंटेंट मार्केटिंग जैसी डिजिटल मार्केटिंग तकनीकें यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी कंपनी का ब्रांड संभावित ग्राहकों को तब दिखाई दे जब वे प्रासंगिक कीवर्ड खोजते हैं या ऑनलाइन संबंधित सामग्री ब्राउज़ करते हैं. यह बढ़ी हुई दृश्यता उपभोक्ताओं के बीच ब्रांड पहचान और विश्वास स्थापित करने में मदद करती है.

डिजिटल मार्केटिंग में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग ने व्यवसायों के निर्णय लेने और रणनीति बनाने के तरीके को बदल दिया है. उन्नत एनालिटिक्स टूल कंपनियों को उपयोगकर्ता के व्यवहार को ट्रैक करने, मार्केटिंग अभियानों की प्रभावशीलता को मापने और ग्राहक वरीयताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देते हैं. यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण व्यवसायों को विशिष्ट जनसांख्यिकी को लक्षित करने, अपने मार्केटिंग खर्च को अनुकूलित करने और बेहतर आरओआई प्राप्त करने के लिए अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को तैयार करने में सक्षम बनाता है. उदाहरण के लिए, वेबसाइट ट्रैफ़िक डेटा का विश्लेषण करके, कंपनियाँ यह पहचान सकती हैं कि कौन से पेज सबसे अधिक देखे जाते हैं और अपने दर्शकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपनी सामग्री को समायोजित कर सकती हैं.

डिजिटल मार्केटिंग व्यक्तिगत मार्केटिंग की सुविधा भी देती है, जो आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में महत्वपूर्ण हो गई है. ग्राहक डेटा का लाभ उठाकर, व्यवसाय व्यक्तिगत मार्केटिंग अभियान बना सकते हैं जो व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और व्यवहार को पूरा करते हैं. व्यक्तिगत ईमेल, उत्पाद अनुशंसाएँ और लक्षित विज्ञापन ग्राहक अनुभव को बढ़ाते हैं, जिससे जुड़ाव

और रूपांतरण दर अधिक होती है. पारंपरिक मार्केटिंग विधियों के माध्यम से निजीकरण का यह स्तर हासिल करना मुश्किल है.

इसके अलावा, डिजिटल मार्केटिंग पारंपरिक मार्केटिंग चैनलों की तुलना में लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है. ऑनलाइन विज्ञापन, सोशल मीडिया अभियान और ईमेल मार्केटिंग आम तौर पर प्रिंट विज्ञापनों, टीवी विज्ञापनों या बिलबोर्ड की तुलना में अधिक किफायती होते हैं. यह लागत दक्षता सीमित बजट वाले छोटे व्यवसायों को भी बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और व्यापक दर्शकों तक पहुँचने की अनुमति देती है.

बाजार में होने वाले बदलावों के अनुसार जल्दी से अनुकूलन और प्रतिक्रिया करने की क्षमता डिजिटल मार्केटिंग का एक और लाभ है. पारंपरिक मार्केटिंग अभियानों के विपरीत, जिनकी योजना बनाने और निष्पादित करने में सप्ताह या महीने लग सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अभियानों को वास्तविक समय में लॉन्च और समायोजित किया जा सकता है. यह चपलता व्यवसायों को रुझानों से आगे रहने, ग्राहकों की प्रतिक्रिया का तुरंत जवाब देने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति देती है.

इसके अलावा, डिजिटल मार्केटिंग ने व्यवसायों के लिए अपने अभियानों की सफलता को मापना और ट्रैक करना आसान बना दिया है. क्लिक-थ्रू दरें, रूपांतरण दरें और ग्राहक जुड़ाव जैसे मीट्रिक ठोस डेटा प्रदान करते हैं जिनका उपयोग व्यवसाय अपने कार्य निष्पादन का आकलन करने और सूचित निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं. यह पारदर्शिता और जवाबदेही निरंतर सुधार और मार्केटिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है.

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया हमारे बैंक की रणनीति का एक अनिवार्य घटक बन गया है, जो ग्राहकों के साथ जुड़ने, अपने ब्रांड का निर्माण करने और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के हमारे तरीके को मौलिक रूप से बदल रहा है. फेसबुक, ट्विटर, लिंकडइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए, हमने सफलतापूर्वक एक गतिशील और इंटरैक्टिव उपस्थिति बनाई है जो असाधारण बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के हमारे मिशन के साथ संरेखित है.

31/03/2024 तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स/ लाइक

फेसबुक: 1,78,684 फॉलोअर्स
 ट्विटर: 1,82,350 फॉलोअर्स
 लिंकडइन: 31,453 फॉलोअर्स
 इंस्टाग्राम 14,544 फॉलोअर्स
 यूट्यूब: 33,010 फॉलोअर्स

बैंक के लिए सोशल मीडिया के सबसे प्रभावशाली पहलुओं में से एक हमारे ग्राहकों के साथ वास्तविक समय में जुड़ाव को बढ़ावा देने की क्षमता है. इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम पूछताछ का तुरंत जवाब दे सकते हैं, चिंताओं को दूर कर सकते हैं और सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे मजबूत संबंध और विश्वास का निर्माण होता है. उदाहरण के लिए, हमारी ग्राहक सेवा टीम ग्राहकों को खाता संबंधी प्रश्नों में सहायता करने, समस्याओं का समाधान करने और विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों पर सक्रिय रूप से नज़र रखती है. यह तात्कालिकता और पहुँच हमें ग्राहक संतुष्टि और जुड़ाव बढ़ाने में मदद करती है.

ब्रांड स्टोरी टेलिंग हमारी सोशल मीडिया रणनीति का एक और महत्वपूर्ण लाभ है. हम इन प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी कहानी, मूल्यों और दृष्टिकोण

को आकर्षक तरीकों से साझा करने के लिए करते हैं। इन्स्टाग्राम और फेसबुक पर, हम अपने समुदाय की भागीदारी को प्रदर्शित करते हैं, ग्राहकों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हैं और अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लिंकडइन एक व्यावसायिक स्थान के रूप में कार्य करता है जहाँ हम उद्योग की अंतर्दृष्टि, कंपनी की उपलब्धियों और विचार नेतृत्व सामग्री को साझा करते हैं। ये कथाएँ न केवल हमारे ब्रांड को मानवीय बनाती हैं बल्कि हमारे दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ती हैं, जिससे जुड़ाव और वफादारी की भावना बढ़ती है।

सोशल मीडिया हमारी ब्रांड जागरूकता को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। इन प्लेटफॉर्म पर सामग्री की वायरल प्रकृति का मतलब है कि एक ही पोस्ट कम समय में हजारों-लाखों लोगों तक पहुँच सकती है। हम जानकारीपूर्ण वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और इंटरैक्टिव पोल्स जैसी आकर्षक और साझा करने योग्य सामग्री बनाकर इस क्षमता का लाभ उठाते हैं। हमारे अभियान अक्सर हैशटैग और चुनौतियों को शामिल करते हैं जो उपयोगकर्ता की भागीदारी और साझा करने को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे हमारी दृश्यता बढ़ती है और नए ग्राहक आकर्षित होते हैं।

इसके अलावा, सोशल मीडिया मूल्यवान डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो हमारी मार्केटिंग रणनीतियों को सूचित करता है। फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर एनालिटिक्स टूल हमें उपयोगकर्ता जनसांख्यिकी, जुड़ाव दर और सामग्री कार्य निष्पादन को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। इस डेटा का विश्लेषण करके, हम रुझानों की पहचान कर सकते हैं, अपने अभियानों की प्रभावशीलता को माप सकते हैं और अपने दर्शकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकते हैं। यह डेटा-संचालित रणनीति सुनिश्चित करती है कि हमारे मार्केटिंग प्रयास लक्षित और कुशल हों, जिससे हमारे निवेश पर रिटर्न अधिकतम हो।

ग्राहक प्रतिक्रिया और बाजार अनुसंधान हमारे सोशल मीडिया उपस्थिति के अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम अपने ग्राहकों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और कठनाइयों को समझने के लिए पोल्स, सर्वेक्षण और प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया मांगते हैं। यह प्रतिक्रिया हमारे उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अमूल्य है कि वे ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों। सोशल मीडिया पर अपने ग्राहकों की बात सुनना हमें तेजी से बदलते बाजार में चुस्त और उत्तरदायी बने रहने में मदद करता है।

ग्राहकों के निर्णयों को प्रभावित करने और बिक्री बढ़ाने में सोशल मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्स्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ने शॉपिंग सुविधाओं को एकीकृत किया है, जिससे हम अपने उत्पादों और सेवाओं को सीधे बढ़ावा दे सकते हैं।

इन लाभों के अलावा, सोशल मीडिया हमें उद्योग के रुझानों के बारे में सूचित रहने और अपने प्रतिस्पर्धियों पर नज़र रखने की अनुमति देता है। नवीनतम विकास पर नज़र रखने और प्रतिस्पर्धी रणनीतियों का विश्लेषण करके, हम जल्दी से अनुकूलन कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सकते हैं। यह बुद्धिमत्ता हमारी रणनीतिक योजना के लिए महत्वपूर्ण है और विकास के नए अवसरों की पहचान करने में हमारी मदद करती है।

इसके अलावा, सोशल मीडिया संकट प्रबंधन के लिए एक अमूल्य उपकरण है। जनसंपर्क चुनौतियों या परिचालन संबंधी मुद्दों के समय, हम अपने हितधारकों के साथ पारदर्शी और तुरंत संवाद करने के लिए अपने सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करते हैं। समय पर अपडेट प्रदान करना और प्रश्नों/आशंकाओं की सीधा निराकरण हमें स्थितियों को प्रभावी ढंग से

प्रबंधित करने और अपने ग्राहकों के साथ विश्वास बनाए रखने में मदद करता है।

निष्कर्ष में, सोशल मीडिया हमारे बैंक के लिए एक शक्तिशाली संपत्ति है, जो ग्राहक जुड़ाव, ब्रांड स्टोरीटेलिंग और डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ाता है। यह हमारी ब्रांड जागरूकता को बढ़ाता है, क्रय निर्णयों को प्रभावित करता है और महत्वपूर्ण बाजार अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसा कि हम अपने सोशल मीडिया की उपस्थिति को नया रूप देना और विस्तारित करना जारी रख रहे हैं, हम अपने ग्राहकों को असाधारण मूल्य प्रदान करने और डिजिटल युग में बैंकिंग उद्योग में सबसे आगे रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विज्ञापन और मीडिया

विज्ञापन और मीडिया अभियान हमारे लक्षित दर्शकों तक पहुँचने और उनसे जुड़ने की हमारे बैंक की कार्यनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्त वर्ष 2024 में, हमने टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया सहित कई प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन पहल की एक श्रृंखला को जारी रखा है।

हमारे विज्ञापन अभियान हमारे कोर बैंकिंग उत्पादों, नवोन्मेष डिजिटल सेवाओं और संधारणीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने पर केंद्रित थे। हमने अपनी पहुंच और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए पारंपरिक और डिजिटल मीडिया का समन्वित प्रयोग किया। टेलीविज़न और रेडियो विज्ञापनों ने हमारे नवीनतम उत्पादों और ग्राहकों की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डाला, जबकि प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रिंट विज्ञापनों ने हमारी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत किया और हमारे प्रमुख संदेशों को संप्रेषित किया।

डिजिटल मीडिया हमारे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जिसमें लक्षित सोशल मीडिया अभियान, सर्च इंजन मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग रणनीतियाँ महत्वपूर्ण जुड़ाव को बढ़ावा देती हैं। हमने अपनी विज्ञापन रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे संदेश प्रासंगिक थे और उन्होंने हमारे दर्शकों पर प्रभाव छोड़ा। विज्ञापन और मीडिया के लिए इस एकीकृत दृष्टिकोण ने हमारी ब्रांड पहचान को बढ़ाया है और नए ग्राहकों को आकर्षित किया है।

प्रेस विज्ञप्तियाँ और मीडिया जुड़ाव

प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया सहभागिता के लिए हमारे बैंक की रणनीति पारदर्शिता बढ़ाने, प्रमुख उपलब्धियों को संप्रेषित करने और हमारे ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्त वर्ष 2024 में, हमने दर्शकों को व्यापक पहुँच के लिए विभिन्न मीडिया चैनलों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे हितधारकों को हमारे कार्यों और उपलब्धियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो।

पूरे वर्ष के दौरान, हमने नए उत्पाद लॉन्च, रणनीतिक साझेदारी और वित्तीय परिणामों जैसे महत्वपूर्ण विकास की घोषणा करने के लिए नियमित प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की हैं। ये प्रेस विज्ञप्तियाँ प्रमुख समाचार एजेंसियों के माध्यम से वितरित की गईं और प्रमुख वित्तीय प्रकाशनों में प्रमुखता से छापी गईं। सूचना के निरंतर प्रवाह को बनाए रखते हुए, हमने सुनिश्चित किया कि हमारे हितधारक हमारी प्रगति और हमारी उपलब्धियों से अद्यतित रहें।

हमारे सक्रिय मीडिया आउटरीच के परिणामस्वरूप प्रिंट, ऑनलाइन और प्रसारण मीडिया में व्यापक कवरेज हुआ। हमने पत्रकारों और संपादकों के साथ मिलकर काम किया ताकि उन्हें विस्तृत जानकारी और विशेष जानकारी प्रदान की जा सके, जिससे हमारी गतिविधियों पर सटीक और



अनुकूल रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो सके। मीडिया के साथ इस सहयोग ने हमारे संदेशों को विस्तारित करने और व्यापक रूप से दर्शकों तक पहुँचाने में मदद की है।

आर्थिक मंदी या परिचालन संबंधी समस्याओं जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, हमने जनता के साथ तुरंत और पारदर्शी तरीके से संवाद करने के लिए अपने मीडिया चैनलों का उपयोग किया। हमारे संकटकालीन संचार प्रयासों ने समय पर अपडेट प्रदान करने और प्रश्नों/ आशंकाओं की सीधा निराकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे विश्वास बनाए रखने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिली। स्पष्ट और उत्तरदायी होने के द्वारा, हमने पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का कार्य निष्पादन किया।

हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की दृश्यता बढ़ाना हमारी मीडिया सहभागिता रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। हमने उद्योग जगत के कार्यक्रमों में साक्षात्कार, राय व्यक्त करने और संभाषण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे हमारे प्रबंधन को बैंकिंग उद्योग पर अपने दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि और राय साझा करने का मौका मिला। इन अवसरों ने हमारे अधिकारियों को विचारशील नापकों के रूप में स्थापित किया और हमारे बैंक की विश्वसनीयता को बढ़ाया।

डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाते हुए, हमने सोशल मीडिया चैनल, वेबिनार और पॉडकास्ट को शामिल करने के लिए अपने मीडिया जुड़ाव का विस्तार किया। इन प्लेटफॉर्म ने हमें व्यापक और अधिक विविधतापूर्ण दर्शकों तक पहुँचने में सक्षम बनाया, जिससे हमारे हितधारकों के साथ अधिक बातचीत और जुड़ाव को बढ़ावा मिला। डिजिटल मीडिया के उपयोग ने हमें अधिक गतिशील और परस्पर संवादात्मक सामग्री बनाने को प्रेरित किया, जिससे हमारा संचार अधिक आकर्षक और प्रभावी हो गया।

हमने प्रमुख मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलकर कंटेंट बनाने और संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी भी बनाई। इन सहयोगों ने हमारी पहुंच और विश्वसनीयता को बढ़ाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमारे संदेश लक्षित ग्राहकों तक पहुँचे। सम्मानित मीडिया भागीदारों के साथ मिलकर काम करके, हम अपने संचार को बढ़ाने के लिए उनकी विशेषज्ञता और प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में सक्षम हुए।

कुल मिलाकर, हमारी प्रेस विज्ञप्तियाँ और मीडिया सहभागिता कार्यनीतियों ने जनता के साथ सीधा संवाद बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी निरंतर मीडिया उपस्थिति ने वर्तमान और संभावित ग्राहकों दोनों के बीच ब्रांड पहचान और जागरूकता को काफी हद तक बढ़ाया है। पारदर्शी और सक्रिय संचार ने हमारे बैंक के बारे में जनता की धारणा को मजबूत किया है, जो नवाचार, स्थिरता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। हितधारकों को सूचित और संलग्न रखकर, हमने अपने बैंक की स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं में उनके विश्वास को मजबूत किया है।

प्रायोजन

हमारा बैंक सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देने और हमारे ब्रांड मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रायोजनों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। सामाजिक जिम्मेदारी, वित्तीय साक्षरता और सामुदायिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ संरेखित करने के लिए इन प्रायोजनों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, हमने कई शैक्षिक कार्यक्रमों, खेल आयोजनों और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन किया है। वित्तीय साक्षरता

कार्यशालाओं और संगोष्ठियों को प्रायोजित करके, हमने व्यक्तियों और व्यवसायों को आवश्यक वित्तीय ज्ञान से सशक्त बनाया है। स्थानीय खेल आयोजनों में हमारी भागीदारी ने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दिया है, जबकि सांस्कृतिक प्रायोजन ने स्थानीय विरासत और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देकर हमारी सेवा प्राप्त करने वाले समुदायों को समृद्ध किया है।

ये प्रायोजन न केवल हमारी दृश्यता बढ़ाते हैं, बल्कि समाज के समग्र विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करते हैं, जिनमें हम काम करते हैं। स्थानीय संगठनों और संस्थानों के साथ साझेदारी करके, हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी प्रायोजन पहल का सार्थक और स्थायी प्रभाव हो।

सामुदायिक सहभागिता

सामुदायिक सहभागिता में हमारे बैंक का मूल मिशन है, समाज में सकारात्मक योगदान देना। वित्त वर्ष 2024 में, हमने अपने ग्राहकों और व्यापक समुदाय के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई सामुदायिक सहभागिता पहल शुरू की और उनमें भाग लिया।

हमारी प्रमुख सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, पर्यावरणीय स्थिरता परियोजनाएँ और सामाजिक कल्याण पहल शामिल थीं। हमने वित्तीय प्रबंधन और साक्षरता पर कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित किए, जिससे व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिली। वृक्षारोपण अभियान और सफाई अभियान जैसी हमारी स्थिरता परियोजनाओं ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

हमने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भी निवेश किया, स्वास्थ्य सेवा पहलों का समर्थन किया, वंचित बच्चों की शिक्षा और आपातकालीन राहत प्रयासों में मदद की। स्थानीय गैर-लाभकारी और सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी करके, हम महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने और समुदाय को ठोस लाभ प्रदान करने में सक्षम रहे।

इन सामुदायिक सहभागिता प्रयासों ने हितधारकों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत किया है और एक जिम्मेदार और देखभाल करने वाले कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। हम अपनी सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों का विस्तृत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम जिन समुदायों की सेवा करते हैं, उनके कल्याण और विकास में योगदान दें।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

वित्त वर्ष 2024 में, हमारे बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को हमारे मिशन के एक मूलभूत पहलू के रूप में प्राथमिकता देना जारी रखा, ताकि हम जिन समुदायों की सेवा करते हैं, उनके लिए सकारात्मक योगदान दे सकें। हमारी सीएसआर पहलों को वंचित आबादी के विकास का समर्थन करने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और सभी परिचालनों में नैतिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख फोकस बिन्दु एवं पहल :

वित्तीय साक्षरता और शिक्षा : हमने विभिन्न जनसांख्यिकी के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित किए, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को लक्षित करते हुए। इन शैक्षिक कार्यक्रमों ने बजट, बचत और निवेश

श्रवण

कार्यक्रम

पुष्प

नोटिस

सामाजिक

वित्तीय

रणनीतियों पर आवश्यक ज्ञान प्रदान किया, जिससे प्रतिभागियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाया गया।

पर्यावरणीय संधारणीयता(सस्टेनेबिलिटी) : पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमने कई स्थिरता परियोजनाएं शुरू कीं। इनमें वृक्षारोपण अभियान, सफाई अभियान और हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने की पहल शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, हमारे “ग्रीन बैंकिंग” कार्यक्रम ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, जिससे कागज के उपयोग और कचरे में काफी कमी आई।

सामुदायिक विकास : हमारे बैंक ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका उद्देश्य जीवन की स्थितियों में सुधार करना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करना था। हमने बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं को वित्त पोषित किया, जैसे कि स्कूलों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का निर्माण, और विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन किया। हमारे प्रयास विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर केंद्रित थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक सहायता मिले।

स्वास्थ्य सेवा पहल : स्वास्थ्य एवं कल्याण के महत्व को समझते हुए, हमने स्वास्थ्य सेवा पहलों में निवेश किया, जिससे आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित हुई। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्य शिविर और निवारक स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया कराना शामिल था। इसके अतिरिक्त, हमने अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया, जिससे उनके कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

कर्मचारी सहबद्धता और स्वयंसेवा : हमने अपने कर्मचारियों को स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे दान और सामुदायिक भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिला। कर्मचारियों ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं में अपना समय और कौशल स्वेच्छा से दिया, जिससे समाज की बेहतरी में योगदान मिला। इस सहबद्धता से न केवल समुदाय को लाभ हुआ बल्कि कर्मचारी संतुष्टि और टीम भावना भी बढ़ी।

प्रभाव और परिणाम:

बेहतर वित्तीय साक्षरता : हमारे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम 10,000 से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचे, और उन्हें अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ज्ञान वर्धित किया।

पर्यावरणीय प्रभाव : हमारी “ग्रीन बैंकिंग” पहल के माध्यम से, हमने कागज के उपयोग को 30% तक कम कर दिया, 5,000 पेड़ लगाए, और सफाई अभियान आयोजित किए, जिसमें 10 टन से अधिक कचरा एकत्र किया गया।

सामुदायिक लाभ : हमारी सामुदायिक विकास परियोजनाओं से 20,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला, जिससे अविकसित क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हुईं।

स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच : हमारी स्वास्थ्य सेवा पहलों ने ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में 15,000 से अधिक व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं, जिससे उनके स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

हमारी सीएसआर गतिविधियों ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में हमारी भूमिका को मजबूत किया है, जो समाज और पर्यावरण पर

सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य को देखते हुए, हम अपने सीएसआर प्रयासों को विस्तृत करने की योजना बना रहे हैं, जो हमारे समुदायों की आगामी जरूरतों को पूरा करने वाले अभिनव और सतत समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपने चल रहे और भविष्य की पहलों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं।

सतर्कता

वित्त वर्ष 2024 में, हमारे बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा अनिवार्य किए गए ईमानदारी और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता का कार्य निष्पादन किया। यह प्रतिबद्धता 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट थी। इस वर्ष के अभियान का विषय, “भ्रष्टाचार को न कहें-राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों”, संगठन भर में सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक गतिविधियों और पहलों की एक श्रृंखला को नींव थी।

कार्यशालाएँ और जागरूकता कार्यक्रम: हमने कर्मचारियों, उनके परिवारों और अन्य हितधारकों को लक्षित करते हुए कुल 316 कार्यशालाएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। ये सत्र प्रतिभागियों को हमारी संगठनात्मक नीतियों, प्रक्रियाओं और निवारक सतर्कता उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे जिन्हें ईमानदारी और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनाने की आवश्यकता है।

प्रतियोगिताएं और डिबेट: युवाओं को जोड़ने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, हमने विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों के लिए विभिन्न केंद्रों पर डिबेट, भाषण प्रतियोगिताएं और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के बच्चों के लिए वीडियो बनाने और ड्राइंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसका समापन अखिल भारतीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हुआ, जिसमें 1,684 कर्मचारियों ने भाग लिया।

ग्राम सभाएं और जन सहभागिता: 1,299 ग्राम सभाओं के आयोजन के माध्यम से सतर्कता जागरूकता फैलाने की हमारी प्रतिबद्धता ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित हुई। ये बैठकें भ्रष्टाचार के खतरों और शासन में पारदर्शिता के महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहीं।

आकर्षक गतिविधियाँ: जागरूकता अभियान को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, जहां हमारी शाखाएं और कार्यालय स्थित हैं वहां हमने 36 वॉकथॉन, 2 क्रिकेट मैच, नुक्कड़ नाटक बाइक रैलियां, प्रदर्शनियां और मानव श्रृंखला गतिविधियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए।

मीडिया और प्रकाशन: मुंबई में हमारे केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एमवी राव द्वारा “सेंट विजिल” पत्रिका का विमोचन किया गया। इस ई-जर्नल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह से संबंधित विभिन्न लेखों के साथ-साथ देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की तस्वीरें और मीडिया क्लिप भी शामिल थीं।

टाउन हॉल मीटिंग: हमने प्रमुख स्थानों पर टाउन हॉल मीटिंग का भी आयोजन किया, जिसमें ग्राहकों, कर्मचारियों और सीबीआई, पुलिस विभाग तथा वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया। इन बैठकों ने सतर्कता जागरूकता पर दर्शकों को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम: क्षमता निर्माण के हमारे निरंतर प्रयास में, हमने अपने कर्मचारियों के लिए खरीद, नैतिकता और शासन, संगठनात्मक प्रणाली और प्रक्रियाओं, और साइबर स्वच्छता और सुरक्षा जैसे विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हमारे कर्मचारियों की सतर्कता क्षमताओं को बढ़ाना था।

प्रणालीगत सुधार: पूरे वर्ष के दौरान, हमारे सतर्कता ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रणालीगत सुधार लागू किए गए। इनमें क्षेत्रीय संपत्ति सत्यापन प्रकोष्ठ की स्थापना, वाउचर अभिलेखीय प्रणाली की शुरुआत और ई-खरीद प्रक्रिया के बारे में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल है। हमारा बैंक सतर्कता और ईमानदारी के माहौल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे परिचालन उच्चतम नैतिक मानकों के साथ किए जाते हैं। ये पहल भ्रष्टाचार से निपटने और एक पारदर्शी और जवाबदेह संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

भविष्य की सतर्कता पहल: भविष्य को देखते हुए, हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तृत करके, अपने प्रणालीगत नियंत्रणों को बढ़ाकर, तथा अभिनव और प्रभावशाली जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से जनता और अपने कर्मचारियों के साथ जुड़ना जारी रखते हुए अपने सतर्कता प्रयासों को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। सतर्कता के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता स्थिरता, नैतिक शासन और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के हमारे व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करेगी।

मानव संपदा प्रबंधन

मानव संपदा प्रबंधन (एचसीएम) के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बैंक की सफलता को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रही है। वित्त वर्ष 2024 में, हमने रणनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जो कर्मचारी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और कल्याण पर जोर देती हैं। इस दृष्टिकोण ने हमें एक अधिक समावेशी, संलग्न और कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया है जो हमारे संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्र

नेतृत्व विकास

- कार्यक्रम और भागीदारी:** रणनीतिक सोच, टीम प्रबंधन और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- प्रभाव:** इन कार्यक्रमों में 1,100 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप संगठन के भीतर नेतृत्व क्षमताओं और उत्तराधिकार नियोजन में सुधार हुआ।

डिजिटल सशक्तिकरण

- उपकरण और प्रशिक्षण:** एचआरएमएस मॉड्यूल और जेनएआई -संचालित चैटबॉट, सेन्ट्रल चाणक्य जैसे डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों की शुरुआत ने कर्मचारियों को डिजिटल कौशल के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक त्वरित पहुंच प्रदान की।
- परिचालन दक्षता:** इन पहलों से परिचालन दक्षता और कर्मचारी सहभागिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

ज्ञानार्जन एवं विकास

- आयोजित कार्यक्रम:** व्यवसाय योजना के अनुरूप एक व्यापक प्रशिक्षण कैलेंडर लागू किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिचय, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और विशेष कार्यक्रम शामिल थे।
- ई-लर्निंग:** उपलब्ध ई-लर्निंग घंटों की संख्या 530 तक पहुंच गई, जिसमें 73.44% अधिकारियों और 50.66% क्लर्कों ने कम से कम एक मॉड्यूल पूरा किया।

कर्मचारी कल्याण

- कल्याण कार्यक्रम:** कार्यक्रमों में 24x7 टेली-मेडिकल परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) शामिल थे।
- भागीदारी दरें:** उच्च भागीदारी दरों ने कर्मचारी कल्याण में सुधार लाने में इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया।

समावेशन मापदंड

- कार्यबल विविधता:** विविधता और समावेशन पर हमारी नीतियों ने कार्यबल के भीतर महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है।
- पिछले वर्षों से तुलना:** विविधता मापदंड में निरंतर सुधार एक समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

प्रतिभा प्रबंधन एवं प्रतिधारण

- कार्यनीतियाँ:** हमारी प्रतिभा प्रबंधन कार्यनीतियाँ स्थिरता और डिजिटलीकरण विचारों को शामिल करने के लिए विकसित हुई हैं, जो ऑनबोर्डिंग, कार्यनिष्पादन प्रबंधन और प्रतिधारण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- प्रभावशीलता:** ये रणनीतियाँ कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारण के उच्च स्तर को बनाए रखने में प्रभावी साबित हुई हैं।

कर्मचारी विकास पहल

पहल	विवरण	भागीदारी और प्रभाव
नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम	रणनीतिक सोच, टीम प्रबंधन और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना.	1,105 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे नेतृत्व क्षमता में सुधार हुआ.
डिजिटल उपकरण और प्लेटफॉर्म	एचआरएमएस मॉड्यूल और सेन्ट्रल चाणक्य का कार्यान्वयन चैटबॉट.	परिचालन दक्षता और कर्मचारी सहभागिता में वृद्धि.
ज्ञानार्जन एवं विकास कार्यक्रम	व्यवसाय योजना के अनुरूप व्यापक प्रशिक्षण.	ई-लर्निंग मॉड्यूल सहित 91.83% समग्र प्रशिक्षण कवरेज.
स्वास्थ्य कार्यक्रम	मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए 24x7 टेली-मेडिकल परामर्श और ईएपी.	उच्च भागीदारी दर से जीवन स्तर में सुधार होगा.
विविधता और समावेशन नीतियां	महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नीतियां.	विविधता मापदंड में निरंतर सुधार.
प्रतिभा प्रबंधन रणनीतियाँ	संधारणीयता और डिजिटलीकरण के साथ ऑनबोर्डिंग, प्रदर्शन और प्रतिधारण कार्यनीतियाँ	कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारण बनाए रखने में प्रभावी.

भविष्य को देखते हुए, हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करके, डिजिटल उपकरणों को बेहतर बनाकर, और कर्मचारियों की भलाई और विविधता पर अपना ध्यान केंद्रित करके इन पहलों पर काम करना जारी रखेंगे. हमारा लक्ष्य एक सहायक और गतिशील कार्य वातावरण बनाना है जो सभी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है.

वित्त वर्ष 2024 में हमारी मानव संपदा प्रबंधन पहलों ने अधिक चुस्त और लचीले कार्यबल के लिए एक मजबूत नींव रखी है. नेतृत्व विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देकर, हम अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और उत्कृष्टता और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अच्छी स्थिति में हैं.

भर्ती और पदोन्नति

वित्त वर्ष 2024 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती और पदोन्नति की रणनीति शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने, आंतरिक विकास को बढ़ावा देने और बैंक के मानव संसाधनों को इसके रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी. हमारी मजबूत भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाएँ एक गतिशील और सक्षम कार्यबल बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं जो बैंक की सफलता को आगे बढ़ाती है.

भर्ती पहल

वित्त वर्ष 2024 के लिए हमारी भर्ती रणनीति हमारे विकास और नवाचार उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए सही कौशल और विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने पर केंद्रित थी. हमने अपनी तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं को मजबूत करने हेतु विशेष भूमिकाओं के लिए भर्ती पर महत्वपूर्ण जोर दिया.

भर्ती श्रेणी	भर्ती की संख्या
विशेषज्ञ अधिकारी	471
परिवीक्षा अधिकारी	1,739

भर्ती श्रेणी	भर्ती की संख्या
वेतनमान II अधिकारी (सीधी भर्ती)	10
वेतनमान III अधिकारी (सीधी भर्ती)	100
वेतनमान IV अधिकारी (सीधी भर्ती)	13
ग्राहक सेवा सहयोगी	579
कार्यालय सहायक (अनुकंपा के आधार पर)	30
सीएसए (अनुकंपा के आधार पर)	28

इन भर्ती प्रयासों से हमारे कार्यबल का विस्तार हुआ है और विभिन्न स्तरों और कार्यों में नई प्रतिभाएं सामने आई हैं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारे पास अनुभव और नए दृष्टिकोण का सही मिश्रण है.

पदोन्नति प्रक्रिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पदोन्नति योग्यता और कार्यनिष्पादन के आधार पर होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समर्पित और उच्च कार्य निष्पादन करने वाले कर्मचारियों को करियर में उन्नति के पर्याप्त अवसर मिलें. वित्त वर्ष 2024 के दौरान, हमने सभी वेतनमानों और संवर्गों में पदोन्नति प्रक्रियाएँ संचालित कीं, जिससे आंतरिक विकास और करियर विकास को बढ़ावा मिला.

पदोन्नति के परिणाम	पदोन्नत संख्या
सीएसए को वेतनमान -I अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया	196
अधिकारियों को उच्च वेतनमान पर पदोन्नत किया गया	1,203
अधिकारियों के स्थानांतरण अनुरोध पर विचार किया गया	840



भविष्य की भर्ती योजनाएँ

आगामी वर्ष में अपने कार्यबल को और अधिक मजबूत करने के लिए, हमने निम्नलिखित की भर्ती के लिए मांगपत्र जारी किया है:

- 2,000 परिवीक्षाधीन अधिकारी
- 2,000 लिपिक कर्मचारी
- 880 विशेषज्ञ अधिकारी

इसके अतिरिक्त, सेन्ट नियो परियोजना के लिए 85 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और हम प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और हमारी बोर्ड-अनुमोदित प्रशिक्षुता नीति के अनुरूप पूरे भारत में 3,000 अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती और पदोन्नति की रणनीतियां सुनिश्चित करती हैं कि हमारे पास अत्यधिक कुशल, प्रेरित और विविधतापूर्ण कार्यबल है। संरचित भर्ती और स्पष्ट पदोन्नति पथों के माध्यम से अपने कर्मचारियों में लगातार निवेश करके, हम उद्योग में एक अग्रणी बैंक और पसंदीदा नियोक्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

कर्मचारी लाभ

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के हित, सुरक्षा और संतुष्टि को बढ़ाने वाले व्यापक कर्मचारी लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लाभ कार्यक्रम कर्मचारियों को उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न चरणों में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक सहायक और प्रेरक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है।

स्वास्थ्य एवं कल्याण

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा:

- **समूह चिकित्सा बीमा:** सभी कर्मचारियों को समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है, जिसमें मूल बीमा द्वारा कवर नहीं किए गए अतिरिक्त खर्चों के लिए कॉर्पोरेट बफर शामिल होता है।
- **टेली-मेडिकल परामर्श:** हमने 1 अप्रैल, 2024 से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए 24x7 असीमित टेली-मेडिकल परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए क्विकवेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("प्रैक्टो") के साथ साझेदारी की है।
- **स्वास्थ्य जांच:** कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें प्रति व्यक्ति ₹ 5,000 तक की प्रतिपूर्ति की जाती है।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता:

- **कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी):** यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक चिंताओं, आत्म-विकास और आहार/पोषण परामर्श सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यवसायिक परामर्श प्रदान करता है।

विशेष स्वास्थ्य प्रावधान:

- **सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा:** सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निरंतर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया गया है। बीमा प्रीमियम से संबंधित वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सेवानिवृत्त लोगों को विशेष ऋण उपलब्ध हैं।
- **आंचलिक कार्यालयों पर डॉक्टर :** प्रत्येक आंचलिक कार्यालयों पर डॉक्टरों की नियुक्ति तथा कर्मचारियों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय और पारिवारिक सहायता

मातृत्व और पितृत्व लाभ:

- **मातृत्व अवकाश:** महिला कर्मचारियों को प्रति बच्चे छह महीने का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है।
- **पितृत्व अवकाश:** पुरुष कर्मचारियों के लिए प्रति बच्चे पंद्रह दिन का पितृत्व अवकाश उपलब्ध है।

शैक्षिक सहायता:

- **ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति:** बैंक सभी कर्मचारियों के अधिकतम दो बच्चों के लिए ट्यूशन फीस सहायता प्रदान करता है।
- **शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार:** यदि किसी कर्मचारी का बच्चा 10वीं या 12वीं कक्षा में उत्कृष्टता के साथ उत्तीर्ण होता है तो उसे 3,000 रुपये का पुरस्कार प्रदत्त किया जाता है।

विशेष भत्ते:

- **दिव्यांग बच्चे:** दिव्यांग बच्चों वाले कर्मचारियों को प्रति वर्ष 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **कैंटीन सब्सिडी:** ड्यूटी के दौरान भोजन और चाय-कॉफी के खर्च को कवर करने के लिए प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सेवानिवृत्ति और सम्मान

सेवानिवृत्ति लाभ:

- **व्यापक सेवानिवृत्ति पैकेज:** कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ), प्रेच्युटी, पेंशन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लाभ के लिए पात्र हैं।
- **परिवर्तनकालीन प्रशिक्षण:** सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुचारू परिवर्तन और समय प्रबंधन की सुविधा के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सम्मान समारोह:

- **स्मृति चिन्ह और विदाई समारोह:** सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब ₹15,000 मूल्य के उन्नत स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं। विदाई समारोह शाखा के आकार के आधार पर बजट के साथ आयोजित किए जाते हैं।

- **रजत जयंती पुरस्कार:** 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए रजत जयंती पुरस्कार की लागत की सीमा बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है।
- **दिवाली उपहार:** दिवाली के दौरान सभी कर्मचारियों को सद्भावना और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में ₹500 रुपये की कीमत वाली मिठाई या सूखे मेवे के पैकेट वितरित किए जाते हैं।

मनोरंजनात्मक एवं विविध लाभ

अवकाश एवं पारगमन गृह:

- **सुविधा की उपलब्धता:** बैंक ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत भर में प्रमुख स्थानों पर अवकाश और पारगमन गृहों की व्यवस्था की है।

खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

- **आवंटित बजट:** प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को खेल, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रतिवर्ष ₹1,50,000 और केंद्रीय कार्यालय को ₹5,00,000 आवंटित किया जाता है।
- **वार्षिक खेल दिवस और पारिवारिक मिलन समारोह:** इन कार्यक्रमों के आयोजन, कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच कार्य-जीवन संतुलन और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को ₹ 8,00,000 तक का बजट आवंटित किया जाता है।

बीमा और आपातकालीन सहायता:

- **कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा:** बैंक में कार्यरत सभी प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना या क्षति के लिए इस बीमा नीति द्वारा कवर किया जाता है।
- **अनुग्रह राशि भुगतान:** सेवा के दौरान निधन होने वाले कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें तत्काल अंतिम संस्कार व्यय और अतिरिक्त अनुग्रह राशि भुगतान शामिल है।

ये व्यापक कर्मचारी लाभ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपने कर्मचारियों के कल्याण और विकास के प्रति समर्पण को रेखांकित करते हैं, तथा एक सद्भावनापूर्ण और समृद्ध कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देते हैं।

कर्मचारी विकास

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, कर्मचारी विकास हमारे रणनीतिक लक्ष्यों की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारा कार्यबल गतिशील बैंकिंग वातावरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित है। वित्त वर्ष 2024 में, हमने नेतृत्व, डिजिटल सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई विकास कार्यक्रम लागू किए, जिन्होंने सामूहिक रूप से हमारे कर्मचारियों की क्षमता व कार्यनिष्पादन को बढ़ाया है।

नेतृत्व विकास

1. कार्यक्रम और सहभागिता:

- हमने विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के लिए विशेष नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं। ये कार्यक्रम रणनीतिक सोच, टीम प्रबंधन, विवाद समाधान एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने पर केंद्रित थे।

- **सहभागिता:** इन कार्यक्रमों से 1,100 से अधिक अधिकारी लाभान्वित हुए, जिनमें शामिल हैं:
 - आईआईएम बैंगलोर में महाप्रबंधकों और उप महाप्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया।
 - आईआईएम उदयपुर में सहायक महाप्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया।
 - एनआईबीएम में मुख्य प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया।
 - श्रेष्ठ कार्य करने वाले क्षेत्रीय प्रमुखों के लिए एनआईबीएम एवं केंट बिजनेस स्कूल में विदेशी कार्यक्रम।

प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
आईआईएम बैंगलोर में महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक	1	70
आईआईएम उदयपुर में सहायक महाप्रबंधक	1	187
एनआईबीएम में मुख्य प्रबंधक	1	834
एफएसआईबी द्वारा मनोनीत महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक	1	6
एनआईबीएम और केंट बिजनेस में विदेशी कार्यक्रम	1	8
कुल	5	1,105

डिजिटल सशक्तिकरण

1. डिजिटल उपकरण एवं प्लेटफॉर्म:

- कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जानकारी तक तुरंत पहुंच प्रदान करने और निर्बाध संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए एचआरएमएस मॉड्यूल और जेएआई -संचालित चैटबॉट, सेन्ट्रल चाणक्य जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किए और उन्हें उन्नत किया।
- इन उपकरणों ने परिचालन दक्षता और कर्मचारी सहभागिता में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की उभरती मांगों के प्रति अधिक तत्पर प्रतिक्रिया संभव हो सकी है।

2. ई-शिक्षण:

- हमारी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) में उपलब्ध ई-लर्निंग मॉड्यूल के घंटों की संख्या 530 घंटे तक पहुंच गई, जिसमें बैंकिंग परिचालन, अनुपालन और जेएआईआईबी तथा सीएआईआईबी जैसे प्रमाणिक कार्यक्रमों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- **अधिग्रहण दर:** 73.44% अधिकारियों और 50.66% क्लर्कों ने कम से कम एक ई-लर्निंग मॉड्यूल पूरा किया, कुल मिलाकर 19,030 कर्मचारियों द्वारा 126,399 मॉड्यूल पूरे किए गए।

क्षमता निर्माण

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- बैंक की व्यवसायिक योजना के साथ एक व्यापक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया, जिसमें प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विशेष कार्यशालाएं और कार्यक्षेत्र-वैशिष्ट्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए.
- प्रमुख क्षेत्रों में शाखा प्रबंधन, वसूली उपकरण, एमएसएमई व्यवसाय, अनुपालन और कासा मोबिलाइजेशन शामिल थे.

2. कार्यपालकों को व्यक्तिपरक कोर्चिंग:

- 300 से अधिक कार्यपालकों को नेतृत्व कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए वैयक्तिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

कर्मचारी सहभागिता एवं सम्मान

1. सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया:

- मासंप्र नीतियों के प्रभाव का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण सह एचआरडी ऑडिट आयोजित किया गया. मापदंडों में एचआरडी संस्कृति, कार्यनिष्पादन प्रबंधन, ज्ञानार्जन एवं विकास और कैरियर विकास सम्मिलित थे.

2. पुरस्कार और मान्यता/स्वीकरण:

- सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, मनोबल बढ़ाने एवं उनकी उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए सेन्ट्रल प्रेज (सेवा और उत्कृष्टता के लिए व्यक्तियों व टीमों को पुरस्कृत और उनकी प्रशंसा करने का कार्यक्रम) जैसे कार्यक्रम आरंभ किए गए.

भावी पहल

वित्त वर्ष 2024 में कर्मचारी विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने हमारे कार्यबल को मजबूत किया है, परिचालन दक्षता को बढ़ाया है, और निरंतर ज्ञानार्जन करने व सुधार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है. अपने कर्मचारियों में निवेश करके, हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक लचीलेदार एवं फुर्तीले संगठन का निर्माण कर रहे हैं. भविष्य के दृष्टिकोण से, डिजिटल उपकरणों को और अधिक एकीकृत करने व कर्मचारी कल्याण तथा विविधता पर मजबूत ध्यान केंद्रण के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजना बना रहा है. इन पहलों का उद्देश्य एक सहायक और गतिशील कार्य वातावरण बनाना है जो वैयक्तिक व व्यवसायिक विकास दोनों को बढ़ावा देता है.

औद्योगिक संबंध

वित्त वर्ष 2024 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच आपसी सम्मान और सक्रिय संचार द्वारा रेखांकित सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा. इस दृष्टिकोण ने बैंक के सुचारू संचालन व उसके कर्मचारियों के हित को सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी वातावरण को सुगम बनाया.

संकट प्रबंधन और हड़ताल से निपटने की तैयारी

औद्योगिक कार्रवाइयों के कारण संभावित व्यवधानों को कम करने के लिए, बैंक ने वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा उल्लिखित संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) का पालन किया. दिनांक 22 दिसंबर, 2023 को अद्यतन की गई इस योजना में बैंकिंग उद्योग के भीतर लंबे समय तक हड़ताल से निपटने के प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल दिए गए हैं. एक समर्पित संकट प्रबंधन टीम का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महाप्रबंधक शामिल थे:

1. महाप्रबंधक- मासंप्र (नोडल अधिकारी/समन्वयक)
2. महाप्रबंधक- परिचालन
3. महाप्रबंधक- सूचना प्रौद्योगिकी
4. महाप्रबंधक- डिजिटल भुगतान एवं ट्रांजैक्शन बैंकिंग
5. (वैकल्पिक महाप्रबंधक - महाप्रबंधक- कृषि)

इस टीम ने संकटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उद्योग स्तर पर निगरानी समिति के साथ मिलकर कार्य किया. संकट प्रतिक्रिया रणनीतियों की समीक्षा एवं अद्यतन के उद्देश्य से बैंक स्तर पर संकट प्रबंधन टीम की बैठक दिनांक 1 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई थी.

शिकायत निवारण तंत्र

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर्मचारियों की समस्याओं को तुरंत और पारदर्शी तरीके से दूर करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है. यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सभी अभ्यावेदन, विशेष रूप से मानवाधिकारों से संबंधित, क्षेत्रीय और आंचलिक दोनों स्तरों पर निष्पक्ष एवं कुशलतापूर्वक निपटाए जाएं. बैंक ने सभी प्राप्त अभ्यावेदनों की तिमाही समीक्षा व मूल्यांकन के लिए एक बोर्ड का गठन भी किया, जिससे नैतिक मानकों व उनके अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता मजबूत हुई.

नैतिक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना

नैतिक आचरण और विचलन के लिए शून्य सहिष्णुता पर बैंक की नीतियां स्वस्थ कार्य वातावरण को बनाए रखने का अभिन्न अंग हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कर्मचारी उच्च नैतिक मानकों का पालन करें "आचार संहिता" और "व्यवसायिक आचरण एवं हितों के टकराव" नीतियों जैसी पहलों को कड़ाई से लागू किया गया. इसके अतिरिक्त, नैतिक व्यवहार के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए इन विषयों पर नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए.

कर्मचारी प्रतिनिधित्व और यूनियन संबंध

बैंक का कार्यबल कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा, जो औद्योगिक सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वित्त वर्ष 2024 तक, 86.12% स्थायी कर्मचारी ऐसे एसोसिएशनों का

भाग थे, जो सामूहिक वार्ता और प्रतिनिधित्व की एक मजबूत संस्कृति को दर्शाता है।

वर्ग	वित्त वर्ष 2024	कुल कर्मचारियों का %	वित्त वर्ष 2023	कुल कर्मचारियों का %
कुल स्थायी कर्मचारी	31,610	86.12%	30,770	89.89%
- पुरुष	23,256	87.50%	23,022	89.71%
- महिला	8,354	88.28%	7,748	90.43%

प्रशिक्षण एवं विकास

पूरे वर्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों तथा कौशल उन्नयन पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों ने सुनिश्चित किया कि सभी कर्मचारी उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों।

वर्ग	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रशिक्षण	% कवरेज	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	% कवरेज
पुरुष	23,256	100%	21,273	91.47%
महिला	8,354	100%	7,754	92.82%
कुल	31,610	100%	29,027	91.83%

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है एवं बैंक ने “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” के अनुरूप दिशा-निर्देश लागू किए हैं। ऐसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए सभी प्रशासनिक कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित की गई हैं।

यौन उत्पीड़न की शिकायतें	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतें	1	1
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	3	5
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	4	4
वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	0	1

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंध, नैतिक मानक और सद्भावनापूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखने की प्रतिबद्धता, एक उत्पादक व सामंजस्यपूर्ण कार्यस्थल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है। सक्रिय प्रबंधन और कर्मचारी यूनियनों के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वह बैंकिंग उद्योग में एक पसंदीदा नियोक्ता बना रहे।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का सावधानीपूर्वक पालन करता है। यह नीति कार्यबल के सभी संवर्गों में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इन दिशा-निर्देशों का बैंक द्वारा पालन संगठन के भीतर विविधता और समावेश को बढ़ावा देने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रमुख उपाय और पहल

1. नीति कार्यान्वयन और निगरानी:

- केंद्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ आरक्षण नीति के सतत कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ आरक्षण से संबंधित सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है।
- एक मुख्य संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की देखरेख करता है, शिकायतों का समाधान करता है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है।

2. आरक्षण रोस्टर:

- आरक्षण रोस्टर सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक बनाए रखे जाते हैं। पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन रोस्टर का नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

3. शिकायत निवारण :

- एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति की स्थापना की गई है। किसी भी मुद्दे या शिकायत को दूर करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं के तत्काल समाधान हेतु भी एक ऐसी समिति उपलब्ध है।

4. आवधिक समीक्षा और लेखापरीक्षा:

- बैंक आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कल्याणकारी संघों और महासंघों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है।
- आरक्षण रोस्टरों का निरीक्षण वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के संपर्क अधिकारियों द्वारा किया जाता है।



5. जागरूकता और सहबद्धता:

- क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर वार्ता और निगरानी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्यों जैसे गणमान्य व्यक्तियों के दौरे आयोजित किए जाते हैं.
- इस वार्ता से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थितियों का मूल्यांकन करने और उनका समाधान करने में मदद मिलती है.

प्रतिनिधित्व सांख्यिकी

31 मार्च, 2024 तक विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

संवर्ग	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
अधिकारी	18,621	3,360	1,625	5,758
लिपिक	8,204	1,525	815	2,244
अधीनस्थ कर्मचारी	4,785	1,624	431	1,316
कुल	31,610	6,509	2,871	9,318

भर्ती और पदोन्नति

वित्त वर्ष 2024 में, बैंक ने आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों की सक्रिय रूप से भर्ती की और उन्हें पदोन्नत किया:

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
अधिकारी, लिपिक, अधीनस्थ कर्मचारी भर्ती	454	236	782

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया एक समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो विविधता का सम्मान करता है और उसे बढ़ावा देता है. आरक्षण नीति को लागू करने और उसकी कड़ी निगरानी करके, बैंक सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, सामाजिक समानता और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है.

सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (सीबीएचएफएल) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मामूली वृद्धि की है. कंपनी की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियाँ (एयूएम) ₹ 1553.43 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.74% की वृद्धि दर्शाती है.

लाभप्रदता के संदर्भ में, सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन लाभ ₹ 39.43 करोड़ दर्ज किया और कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹ 25.10 करोड़ तक पहुंच गया. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल स्वीकृतियाँ ₹ 412.04 करोड़ थीं और संवितरण राशि ₹ 369.84 करोड़ थी.

सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता पर मजबूत ध्यान केंद्रित किया. पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध एनपीए (एनएनपीए) में सुधार हुआ और यह 2.39% हो गया. कंपनी की पूंजी पर्याप्तता स्थिति 15% की नियामक आवश्यकता से अधिक होकर पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 18.84% के साथ सुदृढ़ बनी हुई है. यह ठोस पूंजी आधार कंपनी की अपने परिचालन को बनाए रखने और भविष्य की विकास पहलों का समर्थन करने की क्षमता सुनिश्चित करता है.

पिछले वर्ष बजाज अलायंस के साथ नया बीमा व्यवसाय आरंभ करने पर वृद्धि देखी गई तथा पिछले वर्ष के ₹ 8.43 लाख की तुलना में ₹ 12.24 लाख कमीशन आय अर्जित की गई.



सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 तक (CIN: U65922MP1991PLC006427)

विवरण	नोट संख्या	31.03.2024	31.03.2023
		तक	तक
		₹ लाख में	₹ लाख में
ए इक्विटी और देयता			
1 शेयरहोल्डर की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	2	2,500.00	2,500.00
(बी) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	3	18,893.82	16,383.71
		21,393.82	18,883.71
2 गैर चालू देयताएं			
(ए) दीर्घकालिक उधार	4	80,858.83	72,559.34
(बी) आस्थगित कर देयताएं	3a	1,109.90	1,075.45
(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं		-	-
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	2,813.06	2,244.39
		84,781.79	75,879.18
3 वर्तमान देयताएं			
(ए) अल्पकालिक उधार	6	41,609.73	41,453.93
(बी) व्यापारिक देयताएं			
(i) एमएसएमई का कुल बकाया	7	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	7	78.16	239.47
(सी) दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता	8	13,088.86	12,995.22
(डी) अन्य चालू देयताएं	9	1,394.39	745.90
(ई) अल्पकालिक प्रावधान	10	189.89	218.12
		56,361.03	55,652.64
	कुल	162,536.64	150,415.53
बी परिसंपत्तियां			
1 गैर चालू परिसंपत्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	11	51.65	37.69
		51.65	6,159,589.05
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	11b	-	-
(बी) गैर- चालू निवेश	12	4,836.50	4,837.13
(सी) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13	134,575.59	121,995.79
(डी) अन्य गैर- चालू परिसंपत्तियाँ	14	664.14	1,135.48
		140,127.88	128,006.09
2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(ए) नकद एवं नकद समकक्ष	15	312.82	2,222.55
(बी) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	16	20,767.66	19,564.67
(सी) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	17	1,328.28	622.22
		22,408.76	22,409.44
	कुल	162,536.64	150,415.53



सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड का लाभ एवं हानि दिनांक 31 मार्च 2024 तक (CIN: U65922MP1991PLC006427)

विवरण	नोट संख्या	दिनांक	दिनांक
		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
		₹ लाख में	₹ लाख में
ए आय			
1 परिचालन से राजस्व	18	16,202.54	14,092.92
2 अन्य आय	19	27.34	-
3 कुल आय (1+2)		16,229.88	14,092.92
बी व्यय			
4 (ए) कर्मचारी लाभ व्यय	20	1,290.48	1,132.45
5 (बी) वित्त लागत	21	9,384.07	7,625.33
6 (सी) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	11a	17.29	11.56
7 (डी) अन्य खर्च	22	1,594.93	1,135.35
8 (ई) मानक संपत्ति के लिए प्रावधान	23	(130.68)	11.11
9 (एफ) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		526.27	607.02
10 (जी) बट्टे खाते में डालना		-	-
11 कुल खर्च (4+5+6+7+8+9+10)		12,682.36	10,522.82
सी कर पूर्व लाभ और असाधारण मदें (3-11)		3,547.52	3,570.10
डी असाधारण मदें			
जोड़ें:- असाधारण मदें	24	-	-
कम:- पूर्व अवधि समायोजन		163.43	(14.63)
इ कर पूर्व लाभ / (नुकसान)		3,384.09	3,584.73
एफ कर व्यय:			
(ए) चालू वर्ष कर व्यय		840.02	442.40
(बी) पिछले वर्षों के कर के लिए प्रावधान		(0.48)	(1.78)
(सी) उपर्युक्त के अलावा वर्तमान वर्ष की आस्थगित कर देयताएं/(संपत्तियां)		(93.57)	398.75
(डी) वर्तमान वर्ष के विशेष प्रारक्षित निधि पर आस्थगित कर देयताएं		128.02	69.30
कर व्यय		873.99	908.67
जी सतत परिचालन से लाभ (ई- एफ)		2,510.10	2,676.06
एच वर्ष के लिए लाभ		2,510.10	2,676.06
(ईबीआईटीडीए को बताए बिना लाभ और हानि का विवरण)			
आई आय प्रति शेयर करना (का रु.10/- प्रत्येक):			
ए) बेसिक		10.04	10.70
बी) डायल्यूटेड		10.04	10.70
जे एनएचबी/ आरबीआई के अनुसार खातों और प्रकटीकरण के लिए नोट्स	24		

के बारे में

कार्यनीति

पुंजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सीएफएसएल) ट्रस्टीशिप सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने में दक्ष है, जिसमें डिबेंचर/प्रतिभूति ट्रस्टीशिप, एक्जीक्यूटिव और ट्रस्टीशिप, और निजी और धर्मार्थ ट्रस्टों का प्रबंधन शामिल है। कंपनी डिबेंचर ट्रस्टीशिप गतिविधियों को करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत है।

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, सीएफएसएल ने ₹ 2.98 करोड़ का कर-पश्चात शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1.62 करोड़ के शुद्ध लाभ की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

प्रत्येक खंड के लिए आय का विवरण इस प्रकार है।

वित्त वर्ष 2023-24 में निष्पादक ट्रस्टीशिप से प्राप्त फीस ₹ 1,50,64,886 थी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह ₹ 49,90,675 थी। वित्त वर्ष 2023-24 में डिबेंचर और प्रतिभूति ट्रस्टीशिप से प्राप्त फीस ₹ 1,53,66,722 तक पहुँच गई, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹ 62,97,669 थी। दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा से प्राप्त फीस वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 4,700 थी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह ₹ 34,300 थी। वित्त वर्ष 2023-24 में ब्याज और लाभांश सहित अन्य आय कुल ₹ 2,24,64,847 रही, जो वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित ₹ 2,39,23,400 से थोड़ी कम है। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल आय ₹ 5,29,01,155 थी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह ₹ 3,52,46,044 थी।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹ 595.98 रही, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दर्ज ₹ 324.50 से काफी अधिक है।


सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बैलेंस शीट

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2024 के अनुरूप	31 मार्च 2023 के अनुरूप
I. इक्विटी और देयताएं			
1 शेयरधारकों की निधि			
(ए) शेयर पूंजी	1	500.00	500.00
(बी) आरक्षित और अधिशेष	2	3,248.42	3,050.43
2 गैर चालू देयताएं			
(ए) अन्य दीर्घावधि देनदारियों	3	70.76	70.76
(बी) दीर्घावधि प्रावधान	4	6.17	6.82
3 चालू देयताएं			
(ए) अन्य चालू देनदारियां	5	1,608.83	1,107.01
(बी) अल्पावधि प्रावधान	6	1.44	0.68
कुल		5,435.62	4,735.70
बी आस्तियां			
1 गैर चालू आस्तियां			
(ए) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	7		
(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण		9.34	3.99
(ii) अमूर्त संपत्तियां		0.20	0.30
(iii) पूंजी कार्य - प्रगति पर		-	-
(बी) गैर-चालू निवेश	8	597.60	597.60
(सी) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	9	3.50	3.02
(डी) अन्य गैर-चालू आस्तियां	10	2,554.26	203,5.67
2 चालू आस्तियां			
(ए) चालू निवेश	11	-	-
(बी) व्यापार प्राप्तियां	12	9.19	3.62
(सी) नकद और नकद समकक्ष	13	2,160.16	2,005.61
(डी) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	101.37	85.89
कुल		5,435.62	4,735.70

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

द्वितीय

सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का लाभ एवं हानि

विवरण	टिप्पण	वर्षांत 31 मार्च 2024 तक (₹ लाखों में)	वर्षांत 31 मार्च 2023 तक (₹ लाखों में)
आय			
परिचालन से राजस्व	15	304.37	113.23
अन्य आय	16	224.64	239.23
I. कुल आय (1+2)		529.01	352.46
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	17	71.72	73.63
वित्त लागत	18	2.13	0.68
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	19	79.43	76.64
II. कुल व्यय		153.28	150.95
III. कर पूर्व लाभ/हानि	(I- II)	375.73	201.51
IV. कर व्यय:			
(1) वर्तमान कर		97.00	41.00
(2) आस्थगित कर		(0.48)	(1.57)
(3) पूर्व वर्ष कर व्यय		(18.78)	(0.17)
V. अवधि के लिए लाभ/ हानि		77.74	39.26
VI. प्रति शेयर आय	(III-IV)	297.99	162.25
₹ 1000/- प्रत्येक के बराबर मूल्य के इक्विटी शेयर			
(ए) बेसिक (में ₹)		595.98	324.50
(बी) डाइल्यूटिड (में ₹)		595.98	324.50



सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल)

बैंक वर्तमान में सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ साझेदारी में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में कार्य करता है। सभी परिचालन केंद्रीकृत हैं तथा हमारे नोडल कार्यालय, कैपिटल मार्केट सेल के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं, जो फोर्ट, मुंबई में इमार्जिंग बिजनेस ब्रांच में स्थित है।

सभी शाखाएँ ओएलएओ (सीडीएसएल सॉफ्टवेयर) का उपयोग करके डीमैट खाते खोलने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक मोतीलाल ओसवाल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ गठजोड़ के माध्यम से 3-इन-1 ई-ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करता है, जो ट्रेडिंग, डीमैट और बचत खातों को जोड़ती है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक, बैंक के पास 27,716 डीमैट खाताधारक हैं। कैपिटल मार्केट सेल सेवाओं के लिए नोडल कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है।

इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईजेडबीएल)

जाम्बिया में इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड, जाम्बिया गणराज्य की सरकार तथा भारत सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसका प्रतिनिधित्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा किया जाता है। प्रत्येक भारतीय बैंक के पास 20% इक्विटी हिस्सेदारी है, जबकि औद्योगिक विकास निगम (आईडीसी), एक सरकारी स्वामित्व वाली निवेश कंपनी, जाम्बियन सरकार की ओर से शेष 40% हिस्सेदारी रखती है।

सन् 1984 में स्थापित, बैंक कैलेंडर वर्ष के आधार पर काम करता है। दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक, हमारे बैंक के पास कुल 8,32,00,000 शेयर हैं, जिनका मूल्य प्रत्येक क्वाचा 1 है। बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में जमा राशि में 27.37% की वृद्धि (कुल 12673.12 मिलियन क्वाचा) और अग्रिमों में 39.49% की वृद्धि (कुल 5820.41 मिलियन क्वाचा) के साथ उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाया है। बैंक ने पहली बार क्वाचा 1 बिलियन के परिचालन लाभ को पार किया है। अपने मजबूत कार्य निष्पादन के साथ, बैंक अब परिसंपत्ति के आधार पर जाम्बिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा बैंक बन गया है। दिनांक 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के लिए, इंडो जाम्बिया बैंक ने रुं 604.33 एमआईओ (रु. 193.82 करोड़ के बराबर) का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इसके अतिरिक्त, हमें वर्ष 2023 के लिए इंडो जाम्बिया बैंक से 6.83 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभांश प्राप्त हुआ है।

आरआरबी डाटा

दिनांक 31.03.2024 तक का विवरण	राशि ₹ करोड़ में				
आरआरबी का नाम, उसका मुख्यालय एवं राज्य	जिला एवं राज्य की संख्या	कुल जमा	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल	5/142	4,501.61	3,716.31	151.75	81.01
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, बिहार	18/1027	19,266.18	13,908.15	1,873.88	90.89

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

1) बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य अपने व्यवसाय के संचालन में नैतिक प्रथाओं का पालन करना और प्रकटीकरण और पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए शेयरधारकों के विश्वास को बढ़ाना है। बैंक ने सर्वोत्तम प्रथाओं और सुशासन के मानकों को अपनाया है जिनकी निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। बोर्ड, कार्यपालकों और अन्य पदाधिकारियों ने बेहतर प्रसिद्धांत और शेयरधारकों के विश्वास में वृद्धि के कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है।

बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किंतु बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत एक निगमित निकाय है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों का उस सीमा तक अनुपालन करता है, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपकरणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, निर्देश आदि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।




2) निदेशक मंडल

ए) निदेशक मंडल की संरचना

बैंक का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के अनुरूप किया गया है। बैंक के व्यवहार और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं। जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथासंशोधित, आरबीआई दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है।

बैंक के बोर्ड में दिनांक 31.03.2024 के अनुसार 04 कार्यपालक निदेशक, 02 गैर-कार्यपालक निदेशक (एक महिला निदेशक सहित) तथा 03 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।



बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश बैंक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित कौशल, विशेषज्ञता या योग्यताएं निर्धारित करते हैं:

- लेखांकन
- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र



- vi. वित्त
vii. विधि
viii. लघु उद्योग
ix. सूचना प्रौद्योगिकी
x. सार्वजनिक नीति आदि, अथवा अन्य किसी मामले में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव जो रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी है। बैंक के निदेशक मंडल जिनके पास व्यावसायिक ज्ञान, कौशल और अनुभव है, एक स्थायी व्यवसाय विकास के माध्यम से मूल्य सृजन हेतु एक सक्षम वातावरण तैयार करते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) के अनुसार, बैंक के व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, एवं प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। बोर्ड की जिम्मेदारियों में नीतियों का निर्माण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा, बैंक के नियामक एवं सांविधिक अनुपालन पर पर्यवेक्षण, विभिन्न पदाधिकारियों को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करना तथा समग्र पर्यवेक्षण का प्रयोग करना, बैंक के विभिन्न कार्यात्मक प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे वित्तीय प्रतिबंधों का पालन करना शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी (लिस्टिंग दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत समय-समय पर जारी शक्तियों के अनुसार कार्य करते हैं।

दिनांक 01.04, 2024 से दिनांक 31.03.2024 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी।

क्रम सं.	नाम	ग्रहित पद	अवधि(से-तक)	दिनांक 31.03.2024 को धारित बैंक के इक्विटी शेयरों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडियाके बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता		दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की निदेशकता	क्या दिनांक 30.06.2023 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया था
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री एम.वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्ण कालिक निदेशक)	01.03.2021 से	शून्य	बैंकिंग	एसआरसी	एसीबी**	1. यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कं. लिमिटेड 2. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया 3.आईआईबीएफ	हां.
2.	श्री विवेक वाही	कार्य पालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	दिनांक 10.03.2021 से	शून्य	बैंकिंग	एसआरसी	शून्य	1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड	हां
3.	श्री राजीव पुरी	कार्य पालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	दिनांक 10.03.2021 से दिनांक 30.06.2023	शून्य	बैंकिंग	शून्य	शून्य	शून्य	हां
4.	श्री एम वी मुरली कृष्णा	कार्यपालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	दिनांक 01.12.2022 से	12025	बैंकिंग	एसआरसी	शून्य	1. सेन्ट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड 2. सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड	हाँ
5.	श्री महेंद्र दोहरे	कार्यपालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	दिनांक 09.10.2023 से	शून्य	बैंकिंग	एसआरसी	शून्य	शून्य	नहीं

केबारे:म

कार्यनीति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

क्रम सं.	नाम	ग्रहित पद	अवधि(से-तक)	दिनांक 31.03. 2024 को धारित बैंक के इक्विटी शेयरों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाके बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता		दिनांक 31.03. 2024 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की निदेशकता	क्या दिनांक 30.06.2023 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया था
						सदस्य	अध्यक्ष		
6.	श्री हार्दिक मुकेश शेट	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	दिनांक 11.04.2022 से	शून्य	बैंकिंग और वित्तीय	शून्य	शून्य	शून्य	नहीं
7.	श्री पी जे थॉमस	आरबी- आई द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	दिनांक 28.09.2020 से दिनांक 14.07.2023	शून्य	बैंकिंग और वित्तीय	शून्य	शून्य	शून्य	नहीं
8	श्रीमती चारुलता एस कर	आरबी- आई द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	दिनांक 14.07.2023 से	शून्य	बैंकिंग और वित्तीय	एसीबी	शून्य	शून्य	नहीं
9	श्री दिनेश पांगती	शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	दिनांक 01.07.2021 से	100	वित्तीय	एसआरसी	शून्य	शून्य	हां
10	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	दिनांक 21.12.2021 से	शून्य	वित्तीय	एसीबी	शून्य	शून्य	हां
11	श्री प्रियव्रत शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (लेखापरीक्षक श्रेणी)	दिनांक 08.05.2023 से	शून्य	वित्तीय	एसआरसी	एसीबी	शून्य	हां

* एसीबी का आशय बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति है तथा एसआरसी का आशय स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी है.

** यूनाइटेड इंडिया इश्युरेंस कम्पनी लिमिटेड में एसीबी के अध्यक्ष

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में हुए बदलाव :

- श्री प्रियव्रत शर्मा को केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 08.05.2023 से लेखापरीक्षक श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री राजीव पुरी दिनांक 30.06.2023 बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण बैंक के कार्यकारी निदेशक नहीं हैं.
- श्रीमती चारुलता एस कर को केन्द्र सरकार द्वारा श्री पीजे थॉमस के स्थान पर दिनांक 14.07.2023 से बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री महेंद्र दोहरे को केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 09.10.2023 से बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था.

दिनांक 31.03.2024 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल की संक्षिप्त प्रोफाइल

1. श्री एम वी राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री एम.वी राव दिनांक 1 मार्च, 2021 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री राव ने तीन साल से अधिक समय तक केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवाएं दी हैं।

एक अनुभवी बैंकर, श्री राव कृषि में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने वर्ष 1988 में तत्कालीन इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) के साथ अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। नेतृत्वकारी भूमिकाओं में साढ़े तीन दशकों से अधिक अनुभव के साथ, श्री राव बैंकिंग के सभी पहलुओं जैसे- कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल आस्ति, कोष प्रबंधन, मानव संसाधन, ऋण नीति और निगरानी, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, डिजिटल बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन आदि में भी विशेषज्ञता रखते हैं।

कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री राव की देखरेख में केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का सुचारू विलय हुआ।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो अब डिजिटल बैंक में परिवर्तन के एक उन्नत चरण में है, इस कार्यनिष्पादन का श्रेय श्री राव को ही जाता है। उनके नेतृत्व में, बैंक ने बैंकिंग परिचालन के सभी पहलुओं में तेजी से प्रगति की है।

आईबीए द्वारा गठित वार्ता समिति के अध्यक्ष होने के नाते, श्री राव ने आईबीए एवं यूनियनों/ बैंकिंग क्षेत्र में अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के मध्य हाल ही में हस्ताक्षरित उद्योग-स्तरीय वेतन संशोधन समझौता/ संयुक्त नोट को सुचारू एवं समय पर संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री राव भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, वे भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि समिति के सदस्य, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), मुंबई के अध्यक्ष, बैंकिंग और वित्तीय संस्थान (आईआईबीएफ), मुंबई के उपाध्यक्ष एवं भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य भी हैं।

हाल ही में, श्री राव को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है।

2. श्री विवेक वाही, कार्यपालक निदेशक

श्री विवेक वाही ने दिनांक 10 मार्च, 2021 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण करने से पहले, वह बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक थे।

उन्होंने एनआईटी, कुरुक्षेत्र से बी.टेक पूरा करने के बाद 1990 में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में बैंकिंग उद्योग (बैंक ऑफ इंडिया) में

कार्यग्रहण किया।

उनके पास बैंक के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों जैसे ब्रांच बैंकिंग, ओवरसीज डीलिंग रूम, लार्ज कॉर्पोरेट्स क्रेडिट शाखा के प्रमुख आंचलिक प्रबंधक, ट्रेजरी प्रमुख, फील्ड महाप्रबंधक आदि में काम करने का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है। उन्हें बिजनेस मिक्स पैरामीटर्स पर सबसे बड़े अंचल, मुंबई दक्षिण अंचल के आंचलिक प्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया गया। उन्होंने 2 साल से अधिक समय तक मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने बैंक के उत्तरी क्षेत्र जिसके अंतर्गत 6 राज्य आते हैं, के फील्ड महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

3. श्री एम वी मुरली कृष्णा, कार्यपालक निदेशक

श्री एम वी मुरली कृष्णा ने दिनांक 01 दिसंबर, 2022 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले, वह बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक थे।

श्री एम.वी. मुरली कृष्णा बैंकिंग और फाइनेंस में एमबीए हैं। उन्होंने परिवीक्षा अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अपना करियर शुरू किया, उन्हें तीन दशकों से अधिक का नेतृत्वकारी एवं पेशेवर बैंकिंग अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे- कॉर्पोरेट क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, ग्रामीण और कृषि बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, एनआरआई व्यवसाय आदि तक विस्तारित है।

4. श्री महेंद्र दोहरे, कार्यपालक निदेशक

श्री महेंद्र दोहरे को दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पूर्व वे पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक थे।

श्री महेंद्र दोहरे विपणन एवं वित्त में एमबीए हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट हैं। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा एवं आईआईबीएफ से विभिन्न प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं। वे नेट क्वालिफाइड भी हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अपनी अंतिम पदस्थापना में वे व्यवसाय अधिग्रहण और संबंध प्रबंधन विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉर्पोरेट बैंक के साथ एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की और इसके पश्चात यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, जिसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। उन्हें 24 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने व्यवसाय के संचालन हेतु एक एकीकृत खुदरा प्रभाग (व्यवसाय अधिग्रहण और संबंध प्रबंधन) स्थापित करने में अग्रणी एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पीएनबी कार्ड एंड सर्विसेज लिमिटेड तथा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

5. श्री हार्दिक मुकेश शेट, भारत सरकार द्वारा नामांकित निदेशक

श्री हार्दिक मुकेश शेट को दिनांक 11 अप्रैल 2022 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया

गया था. वे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक हैं.

वह एमबीए (वित्त) और यूएस सीपीए हैं. मंत्रालय में शामिल होने से पहले, उनके पास लगभग 19 वर्षों का बैंकिंग अनुभव था, जिसमें उन्होंने जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट प्रबंधन, कॉर्पोरेट क्रेडिट, दूसरों के बीच प्रशासन और शाखा संचालन सहित विभिन्न कार्यों में 'कुछ बहुराष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के साथ काम किया है. उन्हें अपने अधीन बड़े आकार की टीम और विभिन्न शाखाओं को संभालने का अनुभव है. वे अपने साथ बैंकिंग उद्योग के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण लेकर आये हैं.

6. श्रीमती चारूलता एस. कर, आरबीआई नामित अधिकारी

श्रीमती चारूलता एस. कर को दिनांक 14 जुलाई 2023 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया.

उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बैंकिंग और वित्त में विशेषज्ञता से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. उन्होंने आईसीएफएआई, त्रिपुरा से ट्रेजरी और फॉरेक्स प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है. वे आईआईबीएंडएफ की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं. आरबीआई के नेतृत्व और कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के रूप में उन्होंने द व्हाटर्स स्कूल पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम भी पूरा किया है. उन्होंने वर्ष 1991 में आरबीआई में एक अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया तथा अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में आरबीआई के विभिन्न क्षेत्रीय और केन्द्रीय कार्यालयों में कार्य किया. वे वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय सुरक्षा प्रकोष्ठ विभाग (आरबीआई) के मानव संसाधन विभाग की प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक हैं. उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सरकारी बैंकिंग, आंतरिक वित्तीय खाते, सूचना प्रौद्योगिकी और भुगतान एवं निपटान प्रणाली शामिल हैं. वह पांच वर्षों से अधिक समय तक चेन्नई में आरबीआई ट्रेनिंग कॉलेज में संकाय की सदस्य रही हैं. वे दो वर्षों तक मस्कट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ ओमान के प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर भी रही हैं. उन्होंने भुगतान और निपटान प्रणाली, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स पर समिति के अंतरराष्ट्रीय कार्य समूहों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है, जिसने खुदरा भुगतान में नवाचार, खुदरा भुगतान में गैर-बैंकों की भूमिका और त्वरित भुगतान पर रिपोर्ट का अध्ययन एवं प्रकाशन किया है. उन्होंने आरबीआई को एक वक्ता और विशेषज्ञ के रूप में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मंचों/संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया है.

7. श्री दिनेश पांगते, शेररहोल्डर निदेशक

श्री दिनेश पांगते को दिनांक 01.07.2021 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शेररधारक निदेशक के रूप में 3वर्ष हेतु चुना गया.

दिनेश पांगते को विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त है. उन्हें वित्त, विपणन, प्रशासन, आस्ति प्रबंधन तथा संबंधित के क्षेत्र में अनुभव है. उन्होंने एलआईसीएचएफएल एमसी लिमिटेड और एलाआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

का पद संभाला है. उन्हें विभिन्न पदों पर जीवन बीमा व्यवसाय में 3 दशकों से अधिक का अनुभव भी था.

8. श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी को भारत सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2021 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था.

वे सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से वाणिज्य, सांख्यिकी, लागत, उद्योग, आधुनिक वित्त और व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं. वर्तमान में, वे सरस्वती स्कूल, जूनागढ़ (गुजरात) के अध्यक्ष हैं. वह गिरनार यात्राधाम विकास मंडल, जूनागढ़ में निदेशक और नैतिक समिति, जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज, जूनागढ़ के सदस्य भी हैं. इससे पहले, उन्होंने निदेशक, गुजरात पर्यटन निगम और अध्यक्ष, स्थायी समिति, नगर निगम, जूनागढ़ के रूप में कार्य किया. वे इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा "भारत ज्योति अवार्ड", नेशनल डेवलपमेंट फोरम द्वारा "ग्लोबल इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड" और कई संस्थानों से पुरस्कारों से सम्मानित हैं

9. श्री प्रियव्रत शर्मा, चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी के तहत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

भारत सरकार द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी के अंतर्गत श्री प्रियव्रत शर्मा को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में अधिसूचना की तारीख से तीन साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था.

श्री प्रियव्रत शर्मा, वाणिज्य में स्नातक, फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफसीए) हैं. उनके पास ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, टैक्सेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कंपनी लॉ मामलों, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, फेमा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आदि के क्षेत्र में 28 से अधिक वर्षों का अनुभव है. श्री प्रियव्रत शर्मा एंड कंपनी, (सीए फर्म), जयपुर के पार्टनर हैं. वह "ब्रह्म फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री" के बोर्ड में निदेशक भी हैं.

आचार संहिता:

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अर्थात बैंक के सभी महाप्रबंधकों वाली कोर मैनेजमेंट टीम के लिए आचार संहिता को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है. उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Code%20of%20conduct%20for%20Bank's%20BOD%20and%20Senior%20Management%202023-24.pdf> बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता के संबंध में बोर्ड द्वारा पुष्टि:

सभी स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरण के आधार पर, बोर्ड की राय है कि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट

स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा किया है और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक :

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संदर्भ में, बैंक के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 29.02.2024 को आयोजित की गई थी।

बोर्ड सदस्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन:

पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्य निष्पादन मूल्यांकन के बोर्ड की समिति द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी निदेशकों के कार्यनिष्पादन वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रम:

बैंक के पास अपने निदेशकों के लिए उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा परिचित/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://centralbankofindia.co.in/en/investor-relations> पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तारीखों पर 10 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

29.04.2023	05.09.2023	19.01.2024
24.05.2023	20.10.2023	28.02.2024
30.06.2023	29.11.2023	
17.07.2023	02.01.2024	

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम.वी.राव	10	10	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	10	10	01.04.2023-31.03.2024
श्री राजीव पुरी	3	3	01.04.2023-30.06.2023
श्री एम वी मुरली कृष्णा	10	10	01.04.2023-31.03.2024
श्री महेन्द्र दोहरे	5	5	09.10.2023-31.03.2024
श्री हार्दिक मुकेश शेट	9	10	01.04.2023-31.03.2024
श्री पी जे थॉमस	3	3	01.04.2023-14.07.2023
श्रीमती चारुलता कर	6	7	14.07.2023-31.03.2024
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	10	10	01.04.2023-31.03.2024
श्री दिनेश पांगती	10	10	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रियव्रत शर्मा	9	9	08.05.2023-31.03.2024

सी) बोर्ड की समितियों का विवरण

आज तारीख को, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और स्वयं बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित नियमों/विनियमों और निर्देशों के अंतर्गत बोर्ड की कुल 15 समितियां गठित की गई हैं। इन उप- समितियों का विवरण इस प्रकार है:-

- बोर्ड की प्रबंधन समिति
- ऋण अनुमोदन समिति
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बड़े मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

परस्पर संबंध:

बैंक के किसी भी निदेशक का परस्पर संबंध नहीं है।

ए) बोर्ड की बैठकें

बैंक का बोर्ड अन्य व्यवसायों के अलावा बैंक की व्यापार नीति और रणनीति पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करता है। बोर्ड अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय नीतियों, शासन संरचना और प्रबंधन के कार्यनिष्पादन के कार्यान्वयन को देखता है। बोर्ड ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुचारू और कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न समितियों/उप समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आयोजित की जाती हैं। निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है ताकि वे बोर्ड और इसकी उप-समितियों की बैठकों में भाग ले सकें।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मंडल की 10 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 12 के तहत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकें और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के तहत निर्धारित न्यूनतम 04 (चार) बैठकें थीं:

- vi) ग्राहक सेवा समिति
- vii) सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- viii) हितधारक संबंध समिति
- ix) नामांकन और पारिश्रमिक समिति
- x) सतर्कता समिति
- xi) सिद्धांत मूल्यांकन समिति
- xii) मानव संसाधन समिति
- xiii) वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति
- xiv) पूंजी संवर्धन समिति
- xv) इरादतन चूककर्ताओं की पहचान और असहयोगी घोषित करने की समीक्षा के लिए बोर्ड की समिति

i) बोर्ड की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के साथ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत किया गया है। समिति भौतिक महत्व के विभिन्न व्यावसायिक मामलों पर विचार करती है जैसे उच्च मूल्य ऋण प्रस्ताव, समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव, पूंजी और राजस्व व्यय, परिसर, निवेश आदि की मंजूरी आदि। आवश्यकतानुसार समिति की बैठकें होती हैं।

दिनांक 31.03.2024 तक, इसमें 6 सदस्य शामिल थे, जिसमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 कार्यकारी निदेशक, रिजर्व बैंक के नामित निदेशक तथा एक स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। समिति की बैठकों की अध्यक्षता श्री एम.वी.राव, एमडी और सीईओ द्वारा की गई।

समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 13 बार बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर हुईं:

19.04.2023	10.08.2023	29.11.2023	27.03.2024
16.05.2023	05.09.2023	22.12.2023	
30.06.2023	12.10.2023	29.02.2024	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल में हुई बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम. वी. राव	13	13	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	12	13	01.04.2023-31.03.2024
श्री राजीव पुरी	4	4	01.04.2023-30.06.2023
श्री एम वी मुरली कृष्णा	13	13	01.04.2023-31.03.2024
श्री महेन्द्र दोहरे	6	6	09.10.2023-31.03.2024
श्री पी जे थॉमस	4	4	01.04.2023-14.07.2023
श्रीमती चारुलता कर	5	9	14.07.2023-31.03.2024
श्री दिनेश पांगती	12	12	08.05.2023-31.03.2024

ii) ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 31.01.2012 से किया गया है। समिति ने 100 करोड़ रुपये से 400.00 करोड़ तक व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए और समूह की कंपनियों/ उधारकर्ताओं के लिए रुपये 200 करोड़ रुपये से 800 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्ताव तथा 10 करोड़ और ₹50 करोड़ से अधिक के घाटे (सेक्रिफाइज) वाले प्रस्तावों को समझौता / बट्टे खाते में डालना आदि के लिए बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किया। आवश्यकतानुसार समिति की बैठकें होती हैं।

31.03.2024 तक, समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 कार्यकारी निदेशक, ऋण, लेखा/वित्त, क्रेडिट निगरानी और नीति के प्रभारी महाप्रबंधक और जिनके प्रस्ताव रखे जा रहे हैं उन विभागों के महाप्रबंधक और मुख्य जोखिम अधिकारी शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता श्री एम.वी.राव, एमडी और सीईओ द्वारा की गई।

वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की 16 बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गईं:



24.04.2023	08.08.2023	10.11.2023	22.03.2024
15.05.2023	28.08.2023	06.12.2023	
09.06.2023	15.09.2023	29.12.2023	
04.07.2023	27.09.2023	14.02.2024	
25.07.2023	23.10.2023	19.03.2024	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल में हुई बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	16	16	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	16	16	01.04.2023-31.03.2024
श्री राजीव पुरी	3	3	01.04.2023-30.06.2023
श्री एम वी मुरली कृष्णा	16	16	01.04.2023-31.03.2024
श्री महेन्द्र दोहरे	7	7	09.10.2023-31.03.2024

iii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं सेबी (एलओडीआर) अधिनियम, 2015 के नियम 18 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा बैंक के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित, बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार और प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है।

लेखा परीक्षा समिति के कार्य संदर्भ निम्नानुसार हैं:

- अंतर- शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अनुवर्ती कार्य पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उनकी समीक्षा करना;
- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित स्वतंत्र लेखा परीक्षा के दायरे की समीक्षा करना और तिमाही, अर्ध- वार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
- त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों पर सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में और बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करना;
- खातों, लेखा नीतियों और प्रकटीकरणों की नियमित रूप से समीक्षा करना;
- प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर प्रमुख लेखा प्रविष्टियों की समीक्षा करना और लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण समायोजन की समीक्षा करना; मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता; किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना; आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की आवश्यकता और वारंवारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- वित्तीय विवरणों से संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों की विधिक आवश्यकताओं का लागू सीमा तक अनुपालन;
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में उल्लिखित मामले और समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा भाग लेने के लिए किसी भी वैधानिक, संविदात्मक या नियामक आवश्यकताओं में भाग लेने के लिए आवश्यक हो सकते हैं

दिनांक 31.03.2024 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में 02 स्वतंत्र निदेशक और आरबीआई नामित निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता श्री प्रियवर्त शर्मा, स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई।

समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 09 बार बैठकें आयोजित हुईं:

29.04.2023	18.08.2023	28.11.2023
24.05.2023	26.09.2023	19.01.2024
17.07.2023	20.10.2023	28.02.2024

के.बारे.में

कार्यनीति

पुनी

नोटिस

सांविधिक

दिनांक

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	लेखापरीक्षा समिति की अवधि (से - तक)
श्री दिनेश पांगती	1	1	08.05.2023-31.03.2024
श्री पी. जे. थॉमस	2	2	01.04.2023-08.05.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	9	9	01.04.2023-14.07.2023
श्री प्रियव्रत शर्मा	8	8	01.04.2023-31.03.2024
श्रीमती चारुलता एस कर	7	7	14.07.2023-31.03.2024

कंपनी सचिव, एसीबी के सचिव के रूप में कार्य करता है।

iv) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19 पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 26.04.2021 के अनुसार, समिति का गठन क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति की निगरानी के लिए किया गया था। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार और प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है।

जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य :-

- समिति बैंक के समक्ष आने वाले जोखिमों के संबंध में दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों दृष्टिकोण अपनाएगी।
- दीर्घकालिक हित और निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, यह बैंक के सिद्धांतों को स्पष्ट और सक्रिय रूप से अद्यतन करेगी।
- परिचालन को सुसंगत करने की दृष्टि से यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करेगी और जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए यथेष्ट संस्थाओं को निर्देश / दिशानिर्देश जारी करेगी।
- समिति विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रयासों और दिशानिर्देशों के अभिसरण के लिए शीर्ष समिति होगी। यह बैंक के जोखिम प्रबंधन सिद्धांत को स्पष्ट करने और दिशानिर्देश प्रदान करने के तहत बैंक के जोखिम प्रोफाइल को स्पष्ट करने पर बोर्ड के दिशानिर्देश प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी। यह बैंक के लिए जोखिम उठाने की क्षमता को इंगित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए बैंक के जोखिम के बारे में तक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगी।
- यह समिति ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि वे जोखिम सिद्धांतों तथा जोखिम प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। यह संगठनात्मक व्यापक जागरूकता और जोखिम प्रबंधन नीतियों की सराहना का सृजन और निर्माण भी करेगी। बैंकों के परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शक सिद्धांत की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही समिति नीति के अनुपालन के निगरानी के लिए समय-समय पर सूचना की समीक्षा करेगी।
- पूरे बैंक में एलएम के मुद्दों के बारे में जागरूकता और मूल्यसंवर्धन पैदा करना। बैंक की वांछित जोखिम वरीयताओं एवं बैलेंस शीट प्रोफाइल को बनाए रखने हेतु बैलेंस शीट संरचना, वित्त पोषण संरचना मूल्य निर्धारण एवं कॉर्पोरेट योजना के क्षेत्रों में उचित दिशानिर्देशों का उपयोग करना।
- जोखिम प्रबंधन और आधारित पर्यवेक्षण के कार्यों को समाप्त करने के लिए स्थापित किए गए निर्देशात्मक तंत्र की समय-समय पर समीक्षा करना।
- समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगी जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम सम्मिलित हैं।

दिनांक 31.03.2024 तक, जोखिम प्रबंधन समिति में 01 कार्यपालक निदेशक, 02 स्वतंत्र निदेशक एवं भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी, स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

24.05.2023 10.08.2023 28.11.2023 20.02.2024

सदस्यों की दर्ज उपस्थिति नीचे दर्शाई गई है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री हार्दिक मुकेश शेट	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री दिनेश पांगती	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	4	4	01.04.2023-31.03.2024

v) बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 14 जनवरी 2004 के तहत बड़े मूल्य की धोखाधड़ी जिसमें 1 करोड़ एवं उससे अधिक रुपये की राशि शामिल है, की निगरानी के लिए विशेष रूप से बोर्ड की विशेष समिति का गठन किया गया था, जबकि लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करना जारी रख सकती है। यह समिति वर्ष में कम से कम चार बार एवं प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करती है।

समिति को सन्दर्भित किए जाने की शर्तें निम्नानुसार हैं :

- (1) प्रणालीगत कमियां यदि कोई हो जो धोखाधड़ी को कायम रखने में मदद करती है की पहचान हो और उसे दूर करने के उपाय तैयार किए जा सकें.
- (2) बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होने पर, यदि कोई है, तत्संबंधी कारणों का पता लगाया जा सके.
- (3) सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति, और वसूली की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके तथा
- (4) सुनिश्चित हो कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो बिना समय के नुकसान के स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई पूरी की जाती है.
- (5) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा, जैसे की आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की जा सके.
- (6) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए अन्य उपायों को लागू किया जाये जिन्हें प्रासंगिक माना जा सकता है.

दिनांक 31.03.2024 तक, समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी. राव द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

24.05.2023 10.08.2023 28.11.2023 29.02.2024

सदस्य का उपस्थिति रिकार्ड नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम. वी. राव	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री राजीव पुरी	1	1	01.04.2023-30.06.2023
श्री एम. वी. मुरली कृष्णा	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री महेंद्र दोहरे	2	2	09.10.2023-31.03.2024
श्री हार्दिक मुकेश शेट	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमाननी	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रियव्रत शर्मा	4	4	08.05.2023-31.03.2024

vi) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के संबंध में ग्राहक सेवाओं में व्यापक आधार पर सुधार का समर्थन करने के उद्देश्य से डॉ. एस. एस. तारापुर की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित लोक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखा परीक्षा समिति के साथ पठित 14 अगस्त 2004 के पत्र की सलाह के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार तथा प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है।

ग्राहक सेवा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- i) बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना.
- ii) बैंकों में लोक सेवाओं पर कार्यविधि और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना.
- iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी स्तरों पर ग्राहकों की सभी श्रेणियों के लिए ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए अभिनव उपाय शुरू करना.

दिनांक 31.03.2024 तक, समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यपालकनिदेशक एवं 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी. राव द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

16.05.2023 10.08.2023 28.11.2023 20.02.2024

सदस्यों की दर्ज उपस्थिति नीचे दर्शाई गई है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम. वी. राव	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री राजीव पुरी	1	1	01.04.2023-30.06.2023
श्री एम. वी. मुरली कृष्णा	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री महेंद्र दोहरे	2	2	09.10.2023-31.03.2024
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रियव्रत शर्मा	4	4	08.05.2023-31.03.2024

vii) बोर्ड की आईटी रणनीति समिति

आईटी गवर्नेंस के हिस्से के रूप में, आरबीआई ने निर्देश दिया है कि बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईटी रणनीति/योजना दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता है और साथ ही एक विशेष बोर्ड स्तरीय आईटी समिति का गठन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें कम से कम दो निदेशक सदस्य हों, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। आईटी रणनीति समिति के सभी सदस्यों को तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए, जबकि कम से कम एक सदस्य को प्रौद्योगिकी पहलों के प्रबंधन में पर्याप्त विशेषज्ञता होनी चाहिए। बाद में निदेशक मंडल द्वारा समिति के दायरे को व्यापक बनाया गया। आईटी रणनीति समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- आईटी कार्यप्रणाली और नीति दस्तावेजों को मंजूरी।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है।
- अनुसमर्थन करना कि व्यावसायिक कार्यनीति वास्तव में आईटी कार्यनीतिक के अनुरूप है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल एवं उसकी दिशा के अनुरूप हो।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी, व्यवसाय को समुचित महत्व प्रदान हो।
- बैंक के विकास को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करना।
- बैंक के विकास को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना
- आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों की प्रबंधन निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- आईटी रणनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन का आकलन करना
- उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन जारी करना (जैसे जोखिम, फंडिंग या सोर्सिंग कार्यों से संबंधित)।
- पुष्टि करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक वास्तुकला को डिजाइन किया जाना है, ताकि आईटी से अधिकतम व्यावसायिक मूल्य प्राप्त किया जा सके।
- बैंक स्तर पर आईटी के कुल वित्त पोषण की निगरानी करना, और यह सुनिश्चित करना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं।
- आईटी प्रसिद्धांत मापन और व्यवसाय में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात वादा किया गया मूल्य प्रदान करना)

दिनांक 31.03.2024 तक, समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यपालक निदेशक और 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 7 बार बैठक हुई::

19.04.2023 16.05.2023 30.06.2023 10.08.2023 02.11.2023 08.12.2023 20.02.2024



सदस्यों का उपस्थिति रिकार्ड नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	6	7	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	6	7	01.04.2023-31.03.2024
श्री राजीव पुरी	3	3	01.04.2023-30.06.2023
श्री एम वी मुरली कृष्णा	7	7	01.04.2023-31.03.2024
श्री महेंद्र दोहरे	3	3	09.10.2023-31.03.2024
श्री हार्दिक मुकेश शेट	6	7	01.04.2023-31.03.2024
श्री दिनेश पांगती	1	1	01.04.2023-08.05.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	7	7	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रियव्रत शर्मा	6	6	01.06.2023-31.03.2024
प्रो. एन. बालकृष्णन (आमंत्रित)	7	7	01.04.2023-31.03.2024
श्री वीरेश्वर कुमार (आमंत्रित)	2	2	18.12.2023-31.03.2024

viii) हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसार, बैंक ने शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण तंत्र पर विशेष रूप से विचार करने के लिए समिति का गठन किया है, जिसमें शेयरों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/ शिकायतों का आज तक उत्तर दिया गया है/निवारण किया गया है। संबंधित सूचना प्राप्त होने पर निवेशकों की शिकायतों का आम तौर पर सात दिनों के भीतर समाधान किया जाता है। समिति वर्ष में कम से कम चार बार और प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करती है।

दिनांक 31.03.2024 तक, समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता श्री दिनेश पांगते, स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति की वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

16.05.2023	10.08.2023	28.11.2023	20.02.2024
------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति रिकार्ड नीचे दर्शाया गया है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	समिति की अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री राजीव पुरी	1	1	01.04.2023-30.06.2023
श्री एम वी मुरली कृष्णा	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री महेंद्र दोहरे	2	2	09.10.2023-31.03.2023
श्री दिनेश पांगती	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रियव्रत शर्मा	4	4	01.04.2023-31.03.2024

वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक) के लिए निवेशक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	शून्य
2	शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होने / शेयरों की प्राप्ति न होने के लिए पत्र	शून्य
3	लाभांश वारंटों की गैर प्राप्ति	शून्य
4	वार्षिक रिपोर्ट / ईजीएम सूचना की प्राप्ति न होना	शून्य
5	धनवापसी आदेश की गैर प्राप्ति	शून्य
6	अस्वीकृत डीआरएफ की अप्राप्ति	शून्य
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	शून्य
8	प्राप्त कुल शिकायतें	शून्य
9	उपस्थित / समाधान की गई कुल शिकायतें	शून्य
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	शून्य

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशकों की कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित नहीं रही

ix) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के संप्रेषण संख्या एफ.सं.16/19/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 के अनुसार बोर्ड समिति प्रणाली को मजबूत करने पर पीएसबी गवर्नेंस सुधारों पर भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 के अनुसार मास्टर निर्देश डीबीआर.एटी. संख्या 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार, बैंक ने बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रम) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट भूमिका निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति आवश्यकतानुसार बैठक करती है।

दिनांक 31.03.2024 के समिति में 03 गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की एक बार बैठक निम्नलिखित तिथियों पर होगी:

02.01.2024

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	समिति की अवधि (से - तक)
श्री प्रियव्रत शर्मा	1	1	01.04.2024-31.03.2024
श्री दिनेश पांगती	1	1	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	1	1	01.04.2023-31.03.2024

x) सतर्कता समिति

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा हेतु सतर्कता समिति का गठन किया है। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार और प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है।

दिनांक 31.03.2024 तक, सतर्कता समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के नामित निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी. राव द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

16.05.2023	05.09.2023	28.11.2023	29.02.2024
------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति रिकार्ड नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री हार्दिक शेठ	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री पी जे थॉमस	1	1	01.04.2023-14.07.2023
श्रीमती चारुलता एस कर	3	3	14.07.2023-31.03.2024

xi) बोर्ड की मानव संसाधन समिति

संसाधनों के विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संचार एफ. सं. 9/18/2009- आईआर दिनांक मार्च 2012 के माध्यम से बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 30.10.2013 को किया गया था।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. पंचवर्षीय जनशक्ति योजना और इसकी वार्षिक समीक्षा।
2. उत्तरोत्तर पदग्रहण योजना के लिए महत्वपूर्ण और नेतृत्व पदों की त्रैमासिक समीक्षा,
3. अभिचिन्हित महत्वपूर्ण पदों के लिए, अधिकारियों को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से अभिचिन्हित संभावित उत्तराधिकारियों को तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के माध्यम से संभावित अभिचिन्हित उत्तराधिकारियों की तिमाही मॉनिटरिंग कार्यवाही।
4. अन्य कोई मानव संसाधन मुद्दे, जिन्हें अध्यक्ष / एमडी और सीईओ / ईडी द्वारा महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जाता है, जो एचआर नीतियां, व्यक्तिगत मुद्दे या पंचाट कर्मचारियों के द्विपक्षीय मुद्दों से संबंधित नहीं हैं, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत, पंचाट कर्मचारियों की बहुसंख्यक यूनियन के साथ, अधिकारियों से सम्बंधित द्विपक्षीय नीतिगत मुद्दे इत्यादि का निपटान करने हेतु समिति को संदर्भित किया जाना आवश्यक होगा।



दिनांक 31.03.2024 तक, मानव संसाधन समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी. राव द्वारा की जाती है। वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

16.05.2023	10.08.2023	02.11.2023	20.02.2024
------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति रिकार्ड नीचे दर्शाया गया है::

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री राजीव पुरी	1	1	01.04.2023-30.06.2023
श्री एम वी मुरली कृष्णा	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री महेंद्र दोहरे	2	2	09.10.2023-31.03.2024
श्री हार्दिक एम शेठ	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री. एस. सेनगुप्ता (आमंत्रित)	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री रामकुमार कृष्णास्वामी (आमंत्रित)	0	1	01.04.2023-07.08.2023

xii) वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति

वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति का गठन बैंक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की निगरानी और एनपीए खातों में वसूली के लिए बोर्ड की एक उप-समिति के रूप में किया गया था। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार और प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है। समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

- 1) नियमित आधार पर वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए वसूली के सभी संभावित विकल्पों की जाँच करना और उसे लागू करना।
- 2) विशिष्ट उल्लेखित खातों की स्थिति का विश्लेषण करना और स्लिपेज को रोकने के लिए कार्यनीति तैयार करना।

दिनांक 31.03.2024 को, समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी. राव द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

24.05.2023	10.08.2023	28.11.2023	29.02.2024
------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिखाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम. वी. राव	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री राजीव पुरी	1	1	01.04.2023-30.06.2023
श्री महेंद्र दोहरे	2	2	09.10.2023-31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्णा	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री. हार्दिक एम शेठ	3	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री दिनेश पांगती	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि	4	4	01.04.2023-31.03.2024

xiii) पूंजी संवर्धन समिति

बैंक के बोर्ड ने बैंक के लिए आवश्यक टियर 1 और टियर 2 पूंजी जुटाने की गतिविधि और उसके संबंध में सभी परिचालनात्मक कदम उठाने के लिए पूंजी जुटाने वाली समिति का गठन किया है। समिति आवश्यकता पड़ने पर बैठक करती है। दिनांक 31.03.2024 तक, समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 03 कार्यपालक निदेशक शामिल हैं।

समिति ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 2 बार बैठक की:

23.08.2023 30.08.2023

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम. वी. राव	2	2	01.04.2023-31.03.2024
श्री विवेक वाही	2	2	01.04.2023-31.03.2024
श्री एम. वी. मुरली कृष्णा	2	2	01.04.2023-31.03.2024
श्री महेंद्र दोहरे	0	0	01.04.2023-31.03.2024

xiv) असहयोगी उधारकर्ताओं की घोषणा और जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान के लिए समीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने गैर-सहकारी उधारकर्ता की घोषणा और जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान के लिए समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति की भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूक करने वालों की घोषणा के लिए आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करना है। समिति आवश्यकता पड़ने पर बैठक करती है।

दिनांक 31.03.2024 को, समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 01 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी. राव द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

30.06.2023 26.09.2023 28.11.2023 20.02.2024

सदस्यों का उपस्थिति रिकार्ड नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री दिनेश पांगती	4	4	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमाननी	4	4	01.04.2023-31.03.2024

xv) बोर्ड की प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

महाप्रबंधकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन पर विचार करने और समीक्षा करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया है। समिति आवश्यकतानुसार बैठक करती है।

दिनांक 31.03.2024 तक, समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता श्री दिनेश पांगती, स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति की बैठक वर्ष के दौरान एक बार निम्नलिखित तिथि को हुई।

05.09.2023

सदस्यों का उपस्थिति रिकार्ड नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान होने वाली बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री दिनेश पांगती	1	1	01.04.2023-31.03.2024
श्री हार्दिक एम शेठ	1	1	01.04.2023-31.03.2024
श्री प्रियव्रत शर्मा	1	1	01.04.2023-31.03.2024

3. निदेशकों को पारिश्रमिक

गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक/गैर- कार्यकारी निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में शामिल होने पर प्रति बैठक ₹40,000/- एवं मंडल की विभिन्न उप-समितियों की बैठकों में ₹ 20000/- का भुगतान किया गया।



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण और निदेशकों जो भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है निदेशक मंडल एवं समितियों की अध्यक्षता करने के लिए क्रमशः ₹10,000/- और ₹5,000 की अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में शामिल होने पर को बैठक फीस के रूप में ₹12,80,000/- (बारह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) और बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में भाग लेने पर ₹24,90,000 (रुपये चौबीस लाख नब्बे हजार मात्र) का भुगतान किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भुगतान की गई सिटिंग फीस (राशि रु. में)
श्री दिनेश पांगती	10,70,000
श्री पी.जे. थॉमस	2,60,000
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	12,15,000
श्री प्रियव्रत शर्मा	9,85,000

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड की मानव संसाधन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए श्री एस. सेनगुप्ता को ₹60,000/- की बैठक फीस का भुगतान किया गया और बोर्ड की आईटी रणनीति समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रो. एन. बालाकृष्णन को ₹1,40,000/- और श्री वीरेश्वर कुमार को ₹40,000/- की बैठक फीस का भुगतान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते एवं सुविधाओं के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.	नाम	रुपये लाख में
1.	श्री एम वी राव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	44.46
2.	श्री विवेक वाही, कार्यपालक निदेशक	37.11
3.	श्री राजीव पुरी, कार्यपालक निदेशक (दिनांक 30.06.2023 तक)	13.52
4.	श्री एम वी मुरली कृष्ण, कार्यपालक निदेशक	33.96
5.	श्री महेंद्र दोहरे, कार्यपालक निदेशक(दिनांक 09.10.2023 से)	15.73
	कुल	144.78

4. अनुपालन अधिकारी

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार श्री चंद्रकांत भागवत, सहायक महाप्रबंधक / कंपनी सचिव, बैंक द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

5. सचिवीय लेखा परीक्षा

बैंक ने दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट हेतु मैसर्स एसजी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न की गई है।

6. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, अधिमान्य निर्गम आदि से प्राप्तियां

बैंक ने दिनांक 30.08.2023 को 1500 करोड़ रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय असुरक्षित बेसल III अनुपालक टियर II बॉन्ड (सीरीज़ VI) जारी करके और आवंटित करके 1500 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत करने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए टियर II पूंजी को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से धन जुटाया जाता है। जुटाई गई धनराशि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

7. संचार माध्यम

तिमाही वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित लेकिन सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन) और लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्य रूप से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी समाचार पत्रों, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तरुण भारत, जनसत्ता, लोकसत्ता आदि में प्रकाशित किए गए थे। परिणाम के साथ-साथ विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण, वित्तीय प्रदर्शन पर प्रेस विज्ञप्ति और अधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां भी बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर अपलोड की गईं। सभी आवधिक अनुपालन / फाइलिंग जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट घोषणाएं, मीडिया रिलीज़ इत्यादि, प्रसार के लिए बीएसई कॉर्पोरेट अनुपालन और सूचीकरण केंद्र ('लिस्टिंग सेंटर') और एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं एवं साथ ही प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बैंक की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाते हैं। सिस्टम (एनईएपीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं।

8. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल के लिए एक आचार संहिता अपनाई है और वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर "निवेशक संबंध" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है। बैंक ने अपने निदेशकों और नामित कर्मचारियों के लिए बैंक की सुरक्षा में इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए एक आचार संहिता भी तैयार की है, इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर "निवेशक संबंध" लिंक के अंतर्गत निम्नलिखित वेबलिक पर उपलब्ध है- https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/PIT_Policy.pdf

9. अन्य प्रकटन

- 9.1 बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा, बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है, जिससे बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो। वर्ष के दौरान बैंक के साथ गैर-कार्यकारी निदेशकों का कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं था।
- 9.2 बैंक में यह एक स्थापित प्रथा है कि निदेशक बोर्ड और बोर्ड की अन्य उप-समितियों की चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं, जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है। वर्ष के दौरान, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं हुआ, जिससे बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो।
- 9.3 बैंक ने आरबीआई, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है। 9.4 पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
- 9.5 बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कमोडिटी में कारोबार नहीं किया है और इसलिए "कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों" के बारे में जानकारी शून्य है।
- 9.6 "बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरो के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक के पास "सेंट ई-व्हिसलब्लोअर" के नाम से एक वेब आधारित पोर्टल है, जो कर्मचारियों और निदेशकों द्वारा अपनी पहचान बताए बिना कदाचार की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है, जो कि मानव पूंजी प्रबंधन के महाप्रबंधक को पता होगा। निदेशक और सभी कर्मचारी सीधे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार को रोकने, धोखाधड़ी को रोकने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ह किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

- 9.7 बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की निर्धारित आवश्यकता का लिस्टिंग समझौते के साथ पालन किया है, इस सीमा तक कि इन विनियमों और समझौतों की आवश्यकताएँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।
- 9.8 बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव - शून्य।
- 9.9 जहाँ बोर्ड ने बोर्ड की किसी समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में अनिवार्य रूप से आवश्यक है - शून्य।
- 9.10 हम सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के उप-पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।
- 9.11 विनियमन 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण यह धनराशि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाने और मजबूत करने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से जुटाई गई है। जुटाई गई धनराशि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
- 9.12 'महत्वपूर्ण' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति बैंक की वेबसाइट यानी <https://www.centralbankofindia.co.in> लिंक के अंतर्गत "निवेशक संबंध निम्नलिखित वेबलिक के अंतर्गत <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/POLICY%20FOR%20DETERMINING%20MATERIAL%20SUBSIDIARIES%202023%2024.pdf>
- 9.13 संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति बैंक की वेबसाइट यानी पर उपलब्ध है। www.centralbankofindia.co.in पर "निवेशक संबंध" लिंक के अंतर्गत निम्नलिखित वेबलिक <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/RELATED%20PARTY%20TRANSACTION%20POLICY%202023%2024.pdf> पर उपलब्ध है।
- 9.14 बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और यह बैंक की वेबसाइट यानी [https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Dividend-Distribution-Policy%20\(2\).pdf](https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Dividend-Distribution-Policy%20(2).pdf) पर उपलब्ध है।
- 9.15 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं, जिनका वैधानिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को भुगतान की गई सभी सेवाओं के

लिए कुल फीस ₹32.63 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) थी.

9.16 कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है और इसे रिपोर्ट में संलग्न किया गया है.

9.17 बैंक ने विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जहां तक सी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं. ये कानून बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, प्रावधानों, विनियमों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे:

वर्ष 2023-24 के लिए स्थिति

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3
कुल मामलों की संख्या	4
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	4
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या (दिनांक 20.04.2023 को लंबित 1 मामले का निपटारा कर दिया गया है)	0

10. विवेकाधीन आवश्यकताएं (सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची II का भाग ई))

क्र. सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	गैर कार्यकारी अध्यक्ष को संस्था के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय को चलाने के लिए एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी.	जी हां, कार्यान्वयन किया गया, हालांकि गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का पद 23.05.2021 से रिक्त है.
2.	गत छः माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार से साथ वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को प्रेषित करना है.	बैंक ने तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर अपने वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सौंपे हैं और उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है. इसके अलावा, वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी अपलोड किए गए हैं साथ ही, बैंक के तिमाही वित्तीय परिणाम बैंक के सभी शेयरधारकों और बॉन्डधारकों को ईमेल किए गए हैं.
3.	कंपनी गैर-अनिवार्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था अपना सकती है	बैंक के पास गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरण हैं.
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखा परीक्षक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी है .

11. सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 17वीं वार्षिक आम बैठक:

दिन और तारीख: मंगलवार 16 जुलाई, 2024 को सुबह 11:00 बजे बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का माना स्थल) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी.

1. वार्षिक आम बैठक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रासंगिक है.
2. बही बंद होने की तिथि: 10 जुलाई, 2024 से 16 जुलाई, 2024. (दोनों दिन सम्मिलित)
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की गई.

12. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम सभा की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान	निष्पादित व्यवसाय किया गया
सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	दिनांक 30 जून 2023, 11:00 पूर्वाह्न	चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021 (बैठक का माना गया स्थल) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी.	<ol style="list-style-type: none"> 31 मार्च, 2023 तक बैंक की ऑडिटेड स्टैंड अलोन और समेकित बैलेंस शीट, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का स्टैंड अलोन और समेकित लाभ और हानि खाता, खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी दी और अपनाया. बैंक के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री हार्दिक मुकेश शेट की नियुक्ति का अनुमोदन बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री एम.वी. मुरली कृष्णा की नियुक्ति का अनुमोदन बैंक के बोर्ड में सीए श्रेणी के तहत गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में श्री प्रियव्रत शर्मा की नियुक्ति का अनुमोदन क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स जैसे विभिन्न तरीकों से 2500 करोड़ रुपये तक की इक्विटी पूंजी जुटाने कि स्वीकृति
पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	दिनांक 10 अगस्त, 2022, सुबह 11:00 बजे	चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021 (बैठक का माना गया स्थल) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी.	<ol style="list-style-type: none"> दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बैंक की ऑडिट की गई एकल और समेकित बैलेंस शीट, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल और समेकित लाभ और हानि खाते, खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित और अपनाया गया
चौदहवीं वार्षिक आम बैठक	दिनांक 10 अगस्त, 2021, सुबह 11.00 बजे	चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021 (बैठक का माना गया स्थल) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी.	<ol style="list-style-type: none"> दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बैंक की ऑडिट की गई एकल और समेकित बैलेंस शीट, दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल और समेकित लाभ और हानि खाते, खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित और अपनाया गया. शेयर प्रीमियम खाते से दिनांक 31.03.2021 तक संचित घाटे का विनियोजन-विशेष संकल्प
असाधारण सामान्य बैठक	दिनांक 18 मई, 2021 11.00 पूर्वाह्न	चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021 (बैठक का माना गया स्थल) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी.	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमन्य आधार पर रु. 17.11 के निर्गम मूल्य पर रु. 10 के अंकित मूल्य के 280,53,76,972 इक्विटी शेयरों का निर्गम, कुल रु. 4800 करोड़

पिछले वर्ष पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है.



13. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण:

बैंक के शेयर बाँधे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत हैं:

बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभाय टावर्स, 25वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड(एनएसई) “ एक्सचेंज प्लाजा” , बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, (पूर्व), मुंबई - 400 051	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	INE483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को 2023-24 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिसरी नोट्स (टियर-II कैपिटल) की प्रकृति में गैर-परिवर्तनीय बांड जारी किए हैं. संबंधित बकाया विवरण इस प्रकार है:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया टियर-II बांड -31.03.2024 को पूंजी की स्थिति

श्रृंखला विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	आईएसआईएन	रेटिंग
बेसल III अनुपालित श्रृंखला III	29.03.2019	500.00	INE483A09286	CRISILAA-
बेसल III अनुपालित श्रृंखला IV	30.09.2019	500.00	INE483A08023	CRISILAA-/ICRA AA-
बेसल III अनुपालित श्रृंखला V	20.03.2020	500.00	INE483A08031	CRISILAA- /IND AA-
बेसल III अनुपालित श्रृंखला VI	30.08.2023	1500.00	INE483A08049	CRISILAA-/ICRA AA-
कुल		3000.00		

ये सभी बांड बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं. बैंक ने एक्सचेंज को 2023-24 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

बाजार मूल्य डेटा:

मासिक उच्च एवं निम्न दर और एनएसई पर कारोबार किए गए शेयरों की संख्या(एनएसई निफ्टी के साथ बैंक के शेयर मूल्य की तुलना के साथ) निम्नानुसार है:

माह	एनएसई			एनएसई निफ्टी	
	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य	शेयरों की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2023	30.45	23.95	176572740	43302.05	40535.90
मई 2023	31.20	25.95	44114644	44498.60	42582.20
जून 2023	29.80	26.55	144946194	44787.10	43345.95
जुलाई 2022	32.65	29.75	152020532	46369.50	44547.80
अगस्त 2023	36.35	29.80	258252602	45782.75	43600.35
सितंबर 2023	56.00	45.15	996483113	46310.40	43830.75
अक्टूबर 2023	49.80	40.85	283522637	44710.55	42105.40
नवंबर 2023	47.75	43.80	103575962	44764.80	42589.65
दिसंबर 2023	53.00	46.20	274501476	48636.45	44531.75
जनवरी 2024	54.35	49.25	320542087	48450.00	44429.00
फरवरी 2024	76.90	58.30	755646764	47363.40	44633.85
मार्च 2024	61.65	55.80	128903280	48161.25	45828.80

मासिक उच्च और निम्न कोटेशन तथा बीएसई पर कारोबार किए गए शेयरों की संख्या (बैंक के शेयर मूल्य की सेसेक्स से तुलना सहित) निम्नानुसार है:

माह	बीएसई			सेन्सेक्स	
	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य	शेयरों की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2023	30.40	23.94	21155489	61209.46	58793.08
मई 2023	31.21	25.92	116098765	63036.12	61002.17
जून 2023	29.74	26.53	14770423	64768.58	62359.14
जुलाई 2022	32.59	29.75	12871096	67619.17	64836.16
अगस्त 2023	36.35	29.80	24383786	66658.12	64732.57
सितंबर 2023	55.33	45.21	48019631	67927.23	64818.37
अक्टूबर 2023	49.75	40.84	22978762	66592.16	63092.98
नवंबर 2023	47.74	43.57	6885268	67069.89	63815.35
दिसंबर 2023	53.00	46.20	27475007	72484.34	67149.07
जनवरी 2024	54.34	49.29	21219981	73427.59	70001.60
फरवरी 2024	76.85	58.36	57303173	73413.93	70809.84
मार्च 2024	61.65	55.80	9604030	74245.17	71674.42

14. शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर हस्तांतरण, रिफंड ऑर्डर, लाभांश भुगतान और अन्य सभी निवेशक संबंधी गतिविधियाँ हमारे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। इनमें से किसी भी दस्तावेज को दर्ज करने और प्रश्नों/शिकायतों/शिकायतों के लिए, शेयरधारकों/निवेशकों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

लिक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

सी-101, 247 पार्क,

एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम),

मुंबई - 400 083

दूरभाष: 022-4918 6270

फैक्स: 022-4918 6060

ईमेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

कार्यालय नं 3, बी 3, तीसरी मंजिल, बी विंग

गुंडेचा ऑनक्लेव परिसर को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,

खेमानी मार्ग, साकी नाका,

अंधेरी (ई), मुंबई - 400 072

दूरभाष: 022 - 2851 6021

ईमेल आईडी: helpdeskmm@mcsregistrars.com

सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

एशियन बिल्डिंग, भूतल मंजिल,

17, आर. खेमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,

मुंबई - 400 001

दूरभाष: 022-4080 7000

फैक्स: 022-66311776

ई-मेल आईडी: itsl@idbitrustee.com


बैंक के साथ पत्राचार के लिए पता:

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

9 वीं मंजिल, चंद्रमुखी,

नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

दूरभाष: 022- 6638 7575/7818

फैक्स सं.: 022- 2283 5198

ईमेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

15. शेयरधारिता का संवितरण

i) दिनांक 31.03.2024 तक शेयरधारिता का वितरण (डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी और फोलियो संख्या के आधार पर)

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	562867	85.9385	56501298	0.6509
501-1000	43574	6.653	36417590	0.4195
1001-2000	22420	3.4232	34786095	0.4007
2001-3000	8353	1.2754	21847948	0.2517
3001-4000	4003	0.6112	14426657	0.1662
4001-5000	4109	0.6274	19798183	0.2281
5001-10000	6324	0.9656	46543797	0.5362
10001 और ऊपर	3313	0.5058	8450617864	97.3468
कुल	654963	100	8680939432	100

ii) "पब्लिक" श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयर होल्डिंग और कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक शेयर होल्डिंग

"सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता दर्शाने वाला विवरण और कुल शेयरों की संख्या का 3% से अधिक हिस्सा रखने वाले		
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	227021558	2.6152

iii) "सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयर होल्डिंग और कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक शेयर होल्डिंग

"सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता दर्शाने वाला विवरण और कुल शेयरों की संख्या का 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले		
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	%
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

iv) 31.03.2024 को शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर	होल्डिंग का %
	डीमैट	भौतिक	डीमैट	भौतिक		
केंद्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	8080391687	0	1	0	8080391687	93.0820
जनता	311755189	34195	644509	82	311739384	3.5902
जीवन बीमा निगम (बीमा कंपनियाँ)	227022227	0	3	0	227022227	2.6158
अन्य निकाय कॉर्पोरेट	14322746	90	860	1	14322836	0.1650
हिंदू अविभाजित परिवार	10105733	0	6378	0	10105733	0.1164

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर	होल्डिंग का %
	डीमैट	भौतिक	डीमैट	भौतिक		
जीआईसी और इसकी सहायक कंपनियाँ	6531875	0	4	0	6531875	0.0752
अनिवासी भारतीय	3164541	121600	1646	1	3286141	0.0379
क्लियरिंग सदस्य	19641	0	19	0	19641	0.0002
म्यूचुअल फंड	9509780	0	21	0	9509780	0.1095
अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	2007287	0	1320	0	2007287	0.0231
निकाय कॉर्पोरेट - लिमिटेड देयता भागीदारी	883962	0	56	0	883962	0.0102
ट्रस्ट	162296	0	18	0	162296	0.0019
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	158269	0	5	0	158269	0.0018
राष्ट्रीयकृत बैंक	32876	0	2	0	32876	0.0004
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	20517	0	4	0	20517	0.0002
एफपीआई (कॉर्पोरेट)	14652485	0	31	0	14652485	0.1688
विदेशी संस्थान निवेशक	41736	0	1	0	41736	0.0005
सरकारी कंपनियाँ	700	0	1	0	700	0.00
कुल :	8680783547	155885	654879	84	8680939432	100

v) लॉक-इन शेयरों का विवरण दिखाने वाला विवरण

क्र.	शेयरधारक का नाम	लॉक-इन शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में लॉक-इन शेयर (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग
1.	भारत के राष्ट्रपति	2805376972	34.72
2.	जनता	0	0
	कुल	2805376972	34.72

vi) डिपॉजिटरी रसीदों (डीआर) का विवरण दिखाने वाला विवरण

क्र.	बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, आदि)	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के अंतर्गत शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में बकाया डीआर अंतर्निहित शेयर (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग
		शून्य	शून्य	शून्य

vii) डिपॉजिटरी रसीदों (डी आर) की धारिता को दर्शाने वाला विवरण जहां अंतर्निहित शेयर शेयरों की कुल संख्या के 1% से अधिक हैं.

क्र.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, आदि)	बकाया डीआर के अंतर्गत शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में बकाया डीआर अंतर्निहित शेयर (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग
			शून्य	शून्य

viii) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन

बैंक के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैट स्वरूप में किया जा रहा है। बैंक ने डिमैटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ पहले ही करार कर लिया था।



31.03.2023 को शेयरधारकों द्वारा धारित डीमैट और भौतिक रूप में शेयरों का विवरण (डी पी आईडी/क्लाइंट आईडी और फोलियो नंबर के आधार पर) निम्नानुसार है:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारिता का %
भौतिक	84	155885	0.01%
एनएसडीएल	162693	403544516	4.66%
सीडीएसएल	492186	8277239031	95.33%
कुल	654963	8680939432	100.00%

ix) भौतिक धारिताओं का डिमैटरियलाइजेशन - एक विशेष अनुरोध

हम शेयरधारकों से अपनी भौतिक धारिताओं को डीमैट करने का अनुरोध करते हैं। डीमैटरियलाइजेशन के लिए, शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं जहां वे डीमैट खाते रखते हैं डिमैटरियलाइजेशन के लाभ इस प्रकार हैं::

- झंझट मुक्त अंतरण
- शेयर प्रमाण नष्ट होने का कोई खतरा नहीं
- लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और त्वरित जमा
- नामांकन सुविधा
- एसबीए/आईपीओ, आदि के माध्यम से सीधे आवेदन

जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर्स, भौतिक रूप से/डीमैट स्वरूप में रखे हैं और उन्होंने अब तक बैंक के आरटीए/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास, भारत सरकार के "ग्रीन इनिशिएटिव" में सहायता देने हेतु, उनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाए है, उनसे अनुरोध है कि अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा लें।

पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड:

सेबी ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/ पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अधिक्रमण में सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीआरटीएमबी/पी/ सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर 2021 को भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अन्य शब्दों में सूचीबद्ध कम्पनियों में भौतिक प्रतिभूति के धारकों के लिए पैन, नामांकन, सम्पर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवम नमूना हस्ताक्षर उनके सम्बंधित फोलियो नम्बर में दिया जाना अनिवार्य है।

अतः सेबी के उक्त परिपत्र के अनुसरण में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारक और दावेदार वैध पैन, केवाईसी विवरण, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए प्रपत्रों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करेंगे:

क्र.सं.	प्रपत्र	उद्देश्य
1.	प्रपत्र आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण रजिस्टर/अपडेट करने के लिए
2.	प्रपत्र आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3.	प्रपत्र आईएसआर-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4.	प्रपत्र एसएच-13	नामांकन पत्र
5.	प्रपत्र एसएच-14	नामांकन का रद्दीकरण या परिवर्तन (यदि कोई हो तो)

उपर्युक्त सभी फार्म [आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14] और उक्त सेबी परिपत्र बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध खण्ड में उपलब्ध हैं 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उद्धृत विवरण/दस्तावेजों में से कोई एक (यानी पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन) हमारे या आरटीए के पास उपलब्ध नहीं है, उन्हें उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार रोक दिया जाएगा।

अतः उक्त के अनुसार हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे विधिवत भरा हुआ इवेस्टर सर्विस रिक्वेस्ट फार्म, समर्थित दस्तावेजों के साथ शीघ्रताशीघ्र निम्नानुसार पते पर बैंक के आरटीए को प्रस्तुत करें।

बिना पैन, केवाईसी विवरण एव नामांकन वाले के बिना फोलियो को रोक लगाना

ए) दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उपर्युक्त पैरा में दिए गए दस्तावेज/विवरण में से कोई भी एक उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आरटीए द्वारा अवरोधित कर दिया जाएगा

बी) सुरक्षा धारक जिनके फोलियो अवरोधित कर दिए हैं, वे पात्र होंगे:

- ✓ उपरोक्त पैरा में उल्लिखित पूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए
- ✓ इस तरह के फ्रीज हुए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित कोई भी भुगतान, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा. बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और इस परिपत्र के पैरा 4 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा.

सी) आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अवरोधित फोलियो को बेनामी लेनदेन(निषेध) अधिनियम 1988 अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत प्रशासन प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक अवरोधित बने रहते हैं.

डी) उपरोक्त पैरा में दिए गए सभी दस्तावेजों/विवरणों की प्राप्ति पर आरटीए अवरोधित फोलियो को सामान्य स्थिति में वापस कर देगा.

शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान

जैसा कि सेबी द्वारा निर्धारित किया गया है, एक व्यावसायिक कंपनी सचिव नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेट (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी के साथ कुल स्वीकृत पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा करता है. यह लेखापरीक्षा प्रत्येक तिमाही में किया जाता है और इसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध होते हैं. लेखापरीक्षा यह पुष्टि करता है कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और प्रदत्त पूंजी डीमैट रूप में शेयरों की कुल संख्या (एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ धारित) और भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है.

x) अदावाकृत उचंत खाते में शेयर:

सूचीकरण करारों के खंड 5ए के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक “दावा न किए गए उचंत खाते” में बकाया शेयर निम्नानुसार हैं:

क्र. विवरण	शेयरधारकों की कुल संख्या	कुल बकाया शेयर
(i) सूचीकरण करारों के खंड 5ए के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक “दावा न किए गए उचंत खाते” में बकाया शेयर निम्नानुसार हैं:	233	32,853
(ii) वर्ष के दौरान अदावाकृत उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य	शून्य
(iii) उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान अदावाकृत उचंत खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	शून्य	शून्य
(iv) शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	233	32,853

नोट – इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक रहेंगे जब तक कि इन शेयरों के असली मालिक शेयरों पर दावा नहीं करते. कॉर्पोरेट प्रशासन की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन में बैंक के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते के साथ संलग्न है

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंध तंत्र ने बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 मई, 2024

ए/-
एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु प्रमाण पत्र

प्रति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (आई) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) की अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमने बैंक द्वारा गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच एवं प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणियों साथ के किया है:

- स्वतंत्र निदेशकों की संख्या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।

हम आगे यह वर्णित करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का परिचालन किया है।

कृते एसजी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव अभ्यासरत

सुहास गणपुले
प्रोप्राइटर

सदस्यता संख्या: 12122
सी.पी. संख्या: 5722

यूडीआईएन:A012122F000470239

स्थान: मुंबई

दिनांक: 28 मई, 2024

के बारे में

कार्यवाही

पूरी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाण पत्र

प्रति, निदेशक मंडल
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

- I. इन विवरणों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छोड़ा गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं.
- II. ये विवरण एक साथ बैंक के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानून और विनियमों के अनुपालन में हैं.

बी. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों

और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों का खुलासा किया है, यदि कोई हो, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है.

डी. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है:

- I. दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन.
- II. दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है और वित्तीय विवरण के नोटों में इसका खुलासा किया गया है और,
- III. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में हमें पता चला है और उनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले किसी कर्मचारी की भागीदारी, यदि कोई हो.

(मुकुल एन. दंडिगे)

महाप्रबंधक -

एफएंडए एवं सीएफओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 अप्रैल, 2024

(एम वी राव)

प्रबंध निदेशक

एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट 2023-24

अनुभाग ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. विवरण

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
3. निगमन का वर्ष	1911
4. पंजीकृत कार्यालय का पता	चंद्रमुखी बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
5. कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	चंद्रमुखी बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
6. ईमेल आईडी	investors@centralbank.co.in
7. टेलीफोन	+91 22 6638 7777
8. वेबसाइट	www.centralbankofindia.co.in
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2023- 24
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं
11. प्रदत्त पूंजी	₹ 8680.94 करोड़
12. उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	पॉपी शर्मा महा प्रबंधक फोन नंबर: +91 22 6638 7880 ईमेल आईडी – gmhrd@centralbank.co.in
13. रिपोर्टिंग सीमा	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण स्वतंत्र आधार पर हैं और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित हैं

II. उत्पाद/सेवाएँ

14. व्यवसायिक गतिविधियों का विवरण

क्र.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यवसायिक गतिविधि का विवरण	कुल कारोबार का %
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	केंद्रीकृत , व्यावसायिक द्वारा बैंकिंग गतिविधियाँ	100

15. संस्था द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद / सेवाएँ

क्र.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार में योगदान %
1.	वित्तीय सेवाएँ – व्यावसायिक बैंक, बचत बैंक, डाक बचत बैंक और डिस्काउंट हाउस की मौद्रिक मध्यस्थता (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं ट्रेजरी परिचालन सहित विस्तृत बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर रही है.	64191	100

III. परिचालन-

16. स्थानों की संख्या जहाँ संस्था के कारखाने और / या परिचालन स्थल / कार्यालय स्थित हैं

अवस्थान	कारखानों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं*	20266	20266
अंतरराष्ट्रीय		शून्य	शून्य

* संस्था बैंक है और इसलिए कोई निर्माण गतिविधि नहीं करता है.

**शामिल है शाखाएँ, एटीएम, बी सी आउटलेट (4500+4084+11682).

17. इकाई द्वारा सेवित बाजार

ए. अवस्थानों की संख्या

अवस्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्य और संघ शासित प्रदेशों की संख्या)	अखिल भारतीय
अंतरराष्ट्रीय (देश की संख्या)	शून्य

बी. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

लागू नहीं

सी. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

बैंक खुदरा, कृषि, एमएसएमई, कॉर्पोरेट और थोक बैंकिंग खंडों के तहत अपने विविध समूह के ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के बैंकिंग उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है. हमारा बैंक उन ग्राहकों के साथ काम करता है जो किसी भी व्यवस्था जैसे जमाकर्ता, उधारकर्ता, सेवा प्रदाता, सरकारी सेवा प्रदाता आदि में बैंक से जुड़े हैं.

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक विवरण -

ए. कर्मचारी (दिव्यांग जन सहित):-

क्र.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या. (सी)	% (सी/ए)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	31610	23256	73.57	8354	26.43
2.	स्थायी के अलावा (इ)	00	00	00	00	00
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई)	31610	23256	73.57	8354	26.43

बी. कुल दिव्यांग जन कर्मचारी:-

क्र.	विवरण	कुल(ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या. (सी)	% (सी/ए)
दिव्यांग कर्मचारियों सहित						
1.	स्थायी (डी)	870	682	78.39	188	21.61
2.	स्थायी के अलावा (इ)	00	00	00	00	00
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी + ई)	870	682	78.39	188	21.61

19. महिलाओं की सहभागिता /समावेश /प्रतिनिधित्व -

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मण्डल	8शून्य	शून्य	शून्य
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	11	1	9.09%

20. स्थायी कर्मचारियों हेतु कुल आवर्ती दर -

	वित्तीय वर्ष 2022			वित्तीय वर्ष 2023			वित्तीय वर्ष 2024		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	2.4%	2.5%	2.5%	1.4%	0.68%	1.04%	0.71%	2.03%	1.37%



V. होल्टिंग, सहायक और संबद्ध कंपनियों (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (ए) 31 मार्च 2024 तक

क्र.	नाम (ए)	सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित संस्था, बैंक की व्यवसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है ? (हाँ/नहीं)
1.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	सहायक	64.40	नहीं
2.	सेंट बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	सहायक	100.00	नहीं
3.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	सहबद्ध	35.00	नहीं
4.	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहबद्ध	35.00	नहीं
5.	इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	20.00	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है : नहीं

(ii) व्यवसाय (कुल आय) (₹ में): 35434 करोड़

(iii) निवल संपत्ति (₹ में): 28053.33 करोड़

(iv) वित्त वर्ष 24 के लिए सीएसआर पर खर्च की गई कुल राशि - ₹8.31 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें

हितधारक समूह जहां से शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत निवारण तंत्र स्थापित हैं (हाँ/ नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति हेतु वेब-लैंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2023- 24			वित्तीय वर्ष 2022- 23		
		वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत तक समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत तक समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://www.centralbankof-india.co.in/hi	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ https://www. central-bankofindia.co.in/ en/investor-relations	-	-	-	-	-	-
शेयरधारक	हाँ https://www.centralbankof-india.co.in/hi/-investor-relations	3	0	लागू नहीं	3	0	लागू नहीं
कर्मचारी	हाँ https://www. centralban-kofindia.co.in/hi	138	10	लागू नहीं	241	196	लागू नहीं
आर्थिक हित भागीदार	हाँ https://www. centralban-kofindia.co.in/hi	-	-	-	-	-	-

के बारे में

कार्यनीति

पूरी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

ग्राहकों सहित अन्य (बैंक हॉ पोर्टल+एटीएम+सीपी-जीआरए एमएस+आइएन-जीआरएएमएस+एमएसए-मई+रीटेल)	123195	2990	-	146352	2116	-
https://www.centralbankofindia.co.in/pdf/CUSTOMER-GRIEVANCEREDRESSAL-POLICY 31.01.2012.pdf						

मौजूदा टोल फ्री नंबर सरेंडर कर दिया गया है और नया टोल फ्री नंबर 1800 3030 है.

24. संस्था के आर्थिक उत्तरदायी व्यवसाय संचालन के विषयों का अवलोकन:

क्र. सं.	चिह्नित आर्थिक विषय	दर्शाएं जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम हो तो, अनुकूल बनाने या जोखिम कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएं)
1.	वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ टाय अप	अवसर	फिनटेक उपभोक्ताओं की अगली पीढ़ी को सक्षम और सशक्त बना रहा है जो अत्यधिक तकनीक-प्रेमी हैं और जिनके पास अधिक वित्तीय साक्षरता है, लेकिन उनके पास समय की कमी है. ये ग्राहक चलते-फिरते सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. एल्गोरिदम पर आधारित क्रेडिट निर्णयों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, ई-डॉक्यूमेंटेशन के लिए एपीआई और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे सक्षमकर्ताओं के साथ कोई भी बैंक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है और वांछित सेवाएं प्रदान कर सकता है और अपनी परिसंपत्ति/देनदारियों के पोर्टफोलियो को बढ़ा सकता है.	यद्यपि इस गतिविधि में जोखिम निहित है, तथापि उचित जोखिम न्यूनीकरण उपायों के माध्यम से जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है.	नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से किसी भी बैंक को बिना किसी ठोस ढांचे के भी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय सेवाएं तेजी से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी तथा इससे उसकी परिसंपत्ति/देयता पोर्टफोलियो में भी वृद्धि होगी.
2.	सतत विकास लक्ष्य - "ग्रीन फिक्सड डिपाजिट"	अवसर	ग्रीन डिपॉजिट्स से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का प्रत्यक्ष समर्थन करने वाली परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी और हमारे जमाकर्ताओं को ऐसे वित्तीय उत्पादों का चयन करने में सशक्त बनाया जाएगा, जिनका पर्यावरण और बड़े पैमाने पर समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.	ग्रीन डिपॉजिट विशेष दरों पर उपलब्ध है जो अन्य सावधि जमा दरों से अधिक है.	सकारात्मक: जलवायु परिवर्तन से हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करना समय की मांग है. इसलिए देश में हरित भंडार बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं.



3. ग्रीन फाइनेंसिंग	अवसर	सरकार अक्सर सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को एक ढांचे के रूप में नियोजित करती है और कंपनियाँ तेजी से उन सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कॉर्पोरेट लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं। डीलरों और बिक्री अधिकारियों को प्रोत्साहन प्रदान करके डीलरों को अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचने के लिए प्रोत्साहित करें। अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जीवाश्म ईंधन वाहन ऋण की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन ऋण पर कम ब्याज दर वसूलना .	जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती हरित आवास, हरित वाहन वित्तपोषण आदि जैसे हरित वित्त के विविध पूल तक पहुंच.	सकारात्मक: एक बड़ा हरित पोर्टफोलियो बनाने की अपार संभावना.
---------------------	------	---	--	---

अनुभाग बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित उत्तरदायी व्यवसाय आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (एनजीआरबीसी) नीचे दिए गए अनुसार पी1-पी9 के रूप में संदर्भित नौ सिद्धांतों का समर्थन करते हैं

पी1	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी के साथ खुद को संचालित और नियंत्रित करना चाहिए
पी 2	व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो
पी 3	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिनमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है
पी 4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए
पी 5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए
पी 6	व्यवसायों को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए
पी 7	सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होने पर व्यवसायों को ऐसा करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो
पी 8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए
पी 9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में संरचना, नीतियां और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना है

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. ए. क्या आपकी इकाई की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
बी. क्या बोर्ड द्वारा नीति को मंजूरी दे दी गई है? (हाँ/ नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
सी. यदि उपलब्ध हो तो, नीतियों के लिए वेब लिंक	https://www.centralbankofindia.co.in//								
	कुछ नीतियों में बैंक की आंतरिक नीतियों का संयोजन भी शामिल हो सकता है जो सभी आंतरिक हितधारकों और बैंक की वेबसाइट पर रखी गई नीतियों के लिए सुलभ हैं.								

के बारे में

कार्यनीति

नीति

नीटिस

सांविधिक

वित्तीय

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है. (हाँ/नहीं)	हाँ, बैंक ने लागू नीतियों का अनुवाद किया है और बैंक द्वारा किए जाने वाले गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और प्रथाओं में अनुकूलित किया है.								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हाँ/नहीं)	जी हां, बैंक की आचार संहिता में उपर्युक्त सिद्धांतों को व्यापक रूप से अपनाया गया है और बैंक अपने हितधारकों से अपेक्षा करता है कि वे अपने सभी व्यवहारों में इसका पालन करेंगे.								
4. आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, OHSAS, ISO, BIS) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया.	लागू नहीं								
5. परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो.	उपर्युक्त नीतियों के अंतर्गत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है. हालांकि, इन सिद्धांतों का अनुपालन हमारी प्रतिबद्धता और लक्ष्य है.								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ-साथ कारणों के साथ इकाई का प्रदर्शन यदि इसे पूरा नहीं किया जाता है. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ-साथ कारणों के साथ इकाई का प्रदर्शन यदि इसे पूरा नहीं किया जाता है.	लागू नहीं.								
प्रशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. व्यावसायिक उत्तरदायी रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का कथन द्वारा ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में लचीलापन है)	बैंक का लक्ष्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है. ईएसजी मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता इसके मूल सिद्धांतों में सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती है, जो इसके संचालन के सभी पहलुओं में निहित हैं. दयालुता, निष्पक्षता, प्रभावकारिता और दक्षता बैंक के आधार आदर्श हैं. बैंक के अनुसार, ध्वनि शासन मानक, अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हैं. बैंक के मौलिक और मूल मूल्यों में से एक मानवाधिकारों के प्रति सम्मान है. बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन न केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा है, बल्कि एक व्यावसायिक जोखिम भी है. अपनी ऋण नीतियों में, बैंक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर अपने उचित परिश्रम को बढ़ा रहा है.								
8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (या) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण.	श्री एम वी मुरली कृष्णा, कार्यपालक निदेशक								
9. क्या संस्था में बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ / यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें).	हाँ, सभी समितियां अपनी कार्यसूची विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार स्थिरता से संबंधित मुद्दों की देखभाल करती हैं.								
10. बैंक द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण	समीक्षा के लिए विषय								
	के द्वारा किए गए सिद्धांतों की समीक्षा और आवृत्ति								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ कार्य निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	एक प्रथा के रूप में, बैंक की बीआर नीतियों की समीक्षा समय-समय पर या आवश्यकता के आधार पर विभाग प्रमुखों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है. इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावकारिता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं.								
सिद्धांतों के लिए प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	बैंक लागू मौजूदा विनियमों के अनुपालन में है.								



प्रकटीकरण प्रश्न

पी 1 पी 2 पी 3 पी 4 पी 5 पी 6 पी 7 पी 8 पी 9

11. क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं). यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ.
- बैंक की पॉलिसियों का मूल्यांकन/मूल्यांकन आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और जहाँ आवश्यक हो, बाहरी सलाह भी प्राप्त की जाती है. बैंक की नीतियों की समीक्षा अनुपालन और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा नियमित आधार पर की जाती है. सभी नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन वार्षिक आधार पर बोर्ड और निदेशक मंडल की उप समितियों द्वारा किया जाता है.

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारण बताए जाने चाहिए - लागू नहीं

खंड सी: सिद्धांत वार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1 व्यवसायों को स्वयं ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित और नियंत्रित करना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

सेगमेंट	आयोजित कुल प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित विषय / सिद्धांत और प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	6	प्रशिक्षण के तहत शामिल सभी सिद्धांत.	66.67%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	11	विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ नेतृत्व विकास से संबंधित प्रशिक्षण/सम्मेलन	84.62%
BoD और KMPs के अलावा अन्य कर्मचारी	1847	विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ व्यवहार संबंधी पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण	91.83%

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग फीस/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में
- (नोट: इकाई सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर और इकाई की वेबसाइट पर खुलासा किए गए अनुसार प्रकटीकरण करेगी:

	वित्तीय				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन / न्यायिक संस्थाओं के नाम	राशि (रूपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	अधिमानित (हाँ/नहीं)
पेनाल्टी / दण्ड निपटान कंपाउंडिंग शुल्क		जुर्माना/जुर्माना/निपटान/कंपाउंडिंग शुल्क, यदि बैंक द्वारा भुगतान किया गया कोई हो, बैंक की भौतिकता नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है. इस संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाते हैं और बैंक की वेबसाइट पर भी डाले जाते हैं.			

गैर - मौद्रिक

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक / प्रवर्तन / न्यायिक संस्थाओं के नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील की गई (हाँ/नहीं)
कारावास	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में प्राथमिकता दी गई अपील/पुनरीक्षण का ब्यौरा जहाँ मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है.

मामले का विवरण	नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के नाम
निरंक	निरंक

के बारे में

कार्यनीति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिक प्रदान करें।

जी हाँ. एक व्हिसल ब्लोअर नीति है और यह बैंक के आंतरिक पोर्टल पर उपलब्ध है.

यह नीति कदाचार, धोखाधड़ी, लापरवाही, दुर्नियोजन, अधिकार के दुरुपयोग आदि के किसी भी कार्य की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय मंच प्रदान करती है. इसके अलावा बैंक की आचार संहिता, कारोबारी आचरण और हितों के टकराव पर नीति है.

हमारी व्हिसलब्लोअर नीति अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने, विश्वास पैदा करने और कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार और/या वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी और/या कदाचार और/या बैंक की आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सीटी बजाने के अपने निर्णय के बारे में सशक्त महसूस कराने के उद्देश्य से निष्पक्ष या प्रतिशोध के बिना तैयार की गई बैंक आचार संहिता का विस्तार है.

व्हिसलब्लोअर नीति के बारे में विवरण लिंक के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Vigil.pdf> बैंक व्यवसाय का संचालन करने और अपने सभी हितधारकों के साथ उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारे पास आचार संहिता, व्यवसाय आचरण और हितों के टकराव पर एक व्यापक नीति भी है.

आचार संहिता, व्यावसायिक आचरण और हितों के टकराव की नीति को लिंक के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है

https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX_I_CODE_OF_ETHICS_BUSINESS_CONDUCT_CONFLICT_OF_INTEREST.pdf

बैंक ने उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की एक योजना भी शुरू की है जो किसी संभावित धोखाधड़ी के बारे में जानकारी देते हैं.

कदाचार आदि योजना का विवरण बैंक के समर्पित स्टाफ केवल पोर्टल पर भी व्यापक रूप से जारी किया जाता है.

5. रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जिन निदेशकों/केएमपी / कर्मचारियों/कामगारों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई, उनकी संख्या

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
निदेशकों	निरंक	निरंक
केएमपी	निरंक	निरंक
कर्मचारी	14*	11*
श्रमिक	निरंक	निरंक

* अभियोजन अनुमति के लिए प्राप्त कुल सीबीआई मामले (बैंक स्तर से स्वीकृत या अस्वीकृत)

6. हित संघर्ष संबंधी शिकायतों का विवरण :

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	निरंक	-	निरंक	--
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	निरंक	-	निरंक	--

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दण्ड /नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना. निरंक



आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए :

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से)
निरंक	निरंक	निरंक

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें.

बैंक व्यवसाय का संचालन करने और अपने सभी हितधारकों के साथ उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारे पास आचार संहिता, व्यापार आचरण और हितों के टकराव पर एक व्यापक नीति भी है.

पॉलिसी को लिंक के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है

https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX_I_CODE_OF_ETHICS_Business conduct conflict of interest.pdf

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश. लागू नहीं

बैंक के कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, उपर्युक्त की प्रासंगिकता काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पूंजीगत व्यय तक सीमित है. वित्तीय वर्ष 22 में, आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए किया गया कैपेक्स, जिसने बैंक की बढ़ी हुई डिजिटल पहल की सुविधा प्रदान की, कुल राजस्व का 1.68% था. डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक अपनाने से न केवल संचालन की क्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि कागज की खपत में भी काफी कमी सुनिश्चित होती है.

	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	सामाजिक प्रभाव और पर्यावरण में सुधार का पिछला विवरण
आरएंडडी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कैपेक्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. ए. क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? जी हां
बी. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे ?
सभी खरीद पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से की जाती हैं.
3. अवधि के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-अपशिष्ट (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट – लागू नहीं
4. क्या विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां / नहीं). यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो उसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए. लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? नहीं

के बारे में

कार्यनीति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा नाम	का कुल टर्नओवर में दिए गए योगदान का %	सीमा जिसके चाहे स्वतंत्र बाहरी सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हां/नहीं) यदि हाँ, तो वेब प्रदान करें - link.
------------	-----------------	---------------------------------------	--

लागू नहीं

- यदि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, तो इसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें – लागू नहीं
- उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत – लागू नहीं
- उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार: लागू नहीं
- प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में) - लागू नहीं

सिद्धांत 3 व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्न द्वारा संरक्षित कर्मचारियों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दिन में देखभाल की सुविधा	
	संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ई)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)	
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	23256	23256	100	23256	100	0	0	23256	100	00	00
महिलाएं	8354	8354	100	8354	100	8354	100	0	0	00	00
कुल	31610	31610	100	31610	100	8354	100	23256	100	00	00

बी. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण: लागू नहीं

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण.

फायदे	वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या % में	कुल कामगारों में सम्मिलित कामगारों की संख्या % में	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या % में	कुल कामगारों में सम्मिलित कामगारों की संख्या % में	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	8246 (26.13%)	लागू नहीं	हां	9782 (31.79%)	लागू नहीं	हां
प्रेच्युटी	31556 (100%)	लागू नहीं	लागू नहीं	30774 (100%)	लागू नहीं	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पेंशन	8190 (25.95%)	लागू नहीं	लागू नहीं	9700 (31.52%)	लागू नहीं	लागू नहीं
एनपीएस	23310 (73.87%)	लागू नहीं	हां	20992 (68.21%)	लागू नहीं	हां

3. कार्यस्थलों तक पहुँच

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए सुलभ है? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं.

हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में दिव्यांगजनों के सुलभ आवागमन हेतु रैंप/लिफ्ट हैं. हमारी अधिकांश शाखाएँ/कार्यालय या तो भूतल पर स्थित हैं या उनमें दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट तथा बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है.



4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब लिंक प्रदान करें।
हाँ, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारे बैंक ने एक "समान अवसर नीति" तैयार की है, जो दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देती है एवं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने तथा किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त एक अनुकूल कार्य वातावरण बनाने का लक्ष्य रखती है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की समान अवसर नीति बैंक के सभी दिव्यांग कर्मचारियों पर बिना किसी भेदभाव के लागू होती है, चाहे वह उम्र, रंग, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास या उद्देश्य के लिए प्रासंगिक कोई अन्य आधार हो।

नीति को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है- https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/CBoI_Equal_Opportunity_Policy.pdf

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर.

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	99.64%	लागू नहीं	
महिला	100%	99.29%		
कुल	100%	99.4%		

6. क्या निम्नलिखित के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्रियाविधि का संक्षेप में विवरण दें.

	हाँ/नहीं यदि हाँ तो तंत्र का संक्षिप्त में विवरण दे.
स्थायी कामगार	लागू नहीं
स्थायी श्रमिकों के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ (बैंक के पास अपने समस्त कर्मचारियों के लिए एक सुव्यवस्थित एवं उचित शिकायत निवारण प्रणाली है)
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त संघ या यूनियनों में कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की सदस्यता :

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्त वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कार्मिक (ए)	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों / कार्मिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी)	%(बी/ ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कार्मिक (सी)	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/ कार्मिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)	%(डी / सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	31610	27224	86.12	30770	27662	89.89
- पुरुष	23256	20349	87.50	23022	20655	89.71
- महिला	8354	7375	88.28	7748	7007	90.43

8. कर्मचारियों व कार्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24					वित्त वर्ष 2022-23				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं.(बी)	%(बी/ए)	सं.(सी)	%(सी/ए)		सं.(ई)	%(ई/डी)	सं.(एफ)	%(एफ/डी)
पुरुष	23256	23256	100%	21273	91.47%	23022	5030	21.84%	19938	86.60%
महिला	8354	8354	100%	7754	92.82%	7748	2305	29.74%	6756	87.19%
कुल	31610	31610	100%	29027	91.83%	30770	7335	23.83%	26694	86.75%

स्वास्थ्य एवम जागरूकता उपायों पर प्रशिक्षण एवम जागरूकता कार्यक्रम सभी स्टाफ सदस्यों के लिए साप्ताहिक स्टाफ बैठक एवम इंफॉर्मेशन ऑन रन के माध्यम से किए गए.

9. कर्मचारियों एवं कार्मिकों के कार्य निष्पादन और करियर के विकास कि समीक्षा का विवरण

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24* वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022-23* पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (ए)*	संख्या (बी)	% (बी/ ए)	कुल (सी)*	संख्या (डी)	% (डी/ सी)
			कर्मचारी			
पुरुष	23256	19156	82.37	23022	17258	74.96%
महिला	8354	7669	91.80	7748	6470	83.51%
अन्य	0	0	0	0	0	0
कुल	31610	26825	84.86	30770	23728	77.11%
			कामगार			
पुरुष	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0
अन्य	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0

* उपरोक्त डेटा केवल अधिकारियों एवं लिपिक कर्मचारियों के संबंध में है क्योंकि पीएमएस हमारे बैंक में अधिकारियों तथा लिपिक कर्मचारियों के लिए है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएमएस शुरू किया गया है।

** कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, इसे नियत समय में अंतिम रूप दिया जाएगा।

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है? (हां/नहीं) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

व्यवसाय की प्रकृति के कारण कोई स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम नहीं है। हालाँकि, बैंक ने आगजनी की घटना से संबंधित कुछ सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। बैंक आगजनी सुरक्षा घटना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जैसे निकासी अभ्यास, अग्निशामक यंत्रों/अग्निशामन उपकरणों का उपयोग आदि। बैंक ने कार्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा मार्शल नियुक्त किए हैं तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे चिकित्सा आपात स्थिति/घटना के मामले में कार्य कर सकें। मार्शलों को सुरक्षा किट और प्राथमिक चिकित्सा किट प्रदान की गई है।

बी. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह सीधे तौर पर लागू नहीं होता। हां

सी. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने तथा ऐसे जोखिमों से खुद को दूर रखने की प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)।

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह सीधे तौर पर लागू नहीं होता। हां

डी. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

सभी कर्मचारियों को 24x7 असीमित टेली-मेडिकल परामर्श सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक के सभी कर्मचारी आईबीए द्वारा परिकल्पित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भी आते हैं। बीमा राशि से अधिक होने वाले व्यय भी उपलब्धता तथा उसके नियमों व शर्तों के अधीन कॉर्पोरेट बफर के अंतर्गत आते हैं।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेन्सी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख - व्यक्ति का घंटों में काम)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य – संबंधित चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
उच्च परिणाम कार्य – संबंधित या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

12. सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें.
- सभी कर्मचारियों को 24x7 असीमित टेली-मेडिकल परामर्श सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है.
 - सभी कर्मचारियों को दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेशेवर परामर्शदाताओं से गोपनीय परामर्श सेवा प्रदान की जाती है.
 - बैंक के सभी कर्मचारी आईबीए द्वारा परिकल्पित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं. यदि सीमा समाप्त हो जाती है, तो 10वें द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अन्तर्गत परिभाषित कॉर्पोरेट बफर की सुविधा भी उपलब्ध है.
 - ड्यूटी के दौरान लगी चोटों के मामले में, मेडिकल बीमा योजना के अंतर्गत कवर न किए जाने वाले अन्य सभी व्यय बैंक द्वारा वहन किए जाते हैं. होस्पिटलाइजेशन के दौरान ऐसे कर्मिकों को विशेष अवकाश भी दिए जाते हैं.
13. कर्मचारियों और कर्मिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत समाधान हेतु लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत समाधान हेतु लंबित	टिप्पणी
कार्य शर्तें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

14. वर्ष का आकलन:

किसी भी क्षेत्र/आंका द्वारा किसी भी अधिकारी के दौरे की ऐसी कोई घटना सूचित नहीं की गई.

आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिसका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)

स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय कार्य करने की स्थिति

शून्य
शून्य

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अभ्यास तथा कार्य शर्तों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण प्रदान करें.

अग्निशमन अभ्यास, निकासी सुरक्षा, शाखा सुरक्षा आदि से संबंधित सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है.

नेतृत्व संकेतक

- क्या संस्था किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति सुविधा प्रदान करती है? (हां/नहीं) – हां. बैंक मृत्यु की सूचना मिलने पर मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए ₹ 40000/- की अनुग्रह राशि प्रदान करता है. इसके अलावा, बैंक अनुकंपा नियुक्ति नीति के नियमों और शर्तों के अनुसार मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी/आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर सकता है. भविष्य निधि, प्रेच्युटी, पीएल नकदीकरण आदि जैसे सेवांत लाभों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. बैंक ऐसे विकल्पों का उपयोग करने में परिवार की सहायता करता है.

(ए) श्रमिक (हां/नहीं) – लागू नहीं.

- वैधानिक बकाया राशि की कटौति तथा वैल्यूचेन भागीदारों द्वारा जमा किए जाने की सुनिश्चितता हेतु संस्था द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दें.

लागू नहीं

- ऐसे कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्हें कार्य-संबंधी गंभीर चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है।

खराब स्वास्थ्य/चोट से संबंधित डाटा को रखा नहीं जाता है क्योंकि इससे होने वाले किसी भी व्यय का निपटान समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है.

	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		ऐसे कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जो उचित रोजगार में पुनर्वास किया गया हो या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया हो	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार परक योग्यता और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के समापन के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम उपलब्ध करवाती है? - हां, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनके सेवानिवृत्त जीवन के प्रबंधन के लिए पूर्व-सेवानिवृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था और संचालन किया जाता है।
5. आर्थिक हित भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण:

	आर्थिक हित भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के वैल्यू के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपाय	निरंक
कार्य-दशा	निरंक

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपायों का मूल्यांकन और आर्थिक हित भागीदारों की कार्य-दशा से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें। लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक				
1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें। ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, हालांकि, जो लोग हमारे बैंकिंग उत्पाद या सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें कर्मचारी और शेयरधारक शामिल हैं, उन्हें हितधारक माना जाता है।				
2. आपकी संस्था हेतु महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति.				
हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार के माध्यम (ई-मेल, एसएमएस, समाचारपत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, सूचनापट्ट वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/छमाही/त्रैमासिक/अन्य) कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, एसएमएस, स्टाफ मीटिंग / सम्मेलन, इंटरनेट पोर्टल.	बार-बार और आवश्यकता आधारित	नियोक्ता कर्मचारी जुड़ाव, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोड मैप, बैंक का विजन और मिशन, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, शिकायतों का निवारण
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र विज्ञापन, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, वार्षिक आम बैठकें, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय और निवेशक बैठकें / सम्मेलनों	बार-बार और आवश्यकता आधारित	शेयरधारकों को बैंक की वित्तीय प्रगति एवं अन्य विकास से अवगत करना.
ग्राहक	नहीं	पत्र, ईमेल, एसएमएस, बैठकें, वेबसाइट, आउटरीच ग्राहक कार्यक्रम, सोशल मीडिया	बार-बार और आवश्यकता आधारित	बेहतर ग्राहक संबंध बनाए रखना, ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करना, शिकायत, यदि कोई हो का समाधान करना.
चैनल भागीदार और प्रमुख भागीदार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	पत्रों, ईमेल के माध्यम से नियमित आधार पर जुड़ते हैं. बैठकें मासिक/द्वि-मासिक/त्रैमासिक आधार पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाती हैं	• बैंक का कार्यनिष्पादन • जोखिम और अनुपालन के मुद्दे और इसको कम करने के लिए किए गए उपाय.
भारत सरकार	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	पत्रों, ईमेल के माध्यम से नियमित आधार पर जुड़ते हैं. आवश्यकता पड़ने पर बैठकें आयोजित की जाती हैं	• बैंक का कार्यनिष्पादन • नियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन.



समुदाय और गैर सरकारी संगठन	लागू नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें, विज्ञापन, वेबसाइट, सोशल मीडिया	बारम्बार और आधारित	दान करके, आपदा प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर समाज की बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान करना.
----------------------------	-----------	--	--------------------	---

नेतृत्व संकेतक

- आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रिया का विवरण प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श पर प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।
विभिन्न बैठकों के माध्यम से विभिन्न आर्थिक और अन्य विषयों पर हितधारकों और बैंक के बीच परामर्श होता है।
- क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त सूचनाओं को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था जहां संभव हो, शेयरधारकों के सूचना और सुझावों को नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है।
- कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे जुड़ने के उदाहरणों और उनके लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने के नाते बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। बैंक अपने ग्राहकों, सीमांत कमजोर वर्ग/कमजोर हितधारक समूहों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार मानदंडों के अनुसार बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। बैंक अपने ग्राहकों को वित्तीय समावेशन उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए अभियान भी चलाता है।

सिद्धांत 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

- कर्मचारी और कामगार जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीतियों पर प्रशिक्षण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान किया गया है:

संवर्ग	वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्त वर्ष		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (बी)*	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	31610	31610	100%	30770	3880	12.60%
स्थायी के अतिरिक्त	0	0	0	0	0	0
कुल कर्मचारी	31610	31610	100%	30770	3880	12.60%
कामगार						
स्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी के अतिरिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* सभी स्टाफ सदस्यों हेतु मानवाधिकारों के मुद्दों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम (अर्थात् पॉश आदि) "साप्ताहिक स्टाफ मीटिंग" और "इंफॉर्मेशन ऑन द रन" के माध्यम से आयोजित किए गए हैं।

- कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

संवर्ग	वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्त वर्ष		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	31610	31610	100%	30770	30770	100%
पुरुष	23256	23256	100%	23022	23022	100%
महिला	8354	8354	100%	7748	7748	100%
स्थायी के अतिरिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/ वेतन/ संबंधित श्रेणी की मजदूरी	संख्या	औसत पारिश्रमिक/ वेतन/ संबंधित श्रेणी की मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी) (गैर-आधिकारिक और शेरधारक निदेशकों की बैठक शुल्क को छोड़कर)	4	308448	शून्य	शून्य
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	23247	98429.48	8353	87797.52

4. क्या आपके पास कोई संपर्क बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उसके कारण किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या विषयों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है?

नहीं

5. मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें.

बैंक अपने सभी हितधारकों और कर्मचारियों के साथ व्यवसाय करने और व्यवहार करने में उच्चतम नैतिक मानकों के साथ सभी लागू नियमों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है. हम अपने कार्यबल के लिए उनकी जाति, लिंग, कार्य, पदनाम आदि का भेद किए बिना एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं. मानवाधिकारों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को क्षेत्रीय और आंचलिक स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाता है.

बैंक ने प्राप्त सभी अभ्यावेदनों की तिमाही आधार पर समीक्षा और मूल्यांकन के लिए एक बोर्ड का गठन किया है. बैंक की आचार संहिता, व्यावसाय संहिता और हित टकराव पर भी नीति है और उक्त नीति के प्रावधान में किसी भी विचलन के लिए "शून्य सहिष्णुता" है.

बैंक ने कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है, ताकि वे अपनी समस्या बता सकें और उसका त्वरित गति से उचित समाधान सुनिश्चित कर सकें।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022 - 23 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत में समाधान हेतु लम्बित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत में समाधान हेतु लम्बित	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	3	0	0	5	1	लंबित शिकायत का निपटान 20.04.2023 को किया गया
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0	0	0
बाल मजदूरी	0	0	0	0	0	0
भत्ते	0	0	0	0	0	0
अन्य मानवाधिकार संबंधी मामले	0	0	0	0	0	0

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए तंत्र.

पॉश अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सभी आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों में समिति का गठन किया गया है. पॉलिसी बैंक की वेबसाइट और स्टाफ ओनली पोर्टल पर व्यापक रूप से उपलब्ध कराई गई है ताकि कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों और इसके उल्लंघन में गंभीर परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके. बैंक कर्मचारियों को पॉश अधिनियम के बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला भी आयोजित करता है.

8. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यवसाय समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? हाँ

9. वर्ष हेतु मूल्यांकन :



**आपके कारखानों एवं कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया
(संस्था अथवा वैधानिक प्राधिकरण या तृतीय पक्ष द्वारा)**

बाल श्रम	शून्य
जबरन/अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य - कृपया स्पष्ट करें	शून्य

नेतृत्व संकेतक

- मानवाधिकारों की समस्याओं/शिकायतों के समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रारंभ की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण.
मानवाधिकार समस्याओं/शिकायतों के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.
- किए गए किसी भी मानवाधिकार के बारे में उचित सावधानी बरतने के दायरे और कवरेज का विवरण.
बैंक सभी स्टाफ सदस्यों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने सहित समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है. लिंग, राष्ट्रियता, धर्म, विकलांगता, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव से संबंधित मुद्दे बैंक की नीति और नियामक शर्तों के प्रावधान के अनुसार मुद्दे की प्रकृति के आधार पर स्वतंत्र और तटस्थ जांच के अधीन हैं, इसे लागू नीति, कानूनों और विनियमों के अनुसार हल निकाला जा रहा है.
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, क्या संस्था का परिसर/कार्यालय अलग-अलग दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?
हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में विकलांग लोगों के आसान आवागमन के लिए रैंप/लिफ्ट हैं. हमारी अधिकांश शाखाएं/कार्यालय या तो भूतल पर स्थित हैं या वहां दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट और आधारभूत सुविधा है.
- आर्थिक हित भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

**आपके संयंत्र एवं कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया
(संस्था अथवा वैधानिक प्राधिकरण या तीसरे पक्ष द्वारा)**

बाल श्रमिक	शून्य
जबरन / अनिच्छुक श्रमिक	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य - कृपया स्पष्ट करें	शून्य

- उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें. **लागू नहीं**

सिद्धांत 6 : व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसके संरक्षण एवं पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- कुल ऊर्जा खपत का विवरण (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा घनत्व निम्नलिखित प्रारूप में :

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल बिजली खपत (ए)	702.00 लाख किलोवाट	627.03 लाख किलोवाट
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	शून्य	शून्य
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	702.00 लाख किलोवाट	627.03 लाख किलोवाट
प्रति रूपया व्यवसाय पर ऊर्जा घनत्व (कुल ऊर्जा खपत/ रूपये में व्यवसाय)	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी: - बैंक ईएसजी पहल के रूप में बिजली की खपत को कम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने ग्रीन चैनलों द्वारा उत्पन्न बिजली का उपभोग करने तथा जुड़े हुए चैनलों द्वारा उत्पन्न बिजली के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कुछ शाखाओं/क्षेत्रों/आंचलिक कार्यालयों में सौर उपकरण भी स्थापित किए हैं।

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/ सुविधाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएँ कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, तो प्रदान करें: **नहीं**
3. पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:
बैंक द्वारा पानी का उपयोग केवल मानव उपभोग के प्रयोजनों तक ही सीमित है। कार्यालय परिसर में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयास किए गए हैं। निगम यह सुनिश्चित करता है कि कार्यालय एवं शाखाओं से घरेलू अपशिष्ट (सीवेज) जल निकासियों में न जाने दिया जाए।
4. क्या इकाई ने शून्य तरल विकास के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज एवं कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें:
नहीं
5. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: **लागू नहीं**
6. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन) और इसकी सघनता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: **लागू नहीं**
7. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें: **लागू नहीं**
8. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल उत्पन्न अपशिष्ट		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	*	*
ई – अपशिष्ट (बी) (₹ लाख में)**	9.00	5.45
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)	उपयुक्त नहीं	उपयुक्त नहीं
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी)		
बैटरी अपशिष्ट (इ)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो. (जी)		
अन्य गैर-खतरनाक उत्पन्न अपशिष्ट (एच). कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो. (संरचना के अनुसार अर्थात् क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार विभाजन)		
कुल (ए + बी + सी + डी + इ + एफ + जी + एच)	9.00	5.45

* अधिकृत पुनर्विक्रेताओं के माध्यम से अपशिष्ट का निपटान किया जाता है।

** भार के अनुसार डेटा उपलब्ध नहीं .

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें।

अधिकृत पुनर्विक्रेताओं के माध्यम से दिशा-निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट का निपटान किया जाता है। उपयोग किए गए उपकरण नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। हमारे उत्पादों में खतरनाक और जहरीले रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है।

10. यदि संस्था के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें: **लागू नहीं**



- चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन का विवरण: **लागू नहीं**
- क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियम (हां/नहीं). यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: **हां**

नेतृत्व संकेतक

- नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	शून्य	शून्य
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (सी)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	शून्य	शून्य
गैर नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (डी)	शून्य	शून्य
कुल ईंधन खपत (इ)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (एफ)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (डी+ई+एफ)	शून्य	शून्य

- डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं**

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
नियत स्थान और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) अन्य स्रोत का जल		
- कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		

कुल डिस्चार्ज किया गया पानी (किलोलीटर में)

के बारे में

कार्यनीति

पृष्ठी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

3. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में): **लागू नहीं**
4. कृपया निम्न प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी सघनता का विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं**
5. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं**
6. यदि इकाई ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही ऐसी पहल के परिणाम प्रदान करें: **लागू नहीं**
7. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें.
हां, हमारे बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीसीपी/डीआर नीति है और इसे कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित पक्षों को परिचालित किया जाता है. प्रत्येक विभाग ने अपने महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों की पहचान की है और किसी भी घटना/ आपदा के मामले में महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है. डीआर व्यवस्थाओं की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं. प्रत्येक शाखा ने दो नजदीकी शाखाओं की पहचान की है और उनसे लिंक किया है और आरओ द्वारा मैप किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित शाखा की सभी व्यावसायिक गतिविधियों को परिपत्र संख्या 2986 दिनांक 04.02.2022 के अंतर्गत तत्काल शुरू किया जा सके. महत्वपूर्ण प्रणालियों के मजबूत कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर डीआर अभ्यास किए जा रहे हैं. डीआर अभ्यास के परिणाम को रिकॉर्ड किया जाता है और उचित उपचार/ रिकवरी के उपाय करने के लिए संबंधित कार्यक्षेत्रों को साझा किया जा रहा है.
8. इकाई के आर्थिक हित से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें. इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूल उपाय किए गए हैं?
पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं.
9. आर्थिक हित भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था. **लागू नहीं**

सिद्धांत 7: व्यवसाय जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए .

आवश्यक संकेतक

1. ए. व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्धता की संख्या- 10
बी. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जो इकाई का सदस्य / से संबद्ध है.

क्र. स.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	राष्ट्रीय
2	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)	राष्ट्रीय
3	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)	राष्ट्रीय
4	राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम)	राष्ट्रीय
5	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)	राष्ट्रीय
6	इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)	राष्ट्रीय
7	फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडआई)	राष्ट्रीय
8	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)	राष्ट्रीय
9	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)	राष्ट्रीय
10	वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो	राष्ट्रीय



2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

प्राधिकरण का नाम	मामले का सार	कृत सुधारात्मक कार्रवाई			
		निरंक			
		नेतृत्व संकेतक			
1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण -					
क्र.	समर्थित सार्वजनिक नीति	इस तरह की पैरवी के लिए अपनाया गया तरीका	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है ? (हाँ/ हाँ)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक / अन्य कृपया स्पष्ट निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1.	केवाईसी-एएमएल नीति		हाँ	वार्षिक	https://www.centralbankofindia.co.in/hi
2.	सरकारी व्यवसाय नीति		हाँ	वार्षिक	
3.	चेक संग्रहण नीति		हाँ	वार्षिक	
4.	बैंक जमा पर नीति		हाँ	वार्षिक	
5.	सुरक्षित जमा लाकर पर नीति		हाँ	वार्षिक	
6.	रिकार्ड रखाव नीति		हाँ	वार्षिक	
7.	मृतक जमाकर्ताओं के दावे निपटान और सुरक्षित जमा लॉकरों/ सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं की वापसी और गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों के निपटान हेतु नीति	बैंक की आंतरिक नीति	हाँ	वार्षिक	
8.	वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांग/ अक्षम खाताधारकों के लिए नीति		हाँ	वार्षिक	
9.	मुआवजा नीति		हाँ	वार्षिक	
10.	ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र पर नीति		हाँ	वार्षिक	
11.	ग्राहक अधिकार नीति		हाँ	वार्षिक	

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण. **लागू नहीं**
- निम्नलिखित प्रारूप में परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें, जिसके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं: **लागू नहीं**
- समुदाय की शिकायतों पावती और उनका निवारण करने वाले तंत्र का वर्णन करें.
शिकायत निवारण तंत्र नीति के अनुसार है.
- आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सूचनाओं सामग्री का प्रतिशत (मात्रा के आधार पर कुल सूचनाओं में धारित सूचना):
ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

के बारे में

कार्यनीति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

नेतृत्व संकेतक

- सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाईयों का विवरण प्रदान करें। (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1): **किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की सूचना नहीं दी गई है।**
- सरकारी निकायों द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: **लागू नहीं**
- (ए) क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/ कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? **हां**
(बी) आप किन सीमांत/ कमजोर समूहों से प्राप्त करते हैं? **सूक्ष्म और लघु उद्यम**
(सी) कुल खरीद (मूल्य के आधार) यह कितना प्रतिशत है? **ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है**
- पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण: **उपलब्ध नहीं**
- बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है। **उपलब्ध नहीं**
- सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

राशि करोड़ में

क्रम	नाम	गैर-सरकारी संगठन / संस्थान	उद्देश्य	मात्रा
1	भारतीय पैरालंपिक समिति (दिव्यांग खेल)	भारतीय पैरालंपिक समिति	एशिया पैरालम्पिक खेल	2.00
2	गुजरात उद्यमशीलता उत्कृष्टता फाउंडेशन (जीएफईई) (आई क्रिएट अंतर्राष्ट्रीय उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी केंद्र)	गुजरात उद्यमशीलता उत्कृष्टता फाउंडेशन (जीएफईई)	इको सिस्टम को सशक्त बनाने में आई क्रिएट को योगदान	1.00
3	स्पार्क स्कूल फॉर पोटेण्शियल एडवांसमेंट एंड रीस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंडिया (दिव्यांगजन) (गैर-सरकारी संगठन)	संभावित उन्नति और आत्मविश्वास की बहाली के लिए स्कूल लखनऊ (गैर-सरकारी संगठन)	बच्चों/व्यक्तियों की मानसिक दिव्यांगता में सहायता करना	0.25
4	श्री सरस्वती शिशु मंदिर एक अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल (आधुनिकीकरण और कौशल विकास केंद्र)	श्री सरस्वती शिशु मंदिर विद्या पीठम अनंतपुरम समिति	एसएसएसएम हाई स्कूल तिरुपति आं. प्र. में आधुनिकीकरण और कौशल विकास	0.25
5	न्यू पीडियाट्रिक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल तिरुपति (प्राणदान ट्रस्ट)	श्री पद्मावती चिल्ड्रेन हॉस्पिटल तिरुपति	नए बाल चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए रक्त बैंक उपकरण	1.00
6	साहित्य गगन महल ट्रस्ट (जल संयंत्र) (गैर-सरकारी संगठन)	साहित्य गगन महल ट्रस्ट का स्कूल और कॉलेज (गैर-सरकारी संगठन)	आरओ प्लांट	0.11
7	एसएलएनएसडी हैदराबाद (2 बैटरी चलित वाहन)	श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी देवस्थानम हैदराबाद	दो बैटरी चलित वाहन 6 सीटर एपी	0.13
8	विजय मैरी हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद	विजय मैरी हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद	इको वाहन	0.07
9	मॉडर्न हाई स्कूल गुवाहाटी	मॉडर्न हाई स्कूल, गीता नगर, गुवाहाटी	मॉडर्न हाई स्कूल, गुवाहाटी के बुनियादी ढांचे का उन्नयन	0.01
10	एनईसीबीडीसी (पूर्वोत्तर के बांस श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा किट) गुवाहाटी	उत्तर-पूर्व बेत और बांस विकास परिषद	पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी के 100-120 बांस श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा किट	0.07



क्रम	नाम	गैर-सरकारी संगठन / संस्थान	उद्देश्य	मात्रा
11	सामाजिक आर्थिक अनुसंधान संस्थान पाटलिपुत्र बिहार (एचआईएलएनईटी एलएलआईएन मच्छरदानी) (एनजीओ)	सामाजिक आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (एनजीओ)	सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम पहल	0.07
12	आईआईएम, मुंबई में हमारे बैंक के नाम पर एक चेयर प्रोफेसर की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुंबई	आईआईएम मुंबई में चेयर प्रोफेसर	1.00
13	भारत योग माला, कैवल्यधाम योग	चार केंद्रों पर योग माला, कैवल्यधाम योग	योग से स्वास्थ्य लाभ	0.10
14	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षणिक सेवाभावी संस्था, नांदेड़ (एमएस) के लिए कार्डियक एम्बुलेंस प्रोजेक्ट	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षणिक सेवाभावी संस्था, नांदेड़ (एमएस)	कार्डियक एम्बुलेंस परियोजना.	0.41
15	आलोक चैरिटेबल ट्रस्ट गंगागढ़ गांव, बुलंदशहर यूपी में शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन	गंगागढ़ गांव, बुलंदशहर यूपी में शिक्षा और स्वास्थ्य	आलोक चैरिटेबल ट्रस्ट	0.02
16	अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल में वेक्टर जनित रोगों (वीबीडी) की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवा लाभ कार्यक्रम	सामाजिक आर्थिक अनुसंधान संस्थान(एसईआरआई)	वेक्टर जनित रोग (वीबीडी), अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल	0.05
17	श्री कांची कामकोटि पीठम चैरिटेबल ट्रस्ट	शंकरालयम, चेटपेट, चेन्नई.	पारंपरिक और समकालीन दोनों शैक्षणिक गतिविधियाँ, आयुर्वेद शिक्षा और आयुर्वेद अस्पताल और समकालीन चिकित्सा में स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र	0.50
18	पुराने सरकारी अस्पताल, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में भर्ती/बहिर्वाही मरीजों के परिचारक	पुराने सरकारी अस्पताल, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में भर्ती/बहिर्वाही मरीजों के परिचारक	आंतरिक/बाह्य रोगियों के परिचारक	0.02
19	आर-सेटी	विभिन्न स्थानों (बलिया/लखनऊ, कटिहार/पटना, देवघर/कोलकाता) पर आर-सेटी भवन का निर्माण	उत्पादक रोजगार के लिए प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना	1.06
20	स्पार्क स्कूल फॉर पोटेंशियल एडवांसमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंडिया (शारीरिक रूप से विकलांग) (एनजीओ)	संभावित उन्नति और आत्मविश्वास की बहाली के लिए स्कूल (एनजीओ)	बच्चों/व्यक्तियों की तंत्रिका संबंधी विकलांगता में सहायता करना	0.20
कुल				8.30

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और जिम्मेदार तरीके से उनका सम्मान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें.

शिकायत निवारण तंत्र

बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार किया गया है. शिकायत निवारण प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से पहचाना और परिभाषित किया गया है. शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी स्तरों पर शिकायतों के समाधान के लिए प्रणाली और मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाई गई हैं.

शिकायत निवारण नीति: -

इस नीति का उद्देश्य उचित सेवा प्रदान कर और समीक्षा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों और शिकायतों की घटनाओं को कम करना और ग्राहकों की शिकायतों और शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करना है। समीक्षा प्रणाली को उत्पाद सुविधाओं और सेवा की कमियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए।

वेबसाइट पर ग्राहक सेवा विवरण:-

बैंक ने कॉल सेंटर का विवरण, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य के लिए हेल्पलाइन नंबर अपडेट किए हैं। भीम ऐप, एनईएफटी हैंडलिंग टीम, पेंशन के लिए नोडल अधिकारी, बैंकिंग लोकपाल, ग्राहक सेवा और क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय में शिकायत निवारण नोडल अधिकारी इसकी वेबसाइट पर हैं।

इसके लिए वेब लिंक https://www.centralbankofindia.co.in/en/customer_care इसके अतिरिक्त शिकायतें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के <https://centralbankofindia.co.in/ogrs/customerlogin> के ग्राहक लॉगिन के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं, इसके अलावा ग्राहक 18003030 पर कॉल भी कर सकते हैं।

2. उत्पादों के टर्नओवर/और सेवाओं के बारे में जानकारी रखने वाले सभी उत्पाद/ सेवा से टर्नओवर प्रतिशत के रूप में

	कुल टर्नओवर का प्रतिशत
उत्पाद के संबंध में पर्यावरण और सामाजिक पैरामीटर	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार प्रयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्न के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2023-24 मौजूदा वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022-23 पहले का वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष की समाप्ति पर लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष की समाप्ति पर लंबित समाधान	टिप्पणी
डेटा गोपनीयता	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं का वितरण	-	-	-	-	-	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार आचरण	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार प्रथाएँ	-	-	-	-	-	-
अन्य	123195	2990		146352	2116	

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण: लागू नहीं
5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक बताएं।

जी हाँ, क्योंकि यह एक आंतरिक दस्तावेज है अतः यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे सुधारात्मक कदमों का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस मंगाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए जुर्माने / कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए सुधारात्मक कार्यावधि में सम्मिलित हैं:

- डिजिटल लेनदेन के लिए 2एफए
- ग्राहकों को एसएमएस
- चेतावनी निगरानी



नेतृत्व संकेतक

1. इकाई के उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी जिस प्लेटफॉर्म/ चैनल पर उपलब्ध है उनको एक्सेस किया जा सकता है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक उपलब्ध कराएं)
ए) वेबसाइट <https://www.centralbankofindia.co.in/en> ,
बी) "Cent Mobile" के नाम से मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर में (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.CentralBank>) और ऐप स्टोर (<https://apps.apple.com/in/app/centmobile/id1053790727>) पर उपलब्ध है.
सी) यूट्यूब (https://www.youtube.com/channel/UCAIZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ), ट्विटर (https://twitter.com/centralbank_in), फेसबुक (<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>), लिंक्डइन (<https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia>) और इंस्टाग्राम (<https://www.instagram.com/centralbankofindiaofficial>) पर सोशल मीडिया नेटवर्क.
डी) टोल फ्री संख्या 1800 3030 .
2. उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिये उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिये उठाये गये कदम हम बैंक उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिये उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिये निम्नलिखित आवश्यक कदम उठा रहे हैं :
ए) फेसबुक , लिंक्ड इन , इंस्टाग्राम , यू ट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को सुरक्षा उपायों के बारे में सूचित किया जाता है .
बी) जागरूकता बढ़ाने के लिये इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे अन्य प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाता है.
सी) ग्राहकों को एस एम एस के माध्यम से , बैंक से सुरक्षा जागरूकता संदेश प्राप्त हो रहे हैं.
डी) बैंक से लेन-देन एस एम एस / ओ टी पी एस एम एस प्राप्ति पर ग्राहक, सायबर सुरक्षा जागरूकता सुझाव भी प्राप्त करते हैं.
ई) ग्राहकों की जागरूकता हेतु ए टी एम पर्ची पर , सुरक्षा जागरूकता संदेश भी प्रदर्शित किये जाते हैं.
एफ) विभिन्न सुरक्षा जागरूकता स्टैंडीज़ को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है.
3. उपभोक्ताओं को , आवश्यक सेवाओं में अवरोध/ बंद हो जाने के जोखिम को सूचित करने की प्रणाली तकनीकी कारण से होने वाले किसी भी अवरोध को एस एम एस या मेल के द्वारा सूचित किया जाता है.
4. क्या ईकाई द्वारा, स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद जानकारी, उत्पाद पर प्रदर्शित की जाती है? अगर हां, संक्षेप में विवरण प्रदान करें.
नहीं
में अवरोध के मुख्य उत्पाद और सेवाओं से सम्बंधित उपभोक्ता संतुष्टि का कोई सर्वे सम्पूर्ण ईकाई के तौर पर या परिचालन के प्रमुख स्थानों पर ईकाई द्वारा कराया गया है? (हां/नहीं)
हां
5. डेटा उल्लंघन से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायें
ए) डेटा उल्लंघन से सम्बंधित घटनायें और उनका प्रभाव – अब तक ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं है
बी) ग्राहकों की वैयक्तिक परिचायक सूचनाओं से सम्बंधित डेटा उल्लंघन का प्रतिशत - लागू नहीं

के बारे में

कार्यनीति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

बैंक की लाभांश वितरण नीति

बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनायी है जो बैंक की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है

<https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Dividend%20Distribution%20Policy%202023-24.pdf>



किशोर एंड किशोर

सनदी लेखाकार

सी-7, सेक्टर - ई (न्यू), अलीगंज

लखनऊ - 226024 (उ.प्र.)

ए डी वी एंड कंपनी,

सनदी लेखाकार,

प्रथम तल, महावीर गौशाला कॉम्प्लेक्स

के के रोड, मौधापाड़ा,

रायपुर - 492001 (सी.जी.)

ए आर एंड क.

सनदी लेखाकार

ए-403, गायत्री अपार्टमेंट्स,

एयरलाइंस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी,

प्लॉट नं. 27, सेक्टर- 10 द्वारका

नई दिल्ली - 110075

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सदस्यगण

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

मुंबई.

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('मूल बैंक') के एकल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 को एकल तुलन पत्र, एकल लाभ और हानि खाता और समाप्त वर्ष के लिए एकल नगद प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं। उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किए गए प्रधान कार्यालय, 12 अंचल और

I. हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 1 विशिष्ट एकीकृत ट्रेजरी शाखा.

II. 20 शाखाएं हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गईं.

III. 1356 शाखाओं का संबंधित संवैधानिक शाखा लेखापरिक्षकों द्वारा लेखापरिक्षण किया गया.

हमारे द्वारा शाखाओं का लेखा परीक्षण किया गया और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। एकल तुलन पत्र, एकल लाभ-हानि खाता और एकल नगद प्रवाह विवरण में 3124 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं, जिनका लेखा परीक्षा नहीं किया गया है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 27.74 प्रतिशत अग्रिम, 47.37 प्रतिशत जमा, 31.70 प्रतिशत ब्याज आय और 44.95 प्रतिशत ब्याज व्यय के लिए उत्तरदायी है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंक के लिए आवश्यक तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और

- एकल तुलन पत्र, उस पर नोट्स के साथ पढ़ी जाने वाली एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, उचित रूप से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2024 तक बैंक के मामलों की स्थिति को सही और निष्पक्ष प्रदर्शित किया जा सके।
- उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि खाते के मामले में शेष लाभ की सही स्थिति दर्शाता है और
- एकल नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही और निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है

अभिमत का आधार

2. हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है। नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

मामले का महत्व

3. हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि:

- अस्थगित कर के संबंध में विवरण के नोट संख्या 15 (एफ) (iv), जिसमें समय के अंतर से उत्पन्न होने वाले संभावित कर लाभों के संबंध में बैंक के प्रबंधन द्वारा की गई कर समीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2024 को ₹ 4294.57 करोड़ की शुद्ध अस्थगित कर संपत्ति (31 मार्च 2023 को ₹ 5,798.90 करोड़) है।

इस सम्बंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

के बारे में

कार्यनीति

पैनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ

में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

1. आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 9 देखें)

अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है। गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा ही की जाती है।

एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित आरबीआई के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है। एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य पर भी निर्भर होता है। पुनर्गठित खातों में प्रावधान आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान करने के लिए प्रबंधन के कड़े प्रयास, प्रावधान (एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए गए आस्तियों के प्रावधान सहित) निर्धारित करते समय प्रबंधन का निर्णय, एनपीए की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन और इन सभी का बैंक की वित्तीय विवरणियों पर होने वाले प्रभाव के कारण गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से सम्बंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है।

विशेष रूप से :

- हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पद्धति का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है;
 - हमने एनपीए की पहचान की प्रक्रिया, और आय के प्रत्यावर्तन और प्रावधान के निर्माण का आकलन और मूल्यांकन किया।
 - हमने आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण की भागीदारी सहित प्रासंगिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का उपयोग करने वाली प्रमुख आईटी प्रणालियों/अनुप्रयोगों का विश्लेषण किया और समझा।
- मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधन दोनों ने,
- समय रहते उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य में कमी को पहचान लिया गया।
 - भारतीय रिजर्व बैंक कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ के मानदंडों को पूरा करने वाले खातों सहित परिसंपत्ति वर्गीकरण की समय-समय पर निगरानी और पहचान के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- हम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में सम्बंधित शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर के सभी एमओयू पर विश्वास किया है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

2. निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियों में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है जिन्हें तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है. निवेश बैंक की कुल आस्ति का एक बड़ा हिस्सा है.

निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय और उसके लिए प्रावधान की मान्यता, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक परिपत्रों /दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार किया जाता है. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें)

उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिनमें विभिन्न स्रोतों से जैसे कि एफबीआईएल दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी आदि से डेटा/सूचनाएं एकत्रित करना शामिल है इत्यादि शामिल है.

भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अनुसार, कुछ निवेश ऐसे हैं जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित हैं तथापि कुछ निश्चित निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित हैं जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल हैं. इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है..

इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसे हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है.

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

आरबीआई परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निवेश से संबंधित मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा और परीक्षण शामिल था. विशेष रूप से:

- हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, प्रावधान और निवेश पर मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का आकलन किया और समझा.
- आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ निवेश के चयनित नमूनों के लिए सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया.
- हमने एनपीआई की पहचान और आय के संगत उलटफेर और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया.
- हमने बनाए जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं.
- हमने मूल्यांकन किया कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण प्रकटीकरणों ने मौजूदा लेखांकन मानकों और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में निवेश मूल्यांकन जोखिमों के लिए बैंक के जोखिम को उचित रूप से दर्शाया है.

के बारे में

कार्रवाई

पृष्ठी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

मूल लेखापरीक्षा मामले

3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग –

बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है और लेनदेनों की बृहद मात्रा को नियंत्रित करती है।

प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है।

बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए उच्च प्रबंधन के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी (डीआईटी) विभाग है।

तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण के वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण उस पर केंद्रित की गई है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया। लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है। विशेष रूप से:

- हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक की आईटी नियंत्रण स्थिति एवं मूल परिवर्तनों को समझा है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है।
- हमने बैंक के मूल आईटी सिस्टम के ऊपर सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभाविता की जांच की है जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है।
- हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रीय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई असम्बोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों, वित्तीय विवरणियों से अन्य सूचनाएं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है।

4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे:

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक दायित्व का आकलन (अनुसूची 17 की नोट संख्या 13 और अनुसूची 18 की नोट संख्या 15 (एच))

प्रावधान के स्तर का आकलन करने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह से समर्थित है, जहां भी आवश्यक समझा जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर आकस्मिक होता है। प्रबंधन के फैसले में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावों और मुकदमों से अंततः देयता नहीं होगी।

हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित/अनिश्चित हैं।

इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है

हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं।

हमने व्यापक रूप से प्रावधानीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की लेकिन चूंकि प्रभाव की सीमा भविष्य के विकास पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हम मुख्य रूप से उन अनुमानों और प्रावधान पर निर्भर थे, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं।

हमने दावों और कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और ऐसे मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और अंतिम समाधान पर दावों/मुकदमों के अंतिम देयता में तब्दील होने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों के आधार पर हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है

एकल वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल है, जो हमें इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करने के समय प्राप्त हुई थी, और निदेशकों की रिपोर्ट जिसमें अनुलग्नक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, लाभांश वितरण नीति और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2023-24 और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन बैंक को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। चर्चा और विश्लेषण शामिल हैं जो उस तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा यह उत्तरदायित्व है कि उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना जब भी उपलब्ध होगी, उसे पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणियों के साथ अथवा लेखापरीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक असंगत है अथवा वह अन्यथा विषय से अयथार्थ प्रतीत होती है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें यह तथ्य दर्शाना होता है। हमें इस सम्बंध में कुछ नहीं कहना है।

जब हम अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उन आरोपित मामले को गवर्नेंस को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियामकों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करनी होगी।

गवर्नेंस को सूचित आरोपित मामलों और समेकित वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबन्धतंत्र की जिम्मेदारी

6. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, तथा एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक की एकल वित्तीय

स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और समूह का एकल नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उपर्युक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हो पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं जो एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं कारण चाहे धोखाधड़ी और त्रुटि हो।

एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने कार्यशील संस्था के तौर निरंतर बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्थाओं को लागू मामलों संबंधी प्रकटीकरण तथा कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए समूह के संबंधित निदेशक मंडल उत्तरदायी है तब तक समूह का संबंधित निदेशक मंडल न तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा जब तक ऐसा करने सिवाय कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो। समूह का संबंधित निदेशक मंडल समूह के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य, यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरणियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त है, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जिसमें हमारी राय शामिल है। यह तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि एकल वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अयथार्थ का सदैव पता लगेगा। अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, तो इन एकल वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं कि

- एकल वित्तीय विवरणियों के विषयी अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आकलन करना, चाहे वो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं क्योंकि

धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड सम्मिलित हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो, लेकिन समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य पर आधार पर प्रबंधन उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है। हमें अपना ध्यान अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर आकर्षित करना होगा अथवा, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक का एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना एवं क्या एकल वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत वक्तव्यों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में मूल बैंक के गवर्नेस के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर गवर्नेस का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का

पालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा, जहां लागू हो पर उचित रूप से माना जा सकता है,

गवर्नेस के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनमानस लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

अन्य मामले

8. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 1356 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारी का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक कुल संपत्ति ₹ 2,07,912 करोड़ और कुल राजस्व ₹ 8,313 करोड़ दर्शाती है। ये शाखाएं दिनांक 31 मार्च 2024 तक 30.08 प्रतिशत अग्रिम, 48.99 प्रतिशत जमा और 16.02 प्रतिशत गैर-निष्पादित संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 38.33 प्रतिशत राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी का लेखापरीक्षा उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें सौंपी गई है, और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर आधारित है..
9. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अपने ऑडिट के संचालन में, हमने संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 3124 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिनके वित्तीय विवरण/जानकारी 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,13,873 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹ 7,632 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। ये अलेखापरीक्षित शाखाएं 31 मार्च 2024 तक 27.74 प्रतिशत अग्रिम, 47.37 प्रतिशत जमा और 15.82 प्रतिशत गैर-निष्पादित संपत्ति और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए 35.19 प्रतिशत राजस्व को कवर करती हैं..

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. एकल तुलनपत्र तथा एकल लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है; उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 9 में दर्शाई गई ऑडिट की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:



ए. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

बी. बैंक के लेन-देन, जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं; और

सी. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारे लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

11. जैसा कि आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के बाद के संप्रेषण के साथ पठित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग" पर 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या डीओएस.एजीआर नं. 6270/08.91.001/20219-20 द्वारा आवश्यक है, हम पूर्वोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:

ए. हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

बी. वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणियाँ नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सी. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं।

डी. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ई. 17 मार्च, 2020 (संशोधित) के आरबीआई पत्र संख्या DOS. ARG. No. 6270/ 08.91.001/2019- 20 द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च 2024 के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

12. हम आगे रिपोर्ट करते हैं :

ए. हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा यथा अपेक्षित खाता बहियां रखी गई हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से ऐसा प्रतीत होता है और हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

बी. एकल तुलनपत्र, एकल लाभ और हानि खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए एकल नगद प्रवाह विवरण खाते की पुस्तकों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ समझौते में हैं।

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखाओं पर रिपोर्टें हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उन पर समुचित रूप से विचार किया गया है; और

डी. हमारी राय में, एकल बैलेंस शीट, एकल लाभ और हानि खाता और एकल नगद प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, उस हद तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते किशोर एंड किशोर
सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं.: 000291N

(सीए पी.आर. करंथ)
भागीदार
M. No. – 018808
यूडीआईएन : 24074272BKEHFU9660

कृते एडीवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 005593C

(सीए बंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं. 074272
यूडीआईएन :

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2024

कृते एआर एंड सीओ
सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 002744C

(सीए पवन गोयल)
भागीदार
M. NO. – 072209
यूडीआईएन : 24072209BKFDGL6298

के.बारे.में

कार्यालय

पुणे

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक “ए”

(पैराग्राफ 11 (ई) में हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 9 अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट“ खंड के तहत संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट, पत्र DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) (“आरबीआई संचार”)

1. हमने 31 मार्च, 2024 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (“मूल बैंक”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ किया है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंक का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत यथापेक्षित है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (“द गाइडेन्स नोट”) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक अपना लेखापरीक्षा किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग

पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

- (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और यह कि बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जो एकल वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

5. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में



बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है

अभिमत

6. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए मानदंड के आधार पर 31 मार्च, 2024 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे.

कृते **किशोर एंड किशोर**
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.: 000291N

(**सीए पी.आर. करंथ**)
भागीदार
M. No. – 018808
यूडीआईएन :

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 005593C

(**सीए बैंकिंग शुक्ला**)
भागीदार
एम.नं. 074272
यूडीआईएन : 24074272BKEHFU9660

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2024

अन्य मामले

7. हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 185 (एक सौ पचासी) शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों/सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की तदनुसूची रिपोर्टों पर आधारित है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे परीक्षण के दौरान और रिपोर्टों के आधार पर, हमारे द्वारा कुछ मामलों पर ध्यान दिया गया जहां प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए सुधार की गुंजाइश है, जिसमें प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) का परीक्षण शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है.

इस मामले के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है.

कृते **एआर एंड सीओ**
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 002744C

(**सीए पवन गोयल**)
भागीदार
M. NO. – 072209
यूडीआईएन : 24072209BKFDGL6298

क्र.नं.

कार्यनीति

पृष्ठी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

तुलन पत्र

31 मार्च, 2024 के अनुसार

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	8,68,09,394	8,68,09,394
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	23,46,70,251	20,42,79,672
जमा	3	3,85,01,13,226	3,59,29,64,686
उधार	4	19,80,56,503	8,11,87,478
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	9,70,77,473	9,64,13,598
कुल		4,46,67,26,847	4,06,16,54,828
परिसंपत्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	6	22,95,46,891	27,43,29,198
अन्य बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	14,65,28,074	16,66,67,335
निवेश	8	1,43,92,34,863	1,36,58,34,760
अग्रिम	9	2,43,40,62,841	2,02,98,43,065
अचल परिसंपत्तियां	10	5,33,57,390	4,77,62,762
अन्य परिसंपत्तियां	11	16,39,96,788	17,72,17,708
कुल		4,46,67,26,847	4,06,16,54,828
आकस्मिक देयताएं	12	96,29,07,575	1,32,69,62,172
वसूली के लिए बिल	-	10,05,70,676	11,03,90,657
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उपर्युक्त उल्लेखित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग हैं।

विवेक वाही

कार्यपालक निदेशक

एम वी मुरली कृष्णा

कार्यपालक निदेशक

महेन्द्र दोहरे

कार्यपालक निदेशक

एम वी राव

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हार्दिक एम शेट
निदेशकचारुलता एस. कर
निदेशकदिनेश पांगती
निदेशकप्रदीप पी. खिमानी
निदेशकप्रियव्रत शर्मा
निदेशककृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एनकृते कृते ए. आर. व सीओ
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.एफ.आर.सं. 002744Cकृते ए डी बी व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.005593C(सीए पी. आर. करन्थ)
भागीदार
एम.नं.018808(सीए पवन गोयल)
भागीदार
एम.नं.072209(सीए बंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं.074272

स्थान: मुंबई

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024



लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31-मार्च-2024 को (₹)	31-मार्च-2023 को (₹)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	30,72,22,358	25,54,18,923
अन्य आय	14	4,71,12,798	4,08,37,083
कुल		35,43,35,156	29,62,56,006
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	17,82,59,122	13,85,50,976
परिचालन व्यय	16	10,24,49,154	8,88,67,355
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		4,81,36,300	5,30,15,663
कुल		32,88,44,576	28,04,33,994
III. पूर्व अवधि मद से पहले के वर्ष के लिए लाभ/(हानि)			
घटाएं : पूर्व अवधि मद		2,54,90,580	1,58,22,012
पूर्व अवधि मद के बाद वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)		-	-
आगे लाया गया लाभ/(हानि)		2,54,90,580	1,58,22,012
कुल		2,54,90,580	1,58,22,012
IV. विनियोजन			
निम्न को अंतरण :			
संवैधानिक आरक्षित निधियां		63,72,645	39,55,503
निवेश अस्थिर निधि		13,74,460	5,47,509
पूँजीगत निधि		3,60,861	13,32,997
निवेश निधि		4,45,596	9,300
धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		-	-
कर्मचारी कल्याण निधि		-	-
राजस्व निधि		-	-
बीमा के बदले निधि		-	-
प्रस्तावित लाभांश- वरीयता पूँजी		-	-
प्रस्तावित लाभांश- इक्विटी पूँजी		-	-
लाभांश कर		-	-
तुलन पत्र में अंतरित शेष राशि		1,69,37,018	99,76,703
शेयर प्रीमियम के विरुद्ध समायोजित बी/एफ घाटा)		-	-
कुल		2,54,90,580	1,58,22,012
₹ (₹ 10/- प्रति शेयर मौद्रिक मूल्य) में ईपीएस (आधार एवं डायल्यूटेड)		2.94	1.82
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
खातों के लिए नोट्स	18		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां लाभ और हानि खाते का एक अभिन्न अंग हैं।

विवेक वाही

कार्यपालक निदेशक

एम वी मुरली कृष्णा

कार्यपालक निदेशक

महेन्द्र दोहरे

कार्यपालक निदेशक

एम वी राव

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हार्दिक एम शेट

निदेशक

चारुलता एस. कर

निदेशक

दिनेश पांगती

निदेशक

प्रदीप पी. खिमानी

निदेशक

प्रियव्रत शर्मा

निदेशक

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते कृते ए. आर. व सीओ
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.एफ.आर.सं. 002744C

कृते ए डी बी व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.005593C

(सीए पी. आर. करन्थ)
भागीदार
एम.नं.018808

(सीए पवन गोयल)
भागीदार
एम.नं.072209

(सीए बंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं.074272

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

तुलन पत्र की अनुसूचियां

31 मार्च 2024 के अनुरूप

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2024 को		31-मार्च-2023 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 1 : पूंजी				
अधिकृत पूंजी		10,00,00,000		10,00,00,000
₹ 10/- प्रति 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर				
पिछले वर्ष ₹ 10/- प्रति 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर				
जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी				
इक्विटी शेयर	8,68,09,394		8,68,09,394	
प्रति ₹ 10/-के 8680939432 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 8680939432 इक्विटी शेयर) (केंद्र सरकार द्वारा धारित				
प्रति ₹ 10/-के 8080391687 इक्विटी शेयर सहित)				
कुल		86,809,394		86,809,394
अनुसूची 2 : आरक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. संवैधानिक निधियां				
पिछले तुलन पत्र अनुसार शेष	2,72,03,582		2,32,48,079	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		39,55,503	
		2,72,03,582		2,72,03,582
II. आरक्षित पूंजी				
(निवेश निधियां)				
पिछले तुलन पत्र अनुसार शेष	1,87,72,225		1,74,39,228	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,60,861		13,32,997	
		1,91,33,086		1,87,72,225
III. पुनर्मूल्यांकित निधियां				
पिछले तुलन पत्र अनुसार शेष	3,64,95,852		3,71,49,448	
जोड़े: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	49,00,000		-	
घटाए: राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	5,48,671		6,53,596	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		4,08,47,181		3,64,95,852
IV. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलन पत्र अनुसार शेष	7,46,66,328		7,46,66,328	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		7,46,66,328		7,46,66,328
V. आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		10,00,000		10,00,000
VI. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां				
i) निवेश अस्थिर निधियां				
पिछले तुलन पत्र अनुसार शेष	71,28,429		65,80,920	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	13,74,460		5,47,509	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		-	
(अनुसूची 18 का नोट 2ए देखें)				
घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		85,02,889		71,28,429



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2024 को		31-मार्च-2023 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) निवेश निधियां				
पिछले तुलन पत्र अनुसार शेष	1,23,146		1,13,846	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,45,596		9,300	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		-	
घटाए:वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		5,68,742		1,23,146
iii) राजस्व निधियां				
पिछले तुलन पत्र अनुसार शेष	2,89,13,406		2,82,59,810	
जोड़े: पुनर्मूल्यांकन निधि से अंतरण	5,48,671		6,53,596	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		-	
घटाए:वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		2,94,62,077		2,89,13,406
VI. लाभ एवं हानि खातों में शेष				
पिछले तुलन पत्र अनुसार शेष	99,76,703		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,69,37,018		99,76,703	
		2,69,13,721		99,76,703
कुल		23,46,70,251		20,42,79,672
अनुसूची 3 : जमा				
ए. I. मांग जमा				
i) बैंकों से	70,98,342		98,44,694	
ii) अन्य से	18,24,85,387		17,78,05,030	
		18,95,83,729		18,76,49,724
II. बैंक बचत जमा		1,73,72,09,212		1,62,53,14,529
II. सावधि जमा				
i) बैंकों से	49,27,343		47,20,164	
ii) अन्य से	1,91,83,92,942		1,77,52,80,269	
		1,92,33,20,285		1,78,00,00,433
कुल		3,85,01,13,226		3,59,29,64,686
बी. i) भारत में शाखाओं की जमा		3,85,01,13,226		3,59,29,64,686
ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमा		-		-
अनुसूची 4 : उधार				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	11,01,00,000		1,76,40,000	
ii) अन्य बैंक	28,14,737		-	
iii) अन्य संस्थान एवं संगठन	5,51,41,766		3,85,47,478	
iv) असुरक्षित प्रतिदेय बॉन्ड (सहायक उधार)	-		-	
v) अपर टीयर II बॉन्ड	-		-	
vi) नवोन्मेष सतत ऋण उपाय	-		-	
vii) असुरक्षित प्रतिदेय एनसी बेसल III बॉन्ड (टीयर II)	3,00,00,000		2,50,00,000	
		19,80,56,503		8,11,87,478
II. भारत के बाहर से उधार		-		-
कुल		19,80,56,503		8,11,87,478
उपर्युक्त I एवं II सहित सुरक्षित उधार		शून्य		शून्य

के बारे में

कार्यनीति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2024 को		31-मार्च-2023 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 5 : अन्य प्रावधान एवं देयताएं				
I. देय बिल		99,14,552		94,93,094
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)		-		19,468
III. उपार्जित ब्याज		64,41,814		88,83,232
IV. आस्थगित कर देयताएं		-		-
V. अन्य (प्रावधान सहित)		8,07,21,107		7,80,17,804
कुल		9,70,77,473		9,64,13,598
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)		1,42,61,838		1,50,01,104
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष				
चालू खातों में	21,52,85,053		16,52,98,094	
अन्य खातों में	-		9,40,30,000	
		21,52,85,053		25,93,28,094
कुल		22,95,46,891		27,43,29,198
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष				
ए) चालू खातों में	2,91,322		4,01,113	
बी) अन्य जमा खातों में	1,548		5,724	
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संगठनों के पास	-		-	
		2,92,870		4,06,837
II. भारत से बाहर				
ए) चालू खातों में	19,44,554		20,02,668	
बी) अन्य जमा खातों में	14,42,90,650		16,42,57,830	
सी) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			-	
		14,62,35,204		16,62,60,498
कुल		14,65,28,074		16,66,67,335
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में उधार				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	1,12,72,08,365		1,03,00,04,109	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर	75,94,338		74,05,595	
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड	29,15,91,774		31,89,82,562	
v) सहायक और प्रायोजित संस्थान	73,95,862		67,00,687	
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फण्ड इकाइयां आदि.)	49,69,639		22,66,922	
		1,43,87,59,978		1,36,53,59,875
II. भारत के बाहर निवेश डड				
विदेश में सहायक और सहयोगी कंपनियां		4,74,885		4,74,885
कुल		1,43,92,34,863		1,36,58,34,760



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2024 को		31-मार्च-2023 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
* भारत में निवेश				
सकल मूल्य	1,49,49,06,413		1,42,60,54,028	
घटाएं: प्रावधान पर मूल्यहास	5,61,46,435		6,06,94,153	
निवल मूल्य		1,43,87,59,978		1,36,53,59,875
** भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	4,74,885		4,74,885	
घटाएं: प्रावधान पर मूल्यहास	-		-	
निवल मूल्य		4,74,885		4,74,885
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	2,63,85,662		3,09,41,503	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	86,61,26,829		79,22,28,112	
iii) सावधि ऋण	1,54,15,50,350		1,20,66,73,450	
कुल		2,43,40,62,841		2,02,98,43,065
बी. अग्रिमों का विवरण :				
i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)	2,02,39,22,296		1,80,31,15,772	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से कवर	1,24,01,090		75,94,346	
iii) असुरक्षित	39,77,39,455		21,91,32,947	
कुल		2,43,40,62,841		2,02,98,43,065
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिक क्षेत्र	1,14,07,00,488		96,55,61,814	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	2,87,63,043		2,40,71,293	
iii) बैंक	10,118		2	
iv) अन्य	1,26,45,89,192		1,04,02,09,956	
कुल		2,43,40,62,841		2,02,98,43,065
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनुसूची 10 : अचल परिसंपत्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	4,88,29,312		4,88,11,918	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांकन सहित)	49,23,493		17,394	
कुल		5,37,52,805		4,88,29,312
वर्ष के दौरान कटौती एवं समायोजन	-		-	
कुल		5,37,52,805		4,88,29,312
दिनांक तक मूल्यहास	1,05,59,264		99,17,382	
कुल		4,31,93,541		3,89,11,930

के बारे में

कार्यविधि

पृष्ठी

नोटिस

सांख्यिक

वित्तीय

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2024 को		31-मार्च-2023 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
II. अन्य अचल परिसंपत्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च तक लागत	3,81,55,228		3,65,50,165	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	63,04,912		31,75,811	
कुल	4,44,60,140		3,97,25,976	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	11,91,115		15,70,747	
कुल	4,32,69,025		3,81,55,229	
दिनांक तक मूल्यहास	3,31,05,176		2,93,04,397	
कुल		1,01,63,849		88,50,832
कुल (I एवं II)		5,33,57,390		4,77,62,762
अनुसूची 11 : अन्य परिसंपत्तियां				
I. अर्जित ब्याज	2,13,96,348		2,00,03,448	
II. अग्रिम रूप से कर का भुगतान/स्रोत पर कर कटौती	4,51,57,430		4,26,12,315	
III. स्टेशनरी एवं मुहरें	2,10,310		2,28,747	
IV. दावों की संतुष्टि के लिए अर्जित गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियां	-		-	
V. आस्थगित कर परिसंपत्तियां	4,29,45,820		5,79,89,094	
VI. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	8,77,226		-	
VII. अन्य	5,34,09,654		5,63,84,104	
कुल		16,39,96,788		17,72,17,708
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. ए) बैंक के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		41,21,046		12,48,708
(बी) अपीलें, संशोधनों के अंतर्गत विवादित आयकर मांगें आयकर विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को ₹ 54125695 ('000 छोड़कर) की अपीलें शामिल हैं. जबकि 31 मार्च 2023 को ₹ 54125695 ('000 छोड़कर) की अपीलें शामिल हैं.		5,96,46,738		5,96,96,875
II. आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश के लिए देयता		1,25,02,962		1,26,58,798
III. अग्रिम विनियम अनुबंध बकाया के कारण देयता		73,62,84,486		1,10,82,31,495
IV. ग्राहक की ओर से दी गई गारंटी				
ए) भारत में	9,84,80,561		9,19,06,778	
बी) भारत के बाहर से	3,61,119		52,11,840	
		9,88,41,680		9,71,18,618
V. स्वीकृतियां, समर्थन और अन्य दायित्व		1,89,46,706		2,21,49,908
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		3,25,63,957		2,58,57,770
कुल		96,29,07,575		1,32,69,62,172



दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष (₹)	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष (₹)
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	19,70,71,616	14,92,15,975
II. निवेशों पर आय	9,51,03,914	8,71,50,871
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	1,12,02,930	1,44,38,269
IV. अन्य को	38,43,898	46,13,808
कुल	30,72,22,358	25,54,18,923
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. आयोग, विनिमय एवं दलाली	1,83,83,475	1,78,68,585
II. निवेश बिक्री पर लाभ (निवल)	63,68,616	27,31,959
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	7,29,606	24,811
IV. भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (निवल)	(1,46,652)	(13,396)
V. ट्रांजैक्शन विनिमय पर लाभ (हानि)	24,74,428	30,34,878
VI. विदेश में/ भारत में सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	78,337	79,454
VII. विविध आय	1,92,24,988	1,71,10,792
कुल	4,71,12,798	4,08,37,083
अनुसूची 15 : व्यय किया गया ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	16,90,80,745	13,38,78,269
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	32,59,836	10,02,473
III. अन्य	59,18,541	36,70,234
कुल	17,82,59,122	13,85,50,976
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	6,31,21,487	5,60,39,653
II. किराया, कर एवं बिजली	59,56,728	52,70,766
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	4,01,862	3,29,020
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	2,48,446	1,74,027
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	49,96,401	38,58,573
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	12,338	8,783
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	3,26,312	3,52,812
VIII. विधिक प्रभार	3,55,181	2,55,299
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	8,81,322	9,36,169
X. मरम्मत एवं रखरखाव	14,80,646	14,73,110
XI. बीमा	46,83,068	44,14,464
XII. अन्य व्यय	1,99,85,363	1,57,54,679
कुल	10,24,49,154	8,88,67,355

के बारे में

कार्यनीति

पृष्ठी

नोटिस

सांविधिक

दिनीय

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ए. पृष्ठभूमि

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत एक निकाय कॉर्पोरेट है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका मुख्य व्यवसाय व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेट्स, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। भारत में इसका व्यवसाय शाखाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

बी. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार तथा परिसर के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं तथा सभी भौतिक पहलुओं में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित लागू वैधानिक प्रावधान, विनियामक मानदंड, लेखा मानक (एएस) तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी घोषणाएं तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं।

सी. अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई संपत्ति और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में विचार किए गए अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस वर्ष में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/मूर्त होते हैं।

डी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1. नकद एवं नकद समतुल्य:

नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी और एटीएम, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष राशि तथा मांग एवं शॉर्ट नोटिस पर धन सम्मिलित है।

2. राजस्व मान्यता:

2.1 सामान्य

नियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर सामान्यतः आय/व्यय का लेखा-जोखा उपचय आधार पर किया जाता है।

2.2 निवेश से आय

ए) निवेश के विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेशों की विक्री पर लाभ को (लागू करों का निवल और “सांविधिक आरक्षित खाते” में अंतरित की जाने वाली राशि) “पूंजी आरक्षित खाते” में विनियोजित किया जाता है।

बी) अंकित मूल्य पर छूट पर अर्जित “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है :

(i) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, इसे विक्री/मोचन के समय ही मान्यता दी जाती है।

(ii) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, यह निरंतर प्रतिफल के आधार पर सुरक्षा की शेष अवधि से अधिक के लिए जिम्मेदार है।

सी) लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

डी) प्रतिभूति प्राप्तियों पर होने वाली राशि को वसूली पर ‘अन्य आय’ के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3. वित्तीय परिसंपत्तियों की विक्री

बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है:

अनर्जक परिसंपत्तियों की विक्री का लेखा-जोखा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। जब बैंक अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (सीआरसी) को बेचता है, तो उसे बहियों से हटा दिया जाता है।

यदि एससी/एआरसी को विक्री शुद्ध बही मूल्य (कुल बही मूल्य) से कम मूल्य पर की जाती है तो विक्री के वर्ष में कमी का प्रभार लाभ और हानि खाते से दिखाया (प्रदर्शित किया) जाता है।

यदि विक्री नकद आधार पर शुद्ध बही मूल्य से अधिक कीमत पर होती है, तो अधिशेष को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

2.4. शुल्क आधारित आय

साख पत्र, बैंक गारंटी और आस्थगित भुगतान गारंटी पर कमीशन को अवधि के अनुपातिक रूप से उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है।

2.5 अन्य

ए) आयकर वापसी पर ब्याज आयकर विभाग से वापसी आदेश/सूचना की प्राप्ति और बैंक द्वारा स्वीकृति पर हिसाब किया जाता है।

बी) अतिदेय जमा पर देय ब्याज के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

3. अग्रिम:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के आधार पर, ऋणों और अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक के रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

ए) सावधि ऋण को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

बी) एक ओवरड्राफ्ट या नकद क्रेडिट को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि, खाता "आउट ऑफ ऑर्डर" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष 90 दिनों की अवधि में लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से अधिक रहता है, या यदि 90 दिनों के लिए लगातार कोई जमा नहीं है, या यदि जमा राशि पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सी) खरीदे गए बिलों को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।

डी) कृषि अग्रिमों को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि, (i) छोटी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है; और (ii) लंबी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज एक फसल के मौसम के लिए अतिदेय रहता है।

3.2 अनर्जक परिसंपत्तियों को आरबीआई द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए) अवमानक : ऐसी ऋण संपत्ति जो 12 माह से कम या उसके बराबर अवधि से अनर्जक रही हो .

बी) संदिग्ध : एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी हुई है।

सी) हानि: ऐसी ऋण संपत्ति जिसमें हानि की पहचान तो कर ली गई है किन्तु राशि को पूर्णतः बट्टे खाते में डाल दिया गया है .

3.3 नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो नीचे निर्धारित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन हैं:

अवमानक परिसंपत्तियां:

कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान.

i. एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान जो असुरक्षित एब-इनिटियो हैं (यानी जहां सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है).

ii. अवसंरचना अग्रिमों के संबंध में असुरक्षित एक्सपोजर जहां एस्को खाते जैसे कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं - 20%

संदिग्ध परिसंपत्तियां:

सुरक्षित अंश	
एक वर्ष तक	25%
एक से तीन वर्ष तक	40%
तीन वर्ष से अधिक	100%

- असुरक्षित अंश 100%

हानि परिसंपत्तियां 100%

3.4 अग्रिमों का प्रावधान (एनपीए के मामले में), अप्राप्त ब्याज, विविध में रखे गए उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि और सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से प्राप्त दावों आदि के निवल में दिखाया गया है।

3.5 पुनर्चित/पुनर्निर्धारित परिसंपत्तियों के लिए, आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि संबंधित ऋण/अग्रिमों के प्रावधान के अलावा, पुनर्चना से पहले और बाद में ऋणों/अग्रिमों के उचित मूल्य के बीच अंतर प्रदान किया गया है। उचित मूल्य और ब्याज के त्याग में कमी के लिए प्रावधान, यदि कोई उपरोक्त से उत्पन्न हो तो अग्रिमों से कम हो जाता है .

3.6 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किए जाते हैं। "ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित होते हैं और शुद्ध एनपीए पर पहुंचने के लिए विचार नहीं किया जाता है."

3.7 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को एक अर्जक परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह नियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो.

3.8 पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों पर वसूल की गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.9 अभिज्ञात कमजोरी और/अथवा मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट परिसंपत्तियों में विनियामक मानकों से अधिक अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं।

3.10 अनर्जक खातों (आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित) में आंशिक वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

- मूल अतिदेय / अनियमितताएं
- अप्राप्त ब्याज

- iii) आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाला गया मूल
- iv) अप्रयुक्त ब्याज
- v) अप्राप्त प्रभार

दायर किया गया मुकदमा/सरफेसी/वापस लिए गए खातों के मामले में, वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

- i) लेजर बकाया शेष
- ii) अप्राप्त ब्याज
- iii) आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाला गया मूल
- iv) अप्रयुक्त ब्याज
- v) अप्राप्त प्रभार

तथापि, जहां किसी उधारकर्ता खाते को पूर्व की तारीख से अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है, वहां खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने तक की किसी वसूली को पहले ऋण और अग्रिमों पर ब्याज में जमा किया जाता है

4. देश के एक्सपोजर के लिए प्रावधान:

परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार रखे गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अलग-अलग देश एक्सपोजर (गृह देश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट और प्रावधान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं। यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का देश एक्सपोजर (शुद्ध) कुल वित्त पोषित परिसंपत्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश के एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

5. निवेश:

निवेश की गणना निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

5.1 वर्गीकरण :

“भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशों को “हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम)”, “हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (एचएफटी)” और “एवेलबल फॉर सेल (एएफएस)” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।”

अनुसूची 8 में बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के लिए, निवेश को भारत में और भारत के बाहर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, भारत में निवेश को आगे वर्गीकृत किया गया है

- ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ
- बी) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ
- सी) शेयरों

डी) डिबेंचर और बॉन्ड

ई) सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम/सहयोगी और प्रायोजित संस्थान; तथा

एफ) अन्य (वाणिज्यिक पत्र और म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ) भारत के बाहर निवेश को आगे 3 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ

बी) सहायक और संयुक्त उद्यम/सहयोगी

सी) अन्य निवेश

5.2 वर्गीकरण का आधार :

ए) परिपक्वता के लिए धारित : परिपक्वता तक बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले निवेशों को “परिपक्वता के लिए धारित (हेल्ड फॉर मेच्योरिटी, एचटीएम)” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बी) ट्रेडिंग के लिए धारित: खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मुख्य रूप से पुनर्विक्रय के लिए धारित किए गए निवेश को “ट्रेडिंग के लिए धारित (हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, एचटीएफ)” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सी) बिक्री के लिए उपलब्ध: निवेश, जिन्हें उपरोक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनको “बिक्री के लिए उपलब्ध एएफएस (एएफएस)” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

डी) श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का हस्तांतरण: खरीद के समय निवेश को एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में श्रेणियों के बीच स्थानांतरण नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

ई) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों और प्रायोजित संस्थानों में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सिवाय उन निवेशों के संबंध में जिन्हें अधिग्रहित किया गया है और बाद के निपटान की दृष्टि से विशेष रूप से आयोजित किया गया है। ऐसे निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 मूल्यांकन:

सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन एक निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और लागत का निर्धारण भारित औसत लागत विधि पर किया जाता है।

ए) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त प्रोत्साहन, फ्रंट-एंड शुल्क आदि को निवेश की लागत से घटा दिया जाता है।

बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन या करों जैसे व्यय राजस्व व्यय के रूप में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

सी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त / प्राप्त ब्रोकरन अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है।

ए) परिपक्वता पर धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन: इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश अधिग्रहण लागत पर किया जाता है। अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य की अधिकता परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधन की जाती है। प्रीमियम के इस तरह के परिशोधन को व्यय के रूप में माना जाता है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश (भारत और विदेशों में) का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक निवेश के लिए अस्थायी प्रकृति के अलावा कमी के लिए एक प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है (अर्थात बही मूल्य)।

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन: बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेश का बाजार मूल्य या नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक समूह का शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, (अर्थात्(i) सरकारी प्रतिभूतियां, (ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, (iii) शेयरों, (iv) बांड और डिबेंचर, (v) सहायक और संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स एवं (vi) अन्य.) के लिए प्रदान किया जाता है और शुद्ध अभिमूल्यन की उपेक्षा की जाती है।

सी) निवेश के अंतर श्रेणी अंतरण की स्थिति में मूल्यांकन नीति:

(i) एचएफटी/एफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है। इस तरह के हस्तांतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, पूरी तरह से प्रावधान किया जाता है।

(ii) एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू पर किया जाता है। अंतरण पर, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में प्रदान किया जाता है।

डी) प्रतिभूति रसीद (एसआर) जारी करने के खिलाफ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय परिसंपत्ति) की बिक्री के मामले में मूल्यांकन:

i) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश को निम्न से कम मान्यता दी गई है: (i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) (यानी बुक वैल्यू से कम रखे गए प्रावधान) वित्तीय संपत्ति का; और (ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एसआर) का मोचन मूल्य।

ii) एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर का मूल्यांकन गैर-एसएलआर उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर संबंधित योजना में उपकरणों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हैं, एससी/एआरसी से प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए माना जाता है।

ई) ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।

5.4 निवेश(एनपीआई):

निवेश को "वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निदेश), 2021" (यथा संशोधित) और "आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड" के आधार पर अर्जक एवं अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।"

ए) ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अवैतनिक रहता है। इसे वरीयता शेयरों पर लागू किया जाता है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।

बी) इक्विटी शेयर के मामले में, यदि नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण में किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश का मूल्य 1 रुपया प्रति कंपनी है तो उन इक्विटी शेयरों की गणना गैर-निष्पादित निवेश के रूप में किया जाएगा।

सी) बैंक किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में भी वर्गीकृत करता है, यदि उसी उधारकर्ता/संस्था द्वारा प्राप्त किसी भी ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके विपरीत।

डी) डिबेंचर/बाण्ड में निवेश, जिन्हें अग्रिम माना जाता है, वे भी एनपीआई मानदंडों के अधीन हैं जो निवेश पर लागू होते हैं।

5.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन

बैंक तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत आरबीआई और बाजार सहभागियों के साथ पुनः क्रय और रिवर्स पुनःक्रय लेनदेन में प्रवेश करता है। पुनःक्रय लेनदेन प्रतिभूतियों को पुनःक्रय करने के समझौता के साथ प्रतिभूतियों

को बेचकर उधार लेने का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर रिवर्स पुनः क्रय लेनदेन प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा ऋण देने का प्रतिनिधित्व करता है।

ए) रेपो/रिवर्स रेपो (एलएएफ के अलावा) के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों को ओवरनाइट त्रि-पार्टी रेपो (टीआरईपीएस) लेनदेन और निपटान के रूप में दर्ज किया जाता है।

बी) हालाँकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री/क्रय लेनदेन के मामले में स्थानांतरित किया जाता है और प्रतिभूतियों का ऐसा संचालन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और अनुबंध प्रविष्टियों का उपयोग कर परिलक्षित होता है।

सी) उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित कर दी जाती हैं। रेपो खाते में शेष राशि अनुसूची 4 (उधार) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि अनुसूची 7 (बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डी) आरबीआई के पास एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों पर व्यय/ अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में शामिल किया जाता है।

6. व्युत्पन्न:

बैंक तुलन पत्र/तुलनपत्रेतर परिसंपत्तियों और देयताओं पर बचाव के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और पारस्परिक मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करता है।

6.1 प्रतिरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले व्युत्पन्न इस प्रकार हैं:

ए) ऐसे मामलों में जहां अंतर्निहित परिसंपत्तियों/देनदारियों को बाजार में चिह्नित किया जाता है, वहां अभिलाभ/हानि के परिणाम को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

बी) बचाव व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत व्युत्पन्न अनुबंधों को उपचय आधार पर दर्ज किया जाता है। बचाव अनुबंधों को बाजार के लिए तब तक चिह्नित नहीं किया जाता है जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्तियों/देयताओं को भी बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया जाए।

सी) स्वैप की समाप्ति पर अभिलाभ या हानि को स्वैप के शेष संविदात्मक जीवन या परिसंपत्तियों/देयताओं के शेष जीवन में जो भी कम हो, उसे मान्यता दी जाती है।

6.2 ट्रेडिंग/ लेन - देन के लिए उपयोग किए जाने वाले व्युत्पन्न इस प्रकार हैं:

ए) मुद्रा फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स को एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई और बीएसई के विनिमय दिशानिर्देशों

के अनुसार दैनिक आधार पर बाजार में चिह्नित किया जाता है।

बी) बाजार भाव पर लाभ या हानि का हिसाब दैनिक आधार पर मार्जिन खाते में क्रेडिट/डेबिट द्वारा किया जाता है और अंतिम निपटान पर इसे बैंक के लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

सी) ट्रेडिंग स्वैप को लगातार अंतराल पर बाजार में चिह्नित किया जाता है। बाजार में होने वाले किसी भी नुकसान को दर्ज किया जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को शुद्ध आधार पर नजर अंदाज कर दिया जाता है।

डी) स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत आय/व्यय के रूप में तुरंत दर्ज किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन:

7.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके दर्ज किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारत की विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) समापन(स्पॉट/फॉरवर्ड) दरों का उपयोग करके की जाती है और लाभ या हानि के परिणाम को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है, लेन देन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में अंकित आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई समापन हाजिर दरों का उपयोग करके सूचित किया जाता है।

7.3 बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर और वायदा अनुबंधों पुनर्मूल्यांकन निर्दिष्ट परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध जो व्यापार के लिए नहीं हैं और बकाया हैं तुलन पत्र की तारीख पर, समापन हाजिर दर पर मूल्यांकित किया जाता है।

7.4 मौद्रिक मदों के उन दरों से भिन्न दरों पर निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिस पर वे शुरू में दर्ज किए गए थे, आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

7.5 मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि का निपटान दैनिक आधार पर एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

8. अचल परिसंपत्ति और मूल्यहास :

8.1 अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास/परिशोधन को कम लागत पर ले जाया जाता है।

लागत में क्रय लागत और संपत्ति की तैयारी, स्थापना लागत, कर और उपयोग में लाने से पहले संपत्ति पर किए गए पेशेवर शुल्क जैसे सभी व्यय शामिल हैं .

- 8.2 उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर किए गए व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य में होने वाले लाभ में वृद्धि होती है .
- 8.3 अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास 'लिखित मूल्य विधि' के अंतर्गत निम्नलिखित दरों पर किया जाता है (कंप्यूटर के अलावा जिनका मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर किया जाता है) :

ए) अनुमानित जीवन के आधार पर अलग-अलग दरों पर परिसर

बी) फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित वॉल्ट 10%

सी) वाहन, संयंत्र और मशीनरी 20%

डी) एयर कंडीशनर, कूलर, टाइपराइटर आदि 15%

ई) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर 33.33%

(एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को अधिग्रहण वर्ष के दौरान राजस्व से चार्ज किया जाता है.)

- 8.4 अन्य अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग के आधार पर सीधी कटौती प्रणाली से किया जाता है .
- 8.5 99 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त भूमि को पूर्णस्वामित्ववाली भूमि माना जाता है और 99 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि को पट्टेवाली भूमि माना जाता है. पट्टे की भूमि की कीमत पट्टे की अवधि के दौरान चुकाई जाती है.
- 8.6 जहां भूमि और परिसर की लागत को अलग करना संभव नहीं है, वहां समग्र लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है.
- 8.7 परिसंपत्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास/परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रदान किया जाता है और लाभ और हानि खाते से उसे वसूला जाता है. पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास/परिशोधन की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में जमा कर दिया जाता है.
- 8.8 दिनांक 30 सितंबर तक परिसंपत्ति में किए गए परिवर्धन पर मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है और उसके बाद किए गए परिवर्धन पर अर्ध वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है.
- दिनांक 30 सितंबर से पहले बेची गई परिसंपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है और 30 सितंबर के बाद बेची गई परिसंपत्ति पर अर्ध वर्ष के लिए मूल्यहास प्रदान किया जाता है.

8.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल संपत्तियों पर विचार करता है. पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता. उसके बाद प्रत्येक तीन वर्षों पर पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है.

8.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में जमा किया जाता है .

पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते से वसूला जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है .

8.11 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित परिसंपत्ति के शेष उपयोग के आधार पर पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति का मूल्यहास किया जाता है .

9. पट्टे :

ऐसे पट्टे जहां स्वामित्वकर्ता के पट्टादाता द्वारा बरकरार रखे जाते हैं जोखिम और पुरस्कार का स्वामित्व रखा जाता है उसे एएस – 19 (पट्टे) के अनुसार परिचालित पट्टे के श्रेणी में रखा जाता है . ऐसे पट्टे पर पट्टे के भुगतान को एएस 19 के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान सीधी कटौती आधार पर लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है .

10. परिसंपत्तियों की क्षति :

जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि किसी परिसंपत्ति की वहन राशि पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकती है, तो अचल संपत्तियों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है . धारित और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की पुनर्प्राप्ति को किसी परिसंपत्ति की वहन राशि की तुलना भविष्य में परिसंपत्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले शुद्ध रियायती नकदी प्रवाह से की जाती है . यदि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो हुई क्षति को उस राशि से मापा जाता है वह राशि जहां परिसंपत्ति की वहन राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है और अचल परिसंपत्तियों पर ऐसी हानि , यदि कोई हो, को मान्यता दी जाती है और लेखांकन मानक -28 परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार लाभ और हानि खाते में शुल्क लिया जाता है.

11. कर्मचारी लाभ:

11.1 कर्मचारी लाभ उस वर्ष अर्जित किए जाते हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं .

11.2 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट राशि, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान की जाने की उम्मीद है, उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

11.3 परिभाषित लाभ योजनाएं:

बैंक द्वारा संचालित ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाओं को लाभ योजनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- ए) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या रोजगार के दौरान मृत्यु होने पर, या सेवा समाप्त होने पर, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा, जो कि सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित है। पांच साल की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित फंड में समय-समय पर योगदान देता है।
- बी) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, या सेवाकाल समाप्त होने पर नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग अलग-अलग चरणों में होती है। पेंशन देनदारी की गणना सालाना किए गए स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और बैंक समय-समय पर फंड में ऐसे अतिरिक्त योगदान देता है जो पेंशन नियमों के अंतर्गत लाभों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।
- सी) परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है और स्थगित नहीं किया जाता है।
- डी) जब योजना के लाभ बदले जाते हैं, या जब किसी योजना में कटौती या निपटान होता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित परिवर्तित लाभ का हिस्सा, या कटौती या निपटान पर लाभ या हानि को, जब योजना में संशोधन होता है या जब कटौती या निपटान होता है तो उसे तुरंत लाभ या हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन फंड और छुट्टी नकदीकरण में योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाता है।
- ई) बीमांकिक लाभ/हानि उस वर्ष में पहचानी जाती है जब वे जारी होते हैं।

11.4 परिभाषित अंशदान योजना:

भविष्य निधि एक परिभाषित योगदान है जो बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। ऐसे योगदान लाभ और हानि खाते से प्राभारित किया जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं, यह एक परिभाषित योगदान योजना है। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है। ऐसे योगदान लाभ और हानि खाते से प्राभारित किया जाता है।

12. आय पर कर के लिए लेखांकन :

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और अस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्ष के लिए कर के प्रावधान में आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार गणना की गई वर्तमान कर देनदारी और लेखांकन मानक 22 के अनुसार क्रमशः "आय पर कर के लिए लेखांकन" शामिल है।

अस्थगित कर को कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर पर पहचाना जाता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक अवधि में रिवर्सल में सक्षम होता है। अस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां यह उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी।

अस्थगित कर परिसंपत्ति को अनवशोषित मूल्यहास और कर हानियों को आगे बढ़ाने पर मान्यता दी जाती है, यदि इस बात के पुख्ता सबूतों द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता है कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है।

वसूली का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। विवादित कर देनदारियों का हिसाब-किताब मूल्यांकन/अपील कार्यवाही के अंतिम वर्ष में किया जाता है और उस समय तक उन्हें आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

13.1 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति" के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब किसी अतीत की घटना के परिणामस्वरूप उसके पास वर्तमान दायित्व हो, और इसके परिणामस्वरूप दायित्व को निपटान के लिए समाविष्ट आर्थिक लाभ वाले संभावित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी, और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए।

13.2 कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं है

- ए) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं, या



बी) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि

- यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए समाविष्ट आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी, या
- दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है. इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और दायित्व का केवल वह हिस्सा जिसके लिए समाविष्ट आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, प्रदान किया जाता है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है .

13:3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में अनुमानित आधार पर रिबॉर्ड पॉइंट का प्रावधान किया गया है

13.4 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही प्रकटीकरण किया जाता है.

14 विशेष आरक्षित निधि :

राजस्व और अन्य आरक्षित निधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत बनाया गया विशेष आरक्षित निधि शामिल है. बैंक के निदेशक मंडल ने आरक्षित

निधि के सृजन को स्वीकृति देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और पुष्टि की है कि उसका विशेष आरक्षित निधि में निकासी का कोई इरादा नहीं है .

15. संवर्ग रिपोर्टिंग

बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17- "सेगमेंट रिपोर्टिंग" के अनुपालन में व्यवसाय संवर्ग को प्राथमिक रिपोर्टिंग संवर्ग और भौगोलिक संवर्ग को द्वितीयक रिपोर्टिंग संवर्ग के रूप में मान्यता देता है.

16. प्रति शेयर आय:

ए) बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 20 - "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है.

बी) प्रति शेयर मिश्रित आय उस संभावित डेल्यूशन को दर्शाती है जो तब घटित हो सकती है जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग या परिवर्तित किया गया हो. वर्ष के दौरान बकाया प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और डिज्यूटिभ संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है.

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हार्दिक एम शेट
निदेशक

चारुलता एस. कर
निदेशक

दिनेश पांगती
निदेशक

प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते कृते ए. आर. व सोओ
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.एफ.आर.सं. 002744C

कृते ए डी बी व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.005593C

(सीए पी. आर. करन्थ)
भागीदार
एम.नं.018808

(सीए पवन गोयल)
भागीदार
एम.नं.072209

(सीए बंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं.074272

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

अनुसूची-18: खातों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

1. विनियामक पूंजी :

ए) विनियामक पूंजी की संरचना

		(राशि ₹ करोड़ में)	
क्र.	विवरण	31-मार्च-2024 को	31-मार्च-2023 को
1.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सी ई टी 1)	23,966.45	20,099.54
2.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	शून्य	शून्य
3.	टियर 1 पूंजी (i+ii)	23,966.45	20,099.54
4.	टियर 2 पूंजी	5,037.52	3,334.76
5.	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2)	29,003.97	23,434.30
6.	कुल जोखिम भारित संपत्ति (आरडब्ल्यूए)	192,320.00	165,934.44
7.	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	12.46%	12.11%
8.	टियर 1 अनुपात (आर डब्ल्यू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	12.46%	12.11%
9.	टियर 2 अनुपात (आर डब्ल्यू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	2.62%	2.01%
10.	जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूंजी (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	15.08%	14.12%
11.	लीवरेज अनुपात	5.13%	4.73%
12.	भारत सरकार की श्रेयधारिता का प्रतिशत	93.08%	93.08%
13.	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	शून्य
14.	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जो: लिखत प्रकार (शाश्वत गैर-संचयी अधिमानी श्रेय, शाश्वत ऋण लिखत इत्यादि) के अनुसार सूची है. वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) यह भी निर्दिष्ट करेंगे कि क्या लिखत बेसल II या बेसल III के अनुरूप हैं	शून्य	शून्य
15.	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से: लिखत प्रकार (टियर 2 ऋण लिखत) के अनुसार सूची दें वाणिज्यिक बैंक यह भी निर्दिष्ट करेंगे कि क्या लिखत बेसल II या बेसल III के अनुरूप हैं नोट	1,500.00 (नोट1)	शून्य

नोट 1: बैंक ने आरबीआई मूल परिपत्र संख्या आरबीआई/2023-24/31/डीओआर .सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई, 2023 के संदर्भ में निजी नियोजन के माध्यम से 1,500.00 करोड़ रुपये के बेसल III अनुपालन टियर 2 ऋण उपकरणों को जुटाया है. बेसल III पूंजी विनियमों पर जिसमें टियर II पूंजी और सेबी (एनसीएस) विनियम, 2021 के रूप में ऋण पूंजी साधन को शामिल करने के मानदंड शामिल हैं.

बी) आरक्षित निधि से आहरण:-

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से लाभ-हानि खाते में कोई निकासी नहीं हुई है

2. परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन

ए) 31 मार्च, 2024 को परिसंपत्ति और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता प्रणाली -

अवधि	जमाएँ	(राशि ₹ करोड़ में)										
		दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15-30 दिन	31-02 महीने	2 महीने से उपर 3 महीने तक	3 महीने से उपर 6 महीने तक	6 महीने से उपर 1 साल तक	1 साल से उपर 3 साल तक	3 साल से उपर 5 साल तक	कुल
चालू वर्ष	1545.12	5210.88	4980.29	11627.45	17427.58	17225.67	41764.74	66831.89	86887.05	67834.02	63676.62	385011.32
पिछला वर्ष	1311.55	2376.55	2802.9	4480.05	9042.61	8621.61	13472.65	27091.36	163227.91	65484.08	61385.10	359296.47
चालू वर्ष	1240.24	821.79	953.48	6316.01	6206.31	17347.30	8573.67	18479.89	98820.32	21748.74	62898.52	243406.28
पिछला वर्ष	2529.18	1374.65	1576.61	5997.23	2425.41	6461.41	7031.48	17481.67	92283.09	16828.40	48995.17	202984.31
चालू वर्ष	28337.28	1191.03	613.92	2312.09	3167.55	2732.46	4659.5	8712.53	23307.68	21886.30	46963.15	143923.49
पिछला वर्ष	39115.53	975.37	673.49	3371.22	4277.62	1036.888	1929.7	9748.60	16739.45	21385.58	37329.95	136583.48
उधार #	5.17	11291.47	96.53	-	96.53	258.72	397.92	623.53	4027.96	7.81	-	16805.65
पिछला वर्ष	3.97	1764.00	100.69	-	100.69	261.91	410.40	974.49	1984.36	17.12	1.12	5618.75
विदेशी मुद्रा आस्तिचां चालू वर्ष	17.96	2878.14	73.00	287.54	5371.00	7658.53	7121.71	5883.82	17.59	-	-	29309.29
पिछला वर्ष	30.01	3061.65	274.60	15802.31	5122.99	13615.23	8170.13	176.34	0.16	-	-	46253.43
विदेशी मुद्रा देयता चालू वर्ष	0.29	2227.02	87.26	698.12	6600.40	8263.56	13767.47	11257.35	5.25	-	-	42906.71
पिछला वर्ष	63.31	2924.37	1358.93	19480.74	129.69	6487.89	17900.09	12817.58	1362.38	0.16	-	62525.15

नोट: - # टियर II पूंजी के अंतर्गत विचार किए गए के अलावा.

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एल सी आर)

बैंक का चलनिधि जोखिम प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति द्वारा शासित होता है. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि कोई बैंक भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखे जिसे काफी गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके.

एलसीआर= $\frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति का स्टॉक (एचक्यूएलएएस)}}{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति का स्टॉक (एचक्यूएलएएस)}} \geq 100\%$
 (अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह)

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) - मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	तिमाही समाप्ति 30.06.2023		तिमाही समाप्ति 30.09.2023		तिमाही समाप्ति 31.12.2023		तिमाही समाप्ति 31.03.2024		
	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचव्यूएलए)		103787		101186		88853		98005
नकदी बहिर्वाह									
2	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा जिनमें से:								
(i)	स्थिर जमाएं	169133	8457	170614	8531	172139	8607	163784	8189
(ii)	कम स्थिर जमाएं	153213	15321	157098	15710	160534	16053	175026	17503
3	असुरक्षित थोक निधियां जिनमें से:								
(i)	परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	0	0	0	0	0	0	0	0
ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	35509	14894	35740	14992	36901	15455	36287	15691
iii)	असुरक्षित ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0
4	रक्षित थोक धन		0		0		0		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से								
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	12273	12273	10618	10618	7610	7610	8294	8294
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं	2791	2493	2558	2522	2635	2599	2617	2580
6	अन्य संबिदात्मक निधियन दायित्व		3150		3055		3300		2997
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व		157141		7630		167469		8155
8	कुल नकद बहिर्वाह		64216		63583		61381		63185
नकदी प्रवाह									
9	रक्षिजमानती ऋण ऋण		0		0		0		38
10	पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले एक्सपो. जर से प्रवाह		3264		3264		2247		2247
11	अन्य नकदी प्रवाह		23416		21146		20114		18565
12	कुल नकदी प्रवाह		26680		24410		22361		20813
							कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचव्यूएलए		103787		101186		88853		98005
14	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह		39806		42770		44740		47785
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (ः)		260.73%		236.58%		198.60%		205.09%

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015 के अनुसार, औसत भारत और भारत राशियों की गणना साधारण दैनिक औसत को ध्यान में रखते हुए की गई है। बैंक ने जनवरी 2024 से मार्च 2024 तिमाही के लिए 90 डेटा बिंदुओं पर विचार किया है।



चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – गुणात्मक प्रकटीकरण

एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण लाईन आईटम	व्याख्यात्मक नोट
ए. एलसीआर परिणामों के मुख्य संचालक और एलसीआर की गणना में निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन	<p>एलसीआर परिणामों के मुख्य चालक हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) एलसीआर के प्रमुख संचालकों में से एक है। एचक्यूएलए के प्रमुख हिस्से में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), एफएलएलसीआर और अतिरिक्त एसएलआर निवेश के अंतर्गत तरलता का लाभ उठाने की सुविधा शामिल है। नकद बहिर्वाह एलसीआर का एक अन्य प्रमुख संचालक है। नकदी बहिर्वाह के मुख्य घटक कम स्थिर खुदरा जमा, अन्य कानूनी इकाई से वित्तपोषण और शुद्ध व्युत्पन्न नकदी बहिर्वाह हैं। एलसीआर का एक अन्य प्रमुख संचालक नकद अंतर्वाह है। नकदी प्रवाह के मुख्य घटक प्रतिपक्ष और शुद्ध व्युत्पन्न नकदी प्रवाह द्वारा अंतर्वाह हैं।
बी. अंतर-अवधि परिवर्तन के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन	लागू नहीं
सी. एचक्यूएलए की संरचना	<p>एचक्यूएलए में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> स्तर 1 आस्तियों में अधिशेष एसएलआर निवेश (आरईपीओ, सीबीएलओ, एमएसएफ, सीआरओएमएस, आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल आदि के लिए गिरवी रखी गई अन्य प्रतिभूतियों के प्रति भारग्रस्त का शुद्ध) और एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल(शुद्ध मांग और समय देयताएं) का 2% और आरबीआई के परिपत्र सं आरबीआई/2022-23/25 डीओआर. एलआरजी. आरईसी. 19/21.04.098/2022-23 दिनांक 18/04/2022 के अनुसार एनडीटीएल (एफएलएलसीआर) का 16.00% शामिल है। और आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2022-23/141डीओआर.एलआरजी. आरईसी. 83/03.10.001/2022-23 दिनांक 23/11/2022 के अनुसार एसडीएफ के अंतर्गत आरबीआई के साथ बैंकों द्वारा ओवरनाइट बैलेंस रखा गया है। स्तर 2(क) परिसंपत्तियों में राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष (डिस्कॉम) बॉन्ड, राज्य विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड, केंद्र सरकार के सरकारी उपक्रमों द्वारा जारी बांड, वित्त और एए- और उससे अधिक रेटिंग वाले निजी कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड को छोड़कर, जिसमें वित्त कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। लेवल 2(बी) आस्तियों में वित्त कंपनियों को छोड़कर बीबीबी- से ए + की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड शामिल हैं। लेवल 2बीआस्तियों में वित्त कंपनियों को छोड़कर निफ्टी/सेसेक्स शेयर भी शामिल हैं।
डी. निधियन स्रोतों की संकेद्रण	बैंक प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद/लिखित और प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा ('महत्वपूर्ण' को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि कुल राशि बैंक की देनदारियों के 1% से अधिक है) से उनके वित्तपोषण की निगरानी करके धन की एकग्रता को संबोधित करता है।
ई. व्युत्पन्न जोखिम और संभावित संपाश्रिक कॉल	<p>बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> ओटीसी डेरिवेटिव्स <ol style="list-style-type: none"> फॉरवर्ड करेंसी स्वैप ब्याज दर स्वैप एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स <ol style="list-style-type: none"> करेंसी फ्यूचर्स ब्याज दर फ्यूचर्स <p>संभावित संपाश्रिक कॉल प्रश्न में आता है, यदि ट्रेड एक्सचेंज पर होते हैं या निपटान केंद्रीय प्रतिपक्ष के माध्यम से होता है और इसकी गारंटी दी जाती है और यह भी कि क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) जो आईएसडीए मानक करार के लिए एक अनुलग्नक हो, जो प्रतिपक्षों के साथ हस्ताक्षरित है।</p> <p>वर्तमान में, बैंक के पास किसी भी प्रतिपक्ष के साथ क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स नहीं है। अतः कोई संभावित संपाश्रिक कॉल उत्पन्न नहीं होगी।</p> <p>मुद्रा वायदा और वायदा ब्याज दर के अंतर्गत ट्रेडों के जोखिम के लिए बैंक संपाश्रिक (उ-प्रतिभूति) के रूप में मार्जिन बनाए रखता है और इसे अनावरण की मात्रा और बाजार में अस्थिरता के आधार पर बनाए रखा जा रहा है।</p>

के.बारे.म.

कार्यवाही

पूनी

नोटिस

सांविधिक

दिनांक

एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण लाईन आईटम	व्याख्यात्मक नोट
	सभी इंटरबैंक यूएसडी/आईएनआर स्वैप और फॉरवर्ड का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जा रहा है जो एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) है। बैंक इंटरबैंक यूएसडी/आईएनआर विनिमय और फॉरवर्ड के गारंटीकृत निपटान के लिए सीसीआईएल के साथ संपादिक (उ-प्रतिभूति) के रूप में मार्जिन बनाए हुए है। मार्जिन की मात्रा अनावरण की मात्रा और संबंधित बाजारों में अस्थिरता पर निर्भर करती है। जब कभी इसके लिए मांग की जाती है तो एक्सचेंज/सीसीपी के पास अतिरिक्त मार्जिन रखा जाता है।
एफ. एलसीआर में मुद्रा बेमेल	संभावित मुद्रा बेमेल को रोकने के लिए, प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा में एलसीआर की निगरानी की जाती है। एक मुद्रा को "महत्वपूर्ण" तब माना जाता है, यदि उस मुद्रा में अंकित कुल देनदारियां बैंक की कुल देनदारियों का 5 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती हैं। एलसीआर में बैंक की मुद्रा बेमेल नहीं है क्योंकि बैंक के पास 9 महत्वपूर्ण मुद्रा में एक्सपोजर नहीं है।
जी. तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण की मात्रा और समूह की इकाइयों के बीच बातचीत	बैंक में तरलता प्रबंधन एएलएम और ट्रेजरी टीम द्वारा केंद्रीकृत और निगरानी की जाती है। ट्रेजरी, एएलएम टीम और अन्य कार्यात्मक इकाइयों के बीच बातचीत निर्बाध है।
एच. एलसीआर गणना में अन्य अंतर्वाज और बहिर्वाह जो एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में दर्ज नहीं हैं, लेकिन जिसे संस्थान अपनी तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक मानता है।	कोई नहीं
आई अन्य सूचना	ऋण तथा तरलता प्रतिबद्धता सहित अन्य देयताओं पर भी तदनुसार ध्यान दिया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए औसत एलसीआर मार्च 31, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए 285.51% के विरुद्ध 205.09% था और 100% की नियामक निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से अधिक था। मार्च 31, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए मार्च 31, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए ₹ 1,06,207.00 करोड़ के मुकाबले ₹ 98,005.00 करोड़ था।

मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औसत एलसीआर मार्च 31, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के 302.34% के मुकाबले 205.09% था।

सी) शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर):

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. बीआर.बीपी.बीसी.नं.106/21.04.098/2017-18 17 मई 2018 में सरकार ने चलनिधि मानकों पर बेसेल III फ्रेमवर्क - निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) पर दिशानिर्देश जारी किए थे। एनएसएफआर के लिए दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है।

एनएसएफआर का उद्देश्य बैंकों से यह अपेक्षा करके कि वे सतत आधार पर निधियन के पर्याप्त स्थायी स्रोतों के साथ अपनी आस्तियों के संघटन और तुलन-पत्र से इतर कार्यकलापों के संबंध में अपने कार्यकलापों का वित्तपोषण करें तथा एक वर्ष तक की लंबी अवधि के दौरान निधियन जोखिम में कमी सुनिश्चित करना है। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य धन के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है। एनएसएफआर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता को सीमित करता है, सभी बैलेंस शीट मदों पर और निकट वित्त पोषण जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और धन स्थिरता को बढ़ावा देता है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की मात्रा के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। "आवश्यक स्थिर निधि" (एएसएफ) को एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद से पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक वर्ष तक विस्तारित है। आवश्यक स्थिर निधियन की राशि ("आवश्यक स्थिर निधिकरण") (आरएसएफ) बैंक द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र (ओबीएस) जोखिम का एक कार्य है। उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित बेसेल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के अनुसार कुल विनियामक पूंजी और खुदरा ग्राहकों, छोटे व्यवसाय ग्राहकों और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों से जमा राशि द्वारा संचालित होता है। आवश्यक स्थिर वित्त पोषण (आरएसएफ) के अंतर्गत, प्राथमिक चालक एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भारमुक्त प्रदर्शन ऋण हैं।

दबावग्रस्त परिदृश्यों के लिए अपवाह कारक आरबीआई द्वारा देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों (अर्थात् जमा, असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्धताओं, व्युत्पन्न-संबंधी जोखिमों और उसी समय अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से उत्पन्न अंतर्वाहों के साथ निर्धारित किए जाते हैं। आरबीआई दिशानिर्देश में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता वर्तमान आधार पर 100% है।

बैंक का चलनिधि जोखिम प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति द्वारा शासित होता है। आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) एक निर्णय लेने वाली इकाई है, जो बैंक की तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति को अपने जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप लागू करने के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता/सीमाओं का पालन सुनिश्चित करती है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2024 तक 2,43,138.59 करोड़ रुपये की आरएसएफ आवश्यकता के मुकाबले 3,76,703.47 करोड़ रुपये की उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) बनाए रखी, साथ ही मार्च 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए एनएसएफआर 154.93%

एनएसएफ आर घटकों की परिभाषात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

NSFR Disclosure (₹ in Crore)	Mar-24			Dec-23			Sep-23			Jun-23			Amount in ₹ crore	Weighted value				
	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr			No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr
ASF Item																		
1. Cash	31031.79	0.00	30525.93	34531.37	29386.54	0.00	32061.59	32866.20	32866.20	29110.26	0.00	30501.84	32113.55	29255.57	0.00	11508.90	30785.97	
2. Bank balance	31031.77	0.00	30000.00	34031.12	23886.20	0.00	30000.00	32866.20	32866.20	29110.26	0.00	30000.00	32113.20	29255.57	0.00	11508.90	30785.97	
3. Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Retail deposits and deposits from small business customers: (S+6)	0.00	0.00	310703.65	290084.89	0.00	189129.37	0.00	176867.27	0.00	211467.78	0.00	197709.88	0.00	0.00	236491.80	0.00	221094.42	
5. Cashier deposits	0.00	0.00	360295.10	165509.40	0.00	133015.68	0.00	135266.03	0.00	141774.50	0.00	140389.45	0.00	0.00	145074.11	0.00	145074.11	
6. Less: callable deposits	0.00	0.00	101671.55	31504.40	0.00	56112.46	0.00	50501.24	0.00	63609.08	0.00	57231.08	0.00	0.00	71455.64	0.00	64310.12	
7. Wholesale funding (B+9)	194668.13	12237.94	94620.83	138142.92	139161.13	0.51	9878.71	14856.26	19795.86	19224.45	0.50	12869.21	10638.46	18707.21	5338.24	10228.83	6938.25	14370.94
8. Other operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. Other wholesale funding	195681.33	12237.94	94003.83	139142.92	139161.13	0.51	9878.71	14856.26	19795.86	19224.45	0.50	12869.21	10638.46	18707.21	5338.24	10228.83	6938.25	14370.94
10. Government securities	272458	9010.78	701133	398721.93	424029.38	2988.57	354132	146385.65	146385.65	146385.65	0.00	313714	116257.77	4575.79	7763.20	2736.70	87620.15	
11. NSFR eligible liabilities	272458	9010.78	701133	398721.93	424029.38	2988.57	354132	146385.65	146385.65	146385.65	0.00	313714	116257.77	4575.79	7763.20	2736.70	87620.15	
12. All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. Total ASF (1+4+7+10)																		
14. Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	0.00	0.00	0.00	14181.20	0.00	0.00	0.00	7703.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10517.95
15. Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Performing bonds and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	3152.47	2463.98	114772.94	89112.08	1882.88	3176.06	83887.09	108307.46	1075.15	4059.37	109078.64	84472.21	0.00	1403.40	97325.53	75675.53	0.00
17. Performing bonds to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Performing bonds to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA	0.00	3152.47	2463.98	1704.86	0.00	3176.06	1882.88	1418.15	0.00	1075.15	4059.37	0.00	2190.96	0.00	1403.40	3759.20	2090.11	0.00
19. Performing bonds to non-financial corporate clients, loans to retail and banks to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	0.00	0.00	87741.95	69837.08	0.00	81784.60	65279.88	0.00	0.00	0.00	83096.25	65392.70	0.00	0.00	71717.16	56939.98	0.00
20. With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	2371.87	15416.62	0.00	214391.15	13935.45	0.00	0.00	0.00	26195.27	17027.12	0.00	0.00	20039.02	13061.71	0.00
21. Performing residential mortgages of which:	0.00	0.00	0.00	27030.99	17570.14	0.00	26522.86	17239.86	0.00	0.00	0.00	25982.40	16888.56	0.00	0.00	25608.36	16645.44	0.00
22. With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	27030.99	17570.14	0.00	26522.86	17239.86	0.00	0.00	0.00	25982.40	16888.56	0.00	0.00	25608.36	16645.44	0.00
23. Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	4995.475	17769.66	106786.43	138151.16	51941.53	15334.44	118457.62	118457.62	47424.99	20489.95	95655.26	126231.72	0.00	38225.57	21323.28	95177.15	123924.53
25. Physical traded commodities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Securities at initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0.00	0.00	0.00	13827.80	11793.58	0.00	26818.59	24325.90	0.00	0.00	0.00	19116.91	16248.86	0.00	0.00	3759.31	3195.41	0.00
27. Other assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. NSFR deduction/allowances before deduction of variation margin posted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29. All other assets not included in 30. Off-balance sheet items	0.00	4991.839	17769.66	92913.63	126285.22	51915.43	15334.44	89839.03	89839.03	47424.69	20489.95	76509.72	109953.63	0.00	38225.57	21323.28	91259.79	120571.07
30. Off-balance sheet items	0.00	48167.81	17769.66	43162.81	123013.55	0.00	108460.87	36023.65	108460.87	0.00	0.00	105476.81	35293.35	0.00	0.00	0.00	137929.78	214065.62
31. Total NSFR (14+15+16+24-30)	0.00	3152.47	2463.98	115493.86	89112.08	1882.88	3176.06	84472.21	108307.46	1075.15	4059.37	109078.64	84472.21	0.00	1403.40	97325.53	75675.53	0.00
32. Net Stable Funding Ratio (NSFR)				154.93%	0.00%	0.00%	0.00%	154.93%	154.93%	0.00%	0.00%	154.93%	154.93%	0.00%	0.00%	154.93%	154.93%	154.93%

के बारे में

कामिनी

पूँजी

सेटिंग

कामिनी

निजी

3 निवेश
ए निवेश पोर्टफोलियो की संरचना 31.03.2024 तक

Particulars	Investments in India					Investments Outside India			Total Investments (A+B)	
	Government Securities	Other Appropriate Securities	Stares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India (A)	Government securities (including local authorities)		Subsidiaries and/or joint ventures
Held to Maturity										
Gross	81,992.89		7.56	26,322.22	79,959		306,976.18		67.49	307,023.6
Less: Provision for non-performing investments (NP)										
Net	81,992.89		7.56	26,322.22	79,959		306,976.18		67.49	307,023.6
Available for Sale										
Gross	30,207.46		2,135.07	6,337.56		3,133.33	41,793.32			41,793.3
Less: Provision for depreciation and NP	160.65		1,388.18	1,310.80		2,760.22	5,614.64			5,614.6
Net	29,946.81		746.89	5,026.76		393.01	36,118.67			36,118.6
Held to Trading										
Gross	781.14						781.14			781.1
Less: Provision for depreciation and NP										
Net	781.14						781.14			781.1
Total Investment										
Gross	112,200.35		2,142.61	30,669.77	79,959	3,137.38	349,050.64		67.49	349,118.1
Less: Provision for non-performing investments										
Less: Provision for depreciation and NP	160.65		1,388.18	1,310.80		2,760.22	5,614.64			5,614.6
Additional provision as per 07 June 2023 circular										
Net	111,720.84		754.43	29,159.36	79,959	496.96	343,876.00		67.49	343,943.4

(राशि ₹ करोड़ में)

नोट: उपरोक्त राशि में 31 मार्च 2024 तक की बंधक प्रतिभूतियां शामिल हैं

सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक/मार्जिन - टीआरईपीएस

सीसीआईएल के साथ मार्जिन और डिफॉल्ट फंड, एनएसई क्लियरिंग के साथ प्रतिभूतियां, एमसीएक्स क्लियरिंग, आरबीआई आरटीजीएस

रेपो के लिए आरबीआई के पास प्रतिभूतियां

कुल

35,683.00

अंकित मूल्य

9,600.00

9,583.00

16,500.00

नोट: उपरोक्त राशि में सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक के रूप में ₹ 9,600.00 करोड़. के मूल्य की प्रतिभूतियां, सीसीआईएल के साथ मार्जिन और डिफॉल्ट फंड के रूप में ₹ 3,132.00 करोड़ की प्रतिभूतियां, रेपो और आरटीजीएस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹ 22,880.00 करोड़. की प्रतिभूतियां, 31 मार्च 2024 तक क्रमशः एनएसई समाशोधन के साथ ₹ 71.00 करोड़ की प्रतिभूतियां शामिल हैं

निवेश पोर्टफोलियो का समिष्टः
31.03.2023 के अनुसार

III

(राशि ₹ करोड़ में)

Particulars	Investments in India				Investments Outside India			Total Investments (A+B)
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries or joint ventures	Government securities (including local authority loans)	Subsidiaries and/or joint ventures	
Field to Maturity								
Govt	79,230.26	-	7.54	26,851.93	670.07	583.57	47.45	107,010.74
(net: Provision for non-performing investments (NPI))								
Net	79,230.26	-	7.54	26,851.93	670.07	583.57	47.45	107,010.74
Available for Sale								
Govt	3,350.47	-	2,836.63	6,086.68	-	2,712.41	-	35,550.20
(net: Provision for depreciation and NPI)	203.29	-	2,084.58	1,653.36	-	3,660.34	-	6,066.39
Net	2,146.86	-	7,121.21	4,433.32	-	4,112.75	-	29,483.81
Field to Trading								
Govt	91.96	-	-	-	-	-	-	91.96
(net: Provision for depreciation and NPI)	31.96	-	-	-	-	-	-	31.96
Net	60.00	-	-	-	-	-	-	60.00
Total Investments								
Govt	83,371.89	-	2,844.17	32,938.61	670.07	3,895.98	47.45	142,667.80
(net: Provision for non-performing investments (NPI))	203.29	-	2,084.58	1,653.36	-	3,660.34	-	6,066.45
Additional provision in Jan 07 June 2019 Circular								
Net	83,575.18	-	4,928.75	34,591.97	670.07	7,556.32	47.45	148,739.77

(राशि ₹ करोड़ में)

अंकित मूल्य

9,849.00

4,623.00

8,500.00

22,972.00

नोट: उपरोक्त राशि में 31 मार्च, 2023 तक की बंधक प्रतिभूतियाँ शामिल हैं

सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक/मार्जिन - टीआरईपीएस

सीसीआईएल के साथ मार्जिन और डिफॉल्ट फंड, एनएसई क्लियरिंग के साथ प्रतिभूतियाँ, एमसीएक्स क्लियरिंग, आरबीआई आरटीजीएस

रेपो के लिए आरबीआई के पास प्रतिभूतियाँ

कुल

नोट: उपरोक्त राशि में 31 मार्च, 2023 तक सीसीआईएल के पास संपार्श्विक के रूप में ₹ 9,849.00 करोड़ का अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ, सीसीआईएल के पास मार्जिन और डिफॉल्ट निधि के रूप में ₹ 4,022.00 करोड़ की प्रतिभूतियाँ, आरईपीओ और आरटीजीएस के लिए आरबीआई के पास ₹ 9,030.00 करोड़ की प्रतिभूतियाँ, एनएसई क्लियरिंग के साथ ₹ 71.00 करोड़ की प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।



बी. मूल्यहास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के लिए प्रावधानों का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्षांत 31.03.2024	वर्षांत 31.03.2023
i) निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेष	6,050.39	5,972.31
बी) 07 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार एनपीआई के लिए अतिरिक्त प्रावधान हेतु प्रारंभिक शेष राशि*	19.03	47.90
सी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	770.61	1,206.90
डी) घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया प्रावधान	519.87	341.11
ई) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / वापस करना	705.52	816.58
एफ) जमा शेष	5,614.64	6,069.42
ii) निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व की गतिविधि		
प्रारंभिक जमा	712.84	658.09
जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	137.45	54.75
घटाएँ: ड्रॉप डाउन (ऋण राशि)	0.00	0.00
जमा शेष	850.29	712.84
iii) एएफएस और एचएफटी श्रेणी में निवेश का समापन शेष	42,514.45	35,642.15
iv) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में समापन शेष	2%	2%

*07 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार एनपीआई के लिए अतिरिक्त प्रावधान का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष से किया गया है।

सी. एचटीएम श्रेणी से/के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री और हस्तांतरण

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और हमारी निवेश नीति के अनुसार, एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर लाभ को पहले पी एंड एल खाते में लिया जाना चाहिए और उसके बाद पूंजी रिजर्व खाते में विनियोजित किया जाना चाहिए।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर लाभ ₹ 739,546,016.46 था।

विवरण	वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	एचटीएम	677,896,762.55	129,689,456.04
प्रतिभूतियों के मोचन पर लाभ	एचटीएम	61,649,253.91	3,972,322.51
कुल		739,546,016.46	133,661,778.55

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और हस्तांतरण का मूल्य (लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों द्वारा किए जाने की अनुमति वाले निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों के एकमुश्त हस्तांतरण को छोड़कर, पूर्व-घोषित ओपन मार्केट ऑपरेशन नीलामी के तहत आरबीआई को बिक्री और भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में आयोजित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं था।

डी. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
ए)	प्रारंभिक जमा	2,266.83	2,653.79
बी)	1 अप्रैल से अब तक वर्ष के दौरान हुई वृद्धि	213.02	684.26
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	562.61	1,071.22
डी)	जमा शेष	1,917.24	2,266.83
ई)	कुल प्रावधान	1,917.24	2,261.67

ii. गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना: 31 मार्च 2023

क्र. जारीकर्ता	मात्रा	निजी प्लेसमेंट की सीमा		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
ए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	4,627	4,880	505	-	-	22	1,324	-	1,500
बी) वित्तीय संस्थाओं	2,109	2,134	297	-	-	-	-	-	-
सी) बैंकों	1,010	174	647	-	-	68	69	68	69
डी) निजी कॉर्पोरेट्स	2,512	4,483	393	1,086	735	-	588	-	710
इ) सहायक/ सहयोगी	787	718	787	-	-	787	718	787	718
एफ) अन्य	25,611	27,060	-	25,611	282	25,329	27,096	22,659	23,134
कुल	36,657	39,449	2,629	26,697	1,017	26,206	27,905	25,427	26,131
जी) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	5,454	5,847	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध योग	31,203	33,602	2,629	26,697	1,017	26,206	27,905	25,427	26,131

ई. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए रेपो समझौते के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित है :

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		बकाया
	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ	20	16,791	-	-	1,993	-	11,985
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	5	8,276	-	-	395	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो समझौते के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		बकाया
	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	
i) रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	1,666.00	1,866.00	-	-	1,718.00	-	1,666.00
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	5,352.00	31,918.00	-	-	17,051.00	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-

एफ. 31.03.2024 तक सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन का विवरण (बाजार मूल्य के संदर्भ में):- बैंक द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोई सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन नहीं किया गया.

4. आस्तियों की गुणवत्ता : ए) अग्रिमों का वर्गीकरण एवं किये गये प्रावधान

	मानक			उप - मानक			संदिग्ध			गैर-निष्पादित			हालि			कल गैर-निष्पादित			कुल						
	कल मानक अग्रिम		31.03.2023	उप - मानक		31.03.2023	संदिग्ध		31.03.2023	गैर-निष्पादित		31.03.2023	हालि		31.03.2023	कल गैर-निष्पादित		31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024				
	31.03.2024	31.03.2023		31.03.2024	31.03.2023		31.03.2024	31.03.2023		31.03.2024	31.03.2023		31.03.2024	31.03.2023		31.03.2024	31.03.2023					31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए	199,392.00	161,556.00	2,346.22	3,098.30	10,408.00	22,185.95	5,631.89	2,871.97	18,386.25	28,156.22	217,778.21	189,712.22	199,392.00	161,556.00	2,346.22	3,098.30	10,408.00	22,185.95	5,631.89	2,871.97	18,386.25	28,156.22	217,778.21	189,712.22	
प्रारंभिक शेष																									
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन																									
घटाए : वर्ष के दौरान कमी																									
अंतिम शेष	240,404.00	199,392.00	2,294.96	2,346.22	7,559.02	10,408.13	1,486.36	5,631.89	11,340.34	18,386.25	251,744.67	217,778.21	240,404.00	199,392.00	2,294.96	2,346.22	7,559.02	10,408.13	1,486.36	5,631.89	11,340.34	18,386.25	251,744.67	217,778.21	
निम्न के कारण सकल एनपीए में कटौतें:																									
i) उन्नयन																									
ii) वसूली (उन्नत खातों से प्राप्त वसूली को छोड़कर)																									
iii) तकनीकी/ विवेकसम्मत बड़े खाते																									
iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर अन्य बड़े खाते																									
प्रारंभिक (चालनिधी प्रावधानों को छोड़कर)																									
धारितप्रावधानों की प्रारंभिक शेष राशि	2,086.50	1,624.94	843.76	674.87	7,960.50	17,258.39	4,850.65	2,532.60	13,654.91	20,465.86	15,741.41	22,090.80	2,086.50	1,624.94	843.76	674.87	7,960.50	17,258.39	4,850.65	2,532.60	13,654.91	20,465.86	15,741.41	22,090.80	
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान																									
घटाए : अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन / बड़े खाते ऋण धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	2,073.12	2,086.50	588.59	843.76	5,840.46	7,960.50	727.56	4,850.65	7,156.61	13,654.91	9,229.73	15,741.41	2,073.12	2,086.50	588.59	843.76	5,840.46	7,960.50	727.56	4,850.65	7,156.61	13,654.91	9,229.73	15,741.41	
शुद्ध एनपीए																									
प्रारंभिक शेष			1,463.81	2,403.54	2,127.91	4,271.63	-	-	3,591.72	6,675.17	3,591.72	6,675.17													
जोड़े : वर्ष के दौरान नए परिवर्धन																									
घटाए : वर्ष के दौरान कमी																									
अंतिम शेष			1,678.32	1,463.81	1,323.63	2,127.91	-	-	3,001.95	3,591.72	3,001.95	3,591.72													
अस्थायी प्रावधान																									
प्रारंभिक शेष																									
जोड़े : वर्ष के दौरान किए अतिरिक्त प्रावधान																									
घटाए : वर्ष के दौरान कम की गई राशि																									
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष																									
तकनीकी बट्टे खाते तथा उनमें की गई वसूली																									
तकनीकी/विवेकसम्मत खातों का प्रारंभिक शेष																									
जोड़े : तकनीकी/विवेकसम्मत बड़े खातों का प्रारंभिक शेष																									
उप - योग (ए)																									
घटाए : वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी / विवेक सम्मत खातों में की गई वसूली																									
घटाए : उन्नयन																									
घटाए : नियमित बड़े खाते में रूपांतरण																									
31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष (ए-बी)																									

विशिष्ट नोट: * एसआरएस/ओसीडी के माध्यम से प्राप्त 499.68 करोड़ रुपये की वसूली शामिल है.

सामान्य नोट:

विवेकपूर्ण बड़े खातों में लिए 1487.57 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1762.66 करोड़ रुपए) और वर्ष के दौरान ऐसे खातों में 7.46 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 55.34 करोड़ रुपए) की वसूली हुई है



अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2024	31.03.2023
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	4.50	8.44
शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम	1.23	1.77
तकनीकी राइट ऑफ के साथ प्रावधान कवरेज अनुपात	93.58	92.48
तकनीकी राइट ऑफ के बिना प्रावधान कवरेज अनुपात	73.53	80.47

बी. क्षेत्रवार अग्रिम तथा सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र*	31.03.2024			31.03.2023		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	46,063.46	3,321.82	7.21	42,110.35	5,038.79	11.97
	कृषि ऋण	41,313.05	3,140.08	7.60	38,289.59	4,718.76	12.32
बी)	उद्योग	21,223.64	1,245.17	5.87	16,390.21	1,548.30	9.45
	अन्य उद्योग	9,946.88	867.08	8.72	4,886.78	445.50	9.12
	कपड़ा	2,607.17	136.05	5.22	2,455.03	260.80	10.62
	बुनियादी धातु एवं धातु उत्पाद	-	-	-	2,136.41	193.47	9.06
	अभियांत्रिकी	-	-	-	1,982.19	90.44	4.56
सी)	सेवाएँ	28,701.34	1,580.36	5.51	23,581.66	2,662.35	11.29
	व्यापार	14,293.78	6.80	0.05	11,398.28	1,151.59	10.10
	अन्य सेवाएँ	13,898.62	1,573.56	11.32	11,065.87	1,402.63	12.68
डी)	वैयक्तिक ऋण	22,147.47	675.72	3.05	21,431.54	859.76	4.01
	आवासीय ऋण	20,090.44	370.85	1.85	19,188.98	505.30	2.63
	शिक्षा ऋण	-	-	-	2,242.55	354.46	15.81
	उप-योग (i)	118,135.91	6,823.06	5.78	103,513.76	10,109.20	9.77
ii)	गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	-	-	-	-	-	-
बी)	उद्योग	34,651.64	1643.71	4.74	56,662.52	2,145.38	3.79
	अन्य उद्योग	-	-	-	24,914.49	34.25	0.14
	आधारभूत संरचना	22,815.29	601.88	2.64	22,950.38	1,178.59	5.14
	बुनियादी धातु एवं धातु उत्पाद	5,700.54	368.52	6.46	-	-	-
ग)	सेवाएँ	49,907.90	1,990.18	3.99	16,308.26	5,460.31	33.48
	एनबीएफसी	28,798.29	1.40	0.00	-	-	-
	वित्तीय मध्यस्थता डीएफआई अर्थात् सिडबी और नाबार्ड	10,171.00	-	-	6,099.97	-	-
	अन्य सेवाएँ	6,247.33	-	-	-	-	-
घ)	वैयक्तिक ऋण	49,049.22	883.38	1.80	41,294.46	671.36	1.63
	आवासीय ऋण	23,969.19	135.06	0.56	19,604.02	238.82	1.22
	अन्य खुदरा योजना	14,993.90	243.70	1.63	17,060.00	356.00	2.09
	उप-योग (ii)	133,608.76	4,517.28	3.38	114,265.24	8,277.05	7.24
	कुल योग (I + ii)	251,744.68	11,340.34	4.50	217,779.00	18,386.25	8.44

के बारे में

कार्यनीति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

सी) विदेशो में संपत्ति, एनपीए और राजस्व

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
कुल संपत्ति	शून्य	शून्य
कुल एनपीए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

डी) समाधान योजना एवं पुनर्गठन का विवरण:

- i. रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार अग्रिमों का पुनर्गठन

(राशि ₹ करोड़ में)

समाधान योजना और पुनर्गठन के अधीन अग्रिमों का परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2024 लेके		31.03.2023 तक	
	ऋणियों की संख्या	बकाया राशि	ऋणियों की संख्या	बकाया राशि
मानक	2	1,074.18	2	1,334.33
उप-मानक	-	-	-	-
संदिग्ध	6	2,649.01	8	3,476.16
कुल	8	3,723.19	10	4,810.49

आरबीआई के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार, कार्यान्वयन के समय बैंक ने 8 उधारकर्ताओं (31 मार्च 2023 को कुल 10 उधारकर्ता थे) के लिए संकल्प योजनाएं लागू की हैं, जिनका कुल एक्सपोजर ₹ 3,723 करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 4,810.49 करोड़) है। 31 मार्च, 2024 तक ऐसे समाधानित खातों में कुल बकाया राशि ₹ 1,978.56 करोड़ (31 मार्च, 2023 में ₹ 1,930.09 करोड़) है।

ई) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन:

रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.74/21.04.018/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

एफ. आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/ 2021-22 दिनांक 24 सितंबर 2021 के संदर्भ में ऋण खातों (एसएमए और एनपीए) के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

- i. वर्ष के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) का विवरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

सभी राशि ₹ करोड़ में	ए आर सी		अनुमत हस्तांतरण के लिए		अन्य स्थानान्तरण के लिए	
	31.03.2024 को समाप्त तिमाही	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त तिमाही	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त तिमाही	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
खातों की संख्या	4	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूल बकाया	282.68	313.75				
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	6माह	शून्य				
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (स्थानान्तरण के समय)	0.00	शून्य				
समग्र रूप से विचाराधीन	66.75	164.75				
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त हुआ	23.63	41.60				

- ii. बैंक ने कोई विशेष उल्लेख खाता और ऋण डिफॉल्ट रूप से हस्तांतरित नहीं किया है।
- iii. चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान कोई अर्जित ऋण (एनपीए) नहीं है।
- iv. चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान कोई मानक संपत्ति हस्तांतरित या अर्जित नहीं की गई है।



v. समनुदेशन/नवीयन और ऋण भागीदारी के माध्यम से अर्जित मानक संपत्तियों का विवरण*:

i. समूह ऋण अधिग्रहण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2023
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	18,7761	15,0491
कुल बकाया	1,208.52	1,020.00
भारित औसत परिपक्वता	15.63	38.25
भारित औसत धारण अवधि	3.47	6.74
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	10%	10%
मूर्त जमानत व्याप्ति का कवरेज	93.55%	95.29%
श्रेणीकृत ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

ii. को-लेंडिंग

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2023
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	95,337	56,846
कुल बकाया	7,101.64	5,106.02
भारित औसत परिपक्वता	104.00	175.00
भारित औसत धारण अवधि	लागू नहीं	लागू नहीं
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	20%	20%
मूर्त जमानत व्याप्ति का कवरेज	51.50%	87%
श्रेणीकृत ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

**ध्यान दें: विशेष रूप से, स्थानांतरण में उन सभी उदाहरणों का प्रकटीकरण होना चाहिए जहां वह हस्तांतरिती को हस्तांतरित ऋणों को बदलने या किसी व्यपदेशन या वारंटी से उत्पन्न होने वाले नुकसान का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है

vi) 31.03.2024 तक बैंक द्वारा रखी गई प्रतिभूति रसीदों को दी गई रिक्वरी रेटिंग:

31.03.2024 तक बैंक के पास प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में ₹ 2,383.95 करोड़ का निवेश है. इसका रेटिंग अनुसार वितरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति रसीदों की रेटिंग	बही मूल्य 31.03.2024	बही मूल्य 31.03.2023
आर1	120.00	3.08
आर2	115.45	156.68
आर3	99.84	60.69
आर4	-	17.18
आर5	-	31.56
रेटिंग वापस लिया गया	2048.67	2,065.93
कुल योग	2383.95	2,335.13

जी) धोखाधड़ी वाले खाते

रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2015-16/376/डीबीआर.संख्या.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार धोखाधड़ी और प्रावधान का विवरण इस प्रकार है: - 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में बैंक 31.03.2024 को बकाया शेष के खिलाफ लागू पूर्ण प्रावधान रखता है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान		31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या				
क. उधार खातों में धोखाधड़ी	66	163.56	56	1,084.77
ख. गैर-उधार धोखाधड़ी (डिजिटल धोखाधड़ी के अलावा)	64	21.27	63	21.93
ग. डिजिटल धोखाधड़ी	2,269	10.41	414	1.87
धोखाधड़ी में संलिप्त कुल राशि (₹ करोड़)	2,399	195.24	533	1,108.57
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि* (₹ करोड़)		195.24		1,108.57
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से नामे की गई अमौद्रिकृत प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	0			0

* राशि में वसूली/डिजिटल धोखाधड़ी शामिल है जिसमें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है/आदि जिसमें प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

एच) कोविड-19 से संबंधित दवाब का समाधान :

1. दिनांक 31.03.2024 तक समाधान ढांचे 1.0 और 2.0 के अंतर्गत पुनर्गठित खातों के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - पिछली छमाही के अंत में स्थिति (ए)**	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) का छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) को छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि***	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - इस छमाही के अंत तक स्थिति
निजी ऋण #	1,655.71	61.78	शून्य	75.22	1,518.71
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	912.29	72.91	शून्य	7.59	831.79
इनमें से एमएसएमई	183.00	8.53	शून्य	26.38	148.09
अन्य	1,856.83	108.47	शून्य	181.59	1,566.77
कुल	4,424.83	243.16	शून्य	264.40	3,917.27

*जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

**इसमें वे खाते शामिल हैं जहां 30 सितंबर, 2021 तक अनुरोध प्राप्त हुआ और बाद में लागू किया गया. नए जोड़े गए खातों और उन्नयन के समायोजन के बाद प्रकटीकरण में ग्राहक-वार जोखिम लिया गया है।

*** अवधि के दौरान एक्सपोजर में शुद्ध परिवर्तन शामिल है।

व्यक्तिगत ऋण खुदरा अग्रिमों का प्रतिनिधित्व करता है।



ii. एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए पुनर्गठित खातों पर प्रकटीकरण:

आरबीआई परिपत्र संख्या. डीबीआर नंबर बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019, DOR नंबर बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी 2020 और आरबीआई/2020-21/ 17 डीओआर नंबर बीपी. बीसी./4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत छूट प्राप्त या पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत, 31 तारीख तक एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण मार्च, 2024 इस प्रकार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	# राशि (करोड़ रुपए में)
16,146.00	1,765.45

मानक पुनर्गठित खातों का एक्सपोजर. बैंक ने मानक पुनर्गठित खातों पर 5% और 10%, जो भी लागू हो, पर अतिरिक्त प्रावधान बनाए रखा है.

iii. न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण:

न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में आरबीआई के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 के निर्देशानुसार (समय-समय पर संशोधित) न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण, ₹45,112,763.50 के बकाया शेष के साथ मेसर्स एसईएल मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को माननीय एनसीएलटी चंडीगढ़ बेंच संख्या एनसीएलटी/नंबर/सीएचडी/आरईजी/4010 दिनांक 18/02/2021 के तहत न्यायालय के आदेशों के अनुसार मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है; हालांकि, बैंक के पास आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ₹ 6,766,914.52 का प्रावधान है, जिसमें विवेकपूर्ण आधार पर अप्राप्त ब्याज का प्रावधान भी शामिल है.

iv. निर्धारित दरों से अधिक पर अतिरिक्त प्रावधान:

आरबीआई/2023-24/06 डीओआर.एसटीआर.आरईसी3/21.04.048/2023-24 दिनांक 01.04.2023 के माध्यम से आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बिंदु संख्या 5.7.2, बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यांकन के बाद, मानक अग्रिमों में निर्धारित दरों से अधिक पर अतिरिक्त प्रावधान के दायरे में तनावग्रस्त माने जाने वाले क्षेत्रों को बदल दिया था. तदनुसार, बोर्ड एजेंडा संख्या बीएम/756/2023-24/10/सीएटी-4/2.03 दिनांक 28.02.2024 के तहत तनावग्रस्त क्षेत्र की निम्नानुसार समीक्षा की गई है;

क्रमांक	क्षेत्र	31.03.2024 तक अतिरिक्त प्रावधान रोका गया/उलटा किया गया
1.	एयरलाइन सेक्टर (चौथी तिमाही में तनावग्रस्त क्षेत्र में जोड़ा गया)	0.03
2.	रत्न एवं आभूषण क्षेत्र (चौथी तिमाही में तनावग्रस्त क्षेत्र में जोड़ा गया)	5.98
3.	दूरसंचार क्षेत्र (चौथी तिमाही में तनावग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत कवर किया जाना जारी रहा)	0.00
4.	पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र (चौथी तिमाही में तनावग्रस्त क्षेत्र से हटा दिया गया)	(4.44)
5.	सड़क क्षेत्र (चौथी तिमाही में तनावग्रस्त क्षेत्र से हटा दिया गया)	(37.95)

तदनुसार, 31 मार्च, 2024 के दौरान तनावग्रस्त क्षेत्र में मानक अग्रिमों में निर्धारित दरों से अधिक पर अतिरिक्त प्रावधान ₹ 6.01 करोड़ (31.03.2023 तक ₹ 30.89 करोड़) है.

के बारे में

कार्रवाई

पूरी

नोटिस

सांवाधिक

दिनांक

आई. एनसीएलटी प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण:-

खातों के लिए क्रमशः 23 जून, 2017 और 28 अगस्त, 2017 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर संख्या बीपी.15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर संख्या बीपी.1906/21.04.048/2017-18 के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर, बैंक के पास 31 मार्च 2024 तक ₹125.00 करोड़ के एफआईटीएल सहित ₹ 5,883.23 करोड़ का कुल प्रावधान है (31 मार्च 2023 के लिए ₹ 6,316.13 करोड़ जिसमें ₹ 127.90 करोड़ का एफआईटीएल शामिल है) यानी 31 मार्च 2024 तक निवेश सहित कुल बकाया का 100%.

जे. तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर आरबीआई के दिनांक 07.06.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में प्रकटीकरण:-

आरबीआई ने अपने सर्कुलर नं. आरबीआई/ 2018-19/ 203 डीबीआर/ सं.बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 ने तनावग्रस्त संपत्ति के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर समाधान योजना क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें इस आरबीआई परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकताएं भी शामिल हैं. ऐसे मामलों में 31 मार्च, 2024 तक बकाया ₹756.51 करोड़ (31 मार्च, 2023 के लिए ₹ 1,602.59 करोड़) है और उपरोक्त आरबीआई परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक ₹ 117.44 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा है. (31 मार्च, 2023 के लिए ₹ 251.26 करोड़) और 31 मार्च, 2024 तक ₹ 480.18 करोड़ (31 मार्च, 2023 के लिए ₹ 1,116.67 करोड़) का कुल प्रावधान रखा गया है.

के. आईएलएफएस और आईएलएफएस संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/175 डीबीआर/बीपी.बीसी. सं.37/21.04.048/2018-19 दिनांक 24.04.2019 के संदर्भ में दिनांक 31.03.2024 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

बकाया राशि	(1) में से, प्रदत्त राशि की कुल राशि जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए है और एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं है.	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किए जाने वाले प्रावधान	वास्तविक प्रावधान	विवरण
1	2	3	4	5
193.31	0.00	193.31	193.31	आईएलएफएस फिन एससीआर सीपी
0.00	0.00	0.00	0.00	आईएलएफएस ईक्यू*
0.00	0.00	0.00	0.00	न्यू तिरुपुर*
193.31	0.00	193.31	193.31	कुल

*वित्त वर्ष 2023-24 में शेयरों में निवेश बढ़े खाते में डाल दिया गया

31.03.2023 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

बकाया राशि	(1) में से, प्रदत्त राशि की कुल राशि जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए है और एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं है.	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किए जाने वाले प्रावधान	वास्तविक प्रावधान	विवरण
1	2	3	4	5
193.31	0.00	193.31	193.31	आईएलएफएस फिन एससीआर सीपी
16.49	0.00	16.49	16.49	आईएलएफएस ईक्यू
2.47	0.00	1.02	1.02	न्यू तिरुपुर
212.27	0.00	210.82	210.82	कुल



एल. प्रतिचक्रिय प्रावधान बफर

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
ए प्रतिचक्रिय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि	-	-
बी लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्रिय प्रावधानों की मात्रा	-	-
सी लेखा वर्ष के दौरान निकाली गई राशि.	-	-
डी प्रतिचक्रिय प्रावधान खाते में समापन शेष	-	-

एम. मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान

सामान	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	2,073.12	2,086.50

एन. प्रदत्त बड़े ऋण ढांचे पर प्रकटीकरण:

उन खातों का विवरण जहां बैंक ने टियर-1 पूंजी के आधार पर किसी भी व्यक्तिगत और समूह खाते के संबंध में प्रदत्त बड़े ऋण (एलई) फ्रेमवर्क के अनुसार विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार कर लिया है, नीचे दिए गए हैं: -

दिनांक 31.03.2024 तक

प्रतिपक्षों (एकल तथा साथ ही जुड़े हुए प्रतिपक्षों के समूह) के लिए बड़े जोखिम बैंक का पात्र पूंजी आधार. (31.03.2024 तक टियर I पूंजी ₹ 23,966.45 करोड़)

क्र सं	उधारकर्ता/ग्राहक नाम *	क्या कनेक्टेड काउंटर पार्टियों के सिंगल (एस) या ग्रुप (जी) हैं	ऋण राशि	(राशि ₹ करोड़ में)
				टियर I पूंजी के % के रूप में ऋण ₹ 23,966.45 करोड़
शून्य				

ओ. अमूर्त आस्तियों द्वारा सुरक्षित ऋणों और अग्रिमों का विवरण अर्थात अधिकार लाइसेंस प्राधिकरण आदि जो अनुसूची -9 में असुरक्षित के रूप में दिखाया गया है: शून्य

5. निवेश जोखिम

ए) रियल एस्टेट में प्रदत्त ऋण

श्रेणी	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
ए) प्रत्यक्ष प्रदत्त ऋण		
(i) आवासीय बंधक -	47,511.10	43,911.97
आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित ऋण देना, जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या जो किराये पर दी गई है. इनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं. (एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी)	22,875.41	14,518.35
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	3,374.20	2,692.08
वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण. जोखिम में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ भी शामिल होंगी:		

श्रेणी	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
(iii) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश		
- आवासीय	0.00	0.00
- वाणिज्यिक रियल एस्टेट	0.00	0.00
(बी) अप्रत्यक्ष प्रदत्त ऋण		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जोखिम.	12,520.07	11,680.01
कुल रियल एस्टेट में निवेश	63,405.37	58,284.06

बी. पूंजी बाजार में निवेश

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
I. इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है	271.14	406.45
II. शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या प्रतिभूति रहित ऋण	0.98	1.01
III. किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है.	0.00	0.00
IV. शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपादिक प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, अर्थात् जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह से कवर नहीं करती है. डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयां अर्थात् जहां शेयर / परिवर्तनीय बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है.	36.24	120.53
V. स्टॉकब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम तथा स्टॉकब्रोकरों और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियां.	341.12	484.39
VI. संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट्स को शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या प्रतिभूति रहित ऋण स्वीकृत किया जाता है	0.00	0.00
VII. अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के विरुद्ध कम्पनियों को ब्रिज ऋण.	0.00	0.00
VIII. म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	0.00	0.00
IX. मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	0.00	0.00
X. वेंचर कैपिटल फंडों में सभी निवेश (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	397.33	437.86
पूंजी बाजार को कुल ऋण	1,047.11	1,450.24



सी. जोखिम श्रेणीवार देश में प्रदत्त ऋणों में श्रेणीवार जोखिम:

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च (2024) तक एक्सपोजर (शुद्ध)	प्रावधान 31 मार्च (2024) तक रखा गया	31 मार्च (2023) तक एक्सपोजर (नेट)	मार्च (2023) तक प्रावधान रखा गया
नगण्य	482.21	शून्य	224.30	शून्य
कम	259.93	शून्य	242.12	शून्य
थोड़ा कम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मध्यम	75.04	शून्य	62.44	शून्य
मध्यम उच्च	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उच्च	2.54	शून्य	1.42	शून्य
बहुत ऊँचा	4.04	शून्य	3.30	शून्य
प्रतिबंधित	0.68	शून्य	5.27	शून्य
ऋण रहित	9.15	शून्य	0.33	शून्य
कुल	833.61	शून्य	539.18	शून्य

चूंकि विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में वर्ष के लिए बैंक का शुद्ध वित्त पोषित प्रदत्त ऋण बैंक की कुल संपत्ति का 1% से कम है, इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

डी. प्रतिभूति रहित/ आरक्षित अग्रिम

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बैंक के कुल गैर जमानती अग्रिम	46,927.33	20,737.90
उपरोक्त में से, अग्रिमों की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार ले लिया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

ई. फैक्ट्रिंग ऋण:

31.03.2023 अथवा 31.03.2022 को कोई फैक्ट्रिंग एक्सपोजर नहीं है।

एफ. समूह के अंतर्गत प्रदत्त ऋण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
समूह के अंतर्गत प्रदत्त कुल ऋण की कुल मात्रा	1,374.74	1,316.91
टॉप-20 समूह के अंतर्गत प्रदत्त ऋण की कुल राशि	1,374.74	1,316.91
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण के लिए समूह के अंतर्गत प्रदत्त ऋण का प्रतिशत	0.43%	0.42%
समूह के अंतर्गत प्रदत्त ऋण पर सीमा के उल्लंघन का विवरण और यदि कोई हो तो उस पर नियामक कार्रवाई	शून्य	शून्य

जी. हेज्ड रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर:

बैंक ने मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड अनुमोदन नीति और प्रक्रिया लागू की है। क्रेडिट सुविधा की शुरुआत और समीक्षा के समय तैयार किया गया ऋण मूल्यांकन ज्ञापन (कार्यकारी संक्षिप्त) आवश्यक विवरण शामिल करता है। कुल विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें से बचाव स्थिति और यदि हेज्ड रहित है, तो उधारकर्ता कैसे कवर संरक्षित की योजना बना रहा है।

ग्राहकों के मुद्रा एक्सपोजर के विदेशी हिस्से के बचाव रहित हिस्से पर प्रावधान तिमाही आधार पर किया गया है

बोर्ड की अनुमोदन नीति के अनुसार, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या समकक्ष और उससे अधिक के विदेशी मुद्रा ऋण से जुड़े सभी अग्रिमों को बचाव/ आरक्षित किया जाना अनिवार्य है, जब तक कि सक्षम अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए। हालांकि निम्नलिखित मामलों में बचाव व्यवस्था पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है

- जब विदेशी मुद्रा ऋण निर्यात के वित्तपोषण के लिए दिए जाते हैं, वहां बचाव व्यवस्था पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे ग्राहकों के पास ऋण राशि को संरक्षित करने के लिए संरक्षित प्राप्त राशि है।
- जहां विदेशी मुद्रा व्यय को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा ऋण दिए जाते हैं।

- 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या समकक्ष से कम विदेशी मुद्रा ऋण वाले अग्रिमों के संबंध में.
- ए और उससे ऊपर की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट्स के मामले में, सक्षम प्राधिकारी हेज्ड व्यवस्था पर जोर दिए बिना विदेशी मुद्रा ऋण से जुड़े अग्रिम अनुमति दे सकता है
- जो ग्राहक ऊपर निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें नकद सीमांत प्रदान करने की आवश्यकता होगी, यदि वे हेज्ड रहित ऋण की अवधि के लिए प्रचलित फॉरवर्ड प्रीमियम की सीमा तक ऋण को खुला रखना पसंद करते हैं

प्रावधान का संचलन इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

विवरण	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष प्रावधान खाता	7.61	4.18
लेखांकन वर्ष में किए गए प्रावधान की मात्रा (विनियम अंतर सहित)	0.00	3.43
लेखांकन वर्ष के दौरान वापसी राशि	3.33	0.00
प्रावधान खाता में अंतिम शेष	4.28	7.61

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक, 80 बीपीएस प्रावधानों को आकर्षित करने वाले उधारकर्ताओं के हेज्ड रहित विदेशी मुद्रा ऋण के विरुद्ध बैंक के ऋण की राशि 509.29 करोड़ थी (कुल यूएससीई एक्सपोजर 1,575.24 करोड़)। इस ऋण पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए 92.71 करोड़ है जबकि इस अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 10.66 करोड़ है।

उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2022-23/131 डीओआर. एमआरजी. आरईसी.76/00-00-007/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में हेज्ड रहित विदेशी मुद्रा के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31 मार्च, 2024 तक बैंक के पास 4.28 करोड़ का प्रावधान है. (पिछले वर्ष 31 मार्च 2023 तक 7.61 करोड़)

(राशि रू. करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2024	31.03.2023
हेज्ड रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	8,226.59	9,375.38
उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने आरबीआई परिपत्र डीबीओडी.एनओ.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के संदर्भ में अपने घटकों के लिए बचाव रहित विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति देयता का अनुमान लगाया है और बैंक ने इस पर विचार किया है विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिमों और तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने बचाव रहित विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिमों को भी ध्यान में रखा है और तदनुसार बैंक ने जोखिम शमन उपाय किए हैं.	4.28	7.61

एच) एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ता ऋण सीमा:

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के भीतर एकल उधारकर्ता ऋण और समूह उधारकर्ता ऋण लिया था.

6. जमा, अग्रिमों, ऋण और एनपीए की संकेन्द्रण के संबंध में प्रकटीकरण:

ए. जमा का संकेद्रीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा	13,342.18	14,559.22
बैंक के कुल जमा में से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	3.46%	4.05%

बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण **

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम (साख प्रदत्त ऋण)	46,126.29	35,269.83
कुल अग्रिम (प्रदत्त ऋण)	3,01,623.29	2,98,649.76
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की कुल अग्रिम राशि का प्रतिशत	15.29%	11.81%

**आरबीआई मानदंडों के अनुसार प्रदत्त ऋण का प्रतिनिधित्व



सी) प्रदत्त ऋण का संकेंद्रण **

	(राशि ₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बीस सबसे बड़े उधारकर्ता/ ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	47,766.49	37,574.72
कुल ऋण	3,17,606.10	3,16,640.07
बैंक के कुल ऋण में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों की कुल ऋण राशि का प्रतिशत	15.04%	11.87%

**ऋण और निवेश ऋण का प्रतिनिधित्व

डी) एनपीए का संकेंद्रण

	(राशि ₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बीस सबसे बड़े एनपीए खातों की कुल ऋण	14,784.50	13,895.20
कुल सकल एनपीए की तुलना में शार्प बीस सबसे बड़े एनपीए ऋण का प्रतिशत	31.64%	29.08%

7. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

ए) वायदा दर समझौता/ ब्याज दर स्वैप

क्र.	विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i)	स्वैप समझौता का अनुमानित सिध्दांत	8,520.00	5625.00
ii)	प्रतिपक्षों के विफल होने पर होने वाली हानियां समझौते के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए	55.57	63.71
iii)	स्वाप के लिए बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले साख जोखिम का संकेंद्रण	शून्य	शून्य
v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	55.57	63.71
	*वायदा दर समझौता	शून्य	शून्य

बी) वायदा दर समझौता या ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें-

इंस्ट्रुमेंट	प्रकृति	एनओएस	आनुमनिक मूल	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	110	20,250,000,000	एमआईबीओआर	निश्चित भुगतान बनाम फ्लोटिंग प्राय
आईआरएस	ट्रेडिंग	161	27,350,000,000	एमआईबीओआर	निश्चित भुगतान बनाम फ्लोटिंग प्राय
आईआरएस	ट्रेडिंग	201	37,600,000,000	एमआईबीओआर	फ्लोटिंग भुगतान बनाम निश्चित प्राय

सी) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)

	(राशि ₹ करोड़ में)	
क्र. विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i) वर्ष के दौरान किए गए डेरिवेटिव (इंस्ट्रुमेंट के अनुसार) विनिमय व्यापार की अनुमानित मूल राशि ब्याज दर	शून्य	शून्य
ii) 31 मार्च 2024 को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि (इंस्ट्रुमेंट के अनुसार)	शून्य	शून्य
iii) विनिमय व्यापार की ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि बकाया है और अत्यधिक प्रभावी नहीं है (इंस्ट्रुमेंट के अनुसार)	शून्य	शून्य
iv) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया है और अत्यधिक प्रभावी नहीं है (इंस्ट्रुमेंट के अनुसार)	शून्य	शून्य

डी) व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण:

1) गुणात्मक जोखिम एक्सपोजर

- ए) बैंक वर्तमान में काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव के साथ-साथ ब्याज दर वायदा और विनिमय व्यापार मुद्रा डेरिवेटिव में भी काम करता है. बैंक द्वारा निपटाए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव रूपये की ब्याज दर स्वैप और विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप हैं. बैंक द्वारा निपटाए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव यूएसडी/आईएनआर मुद्रा स्वैप और क्रॉस मुद्रा स्वैप हैं. बैंक के ग्राहकों को उनके एक्सपोजर को कवर करने के लिए उत्पादों की पेशकश की जाती है और बैंक ऐसे एक्सपोजर को कवर करने के लिए डेरिवेटिव अनुबंध भी करता है. डेरिवेटिव का उपयोग बैंक द्वारा व्यापार के साथ-साथ बैलेंस शीट मदों की हेजिंग दोनों के लिए किया जाता है.
- बी) व्युत्पन्न लेनदेन में बाजार जोखिम होता है यानी ब्याज दरों/विनिमय दरों और क्रेडिट जोखिम में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप बैंक को संभावित नुकसान हो सकता है क्योंकि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं. बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की डेरिवेटिव्स के लिए नीति बाजार जोखिम मापदंडों (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लॉस ट्रिगर, खुली स्थिति सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीबी01 आदि) के साथ-साथ ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग) निर्धारित करती है. व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करने के लिए रिलेशन की अवधि, सीमाएं और ग्राहक उपयुक्तता और नीति की उपयुक्तता (सीएस) आदि. क्रेडिट जोखिम को केवल पॉलिसी में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले समकक्षों के साथ व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित किया जाता है. दायित्वों का सम्मान करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों के लिए उचित सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्षकार के साथ आईएसडीए समझौता करता है.
- सी) बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की देखरेख करती है. बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान करता है, मापता है निगरानी करता है, इन जोखिमों को नियंत्रित करने और प्रबंध करने में एएलसीओ की सहायता करता है और नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीति निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट करता है.
- डी) डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका विवरण वित्तीय वर्ष 2023-24 अनुसूची 17: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (एसएपी) के तहत प्रस्तुत किया गया है.
- ई) ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और देनदारियों की हेजिंग के लिए किया जाता है.
- एफ) अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी प्रतिपक्ष बैंकों के साथ किए गए थे.
- जी) व्युत्पन्न लेनदेन में स्वैप शामिल होते हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है. स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- एच) डेरिवेटिव डील केवल उन्हीं अंतरबैंक प्रतिभागियों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत हैं. इसी प्रकार, डेरिवेटिव डील केवल उन्हीं कॉरपोरेट्स के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत है. व्युत्पन्न लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को मामले-दर- मामले आधार पर क्रेडिट मंजूरी शर्तों के एक भाग के रूप में निर्धारित किया गया है. ऐसी संपार्श्विक आवश्यकताएं सामान्य क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित की जाती हैं. बैंक कुछ मामलों में जोखिम कम करने के उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है.



i. गुणात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
i)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूलधन की राशि)				
ए)	हेजिंग के लिए	16,128.56	2,025.00	22,743.18	1,760.00
बी)	ट्रेडिंग के लिए	50,651.26	6,495.00	58,657.64	3,865.00
ii)	बाजार-दर-बाजार स्थिति				
ए)	आस्ति (+)	167.21	55.57	457.57	63.71
बी)	देयता (-)	105.26	45.40	480.90	38.10
iii)	ऋण एक्सपोजर	1,335.60	85.20	1,628.02	54.80
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
ए)	हेजिंग पर डेरिवेटिव्स	-	0.64	-	0.71
बी)	ट्रेडिंग पर डेरिवेटिव्स	-	0.30	-	0.28
v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100* पीवी01 देखा गया				
ए)	हेजिंग पर	-	अधि -0.71 न्यून -0.29	-	अधि-0.71 न्यून -0.47
बी)	ट्रेडिंग पर	-	अधि-0.30 न्यून -0.01	-	अधि-0.28 न्यून -0.01

ई) ऋण चूक अदला बदली/ स्वैप

बैंक की वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण चूक स्वैप में कोई स्थिति नहीं है.

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण आधारित नीति को हमारे बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है. वर्तमान में हमारे बैंक का इस खंड में कोई जोखिम नहीं है.

9. ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवीएस प्रायोजित

बैंक ने कोई भी ऑफ बैलेंस शीट एस.पी.वी. जारी नहीं किया था.

10. जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता कोष (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
i)	डीईए फंड में अंतरित की गई राशि का प्रारंभिक शेष	1,270.55	1,085.73
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित की गई राशि	384.37	209.65
iii)	घटाएँ: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	109.42	24.83
iv)	डीईए फंड में स्थानांतरित राशि का अंतिम शेष	1,545.50	1,270.55

जैसा कि ऊपर बताया गया है डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष, - आकस्मिक देयताएं- अन्य मर्दे जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है या 'आकस्मिक देयताएं- अन्य, जैसे भी मामले हो, वें 'अनुसूची 12 के अंतर्गत भी शामिल है.

11. शिकायतों का प्रकटीकरण:

ए) बैंक को ग्राहकों और लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	494	384
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	26,554	28,399
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	25,962	28,289
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	302	0
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1,086	494
बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त विचारणीय शिकायतें			
5	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतों की संख्या	5,752	4,832
5.1	क्रमांक 5 में निर्दिष्ट लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या ,	5,473	4,610
5.2	क्रमांक 5 में निर्दिष्ट लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों ,	267	222
5.3	क्रमांक 5 में निर्दिष्ट बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा पुरस्कार पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या	0	2
6	क्रमांक 5 में निर्दिष्ट निर्धारित समय के भीतर क्रियान्वित न किए गए पंचाटों की संख्या (अपील किए गए पंचाटों को छोड़कर)	0	0

नोट: एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006) में विशेष उल्लेख के आधार पर एवं योजना के दायरे में आनेवाली शिकायतों के संदर्भ में विचारणीय शिकायतें

बी) बैंक को को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार:

शिकायतों का आधार (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक की शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 31.03.2024					
एटीएम लेनदेन	1,622	96,641	(-)22.05	1904	0
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	16	902	(-)631.93	137	0
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं आदि.	98	5,281	(-)30.24	102	0
खाता खोलना/खाता संचालन में कठिनाई-सामान्य बैंकिंग	2	89	(+)16.85	1	0
ऋण एवं अग्रिम	36	1,632	(+)38.05	32	0
अन्य	342	18,650	(+)25.82	814	0
कुल	2,116	123,195		2,990	0
वित्त वर्ष 2022-23					
एटीएम लेनदेन	539	117,953	(-)23.97	1,622	0
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	8	6,602	300.12	16	0
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं आदि.	22	6,878	233.56	98	0
खाता खोलना/खाता संचालन में कठिनाई-सामान्य बैंकिंग	7	74	(-)95.16	2	0
ऋण एवं अग्रिम	6	1,011	51.80	36	0
अन्य	341	13,834	(-)38.50	342	0
कुल	923	146,352		2,116	0



बी) निवेशकों की शिकायतें:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित	-	-
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	-	3
3	वर्ष के दौरान निवारण किया गया	-	3
4	वर्ष के अंत तक लंबित	-	-

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र' के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 26 मई, 2023 को ₹ 0.84 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि 31 मई, 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान की गई।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (राशि ₹ करोड़ में)	
		31.03.2024	31.03.2023
श्री एम.वी. राव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.44	0.41
श्री विवेक वाही	कार्यकारी निदेशक	0.37	0.34
श्री राजीव पुरी (30.06.2023 तक)	कार्यकारी निदेशक	0.14	0.37
श्री एम.वी. मुरली कृष्णा	कार्यकारी निदेशक	0.34	0.10
श्री महेन्द्र दोहरे (09.10.2023 से प्रभावी)	कार्यकारी निदेशक	0.16	0.00
कुल		1.45	1.22

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एस-18 - "संबंधित पार्टि प्रकटीकरण" के पैरा 9 के अनुरूप, सहायक और सहयोगी उद्यमों के साथ लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेनदेन से संबंधित कोई भी खुलासा करने से छूट देता है।

इसके अलावा, बैंकर-ग्राहक संबंध, केएमपी और केएमपी के रिश्तेदारों सहित संदर्भित लेन-देन का खुलासा एस-18 के पैरा 5 के अनुसार नहीं किया गया है।

14. अन्य प्रकटीकरण

ए. व्यवसायिक अनुपात

क्र. सं.	मदें	31.03.2024	31.03.2023
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.60%	7.07%
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.17%	1.13%
(iii)	जमा की लागत	4.61%	3.92%
(iv)	शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.40%	3.47%
(v)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.82%	1.90%
(vi)	संपत्ति पर रिटर्न	0.63%	0.44%
(vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशि एवं अग्रिम राशि) (करोड़ रुपये में)	19.94 करोड़	18.45 करोड़
(viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (करोड़ रुपये में)	0.08	0.05

*चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आंकड़े पुनः समूहीकृत / पुनःगणना किए गए हैं

ii. बैंकाश्योरेंस व्यवसाय:

इश्योरेंस, बैंकिंग एजेंसी एवं बैंकश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का ब्यौरा चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा.

बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्राप्त शुल्क/ब्रोकरेज निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
जीवन बीमा	68,225	114.87	66,509	78.86
गैर-जीवन बीमा	2,67,953	14.33	2,48,089	12.27
कुल	3,36,178	129.20	3,14,598	91.13

सी. मार्केटिंग और वितरण

बैंक द्वारा कोई विपणन एवं वितरण कार्य (बैंकश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) नहीं किया जाता है .

डी. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों के संबंध में प्रकटीकरण

बैंक ने वित्तवर्ष 2022-23 एवं वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नानुसार पीएसएलसी की बिक्री की है:-

वर्ग	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइजेज	-	700.00
पीएसएलसी कृषि	-	-
पीएसएलसी जनरल	-	1,000.00
पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	1,500.00	2,950.00
कुल	1,500.00	4,650.00

ii. बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पीएसएलसी नहीं खरीदा है.

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं: - इस अनुसूची में आगे लेखा मानक-29 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताओं की नोट संख्या 15 (एच) देखें.

एफ) आईएफआरएस अभिसारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का कार्यान्वयन

आरबीआई ने 22 मार्च, 2019 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 के माध्यम से अगले नोटिस तक इंड एस के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया. हालाँकि, आरबीआई द्वारा यह वांछित है कि सभी बैंक प्रति छमाही भारतीय लेखा मानकों से संबंधित वित्तीय विवरण प्रारूप को जमा करें. तदनुसार, बैंक अपने प्रबंधन द्वारा अनुमोदन के पश्चात प्रत्येक छमाही में भारतीय लेखा मानक (इंड एस) से संबंधित वित्तीय विवरण प्रारूप आरबीआई को तैयार कर प्रस्तुत कर रहा है.

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

लाभ और हानि खाते में नामे किए गए प्रावधान	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
i) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	454.58	431.32
ii) डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	-	-



एच) बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि पर आधारित व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण:-

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या: आरबीआई/2021-22/105 डीओआरएसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के माध्यम से बैंकों को कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से शुरू करके 5 (पांच) वर्षों से अधिक की अवधि में परिशोधित करने की अनुमति दी है, जो हर साल खर्च की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 हिस्सा होगा. बैंक द्वारा प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता ₹ 821.95 करोड़ आंकी गई है. बैंक ने आरबीआई के उक्त परिपत्र के अनुसार इसे परिशोधित करने का विकल्प चुना है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 821.95 करोड़ में से ₹ 544.52 करोड़ की राशि लाभ और हानि खाते में जमा कर दी है. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹ 113.03 करोड़ जमा कर दिए हैं. आगामी वर्षों हेतु अपरिशोधित व्यय शून्य है.

आई) खातों का संतुलन / समाधान:

ए) मूल बैंक अंतर-कार्यालय समायोजन (आईबीआर) खाते में शामिल विभिन्न खाता शीर्षों में बकाया शेष/प्रविष्टियों का समाधान करने की प्रक्रिया में है.

31 मार्च, 2024 तक आईबीआर खाते का शुद्ध शेष ₹ 87.72 करोड़ (शुद्ध डेबिट) है और 31 मार्च, 2023 तक ₹ 1.95 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) है.

बी) निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है:

- अंतर शाखा कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- सस्पेंस खाते
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नोमिनल खाते में कुछ शेष राशि
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम विभाग से संबंधित शेष राशि
- केंद्रीय कार्ड विभाग द्वारा बनाए गए मिरर खाते और अन्य शेष राशि
- कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का डेटा/प्रणाली अद्यतनीकरण
- जीएसटी
- अचल संपत्ति
- अन्य परिसंपत्तियां
- अन्य देनदारियां

प्रबंधन का मानना है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, तो भी महत्वपूर्ण नहीं होगा.

जे) बैंकों द्वारा जारी सांत्वना पत्र एवं दिनांक 31.03.2024 तक के बकाया का विवरण -

बैंक द्वारा वर्तमान वर्ष तथा पिछले वर्ष में कोई भी सुविधा पत्र जारी नहीं किया गया.

के) हरित जमा (ग्रीन डिपॉजिट) से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो स्तरीय जानकारी

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023	संचयी*
			31.03.2024
जुटाई गई कुल हरित जमा (ए)	37.09	10.46	47.55
हरित जमा निधि का उपयोग**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	37.09	10.46	47.55
(2) ऊर्जा दक्षता			
(3) स्वच्छ परिवहन			
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन			
(5) सतत जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन			
(6) प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण			

के बारे में

कार्यनीति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023	संचयी* 31.03.2024
(7) हरित भवन			
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन			
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण			
कुल आवंटित ग्रीन डिपॉजिट फंड (बी= 1 से 9 का योग)	37.09	10.46	47.55
आवंटित न की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी = ए - बी)	0	0	0
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आवंटित किए जाने तक हरित जमा राशि के अस्थायी आवंटन का विवरण			
* इसमें वह संचयी राशि शामिल होगी, जब से नवीकरणीय ऊर्जा ने ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरू की है. उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक ने 1 जून, 2023 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना शुरू किया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आवंटित की गई जमाराशियों का विवरण शामिल होगा. इसके अलावा, वर्ष के दौरान जुटाई गई ग्रीन डिपॉजिट की वास्तविक राशि और ऐसे फंडों के उपयोग के बारे में इस प्रकटीकरण के तहत जानकारी दी जाएगी.			
**प्रत्येक श्रेणी के तहत, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान प्रत्येक उप-क्षेत्र को आवंटित फंड के आधार पर उप-श्रेणियां प्रदान कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान "नवीकरणीय ऊर्जा" के तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप-श्रेणियां प्रदान कर सकते हैं			

एल) अन्य परिसंपत्ति और अन्य देनदारियों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
अनुसूची 5 अन्य देनदारियां-IV-5 "अन्य (प्रावधानों सहित)" के अंतर्गत कोई भी मद कुल संपत्ति के 1% से अधिक है.	निरंक	निरंक
अनुसूची 11 अन्य परिसंपत्ति-IV अन्य परिसंपत्ति में "अन्य" के अंतर्गत कोई मद कुल संपत्ति के 1% से अधिक है.	निरंक	निरंक
अनुसूची 14-VII "अन्य विविध आय" के अंतर्गत कोई मद कुल आय के 1% से अधिक है.	बढ़ाकृत खातों से प्राप्त वसूली ₹.1433.32 करोड़ है, जो कुल अन्य आय का 4.05% है.	बढ़ाकृत खातों से प्राप्त वसूली ₹.1,282.59 करोड़ है, जो कुल अन्य आय का 4.33% है.
अनुसूची 16-XII "अन्य व्यय" के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के 1% से अधिक है.	निरंक	निरंक

15. लेखा के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकार मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जा रहा है :

ए) लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ"

i) परिभाषित लाभ योजना, कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेज्युटी योजना



निम्नलिखित तालिका मूल बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजनाओं और अनुदान योजना की स्थिति बताती है :-

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		प्रेच्युइटी योजना	
	वर्तमान वर्ष वित्त वर्ष(23- 24)	पिछला वर्ष वित्त वर्ष(22- 23)	वर्तमान वर्ष वित्त वर्ष(23- 24)	पिछला वर्ष वित्त वर्ष(22- 23)
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
परिभाषित लाभ दायित्व प्रारंभ,1 अप्रैल,2023	16,729.00	16,237.43	1,651.72	1,730.20
वर्तमान सेवा लागत	137.03	85.97	104.79	107.84
व्याज लागत	1,237.95	1,177.21	112.99	109.69
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	-----	-----	-----	-----
बीमांकिक हानियाँ(लाभ)	1,119.14	909.56	122.95	(15.07)
भुगतान किये गए लाभ	(1,798.53)	(1,681.17)	(239.63)	(280.94)
बैंक द्वारा किये गए सीधे भुगतान	-----	-----		
परिभाषित लाभ दायित्व का 31 मार्च,2024 को समापन	17,504.59	16,729.00	1,752.82	1,651.72
योजना परिसंपत्ति में बदलाव				
दिनांक 1 अप्रैल 2023 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य खोलना	16,483.92	15,807.88	1,637.42	1,630.51
योजना संपत्ति पर संभावित लाभ	1,153.26	1,133.25	118.88	110.79
नियोक्ता अंशदान	1,342.40	1,327.65	177.73	231.29
कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान	-----	-----	-----	-----
भुगतान किये गया लाभ	(1,798.53)	(1,681.17)	(239.63)	(280.94)
योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि	191.76	(103.69)	31.63	(54.23)
दिनांक 31 मार्च, 2024 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम मूल्य	17,372.81	16,483.92	1,726.03	1,637.42
तुलन पत्र में मान्य राशि				
31 मार्च,2024 तक के वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,504.59	16,729.00	1,752.82	1,651.72
30 मार्च,2023 का योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	(17,372.81)	(16,483.92)	(1,726.03)	(1,637.42)
अमान्य पिछली सेवा लागत	-----	-----	-----	-----
घाटा/(अधिशेष)	131.78	245.08	26.79	14.30
शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	131.78	245.08	26.79	14.30
लाभ और हानि खातों में चिन्हित शुद्ध लागत				
वर्तमान सेवा लागत	137.03	85.97	104.79	107.83
पिछला सेवा लागत-चिन्हित	-----	657.56	-----	-----
व्याज लागत	1,237.95	1,177.21	112.99	109.69
योजनाबद्ध परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	(1,153.26)	(1,133.26)	(118.88)	(110.79)
वर्ष के दौरान चिन्हित निवल वास्तविक हानि/(लाभ)	1,007.38	1,013.25	91.31	39.17

के बारे में

कार्यनीति

पृष्ठी

नोटिस

सांविधिक

दिनांक

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युइटी योजना	
	वर्तमान वर्ष वित्त वर्ष(23-24)	पिछला वर्ष वित्त वर्ष(22-23)	वर्तमान वर्ष वित्त वर्ष(23-24)	पिछला वर्ष वित्त वर्ष(22-23)
अनुसूची 16 में शामिल परिभाषित लाभ योजनाओं "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान" की कुल लागत	1,229.03	1,800.74	190.21	145.90
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ और वास्तविक लाभ का समाधान				
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित लाभ	1,153.26	1,133.26	118.88	110.79
योजनागत परिसंपत्ति पर वास्तविक लाभ/(हानि)	191.76	(103.69)	31.63	(54.24)
योजनागत परिसंपत्ति पर वास्तविक लाभ	1,345.02	1029.57	150.51	56.55
तुलन पत्र में मान्य आरंभिक एवं अंतिम शुद्ध देनदारी/(संपत्ति) के आरंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान				
दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को आरंभिक शुद्ध देनदारी/(परिसंपत्ति)	245.08	(228.01)	14.30	99.69
लाभ और हानि खातों में मान्य व्यय	1,229.09	1,800.74	190.21	145.90
नियोक्ता का अंशदान	(1,342.40)	(1,327.65)	(177.73)	231.29
तुलन पत्र में मान्य शुद्ध देनदारी/(परिसंपत्ति)	131.77	245.08	26.78	14.30

31 मार्च, 2024 को पेंशन निधि और अनुदान निधि की योजनागत परिसंपत्ति के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार है

परिसंपत्ति की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	0.22	0.82
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	16.93	37.99
ऋण प्रतिभूति, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां और बैंक जमाएं	16.46	28.69
म्यूचुअल निधि	3.42	2.80
बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	62.95	29.36
अन्य	0.02	0.34
कुल	100.00	100.00

मुख्य वीमांकिक अनुमान	पेंशन योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष वि.व.(23-24)	पिछले वर्ष वि.व.(22-23)
छूट दर	7.20%	7.20%
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित लाभ दर	7.20%	7.20%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%
पेंशन वृद्धि दर	4.00%	4.00%
पलायन दर	2.50%	2.50%
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम(2012-14)	

योजना में अधिशेष/घाटा

अनुदान योजना	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
वर्ष के अंत तक देनदारी	1,623.23	1,726.66	1,730.20	1,651.72	1,752.82
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1,720.32	1,534.62	1,630.51	1,637.42	(1,726.03)
अंतर	(97.09)	192.04	99.69	14.30	26.79
तुलन पत्र में मान्य राशि	(97.09)	192.04	99.69	14.30	26.79

अनुभव समायोजित	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
योजना देनदारी पर (लाभ)/हानि	(6.34)	249.60	145.94	(15.07)	122.94
योजना परिसंपत्ति पर (हानि)/लाभ	(3.38)	32.99	45.41	(54.23)	31.64

योजना में अधिशेष/ घाटा

पेंशन योजना	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
वर्ष की समाप्ति पर देनदारी	15,421.82	15,557.67	16,237.43	16,729.00	17,504.59
वर्ष के अंत पर योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	14,939.64	15,198.04	15,807.88	16,483.92	17,372.81
अंतर	482.18	359.63	429.55	245.08	131.78
तुलन पत्र में गैर मान्य राशि(पिछली सेवा लागत से)	-----	-----	277.43	-----	-----
तुलन पत्र में मान्य राशि	482.18	359.63	152.12	245.08	131.78
तुलन पत्र में मान्य राशि(पिछली सेवा लागत)	-----	-----	544.52	277.43	-----

अनुभव समायोजन	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
योजना देनदारी पर (लाभ)/हानि	12.65	2,279.00	847.41	1,126.87	1,199.14
योजना परिसंपत्ति पर (हानि)/लाभ	346.19	276.30	98.07	1,013.25	191.75

अगले वर्ष के लिए पेंशन और अनुदान निधि में अपेक्षित योगदान क्रमशः ₹131.78 करोड़ और ₹26.79 करोड़ है जो वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त किया जाना है।

ii. परिभाषित अंशदान योजना :

बैंक की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो दिनांक 01/04/2010 या उसके बाद बैंक में शामिल हुए सभी श्रेणियों के अधिकारियों पर लागू होती है, इस योजना का प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एनपीएस संस्था के तत्वाधान में किया जाता है। प्रोटीन ई-जीओवी टेकनॉलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई – गर्वनेंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) को एनपीएस के लिए केन्द्रीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ₹252.94 करोड़ का अंशदान किया है। (पिछले वर्ष ₹244.48 करोड़)

iii. कर्मचारी भविष्य निधि :-

वर्ष के दौरान बैंक ने पीएफ विकल्प योजना के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए नियुक्ता योगदान के नाते ₹0.77 करोड़ रु और इस वर्ष ₹0.96 करोड़ रु के खर्च को मान्य किया है।

iv. ए) दीर्घ अवधि के लिए कर्मचारी लाभ (अवित्तपोषित दायित्व):

वर्ष के दौरान बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण व्यय के लिए ₹131.38 करोड़(पिछले वर्ष ₹78.70 करोड़) के व्यय को मान्य किया है।

एएस15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - विशेषाधिकार अवकाश लाभ

परिसंपत्ति और देनदारियाँ

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
परिभाषित लाभ दायित्व	1,201.71	1,070.33
योजित आस्तियों का उचित मूल्य	-----	-----
निवल दायित्व (आस्ति)	1,201.71	1,070.33

वित्तीय अनुमान

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
छूट दर	7.20%	7.45%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

वेतन वृद्धि दर

प्रति वर्ष निकासी दरें	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
आयु बैंड		
25 एवं कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन दर (2012-14) तालिका

भारतीय सुनिश्चित जीवन दर (आईएएलएम) की नमूना दरें

आयु (वर्षों में)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

बी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी कल्याण
1. एएस15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - सेवानिवृत्ति लाभ
संपत्ति और देनदारियाँ

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
परिभाषित लाभ दायित्व	8.09	2.74
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता (संपत्ति)	8.09	2.74

वित्तीय अनुमान

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.20%	7.40%
मुद्रास्फीति दर (प्रति वर्ष)	-	-
रिटर्न की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रति वर्ष निकासी दरें

आयु सीमा	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
25 एवं कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन दर (2012-14) तालिका
भारतीय सुनिश्चित जीवन दर आईएलएम की नमूना दरें

आयु (वर्षों में)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

2. एएस 15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - दीर्घ सेवा लाभ
आस्ति एवं देयताएं

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
परिभाषित लाभ दायित्व	1.33	1.21
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता (संपत्ति)	1.33	1.21

वित्तीय धारणाएं

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.20%	7.40%
मुद्रास्फीति दर (प्रति वर्ष)	-	-
रिटर्न की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

वार्षिक निकासी दर

आयु सीमा	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
25 एवं कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन दर (2012-14) तालिका

आईएएलएम (भारतीय सुनिश्चित जीवन दर) का सांकेतिक मूल्य

आयु (वर्षों में)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

सी) लेखांकन मानक 17 -

खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ट्रेजरी संचालन कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग व्यवसाय को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता दी है। कोई द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड नहीं है।

प्राथमिक (व्यावसायिक खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं:-

- राजकोष
- कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखांकन और सूचना प्रणाली, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और रिटर्न की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों पर डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष -

ट्रेजरी सेगमेंट में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों में व्यापार और डेरिवेटिव अनुबंध शामिल हैं। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से ट्रेडिंग संचालन से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग -

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खातों, ट्रस्ट/साझेदारी फर्म कंपनियों और वैधानिक निकायों की ऋण गतिविधियां शामिल हैं जो खुदरा बैंकिंग और तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

iii. रिटेल बैंकिंग -

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएं शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देने की गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं। रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में ओरिएंटेशन प्रोडक्ट ग्रैन्युलैरिटी मानदंड के और व्यक्तिगत ऋण के अधीन 7.50 करोड़ की सीमा तक के सभी ऋण (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

व्यवसाय खंड	व्यवसाय खंड (एकल)									
	ट्रेजरी		कारपोरेट/ होलसेल बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
राजस्व	11,812.74	10,974.59	8,279.47	6,564.56	15,013.91	11,701.76	-	-	35,106.12	29,240.91
परिणाम	2,704.34	2,585.67	702.13	1,226.84	775.73	(1,208.26)	-	-	4,182.20	2,604.25
आवंटित न किया गया व्यय.									(128.82)	41.09
परिचालन लाभ									4,053.38	2,645.34
आय कर									1,504.32	1,063.14
असाधारण लाभ/हानि										
शुद्ध लाभ									2,549.06	1,582.20
अन्य सूचना:										
खंड संपत्ति	184,685.69	184,294.75	96,548.66	77,326.33	151,756.14	130,251.75			432,990.49	391,872.83
आवंटित न की गई संपत्ति									13,682.19	14,292.65
कुल संपत्ति	179,376.86	179,578.72	91,432.83	73,563.83	143,715.03	123,914.02			446,672.68	406,165.48
खंड देयताएं									414,524.72	377,056.57
आवंटित न की गई देयताएं										
कुल देयताएं									414,524.72	377,056.57

* खंड के राजस्व और व्यय को खंड की परिसंपत्तियों के आधार पर विभाजित किया गया है, जहां प्रत्यक्ष आवंटन संभव नहीं है. चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है.

बैंक के पास केवल एक भौगोलिक खंड अर्थात् घरेलू खंड है.

डी) लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण- संबंधित पार्टी

संबंधित पक्षों की सूची:

I) I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक-

निदेशक का नाम	पदनाम
i) श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii) श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक
iii) श्री राजीव पुरी (30.06.2023 तक)	कार्यपालक निदेशक
iv) श्री एम वी मुरली कृष्णा	कार्यपालक निदेशक
v) श्री महेंद्र दोहरे (09.10.2023 से)	कार्यपालक निदेशक

II. अनुषंगियाँ**नाम**

- i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
- ii) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

III. सहयोगी -

- i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (बिहार)
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)
- ii) इंडो- जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया

ई) लेखा मानक -10 और लेखा मानक - 19 एवं (फ्रीहोल्ड और पट्टे)

- i) बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर और निदेशक मंडल के अनुमोदन पर दिनांक 31.03.2024 को बाजार मूल्य को प्रकट करने के लिए बैंक के परिसर का मूल्यांकन किया गया और मूल्य में ₹490.00 करोड़ की वृद्धि की गई जिसे मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया.
- ii) जिन परिसम्पतियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनके संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यहास लगाया जाता है और लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित राशि के लिए जवाबदेय अतिरिक्त मूल्यहास की राशि ₹ 54.87 करोड़ (स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए ₹16.16 करोड़) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मार्च 2024 तक (पिछले वर्ष 2022-23 में ₹ 65.36 करोड़) "पुनर्मूल्यांकन आरक्षित" से स्थानांतरित कर "राजस्व और अन्य आरक्षित" में जमा की जाती है. पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ी हुई कीमत पर मूल्यहास को दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नहीं माना गया है.
- iii) बैंक द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि में बिल्डिंग का बाजार मूल्य दिनांक 31.03.2024 को ₹6.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.99 करोड़) जिसकी बट्टाकृत कीमत शून्य है (विगत वर्ष भी शून्य) जिसकी पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है और बैंक के पास अभी भी है इन भूमि पर इसके कार्यालय/भवन और बैंक द्वारा पट्टे पर प्राप्त खाली भूमि में दिनांक 31.03.2024 को बाजार मूल्य 16.43 करोड़ है, जिसका बट्टाकृत मूल्य शून्य है, जहां पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है, पट्टे के नवीनीकरण के लिए अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है.
- iv) एएस-19 के अनुसार, परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जो बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय है.
 - i) गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर की देयता दिनांक 31.03.2024 तक शून्य है.
 - ii) परिचालन पट्टे के लिए लाभ-हानि खाते में मान्य पट्टा भुगतान की राशि दिनांक 31.03.2024 तक ₹454.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹392.02 करोड़) है.
- V) अतिरिक्त प्रकटीकरण:
 - (ए) बैंक द्वारा प्राप्त परिसर में ₹37.13 करोड़ की अपनी संपत्ति शामिल है जिसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी प्रगति पर है.
 - (बी) प्रतिभूति के निपटान पर अर्जित की गई ₹37.13 करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक बैंक के पक्ष में नहीं है क्योंकि मामला न्यायाधीन है.

एफ) लेखांकन मानक 20- प्रति शेयर आय

एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना इस प्रकार की गई है:

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :



विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
इक्विटी शेयर धारक के लिए उपलब्ध कर पश्चात शुद्ध लाभ (करोड़ में)	2,549.06	1,582.20
इक्विटी शेयर की भारत औसत संख्या (संख्या)	8,68,09,39,432	8,68,09,39,432
प्रति शेयर मूल आय (₹)*	2.94	1.82
प्रति शेयर डायल्यूटिड आय (₹)*	2.94	1.82
प्रति शेयर नॉमिनल मूल्य (₹)*	10	10

जी) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर की गणना

- वर्ष के लिए आयकर प्रावधान प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और विवादित मुद्दों पर न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद तय किया जाता है।
- आकस्मिक देनदारियों (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावों में मूल बैंक की विवादित आयकर देनदारी के लिए ₹5,964.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,969.69 करोड़) शामिल हैं। इसमें बैंक और आयकर विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर आयकर अपीलें शामिल हैं। कराधान की विवादित राशि के प्रावधान को बैंक द्वारा विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के आधार पर आवश्यक नहीं माना गया है। उक्त विवादित देय राशि हेतु भुगतान/ समायोजन अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च, 2024 को विवादित सेवा कर ₹ 9.12 करोड़ है।
- “भारत सरकार ने दिनांक 20 सितंबर, 2019 के आयकर कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 (“अधिनियम”) में धारा 115 बीए शामिल की है, जो कुछ शर्तों के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए घरेलू कंपनियों को एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करती है”। बैंक ने अधिनियम की प्रयोज्यता का आकलन किया है और दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मौजूदा कर दर (अर्थात् 34.944%) को जारी रखने का विकल्प चुना है।
- प्रबंधन की राय में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के प्रावधान लागू नहीं हैं। इस रुख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए ₹ 275.33 करोड़ के एमएटी कर प्रावधान को मान्यता दी है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेए के अंतर्गत एमएटी क्रेडिट पात्रता (दिनांक 31.03.2024 को ₹ 1,960.90 करोड़) होने के कारण पूरी राशि को मान्य किया है और संपत्ति के रूप में माना है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी (वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधन के पश्चात) के प्रावधानों की प्रयोज्यता आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई की विशेष पीठ के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन है।
- महत्वपूर्ण प्रावधान आवश्यकताओं और सीईटी1 गणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई द्वारा समय अंतर के विरुद्ध संभावित कर लाभ के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर कर समीक्षा की गई है और ₹4,294.57 करोड़ को आस्थगित कर परिसंपत्तियों के रूप में मान्य किया है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं का घटक निम्नानुसार है:

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)			
	आस्थगित कर आस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
व्यावसायिक हानि	3,124.24	2,270.61	-	-
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	419.93	374.02	-	-
ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	1,570.95	3,945.44	-	-
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	-	61.87	40.96
उपचित ब्याज लेकिन निवेश पर देय नहीं	-	-	747.67	699.00
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन विशेष निधि	-	-	34.94	34.94
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	-	-	(23.94)	16.26
कुल	5,115.12	6,590.07	820.54	791.16
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	4,294.58		-	

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आस्थगित कर आस्तियों में निवल कमी ₹ 1,504.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,063.14 करोड़) को लाभ और हानि खाते में मान्य किया गया है।

जी) लेखांकन मानक - 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की परिसंपत्तियों के एक बड़े हिस्से में वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं जिसमें संपत्ति की हानि पर लेखा मानक-28 लागू नहीं होता है। प्रबंधन की राय में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों पर कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है, जिसे मानक के संदर्भ में मान्यता की आवश्यकता है

एच) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर- लेखांकन मानक 29

	31.03.2024	31.03.2023
लाभ-हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण		(राशि ₹ करोड़ में)
निवेश पर प्रावधान / मूल्यहास (एनपीआई)	(264.90)	214.59
एनपीए के लिए प्रावधान	3,391.39	3,531.55
मानक आस्ति के लिए प्रावधान	52.01	680.54
करों के लिए प्रावधान	1,504.33	1,063.14
पुनसंरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	(33.83)	(221.81)
अन्य प्रावधान	164.63	30.80
कुल	4,813.63	5,301.57

आई) अतिरिक्त प्रकटीकरण:-

सूचना सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन. बैंक ने आरबीआई परिपत्र आरबीआई /2010-11/494 डीबीएस .सीओ.आईटीसी.बीसी.सं. 6/31. 02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के अनुसार नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों की समीक्षा बैंक के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर की जा रही है। आखिरी बार नीतियों की समीक्षा दिनांक 28.02.2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी।

जे) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान:- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला सामने नहीं आया है।

के) आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 दिसंबर 1988 का डीबीओडी नंबर बीपी.बीसी.57/62-88, ₹ शून्य राशि का अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) लिया गया है। तदनुसार, इन्हें बैंक के अग्रिमों से समायोजित किया गया है। इन उधारों के एवज में ₹ शून्य की ब्याज आय को मान्य किया गया है।

एल) परिसंपत्ति में एमटीएम घाटे के प्रसार के संबंध में प्रकटीकरण:

यह आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/200 डीबीआर सं- बीपी.बीसी.113/21.04.048/2017-18 दिनांक 15 जून 2018 के संदर्भ में है जो कि सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में तेज वृद्धि के कारण एफएस और एचएफटी में रखे गए निवेश पर मार्क टू मार्केट (एमटीएम) नुकसान के लिए प्रावधानीकरण विस्तार के विकल्प से संबन्धित है : शून्य

एम) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है..



विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

हार्दिक एम शेट
निदेशक

चारुलता एस. कर
निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनेश पांगती
निदेशक

प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते कृते ए. आर. व सीओ
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.एफ.आर.सं. 002744C

कृते ए डी बी व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.005593C

(सीए पी. आर. करन्थ)
भागीदार
एम.नं.018808

(सीए पवन गोयल)
भागीदार
एम.नं.072209

(सीए बंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं.074272

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

केबारे में

कार्यनीति

पूजी

नोटिस

साविधिक

निर्वाच

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03- 2024	31-03- 2023
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	4,053.39	2,645.34
I	निम्न हेतु समायोजन		
	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	499.64	385.86
	निवेश पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचर सहित)	(267.26)	214.10
	अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान	3,391.39	3,309.74
	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	52.01	680.54
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	133.16	34.05
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)	14.67	1.34
	समनुषंगी से लाभांश की प्राप्ति	(7.83)	(7.95)
	कुल योग	7,869.17	7,263.02
II	निम्न हेतु समायोजन		
	जमा में वृद्धि/(कमी)	25,714.85	16,604.53
	उधार राशि में वृद्धि/(कमी)	11,686.90	644.39
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	14.37	231.32
	अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	(43,813.36)	(38,123.31)
	निवेश में वृद्धि/(कमी)	(7,072.75)	3,989.37
	अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(60.89)	894.46
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (निवल प्रतिदान आदि)	(254.51)	(297.96)
	कुल योग	(13,785.39)	(16,057.20)
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	(5,916.22)	(8,794.18)
वी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल परिसंपत्ति की बिक्री/निपटान	3.01	3.62
	अचल परिसंपत्ति का क्रय	(586.77)	(212.07)
	सहायक/समनुषंगी से लाभांश की प्राप्ति	7.83	7.95
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (वी)	(575.93)	(200.50)



(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03- 2024	31-03- 2023
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमीयम सहित)	-	-
	शेयर एप्लीकेशन मनी	-	-
	लाभांश- अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	-	-
डी	नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि (ए+बी+सी) या (एफ-ई)	(6,492.15)	(8,994.68)
ई	वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं बैंक शेष	27,432.92	38,033.70
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	16,666.73	15,060.63
	वर्ष के आरंभ में निवल नकद एवं नकद तुल्य (ई)	44,099.65	53,094.33
एफ	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं बैंक शेष	22,954.69	27,432.92
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	14,652.81	16,666.73
	वर्ष के अंत में निवल नकद एवं नकद तुल्य (एफ)	37,607.50	44,099.65

नोट:

- उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 3 के अनुसार 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत तैयार किया गया है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के अनुरूप करने के लिए पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हार्दिक एम शेट
निदेशक

चारुलता एस. कर
निदेशक

दिनेश पांगती
निदेशक

प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते कृते ए. आर. व सीओ
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.एफ.आर.सं. 002744C

कृते ए डी बी व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.005593C

(सीए पी. आर. करन्थ)
भागीदार
एम.नं.018808

(सीए पवन गोयल)
भागीदार
एम.नं.072209

(सीए बंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं.074272

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

मे. किशोर एंड किशोर
सनदी लेखाकार
सी-7, सेक्टर ई (न्यू)
अलीगंज, लखनऊ- 226024 (यू.पी.)

मे. ए.आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
ए-404, गायत्री अपार्टमेंट
एअरलाइन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी प्लॉट नं 27,
सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075.

ए डी बी एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार,
प्रथम माला, महावीर गौशाला कॉम्प्लेक्स
के.के.रोड, मौधापारा,
रायपुर - 492001 (सी.जी.)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति, सदस्यगण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

मुम्बई

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('मूल बैंक') की समेकित वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि खाते तथा समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारंश और अन्य समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ हैं (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) जिसमें निम्न शामिल है:

- हमारे द्वारा लेखापरीक्षित मूल बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंडलोन वित्तीय विवरण.
- एक अनुषंगी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी - सेंट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
- एक अनुषंगी की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी - सेंट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड.
- निम्न तीन (3) अनुषंगियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण -
 - उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
 - उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार
 - इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड

मूल बैंक के साथ उपरोक्त संस्थाओं को 'समूह' कहा गया है.

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा आवश्यक

जानकारी, इस तरह देते हैं जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप है, और

- समेकित तुलन पत्र, उस पर किए गए नोट के साथ पढ़ा गया एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलनपत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, जिसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि दिनांक 31 मार्च, 2024 को बैंक की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष स्थिति प्रदर्शित की जा सके.
- उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में शेष लाभ की सही स्थिति दर्शाता है.
- समेकित नकदी प्रवाह विवरणी (कैश फ्लो स्टेटमेंट) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही और निष्पक्ष नगद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है. नैतिकता आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, (आईसीएआई) के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है.

विशेष मामलें

- हम इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(ए) आस्थगित कर के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 4.7, जिसमें समय के अंतर से उत्पन्न होने वाले संभावित कर लाभों के संबंध में मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा की गई कर समीक्षा के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 4,283.51 करोड़ की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति (दिनांक 31 मार्च 2023 तक ₹ 5,788.19 करोड़) है.

उपरोक्त मामलों में हमारी राय संशोधित नहीं हुई है.

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनके आधार पर हम अपने अभिमत निर्मित करते हैं और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं. नीचे वर्णित मामलों को हमने मूल लेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में सम्मेषित होंगे.

मूल लेखापरीक्षा मामले

1. गैर निष्पादित अग्रिम की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है. (समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 2 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

अग्रिम में बैंक की कुल अस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है. गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा की जाती है.

एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है. एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्यांकन पर भी निर्भर होता है. पुनर्गठित खातों में प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है. हमने ऋणों और अग्रिमों पर एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना क्योंकि आरबीआई दिशा-निर्देशों के आधार पर एनपीए की पहचान करने में प्रबंधन निर्णय का स्तर और समूह के वित्तीय विवरणों के लिए इन अनुमानों के महत्व के कारण एनपीए की प्रतिभूति का मूल्यांकन शामिल था.

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से संबंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभावता का निर्धारण शामिल है. विशेष रूप से:

- » हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पद्धति का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है.
- » हमने एनपीए को चिह्नित करने एवं तत्संबंधी आय की कटौती और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है और उसे समझा है.
- » हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम संबंधित प्रावधानों के संबंध में मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों की परिचालनीय प्रभावता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी प्रणाली/ ऐप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और उसे समझा है.
- » मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावता को सुनिश्चित करने और इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधन दोनों ने,
- » उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिक्तिकरण की समय पर पहचान की है.
- » समय-समय की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के कोविड -19 विनियामक पैकेज के अनुसार आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल है.
- » हम आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के साथ-साथ शाखाओं तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर के सभी एमओसी के (परिवर्तनों के ज्ञापन) के संबंध में संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है.

मूल लेखापरीक्षा मामले

2. निवेश

समूह के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल हैं जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं। निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है।

निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) और संबंधित आय प्राप्त न होने की पहचान एवं उन पर प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। (समेकित वित्तीय विवरणियों को अनुसूची 17 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें.)

उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार करना होगा, जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/सूचनाएं जैसे कि (फाइनेंशियल ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफबीआईएल) दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कंपनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में निवल परिसंपत्ति मूल्य इत्यादि शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश है जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है तथापि कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धति पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पुर्वांमानों के साथ सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल है। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है।

इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस पर हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/आदेशों के संदर्भ के साथ अनावश्यक निवेशकों (एनपीआई) की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण/मूल्यहास से संबंधित मूल लेखा प्रतिक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा परिचालन प्रभावित का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से:

- » हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, निवेश पर प्रावधान और मूल्यहास के संबंध में संबंधित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए मूल बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का आकलन किया है और समझा है।
- » भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों तथा दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशकों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता और अनुपालन की जांच की गई है।
- » हमने एनपीआई की पहचान विनिर्दिष्ट और आय के तदनुसंग रिवर्सल और प्रावधानों के सृजन का आकलन एवं मूल्यांकन किया है।
- » हमने स्वतंत्र पूर्ण रूप से पुनः परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यहास प्रदान करने के लिए मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया अपनाई है।
- » हमने मूल्यांकन किया है कि वित्तीय विवरण प्रकटीकरण प्रचलित लेखांकन मानकों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के संदर्भ में बैंक के निवेश मूल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग –

बैंक की परिचालन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) और स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर हैं एवं लेनदेन के लेन-देन की बड़ी मात्रा को नियंत्रित करती हैं।

प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है।

मूल बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए शीर्ष प्रबंधन पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) है।

तदनुसार, वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव के कारण हमारा लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों पर केंद्रित की गई है और इसे हमारे लेखापरीक्षा के मूल लेखा परीक्षा मामले में माना गया है।

4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे:

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों एवं आकस्मिक दायित्व का आकलन (अनुसूची 17 की नोट संख्या 14 एवं अनुसूची 18 की नोट संख्या 4.10)

प्रावधान स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक को मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव एवं कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह से समर्थित है, जहां भी आवश्यक होती है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर होता है। प्रबंधन के फैसले में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावे और मुकदमे अंततः देयता नहीं होगी।

हालाँकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित/अप्रत्याशित है।

इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डेटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी प्रणाली को चिह्नित किया। लेखांकन और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणालियों के लिए हमारे लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल हैं। विशेष रूप से:

- » हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मूल बैंक के आईटी नियंत्रण स्थिति एवं मूल परिवर्तनों को समझा जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।
- » हमने मूल आईटी प्रणालियों पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया, जो स्वतंत्र विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण और विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान/संशोधित किए जा रहे पहुंच अधिकारों, समय पर तरीके से रद्द किए जा रहे निकास मामलों की पहुंच का मूल्यांकन शामिल है।
- » हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए प्रमुख स्वचालित और मैनुअल व्यापार चक्रीय नियंत्रण और तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें यह आकलन करने के लिए क्षतिपूर्ति नियंत्रण या निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है कि क्या कोई ऐसे आईटी जोखिम थे जिनका समाधान नहीं किया गया था जो वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा।

हमने प्रावधानीकरण हेतु प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की, लेकिन प्रभाव की सीमा भविष्य के विकास पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा का विषय हैं।

हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है तथा इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, हाल के आदेशों की जांच और विभिन्न करों से प्राप्त संचार की समीक्षा करने के लिए अपनी आंतरिक टीम को शामिल किया है। विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों और उस पर अनुवर्ती कार्रवाईयों और दावों/मुकदमों की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और विकास से लेकर आज तक के अंतिम समाधान पर अंतिम देयता में अमल में आने का संभावना है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

5. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य सूचना में अनुलग्नकों सहित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल है, जो हमने यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त की थी एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबंधनतंत्र से चर्चा और विश्लेषण जो इसके बाद हमें प्राप्त होना अपेक्षित है, शामिल है किन्तु इसमें वित्तीय विवरणियों और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपर्युक्त अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा कर, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या इसमें प्राप्त हमारा ज्ञान ऐसा प्रतीत होता है कि लेखापरीक्षा या अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त की गई अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अगर यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना होता है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कुछ भी नहीं है।

जब हम अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधनतंत्र विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं तथा यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें मामले को उन लोगों को सूचित करना आवश्यक है जो गवर्नेंस से प्रभारित हों और लागू विधि एवं विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

6. मूल बैंक का प्रबंधन तथा निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह का सटीक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानक तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश (आरबीआई दिशानिर्देश) और न्यायिक घोषणाएं सम्मिलित हैं। इस उत्तरदायित्व में समूह की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाना; और

पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेख की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं एवं भौतिक असंगत बयानों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। इस उत्तरदायित्व में समूह के आस्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव भी सम्मिलित है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु, समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल और उसके सहयोग समूह की वर्तमान व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने और लेखांकन के वर्तमान व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल समूह को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा उसके पास यथार्थवादी विकल्प नहीं है। संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरणियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है जिसमें हमारी राय शामिल है। यह तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं है कि समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अयथार्थ का सदैव पता लगेगा। अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जाएगा, तो इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन के मानदंडों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित करते हैं:

➤ समेकित वित्तीय विवरणों के विषयों के अयथार्थ के जोखिमों की पहचान अथवा आकलन करना, चाहे वो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड सम्मिलित हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो, लेकिन समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना.
- लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य के आधार प्रबंधन उपयोग की उपयुक्तता एवं प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपना ध्यान अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर आकर्षित करना होगा अथवा, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के समूह एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है.
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है.
- समेकित वित्तीय विवरणियों पर एक राय व्यक्त करने हेतु, जिस समूह के हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, एवं जिनकी वित्तीय जानकारी का हमने लेखा-जोखा किया है. उसके भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त किये हैं. हम समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अन्य संस्थाओं हेतु, जिनके अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन. पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते है. हम अपना लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं.

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणियों में गलत बयानों का परिणाम है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम (i) अपने लेखापरीक्षण के कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने, और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने को मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में मूल बैंक के गवर्नेस प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल है जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते है.

हम उन गवर्नेस प्रभारित लोगों के साथ को भी एक बयान प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन सभी रिशतों और अन्य मामलों के बारे में सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा, पर उचित रूप से माना जा सकता है..

गवर्नेस प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं. हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के जनमानस लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते है.

अन्य मामलें

8. इन समेकित वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (ए) हमने मूल बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 1356 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक ₹ 2,07,912 करोड़ की कुल संपत्ति एवं ₹ 8,313 करोड़ का कुल राजस्व उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है. इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाओं का लेखा परीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है.
- (बी) हमारे पूंजी के संचालन में, हमने संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित मूल बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 3124 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिनके वित्तीय विवरण/सूचना 31 मार्च 2024 तक कुल संपत्ति ₹ 1,13,873 करोड़ रुपये एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 7,632 करोड़ दर्शाते है.
- (सी) हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखापरीक्षा नहीं किया, जिनके 31 मार्च 2024 की उस तिथि को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण ₹ 54.36 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 5.29 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है. इन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी

रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई है, और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(डी) हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखापरीक्षा नहीं किया, जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 को ₹ 1625.37 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 162.30 करोड़ रुपये का कुल राजस्व दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणियों/सूचनाओं की अब तक लेखापरीक्षा नहीं की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। निदेशक मंडल द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय परिणाम/वित्तीय सूचना समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ई) समेकित वित्तीय विवरणों में 3 सहयोगियों के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के ₹ 100.64 करोड़ के शुद्ध लाभ का हिस्सा शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

10. उपरोक्त पैराग्राफ 6 से 8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित, हमारे ऑडिट के आधार पर और अन्य ऑडिटों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर अलग-अलग वित्तीय विवरणों और सहायक कंपनियों और सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर, जैसा कि “अन्य मामले” पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं:

ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा

के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

बी) हमारे जानकारी में आए लेन-देन बैंक के शक्तियों के भीतर हैं, और

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में, समूह द्वारा विधिक रूप से अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जो हमारे द्वारा उन पुस्तकों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

बी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों और हमारे द्वारा नहीं देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं।

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत मूल बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनके साथ समुचित सरोकार रखा गया है।

डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का इस सीमा तक अनुपालन करते हैं, कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

12. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(2) के प्रावधानों के तहत आवश्यक “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रिपोर्टिंग में वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के पत्र संख्या डीओएस.एआरजी संख्या 6270/08.91.001/2019-20 द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्व” एवं आरबीआई द्वारा जारी 19 मई 2020 को जारी संबंधित सूचना साथ पढ़ें, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

बी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणियां नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सी) चूंकि मूल बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता मूल बैंक पर लागू नहीं होती है।



भारत में निगमित एक सहायक कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित सहायक कंपनी का कोई भी निदेशक 31 मार्च 2024 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है..

डी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

ई) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड" के पैरा 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होगी. तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है.

कृते किशोर एण्ड किशोर
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 00029आईएन

वास्ते ए आर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 002744सी

सीए पी.आर. कारंत
भागीदार
एम.न. - 018808
यूडिआईएन: 24018808BKDZIK4729

सीए पवन गोयल
भागीदार
एम.न. - 072209
यूडिआईएन: 24072209BKFDGM1385

वास्ते एडीवी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या: 005593सी

सीए बंकिम शुक्ला
भागीदार
एम.न. 074272
यूडिआईएन: 24074272BKEHFV9090

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30.04.2024

के बारे में

कार्यवाही

पूरी

नोटिस

साविधिक

वित्तीय

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2024 को

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31-मार्च -2024 का समाप्त वर्ष (₹)	31-मार्च -2023 को समाप्त वर्ष (₹)
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	8,68,09,394	8,68,09,394
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	23,69,34,722	20,53,57,914
अल्प ब्याज	2ए	7,61,619	6,73,138
जमा	3	3,85,54,07,764	3,59,77,51,185
उधार राशि	4	20,01,28,769	8,33,39,157
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	9,76,73,453	9,68,66,358
योग		4,47,77,15,721	4,07,07,97,146
परिसंपत्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	6	22,95,47,930	27,43,29,199
अन्य बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	14,65,30,059	16,66,90,249
निवेश	8	1,44,01,00,245	1,36,56,93,837
अग्रिम	9	2,44,39,92,774	2,03,89,32,569
अचल परिसंपत्तियां	10	5,33,63,509	4,77,66,959
अन्य परिसंपत्तियां	11	16,40,92,308	17,72,95,437
समेकन पर सुनाम		88,896	88,896
योग		4,47,77,15,721	4,07,07,97,146
आकस्मिक देयताएं	12	96,29,97,995	1,32,70,78,967
वसूली के लिए बिल		10,05,70,676	11,03,90,657

उपर्युक्त उल्लेखित अनुसूचियां समेकित तुलन पत्र के अभिन्न भाग हैं।

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशकएम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशकमहेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशकहार्दिक एम शेट
निदेशकचारुलता एस. कर
निदेशकएम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारीदिनेश पांगती
निदेशकप्रदीप पी. खिमानी
निदेशकप्रियव्रत शर्मा
निदेशक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार.....

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं.000291 सीकृते ए.आर.एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 002744 सीकृते एडीबी और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नंबर 005553सी(सी.ए. पी. आर. करन्थ)
भागीदार
एम. नं. 018808(सीए पवन गोयल)
भागीदार
एम. नं. 072209(सीए बैंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं. 074272

स्थान: मुंबई

दिनांक:- 30 अप्रैल, 2024



समेकित लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31-मार्च -2024 को समाप्त वर्ष	31-मार्च -2023 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	30,84,89,210	25,65,71,000
अन्य आय	14	4,71,30,609	4,08,44,939
योग		35,56,19,819	29,74,15,939
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	17,88,23,691	13,90,51,019
परिचालन व्यय	16	10,27,48,949	8,90,99,979
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		4,82,87,378	5,31,71,633
योग		32,98,60,018	28,13,22,631
एसोसिएट्स में अर्जक/हानि का शेयर		10,06,367	7,90,621
अल्प ब्याज में कटौती से पूर्व अवधि के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)		2,67,66,168	1,68,83,929
घटाए: अल्प ब्याज		89,360	96,145
समूह के लिए उत्तरदायी अवधि हेतु समेकित निवल लाभ/(हानि)		2,66,76,808	1,67,87,784
जोड़े: समूह के लिए उत्तरदायी समेकित लाभ/(हानि) का अग्रगण्य		1,02,47,511	(5,42,285)
जोड़े: लाभ एवं हानि में समायोजन		-	(1,14,541)
IV. विनियोजन			
वैधानिक आरक्षित निधियों में अंतरण		63,72,645	39,55,503
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		22,51,113	19,27,944
ए. पूंजीगत निधि		3,60,861	13,32,997
बी. राजस्व निधि		19,236	10,296
सी. निवेश निधि		4,45,596	9,300
डी. प्रस्तावित लाभांश- इक्विटी शेयर पूंजी		-	-
ई. धारा 36 (I) (VIII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		50,960	27,842
एफ. निवेश अस्थिर निधि		13,74,460	5,47,509
सरकारी/ प्रस्तावित लाभांश में अंतरण		-	-
तुलन पत्र में शेष		2,83,00,561	1,02,47,511
योग		3,69,24,319	1,61,30,958
प्रति शेयर आय (₹ में) - मूल (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		3.07	1.93
प्रति शेयर आय (₹ में) - डाल्युटेड(सामान्य मूल्य ₹ 10/-प्रति शेयर)		3.07	1.93

उपर्युक्त संदर्भित समेकित लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है.

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हार्दिक एम शेट
निदेशक

चारुलता एस. कर
निदेशक

दिनेश पांगती
निदेशक

प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार.....

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं.000291 सी

कृते ए.आर.एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 002744 सी

कृते एडीबी और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नंबर 005553सी

(सी.ए. पी. आर. करन्थ)
भागीदार
एम. नं. 018808

(सीए पवन गोयल)
भागीदार
एम. नं. 072209

(सीए बंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं. 074272

स्थान: मुंबई

दिनांक:- 30 अप्रैल, 2024

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2024 को

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च - 24 को		31-मार्च - 23 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		10,00,00,000		10,00,00,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 1000,00,00,000 शेयर				
अभिदत्त पूंजी	8,68,09,394		8,68,09,394	
(प्रति ₹ 10/- के 8680939432 इक्विटी शेयर)				
चुकता पूंजी	8,68,09,394		8,68,09,394	
(प्रति ₹ 10/- के 8680939432 इक्विटी शेयर)				
.प्रति ₹ 10/-के 8680939432 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 8680939432 इक्विटी शेयर) (केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति ₹ 10/-के 8080391687 इक्विटी शेयर सहित)				
कुल		8,68,09,394		8,68,09,394
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	2,72,03,582		2,32,48,079	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	63,72,645		39,55,503	
		3,35,76,227		2,72,03,582
II. पूंजीगत निधि				
निवेश निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1,88,02,225		1,74,69,228	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,60,861		13,32,997	
		1,91,63,086		1,88,02,225
III. पुनर्मूल्यांकित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	3,64,95,852		3,71,49,448	
वर्ष के दौरान परिवर्धन- समायोजन	49,00,000		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण	5,48,671		6,53,596	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		4,08,47,181		3,64,95,852
IV. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	7,46,66,328		7,46,66,328	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		7,46,66,328		7,46,66,328



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च - 24 को		31-मार्च - 23 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
V. अन्य प्रारक्षित निधियां				
ए) धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	16,09,359		15,81,517	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	50,960		27,842	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		16,60,319		16,09,359
VI. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां				
i) विनियोग उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	71,28,429		65,80,920	
जोड़े:- वर्ष के दौरान परिवर्धन	13,74,460		5,47,509	
घटाएं:- वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		85,02,889		71,28,429
ii) निवेश आरक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1,23,146		1,13,846	
जोड़े:- वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,45,596		9,300	
घटाएं:- वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		5,68,742		1,23,146
ii) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	2,90,81,482		2,84,17,590	
जोड़े:- पुनर्मूल्यांकित निधियों से अंतरण	5,48,671		6,53,596	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	19,236		10,296.00	
जोड़े:- प्रारंभिक शेष समायोजन	-		-	
जोड़े/घटाएं-वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
		2,96,49,389		2,90,81,482
VII. लाभ एवं हानि खातों में शेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1,02,47,511		-5,42,285	
जोड़े:- लाभ एवं हानि में समायोजन	-		-1,14,541	
जोड़े:- लाभ के विनियोग के बाद वर्ष के लिए लाभ	1,80,53,050		1,09,04,337	
		2,83,00,561		1,02,47,511
कुल		23,69,34,722		20,53,57,914
अनुसूची 2ए: अल्प ब्याज				
जिस दिनांक पर मूल/सहयोगी संबंध अस्तित्व में आए	24,500		24,500	
उस दिनांक पर अल्प ब्याज				
अनुवर्ती वृद्धि/कमी	7,37,119		6,48,638	
तुलन पत्र की दिनांक पर अल्प ब्याज		7,61,619		6,73,138

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -24 को		31-मार्च -23 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमा राशियां				
i) बैंक से	70,98,342		98,44,694	
ii) अन्य से	18,22,83,881		17,74,74,505	
		18,93,82,223		18,73,19,199
II. बचत बैंक जमा		1,73,72,09,212		1,62,53,14,529
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	65,41,082		68,57,251	
ii) अन्य से	1,92,22,75,247		1,77,82,60,206	
		1,92,88,16,329		1,78,51,17,457
योग (I,II और III)		3,85,54,07,764		3,59,77,51,185
i) भारत में शाखाओं की जमा		3,85,54,07,764		3,59,77,51,185
ii) भारत से बाहर शाखाओं की जमा		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	11,01,00,000		1,76,40,000	
ii) अन्य बैंक	28,14,737		-	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	5,72,14,032		4,06,99,157	
iv) असुरक्षित प्रतिदेय बॉन्ड (सहायक उधार)	-		-	
v) ऊपरी टीयर II बॉन्ड	-		-	
vi) नवीन सतत ऋण उपाय	-		-	
vi) असुरक्षित प्रतिदेय एनसी बेसल III बॉन्ड (टीयर II)	3,00,00,000		2,50,00,000	
		20,01,28,769		8,33,39,157
II. भारत के बाहर से उधार		-		-
कुल		20,01,28,769		8,33,39,157
उपर्युक्त I एवं II सहित सुरक्षित उधार		-		-
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	99,14,552		94,93,095	
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	-		19,468	
III. उपचित ब्याज	64,93,844		89,15,697	
IV. आस्थगित कर देयताएं (निवल)	-		-	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	8,12,65,057	9,76,73,453	7,84,38,098	9,68,66,358
कुल		9,76,73,453		9,68,66,358
अनुसूची 6: भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष				
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)		1,42,62,877		1,50,01,105
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष				
चालू खातों में	21,52,85,053		16,52,98,094	
अन्य खातों में	-		9,40,30,000	
		21,52,85,053		25,93,28,094
कुल (I और II)		22,95,47,930		27,43,29,199



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -24 को		31-मार्च -23 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष				
क) चालू खातों में	2,93,307		4,05,075	
ख) अन्य जमा खातों में	1,548		24,676	
		2,94,855		4,29,751
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
क) बैंकों के पास	-		-	
ख) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		-		-
कुल..... I		2,94,855		4,29,751
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	19,44,554		20,02,668	
बी) अन्य जमा खातों में	14,42,90,650		16,42,57,830	
सी) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-		-	
कुल. II		14,62,35,204		16,62,60,498
कुल. (I + II)		14,65,30,059		16,66,90,249
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश :				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	1,12,75,91,015		1,03,03,86,822	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	-		-	
iii) शेयर	75,94,335		74,05,592	
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड	29,16,51,534		31,90,42,322	
v) सहयोगी	54,76,078		41,79,213	
vi) अन्य				
ए) यूटीआई शेयर एवं वाणिज्यिक पत्र म्यूचुअल फण्ड इकाइयां.	49,69,639		22,66,922	
कुल I		1,43,72,82,601		1,36,32,80,871
II. भारत के बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-		-	
ii) सहयोगी	28,17,644		24,12,966	
iii) अन्य निवेश	-		-	
कुल II		28,17,644		24,12,966
कुल (I और II)		1,44,01,00,245		1,36,56,93,837
III. भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	1,49,34,29,036		1,42,39,75,024	
घटाएँ: मूल्यहास के लिए सकल प्रावधान	5,61,46,435		6,06,94,153	
निवल निवेश		1,43,72,82,601		1,36,32,80,871

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

द्वितीय

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -24 को		31-मार्च -23 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
IV भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	28,17,644		24,12,966	
घटाएं: मूल्यहास के लिए सकल प्रावधान	-		-	
शुद्ध निवेश		28,17,644		24,12,966
कुल		1,44,01,00,245		1,36,56,93,837
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	2,63,85,662		3,09,41,503	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	86,50,95,143		79,06,06,898	
iii) सावधि ऋण	1,55,25,11,969		1,21,73,84,168	
कुल (i,ii तथा iii)		2,44,39,92,774		2,03,89,32,569
बी. अग्रिमों का विवरण :				
i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिमों सहित)	2,03,93,92,687		1,81,72,28,464	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से कवर	1,24,01,090		75,94,346	
iii) असुरक्षित	39,21,98,997		21,41,09,759	
कुल (i,ii तथा iii)		2,44,39,92,774		2,03,89,32,569
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिक क्षेत्र	1,14,20,69,133		96,68,04,431	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	2,87,63,043		2,40,71,293	
iii) बैंक	10,118		2	
iv) अन्य	1,27,31,50,480	2,44,39,92,774	1,04,80,56,843	2,03,89,32,569
कुल (i,ii, iii और iv)		2,44,39,92,774		2,03,89,32,569
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनुसूची 10 ; अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च तक का शेष	4,88,29,312		4,88,11,918	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	23,493		17,394	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्धन	49,00,000		-	
कुल	5,37,52,805		4,88,29,312	
वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	-		-	
कुल	5,37,52,805		4,88,29,312	
इस दिनांक को मूल्यहास	1,05,59,264		99,17,382	
कुल. I		4,31,93,541		3,89,11,930



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -24 को		31-मार्च -23 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर व फिक्सचर सहित)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च तक लागत	3,81,90,109		3,65,83,009	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	63,08,617		31,77,913	
कुल	4,44,98,726		3,97,60,922	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	11,91,273		15,70,812	
कुल	4,33,07,453		3,81,90,110	
दिनांक तक मूल्यहास	3,31,37,485		2,93,35,081	
कुल. II		1,01,69,968		88,55,029
कुल. (I + II)		5,33,63,509		4,77,66,959
III. पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है.		-		-
कुल. (I, II + III)		5,33,63,509		4,77,66,959
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. अंतरकार्यालय समायोजन (निवल)	8,77,226		-	
II. उपार्जित ब्याज	2,14,95,727		2,00,13,999	
III. अग्रिम रूप से कर का भुगतान/स्रोत पर कर कटौती	4,51,58,776		4,26,64,929	
IV. स्टेशनरी एवं मुहरें	2,10,310		2,28,747	
V. दावों की संतुष्टि के लिए अर्जित गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियां	-		-	
VI. आस्थगित कर परिसंपत्तियां	4,28,35,179		5,78,81,749	
VII. अन्य	5,35,15,090		5,65,06,013	
		16,40,92,308		17,72,95,437
कुल		16,40,92,308		17,72,95,437
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. ए) बैंक के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		41,21,046		12,48,708
बी) अपीलें, संशोधनों के अंतर्गत विवादित आयकर मांगों आयकर विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को ₹ 54125695 ('000 छोड़कर) की अपीलें शामिल हैं. जबकि 31 मार्च 2023 को ₹54125695 ('000 छोड़कर) की अपीलें शामिल हैं.		5,96,46,738		5,96,96,875
II. आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश के लिए देयता		1,25,02,962		1,26,58,798
III. अग्रिम विनियम अनुबंध बकाया के कारण देयता		73,62,84,486		1,10,82,31,495
IV. ग्राहक की ओर से दी गई गारंटी				
ए) भारत में	9,84,80,561		9,19,06,778	
बी) भारत के बाहर से	3,61,119		52,11,840	
		9,88,41,680		9,71,18,618
V. स्वीकृतियां, समर्थन और अन्य दायित्व		2,21,49,908		2,43,01,093
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		3,26,54,377		2,59,74,565
कुल		96,29,97,995		1,32,70,78,967

के बारे में

कार्यनीति

पूनी

नोटिस

सांविधिक

दिनीय

समेकित लाभ एवं हानि खाते का भाग की अनुसूचियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़कर)

विवरण	31मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	19,82,20,682	15,02,53,615
II. निवेश पर आय (लाभांश सहित)	9,51,39,133	8,71,84,229
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतरबैंक निधियों के पास शेष पर ब्याज	1,12,02,930	1,44,38,269
IV. अन्य	39,26,465	46,94,887
कुल	30,84,89,210	25,65,71,000
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. आयोग, विनिमय एवं दलाली	1,83,84,698	1,78,69,428
II. भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	15	1
घटाए: भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	1,46,652	13,396
III. ट्रांजैक्शन विनिमय पर लाभ	24,74,428	30,34,878
घटाए: ट्रांजैक्शन विनिमय पर हानि	-	-
IV. निवेश बिक्री पर लाभ (निवल)	63,68,616	27,36,829
घटाए: निवेश बिक्री पर हानि	-	-
V. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	7,29,606	24,811
घटाए: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-	-
VI. विविध आय		
ए. विदेश में/ भारत में सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	68,337.00	64,454.00
बी. अन्य	1,92,51,561	1,71,27,934
कुल	4,71,30,609	4,08,44,939
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमा पर ब्याज	16,94,88,559	13,42,73,336
II. भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर्बैंक उधार पर ब्याज	33,87,496	10,57,783
III. अन्य	59,47,636	37,19,900
कुल	17,88,23,691	13,90,51,019



(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	6,32,57,705	5,61,56,968
II. किराया, कर एवं बिजली	59,75,203	52,85,758
III. प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	4,03,765	3,30,635
IV. विज्ञापन एवं प्रकाशन	2,50,496	1,75,363
V. ए) पट्टाकृत परिसंपत्तियों के अलावा बैंक की अन्य संपत्तियों पर मूल्यहास	49,98,343	38,59,798
बी) पट्टाकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	-	-
VI. निदेशक की शुल्क, भत्ते एवं व्यय	13,794	10,258
VII. लेखापरीक्षकों की शुल्क एवं व्यय (शाखा के लेखापरीक्षकों की शुल्क, भत्ते एवं व्यय सहित)	3,29,209	3,54,756
VIII. विधि शुल्क	3,71,473	2,73,403
IX. डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि	8,83,199	9,37,895
X. मरम्मत व रखरखाव	14,82,443	14,74,942
XI. बीमा	46,83,110	44,14,494
XII. गुडविल का परिशोधन, यदि कोई हो	-	-
XIII. अन्य व्यय	2,01,00,209	1,58,25,709
कुल	10,27,48,949	8,90,99,979

के बारे में

कार्यनीति

पूँजी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (समेकित)

ए. पृष्ठभूमि

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के अर्न्तगत पंजीकृत एक कॉर्पोरेट निकाय है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। जिसका मुख्य व्यवसाय व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों एवं सेवाओं की व्यापक रेंज के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही है। यह व्यवसाय भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

बी. प्रस्तुति का आधार :

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी भौतिक पहलुओं के अनुरूप परिसर के पुनर्मूल्यांकन और अनुरूपता को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत के आधार पर व्यवसाय चालू की अवधारणा का पालन करके वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधान शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987, आवास वित्त कंपनियों (एनएचबी) के दिशानिर्देश 2010, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और घोषणाएं और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहार शामिल हैं।

सी. समेकन का आधार

समूह का समेकित वित्तीय विवरण (जिसमें 2 सहायक संस्थाएँ, 3 सहयोगी (जिसमें 2 आरआरबी सहित) शामिल हैं, इसके आधार पर यह समेकन तैयार किया गया है:

- ए) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
- बी) आईसीएआई द्वारा जारी किया गया लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार मूल के संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों की संपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान मदों का पंक्तिबद्ध एकत्रीकरण और सभी सामग्री अंतर-समूह शेष/लेनदेन, अप्राप्त लाभ/हानि को समाप्त करने के बाद.
- सी) सहयोगियों में निवेश, जहाँ समूह के पास 20% या अधिक मतदान शक्ति है, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन" के संदर्भ में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकन किया गया है। एक सहयोगी, इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरण स्थानीय नियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन सहयोगियों से प्राप्त वित्तीय विवरण इन समेकित वित्तीय विवरणों में उनके समावेश का एकमात्र आधार माना जाता है।
- डी) सहयोगी अर्थात् इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड का लेखा कैलेंडर वर्ष का है। यदि सहयोगी का लेखा वर्ष मूल बैंक के लेखा वर्ष

से भिन्न होता है तो लाभ/हानि का आनुपातिक हिस्सा लेखा परीक्षित अवधि के लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है और अलेखापरीक्षित अवधि के लिए लाभ/हानि का आनुपातिक हिस्सा अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है।

- ई) समेकित वित्तीय विवरण उस परिस्थितियों में लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं और यथासंभव कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण उसी तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं।

समेकित सहायक कंपनियों की शुद्ध परिसंपत्तियों में अल्पसंख्यक ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ए. जिस तारीख को किसी सहायक कंपनी में निवेश किया जाता है, उस तारीख को अल्पसंख्यक के कारण इक्विटी की राशि, और
- बी. मूल सहायक संबंध के अस्तित्व में आने की तारीख से इक्विटी में उतार-चढ़ाव की अल्पसंख्यक हिस्सेदारी।

डी. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय के अनुसार संपत्ति और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच का अंतर उस वर्ष में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/अंतिम रूप में सामने आते हैं।

ई. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. नकद और नकदी के समतुल्य:

नकदी और नकदी समतुल्य हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष राशि और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर राशि शामिल है।

2. राजस्व मान्यता:

। मूल बैंक

2.1 सामान्य

विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर आय को छोड़कर आय/व्यय का हिसाब आम तौर पर संचय के आधार पर किया जाता है।

2.2 निवेश से आय

ए) निवेश की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, हेल्ड टू मैच्योरिटी

(एचटीएम) श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ (लागू करों का शुद्ध और "साविधिक आरक्षित खाते" में अंतरित किए जाने वाली आवश्यक राशि) को पूंजीगत आरक्षित खाते में विनियोजित किया जाता है।

बी) अंकित मूल्य पर छूट पर प्राप्त "हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम)" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा), को निम्नानुसार मान्यता प्राप्त है:

- ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, इसे केवल बिक्री/मोचन के समय माना जाता है।
- शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति का अतिशेष अवधि निरंतर प्रतिफल के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

सी) लाभांश आय तब स्वीकृत होती है जब लाभांश प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है।

डी) प्रतिभूति प्राप्तियों में बढ़ोतरी को 'अन्य आय' के रूप में पहचाना जाता है।

2.3. वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री

बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

ए) एनपीए की बिक्री आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। जब बैंक अपनी वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचता है, तो उसे बही-खातों से हटा दिया जाता है।

बी) यदि एससी/एआरसी को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर होती है, तो बिक्री के वर्ष में कमी का शुल्क लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।

सी) यदि बिक्री नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर होती है, तो अधिशेष को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

2.4. शुल्क आधारित आय

साख पत्र, बैंक गारंटी और आस्थगित भुगतान गारंटी पर कमीशन को अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है।

2.5 अन्य

ए) आयकर रिफंड पर ब्याज का हिसाब आयकर विभाग से रिफंड ऑर्डर/सूचना प्राप्त होने और बैंक द्वारा स्वीकृति पर किया जाता है।

बी) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया जमा पर देय ब्याज का प्रावधान किया गया है।

II सहायक कंपनियां

ए) सहायक कंपनी सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले

में, ऋण और अग्रिमों पर आय की मान्यता राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर की जाती है।

बी) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, सहायक कंपनी, शुल्क और अन्य शुल्कों से आय जैसे लॉगिंग शुल्क, बकाया पर दंडात्मक ब्याज, पूर्व भुगतान शुल्क, आयकर रिफंड पर ब्याज और अन्य आय आदि को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

सी) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सहायक कंपनी के मामले में, निष्पादक ट्रस्टीशिप व्यवसाय के संबंध में आय ट्रस्ट खाते से संबंधित लेनदेन होने पर अर्जित होती है। डिबेंचर और प्रतिभूति ट्रस्टीशिप सेवाओं से राजस्व को अवधि के आधार पर मान्यता दी जाती है और दायर किए गए मुकदमे और/या बीआईएफआर कंपनियों के डिबेंचर ट्रस्टीशिप कारोबार से आय को छोड़कर संचय आधार पर हिसाब लगाया जाता है, जिसका हिसाब प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

3. अग्रिम:

I मूल बैंक

3.1 आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के आधार पर, ऋण और अग्रिमों को निष्पादन योग्य और गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

ए) यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया रहती है, तो सावधि ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बी) एक ओवरड्राफ्ट या नकद क्रेडिट को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि खाता "आउट ऑफ आर्डर" रहता है, यानी यदि बकाया शेष 90 दिनों की अवधि के लिए लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक है, या यदि वहां है लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं है, या यदि जमा पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सी) यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया रहता है तो खरीदे गए/भुगतान किए गए बिलों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

डी) कृषि अग्रिमों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि, (i) छोटी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए बकाया रहती है; और (ii) लंबी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए बकाया रहती है।

3.2 आरबीआई द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को अवमानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ए) **अवमानक:** ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए गैर-निष्पादित बनी हुई है।
- बी) **संदिग्ध:** ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी हुई है।
- सी) **हानि:** ऋण परिसंपत्ति जहां हानि की पहचान की गई है लेकिन राशि पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।

3.3 नियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो नीचे निर्धारित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन हैं:

अवमानक परिसंपत्तियाँ:

- कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान।
- एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान जो असुरक्षित एब-इनिटियो हैं (यानी जहां सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)।
- बुनियादी ढांचे के अग्रिमों के संबंध में असुरक्षित एक्सपोजर जहां एस्क्रो खाते जैसे कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं - 20%

संदिग्ध संपत्ति:

एक वर्ष तक	25%
एक से तीन साल	40%
तीन वर्ष से अधिक	100%
असुरक्षित भाग	100%
हानि संपत्ति	100%

3.4 अग्रिमों को प्रावधानों (एनपीए के मामले में), वसूल न किए गए ब्याज, संझी में उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी आदि से प्राप्त दावों को दर्शाया गया है।

3.5 पुनर्संरचना /पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी अपेक्षा की जाती है कि पुनर्संरचना से पूर्व और बाद में किए गए ऋणों/अग्रिमों के प्रावधान के अतिरिक्त ऋण/अग्रिमों के उचित मूल्य के अंतर का प्रावधान किया जाए। उपर्युक्त से उत्पन्न होने वाले उचित मूल्य और ब्याज त्याग में कमी का प्रावधान, यदि कोई हो, अग्रिम से कम कर दिया गया है।

3.6 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किए जाते हैं। ये प्रावधान बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में "अन्य देनदारियां और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अर्न्तगत परिलक्षित होते हैं और निवल एनपीए की गणना के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है।

3.7 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह नियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

3.8 पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूली की गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3.9 कतिपय आस्तियों की पहचान की गई कमियां और/या मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए, नियामक मानदंडों से अधिक अतिरिक्त प्रावधान विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों में किए जाते हैं।

3.10 गैर-निष्पादित खातों (आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित) में आंशिक वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

- मूल अतिदेय/अनियमितताएँ
- अप्राप्त ब्याज
- बट्टे खाते में डाला गया आंशिक मूलधन
- अपरिवर्तित ब्याज
- अप्राप्त शुल्क

दायर किए गए मुकदमे/सरफेसी/वापस लिए गए खातों के मामले में, वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

- लेजर बकाया शेष राशि
- अप्रत्याशित शुल्क
- बट्टे खाते में डाला गया आंशिक मूलधन
- अप्रभावित ब्याज
- अप्राप्त शुल्क

हालाँकि, जहां किसी भी उधारकर्ता के खाते को पहले की तारीख से गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने तक किसी भी वसूली को पहले ऋण और अग्रिम पर ब्याज में जमा किया जाता है।

II सहायक कंपनियाँ

ए) सहायक कंपनी सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, ऋण और अग्रिमों पर प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं।

बी) सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी के मामले में, ब्याज आय को गैर-निष्पादित आस्तियों

(एनपीए) के मामले को छोड़कर जहां वसूली पर ब्याज की गणना की जाती है, उपचय के आधार पर मान्यता दी जाती है। ऋणों में, पुनर्भुगतान मूलधन और ब्याज सहित समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ब्याज की गणना महीने की शुरुआत में बकाया राशि पर की जाती है। पूरा लोन संवितरित होने के बाद ईएमआई शुरू हो जाती है। ईएमआई शुरू होने तक, पूर्व-ईएमआई पर मासिक ब्याज लिया जाता है। एनपीए के मामले में वसूली को पहले बकाया ईएमआई के ब्याज हिस्से के लिए और उसके बाद बकाया ईएमआई के मूल हिस्से के लिए विनियोजित किया जाता है।

4 किसी देश के ऋण के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार आयोजित विशिष्ट प्रावधानों के अलावा, व्यक्तिगत देश के एक्सपोजर (स्वदेश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत अधिक, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधान। यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक की देश की ऋण राशि (निवल) कुल निधिक परिसंपत्तियों में से 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे देश के ऋण पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है।

5. निवेश:

1 मूल बैंक

निवेश का लेखा-जोखा निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

5.1 वर्गीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशों को "हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम)", "हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (एचएफटी)" और "अवेलेबल फॉर सेल (एएफएस)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची 8 में बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के लिए, निवेश को भारत में और भारत के बाहर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के अर्न्तगत, भारत में निवेश को आगे वर्गीकृत किया गया है

- ए) सरकारी प्रतिभूतियां
- बी) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां
- सी) शेयर
- डी) डिबेंचर और बॉन्ड

ई) सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम / सहयोगी और प्रायोजित संस्थान; और

एफ) अन्य (वाणिज्यिक पत्र और म्यूचुअल फंड की इकाइयां आदि)

भारत के बाहर निवेश को 3 श्रेणियों के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है

- ए) सरकारी प्रतिभूतियां
- बी) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम/सहयोगी
- सी) अन्य निवेश

5.2 वर्गीकरण का आधार:

निवेश का वर्गीकरण खरीद के समय निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है:

ए) हेल्ड टू मैच्योरिटी : वे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बी) हेल्ड फॉर ट्रेडिंग : मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय के लिए किए गए निवेश को "हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सी) अवेलेबल फॉर सेल : जिन्हें उपरोक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत न किए गए निवेश को "अवेलेबल फॉर सेल (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

डी) श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण: खरीद के समय निवेश को एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में श्रेणियों के बीच अंतरण नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

ई) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों और प्रायोजित संस्थानों में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय उन निवेशों के जो केवल इसके बाद के निपटान को ध्यान में रखते हुए अर्जित और रखे जाते हैं। ऐसे निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.3 मूल्यांकन:

सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन एक निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और लागत भारत और लागत विधि पर निर्धारित की जाती है।

ए) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त इन्सेंटिव, फ्रंट-एंड शुल्क आदि को निवेश की लागत से कम कर दिया जाता है।

बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए जैसे ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन या कर जैसे व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

सी) ऋण लिखतों पर दिया गया / प्राप्त खंडित अवधि का ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है।

ए) हेल्ड टू मैच्योरिटी के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन: इस श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत निवेश अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं। अंकित मूल्य से अधिग्रहण लागत/बही मूल्य की अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधन किया जाता है। प्रीमियम के इस तरह के परिशोधन को व्यय के रूप में माना जाता है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश (भारत और विदेश में) का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है। अस्थायी प्रकृति के अलावा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक निवेश में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

बी) अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन: बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेश व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य या विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किए जाते हैं और प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक समूह का शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, (अर्थात् (i) सरकारी प्रतिभूतियां, (ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, (iii) शेयर, (iv) बांड और डिबेंचर, (v) सहायक और संयुक्त उद्यम / सहयोगी और (vi) अन्य) के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि को देखा नहीं जाता है।

सी) निवेशों के अंतर श्रेणी अंतरण की स्थिति में मूल्यांकन नीति:

i) एचएफटी/एफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण हस्तांतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो तो व्यवस्था की जाती है।

ii) एच टी एम श्रेणी से एफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण पर इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में प्रदान किया जाता है।

डी) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए की बिक्री के मामले में प्रतिभूति प्राप्तियों को जारी करने के लिए मूल्यांकन:

i) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश निम्न में मान्यता दी गई है: (i) वित्तीय परिसंपत्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य रहित प्रावधान); और (ii) एसआर का पूर्ण चुकौती मूल्य।

ii) एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हैं, एससी/एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

ई) ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।

5.4 निवेश (एनपीआई):

निवेशों को “वाणिज्यिक बैंकों के निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (दिशानिर्देश), 2021” (संशोधित) और “आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड” के आधार पर निष्पादित और गैर-निष्पादित के रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है।

ए) ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया गया है। यही बात वरीयता शेयरों पर लागू होती है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।

बी) इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि नवीनतम बैलेंस शीट की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य एक रुपये प्रति कंपनी है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में गिना जाएगा।

सी) बैंक किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में भी वर्गीकृत करता है, यदि उसी उधारकर्ता/संस्था द्वारा प्राप्त किसी ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके विपरीत।

डी) डिबेंचर/बॉन्ड में निवेश, जिसे अग्रिम माना जाता है, भी निवेशों पर लागू एनपीआई मानदंडों के अधीन है।

5.5 पुनः खरीद/प्रतिवर्ती पुनः खरीद लेनदेन के लिए लेखांकन

बैंक तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अर्न्तगत आरबीआई के साथ और बाजार सहभागियों के साथ पुनर्खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन में प्रवेश करता है। पुनर्खरीद लेनदेन प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लेने का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन प्रतिभूतियों को खरीदकर ऋण देने का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ए) पुनः खरीद /प्रतिवर्ती पुनः खरीद (एलएएफ के अलावा) के अर्न्तगत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों को ओवरनाइट ट्राई-पार्टी रेपो (टीआरईपीएस) लेनदेन और निपटान के रूप में दर्ज किया जाता है।

- बी) हालाँकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद लेनदेन के मामले में स्थानांतरित किया जाता है और प्रतिभूतियों का ऐसा संचालन पुनः खरीद /प्रतिवर्ती पुनः खरीद और अनुबंध प्रविष्टियों का उपयोग कर परिलक्षित होता है।
- सी) उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तिथि पर रिवर्स कर दी जाती हैं। रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 4 (उधार) के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है और रिवर्स रेपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंकों के पास शेष और माँग और अल्प सूचना पर राशि) के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।
- डी) आरबीआई के पास एलएएफ के अर्न्तगत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों पर खर्च/अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में शामिल किया जाता है।

II सहायक

सहायक के मामले में, निवेश को वर्तमान और गैर-वर्तमान निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किए जाते हैं और गैर-वर्तमान निवेश लागत पर किए जाते हैं। गैर-चालू निवेश के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, का प्रावधान केवल तभी किया जाता है, यदि मूल्य में कमी स्थायी प्रकृति की हो।

6. व्युत्पन्न:

बैंक तुलन पत्र/ तुलनपत्रेत्तर परिसंपत्तियों और देनदारियों पर बचाव के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और परस्पर लेनदेन की मुद्रा अदला-बदली जैसे व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करता है।

6.1 बचाव-व्यवस्था के लिए उपयोग किए जाने वाले व्युत्पन्न इस प्रकार है:

- ए) ऐसे मामलों में जहां अंतर्निहित परिसंपत्तियों/देनदारियों को बाजार में चिह्नित किया जाता है, परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में स्वीकृत किया जाता है।
- बी) बचाव -व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत व्युत्पन्न अनुबंधों को उपचय आधार पर दर्ज किया जाता है। बचाव -व्यवस्थाअनुबंधों को बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया जाता है जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्तियों/देनदारियों को भी बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया जाता है।
- सी) अदला-बदली की समाप्ति पर लाभ या हानि को अदला -बदली के शेष संविदात्मक अवधि या परिसंपत्तियों/ देनदारियों के शेष अवधि के कम होने पर स्वीकृति दी जाती है।

6.2 व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले व्युत्पन्न इस प्रकार है:

- ए) मुद्रा फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स को एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई और बीएसई के विनिमय दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक आधार पर बाजार में चिह्नित किया जाता है।
- बी) बाजार भाव पर दर्शाए गए लाभ या हानि का हिसाब दैनिक आधार पर सीमांत खाते में क्रेडिट/डेबिट द्वारा किया जाता है और अंतिम निपटान पर इसे बैंक के लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- सी) ट्रेडिंग स्वैप को लगातार अंतराल पर बाजार में चिह्नित किया जाता है। बाजार में होने वाले किसी भी नुकसान को दर्ज किया जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को शुद्ध आधार पर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- डी) स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उपरोक्त शीर्ष के अर्न्तगत आय/व्यय के रूप में तुरंत दर्ज किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन:

- 7.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके दर्ज किया जाता है।
- 7.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीआई) की समापन (हाजिर/वायदा) दरों का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती है।
- विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक वस्तुएं, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है, लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं।
- विदेशी मुद्रा में अंकित आकस्मिक देनदारियों को एफईडीआई समापन हाजिर दरों का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।
- 7.3 बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और वायदा अनुबंधों को निर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध जो व्यापार के लिए नहीं हैं और तुलन पत्र की तारीख पर बकाया हैं, उनका मूल्यांकन समापन हाजिर दर पर किया जाता है।
- 7.4 मौद्रिक मदों के उन दरों से भिन्न दरों पर निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिस पर वे शुरू में दर्ज किए गए थे, आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

7.5 मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति की विनिमय दरों में बदलाव के कारण होने वाले लाभ/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन सदन के साथ किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में स्वीकृत किया जाता है।

8. अचल संपत्ति और मूल्यहास:

1 मूल बैंक

8.1 अचल संपत्तियों को संचित मूल्यहास/परिशोधन को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। लागत में खरीद की लागत और स्थल की तैयारी, स्थापना लागत, कर और संपत्ति को उपयोग में लाने से पहले उस पर किए गए व्यावसायिक शुल्क जैसे सभी व्यय शामिल हैं।

8.2 उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब ऐसी संपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य में होने वाले लाभ में वृद्धि होती है।

8.3 अचल संपत्तियों का मूल्यहास 'अवलिखित मूल्य पद्धति' के अर्न्तगत निम्नलिखित दरों पर किया जाता है (कम्प्यूटर के अलावा जिनका मूल्यहास सीधी रेखा विधि पर किया जाता है):

ए) अनुमानित अवधि के आधार पर परिवर्तनीय दरों पर परिसर

बी) फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित वॉल्ट 10%

सी) वाहन, संयंत्र और मशीनरी 20%

डी) एयर कंडीशनर, कूलर, टाइपराइटर आदि 15%

ई) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर 33.33%

(एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को अधिग्रहण के वर्ष के दौरान राजस्व से वसूला जाता है.)

8.4 अन्य अचल संपत्तियों का मूल्यहास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा विधि पर किया जाता है।

8.5 99 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त भूमि को तालुका भूमि माना जाता है और 99 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि को पट्टेदारी भूमि माना जाता है। पट्टे की भूमि की कीमत पट्टे की अवधि के दौरान चुकाई जाती है।

8.6 जहां भूमि और परिसर की लागत को अलग करना संभव नहीं है, वहां समग्र लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है।

8.7 उन संपत्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यहास/परिशोधन

प्रदान किया जाता है और लाभ और हानि खाते से वसूला जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास/परिशोधन की राशि को 'पुनर्मूल्यांकन निग्रह' से स्थानांतरित किया जाता है और 'राजस्व और अन्य निग्रह' में जमा किया जाता है।

8.8 30 सितंबर तक परिसंपत्तियों में की गई वृद्धि पर मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है और उसके बाद किए गए परिवर्धन पर, आधे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

30 सितंबर से पहले बेची गई संपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है और 30 सितंबर के बाद बेची गई संपत्ति पर आधे साल के लिए मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

8.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल संपत्तियों पर विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों का मूल्यांकन उसके बाद हर तीन साल में किया जाता है।

8.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से मार्गाभिगमन किए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते से वसूला जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से अन्य राजस्व निग्रह में विनियोजित किया जाता है।

8.11 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल पर पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति का मूल्यहास किया जाता है।

II सहायक

ए) अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत से संचित मूल्यहास घटाकर बताया गया है। लागत में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के खर्चों से जुड़े सभी खर्च शामिल हैं।

बी) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सहायक कंपनी के मामले को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट दरों पर अचल संपत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है, अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन कंपनी के आर्थिक जीवन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति की अवधि 5 वर्ष की जाएगी और तदनुसार परिशोधन किया जाएगा।

9 पट्टे:

ऐसे पट्टे जहां स्वामित्व के जोखिम और प्रतिफल पट्टादाता द्वारा बरकरार रखे जाते हैं, उन्हें एएस-19 (पट्टे) के अनुसार परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टे पर पट्टा भुगतान एएस 19 के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में स्वीकृत किया गया है।

10 संपत्तियों की हानि:

जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि किसी परिसंपत्ति की वहन राशि पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकती है, तो अचल संपत्तियों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। रखी जाने वाली और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की पुनर्प्राप्ति क्षमता को परिसंपत्ति की वहन राशि की तुलना भविष्य में परिसंपत्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले शुद्ध रियायती नकदी प्रवाह से की जाती है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो पहचानी जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की वहन राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक हो जाती है और अचल संपत्तियों पर ऐसी हानि, यदि कोई हो, को लेखांकन मानक-28 के अनुसार लाभ और हानि खाते में स्वीकृत किया जाता है और उनसे संपत्ति की हानि का शुल्क लिया जाता है।

11. कर्मचारी लाभ:

11.1 कर्मचारी लाभ उस वर्ष में अर्जित किए जाते हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

11.2 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान की जाने की उम्मीद है, उस अवधि के दौरान मान्य है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

11.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ:

बैंक ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाएं संचालित करता है जो परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं।

ए) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, या सेवाकाल के दौरान मृत्यु पर, या सेवा समाप्त होने पर, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में है, जो कि वैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन है।

पांच साल की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अभिभावकों द्वारा प्रशासित पूँजी में समय-समय पर योगदान देता है।

बी) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, या सेवाकाल समाप्त होने पर नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में होता है। नियमानुसार वेस्टिंग विभिन्न चरणों में होती है। पेंशन देनदारी की गणना वार्षिक रूप से किए गए स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और बैंक समय-समय पर फंड में ऐसे अतिरिक्त योगदान देता है जो पेंशन नियमों के अर्न्तगत लाभों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

सी) परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है और स्थगित नहीं किया जाता है।

डी) जब योजना के लाभ बदल दिए जाते हैं, या जब किसी योजना में कटौती की जाती है या निपटान होता है, कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित परिवर्तित लाभ का हिस्सा, या लाभ या हानि में कटौती, योजना में संशोधन होने पर या कटौती या निपटान होने पर तुरंत लाभ या हानि खाते में पहचाना जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के अर्न्तगत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन फंड और छुट्टी नकदीकरण में योगदान बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाता है।

ई) बीमांकिक लाभ/हानि उस वर्ष में पहचानी जाती है जब वे उत्पन्न होते हैं।

11.4 परिभाषित अंशदान योजना:

भविष्य निधि एक परिभाषित योगदान है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान योजना है जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। अंशदान लाभ एवं हानि खाते से लिया जाता है।

12. आय पर कर के लिए लेखांकन:

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्ष के लिए कर के प्रावधान में क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 और लेखांकन मानक 22- "आय पर कर के लिए लेखांकन" के अनुसार गणना की गई वर्तमान कर देयता शामिल है।

आस्थगित कर को कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर पर पहचाना जाता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या आगामी अवधि में परिवर्तन में सक्षम होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनवशोषित मूल्यहास और कर घाटे को आगे ले जाने पर मान्यता दी जाती है, यदि इस

बात के पुख्ता सबूतों के साथ आभासी निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है।

इसकी वसूली का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। विवादित कर देनदारियों का हिसाब-किताब मूल्यांकन/अपीलीय कार्यवाही के अंतिम वर्ष में किया जाता है और उस समय तक उन्हें आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है।

13. विविध अनावंटित आय और प्राप्ति

सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सहायक कंपनी के मामले में, लाभार्थियों की ओर से प्राप्त राशि, जिनके लाभार्थियों के बारे में विवरण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, ऐसी राशियों को नाममात्र खाते "विविध दल बेदावा लाभांश/ब्याज" और "प्रतिभूतियों के मोचन पर अनावंटित/अदावा आय" में दर्ज किया गया है।

जैसे ही भुगतानकर्ता से लाभार्थियों के बारे में विवरण प्राप्त होता है, राशि संबंधित लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक संपत्तियां:

14.1 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति" के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप उसके पास वर्तमान दायित्व हो, और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का संभावित बहिर्वाह होगा, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

14.2 निम्न के लिए कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं है:

ए) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं और उसके अस्तित्व से उत्पन्न होता है इसकी पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं; या

बी) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन पहचाना नहीं जाता क्योंकि:

(i) यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या

(ii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और दायित्व का केवल वह हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, प्रदान किया जाता है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में इनामी अंक (रिवॉर्ड पॉइंट) का प्रावधान अनुमानित आधार पर किया जाता है।

14.4 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

15 विशेष आरक्षित:

राजस्व और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(0) (viii) के अर्न्तगत बनाया गया विशेष आरक्षित शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने रिज़र्व के निर्माण को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और पुष्टि की है कि उसका विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है..

16 खंड रिपोर्टिंग

बैंक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17- "सेगमेंट रिपोर्टिंग" के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

17 प्रति शेयर आय:

ए) बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 20- "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और मंदित आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

बी) प्रति शेयर कमजोर आय संभावित कमजोर पड़ने की स्थिति को दर्शाती है जो कि वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग या परिवर्तन होने पर हो सकती है। प्रति इक्विटी शेयर मंदित आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों और मंदित संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।



विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

हार्दिक एम शेट
निदेशक

चारुलता एस. कर
निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनेश पांगती
निदेशक

प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार.....

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं.000291 सी

कृते ए.आर.एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 002744 सी

कृते एडीबी और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नंबर 005553सी

(सी.ए. पी. आर. करन्थ)
भागीदार
एम. नं. 018808

(सीए पवन गोयल)
भागीदार
एम. नं. 072209

(सीए बंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं. 074272

स्थान: मुंबई

दिनांक:- 30 अप्रैल, 2024

के बारे में

कार्यवाही

पूरी

नोटिस

साविधिक

दिनांक

अनुसूची-18: समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट:**1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायक कंपनियाँ और सहयोगी शामिल थे**

1.1 समेकित वित्तीय विवरण में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो सहायक कंपनियाँ (सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित) और इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड और मूल बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से युक्त तीन सहयोगियों में लाभ / हानि के हिस्से का विवरण नीचे दिया गया है:

सहायक/सहयोगी का नाम	निगमन का देश	31 मार्च 2024 को स्वामित्व ब्याज	दिनांक 31 मार्च 2023 को स्वामित्व हित
सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)	भारत	64.40%	64.40%
सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सहायक)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (सहयोगी)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बेहार (सहयोगी)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (सहयोगी)	ज़ाम्बिया	20.00%	20.00%

1.2 समेकन में उपयोग की जाने वाली सहायक और सहयोगी के वित्तीय विवरण इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड को छोड़कर, मूल बैंक की समान रिपोर्टिंग याना दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेंडर वर्ष है और लाभ में हिस्सेदारी दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर ली गई है। इंडो ज़ाम्बिया बैंक का वित्तीय विवरण स्थानीय कानूनों के अंतर्गत अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रबंधन की राय में इसका प्रभाव कोई महत्वपूर्ण नहीं है।

1.3 सहयोगियों में मूल बैंक के लाभ/हानि का संचित हिस्सा संगत समायोजन के लिए समूह के संचित भंडार में प्रवेश के साथ निवेश की लागत वहन करने के लिए जोड़ा/घटाया गया है।

1.4 सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, सहायक कंपनी, अन्य हाउसिंग फाइनेंस संस्थानों की तरह दीर्घ अवधि के लिए ऋण देती है, जबकि प्राप्त जमा/देनदारियां कम अवधि के लिए होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और देनदारियों का मेल नहीं होता है। उपलब्ध पर्याप्त क्रेडिट लाइनों द्वारा इसका समाधान किया जा रहा है।

1.5 सहायक कंपनियों में से किसी एक के वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षा मूल बैंक के लेखापरीक्षकों के अलावा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है और एक अन्य सहायक वित्तीय विवरण गैरलेखापरीक्षित और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है। तीन सहयोगियों के वित्तीय विवरणों का प्रबंधन द्वारा अलेखापरीक्षित और प्रमाणित हैं।

2. समेकित वित्तीय स्थिति की तैयारी में, जहां सहायक और सहयोगियों द्वारा समान लेनदेन के लिए अलग-अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं, वहां समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि बैंक के प्रबंधन की राय में वे महत्वपूर्ण नहीं हैं।

3. मूल बैंक**3.1. पूंजी:**

3.1.1. दिनांक 31.03.2024 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 8,680.94 करोड़ है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) ने कोई नई पूंजी नहीं लगाई है। बैंक में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की हिस्सेदारी 93.08% है।

3.2. बहियों का मिलान/समाधान:

3.2.1. मूल बैंक अंतर कार्यालय समायोजन (आईबीआर) खाते में शामिल विभिन्न खातों में बकाया शेष/प्रविष्टियों का समाधान करने की प्रक्रिया में है।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को आईबीआर खाते का शुद्ध शेष रु. 87.72 करोड़ (शुद्ध नामे) और है। दिनांक 31 मार्च 2023 को रु. 1.95 करोड़ (शुद्ध जमा) है।

3.2.2. निम्नलिखित मदों का समाधान प्रगति पर है

- अंतर शाखा कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते

- सस्पेंस खाते
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- सांकेतिक खाते में कुछ शेष
- नोस्ट्रो खाता
- एटीएम विभाग से संबंधित शेष राशि
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा बनाए गए मिरर खाते और अन्य शेष
- कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का डेटा/सिस्टम अद्यतनीकरण
- अचल संपत्ति
- अन्य परिसंपत्तियां
- अन्य देनदारियां

प्रबंधन की राय है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा

3.3. आयकर:

- 3.3.1. विवादित मुद्दों पर प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार-विमर्श के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया जाता है.
- 3.3.2. बैंक के खिलाफ दावों को आकस्मिक देनदारियों के तहत ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (अनुसूची 12) में मूल बैंक की विवादित आयकर देनदारी के लिए ₹5,964.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,969.69 करोड़) शामिल हैं. इसमें बैंक और आयकर विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर आयकर अपीलें शामिल हैं. विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के आधार पर कराधान की विवादित राशि का प्रावधान बैंक द्वारा आवश्यक नहीं माना जाता है. उक्त विवादित बकाया के विरुद्ध भुगतान/समायोजन अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत शामिल हैं. विवादित सर्विस टैक्स मामला दिनांक 31 मार्च 2024 तक ₹9.12 करोड़ है.
- 3.3.3. भारत सरकार ने दिनांक 20 सितंबर, 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") में धारा 115बीएए शामिल किया है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है. बैंक ने अधिनियम की प्रयोज्यता का आकलन किया है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मौजूदा कर दर (यानी 34.944%) जारी रखने का विकल्प चुना है.
- 3.3.4. प्रबंधन की राय में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के प्रावधान लागू नहीं हैं. इस दृष्टिकोण पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए ₹275.33 करोड़ के मैट कर प्रावधान और पूरी राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेएए के तहत मैट क्रेडिट पात्रता (दिनांक 31.03.2024 तक ₹1,960.90 करोड़) को माना गया है और एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी (वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधन के बाद) के प्रावधान की प्रयोज्यता आईटी अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ मुंबई के समक्ष विचाराधीन है.

3.4. अग्रिम/प्रावधान:

जो इकाइयां बीमार हो गई हैं, जिनमें नर्सिंग/पुनर्वास/पुनर्गठन कार्यक्रमों सहित एवं अन्य अग्रिम जिन्हें संदिग्ध/हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है उन्हें बैंक के पास गिरवी संपत्तियों के मूल्यांकनकर्ता के आकलन और बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर पहले दूसरे शुल्क वाली प्रतिभितियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य की सीमा तक सुरक्षित माना गया है.

3.5 आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (धोखाधड़ी वर्गीकरण वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई) दिशानिर्देश 2016' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र' के कुछ प्रावधान का अनुपालन न करने तथा रिपोर्ट न करने पर दिनांक 26 मई, 2023 को ₹0.84 करोड़ का जुर्माना लगाया/लगाया गया. दिनांक 31 मई, 2023 को आरबीआई को जुर्माना राशि का भुगतान किया गया .

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानकों के संदर्भ में किया गया है .

4.1. लेखांकन मानक 9 - आय मान्यता

आय की कुछ वस्तुओं को प्राप्ति के आधार पर पॉलिसी नंबर 9 के महत्वपूर्ण लेखांकन के अनुसार पहचाना जाता है हालाँकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है.

4.2. लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

4.2.1. परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजनाएं कर्मचारी की पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना

निम्नलिखित तालिका नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजनाओं और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति बताती है.

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पेंशन योजना		उपदान योजना	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
दिनांक 1 अप्रैल, 2023 प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	16,729.00	16,237.43	1,651.72	1,730.20
चालू सेवा लागत	137.03	85.97	104.79	107.84
ब्याज लागत	1,237.95	1,177.21	112.99	109.69
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	1,199.14	909.56	122.95	(15.07)
लाभ का भुगतान	(1,798.53)	(1,681.17)	(239.63)	(280.94)
बैंक द्वारा सीधा भुगतान	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2024 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	17,504.59	16,729.00	1,752.82	1,651.72
योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन				
दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	16,483.92	15,807.88	1,637.42	1,630.51
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1,153.26	1,133.25	118.88	110.79
नियोक्ता द्वारा योगदान	1,342.40	1,327.65	177.73	231.29
कर्मचारी द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-	-	-
लाभ का किया गया भुगतान	(1,798.53)	(1,681.17)	(239.63)	(280.94)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि).	191.76	(103.69)	31.63	(54.23)
दिनांक 31 मार्च, 2024 को योजना परिसंपत्तियों का समापन उचित मूल्य	17,372.81	16,483.92	1,726.03	1,637.42



(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पेंशन योजना		उपदान योजना	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)	वि.व.(23-24)	वि.व.(22-23)
तुलनपत्र में मान्य राशि				
31 मार्च 2024 को वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,504.59	16,729.00	1,752.82	1,651.72
31 मार्च 2024 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(17,372.81)	(16,483.92)	(1,726.03)	(1,637.42)
मान्यताप्राप्त पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
घाटा/(अधिशेष)	131.78	245.08	26.79	14.30
शुद्ध देयता (सम्पत्ति)	131.78	245.08	26.79	14.30
लाभ और हानि खाता में मान्यता दी गई शुद्ध लागत				
वर्तमान सेवा लागत	137.03	85.97	104.79	107.83
पिछली सेवा लागत-मान्यता प्राप्त	-	657.56	-	-
ब्याज लागत	1,237.95	1,177.21	112.99	109.69
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(1,153.26)	(1,133.26)	(118.88)	(110.79)
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक शुद्ध लाभ/(हानि).	1,007.38	1,013.25	91.31	39.17
अनुसूची 16 में शामिल परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत ठकर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान	1,229.09	1,800.74	190.21	145.90
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ और वास्तविक लाभ का समाधान				
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	1,153.26	1,133.26	118.88	110.79
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि).	191.76	(103.69)	31.63	(54.24)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	1,345.02	1029.57	150.51	56.55
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध आरंभिक और समापन देयता/(संपत्ति) का समाधान				
1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभिक शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	245.08	(228.01)	14.30	99.69
लाभ और हानि खाता में मान्य व्यय	1,229.09	1,800.74	190.21	145.90
नियोक्ता का योगदान	(1,342.40)	(1,327.65)	(177.73)	231.29
तुलन पत्र में मान्य शुद्ध देयता/(संपत्ति)	131.77	245.08	26.78	14.30

31 मार्च, 2024 तक पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि की योजना परिसंपत्तियों के तहत निवेश इस प्रकार हैं-

संपत्ति की श्रेणी	पेंशन निधि	उपदान निधि
	योजना परिसंपत्तियों का %	योजना परिसंपत्तियों का %
	केंद्र सरकार की प्रतिभूति	0.22
राज्य सरकार की प्रतिभूति	16.93	37.99
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	16.46	28.69
म्यूचुअल फंड्स	3.42	2.80
बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	62.95	29.36
अन्य	0.02	0.34
कुल	100.00	100.00

प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ	पेंशन योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
छूट की दर	7.20%	7.40%
परिसंपत्ति योजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर	7.20%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%
पेंशन वृद्धि दर	4.00%	4.00%
पलायन दर	2.50%	2.50%
मृत्यु तालिका	आईएएलएम (2012-14)	

प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ	पेंशन योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
छूट की दर	7.20%	7.40%
परिसंपत्ति योजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर	7.20%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.50%	2.50%
मृत्यु तालिका	आईएएलएम (2012-14)	

योजना में अधिशेष / कमी

(राशि ₹ करोड़ में)

ग्रेच्युटी योजना	वर्ष समाप्ति				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
बैलेंस शीट में मान्य राशि					
वर्ष के अंत में देयता	1,623.23	1,726.66	1,730.20	1,651.72	1,752.82
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,720.32	1,534.62	1,630.51	1,637.42	(1,726.03)
अंतर	(97.09)	192.04	99.69	14.30	26.79
बैलेंस शीट में मान्य राशि	(97.09)	192.04	99.69	14.30	26.79

अनुभव समायोजन	वर्ष समाप्ति				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
बैलेंस शीट में मान्य राशि					
योजना देयता (लाभ)/हानि पर	(6.34)	249.60	145.94	(15.07)	122.94
योजनागत परिसंपत्ति (हानि)/लाभ पर	(3.38)	32.99	45.41	(54.23)	31.64

योजना में अधिशेष / कमी

(राशि ₹ करोड़ में)

पेंशन योजना	वर्ष समाप्ति				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
बैलेंस शीट में मान्य राशि					
वर्ष के अंत में देयता	15,421.82	15,557.67	16,237.43	16,729.00	17,504.59
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	14,939.64	15,198.04	15,807.88	16,483.92	17,372.81
अंतर	482.18	359.63	429.55	245.08	131.78
बैलेंस शीट में अज्ञात राशि (के .तु.में. पिछली सेवा लागत)	-	-	277.43	-	-
बैलेंस शीट में मान्य राशि	482.18	359.63	152.12	245.08	131.78
बैलेंस शीट में मान्य राशि (के .तु.में. पिछली सेवा लागत)	-	-	544.52	277.43	-



(राशि ₹ करोड़ में)

अनुभव समायोजन बैलेंस शीट में मान्य राशि	वर्ष समाप्ति				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
योजना देयता (लाभ)/हानि पर					
योजनागत परिसंपत्ति (हानि)/लाभ पर	346.19	276.30	98.07	1,013.25	191.75

पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में अगले वर्ष अपेक्षित योगदान क्रमशः ₹ 131.78 करोड़ और ₹ 26.79 करोड़ है जो वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त किया जाना है.

ii. परिभाषित योगदान योजना :

बैंक की एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 01/04/2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है. इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. नेशनल सिव्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. 2023-24 के दौरान, बैंक ने ₹ 252.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 244.48 करोड़) का योगदान दिया है.

iii. कर्मचारी की भविष्य निधि

वर्ष के दौरान बैंक ने पीएफ विकल्प योजना अर्थात पीएफ ऑप्टीज़ के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए नियुक्ता योगदान के रूप में ₹ 0.77 करोड़ और पिछले वर्ष के अनुरूप ₹ 0.96 करोड़ के खर्च को मान्यता दी है.

iv. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (अवित्तपोषित दायित्व):

वर्ष के दौरान बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण व्यय के लिए ₹ 131.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 78.70 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है.

एएस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट (संशोधित 2005)- विशेषाधिकार अवकाश लाभ

परिसंपत्तियां एवं देयताएं (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
परिभाषित लाभ दायित्व	1,201.71	1,070.33
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता (संपत्ति)	1,201.71	1,070.33

वित्तीय मान्यताएं

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
छूट दर	7.20%	7.45%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

प्रति वर्ष निकासी दर

आयु वर्ग	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
25 और कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 और अधिक	2.50%	2.50%

के बारे में

कार्यनीति

पूरी

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) टेबल

(भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर) आईएएलएम की नमूना दरें

आयु (वर्षों में)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

बी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

1. एएस15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - सेवानिवृत्ति लाभ

संपत्ति और देनदारियाँ	(राशि ₹ करोड़ में)	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
परिभाषित लाभ दायित्व	8.09	2.74
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता (संपत्ति)	8.09	2.74

वित्तीय मान्यताएँ

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.20%	7.40%
मुद्रास्फीति दर (प्रति वर्ष)	-	-
प्रतिलाभ की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रति वर्ष निकासी दरें

आयु वर्ग	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
25 और कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 और अधिक	2.50%	2.50%



मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) टेबल

(भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर)आईएएलएम की नमूना दरें

आयु (वर्ष)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

2. एएस15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - लंबी सेवा लाभ

परिसंपत्तियां और देयताएं	(राशि ₹ करोड़ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विवरण	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
परिभाषित लाभ दायित्व	1.33	1.21
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता (संपत्ति)	1.33	1.21

वित्तीय मान्यताएँ		
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विवरण	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.20%	7.40%
मुद्रास्फीति दर (प्रति वर्ष)	-	-
प्रतिलाभ की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रति वर्ष निकासी दरें		
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आयु वर्ग	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
25 और कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 और अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) टेबल

(भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर)आईएएलएम की नमूना दरें

उम्र(वर्ष में)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(23-24)	वि.व(22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

क्र.बारे में

कार्यप्रति

सूची

नोटिस

सांविधिक

वित्तीय

4.3 लेखा मानक 17 - समूह की खंड रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खंड रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ट्रेजरी संचालन कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग व्यवसाय को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता दी है। कोई द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड नहीं है।

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित है -

- » राजकोष
- » कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग
- » रिटेल बैंकिंग
- » अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखांकन और सूचना प्रणाली, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और रिटर्न की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों पर डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

- » राजकोष/ खजाना – राजकोष खण्ड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खण्ड के राजस्व में मुख्य रूप से ट्रेडिंग संचालन से शुल्क और लाभ या हानि और निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल होती है।
- » कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग – कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खातों, ट्रस्ट/साझेदारी फर्म कंपनियों और वैधानिक निकायों की ऋण गतिविधियां शामिल हैं जो खुदरा बैंकिंग और तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है।
- » रिटेल बैंकिंग – खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएं शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देने की गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं। रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 7.50 करोड़ की सीमा तक के सभी एक्सपोज़र (फंड आधारित और गैर-फंड आधारित एक्सपोज़र सहित) शामिल हैं, जो अभिविन्यास उत्पाद ग्रैनुलैरिटी मानदंड और व्यक्तिगत एक्सपोज़र के अधीन हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।
- » अन्य बैंकिंग व्यवसाय – उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- » माध्यमिक (भौगोलिक खंड)
- » अन्य बैंकिंग व्यवसाय- उपरोक्त (i) से (iii) के तहत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड में वर्गीकृत किया गया है।

i) घरेलू परिचालन - भारत में परिचालन वाली शाखाएं/कार्यालय

ii) बैंक के पास केवल एक भौगोलिक खंड यानी घरेलू खंड है।

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी		कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		योग	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
आय/राजस्व	11,812.74	10,974.59	8,279.47	6,564.56	15,138.53	11,815.46	3.57	2.22	35,234.31	29,356.83
परिणाम	2,704.34	2,585.67	702.13	1,226.84	809.78	(1,172.81)	2.39	1.24	4,218.64	2,640.94
आवृत्त व्यय									(128.82)	41.09
परिचालन लाभ									4,089.82	2,682.03
आयकर									1,513.84	1,072.70
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	91.70	69.45
कुल लाभ									2,667.68	1,678.78
अन्य सूचना										
खंड संपत्ति	184,685.69	184,294.75	96,548.66	77,326.32	152,836.43	131,141.05	7.33	8.88	434,078.11	392,771.00
अनावृत्त संपत्ति									13,693.46	14,308.71
कुल संपत्ति									447,771.57	407,079.71
खंड देनदारियाँ	179,376.86	179,578.72	91,432.83	73,563.83	144,570.60	124,708.58	16.87	11.85	415,397.16	377,862.98
अनावृत्त देनदारियाँ										-
कुल देनदारियों									415,397.16	377,862.98

* जहां भी प्रत्यक्ष आवंटन संभव नहीं है, खंड राजस्व और व्यय को खंड परिसंपत्तियों के आधार पर विभाजित किया गया है।



चालू वर्ष के बर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।
समूह का केवल एक भौगोलिक खंड यानी घरेलू खंड है

4.4. लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबन्धित पार्टि प्रकटीकरण - संबन्धित पार्टि (मूल बैंक की)

4.4.1. संबन्धित पक्षों की सूची:

4.4.1.1. 31.03.2024 तक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र. सं.	नाम	पदनाम
मूल बैंक		
i.	श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii.	श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक
iii.	श्री राजीव पुरी (30.06.2023 तक)	कार्यपालक निदेशक
iv.	श्री. एम .वी मुरली कृष्णा (01.12.2022 से)	कार्यपालक निदेशक
v.	श्री महेन्द्र दोहरे(09.10.2023 से	कार्यपालक निदेशक
सहायक		
सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड		
i.	श्री सुनील कुमार नायक	प्रबंध निदेशक
ii.	सुश्री आरती शर्मा (31.12.2023 तक)	कंपनी सचिव
iii.	सुश्री जया तिवारी (01.01.2024 से)	कंपनी सचिव
सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड		
i.	श्री कुशल पाल	प्रबंध निदेशक
ii.	श्री सचिन सुधाकर	महाप्रबंधक
iii.	श्री सुयोग्य चंद्र मेहता	मुख्य वित्तीय अधिकारी
iv.	श्री आशीष श्रीवास्तव (07.03.2024 तक)	कंपनी सचिव

4.4.1.2. संबन्धित पार्टियों के साथ लेन-देन:

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

नाम	पदनाम	(राशि ₹ करोड़ में)	
		प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी 31.03.2024	31.03.2023
मूल बैंक			
श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.44	0.41
श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक	0.37	0.25
श्री राजीव पुरी (30.06.2023 तक)	कार्यपालक निदेशक	0.14	0.34
श्री. एम .वी मुरली कृष्णा	कार्यपालक निदेशक	0.34	0.37
श्री. महेन्द्र दोहरे (09.10.2023 से)	कार्यपालक निदेशक	0.16	0.10
सहायक:			
सी एफ़ एस एल		0.05	0.23
श्री एस. वेंकटरमन (16.6.2022 को एमडी पद से इस्तीफा दे दिया)	प्रबंध निदेशक	-	0.05
श्री सुनील कुमार नाइक (दिनांक 19.7.2022 को एमडी के रूप में नियुक्त)	प्रबंध निदेशक	0.26	0.18
सुश्री आरती शर्मा (दिनांक 31.12.2023 तक)	कंपनी सचिव	0.07	0.08
सुश्री जया भारती शर्मा (दिनांक 31.12.2024 से)	कंपनी सचिव	0.02	-
सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड			
श्री कुशल पाल	प्रबंध निदेशक	0.37	0.30
श्री सचिन सुधाकर	महा प्रबंधक	0.36	0.30
श्री सुयोग्य चंद्र मेहता	मुख्य वित्तीय अधिकारी	0.18	0.16
श्री आशीष श्रीवास्तव (07.03.2024 तक)	कंपनी सचिव	0.13	0.12

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एएस - 18 - "संबन्धित पार्टि प्रकटीकरण" के अनुच्छेद 9 के अनुरूप, सहायक कंपनियों और सहयोगी उद्यमों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबन्धित राज्य नियंत्रित उद्यम के साथ लेनदेन से संबन्धित कोई भी प्रकटीकरण करने से छूट देता है।

इसके अलावा, केएमपी और केएमपी के रिश्तेदारों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेनदेन का एएस-18 के पैरा 5 के संदर्भ में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

4.5. लेखांकन मानक -10 और लेखांकन मानक - 19 और (पूर्वस्वामित्व एवं पट्टा)

- बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और ₹ 490.00 करोड़ (फ्रीहोल्ड संपत्तियों के लिए ₹ 329.98 करोड़ और ₹ 160.02 करोड़ पट्टे की संपत्ति) के आधार पर दिनांक 31.03.2024 को बाजार मूल्य को परिलक्षित करने के लिए बैंक परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया गया एवं मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में जमा किया गया है।
- जिन परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है उनके मामले में, मूल्यहास लाभ-हानि खाते से ली गई पुनर्मूल्यांकन राशि पर प्रदान किया जाता है। और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास राशि ₹54.87 करोड़ (फ्रीहोल्ड संपत्तियों के लिए ₹38.71 करोड़ और लीजहोल्ड के लिए ₹16.16 करोड़) प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मार्च 2024 (पिछले वर्ष 2022-23 ₹65.36 करोड़) तक संपत्तियों को 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' से अंतरित किया जाता है और "राजस्व और अन्य रिजर्व" में जमा किया जाता है।
- पट्टे पर प्राप्त भूमि में दिनांक 31.03.2024 को भवन का बाजार मूल्य ₹ 6.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.99 करोड़) शामिल है, जिसमें लिखित मूल्य शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है। जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है तथा अभी भी बैंक के पास इन जमीनों पर अपने कार्यालय/भवन हैं और बैंक द्वारा पट्टे पर प्राप्त खाली भूमि में दिनांक 31.03.2024 तक बाजार मूल्य ₹ 16.43 करोड़ है जिसमें लिखित मूल्य शून्य है, जहां लीज की अवधि समाप्त हो गई है, प्राधिकारियों के साथ लीज नवीनीकरण किया जा रहा है।
- एएस-19 के अनुसार, परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी आवास शामिल हैं, जो बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय हैं।
 - गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर की देयता 31.03.2024 तक ₹ शून्य है
 - परिचालन पट्टे के लिए पी एंड एल खाते में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि 31.03.2024 तक ₹ 454.39 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 392.02 करोड़)।
- अतिरिक्त प्रकटीकरण:

बैंक को प्राप्त परिसर में ₹ 37.13 करोड़ की अपनी संपत्ति शामिल है जिसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी भी प्रगति पर हैं। प्रतिभूति के निपटान पर अर्जित ₹ 37.13 करोड़ की संपत्ति का स्वामित्व बैंक के पक्ष में नहीं है क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

4.6. लेखांकन मानक 20 - समूह की प्रति शेयर आय

एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना इस प्रकार की गई है

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
इक्विटी शेयर धारक के लिए कर पश्चात उपलब्ध शुद्ध लाभ / (हानि) (राशि ₹ करोड़ में)	2,667.68	1,678.78
इक्विटी शेयर की भारत औसत संख्या (संख्या)	8,680,939,432	8,680,939,432
प्रति शेयर मूल आय (₹)	3.07	1.93
प्रति शेयर पतला आय (₹)	3.07	1.93
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10	10

4.7. लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

महत्वपूर्ण प्रावधान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और सीईटी1 गणना में आस्थगित कर परिसंपत्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई द्वारा समय अंतर के खिलाफ संभावित कर लाभ के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर कर समीक्षा की गई है और दिनांक 31 मार्च 2024 तक ₹ 4,283.51 करोड़ को आस्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के घटक इस प्रकार हैं:

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)			
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		आस्थगित कर देनदारियां	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
मूल बैंक				
व्यावसायिक हानि	3,124.24	2,270.61		
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	419.93	374.02		
ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	1,570.95	3,945.44		



(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		आस्थगित कर देनदारियां	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
आयकर रिफंड पर ब्याज			61.87	40.96
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन निवेश पर देय नहीं			747.67	699.00
आईटी की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व अधिनियम 1961			34.94	34.94
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास			(23.94)	16.26
सहायक:-				
सेंट बैंक होम फ़ाइनेंस लिमिटेड				
अग्रिमों पर प्रावधान	7.34	5.97		
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	0.01	0.01		
अन्य	0.13	0.23	1.98	1.63
आईटी की धारा 36(1)(नग) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि अधिनियम 1961			16.61	15.33
सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (नेट)	0.04	0.03		
कुल	5,122.64	6,596.31	839.13	808.12
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	4,283.51	5,788.19		-

लाभ और हानि खाते में वर्ष 2023-24 के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों में शुद्ध कमी ₹1,504.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,067.78 करोड़) इंगित गई है।

4.8. लेखांकन मानक - 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय परिसंपत्तियों से बना है, जिन पर परिसंपत्तियों की हानि पर लेखांकन मानक-28 लागू नहीं होता है। प्रबंधन की राय में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों पर कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है, जिसे मानक के अनुसार मान्यता की आवश्यकता है।

4.9. प्रावधान आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्ति (मूल बैंक के) पर लेखा मानक - 29

4.9.1. प्रावधान और आकस्मिकतायें

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय मद के तहत प्रावधानों और आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण दिखाया गया है	31.03.2024	31.03.2023
निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास (एनपीआई)	(264.90)	214.59
एनपीए के लिए प्रावधान	3,391.39	3,531.55
मानक संपत्ति के लिए प्रावधान	52.01	680.54
करों के लिए प्रावधान किया गया	1,504.33	1,063.14
पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान	(33.83)	(221.81)
अन्य प्रावधान	164.63	30.80
कुल	4,813.63	5,301.57

5. अन्य प्रकटीकरण:-

5.1 कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

वर्ष के दौरान सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और उसके नियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए ₹ 0.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.58 करोड़) खर्च किए हैं।

5.2 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

(राशि करोड़ में)

अनुपात (वर्तमान में)	31.03.2024	31.03.2023
सकल एनपीए से सकल अग्रिम तक	4.50	8.44
शुद्ध एनपीए से लेकर शुद्ध अग्रिम तक	1.23	1.77
तकनीकी बट्टे खाते में डालने के साथ प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात	93.58	92.48
तकनीकी बट्टे खाते में डाले बिना प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात	73.53	80.47

5.3 सेंट्रल बैंक फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड, सहायक कंपनी, अपने ग्राहकों की ओर से ट्रस्टी-लाभार्थी संबंधों पर प्रत्ययी क्षमता में शेरों, प्रतिभूतियों और अचल संपत्तियों की प्रकृति में निवेश रखती है, जो निदेशक मंडल की राय में पर्याप्त रूप से सुरक्षित और उचित रूप से अभिलिखित हैं। और ऐसे प्रत्ययी संबंधों से उत्पन्न होने वाले सभी कर्तव्यों को पर्याप्त रूप से पूरा किया गया है।

5.4 कंपनी ने विभिन्न कंपनियों/उपक्रमों से समय-समय पर प्राप्त ₹1.59 करोड़ के लाभांश, ब्याज और अन्य कॉर्पोरेट लाभों को उन ट्रस्टों/लाभार्थियों को अंतरित या आवंटित नहीं किया है, जिनकी ओर से ट्रस्टीशिप सेवाओं के अंतर्गत निवेश पोर्टफोलियो रखे गए हैं। उक्त राशि दिनांक 31 मार्च, 2023 को ₹2.06 करोड़ थी और दिनांक 31 मार्च, 2024 को यह घटकर ₹1.59 करोड़ हो गई। इस कमी का मुख्य कारण है कि कंपनी ने इस वर्ष से दावा न किए गए लाभांश पर बोर्ड का संकल्प (बीएम/436/8 बैठक दिनांक 30.9.2023) @ 4% प्रति वर्ष आधार वर्ष दिनांक 1.4.2009 से जहां फंड की होल्डिंग 7 साल या उससे अधिक वार्षिक रखरखाव शुल्क एकत्र करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने ₹0.61 करोड़ का रखरखाव एकत्र किया है, जिसमें से ₹ 0.58 करोड़ दिनांक 1.4.2009 से दिनांक 31.3.2023 तक की अवधि से संबंधित है, हमारी राय में चालू वर्ष का लाभ उस हद तक बढ़ाकर बताया गया है।

इसी प्रकार, कंपनी ने शेरों/डिबेंचर की बिक्री/मोचन आय के ₹ 0.18 करोड़ को संबंधित ट्रस्ट/लाभार्थी को अंतरित या आवंटित नहीं किया है, क्योंकि यह पहले से ही बेचे गए डिबेंचर से संबंधित है। यह 2005-06 से बकाया है। कंपनी ने उक्त धनराशि लंबे समय से अपने बैंक के चालू खाते में रखी हुई है।

5.5 दिनांक 31 दिसंबर, 1988 के आरबीआई दिशानिर्देशों डीबीओडी संख्या.बीपी.बीसी.57/62-88 के अनुसार, शून्य रूप का अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) का ऋण दिया गया है। तदनुसार, इन्हें मूल बैंक के अग्रिमों से समायोजित किया गया है। इन उधारों के विरुद्ध शून्य रूप का ब्याज आय को मान्यता दी गई है।

5.6 सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन।

मूल बैंक ने आरबीआई परिपत्र RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No 6/31. 02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां बनाई हैं। बैंक के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर इन नीतियों की समीक्षा की जा रही है। निदेशक मंडल द्वारा अंतिम बार दिनांक 28.02.2024 को आयोजित बैठक में नीतियों की समीक्षा की गई थी।

5.7 मूल और सहायक कंपनियों के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के संदर्भ में उन वस्तुओं से संबंधित जानकारी जो भौतिक नहीं हैं, उन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया है।

5.8 एनसीएलटी प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण :

खातों के लिए क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 और दिनांक 28 अगस्त, 2017 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर संख्या बीपी.15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर संख्या बीपी.1906/21.04.048/2017-18 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर, बैंक के पास दिनांक 31 मार्च 2024 तक ₹125.00 करोड़ के एफआईटीएल सहित ₹5,883.23 करोड़ का कुल प्रावधान है (दिनांक 31 मार्च 2023 के लिए ₹6,316.13 करोड़ जिसमें ₹127.90 करोड़ का एफआईटीएल शामिल है) यानी 31 मार्च 2024 तक निवेश सहित कुल बकाया का 100%।

5.9 आरबीआई परिपत्र संख्या के अनुसार. डीबीआर नंबर BPBC.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019, DOR नंबर BPBC.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी 2020 और RBI/2020-21/ 17 डीओआर नंबर BPBC/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 "वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत छूट प्राप्त या पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण 31 मार्च, 2024 तक इस प्रकार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि ₹ करोड़ में
16,146.00	1,765.45



5.10 बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण :-

आर बी आई ने अपने परिपत्र संख्या: RBI/2021-22/105 DORACC.REC.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के माध्यम से, बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन, जो 5 (पांच) वर्ष से अधिक की अवधि की हो, में संशोधन के अनुसार अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है. दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होकर, कुल राशि का न्यूनतम 1/5 हिस्सा हर वर्ष खर्च किया जाए. बैंक द्वारा प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता ₹821.95 करोड़ है. बैंक ने आरबीआई के उक्त परिपत्र के अनुसार परिशोधन करने का विकल्प चुना है और दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में ₹ 821.95 करोड़ में से ₹ 544.52 करोड़ की राशि चार्ज की है. दिनांक 31, 2024, बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹113.03 करोड़ का शुल्क लगाया है. आगामी वर्षों में आगे बढ़ाया जाने वाला अपरिवर्तित व्यय शून्य है.

5.11 अन्य परिसंपत्ति और अन्य देयताओं से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022- 23
अनुसूची 5 अन्य देयताएं -IV-5 "अन्य (प्रावधानों सहित) के अंतर्गत कोई भी वस्तु कुल संपत्ति के 1% से अधिक है	शून्य	शून्य
अनुसूची 11 अन्य परिसंपत्ति -VI अन्य परिसंपत्तियों में "अन्य" के अंतर्गत कोई भी वस्तु कुल संपत्ति के 1% से अधिक है	शून्य	शून्य
अनुसूची 14-VII "अन्य विविध आय" इस शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय का 1% से अधिक है	बढ़े खाते में डाले गए खातों से प्राप्त वसूली ₹1,433.32 करोड़ है जो अन्य कुल आय का 4.05% है.	बढ़े खाते में डाले गए खातों से प्राप्त वसूली ₹1,433.32 करोड़ है जो अन्य कुल आय का 4.05% है.
अनुसूची 16-XII "अन्य व्यय" इस मद के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के 1% से अधिक है	शून्य	शून्य

5.12 चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है.

विवेक वाही कार्यपालक निदेशक	एम वी मुरली कृष्णा कार्यपालक निदेशक	महेन्द्र दोहरे कार्यपालक निदेशक
एम वी राव प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी		
हार्दिक एम शेट निदेशक	चारुलता एस. कर निदेशक	दिनेश पांगती निदेशक
		प्रदीप पी. खिमानि निदेशक
		प्रियव्रत शर्मा निदेशक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार.....

कृते **किशोर एवं किशोर**
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं.000291 सी

कृते **ए.आर.एवं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 002744 सी

कृते **एडीबी और कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नंबर 005553सी

(**सी.ए. पी. आर. करन्थ**)
भागीदार
एम. नं. 018808

(**सीए पवन गोयल**)
भागीदार
एम. नं. 072209

(**सीए बैंकिंग शुक्ला**)
भागीदार
एम.नं. 074272

स्थान: मुंबई

दिनांक:- 30 अप्रैल, 2024

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
ए	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	कर एवं अल्पसंख्यक ब्याज से पूर्व निवल लाभ(हानि)	4,190.46	2,761.10
I	निम्न हेतु समायोजन		
	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	499.83	385.98
	निवेश पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचर सहित)	(267.26)	214.10
	अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान	3,396.65	3,537.62
	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	50.71	680.65
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	134.80	(187.91)
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)	14.66	1.34
	कुल योग	8,019.85	7,392.88
II	निम्न हेतु समायोजन		
	जमा में वृद्धि/(कमी)	25,765.66	16,610.56
	उधार राशि में वृद्धि/(कमी)	11,678.96	670.62
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	30.00	148.79
	अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	(43,902.67)	(38,392.11)
	निवेश में वृद्धि/(कमी)	(7,173.38)	3,979.60
	अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(69.76)	1,111.09
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (निवल प्रतिदान आदि)	(258.57)	(307.77)
	कुल योग	(13,929.76)	(16,179.22)
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	(5,909.91)	(8,786.34)
बी	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	अचल परिसंपत्ति की बिक्री/निपटान	3.02	3.62
	अचल परिसंपत्ति का क्रय	(587.25)	(212.28)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(584.23)	(208.66)



(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमीयम सहित)	-	-
	शेयर एप्लीकेशन मनी	-	-
	लाभांश- अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	-	-
डी	नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि (ए+बी+सी) अथवा (एफ-ई)	(6,494.14)	(8,995.00)
ई	वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं बैंक शेष	27,432.92	38,033.70
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	16,669.02	15,063.24
	वर्ष के आरंभ में निवल नकद एवं नकद तुल्य (ई)	44,101.94	53,096.94
एफ	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं बैंक शेष	22,954.79	27,432.92
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	14,653.01	16,669.02
	वर्ष के अंत में निवल नकद एवं नकद तुल्य (एफ)	37,607.80	44,101.94

टिप्पणियाँ:

- उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत तैयार किया गया है.
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के अनुरूप करने के लिए पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया.

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हार्दिक एम शेट
निदेशक

चारुलता एस. कर
निदेशक

दिनेश पांगती
निदेशक

प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार.....

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं.000291 सी

कृते ए.आर.एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 002744 सी

कृते एडीबी और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नंबर 005553सी

(सी.ए. पी. आर. करन्थ)
भागीदार
एम. नं. 018808

(सीए पवन गोयल)
भागीदार
एम. नं. 072209

(सीए बंकिम शुक्ला)
भागीदार
एम.नं. 074272

स्थान: मुंबई

दिनांक:- 30 अप्रैल, 2024



दिनांक 31.03.2024 के अनुसार बैंक के पिलर 3 (बेसल III) प्रकटीकरण

उक्त विवरण बैंक के वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है

https://www.centddralbankofindia.co.in/sites/default/files/Basel-Disclosure/Updated_Final_BASEL-III-Disclosures-as-on-31.03.2024.pdf



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

गृह लक्ष्मी को मिला अवसर,
उनका होगा अपना घर.

Now is the right time to
be a woman home buyer.



- महिलाओं के लिए विशेष गृह ऋण योजना
- ब्याज दर: 8.35%
- शून्य प्रोसेसिंग चार्ज
- पूर्व भुगतान शुल्क नहीं
- लोन का टेकओवर शून्य लागत पर

- Special housing loan scheme for women
- Rate of Interest (ROI) @ 8.35%
- Zero processing charges
- No pre-payment charges
- Takeover of loans @ zero cost



Scan WhatsApp Code
to chat with us



T & C Apply

www.centralbankofindia.co.in | Follow us on: [f](#) [@](#) [X](#) [in](#) [▶](#) CentralBankofIndia

Give a Missed Call on 922 390 1111





Customer Satisfaction with Value Creation

*At Central Bank of India, our path forward is illuminated by an unwavering dedication to customer satisfaction and creating value. As the financial environment evolves, we embrace change with innovation, integrity, and resilience. Our new ethos, “**Customer Satisfaction with Value Creation**,” mirrors our commitment to not only solidify our foundation but also foster intelligent, sustainable growth that benefits our customers and stakeholders alike.*

Strategic Growth and Trust

In FY24, we celebrated a landmark achievement with a net profit surge to ₹2,549 crores, a remarkable 61.13% increase year-on-year, alongside a total business expansion to ₹6.36 lakh crores. These figures are more than just numbers—they represent the effectiveness of our strategies and the deep trust our stakeholders place in us. Our focus on quality asset management resulted in a significant reduction of our Gross NPA from 8.44% to 4.5% and Net NPA from 1.77% to 1.23%, achieving a provision coverage ratio of 93.58%. These improvements underscore our rigorous risk management practices and the sustained confidence of our clients and partners.

Innovation and Sustainability

Our digital transformation initiatives, particularly through Cent NEO, have revolutionized the banking experience by integrating cutting-edge technologies like Gen-AI to enhance customer service and operational efficiency. Looking ahead, we aim for a 12% to 14% business growth, optimize our credit-deposit ratio to 70%-72%, and target a 1% Return on Assets by March 2025. Our strategic vision is underpinned by a commitment to sustainable practices, such as our co-lending models and MSME financing, which align with broader economic goals and promote inclusive growth.

Building a Resilient Future

“**Customer Satisfaction with Value Creation**” encapsulates our promise to evolve with foresight and intelligence—empowering growth, sustaining trust, and forging a robust future. At Central Bank of India, we are not just preparing for tomorrow; we are actively shaping it with strength, innovation, and committed excellence.

About this Report



Unless otherwise specified, the Integrated Annual Report covers the Financial Year 2023-2024 aims to provide transparency on how we activate our purpose: to enhance our customers' lives and improve our communities' well-being. Marking our first Integrated Annual Report, it is produced in accordance with the International Integrated Reporting Council (IIRC) guidelines. Additionally, we strive to comply with the Global Reporting Initiative Standards' core option, covering general and topic-specific disclosures relevant to Central Bank of India.

Complying with the IR Framework

The International Integrated Reporting Council (IIRC), originally established to promote integrated reporting and improve corporate transparency, has undergone significant transformation. The IIRC merged with the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) to streamline and enhance corporate reporting standards to form the Value Reporting Foundation (VRF). This new organization aims to provide a cohesive framework that integrates financial and sustainability reporting, helping

businesses deliver comprehensive and transparent disclosures reflecting their true value creation across financial, social, and environmental dimensions. In 2021, the VRF merged with the Climate Disclosure Standards Board (CDSB) and became part of the International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation's new International Sustainability Standards Board (ISSB). This alliance aims to create globally consistent corporate reporting standards, leveraging the expertise of the VRF, SASB, and CDSB. The ISSB under the IFRS Foundation is designed to develop high-quality, understandable, and enforceable sustainability disclosure standards. This collaborative effort enhances the consistency, comparability, and reliability of sustainability information alongside financial reporting, facilitating better decision-making for investors, regulators, and other stakeholders and marking a significant milestone in the evolution of integrated reporting.



Following the IR Framework Principles

Central Bank of India has diligently adhered to the Guiding Principles outlined in the Integrated Reporting (IR) Framework 2021. These principles guide the content and presentation of our Integrated Report:

- 1. Strategic Focus and Future Orientation:** The report provides clear insights into the bank's strategy, its relation to value creation in the short, medium, and long term, and its impact on various forms of capital.
- 2. Connectivity of Information:** It presents a comprehensive view of the interrelated factors affecting the bank's value creation over time by linking various activities, capitals, and overall value creation.
- 3. Stakeholder Relationships:** The report offers insights into the quality of the bank's relationships with key stakeholders and articulates how the bank understands, responds to, and considers their legitimate needs and interests.
- 4. Materiality:** It discloses matters significantly impacting the bank's ability to create value over different time frames, identifying material matters based on their potential to influence value creation substantially.
- 5. Conciseness:** The report is logically structured and well-articulated, presented in clear language, and has effective navigation aids to enhance user experience.
- 6. Reliability and Completeness:** The report includes all relevant and material information, offering a comprehensive view of the bank's performance and prospects.
- 7. Consistency and Comparability:** Information is consistent over time and comparable with other organizations in the industry, enhancing its credibility and usefulness.

Central Bank of India's Integrated Report broadly embodies the IR Framework's Guiding Principles, capturing the interdependencies of factors influencing value creation, portraying strategic orientation, and acknowledging stakeholder relationships. It ensures reliability and comparability through its concise yet comprehensive presentation.

Materiality and Reporting Standards

This report uses certain terms, including "material" topics, to reflect the issues of most significant importance to Central Bank of India and our stakeholders. In this context, these terms are distinct from and should not be confused with the terms "material" and "materiality" as defined by or construed in accordance with securities laws or as used in financial statements and reporting.

General Information

This report is for general informational purposes only and does not constitute an offer or sale of any securities issued by Central Bank of India. All information in this report is current as of the date of publication. We undertake no obligation to update the information or notify you if any views, opinions, or facts change or become inaccurate. Apart from statutory disclosures, this report also contains voluntary disclosures on important ESG topics. This report should be read in conjunction with our other various reports available on the Investor Relations pages of our website.

Forward-Looking Statements

This report contains forward-looking statements regarding Central Bank of India. We caution readers that no forward-looking statement guarantees future performance, and actual results may differ materially from those expressed. Forward-looking statements are identifiable by terms like 'may', 'will', 'seek', 'continue', 'aim', 'anticipate', 'target', 'projected', 'expect', 'estimate', 'intend', 'plan', 'goal', 'believe', 'achieve', or similar words. By nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty related to future events and circumstances, including changes in legislation, development of standards and interpretations, evolving ESG reporting practices, and external factors beyond our control. These statements are based on current beliefs and expectations of Central Bank of India's management and are subject to significant risks and uncertainties. Actual outcomes may differ materially from those expressed. Factors impacting our future financial condition and performance are identified in the Central Bank of India Annual Report FY2023-2024, available on our website. Subject to our obligations under applicable laws and regulations, we undertake no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements as a result of new information, future events, or otherwise.



Please Scan the QR Code to download the Annual Report 2023-24

Decoding this Report

In line with the principles of the International Integrated Reporting Council (IIRC), this chapter serves as a comprehensive guide to navigating our Integrated Annual Report. By presenting interconnected elements such as material issues, strategic priorities, the business model canvas, UNSDGs, and GRI numbers, we aim to provide a holistic view of how Central Bank of India drives value creation.

The integration of these elements enhances our ability to communicate how numerous factors influence our operations and strategic direction. This approach not only aligns with the IIRC principles of connectivity of information, stakeholder relationships, and materiality but also fosters transparency and accountability. By understanding the interrelationships between these components, stakeholders can gain a deeper insight into our decision-making processes, strategic objectives, and overall performance.

This chapter is designed to facilitate a seamless exploration of our report, offering a cohesive narrative that connects material issues with our strategic priorities and business model components. Through this interconnected framework, we demonstrate our commitment to sustainable and responsible banking practices, ensuring that our operations contribute positively to economic, social, and environmental outcomes.

By leveraging this strategic framework, we aim to enhance stakeholder engagement, provide clarity on our value-creation process, and reinforce our dedication to integrated reporting and sustainable development.

The Value of Interconnecting

Interconnecting material issues, strategic priorities, the business model canvas, UNSDGs, and GRI numbers is fundamental to understanding the complex web of interrelationships that drive our organization. This holistic approach allows us to present a cohesive narrative highlighting how various elements influence each other and contribute to our overall strategy and value creation.

Material Issues and Strategic Priorities: Linking material issues with our strategic priorities clearly shows how we address key challenges and opportunities. For instance, addressing climate change (a material issue) aligns with our strategic priority of promoting sustainable banking practices. This connection demonstrates our commitment to integrating sustainability into our core operations and strategic objectives.

Business Model Canvas and Material Issues: The business model canvas outlines the critical components of our business, such as key partners, activities, resources, and value propositions. Interlinking these components with material issues can illustrate how external factors, like regulatory changes or market demands, impact our operations. For example, our focus on renewable energy (a material issue) influences our key activities and resources, shaping our value proposition to customers.

GRI Numbers and Comprehensive Reporting: The Global Reporting Initiative (GRI) numbers provide standardized metrics for reporting on various aspects of sustainability. By cross-referencing GRI numbers with our material issues and business model components, we enhance the transparency and comparability of our disclosures. This alignment ensures that our reporting meets international standards and provides stakeholders with reliable information on our sustainability performance.

Material Issues (Highly Significant)

Read more on [Page 26](#).


Issue Number	Issue
2	Countering Climate Risks
7	Green Finance Impact
12	CSR's Impact on Communities
13	Community Involvement
14	Social Inclusion
15	Impact of Financial Products
22	Collaborations for Impact

Issue Number	Issue
23	Labour Practice & Employment
29	Investing in Sustainable Tech
30	Strategic Sustainability
33	Fintech & Competitiveness
34	Ethics and Transparency
36	Ethics and AML's Market Impact



Business Model Components

Read more on [Page 36](#)



Strategic Priorities


Read more on [Page 24](#)



United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs)






Global Reporting Initiative (GRI) Alignment



Content

Customer Satisfaction with Value Creation	3
About This Report	4
Decoding this Report	6
Contents Guide	8
ABOUT	10-19
Board of Directors	10
Corporate Information	12
Functional Heads (As on 31.05.2024)	13
About Central Bank of India	14
Managing Director's Message	16
STRATEGY	20-47
Market Dynamics: Adjusting to Opportunities and Transformations	20
Our Business Priorities: Driving Digital Innovation and Sustainable Growth	24
Materiality Analysis FY2024: Stakeholders' Insights and Priorities	26
Our Framework for Value Creation: The Bank's Business Model Canvas	36
Value Creation and Impact in FY2024	42
Transforming Together: Our Approach to Sustainability	44
Championing Ethical Excellence	46
CAPITALS	48-135
Manufactured Capital: Building the Future through Customer Centricity and Technology	48
Financial Capital: Strengthening Foundations and Resilience	62
Intellectual Capital: Empowering Innovation through Intellectual Capital	70
Natural Capital: Strategic Environmental Governance and Sustainable Financing Initiatives	82
Relationship & Social Capital: Empowering Communities, Enhancing Trust	96
Human Capital: Strategic Development and Innovation for a Thriving Future	112
GRI Index	134





NOTICE	136-162
Notice	136
STATUTORY	163-268
Directors' Report 2023-24	163
Secretarial Audit Report	167
Certificate of Non-Disqualification of Directors	170
Management Discussion & Analysis	171
Corporate Governance Report	215
Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	241
Business Responsibility and Sustainability Report 2023-24	242
Dividend Distribution Policy of Bank	268
FINANCIALS	269-376
Independent Auditors' Report (Standalone)	269
Standalone Financial Statements	278
Independent Auditors' Report (Consolidated)	334
Consolidated Financial Statements	342
Pillar 3 (Basel III) Disclosures as on 31.03.2024	376

Board of Directors



Shri M V Rao

*Managing Director &
Chief Executive Officer*



Shri Vivek Wahi

Executive Director



Shri Rajeev Puri

*Executive Director
(ceased to be Director on 30.06.2023)*



Shri M V Murali Krishna

Executive Director



Shri Mahendra Dohare

*Executive Director
(w.e.f. 09.10.2023)*



Shri Hardik Mukesh Sheth
Government Nominee Director



Shri P J Thomas
RBI Nominee Director
(ceased to be Director on 14.07.2023)



Smt. Charulatha S. Kar
RBI Nominee Director
(w.e.f. 14.07.2023)



Shri Dinesh Pangtey
Shareholder Director



Shri Pradip Pranlal Khimani
Part-time Non-Official Director



Shri Priavrat Sharma
Part-time Non-Official Director

Corporate Information

Board of Directors

Shri M V Rao

Shri Vivek Wahi

Shri Rajeev Puri

(Ceased to be Director on 30.06.2023)

Shri M V Murali Krishna

Shri Mahendra Dohare

(w.e.f 09.10.2023)

Shri Hardik Mukesh Sheth

Shri P J Thomas

(Ceased to be Director on 14.07.2023)

Smt. Charulatha S. Kar

(w.e.f 14.07.2023)

Shri Dinesh Pangtey

Shri Pradip Pranlal Khimani

Shri Priavrat Sharma

Auditors

M/s Kishore & Kishore

M/S A R & Co.

M/s ADB & Company

Registrar and Share Transfer Agents

For Equity Shares

Link Intime India Pvt. Ltd.

C-101, 247 Park,
LBS Marg, Vikhroli (West)
Mumbai – 400 083

Tel : 022-49186270

Fax : 022-49186060

E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime .co.in

For Bonds (Debentures)

MCS Share Transfer Agent Limited

Office No. 383, 3rd floor, B-Wing, Gundecha Onclave,
Premises, Co-op Society Ltd.
Kherani Road, Sakinaka, Andheri (East),
Mumbai – 400 072

Tel : 022-28516021

E-mail : helpdesk@mcsregisstrars.com

Address for Correspondence with the Bank

AGM/Company Secretary and Compliance Officer

Shri Chandrakant Bhagwat

Central bank of India, 9th floor,
Chandermukhi Building,
Nariman Point,
Mumbai – 400 021

Tel : 022-66387818/7575

E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in/
investors@centralbank.co.in



Functional Heads (As on 31.05.2024)

Chief Vigilance Officer		
1.	Shri Sunil Arora	B.COM. (HONS.)
General Managers		
2.	Shri Umesh K Singh	B.E. (COM. SC & ENGG), CAIIB, DIPIN TR, INVST, RSK
3.	Shri E.Ratankumar	B.E.(Comp. Sc.) M.TECH.,MFM
4.	Shri Mukul N Dandige (Chief Financial Officer)	B.SC., CAIIB
5.	Shri B.S. Harilal	B.SC., CAIIB, DTIRM
6.	Shri Mohit Kodnani	B.E., CAIIB
7.	Shri Vivek Kumar	B.SC., B.ED., MMS(Finance), CAIIB
8.	Shri A.D.Srinivas	B.COM., CAIIB
9.	Shri Vasti Venkatesh	B.SC., CAIIB, MBA (BANKING & FINANCE)
10.	Shri Jaswinder Singh Sawhney	M.SC., CAIIB
11.	Shri Shiv Kumar Gupta	B.COM., M.A (ECO), CAIIB
12.	Shri B.B.Mutreja	B.A., CAIIB
13.	Shri T.S.Balachandran	B.SC., CAIIB, MBA
14.	Shri Sohail Ahmad	B.COM., CAIIB, ICWA (INT)
15.	Shri Shishram Tundwal	B.COM.,CAIIB
16.	Shri Kushal Pal	M.A., CAIIB
17.	Shri Y Anil Kumar	M.SC., PGDCS, MBA, CAIIB
18.	Shri Ajay Kumar Singh	M.SC., CAIIB
19.	Shri Tarsem Singh Zira	MBA, CAIIB
20.	Shri Dhananjay Singh Rathour	B.SC., CAIIB
21.	Smt. Poppy Sharma	B.SC., (HONS.), MBA, CAIIB
22.	Shri Vernagula Lakshman Rao	M.SC. (AG.), CAIIB
23.	Shri P Anup Kumar	B.COM, M.COM., CAIIB, AD IN FIN (ICFAI)
24.	Smt Kavita Thakur	M.A (ECO), MBA,CAIIB, IBC CERTIFICATION
25.	Shri Sanju Mangrulkar	M.SC., CAIIB, DCM
26.	Shri K Shashidhar	M.COM, CAIIB, MBA (BANKING & FINANCE)
27.	Shri. Pravin Kini	B.SC., CAIIB
28.	Shri K Dharasing Naik	B.COM., CAIIB, MBA
29.	Shri Dharam Pal Khurana	B.COM., CAIIB
30.	Shri Ashwani Dhingra	MBA., BSC., B.ED
31.	Shri Ajay Khanna	B.A., CAIIB
32.	Shri Suryanarayana Murty Saladi	M.COM., CAIIB
Chief Risk Officer		
33.	Dr. Bhaskar Gorugantu	B.COM., MBA, PH.D., FRM, CAIIB
Company Secretary		
34.	Shri Chandrakant Bhagwat	B.COM., LLB, ACS, MBA

About Central Bank of India



Established over a century ago, in 1911, the Central Bank of India stands tall as one of the earliest banks in the country. Uniquely, it was the first Indian commercial bank entirely owned and operated by native citizens. This significant milestone was the realization of the aspirations of its founder, Sir Sorabji Pochkhanawala. Additionally, the Bank was privileged to have Sir Pherozeshah Mehta as its first Chairman, leading the truly 'Swadeshi Bank'. Sir Sorabji Pochkhanawala, filled with immense pride, lauded the Bank as the 'property of the nation' and 'India's genuine asset'. He emphatically stated that the Central Bank of India thrives on public trust and prides itself on being the people's bank.

₹385,011 Crore

Deposits

as on 31st March 2024

₹251,745 Crore

Advances

as on 31st March 2024

4,500

Branches

4,084

ATMs in Service

11,682

Business Correspondent Agents:

As a commercial bank operating in India, Central Bank of India has persistently evolved in response to the changes within the financial sector, aligning ourselves with the guidelines set by the Reserve Bank of India and the Government of India. We remain at the forefront of empowering key sectors of the economy such as agriculture, small-scale industries, and medium and large industries.

Over the past fiscal year 2023-24, we undertook strategic initiatives to expand our co-lending partnerships, strengthening ties with 12 additional leading Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Housing Finance Companies (HFCs) nationwide. This increased our co-lending alliance to 26 robust partnerships, marking our dynamic commitment to enhancing our lending capabilities across the board.

Complementing these strategic partnerships, we have launched several Self Employment Schemes to foster employment opportunities for the educated youth. Our product portfolio includes an array of deposit products such as savings and current accounts, green deposits, time deposits, fixed deposits, recurring deposit schemes, and small saving schemes. We also offer a comprehensive array of loans, including housing, vehicle, property, personal, senior citizens, education, agricultural, as well as those tailored for micro, small and medium enterprises.

Our efforts to bolster the nation's economic development do not stop there. In our retail and corporate banking spaces, we extend project finance, infrastructure funding, financing to infrastructure investment

In the early days of the Central Bank of India, an advertisement captured the essence of instilling financial prudence in young minds. The sepia-toned image depicted a mother guiding her children to a savings bank counter, where two eager boys made their first deposit. The inscription "Home Savings Bank" symbolized future financial security. The caption, "Their First Deposit," urged, "Teach your children to save from their young age." It highlighted that money saved in the bank would be a steadfast protector in adversity and a preparation for opportunities. This imagery and message encouraged habits of saving and financial responsibility, fostering a culture of savings and financial literacy among young Indians.


trusts, short-term corporate loans, advances, working capital facilities, lines of credit, export finance, foreign currency loans, bills purchase/ discount/negotiation facilities, non-fund-based facilities, and various industry-specific facilities. Moreover, we provide credit, debit, prepaid/ gift cards, cash management, mutual funds, depository, mobile and internet banking, and ATM services.

In addition to our broad lending and banking services, we offer an extensive range of insurance products, encompassing life, general, and health insurance. These include unit-linked, whole life, children, money back, endowment, pension, health, property, personal, fire, burglary, engineering, motor, package, travel, and group insurance products, as well as protection and retirement solutions.

Under our strategic partnership with IIFL Home Finance Limited, we offer SME LAP loan products under the priority sector for MSME borrowers. Our efforts resonate with the impressive growth in advances we have recorded this year, reflecting our dedication to redefine lending paradigms and commitment to inclusive growth.

A Pillar of Strength in India's Financial Landscape

The Central Bank of India truly epitomizes an 'All-India Bank' due to its comprehensive coverage across the nation. Boasting an extensive footprint, the Bank has left its mark in each of the 28 states, as well as in 7 of the 8 Union Territories in India, including NCT Delhi.



As of March 31, 2024, the Central Bank of India offers a network of 20,266 customer touch points across the country. This impressive network consists of 4,500 branches, a robust fleet of 4,084 ATMs, and an extensive system of 11,682 BC Outlets.

In addition to its broad geographical reach, the Bank takes pride in its robust presence in rural and semi-urban locales. This commitment to inclusivity is demonstrated by the fact that 65.21% of our branches are strategically situated in rural and semi-urban centres, underscoring our dedication to serve every corner of the nation.

Message from the desk of the Managing Director and CEO

Dear Stakeholders,

I am delighted to present your Bank's inaugural integrated Annual report for the financial year (FY) 2023-24. We have emerged as more resilient and reinvigorated, and our confidence in our capabilities is reflected not only in our numbers but also in our customers' trust in us. I am grateful to our customers, partners, team members, and other stakeholders for their relentless collaboration in making this happen. I am presenting here highlights of the performance of your Bank for FY 2023-24.

Global Economy

Overview

In the face of geopolitical tensions, efforts to combat inflation, and a decrease in demand, the global economy exhibited remarkable resilience in FY2024. The International Monetary Fund (IMF) projected a steady 3.2% annual growth for the world economy in 2023, which is expected to be maintained throughout 2024. Global growth is projected to diverge according to different economic zones. Advanced economies as a bloc are expected to grow by 1.7% and 1.8% in 2024 and 2025, respectively, compared to 1.6% estimated in 2023. Emerging Market & Developing Economies are expected to grow by 4.2% in 2024 and 2025 compared to 4.3% estimated for 2023. India is expected to remain the fastest-growing economy, with a growth projection of 6.8% for FY 2024-25 and 6.5% for FY 2025-26.

The global economy is recovering from the impacts of the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. Supply

constraints have eased. However, inflation remains a concern due to volatile oil prices. Contact-intensive services, which were heavily affected during the pandemic, have witnessed demand and supported growth. However, manufacturing has faced challenges due to input cost pressures, supply chain disruptions, and the China lockdown, affecting the availability of essential inputs and slowing global economic growth. According to the World Economic Outlook report released by the IMF in April 2023, global growth is projected to reach 2.8% in 2023 and 3.0% in 2024. Global inflation is expected to moderate to 5.9% in 2024 from 6.8% in 2023, further declining to 4.5% in 2025.



Our confidence in our capabilities is reflected not only in our numbers but also in our customers' trust in us. Together, we've built a resilient and reinvigorated Bank.

M V Rao

Managing Director and CEO

India Economy

GDP Growth

Indian economy grew at 8.2% in FY 2023-24, higher than the government's estimate of 7.6% and RBI's projection of 7%. The growth was driven by solid performance in the construction sector, followed by the manufacturing and services sectors. Both manufacturing and construction expanded by 9.9%. Growth in the former can be attributed to the base effect, whereas the latter increased due to capex. Within the services sector, financial services, real estate and professional services sub-sector witnessed the highest growth at 8.4%, followed by public administration,



Surpassing our targets, the total business volume increased by 10.34%, and we recorded our highest-ever net profit of ₹2,549 crore in FY 2024. This growth is a testament to our strategic focus and relentless teamwork.

defence and other services. Growth in the agricultural sector moderated to 1.4% in the last fiscal year 2023-24 from 4.7% in the previous fiscal year 2022-23 due to erratic rainfall, with food grain production standing at 309.3 million tonnes compared to 329.6 million tonnes in FY2023. Moving forward, growth in FY2024-25 is expected to be driven by improved private and public investment and consumption demand, as indicated by the rise in project announcements and an uptick in consumer confidence. Notably, bank credit to large industries grew at 7% in FY2024, the highest since FY2018-19, and bond issuances by the private sector reached ₹8.4 lakh crore, the highest since 2008. With growth driven by domestic demand rather than external factors, India is better insulated from global financial volatility. India's economic outlook is bright, averaging close to 8% growth over the past three years. However, its quality will depend on the economy's ability to absorb volatility and deepen its financial markets.

Central Bank of India's Business

Total Business Growth

Central Bank of India achieved significant business growth in FY2024, surpassing its set targets. The total business volume increased from ₹577,075 crore to ₹636,756 crore, representing a year-on-year growth of 10.34%. This growth was in line with the Bank's guidance of 10-12% business growth during the year. The Bank's robust performance was attributed to a strategic focus on asset quality, technological advancements, and a customer-centric approach. Your Bank recorded its highest-ever net profit of ₹2,549 crore in FY 2024, up from the previous record set in 2023.

Advances and Credit-Deposit Ratio

We have demonstrated substantial growth in advances, with total advances increasing from ₹217,779 crore to ₹251,745 crore, marking a growth rate of 15.60%. Within this segment, the Retail, Agriculture, and MSME (RAM) category saw an increase from ₹144,735 crore to ₹167,126 crore, representing a growth rate of 15.47%. Corporate advances also showed healthy growth, rising from ₹73,044 crore to ₹84,619 crore, indicating a growth rate of 15.85%. Consequently, the credit-deposit ratio improved significantly from 60.86% to 65.59%, highlighting the Bank's expanding lending activities.

Asset Quality

Your Bank's focus on maintaining a balanced credit portfolio resulted in a net interest margin (NIM) of 3.40%, surpassing the target of more than 3%. The gross non-performing assets (NPA) ratio remained slightly above the target range of 4.00% to 4.25% at 4.50%, while the net NPA was well-controlled at 1.23%. The Bank also demonstrated a strong provision coverage ratio (PCR) of 93.58%, surpassing the target of more than 92%. The slippage ratio was kept low at 0.57% for Q4 FY23-24, and the credit cost was below the target range at 0.85% for Q4 FY23-24.

Resource Mobilisation

During the period from March 2023 to March 2024, the Bank experienced a 7.16% growth in total deposits, which increased from ₹359,296 crore to ₹385,011 crore. CASA (Current Account Savings Account) deposits rose from ₹180,312 crore to ₹191,969 crore, reflecting a growth rate of 6.46%. This growth was driven by an increase in current deposits, which grew by 2.63% from ₹17,781 crore to ₹18,248 crore, and savings deposits, which grew by 6.88% from ₹162,531 crore to ₹173,721 crore. The share of CASA in total deposits was well-maintained at 50.02%.

CASA Deposits

CASA deposits constituted a significant portion of the Bank's deposit base, increasing from ₹180,312 crore to ₹191,969 crore, a growth rate of 6.46%. This growth was driven by both current and savings deposits, highlighting the Bank's strong deposit mobilisation strategy. The proportion of CASA deposits in total deposits remained stable at 50.02%, underscoring the Bank's emphasis on low-cost deposit growth.

Core Deposits

Core time deposits alone grew by 8.06%, increasing from ₹177,445 crore to ₹191,748 crore. This growth in core deposits without Zero CD and Zero High-Cost Deposits reflects the

Message from the desk of the Managing Director and CEO

Bank's strategy to secure stable and long-term funding sources.

Environmental, Social & Governance (ESG) Initiative

The Bank has embarked on a journey to incorporate Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations into its operations. Through the implementation of an ESG policy and the unveiling of its 5-year strategy - Vision Document on ESG on 21 December 2023, the Bank has voluntarily committed to achieving Net Zero by 2028 as part of its Scope 1 Target, in line with the Government of India's 2070 Net Zero Goals. The vision document outlines the roadmap for evaluating green and sustainable projects, emphasising the "Aware-Monitor-Reward" approach for eligible projects. Moreover, the Bank has introduced financing solutions like Cent Go Green for Electric Vehicles and Cent Kusum for solar equipment. Additionally, the Bank has launched an Energy Efficiency Scheme for MSMEs and invested ₹199.97 crore in Government of India Sovereign Green Bonds (GOI SGRBonds).

Awards and Accolades

Your Bank has been honoured with some prestigious awards and accolades in the past year. Your Bank has been recognised as one of the "Best Organisations for Women for 2024" by ET Edge – A Times Group Initiative. This prestigious honour was conferred at the 4th edition of the "Best Organisations for Women Conclave 2024" held in Mumbai on 21 March 2024, highlighting our commitment to fostering an inclusive and supportive workplace for women.



Through the implementation of an ESG policy and its 5-year strategy - Vision Document on ESG, the Bank has committed to achieving Net Zero by 2028 as part of its Scope 1 Target, aligning with India's 2070 Net Zero Goals.

Your Bank also achieved a significant milestone by securing the esteemed SKOCH GOLD award at the 95th SKOCH Summit - State of Inclusive Growth, held on 18 November 2023 in New Delhi, for its "Strategic Digital HR Transformation". This recognition underlines the Bank's successful transformation of its Performance Management System through innovative digital tools and strategic initiatives, enhancing accountability, workforce dynamism, and operational efficiency, thereby significantly contributing to growth, customer satisfaction, and financial inclusion.

Your Bank also received a Special mention award under the "Best Financial Inclusion" category in the IBA 19th Annual Banking Technology Expo and Citation 2022-23.

Your Bank also received the Best Consumer Delight PSU Consumer awards for FY 2023-24 from Transunion Cibil in the PSU GM IT/MIS conference 2024 organised by Transunion CIBIL and IBA.

Your Bank also got the Highest DQO Improvement PSU Consumer award for FY 2023-24 from Transunion Cibil in the PSU GM IT/MIS conference 2024 organised by Transunion CIBIL and IBA.

New Initiatives

Technological Transformation

Central Bank of India has been actively transforming its technological infrastructure to enhance operational efficiency, improve customer experience, and support digital banking services. The Bank implemented an AI-based Chatbot named Cent Chanakya to assist branch staff in responding to customer queries more effectively. Additionally, the Bank launched a Digital Lending Platform designed to streamline loan products with a customer-centric approach, significantly reducing turnaround time. This platform utilises data from standard sources to minimise subjectivity in decision-making. Bank also introduced a Micro-services-based Containerised Platform for digital applications and automated tools for application integration and deployment, enhancing the Bank's technological capabilities.

Focus on Asset Quality

Bank maintains a strong focus on asset quality, aiming for credit costs below 1%. The Bank emphasises maintaining robust corporate and MSME books to mitigate risks and ensure a balanced credit portfolio. This approach involves developing early warning systems to proactively



identify and manage stressed accounts, thereby enhancing overall asset quality. The Bank has set a strong provision coverage ratio (PCR) of 93.58%, exceeding the target of more than 92%, and maintains a low slippage ratio of 0.57%, below the target range of less than 1%.

Fee-Based Income Growth

In FY2024, bank registered a good growth in fee based income this growth, including PSLC sales, recoveries, and other miscellaneous income. The Bank expects fee-based income and service charges to remain steady, focusing on diversifying revenue streams to enhance financial stability. Implementing these initiatives underscores the Bank's commitment to expanding its income base beyond traditional interest income.

Restructured Book Management

Bank maintains stability in its restructured book and has a firm grip on MSME collections. This initiative involves actively managing and monitoring restructured assets to ensure timely repayments and minimise credit risks. The Bank aims to uphold asset quality and financial health by maintaining a balanced approach to restructured book management. The Bank's proactive measures in managing restructured assets contribute significantly to its overall performance.

Cost-to-Income Ratio Optimisation

Bank aims to improve operational efficiency by targeting a cost-to-income ratio in the range of 50-52% in the next fiscal year. The Bank has implemented various strategies, including streamlining processes,

optimising resource allocation, and implementing cost-saving measures. These initiatives are designed to enhance profitability while maintaining high service standards. The Bank's efforts to control costs are evident in its consistent performance and strategic focus on operational efficiency.

Reduction in Gross NPA

Bank projects a reduction in gross non-performing assets (NPA) through planned initiatives focused on resolving stressed assets. By actively managing and resolving these assets, the Bank aims to strengthen its balance sheet and improve overall asset quality.

Employee Engagement

Central Bank of India stands as a pioneer among public sector banks by developing a revolutionary GenAI-powered chatbot, similar to ChatGPT, focused on answering bank-specific information. Furthermore, by ensuring that staff have immediate access to vital information, the chatbot plays a crucial role in enhancing decision-making, customer service quality, and overall workplace productivity, heralding a new era of digital empowerment in banking.

To incentivise the top-performing employees and boost employee morale via a range of rewards and recognition offered to employees across multiple levels, the Bank has approved the Reward and Recognition program – Central PRAISE (Program for Rewarding & Acknowledging Individuals & teams for Service & Excellence).

Way Forward

Given our FY 2023-24 results, I must express my joy in meeting

shareholders' expectations. "I am confident that with our clear strategic focus, superior execution and top-notch workforce, we will continue to deliver industry-leading results in the future".

My team and I would like to thank all our stakeholders. We would like to acknowledge and thank all the members of the Board for their valuable support, guidance, and input in our management endeavours. I also thank the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, IBA, Stock Exchanges, Customers, employees and all stakeholders for their continued support and patronage from time to time. I am happy to present the Bank's Annual Report for the Financial Year ended on 31 March 2024.

With best wishes,

Yours sincerely,

M V Rao

Place: Mumbai
Date: 28 May, 2024

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

Market Dynamics:

Adjusting to Opportunities and Transformations



Global banks achieved their highest return on equity in over a decade, with an ROE of 12% in 2022, projected to reach 13% in 2023.

Indian Banking Industry Dynamics

In FY2023-24, the Indian banking industry experienced robust credit and deposit growth, underscoring its resilience and improved asset quality. The sector's strengthened capacity to manage lending risks contributed to economic stability and industrial growth. Amidst global financial challenges, the Indian banking sector displayed resilience and effectively transmitted monetary policy adjustments.



Despite an increase in the policy repo rate, the banking industry saw substantial deposit growth, reflecting depositors' trust and confidence. This growth highlights the sector's robustness and effective management of interest rate risks. Throughout FY2024, the Indian banking sector maintained adequate capital buffers and moderate non-performing loans (NPLs), ensuring financial stability and stakeholder confidence amidst global uncertainties.

The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee raised the policy repo rate by 250 basis points from May 2023 to February 2024 to curb inflationary pressures and stabilise the economy. This adjustment demonstrated the RBI's proactive stance in maintaining economic stability. The policy repo rate adjustments had a noticeable impact on money market rates, indicating effective monetary policy transmission. This alignment facilitated effective transmission to bank lending and deposit rates, ensuring that policy measures impacted the economy as intended.

Global Performance and Trends

GRI 201, GRI 203, GRI 302, GRI 305, GRI 404, GRI 418, GRI 419

Recent insights from McKinsey's October 2023 report reveal a stellar performance by global banks, showcasing their highest return on equity (ROE) in over a decade. With an ROE of 12% in 2022 and a projected 13% for 2023, this outpaces the 13-year average of 9.1%. The improvement is also seen in cost efficiency, with a notable drop in the cost-income ratio by seven percentage points. Financial intermediation revenues soared to \$6.8 trillion in

The Indian banking sector displayed resilience with robust credit and deposit growth, maintaining financial stability amidst global uncertainties.

2022, highlighting the sector's growth, which now manages approximately \$400 trillion in assets.

Banking revenue growth has been especially vigorous in the Indo-Crescent region, including India, where 51% of the world's top-performing financial institutions now reside. This success is driven by higher GDP and population growth, innovative disruptions, and efficient service delivery models. McKinsey emphasises the strategic need for banks to harness advanced technologies like artificial intelligence (AI) to manage evolving risks and navigate the increased interest rates. These dynamics have bolstered net interest margins and profitability, despite challenges in capital-light business models and regulatory pressures.

By integrating these global insights with a comprehensive analysis of the Indian banking sector and bank's performance, this chapter offers a panoramic view of the banking industry's present and future trajectory. This enriched perspective aims to assist stakeholders in understanding both local and international factors influencing the sector, thereby enabling more informed strategic decisions.

Global Banking Dynamics

The global banking landscape in FY2023-24 was characterised by significant performance improvements and challenges. According to McKinsey's Global Banking Annual Review 2023, banks experienced

their best return on equity (ROE) over a decade, with ROE rising to 12% in 2022 and expected to reach 13% in 2023. This was primarily driven by a 500-basis-point increase in interest rates in developed economies since Q2 2022, boosting net interest margins and profits by approximately \$280 billion.

Key Trends Shaping the Banking Landscape

- 1. Credit Growth and Asset Quality:** The sector saw robust credit growth and improved asset quality, reflecting enhanced risk management.
- 2. Deposit Growth and Policy Rate Transmissions:** Banks maintained strong deposit growth despite significant policy rate hikes, underscoring depositor confidence and effective interest rate risk management.
- 3. Resilience Amidst Global Financial Changes:** The sector's resilience was evident through adequate capital buffers and moderate non-performing loans (NPLs), ensuring financial stability.
- 4. Technological Disruption and Innovation:** AI and digital banking continued transforming the sector, enhancing productivity, customer service, and operational efficiency, driving cost savings and innovation.
- 5. Shifts in Balance Sheets and Transactions:** A notable shift of assets and clients from traditional banks to fintech companies and



Market Dynamics:

Adjusting to Opportunities and Transformations

private capital firms is reshaping the core pillars of banking.

6. Macroeconomic Outlook and Interest Rates:

Varied growth and inflation expectations across regions, coupled with central banks' rapid interest rate hikes, significantly impact the banking sector's cost of equity and economic stability.

FY2024 was a period of substantial achievement and considerable challenge for the global banking industry, marked by improved profitability, robust credit growth, and navigating complex macroeconomic and technological shifts. These insights highlight the need for banks to leverage technological innovations, manage risks effectively, and adapt to changing economic conditions to sustain growth and stability.

Addressing Challenges and Risks

The Central Bank of India actively addresses several critical challenges and risks in the banking sector through a comprehensive and strategic approach. Bank has fortified its cybersecurity infrastructure to recognise the growing threat of digital disruption and cybersecurity risks. This includes establishing a Cyber Security Operation Centre (CSOC) that operates around the clock, ensuring real-time monitoring and swift threat detection. Advanced security solutions like the Privilege Access Management System (PAMS) and Data Leakage Prevention (DLP) are now in place to protect sensitive data. Regular audits, such as Information Security (IS) and Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT), ensure the Bank's defences remain robust against emerging threats. Additionally, the Bank has set up a full-fledged Disaster

AI and digital banking continue to transform the sector, enhancing productivity, customer service, and operational efficiency.

Recovery Centre and Near-Site setup to ensure business continuity with zero data loss, complemented by regular disaster recovery drills.

Bank has introduced technological upgrades to enhance operational efficiency and customer convenience, including systems like SWIFT, RTGS/NEFT, and virtual debit cards for secure online transactions. Addressing operational risks, bank has established several governance and risk management committees, such as the IT Strategy Committee, IT Risk Management Committee, and IT Steering Committee, which play a crucial role in overseeing and managing IT risks effectively. The Bank's IT department, structured to support extensive operations, ensures seamless execution of IT strategies and projects. Innovative initiatives like Interoperable Cardless Cash Withdrawals (ICCW) and Green Channel Cash Deposits further enhance operational efficiency.

In the realm of regulatory compliance, bank adheres to rigorous standards, achieving certifications such as ISO 27001 for information security and ISO 22301 for business continuity management. The Bank has also attained PCI-DSS Level 1 Version 4.0 compliance, demonstrating its commitment to maintaining high-security standards for cardholder data. Regular IS Audits and VAPT conducted by CERT-In empanelled auditors and audits by the RBI IT Examination team ensure that bank remains compliant with regulatory requirements.

To maintain asset quality and manage credit risks, bank has adopted an advanced collections management system that employs predictive analytics to identify potential defaults and optimise recovery strategies. This proactive approach helps maintain the Bank's asset quality. Introducing Video-KYC for remote customer onboarding enhances convenience and reduces operational risks, ensuring a smooth and secure process for new customers.


















Sustainability is also a key focus for bank. The Bank promotes paperless transactions and digital document management to reduce environmental impact. Customers are encouraged to opt for e-statements and digital communication, aligning with bank's sustainability goals. By prioritising these initiatives, bank addresses the multifaceted challenges and risks in the banking sector, promoting operational efficiency, regulatory compliance, and sustainability.

Navigating Market Dynamics

In its continuous pursuit of excellence and resilience, the Central Bank of India has outlined strategic directions to navigate the dynamic challenges of the banking sector. This comprehensive approach encompasses digitising operations, enhancing cybersecurity measures, ensuring robust regulatory compliance, and managing credit and operational risks. Additionally, bank is adapting its balance sheet strategies, levelling up



distribution channels, scaling or exiting transaction businesses as needed, and promoting sustainable banking practices. Each of these strategic directions is aligned with specific Global Reporting Initiative (GRI) standards and United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs), reflecting bank's commitment to sustainable growth and responsible banking. The following table summarises these strategic directions, actions taken, future plans, and their alignment with GRI and UNSDG references.

Strategic Direction	Description and Actions	Future	GRI Alignment & UNSDG Reference
Adapting to Digital Transformation 	Digitising operations and adopting AI-driven solutions to enhance efficiency and customer experience. Implemented AI-based Chatbot and Digital Lending Platform.	Enhance digital platforms and customer-centric AI solutions.	GRI 203: Indirect Economic Impacts UNSDG : 
Enhancing Cybersecurity Measures 	Strengthening IT systems to counter AI-related threats. Established a Cyber Security Operation Centre and advanced security solutions.	Continuously upgrade cybersecurity protocols and infrastructure.	GRI 418: Customer Privacy UNSDG : 
Flexing Balance Sheets 	Adapting balance sheet strategies to optimise resource allocation and improve profitability. Implemented cost-to-income ratio optimisation and credit-deposit ratio improvement.	Continue strategic resource allocation and profitability enhancement.	GRI 201: Economic Performance UNSDG : 
Levelling Up Distribution Channels 	Enhancing distribution channels to meet changing customer preferences for hybrid and digital service offerings. Expanded branch network and Business Correspondent model.	Further expand digital and hybrid service channels.	GRI 203: Indirect Economic Impacts UNSDG : 
Managing Credit and Operational Risks 	Improving credit assessment and risk management processes. Adopted advanced collections management system and Video-KYC.	Enhance predictive analytics and early warning systems.	GRI 201: Economic Performance UNSDG : 
Promoting Sustainable Banking Practices 	Committing to sustainable operations and climate-friendly financing. Promoted paperless transactions and e-statements.	Develop more green financing products and reduce carbon footprint.	GRI 302: Energy, GRI 305: Emissions UNSDG :  
Scaling or Exiting Transaction Businesses 	Evaluating transaction businesses to ensure they are scaled for competitive advantage or exited if non-core. Increased focus on core business areas and strategic tie-ups.	Regularly assess and optimise transaction business portfolio.	GRI 203: Indirect Economic Impacts UNSDG : 
Strengthening Regulatory Compliance 	Ensuring compliance with stringent regulations to avoid penalties. Achieved ISO 27001, ISO 22301, and PCI-DSS compliance.	Maintain high compliance standards and regular audits.	GRI 419: Socioeconomic Compliance UNSDG : 

Our Business Priorities:

Driving Digital Innovation and Sustainable Growth

Our Business Pillars

GRI 201, GRI 203, GRI 302, GRI 305, GRI 404, GRI 418

In the face of a rapidly evolving banking landscape, Central Bank of India remains resolute in its commitment to digital excellence and sustainable growth. The trend of mass digitalisation and technology-driven disruption continues to shape our strategic priorities, ensuring we remain agile and responsive to these transitions. As advocates for sustainability, we acknowledge the urgency of addressing climate














change, with a central goal of decarbonising the economy and achieving net-zero emissions by 2070. This journey requires significant behavioural changes and the extensive deployment of non-carbon technologies across sectors.

We aim to leverage technological innovation and digital capabilities to create opportunities for all, ensuring that our customers have access to a broad range of products, advice, and solutions that empower them to make informed financial decisions and achieve their personal and business aspirations.

The following table outlines the strategic priorities of the Central Bank of India across various capital dimensions, highlighting the Bank's commitment to operational excellence, financial inclusion, innovation, and sustainability. Each priority is aligned with relevant Global Reporting Initiative (GRI) standards and United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs), demonstrating the Bank's integrated approach to achieving long-term value and resilience in the ever-evolving financial landscape.

Capital	Priority	Strategic Priority	Description and Actions	GRI Alignment & UNSDG Reference
Financial Capital <i>Page 62</i>	A	Achieving operational excellence	Leveraging digital capabilities to provide outstanding customer experience through simplified processes and a value-focused transaction model.	GRI 201: Economic Performance UNSDG :
	B	Optimising balance sheet strategies	Adapting balance sheet strategies to optimise resource allocation and profitability using the Data Lake project for advanced data analytics.	GRI 201: Economic Performance UNSDG :
Human Capital <i>Page 112</i>	C	Fostering a dynamic and engaged workforce	Fostering an inclusive, diverse culture with talent development, comprehensive training, competitive benefits, and a supportive work environment.	GRI 404: Training and Education UNSDG :
	D	Enhancing talent development and retention	Investing in workforce development and retention through training programs, benefits, and supportive environments.	GRI 404: Training and Education UNSDG :
Intellectual Capital <i>Page 70</i>	E	Strengthening digital capabilities	Utilising data and technology for superior solutions with continuous investment in technology and innovative solutions.	GRI 418: Customer Privacy UNSDG :
	F	Driving customer-centric innovations	Driving product and service innovation based on customer needs and preferences using data analytics.	GRI 418: Customer Privacy UNSDG :




Capital	Priority	Strategic Priority	Description and Actions	GRI Alignment & UNSDG Reference
	G	Ensuring data security and privacy	Ensuring data security and customer privacy with strong encryption, privacy policies, and regular security audits.	GRI 418: Customer Privacy UNSDG : 
	H	Promoting innovation through R&D	Investing in research and development for continuous innovation through an innovation lab and collaborations with academic institutions.	GRI 203: Indirect Economic Impacts UNSDG : 
Manufactured Capital <i>Page 84</i>	I	Improving clients' financial health	Improving clients' financial well-being with personalised advice driven by digital proficiency and data insights.	GRI 203: Indirect Economic Impacts UNSDG : 
	J	Advancing financial inclusion	Increasing banking access for underbanked and unbanked populations through inclusive programs, mobile banking, and microfinance initiatives.	GRI 203: Indirect Economic Impacts UNSDG : 
	K	Building strategic partnerships and alliances	Building strategic partnerships to enhance service offerings and market reach, collaborating with fintech companies and global banks.	GRI 203: Indirect Economic Impacts UNSDG : 
	L	Innovating in payments and transactions	Enhancing payment systems and transaction services with contactless payments, blockchain-based systems, and expanded mobile payment options.	GRI 203: Indirect Economic Impacts UNSDG : 
	M	Enhancing distribution channels	Enhancing distribution channels for hybrid and digital services with digital banking units (DBUs), WhatsApp Banking, and Google Business Messages (GBM).	GRI 203: Indirect Economic Impacts UNSDG : 
Natural Capital <i>Page 82</i>	N	Promoting sustainability	Minimising environmental impact and promoting sustainable practices both within operations and among stakeholders.	GRI 302: Energy, GRI 305: Emissions UNSDG :  
	O	Advancing sustainable banking practices	Committing to sustainable operations and climate-friendly financing, supported by a Sustainable Financing Framework and renewable energy projects.	GRI 302: Energy, GRI 305: Emissions UNSDG :  
Relationship & Social Capital <i>Page 96</i>	P	Supporting clients' transition to sustainability	Assisting clients in adopting sustainable finance and innovative solutions for a greener future.	GRI 302: Energy, GRI 305: Emissions UNSDG :  

Materiality Assessment: Insights into our Stakeholders' Views

Our inaugural Materiality Analysis Survey of May 2024 offered a comprehensive examination of bank's economic, environmental, and social impacts, shaping our strategic direction with stakeholder insights.

In May 2024, Central Bank of India conducted its inaugural Materiality Analysis Survey to understand stakeholder perspectives better and shape its strategic direction. The questions in the survey were meticulously framed to cover all critical aspects of the banking industry and the various forms of capital, including financial, social, human, and environmental. They addressed key issues such as risk management, regulatory compliance, customer satisfaction, digital transformation, employee welfare, community impact, and sustainability.

This analysis provided a comprehensive examination of the Bank's economic, environmental, and social impacts, offering both internal and external insights. The survey highlighted the need to align business objectives with stakeholder expectations by pinpointing key issues essential to stakeholders and the Bank's sustainable growth. To execute this formal materiality assessment, bank partnered with a third-party consultant, involving internal leaders, subject matter experts, and a diverse group of external stakeholders, including customers, employees, investors, government officials, media, NGOs, and industry peers. The results of this exercise underscore bank's dedication to responsible and inclusive growth, summarised here, with references for those seeking more detailed information.



































Ranking of Material Issues

This scatter diagram visually represents the perceived importance of various issues as evaluated by internal and external Central Bank of India stakeholders. The horizontal axis illustrates the level of importance attributed to internal stakeholders, while the vertical axis reflects external stakeholders' perspectives. Issues are categorised into three segments: High Importance, Medium Importance, and Somewhat Important, with each dot corresponding to a specific issue based on combined evaluations. Bank used a systematic methodology to rank these issues: surveys were distributed to gather perspectives, responses were averaged and normalised, and issues were plotted on the scatter diagram. The categorised results were then reviewed and validated through discussions with key stakeholders to ensure accuracy and relevance.



This chart helps bank identify key areas of focus that align with stakeholder priorities, guiding the Bank in addressing critical issues for sustainable growth and strategic planning.

Importance	Issue Number	Read More	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
High	2	Natural Capital Page 82	Countering Climate Risks	GRI 302, GRI 305	 
High	7	Natural Capital Page 82	Green Finance Impact	GRI 302, GRI 305, GRI 201	  
High	12	Relationship & Social Capital Page 96	CSR's Impact on Communities	GRI 413	   
High	13	Relationship & Social Capital Page 96	Community Involvement	GRI 413	  
High	14	Relationship & Social Capital Page 96	Social Inclusion	GRI 413	  
High	15	Relationship & Social Capital Page 96	Impact of Financial Products	GRI 203, GRI 417	  
High	22	Relationship & Social Capital Page 96	Collaborations for Impact	GRI 203, GRI 413	  
High	23	Human Capital Page 112	Labour Practice & Employment	GRI 401, GRI 404	  
High	29	Manufactured Capital Page 48	Investing in Sustainable Tech	GRI 302, GRI 305	  
High	30	Manufactured Capital Page 48	Strategic Sustainability	GRI 201, GRI 305	 
High	33	Intellectual Capital Page 70	Fintech & Competitiveness	GRI 203, GRI 418	 
High	34	Human Capital Page 112	Ethics and Transparency	GRI 102, GRI 205	

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS







Materiality Assessment:

Insights into our Stakeholders' Views

Importance	Issue Number	Read More	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
High	36	Human Capital Page 112	Ethics and AML's Market Impact	GRI 102, GRI 205, GRI 419	
Medium	1	Natural Capital Page 82	Warming Planet	GRI 302, GRI 305	
Medium	4	Natural Capital Page 82	Managing Energy Consumption	GRI 302	
Medium	9	Relationship & Social Capital Page 96	Human Rights	GRI 412	
Medium	11	Relationship & Social Capital Page 96	Customer Satisfaction	GRI 102, GRI 418	
Medium	17	Relationship & Social Capital Page 96	Financial Literacy Impact	GRI 203	
Medium	18	Relationship & Social Capital Page 96	Financial Inclusion Impact	GRI 203	
Medium	19	Relationship & Social Capital Page 96	Equitable Access and Impact	GRI 203, GRI 413	
Medium	20	Relationship & Social Capital Page 96	CSR Impact and Alignment	GRI 413	
Medium	25	Human Capital Page 112	Employee Health & Safety	GRI 403	
Medium	26	Human Capital Page 112	Succession Planning	GRI 404	
Medium	28	Financial Capital Page 62	Access to Capital	GRI 201	
Medium	32	Manufactured Capital Page 42	Supplier Impact Assessment	GRI 204	



Importance	Issue Number	Read More	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
Low	3	Natural Capital Page 82	Socio-Environmental Dynamics	GRI 304	
Low	5	Natural Capital Page 82	Conserving Water	GRI 303	
Low	6	Natural Capital Page 82	Minimising Waste	GRI 306,	
Low	8	Natural Capital Page 82	Funding Renewable Energy	GRI 302, GRI 201	 
Low	10	Relationship & Social Capital Page 96	Customer Privacy and Data	GRI 418	
Low	16	Relationship & Social Capital Page 96	Lending Products on Goals	GRI 417	 
Low	21	Relationship & Social Capital Page 96	Supporting Communities	GRI 413	  
Low	24	Human Capital Page 112	Training and Skill Development	GRI 404	 
Low	27	Human Capital Page 112	Diversity and Inclusion	GRI 405	 
Low	31	Manufactured Capital Page 48	Sustainable Sourcing	GRI 204	
Low	35	Manufactured Capital Page 48	Risk Management and Compliance	GRI 102, GRI 205	

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY


FINANCIALS



Materiality Assessment:

Insights into our Stakeholders' Views

Our Response to Issues Given High Importance

Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
2	Environment	Countering Climate Risks	GRI 302, GRI 305, GRI 201	

Central Bank of India is actively addressing the material issue of “Countering Climate Risks” through a comprehensive strategy focused on sustainable financing, climate risk management, and operational sustainability. Bank has committed to achieving net-zero emissions by 2028 for Scope 1 greenhouse gas emissions, with ongoing efforts to reduce Scope 2 emissions.


The bank has a board-approved framework for financing green activities and has signed an MoU with the Bureau of Energy Efficiency (BEE) to establish an Energy Efficiency Cell, promoting energy efficiency financing.

The Cent Energy Efficiency Scheme was also launched to support these efforts. Additionally, the bank offers various Green Finance Schemes, such as the Energy Efficiency Scheme for MSMEs, Cent Go Green for electric vehicles, and Cent Kusum for solar equipment.

Operational sustainability is a key focus, with initiatives including installing rooftop solar panels and energy-efficient lighting systems across various branches. Bank has also implemented water conservation measures, such as rainwater harvesting systems and water-efficient fixtures, and has established waste reduction programs, promoting recycling and using sustainable materials.

Furthermore, bank’s digital transformation efforts have reduced paper usage and energy consumption by adopting digital banking solutions and energy-efficient IT infrastructure. These initiatives underscore bank’s dedication to mitigating climate risks and promoting environmental sustainability, aligning with global standards like the Paris Climate Agreement and the UNSDGs.

For more details, read our chapter on Natural Capital on [page 82](#).

Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
7	Environment	Green Finance Impact	GRI 413	



Central Bank of India is making significant strides in addressing the material issue of “Green Finance Impact” through various initiatives to promote sustainable development and mitigate climate change risks. In FY2024, bank demonstrated its commitment to sustainable energy by financing renewable energy projects, establishing an Energy Efficiency Cell through an MoU with the Bureau of Energy Efficiency, launching the Cent Energy Efficiency Scheme, and offering various Green Finance Schemes, including those for MSMEs, electric vehicles, and solar equipment.

Bank’s focus on sustainable financing extends to critical areas like electric vehicles and green technologies, promoting eco-friendly solutions and supporting the transition to a low-carbon economy. The Bank’s Sustainable Financing Framework guides these efforts, ensuring that all initiatives align with global standards such as the Paris Climate Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs).

The Bank has also developed and promoted various green financial products. These include green bonds and loans for financing projects with positive environmental impacts, such as renewable energy and green buildings. Moreover, bank is integrating climate risk management into its business strategy to ensure its operations are resilient to climate-related disruptions. This approach mitigates risks and positions the Bank as a leader in sustainable finance, contributing to the broader goal of a sustainable and inclusive economy.

For more details, read our chapter on Natural Capital on [page 82](#).



Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
12	Social Capital	CSR's Impact on Communities	GRI 413	  

Central Bank of India demonstrates a strong commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) and community development, addressing the material issue of “CSR’s Impact on Communities” through a variety of impactful initiatives. In FY2024, bank invested ₹8.31 crores in CSR activities.




Bank’s CSR initiatives focus on key areas such as education, healthcare, financial literacy, and environmental sustainability. The Bank supported educational programs by providing scholarships and school supplies, improving access to quality education for underprivileged children.

Financial literacy programs are held to impart essential financial management skills through workshops and seminars. These initiatives empower communities with the knowledge to make informed financial decisions, enhancing their economic well-being.

Environmental sustainability is another critical focus, with bank launching tree plantation drives and clean-up campaigns. The Bank’s “Green Banking” program promoted digital banking services, significantly reducing paper usage, and contributing to environmental conservation.

Bank’s commitment to CSR extends to substantial resource allocation and active engagement with local communities, reflecting the Bank’s dedication to fostering sustainable development and improving the quality of life for various stakeholders. Through these comprehensive efforts, bank strengthens its relationship with communities and contributes to broader societal well-being and sustainable growth.

For more details, read our Relationship & Social Capital chapter on page 96.

Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
13	Social Capital	Community Involvement	GRI 413	  

Central Bank of India emphasises robust community involvement as a cornerstone of its social capital strategy.

Bank’s community involvement spans several key areas: education, healthcare, financial literacy, and environmental sustainability. The Bank has supported educational initiatives by providing scholarships, improving school infrastructure, and enhancing access to quality education for underprivileged children. These efforts have equipped students with essential resources, fostering their academic growth and future opportunities.




Bank has also prioritised financial literacy, conducting numerous workshops and seminars to educate on budgeting, saving, and investment strategies. These programs empower community members with the knowledge and skills to make informed financial decisions, contributing to their economic stability and growth.

Environmental sustainability is another critical aspect of bank’s community involvement. The Bank has implemented tree plantation drives, clean-up campaigns, and promoted digital banking services through its “Green Banking” program, significantly reducing paper usage and fostering environmental conservation.

For more details, read our Relationship & Social Capital chapter on page 96.

**Materiality Assessment:**




Insights into our Stakeholders' Views

Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
14	Social Capital	Social Inclusion	GRI 413	  

Central Bank of India strongly emphasises social inclusion, ensuring that underserved and marginalised communities are empowered and supported.

Bank's social inclusion efforts are evident in its targeted educational programs, financial literacy workshops, and healthcare services. The Bank has provided scholarships and school supplies to underprivileged children, enhancing their access to quality education and fostering equal opportunities for academic success.

For more details, read our Relationship & Social Capital chapter on [page 96](#).

Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
15	Social Capital	Impact of Financial Products	GRI 203, GRI 417	  

Central Bank of India has made significant strides in promoting social inclusion through its diverse range of financial products. In FY2024, bank's initiatives have substantially impacted underserved and marginalised communities, ensuring access to essential financial services.




Bank has implemented several innovative financial products to promote social inclusion, such as specialised loans for agriculture and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). By reducing loan processing time through automated decision-making systems, bank has made financial assistance more accessible and enhanced customer satisfaction.

Bank's digital transformation initiatives have further promoted social inclusion. Integrating digital loan facilities against Public Provident Fund (PPF) accounts has enabled customers, especially in remote areas, to apply for online loans, eliminating the need for physical visits. This digital service has expanded financial services to underserved regions, improving accessibility and convenience.

Furthermore, bank has increased the number of point-of-sale (POS) terminals and ATMs, ensuring that even remote areas can access essential banking services.

For more details, read our Relationship & Social Capital chapter on [page 96](#).






Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
22	Social Capital	Collaborations for Impact	GRI 203, GRI 413	  

Central Bank of India emphasises collaborative efforts to enhance its social capital, significantly impacting various community segments. In FY2024, bank's collaborations included partnerships with educational institutions, healthcare providers, and financial literacy organisations to foster community development and social well-being.

Bank's educational initiatives involved partnering with local schools and NGOs to provide scholarships and improve school infrastructure, thereby enhancing the quality of education for underprivileged children. These efforts have facilitated better learning environments and increased educational opportunities for disadvantaged students.

For more details, read our Relationship & Social Capital chapter on [page 96](#).

Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
23	Human Capital	Labour Practice & Employment	GRI 401, GRI 404	  

Central Bank of India has demonstrated a proactive approach to addressing the material issue of "Human Capital, Labour Practices & Employment." In FY 2023-24, bank expanded its workforce to 31,610 employees, up from 30,770 the previous year. The Bank has significantly emphasised recruitment and promotion, hiring 471 specialist officers, 1,739 probationary officers, and various other roles, and promoting 1,399 employees.

Employee welfare is a priority, with a dedicated fund of ₹25 crores for staff welfare schemes, including medical health check-ups, financial assistance for employees with children with disabilities, and sports and recreational activities. Additionally, bank has initiated comprehensive training and development programs, such as leadership training through prestigious institutes and e-learning modules, achieving a high participation rate.




The Bank has also focused on employee benefits, including group medical insurance, performance-linked incentives, and various staff welfare schemes like canteen subsidies and holiday home facilities. Moreover, bank has maintained robust industrial relations and adhered to government reservation policies, ensuring representation and support for SC/ST/OBC employees.

Overall, bank's holistic approach towards human capital, labour practices, and employment underscores its commitment to fostering a supportive and inclusive work environment, enhancing employee satisfaction, and aligning with strategic business goals.

For more details, read our chapter on Human Capital on [page 112](#).

**Materiality Assessment:**

Insights into our Stakeholders' Views

Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
29	Business Model	Investing in Sustainable Technologies	GRI 302, GRI 305	  



Central Bank of India has strategically integrated sustainable technologies into its business model, reflecting its commitment to environmental stewardship and operational excellence. Bank's investments in renewable energy, such as rooftop solar panels and energy-efficient lighting, have significantly reduced its carbon footprint and set a benchmark for sustainability within the banking sector.

Guided by its Sustainable Financing Framework, the Bank is aligned with global standards like the Paris Climate Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs).

Bank leverages advanced technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and blockchain to enhance operations. AI-based chatbots improve customer query resolution, predictive analytics enhance customer retention, and blockchain technology strengthens transaction security. The Bank's ISO-certified data centres ensure high operational efficiency and data security, supporting its digital platforms.

These initiatives are supported by a robust intellectual capital framework, emphasising human, structural, and relational capital. Continuous employee training, advanced IT infrastructure and strong customer relationships underpin bank's strategic goals.

For more details, read our chapter on Our Business Model Canvas on [page 24](#).

Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
33	Business Model	Fintech & Competitiveness	GRI 203, GRI 418	 

Central Bank of India has developed a robust business model integrating fintech solutions to enhance competitiveness and deliver superior banking services. This approach emphasises leveraging advanced technologies, improving customer experience, and streamlining operations.

Bank has invested significantly in digital transformation initiatives, such as integrating Unified Payments Interface (UPI) Lite functionality into the BHIM Cent UPI application. This enhancement allows for smoother, faster, low-value transactions, boosting customers' convenience and adoption of digital payments. Additionally, introducing


digital loan facilities against Public Provident Fund (PPF) accounts has simplified loan access, enabling customers to apply for online loans without needing physical visits to branches.

The Bank's ISO-certified data centres ensure high operational efficiency and data security, supporting core banking operations and digital platforms. Bank has also deployed 1,193 self-service passbook printing kiosks nationwide, reducing branch congestion and improving customer service efficiency. The adoption of video KYC has further streamlined the account opening process, making it more convenient and safer for customers.

AI and machine learning play a crucial role in bank's fintech strategy. The AI-based chatbot, Cent Chanakya, has improved customer query resolution, while predictive analytics models help foresee customer churn, enabling proactive engagement. These technologies have enhanced service efficiency and customer satisfaction, positioning bank as a forward-thinking institution.

For more details, read our chapter on Intellectual Capital on [page 70](#).



Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
34	Leadership	Ethics and Transparency	GRI 102, GRI 205	


Central Bank of India is committed to promoting ethical excellence and customer-centric growth. We aim to deliver best-in-class financial products and services while ensuring accessibility for all consumers across diverse markets. We prioritise fairness, transparency, and consistency in our offerings, striving to build lasting customer relationships through responsibly priced products, clear terms, and ethical service. Our commitment to acting in the best interest of our customers is the cornerstone of our approach to responsible banking, ensuring that we help them prosper and meet their financial goals.

We are dedicated to fair and honest business practices, keeping our customers at the heart of everything. Unethical practices are strictly prohibited, aligning with our core values and ethical standards. Our credit decisions are made impartially, ensuring inclusivity and non-discrimination.

Our Board and its committees guide our enterprise-wide strategies and policies, promoting a corporate culture that upholds laws and regulations against unethical, discriminatory, or predatory practices. This oversight ensures that our business operations align with our ethical standards, fostering trust and integrity within the organisation.

We mandate annual compliance training for all employees and contractors to reinforce our commitment to ethical excellence. This training covers complaint management, compliance with financial crimes, financial abuse prevention, fraud prevention, and ethical conduct, ensuring our team upholds our ethical standards.

For more details, read our chapter on Our Business Model Canvas on [page 24](#).

Issue Number	Dimension	Issue	GRI Alignment	UNSDG Alignment
36	Leadership	Ethics and AML's Market Impact	GRI 102, GRI 205, GRI 419	


Central Bank of India strongly emphasises ethics and anti-money laundering (AML) measures, significantly impacting market integrity and customer trust. The Bank's leadership ensures adherence to ethical standards and compliance with AML regulations, fostering a culture of transparency and

accountability. Through rigorous AML practices, including advanced monitoring systems and continuous staff training, bank mitigates financial crimes and safeguards customer assets. This commitment to ethics and AML enhances bank's reputation and contributes to a stable and trustworthy financial environment, reinforcing its position as a leader in the banking sector.

For more details, read our Management Discussion & Analysis chapters and Corporate Governance Report.

Our Framework for Value Creation:

Central Bank's Business Model Canvas








Central Bank of India integrates commercial ambitions with social and sustainable goals. Using the Business Model Canvas by Osterwalder and Pigneur, we remain agile and responsive to regulatory, economic, and technological changes, ensuring effective and forward-thinking operations.

At Central Bank of India, a renowned public sector bank, we skilfully integrate our commercial ambitions with our social and sustainable goals. Our business model is best understood through the Business Model Canvas, a strategic management tool Alexander Osterwalder and Yves Pigneur developed. This framework allows us to remain agile and responsive to the evolving regulatory, economic, and technological landscape, ensuring our operations are both effective and forward-thinking.



Our partnership with the Government of India is fundamental. We collaborate with banks, fintech companies, NBFCs, and Business Correspondents for innovation and extending credit. With an international presence in select countries, we leverage advanced technologies like blockchain, AI, and machine learning to optimise processes and improve customer experiences.

Business Model Canvas Number	Explanation	GRI Alignment UNSDG Alignment	Bank's Strategic Priorities (see chapter on Business Priorities on page 24)
Key Partners 	<p>As a public sector bank, our partnership with the Government of India is fundamental. We also work closely with other banks and financial institutions for interbank transactions and loan syndications. Our collaborations with fintech companies enable us to innovate and enhance our digital services. Additionally, we maintain strategic partnerships with non-banking financial companies (NBFCs) and a network of Business Correspondents to extend credit. Our initiatives include leveraging advanced technologies such as blockchain, AI, and machine learning to optimise processes and improve customer experiences. We have also established an international presence in select countries.</p> <p>Bank strengthened its partnerships and alliances in FY2024 by collaborating with fintech companies to innovate and enhance digital services. Additionally, the Bank maintained strategic alliances with NBFCs and a network of Business Correspondents to extend credit and drive financial inclusion.</p> <p><i>For more information, read the chapters on Relationship and Social Capital on Page 96 and Intellectual Capital on Page 70</i></p>	<p>GRI 203</p>  	<p>Priority E: Strengthening digital capabilities</p> <p>Priority F: Driving customer-centric innovations</p> <p>Priority H: Promoting innovation through R&D</p> <p>Priority K: Building strategic partnerships and alliances</p> <p>Priority J: Advancing financial inclusion</p> <p>Priority P: Supporting clients' transition to sustainability</p>
Key Activities 	<p>We accept deposits from various clients, including retail, corporate, public-sector units, and government entities. We offer loans to multiple sectors, such as retail, agriculture, MSMEs, and large corporates, strongly emphasising financial inclusion, women's empowerment, and priority sectors. Digital innovation is at the heart of our operations, providing easy banking access and promoting financial inclusion. Additionally, we cater to high-net-worth clients and retail investors' investment and wealth management needs.</p> <p>In FY2024, bank significantly enhanced its manufactured capital through technological upgrades and process optimisations, reducing loan processing time by 30%, compliance monitoring time by 50%, and customer wait times at branches by 40%. The Bank expanded its network to over 4,500 branches and 4,084 ATMs, ensuring extensive accessibility and improved customer satisfaction through investments in ISO-certified data centres, digital platforms, and self-service kiosks.</p> <p><i>For more information, read the chapter on Financial Capital on Page 62.</i></p>	<p>GRI 201, GRI 203</p> 	<p>Priority A: Achieving operational excellence</p> <p>Priority B: Optimising balance sheet strategies</p> <p>Priority E: Strengthening digital capabilities</p> <p>Priority F: Driving customer-centric innovations</p> <p>Priority I: Improving clients' financial health</p> <p>Priority J: Advancing financial inclusion</p> <p>Priority M: Enhancing distribution channels</p>






Our Framework for Value Creation:

Central Bank's Business Model Canvas

We accept retail, corporate, public sector, and government client deposits. We offer loans across industries focusing on financial inclusion and women's empowerment. Digital innovation is central to enhancing accessibility and promoting financial inclusion. We also cater to high-net-worth clients and retail investors' investment and wealth management needs.

Business Model Canvas Number	Explanation	GRI Alignment UNSDG Alignment	Bank's Strategic Priorities (see chapter on Business Priorities on page 24)
Key Activities 	<p>Central Bank of India relies on critical resources to achieve its strategic goals. These include skilled employees who benefit from continuous development programs, ensuring excellent customer service and efficient operations. Financial resources, such as deposits, investments, and capital reserves, fund projects and ensure stability. Bank's extensive network of over 4,500 branches and 4,084 ATMs, along with comprehensive digital banking platforms, provides accessible services nationwide. Advanced technologies, including AI, machine learning, and ISO-certified data centres, enhance service delivery and operational efficiency. Additionally, bank's strong brand and reputation as one of India's oldest and most trusted public sector banks further bolster its market position.</p> <p><i>For more on this, read the chapter on Manufactured Capital on Page 48.</i></p>	<p>GRI 201</p>	<p>Priority A: Achieving operational excellence</p> <p>Priority C: Fostering a dynamic and engaged workforce</p> <p>Priority D: Enhancing talent development and retention</p> <p>Priority E: Strengthening digital capabilities</p> <p>Priority H: Promoting innovation through R&D</p> <p>Priority I: Improving clients' financial health</p> <p>Priority M: Enhancing distribution channels</p>
Value Proposition 	<p>Central Bank of India offers a robust value proposition to its customers by focusing on financial inclusion, innovation, and customer-centric services. The Bank provides comprehensive banking solutions across various segments, including retail, agriculture, and MSMEs. With a strong emphasis on digital transformation, bank ensures easy access to banking services through advanced digital platforms, enhancing customer convenience and satisfaction. Additionally, the Bank's commitment to sustainable and responsible banking practices attracts socially conscious investors, reinforcing its reputation as a trusted and reliable financial institution. bank's strategic initiatives aim to foster long-term growth and create significant stakeholder value.</p> <p>In FY2024, Central Bank of India's strategic focus on digital transformation and customer-centric services drove significant business growth across all segments. The Bank also enhanced its financial stability through effective risk management and sustainable banking practices.</p> <p><i>For more information, read the chapter on Intellectual Capital on Page 70.</i></p>	<p>GRI 203, GRI 302, GRI 305, GRI 418</p>	<p>Priority A: Achieving operational excellence</p> <p>Priority E: Strengthening digital capabilities</p> <p>Priority F: Driving customer-centric innovations</p> <p>Priority I: Improving clients' financial health</p> <p>Priority J: Advancing financial inclusion</p> <p>Priority O: Advancing sustainable banking practices</p> <p>Priority P: Supporting clients' transition to sustainability</p>







Business Model Canvas Number	Explanation	GRI Alignment UNSDG Alignment	Bank's Strategic Priorities (see chapter on Business Priorities on page 24)
Customer Relationships 	<p>Central Bank of India maintains strong customer relationships through a multifaceted approach that enhances satisfaction, loyalty, and engagement. Key strategies include personalised services tailored to meet diverse customer needs across retail, MSME, and corporate segments. The Bank leverages advanced digital platforms like mobile banking apps, internet banking, and AI-driven chatbots to provide seamless, convenient banking experiences, ensuring 24/7 service access.</p> <p>Bank is dedicated to financial inclusion, reaching underserved and unbanked populations through Business Correspondents and partnerships with non-banking financial companies (NBFCs). High-quality customer support is prioritised with dedicated helplines, branch services, and well-trained staff to promptly handle inquiries and resolve issues.</p> <p>The Bank values customer feedback, conducting regular surveys and feedback sessions to refine its products and services. Loyalty programs and special incentives, such as preferential rates and exclusive offers, reward long-term customers and encourage retention.</p> <p><i>For more on this, read the chapter on Manufactured Capital on Page 48, and Relationship & Social Capital on Page 96.</i></p>	<p>GRI 203, GRI 418</p>  	<p>Priority E: Strengthening digital capabilities</p> <p>Priority F: Driving customer-centric innovations</p> <p>Priority I: Improving clients' financial health</p> <p>Priority J: Advancing financial inclusion</p> <p>Priority K: Building strategic partnerships and alliances</p> <p>Priority M: Enhancing distribution channels</p>
Channels 	<p>Central Bank of India utilises a diverse range of channels to conduct its business and reach its customers effectively. These channels include:</p> <p>Branch Network: Bank operates over 4,500 branches across urban and rural areas, providing accessible banking services to a diverse customer base.</p> <p>ATMs: The Bank has deployed over 4,084 ATMs nationwide, ensuring 24/7 access to essential banking services.</p> <p>Digital Banking Platforms: Bank has made significant strides in expanding its digital footprint through internet banking, mobile banking apps (notably BHIM Cent UPI), and other digital services.</p> <p>Self-Service Kiosks: The Bank has deployed self-service kiosks for passbook printing and other services, reducing branch congestion and improving customer experience.</p>	<p>GRI 203</p> 	<p>Priority A: Achieving operational excellence</p> <p>Priority E: Strengthening digital capabilities</p> <p>Priority F: Driving customer-centric innovations</p> <p>Priority I: Improving clients' financial health</p> <p>Priority J: Advancing financial inclusion</p> <p>Priority K: Building strategic partnerships and alliances</p> <p>Priority M: Enhancing distribution channels</p>







Our Framework for Value Creation:

Central Bank's Business Model Canvas

Business Model Canvas Number	Explanation	GRI Alignment UNSDG Alignment	Bank's Strategic Priorities (see chapter on Business Priorities on page 24)
Customer Segments 	<p>Central Bank of India serves diverse customer segments, focusing on financial inclusion, digital innovation, and comprehensive service offerings. For retail customers, bank provides personal banking services such as savings accounts, personal loans, and credit cards, emphasising convenience through digital channels. The Bank supports SMEs and MSMEs with specialised solutions like business loans, working capital finance, and trade finance to enhance business operations. Corporate clients benefit from comprehensive services to meet complex financial needs, including corporate loans, cash management, and treasury services. The agricultural sector is catered to with various loans and credit facilities designed to support farming activities and agri-business ventures. High-net-worth individuals receive personalised banking and wealth management services, offering bespoke financial planning and investment advisory. Bank also partners with government bodies and PSUs, providing essential services such as transaction processing and project financing. In its commitment to financial inclusion, bank engages with underserved and unbanked populations through initiatives like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and financial literacy programs, utilising Business Correspondents and partnerships with NBFCs to extend services to rural and semi-urban areas. This comprehensive approach ensures financial empowerment and economic growth across all customer segments.</p> <p><i>For more information, read the Relationship & Social Capital chapter on Page 96.</i></p>	<p>GRI 201, GRI 203</p> 	<p>Priority A: Achieving operational excellence</p> <p>Priority E: Strengthening digital capabilities</p> <p>Priority F: Driving customer-centric innovations</p> <p>Priority I: Improving clients' financial health</p> <p>Priority J: Advancing financial inclusion</p> <p>Priority K: Building strategic partnerships and alliances</p>
Customer Segments 	<p>Central Bank of India utilises several key inputs to drive its operations and strategic initiatives. A primary input is human capital, comprising skilled and knowledgeable employees who undergo continuous training and development programs. This ensures they remain adept at providing exceptional customer service and maintaining operational efficiency. Financial resources, including deposits, investments, and capital reserves, are also crucial, as they fund various projects and ensure the Bank's stability.</p> <p>Bank's extensive network of over 4,500 branches and 4,084 ATMs, alongside comprehensive digital banking platforms, represents its significant physical resources. These resources ensure accessibility and convenience for customers nationwide. The Bank also heavily relies on technological assets, such as advanced digital platforms, AI, machine learning, and blockchain technology, which enhance service delivery and operational efficiency.</p> <p>Furthermore, bank leverages relational capital, including partnerships with fintech companies, non-banking financial companies (NBFCs), and a network of Business Correspondents to extend credit and innovate digital services. Lastly, bank's brand and reputation as one of India's oldest and most trusted public sector banks play a vital role in attracting and retaining customers reinforcing its market position. These diverse inputs collectively support bank's strategic goals and contribute to sustainable growth and long-term success.</p> <p><i>For more information, read the chapters on Human Capital on Page 112 and Intellectual Capital on Page 70.</i></p>	<p>GRI 201, GRI 203, GRI 404, GRI 418, GRI 419</p> 	<p>Priority A: Achieving operational excellence</p> <p>Priority C: Fostering a dynamic and engaged workforce</p> <p>Priority D: Enhancing talent development and retention</p> <p>Priority E: Strengthening digital capabilities</p> <p>Priority H: Promoting innovation through R&D</p> <p>Priority K: Building strategic partnerships and alliances</p> <p>Priority M: Enhancing distribution channels</p>



Central Bank of India focuses on financial inclusion, innovation, and customer-centric services. We provide comprehensive banking solutions across various segments, emphasising digital transformation for easy access and customer satisfaction. Our commitment to sustainable practices attracts socially conscious investors, reinforcing our reputation as a trusted financial institution.

Business Model Canvas Number	Explanation	GRI Alignment UNSDG Alignment	Bank's Strategic Priorities (see chapter on Business Priorities on page 24)
9	<p>Central Bank of India generates revenue through multiple streams, ensuring a robust and diversified income portfolio. Interest income from loans and advances constitutes the primary revenue stream, driven by retail, corporate, SME, MSME, and agricultural lending. The Bank also earns substantial interest from investments in government securities and other financial instruments. Fee-based income is another significant source, encompassing charges for account maintenance, transaction processing, ATM usage, and digital banking services. Bank leverages its extensive branch network to offer various financial products, including insurance and mutual funds, earning commissions and fees. Treasury operations contribute to revenue through trading in foreign exchange and capital markets, optimising the Bank's asset-liability management. The Bank's involvement in syndication and loan processing for large projects further boosts fee income.</p> <p>Additionally, bank benefits from co-lending partnerships with non-banking financial companies (NBFCs) and strategic alliances, which enhance its revenue through shared financial services. The Bank also engages in cross-selling opportunities, offering bundled products to existing customers, thereby increasing per-customer revenue. These diverse revenue streams enable bank to maintain financial stability, support operational growth, and invest in new initiatives to enhance customer service and drive long-term profitability continually.</p> <p><i>For more information, read the chapter on Financial Capital on Page 62.</i></p>	<p>GRI 201, GRI 203, GRI 302, GRI 305</p>    	<p>Priority A: Achieving operational excellence</p> <p>Priority B: Optimising balance sheet strategies</p> <p>Priority E: Strengthening digital capabilities</p> <p>Priority F: Driving customer-centric innovations</p> <p>Priority I: Improving clients' financial health</p> <p>Priority J: Advancing financial inclusion</p> <p>Priority K: Building strategic partnerships and alliances</p> <p>Priority M: Enhancing distribution channels</p>

Value Creation and Impact in FY2024

Input	
Financial Capital	<ul style="list-style-type: none"> » Business: ₹636,756 crore » Equity: ₹8,680 crore » Operating Profit: ₹2,549 crore » Deposits: ₹385,011 crore » CASA Deposits: ₹191,969 crore » Advances: ₹251,745 crore
Manufactured Capital	<ul style="list-style-type: none"> » Number of Branches: 4,500 branches » Number of ATMs: 4,084 ATMs » Digital Banking Resources: internet banking, mobile banking apps, ISO-certified data centres, self-service kiosks, and video KYC.
Intellectual Capital	<ul style="list-style-type: none"> » e-learning modules hours: 530 » Digital Loan Facilities Against PPF » Mobile Banking » Internet Banking
Human Capital	<ul style="list-style-type: none"> » Number of Employees: 31,610 » Female Employees: 26.43% » Total number of e-learning modules completed by employees: 126,399
Natural Capital	<ul style="list-style-type: none"> » Installed rooftop solar panels. » Implemented high-efficiency HVAC systems. » Integrated rainwater harvesting systems. » Focused on recycling programs. » Energy consumption 702 lakh kWh.
Social Capital	<ul style="list-style-type: none"> » Growth in UPI Transactions: 39.56% increase. » Total CSR Spend: ₹8.31 Crores. » Employee Training Coverage: 91.83%. » POS Terminals Increase: 40.85%.

Building a Brighter, Inclusive Future

Empowering the future, bank's strategic investments in customers, personnel, and communities drive sustainable growth. With impactful CSR activities, comprehensive healthcare and financial literacy programs, and high employee retention, we are committed to building a brighter, inclusive future for all.

Charting the Path of Sustainable Growth

Bank's strategic priorities and proactive measures ensure continued success and resilience. By leveraging foresight and innovation, the Bank is not just preparing for tomorrow but actively shaping it with strength and excellence. Our commitment to sustainable growth is unwavering.



Customizing Financial Solutions for Growth

Bank's commitment to tailoring comprehensive financial solutions has driven significant business growth across all segments. Through strategic capital allocation, cost efficiency, and digital transformation, the Bank ensures optimal resource utilization and superior customer service, fostering sustained growth and stability.

Shaping Tomorrow: Digital Empowerment and Sustainable Innovation

Bank's strategic integration of advanced technologies like AI and machine learning enhances service delivery and operational efficiency. By focusing on digital transformation and sustainable practices, Bank not only reduces environmental impact but also drives future growth and innovation.



Output



- » **Net Interest Income (NII):** ₹12,896 crore
- » **Net Profit:** ₹2,549 crore
- » **Return on Equity (ROE):** 9.53%
- » **Net NPA Ratio:** 1.23%
- » **Provision Coverage Ratio (PCR):** 93.58%
- » **Capital Adequacy Ratio (CRAR):** 15.08%

- » **Total Retail Loans:** ₹71,193 crore
- » **Total MSME Advances:** ₹49,870.32 crore
- » **Priority Sector Advances:** ₹118,237.20 crore
- » **Total Agriculture Advances:** ₹46,063.46 crore
- » **Total MSME Advances:** ₹49,870.32 crore
- » **Housing Loans:** ₹44,057 crore

- » 19,030 employees completed e-learning.
- » PPF digital loans increased inclusion.
- » Mobile banking adoption increased accessibility.
- » Internet banking boosted digital transactions.

- » **Productivity:** ₹20.14 crore
- » 1,105 executives participated in leadership development programs.

- » **Targeted net-zero emissions 2028.**
- » **Target to reduce GHG Scope 2 by 50% over five years.**

- » **Community Development Beneficiaries:** 20,000+ individuals.
- » **Compliance Issues:** Zero reported in FY2024.
- » **Financial Literacy**
- » **Website Traffic Increase:** 25%.

Outcome



The Bank achieved significant financial stability and growth. The advances grew by 15.60% to ₹251745 crore, while deposits increased by 7.16% to ₹385011 crore. Improved CRAR (15.08%) and CET1 ratio (12.46%) reflect enhanced financial stability. Net profit surged by 61.13%, ROA improved to 0.63%, and ROE to 9.53%, indicating efficient asset and equity utilization. The bank maintained a Credit-to-Deposit Ratio of 65.59%.

The bank expanded its network to over 4,500 branches and 4,084 ATMs, ensuring extensive accessibility. Investments in ISO-certified data centres, digital platforms, and self-service kiosks improved operational efficiency and customer satisfaction. Future plans focus on further digital transformation, including advanced AI and machine learning integrations to maintain a competitive edge.

In FY2024, bank's digital lending and platform initiatives significantly enhanced customer accessibility and operational efficiency. Digital loan facilities against Public Provident Fund (PPF) accounts allowed customers to apply and receive loan approvals online, benefiting rural and semi-urban areas by eliminating the need for branch visits. End-to-end digital sanctions for retail loans and improved digital marketing and lending platforms drove retail lending growth. Digital transformation efforts led to a 25% increase in digital transactions.

The Bank achieved notable human capital outcomes in FY2024. Female workforce participation increased to 26.43%, and the overall workforce grew to 31,610. New hire satisfaction rose to 88%, and voluntary turnover decreased by 20%. The bank improved onboarding expanded early career training by 10%, and enhanced mentorship programs by 20%. Leadership development, digital skills training, and wellness programs boosted engagement and retention, raising the overall retention rate to 89%. These initiatives supported bank's strategic goals and ensured a motivated, skilled workforce.

The Bank advanced its natural capital in FY2024 by sanctioning loans for renewable energy projects and for green bonds. A comprehensive governance structure and ESG policy guided environmental strategies. Key initiatives included integrating renewable energy, improving energy efficiency, and promoting water conservation. Digital transformation efforts reduced paper usage and energy consumption. Strategic fintech partnerships and green technologies further supported sustainability.

The Bank achieved significant social capital outcomes in FY2024. The bank invested ₹8.31 crores in CSR activities. The CSR spending at Central Bank of India has significantly contributed to enhancing the bank's community engagement and societal impact. The Bank's active involvement in CSR also bolsters its corporate reputation, strengthens stakeholder relationships, and enhances employee satisfaction by aligning with values of corporate responsibility and community development.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Transforming Together:

Our Approach to Sustainability



Our corporate sustainability and ESG approach is cantered on doing well by doing good, recognizing that responsible financing can have a positive societal impact.

At the Central Bank of India, sustainability is more than a commitment—it's a core principle guiding every aspect of our operations. By seamlessly integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into our business model, we are driving impactful change and fostering inclusive growth. From investing in renewable energy projects to supporting underbanked communities with tailored financial products, our actions reflect our dedication to a sustainable future. With a robust governance framework ensuring transparency and ethical practices, bank is not just supporting India's economic growth but also leading the charge towards a greener, more equitable world.

Approach to Sustainability

GRI 102-2

At the Central Bank of India, our approach to sustainability is rooted in integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into every facet of our operations. We are committed to reducing our environmental footprint through strategic investments in renewable energy projects, such as solar and wind power, and by implementing energy-efficient practices across our branches. Socially, we focus on inclusive growth by supporting financial inclusion initiatives and providing tailored financial products to underbanked communities.



Governance is upheld by our robust compliance and risk management frameworks, ensuring transparency, accountability, and ethical business practices.

To support India's growth into a strong economy, robust banking institutions are essential. Bank is committed to being at the forefront of this transformation, leveraging our strength to do strategic good. Our corporate sustainability and ESG approach is centered on doing well by doing good, recognizing that responsible financing can have a positive societal impact. Together, we aim to deliver value to all our stakeholders by responsibly deploying finance to support individuals and businesses, acting with empathy and integrity, and championing innovation and sustainability for the common good and long-term benefits.

We help our customers achieve their aspirations through our products, services, and expertise, while supporting our employees' health and well-being, enabling career growth, and empowering them to provide excellent service. Our long-term success is tied to the progress of our communities and the preservation of our environment, ensuring that our actions benefit society and the planet. For our investors, we are building a robust and diversified business that delivers sustainable returns, demonstrating our commitment to ethical growth and responsible stewardship. By aligning our actions with the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs), bank not only fosters economic stability but also contributes to a sustainable future for all stakeholders.

To know more about our complete ESG accomplishments during FY2024, read the following chapters for more detail:

Natural Capital	Page 82
Relationship & Social Capital	Page 96
Human Capital	Page 112
Manufactured Capital	Page 48
Financial Capital	Page 62
Intellectual Capital	Page 70

ESG Oversight and Governance

GRI 102-18, 19, 20

At the Central Bank of India, ESG oversight and governance are integral to our commitment to sustainable and responsible banking. The bank has established a comprehensive governance structure to manage ESG-related risks and opportunities effectively. A dedicated Task Force on ESG was formulated to design the bank's ESG strategy and create a Vision Document to guide the implementation process. This task force oversees the deployment of ESG initiatives through identified nodal officers in each department and a steering sub-committee at the zonal level.

The Central Level Committee on ESG, including top management, conducts periodic reviews of the implementation strategy, ensuring alignment with global sustainability mandates. This committee is responsible for overseeing sustainability-related risks and opportunities, setting targets, and monitoring

With a robust governance framework ensuring transparency and ethical practices, bank is not just supporting India's economic growth but also leading the charge towards a greener, more equitable world.

progress. The governance framework also includes regular updates from the ESG Task Force to the Central Level Committee, which helps maintain transparency and accountability in the bank's sustainability journey.

Incorporating ESG principles into our core operations, bank has developed a metrics system to identify and monitor ESG risks, ensuring these factors are considered in all business decisions. This approach supports the bank's broader goals of achieving net-zero emissions by 2028 and aligning with the Paris Climate Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs). To achieve these ambitious goals, bank plans to replace diesel generators with energy-efficient inverters and transition all petrol and diesel vehicles to electric or CNG-based within the next five years. Additionally, the bank is focused on reducing its Scope 2 emissions by 50% over the next five years through the adoption of renewable energy sources and energy-efficient measures. Through this robust governance framework, bank ensures that its operations not only meet regulatory requirements but also contribute positively to environmental stewardship and social responsibility.



Championing Ethical Excellence:

Dedicated to Fair Practices and Customer-Centric Growth

At the Central Bank of India, we are unwavering in our commitment to fair and honest business practices, placing customers at the heart of all our operations. Guided by our core values and ethical standards, we prohibit unethical behaviour and ensure impartial and equitable credit decisions. Our dedication to maintaining integrity, transparency, and inclusivity fosters a trustworthy banking environment for all stakeholders. Through rigorous board oversight, comprehensive training programs, and strategic sustainable financing, we align our operations with global standards and support the United Nations Sustainable Development Goals, driving both ethical and sustainable growth.

Honest Business Practices

GRI 102-16

The Central Bank of India remains steadfast in its commitment to fair and honest business practices, placing customers at the core of all operations. Unethical practices are strictly prohibited, ensuring alignment with our core values and ethical standards. Our credit decisions are made impartially and equitably, with no regard to caste, ethnicity, colour, religion, sex, age, marital status, sexual orientation, gender identification, military status, disability, public assistance status, familial status, or a consumer's exercise of credit protection rights. This commitment reflects our dedication to maintaining integrity, fairness, and transparency in all our business dealings, fostering a trustworthy and inclusive banking environment for all stakeholders.

Board Oversight and Ethical Governance

GRI 102-18

Our Board and its committees steer our enterprise-wide strategies and policies, fostering a corporate culture that strictly adheres to laws and regulations against unethical, discriminatory, or predatory practices. This governance framework ensures that our business operations align with our ethical standards, promoting trust and integrity throughout the organization. The Bank's core values emphasize ethical standards, transparency, accountability, and responsiveness, which are pivotal in maintaining high professional and personal integrity among all employees.

Comprehensive Training and Development

GRI 404-1

The Central Bank of India is dedicated to continuous learning and skill enhancement through a comprehensive training and development program. Conducted via Officers' Training Colleges and Centres for Learning and Development (CLDs), these programs cover various topics and include e-learning modules accessible through the Cent Swadhyay App. In collaboration with prestigious institutions, leadership development initiatives have enhanced the strategic and managerial skills of over 1,100 officers. Bank also prioritizes capacity building with provisions for certifications and regular knowledge-sharing sessions. These efforts ensure bank's workforce is equipped to handle the evolving challenges of the banking sector, promoting long-term success and sustainability.


How Our Financing Supports the Sustainable Development Goals

GRI 203-2

The Central Bank of India is deeply committed to supporting the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs) through strategic financing and sustainable practices.



At the Central Bank of India, we are unwavering in our commitment to fair and honest business practices, placing customers at the heart of all operations.



ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

Our efforts reflect our dedication to environmental stewardship and social responsibility, aligning our operations with global standards like the Paris Climate Agreement.

Initiatives like the Cent Go Green scheme and Cent Solar fund electric vehicles and solar energy solutions, emphasizing our focus on green technologies and infrastructure.

Our comprehensive strategy integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) and climate risk assessments into our overall risk management framework. This approach ensures environmental risks are considered in lending decisions, enhancing the resilience of our loan portfolio. We actively develop green and sustainability-linked loans, incentivizing borrowers to meet specific environmental performance criteria. Adopting advanced data analytics and scenario analysis ensures our operations are resilient to climate-related disruptions.

Bank's digital transformation initiatives have significantly contributed to

operational sustainability. We have integrated renewable energy solutions into our operations, such as installing rooftop solar panels and energy-efficient LED lighting systems across various branches. Efforts to reduce paper usage and enhance energy efficiency through digital banking solutions demonstrate our dedication to minimizing our environmental footprint.

Additionally, bank has launched several green finance initiatives, including the Cent Energy Efficiency Scheme for MSMEs, Cent Go Green for electric vehicles, and Cent Kusum for solar equipment. These schemes promote eco-friendly solutions and support the transition to a sustainable economy. Our green fixed-deposit product, channels proceeds towards funding specific green projects, offering customers a direct way to contribute to environmental sustainability.


By aligning our financing strategies with the UNSDGs, the Central Bank of India supports global efforts to



mitigate climate change while fostering inclusive and sustainable growth. Our commitment to integrating ESG principles into our core business operations ensures we remain a leader in promoting sustainable development through responsible banking practices.

Manufactured Capital:

Building the Future through Customer Centricity and Technology



<p>UNSDG:</p>	<p>Business Pillars:</p> <p>Material Issues:</p> <p>1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 43</p>	<p>Business Model Canvas:</p> <p>GRI Alignment:</p> <p>201, 203, 205, 302, 303, 305, 306, 401, 403, 404, 406, 413</p>
----------------------	--	---



Manufactured capital refers to the physical assets and infrastructure that an organization utilizes to deliver its services. In the context of the Banking sector, this includes the branch network, ATMs, data centres, and digital platforms. These assets are crucial for ensuring operational efficiency and enhancing customer service delivery. For Central Bank of India manufactured capital forms the backbone of its extensive service network, enabling the Bank to provide accessible and efficient banking services to a diverse customer base.

Manufactured capital underpins Bank’s ability to maintain high standards of operational efficiency. The Bank’s widespread branch network and strategically located ATMs ensure that customers can easily access banking services, regardless of location. This accessibility is critical for catering to the needs of various customer segments, including those in remote and underserved areas. Additionally, integrating advanced technological solutions into Bank’s operations, such as the Core Banking System (CBS), enhances service delivery by enabling real-time processing of transactions and seamless connectivity across all branches.

In the digital age, the significance of manufactured capital extends to the Bank’s digital platforms and IT infrastructure. Bank’s investment in internet banking, mobile banking apps, and ISO-certified data centres ensures that the Bank can meet the evolving needs of its customers while maintaining the highest standards of data security and operational reliability. These digital assets improve the convenience and efficiency of banking services and support the Bank’s strategic goals of financial inclusion and customer satisfaction.

Overall, manufactured capital is vital for Bank’s operational success and ability to deliver superior banking services. By continuously investing in and upgrading its physical and digital infrastructure, Bank’s ensures that it remains competitive and capable of meeting the challenges and opportunities of the modern banking environment.

FY2024 Financial Performance Snapshot

Central Bank of India demonstrated robust performance across its diverse business segments in FY2024, including retail, agriculture, and MSME sectors. The retail segment saw significant growth, with personal loans increasing by 23.87%, home loans by 13.57%, and auto loans by 2.92%, while the agriculture segment experienced a 9.39% rise in loan disbursements. The MSME segment also thrived, showing a 24.99% loan increase due to streamlined approval processes. Efficient capital management was evident through the Bank’s strategic capital-raising initiatives, including ₹1,500 crore raised through equity and bonds, bolstering its financial base and supporting growth. Liabilities management was robust, with the

23.87%

Growth in Personal Loans

Bank's retail segment saw personal loans grow by 23.87%, reflecting the Bank's successful focus on personalized financial products.

Bank maintaining a strong Liquidity Coverage Ratio (LCR) of 205.09% and a Net Stable Funding Ratio (NSFR) of 154.93%, showcasing its ability to meet short-term and long-term obligations. Return on Assets (ROA) improved to 0.63%, and shareholders enjoyed significant capital gains, with the stock price increasing by 160% over the year, reflecting the Bank’s strong financial strategies and operational efficiency. For a detailed analysis of the Bank’s financial performance and strategic initiatives, please refer to the Chapter on Financial Capital on [Page 62](#).



4,500+

Branches Nationwide

The Bank operates over 4,500 branches across India, ensuring accessible banking services for diverse customer segments in both urban and rural areas.

GRI 203-1

Branch Network

Central Bank of India operates one of the most extensive branch networks in the country, underscoring its commitment to providing accessible banking services to a diverse customer base. With over 4,500 branches strategically located across India, the Bank ensures that banking services are available in both urban and rural areas. This widespread presence allows the Bank to cater to various customer segments, including individual consumers, small businesses, and large corporations.

The strategic placement of branches enables us to serve customers effectively, addressing the financial needs of different communities. Urban branches are typically equipped to handle a high volume of transactions, offering a range of services such as personal banking, corporate banking, and wealth management. These branches are often located in business districts, residential areas, and shopping centres, ensuring convenience for customers who require frequent banking services.

In contrast, rural branches focus on promoting financial inclusion by providing essential banking services to underserved and remote areas. These branches play a crucial role in implementing government schemes, disbursing agricultural loans, and facilitating small savings accounts. By extending its reach to rural regions, bank helps bridge the gap between urban and rural banking, fostering economic growth and stability in less-developed areas.

The branch network also supports various community initiatives and educational programs to improve financial literacy. Through regular customer engagement activities, workshops, and financial counselling sessions, bank empowers customers with the knowledge to make informed financial decisions. This approach enhances customer satisfaction and builds long-term relationships based on trust and reliability.



No matter where you are, our expansive network ensures that reliable banking services are always within reach, catering to diverse landscapes and bringing banking to every corner of society.



Automated Teller Machines (ATMs)

In addition to its extensive branch network, Central Bank of India has deployed a vast number of Automated Teller Machines nationwide. The Bank operates over 4084 ATMs strategically distributed to ensure maximum accessibility and convenience for its customers. These ATMs are located in high-traffic areas such as shopping malls, transportation hubs, educational institutions, and residential neighbourhoods.

The widespread deployment of ATMs is critical in reducing customer wait times at branches, allowing for round-the-clock access to essential banking services. Customers can perform a variety of transactions at ATMs, including cash withdrawals, balance inquiries, fund transfers, and bill payments. This 24/7 availability ensures customers can access their funds whenever needed, significantly enhancing the customer experience.

ATMs also support the Bank's digital banking initiatives by providing services such as mobile number registration, Aadhaar seeding, and mini statements. These features enable customers to manage their banking needs efficiently without visiting a branch, promoting the use of digital channels and reducing the dependency on physical branch visits.

The Bank continuously upgrades its ATM network to incorporate the latest technology and security features. This includes installing anti-skimming devices, biometric authentication, and real-time monitoring systems to prevent fraud and ensure the safety of customer transactions. By investing in advanced ATM technology, the Bank enhances the reliability and security of its banking services, fostering customer trust and confidence.

In summary, the comprehensive branch network and extensive ATM deployment of Central Bank of India demonstrate its commitment to providing accessible, efficient, and secure banking services. These infrastructure elements are crucial in meeting the diverse needs of its customers, ensuring financial inclusion, and driving the Bank's strategic growth. Through continuous investment and innovation in its infrastructure, the Bank is well-positioned to maintain its leadership in the Banking industry and deliver exceptional value to its stakeholders.

4,084 ATMs

Bank's extensive ATM network

Strategically located in high-traffic areas, provides 24/7 access to essential banking services, reducing customer wait times at branches.

GRI 203-1



At the forefront of banking evolution, we integrate a customer-first approach with breakthrough technologies, ensuring that every interaction and transaction is seamlessly tailored to meet customer needs.

GRI 418-1

Technological Assets:

Core Banking System (CBS)

Central Bank of India has an integrated robust Core Banking System (CBS) across all its branches, facilitating seamless banking operations. This integration is pivotal for ensuring all branches operate on a unified platform, providing consistent and efficient customer service. The CBS allows real-time processing of transactions, enabling customers to access and manage their accounts from any branch, regardless of their home branch location. This system significantly enhances service delivery by reducing processing times and minimizing errors associated with manual entry.

The implementation of CBS has resulted in numerous operational efficiencies. For instance, it has streamlined back-office processes such as fund transfers, account management, and reconciliation, reducing the workload on branch staff and allowing them to focus more on customer-facing activities. Additionally, CBS supports various digital banking channels, integrating seamlessly with internet and mobile banking platforms, thus expanding the Bank’s service offerings and improving customer convenience.

CBS also plays a critical role in compliance and risk management by ensuring that all transactions and customer interactions are recorded and monitored in real time. This capability helps us to adhere to regulatory requirements and promptly detect potential fraud or irregularities, safeguarding the Bank’s and its customers’ interests.

30%

Reduction in Loan Processing Time

By automating decision-making systems, bank has reduced loan processing time by 30%, leading to faster loan disbursement and increased customer satisfaction.



Building a future where banking meets innovation—every transaction, every interaction is at your fingertips, transforming how you experience financial services with state-of-the-art digital infrastructure.





Central Bank of India introduced its UPI ATM, during the Global Fintech Festival #GFF23, in collaboration with NPCI. Fintech companies from 125+ countries joined GFF23, and we were honored to launch this ATM with UPI functionality at the event.



Transforming everyday banking with our Core Banking System, where efficiency and reliability converge, creating a streamlined experience that enhances both service quality and customer satisfaction.

Technological Assets:

Digital Platforms

The Bank has made significant strides in expanding its digital footprint through various platforms, including internet banking, mobile banking apps, and other digital services. The Bank's internet banking platform offers a comprehensive suite of services, allowing customers to perform various transactions from the comfort of their homes, including fund transfers, bill payments, and account management. This platform is designed to be user-friendly, with intuitive navigation and robust security features to protect customer data and transactions.

The mobile banking app, notably the BHIM Cent UPI, has revolutionized how customers interact with the Bank. It supports UPI payments, enabling instant money transfers between accounts using a mobile device. The app also provides features such as balance inquiries, mini statements, and transaction history, making it a one-stop solution for customers' banking needs on the go. The integration of UPI Lite functionality further enhances the user experience by allowing smooth, fast, low-value transactions without needing a PIN.

These digital platforms have significantly expanded bank's reach, making banking services accessible to a broader customer base, including remote and underserved areas. These platforms have improved customer satisfaction and loyalty by offering round-the-clock access to banking services. Moreover, the data collected through these digital channels provides valuable insights into customer behaviour and preferences, enabling the Bank to tailor its products and services to meet customer needs better.

GRI 418-1

25%

Increase in Digital Transactions

In FY2024, digital transactions increased by 25%, demonstrating the growing adoption of bank's digital banking solutions.

GRI 418-1 **Technological Assets:**

Data Centres

The Bank's operates state-of-the-art ISO-certified data centres, crucial for maintaining the Bank's IT infrastructure. These data centres ensure high operational efficiency and data security levels, supporting the Bank's core banking operations and digital platforms. The ISO certification reflects the Bank's adherence to international standards of quality and security, assuring customers and stakeholders about the safety and reliability of its services.

The data centres are equipped with advanced data storage, processing, and management technologies, enabling the Bank to handle large volumes of transactions efficiently. They also incorporate robust disaster recovery capabilities, ensuring business continuity during a system failure or other disruptions. This infrastructure is critical for supporting the Bank's digital transformation initiatives, providing a secure and reliable foundation for new technologies and services.

By maintaining these high standards in its data centres, bank can confidently offer secure and uninterrupted customer services, fostering trust and reliability in its operations. The continuous investment in upgrading and maintaining these facilities demonstrates the Bank's commitment to leveraging technology to enhance its service delivery and operational resilience.

Through its comprehensive technological assets, including the Core Banking System, digital platforms, and ISO-certified data centres, Central Bank of India continues to lead in providing innovative, efficient, and secure banking solutions. These technology investments enhance the customer experience and ensure the Bank's competitiveness and operational excellence in the rapidly evolving financial sector.

ISO-Certified

Data Centers

Your Bank state-of-the-art ISO-certified data centres ensure high operational efficiency and data security, supporting core banking operations and digital platforms.





Innovations and Upgrades:

Self-Service Kiosks

Central Bank of India has significantly improved customer experience and operational efficiency by deploying self-service kiosks, including self-service passbook printing kiosks. These kiosks are strategically installed across various branches nationwide, allowing customers to print their passbooks independently without needing assistance from branch staff. By enabling customers to perform this task independently, bank has reduced congestion within branches, thereby enhancing the overall customer experience.

The self-service kiosks have user-friendly interfaces that guide customers through printing their passbooks. This innovation saves customers time and allows branch staff to focus on more complex and value-added services. Reducing manual passbook printing tasks has led to more efficient use of human resources, contributing to increased branch productivity.

Additionally, has plans to expand the functionality of these self-service kiosks to include other services such as balance inquiries, mini statements, and fund transfers. By continually upgrading the capabilities of these kiosks, the Bank aims to provide a comprehensive self-service banking solution that meets the evolving needs of its customers.



Where security meets convenience—experience the next generation of online banking, meticulously designed for everyone, ensuring safe, seamless, and accessible financial interactions.

GRI 203-1

40%

Reduction in Customer Wait Times

Self-service kiosks and enhanced digital banking services have reduced customer wait times by 40%, improving overall customer experience.



GRI 203-1

Innovations and Upgrades:

Video KYC

Bank has implemented Video KYC (Know Your Customer) for remote account opening in response to the growing demand for digital banking solutions. This innovative approach allows customers to complete the KYC process via a video call with a bank representative, eliminating the need to visit a branch in person. The implementation of Video KYC has significantly enhanced customer convenience, especially during times when physical interactions are limited, such as during the COVID-19 pandemic.

Video KYC leverages advanced technology to verify customer identity and documentation in real-time, ensuring compliance with regulatory requirements. The process is secure, with robust encryption and verification protocols to protect customer data. By offering this service, bank improves customer experience and streamlines the account opening process, making it faster and more efficient.

The introduction of Video KYC reflects bank's commitment to adopting innovative solutions that align with changing customer expectations and regulatory standards. This initiative is part of a broader digital transformation strategy aimed at enhancing the accessibility and efficiency of banking services.

GRI 203-1

Innovations and Upgrades:

Other Innovations

The Bank continues exploring and implementing various innovations to enhance its service offerings and operational efficiency. One notable example is the integration of UPI Lite functionality into the BHIM Cent UPI application. This integration allows for smoother and faster low-value transactions, enhancing the convenience for users who frequently make small payments. UPI Lite enables customers to conduct transactions without needing a PIN, speeding up the payment process while maintaining security standards.

Another significant innovation is the deployment of AI-based chatbots, such as Cent Chanakya, which assist branch staff in providing precise responses to customer queries. These chatbots improve service efficiency by automating responses to common inquiries, allowing staff to focus on more complex customer needs. The result is a marked improvement in customer satisfaction, as queries are resolved more quickly and accurately.

The Bank commitment to innovation is also evident in its efforts to leverage predictive analytics models to foresee customer churn. By analyzing patterns in customer behaviour, these models help the Bank proactively engage with at-risk customers and offer tailored products and services to retain them. This proactive approach improves customer retention rates and enhances the overall customer experience.

The Bank demonstrates its dedication to leveraging technology to drive operational excellence and provide superior banking services through these and other innovations. By continuously investing in and adopting new technologies, the Bank ensures that it remains at the forefront of the Banking industry, meeting the evolving needs of its customers and maintaining its competitive edge.



Digital at the core, our banking services erase borders, offering freedom and flexibility to manage your finances anywhere, anytime, facilitating a globally connected customer experience.



Environmental Sustainability

Central Bank of India is committed to sustainability through various green initiatives that enhance operational efficiency and reinforce corporate social responsibility. These initiatives include the development of energy-efficient branches and the implementation digital processes aimed at reducing paper usage. By focusing on energy efficiency, the Bank reduces its carbon footprint, contributing to environmental conservation. Digital processes cut down on paper consumption and streamline operations, leading to significant cost savings and improved service delivery.

These efforts are part of the Bank's broader strategy to promote environmental sustainability and support global sustainability goals. To learn more about the Bank's extensive sustainability practices and their positive impacts, please refer to the Chapter on Natural Capital on [Page 82](#).

10%

Increase in Agricultural Loan Disbursements

Targeted schemes and subsidies boosted agricultural loan disbursements by 10%, supporting rural and semi-urban economic growth.

GRI 302-1

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



25%

Increase in Digital Transactions

In FY2024, digital transactions increased by 25%, demonstrating the growing adoption of bank's digital banking solutions.



GRI 201-1

Digital Transformation Initiatives:

Integration of UPI Lite and Digital Loan Facilities Against PPF

Central Bank of India has undertaken several successful digital transformation initiatives that have significantly enhanced customer satisfaction and operational efficiency. One notable project is the integration of UPI Lite functionality into the BHIM Cent UPI application. This integration allows customers to perform smooth and fast low-value transactions without needing a PIN. The convenience and speed of UPI Lite have led to increased adoption of digital payments among customers, aligning with bank's objective of promoting a cashless economy. The UPI Lite feature has improved transaction efficiency and enhanced customer experience by providing a seamless payment process.

Another key initiative is the introduction of digital loan facilities against Public Provident Fund (PPF) accounts. This service allows customers to apply for loans online using their PPF accounts as collateral, eliminating the need for physical visits to the Bank. The entire process, from application to disbursement, is conducted digitally, significantly reducing processing time and enhancing customer convenience. This initiative has been particularly beneficial in expanding financial services to rural and semi-urban areas, where physical bank branches might be limited. The ease and accessibility of digital loan facilities have led to higher customer satisfaction and increased financial inclusion. Bank has implemented various process optimization strategies that have led to significant gains in efficiency and cost savings.



Invested in excellence—our robust IT infrastructure underpins a seamless service experience that you can trust, laying the foundation for unmatched reliability and operational efficiency



Streamlined Loan Processing

By applying Lean principles, bank has automated the decision-making systems for loan approvals, reducing the need for manual intervention. The streamlined process has also allowed branch staff to focus on more value-added services, improving overall operational efficiency.

Efficient Branch Operations

The introduction of self-service kiosks and enhanced digital banking services has reduced customer wait times. These changes have also lowered operational costs associated with branch management, as fewer resources are required to handle basic banking transactions. These technologies have freed up staff to engage in more complex tasks and provide better customer service.

Automated Compliance Monitoring

Bank's implementation of an automated compliance monitoring system using AI and machine learning has significantly reduced compliance monitoring time. This

system tracks and analyses compliance data in real time, minimizing the risk of regulatory penalties and leading to significant cost savings. The automation has improved the accuracy of compliance checks and allowed compliance officers to focus on more critical issues.

Workflow Automation in the Back Office

The Bank's adoption of workflow automation tools has streamlined various back-office tasks, such as account reconciliation and document processing. This automation has reduced processing time and operational costs, enhancing overall efficiency. The reduced manual workload has allowed back-office staff to focus on more strategic activities, further improving operational effectiveness.

Through these digital transformation initiatives and process optimization efforts, the Bank continues to enhance its service delivery, operational efficiency, and customer satisfaction, positioning itself as a leader in the Banking industry.



Predictive Analytics

for Customer Retention

Bank leverages predictive analytics models to foresee customer churn, allowing proactive engagement and tailored product offerings to retain customers.



GRI 201-1, GRI 201-2

Future Plans and Strategic Priorities

Upcoming Projects

Central Bank of India has several future projects to enhance its manufactured capital. A key focus is expanding the branch network to ensure greater accessibility and convenience for customers across diverse regions. By strategically opening new branches in underserved areas, bank aims to increase its reach and provide essential banking services to a broader customer base. Additionally, there are plans to increase the number of Automated Teller Machines (ATMs) to provide round-the-clock banking services and reduce wait times at branches. This expansion will include deploying ATMs in high-traffic locations such as shopping centres, transportation hubs, and residential areas.

Further digitizing banking services is another significant aspect of bank's future projects. The Bank intends to enhance its digital platforms, including internet banking and mobile banking apps, to offer more comprehensive and user-friendly services. This includes introducing new features and functionalities that cater to customers' evolving needs, ensuring seamless and efficient service delivery. The focus on digital transformation aims to improve customer experience, increase operational efficiency, and maintain bank's competitive edge in the Banking industry.



Investment in Technology

Bank's plans to continue its investment in cutting-edge technologies to stay ahead in the competitive banking landscape. The Bank is committed to integrating advanced technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and blockchain into its operations. These technologies will be leveraged to enhance various banking processes, from customer service and fraud detection to compliance monitoring and risk management.

Moreover, Bank's will upgrade its IT infrastructure, including its ISO-certified data centres, to ensure robust security and operational efficiency. This will involve adopting the latest cybersecurity measures to protect customer data and maintain the integrity of the Bank's digital platforms. By continuously investing in technology, We aims to drive innovation, improve service delivery, and support its strategic growth objectives.

Manufactured capital is critical in our Bank's operations, contributing significantly to the Bank's strategic goals. The extensive branch network and ATM deployment ensure accessibility and convenience for customers, while digital platforms enhance service delivery and operational efficiency. The Bank's ongoing investment in technology and infrastructure supports its commitment to innovation and excellence.

In summary, Our plans and strategic priorities highlight the importance of manufactured capital in driving future success. By expanding its branch network, increasing the number of ATMs, and further digitizing banking services, The Bank aims to meet the evolving needs of its customers and maintain its leadership in the Banking industry. Continuous investment in cutting-edge technologies will ensure that the Bank remains competitive and can deliver superior banking solutions. The focus on manufactured capital will enhance operational capabilities and support sustainable growth and long-term success.




Bank's commitment to integrating advanced technologies like AI, ML, and blockchain into its operations enhances customer service, fraud detection, compliance monitoring, and risk management, ensuring the Bank stays ahead in the competitive banking landscape.



Continuous investment in cutting-edge technologies and IT infrastructure upgrades, including ISO-certified data centers and the latest cybersecurity measures, enables bank to drive innovation, improve service delivery, and support strategic growth objectives.

Financial Capital: Strengthening Foundations and Resilience



UNSDG:



Business Pillars:



Material Issues:

1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 43

Business Model Canvas:



GRI Alignment:

201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 203-1, 203-2, 301-1, 302-1, 302-5, 305-1



The Central Bank of India has showcased robust financial growth and stability through strategic initiatives and effective management, perfectly aligning with our theme, "Building Stronger, Growing Smarter." In FY2024, our capital structure saw consistent improvements, with growth in Tier 1 capital and better capital adequacy ratios, reflecting our sustainable growth focus. Effective liquidity management is evident from our impressive Liquidity Coverage Ratio (205.09%) and Net Stable Funding Ratio (154.93%), ensuring financial stability and showcasing our strategic growth.

Significant business growth in retail, agriculture, and MSME segments drove overall expansion. We raised substantial capital through equity and bond issuances, supporting growth and enhancing risk management. Our investment strategies have optimised returns despite market volatility, reflecting our commitment to intelligent growth. Operational efficiency improvements through digital transformation and cost management resulted in higher Return on Assets (0.63%) and Return on Equity (9.53%). These efforts translated into significant shareholder value, marked by capital gains and consistent dividend payouts. Our rigorous risk management and regulatory compliance further reinforce financial health. Notable reductions in Gross NPA (from 8.44% to 4.5%) and Net NPA (1.77% to 1.23%) highlight our commitment to sustaining trust.

Our strategic priorities and proactive measures position the Central Bank of India for continued success and resilience, ensuring we capitalise on emerging opportunities and navigate future challenges. This aligns with our promise to evolve with foresight and intelligence—empowering growth, sustaining trust, and forging a robust future. At Central Bank of India, we are not just preparing for tomorrow; we're actively shaping it with strength, innovation, and excellence.

Capital Structure

These trends across FY2022, FY2023, and FY2024 in the Bank's capital structure highlight the progression and strengthening of the Central Bank of India's capital structure and regulatory compliance. The consistent growth in Tier 1 capital, improvement in capital adequacy ratios, and adherence to Basel III norms reflect the Bank's robust financial health and strategic focus on sustainable growth.

Capital Composition (Tier 1 and Tier 2 Capital)

The Central Bank of India's capital structure is categorised into Tier 1 and Tier 2 capital, reflecting the Bank's financial strength and capacity to absorb losses. Over the past three fiscal years, there has been a consistent increase in Tier 1 capital, which signifies the Bank's growing core financial strength. The slight decline in Tier 2 capital in FY2023, followed by an increase in FY2024, demonstrates the Bank's strategic focus on bolstering core equity while maintaining supplementary capital at a stable level.



Effective liquidity management and strategic capital-raising initiatives have fortified the Bank's financial base and ensured long-term resilience.

(LCR: 205.09%, NSFR: 154.93%, capital raised: ₹1500 crore)



Significant capital gains and rising dividends highlight the Bank's dedication to enhancing shareholder value and investor confidence.

(Stock price increase: 147%)



₹1,500 Crore

Capital Raised through Bond Issuance in FY2024

Supports growth initiatives and enhances risk management frameworks.



Capital Composition

(₹ in crore)

Particulars	FY2024	FY2023	FY2022
Common Equity Tier 1 (CET 1)	₹ 8,680	₹8,680	₹8,680
Additional Tier 1 (AT 1)	NIL	NIL	NIL
Tier 1 Capital (CET 1 + AT 1)	₹8,680	₹8,680	₹8,680
Tier 2 Capital	₹3,000	₹2,500	₹2,500

Capital Adequacy Ratios (CAR)

Ratio	FY2024	FY2023	FY2022
CET 1 Ratio	12.46%	12.11%	11.48%
Tier 1 Ratio	12.46%	12.11%	11.48%
Total Capital Ratio (CRAR)	15.08%	14.12%	13.84%
Leverage Ratio	5.13%	4.73%	4.25%

The increase in CET 1 and Tier 1 ratios over the three years signifies an improvement in the Bank's capital quality and capacity to absorb potential losses. The upward trend in the Total Capital Ratio indicates a strengthened overall capital position, while the Leverage Ratio's improvement reflects enhanced financial stability and reduced risk exposure.



The Bank's diversified investment portfolio and prudent financial strategies have yielded stable returns despite market volatility.

(Total investment portfolio: ₹1,49,538 crore, yield on investments FY2024: 6.57%)



Sources of Capital

The Bank's capital is primarily sourced from equity, retained earnings, and reserves. This diversified approach ensures a robust capital foundation, enabling the Bank to support growth initiatives and withstand economic fluctuations.

Source of Capital	Description
Equity Capital	Directly issued common shares.
Retained Earnings	Profits retained in the business after dividend payouts.
Reserves	Various statutory and non-statutory reserves, including revaluation reserves and capital reserves.

Regulatory Capital Requirements (Basel III Norms)

Adherence to Basel III norms ensures the Bank maintains adequate capital levels to mitigate various risks. The gradual increase in capital ratios across the years demonstrates the Bank's commitment to regulatory compliance and financial prudence.

Requirement	FY2024	FY2023	FY2022
Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio	12.46%	12.11%	11.48%
Tier 1 Ratio	12.46%	12.11%	11.48%
Total Capital Ratio (CRAR)	15.08%	14.12%	13.84%
Leverage Ratio	5.13%	4.73%	4.25%

93.58%

**Provision Coverage Ratio (PCR)
in FY2024**

Reflects strong financial buffer against potential loan losses.



The consistent improvement in Return on Assets and Return on Equity underscores the Bank's successful financial strategies and operational efficiency.

(ROA FY2024: 0.63%, ROE FY2024: 9.53%)

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Strong capital adequacy ratios and adherence to Basel III norms reflect the Bank's robust financial health and commitment to sustainable growth.

(CET 1 Ratio FY2024: 12.46%, Total Capital Ratio FY2024: 15.08%)

154.93%

Net Stable Funding Ratio (NSFR) in FY2024

Indicates robust long-term liquidity management, surpassing regulatory requirements.

Operational Performance Analysis

The Central Bank of India's strategic focus on growing its retail, agriculture, and MSME segments, combined with significant efficiency improvements, has enhanced its financial capital and overall performance. The robust growth and efficiency measures reflect the Bank's resilience and capacity for sustainable expansion, ensuring increased shareholder value.

The income statement of bank displays a substantial increase in the Bank's total income, rising from ₹25,770 crore in FY2022 to ₹29,626 crore in FY2023, and further to ₹35,434 crore in FY2024. This represents a year-over-year (YOY) increase of 14.96% from FY2022 to FY2023 and a significant 19.60% increase from FY2023 to FY2024. The three-year compound annual growth rate (CAGR) for total income is 37.50%. This upward trend highlights the Bank's successful revenue generation strategies and enhanced market presence.

The Central Bank of India has experienced significant business growth across its retail, agriculture, and MSME segments, driving its overall expansion. In retail banking, the Bank's focus on digital services and personalised products has increased customer engagement. For FY2024, personal loans grew by 23.87%, home loans by 13.57%, and auto loans by 2.92%, compared to FY2023.

Agricultural banking saw a 12.31% increase in loan disbursements due to targeted schemes and subsidies, while the MSME segment experienced a 37.25% rise in loans facilitated by streamlined approval processes.

Workforce training and development have supported these efficiency gains, leading to higher productivity. The Bank's overall operational efficiency has contributed to an improved financial position, with the cost-to-income ratio increasing marginally from 56.35% in FY2023 to 58.18% in FY2024.

Shareholder Value

The Bank's stock price performance has also mirrored its strong financial standing and strategic initiatives. The consistent dividend payouts and the Bank's growth trajectory have positively impacted its stock price, making it an attractive investment option for shareholders. The rising dividends have also improved investor confidence and sentiment, enhancing market valuation and stock performance.

Strategies to Enhance Shareholder Value

Bank has implemented several strategies to enhance shareholder value, focusing on sustainable growth, operational efficiency, and strategic investments. Key strategies include:

- » **Strategic Capital Allocation:** The Bank has strategically allocated capital to high-growth areas while maintaining a balanced approach to risk management. This ensures optimal utilisation of resources, leading to improved returns on investments.
- » **Cost Efficiency Initiatives:** Implementing cost efficiency measures has been a priority for the Bank. By optimising operational processes and leveraging technology, bank has reduced operational costs, enhancing profitability.
- » **Digital Transformation:** Investing in digital technologies and innovations has enabled the Bank to improve customer service, expand its market reach, and streamline operations. This digital push has contributed to higher efficiency and better financial performance.



- » **Focus on Core Competencies:** Bank has concentrated on its core banking activities, ensuring its primary business lines are well-managed and profitable. This focus has led to improved service delivery and increased customer satisfaction, driving revenue growth.
- » **Sustainable Practices:** Incorporating environmental, social, and governance (ESG) factors into its business model, the Bank has focused on sustainable and responsible banking practices. This not only enhances its reputation but also attracts socially conscious investors.

Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE)

Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) are critical indicators of a bank's profitability and efficiency. Over the past three years, bank has consistently improved both metrics, reflecting its successful financial strategies.

Return on Assets (ROA) measures how efficiently the Bank utilises its assets to generate profits. In FY2023, the ROA was 0.43%, which increased to 0.63% in FY2024, marking a 20 basis points (bps) improvement. This rise indicates that the Bank is effectively managing its asset base to maximise profitability.

Metrics	FY2024	FY2023	YOY Change (FY2024)
Return on Assets	0.63%	0.43%	20 bps

Return on Equity (ROE) measures the profitability relative to shareholders' equity. In FY2023, the ROE stood at 6.42%. The upward momentum accelerated significantly in FY2024, with ROE soaring to 9.53%, a significant increase of 311 bps from the previous year. This substantial growth highlights the Bank's ability to generate higher profits from its equity base, indicating robust financial performance and effective equity utilisation.

Metrics	FY2024	FY2023	YOY Change (FY2024)
Return on Equity	9.53%	6.42%	311 bps

The consistent improvement in ROE and ROA over the past three years signifies that the Central Bank of India effectively utilises its assets and equity to generate higher profits. This trend reflects strong operational efficiency, effective resource allocation, and successful revenue generation strategies. For investors and stakeholders, these improving financial metrics indicate the Bank's robust financial health and its potential for sustainable growth in the future. This positive trajectory positions the Bank favourably for continued success and stability in the financial sector.

Significant Shareholder Value Creation Through Capital Gains in FY2024

In FY2024, shareholders of the Central Bank of India experienced significant value creation through substantial capital gains. The stock price on the National Stock Exchange (NSE) surged from approximately ₹25 per share at the beginning of the fiscal year (April 1, 2023) to around ₹60 per share by the end of the fiscal year (March 31, 2024). This impressive increase of roughly 140% reflects the Bank's robust financial performance, strategic capital-raising initiatives, and effective management practices. The sharp rise in share price demonstrates investor confidence and highlights the Bank's ability to deliver substantial returns to its shareholders, underscoring its commitment to enhancing shareholder value.

20 bps

Increase in Return on Assets (ROA) in FY2024

Reflects effective management of the asset base to maximise profitability.

311 bps

Increase in Return on Equity (ROE) in FY2024

Indicates robust financial performance and effective equity utilisation.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Asset Quality

The Central Bank of India has prioritised maintaining high asset quality through rigorous risk management practices. In FY2024, the Bank's focus on reducing non-performing assets (NPAs) and enhancing provisioning has significantly improved its asset quality metrics. The Bank's gross NPA ratio decreased to 4.50% in FY2024 from 8.44% in FY2023, reflecting a substantial improvement of 394 basis points (bps). Similarly, the net NPA ratio fell to 1.23% from 1.77% over the same period, marking a reduction of 54 bps. These figures demonstrate the Bank's successful efforts in effectively mitigating credit risk and managing loan defaults. Provisioning for NPAs has been a key strategy to bolster the Bank's financial health. The Provision Coverage Ratio (PCR) improved to 93.58% in FY2024, up from 92.48% in FY2023, indicating an enhancement of 110bps. This increased provisioning underscores the Bank's commitment to maintaining a robust financial buffer against potential loan losses.

The sector-wise distribution of loans and advances shows a balanced lending portfolio. In FY2024, the Bank allocated 28.28% of its total advances

to the retail sector, 18.30% to agriculture, 19.81% to MSMEs and the Corporate Sector 33.61%. This diversified approach helps mitigate sector-specific risks and supports stable asset quality across different economic segments. Recovery and resolution of stressed assets have been pivotal in improving asset quality. In FY2024, the Bank recovered ₹ 3,636 crore from stressed assets, from ₹4,213 crore recovered in FY2023. This effective recovery process highlights the Bank's efficient resolution mechanisms and proactive management of stressed assets.

Overall, the Central Bank of India's focused efforts on asset quality and risk management have significantly improved its financial health. The reduction in NPAs, enhanced provisioning, diversified loan portfolio, and effective recovery strategies underscore the Bank's resilience and proactive stance in maintaining asset quality. These measures enhance the Bank's stability and help investor confidence, ensuring sustainable growth and financial soundness in the long term.

Liquidity Management

The Bank has consistently maintained a strong liquidity position, as evidenced by its Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR). As of FY2024, the LCR stood at 205.09% as against 285.51% in FY2023, showcasing a robust capacity to cover short-term liquidity needs. The NSFR, which measures long-term liquidity stability, was recorded at 154.93% in FY2024, well above the regulatory requirement of 100%.

The Bank's liquidity is sourced from various channels, including interbank borrowing and central bank facilities. These sources have been efficiently managed to ensure that the Bank can meet its financial obligations while optimising costs. The Asset and Liability Committee (ALCO) has played a pivotal role in overseeing liquidity and interest rate risk management, ensuring a balance between profitability and risk mitigation.

Capital Raising Initiatives

In FY2024, the Central Bank of India undertook significant capital-raising activities to strengthen its financial base and support growth initiatives. The Bank successfully bonds amounting to ₹1,500 crore. This capital infusion was primarily allocated towards expanding the loan portfolio and enhancing risk management frameworks, bolstering the Bank's balance sheet and ensuring compliance with regulatory capital requirements.

Looking forward, the Bank has outlined plans for additional capital raising to sustain its growth trajectory. Future initiatives include further equity issuances and exploring innovative financing mechanisms to support business expansion and risk mitigation strategies. These planned activities aim to maintain a healthy Capital Adequacy Ratio (CAR) and support the Bank's long-term financial resilience.

Investment Portfolio

The Central Bank of India's investment portfolio is well-diversified across various asset classes, including government securities, corporate bonds, and other high-quality liquid assets. As of March 31, 2024, the total investment portfolio stood at ₹1,49,538 crore, marking a 4.83% increase from ₹1,42,653 crore in the previous year. Government securities constituted a substantial portion of this portfolio, totalling ₹1,12,881 crore, up from ₹1,03,204 crore in FY2023. This conservative allocation reflects the Bank's risk-averse strategy and focus on maintaining financial stability.



The impressive Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Funding Ratio demonstrate the Bank's robust capacity to manage liquidity needs effectively.

(LCR FY2024: 205.09%, NSFR FY2024: 154.93%)



The Bank's investment strategies have been geared towards optimising returns while effectively managing risks. The yield on investments increased to 6.57% in FY2024 from 6.26% in FY2023, demonstrating resilient performance despite market volatility. The Bank's prudent investment decisions have balanced short-term liquidity needs with long-term financial stability, ensuring stable returns even in fluctuating market conditions.

These strategic investment portfolio management initiatives, robust liquidity practices, and successful capital-raising activities have significantly strengthened the Bank's financial position. The impressive Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) highlight the Bank's effective liquidity management, while substantial capital-raising efforts have fortified its capital base. Collectively, these measures ensure that the Central Bank of India is well-prepared to navigate future challenges and capitalise on growth opportunities, reinforcing its status as a reliable and resilient financial institution.

Risk Management and Regulatory Compliance

The Central Bank of India has established a comprehensive risk management framework to address credit, market, and operational risks. Guided by board-approved policies and overseen by specialised committees, this framework ensures robust risk mitigation across all segments. Bank uses advanced rating models for credit risk and has a Credit Risk Management Committee led by the MD & CEO. This committee sets policies and reviews practices to mitigate risk. Market risk management is overseen by the Asset & Liability Committee, which uses tools like Value at Risk (VaR) and financial derivatives for effective hedging. Operational risk is managed through the Operational Risk Management Committee and a Business Continuity Plan, supported by the Incident Management Module for tracking incidents.

Bank's regulatory compliance aligns with both domestic and international standards, including Basel III norms. The Bank's adherence to these regulations ensures robust risk management and capital adequacy. Compliance policies, including Credit, Operational, and Market Risk Management Policies, are regularly reviewed to align with regulatory developments. The impact of regulatory changes on financial capital is significant, prompting the Bank to maintain strong capital ratios and conduct regular reviews. Measures such as the Fraud Risk Management Cell help prevent and mitigate fraud risks, ensuring financial stability and compliance.

Future Outlook and Strategic Initiatives

The Central Bank of India has outlined several strategic priorities to enhance its financial capital and drive future growth. These initiatives include strengthening its capital base, expanding market reach, and leveraging technological advancements to improve operational efficiency. The Bank plans to continue raising equity and issuing bonds to bolster its financial capital. In FY2024, the Bank successfully raised capital through issued bonds worth ₹1,500 crore. These efforts are directed towards expanding the loan portfolio and enhancing risk management frameworks, ensuring compliance with regulatory capital requirements and maintaining a healthy Capital Adequacy Ratio (CAR).

The Bank's future growth plans are focused on digital transformation and customer-centric services. Investments in advanced digital technologies and platforms are expected to attract a broader customer base and enhance service delivery. In

205.09%

Liquidity Coverage Ratio (LCR) in FY2024

Showcases strong capacity to cover short-term liquidity needs, ensuring financial stability.



Advanced risk management practices and stringent regulatory compliance ensure the Bank's stability and mitigate potential financial risks.

(Provisioning for NPAs: ₹3391 crore, Regular reviews of risk management policies)

FY2024, the Bank's digital transactions increased by 25%, demonstrating the growing adoption of its digital banking solutions. The Bank also plans to expand its presence in underserved markets, mainly rural and semi-urban areas, by offering tailored financial products and services. Additionally, the Bank aims to increase its agriculture advances, which grew by 9.39% YoY in FY2024.

The Bank anticipates certain challenges faced in the ordinary course of its business, such as navigating regulatory changes, managing cyber risks, and addressing competition from fintech companies. However, these challenges also present opportunities for innovation and differentiation. The Bank can protect its assets and build customer trust by staying ahead of regulatory developments and investing in robust cybersecurity measures. Collaborations with fintech firms can further enhance the Bank's service offerings and streamline operations, providing a competitive edge.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

Intellectual Capital:

Empowering Innovation through Intellectual Capital



<p>UNSDG:</p>	<p>Business Pillars:</p> <p>E F G H</p> <p>Material Issues:</p> <p>5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44</p>	<p>Business Model Canvas:</p> <p>1 4</p> <p>GRI Alignment:</p> <p>103-1, 103-2, 103-3, 201-1, 203-1, 203-2, 203-3, 404-1, 404-2, 413-1, 418-1, 418-2</p>
----------------------	--	--



In the ever-evolving banking sector landscape, intellectual capital has emerged as a pivotal element for driving innovation, operational excellence, and sustainable growth. Intellectual capital encompasses the collective knowledge, skills, relationships, and organisational processes a bank utilises to maintain its competitive edge. For the Central Bank of India, these assets are not just intangible elements but strategic resources that significantly contribute to achieving its long-term goals. This Chapter aims to delve into the various facets of intellectual capital within the bank, outlining its critical importance and the measures undertaken to harness its full potential.

This Chapter aims to provide a comprehensive understanding of how bank leverages its intellectual capital to foster growth and enhance performance. We will explore the bank's intellectual capital framework, focusing on its three main components: Human Capital, Structural Capital, and Relational Capital. Human Capital refers to bank's employees' skills, knowledge, and expertise, supported by continuous learning and development initiatives. Structural Capital includes the organisational processes, databases, patents, and proprietary software that streamline operations and enhance customer service. Relational Capital highlights bank's relationships and networks with customers, partners, and regulators, which are crucial for maintaining trust and fostering collaboration. By examining these components, we will see how bank's strategic investments in intellectual capital are instrumental in driving its success and positioning it as a leader in the banking industry.

4,500

Integrated Branches

All branches are connected through the Centralized Banking Solution (CBS), facilitating seamless banking services nationwide.

1,193

Self-Service Kiosks

Deployed across India, these kiosks have significantly reduced branch congestion and improved customer service efficiency.



With over 1,193 self-service passbook printing kiosks deployed nationwide, Bank has reduced branch congestion and improved customer service.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार की ओर से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर 14/09/2023 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

यह पुरस्कार श्री अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के कर कमलों से श्री एम वी राव, एमडी एवं सीईओ ने प्राप्त किया। इस अवसर पर राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई श्री भानुप्रताप सिंह के साथ माननीय संसद मंत्रीगण तथा सचिव एवं उपसचिव राजभाषा विभाग उपस्थित थे।

GRI 103

Intellectual Capital Framework

Central Bank of India recognises the crucial role of Intellectual Capital in driving innovation, operational excellence, and sustainable growth. Our Intellectual Capital framework, built on three main components—Human Capital, Structural Capital, and Relational Capital—enhances our strategic initiatives and operational capabilities. We are well-positioned to achieve our strategic goals and deliver long-term value to our stakeholders through continuous investment in these components.

Components of Intellectual Capital

Human Capital (Skills, Knowledge, and Expertise of Employees): Human Capital at bank encompasses our employees' collective skills, knowledge, and expertise. We are committed to fostering a culture of continuous learning and development. Our employees are our greatest asset, and we ensure they are equipped with the latest industry knowledge and skills through comprehensive training programs. These programs include advanced financial analytics, regulatory compliance, digital banking, and customer relationship management. Our Learning and Development (L&D) initiatives include e-learning modules, workshops, and professional certification courses, enabling employees to enhance their capabilities and adapt to the evolving banking landscape. This part is covered in more detail in the Chapter covering Human Capital on [Page 112](#).

Structural Capital (Organisational Processes, Databases, Patents, and Proprietary Software): Structural Capital refers to the non-human storehouses of knowledge within bank. This includes our organisational processes, databases, patents, and proprietary software systems. We have invested significantly in digital transformation, developing and integrating advanced technological solutions to

1,000+

Training Sessions Conducted

To enhance employee skills in areas such as digital banking and regulatory compliance.



streamline operations and enhance customer service. Our AI-based chatbots handle customer queries efficiently, while predictive analytics models improve customer retention. We also maintain comprehensive knowledge management systems that provide employees real-time access to critical information and best practices, ensuring consistency and efficiency across all operations. Furthermore, our innovation lab explores emerging technologies such as blockchain and AI to develop new banking solutions and maintain our competitive edge.

Relational Capital (Relationships and Networks): Relational Capital involves the relationships and networks bank has established with customers, partners, regulators, and the community. We prioritise customer engagement through digital platforms, which has significantly increased digital transactions and improved customer feedback mechanisms. Our mobile banking applications are widely adopted, and we continuously refine our services based on customer insights. Additionally, we maintain robust communication with regulators to ensure compliance and foster a culture of transparency and integrity. Our active engagement with stakeholders, including shareholders and community members, is reflected in our comprehensive CSR initiatives focusing on education, health, and environmental sustainability. These efforts reinforce our commitment to social responsibility and community development. This part is covered in more detail in the Chapter covering Relationship & Social Capital on [Page 96](#).

Structural Capital

Central Bank of India continues to invest in and enhance its Structural Capital through strategic technological advancements and process optimisations. In FY2024, bank's initiatives in innovation and technology have significantly bolstered operational efficiency and customer satisfaction. Here are key highlights:

Digital Transformation Initiatives and Their Impact

Bank has undertaken multiple digital transformation initiatives to improve operational efficiency and enhance customer experiences. Here are some of the key initiatives:

- » **Centralised Banking Solution (CBS):** All 4,500 branches of bank are integrated into the CBS, facilitating seamless banking services across India. This integration supports services such as net banking and mobile banking, allowing customers to transfer funds with a click of a button. The CBS ensures that customers have consistent and efficient banking experiences, irrespective of the branch they visit. This move has significantly reduced transaction processing times and improved overall customer satisfaction by providing a unified platform for all banking needs.
- » **Video KYC:** Bank introduced Video KYC to streamline the account opening process. This innovative solution enables customers to open accounts virtually without visiting a branch. Customers can complete their KYC verification through a video call with a bank representative, making the process quicker and more convenient. This initiative has been particularly beneficial during the COVID-19 pandemic, ensuring the safety of customers and employees while maintaining compliance with regulatory requirements.
- » **Self-Service Passbook Printing Kiosks:** To reduce the need for branch visits and enhance customer convenience, bank has deployed 1,193 self-service passbook printing kiosks nationwide. These kiosks allow customers to print their passbooks independently, saving time and reducing branch congestion. This initiative improves customer service and optimises branch operations by freeing up staff to focus on more complex customer needs.

GRI 103

GRI 203



The adoption of video KYC by bank has streamlined the account opening process, making it more convenient and safer for customers.



Bank's proprietary AI-based chatbot, Cent Chanakya, has streamlined customer query resolution, improving service efficiency.



GRI 418

Adoption of AI and Machine Learning in Banking Processes

AI and machine learning (ML) technologies have been increasingly adopted to optimise banking processes and enhance customer service at Central Bank of India. Here are some of the key applications:

- » AI-based Chatbot (Cent Chanakya): Bank has implemented an AI-based chatbot named Cent Chanakya, which is utilised by branch staff to provide precise responses to customer queries. This chatbot significantly improves service efficiency by automating responses to common inquiries, allowing staff to focus on more complex customer needs. The result is a marked improvement in customer satisfaction, as queries are resolved more quickly and accurately.
- » Predictive Analytics Models: Bank employs predictive analytics models to foresee customer churn, enabling the bank to engage with at-risk customers proactively. By analysing patterns in customer behaviour, these models identify individuals who may be considering leaving the bank. Bank can then offer tailored products and services to these customers, increasing retention rates and ensuring customer needs are met more effectively.
- » AI for Loan Approvals: AI technology is leveraged to streamline approval, particularly for offering Pre-Approved Personal Loans (PAPL). By analysing customers' financial behaviour and repayment history, AI systems can assess creditworthiness and provide loan approvals swiftly and accurately. This enhances the efficiency of the loan approval process and improves the customer experience by reducing wait times and increasing the speed of loan disbursement.

These AI and ML initiatives are integral to bank's strategy of harnessing advanced technologies to optimise banking operations, personalise customer interactions, and maintain a competitive edge in the banking sector. Through these innovations, bank ensures it meets its customers' evolving needs while maintaining high service efficiency and satisfaction standards.

GRI 418

IT Infrastructure and Advanced Technologies

Central Bank of India has developed a robust IT infrastructure that supports its digital initiatives and ensures seamless service delivery. Here are the critical components of bank's IT infrastructure and advanced technologies:

77.43 lakhs

Daily Average UPI Transactions in FY2024

39.56% Growth YoY showcasing bank's successful digital transformation initiatives.



- » **ISO-Certified Data Centres:** Bank operates ISO-certified data centres, which ensure high operational efficiency and security for core banking operations. These data centres are critical in maintaining the bank's IT infrastructure providing reliable and secure data storage, processing, and management environments. The certification reflects the bank's commitment to adhering to international quality and security standards.
- » **Enhanced IT Governance:** Bank holds regular IT Strategy Committee and Risk Management Committee meetings to ensure robust IT governance. These meetings and rigorous audits ensure compliance with regulatory requirements and continuous improvement in IT risk management. This structured approach to IT governance helps identify and mitigate potential risks, ensuring that the bank's IT operations are aligned with its strategic objectives.
 - ▶ **Cybersecurity Measures:** Bank has implemented advanced cybersecurity frameworks to protect the integrity and confidentiality of customer data. Key measures include:
 - ▶ **Data Leakage Prevention Solutions:** Prevents unauthorised data transfers, safeguarding sensitive customer information.
 - ▶ **Blockchain and Other Emerging Technologies:** Bank is actively exploring and integrating emerging technologies like blockchain to enhance transaction security and transparency. Blockchain technology offers robust solutions for secure and immutable record-keeping, which can significantly reduce fraud and improve trust in banking operations. By staying at the forefront of technological advancements, Bank ensures that it can offer innovative and secure services to its customers.
- » Through these initiatives, Bank's IT infrastructure supports its current digital transformation efforts and lays a strong foundation for future technological advancements. This commitment to leveraging advanced technologies ensures that bank can deliver efficient, secure, and innovative banking solutions.

Successful Digital Transformation Initiatives

Central Bank of India has successfully rolled out several digital initiatives that have substantially impacted customer service and operational efficiency. These initiatives reflect bank's commitment to leveraging technology to meet customer needs and enhance the banking experience. Here is the comparison of digital transaction metrics for the past two fiscal years:

Metric	FY2023	FY2024	Growth (%)
Daily Average UPI Transactions	55.47 lakhs	77.43 lakhs	39.56
Daily Average IMPS Transactions	3.94 lakhs	4.76 lakhs	20.81
Total Capital Ratio (CRAR)	14.12%	15.08%	13.84
Daily Average Mobile Banking Transactions	0.42 lakhs	0.49 lakhs	16.67
Daily Average Internet Banking Transactions	0.45 lakhs	0.46 lakhs	2.22
Number of POS Terminals	2,154	3,034	40.85
Number of ATMs and Cash Recyclers	3,752	4,084	8.85

GRI 203

ISO

Certified Data Centres

Ensuring high operational efficiency and security for core banking operations.



Enhanced IT governance through regular committee meetings and rigorous audits ensures bank's IT operations align with strategic objectives.



Digital loan facilities against Public Provident Fund (PPF) accounts have simplified loan access for bank customers, particularly in rural areas.

Unified Payments Interface (UPI) Integration

- » **UPI Lite Functionality in BHIM Cent UPI (CentPay):** Bank has integrated UPI Lite functionality into its BHIM Cent UPI (CentPay) application. This integration allows for smoother and faster low-value transactions, enhancing the convenience for users who frequently make small payments. UPI Lite enables customers to conduct transactions without needing a PIN, speeding up the payment process while maintaining security standards. This feature has significantly increased the adoption of digital payments among customers, aligning with bank's objective of promoting a cashless economy.
- » **New Platform for Handling Increased Transaction Volumes:** To accommodate the rising number of digital transactions, Bank has upgraded its platform to handle increased transaction volumes efficiently. The new platform ensures that high transaction loads are managed seamlessly, reducing downtime and enhancing reliability. This upgrade is crucial for maintaining the bank's competitive edge in the rapidly evolving digital payments landscape. By ensuring that the infrastructure can support a higher volume of transactions, Bank has improved the user experience, leading to higher customer satisfaction and retention rates.

Digital Loan Facilities

- » **Digital Loan Facilities Against Public Provident Fund (PPF):** Bank has introduced digital loan facilities against Public Provident Fund (PPF) accounts, simplifying customer access to loans. This initiative allows customers to apply for loans online using their PPF accounts as collateral. The entire process, from application to disbursement, is conducted digitally, eliminating the need for physical visits to the bank. This saves customers time and streamlines the bank's loan processing workflow. The digital loan facility is particularly beneficial for customers who require quick access to funds without the hassle of traditional loan applications.
- » **Enhanced Customer Accessibility:** The introduction of digital loan facilities has made it easier for customers to access financial services, particularly in rural and semi-urban areas where physical bank branches might be limited. By leveraging digital platforms, Bank ensures that a broader customer base can benefit from its loan products, promoting financial inclusion.

These digital transformation initiatives underscore bank's dedication to utilising technology to enhance banking services. By integrating advanced digital solutions, Bank has significantly improved operational efficiency and customer service, ensuring it remains a banking industry leader. Through continuous innovation and technology adoption, Bank is well-positioned to meet the evolving needs of its customers and drive sustainable growth.

GRI 203

Future Digital Initiatives

Central Bank of India is committed to enhancing its digital capabilities through several upcoming projects to provide superior customer service, drive innovation, and promote environmental sustainability. These initiatives reflect bank's dedication to leveraging technology to meet the evolving needs of its customers and strengthening its Structural Capital. By focusing on convenience, sustainability, and financial inclusion, bank enhances its operational capabilities and maintains its position as a forward-thinking leader in the banking industry, contributing to broader societal goals.



Integration of UPI Lite functionality into BHIM Cent UPI has significantly enhanced low-value transaction efficiency.

Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW)

- » **Convenience and Security:** The Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW) initiative will allow customers to withdraw cash from ATMs without needing a physical card. This feature enhances convenience, especially for customers who may forget their cards or prefer not to carry them for security reasons. Using their mobile phones, customers can generate a withdrawal request and securely complete the transaction at any participating ATM. This initiative simplifies cash withdrawals and reduces the risk of card skimming and fraud.

Green Channel Cash Deposits

- » **Environmental Sustainability:** The Green Channel Cash Deposits initiative aims to reduce paper usage by promoting environmentally friendly banking practices. Customers can deposit cash directly into their accounts using automated machines, minimising the need for paper deposit slips. This initiative supports bank's commitment to sustainability by reducing the carbon footprint associated with traditional banking processes. Additionally, it streamlines the deposit process, making it faster and more efficient for customers.

Integration of Jan Suraksha Schemes

- » **Financial Inclusion and Security:** Bank plans to implement Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) across all CBS branches and digital channels. These government-backed insurance schemes provide affordable coverage for accidental death and disability (PMSBY) and life insurance (PMJJBY). By integrating these schemes into its services, bank aims to enhance financial security for its customers, particularly those in underserved and rural areas. This integration will make it easier for customers to enrol in these schemes and manage their policies through bank's digital platforms, promoting wider adoption and financial inclusion.

0.49 lakhs

Daily Average Mobile Transactions in FY2024

16.67% Growth YoY indicating enhanced mobile banking capabilities.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

**GRI 103** | **Knowledge Management**

Central Bank of India highly values effective knowledge management systems and practices to enhance organisational efficiency and foster a culture of continuous learning and innovation. By implementing robust knowledge-sharing platforms and maintaining comprehensive databases, bank ensures that valuable organisational knowledge is readily accessible, up-to-date, and effectively utilised.

Systems & Practices for Managing Organisational Knowledge (GRI 203)**Implementation of Knowledge-Sharing Platforms:**

Bank has developed and implemented several knowledge-sharing platforms to facilitate seamless employee communication and information exchange. These platforms include:

- » **Intranet Portal:** Bank's intranet portal serves as a centralised repository for all organisational information, including policies, procedures, best practices, and training materials. Employees can access this portal to find the information they need quickly and efficiently, enhancing productivity and enabling informed decision-making.
- » **Collaborative Tools:** The bank uses tools like Microsoft Teams and SharePoint to foster teamwork and real-time collaboration. These tools allow employees to share documents, conduct virtual meetings, and collaborate on projects regardless of location. This approach improves communication and ensures that knowledge is shared and retained across the organisation.
- » **Online Training and Development Platforms:** Bank has invested in e-learning platforms that provide employees access to various training programs and courses. These platforms enable continuous learning and skill development, ensuring employees remain current with industry trends and regulatory requirements. The availability of online courses allows employees to learn at their own pace, promoting a culture of self-improvement and professional growth.

Comprehensive Databases:

Bank maintains comprehensive databases to ensure organisational knowledge is systematically captured, stored, and accessible to all employees. These databases include:

- » **Policy and Procedure Databases:** These databases contain detailed documentation of all organisational policies, procedures, and guidelines. By maintaining up-to-date and easily accessible records, bank ensures that employees can quickly reference the necessary information to perform their tasks effectively and comply with regulatory standards.
- » **Best Practices Repository:** Bank has established a repository of best practices collected from various departments and branches. This repository is continuously updated with new insights and successful strategies, allowing employees to learn from each other's experiences and apply proven methods to their work. Sharing best practices across the organisation helps to standardise processes and improve overall efficiency.
- » **Customer Knowledge Database:** This database includes detailed information on customer preferences, transaction histories, and feedback. By leveraging this data, bank can provide personalised services and build stronger customer relationships. The customer knowledge database also supports the bank's efforts to develop targeted marketing campaigns and innovative financial products that meet the specific needs of its clientele.

4,084**Number of ATMs and Cash Recyclers in FY2024**

8.85% Growth YoY highlighting the increased accessibility of banking services.

3,034**Number of POS Terminals in FY2024**

40.85% Growth YoY demonstrating the expansion of transaction capabilities.



Process Optimisation

Central Bank of India is committed to enhancing operational efficiency through continuous process optimisation. This dedication involves streamlining workflows, reducing costs, and improving service delivery by adopting advanced technologies and best practices. Here are detailed examples of process improvements and the resulting cost savings:

Streamlining Operational Processes for Efficiency

1. Implementation of Lean Methodologies:

Bank has embraced Lean methodologies to identify and eliminate inefficiencies in its processes. This approach has been instrumental in optimising workflows across various departments. Key initiatives include:

Process Optimisation Initiative	Challenge	Solution	Result
Streamlined Loan Processing	High turnaround time for loan approvals due to manual processing and redundant steps.	By applying Lean principles, bank has automated the decision-making systems for loan approvals, reducing the need for manual intervention.	The bank has seen a reduction in loan processing time by 30%, leading to faster disbursement of loans and increased customer satisfaction.
Efficient Branch Operations	Long customer wait times and inefficient branch operations.	Introducing self-service kiosks, automated teller machines (ATMs), and enhanced digital banking services have been a significant factor.	These changes have reduced customer wait times, increased transaction throughput, and lowered operational costs associated with branch management.

2. Automation and Digitisation:

Automation and digitisation have been pivotal in bank's process optimisation strategy. These technologies have improved efficiency and enhanced the accuracy and speed of operations. Notable examples include:

Process Optimisation Initiative	Challenge	Solution	Result
Core Banking System (CBS) Enhancements	Inefficient back-office processes due to manual handling.	Integration of advanced technologies into bank's CBS to automate numerous back-office processes, such as fund transfers and account updates.	Reduced manual intervention and minimised errors, significantly enhancing operational efficiency.
Digital Document Management	Time-consuming and resource-intensive document handling processes.	Implementation of a digital document management system to automate the storage, retrieval, and management of documents.	Reduced time and resources required for document handling, improving operational efficiency and ensuring regulatory compliance.

GRI 203



Case Studies of Process Improvements and Cost Savings

Process Optimisation Initiative	Challenge	Solution	Result
Workflow Automation in the Back Office	Delays and errors due to manual handling of back-office operations.	Implementation of workflow automation tools to streamline back-office tasks such as account reconciliation and document processing.	Reduced processing time and decreased operational costs, enhancing the overall efficiency of back-office operations.
Branch Process Reengineering	High customer wait times and inefficient branch operations.	Reengineering branch processes by introducing self-service kiosks, optimising staff allocation, and enhancing digital banking services.	Reduced customer wait times, increased throughput, and lowered operational costs associated with branch management.
Automated Compliance Monitoring	Manual compliance monitoring was time-consuming and prone to errors.	Implementation of an automated compliance monitoring system using AI and machine learning algorithms to track and analyse compliance data in real time.	Reduced compliance monitoring time and minimised the risk of regulatory penalties, leading to significant cost savings and improved compliance accuracy.



By implementing workflow automation tools, bank has reduced back-office processing time, significantly cutting operational costs.

Intellectual Property

Central Bank of India maintains a robust portfolio of intellectual property assets, including patents, trademarks, and proprietary software. These assets are crucial for maintaining competitive advantage and driving innovation in the financial sector. Patents protect bank's unique financial technologies and methodologies, ensuring legal safeguards against unauthorised use, encouraging continued investment in R&D and fostering a culture of innovation. Trademarks are vital for brand recognition and trust, differentiating bank's products and services in the competitive banking sector, building customer loyalty, and associating the brand with reliability and excellence. Proprietary software is tailored to meet bank's operational and customer needs, supporting critical functions such as risk management, customer service, and transaction processing. This provides greater control over technology, enhances security, and allows swift adaptation to regulatory changes and market demands. Intellectual properties have led to enhanced operational efficiencies and improved customer services, with proprietary software developed in-house streamlining various banking processes, resulting in significant cost savings and better service delivery. Bank proactively addresses and resolves intellectual property disputes, ensuring compliance with legal requirements and rigorous protection of its intellectual assets. Through these intellectual property assets, bank strengthens its Structural Capital, leveraging unique innovations to maintain its leadership in the banking industry. This enhances operational capabilities and ensures long-term strategic growth and sustainability.



Measuring Intellectual Capital

Measuring intellectual capital is vital for the Central Bank of India to ensure that its investments in human, structural, and relational capital are yielding positive outcomes. Key performance indicators (KPIs) are the primary metrics used to evaluate these components of intellectual capital. For human capital, KPIs might include employee retention rates, training hours per employee, and employee engagement scores. These metrics help assess the effectiveness of bank's efforts in developing and retaining a skilled workforce. Structural capital KPIs could encompass the number of patents filed, the efficiency gains from proprietary software, and the reduction in processing times due to automated systems. These indicators reflect the bank's innovation and operational efficiencies. Relational capital KPIs might include customer satisfaction scores, the number of strategic partnerships, and customer retention rates, highlighting the strength of bank's external relationships and its ability to maintain customer loyalty.

Benchmarking these KPIs against industry standards allows bank to identify its strengths and areas for improvement. Bank can gauge its competitive standing in terms of intellectual capital by comparing its metrics with those of leading banks. For instance, if bank's employee retention rates are higher than the industry average, it indicates a strong human capital strategy. Conversely, if its customer satisfaction scores are lower than competitors, it signals a need to enhance relational capital efforts. This comparative analysis enables bank to pinpoint areas where it excels and where it needs to focus its improvement efforts. Ultimately, regular benchmarking and KPI evaluations ensure that bank maintains its intellectual capital at optimal levels and continuously evolves to meet the dynamic needs of the banking industry.

Future Outlook

Bank's future outlook emphasises emerging trends and strategic priorities for enhancing intellectual capital. The banking sector is witnessing significant shifts driven by emerging technologies and evolving customer expectations. Technologies such as AI, blockchain, and the metaverse are transforming banking operations, offering new ways to optimise processes and engage with customers. As customers increasingly demand personalised and seamless experiences, bank focuses on integrating these advanced technologies to meet these expectations.

Strategically, bank plans to continue its investment in human, structural, and relational capital. For human capital, this includes expanding training programs to enhance digital skills and leadership capabilities. Structurally, the bank aims to develop its technological infrastructure further, ensuring robust cybersecurity measures and efficient digital platforms. Relationally, bank is committed to strengthening customer relationships through innovative banking solutions and enhanced customer engagement strategies. These efforts are designed to maintain bank's competitive edge and ensure long-term success in the evolving banking landscape.

Bank calls on all stakeholders to focus on intellectual capital relentlessly, recognising it as a cornerstone for future growth. By investing in people, processes, and partnerships, the bank is well-positioned to navigate the challenges and opportunities ahead. This ongoing commitment to intellectual capital will drive innovation, operational excellence, and sustainable growth, securing bank's position in the industry.

GRI 103

4.76 lakhs

Daily Average IMPS Transactions in

FY2024 20.81% Growth YoY reflecting increased adoption of instant payment services.

GRI 103



Bank's blockchain integration efforts aim to enhance transaction security and transparency, reducing fraud risks.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

Natural Capital:

Strategic Environmental Governance and Sustainable Financing Initiatives



UNSDG:	Business Pillars:	Business Model Canvas:
	Material Issues:	GRI Alignment:
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	201, 203, 205, 302, 303, 305, 306, 401, 403, 404, 406, 413, 418



ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

The Central Bank of India is dedicated to environmental stewardship and sustainable development, reflecting its alignment with global standards such as the Paris Climate Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs). Bank's Environmental, Social, and Governance (ESG) policy guides the Bank's efforts to operate efficiently in a risk-filled environment while promoting sustainability. This policy focuses on transparency, reducing greenhouse gas emissions, engaging stakeholders, and fostering a better ecosystem. By continuously evolving its business model, the Bank aims to enhance customer satisfaction, prioritize digitization, support community development, promote financial literacy, and reduce its carbon footprint.

The Bank's strategy includes a vision of achieving net-zero emissions by 2028 for Scope 1 greenhouse gas (GHG) emissions, with ongoing efforts to reduce electricity consumption and other Scope 2 emissions. Bank's

sustainability framework integrates these objectives, ensuring that its operations contribute positively to global efforts in mitigating climate change and promoting sustainable development.



Bank is dedicated to environmental stewardship and sustainable development, aligning with global standards like the Paris Climate Agreement and the UNSDGs.

GRI 201, GRI 302, GRI 305



Sustainable Financing

In FY2024, the Central Bank of India has made significant advancements in financing renewable energy and other sustainable projects. The Bank's focus on sustainable financing also extends to other critical areas. For example, significant funds have been directed towards financing electric vehicles and other green technologies, underscoring the Bank's role in adopting eco-friendly solutions. These investments are not just financial commitments but strategic initiatives to promote a greener and more sustainable future for all stakeholders.

The Central Bank of India is actively developing strategies to support the transition to a low-carbon economy. This includes substantial investments in green technologies and infrastructure projects contributing to environmental sustainability. The Bank's Sustainable Financing Framework guides these efforts, ensuring all initiatives align with global standards such as the Paris Climate Agreement and the UN Sustainable Development Goals (UNSDGs).

To enhance its sustainable finance offerings, the Bank has set time-bound targets for increasing its portfolio of green financing. This includes launching new financial products designed to support environmentally sustainable practices among its clients. For instance, the Bank is working on green and sustainability-linked loans, which incentivize borrowers to meet specific environmental performance criteria.

By integrating climate risk management into its business strategy, the Central Bank of India ensures its operations are resilient to climate-related disruptions. This approach not only mitigates risks but also positions the Bank as a leader in sustainable finance, contributing to the broader goal of a sustainable and inclusive economy.



Climate Risk and Green Finance

Climate Risk Management

Central Bank of India recognizes the critical importance of identifying and managing climate-related risks to ensure the resilience and sustainability of its operations. The Bank has developed a comprehensive strategy to integrate ESG (Environmental, Social, and Governance) and climate risk assessments into its overall risk management framework.

1. Identification and Management of Climate-Related Risks

- » Bank has established procedures for risk assessment related to identifying exposed assets, understanding their effects, and formulating mitigation strategies. This includes considering both physical risks (such as extreme weather events) and transition risks (such as regulatory changes and shifts towards a lower carbon economy).
- » The Bank is focused on mapping areas and assets prone to climate hazards, such as storms, flooding, and erosion, particularly in coastal regions where sea-level rise is a significant threat. By doing so, the Bank aims to ensure necessary steps are taken to prevent damage and mitigate risks to asset value.

2. Integration into the Credit Appraisal Process

- » ESG and climate risk assessments have been integrated into bank's credit appraisal process. This ensures that environmental risks are considered when evaluating lending decisions, thereby enhancing the resilience of the Bank's loan portfolio.
- » Scenario analysis and sensitivity analysis are employed to incorporate ESG factors into business and capital planning. This approach helps understand the potential impact of climate-related risks on the Bank's operations and financial stability.



Our vision includes achieving net-zero emissions by 2028 for Scope 1 GHG emissions, with continuous efforts to reduce Scope 2 emissions.

GRI 201-2



The Bank has established a robust governance structure to ensure the effective implementation and monitoring of environmental strategies.

Green Finance Initiatives

Bank is committed to advancing green finance by developing and promoting sustainable financial products designed to support environmentally friendly projects.

Sustainable Finance Products

- » **Green Bonds and Loans:** Bank issues green bonds and loans specifically for financing projects with positive environmental impacts. These include renewable energy projects, green buildings, and other eco-friendly initiatives.
- » **Social Bonds and Loans:** These are directed towards projects with significant social benefits, such as affordable housing and community development.
- » **Sustainability Bonds and Loans:** Combining elements of green and social bonds, these financial instruments support projects that meet environmental and social criteria.

Key Initiatives and Achievements

- » **Green Bonds:** The Bank has a board-approved framework for financing green activities and projects using green deposits. Additionally, the bank has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Bureau of Energy Efficiency (BEE) to establish an Energy Efficiency Cell, which aims to facilitate and promote financing for energy efficiency

projects. In line with these efforts, the bank has also launched the Cent Energy Efficiency Scheme to further support energy efficiency financing.

- » **Green Finance Initiatives:** The bank offers various Green Finance Schemes, including the Energy Efficiency Scheme for MSMEs, Cent Go Green for electric vehicles, and Cent Kusum for solar equipment. Additionally, the bank has mobilized over ₹40 crore under the Cent Green Deposit Scheme.
- » **Electric Vehicles:** Through initiatives such as the Cent Go Green scheme, the Bank financed the acquisition of electric vehicles, supporting the transition to cleaner transportation.
- » **Green Technologies and Infrastructure:** The Bank has substantially invested in green technologies and infrastructure projects. This includes financing under schemes like Cent Solar, which provides funding for solar energy projects to individuals and corporations.
- » **Green Fixed Deposit Product:** Bank has launched a paperless green fixed deposit product, with proceeds channelled towards funding specific green projects. This initiative not only promotes environmental sustainability but also offers customers a way to contribute to green initiatives directly.
- » Bank's comprehensive approach to climate risk management and green finance positions it as a leader in sustainable banking. By continually developing and promoting sustainable finance products, the Bank supports the broader transition to a low-carbon economy, contributing positively to environmental sustainability and economic growth.



Driving Operational Sustainability

The Central Bank of India's digital transformation has not only enhanced operational efficiency and customer service but also contributed significantly to environmental sustainability by reducing paper usage and energy consumption. These initiatives underscore the Bank's commitment to leveraging technology for both business advancement and environmental stewardship.

Renewable Energy Integration

In FY2024, the Central Bank of India significantly advanced its efforts to integrate renewable energy into its operations. The Bank has installed rooftop solar panels and grid-connected solar power plants at several key locations. For example, the Bank installed a 65 KWp solar plant at its Chennai office, generating substantial energy savings and reducing carbon emissions. Additionally, bank has upgraded its lighting systems to energy-efficient LED lighting across various branches and offices, further enhancing energy efficiency and reducing electricity consumption.

Energy Efficiency Measures

Bank has implemented several energy efficiency measures to improve operational sustainability, including installing high-efficiency HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) systems. These systems optimize heating and cooling processes, improving energy efficiency and reducing energy use. Furthermore, the Bank has introduced an energy audit policy to systematically manage and conserve energy, ensuring that all facilities operate optimally.

Water Conservation Efforts

Bank has taken significant steps towards water conservation by implementing rainwater harvesting systems and installing water-efficient fixtures across its premises. These initiatives promote sustainable water management practices and reduce the Bank's reliance on municipal water supplies. By capturing and utilizing rainwater for non-potable purposes, bank supports broader environmental goals and ensures the sustainable use of natural resources.

Waste Reduction Initiatives

In FY2024, bank has also focused on waste reduction through comprehensive recycling programs and establishing waste segregation systems in all branches. These programs facilitate the proper disposal and recycling of paper, plastic, and electronic waste, significantly reducing waste sent to landfills. Additionally, the Bank has implemented policies to replace single-use plastic items with sustainable alternatives, such as glass or steel bottles, contributing to its overall waste reduction strategy.

These initiatives reflect bank's commitment to operational sustainability, demonstrating its dedication to reducing environmental impact and supporting global sustainability goals. By continuously improving its renewable energy integration, energy efficiency measures, water conservation efforts, and waste reduction initiatives, bank sets a benchmark for sustainability within the banking sector and creates long-term value for its stakeholders.

GRI 302-1, GRI 303, GRI 306



The Central Bank of India's digital transformation has not only enhanced operational efficiency and customer service but also contributed significantly to environmental sustainability by reducing paper usage and energy consumption.



In FY2024, the Central Bank of India significantly advanced its efforts to integrate renewable energy into its operations. The Bank has installed rooftop solar panels and grid-connected solar power plants at several key locations.

ABOUT


STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



GRI 301 GRI 302-4

Digital Transformation and Its Impact on Natural Capital

The Central Bank of India has made significant strides in digital transformation, which have resulted in improved operational efficiency and reduced environmental impact. Here are the detailed initiatives and their achievements:

1. Core Banking Solutions and IT Infrastructure

- ◀ The Bank has implemented various Core Banking Solutions (CBS), including Trade Finance Solutions, Treasury Solutions, and Loan Lifecycle Management Solutions. These implementations streamline operations and significantly reduce paper usage by digitizing numerous processes.

2. Customer Onboarding and Services

- ◀ Introduction of Video KYC (Know Your Customer) allows customers to open accounts remotely without needing physical paperwork or branch visits, thus reducing paper usage.
- ◀ Enhanced Internet Banking services include facilities for Re-KYC, electronic One-Time Settlements, and amendments in nominations, further reducing reliance on paper.
- ◀ Launch of the Virtual Debit Card, which supports secure e-commerce transactions without physical cards.

3. Mobile and Digital Banking

- ◀ Mobile Banking transactions increased from 152.82 lakh in FY2023 to 169.70 lakh in FY2024, and Internet Banking transactions rose from 163.14 lakh to 170.52 lakh in the same period, reflecting the growing shift towards digital channels.
- ◀ Implementing the Universal App (Cent NEO) and the Digital Lending Platform (DLP) facilitates end-to-end loan processing and other banking services digitally.



Our focus on sustainable financing extends to critical areas like electric vehicles and green technologies, promoting eco-friendly solutions.



4. Emergency Agricultural Loans and Loans for Street Vendors

- ◀ The Bank has rolled out specific digital initiatives targeting underserved segments, including emergency agricultural loans and loans for street vendors, enhancing financial inclusion.

Impact on Natural Capital

The Bank's digital transformation has positively impacted natural capital by reducing paper usage and energy consumption through various digital channels.

Paperless Banking Initiatives

- » Adopting digital banking solutions, such as Video KYC and digital document management, has significantly reduced the reliance on paper.
- » The introduction of green channels for cash deposits, where customers use mobile applications instead of paper-based slips, further reduces paper consumption.
- » The M-Passbook initiative replaces traditional passbooks with digital versions, allowing customers to generate their account statements electronically, reducing paper usage significantly.
- » Through ATMs, Green Pin Generation for Debit Cards enables customers to generate their PINs digitally via OTP (One-Time Password), eliminating the need for paper-based PIN mailers.

Energy-Efficient IT Infrastructure

- » The Bank's IT infrastructure, including ISO-certified data centres, ensures operational efficiency, security, and reliability while optimizing energy use.
- » Upgrading the network and compute infrastructure to handle increased digital transactions contributes to energy savings by improving system efficiency.

Sustainability through Digital Initiatives

The Bank is committed to further initiatives towards adopting green technology and enhancing operational efficiency through digital transformation. This includes ongoing efforts to promote the efficient utilization of resources and support the transition towards a greener and more sustainable future.

Enhancing Natural Capital Through Fintech Innovations

The Central Bank of India has strategically leveraged fintech innovations to enhance natural capital. The Bank has achieved significant milestones in promoting sustainable financial services through strategic partnerships and targeted technological advancements. These initiatives demonstrate the Bank's commitment to environmental stewardship and operational efficiency, reducing the environmental impact while creating long-term value for stakeholders.

Strategic Fintech Partnerships

Collaborations with Innovative Companies:

- » Digital Document Execution and APIs for Digital Lending: The Bank has integrated with two fintech companies to facilitate digital document execution and streamline the lending process through APIs. This collaboration enhances efficiency and reduces the environmental impact by minimizing the use of paper and other physical resources.



The Bank has rolled out specific digital initiatives targeting under-served segments, including emergency agricultural loans and loans for street vendors, enhancing financial inclusion. The Bank's digital transformation has positively impacted natural capital by reducing paper usage and energy consumption through various digital channels.



GRI 203-1

We are actively developing strategies to support the transition to a low-carbon economy, guided by our Sustainable Financing Framework.



By integrating climate risk management into our business strategy, bank ensures resilience to climate-related disruptions, positioning us as a leader in sustainable finance.

- » Wealth Management Services: The expansion of digital wealth management services allows the Bank to offer a range of investment products and advisory services through an online platform. This includes portfolio management tools, financial planning services, and market insights, all accessible digitally.
- » End-to-End Digital Lending for MSMEs: Tailored digital solutions for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) streamline financial operations and improve access to credit, supporting business growth and sustainability.

Digital Journey Development:

- » Development of a microservices-based architecture for digital applications, allowing for greater scalability, flexibility, and ease of maintenance.
- » Implementing automated tools for application integration and deployment enhances the agility of the Bank's IT infrastructure.

Wealth Management:

- » Comprehensive digital wealth management services offer investment products and advisory services online, promoting efficient and sustainable financial management.

Agricultural Lending:

- » Specific digital initiatives targeting underserved segments, including

emergency agricultural loans, enhance financial inclusion and sustainability by streamlining the lending process and reducing the need for physical documentation and branch visits.

Impact on Natural Capital

Reduction in Paper Usage and Energy Consumption:

- » Adopting digital banking solutions, such as digital document management and automated loan processing, has significantly reduced paper usage. Initiatives like digital lending for MSMEs and integration of fintech solutions for document execution minimize the environmental footprint of the Bank's operations.
- » Implementing energy-efficient IT infrastructure, including ISO-certified data centres and upgraded network and compute infrastructure, ensures optimized energy use and reduced energy consumption.

Sustainability Through Digital Initiatives:

- » Promoting efficient resource utilization through digital transformation, adopting green technology and enhancing operational efficiency.
- » Integrating renewable energy solutions, such as rooftop solar panels and energy-efficient lighting systems, reduces the Bank's carbon footprint and sets a benchmark for sustainability in the banking sector.



Advancing Natural Capital through IT Architecture and Fintech Integration

The Central Bank of India's commitment to integrating advanced IT architecture and fintech innovations has significantly enhanced natural capital. By leveraging technologies such as AI, ML, blockchain, and RPA, the Bank has improved operational efficiency, reduced energy consumption, and minimized paper usage. These initiatives not only support sustainable financial services but also set a high standard for environmental stewardship within the banking sector. These initiatives streamline operations, reduce environmental impact, and support sustainable financial services.

IT Architecture Enhancements

Implementation of the Account Aggregator Ecosystem and Blockchain Technology:

- » **Account Aggregator Ecosystem:** Integration of the account aggregator framework provides a consolidated view of customers' financial data across multiple institutions, enhancing financial transparency and efficiency while minimizing paper usage.
- » **Blockchain Technology:** Adopting blockchain technology for secure and transparent transaction processing enhances data integrity and security, reducing the risk of fraud and operational inefficiencies.

Use of AI/ML for Business Modeling and Resource Efficiency:

- » **Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML):** Using AI and ML for predictive analytics in business modelling enhances decision-making processes and optimizes resource allocation, leading to more efficient use of resources and reduced operational waste.
- » **AI in Customer Service:** Implementing AI-powered chatbots and virtual assistants to handle customer inquiries reduces the need for physical branch visits and associated resource consumption.

Robotic Process Automation (RPA)

Automation of Processes to Reduce Energy Consumption and Enhance Operational Efficiency:

- » **RPA Implementation:** Automating repetitive tasks such as data entry, transaction processing, and compliance checks increases operational efficiency and significantly reduces energy consumption.
- » **Energy Savings:** Automated processes are designed to be more energy-efficient, contributing to the Bank's sustainability goals.

Additional IT and Fintech Initiatives

Digital Customer Onboarding and Enhanced Digital Services:

- » **Video KYC:** The introduction of Video KYC allows for remote customer onboarding, eliminating the need for physical paperwork and branch visits, significantly reducing paper usage and enhancing customer convenience.
- » **Digital Lending Platform:** Launch of a Digital Lending Platform for end-to-end loan processing through digital channels, utilizing advanced data analytics for credit assessment, streamlining the loan approval process, and reducing the environmental footprint associated with traditional loan processing.

Advanced IT Infrastructure and Cybersecurity Measures:

- » **ISO-Certified Data Centres:** The Bank's ISO-certified data centres ensure operational efficiency, security, and reliability while optimizing energy use and

GRI 302-5



Implementing the account aggregator framework and blockchain technology enhances financial transparency, data security, and operational efficiency. Using AI and ML for predictive analytics optimizes resource allocation and reduces operational waste.



Bank has developed a comprehensive strategy to integrate ESG and climate risk assessments into our overall risk management framework.



supporting critical IT projects such as Core Banking Solutions, Trade Finance, and Treasury Solutions.

- » **Cybersecurity Enhancements:** Establishing a Cyber Security Operation Centre (CSOC) and continuous compliance with regulatory standards like ISO 27001 and PCI-DSS ensures the protection of information systems and customer data from cyber threats.

Future Digital Initiatives:

- » **Green Channel Cash Deposits:** Enabling customers to generate reference numbers for cash deposits via mobile banking applications, reducing the need for paper-based slips.
- » **Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW):** Allowing customers to withdraw cash from ATMs without a debit card, enhancing convenience and security while reducing plastic waste...

GRI 305

Metrics and Targets

The Central Bank of India's comprehensive approach to metrics and targets underscores its commitment to sustainability and environmental stewardship. By establishing clear metrics for assessing climate-related risks and opportunities, setting ambitious targets for sustainable finance and carbon neutrality, and implementing detailed reporting on GHG emissions and energy consumption, the Bank is leading the way in promoting sustainable financial services and enhancing natural capital. This framework includes specific metrics and targets for sustainable finance and carbon neutrality, ensuring a comprehensive approach to enhancing natural capital.

Assessment and Reporting

Metrics for Assessing Climate-Related Risks and Opportunities:

- » **Governance Structure:** The Bank has established a comprehensive structure for understanding and managing sustainability-related risks and opportunities. This includes a Task Force on ESG (Environmental, Social, and Governance) to design and oversee the Bank's strategy towards sustainability and net zero emissions.
- » **Climate Risk Analysis:** The Bank conducts detailed climate risk analysis to classify borrowers and implement preventative and reactive measures to minimize associated risks. This includes evaluating credit exposure related to ESG risks and addressing materialized risks such as operational, compliance, and reputational risks.

Periodic Reporting: The Bank will disclose relevant information on its performance metrics annually, ensuring transparency and accountability to various stakeholders. This includes the establishment of Key Performance Indicators (KPIs) and metrics to monitor ESG performance, conducting regular audits and assessments, and preparing comprehensive ESG reports.

Targets for Sustainable Finance and Carbon Neutrality:

- » **Net Zero by 2028:** The Bank aims to achieve net zero emissions for Scope 1 GHG emissions by 2028. This target is part of the Bank's broader ESG strategy and aligns with international agreements such as the Paris Agreement and the Glasgow Climate Pact.
- » **Scope 1, 2, and 3 Emissions:** The Bank has outlined specific strategies for reducing Scope 1 (direct emissions from controlled sources), Scope 2 (indirect emissions from the consumption of purchased electricity), and Scope 3 (other indirect emissions).



Our digital transformation has enhanced operational efficiency and contributed significantly to environmental sustainability by reducing paper usage and energy consumption.



Energy Consumption & GHG Metrics

In FY2023, the total energy consumption of Central Bank of India amounted to 627.03 lakh kWh. By FY2024, this figure increased to 702.00 lakh kWh, representing a marginal rise in energy usage over the year. The bank has taken measures to minimize its environmental impact as part of its ESG initiatives. These measures include installing solar equipment at several branches and regions, which contribute to the bank's efforts to switch to renewable energy sources and reduce dependence on traditional electricity generated from fossil fuels.

These initiatives are part of a broader strategy to achieve net-zero emissions by 2028. The bank's commitment to reducing its energy footprint is evidenced by its ongoing investment in energy-efficient appliances, creating spaces that utilize natural light and cooling, and conducting regular energy audits to track and manage energy consumption. By FY2024, the increased energy consumption highlights the bank's growing operational demands, but it also underscores the critical need for sustained and enhanced efforts in energy management and sustainability practices.

- » **Scope 1 and Scope 2 GHG Emissions:** The Bank measures and reports on its Scope 1 and Scope 2 GHG emissions annually. This includes emissions from directly controlled sources and the consumption of purchased electricity.

The Central Bank of India has committed to reducing its greenhouse gas (GHG) emissions as part of its broader sustainability strategy. The Bank tracks its Scope 1 and 2 emissions to understand and mitigate its environmental impact. Scope 1 emissions cover direct emissions from controlled sources, while Scope 2 emissions

account for indirect emissions from the consumption of purchased electricity. Below is a summary of the Bank's GHG emissions data for the past three years, including FY2024 targets.

Fiscal Year	Scope 2 Emissions (lakh kWh)
FY 2020-21	598.06
FY 2021-22	597.03
FY 2023-24	-
FY 2024-25	Target to reduce by 50% over 5 Years

The Central Bank of India is dedicated to reducing its carbon footprint by implementing energy-efficient measures and transitioning to renewable energy sources. This proactive approach reflects the Bank's commitment to environmental stewardship and operational efficiency.

Energy Consumption: The Bank monitors its energy consumption and has implemented measures to reduce electricity usage significantly. This includes the installation of solar panels and the replacement of diesel generators with inverters.

Renewable Energy Usage: The Bank has integrated renewable energy solutions into its operations. This includes the installation of rooftop solar panels and promoting green energy initiatives across its branches and offices.

- » **FY2025 Target: Scope 1 Emissions:** The Bank aims to replace all diesel generators with energy-efficient inverters and all petrol/diesel vehicles with electric vehicles (EVs) and CNG-based vehicles within five years.
- » **FY2025 Target: Scope 2 Emissions:** The Bank plans to reduce its Scope 2 emissions by 50% relative to the year 2023-24 over the next five years by transitioning to renewable/sustainable/green sources of electricity and implementing energy-efficient measures.



Central Bank of India commits to achieving net-zero emissions by 2028 through solar installations, energy-efficient appliances, and regular energy audits, reflecting its dedication to environmental sustainability and operational efficiency.

**GRI 303****Water Conservation Measures:**

Central Bank of India has undertaken several initiatives aimed at optimizing water usage and ensuring sustainable water management practices. Recognizing that its operations are not water-intensive, the bank has focused on efficient utilization and conservation of water within its premises. The primary measures include the installation of sensors on urinals and taps/faucets to control water flow and reduce wastage. Additionally, the bank is investing in water-saving technologies such as low-flow fixtures.

To further its conservation efforts, the bank has implemented Rainwater Harvesting Systems at several of its owned premises. This proactive approach towards environmental sustainability was adopted even before formalizing their journey towards comprehensive sustainability practices. The municipal water supply serves as the main source of water across the bank's operations, ensuring compliance with the guidelines issued by the Central Ground Water Authority (CGWA), Ministry of Jal Shakti, and the Government of India.

These measures collectively demonstrate Central Bank of India's commitment to responsible water management and conservation, aligning with its broader environmental and sustainability goals.

GRI 306**Waste Management Measures**

Central Bank of India has implemented several initiatives focused on waste management, adhering to the principles of reduce, reuse, and recycle. Here are the key measures:

Reduction in Paper Waste

- » **Digital Transformation:** The bank has integrated a Document Management System (DMS) to manage documents digitally, significantly reducing paper usage. Additionally, platforms are being implemented to facilitate end-to-end IT-based processing of applications without paper.

Plastic Waste Management

- » **Action Plan:** The bank has developed a plan to manage plastic waste by replacing plastic bottles with glass bottles, using biodegradable disposable cups and tumblers, and procuring office stationery from sustainable sources. Bamboo/paper folders are used instead of plastic ones, and jute/paper/cloth bags are utilized in conferences and seminars.

E-Waste Management

- » **Effective Policy:** The bank follows an effective e-waste policy to discard old computers, hardware, and peripherals, aligning with the E-waste (Management and Handling) Regulations of 2010. The bank also promotes establishing a circular economy for e-waste management.
 - ◀ FY 2022-23: 5.45 lakh
 - ◀ FY 2023-24: 9.00 lakh

General Waste Management

- » **3Rs Strategy:** The bank primarily deals with dry waste (paper), wet waste (cafeterias), and e-waste. It follows the 3Rs strategy—Reduce, Reuse, and Recycle—to minimize waste. Efforts include transitioning to a paperless environment through DMS integration and end-to-end IT-based processing of applications to reduce paper usage.



Central Bank of India demonstrates its commitment to responsible water management by installing sensors on taps, investing in low-flow fixtures, and implementing rainwater harvesting systems, aligning with its broader environmental sustainability goals.



These measures are part of the bank's broader environmental sustainability initiatives aimed at reducing its ecological footprint and promoting a greener, more sustainable operational model.

Sustainable Sourcing

Central Bank of India is committed to embedding sustainability into its supply chain and procurement processes. Recognizing the pivotal role of its supply chain partners in achieving its sustainability goals, the bank has established a comprehensive Sustainable Sourcing Policy. This policy integrates environmental and social considerations into procurement practices, emphasizing the procurement of recycled, environmentally friendly, energy-efficient, and locally sourced products.

The bank actively encourages responsible practices across its supply chain to minimize emissions and promote sustainability. Suppliers and service providers are urged to adopt sustainable practices such as effective waste management, the use of renewable resources, adherence to labor laws, and the protection of human rights. To ensure compliance and support sustainable practices, all purchases are made from registered and licensed vendors. Notably, the bank prioritizes the procurement of environmentally sustainable products, including glass bottles instead of plastic, biodegradable disposable cups, and sustainable office stationery.

Central Bank of India closely collaborates with its suppliers to enhance performance under Environmental, Social, and Governance (ESG) parameters. This collaboration includes developing a framework and code of conduct for vendors and service providers to promote sustainable sourcing practices. Environmental impact assessments (EIA) are conducted for large borrowers to evaluate potential climate and geophysical hazards, ensuring that all procurement decisions are environmentally sound. Additionally, the bank considers social factors such as employment generation and compliance with labor laws in its procurement strategy.

These initiatives reflect the bank's unwavering commitment to sustainable sourcing and responsible supply chain management. By aligning these practices with its broader ESG goals, the bank contributes significantly to its vision of achieving net-zero emissions by 2028.

GRI 204, GRI 308, GRI 414



Central Bank of India's Sustainable Sourcing Policy prioritizes environmentally friendly, energy-efficient, and locally sourced products, reflecting its commitment to responsible supply chain management and its vision of achieving net-zero emissions by 2028.



Relationship & Social Capital: Empowering Communities, Enhancing Trust



UNSDG:	Business Pillars:	Business Model Canvas:
	Material Issues:	GRI Alignment:
	<p>2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44</p>	<p>102, 103, 201, 203, 302, 304, 305, 401, 403, 404, 405, 413, 418</p>



At Central Bank of India, we believe that strong relationships and robust social capital are the cornerstones of our success. As we reflect on the past year, it's clear that our commitment to engaging with stakeholders—whether they are employees, customers, regulators, shareholders, or members of the broader community—has been instrumental in fostering trust and driving sustainable growth. This chapter delves into the various initiatives and strategies we've implemented to strengthen these relationships, highlighting their significant impact on our journey towards becoming a more responsive and inclusive institution. By prioritising stakeholder engagement, corporate social responsibility, digital transformation, responsible marketing, data privacy, employee development, and community support, we have enhanced our operational capabilities and dedication to ethical practices and long-term success. As we look to the future, we remain steadfast in our mission to create positive, lasting change through continuous innovation and firm commitment to our stakeholders.

Stakeholder Engagement (GRI 102-3)

Engagement Strategies

Central Bank of India emphasises the importance of strong stakeholder relationships. The Bank employs various strategies to engage key stakeholders, including employees, customers, regulators, shareholders, and society. These strategies are tailored to meet each group's specific needs and expectations.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Bank's employee retention rate is at 99.46% in FY2024, reflecting unparalleled job satisfaction and engagement.



Employees: Bank fosters a collaborative work environment through regular staff meetings, training sessions, and feedback mechanisms. The Bank conducts performance appraisals and offers professional development opportunities to keep employees engaged and motivated.

Customers: Bank employs a customer-centric approach, utilising feedback channels such as customer surveys, social media interactions, and in-person meetings. Bank focuses on understanding customer needs and improving service delivery to create a seamless banking experience.

Regulators: Bank regularly communicates with regulatory bodies through formal meetings, compliance reports, and consultations. This ensures the Bank remains compliant with all regulatory requirements and can proactively address any emerging changes.

Shareholders: Shareholder engagement is achieved through annual general meetings, quarterly financial reports, and direct communication channels like email and investor helplines. The Bank ensures transparency and informs shareholders about financial performance and strategic initiatives.

Society: Bank engages with the broader community through corporate social responsibility (CSR) initiatives. The Bank supports various community projects and social causes, reinforcing its commitment to societal well-being and sustainable development.



Platforms and Frequency (GRI 103-4)

Bank utilises a variety of platforms to engage with stakeholders, ensuring effective and timely communication.

STAKEHOLDER GROUP	PLATFORM	FREQUENCY	KEY METRICS FY2024
EMPLOYEES	Intranet, Email, Meetings, Training	Weekly, Quarterly	Retention Rate: 99.46%, Training Coverage: 91.83%
CUSTOMERS	Social Media, Surveys, Branch Visits	Daily, Semi-Annually	NPS: +15%, Complaints Resolution: 95% (general feedback)
REGULATORS	Meetings, Reports	Monthly, Quarterly	Compliance Issues: 0 (general compliance)
SHAREHOLDERS	Meetings, Reports, Email, Website, Press Releases	Annually, Quarterly, Ongoing	Stock Price Increase: See Financial Capital Page 62 , Participation in AGM, Conference Calls, Analyst Days, and Corporate Access days arranged by brokers. Dedicated Investor Relations page on the website.
SOCIETY	CSR Activities, Announcements	Monthly, Ongoing	CSR Spend: General commitment described, Green Project Investment: General commitment described

Bank's strategic and systematic stakeholder engagement has proven essential in fostering a collaborative, transparent, and responsive banking environment. These efforts reinforce the Bank's commitment to its stakeholders and drive its sustainable growth and long-term success.

Outcomes and Impact (GRI 104-5)

The engagement initiatives undertaken by bank have yielded significant positive outcomes, strengthening stakeholder relationships and building trust.

Improved Employee Morale: Regular training and development programmes have resulted in a more skilled and motivated workforce. The employee retention rate enhanced from 99.45% in FY2023 to 99.46% in FY2024, indicating higher job satisfaction.

Regulatory Compliance: Proactive engagement with regulators has ensured that bank remains compliant with all regulatory requirements. No significant penalties or compliance issues were reported in FY2024, demonstrating adequate regulatory adherence.

Increased Shareholder Confidence: Transparent communication and consistent financial performance have bolstered shareholder confidence. The Bank's stock price substantially increased over the year, reflecting positive market perception and investor trust. See Financial Capital on [Page 62](#) for more on this.

Societal Impact: Bank's CSR initiatives have made a tangible impact on the community. For instance, the Bank's contribution to environmental sustainability through its "Green Fixed Deposits" programme has been well-received. The Bank actively invests in green projects, aligning with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs).

99.46%

Employee Retention Rate

Bank achieved an impressive employee retention rate of 99.46% in FY2024, indicating high job satisfaction and effective engagement strategies

₹8.31 Crores

Total CSR Spend

Bank invested ₹8.31 crores in CSR activities, showcasing its commitment to community and environmental sustainability.



Corporate Social Responsibility (CSR) and Community Development

Summary of Key Metrics

STAKEHOLDER GROUP	PLATFORM
TOTAL CSR SPEND	₹8.31 crores

Bank's strategic and impactful CSR initiatives demonstrate its commitment to being a responsible corporate citizen. These efforts not only improve the quality of life for various stakeholders but also strengthen the Bank's relationships with the communities it serves, fostering a sustainable and inclusive growth environment.

GRI 102-3

CSR Initiatives

Central Bank of India has prioritised Corporate Social Responsibility (CSR) as a fundamental aspect of its mission to positively impact the communities it serves. In FY2024, bank's CSR activities focused on community development, environmental sustainability, and social welfare, aligning with the Bank's commitment to ethical practices and sustainable growth.

GRI 301-1

Community Development

Bank actively participated in community development projects to improve living conditions and support local economies. These initiatives included funding infrastructure projects such as building schools and healthcare centers, and supporting various social welfare programmes. The Bank focused on the most vulnerable sections of society to ensure they received the necessary support to improve their quality of life.

Education Initiatives

Bank supported educational programmes targeting underprivileged children. The Bank partnered with local schools and NGOs to provide scholarships,



school supplies, and infrastructure improvements. These efforts enhanced the quality of education and ensured access for disadvantaged children.

Healthcare Initiatives

Healthcare is a critical focus for bank. The Bank funded mobile health clinics that travelled to rural areas, providing essential medical services. These clinics offered general health check-ups, maternal and child health services, and disease screenings. Additionally, bank organised health camps focusing on preventive care, including vaccinations, eye check-ups, and dental care.

Financial Literacy and Education

Bank conducted numerous workshops and seminars to improve financial literacy among various demographics, mainly targeting individuals and small businesses in underserved areas. These educational programmes provided essential knowledge on budgeting, saving, and investment strategies, empowering participants to make informed financial decisions. The Bank established Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) and Community Financial Literacy Centres (CFLs) across multiple states.

Environmental Sustainability

In alignment with its commitment to reducing environmental impact, bank launched several sustainability projects. These included tree plantation drives, clean-up campaigns, and initiatives to reduce the Bank's carbon footprint. Notably, the "Green Banking" programme promoted digital banking services, significantly reducing paper usage and waste.

Funding and Support

GRI 302-2

Bank allocated substantial resources to support its community development initiatives. This commitment is reflected in the funding and support of various projects across different sectors.

Funding Allocation

- » **Total CSR Spend for FY2024:** ₹8.31 crores.
- » **Education Initiatives:** Funds for scholarships, school infrastructure improvements, and educational materials.
- » **Healthcare Initiatives:** Significant funding for mobile health clinics, health camps, and healthcare infrastructure.

GRI 102-3

- » **Financial Literacy Programs:** Investments in FLCCs and CFLs, as well as developing educational materials and workshops.
- » **Environmental Projects:** Funding for tree plantation drives, clean-up campaigns, and the promotion of digital banking.

Types of Support

- » **Financial Support:** Direct funding for projects and partnerships.
- » **In-Kind Support:** Donation of materials and resources, such as school supplies and medical equipment.
- » **Human Resources:** Volunteer efforts by bank employees in various community projects, enhancing the impact of the Bank's initiatives.

**(GRI 103-4)****Impact Metrics**

Bank's CSR initiatives have had a substantial impact, with clear metrics demonstrating the positive outcomes of its efforts.

Funding and Beneficiaries

- » **Total CSR Spend for FY2024:** ₹8.31 crores.

(GRI 104-5)**Key Projects****Financial Literacy Programs**

Bank's financial literacy initiatives are a cornerstone of its CSR strategy, aimed at empowering communities with essential financial knowledge. The Bank recognises that financial literacy is crucial for economic development and individual financial well-being, especially in underserved areas.

Workshops and Seminars

Bank organised numerous workshops and seminars throughout FY2024, targeting various demographics, including women, youth, and small business owners. These programmes were designed to cover a range of topics:

- » **Budgeting:** Teaching participants how to manage their finances by setting and sticking to a budget.
- » **Saving:** Emphasising the importance of saving and the different saving instruments available.
- » **Investment Strategies:** Providing insights into different investment options, including stocks, bonds, and mutual funds, to help participants make informed investment decisions.
- » **Digital Banking:** Educating participants on the benefits and usage of digital banking services, enhancing their convenience and security in managing finances.

These sessions were conducted in collaboration with local community centres, schools, and non-governmental organisations (NGOs). Bank also leveraged its network of branches to reach remote areas, ensuring that even the most underserved populations could benefit from these programmes.

Environmental Campaigns

Bank demonstrated a solid commitment to environmental sustainability through various campaigns and initiatives.

Recognising the importance of environmental conservation, the Bank implemented projects that reduce its carbon footprint and engage the community in sustainable practices.

Tree Plantation Drives

Bank organised multiple tree plantation drives across different regions. These events aim to increase green cover, reduce carbon dioxide levels, and promote biodiversity. Employees, customers, and local communities participated in these drives, planting thousands of trees and raising awareness about the importance of protecting the environment.

Clean-Up Campaigns

The Bank initiated clean-up campaigns in urban and rural areas, focusing on cleaning rivers, parks, and public spaces. These campaigns involved volunteers from the Bank, local communities, and NGOs. By removing waste and promoting proper disposal practices, these efforts helped improve local environments and raised community awareness about the impact of pollution.

Green Banking Program

One of the standout initiatives is bank's "Green Banking" programme, which promotes using digital banking services to reduce paper usage. The Bank encouraged customers to switch to electronic statements, online banking, and mobile apps, significantly reducing



The Bank's financial literacy initiatives, including workshops on budgeting, saving, investment strategies, and digital banking, empower communities with essential financial knowledge, especially in underserved areas.



The Bank's environmental campaigns, such as tree plantation drives and clean-up campaigns, demonstrate a strong commitment to environmental sustainability by reducing carbon footprint and engaging the community in sustainable practices.



paper waste. This initiative helped in environmental conservation and enhanced customer convenience and security.

Healthcare Initiatives

Healthcare is another critical area in which bank has made significant contributions through its CSR efforts. Understanding that access to healthcare is a fundamental need. The Bank has invested in several projects to provide medical services and promote community health and well-being.

Mobile Health Clinics

Bank funded mobile health clinics that travelled to rural and underserved areas, offering essential medical services to communities with limited access to healthcare facilities. These clinics provided general health check-ups, maternal and child health services, and screenings for common diseases. The initiative ensured that thousands received timely medical attention and health education.

Health Camps

In addition to mobile clinics, bank organised health camps with local healthcare providers. These camps focused on preventive care, offering vaccinations, eye check-ups, dental care, and health education sessions. By promoting preventive healthcare, the Bank aimed to reduce the incidence of chronic diseases and improve overall community health.

Employee Health and Wellness

Bank also prioritised the health and wellness of its employees by providing comprehensive health insurance and accidental insurance coverage. The Bank conducted regular health check-ups, wellness programmes, and fitness initiatives to ensure the well-being of its workforce. This reflected the Bank's commitment to its employees and contributed to a healthier and more productive work environment.



The Bank's healthcare initiatives, including mobile health clinics and health camps, provide essential medical services and promote preventive care in rural and underserved areas, significantly improving community health and well-being.



Bank also prioritised the health and wellness of its employees by providing comprehensive health insurance and accidental insurance coverage.



Bank's strategic engagement resulted in zero compliance issues reported in FY2024, underlining our commitment to regulatory adherence.



GRI 204-1

Digital Transformation

Role in Social Capital

Digital transformation at Central Bank of India plays a crucial role in enhancing social and relationship capital by fostering stronger connections with stakeholders, improving service delivery, and increasing operational efficiency. The Bank's initiatives aim to create a seamless banking experience, thereby building trust and loyalty among customers, employees, and other stakeholders.

Enhancing Customer Experience

Bank has embraced digital banking to provide customers with convenient, 24/7 access to financial services. This shift not only meets the evolving expectations of a tech-savvy customer base but also enhances customer satisfaction and retention. Digital platforms enable personalised services and faster transaction processing, critical for maintaining strong customer relationships.

Strengthening Employee Engagement

The Bank's digital transformation extends to internal processes, improving efficiency and employee engagement. Digital tools facilitate better communication, training, and performance management, enabling employees to deliver superior customer service. Enhanced digital infrastructure also supports remote working, increasing flexibility and job satisfaction among staff.



Digital Platforms for Engagement

Bank's digital transformation efforts have significantly enhanced its ability to engage with stakeholders, streamline operations, and provide superior banking services. By continuing to innovate and expand its digital capabilities, the Bank is well-positioned to meet the evolving needs of its customers and contribute to the broader digital economy. Bank utilises a range of digital platforms to engage with stakeholders, ensuring efficient and effective communication.

PLATFORM	FY2023	FY2024	GROWTH (%)
DAILY AVERAGE UPI TRANSACTIONS	55.47 lakhs	77.43 lakhs	39.56%
DAILY AVERAGE IMPS TRANSACTIONS	3.94 lakhs	4.76 lakhs	20.81%
DAILY AVERAGE MOBILE BANKING	0.42 lakhs	0.49 lakhs	16.67%
DAILY AVERAGE INTERNET BANKING	0.45 lakhs	0.46 lakhs	2.22%
NUMBER OF POS TERMINALS	2,154	3,034	40.85%
NUMBER OF ATMS AND CASH RECYCLERS	3,752	4,084	8.86%

40.85%

Increase in POS Terminals

GRI 205-2



The Bank's digital transformation efforts have significantly enhanced its engagement with stakeholders, streamlining operations and providing superior banking services through various digital platforms, resulting in notable growth in daily transactions and digital infrastructure.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



The Bank's mobile and internet banking platforms saw significant growth in daily transactions, offering comprehensive and secure services, while UPI and IMPS platforms facilitated instant fund transfers, greatly enhancing digital payment adoption and customer convenience.



Our comprehensive training programmes achieved a 91.83% employee training coverage, fostering a continuous learning culture.

Mobile Banking and Internet Banking:

- » Usage Growth: Daily average mobile banking transactions increased by 16.67%, and internet banking transactions grew by 2.22% in FY2024.
- » Features: These platforms offer comprehensive banking services, including account management, bill payments, fund transfers, and investment options, providing customers with a convenient and secure banking experience.

Unified Payments Interface (UPI) and Immediate Payment Service (IMPS):

- » Usage Growth: UPI transactions saw a remarkable 39.56% growth, while IMPS transactions increased by 20.81%.
- » Impact: These platforms facilitate instant fund transfers and payments, enhancing the ease of conducting financial transactions and boosting customer digital payment adoption.

Digital Lending Platform (DLP):

- » Convenience: The DLP supports end-to-end digital processing of loans, reducing paperwork and turnaround time. This platform offers retail and agricultural loans, improving access to credit for various customer segments.

Video KYC:

- » Remote Onboarding: The introduction of video KYC (Know Your Customer) allows customers to open accounts remotely, eliminating the need for branch visits. This innovation enhances customer convenience and streamlines the onboarding process.

Future Plans (GRI 206-3)

Bank has outlined several upcoming digital initiatives to enhance stakeholder engagement and community support further.

Customer Targeting: Implementation of advanced marketing technology solutions and a modern data platform to enhance customer targeting and engagement. These initiatives will leverage big data analytics and AI to deliver personalised experiences.

Expanded Services: Future enhancements to the CentPay application include UPI International, UPI Global, Virtual Wallet, Marketplace, and Credit Score integration. These features aim to expand the capabilities of the UPI platform and offer a richer user experience.

Private Cloud Expansion: The Bank plans to expand its private cloud infrastructure to support future digital initiatives. This will provide a scalable and secure environment for hosting applications and managing data, ensuring the Bank can meet growing customer demands and technological advancements.

Tailored Services: Development of tailored digital solutions for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and corporate clients to streamline financial operations, improve access to credit, and support business growth. These solutions will enhance the Bank's support for the business community and contribute to economic development.

SMS Feedback Mechanism: Implementation of an SMS-based customer feedback mechanism for transactions like deposits, withdrawals, and transfers. This system will enable real-time feedback and promptly help the Bank address customer concerns.



Responsible Marketing

GRI 401-2

Central Bank of India emphasises responsible marketing, which includes transparency, ethical practices, and transparent customer communication. The Bank's marketing strategies focus on building trust, ensuring customer satisfaction, and promoting sustainable growth through a combination of traditional and digital marketing techniques. Bank's marketing campaigns are founded on honesty and integrity. The Bank ensures that all promotional materials and advertisements are truthful and not misleading, providing accurate information about products and services. This approach helps build and maintain customer trust, which is crucial for long-term relationships.

Bank's marketing strategies are heavily customer-centric, focusing on understanding and meeting its clientele's specific needs and preferences. The Bank leverages customer data and insights to create personalised marketing campaigns that resonate with different customer segments. For example, the "Customer First" campaign included targeted promotions and loyalty rewards, leading to an increase in customer retention and an uplift in cross-selling opportunities. Bank also employs a multi-channel marketing strategy that combines traditional media such as television, radio, and print with digital platforms. This integrated approach ensures that the Bank reaches a broad audience while providing consistent messaging across all channels. Digital marketing, in particular, has driven significant growth and engagement through innovative approaches and extensive use of data analytics.

Customer Feedback and Improvements GRI 402-3

Collecting and acting on customer feedback is critical to bank's marketing and service improvement strategies. The Bank has established robust mechanisms to gather customer feedback and use it to enhance its products and services.

Feedback Mechanisms

Bank uses various platforms to collect customer feedback, including:

- » **Surveys:** Regular surveys are conducted to gauge customer satisfaction and gather insights on service quality and product offerings.
- » **Social Media:** The Bank actively engages with customers on social media platforms, where real-time feedback and queries are addressed.



Customer feedback has driven key improvements at the Bank, including enhancements to digital banking platforms and the mobile banking app, as well as the implementation of a centralised customer service centre, significantly improving service efficiency and customer satisfaction.

- » **Customer Service Centers:** Feedback is also collected through customer interactions at branches and service centres.

These mechanisms ensure that bank can continuously monitor customer sentiments and identify areas for improvement.

Examples of Service Improvements

The feedback collected through these mechanisms has led to several key improvements in bank's services:

- » **Digital Banking Enhancements:** Based on customer feedback, bank revamped its digital banking platforms to provide a more user-friendly and interactive experience. This included a redesigned website with streamlined navigation, faster load times, and personalised content, resulting in an increase in website traffic and a rise in average session duration.
- » **Mobile Banking App:** Improvements were made to the mobile banking app to enhance usability and security. Features such as easier fund transfers and better account management tools were added, directly addressing customer suggestions.
- » **Customer Service:** Feedback highlighted the need for quicker response times and better resolution of issues. In response, bank implemented a centralised customer service centre with advanced tracking and resolution systems, significantly improving service efficiency and customer satisfaction.

Impact of Feedback on Marketing Strategies

Customer feedback has also influenced bank's marketing strategies. For instance, the "Go Green" campaign, which promotes sustainable banking practices, was developed in response to growing customer interest in environmental issues. This campaign resonated strongly with environmentally conscious consumers and reinforced bank's commitment to sustainability, enhancing its brand image and customer loyalty.

GRI 403-1

Data Privacy and Cybersecurity

In FY2024, Central Bank of India significantly enhanced its data privacy protection measures and cybersecurity governance frameworks. The Bank implemented advanced security solutions such as Privilege Access Management System (PAMS) and Data Leakage Prevention (DLP) solutions, alongside regular Information Security (IS) and Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) audits conducted by CERT-In empanelled auditors. Additionally, bank's Cyber Security Operation Centre (CSOC) operates 24/7 to monitor critical servers and network devices, ensuring prompt detection and response to potential threats. Compliance with ISO 27001 and ISO 22301 standards, as well as PCI-DSS Level 1 Version 4.0, further highlights the Bank's dedication to the highest security standards.

These robust measures enhance stakeholder trust and protect the Bank's reputation, reinforcing its position as a secure and reliable financial institution. The comprehensive approach to data privacy and cybersecurity ensures that customers feel confident in the safety of their personal information, thereby strengthening their relationship with the Bank. Please refer to the Intellectual Capital chapter for more detailed insights into bank's initiatives in this area.



With over ₹8.31 crores invested in CSR activities, bank is driving a significant positive impact on community development.



Employee Engagement and Development

Central Bank of India has strongly emphasised employee development, implementing a range of programmes designed to enhance skills and engagement. In FY2024, the Bank introduced leadership development programmes targeting officers at various levels, including training at prestigious institutions such as IIM Bangalore, IIM Udaipur, and NIBM. These programmes focused on strategic thinking, team management, and adapting to emerging technologies, benefiting over 1,105 officers. Additionally, bank expanded its digital empowerment initiatives by introducing and enhancing digital platforms like the HRMS Module and the GenAI-powered chatbot, Central Chanakya, significantly improving operational efficiency and employee engagement. The Bank's e-learning platform now offers 530 hours of modules, with a high adoption rate among officers and clerks.

Bank is committed to the well-being of its employees, offering comprehensive wellness programmes. These include 24x7 tele-medical consultancy through a partnership with Practo and the Employee Assistance Program (EAP) for mental health support. The high participation rates in these programmes demonstrate their effectiveness in improving employee health and well-being. Additionally, the Bank provides extensive health and safety training, ensuring employees are well-equipped to handle their duties while maintaining high safety standards.

Bank values employee feedback and has established robust mechanisms to collect and act on it. The Bank conducted an Employee Engagement Survey cum HRD Audit to assess the impact of its Human Capital Management policies and identify areas for improvement. This survey covered parameters such as HRD culture, performance management, learning and development, and career development. Based on the feedback, bank launched the Central PRAISE programme to incentivise top-performing employees, boosting morale and encouraging

Bank's comprehensive approach to employee engagement and development ensures a skilled, motivated, and healthy workforce ready to meet the challenges of a dynamic banking environment. Please refer to the Human Capital chapter for more detailed insights into these initiatives.excellence.

GRI 501-1



Receiving the Best Organisation for Women 2024 and Special Mention Under Best Financial Inclusion, bank demonstrates its dedication to inclusive policies, supportive environments, and promoting financial inclusion across diverse populations.



Bank's prestigious awards, including the Gold Skoch Award for Strategic Digital HR Transformation and Best Consumer Delight PSU Consumer Award, highlight the Bank's commitment to innovation and exceptional customer service.



Enhanced digital platforms and customer-centric campaigns resulted in a 25% increase in website traffic.



Through proactive stakeholder engagement, bank maintained transparent communication, strengthening trust and loyalty.



GRI 601-2

Future Outlook

Central Bank of India has set ambitious strategic goals for enhancing social and relationship capital in the coming years. These goals aim to leverage technological advancements, improve operational efficiency, and expand the Bank's outreach to underserved communities. A primary objective is to enhance customer experience through continued digital transformation initiatives, including expanding digital banking services and integrating artificial intelligence to provide personalised banking experiences.

Bank has outlined several upcoming initiatives to further stakeholder engagement and community support. These initiatives include:

- 1. Digital Banking Expansion:** Bank plans to introduce new features on its digital platforms, such as enhanced mobile banking apps and online services, to improve accessibility and user experience for all customers. The Bank aims to increase digital transaction volumes by 20% over the next year.
- 2. Financial Inclusion Programs:** The Bank will expand its financial literacy programmes and introduce new financial products tailored to the needs of underserved populations. This includes setting up more Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) in rural areas and launching targeted campaigns to educate customers about the benefits of digital banking.
- 3. Environmental Sustainability Projects:** Continuing its commitment to environmental sustainability, bank will enhance its "Green Banking" initiative by promoting eco-friendly banking practices and investing in renewable energy projects. Through these efforts, the Bank plans to achieve a 10% reduction in its carbon footprint by FY2025.
- 4. Community Development Efforts:** Bank will increase its investment in community development projects, focusing on building infrastructure for education and healthcare in rural areas. The Bank aims to reach over 30,000 beneficiaries through these projects in the next fiscal year.



5. Employee Development Programs: The Bank will introduce new training modules and leadership development programmes to enhance the skills and engagement of its workforce. This includes expanding digital training resources and offering specialised courses at leading institutions.

These initiatives reflect bank's commitment to fostering sustainable growth and strengthening stakeholder relationships. By aligning its strategic goals with the evolving needs of its customers and the broader community, bank aims to ensure long-term success and positive social impact. Please refer to the Intellectual Capital chapter for more detailed insights into these initiatives.

Awards and Recognition

GRI 701-2

In FY2024, Central Bank of India received several prestigious awards and recognitions highlighting its excellence in various domains. These accolades testify to the Bank's commitment to innovation, customer satisfaction, and sustainable practices. Key awards include:

- » **Gold Skoch Award** for Strategic Digital HR Transformation, recognising bank's efforts in leveraging digital technologies to enhance human resource management.
- » **Best Organisation for Women 2024**, celebrating the Bank's inclusive policies and supportive environment for female employees.
- » **Best Consumer Delight PSU Consumer Awards** for FY2023-24, underscoring the Bank's dedication to exceptional customer service.
- » **Highest DQI Improvement PSU Consumer FY2023-24**, which acknowledges the Bank's continuous improvement in data quality initiatives.
- » **Special Mention Under Best Financial Inclusion**, reflecting the Bank's significant contributions to promoting financial inclusion across diverse populations.
- » **Best Nationalized Bank Ashirwad Rajbhasha Award** from the Governor of Maharashtra for promoting the use of the official language, Hindi.

- » **Dushyant Samman Award** for excellence in promoting Hindi as the official language, awarded by Paswan-e-Adab.
- » **Narakas Awards** were received by various regional offices for their outstanding efforts in implementing the official language.

These awards signify bank's exemplary practices and achievements in key areas such as digital transformation, customer satisfaction, financial inclusion, and language promotion. The recognitions for strategic digital HR transformation and consumer delight reflect the Bank's innovative approach and customer-centric focus, which are essential for building solid relationships and trust with stakeholders. The financial inclusion and language promotion accolades highlight bank's commitment to social responsibility and cultural preservation, reinforcing its role as a responsible corporate citizen. These awards enhance the Bank's reputation, attract top talent, and foster more robust community engagement. Please refer to the Intellectual Capital chapter for more detailed insights into bank's initiatives and their impact.

Human Capital:

Strategic Development and Innovation for a Thriving Future



UNSDG:



Business Pillars:



Business Model Canvas:



Material Issues:

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 23,
24, 25, 26, 27, 30, 35, 37

GRI Alignment:

201, 203, 302, 401, 403,
404, 405



This chapter outlines the significance of human capital and its pivotal role in the strategic goals of the Central Bank of India. Human capital management is critical to the Bank's success and sustainability, impacting everything from operational efficiency to customer satisfaction and innovation. The initiatives and strategies discussed in this chapter directly align with the Bank's vision to be a leading provider of comprehensive financial services and drive economic growth.

The strategic goals of bank include enhancing customer experience, promoting financial inclusion, and ensuring sustainable growth. By investing in its human capital, the Bank aims to foster a motivated and skilled workforce capable of delivering exceptional service and driving the Bank's strategic initiatives forward. This focus on human capital ensures that bank remains competitive and responsive to the dynamic needs of the banking sector.

Human capital is the backbone of bank's operational and strategic framework. It encompasses the Bank's employees' skills, knowledge, and competencies, essential for achieving organisational goals. By investing in its employees' continuous development and well-being, bank enhances its capacity to innovate, improve customer service, and maintain operational excellence. Effective human capital management leads to higher employee satisfaction and retention, contributing to the Bank's long-term success and sustainability.



Human capital is the cornerstone of the Bank's operational excellence and strategic success.



Human Capital Strategy

GRI 103

Strategic Priorities for Human Capital Development

We have identified identified several strategic priorities for human capital development aimed at enhancing the skills and capabilities of its workforce:

- » Leadership Development: Investing in leadership training programs to cultivate future leaders who can drive the Bank's strategic initiatives.
- » Digital Empowerment: Providing training and development programs focused on digital skills to ensure employees can handle technological advancements in banking.
- » Employee Well-Being: Implement wellness programs and provide comprehensive benefits to support employees' physical and mental health.

GRI 102-16

Alignment with the Bank's Vision, Mission, and Values

The human capital strategy of bank is closely aligned with its vision, mission, and core values. The Bank's vision of being a leading provider of comprehensive financial services is supported by a commitment to excellence in human capital management. A skilled and motivated workforce underpins the mission to drive economic growth and financial inclusion. The Bank's approach to employee development and engagement reflects the core values of integrity, customer focus, and continuous improvement.

GRI 404

Key Objectives and Initiatives for Talent Management

Bank has implemented various initiatives to manage and develop talent effectively:

- » Training Programs: Extensive training programs are offered to enhance the skills and knowledge of employees. These programs cover various topics, including leadership, digital skills, and customer service.
- » Performance Management: A robust performance management system is in place to evaluate and improve employee performance. This includes setting clear performance goals, providing regular feedback, and recognising achievements.

26.43%

Female workforce participation

in FY2024, up from 25.18% in FY2023, demonstrating bank's commitment to gender inclusivity.



- » Talent Retention: Initiatives such as competitive compensation packages, career development opportunities, and a supportive work environment are designed to retain top talent and reduce turnover rates.

These strategies and initiatives underscore bank's commitment to building a solid and capable workforce to drive the Bank's strategic goals and ensure long-term success.

Policy Upgrades GRI 401-2

During FY 2024-25, several critical policies were reviewed and approved by the Board to foster career growth, ensure employee well-being, and enhance organizational efficiency. The Career Path-cum-Promotion Policy for both mainstream and specialist officers were updated, providing ample opportunities for career advancement and cross-sectional expertise. The Policy on Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace was reinforced in alignment with the 2013 Act, and the Key Managerial Personnel (KMP) policy was amended to better identify and manage key roles within the bank and its subsidiaries. Additionally, the Apprenticeship Policy was updated to align with government directives, emphasizing skill development for the youth. The Compassionate Appointment Policy was revised to expedite and clarify the

process for appointing or compensating the families of deceased employees.

The Board also approved a comprehensive Code of Ethics, Business Conduct & Conflict of Interest policy to guide employees through ethical dilemmas. A policy on engaging retired officers on a contractual basis was introduced to leverage their experience. The Whistle-Blower Policy was reviewed to ensure proper action on reported concerns, and the Equal Opportunity Policy was strengthened to support differently abled employees. The Mandatory Leave Policy was implemented to mitigate operational risks, while the Recruitment Policy was updated to ensure timely hiring of skilled personnel. The Transfer Policy was refined to accommodate officers' preferences and administrative needs, with special provisions for female officers. Additionally, the Staff Accountability Policy was revised to foster a decision-making environment. The Training and Capacity Building policies were updated to address knowledge gaps and adapt to emerging trends, and the HRD Audit Policy was refined to evaluate human resource strategies. Finally, the Internship and Mentorship policies were updated to provide structured learning and growth opportunities, and a new Succession Planning Policy was approved to identify and nurture talent for key roles within the bank.



8,354

Total number

of female employees in FY2024, an increase of 606 from FY2023.



During FY 2024-25, the Bank reviewed and approved several critical policies to foster career growth, ensure employee well-being, and enhance organizational efficiency, including updates to the Career Path-cum-Promotion Policy, the Policy on Prevention of Sexual Harassment, and the Apprenticeship Policy.



Masterful human capital management translates to elevated employee satisfaction and retention, fuelling the Bank's long-term prosperity.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

31,610

Total workforce

in FY2024, up from 30,770 in FY2023, indicating overall growth

+1.25%

Increase in female

workforce participation from FY2023 to FY2024, highlighting gender diversity efforts.



GRI 405

Workforce Demographics and Inclusion Initiatives

The Central Bank of India prioritises a diverse and inclusive workforce, reflecting a strong commitment to gender diversity and representation across various demographics.

GRI 405

Employee Demographics

As of FY2024, bank's total workforce stood at 31,610 permanent employees, slightly increasing from 30,770 in FY2023. The gender distribution within this workforce is notable, with 23,256 males and 8,354 females, representing 26.4% female participation, up from 25.2% in the previous year. This improvement underscores the Bank's efforts towards gender inclusivity and balanced representation at all organisational levels

Gender Distribution

YEAR	FEMALE EMPLOYEES	MALE EMPLOYEES	TOTAL EMPLOYEES	FEMALE PERCENTAGE	MALE PERCENTAGE
FY2024	8,354	23,256	31,610	26.43%	73.57
FY2023	7,748	23,022	30,770	25.18%	74.82%
CHANGE	+606	+234	+840	+1.25%	-1.25%

GRI 405

Gender Sensitivity and Inclusiveness Initiatives

The Central Bank of India has implemented several impactful initiatives to promote gender sensitivity and inclusiveness within its workforce. These efforts are designed to foster a more equitable and supportive work environment for all employees.

INITIATIVE	DESCRIPTION	IMPACT (FY2023 VS FY2024)
GENDER SENSITIVITY TRAINING	Workshops and training sessions on gender issues	Increased female workforce by 1.25%
INCLUSIVENESS PROGRAMS	Mentorship programs for women and minority groups	Enhanced career development opportunities
SEXUAL HARASSMENT PREVENTION	Adherence to the Sexual Harassment Act and complaint mechanisms	Improved workplace safety and respect
REPRESENTATION OF WOMEN	Total female employees increased	From 7,748 to 8,354 (+1.25%)
REPRESENTATION OF SC/ST/OBC	Total SC/ST/OBC employees increased	+5.6% increase in representation



One of the key initiatives is **Gender Sensitivity Training**, where the Bank conducts regular workshops and training sessions focused on raising awareness about gender issues. This initiative has significantly increased the female workforce, growing by 1.25% from FY2023 to FY2024.

Additionally, the Bank has introduced Inclusiveness Programs, including mentorship programs specifically tailored to women and minority groups. These programs aim to enhance career development opportunities, providing participants the guidance and support needed to advance their careers within the Bank.

Bank also strictly adheres to the **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013**. This adherence involves implementing robust complaint mechanisms through Internal Complaint Committees at all administrative offices. These measures have improved workplace safety and respect, creating a safer and more respectful environment for all employees. The Bank strictly prohibits sexual harassment at the workplace and has implemented guidelines in accordance with "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013." To ensure compliance, Internal Complaint Committees have been established at all administrative



offices. As of March 31, 2024, the status of complaints under this act is as follows: one complaint was pending at the beginning of the year, three complaints were received during the year, making a total of four cases. All four complaints were disposed of during the year, leaving no cases pending at the end of the year.

The overall **Representation of Women** in the workforce has seen a notable increase, rising from 7,748 in FY2023 to 8,354 in FY2024, marking an 1.25% growth. Furthermore, the representation of SC/ST/OBC employees has also improved,

demonstrating the Bank's commitment to fostering a diverse and inclusive workplace.

These initiatives highlight the Central Bank of India's dedication to promoting diversity, equity, and inclusion, ensuring that all employees can thrive and contribute to the Bank's success.

Reservation

The Bank diligently adheres to the Government of India's Reservation Policy for SCs, STs, OBCs, EWSs, and PWDs, ensuring representation across all workforce cadres. Since February 1, 2019, the Bank has included reservations for Economically Weaker Sections in direct recruitment as per GOI guidelines. The SC/ST Cell plays a vital role in implementing, monitoring,



Our unwavering focus on digital empowerment ensures our workforce is primed to excel in an evolving technological landscape.



Bank's human capital strategy seamlessly aligns with our vision of leading the industry in comprehensive financial services.

GRI 405

and evaluating these policies, safeguarding the interests of SC/ST employees, and addressing grievances through dedicated committees. The Reservation Rosters are maintained and publicly accessible on the Bank's website. Regular meetings with Welfare Associations and internal grievance redressal committees are held to ensure continuous improvement and compliance.

Notable visits from dignitaries like Dr. Anju Bala of the National Commission for Scheduled Castes and Dr. P. P. Vava of the National Commission for Safai Karamcharis highlighted the Bank's commitment to addressing issues and enhancing the socio-economic conditions of its employees. The Bank also supports SC/ST borrowers through various credit facilities and government schemes, such as Stand-up India and Pradhan Mantri Mudra Yojana. In 2023-24, recruitment included 454 SC, 236 ST, and 782 OBC candidates, with pre-promotion training provided to 1,232 SC, 461 ST, and 1,959 OBC staff members. Additionally, ₹ 11.25 lakhs were allocated for celebrating Dr. B.R. Ambedkar's birth anniversary, underscoring the Bank's dedication to fostering an inclusive and supportive environment.

Workforce Distribution and Roles

Bank's strategic workforce distribution and diverse roles reflect the Bank's commitment to operational excellence and customer satisfaction. By aligning its human resources with branch productivity parameters and regional demands, bank ensures a balanced and efficient workforce capable of driving sustainable growth and delivering exceptional service across all regions. Bank's workforce encompasses various roles essential to the Bank's operations. The distribution of these roles is designed to support the Bank's comprehensive service model and strategic objectives. The roles within bank's workforce are diverse, ensuring that all operational areas are adequately covered:

ROLE	DESCRIPTION
FRONTLINE BANKING OPERATIONS	Direct customer interaction and transaction processing
WEALTH MANAGEMENT	Financial planning and advisory services
IT AND INFORMATION SECURITY	Management of IT infrastructure and data security
RISK MANAGEMENT	Identification and mitigation of financial risks
CREDIT AND AUDIT	Assessment of creditworthiness and auditing of financial records

This structured approach ensures that each branch can deliver high-quality service, maintain operational efficiency, and meet customer expectations.

At the end of March 2024, the total staff strength of the Bank was 31,610, an increase from 30,770 in the previous year. The breakdown of staff categories shows a notable change over this period. The number of Officers rose from 16,521 in FY2023 to 18,621 in FY2024, indicating a significant recruitment drive or promotions within this category. Conversely, the number of Clerks decreased from 9,060 to 8,204, reflecting a reduction in this category. The Sub-staff category also saw a decline, with numbers dropping from 5,189 in FY2023 to 4,785 in FY2024. This overall change in staff composition highlights a strategic shift towards increasing the Officer cadre while reducing the number of Clerks and Sub-staff.

3.5%

Improvement in

new hire satisfaction rate from 85% in FY2023 to 88% in FY2024.



By the end of March 2024, the Bank's total staff strength increased to 31,610 from 30,770 the previous year, with a notable rise in the number of Officers from 16,521 to 18,621, reflecting a strategic shift towards strengthening the Officer cadre while reducing the number of Clerks and Sub-staff.



Talent Acquisition and Retention

Central Bank of India has consistently employed strategic recruitment initiatives to attract top talent. These strategies are designed to meet the dynamic needs of the banking sector, ensuring that the Bank remains competitive and responsive to market demands.

During the year 2023-24, our recruitment efforts have significantly strengthened our team. We welcomed 471 Specialist Officers, 1,739 Probationary Officers, and additional officers across various scales: 10 in Scale II, 100 in Scale III, and 13 in Scale IV. Additionally, we recruited 579 Customer Service Associates (CSAs), and appointed 30 Office Assistants and 28 CSAs on compassionate grounds. Promotion processes were conducted across all scales and disciplines, resulting in 196 CSAs being promoted to Scale-I officers and 1,203 officers elevated to higher grades. We also considered 840 request transfer applications nationwide. Looking ahead, we've placed an indent for the recruitment of 2,000 Probationary Officers, 2,000 Clerical staff, and 880 Specialist Officers for FY 2024-25. The recruitment process for 85 Specialist Officers for the CENT-NEO Project is underway, and we plan to engage 3,000 additional apprentices in line with the Apprenticeship Act, 1961, and our board-approved policy.

Retention Rates and Key Programs to Retain Top Talent

Retention of top talent is a critical focus for bank. The Bank has implemented several essential programs to enhance employee satisfaction and reduce turnover.

+10.0%

Increase in early

career training hours from FY2023 to FY2024, enhancing skill development.

GRI 401



By continuously investing in our people, bank remains agile and competitive in the ever-changing banking sector.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Our robust training and development programs are pivotal in cultivating a highly skilled and knowledgeable workforce.



GRI 404

Retention Data for FY2023 and FY2024:

METRIC	FY2023	FY2024	CHANGE
OVERALL RETENTION RATE	99.64%	99.46%	-0.18%

Learning and Development

The Central Bank of India has implemented a comprehensive suite of training and development programs to enhance its workforce's skills and competencies. Training programs are conducted through the Bank's Officers' Training Colleges and Centres for Learning and Development (CLDs), covering various topics relevant to multiple job families. Additionally, bank has integrated e-learning modules and video-based learning through the Cent Swadhyay App, which provides employees with flexible and accessible training options.

Special training initiatives have also been undertaken, including leadership development programs conducted by esteemed institutions like McKinsey & Company, IIMs, XLRI, and ASCI. These initiatives target both general and specialised skill sets, emphasising digital transformation and leadership training for specific groups such as IT officers and women senior managers.

Key Highlights

Central RISE Project: Under the Central RISE Project, our bank has implemented several key initiatives:

- » Generative AI Chatbot "Central Chanakya": A cutting-edge chatbot providing bank-specific information.
- » *Mentorship Program:* Fostering guidance and growth.
- » *Succession Planning:* Ensuring smooth leadership transitions.

20.0%

Reduction in

voluntary turnover rate from FY2023 to FY2024, showing improved employee retention.



- » *Rewards and Recognition Program*: Incentivizing top performers.
- » *Scientific Target Setting and Manpower Planning Tools*: Enhancing efficiency and resource allocation.
- » *Job Family and Career Paths*: Clarifying career progression.
- » *Talent Enablement and Leadership Development*: Building future leaders.

Learning and Development:

Aligned with our business plan, the training calendar for FY 2023-24 included programs conducted by three Officers' Training Colleges and fifteen Centres for Learning & Development (CLDs). Notable programs were:

- » Induction and Refresher Training for POs
- » Effective Branch Management
- » Recovery Tools & Negotiating Skills
- » Retail Credit
- » Hindi Karyashala
- » Augmenting MSME Business
- » Compliance in Banking Operations
- » Mobilizing CASA
- » Recovery

Specialized training workshops covered various departments such as Credit, Marketing, HR, Law, Vigilance, Security, and Internal Audits. Key online programs included MSME & Recovery, Retail Advances, SOP on SARFAESI, Vehicle Endorsement, and CASA Mobilization.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

92%

Retention rate for

senior roles in FY2024, up from 90% in FY2023, reflecting successful leadership development

530

Total hours of

e-learning modules available in FY2024, supporting continuous learning.



By continuously investing in our people, Bank remains agile and competitive in the ever-changing banking sector.



Bank's stringent Code of Ethics and Business Conduct guides our employees through complex ethical challenges with integrity.



Capacity Utilization and E-Learning: By March 2024, training colleges and CLDs achieved a capacity utilization rate of 128.28%. E-learning modules totaled 530 hours, with 73.44% of officers and 50.66% of clerks completing at least one module. Overall, 19,030 employees completed 126,399 e-learning modules.

Training Initiatives and Leadership Programs: We provided leadership training programs for officers in Scale IV and above, focusing on strategic thinking, team management, and emerging technologies. Programs were conducted through prestigious institutions like IIM Bangalore, IIM Udaipur, and NIBM. Additional customized training covered topics such as GST, digital marketing, and vigilance.

Capacity Building: Employees were offered the 'Employee Choice of Certification' provision, allowing up to five certifications per year. "Information on the Run" leaflets were provided to enhance job knowledge. Weekly staff meetings facilitated knowledge sharing and discussions on business achievements.

One-on-One Executive Coaching: Over 300 executives received coaching to improve leadership skills, emotional intelligence, and decision-making abilities.

Employee Engagement and HRD Audit Survey: An Employee Engagement Survey cum HRD Audit was conducted to assess the impact of HCM policies. The survey covered HRD culture, employee engagement, performance management, learning & development, and leadership competencies.

ESG Pledge: 29,000 Centralites took the ESG pledge, symbolizing our commitment to a sustainable and ethical working environment.

Central Chanakya: We launched Central Chanakya, a GenAI-powered chatbot providing instant access to crucial bank-specific information, enhancing decision-making and productivity.

73.44%

Officers who completed

at least one e-learning module in FY2024, demonstrating high engagement in learning.



Central PRAISE: The Central PRAISE program was introduced to reward and recognize top-performing employees across all levels.

MoU with IIM Mumbai: An MoU was signed with IIM Mumbai to establish a Chair Professorship, underscoring our commitment to fostering research in the banking and finance sector.

Performance Appraisal Processes and Systems

The Central Bank of India has developed a comprehensive Performance Management System (PMS) to enhance the assessment and development of its employees. This system, known as the Central RISE Project, includes several components to ensure thorough performance evaluation and effective feedback mechanisms.

- » **Role Allocation and Scorecards:** The PMS incorporates detailed role allocation and scorecards for officers and clerks. This helps clearly define the roles and responsibilities, ensuring that performance

evaluations align with individual job expectations and the Bank's strategic objectives.

- » **Review Utility:** A review utility within the PMS tool allows for ongoing performance tracking, allowing managers to offer timely feedback and make necessary adjustments. This fosters a culture of continuous improvement and development.
- » **Target Setting:** Performance targets are set based on market growth data, ensuring that goals are realistic and aligned with current industry trends. This data-driven approach helps in setting achievable benchmarks for employees.
- » **Manpower Planning:** The Bank has also implemented a manpower planning tool to optimise workforce deployment, ensuring staffing levels are appropriate for operational needs.

KPIs for Employee Performance

Bank utilises specific KPIs to measure and manage employee performance effectively. These KPIs are crucial for assessing individual contributions' impact on the Bank's overall success.



The Whistle-Blower Policy reinforces our commitment to transparency, empowering employees to voice concerns with confidence.

126,399

Total number of

e-learning modules completed by employees in FY2024, indicating robust participation.



Our Equal Opportunity Policy champions inclusivity, ensuring meaningful career growth for differently abled employees.

100%

Participation rate

in onboarding programs in FY2024, ensuring all new employees are well-integrated.

- » Business Growth Metrics: These include targets related to advances, deposits, and profitability, which reflect the direct impact of employee performance on the Bank's financial health.
- » Operational Efficiency: KPIs in this area measure the efficiency of internal processes, such as transaction processing times, error rates, and adherence to regulatory standards.
- » Customer Satisfaction: Employee performance is also evaluated based on customer feedback and satisfaction scores, essential for maintaining the Bank's reputation and customer loyalty.
- » Training and Development: Participation in training programs and completion of professional certifications are monitored as indicators of employee engagement and commitment to ongoing professional development.

Recognition and Reward Programs

Bank has implemented several recognition and reward programs to motivate and reward high performance that acknowledge individual and team contributions.

- » Central PRAISE Program: This Program for Rewarding & Acknowledging Individuals & teams for Service & Excellence (PRAISE) aims to recognise outstanding performance and significant contributions to the Bank's objectives. This initiative is designed to boost morale and encourage a culture of excellence.
- » Performance Bonuses and Incentives: Employees who meet or exceed their performance targets are eligible for bonuses and other financial incentives. These rewards are directly tied to achieving specific business and operational goals.

- » Leadership Awards: Special awards are given to employees who demonstrate exceptional leadership qualities and contribute significantly to team success. These awards highlight the importance of leadership at all levels within the organisation.

Employee Engagement and Well-being

GRI 401, 403

Through various robust engagement and well-being initiatives, the Central Bank of India ensures that its workforce remains motivated, healthy, and productive, contributing to the Bank's sustained success and competitive advantage in the banking sector.

Engagement Strategies and Survey Results

The Central Bank of India has implemented comprehensive strategies to boost employee engagement and assess their effectiveness through regular surveys and audits.

- » Employee Engagement Survey: An Employee Engagement Survey cum HRD Audit was conducted to measure the impact of Human Capital Management (HCM) policies. This survey evaluated various parameters, including HRD culture, performance management, learning and development, and career development. High participation rates in these surveys demonstrate the employees' active involvement and provide valuable insights into areas requiring improvement.

Well-being and Work-life Balance

Bank places significant emphasis on its employees' well-being and work-life balance through various initiatives and programs designed to support their physical, mental, and financial health.



Wellness Programs:

- » 24x7 tele-medical consultancy
- » Employee Assistance Program (EAP) for mental health

Medical Facilities and Insurance:

- » Doctors and medicine at Zonal HQs
- » Group Medical Insurance with Super Top-up
- » Corporate Buffer for major ailments
- » Renewed Retirees' Group Health Insurance

Financial Assistance and Incentives:

- » Funeral expense relief and ex gratia payments
- » Canteen subsidies
- » Support for employees with special needs children
- » Rewards for employees' children achieving academic excellence
- » Performance-linked incentives (PLI) and bonuses

Recreational Activities:

- » Upgraded Holiday and Transit Homes
- » Regular health check-ups
- » Funds for sports, cultural, and recreational activities
- » Festive sweets or dry-fruit packets

Transfer Policies and Union Discussions:

- » Joint union discussions on career paths and promotions
- » Rent reimbursement and enhanced ceilings for officers
- » Revised transfer and promotion policies

Disaster Support:

- » Flood Relief Loan for affected employees

In line with our commitment to employee welfare, our bank has earmarked ₹ 25 crore for various staff welfare schemes during FY 2023-

24. These initiatives include medical health check-up reimbursements up to ₹ 5,000 per employee and spouse, financial assistance for employees with children with special needs, and rewards for employees' children achieving academic excellence. Additionally, we have allocated funds for sports, cultural, and recreational activities, and introduced ex-gratia payments for retirees above 75 and the families of deceased employees. Other benefits include the provision of doctors at Zonal Headquarters, canteen subsidies, holiday home facilities, and a 24x7 tele-medical consultation service for employees and retirees starting April 2024.

We have also provided relief loans to employees affected by natural disasters and unrest, organized annual sports and family get-togethers, and initiated online yoga sessions to promote physical well-being. To support gender equality and women empowerment, we allocated funds for International Women's Day celebrations. Our insurance policies cover apprentices and provide group medical insurance for employees and retirees, including a corporate buffer for major medical expenses. We also offered special loans to retirees opting for the group health insurance scheme and ensured early pension disbursement for timely premium payments.

Furthermore, we paid performance-linked incentives, distributed festive sweets/dry-fruits, and revised rent reimbursement ceilings for senior executives. We enhanced the memento value and farewell function expenses for retiring employees and increased the silver jubilee award for 25 years of service. Lastly, we started sending birthday wishes via WhatsApp and signed an MoU with IIM Mumbai to establish a chair professor in the bank's name to foster research in India's banking and financing ecosystem.



Leadership development at bank is about shaping visionary leaders who can steer the Bank towards strategic triumphs.

₹25 Crores

Funds earmarked for various staff welfare schemes during FY 2023-24.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Bank's CSR initiatives not only strengthen community bonds but also inspire pride and fulfilment among our employees.



Central Bank of India's health and safety programs, including the Retirees' Group Health Insurance Policy, ensure a secure work environment and provide significant medical support, reflecting high participation rates and positive employee feedback.

Health and Safety Programs and Their Outcomes

Bank is dedicated to maintaining a safe and healthy work environment through well-structured health and safety programs.

- » Health Check-ups and Insurance: Regular health check-ups are provided, and comprehensive insurance coverage ensures that employees and retirees have access to necessary medical care. The Corporate Buffer scheme and Retirees' Group Health Insurance Policy give additional support to significant medical expenses.
- » Safety Programs: The Bank's health and safety programs include proactive measures to ensure a secure work environment. These initiatives have led to high participation rates and positive feedback from employees, reflecting the effectiveness of the programs in improving overall well-being.

through our ongoing engagement with employee unions and representative bodies. We prioritize open communication, mutual respect, and collaborative problem-solving to ensure a positive and productive work environment. By fostering trust and understanding, we aim to create a supportive atmosphere that benefits both our employees and the organization as a whole.

On June 17, 2023, we held a joint discussion with the AICBOF, the majority officers' union, to address key issues affecting our workforce. Throughout the fiscal year 2023-24, we engaged in several rounds of meetings with majority unions to deliberate on the Career Path-cum-Promotion Policy for both mainstream and specialist officers, as well as the transfer norms for officers. Additionally, extensive discussions were conducted with the AICBEF, the majority award staff union, to finalize revised transfer and promotion norms for award staff. These collaborative efforts underscore our commitment to fostering a fair and supportive work environment.

GRI 402

Industrial Relations

Our commitment to maintaining cordial industrial relations is evident



Crisis Management Plan (CMP): In response to guidelines from the Department of Financial Services (DFS), outlined in letter No-eF.No.6/8/2014-IR dated December 22, 2023, a re-drafted Crisis Management Plan (CMP) was developed to address potential industry-wide strikes in the banking sector.

To manage any crisis arising from a prolonged strike of three days or more, our higher authorities have formed a Crisis Management Team. This team will coordinate with the Industry-level Monitoring Committee and includes the following General Managers:

1. **General Manager-HCM** - Nodal Officer/Coordinator
2. **General Manager-Operations**
3. **General Manager-IT**
4. **General Manager-Digital Payment & Transactional Banking**

The Crisis Management Team held its initial meeting on December 1, 2023. Following the meeting, our department collected suggestions from all Nodal Officers to ensure comprehensive preparedness. The Monitoring Committee at the bank level will convene regularly to stay updated and prepared for any potential crises.

Leadership Development GRI 404

The Central Bank of India has implemented various leadership development programs to nurture future leaders across different levels of the organisation. These programs enhance strategic thinking, team management, conflict resolution, and adaptation to emerging technologies.

Training & Participation

- » Leadership Training Programs:
 - ↳ General Managers and Deputy General Managers participated in training programs at IIM Bangalore.

- ↳ Assistant General Managers received training at IIM Udaipur.
- ↳ Chief Managers underwent training at NIBM.
- ↳ Specialised foreign programs for performing Regional Heads were conducted at NIBM & Kent Business School.

Participation in these programs has been significant:

- » **GMs/DGMs at IIM Bangalore:** 1 program, 70 participants.
- » **AGMs at IIM Udaipur:** 1 program, 187 participants.
- » **CMs at NIBM:** 1 program, 834 participants.
- » **FSIB nominated GMs/DGMs:** 1 program, 6 participants.
- » **Foreign Program at NIBM & Kent Business School:** 1 program, 8 participants.

Succession Planning and Leadership Pipeline

Bank has instituted robust succession planning to ensure seamless transitions and maintain operational continuity. This effort includes the "Project Cent Nurture," which focuses on identifying and developing successors for critical positions.

- » **One-on-One Executive Coaching:** Over 300 executives have received personalised coaching to enhance leadership skills, emotional intelligence, and decision-making capabilities. This coaching helps high-performing leaders sustain their results over time.

Impact of Leadership Development on the Organization

Through multiple strategic initiatives, the Central Bank of India continues to cultivate a capable and dynamic leadership team that is well-equipped to



Our comprehensive wellness programs and benefits reflect bank's steadfast commitment to the holistic well-being of our employees.



Bank's leadership development programs, including training at premier institutions like IIM Bangalore and specialized foreign programs at NIBM & Kent Business School, enhance strategic thinking, team management, and adaptation to emerging technologies across all organizational levels.

navigate the challenges of the banking sector and drive the organisation's long-term success. The comprehensive leadership development programs have substantially impacted the Central Bank of India, contributing to enhanced leadership capabilities and a more robust succession pipeline.

- » **Improved Leadership Capabilities:** With over 1,100 officers trained,



The Bank has significantly improved leadership competencies across various managerial levels, enhancing operational efficiency and employee engagement through digital tools and platforms like the HRMS Module and the GenAI-powered chatbot Central Chanakya.

GRI 402



Bank's systematic approach to succession planning ensures future leadership stability and continuity, enhancing leadership competencies across various managerial levels and preparing the Bank for future challenges.

- » the Bank has significantly improved leadership competencies across various managerial levels.
- » **Enhanced Succession Planning:** The systematic approach to succession planning ensures that the Bank is well-prepared for future leadership needs, fostering stability and continuity within the organisation.
- » **Increased Operational Efficiency:** Integrating digital tools and platforms, such as the HRMS Module and the GenAI-powered chatbot Central Chanakya, has improved operational efficiency and employee engagement. These tools provide instant access to vital information and facilitate seamless communication, enhancing the overall effectiveness of the leadership.

Compensation and Benefits

Through its strategic approach to compensation and benefits, the Central Bank of India ensures it remains an employer of choice by offering competitive packages that support its employees' well-being and professional growth. These initiatives significantly contribute to the Bank's ability to attract, retain, and motivate top talent, thereby driving organisational success.

Aligning with Industry Standards

The Central Bank of India has crafted a compensation strategy to maintain competitiveness with industry standards, thereby ensuring the attraction and retention of top talent. This strategy is multi-faceted, combining fixed and variable pay elements, long-term incentives, and comprehensive benefits packages.

- » **Industry Benchmarking:** Bank regularly benchmarks its compensation packages against those of peer banks and financial institutions. This involves comparing

salaries, bonuses, and benefits to ensure they are competitive.

- » **Fixed and Variable Pay:** The Bank's compensation structure includes a competitive base salary, performance-based bonuses, and long-term incentives. This balanced approach rewards both immediate achievements and long-term contributions to the Bank's success.

Employee Benefits and Incentives

Bank offers a broad range of benefits and incentives designed to enhance its employees' well-being and professional growth. These benefits address various aspects of the employees' lives, from health and financial security to career development and work-life balance.

» Health and Well-being:

- ◀ **Group Medical Insurance:** All employees are covered under a Group Health Insurance policy, which includes a Corporate Buffer for additional expenses not covered by the basic insurance. In FY2024, the Corporate Buffer scheme continued to provide essential financial support for major medical expenses.
- ◀ **Tele-Medical Consultation:** Starting April 1, 2024, bank partnered with Qikwell Technologies Private Limited (Practo) to offer 24x7 unlimited tele-medical consultations for employees and retirees.
- ◀ **Health Check-ups:** The Bank provides regular health check-ups for employees and their spouses, reimbursing up to ₹5,000 per head.
- ◀ **Employee Assistance Program (EAP):** This program offers professional counselling services for mental health, family concerns, self-development, and diet/nutrition consultations.



» **Financial and Family Support:**

- ◀ **Maternity and Paternity Benefits:** Six months of maternity leave and fifteen days of paternity leave per child are provided.
- ◀ **Educational Assistance:** Tuition fee reimbursement is available for up to two children, along with rewards for academic excellence.
- ◀ **Special Allowances:** Financial assistance is offered for employees with children who have special needs or disabilities, along with canteen subsidies.

» **Retirement and Recognition:**

- ◀ **Comprehensive Retirement Package:** This includes Provident Fund (PF), Gratuity, Pension, and National Pension System (NPS) benefits.
- ◀ **Recognition Programs:** Enhanced mementoes for retiring employees, Silver Jubilee Awards, and Diwali gifts are part of the recognition initiatives.

» **Recreational and Miscellaneous Benefits:**

- ◀ **Holiday and Transit Homes:** Facilities across major locations in India ensure quality stays for employees.
- ◀ **Sports and Cultural Activities:** Budget allocations support various sports, cultural, and recreational activities.
- ◀ **Insurance and Emergency Assistance:** Workmen's Compensation Insurance and ex-gratia payments are provided to families of employees who pass away in service.

Compensation Competitiveness and Employee Satisfaction

Bank tracks various metrics to ensure its competitive compensation packages meet employee expectations.

» **Pension and Gratuity Plans:**

- ◀ As of March 31, 2024, the defined benefit obligation for the

pension plan was ₹16,729 crore, and for the gratuity plan, it was ₹1,651.72 crore.

- ◀ Actuarial valuations are conducted to ensure these plans are adequately funded, with regular contributions made by the Bank.

» **Employee Satisfaction:**

- ◀ Regular surveys and audits, such as the Employee Engagement Survey, assess employee satisfaction with compensation and benefits. High participation rates and positive feedback indicate the effectiveness of these programs.
- ◀ Metrics on health insurance coverage, maternity and paternity benefits, and financial support programs further demonstrate the Bank's commitment to employee well-being.

Corporate Culture and Values

With various initiatives and real-life employee stories, it is evident that the Central Bank of India has successfully cultivated a corporate culture that aligns with its values and strategic objectives, fostering a positive, inclusive, and supportive work environment.

Initiatives to Foster a Positive and Inclusive Corporate Culture

The Central Bank of India has implemented numerous initiatives to foster a positive and inclusive corporate culture. These initiatives create an environment where employees feel valued, respected, and motivated.

Diversity and Inclusion Programs: Bank has established policies and guidelines to ensure a diverse and inclusive workplace. This includes the Women Friendly Transfer Policy and the Equal



Central Bank of India provides comprehensive maternity and paternity benefits, including six months of maternity leave and fifteen days of paternity leave per child, along with educational assistance and special allowances for employees with children who have special needs or disabilities.

GRI 102



Integrating digital tools like the HRMS Module and GenAI-powered chatbot Central Chanakya has significantly improved operational efficiency and employee engagement, providing instant access to vital information and seamless communication.



Bank's policies for employees with disabilities ensure equal opportunities and support, fostering a culture of inclusion and respect throughout the organization.



Opportunity Policy for employees with disabilities. These policies aim to provide equal opportunities and support for all employees, promoting a culture of inclusion and respect.

Employee Engagement Activities: The Human Capital Management (HCM) Department organises bi-annual get-together events, sports days, and recreational activities to engage employees and their dependents. Festivals and national events are also celebrated at each unit level to foster community and camaraderie among staff.

Ethics and Integrity: Bank has adopted a comprehensive Code of Conduct and Ethics, reviewed annually, to promote a culture of integrity and ethical behaviour among employees. This includes policies on conflict of interest and professional conduct, ensuring that all staff adhere to high moral standards.

Alignment of Corporate Culture with the Bank's Values and Strategic Objectives

Bank's corporate culture is closely aligned with its core values and strategic objectives, ensuring that every aspect of the Bank's operations reflects its commitment to excellence, transparency, and responsibility.

» **Core Values:** The Bank's core values include Consistency, Ethical

Standards, Nurturing Potential, Transparency, and Responsiveness. These values guide the behaviour and decisions of all employees, aligning their actions with the Bank's mission and strategic goals.

» **Strategic Objectives:** The initiatives undertaken by bank to promote a positive corporate culture are directly linked to its strategic objectives. By fostering a supportive and inclusive work environment, the Bank aims to enhance employee satisfaction, retention, and performance, thereby driving overall organisational success.

Technology and Innovation in HR

GRI 103

AT Central Bank of India, several technological advancements and innovative HR practices have substantially improved the Bank's human capital management, contributing to a more engaged, efficient, and satisfied workforce.

Adoption & Impact on Human Capital Management

The Central Bank of India has embraced various HR technologies to enhance human capital management. These technologies have streamlined HR processes, improved operational efficiency, and fostered employee engagement.



Employee engagement activities, including bi-annual get-togethers, sports days, and celebrations of festivals and national events, foster community and camaraderie among bank staff and their dependents.



- » **HRMS Module:** Bank has evolved its Human Resource Management System (HRMS) as a comprehensive portal for all HR-related matters. This module includes functionalities for employee self-service, grievance redressal, and performance management.
- » **Digital Transformation Initiatives:** The Bank has integrated digital tools to facilitate seamless HR operations. This includes the deployment of AI-based chatbots to handle employee queries, thereby improving response times and service quality.
- » **Employee Assistance Program (EAP):** Launching the 24x7 tele-medical consultancy service under the EAP has provided crucial support for employees' mental and physical well-being. This initiative highlights the Bank's commitment to leveraging technology for employee health.

Digital Tools and Platforms Used for HR Processes

Bank has implemented various digital tools and platforms to enhance multiple HR processes, making them more efficient and user-friendly.

Cent Swadhyay App: This e-learning platform offers a variety of training modules, enabling employees to access learning resources anytime, anywhere. The app has been instrumental in promoting continuous learning and professional development.

HRMS Self-Service Portal: The HRMS portal allows employees to manage their personal information, access payslips, apply for leave, and raise grievances. This self-service approach empowers employees and reduces the administrative burden on HR staff.

Performance Management System: The Central RISE Project includes a robust performance management system that integrates role allocation, scorecards, and review utilities to track and assess employee performance effectively.

Innovations in HR Practices and Their Outcomes

Bank has introduced several innovative HR practices that have yielded positive employee satisfaction and organisational efficiency outcomes.

AI-Based Chatbot: Introducing an AI-based chatbot has enhanced the efficiency of addressing employee queries related to HR policies, benefits, and procedures. This innovation has significantly reduced response times and improved employee satisfaction.

Two-Factor Authentication: To enhance the security of HR systems, Bank has implemented two-factor authentication for access to the Core Banking Solution (CBS) platform. This measure ensures that sensitive employee data is protected against unauthorised access.

Digital Document Execution: The Bank has integrated with fintech solutions for digital document execution, streamlining the onboarding process and other HR documentation. This innovation has led to faster processing times and reduced paperwork.

CSR and Employee Involvement

The Central Bank of India actively demonstrates its commitment to social responsibility through these initiatives, positively impacting the community and its employees. The Bank's CSR activities not only improve societal conditions but also foster a sense of fulfilment and engagement among employees, driving the overall success and sustainability of the organisation.

Employee Participation in CSR Activities

The Central Bank of India actively encourages employee participation in its CSR initiatives, fostering a culture of volunteerism and community involvement among its staff.



The HRMS module at bank serves as a comprehensive portal for all HR-related matters, including employee self-service, grievance redressal, and performance management, streamlining HR processes and enhancing operational efficiency..

GRI 413, 102



Bank's deployment of AI-based chatbots for handling employee queries has significantly improved response times and service quality, demonstrating the Bank's commitment to leveraging digital tools for seamless HR operations.



Bank encourages employees to volunteer for various CSR projects, including financial literacy workshops, environmental sustainability efforts, and social welfare programs, enhancing community benefits and boosting employee satisfaction and team spirit.



CSR workshops at bank educate employees on the importance of CSR, raising awareness and motivating active participation in community service, which significantly improves employee morale and strengthens community relations.

Volunteerism: Employees are encouraged to volunteer their time and skills for various CSR projects. This includes participation in financial literacy workshops, environmental sustainability projects, and social welfare programs. This engagement benefits the community and enhances employee satisfaction and team spirit.

CSR Workshops: Workshops are conducted to educate employees about the importance of CSR and how they can contribute. These sessions are designed to raise awareness and motivate employees to participate actively in CSR activities.

CSR's Impact on Morale & Community Relations

Bank's CSR initiatives have had a significant positive impact on both employee morale and community relations.

Enhanced Employee Morale:

Participation in CSR activities has been linked to increased job satisfaction and a sense of pride among employees. The opportunity to give back to the community through organised CSR projects helps employees feel more connected to the Bank's values and mission.

Strengthened Community Relations:

Bank's involvement in community development projects, healthcare initiatives, and educational programs has strengthened its relationship with local communities. These efforts have reinforced the Bank's reputation as a responsible and caring corporate citizen, fostering goodwill and trust among stakeholders.

Key CSR Projects and Their Outcomes

Bank has undertaken several key CSR projects with substantial outcomes that

have benefitted various segments of society.

Financial Literacy Programs: The Bank conducted numerous workshops and seminars to improve financial literacy among different demographics, mainly targeting individuals and small businesses in underserved areas. These educational programs provided essential knowledge on budgeting, saving, and investment strategies, empowering participants to make informed financial decisions. Outcome: Reached over 10,000 individuals, equipping them with the knowledge to manage their finances effectively.

Environmental Sustainability Initiatives:

Bank launched several sustainability projects, including tree plantation drives, clean-up campaigns, and the "Green Banking" program, which promotes using digital banking services to reduce paper usage and waste. Outcome: Reduced paper usage by 30%, planted 5,000 trees, and organised clean-up drives that collected over 10 tons of garbage.

Community Development Projects:

The Bank-funded infrastructure projects such as building schools and healthcare centres and supported various social welfare programs focused on improving living conditions for the most vulnerable sections of society.

Healthcare Initiatives: Recognising the importance of health and well-being, bank invested in healthcare initiatives that provided access to essential medical services, including funding for mobile health clinics in rural areas, health camps, and programs focused on preventive healthcare. Outcome: Provided medical services to over 15,000 individuals in rural and underserved areas, significantly improving their health outcomes.



Future Outlook

The Central Bank of India is committed to continuing its strategic focus on human capital development to drive future growth and success. The Bank's human capital strategy emphasises several vital priorities to enhance employee capabilities, foster leadership, and promote a culture of continuous learning and innovation.

- » **Leadership Development:** Bank plans to expand its leadership training programs to cultivate a pipeline of future leaders who can steer the Bank through evolving challenges and opportunities. This includes more extensive executive coaching and mentorship programs.
- » **Digital Skill Enhancement:** With the rapid pace of technological advancements, bank will focus on equipping its workforce with digital skills. This includes training on new digital tools, platforms, and processes to ensure employees can effectively contribute to the Bank's digital transformation efforts.
- » **Employee Well-being and Engagement:** Recognising the importance of employee well-being, bank will continue to enhance its wellness programs, providing comprehensive support for mental, physical, and financial health. Engaging employees through various initiatives will remain prioritised to maintain high job satisfaction and productivity.

Emerging Trends and Challenges

As the banking sector evolves, several emerging trends and challenges will impact human capital management at bank.

Technological Disruption: Integrating advanced technologies such as artificial intelligence, machine learning, and automation will require employees to adapt and upskill continuously. Managing this transition and ensuring the workforce is prepared for new technological demands will be a significant challenge.

Changing Workforce Demographics: With an increasingly diverse workforce, bank will need to focus on creating an inclusive work environment that caters to the needs of different demographic groups. This includes implementing policies that support work-life balance and flexible working arrangements.

Regulatory Changes: The banking sector is subject to frequent regulatory changes, which can impact HR policies and practices. Staying compliant while ensuring employees are informed and trained on new regulations will be essential.

Goals and Targets

Bank has set clear goals and targets for human capital management to ensure its workforce's continued growth and development.

Enhancing Training Programs: The Bank aims to increase the number of training hours and participation rates in its development programs. This includes leveraging e-learning platforms and conducting more in-person workshops and seminars.

Improving Retention Rates: By providing competitive compensation packages, career development opportunities, and a supportive work environment, bank aims to improve its employee retention rates. The goal is to reduce voluntary turnover and maintain a stable, experienced workforce.



Bank's future outlook emphasizes human capital development, focusing on leadership training, digital skill enhancement, and comprehensive wellness programs to drive growth and ensure high employee satisfaction and productivity.

Fostering Innovation: Encouraging a culture of innovation will be a crucial focus. This includes promoting creative problem-solving and encouraging employees to contribute ideas that can drive the Bank's strategic initiatives.

Leadership Pipeline Development: Strengthening the leadership pipeline through targeted development programs and succession planning will ensure that bank has a ready pool of capable leaders to take on future challenges.

By focusing on these strategic priorities, addressing emerging challenges, and setting clear goals, the Central Bank of India is well-positioned to enhance its human capital management practices, contributing to the overall success and sustainability of the organisation.



GRI Index

GRI Standard Number	Disclosure	Material Issue - Strategic Priority - Business Model Component	UNSDG Reference	Page Number(s)
GRI 102-1	Name of the organization	34 - N - 4	-	12
GRI 102-2	Activities, brands, products, and services	30 - O - 2	-	14, 24
GRI 102-3	Location of headquarters	34 - N - 3	-	12, 14
GRI 102-4	Location of operations	29 - N - 2	-	12
GRI 102-5	Ownership and legal form	36 - N - 1	-	04
GRI 102-6	Markets served	15 - F - 7	-	14, MD&A
GRI 102-7	Scale of the organization	30 - A - 3	-	14, MD&A
GRI 102-8	Information on employees and other workers	23 - C - 5	8.5, 8.8	112
GRI 102-9	Supply chain	33 - K - 1	12.6	48
GRI 102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	22 - K - 1	-	45
GRI 102-11	Precautionary Principle or approach	34 - N - 4	16.5	24, 46
GRI 102-12	External initiatives	14 - O - 5	17.16	48, MD&A
GRI 102-13	Membership of associations	36 - M - 6	-	96
GRI 102-14	Statement from senior decision-maker	34 - N - 6	-	16
GRI 102-15	Key impacts, risks, and opportunities	2 - N - 4	13.1	21, 24
GRI 103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	2 - N - 4	-	26
GRI 201-1	Direct economic value generated and distributed	12 - I - 9	8.1, 8.2	21, 24
GRI 202-1	Ratios of standard entry-level wage by gender compared to local minimum wage	27 - D - 5	5.1, 8.5	112
GRI 202-2	Proportion of senior management hired from the local community	23 - C - 3	8.5	112
GRI 203-1	Infrastructure investments and services supported	7 - P - 3	9.1, 9.3	70
GRI 203-2	Significant indirect economic impacts	12 - I - 9	8.1, 8.2	21, 36, 42
GRI 205-1	Operations assessed for risks related to corruption	34 - N - 4	16.5	46, CGR
GRI 205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	34 - N - 5	16.5	12
GRI 205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	34 - N - 4	16.5	12
GRI 206-1	Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices	35 - L - 4	16.3	46
GRI 302-1	Energy consumption within the organization	4 - O - 3	7.3, 12.2	82
GRI 302-3	Energy intensity	4 - O - 3	7.3, 12.2	82
GRI 302-4	Reduction of energy consumption	4 - O - 3	7.3, 12.2	82
GRI 303-1	Interactions with water as a shared resource	5 - O - 3	6.4, 12.2	82
GRI 304-1	Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	1 - N - 3	15.1, 15.5	82
GRI 305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	2 - O - 3	13.1, 13.2	82
GRI 305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	2 - O - 3	13.1, 13.2	82
GRI 305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions	2 - O - 3	13.1, 13.2	82
GRI 305-4	GHG emissions intensity	2 - O - 3	13.1, 13.2	82
GRI 305-5	Reduction of GHG emissions	2 - O - 3	13.1, 13.2	82
GRI 306-1	Waste generation and significant waste-related impacts	6 - O - 3	12.4, 12.5	82
GRI 307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	35 - N - 4	16.3	82
GRI 401-1	New employee hires and employee turnover	23 - C - 5	8.5, 8.6	112
GRI 402-1	Minimum notice periods regarding operational changes	34 - N - 6	-	48
GRI 403-1	Occupational health and safety management system	25 - D - 5	8.8	112
GRI 403-2	Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	25 - D - 5	8.8	112
GRI 403-3	Occupational health services	25 - D - 5	8.8	112



GRI Standard Number	Disclosure	Material Issue - Strategic Priority - Business Model Component	UNSDG Reference	Page Number(s)
GRI 403-4	Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	25 - D - 5	8.8	112
GRI 404-1	Average hours of training per year per employee	24 - D - 5	8.5	112
GRI 404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	24 - D - 5	8.5	112
GRI 405-1	Diversity of governance bodies and employees	27 - D - 5	5.1, 5.5	112
GRI 405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	27 - D - 5	5.1, 5.5	112
GRI 406-1	Incidents of discrimination and corrective actions taken	27 - N - 5	-	112
GRI 412-1	Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments	9 - N - 5	16.1, 16.2	112
GRI 418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	10 - G - 5	16.3, 16.10	46, 70
GRI 419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area	36 - N - 4	16.3, 16.6	96, CGR
GRI FS-1	Policies with specific environmental and social components applied to business lines	33 - O - 1	-	96
GRI FS-2	Procedures for assessing and screening environmental and social risks in business lines	33 - O - 1	-	82, 96
GRI FS-3	Processes for monitoring clients' implementation of and compliance with environmental and social requirements included in agreements or transactions	33 - O - 1	-	82, 96
GRI FS-4	Process(es) for improving staff competency to implement the environmental and social policies and procedures as applied to business lines	24 - E - 5	8.5	112
GRI FS-5	Interactions with clients/investees/business partners regarding environmental and social risks and opportunities	33 - O - 5	-	82, 96
GRI FS-6	Percentage of the portfolio for business lines by specific region, size, and by sector	15 - J - 7	10.2, 10.3	14, MDA
GRI FS-7	Monetary value of products and services designed to deliver a specific social benefit for each business line broken down by purpose	15 - J - 9	1.4, 10.2	48, 62
GRI FS-8	Monetary value of products and services designed to deliver a specific environmental benefit for each business line broken down by purpose	29 - O - 9	13.2, 13.3	48, 62
GRI FS-10	Percentage and number of companies held in the institution's portfolio with which the reporting organization has interacted on environmental or social issues	12 - K - 7	12.6, 12.8	48
GRI FS-11	Percentage of assets subject to positive and negative environmental or social screening	7 - O - 8	12.6	48
GRI FS-13	Access points in low-populated or economically disadvantaged areas by type	19 - J - 7	8.10, 10.2	48
GRI FS-14	Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged people	19 - J - 7	1.4, 10.2	48, 96
GRI FS-15	Policies for the fair design and sale of financial products and services	15 - J - 7	10.2, 10.3	48, 70, MD&A
GRI FS-16	Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary	17 - E - 5	4.4, 4.7	48

Disclaimer:

The following table is an expanded GRI index designed to include a selection of standards most relevant to a banking institution. This cross-reference table is not exhaustive, and the exact standards and disclosures applicable to the Bank will depend on our materiality assessment and the specific nature of our operations. Please note that the alignment of information within the table may exhibit slight imperfections due to formatting constraints. The fourth column contains specific chapters referenced in this report, bearing relevance to Materiality, Strategic Pillars, and Business Model Canvas components. To fully understand these references, please refer to the dedicated chapters within the report. This table serves as a general guideline and might not cover all the unique aspects of our organization. For precise details and complete accuracy, please refer to the original sources and consult the dedicated chapters.



NOTICE

Notice is hereby given that the **17th (Seventeen) Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of Central Bank of India will be held on Tuesday, 16th July, 2024 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) at Central Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 (deemed venue of the meeting) to transact the following business:

Ordinary Business:-

Item No.1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

Special Business:-

Item No.2

To approve the appointment of Smt. Charulatha S. Kar as RBI Nominee Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, appointment of Smt. Charulatha S. Kar, as RBI Nominee Director of the Bank under clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide Notification No. eF.No.6/3/2011-BO. I dated 14th July, 2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 14th July, 2023 and until further orders, be and is hereby approved.”

Item No.3

To approve the appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director of the Bank under clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification No. eF.No.4/1(x)/2023-BO. I dated 09th October 2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 09th October, 2023 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved.”

Item No.4

Election of ONE Shareholder Director.

To elect **ONE** Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the “Regulation Act”), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and the Central Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998 and (hereinafter referred to as the “Regulations”), The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (herein after referred to as the “SEBI Listing Regulations”) and RBI Master Direction DBR.Appt.No.:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and Notification no. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as ‘RBI Notifications’) and further amendments thereto, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated September 3, 2013 from Government of India (GOI) and F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 (the extant Govt. of India guidelines) read with Guidelines dated July 08, 2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to “GOI Guidelines”) and further amendments, if any, made thereto and to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT Shri/ Smt. _____ elected as Director from amongst Shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, Reserve Bank of India Notification and Government of India Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office with effect from 17th July, 2024 and shall hold the office for a term of three years till 16th July, 2027.”



Upon election, the aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

Item No.5

To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹5000 crore through various modes such as QIP/FPO/ Rights issue.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following Resolution as **Special Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “Board”) which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of face value of ₹10 (Rupees Ten only) upto the value of ₹5000 crore (Rupees Five Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian

nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”), Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Qualified Institutions Placements (QIPs), follow-on-Public Issue (FPO), Rights issue or in combination thereof, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“SEBI ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 as amended, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP),



Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations:

- A. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution.
- B. The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion,



fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank or a Committee of Board as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 04th June, 2024

(Chandrakant Bhagwat)

Place: Mumbai

Company Secretary &
Compliance Officer

NOTES:

1. The Explanatory Statement pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 setting out the material facts in respect of the **Business Item Nos.2 to 5** to be transacted at the meeting is annexed hereto.
2. **HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM):**

Pursuant to General Circular No.09/2023 dated 25th September, 2023 read with other relevant Circulars including Circular No.10/2022 dated 28th December,

2022, General Circular No.20/2020 dated 05th May, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular dated 7th October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for holding the AGM through VC / OAVM, the Bank is convening the 17th Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Central Office of Bank shall be deemed to be the venue of the AGM.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, a Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held through VC/ OAVM pursuant to the MCA and SEBI Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Annual General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the Shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been sent to the Bank through e-mail at investors@centralbank.co.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. **on or before 5.00 PM on Thursday, 11th July, 2024.**

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

6. Registration of email ID and Bank Account details:

- (a) In case the Shareholder's email ID is already registered with the Bank/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case, the shareholder has not registered his/ her/their email address with the Bank/its RTA/ Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:



- (i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/ Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit.

OR

- (ii) In the case of Shares are held in Demat mode:

The Shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

- (iii) For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled-in ISR-1 form alongwith requisite documents to Link Intime India Pvt. Ltd , C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 or soft copy of duly filled-in ISR-1 form alongwith requisite documents through mail at rnt.helpdesk@linkintime.co.in

- (b) The Notice of the Annual General Meeting is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/ Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same, in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI. Members may note that the Notice of Annual General Meeting will also be available on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only.

7. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/70 dated May 17, 2023 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. Accordingly, it is once again reiterated that all holders and claimants of physical securities shall furnish valid PAN, KYC details, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

S.No	Form	Purpose
1.	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2.	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3.	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4.	Form SH-13	Nomination Form
5.	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section.

Further, SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/181 dated November 17, 2023, has done away with the provision regarding freezing of folios not having PAN, KYC, and Nomination details.

Members may please note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the Listed Companies to issue securities in dematerialized form only while processing service requests viz. Issue of duplicate securities certificate; claim from unclaimed suspense account, renewal/exchange of securities certificate; endorsement; sub-division/splitting of securities certificate; consolidation of securities certificates/folios; transmission and transposition. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR – 4.

8. Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal"):

SEBI vide Circular Nos. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/ CIR/2023/131 dated July 31, 2023, and SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135 dated August 4, 2023, read with Master Circular No. SEBI/HO/ OIAE/OIAE_IAD-1/P/ CIR/2023/145 dated July 31, 2023 (updated as on August 11, 2023), has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market. Pursuant to above-mentioned circulars, post exhausting the option to resolve their grievances with the RTA/ Bank directly and through existing SCORES platform, the investors can initiate dispute resolution through the ODR Portal (<https://smartodr.in/login>) and the same can also be accessed through the Bank's website www.centralbankofindia.co.in



Shareholders can contact Registrar and Transfer Agent and Bank for share/ dividend related information at following address:

<p>Link Intime Service Private Limited (Unit: Central Bank of India) Address: C 101, Embassy 247, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 Mumbai Tel no. 810 811 6767 Toll-free number : 1800 1020 878 Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in</p>	<p>Investor Relations Department Central Bank of India Address: Central Office, 09th Floor, Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai 400021 Tel no. 022 66387575 Email ID: smird@centralbank.co.in/ investors@centralbank.co.in Website: www.centralbankofindia.co.in</p>
---	--

9. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch, where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank. The shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in.

11. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, 10th July, 2024 to Tuesday, 16th July, 2024** (both days inclusive).

12. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

13. Cut Off / Record date for voting:

- Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. **Tuesday, 9th July, 2024, shall be eligible for voting on agenda item 1, 2, 3 & 5 and:**
- Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. **Friday, 14th June, 2024, shall be eligible for voting on agenda item 4.**

Subject to the restrictions under Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder other than Central Government who has been registered as a shareholder on the Specified/ Cut-off Date will be entitled to vote in the Election of Shareholder Director of the Bank and shall have one vote for each share held by him/her as on that Date. However, it may be noted that Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the AGM as an observer.

14. REMOTE E-VOTING:

In compliance with Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with **Link Intime India Pvt. Limited**, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.



Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on “e-voting facility provided by Listed Companies”, e-voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/websites of Depositories/ DPs to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider (“ESP”) thereby not only facilitating seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their DPs to access e-voting facility.

The remote e-voting period begins on Friday, 12th July, 2024 at 10.00 AM and ends on Monday, 15th July, 2024 at 05.00 PM. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below: :

Login for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below :-

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<ul style="list-style-type: none"> • If shareholder is already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsd.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. Shareholder will have to enter your User ID and Password. • After successful authentication, Shareholder will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and shareholder will be re-directed to e-Voting service provider i.e. Link Intime website for casting of the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. • If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. Shareholder will have to enter their User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, shareholder will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website i.e. https://instavote.linkintime.co.in for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.



Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	<ul style="list-style-type: none"> Existing user of who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. After successful login of Easi / Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. Link Intime. Click on Link Intime name to cast your vote. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi./Registration/EasiRegistration Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the E Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) & login through their depository participants	<ul style="list-style-type: none"> Shareholder can also login using the login credentials of his/her demat account through their Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, shareholder will be able to see e-Voting option. Once he/she click on e-Voting option, he/she will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-Voting feature. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders holding securities in Physical mode.	<ol style="list-style-type: none"> Open the internet browser and launch the URL: https://instavote.linkintime.co.in <ul style="list-style-type: none"> Click on "Sign Up" under 'SHARE HOLDER' tab and register with your following details: - <ol style="list-style-type: none"> User ID: Shareholders/ members holding shares in physical form shall provide Event No + Folio Number registered with the Company. PAN: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Members who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable. DOB/DOI: Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP / Company - in DD/MM/YYYY format) Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company. <ul style="list-style-type: none"> Shareholders/ members holding shares in physical form but have not recorded 'C' and 'D', shall provide their Folio number in 'D' above <ul style="list-style-type: none"> Set the password of your choice (The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter). Click "confirm" (Your password is now generated). Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab. Enter your User ID, Password and Image Verification (CAPTCHA) Code and click on 'Submit'. After successful login, you will be able to see the notification for e-voting. Select 'View' icon. E-voting page will appear. Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link). After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.



If Shareholders holding shares in Physical Form have forgotten password:

- Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab and further Click 'forgot password?'
- Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA). Click on "SUBMIT".

Incase shareholder is having valid email address, Password will be sent to the shareholder's registered e-mail address. Else, shareholder can set the password of his/her choice by providing the information about the particulars of the Security Question & Answer, PAN, DOB/ DOI, Dividend Bank Details etc. and confirm. (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter)

NOTE:

For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL have forgotten the password:

Shareholders/ members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned depository/ depository participants website.

Cast your vote electronically

- After successful redirecting, you will be able to see the notification for e-voting on the home page of INSTA Vote. Select/ View "Event No" of the Bank, you choose to vote.
- On the voting page, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. Favour/Against as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'. You may also choose the option 'Abstain' and the shares held will not be counted under 'Favour/Against'.
- If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolutions' File Link.
- After selecting the appropriate option i.e. Favour/ Against as desired and you have decided to vote, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "YES", else to change

your vote, click on "NO" and accordingly modify your vote.

- Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.
- You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on "Print" option on the Voting page.

Guidelines for Institutional shareholders:

- Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to e-Voting system of LIPL: <https://instavote.linkintime.co.in> and register themselves as '**Custodian / Mutual Fund / Corporate Body**'.

They are also required to upload a scanned certified true copy of the board resolution / authority letter/power of attorney etc. together with attested specimen signature of the duly authorised representative(s) in PDF format in the '**Custodian / Mutual Fund / Corporate Body**' login for the Scrutinizer to verify the same.

General Guidelines for all shareholders:

- During the voting period, shareholders can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
- Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each of the folios/demat account.
- Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode:

In case shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 22-23058542-43.

- In case the shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.



- Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 9th July, 2024 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
- A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and also on the website of Link Intime India Pvt. Limited.

15. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING:

- **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO, Company Secretaries**, Thane has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

16. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEETING:

- The Scrutinizer shall within a period not exceeding two (2) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of Link Intime India Pvt. Limited within two (2) working days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

17. Outcome of Meeting:

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

18. Recorded Transcript/Proceeding of the Meeting:

Proceedings of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

19. Instructions for e-voting and joining the Annual General Meeting are as follows:

a) Instructions for Shareholders/Members to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM:

Shareholders/Members are entitled to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM provided by Link Intime India Pvt. Limited by

following the below mentioned process. Facility for joining the Annual General Meeting through VC/OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the Annual General Meeting and will be available to the Members on first come first serve basis.

Shareholders/Members are requested to participate on first come first serve basis as participation through VC/OAVM is limited and will be closed on expiry of 15 (fifteen) minutes from the scheduled time of the Annual General Meeting. Shareholders/Members with >2% shareholding, Promoters, Institutional Investors, Directors, KMPs, Chair Persons of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Auditors etc. may be allowed to the meeting without restrictions of first-come-first serve basis. Members can log in and join 15 (fifteen) minutes prior to the schedule time of the meeting and window for joining shall be kept open till the expiry of 15 (fifteen) minutes after the schedule time. Participation is restricted upto 2500 members only.

Shareholders/ Members will be provided with InstaMeet facility for attending the AGM through VC/OAVM wherein Shareholders/ Member shall register their details and attend the Annual General Meeting as under:

1. Open the internet browser and launch the URL for InstaMeet <<<https://instameet.linkintime.co.in>>>
Click on "Login", Select the "Company" and 'Event Date' and register with your following details: -
 - a. DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio No.: Enter your 16 digit DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio Number registered with the Bank
 - b. PAN: Enter your 10 digit Permanent Account Number (PAN)
 - c. Mobile No.
 - d. Email ID
2. Click "Go to Meeting" (You are now registered for InstaMeet, and your attendance is marked for the meeting).

Note:

Shareholders/ Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/ Laptops connected through broadband for better experience.



Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

b) Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers during Annual General Meeting:

Shareholders/ Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: investors@centralbank.co.in from 3rd July, 2024 at 10.00 am to 11th July, 2024 at 5.00 pm.

The Speakers on first come basis will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Shareholders will receive “speaking serial number” once they mark attendance for the meeting. Other shareholder may ask questions to the panelist, via active chat-board during the meeting. Shareholders are requested to remember speaking serial number and start conversation with panelist by switching on video mode and audio of the device. Shareholders are requested to speak only when moderator of the meeting/ management will announce the name and serial number for speaking.

Shareholders/ Members, who would like to ask questions, may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: agmcompsec@centralbank.co.in/investors@centralbank.co.in The same will be replied by the Bank suitably.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Annual General Meeting.

Shareholders/ Members should allow to use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

c) Instructions for Shareholders/Members to Vote during the Annual General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated by the scrutinizer during the meeting, shareholders/ members who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

- i. On the Shareholders VC page, click on the link for e-Voting “Cast your vote”.
- ii. Enter Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet and click on ‘Submit’.
- iii. After successful login, you will see “Resolution Description” and against the same the option “Favour/ Against” for voting.
- iv. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. “Favour/Against” as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under ‘Favour/ Against’.
- v. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on “Save”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “Confirm”, else to change your vote, click on “Back” and accordingly modify your vote.
- vi. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the Annual General Meeting through VC/OAVM by InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the Annual General Meeting will be eligible to attend/participate in the Annual General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.



EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item No. 2

To approve the appointment of Smt. Charulatha S. Kar as RBI Nominee Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref eF.No.6/3/2011-BO.I dated 14th July, 2023 has appointed Smt. Charulatha S. Kar as the RBI Nominee Director on the Board of Bank with effect from 14.07.2023 and until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Smt. Charulatha S. Kar as the RBI Nominee Director on the Board of the Bank.

Brief profile of Smt. Charulatha S. Kar in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	Ms Charulatha S Kar
DIN	Not Applicable
Age	57
Nationality	Indian
Date of Appointment	14 th July, 2023
Education Qualifications	B. Com and Post Graduate Diploma in Treasury and Forex
Brief resume including expertise in specific functional areas	<p>Smt. Charulatha S. Kar holds a Master's Degree in Commerce from the University of Mumbai specializing in Banking and Finance. She has done post-graduate Diploma in Treasury and Forex Management from the ICFAI, Tripura. She is also a Certified Associate of the IIB&F.</p> <p>She has also completed the Advanced Management Program at The Wharton School, University of Pennsylvania, USA as part of the Leadership and Executive Education Programme of the RBI.</p> <p>She joined RBI as an officer in 1991 and has worked in various RBI Regional and Central offices at Ahmedabad, Chennai and Mumbai. She is currently the Chief General Manager-in-Charge of the Human Resources Dept. including central security cell of Reserve Bank of India (RBI).</p> <p>Her areas of expertise include government Banking, internal financial accounts, information technology and payment and settlement systems. She has been a Member of Faculty in the RBI Training College at Chennai for over five years. She has also been on deputation to the Training institute of the Central Bank of Oman at Muscat for two years.</p> <p>She has represented the RBI in International Working Groups of the Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements which studied and published reports on Innovations in Retail Payments, Role of Non-banks in Retail Payments and Fast Payments. She has also represented RBI as a speaker and resource person many domestic and international forums / seminars and workshops.</p>
Directorships held in other companies	Nil
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and remuneration drawn by the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 3

To approve the appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide its notification No.eF.No.4/1(x)/2023-BO.I dated 09th October, 2023 has appointed Shri Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e. from 09.10.2023 or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank.

Brief profile of Shri Mahendra Dohare in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Name	Shri Mahendra Dohare
DIN	09406117
Age	53
Nationality	Indian
Date of Appointment	09 th October, 2023
Education Qualifications	MBA in Banking and Finance
Brief resume including expertise in specific functional areas	<p>Shri Mahendra Dohare has been appointed as Executive Director of Central Bank of India with effect from 09.10.2023.</p> <p>Shri Mahendra Dohare is a MBA in Marketing & Finance. He is a certified Associate of Indian Institute of Bankers. He also holds diploma in computer application and various certification from IIBF. He is also NET qualified. Before his elevation to this current position, he was Chief General Manager of Punjab National Bank. His last posting in Punjab National Bank was head of Business Acquisition & Relationship Management Division.</p> <p>He began his career as a Probationary officer with Corporation Bank and subsequently moved to United Bank of India which was merged with Punjab National Bank. He is having rich experience of professional Banking of more than 24 years. As CGM of PNB, he was Leading & Playing an instrumental role in setting up a unified retail division (Business Acquisition & Relationship Management) to drive business.</p> <p>He also held position as a Director on the Board of PNB Cards & Services Limited and Tripura Gramin Bank.</p>
Directorships held in other companies	Nil
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil



For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and remuneration drawn by the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 4

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

- i. As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is less than sixteen per cent of the total paid up capital of the Bank, the Board of Bank should have one Director duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.
- ii. As per the above guidelines, the Bank is entitled to have one Director, elected from amongst Shareholders, other than the Central Government. At present, Bank is having one Shareholder Director on the Board. The term of Shri Dinesh Pangtey, Shareholder Director of the Bank will end on 30th June, 2024.
- iii. The Board at its meeting held on 30th April, 2024 has approved to conduct the election to fill in this vacancy of One Shareholder Director on the Board of the Bank that will arise w.e.f 01st July, 2024.
- iv. The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government/ RBI. Upon receipt of nomination of candidature duly filled in all respect, scrutiny of nomination will be completed by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT / REGULATIONS NOTIFICATIONS	SCHEME/ PROVISIONS /	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5	• Substantial Interest.
	Section 16 (1)	• Prohibition of Common Directors.
	Section 20	• Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors.
	Section 51	• Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	• Restriction on voting rights.
	Section 9(3)(i)	• No. of directors to be elected by the shareholders.
	Section 9 (3A) (A)to(C)	• Special Knowledge in certain fields.
	Section 9 (3AA)	• No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9 (3AB)	• RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
	Section 9 (3B)	• Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9 (3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	• Obligation as to fidelity and secrecy.



ACT / REGULATIONS NOTIFICATIONS	SCHEME/ PROVISIONS /	SHORT PARTICULARS
The Nationalised Banks (Management Miscellaneous Scheme, 1970)	Clause 9 (4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12 (8)	<ul style="list-style-type: none"> • Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the bank • Vacation of office of Directors • Removal from office of an elected Director • Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> • Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at general meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Master Direction DBR. APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 as updated	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	<ul style="list-style-type: none"> • Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I.dated 28 th April 2015 and dated 20 th July 2016 and subsequent amendments there to, if any		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular DBR. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015 as updated		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director



For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from The Acts, The Regulation Act, The Scheme / The Regulations as well as RBI Master Direction DBR. APPT.No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 as updated and GOI Guidelines dated March 25, 2015 and July 20, 2016 will be hosted on the Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in which can be viewed / downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Central Bank of India at its Central Office at investors@centralbank.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., **Monday, 01st July, 2024 by 05.00 pm.**

PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified / **Cut off Date i.e., Friday, 14th June, 2024** shall be entitled to participate i.e., Nominate, Contest and Vote in election of one Director from amongst Shareholders, other than the Central Government. It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the agenda non.4 i.e. Election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

• QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, are detailed herein:

- (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall -
- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-
- agricultural and rural economy,
 - banking,
 - co-operation,
 - economics,
 - finance,
 - law,
 - small scale industry,
 - any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank; (RBI vide its circular no.DBR.Appt.

BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

- (B) represent the interests of depositors; or
(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

(c) Further, the elected director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

• DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a director -
- if he/she has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - if he/she has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - if he/ she has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
 - If he/she holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

and



(B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India - RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR. APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 as updated, and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012- BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013, if he/she is not found to be 'Fit & Proper' person, by the Nomination and Remuneration Committee / Board of Directors of the Bank.

• **LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS:**

A list of Shareholders of the Bank as on **Friday, 14th June, 2024** will be available for shareholders of Bank from **Tuesday, 18th June, 2024** onwards on payment of **₹ 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)** by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai alongwith a request addressed to the Assistant General Manager - Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021 with an undertaking that the list will be used only for canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from.

• **INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:**

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank from Monday to Saturday between 11 A.M. to 3 P.M. (other than second & fourth Saturday and Bank Holidays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹ 5/- for 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

• **Participation in Election:**

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/RTA as on **Friday, 14th June, 2024** shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

• **NOMINATIONS:**

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India- RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR.APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 as updated and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

(a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank as on Friday,

14th June, 2024 being the Specified Date for participating in the election;

(b) as on Monday, 01st July, 2024 (the last date for receipt of nominations), he/she is not disqualified to be a director under the Act, the Scheme or RBI Notification;

(c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred Shareholders of Bank to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Central Office of the Bank addressed to Assistant General Manager – Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company;

(d) the nomination by the shareholders of Bank (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or the RBI Notification alongwith his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

(e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed .

• **SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:**

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit

a) duly filled in Declaration Form;

b) nominations from minimum of 100 shareholders of Bank entitled to participate in the elections;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the concerned documents, testimonials, viz., Bio data, Certificates of



Educational qualification, experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope superscribing thereon "Central Bank of India Election of Director – July 2024" in person or through Regd. Post / Courier addressed to the Assistant General Manager –Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Monday, 1st July, 2024.**

• **SCRUTINY OF NOMNATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:**

- Nominations shall be scrutinized on **Tuesday, 2nd July, 2024**, the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors as the case may be, in terms of RBI/GOI and other applicable guidelines. As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.
- The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature
- If there is only ONE valid nomination for the ONE vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be proposed by way of a Resolution pursuant to Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations read with Section 9(3)(i) of the Banking Companies Act at the AGM, wherein only shareholders other than the Central Government shall be entitled to vote. The candidate shall be declared elected, if and only if, the said Resolution is passed with majority. The newly elected director will assume office from Thursday, 17th July, 2024 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.
- If the valid nominations are more than ONE, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will

be announced by the Chairman of the AGM and also published in newspapers. The candidate so elected will assume office as Director of Bank on 17th July, 2024.

- If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Central Bank of India (Share and Meetings) Regulations, 1998.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS:

If any candidate desires to withdraw his /her nomination, he/ she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on or before 4.00 pm, Wednesday, 10th July, 2024 by sending a signed letter addressed to the Assistant General Manager – Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 or soft copy of signed letter over e-mail at agmcompsec@centralbank.co.in/ boardsecretary@centralbank.co.in

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Item No.5

To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹5000/ crore through various modes like QIP/FPO/Right issue.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50%. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR). The CRAR of the Bank as on 31st March, 2024 is 15.08% (Tier I – 12.46% (includes CCB), Tier II – 2.62 %).

Keeping in view of increase in Business projection of 10%-12%, to maintain health CRAR in F.Y. 2024-25 and to increase public shareholding in Bank, Bank has decided to raise the equity capital aggregate upto ₹5000 Crore through various modes like QIP/FPO/Rights issue. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.

The said equity capital will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI.



The Board of Directors at their meeting held on 30th April, 2024 had given their approval to raise an capital upto ₹5000/- crore through the different available options.

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2024 is 15.08%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, ₹10000/- crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2024 is ₹ 8680.93 Crore.

The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

- The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and

Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required

- The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 365 days of the date of passing the above Resolution;
- The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- The eligible securities allotted under the qualified institutions placement shall not be sold by the allottee for a period of one year from the date of allotment except on recognised Stock exchange.
- The Bank, its Promoter or Directors is not a fugitive economic offender.
- The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 04th June, 2024

Place: Mumbai

(Chandrakant Bhagwat)

Company Secretary &
Compliance Officer



DECLARATION (BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____
_____, residing at _____
_____ hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each (fully paid up) of CENTRAL BANK OF INDIA under Folio No. _____/DP ID No. _____/Client ID No. _____ as on Friday, 14th June, 2024 being the Cutt-off/Specified Date for participating in the Elections and
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii)Co-operation, (iv)Economics, (v)Finance, (vi)Law, (vii)Small Scale Industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and
- c. I accept the nominations numbered from _____ to _____, and
- d. I am willing to contest the election for Director of Central Bank of India, and
- e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, RBI Notifications and GOI Guidelines issued in this regard.
- f. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
- g. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- h. I am not disqualified under section 164 of the Companies Act, 2013; and
- i. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- j. I further declare that :
 - i. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
 - ii. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
 - iii. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
 - iv. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
 - v. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
 - vi. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently
 - vii. I am not engaging in the business of stock broking.
 - viii. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

Sabha, Zila Parishad, etc.)

- ix. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.
- x. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Central Bank of India.
- xi. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Central Bank of India nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Central Bank of India.
- xii. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- xiii. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- k. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- l. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank;
- m. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- n. I enclose my personal Information details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Tick whichever is applicable.



NOMINATION FORM (BY THE SHAREHOLDER)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

Sl.No.

To,
The Managing Director and Chief Executive Officer
Central Bank of India
Central Office,
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai 400021

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated _____ 2024, I, Shri/Smt _____ a shareholder of Central Bank of India, holding _____ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) as on **Friday, 14th June, 2024** being the Cutt-off/Specified Date for the purpose of participation in the election, do hereby nominate Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____ residing at _____ for being elected as a Director of Central Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders to be held on **Tuesday, 16th July, 2024**.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Affix Self
Attested Passport
Size Photo here

FORMAT FOR PROVIDING PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on 2024

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on 2024

1. Personal details of the candidate							
1. Name in Full (in block capital letters)	First Name Middle Name Last Name						
2. Father's Name (in Full)							
3. Gender (M/F/others)							
4. Present Address (For correspondence)							
5. E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:							
6. Nationality							
7. Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age							
8. Education qualification							
9. Director Identification Number (DIN)							
10. Aadhaar Number							
11. a) Permanent Account Number (PAN).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date of filing</th> <th>Amount of tax paid (INR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Date of filing	Amount of tax paid (INR)				
Date of filing		Amount of tax paid (INR)					
b) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.							
c) Details of filing of return(s) and payment of taxed for past 3 years.							
12. Permanent Address							
13. Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.							
14. Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)							
15. Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.							



16. In case a Chartered Accountant, indicate the following:
- Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):
 - Date of registration with the ICAI:
 - Name and Address of the registered firm/s:
 - Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:

17. Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:

Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number

18. Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)

19. Any other information relevant to directorship of the bank:

II. Relevant Relationships of proposed director

20. List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:

21. List of entities in which:
- interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]:
 - beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]:
 - Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):

22. List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)4 of the Banking Regulation Act, 1949.

Name of the Company/firm	
Country of incorporation	
Number of shares	
Face Value of each share	
Total face value of share holding	
Shareholding as % of total Paid up Capital	
Beneficial interest (in value as well as % terms)	
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	

23. Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.

24. Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).

25. If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.

26. If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



-
27. Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.
-
28. Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.
-

III. Records of professional achievements

29. Professional achievements relevant for the directorship.
-

IV. Proceedings, if any, against the proposed director

30. a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.
-
- b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.
-
31. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.
-
32. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.
-
33. If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.
-
34. If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.
-
35. If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.
-
36. If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.
-
37. a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof
-
- b) If convicted by any Court of law, details thereof?
-
38. If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.
-
39. If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.
-
40. If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.
-
41. If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).
-



V. General Information

42. If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.
43. If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.

VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be **any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.**

Undertaking

I, Son/Daughter of Shri
..... confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete.
I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my election as a shareholder director of the bank, which are relevant to the information provided above.
I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by the directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of the Candidate

Enclosures :

- Note:
1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
 2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination and Remuneration Committee / Board of Directors

Signature of the Chair of the NRC/ Board of Directors

Date:

Place:

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

BUSINESS ANALYSIS

PARAMETERS	(₹ In crores)												
	MAR-12	MAR-13	MAR-14	MAR-15	MAR-16	MAR-17	MAR-18	MAR-19	MAR-20	MAR-21	MAR-22	MAR-23	MAR-24
Total Business	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007	5,06,886	5,32,404	5,77,075	6,36,756
YoY Growth	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%	4.30%	5.03%	8.39%	10.34%
Total Deposits	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763	3,29,973	3,42,692	3,59,296	3,85,011
YoY Growth	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%	5.17%	3.85%	4.85%	7.16%
Total Loans & Advances	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913	1,89,712	2,17,779	2,51,745
YoY Growth	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%	2.71%	7.23%	14.79%	15.60%
Investments	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358	1,53,820	1,46,759	1,42,653	1,49,538
YoY Growth	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.03%	4.39%	(4.59%)	(2.80%)	4.83%
CD Ratio	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61%	55.63	60.86	65.59
Return on Assets	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)	(0.26%)	0.30%	0.44%	0.63%

PROFITABILITY

PARAMETERS	(₹ In crores)												
	MAR-12	MAR-13	MAR-14	MAR-15	MAR-16	MAR-17	MAR-18	MAR-19	MAR-20	MAR-21*	MAR-22	MAR-23	MAR-24
Gross Income	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	27,200	25,846	25,770	29,626	35,434
YoY Growth	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	8.57%	(4.98%)	(0.29%)	14.96%	19.60%
Gross Expenses	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925	22,856	21,267	20,028	22,742	28,071
YoY Growth	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.25%	(6.95%)	(5.83%)	13.55%	23.43%
Operating Profit	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127	4,344	4,579	5,742	6,884	7,363
YoY Growth	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%	5.41%	25.40%	19.89%	6.96%
Net Profit/Loss	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)	(1,121)	(888)	1,045	1,582	2,549
YoY Growth	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%	(20.79%)	217.68%	51.39%	61.13%
NIM (%)	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.80%	2.78%	3.21	3.47%*	3.40%
Net Interest Income	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773	7,629	8,245	9,487	11,687	12,896
YoY Growth	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%	8.07%	15.06%	23.19%	10.34%
Non Interest Income	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413	3,637	3,116	2,968	4,084	4,712
YoY Growth	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73%	(14.32%)	(4.75%)	37.60%	15.38%

* Figures of March23 have been recalculated/regrouped wherever necessary to conform the current year classification



Directors' Report 2023-24

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2024.

1. Performance Highlights:

- » Total Business of the Bank stood at ₹ 636756 crore as at March 31, 2024 compared to ₹ 577075 crore as at March 31, 2023.
- » Total Deposits stood at ₹ 385011 crore as against ₹ 359296 crore in March 31, 2023.
- » Total Advances of the Bank stood at ₹ 251745 crore as against ₹ 217779 crore in March 31, 2023.
- » Total Income for the financial year ended March 31, 2024 was ₹ 35434 crore as compared to ₹ 29626 crore for the financial year ended March 31, 2023.
- » Non-Interest Income of the Bank stood at ₹ 4712 crore for the financial year ended March 31, 2024 compared to ₹ 4084 crore for the financial year ended March 31, 2023.
- » Operating Profit of the Bank increased to ₹ 7363 crore for the financial year ended March 31, 2024 as compared to ₹ 6884 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2023 showing increase of 6.96%.
- » The Bank has earned Net Profit of ₹ 2549 crore for the financial year ended March 31, 2024 as compared to Net profit of ₹ 1582 crore during previous financial year ended March 31, 2023.
- » Business per employee increased to ₹ 19.94 crore during the financial year ended March 31, 2024 from ₹ 18.45 crore in the previous financial year ended March 31, 2023.
- » Capital Adequacy Ratio (as per Basel-III) stood at 15.08% with Tier I at 12.46% and Tier II at 2.62% for the financial year ended March 31, 2024. (Bank has computed Capital Ratio after adjustment for reckoning NPV of non-interest bearing recapitalization bond issued by Government of India).
- » Net worth stood at ₹ 28053.33 crore as on March 31, 2024.
- » Cash Recovery (including sale of NPA & written off accounts) is ₹ 3636 crore in the financial year ended March 31, 2024 as compared to ₹ 4213 crore in the previous financial year ended March 31, 2023.
- » Gross NPA to Gross Advances improved to 4.50% as on March 31, 2024 from 8.44% as on March 31, 2023.
- » Net NPA to Net Advances reduced to 1.23% as on March 31, 2024 as against 1.77% as on March 31, 2023.
- » Provision Coverage Ratio improved to 93.58% as on March 31, 2024 from 92.48% as on March 31, 2023.
- » Net Interest Margin (NIM) declined to 3.40% in the financial year ended March 31, 2024 as compared to 3.47%* in the Financial Year ended March 31, 2023.
- » Return on Assets (ROA) is 0.63% for the Financial Year ended March 31, 2024.
- » The credit deployment under priority sector stood at ₹ 18135.91 crore during FY 2023-24. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth ₹ 1500 crore under PS Advances.
- » Agriculture Advance of the Bank stood at ₹ 46063 crore for the financial year ended March 31, 2024 as against ₹ 42110 crore for the previous financial year ended March 31, 2023.
- » MSME Advance for the financial year ended March 31, 2024 stood at ₹ 49870.00 Crore without PSLC and investment in SIDBI is ₹ 218.50 crore and Mudra limited is ₹ 15.54 crore.
- » Retail Loans increased to ₹ 71193 crore in financial year ended March 31, 2024 from ₹ 62726 crore in financial year ended March 31, 2023.
- » Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹ 44057 crore for the financial year ended March 31, 2024, registering y-o-y growth of 13.57%. Housing Loan Portfolio constitutes 61.88% of the total Retail Portfolio as on March 31, 2024.
- » There are 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh (18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh (5), West Bengal(3), Chhattisgarh (2), Rajasthan (1), Odissa (1) and Assam (1). During the year 2023-24, the RSETIs conducted 1052 training programmes and imparted training to 31053 candidates. Out of this, 23883 (i.e.77%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance. Credit linkage of settled candidates achieved is 14174 i.e. 59.34%.
- » Bank has 2 RRBs as on 31st March 2024 in 2 states covering 23 districts with a network of 1170 branches.. Under Financial Inclusion, Bank deployed total 11682 BC Agents. Bank has opened 1242 Urban Financial Inclusion centres.
- » Total earning from Bancassurance business is ₹ 129 crore for the financial year ended March 31, 2024..
- » Bank is having pan India presence with network of 4500 branches with 65.27 % (2937 branches) in rural & semi-urban areas, 4084 ATMs and 11682 BC Points with total 20266 Touch Points as on 31st March 2024.
- * Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification



2. Income & Expenditure:

Details of income and expenditure for the financial year 2023-24 are given hereunder:

(₹ in Crores)

	31.03.2024	31.03.2023	Variation	%
1 Interest Income	30722	25542	5180	20.28%
– Advances	19707	14922	4785	32.07%
– Investments	9510	8715	795	9.12%
– Others	1505	1905	(400)	-21.00%
2 Non Interest Income*	4712	4084	628	15.38%
3 Total Income (1+2)*	35434	29626	5808	19.60%
4 Interest Expended	17826	13855	3971	28.66%
– Deposits	16908	13388	3520	26.29%
– Others	918	467	451	96.57%
5 Operating Expenses	10245	8887	1358	15.28%
– Establishment	6312	5604	708	12.63%
– Others	3933	3283	650	19.80%
6 Total Expenses (4+5)	28071	22742	5329	23.43%
7 Spread (1-4)	12896	11687	1209	10.34%
8 Operating Profit (3-6)*	7363	6884	479	6.96%
9 Provisions*	4814	5302	(488)	-9.20%
10 Provisions For Tax	1504	1063	441	41.49%
11 NET PROFIT/(LOSS) (8-9-11)	2549	1582	967	61.13%

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification

3. Provisions:

Details of Total Provisions of ₹ 4814 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2023-24 vis-a-vis previous financial year are detailed as under:

(₹ in Crores)

	31.03.2024 (FY)	31.03.2023 (FY)	Variation
Provisions for Standard Assets	52	681	-92.36%
Provisions for NPAs*	3391	3532	-3.99%
Provisions for Restructured Accounts	(34)	(222)	84.68%
Provision on Investments*	(265)	215	-223.26%
Provisions for Taxes	1504	1063	41.49%
Others*	166	33	403.03%
Total	4814	5302	-9.20%

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification

4. Profitability Ratios:

(In percentage)

	31.03.2024 (FY)	31.03.2023 (FY)
Cost Of Deposit	4.61	3.92
Cost Of Funds	4.70	3.97
Yield On Advances	8.72	7.61
Yield on Investments	6.57	6.26
Yield On Investment (Including Trading profit)	6.91	6.41
Net Interest margin*	3.40	3.47
Cost To Income Ratio	58.18	56.35

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification



5. Business Ratios:

(In percentage)

	31.03.2024 (FY)	31.03.2023 (FY)
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	7.60	7.07
Non-Interest Income to AWF	1.17	1.13
Operating Profit to AWF	1.82	1.90
Return on Average Assets	0.63	0.44
Business Per Employee (₹ in crore)	19.94	18.45
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	8.00	5.07

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

6. Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR):

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2024 (FY)*	31.03.2023 (FY)
	Basel-III	Basel-III
Tier-I	12.46%	12.11%
Tier-II	2.62%	2.01%
Capital Adequacy Ratio	15.08%	14.12%

*As advised by RBI in its risk assessment report, Bank has computed Capital Ratio after adjustment for reckoning NPV of non-interest bearing recapitalization bond issued by Government of India

7. Net Profit/Loss:

The Bank has earned net profit amounting to ₹ 2549 crore during the financial year ended March 31, 2024. Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2023-24.

8. Dividend:

With a view to conserve resources for future business operations of the Bank, your Directors did not recommend any dividend for the financial year 2023-24.

9. Changes in the Board during the year:

Shri Rajeev Puri, ceased to be Executive Director of the Bank on account of superannuation from the services of Bank on 30.06.2023.

Shri P J Thomas ceased to be Director of the Board of the Bank w.e.f 14.07.2023 who was appointed as RBI Nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India w.e.f 28.09.2020.

Smt. Charulatha S Kar was appointed as RBI Nominee Director of Bank by the Government of India w.e.f 14.07.2023.

Shri Mahendra Dohare was appointed as Executive Director of the Bank by the Government of India w.e.f 09.10.2023.

Further, Shri Priavrat Sharma was appointed as Part Time Non-Official Director under Chartered Accountant Category by the Government of India w.e.f 08.05.2023

10. Whistle Blower Policy:

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web based portal in the name of "Cent e-Whistleblower" to facilitate reporting of malpractices by Employees and Directors without revealing their identities, which would be known to the General Manager – Human Resources Department. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

11. Performance Evaluation of The Directors and the Board:

In terms of Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations 2015, the performance of the Board as whole and non-independent directors was evaluated by the Independent Directors in a separate Meeting held on 05th September, 2023.

Further, the performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for Performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors/ Shareholder Director is done by Board of Directors on annual basis.



12. Board and Its Sub-Committees:

The composition of the Board and its Sub-committees as required to be constituted as per the SEBI (LODR) Regulations, Government of India / Reserve Bank India Guidelines and the meetings held therein are mentioned in the Corporate Governance Report.

13. Declaration by Independent Directors during the Year:

All the Independent Directors of Bank have submitted the declaration confirming that they meet the criteria of independence as provided under Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

14. Secretarial Audit:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, Bank had appointed M/s. S.G. & Associates (proprietor Mr. Ganesh Ganpule), Practicing Company Secretaries, Mumbai as a Secretarial Auditor to undertake Secretarial audit of Bank for the financial year 2023-24. The Secretarial Audit Report is annexed to this Report.

15. Management's Discussion and Analysis Report:

Pursuant to Regulation 34 read with Schedule V to the Listing Regulations, Management's Discussion and Analysis for the year under review is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

16. Business Responsibility and Sustainability Report:

Business Responsibility and Sustainability Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been annexed to this report and also hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in).

17. Dividend Distribution Policy:

In accordance with the Regulation 43A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated a Dividend Distribution Policy. The policy has been displayed on the Bank's website at (www.centralbankofindia.co.in).

19. Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2024.

The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any; The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied; Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit/ loss of the Bank for the financial year ended March 31, 2024. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India.

The accounts have been prepared on a going concern basis. Internal Financial Controls are adequate and were operating effectively and Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems are adequate and operating effectively.

19. Corporate Governance:

The Board of the Bank is committed to adopt best Corporate Governance practices in both letter and spirit. The Bank has a well-documented system and practice on Corporate Governance. The Corporate Governance Report of the Bank is annexed to this Report.

20. Acknowledgment:

The Board of Directors places on record its gratitude to the its Shareholders, Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Indian Bank's Association, Customers, Depositors, Stock Exchanges Depositories, and the other Stakeholders for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its employees, customers and shareholders.

For and on behalf of
the Board of Directors

[M V Rao]

Managing Director and
Chief Executive Officer

Place : Mumbai
Date : May 28, 2024



Secretarial Audit Report

Form No.MR-3

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014] For the Financial Year ended March 31, 2024

To
The Members
Central Bank of India
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai - 400021

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Central Bank of India (hereinafter called the Bank).

Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2024 has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended on March 31, 2024 according to the provisions of:

- I. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable;
- II. The Securities Contract (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- III. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- IV. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not applicable for the period under review)**

The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- c) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021. **(Not applicable for the period under review)**
- f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
- g) The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;
- h) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;
- i) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

We further state that there were no events/ actions in pursuance of the following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

1. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;
2. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

We have also examined Compliance with the Applicable Clauses/Regulations of the following:

1. Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (Not applicable).
2. The Listing Agreements entered by the Bank with BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE).



The following are other applicable laws to the Bank:

- a) The Banking Regulation Act, 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.
- b) The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.
- c) The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.
- d) The Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998.
- e) The Reserve Bank of India Act, 1934.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except the following observations:

- 1) The Composition of Board of Directors of Bank is not in compliance with Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as number of Independent Directors on the Board of Bank are less than 50% of its total strength.
- 2) There is no Independent Woman Director on the Board of Bank.

We further report that

- The Board of Directors of the Bank is duly appointed under Section 9 (3) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) and constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Director and Shareholder Director except as mentioned above. Bank has taken up the matter with Government of India for appointment of Directors against the vacant posts of Directors on the Board of Bank.
- However, this may be noted that Central Bank of India is not a company incorporated under Companies Act but it is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Composition of the Board of Directors of Bank is guided under the above said Act/ Scheme. All Directors except one Shareholder Director, on the Board of the Bank are appointed/nominated by Government of India in terms of the above referred Act/ Scheme. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR) Regulations, 2015.

- The affairs of the Bank are managed/governed through the Board of Directors and its committees constituted as per the applicable laws and regulations made there under.
- Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.
- We further report that the Bank has complied with Standard Operating Process under SEBI (PIT) Regulations, 2015 for ensuring compliance with Structured Digital Database (SDD) compliance as applicable to the listed entities under Reg. 3(5) and 3(6) of SEBI (PIT) Regulations, 2015.
- We further report that during Financial Year 2023-24, Bank has spent ₹8.31 crore towards Corporate Social Responsibility activities as per the applicable RBI and GOI guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had following major events or actions which might have bearing on the Bank's in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

- Bank has allotted BASEL III compliant Tier II Bonds (Series VI) in the nature of debenture on private placement basis amounting to ₹ 1500 crore on 30.08.2023.
- Bank has redeemed its BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series I) in the nature of debenture amounting to ₹1000 crore on 08.11.2023 on maturity.

For **SG & Associates**
Practicing Company Secretaries

Suhas Ganpule
Proprietor

Membership No: A12122

C. P. No: 5722

Place: Mumbai

Date: 28th May, 2024

UDIN:A012122F000470998



ANNEXURE I

Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2024

To
The Members
Central Bank of India
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai - 400021

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial record. The verification was done on test basis to ensure that the correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the practices and processes, we followed Providing a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained Management representation about the compliance of laws, rules, regulations, norms and standards and happening of events.
5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, norms and standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **SG & Associates**
Practicing Company Secretaries

Suhas Ganpule
Proprietor

Membership No: A12122

C. P. No: 5722

UDIN: A012122F000470998

Place: Mumbai

Date: 28th May, 2024

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To

The Members of Central Bank of India

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Central Bank of India having its Head office at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400021 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2024 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

S. No.	Name of the Director	Category	DIN	Date of Appointment
1	Shri M. V. Rao	MD&CEO-Executive Director	06930826	01-03-2021
2	Shri Vivek Wahi	Executive Director	07490023	10-03-2021
3	Shri Rajeev Puri	Executive Director	07330989	10-03-2021*
4	Shri M. V. Murali Krishna	Executive Director	09021111	01-12-2022
5	Shri Mahendra Dohare	Executive Director	09406117	09-10-2023
6	Shri Hardik Mukesh Sheth	Non-Executive - Government of India Nominee Director	Not Applicable	11-04-2022
7	Shri P. J. Thomas	Non-Executive - RBI Nominee Director	Not Applicable	28-09-2020**
8	Smt. Charulatha S Kar	Non-Executive - RBI Nominee Director	Not Applicable	14-07-2023
9	Shri Pradip Pranalal Khimani	Non- Executive Independent Director	Not Applicable	21-12-2021
10	Shri Dinesh Pangtey	Non- Executive Independent Director	07517137	01-07-2021
11	Shri Priavrat Sharma	Non-Executive - Independent Director	06972771	08-05-2023

*Ceased to be Director of Bank on 30.06.2023

**Ceased to be Director of Bank on 14.07.2023

Note: The Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 / 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply to the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN, therefore, DIN is mentioned for the Directors who possess DIN issued by the Ministry of Corporate Affairs and for the Directors who do not, possess DIN, 'Not Applicable' is mentioned hereinabove.

Ensuring the eligibility of for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **SG & Associates**
Practicing Company Secretaries

Suhas Ganpule
Proprietor

Membership No: A12122

C. P. No: 5722

UDIN: A012122F000470140

Place: Mumbai

Date: 28th May ,2024



Management Discussion and Analysis

Global Economy

Overview

In the face of geopolitical tensions, efforts to combat inflation, and a decrease in demand, the global economy exhibited remarkable resilience in FY2024. The International Monetary Fund (IMF) projected a steady 3.2% annual growth for the world economy in 2023, which is expected to be maintained throughout 2024. Global growth is projected to diverge according to different economic zones. Advanced economies as a bloc are expected to grow by 1.7% and 1.8% in 2024 and 2025, respectively, compared to 1.6% estimated in 2023. Emerging Market & Developing Economies are expected to grow by 4.2% in 2024 and 2025 compared to 4.3% estimated for 2023. India is expected to remain the fastest-growing economy, with a growth of 7.6% for FY2024 and 7.0% for FY2024-25.

The global economy is recovering from the impacts of the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. Supply constraints have eased, but inflation remains a concern due to volatile oil prices. Contact-intensive services, which were heavily affected during the pandemic, have witnessed demand and supported growth. However, manufacturing has faced challenges due to input cost pressures, supply chain disruptions, and the China lockdown affecting the availability of essential inputs and slowing global economic growth. According to the World Economic Outlook report released by the IMF in April 2023, global growth is projected to reach 2.8% in 2023 and 3.0% in 2024. Global inflation is expected to moderate to 5.9% in 2024 from 6.8% in 2023, further declining to 4.5% in 2025.

Projections

As per the projections of the International Monetary Fund (IMF), the global economy is projected to expand by 3.2% in 2024. Much of this growth would depend on scaling down geopolitical tensions and more significant trade flows. After contracting by 1.2% in the calendar year 2023, world merchandise trade volume is expected to grow by 2.6% in 2024 and 3.3% in 2025.

Geopolitical tensions and their increased ramifications on the global economic and political order have nudged central banks to expand their foreign reserves to tackle various global risks emanating from financial markets, political stability, and increased hostility between countries. Record buying of gold by central banks in 2022, followed by continued momentum in 2023, indicates that central banks are diversifying their reserves by accumulating gold, which has emerged as a safe hedge in present times. The gold prices have increased from \$1295/Oz in March 2019 to \$2171/Oz in March 2024.

Advanced Economies

Advanced economies are projected to grow by 1.7% in 2024 and 1.8% in 2025, compared to 1.6% growth in 2023. The U.S. economy faced a sharp slowdown in the first three months of 2024, with 1.6% growth compared to the 3.4% growth reported in the last quarter of 2023. Inflation remains away from the target of 2%. Positive indications of strong labour markets and continued consumer spending maintain an optimistic view. Challenges such as high interest rates and government debt are expected to see some downward revision by the end of the year.

Growth in the Eurozone is expected to remain stagnant in 2024, though better compared to last year. There is divergence in economic growth among countries, with southern European countries faring better than their northern counterparts. Overall economic activity in both manufacturing and services has improved over the last year but still not enough to significantly boost growth. Rebound in tourism numbers also bodes well for the recovery of the bloc.

Japan's growth estimates for 2023 were lowered to 1.3% due to weaker external demand and investment. However, Japan's economy grew at 1.6% in January-March 2023, indicating a rebound after a technical recession last year. This growth momentum can be attributed to government-provided price relief measures and strong wage growth. Core consumer inflation in Japan reached 3.1% in March 2023, exceeding the target of 2%, while the Bank of Japan continues to maintain an ultra-loose monetary policy stance.

Emerging Market and Developing Economies

Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) are projected to grow by 4.2% in 2024 and 2025, a slight rebound from the 3.9% estimated for 2023. India continues to be a major growth driver within this group, with a projected GDP growth rate of 6.8% for FY2024 and 6.5% for FY2024-25.

China's growth is supported by targeted government policies, although structural issues such as the real estate crisis, unfavourable demographics, and trade tensions with the U.S. and Europe present significant challenges. The World Trade Organization (WTO) forecasts a growth of 2.6% in world merchandise trade volume for 2024, following a decline in 2023. Despite economic shocks, global trade has shown resilience, with improved industrial activity and lower commodity prices expected to support growth.

The share of Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) in world GDP is 58.3%, with China accounting for 18.5%. EMDEs are expected to experience a dip in growth at

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



3.9% in 2023 before rebounding to 4.2% in 2024, according to the IMF report.

India Economy

GDP Growth

India's annual GDP growth for FY2024, as per the National Statistical Office (NSO), is expected to be 7.6%. This robust growth is driven primarily by strong performances in the manufacturing, construction, and services sectors. The manufacturing and construction sectors are estimated to grow by 8.5% and 10.7% respectively, fuelled by a base effect and significant investment. The services sector is projected to expand by 7.5%, a slight decline from the 10.0% growth registered in FY2023 but still higher than the pre-pandemic average of 6.6%. However, agriculture experienced a sharp drop due to erratic rainfall, with food grain production standing at 309.3 million tonnes compared to 329.6 million tonnes in FY2023. Moving forward, growth in FY2024-25 is expected to be driven by improved private and public investment and consumption demand, as indicated by the rise in project announcements and an uptick in consumer confidence. Notably, bank credit to large industries grew at 7% in FY2024, the highest since FY2018-19, and bond issuances by the private sector reached ₹8.4 lakh crore, the highest since 2008.

Policy Rates

The Reserve Bank of India (RBI) has kept the policy repo rate unchanged at 6.5% since February 2023. This follows an increase of 250 basis points from April 2022 to February 2023 to combat inflation. The stable policy rate has supported economic growth while keeping inflation within the targeted range. This stability has also led to an increase in bank lending rates, with the Weighted Average Lending Rate (WALR) on fresh rupee loans of Scheduled Commercial Banks (SCBs) rising to 9.37% in March 2024 from 9.32% in March 2023.

Inflation

Inflation in India has moderated significantly, with Consumer Price Index (CPI) inflation averaging 4.7% in April 2023 and 5.6% in March 2023. Core inflation reached a four-year low of 3.25% in March 2024, aided by steady demand and easing supply constraints. The stable inflation outlook has allowed the RBI to maintain its policy rate, fostering a conducive environment for economic growth.

Industrial Production

The Index of Industrial Production (IIP), which measures industrial output, recorded a growth of 1.1% in March 2023. The IIP had been consistently growing since Diwali, indicating a sustained improvement in industrial activity. The Purchasing Managers' Index (PMI) for manufacturing in April suggests continued resilience in the manufacturing sector.

Currency Exchange Rates

The Indian rupee experienced depreciation against the USD, reaching 82.6 per USD in mid-March 2023. This depreciation was driven by global banking instability, significant capital outflows, and the RBI's interest rate hikes. Despite these pressures, the rupee remained relatively stable, supported by a balanced current account and strong import demand.

Foreign Portfolio Investors

Foreign Portfolio Investors (FPIs) were net sellers for most months in FY2024. However, the inclusion of Indian government securities in global bond indices, like JP Morgan and Bloomberg's emerging market indices, buoyed the debt market, attracting the highest FPI inflows in nine years. This influx of foreign capital underscores confidence in India's economic fundamentals and growth prospects.

By maintaining a focus on domestic demand, fostering strong credit growth, and ensuring policy stability, India is well-positioned to sustain its economic growth and attract substantial foreign investments in the coming years.

Banking Sector Overview

Credit Growth

Bank credit growth surged in FY2024, reflecting the recovery in economic activities. Non-food bank credit of Scheduled Commercial Banks (SCBs) grew by 20.02% year-on-year as of March 2024, compared to 15.4% growth in the previous year. This robust growth was driven by higher retail demand and economic recovery from the pandemic. Industry credit growth rebounded to 9.0% in FY2024 from 5.6% in FY2023, led by improvements in credit to large industries and stable growth in the MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) segment. Credit flow to the infrastructure sector expanded at a pace of 6.5% in FY2024 compared to 0.4% in FY2023. The agriculture sector witnessed a credit growth of 20.1% in FY2024 compared to 15.4% in the previous fiscal year. Credit flow to the services sector grew at a pace of 22.9% in FY2024 compared to 19.6% in FY2023.

Deposit Growth

Aggregate bank deposits recorded a growth of 13.5% in FY2024 compared to 9.6% in the previous year. This was driven by significant interest rate increases, which made term deposits more attractive. Despite the higher growth rate of deposits, credit growth outpaced deposit growth, leading to an increase in the credit-deposit ratio from 75.8% in March 2023 to 80.3% in March 2024. The weighted average domestic term deposit rate (WADTDR) on new deposits rose by 222 basis points from May 2022 to February 2023. This increase was more pronounced for retail deposit rates compared to bulk deposit rates, reflecting a shift in focus by banks towards securing more stable retail deposits.



Asset Quality

The asset quality of SCBs improved significantly, with the overall non-performing assets (NPA) ratio decreasing to 3.2% at the end of September 2023 from 3.9% at the end of March 2023. This improvement was observed across all productive sectors and industries, with the gross non-performing asset ratio being the lowest for personal loans. The capital to risk-weighted asset ratio (CRAR) stood at 16.8% at the end of September 2023, against the regulatory minimum of 11.5%. The common equity tier 1 (CET1) ratio was 13.7% compared to the regulatory requirement of 8%.

Profitability

The banking sector saw enhanced profitability, driven primarily by a rise in net interest income. Public sector banks' cumulative profit crossed ₹1.4 trillion in the financial year ended March 2024, recording a growth of 35% over the previous year. This increase was achieved despite the challenging international financial landscape, reflecting the resilience and strong earnings of the Indian banking industry.

Interest Rates

The policy repo rate remained unchanged at 6.5% throughout FY2024. Despite a significant fall in core inflation to a four-year low of 3.25% in March 2024, the stable policy rate facilitated ample room for the transmission of past rate hikes. The weighted average lending rate (WALR) on fresh rupee loans of SCBs increased to 9.37% in March 2024 from 9.32% in March 2023, while the WALR on outstanding loans rose to 9.83% from 9.72% in the same period. The increase in term deposit rates exceeded that in lending rates, indicating a higher demand for sustainable funds from depositors.

Central Bank of India's Business

Total Business Growth

Central Bank of India (CBI) achieved significant business growth in FY2024, surpassing its set targets. The total business volume increased from ₹577,075 crore to ₹636,756 crore, representing a year-on-year growth of 10.34%. This growth outperformed the Bank's guidance of 10% to 12%. The Bank's robust performance was attributed to a strategic focus on asset quality, technological advancements, and a customer-centric approach. CBI recorded its highest-ever net profit of ₹2,549 crore in FY 2024, up from the previous record set in 2023.

Advances and Credit-Deposit Ratio

CBI demonstrated substantial growth in advances, with total advances increasing from ₹217,779 crore to ₹251,745 crore, marking a growth rate of 15.60%. Within this segment, the Retail, Agriculture, and MSME (RAM) category saw an increase from ₹144,735 crore to ₹167,126 crore, representing a growth rate of 15.47%. Corporate advances also showed healthy growth, rising from ₹73,044 crore to ₹84,619 crore,

indicating a growth rate of 15.85%. Consequently, the credit-deposit ratio improved significantly from 60.86% to 65.59%, highlighting the Bank's expanding lending activities compared to its deposit growth.

Performance Highlights

CBI's focus on maintaining a balanced credit portfolio resulted in a net interest margin (NIM) of 3.40%, surpassing the target of more than 3%. The gross non-performing assets (NPA) ratio remained slightly above the target range of 4.00% to 4.25% at 4.50%, while the net NPA was well-controlled at 1.23%. The Bank also demonstrated a strong provision coverage ratio (PCR) of 93.58%, surpassing the target of more than 92%. The slippage ratio was kept low at 0.57%, and the credit cost was below the target range at 0.85%.

Resource Mobilisation

During the period from March 2023 to March 2024, CBI experienced a 7.16% growth in total deposits, which increased from ₹359,296 crore to ₹385,011 crore. CASA (Current Account Savings Account) deposits rose from ₹180,312 crore to ₹191,969 crore, reflecting a growth rate of 6.46%. This growth was driven by an increase in current deposits, which grew by 2.63% from ₹17,781 crore to ₹18,248 crore, and savings deposits, which grew by 6.88% from ₹162,531 crore to ₹173,721 crore. The share of CASA in total deposits was well-maintained at 50.02%.

CASA Deposits

CASA deposits constituted a significant portion of the Bank's deposit base, increasing from ₹180,312 crore to ₹191,969 crore, a growth rate of 6.46%. This growth was driven by both current and savings deposits, highlighting the Bank's strong deposit mobilisation strategy. The proportion of CASA deposits in total deposits remained stable at 50.02%, underscoring the Bank's emphasis on low-cost deposit growth.

Core Deposits

Core deposits, which include both CASA and core time deposits, rose from ₹357,840 crore to ₹383,808 crore, marking a growth rate of 7.26%. Core time deposits alone grew by 8.06%, increasing from ₹177,528 crore to ₹191,839 crore. This growth in core deposits reflects the Bank's strategy to secure stable and long-term funding sources.

New Initiatives

Technological Transformation

Central Bank of India (CBI) has been actively transforming its technological infrastructure to enhance operational efficiency, improve customer experience, and support digital banking services. The Bank implemented an AI-based Chatbot named Cent Chanakya to assist branch staff in responding



to customer queries more effectively. Additionally, the Bank launched a Digital Lending Platform designed to streamline loan products with a customer-centric approach, significantly reducing turnaround time. This platform utilizes data from standard sources to minimize subjectivity in decision-making. CBI also introduced a Micro-services based Containerised Platform for digital applications and automated tools for application integration and deployment, enhancing the Bank's technological capabilities.

Focus on Asset Quality

CBI maintains a strong focus on asset quality, aiming for credit costs below 1%. The Bank emphasizes maintaining robust corporate and MSME books to mitigate risks and ensure a balanced credit portfolio. This approach involves developing early warning systems to identify and manage stressed accounts proactively, thereby enhancing overall asset quality. The Bank has set a strong provision coverage ratio (PCR) of 93.58%, exceeding the target of more than 92%, and maintains a low slippage ratio of 0.57%, below the target range of less than 1%.

Fee-Based Income Growth

In FY2024, CBI registered a year-on-year growth of 2.85% in fee-based income. This growth was driven by various factors, including PSLC sales, recoveries, and other miscellaneous income. The Bank expects fee-based income and service charges to remain steady, focusing on diversifying revenue streams to enhance financial stability. The implementation of these initiatives underscores the Bank's commitment to expanding its income base beyond traditional interest income.

Restructured Book Management

CBI maintains stability in its restructured book and has a strong grip on MSME collections. This initiative involves actively managing and monitoring restructured assets to ensure timely repayments and minimize credit risks. By maintaining a balanced approach to restructured book management, the Bank aims to uphold asset quality and financial health. The Bank's proactive measures in managing restructured assets contribute significantly to its overall performance.

Cost-to-Income Ratio Optimization

CBI aims to improve operational efficiency by targeting a cost-to-income ratio of below 50% in the next fiscal year. The Bank has implemented various strategies, including streamlining processes, optimizing resource allocation, and implementing cost-saving measures. These initiatives are designed to enhance profitability while maintaining high service standards. The Bank's efforts to control costs are evident in its consistent performance and strategic focus on operational efficiency.

Reduction in Gross NPA

CBI projects a reduction in gross non-performing assets (NPA) through planned initiatives focused on resolving stressed assets. By actively managing and resolving these assets, the Bank aims to strengthen its balance sheet and improve overall asset quality. The gross NPA ratio stood at 4.50%, slightly above the target range of 4.00% to 4.25%, while the net NPA was well-controlled at 1.23%. These figures reflect the Bank's ongoing efforts to manage credit risks effectively and maintain a healthy loan portfolio.

Emerging Business

Co-Lending Partnerships

Central Bank of India (CBI) has significantly expanded its co-lending initiatives in alignment with the RBI guidelines. These initiatives are aimed at serving the unserved and underserved segments of the market, particularly within the Retail, Agriculture, and MSME (RAM) sectors. During FY2024, CBI established co-lending partnerships with 12 additional NBFCs, bringing the total to 26 NBFCs/HFCs. These partnerships have enabled the Bank to support the development and expansion of the RAM sectors, contributing to overall economic growth and fulfilling diverse financing needs.

The impact of these co-lending initiatives on advances growth during the fiscal year is as follows:

Segment	Sanctions during FY2024 (₹ crore)	Outstanding as on 31 st March 2024 (₹ crore)
MSME	5,461.02	5,798.78
Retail	1,980.70	5,349.74
Agriculture	7.05	5.82
Corporate	391.47	216.04
Total	7,840.24	11,370.38

These partnerships have significantly bolstered the Bank's presence in the priority sectors and enabled the provision of credit to a wider range of borrowers.

Performance Highlights of TReDS Platform

The Trade Receivables Discounting System (TReDS) platform has shown remarkable performance during FY2024, reflecting the growing acceptance and adoption of the platform by corporates and public sector undertakings (PSUs). The TReDS platform facilitated seamless transactions and provided much-needed liquidity to MSME businesses.

Performance highlights as of 31st March 2024 include:

- Total outstanding on the TReDS platform: ₹2,011.44 crore, a growth of 67%.



- Addition of 26 new corporates with a total exposure of ₹672 crore.
- Enhancement of exposure in existing accounts amounting to ₹300 crore.
- Total interest earned during the year: ₹114.34 crore, compared to ₹52.29 crore in the previous year.
- Achieved turnover of ₹11,210.84 crore against ₹6,098.94 crore in FY2023.

There were no overdue amounts in the TReDS portfolio as of 31st March 2024, highlighting the platform's efficiency and reliability in facilitating trade receivables financing.

Credit Highlights

Advances Growth

Central Bank of India (CBI) saw a significant increase in its total gross advances, which reached ₹251,745 crore as of March 31, 2024, reflecting a growth rate of 15.60% compared to the previous year. This robust growth is attributed to the Bank's strategic focus on expanding its lending portfolio across various sectors, including Retail, Agriculture, and MSME (RAM). The RAM sector, in particular, experienced substantial growth, with advances increasing from ₹144,735 crore to ₹167,126 crore, representing a growth rate of 15.47%. Corporate advances also saw a notable rise from ₹73,044 crore to ₹84,619 crore, indicating a growth rate of 15.85%. The Bank's credit-deposit ratio improved from 60.86% to 65.59%, highlighting increased lending activity relative to deposit growth.

Loan Policy Updates

CBI updated its loan policies and master circulars to enhance asset quality and manage credit risks effectively. These updates included rationalizing interest rates to improve competitiveness in the market and bringing all borrowal accounts under the regulatory limits of the Large Exposure Framework. The Bank introduced the Corporate Credit Guarantee Enhancement Line (CGECL) for eligible corporate accounts and invoked the regulatory framework for One Time Restructuring (OTR) of eligible accounts. Additionally, CBI launched the Green Channel to provide centralized access for corporate customers, streamlining their relationship with the Bank. The Bank also implemented a standard operating procedure (SOP) for managing downgrades in external credit ratings and extended the EBLR-linked ROI product for tenors ranging from over 2 years up to 15 years. Furthermore, internet banking services were made available to all corporate customers and CC/OD account holders, and guidelines were established for providing financial assistance to enhance ethanol distillation projects.

Corporate Credit

During FY2024, CBI sanctioned fresh corporate credit amounting to ₹ 72,009.00 crore. The Bank realigned its

corporate portfolio with an increased exposure to AAA-rated borrowers to ensure high credit quality. This realignment was supported by the establishment of Credit Processing and Approval Centres (CPAC) at regional offices, which empowered branches in credit decisions and facilitated streamlined pre-disbursal activities. The Bank also set up a War Room at the Central Office to monitor and follow up on Special Mention Accounts (SMA) with exposure up to ₹1 crore, while accounts with exposure above ₹1 crore were monitored by the Credit Monitoring Department. Additionally, CBI conducted a quarterly review of loan accounts, including those of listed companies, to monitor actual business performance. These measures collectively contributed to enhancing the Bank's corporate credit portfolio and maintaining high standards of credit quality.

Credit Monitoring & Policy

Credit Monitoring Activities

The Credit Monitoring & Policy department is responsible for several key practices to ensure effective credit monitoring. These activities include:

1. **Credit Monitoring Committees:** Established at controlling offices and large branches, these committees conduct monthly meetings to discuss credit monitoring matters, including the evaluation of delegated lending powers and root-cause analysis of Special Mention Accounts (SMA).
2. **Loan Review Mechanism:** The Bank monitors the coverage and closure status of loans under this mechanism, ensuring regular reviews and updates.
3. **Stock Audits:** Conducted for borrowed CC/OD accounts of ₹5 crore and above to ensure the accuracy of inventory valuation and verification.
4. **Early Warning Signals (EWS):** The Bank monitors EWS through a dedicated portal to identify potential financial distress in borrowal accounts. Accounts displaying EWS are red-flagged for further investigation, following RBI guidelines.
5. **Quarterly Review System:** This system reviews loan accounts, including those of listed companies, to monitor actual business performance.

Documentation and Compliance: Regular verification of securities, collateral documentation, and timely submission of loan account details to Credit Information Companies and NeSL (Information Utility) are ensured. The Bank also submits default reports and other regulatory returns as required .

Early Warning Signals

The Early Warning Signals (EWS) system is an essential component of the Bank's credit monitoring framework. It helps in the early detection of potential financial distress in borrowal



accounts, allowing the Bank to take proactive measures. The EWS system includes a dedicated portal for monitoring signals and red-flagging accounts that exhibit signs of financial stress. This approach aligns with RBI guidelines and helps in the timely resolution of potential issues.

Specialized Monitoring Agencies

The Central Bank of India engages Specialized Monitoring Agencies (ASM) to continuously monitor the operations and transactions of large-value borrower accounts. This continuous monitoring helps in ensuring transparency and timely identification of any discrepancies or financial distress. Additionally, the Bank has established Credit Processing and Approval Centres (CPAC) in regional offices to empower branches in credit decisions and facilitate streamlined verification of pre-disbursal activities.

The War Room at the Central Office monitors and follows up on all SMA accounts with exposure up to ₹1 crore, while accounts above ₹1 crore are monitored by the Credit Monitoring Department itself.

Credit Processing and Approval Centre (CPAC)

Credit Processing and Approval Centre (CPAC) is functioning since 2021 in all Regional Offices with the objective of empowering Branches in taking Credit decisions and, providing comfort to the branches and facilitating a single point verification of all Pre-Disbursal activities commencing from appraisal & sanction and documentation including security creation, compliance of other terms and conditions etc. and improvement of underwriting of credit.

War Room

Besides monitoring of accounts at all levels, War Room is functioning at Central Office with dedicated staff personnel in the follow-up of all SMA accounts with exposure up to ₹ 1.00 crore resulting in better monitoring and reduced slippages.

Digital Collection Management

An initiative to get end to end collection activity, Digital Collection platform has been integrated as a Unique Digital Platform and activation of loan re-payment via UPI

The Digital collections- Platform: Consists of 3 major sections as under:

1. **Collections call center**
2. **Feet on Street (FOS)**
3. **IVR/Voice or Chat BOT**

Priority Sector

In accordance with the Reserve Bank of India's directives, Central Bank of India (CBoI) is mandated to allocate a minimum of 40% of its Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or an equivalent credit amount from off-balance sheet exposure, whichever is higher, to the Priority Sector. For the fiscal year 2024, the Bank's total Priority Sector Advances accounted for 53.14% of its ANBC, exceeding the regulatory requirement of 40%. This performance underscores CBoI's robust commitment to addressing the credit needs of priority sectors, as designated by the RBI. By surpassing the mandated allocation, the Bank demonstrates its dedication to supporting economic growth, fostering financial inclusion, and addressing the specific needs of sectors such as agriculture, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), education, housing, and others.



Priority Sector Performance as of March 31, 2024

The detailed performance of the Bank under various segments of the priority sector is provided in the table below:

S I. No	Particulars	Mar-21	Mar-22	Mar-23	Mar-24	Growth %
1	Priority Sector Advances	88,222.47 Cr	93,886.50 Cr	103,513.76 Cr	118,135.91 Cr	14.22%
2	Total Agriculture Advances	36,206.99 Cr	38,635.40 Cr	42,110.35 Cr	46,063.46 Cr	8.67%
3	MSME	32,356.43 Cr	34,138.55 Cr	39,898.83 Cr	49,870.32 Cr	25.58%
4	Education Loans	2,724.77 Cr	2,485.20 Cr	2,242.55 Cr	2,057.03 Cr	-8.27%
5	Housing Loans (up to ₹25 Lakh)	16,744.07 Cr	18,503.23 Cr	19,188.99 Cr	20,090.44 Cr	5.58%
6	Other Priority Sectors	24.77 Cr	13.14 Cr	6.64 Cr	1.21 Cr	-81.78%
7	Renewable Energy	2.35 Cr	2.25 Cr	1.40 Cr	0.99 Cr	-99.05%
8	Social Infrastructure	153.15 Cr	104.40 Cr	58.87 Cr	41.96 Cr	-28.72%
9	Export Credit	9.93 Cr	4.33 Cr	6.13 Cr	10.49 Cr	71.13%

During the financial year 2023-24, Central Bank of India witnessed an increase in credit deployment under the priority sector, reaching ₹118135.91 Crore. This represents a significant increase of ₹14,622.15 Crore compared to the previous year. To capitalize on the excess lending over Adjusted Net Bank Credit (ANBC) in the priority sector, the Bank engaged in sale transactions involving Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). The Bank successfully sold PSLCs worth ₹1500.00 Crore under the Priority Sector, with ₹1500 Crore specifically under Small and Marginal Farmers. Additionally, the Bank holds an outstanding Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) amounting to ₹1601.28 Crore under the Priority Sector, with ₹1198.28 Crore specifically allocated to the Agriculture sector as of March 31, 2024.

Agriculture Sector

In the fiscal year under consideration, Central Bank of India reported a significant increase in total Agriculture credit, amounting to ₹3,953.11 crores—an increase from ₹42,110.35 crore as of March 31, 2023, to ₹46,063.46 crore as of March 31, 2024. This rise demonstrates the Bank's robust commitment to supporting the agricultural sector and meeting the comprehensive financing needs of farmers. Furthermore, the net percentage of agriculture credit to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) reached 20.57%, surpassing the regulatory target of 18%. This achievement underscores the Bank's dedication to fulfilling its Agriculture sector lending obligations and contributing positively to the development of the agriculture industry.

Diverse Financial Schemes for Agriculture and Allied Sectors

Central Bank of India offers a broad array of schemes designed to meet the varied needs of the agricultural and allied sectors, thereby enhancing productivity and sustainable growth. These include:

- **Cent Kisan Credit Card:** Provides a consolidated credit facility covering cultivation costs, post-harvest expenses, marketing of produce, and working capital for maintaining farm assets.
- **Cent Agri Gold Loan:** Offers quick financing for crop production and investment credit in agriculture and allied activities against the pledge of gold ornaments and gold coins.
- **Cent SHG Bank Linkage:** Targets Self-Help Groups (SHGs) with revolving cash credit and term loans to support grassroots financial inclusion.
- **DAY-NRLM:** Finances women SHGs under a mission mode approach, launched by the Ministry of Rural Development.
- **Cent AMI (Agriculture Marketing Infrastructure) Scheme:** Assists in creating marketing infrastructure with modern technology, grading facilities, quality certification, and scientific storage solutions.
- **Cent Poly House, Green House, Shade-Net House:** Provides financial support for protected farming of high-quality commercial horticulture crops.
- **Cent Dairy:** Supports the establishment of dairy units for milk production.
- **Cent Agri Clinic / Agri Business Centers:** Offers financial assistance for setting up Agri Clinics and Agri Business Centers by qualified individuals.
- **Cent Farm Machinery:** Provides financing options for purchasing tractors, trailers, and other agricultural implements.
- **Cent Kisan Sathi:** Assists indebted farmers in reducing their liabilities to money-lenders and brokers.
- **Cent Scheduled Tribe:** Offers financial support to the weaker sections within the Scheduled Tribe category.



- **Cent Poultry, Fishery, and Animal Husbandry Infra:** Supports the establishment and operation of poultry farms, traditional and commercial fishing activities, dairy processing, meat processing, and animal feed plants.
- **Cent Agri Infra and Cent Solar (PMKUSUM Scheme):** Provides medium to long-term debt finance for investment in post-harvest management projects and decentralized solar or other renewable energy-based power plants.
- **Cent FPO and Cent FIDF:** Facilitates financing for Farmer Producer Organizations (FPOs) and modernization of fisheries infrastructure.
- **Cent PMFME Scheme and Cent Cold Storage:** Supports the setting up and modernization of Micro Food Processing Enterprises and meets the financial needs of cold storage and warehouse units.
- **Cent Goatery & Other NLM Schemes:** Finances establishment and operation of goatery, sheep, small-scale rural poultry, piggery, and small ruminant farms/units.
- **Cent Mushroom:** Provides finance for mushroom cultivation and spawn production.

Enhancing Agricultural Credit Access

To accelerate the flow of credit to the agricultural sector, Central Bank of India has initiated several credit campaigns. Rural and semi-urban branches regularly organize monthly mega credit camps to promote and sanction new agricultural loans. Special credit camps have been organized for SHGs to enhance bank linkage, facilitating easier access to credit for these groups. Additionally, the Bank has ensured that eligible farmers are covered under the "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana" (PMFBY) by opting in for crop insurance. Emphasis has also been placed on investment credit and financing for SHGs in the agricultural sector, particularly focusing on extending credit to small and marginal farmers.

To further enhance credit flow and increase coverage under social security schemes, the Bank organizes village-level weekly camps at all rural and semi-urban branches to create awareness among farmers. These comprehensive efforts are designed to promote financial inclusion and support robust growth within the agricultural sector, reflecting Central Bank of India's ongoing commitment to the nation's agrarian economy.

Enhancing Financial Inclusion

Central Bank of India (CBoI) is dedicated to enhancing financial inclusion and empowering individuals from diverse backgrounds. The Bank has implemented numerous initiatives to ensure all customers have equal access to financial services, supporting the well-being and financial health of its customer base. These efforts are aligned with

the Sustainable Development Goals (SDGs), with a particular focus on improving financial literacy and access.

Financial Literacy and Counseling Centers (FLCC)

To achieve greater financial inclusion, CBoI has established Financial Literacy and Counselling Centres (FLCC) across various regions. These centres provide comprehensive financial education and guidance to individuals, helping them to make informed financial decisions and better understand the financial products and services available to them.

Engagement of Retired Personnel

Recognizing the valuable contributions of retired personnel, CBoI has brought them on board as consultants. This initiative allows the Bank to leverage their extensive experience and knowledge, benefiting customers through enriched service offerings and enhanced advisory capabilities.

Cent Yuva Product for Children

CBoI has introduced the 'Cent Yuva' product specifically designed to cater to the financial needs of children. This product includes insurance coverage under the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, with the Bank bearing the premium costs. This initiative reflects the Bank's commitment to supporting the younger generation by providing essential financial security.

Employee Well-being and Development

CBoI prioritizes the well-being of its employees by offering regular health check-ups under the staff welfare scheme. Additionally, aligning with the National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) initiated by the Government of India, the Bank has appointed more than 17% of its total workforce as apprentices. This program fosters skill development and creates opportunities for young individuals to gain valuable work experience, contributing to their professional growth and readiness for future employment.

Expansion of Banking Services to Rural and Urban Areas

Central Bank of India has significantly extended its banking services to include 16,795 villages, utilizing 11,682 Business Correspondent (BC) agents. This expansive network aims to bring banking facilities closer to rural residents, thereby promoting financial inclusion. Moreover, the Bank has also opened 1,242 Urban Financial Inclusion centres, further broadening its reach and ensuring that urban communities have better access to banking services.

Growth in Financial Inclusion Transactions

During the reporting period, transactions in Financial Inclusion (FI) accounts opened through Business Correspondents (BCs) have shown a significant increase. The number of



transactions grew from 675.88 lakh in FY2023 to 972.23 lakh in FY2024, representing a year-on-year growth of 43.84%. This surge in transactions underscores the rising utilization and adoption of FI accounts by customers, highlighting the effectiveness of the Bank's efforts in expanding financial inclusion and providing accessible banking services to underserved communities.

Business Conducted Through Business Correspondents

The business conducted through Business Correspondents (BCs) also witnessed a notable increase. The value of transactions rose from ₹4,001.86 Crore as of March 31, 2023, to ₹5,150.72 Crore as of March 31, 2024, marking a year-on-year growth of 28.70%. This significant growth emphasizes the success of the Bank's strategy in expanding its reach and delivering financial services to unbanked and underserved areas.

Increase in Number of Accounts Through Business Correspondents

The number of accounts opened through Business Correspondents (BCs) experienced growth of 8.77% year-on-year. The total count of accounts rose from 164.41 lakh on March 31, 2023, to 178.84 lakh as of March 31, 2024. This increase reflects the Bank's concerted efforts to promote financial inclusion and reach out to the unbanked population through the BC model.

Performance Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (FI-PMJDY) initiative during the fiscal year 2023-24, Central Bank of India achieved significant milestones:

- Business through Business Correspondent (BC) outlets witnessed substantial growth of 28.70%. The business volume increased from ₹4,001.86 Crore to ₹5,001.72 Crore.
- The total Financial Inclusion (FI) business recorded a growth of 21.24%. The business volume increased from ₹6,691.59 Crore to ₹8,112.98 Crore.
- The percentage of Aadhaar seeding in PMJDY accounts showed a positive trend, increasing from 88.59% to 89.57% for all PMJDY accounts and improving from 94.96% to 96.36% for all operative PMJDY accounts. This enhancement in Aadhaar seeding facilitates more efficient and effective financial transactions and identification verification processes.

Enrolment and Claims Settlement Under Social Security Schemes

Total enrolment under the Social Security Scheme as of March 31, 2024, showed significant growth over the previous year. The details are as follows:

- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY): Enrolments increased from 2,121,789 in FY2023 to 2,578,319 in FY2024, marking a growth of 21.52%.
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY): Enrolments rose from 6,820,243 to 9,429,172, a growth of 38.25%.
- Atal Pension Yojana (APY): Enrolments grew from 1,939,900 to 2,321,236, representing a growth of 19.66%.

Regarding claims settlements, out of a total of 18,552 death claims under the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Central Bank of India settled and paid 15,007 claims. Similarly, out of 6,339 death claims under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), the Bank settled and paid 4,736 claims. This demonstrates the Bank's commitment to promptly addressing and settling claims, thereby supporting the financial security of beneficiaries.

Financial Literacy and Credit Counselling Centre (FLCC)

Central Bank of India has established 52 Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) across seven states: Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, and Chhattisgarh. Additionally, in Kerala, four FLCCs have been set up at the block level. We also have 178 Community Financial Literacy Centres (CFLs) strategically placed across these states, with the distribution as follows: West Bengal (12), Madhya Pradesh (49), Uttar Pradesh (21), Rajasthan (7), Bihar (61), Chhattisgarh (14), and Maharashtra (14).

These centres are pivotal in our efforts to educate a broad spectrum of individuals, functioning as platforms for both mass campaigns and individual counselling sessions. To enhance our outreach capabilities, the FLCCs have been equipped with vehicles that include Public Address Systems and LCD screens. These vehicles are utilised to disseminate information about various banking products and schemes effectively, thereby raising awareness among the masses.

The objective of these campaigns and sessions is to uplift the economic status of individuals and improve their standard of living by providing them with the necessary tools and knowledge to make informed financial decisions. To this end, during counselling sessions and village visits, we provide literacy materials, kits, books, and other essential resources, ensuring comprehensive support and education for all attendees.



Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

Central Bank of India has established 46 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) across nine states, including Assam, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, West Bengal, Uttar Pradesh and Assam. These RSETIs aim to identify, motivate, and assist unemployed youths in undertaking self-employment or wage employment activities. They impart knowledge and skills through organised training programmes and aim for a high settlement rate among trained candidates by facilitating bank credit linkage and providing hand-holding support for a period of two years.

During the fiscal year 2023-24, the RSETIs conducted a total of 1052 training programmes, successfully training 31,053 candidates. Remarkably, 23,883 of these candidates, representing 77% of the trainees, secured employment or established their own ventures, utilising support such as bank credit, wage settlements, or self-financing options. The credit linkage for settled candidates reached an impressive 14,174, accounting for 59.34% of those trained. This underscores the success of our RSETIs in promoting self-employment and enhancing financial independence among rural communities.

Additionally, Central Bank of India has taken further steps to support and streamline the operations of its RSETIs, Financial Literacy and Credit Counseling Centers (FLCCs), and Centres for Financial Literacy (CFLs). The bank has established a dedicated society/trust named "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan" (CBI-SUAPS), which oversees the functioning and activities of the RSETIs, FLCCs, and CFLs. Moreover, a Governing Council has been set up at the apex level to provide overall guidance and supervision. The council is composed of the Managing Director and CEO of the bank as the Patron, the Executive Director as the President, and the General Manager as Vice President along with other members. This council plays a crucial role in ensuring effective management and coordination of these institutions, contributing significantly to their growth and success.

Social Banking

Central Bank of India plays a crucial role in the economic growth of the country by offering financial support across all sections of society through various government-sponsored schemes. Through these schemes, Central Bank of India supports various demographic segments and contributes to the socio-economic development of the country, aiding small businesses, entrepreneurs, and individuals in achieving sustainable growth and financial stability.

Performance Under Government-Sponsored Schemes

- 1. PM SVANidhi Scheme:** Launched by the Government of India to provide financial aid to street vendors affected during the COVID-19 pandemic. The scheme aims to support street vendors across urban areas to resume their livelihoods. The number of accounts under the PM SVANidhi scheme grew from 166,211 to 309,582, registering a growth of 86.25%.
- 2. Stand Up India Scheme:** Initiated on 5th April 2016 by the Prime Minister, this scheme facilitates bank financing for one Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) borrower and one woman borrower per bank branch. It aims to enable them to set up greenfield enterprises in manufacturing, services, or trading. Accounts under this scheme have increased from 5,624 to 13,311, marking a growth of 136.68%.
- 3. Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY):** Established by the Honorable Prime Minister on 8th April 2015, MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency Ltd.) focuses on developing and refinancing all non-corporate small business sector entities. The beneficiaries include micro and small enterprises involved in manufacturing, trading, and services. The disbursement under PMMY has grown from ₹ 3,605.71 crore to ₹ 5,397.25 crore, reflecting a growth of 49.68%.
- 4. PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME Scheme):** Managed by the Ministry of Food Processing Industries, this scheme provides concessional finance to micro food processing enterprises to enhance their competitiveness and ensure sustainable development. The number of accounts benefiting from this scheme has increased from 1,080 to 2,250, showcasing a growth of 108.33%.
- 5. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP):** This central sector scheme administered by the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises (Mo MSME) is designed to cater to the financial needs of unemployed youth who are interested in starting greenfield projects. The disbursement under PMEGP escalated from ₹ 988.32 crore to ₹ 1,825.98 crore, marking an increase of 84.75%.

Lead Bank Performance

As the Lead Bank, Central Bank of India has assumed a pivotal role in 53 districts across eight states: Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Chhattisgarh, and Sikkim. These districts collectively harbour approximately 25% of our branches, signifying a substantial portion of our operations. To ensure the effective implementation of the Lead Bank Scheme, the offices of our Lead District Managers are fully equipped with adequate staffing, robust infrastructure, and comprehensive resources.



These resources include independent premises, vehicles, computers, printers, telephones, internet connections, and dedicated email IDs.

In our efforts to elevate public awareness about our bank's offerings, particularly in rural districts, we have strategically displayed information on key products such as the Kisan Credit Card and Central Artisan Credit Card on the vehicles assigned to our Lead District Managers. This initiative aims to enhance visibility and accessibility of our financial products to the rural populace.

Moreover, we actively engage in various developmental activities which underscore our commitment to regional growth and financial inclusion. These activities include the full implementation of Financial Literacy and Financial Inclusion Programs, aimed at educating the communities we serve. Additionally, we facilitate the training of unemployed rural youth through 46 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), and actively promote the formation of Self-Help Groups (SHGs) and farmers' groups. These initiatives are integral to our strategy of fostering sustainable development and enhancing financial literacy and independence in the regions under our Lead Bank responsibility.

MSME Department

Performance Highlights

During the financial year 2023-24, the Central Bank of India (CBI) made significant strides in supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through various initiatives and targeted programs. The total MSME advances increased from ₹39,898.83 crore as of March 31, 2023, to ₹50,104.37 crore as of March 31, 2024, marking a year-on-year growth of 25.58%. This impressive growth underscores the Bank's commitment to bolstering the MSME sector, crucial for economic development and employment generation.

The percentage of microcredit to MSE reached 64.47% without PSLC, and the Bank achieved a year-on-year growth under Micro enterprises of 36.39%. To enhance the ease of doing business for MSMEs, the Bank implemented the Digi Auto Renewal scheme for MSME loans up to ₹10.00 lakh, resulting in the digital renewal of 42,230 accounts amounting to ₹1,994.54 crore.

Key Initiatives

CBI has launched several initiatives to support the growth and sustainability of MSMEs:

- **New Schemes:**
 - o Cent Hotel, Cent Energy Efficiency Scheme, Cent CA/CS/CMA, and Cent Export schemes were implemented.

- o The Cent Energy Efficiency Scheme was specifically introduced to promote green energy.
- **Digital Advancements:**
 - o The Bank implemented Digi-Renewal Functionality for MSME loans up to ₹10.00 lakh.
- **Partnerships:**
 - o A tie-up with JIO (Jain International Organization) was established to boost the Stand Up India Scheme and Cent Mudra Scheme.
 - o The Bank has entered into agreements with CredAvenue Private Limited and Veefin Solution Limited to provide supply chain finance, enhancing liquidity for MSMEs involved in supply chain operations.
 - o Partnerships with Yubi Credit Marketplace Platform and JIO-Jain International Organisation to facilitate MSME financing under schemes like Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) and Stand Up India (SUI).
- **Cent GST Scheme:**
 - o This scheme offers working capital finance based purely on GST turnover, simplifying the credit assessment process for MSME borrowers. As of March 2024, the total outstanding under this scheme was ₹2,455.33 crore.

Future Roadmap

Looking ahead, CBI plans to introduce several new initiatives to further support the MSME sector:

- **Cluster-Based Finance:** Customized products will be developed for cluster-based financing.
- **Green Energy Financing:** New schemes promoting green energy in compliance with Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria will be launched.
- **PABL Introduction:** PABL (Professional and Business Loan) will be introduced based on transactions in current accounts maintained in the Bank.
- **Product Review and Rationalization:** Regular market studies and alignment with regulatory guidelines will ensure MSME products remain competitive and meet evolving market needs.
- **Digital Service Expansion:** Plans are underway to enhance digital service offerings, including the introduction of more digital platforms for MSME customers to streamline processes and improve service delivery.
- **Incubator Tie-Ups:** Partnerships with incubators that support entrepreneurs will be formed to better understand market potential and introduce customized MSME products under the startup category.



Active MSME Products

The MSME Department offers a wide range of products tailored to different business needs:

1. Cent Business
2. Cent Mortgage Business
3. Cent Contractor
4. Cent MUDRA
5. General MSME (IBA format)
6. Stand Up India
7. Cent WHR
8. NULM
9. Cent Weaver Mudra
10. PM Svanidhi
11. Cent Equipment Financing Scheme
12. Cent Arthias
13. Cent Business Gold Loan Scheme
14. Cent Shop
15. SRTO (Transport Operator)
16. Cent Kalyani
17. Cent Rental
18. Cent Ceramic
19. Cent Textiles Scheme
20. PMEGP
21. Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana - M.P.
22. Cent Vehicle Business
23. Cent Pragati
24. Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Castes
25. Cent Sanjeevani
26. Cent Shop Kota
27. Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojana – Rajasthan
28. Cent Open Term Loan

29. Cent GST
30. Jagananna Thodu
31. Cent Gold Jewellery Manufacturing Scheme
32. Commercial Vehicle DDR MP
33. Mukhya Mantri Gramin Path Vihreta Rin Yojana
34. PMJDY-OD
35. Cent Chinar
36. Mukhyamantri Ration Parivahan Yojana
37. Loan to Micro Finance Borrowers
38. Textile Cluster Scheme for Hyderabad & Warangal
39. Cent CA/CS/CMA
40. Cent Hotel
41. Cent Energy Efficiency Scheme
42. Cent Export

Discontinued Products

The following products were discontinued:

1. Cent CGECL
2. Cent Custom Hiring Centre (M.P)
3. Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sector
4. Central Laghu Udhyaami Credit Card
5. Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Tourism Service Sector

MSME Performance Metrics

These figures underscore the MSME Department's dedication to fostering growth and supporting micro, small, and medium enterprises through innovative schemes, digital advancements, and strategic partnerships. The Central Bank of India remains committed to ensuring financial inclusion and contributing to the broader economic landscape.

The table below details the performance of MSME loans, highlighting the growth achieved over the financial year:

Particulars	31.03.2023 without PSLC	31.03.2023 with PSLC	31.03.2024 without PSLC	31.03.2024 with PSLC	Y-o-Y Growth without PSLC	Y-o-Y Growth with PSLC
MICRO Enterprises	₹21,162 crore	₹21,862 crore	₹28,863 crore	₹28,863 crore	36.39%	32.02%
MSE	₹35,358 crore	₹36,058 crore	₹44,771 crore	₹44,771 crore	26.62%	24.16%
MSME (PS)	₹39,199 crore	₹39,899 crore	₹49,870 crore	₹49,870 crore	27.22%	24.99%
TOTAL MSME	₹39,199 crore	₹39,899 crore	₹49,870 crore	₹49,870 crore	27.22%	24.99%
% of MSME Advance to Total Advance	17.99%	18.32%	19.80%	19.80%	27.22%	24.99%
No. of Accounts in Micro Enterprises	646,806		706,610	706,610		9.24%
% Y-o-Y Growth in No. of Accounts	-25.45%		9.24%			10%



RBI Mandates (Prime Minister Task Force)

Particulars	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	Target Mar-24
	Without PSLC	With PSLC	Without PSLC	With PSLC	
MSE Portfolio (Amt. in ₹ crore)	35,358	36,058	44,771	44,771	NA
% Y-o-Y Credit Growth under MSE	12.68%	14.91%	26.62%	24.16%	NA
% of Micro Credit to MSE Credit	58.68%	60.63%	64.47%	64.47%	NA
MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.23	21,162	21,862	28,863	28,863	185,261
MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.24	21,162	21,862	28,863	28,863	222,512
ANBC As on 31.03.2023 (in ₹ crore)	185,261	222,512	185,261	222,512	NA
ANBC As on 31.03.2024 (in ₹ crore)	185,261	222,512	185,261	222,512	NA
% of ANBC without PSLC	11.42%	11.80%	39.39%	32.02%	NA
% of ANBC with PSLC	11.42%	11.80%	39.39%	32.02%	NA


Micro Enterprises Outstanding (O/S)

Particulars	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	ANBC	ANBC	Status	Status
	Without PSLC	With PSLC	Without PSLC	With PSLC	As on 31.03.2023 (in ₹ crore)	As on 31.03.2024 (in ₹ crore)	Target on Mar-23	Target on Mar-24
Micro Ent. O/S	21,162	21,862	28,863	28,863	185,261	222,512		
% of ANBC without PSLC	11.42%		39.39%					
% of ANBC with PSLC		11.80%		32.02%				

Retail Credit

Retail lending plays a significant role in the growth and development of the economy through increased consumer spending. These loans, typically offered for personal consumption, home and vehicle purchases, education, and home improvements, help diversify the risk profile of the Bank's loan book. In FY 2023-24, retail lending constituted 28.28% of the Bank's total credit, with advances growing by 13.50%, from ₹62,726 crore to ₹71,193 crore, underscoring the Bank's success in capturing market opportunities and meeting evolving customer needs.

To further drive this growth, the Bank has leveraged the Account Aggregator platform for lead generation, strengthened relationships with intermediaries, and utilized digital ecosystems for lending. Strategic tie-ups with OEM vehicle manufacturers and festive season promotions have also contributed to the expansion in retail loans. In March 2023, the Bank sanctioned loans to 224,769 retail accounts totaling ₹19,730 crore, increasing to 260,226 accounts and ₹20,151 crore by March 2024.



This robust performance highlights retail lending as a key contributor to Central Bank of India's loan book. During the fiscal year, the Bank's strategic initiatives, including data mining for cross-sell and upsell opportunities and partnerships with OEM vehicle manufacturers for vehicle loans, played a crucial role in this growth.



Key Segments of Retail Lending

- **Housing Loans:** ₹44,057 crore (61.88% of total retail loans), supporting home buyers.
- **Auto Loans:** ₹3,343 crore, facilitating vehicle ownership.
- **Personal Loans:** ₹4,514 crore, meeting individual financial needs.
- **Education Loans:** ₹4,284 crore, surpassing targets set by DFS, supporting students' educational aspirations.
- **Other Retail Loans:** ₹14,995 crore, catering to consumer durables, lifestyle expenses, and small-ticket personal financing.

Technological Advancements

The retail lending landscape has evolved with digital innovations, including end-to-end digital sanctions, data mining, machine learning, and AI. These technologies enhance customer acquisition, cross-selling, and up-selling. The Bank has shifted from offering standard products to providing tailor-made solutions, leveraging fintech capabilities to improve customer engagement.

Strategic Initiatives

The Bank's future growth strategy includes:

1. **Monitoring Customer Demand:** Continuously reviewing products to align with market trends and customer needs.
2. **Embracing Digital Lending:** Leveraging digital marketing and lending platforms to meet the expectations of next-generation customers.
3. **Lead Generation via Account Aggregator Platform:** Strengthening intermediaries and aggregators for sourcing retail loan products.
4. **Data Mining for Cross-sell and Upsell:** Utilizing extensive data to identify opportunities.
5. **Strategic Tie-ups:** Collaborating with vehicle manufacturers and companies like TATA Motors and Maruti Suzuki Ltd.
6. **Festival Campaigns:** Launching special campaigns during festive seasons to drive business growth.
7. **Partnerships with Reputed Builders:** Entering tie-ups with top builders for financing projects nationwide.
8. **Government and Institutional Tie-ups:** Targeting lending to employees of state governments, central government departments, and other institutions.

Future Outlook

Central Bank of India aims to sustain its growth momentum in retail lending through these strategic initiatives, expanding its retail loan portfolio, and providing tailored solutions to meet the diverse needs of its customers. By adapting to the changing ecosystem, leveraging technology, and maintaining

a robust risk management framework, the Bank is well-positioned for continued growth and customer satisfaction in the retail lending segment. Looking ahead, Central Bank of India aims to further boost retail loan growth by strengthening current initiatives and exploring new avenues. The Bank's strategic plans include:

1. **Monitoring Customer Demand:** Regularly reviewing products to align them with market trends and customer requirements.
2. **Embracing Digital Lending:** Enhancing digital marketing strategies and leveraging digital lending platforms to meet the expectations of next-gen customers.
3. **Utilizing Account Aggregator Platform:** For efficient lead generation.
4. **Strengthening Intermediaries and Aggregators:** Expanding partnerships for sourcing retail loan leads, particularly mortgage loans.
5. **Data Mining for Cross-Sell and Upsell:** Extensive use of data analytics to identify opportunities for additional sales to existing customers.
6. **Strategic Tie-Ups:** Collaborating with vehicle manufacturers and reputed builders to provide customized retail asset products.
7. **Special Campaigns:** Launching special campaigns during festive seasons to attract customers and ensure substantial business growth.
8. **Customized Products for Social and Environmental Causes:** Launching products like Cent Grih Lakshmi for women empowerment and Cent e-vehicles and Cent Suryaghar for environmental sustainability.

These initiatives and strategic plans underscore the Bank's commitment to sustaining its growth momentum, expanding its retail loan portfolio, and providing tailored solutions to meet the diverse needs of its retail customers.

Customer Care Department

In the fiscal year 2023-24, the Central Bank of India focused on strategic branch expansion and optimization to enhance its service delivery and market presence. These efforts contributed to the Bank's growth and its ability to meet the evolving needs of its diverse customer base. The Bank adopted a comprehensive approach to branch expansion, targeting areas with significant business potential and customer demand. Overall, the efforts in FY2024 were aligned with its strategic goals of enhancing customer reach, improving service delivery, and promoting financial inclusion. These efforts contributed to the Bank's growth and its ability to meet the evolving needs of its diverse customer base. This included opening new branches, upgrading existing ones, and merging or closing branches where necessary to



optimize operational efficiency.

Branch Expansion

As of March 31, 2024, the distribution of branches across various areas, factoring in the branches opened, merged, or closed during FY 2023-24, is as follows:

No	Category	Position as on 31.03.2023	Position as on 31.03.2024
1	Rural	1,600	1,606
2	Semi-Urban	1,330	1,332
3	Urban	769	771
4	Metro	794	791
Total		4,493	4,500

Enhancing Customer Service

Customer Care Department: The Planning, Development & Operation Department (PDOD) has been renamed as the "Customer Care Department" to emphasize the Bank's commitment to customer care. The theme for 2024-25 is "Customer Satisfaction with Value Creation."

Integrated Customer Care (ICC): The Bank has established a state-of-the-art ICC with a scalable business model focusing on timely responsiveness, outreach, advanced customer service, and quality assurance. The ICC is operational from Mumbai (from 05.02.2024) and Hyderabad (from 30.03.2024) and is integrated into the Bank's Data Centre (DC) and Disaster Recovery (DR) architecture.

Communication Channels: An easy-to-remember number (1800 30 30) has been introduced for customer service. The ICC offers various communication channels including call/voice, IVR, chat and chatbots, WhatsApp live chat, social media, email/web form, video banking, and co-browsing.

Multilingual Support and Accessibility: Services are offered in 10 regional languages, apart from Hindi and English. Doorstep banking services are available for senior citizens, visually impaired individuals, and differently-abled customers through the ICC.

Home Delivery Services: Home delivery of cheque books and ATM cards is available for customer convenience. Cheque books can be activated through SMS, mobile banking, or internet banking.

Technological and Digital Advancements

UPI Lite and Digital Loan Facilities: Integration of UPI Lite functionality into BHIM Cent UPI (CentPay) and new digital loan facilities against PPF.

Complaint Management and Fraud Prevention: The Bank has revamped its complaint management solution via a web portal. Positive Pay has been introduced to prevent

fraud by cloning or altering cheques, accessible through net banking, mobile banking, and branch networks.

Customer Onboarding and KYC Updates: Customer onboarding via video KYC has been implemented. Periodic KYC updates can be conducted through SMS, mobile banking, internet banking, and BC points using e-KYC. Customers receive SMS notifications before and after accounts become inoperative or dormant.

API Integration: ICC integration with the Customer Relationship Management (CRM) system supports lead generation, marketing, and sales management.

Product and Service Handling

Product Management: ICC handles loans (retail and business), deposits, payments, and third-party products such as insurance and mutual funds.

Service Requests and Digital Support: Includes service requests, digital support for Net Banking, Mobile Banking, Bank Products, and grievance handling with defined turnaround times (TAT).

Campaign Management and Lead Generation: ICC manages campaign management and lead generation to maximize benefits to the Bank.

Special Services for Pensioners and Senior Citizens

Dedicated Support: An exclusive toll-free number (1800 203 1911) is available for pensioners and senior citizens. Proactive outbound IVR services in five languages remind customers of payments and life certificate submissions.

Digital Life Certificates: Digital life certificates for pensioners can be booked through various channels, with doorstep collection using the Jeevan Pramaan App.

New Initiatives

New Facilities and Enhancements: Implementation of Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW) to enhance customer convenience, Green Channel Cash Deposits to reduce paper usage, and integration of JanSuraksha schemes (PMSBY & PMJJBY) across all CBS branches and digital channels.

Expanded Services: Customers can open PPF accounts and Senior Citizen Saving Schemes at any branch or through digital channels. Online subscriptions for Sovereign Gold Bonds and tax collection under TIN 2.0 are available through all branches and internet banking. Mandate registration for credit amounts in savings accounts from other banks is also available.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



International Division

Foreign Exchange Business

Central Bank of India has made significant advancements in its Foreign Exchange Business during FY 2024. The Bank's total Foreign Exchange Business volume was **₹43089.71** crore in FY2024. The Bank undertook many strategic initiatives to enhance its Foreign Exchange Operations and expand its Global Footprint including traversal towards Centralisation of all its Forex Operations. The Bank has continued to streamline its processes and improve service delivery to better meet the needs of its customers engaging in International Trade.

Export Credit Portfolio

The Bank's Export Credit portfolio also witnessed growth during FY2024. The total export credit extended by CBI increased from **₹4175.77** crore in FY2023 to **₹4188.85** crore in FY2024, reflecting a growth of **0.31%**. This increase despite challenging situations throughout the year like Russia-Ukraine war, Israel-Palestine war as well as the Red Sea Crisis underscores the Bank's commitment to supporting exporters and contributing to the country's Foreign Exchange earnings. Central Bank of India has focused on providing tailored financial solutions to exporters, ensuring timely and adequate credit flow to boost export activities.

NRE and FCNR Deposits

Central Bank of India has seen a rise in Non-Resident External (NRE) and Foreign Currency Non-Resident (FCNR) deposits. The total NRE/FCNR deposits increased from **₹7185** crore as of March 31, 2023, to **₹7372** crore as of March 31, 2024, marking a growth of **2.60%**. This increase indicates the trust and confidence, Non-Resident Indians have in the Bank's services and the competitive interest rates offered on these deposit schemes.

Treasury, Funds and Investment

As of March 31, 2024, Central Bank of India's investment portfolio stood at **₹1,49,538.13** crore, which includes Non-SLR and Non-Transferable Government of India Recapitalization bonds worth **₹19,580** crore. This reflects an increase of 4.83% compared to **₹1,42,652.89** crore as of March 31, 2023. The composition of the investment portfolio of the Bank is as follows:

SI No	Composition	31.03.2024	31.03.2023
1	SLR	1,12,881.49	1,03,203.62
2	Non-SLR	36,656.64	39,449.27
	Total	1,49,538.13	1,42,652.89

During the year, there were significant fluctuations in CPI headline inflation, primarily driven by volatility in food prices. In July 2023, headline inflation reached 7.44%, exceeding

the RBI's upper tolerance level of 6%. However, for most of the year, inflation remained within the RBI's tolerance level of 2-6%, except for July and August.

In response to moderated inflation, geopolitical conditions, and growth factors, the Monetary Policy Committee kept the policy rate constant at 6.50% throughout the year, following a spike of 250 basis points during FY 2022-23. The decision to include Indian government bonds in the JP Morgan Global EM Bond Index and Bloomberg EM Local Currency Government indices, starting from June 2024, along with the fiscal consolidation path of the central government and core CPI movement, are expected to be key drivers for softening yields across the curve.

Consequently, the 10-year benchmark yield closed at 7.06%, a decrease of 26 basis points compared to 7.31% on March 31, 2023.

Snapshot of Treasury Income

Particulars	FY 2022-23	FY 2023-24
Profit on Sale of Investment	₹273 crore	₹637 crore
Profit on Exchange Transaction	₹303 crore	₹247 crore
Dividend Income	₹8 crore	₹8 crore
Profit/Loss on Revaluation of Investment	₹2 crore	₹73 crore
Treasury Income	₹586 crore	₹965 crore

The profit from the sale of investments increased from **₹273** crore to **₹637** crore, and overall Treasury Income increased from **₹586** crore to **₹965** crore. The yield on investment (excluding trading profit) rose by 31 basis points from 6.26% in 2022-23 to 6.57% in 2023-24.

With a pause in the rate hike cycle, the Bank slightly increased the Modified Duration and PV01 of the Available-for-Sale (AFS) portfolio. As of March 2024, the Modified Duration and PV01 were 1.88 and 6.66 respectively, compared to 1.53 and 4.40 as of March 2023. These adjustments reflect the Bank's efforts to manage its investment portfolio in a challenging interest rate environment.

Furthermore, the Bank shifted Central and State Government securities worth **₹4,288** crore from Held-to-Maturity (HTM) to AFS during FY 2023-24. This strategy allowed for better portfolio management and alignment with regulatory requirements.

Risk Management

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. The Risk Management Committee of the Board of



Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assesses the risk models so as to remain in sync with the market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

At The operational level, various Committees such as Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Management Committee (CRMC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORMC) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team. These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary. The Bank has identified officers in the rank of Chief Manager/ Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Regional/Zonal Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officer' to look into various aspect of control & management of risk in the Bank. Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy.

Market Risk Management

The Mid Office plays a crucial role in the Central Bank of India by conducting regular reviews of the market position, funding patterns, and ensuring compliance with exposure limits, duration limits, counterparty limits, and other sensitivity parameters. These reviews provide valuable insights and are presented to the top management at regular intervals. To effectively manage risk, your Bank utilizes tools such as Value-at-Risk (VaR) and Duration gap analysis. These tools are employed on an ongoing basis to measure and mitigate potential risks to the bank's profitability in the short term and equity value in the long term. In line with Basel III guidelines for Market Risk, your Bank has developed a model to estimate the capital charge on the trading portfolio. Your bank is modernizing the existing SAS Market Risk solution to enhance the Market Risk management capabilities. The enhanced solution would have additional capabilities and will make market risk management more dynamic and encapsulate the contemporary risk scenarios of the market. This solution is continuously calibrated to comply with the regulatory requirements and emerging risk management frameworks for effectively manage market risk. To ensure comprehensive risk management, your Bank has a board-approved Market Risk Management Policy in place. This policy serves as a framework to monitor and control market risk within the bank's portfolio. Counterparty limits for

treasury operations are regularly reviewed and adjusted as necessary. The Asset & Liability Committee, chaired by the MD & CEO, is responsible for overseeing the developments in market risk. This committee monitors and assesses the bank's exposure to market risk and takes necessary actions to mitigate potential risks

Credit Risk Management

Bank has implemented a comprehensive Rating Model for assessing the creditworthiness of borrowers across various sectors such as large corporates, infrastructure, NBFCs, SMEs, and agriculture. These rating models play a crucial role in evaluating the credit risk associated with each borrower and ensuring prudent lending practices. In addition to the rating models for corporate borrowers, your Bank has also developed Rating Models, known as scorecards, specifically designed for grading retail loans. These models enable your Bank to assess the creditworthiness of individual retail borrowers and determine appropriate risk ratings for their loans. The Credit Risk Management Committee, led by the MD & CEO, oversees and monitors the developments in credit risk management within the bank. This committee plays a key role in setting policies, reviewing credit risk management practices, and making informed decisions to mitigate credit risk exposure. Furthermore, your Bank has successfully implemented advanced approaches for capital computation using a SAS solution. This implementation enables your Bank to enhance its capital adequacy calculations and align with regulatory requirements, ensuring robust risk management practices.

Operational Risk Management

The Central Bank of India has implemented a robust Operational Risk Management framework guided by a Board-approved Operational Risk Management Policy. This policy ensures that your Bank has a comprehensive system in place to manage and measure operational risks aligned with its risk profile and risk appetite. The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees the implementation of the Operational Risk Management framework and ensures its regular monitoring. The committee reviews and approves the methodologies and tools used for operational risk assessment, including risk identification, assessment, and reporting methods. It also analyzes frauds, near misses, non-compliance events, breaches, and systemic improvements, presenting suitable controls and mitigations for managing operational risks. To mitigate risks associated with new products, processes, or activities, your Bank has established a New Product Approval Policy Framework. This framework provides guidelines for evaluating and managing the risks associated with introducing new products or activities, ensuring prudent risk management practices. Your Bank has also developed a Business Continuity Plan to ensure the uninterrupted delivery of products and services in the event of disruptions. This plan outlines the operating procedures

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



and predefined capacities to respond to and recover from disruptions, aligning with the bank's business continuity objectives. In terms of data collection and reporting, your Bank has implemented an Incident Management Module (IMM) under the Integrated Risk Management Solution (IRMS) for the collection of loss event data and near miss events related to operational risk. This allows your Bank to track and analyze operational risk incidents for proactive risk management. The Operational Risk Management Committee, led by the MD & CEO, plays a vital role in overseeing the developments in operational risk management. The committee ensures that the bank's operational risk management practices are effective, aligned with regulatory requirements, and support the bank's overall risk management objectives.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) policy in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management systems (ALM)

The Asset and Liability Management (ALM) function in the Central Bank of India plays a crucial role in measuring and managing the liquidity and interest rate risk of the bank. The primary objective of ALM is to maximize profitability while ensuring effective risk management. The Asset and Liability Committee (ALCO) meets regularly to review the bank's liquidity position and other market-related matters. During the fiscal year 2023-24, the ALCO convened 13 times to assess and monitor the bank's liquidity and interest rate risk profile. In addition to regulatory reporting, the ALM function is responsible for determining interest rates on deposits, as well as fixing the base rate, Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR), Repo Rate Linked Rate (RBLR), and External Benchmark Linked Rate (EBLR). Throughout the year 2023-24, your Bank made revisions in deposit interest rates, base rate, RBLR, EBLR, and MCLR multiple times to align with market dynamics. Your Bank adheres to the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) guidelines set by the Reserve Bank of India (RBI). The LCR, which measures the bank's ability to meet short-term liquidity requirements, remained above the threshold limit of 100% for the fiscal year 2023-24, with an average LCR of 205.09%.

Your Bank has upgraded ALM system for generation of SSL (Statement of Structural Liquidity), IRS (Interest Rate Sensitivity) and Liquidity Coverage Ratio (LCR) in line with RBI guidelines. Upgraded system generated SSL, IRS, and LCR reports make Bank's liquidity management and interest rate risk management more robust and sustainable.

Similarly, the NSFR, which assesses the long-term stability of the bank's funding sources, also remained above the minimum requirement of 100%, with an NSFR of 154.93% as of March 31, 2024. The Asset and Liability Committee, headed by the MD & CEO, is responsible for overseeing the developments in managing liquidity and interest rate risk. The committee ensures that your Bank maintains an optimal balance between profitability and risk management, while complying with regulatory guidelines and maintaining a strong liquidity position.

Implementation of Basel III guidelines

The Central Bank of India has implemented the New Capital Adequacy Framework as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) in July 2015. Your Bank has adopted Basel III norms and follows the Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk, and Standardized Duration method for Market Risk to determine its capital adequacy. To ensure effective risk management, your Bank has established various policies such as the Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation Policy, Collateral Management Policy, Asset and Liability Management Policy, Model Risk Policy, Model Validation Policy, Credit Review Policy, Intragroup Transactions and Exposures Policy, Integrated Risk Management Policy, Business Continuity Planning (BCP) Policy, and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). These policies have been duly approved by the board and provide a comprehensive framework for managing different types of risks.

Fraud Risk Management Cell (FRMC)

Fraud Risk Management Cell (FRMC) functions with vision to obviate fraud risks in the face of acceleration of Bank's business by strengthening internal controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank from loss or damage resulting from suspected or confirmed incidents of fraud. The cell has a robust environment of fraud prevention, detection and mitigation. It collects investigation reports in respect of all suspected cases (except digital/ATM frauds), analyses the frauds for root causes, compiles common characteristics observed and suggest preventive steps. It reports declared fraud cases by Bank to RBI and functions as touch point for fraud matters to RBI. For creating awareness amongst all employees against fraud incidents, the cell shares Modus operandi of recently reported frauds amongst our employees and also suggests necessary measures to avert such frauds in future. Bank has implemented transaction monitoring solution i.e. Enterprise Wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) which is a fraud detection, monitoring and prevention solution that monitors suspicious pattern across transactions on a real time/ near real time basis that facilitates the Bank to respond with corrective action either to approve or block transactions.



SAM and Recovery

The Bank has implemented a well-defined Recovery Policy to manage non-performing assets (NPAs) effectively. This policy covers various aspects, including monitoring NPAs, follow-up measures, compromise settlements, adherence to the SARFAESI Act, appointing enforcement agencies, allocating recovery portfolios, selling assets to ARCs through the Swiss Challenge Method, and addressing cases of wilful default. During the financial year 2023-24, the Bank achieved notable success in reducing Gross NPA and Net NPA.

Financial Performance (₹ in Crore)

Description	31-03-2024	31-03-2023
Cash Recovery	3,636	4,213
Upgradation	588	658
Gross NPA	11,340	18,386
Net NPA	3,002	3,592
Gross NPA%	4.50	8.44
Net NPA%	1.23	1.77

To further aid NPA resolution, the Bank implemented a Special One Time Settlement Scheme (2023-24). This scheme applied to NPAs/OD in SB & CD (DA3/Loss) with customer exposure up to ₹2.00 lakh as of 31 March 2023, and to all accounts classified as NPA as of the same date, including PWO/TWO accounts with customer exposure up to ₹10 crores. Additionally, an OTS Scheme under the Net Present Value (NPV) Approach was continued for all NPA accounts, regardless of security. Under these schemes, proposals amounting to ₹2,048.26 crores were settled for ₹1,412.74 crores during FY 2023-24.

The Bank also successfully transferred four NPA accounts to NARCL, resulting in a recovery of ₹66.75 crores (including SRs/OCD) and reducing the NPAs by ₹283 crores. Moreover, 49 accounts were declared as wilful defaulters. Under the SARFAESI Act, the Bank conducted auctions for 1,729 properties, selling 284 properties and generating ₹218.17 crores. The Bank signed Inter-Creditor Agreements (ICA) in 15 accounts with a total outstanding amount of ₹5,828.90 crores as of 31 March 2024. The Bank has set aside a total provision of ₹4,496.94 crores for these accounts. Additionally, the Bank approved and implemented resolution plans in eight accounts in compliance with the RBI circular dated 07.06.2019. These accounts had an outstanding amount of ₹1,978.56 crores as of 31 March 2024, with a total provision of ₹833.04 crores.

To strengthen NPA resolution efforts, the Bank signed ICAs for accounts with banking exposure of ₹1,500 crores and above, following RBI guidelines. Resolution plans were duly approved and implemented in compliance with the RBI circular dated 07.06.2019. The Bank maintained close daily

monitoring of NPAs and conducted regular reviews of legal actions and SARFAESI-based recovery initiatives. Video conferences were held with field functionaries to assess progress and provide guidance. Additionally, the Bank's RO recovery team, in collaboration with branch staff, individually contacted NPA borrowers with an outstanding amount of ₹10 lakhs and above to facilitate their recovery.

Bancassurance

The Bancassurance Cell of Central Bank of India manages the distribution of life, non-life, and health insurance products, earning commission from these activities. The Bank holds a corporate agency license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), valid until March 31, 2025. Under the new IRDAI "open architecture" regulations of 2015, the Bank has established partnerships with several insurance companies, including Life Insurance Corporation of India, TATA AIA Life Insurance Co. Ltd., The New India Assurance Co. Ltd., and Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.

The Bancassurance business of Central Bank of India has shown robust growth in FY2024, with significant contributions from both life and non-life insurance segments. With its strategic partnerships and dedicated workforce, the Bank is well-positioned to continue expanding its Bancassurance operations and contribute significantly to its overall revenue stream.

For the year ending March 31, 2024, the Bancassurance Cell demonstrated notable achievements:

- Life Insurance:** The Bank mobilized 68,225 policies, earning a commission of ₹114.87 crore.
- Non-Life Insurance:** A total of 267,953 policies were canvassed, generating a commission of ₹14.33 crore.
- Total Earnings:** The overall earnings from the Bancassurance business amounted to ₹129.20 crore.
- Human Resources:** The Bank employs 4,375 specified persons dedicated to sourcing Bancassurance business.

Strategic Tie-ups and Open Architecture

Under the open architecture model, Central Bank of India has broadened its insurance product offerings through partnerships with leading insurance companies in both life and non-life segments. This strategic approach allows the Bank to offer a diverse range of insurance products tailored to meet the varied needs of its customers.

Future Outlook

Moving forward, the Bank aims to enhance its Bancassurance operations by leveraging its wide network and strategic partnerships. The focus will be on increasing the number of policies mobilized and further boosting commission



earnings through improved customer engagement and service delivery. The Bank plans to introduce innovative insurance products and enhance the training and capacity of its specified persons to ensure they can effectively meet customer needs and drive business growth.

Depository Services

Presently Bank is a Depository Participant with an arrangement with Central Depository Services Ltd. (CDSL). All the operations are centralized, and the services are offered through our Nodal Office, Capital Market Cell, Emerging Business Branch, located at Fort, Mumbai. All Branches can facilitate

Demat account opening through OLAO (CDSL Software) and also implemented 3 in 1 E-trading facility (Trading+Demat+Saving) in tie-up with Motilal Oswal Financial Services Ltd. The Bank has 27716 Demat account holder as of 31/03/2024. Capital Market cell is a Nodal office for ASBA Services.

Digital Payments & Transaction Banking

In FY2024, Central Bank of India has significantly advanced its digital payments and transaction banking services. The Bank's strategic focus on enhancing digital infrastructure and expanding its range of digital products and services has resulted in substantial growth in digital transactions, customer engagement, and technological innovation. The Bank's Digital Payments and Transaction Banking services have demonstrated strong growth and resilience in FY2024, driven by strategic initiatives and a focus on customer satisfaction. The continued investment in technology and expansion of digital channels positions the Bank well for future growth and innovation in the digital banking landscape.

Metric	FY2023	FY2024	Growth (%)
Daily Average UPI Transactions (lakhs)	55.47 lakhs	77.43 lakhs	39.56%
Daily Average IMPS Transactions (lakhs)	3.94 lakhs	4.76 lakhs	20.81%
Daily Average Mobile Banking Transactions (lakhs)	0.42 lakhs	0.49 lakhs	16.67%
Daily Average Internet Banking Transactions (lakhs)	0.45 lakhs	0.46 lakhs	2.22%
Number of POS Terminals	2,154	3,034	40.85%
Number of ATMs and Cash Recyclers	3,752	4,084	8.86%

Metric	FY2023	FY2024	Growth (%)
Internet Banking Users (lakhs)	98.54 lakhs	104.84 lakhs	6.39%
Mobile Banking Users (lakhs)	57.67 lakhs	76.46 lakhs	32.53%
UPI Users (lakhs)	24.50 lakhs	33.19 lakhs	35.45%

Key Achievements

Growth in Digital Transactions:

- **UPI Transactions:** The Bank processed an average of 77.43 lakh UPI transactions daily, showcasing a robust digital transaction ecosystem.
- **IMPS Transactions:** Averaged 4.76 lakh transactions per day, highlighting the Bank's efficiency in handling real-time payments.
- **Mobile and Internet Banking:** Daily average transactions were 0.49 lakh and 0.46 lakh respectively, indicating widespread adoption of these channels.

Expansion of Digital Channels:

- **POS Terminals:** The number of POS terminals increased by 40.85% year-on-year, with 3,034 terminals installed by March 31, 2024, enhancing customer and merchant experiences.
- **ATMs and Cash Recyclers:** The Bank expanded its ATM network, especially in rural and semi-urban areas, reaching a total of 4,084 units by the end of FY2024.

Customer Base and Engagement:

- **Registered Users:** The Bank registered significant numbers of users across its digital platforms: 104.84 lakh for Internet Banking, 76.46 lakh for mobile banking, and 33.19 lakh for UPI.
- **Debit and Credit Cards:** The Bank's debit card base grew to 2.92 crore users, and the credit card base reached 3.25 lakh users by March 31, 2024.

Service Enhancements

Technological Advancements:

- **UPI ATMs:** Launched at the Global Fintech Fest 2023, these ATMs allow cardless cash withdrawals using UPI applications, providing enhanced convenience and security.
- **Virtual Debit Cards:** Introduced for secure e-commerce transactions, reducing the need for physical cards and enhancing security.
- **Self-Service Passbook Printing Kiosks (SSPBK):** A total of 1,193 kiosks were deployed, enabling customers to print their passbooks without visiting branches.



Future Digital Initiatives:

- **Enhanced UPI Functionalities:** Upcoming features include Hello UPI, UPI International, UPI Global, Virtual Wallet, Marketplace, and Credit Score integration, enhancing the capabilities of the CentPay application.
- **Omni-Channel Platform:** Planned to provide a consistent customer experience across all devices, including desktops, tablets, and mobiles.
- **Expansion of ATM Network:** An additional 600+ ATMs are planned for deployment in FY2024-25 to further increase accessibility.

IT Infrastructure

In FY2024, Central Bank of India made significant strides in enhancing its IT infrastructure, which is crucial for supporting its operations and customer service. The Bank's ISO-certified Data Centre exemplifies its commitment to operational efficiency and reliability. Critical IT projects such as the Core Banking Solution, Trade Finance Solution, Treasury Solution, and Loan Lifecycle Management Solution have been pivotal in achieving the Bank's business objectives.

A major achievement this year was the strengthening of the Bank's disaster recovery and business continuity capabilities. The establishment of a full-fledged Disaster Recovery Centre and a Near-Site setup ensures business continuity with zero data loss. Regular disaster recovery drills, aligned with regulatory guidelines, maintain the Bank's preparedness for unforeseen events.

Technological upgrades were another highlight. The SWIFT system was upgraded to enhance transaction security and efficiency. The revamped Internet Banking services for both retail and corporate customers now feature improved security controls and user-friendly interfaces, providing a seamless banking experience. Additionally, the upgrade of the RTGS/NEFT systems ensures 24/7 availability, meeting regulatory requirements and customer expectations.

The Bank also focused on regulatory and compliance systems. Implementations such as the Anti-Money Laundering (AML) system and the Application Supported by Blocked Amount (ASBA) were key to maintaining compliance with financial regulations. Other critical deployments included the Integrated Risk Management System (IRMS), Fraud Risk Management System (FRMS), and a centralized e-TDS Management Solution. Integration with DigiLocker for issuing Form 16 and Interest Certificates further streamlined compliance processes.

Supporting its Regional Rural Banks (RRBs), the Bank sponsored Uttar Bihar Gramin Bank and Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank. Both RRBs successfully migrated their Core Banking Solution to Finacle 10, and various technological initiatives, including RTGS, IMPS, HRMS, and

Contactless Debit Cards, were implemented to enhance their service offerings.

Digital and self-service enhancements were a major focus. The integration of UPI Lite functionality into BHIM Cent UPI (CentPay) and the introduction of new digital loan facilities against PPF were notable initiatives. The Bank also deployed 1,193 Self-Service Passbook Printing Kiosks, enabling customers to print their passbooks without visiting branches, thereby enhancing customer convenience.

The Bank maintained a strong IT governance framework. The IT Strategy Committee (ITSC), chaired by an Independent Director, met quarterly to provide strategic direction, with special invitees from institutions like IIT and IISc offering expert advice. The IT Risk Management Committee (IT-RMC), chaired by the MD and CEO, met monthly to oversee IT risk management. The IT Steering Committee, comprising top executives from various business verticals, assisted in adopting appropriate IT initiatives. Regular IS and VAPT audits by CERT-In empaneled auditors ensured compliance and security, and achieving PCI-DSS Level 1 Version 4.0 compliance underscored the Bank's commitment to data security.

Looking ahead, the Bank has several new initiatives planned. These include the implementation of Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW) to enhance customer convenience, the introduction of Green Channel Cash Deposits to reduce paper usage, and the integration of JanSuraksha schemes (PMSBY & PMJJBY) across all CBS branches and digital channels. Enhanced customer service features, such as Re-KYC, electronic One Time Settlement, and nomination amendments via Internet Banking, were also rolled out.

Customers can now update their mobile numbers and KYC details without visiting branches, thanks to the new mobile and SMS update features. These initiatives reflect the Bank's commitment to leveraging technology to enhance customer experience and operational efficiency.

The Bank's IT infrastructure and ALM systems have been significantly enhanced in FY2024, supporting its operations and providing efficient customer services. The Data Centre's ISO certification ensures operational efficiency, and key IT projects such as the Core Banking Solution, Trade Finance Solution, Treasury Solution, and Loan Lifecycle Management Solution serve as vital business enablers. The Bank's commitment to business continuity, regulatory compliance, and digital transformation positions it well for continued success.

Information Security

In FY2024, Central Bank of India has significantly strengthened its information security infrastructure to protect



its information systems and customer data from cyber threats. Ensuring continuous compliance with regulatory guidelines and certification standards like ISO 27001 and ISO 22301, the Bank has implemented a range of cybersecurity measures aligned with industry best practices and regulatory requirements.

Key Initiatives and Measures

Cyber Security Operation Centre (CSOC):

The Bank's CSOC operates 24/7, continuously monitoring all critical servers and network devices. This ensures that any anomalies or potential threats are detected and addressed promptly, maintaining the integrity and security of the Bank's digital infrastructure.

Regulatory Compliance and Certifications:

Compliance with ISO 27001 and ISO 22301 standards has been a cornerstone of the Bank's information security strategy. These standards provide a systematic approach to managing sensitive company information and ensuring business continuity. The Bank has achieved PCI-DSS Level 1 Version 4.0 compliance, demonstrating its commitment to the highest standards of security and protection of cardholder data. Central Bank of India is among the leading banks in India to achieve this compliance status.

Advanced Security Solutions:

- Implementation of advanced security solutions, such as Privilege Access Management System (PAMS) and Data Leakage Prevention (DLP) solutions, to safeguard sensitive data and manage user privileges effectively.
- Regular Information Security (IS) and Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) audits conducted by CERT-In empaneled auditors ensure that the Bank's security measures are up-to-date and effective against emerging threats.

Cyber Awareness Programs:

Initiatives to enhance cyber awareness among employees and customers have been rolled out regularly. These programs aim to educate all stakeholders on the importance of cybersecurity and best practices to prevent cyber incidents.

Disaster Recovery and Business Continuity:

A full-fledged Disaster Recovery Centre and a Near-Site setup have been established to ensure business continuity with zero data loss. Regular disaster recovery drills are conducted in compliance with regulatory guidelines to maintain a high state of preparedness.

Technological Upgrades:

Upgrading the SWIFT system to the latest version and enhancing the RTGS/NEFT setups to ensure 24x7 availability. These upgrades improve transaction security and

operational efficiency. The introduction of virtual debit cards for secure e-commerce transactions and the implementation of interoperable cardless cash withdrawals (ICCW) through UPI applications further enhance security and convenience for customers.

Looking ahead, Central Bank of India plans to continue its investment in advanced security technologies and practices to stay ahead of evolving cyber threats. The focus will be on enhancing real-time monitoring capabilities, increasing automation in threat detection and response, and expanding the scope of cybersecurity training programs for employees and customers.

IT Governance

In FY2024, the Central Bank of India has further strengthened its IT Governance framework to support its strategic objectives and enhance operational efficiency. The Bank recognizes the critical role of IT in maintaining competitive advantage, ensuring data security, and delivering superior customer service.

IT Strategy Committee

The Board Level IT Strategy Committee (ITSC), chaired by an Independent Director, meets at least once a quarter to provide strategic direction and oversight for the Bank's IT initiatives. The committee benefits from the expertise of special invitees from premier institutions like IIT and IISc, who offer insights on IT and cybersecurity matters. During FY2024, these experts provided valuable advice on enhancing the Bank's IT infrastructure and security protocols.

IT Risk Management Committee

The IT Risk Management Committee (IT-RMC), chaired by the MD and CEO, includes Executive Directors, the Chief Risk Officer, the Chief Information Security Officer (CISO), and senior IT officials. This committee meets monthly to ensure that IT risks are identified, assessed, and managed effectively. The IT-RMC plays a pivotal role in maintaining the integrity and security of the Bank's IT systems, ensuring that all risks are mitigated promptly.

IT Steering Committee

To facilitate informed decision-making on IT investments and initiatives, the IT Steering Committee, comprising top executives from various business verticals, provides operational guidance and support. This committee ensures that IT projects align with the Bank's business goals and regulatory requirements, fostering a collaborative approach to IT governance.

IT Organizational Structure

The IT Department, led by a General Manager, is structured to meet the demands of the Bank's extensive operations.



Supported by Deputy General Managers, Assistant General Managers, and specialized IT staff, the department is organized into key functional areas including Technology and Development, IT Operations, IT Assurance, and Supply and Resource Management. Each vertical is headed by experienced officials who ensure the seamless execution of IT strategies and projects.

Regulatory Compliance and Audits

The Bank adheres to rigorous regulatory standards, conducting IS Audits and Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) through CERT-In empaneled auditors. The RBI IT Examination team also conducted an audit during FY2024, ensuring that the Bank's IT practices meet regulatory expectations. Additionally, the Bank achieved compliance with the Payment Card Industry-Data Security Standard (PCI-DSS) Version 4.0, demonstrating its commitment to maintaining the highest security standards for cardholder data.

Innovative IT Initiatives

Throughout FY2024, the Bank implemented several innovative IT initiatives to enhance customer convenience and operational efficiency. These included:

- **Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW):** Allowing customers to withdraw cash from ATMs without a debit card.
- **Green Channel Cash Deposits:** Enabling customers to use the Mobile Banking application for generating reference numbers for cash deposits, reducing the need for paper-based slips.
- **Digital Customer Onboarding:** Introducing Video KYC for a seamless customer onboarding experience.
- **Internet Banking Enhancements:** Facilitating Re-KYC, electronic One Time Settlements, and amendments in nominations through Internet Banking.
- **Virtual Debit Card:** Launching a Virtual Debit Card facility for secure e-commerce transactions.
- **Infrastructure Upgrades:** Upgrading the Bank's network and compute infrastructure to handle increased load and support future developments.

Digital Initiatives

Central Bank of India has prioritized digital transformation, implementing initiatives that enhance customer experience, improve operational efficiency, and ensure technological innovation. The digital initiatives in FY2024 have significantly boosted service delivery, operational efficiency, and customer engagement. With a strong focus on innovation and technology adoption, the Bank is well-positioned to continue its digital transformation journey, delivering superior value to customers and stakeholders.

Key Digital Initiatives

Omni-Channel Banking: The Bank introduced an Omni-Channel platform that provides a seamless and consistent customer experience across multiple devices, including desktops, tablets, and mobile phones. This platform integrates various banking services, allowing customers to perform transactions, access financial products, and manage their accounts conveniently.

Digital Lending Platform: A new digital lending platform was launched, enabling the end-to-end processing of loan applications through digital channels. This platform leverages advanced data analytics to assess creditworthiness and streamline the loan approval process, reducing turnaround time and enhancing customer satisfaction.

Integrated Customer Care: An integrated customer care system was implemented, which uses artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) to provide personalized support. The system can handle a wide range of customer inquiries, from basic account information to complex transaction issues, improving the efficiency of customer service operations.

Collections Management: The Bank adopted an advanced collections management system that uses predictive analytics to identify potential defaults and optimize recovery strategies. This system helps in maintaining asset quality and ensuring timely recovery of dues.

Video-KYC for Customer Onboarding: To facilitate remote account opening, the Bank introduced a Video-KYC (Know Your Customer) process. This allows customers to complete the KYC process through a video call, eliminating the need for physical branch visits and enhancing convenience.

Wealth Management Services: The Bank expanded its digital wealth management services, offering a range of investment products and advisory services through its online platform. Customers can now access portfolio management tools, financial planning services, and market insights digitally.

Technological Advancements

Microservices-Based Architecture: The digital applications of the Bank have been restructured into a microservices-based, containerized architecture. This allows for greater scalability, flexibility, and ease of maintenance, ensuring that the Bank can rapidly adapt to changing technological and market conditions.

Automated Integration Tools: Automated tools for application integration and deployment have been introduced, facilitating seamless integration of new features and updates. This enhances the agility of the Bank's IT infrastructure, enabling quicker responses to customer needs.



APIfication for Open Banking: The Bank has embraced open banking by developing a comprehensive API (Application Programming Interface) framework. This enables third-party developers to integrate their applications with the Bank's systems, fostering innovation and expanding the range of available digital services.

Payment Hub: A new payment hub has been established to centralize and streamline all payment processing activities. This hub supports multiple payment methods, including UPI, IMPS, NEFT, and RTGS, ensuring efficient and secure transactions.

Customer Engagement and Adoption

Digital Transaction Growth: The Bank reported a significant increase in digital transactions, with UPI transactions averaging 77.43 lakh daily and IMPS transactions averaging 4.76 lakh daily. This growth reflects the successful adoption of digital channels by customers.

Mobile and Internet Banking: Daily average transactions for mobile banking reached 0.49 lakh, while internet banking transactions averaged 0.46 lakh daily. The number of registered users for these services continued to grow, with 104.84 lakh internet banking users and 76.46 lakh mobile banking users by the end of FY2024.

Innovative Customer Solutions: The introduction of Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW) and virtual debit cards for secure online transactions have been well received, providing enhanced security and convenience to customers.

Future Digital Initiatives

MarTech and Modern Data Platform: The Bank plans to implement advanced marketing technology (MarTech) solutions and a modern data platform to enhance customer targeting and engagement. These initiatives will leverage big data analytics and AI to deliver personalized experiences.

Enhanced UPI Functionalities: Upcoming features for the CentPay application include UPI International, UPI Global, Virtual Wallet, Marketplace, and Credit Score integration. These enhancements aim to expand the capabilities of the UPI platform and offer a richer user experience.

Scalable IT Infrastructure: The Bank is focused on expanding its private cloud infrastructure to support future digital initiatives. This will provide a scalable and secure environment for hosting applications and managing data.

Digital Banking Solutions for MSMEs and Corporates: Tailored digital solutions for MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) and corporate clients are in development. These solutions will streamline financial operations, improve access to credit, and support business growth.

Customer Service Initiatives

In FY2024, Central Bank of India has focused on enhancing customer service through a series of strategic initiatives. These efforts aim to simplify processes, improve accessibility, and increase overall customer satisfaction. By integrating advanced technology and expanding service options, the Bank remains committed to delivering exceptional service and convenience to its diverse customer base.

Form 16 and Interest Certificate Generation: Customers can now generate Form 16 and interest certificates directly through the Bank's digital platforms, simplifying tax-related processes and saving valuable time.

Incorporation of Date & Time in Fund Transfer Receipt: Fund transfer receipts now include the precise date and time of transactions, enhancing transparency and accuracy for customers.

De-Register and Loyalty Rewards Option: New features allow customers to de-register from services and manage their loyalty rewards directly through the Bank's digital platforms, offering greater control over their banking preferences.

Addition of Assamese, Bengali, and Punjabi Languages: To cater to the linguistic diversity of the customer base, the Bank has added Assamese, Bengali, and Punjabi languages to its digital and customer service platforms, promoting inclusivity and accessibility.

Cent 555/999 Deposits Included in Account Opening Dropdown: The account opening process now includes options for Cent 555 and Cent 999 deposits, streamlining the selection and integration of these deposit schemes for customers.

Pop-up for Debit Card Offers in Cent Mobile App: Customers can receive pop-up notifications about debit card offers directly within the Cent Mobile App, keeping them informed about the latest promotions and benefits.

Tokenization of Cards: To enhance security, the Bank has implemented tokenization of cards. This technology replaces sensitive card information with a unique identifier (token), reducing the risk of fraud and providing a more secure transaction experience.

State-of-the-Art Integrated Customer Care (ICC): The Bank has established a State-of-the-Art Integrated Customer Care (ICC) with a scalable business model focusing on timely responsiveness, outreach, and quality assurance. Services offered through ICC include Call/Voice, IVR, Chat and Chatbot, WhatsApp live chat, social media, email/web form, video banking, and co-browsing.



Audit and Inspection

The Central Bank of India places immense importance on risk management and has established robust internal audit mechanisms to assess and mitigate risks across its branches and offices. These mechanisms are designed to ensure operational efficiency, regulatory compliance, and financial accuracy.

Concurrent Audits

Concurrent audits play a crucial role in monitoring and ensuring the accuracy and compliance of branch operations. As of March 31, 2024, a total of 1155 branches/offices were covered under concurrent audits by chartered accountants or bank officials. This includes general branches, specialized branches, centralized processing centers, currency chests, authorized dealer branches, nodal branches for government business, and high-risk rated branches. Concurrent audits cover approximately 58.63% of the Bank's total business and 70.47% of aggregate advances. The Bank has engaged a diverse range of chartered accountant firms categorized by RBI as Category I, II, III, and IV to conduct these audits.

In addition to regular concurrent audits, the Bank appointed concurrent auditors at the Regional Office level to conduct transaction checks of internal/office accounts of branches not covered under regular concurrent audits for the fiscal year 2023-24. A total of 456 concurrent auditors were appointed, including chartered accountants and audit firms categorized by RBI. To ensure the accuracy of income bookings, the Bank conducts an annual revenue checking exercise involving chartered accountants, internal auditors, and other officials from March 1st to March 10th every year.

Compliance Audits

Compliance audits are conducted to ensure adherence to regulatory and internal compliance requirements. During the fiscal year 2023-24, 710 branches underwent compliance audits, contributing to the Bank's strict compliance culture. These audits help in identifying non-compliance issues and ensuring that corrective measures are implemented promptly. Additionally, the Bank conducts periodic inspections and audits to assess compliance at branches, including KYC compliance audits.

Legal Audits and Re-Verification of Title Deeds

The Central Bank of India complies with RBI directives by conducting periodic legal audits and re-verification of title deeds in eligible accounts. These audits ensure the integrity and legality of the Bank's operations. Legal audits help in verifying the legal documentation and ensuring that the Bank's interests are adequately protected. Re-verification of title deeds is carried out to confirm the authenticity and validity of the property documents held as security for loans.

Rajbhasha (Official Language)

During the FY2024, the Rajbhasha Department of the Central Bank of India made significant strides in promoting the use of Hindi throughout the organization, reflecting our commitment to the national language. A notable recognition for our efforts was the prestigious "Rajbhasha Kirti Puraskar" (Third), awarded by the Government of India on September 14, 2023, for exemplary Rajbhasha implementation during 2022-23.

Our dedication to promoting Hindi was further recognized by the Regional Implementation Offices, Ministry of Home Affairs, Government of India. Under our Bank's convenorship, several offices received awards for their outstanding work, including TOLIC (Bank) Panaji and TOLIC (Bank) Madurai, both securing First Prizes, and TOLIC (Bank) Bhopal receiving the Second Prize.

Beyond these accolades, our house magazine, "Central Manthan," was honoured as the Best House Magazine by the Mumbai-based organization 'Ashirwad.' The Mumbai Metro Zonal Office received the 'Dushyant Samman' for its excellent work in promoting Hindi. Additionally, our General Manager (Rajbhasha), Ms. Poppy Sharma, was awarded the "Ashirwad Rajbhasha Gaurav Award" for her invaluable contributions to Rajbhasha implementation.

Numerous Narakas (TOLIC) awards were conferred upon our offices for their exceptional use of Rajbhasha. During the financial year 2023-24, various offices of the Central Bank of India received numerous accolades for their outstanding use of Rajbhasha. In the First category, top honours were awarded to the Zonal Office in Patna, along with the Regional Offices in Ranchi, Muzaffarpur, Ayodhya, Kota, Raipur, and Meerut. Additionally, the Palval branch under the Regional Office Delhi "Central" Region, the Madgaon Branch, and the Anand Branch in the Ahmedabad Zone were also recognized with First prizes. The Second category saw commendations for the Zonal Office in Guwahati, as well as the Regional Offices in Bhubaneswar, Trichy, Jamnagar, Amritsar, and Dhanbad. In the Third category, awards were given to the Zonal Office in Hyderabad, along with the Nayabas Branch, and the Regional Offices in Varanasi, Nashik, Hoshangabad, Indore, Surat, Baroda, and Vijayawada. The branches in Nellore (Guntur Region), Kendujhar (Sambalpur Region), Belagavi (Hubli Region), Vasco (Panaji Region), and Kurnool (Guntur Region) also received Third prizes. Special recognition was given to the Dewas Branch in the Indore Region, while incentive awards were granted to the Regional Office in Visakhapatnam, the Badvani Branch in the Indore Region, and the Salem Branch in the Coimbatore Region.

To further promote Hindi, the Central Bank of India hosted the "Akhil Bhartiya Rajbhasha Sammelan" at CBOTC Bhopal on March 4th and 5th, 2024. Esteemed guests such as Shri Khem



Singh Dehariya, Vice Chancellor of Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya, and Shri Satyendra Singh, IAS, from the MP Government attended. A special lecture on “Kanthastha-2” was delivered by Shri Deepak Kumar from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Additionally, a significant literary contribution was made with the release of the essay compilation “Kartavyen Kartabhi Rakshayate” (part 2) during the Sammelan. Several Rajbhasha seminars were organized to further the cause, including sessions at the Regional Office Bhubaneswar, Zonal Office Guwahati, and Zonal Office Ahmedabad.

The Rajbhasha Department also organized an All India Rajbhasha Exhibition at CBOTC Bhopal, showcasing attractive pavilions set up by all zones. Pune and Guwahati Zones were awarded for the Best Exhibitions. Throughout the year, a total of 312 exhibitions were held across various offices, covering a wide range of topics from Hindi literature to morning messages in Hindi and English.

Our Bank published 12 e-books on various banking topics, including Artificial Intelligence in Banking, Cyber Crime, Digital Hindi, and more. These publications aim to enhance knowledge and promote the use of Hindi in the banking sector. To support linguistic diversity, ‘Cent Saral’ e-learning books for 10 major Indian languages were made available on our Bank’s website. Languages covered include Bangla, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil, Telugu, and Odiya.

At the national level, various Hindi competitions were organized to encourage the implementation of Rajbhasha, including the 7th All India Inter Bank Hindi Essay Competition, the 44th All India Hindi Essay Competition, and the All India Hindi Geet Gayan Competition. Our commitment to Hindi was further exemplified by the recognition of five zones as the Best Zones for excellent Rajbhasha implementation and the awarding of 12 Rajbhasha Officers for their exemplary contributions.

Publications continued with the bilingual house magazine ‘Centralite’ and the Hindi house magazine ‘Central Manthan’ being published quarterly. Zonal and Regional Offices also published e-magazines at quarterly intervals. Various events were organized, such as World Hindi Day and International Mother Tongue Day, where offices enthusiastically participated in competitions under the aegis of their respective NARAKAS. On February 21, 2024, the Regional Office in Panaji hosted a dialogue program “Aao Kare Apni Matrabhasha Me Baat” for staff members, celebrating International Mother Tongue Day.

Additionally, a total of 225 Hindi posters with messages, sayings, quotations, and guidelines were released by our

offices across the country. As the convener of 11 NARAKAS (Town Official Language Implementation Committees), including Akola, Bhopal (Bank), Deoria, Golaghat, Gwalior (Bank), Lakhimpur (North), Madurai, Panaji, Raipur (Bank), Thane, and Udalgudi, the Central Bank of India continues to lead efforts in promoting Hindi.

Marketing

In FY-2024, our marketing strategies focused on expanding our reach, deepening customer engagement, and reinforcing our brand identity. We employed a multi-faceted approach combining traditional marketing techniques with innovative digital initiatives to achieve our objectives.

Our key marketing strategies and accomplishments for the year included brand reinforcement through a comprehensive rebranding campaign that featured a refreshed logo, updated visual identity, and new brand messaging emphasizing our commitment to innovation and sustainability. This initiative resulted in a 20% increase in brand recognition and positive sentiment across our target markets.

Customer-centric campaigns were another major focus. We rolled out several campaigns tailored to the specific needs and preferences of our diverse clientele, leveraging customer data and insights to create personalized experiences. Our “Cent Connect” campaign, led to a 15% increase in customer base and a 10% uplift in cross-selling opportunities.

We also formed strategic partnerships with industry leaders, joint events, and market reach expansion. These alliances not only expanded our market presence but also enhanced our credibility and trustworthiness among new customer segments.

Continuous market research and data analytics were integral to our marketing efforts. We invested in advanced analytics tools to track customer behaviour, measure campaign effectiveness, and refine our strategies in real-time. Insights gained from these analyses enabled us to optimize our marketing spend, resulting in a 12% improvement in ROI compared to the previous fiscal year.

Emphasizing our commitment to sustainability, we integrated eco-friendly practices into our marketing initiatives. We launched the “Go Green” campaign to promote sustainable products and practices, resonating strongly with environmentally conscious consumers. Our community engagement programs, including sponsorships and CSR activities, reinforced our brand’s role as a responsible corporate citizen, enhancing our reputation and customer loyalty.



Digital Marketing

Digital marketing remained a cornerstone of our overall marketing strategy in FY2024, driving significant growth and engagement across our digital channels. Our digital marketing efforts were characterized by innovative approaches, extensive use of data analytics, and a focus on enhancing the customer experience.

We enhanced our online presence by revamping our website to provide a more user-friendly and interactive experience. The new design features streamlined navigation, faster load times, and personalized content tailored to individual user preferences. As a result, we saw a 25% increase in website traffic and a 30% rise in the average session duration, indicating higher user engagement and satisfaction.

Our social media strategy centered on creating compelling, shareable content that fostered community engagement and brand advocacy. Utilizing platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn, we reached diverse audiences and interacted with them in real-time. Engaging content, including videos, infographics, and live events, led to a 40% increase in social media followers and a 35% boost in engagement rates across all platforms.

We implemented robust SEO practices to enhance our search engine visibility and drive organic traffic. This included optimizing our website content, conducting keyword research, and building high-quality backlinks. Our SEO efforts resulted in a 20% increase in organic search traffic and improved our website's ranking for key industry-related search terms.

Our PPC campaigns were strategically designed to target high-intent audiences through platforms like Google Ads and Bing Ads. We focused on keyword targeting, ad copy optimization, and landing page improvements to maximize conversions. These campaigns delivered a 15% increase in click-through rates (CTR) and a 10% growth in conversion rates, demonstrating the effectiveness of our paid search efforts.

We leveraged email marketing to nurture leads, retain customers, and promote our products and services. Personalized email campaigns, informed by customer data and behaviour, ensured relevant and timely communications. Our email marketing initiatives achieved a 25% open rate and a 20% click-through rate, significantly higher than industry benchmarks.

Utilizing advanced analytics, we tracked user behaviour and campaign performance with precision. This data-driven approach allowed us to make informed decisions, optimize our

marketing strategies, and enhance customer experiences. Through continuous monitoring and optimization, we improved our overall digital marketing ROI by 18%, reflecting our commitment to efficiency and effectiveness.

By integrating these strategies, we have successfully navigated the dynamic digital landscape, driving substantial growth and strengthening our position as a market leader in the financial sector. Looking ahead, we aim to further innovate and expand our digital marketing capabilities to continue delivering exceptional value to our customers and stakeholders.

Digital Marketing Impact

Digital marketing has revolutionized the way businesses operate, transforming traditional marketing strategies and enabling companies to engage with their audiences in more dynamic and interactive ways. In today's digital age, the impact of digital marketing on business operations is profound and multifaceted, encompassing various aspects such as customer engagement, brand awareness, data analytics, and overall business growth.

One of the most significant impacts of digital marketing is enhanced customer engagement. Through platforms like social media, email, and websites, businesses can interact with their customers in real-time, fostering a sense of community and loyalty. Social media platforms, such as Facebook, Instagram, X, and LinkedIn, allow companies to share content, respond to customer inquiries, and engage with their audience through likes, comments, and shares. This level of interaction not only helps in building strong customer relationships but also provides valuable feedback that can be used to improve products and services.

Brand awareness is another area where digital marketing has made a considerable impact. With the internet's vast reach, businesses can now promote their brand to a global audience. Digital marketing techniques such as search engine optimization (SEO), pay-per-click (PPC) advertising, and content marketing ensure that a company's brand is visible to potential customers when they search for relevant keywords or browse related content online. This increased visibility helps in establishing brand recognition and trust among consumers.

The use of data analytics in digital marketing has transformed how businesses make decisions and strategize. Advanced analytics tools allow companies to track user behaviour, measure the effectiveness of marketing campaigns, and gain insights into customer preferences. This data-driven approach enables businesses to tailor their marketing



strategies to target specific demographics, optimize their marketing spend, and achieve better ROI. For example, by analysing website traffic data, companies can identify which pages are most visited and adjust their content to better meet the needs of their audience.

Digital marketing also facilitates personalized marketing, which has become crucial in today's competitive market. By leveraging customer data, businesses can create personalized marketing campaigns that cater to individual preferences and behaviour. Personalized emails, product recommendations, and targeted ads enhance the customer experience, leading to higher engagement and conversion rates. This level of personalization is difficult to achieve through traditional marketing methods.

Moreover, digital marketing offers cost-effective solutions compared to traditional marketing channels. Online advertising, social media campaigns, and email marketing are generally more affordable than print ads, TV commercials, or billboards. This cost efficiency allows even small businesses with limited budgets to compete with larger companies and reach a wide audience.

The ability to quickly adapt and respond to market changes is another advantage of digital marketing. Unlike traditional marketing campaigns that may take weeks or months to plan and execute, digital marketing campaigns can be launched and adjusted in real-time. This agility allows businesses to stay ahead of trends, respond to customer feedback promptly, and capitalize on emerging opportunities.

Furthermore, digital marketing has made it easier for businesses to measure and track the success of their campaigns. Metrics such as click-through rates, conversion rates, and customer engagement provide tangible data that businesses can use to assess their performance and make informed decisions. This transparency and accountability are vital for continuous improvement and achieving marketing goals.

Social Media

Social media has become an essential component of our bank's strategy, fundamentally transforming how we engage with customers, build our brand, and enhance our services. Leveraging platforms such as Facebook, X, LinkedIn, Instagram, and YouTube, we have successfully created a dynamic and interactive presence that aligns with our mission of providing exceptional banking experiences.

Followers/Likes on Social Media Platforms as of 31/03/2024

Facebook:	1,78,684 Followers
X:	182,350 Followers
LinkedIn:	31,453 Followers
Instagram:	14,544 Followers
YouTube:	33,010 Followers

One of the most impactful aspects of social media for the Bank is the ability to foster real-time engagement with our customers. Through these platforms, we can respond instantly to inquiries, address concerns, and provide support, thereby building stronger relationships and trust. For example, our customer service team actively monitors social media channels to assist customers with account queries, resolve issues, and offer guidance on various banking products and services. This immediacy and accessibility help us to enhance customer satisfaction and loyalty.

Brand storytelling is another key benefit of our social media strategy. We use these platforms to share our story, values, and vision in compelling ways. On Instagram and Facebook, we showcase our community involvement, highlight customer success stories, and celebrate our milestones. LinkedIn serves as a professional space where we share industry insights, company achievements, and thought leadership content. These narratives not only humanize our brand but also resonate deeply with our audience, fostering a sense of connection and loyalty.

Social media also significantly amplifies our brand awareness. The viral nature of content on these platforms means that a single post can reach thousands, if not millions, of people in a short period. We leverage this potential by creating engaging and shareable content, such as informative videos, infographics, and interactive polls. Our campaigns often incorporate hashtags and challenges that encourage user participation and sharing, thereby increasing our visibility and attracting new customers.

Moreover, social media provides valuable data and insights that inform our marketing strategies. Analytics tools on platforms like Facebook and X allow us to track user demographics, engagement rates, and content performance. By analyzing this data, we can identify trends, measure the effectiveness of our campaigns, and refine our approach to better meet our audience's needs. This data-driven strategy ensures that our marketing efforts are targeted and efficient, maximizing our return on investment.



Customer feedback and market research are other critical aspects of our social media presence. We actively seek feedback through polls, surveys, and direct interactions to understand our customers' needs, preferences, and pain points. This feedback is invaluable for improving our products and services and ensuring they align with customer expectations. Listening to our customers on social media helps us stay agile and responsive in a rapidly changing market.

Social media also plays a crucial role in influencing customer decisions and driving sales. Platforms like Instagram and Facebook have integrated shopping features, allowing us to promote our products and services directly.

In addition to these benefits, social media allows us to stay informed about industry trends and monitor our competitors. By keeping an eye on the latest developments and analysing competitor strategies, we can adapt quickly and maintain a competitive edge. This intelligence is crucial for our strategic planning and helps us identify new opportunities for growth.

Furthermore, social media is an invaluable tool for crisis management. In times of public relations challenges or operational issues, we use our social media channels to communicate transparently and promptly with our stakeholders. Providing timely updates and addressing concerns directly helps us manage situations effectively and maintain trust with our customers.

In conclusion, social media is a powerful asset for our bank, enhancing customer engagement, brand storytelling, and data-driven decision-making. It amplifies our brand awareness, influences purchasing decisions, and provides critical market insights. As we continue to innovate and expand our social media presence, we remain committed to delivering exceptional value to our customers and staying at the forefront of the Banking industry in the digital age.

Advertising and Media

Advertising and media campaigns play a crucial role in our bank's strategy to reach and engage with our target audience. In FY2024, we executed a series of advertising initiatives across multiple platforms, including television, radio, print, and digital media.

Our advertising campaigns focused on promoting our core banking products, innovative digital services, and our commitment to sustainability. We employed a mix of traditional and digital media to maximize our reach and impact. Television and radio ads highlighted our latest product offerings and customer success stories, while print ads in leading newspapers and magazines reinforced our brand presence and communicated our key messages.

Digital media has been a significant area of growth for us, with targeted social media campaigns, search engine marketing, and content marketing strategies driving significant engagement. We utilized data analytics to refine our advertising strategies, ensuring that our messages were relevant and resonated with our audience. This integrated approach to advertising and media has enhanced our brand recognition and attracted new customers.

Press Releases and Media Engagement

Our bank's strategy for press releases and media engagement is designed to enhance transparency, communicate key achievements, and strengthen our brand presence. In FY2024, we focused on leveraging various media channels to reach a broad audience, ensuring that our stakeholders are well-informed about our initiatives and accomplishments.

Throughout the year, we issued regular press releases to announce significant developments such as new product launches, strategic partnerships, and financial results. These press releases were distributed through major news agencies and featured prominently in leading financial publications. By maintaining a steady flow of information, we ensured that our stakeholders remained up-to-date with our progress and milestones.

Our proactive media outreach resulted in extensive coverage across print, online, and broadcast media. We worked closely with journalists and editors to provide them with detailed information and exclusive insights, ensuring accurate and favourable reporting on our activities. This collaboration with the media helped amplify our messages and reach a wider audience.

During challenging times, such as economic downturns or operational issues, we utilized our media channels to communicate promptly and transparently with the public. Our crisis communication efforts focused on providing timely updates and addressing concerns directly, helping to maintain trust and mitigate any negative impact. By being forthright and responsive, we demonstrated our commitment to transparency and accountability.

Increasing the visibility of our senior executives was another key aspect of our media engagement strategy. We arranged interviews, opinion pieces, and speaking engagements at industry events, allowing our leaders to share their vision, insights, and perspectives on the Banking industry. These opportunities positioned our executives as thought leaders and enhanced the credibility of our bank.

Embracing digital platforms, we expanded our media engagement to include social media channels, webinars,



and podcasts. These platforms enabled us to reach a wider and more diverse audience, fostering greater interaction and engagement with our stakeholders. The use of digital media allowed us to create more dynamic and interactive content, making our communications more engaging and effective.

We also formed strategic partnerships with key media outlets to co-create content and host joint events. These collaborations enhanced our reach and credibility, ensuring that our messages resonated with target audiences. By working closely with respected media partners, we were able to leverage their expertise and platforms to amplify our communications.

Overall, our press releases and media engagement strategies have played a crucial role in maintaining an open line of communication with the public. Our consistent media presence has significantly increased brand recognition and awareness among both existing and potential customers. Transparent and proactive communication has bolstered public perception of our bank, highlighting our commitment to innovation, sustainability, and customer satisfaction. By keeping stakeholders informed and engaged, we have strengthened their confidence in our bank's stability and future prospects.

Sponsorships

Our bank has actively engaged in various sponsorships to foster community relations and promote our brand values. These sponsorships are carefully selected to align with our commitment to social responsibility, financial literacy, and community development.

Throughout FY2024, we have supported numerous educational programs, sports events, and cultural activities. By sponsoring financial literacy workshops and seminars, we have empowered individuals and businesses with essential financial knowledge. Our involvement in sports events has promoted health and wellness, while cultural sponsorships have enriched the communities we serve by preserving and promoting local heritage and traditions.

These sponsorships not only enhance our visibility but also demonstrate our dedication to the holistic development of the communities we operate in. By partnering with local organizations and institutions, we ensure that our sponsorship initiatives have a meaningful and lasting impact.

Advertising and Media

Advertising and media campaigns play a crucial role in our bank's strategy to reach and engage with our target audience. In FY2024, we executed a series of advertising initiatives across multiple platforms, including television, radio, print, and digital media.

Our advertising campaigns focused on promoting our core banking products, innovative digital services, and our commitment to sustainability. We employed a mix of traditional and digital media to maximize our reach and impact. Television and radio ads highlighted our latest product offerings and customer success stories, while print ads in leading newspapers and magazines reinforced our brand presence and communicated our key messages.

Digital media has been a significant area of growth for us, with targeted social media campaigns, search engine marketing, and content marketing strategies driving significant engagement. We utilized data analytics to refine our advertising strategies, ensuring that our messages were relevant and resonated with our audience. This integrated approach to advertising and media has enhanced our brand recognition and attracted new customers.

Community Engagement

Community engagement is at the heart of our bank's mission to contribute positively to the society we serve. In FY2024, we launched and participated in numerous community engagement initiatives aimed at improving the quality of life for our customers and the broader community.

Our key community engagement activities included financial literacy programs, environmental sustainability projects, and social welfare initiatives. We conducted workshops and seminars on financial management and literacy, helping individuals and small businesses make informed financial decisions. Our sustainability projects, such as tree plantation drives and clean-up campaigns, underscored our commitment to environmental stewardship.

We also invested in social welfare programs, supporting healthcare initiatives, education for underprivileged children, and emergency relief efforts. By partnering with local non-profits and community organizations, we were able to address critical needs and provide tangible benefits to the community.



These community engagement efforts have strengthened our relationships with stakeholders and reinforced our reputation as a responsible and caring corporate citizen. We remain committed to expanding our community engagement activities, ensuring that we contribute to the well-being and development of the communities we serve.

Corporate Social Responsibility (CSR)

In FY2024, our bank continued to prioritize Corporate Social Responsibility (CSR) as a fundamental aspect of our mission to contribute positively to the communities we serve. Our CSR initiatives are designed to support the development of underserved populations, enhance financial literacy and skill development, promote environmental sustainability, and uphold ethical practices across all operations.

Key Focus Areas and Initiatives:

Financial Literacy and Education: We conducted numerous workshops and seminars aimed at improving financial literacy among various demographics, particularly targeting individuals and small businesses in underserved areas. These educational programs provided essential knowledge on budgeting, saving, and investment strategies, empowering participants to make informed financial decisions.

Environmental Sustainability: In alignment with our commitment to reducing our environmental impact, we launched several sustainability projects. These included tree plantation drives, clean-up campaigns, and initiatives to reduce our carbon footprint. Notably, our "Green Banking" program promoted the use of digital banking services, significantly reducing paper usage and waste.

Community Development: Our bank actively participated in community development projects aimed at improving living conditions and supporting local economies. We funded infrastructure projects, such as building schools and healthcare centres, and supported various social welfare programs. Our efforts were particularly focused on the most vulnerable sections of society, ensuring they receive the necessary support to improve their quality of life.

Healthcare Initiatives: Recognizing the importance of health and well-being, we invested in healthcare initiatives that provided access to essential medical services. This included funding for mobile health clinics in rural areas, health camps, and programs focused on preventive healthcare. Additionally,

we provided health insurance and accidental insurance coverage to our employees, emphasizing our commitment to their welfare.

Employee Engagement and Volunteerism: We encouraged our employees to participate in volunteer activities, fostering a culture of giving and community involvement. Employees volunteered their time and skills in various CSR projects, contributing to the betterment of society. This engagement not only benefited the community but also enhanced employee satisfaction and team spirit.

Impact and Outcomes:

Improved Financial Literacy: Our financial literacy programs reached over 10,000 individuals, equipping them with the knowledge to manage their finances effectively.

Environmental Impact: Through our "Green Banking" initiative, we reduced paper usage by 30%, planted 5,000 trees, and organized clean-up drives that collected over 10 tons of waste.

Community Benefits: Our community development projects benefited over 20,000 people, providing improved infrastructure and essential services in underdeveloped areas.

Healthcare Access: Our healthcare initiatives provided medical services to over 15,000 individuals in rural and underserved areas, significantly improving their health outcomes.

Our CSR activities have reinforced our role as a responsible corporate citizen, committed to making a positive impact on society and the environment. Looking ahead, we plan to expand our CSR efforts, focusing on innovative and sustainable solutions that address the evolving needs of our communities. We remain dedicated to driving social change, promoting economic development, and ensuring environmental sustainability through our ongoing and future initiatives.

Vigilance

In FY2024, our bank demonstrated an unwavering commitment to upholding the highest standards of integrity and transparency, as mandated by the Central Vigilance Commission (CVC). This commitment was particularly evident during the Vigilance Awareness Week, observed from October 30, 2023, to November 5, 2023. The theme for this year's campaign, "Say No to Corruption-Commit to the



Nation,” was the foundation for a series of comprehensive activities and initiatives aimed at fostering a culture of vigilance across the organization.

Workshops and Sensitization Programs: We conducted a total of 316 workshops and sensitization programs targeting employees, their families, and other stakeholders. These sessions were designed to educate participants about our organizational policies, procedures, and the preventive vigilance measures that need to be adopted to foster a culture of integrity and transparency.

Competitions and Debates: To engage the youth and promote awareness, we organized debates, elocution competitions, and essay contests at various centers for school and college students. Additionally, video-making and drawing competitions were held for the children of staff members, culminating in a Pan India-level quiz competition that saw participation from 1,684 staff members.

Gram Sabhas and Public Engagement: Our commitment to spreading vigilance awareness extended to rural and semi-urban areas through the organization of 1,299 Gram Sabhas. These meetings were instrumental in raising awareness among the general public about the dangers of corruption and the importance of transparency in governance.

Engaging Activities: To make the awareness campaign more engaging, we organized 36 walkathons, 2 cricket matches, Nukkad Natak (street plays), bike rallies, exhibitions, and human chain activities across various locations where our branches and offices are situated.

Media and Publications: The event at our Central Office in Mumbai featured the release of the “CENT VIGIL” magazine by our MD & CEO, Shri M. V. Rao. This e-journal highlighted various articles related to Vigilance Awareness Week, along with photographs and media clips of the events conducted nationwide.

Town Hall Meetings: We also arranged Town Hall meetings at prominent locations, inviting customers, staff members, and special guests from the CBI, Police Department, and senior IAS and IPS officers. These meetings provided a platform for addressing the audience on vigilance awareness.

Capacity Building Programs: In our continuous effort to build capacity, we organized various training programs for our staff on subjects such as procurement, ethics & governance, organizational systems & procedures, and cyber hygiene & security. These programs were aimed at enhancing the vigilance capabilities of our employees.

Systemic Improvements: Throughout the year, several systemic improvements were implemented to bolster our vigilance framework. These included the establishment of a

Regional Asset Verification Cell, the introduction of a Voucher Archival System, and the creation of awareness among field functionaries regarding the e-Procurement process. Our bank remains dedicated to fostering an environment of vigilance and integrity, ensuring that our operations are conducted with the highest ethical standards. These initiatives reflect our commitment to combating corruption and promoting a transparent and accountable organizational culture.

Future Vigilance Initiatives: Looking ahead, we plan to strengthen our vigilance efforts by expanding training programs, enhancing our systemic controls, and continuing to engage with the public and our employees through innovative and impactful awareness activities. Our ongoing commitment to vigilance will support our broader goals of sustainability, ethical governance, and corporate responsibility.

Human Capital Management

Our commitment to Human Capital Management (HCM) has been central to driving the Bank’s success. In FY2024, we focused on strategic initiatives that emphasize employee development, digital empowerment, and well-being. This approach has enabled us to foster a more inclusive, engaged, and skilled workforce that aligns with our organizational goals.

Key Areas of Focus

Leadership Development

- **Programs and Participation:** Leadership development programs were conducted across various levels to enhance strategic thinking, team management, and decision-making skills.
- **Impact:** Over 1,100 officers participated in these programs, resulting in improved leadership capabilities and succession planning within the organization.

Digital Empowerment

- **Tools and Training:** Introduction of digital tools and platforms such as the HRMS Module and the GenAI-powered chatbot, Central Chanakya, provided employees with immediate access to vital information and training programs for digital skills.
- **Operational Efficiency:** These initiatives have significantly improved operational efficiency and employee engagement.

Learning & Development

- **Programs Conducted:** A comprehensive training calendar aligned with the business plan was implemented, covering induction, refresher training, and specialized programs for various verticals.
- **E-Learning:** The number of e-learning hours available reached 530, with 73.44% of officers and 50.66% of clerks completing at least one module.



Employee Wellness

- **Wellness Programs:** Programs included 24x7 tele-medical consultancy and the Employee Assistance Program (EAP) for mental health support.
- **Participation Rates:** High participation rates demonstrated the effectiveness of these programs in improving employee well-being.

Inclusion Metrics

- **Workforce Diversity:** Our policies on diversity and inclusion have ensured a significant representation of women and minority groups within the workforce.

- **Comparison with Previous Years:** Continuous improvement in diversity metrics highlights our commitment to fostering an inclusive workplace.

Talent Management & Retention

- **Strategies:** Our talent management strategies have evolved to include sustainability and digitalization considerations, focusing on onboarding, performance management, and retention.
- **Effectiveness:** These strategies have proven effective in maintaining high levels of employee satisfaction and retention.

Employee Development Initiatives

Initiative	Description	Participation and Impact
Leadership Programs	Training Enhancing strategic thinking, team management, and decision-making skills.	1,105 officers trained, leading to improved leadership capabilities.
Digital Tools and Platforms	Implementation of HRMS Module and Central Chanakya chatbot.	Increased operational efficiency and employee engagement.
Learning & Development Programs	Comprehensive training aligned with the business plan.	91.83% overall training coverage, including e-learning modules.
Wellness Programs	24x7 tele-medical consultancy and EAP for mental health support.	High participation rates, leading to improved well-being.
Diversity and Inclusion Policies	Policies to ensure representation of women and minority groups.	Continuous improvement in diversity metrics.
Talent Management Strategies	Onboarding, performance, and retention strategies incorporating sustainability and digitalization.	Effective in maintaining employee satisfaction and retention.

Looking ahead, we will continue to build on these initiatives by expanding our training programs, enhancing digital tools, and maintaining our focus on employee well-being and diversity. Our goal is to create a supportive and dynamic work environment that drives both personal and professional growth for all employees.

Our Human Capital Management initiatives in FY2024 have laid a strong foundation for a more agile and resilient workforce. By prioritizing leadership development, digital empowerment, and employee well-being, we are well-positioned to achieve our strategic goals and foster a culture of excellence and inclusivity.

Recruitment and Promotion

Central Bank of India's recruitment and promotion strategies in FY2024 were designed to attract top talent, promote internal growth, and ensure the Bank's human resources align with its strategic goals. Our robust recruitment and promotion processes underscore our commitment to creating a dynamic and capable workforce that drives the Bank's success.

Recruitment Initiatives

Our recruitment strategy for FY2024 focused on hiring individuals with the right skills and expertise to support our growth and innovation objectives. We placed significant emphasis on hiring for specialized roles to strengthen our technical and managerial capabilities.

Recruitment Category	Number of Recruits
Specialist Officers	471
Probationary Officers	1,739
Scale II Officers (Direct Recruitment)	10
Scale III Officers (Direct Recruitment)	100
Scale IV Officers (Direct Recruitment)	13
Customer Service Associates	579
Office Assistants (Compassionate Grounds)	30
CSA (Compassionate Grounds)	28

These recruitment efforts have expanded our workforce and introduced fresh talent across various levels and functions, ensuring we have the right mix of experience and new perspectives.



Promotion Processes

Promotion within Central Bank of India is based on merit and performance, ensuring that dedicated and high-performing employees have ample opportunities for career advancement. During FY2024, we conducted promotion processes across all scales and disciplines, facilitating internal growth and career development.

Promotion Outcomes	Number Promoted
CSAs promoted to Scale-I Officers	196
Officers elevated to higher grades/scales	1,203
Officers' Request Transfers considered	840

Future Recruitment Plans

To further bolster our workforce in the upcoming year, we have placed an indent for the recruitment of:

- 2,000 Probationary Officers
- 2,000 Clerical Staff
- 880 Specialist Officers

Additionally, the recruitment process for 85 Specialist Officers has been initiated for the CENT-NEO Project, and we plan to engage 3,000 additional apprentices pan-India in line with the Apprenticeship Act, 1961 and our board-approved apprenticeship policy.

Central Bank of India's recruitment and promotion strategies ensure we have a highly skilled, motivated, and diverse workforce. By continually investing in our employees through structured recruitment and clear promotion paths, we strive to maintain our position as a leading bank and an employer of choice in the industry.

Employee Benefits

Central Bank of India is committed to providing comprehensive employee benefits that enhance the well-being, security, and satisfaction of its workforce. Our benefits program is designed to support employees through various stages of their careers and personal lives, fostering a supportive and motivating work environment.

Health and Well-being

Medical and Health Insurance:

- **Group Medical Insurance:** All employees are covered under a Group Health Insurance policy, which includes a Corporate Buffer for additional expenses not covered by the basic insurance.
- **Tele-Medical Consultation:** We have partnered with Qikwell Technologies Private Limited ("Practo")

to provide 24x7 unlimited tele-medical consultation services for employees and retirees, effective from April 1, 2024.

- **Health Check-ups:** Regular health check-ups are provided for employees and their spouses, with reimbursement up to ₹5,000 per head.

Mental Health Support:

- **Employee Assistance Program (EAP):** This program offers professional counseling on various issues, including mental health, family concerns, self-development, and diet/nutrition consultation.

Special Health Provisions:

- **Retirees' Health Insurance:** The Retirees' Group Health Insurance Policy has been renewed, ensuring continued coverage for retired employees. Special loans are available to retirees to ease financial burdens related to insurance premiums.
- **Doctors at Zonal Headquarters:** Provisions have been made to engage doctors at each zonal headquarters and supply free medicine to employees.

Financial and Family Support

Maternity and Paternity Benefits:

- **Maternity Leave:** Six months of maternity leave per child is provided to female employees.
- **Paternity Leave:** Fifteen days of paternity leave per child is available for male employees.

Educational Assistance:

- **Tuition Fee Reimbursement:** The Bank provides tuition fee support for up to two children of all employees.
- **Rewards for Academic Excellence:** Employees receive a ₹3,000 reward if their child passes 10th or 12th standard with distinction.

Special Allowances:

- **Children with Special Needs:** Financial assistance of ₹5,000 per year is provided to employees with children who have special needs or disabilities.
- **Canteen Subsidy:** A subsidy of ₹2,000 per employee is provided to cover meal and tea-coffee expenses incurred during duty hours.

Retirement and Recognition

Retirement Benefits:

- **Comprehensive Retirement Package:** Employees are eligible for Provident Fund (PF), Gratuity, Pension, and National Pension System (NPS) benefits.
- **Transition Training:** Specific training is provided to employees nearing retirement to facilitate smooth transitioning and time management post-retirement.



Recognition Programs:

- **Mementos and Farewell Functions:** Enhanced mementos, now valued at ₹15,000, are given to superannuating employees. Farewell functions are organized with budgets based on branch size.
- **Silver Jubilee Awards:** The ceiling for the cost of Silver Jubilee awards has been increased to ₹15,000 for employees completing 25 years of service.
- **Diwali Gifts:** Sweets or dry-fruits packets costing ₹500 are distributed to all employees during Diwali as a token of goodwill and appreciation.

Recreational and Miscellaneous Benefits

Holiday and Transit Homes:

- **Facility Availability:** The Bank has arranged holiday and transit homes at major locations across India to facilitate rest and recuperation for employees and retirees.

Sports and Cultural Activities:

- **Allocated Budget:** Each Regional Office receives ₹1,50,000 annually, and the Central Office receives ₹5,00,000 for conducting sports, cultural, and recreational activities.
- **Annual Sports Day and Family Get-Together:** A budget of up to ₹8,00,000 is allocated to regional offices for organizing these events, promoting work-life balance and camaraderie among staff and their families.

Insurance and Emergency Assistance:

- **Workmen Compensation Insurance:** All apprentices engaged in the Bank are covered by this insurance policy for any accident or injury arising out of their training.
- **Ex-Gratia Payments:** Financial support is provided to the families of employees who pass away in service, including immediate funeral expenses and additional ex-gratia payments.

These extensive employee benefits underscore Central Bank of India's dedication to the well-being and development of its employees, fostering a supportive and enriching workplace environment.

Employee Development

At Central Bank of India, employee development is a cornerstone of our strategic goals, ensuring that our workforce is equipped with the necessary skills and knowledge to excel in a dynamic banking environment. In FY2024, we implemented a range of development programs focusing on leadership, digital empowerment, and capacity building, which have collectively enhanced the capabilities and performance of our employees.

Leadership Development

1. Programs and Participation:

- o We designed specialized leadership training programs targeting officers at various levels. These programs focused on developing strategic thinking, team management, conflict resolution, and adapting to emerging technologies.
- o **Participation:** Over 1,100 officers benefited from these programs, which included:
 - General Managers and Deputy General Managers trained at IIM Bangalore.
 - Assistant General Managers trained at IIM Udaipur.
 - Chief Managers trained at NIBM.
 - Foreign programs at NIBM & Kent Business School for performing Regional Heads.

Training Program	Number of Programs	Number of Participants
GMs/DGMs at IIM Bangalore	1	70
AGMs at IIM Udaipur	1	187
CMs at NIBM	1	834
FSIB nominated GMs/DGMs	1	6
Foreign Program at NIBM & Kent Business	1	8
Total	5	1,105

Digital Empowerment

1. Digital Tools and Platforms:

- o We introduced and enhanced digital platforms such as the HRMS Module and GenAI-powered chatbot, Central Chanakya, to provide employees with instant access to vital information and facilitate seamless communication.
- o These tools have significantly improved operational efficiency and employee engagement, allowing for a more agile response to the Banking sector's evolving demands.

2. E-Learning:

- o The number of hours of e-learning modules available in our Learning Management System (LMS) reached 530 hours, covering a wide range of topics including banking operations, compliance, and certification programs like JAIIB and CAIIB.
- o **Adoption Rate:** 73.44% of officers and 50.66% of clerks completed at least one e-learning module, with a total of 126,399 modules completed by 19,030 employees.



Capacity Building

1. Training Programs:

- o A comprehensive training calendar was aligned with the Bank's business plan, offering induction and refresher training, specialized workshops, and vertical-specific programs.
- o Key areas included branch management, recovery tools, MSME business, compliance, and CASA mobilization.

2. One-on-One Executive Coaching:

- o More than 300 executives received personalized coaching to enhance leadership skills, emotional intelligence, and decision-making capabilities.

Employee Engagement and Recognition

1. Surveys and Feedback:

- o An Employee Engagement Survey cum HRD Audit was conducted to assess the impact of HCM policies and identify areas for improvement. Parameters included HRD culture, performance management, learning and development, and career development.

2. Rewards and Recognition:

- o Programs like Central PRAISE (Program for Rewarding & Acknowledging Individuals & teams for Service & Excellence) were launched to incentivize top-performing employees, boosting morale and encouraging excellence.

Future Initiatives

Our commitment to employee development in FY2024 has strengthened our workforce, enhanced operational efficiency, and fostered a culture of continuous learning and improvement. By investing in our employees, we are building a resilient and agile organization ready to meet future challenges and achieve strategic goals. Looking ahead, Central Bank of India plans to expand its training programs, further integrate digital tools, and maintain a strong focus on employee well-being and diversity. These initiatives are aimed at creating a supportive and dynamic work environment that fosters both personal and professional growth.

Industrial Relations

In FY2024, Central Bank of India maintained harmonious industrial relations, underscored by mutual respect and proactive communication between the management and employees. This approach facilitated a collaborative environment that ensured the smooth functioning of the Bank and the well-being of its employees.

Crisis Management and Strike Preparedness

To mitigate potential disruptions due to industrial actions, the Bank adhered to the Crisis Management Plan (CMP) as outlined by the Department of Financial Services (DFS). The plan, updated on December 22, 2023, detailed protocols for managing prolonged strikes within the Banking industry. A dedicated Crisis Management Team was formed, comprising the following General Managers:

1. General Manager-HCM (Nodal Officer/Coordinator)
2. General Manager-Operations
3. General Manager-IT
4. General Manager-Digital Payment & Transactional Banking
5. (Alternate GM - GM-Agriculture)

This team coordinated closely with the Monitoring Committee at the industry level to manage crises effectively. A meeting of the Crisis Management Team at the Bank level was held on December 1, 2023, to review and update the crisis response strategies.

Grievance Redressal Mechanism

Central Bank of India has established a robust grievance redressal mechanism to address employee concerns promptly and transparently. The system ensures that all representations, especially those related to human rights, are handled fairly and efficiently at both the regional and zonal levels. The Bank also constituted a Board for quarterly review and assessment of all received representations, reinforcing its commitment to ethical standards and compliance.

Promotion of Ethical Work Environment

The Bank's policies on ethical conduct and zero tolerance for deviations are integral to maintaining a healthy work environment. Initiatives such as the "Code of Ethics" and "Business Conduct and Conflict of Interest" policies were rigorously enforced, ensuring all employees adhered to high ethical standards. Additionally, regular training sessions on these topics were conducted to reinforce the importance of ethical behaviour.

Employee Representation and Union Relations

The Bank's workforce remained actively engaged with employee unions and associations, which play a crucial role in maintaining industrial harmony. As of FY2024, 86.12% of the permanent employees were part of such associations, reflecting a strong culture of collective bargaining and representation.

Category	FY2024	% of Total Employees	FY2023	% of Total Employees
Total Permanent Employees	31,610	86.12%	30,770	89.89%
- Male	23,256	87.50%	23,022	89.71%
- Female	8,354	88.28%	7,748	90.43%



Training and Development

Training programs focused on health and safety measures and skill up-gradation were conducted throughout the year. These programs ensured that all employees were well-equipped to handle their duties effectively while maintaining high safety standards.

Category	Health & Safety Training	% Coverage	Skill Up-gradation Training	% Coverage
Male	23,256	100%	21,273	91.47%
Female	8,354	100%	7,754	92.82%
Total	31,610	100%	29,027	91.83%

Sexual Harassment Prevention

The Bank strictly prohibits sexual harassment at the workplace and has implemented guidelines in line with "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013." Internal Complaint Committees are established at all administrative offices to handle such issues effectively.

Complaints on Sexual Harassment	FY2024	FY2023
Pending at the beginning of the year	1	1
Received during the year	3	5
Disposed of during the year	4	4
Pending at the end of the year	0	1

Central Bank of India's commitment to maintaining cordial industrial relations, ethical standards, and a supportive work environment has been pivotal in fostering a productive and harmonious workplace. Through proactive management and continuous dialogue with employee unions, the Bank ensures that it remains a preferred employer in the Banking industry.

Implementation of Reservation Policy

Central Bank of India meticulously follows the Reservation Policy as prescribed by the Government of India. This policy ensures adequate representation of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Economically Weaker Sections (EWSs), and Persons with Disabilities (PWDs) across all cadres of the workforce. The Bank's adherence to these guidelines demonstrates its commitment to promoting diversity and inclusion within the organization.

Key Measures and Initiatives

1. Policy Implementation and Monitoring:

- The SC/ST Cell at the Central Office is responsible for the continuous implementation, monitoring, and evaluation of the reservation policy. This cell ensures effective execution of government policies and programs related to reservations.
- A Chief Liaison Officer oversees the SC/ST Cell, addressing grievances and safeguarding the interests of SC/ST/OBC employees.

2. Reservation Rosters:

- Reservation rosters are meticulously maintained as per government guidelines. These rosters are regularly updated and uploaded on the Bank's website to ensure transparency and compliance.

3. Grievance Redressal:

- An Internal Grievance Redressal Committee for SC and ST employees has been established. Regular meetings are conducted to address any issues or grievances. A similar committee exists for PwBDs to ensure their concerns are addressed promptly.

4. Periodic Reviews and Audits:

- The Bank conducts periodical meetings with welfare associations and federations to review the implementation of the reservation policy.
- Inspections of reservation rosters are carried out by Liaison Officers from the Department of Financial Services (DFS).

5. Awareness and Engagement:

- Visits from dignitaries such as members of the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Safai Karamcharis are organized to discuss and monitor the implementation of the reservation policy at regional levels.
- These interactions help in evaluating and addressing the social, economic, and educational conditions of the SC/ST employees.

Representation Statistics

As of March 31, 2024, the representation of SCs, STs, and OBCs in various cadres is as follows:

Cadre	Total Employees	SC	ST	OBC
Officers	18,621	3,360	1,625	5,758
Clerical	8,204	1,525	815	2,244
Sub-Staff	4,785	1,624	431	1,316
Total	31,610	6,509	2,871	9,318

Recruitment and Promotions

In FY2024, the Bank actively recruited and promoted individuals from reserved categories to ensure compliance with the reservation policy:

Category	SC	ST	OBC
Officers, Clerical, Sub-Staff Recruitment	454	236	782

The Central Bank of India remains committed to fostering an inclusive work environment that respects and promotes diversity. By implementing and rigorously monitoring the reservation policy, the Bank ensures equal opportunities for all, reinforcing its dedication to social equity and justice.



Cent Bank Home Finance Limited

Cent Bank Home Finance Limited (CBHFL) has moderately grown in the financial year 2023-24. The company's Assets Under Management (AUM) stood at ₹1553.43 Crores, reflecting a growth of 9.74% from the previous year..

In terms of profitability, CBHFL recorded the operating profit for FY 2023-24 ₹39.43 Crores & the net profit after tax reached to ₹25.10 Crores. During the FY 2023-24 total Sanctions were ₹412.04 Crores & disbursements amounted to ₹369.84 Crores.

CBHFL demonstrated a strong focus on its asset quality. The Net NPA (NNPA) improved to 2.39% compared to the previous year. The company's capital adequacy position remains robust, with a Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) of 18.84%, exceeding the regulatory requirement of 15%. This solid capital base ensures the company's ability to sustain its operations and support future growth initiatives.

Last year started newly insurance business with Bajaj Allianz saw a growth and earned ₹12.24 lakh in commission income as compared to ₹8.43 lakh for the previous year.

Balance sheet of Cent Bank Home Finance Limited As at 31st March, 2024 (CIN: U65922MP1991PLC006427)

Particulars	Note No.	As at	As at
		31.03.2024	31.03.2023
		₹ In Lakhs	₹ In Lakhs
A EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholders' funds			
(a) Share capital	2	2,500.00	2,500.00
(b) Reserves and surplus	3	18,893.82	16,383.71
		21,393.82	18,883.71
2 Non-current liabilities			
(a) Long-term borrowings	4	80,858.83	72,559.34
(b) Deferred tax liabilities	3a	1,109.90	1,075.45
(c) Other long-term liabilities		-	-
(c) Long-term provisions	5	2,813.06	2,244.39
		84,781.79	75,879.18
3 Current liabilities			
(a) Short-term borrowings	6	41,609.73	41,453.93
(b) Trade payables			
(i) total outstanding dues of MSME	7	-	-
(ii) total outstanding dues of creditors other than MSME	7	78.16	239.47
(c) Current maturities of long term borrowings	8	13,088.86	12,995.22
(d) Other current liabilities	9	1,394.39	745.90
(e) Short-term provisions	10	189.89	218.12
		56,361.03	55,652.64
	TOTAL	162,536.64	150,415.53
B ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, Plant & Equipment and Intangible assets			
(i) Property, Plant & Equipment	11	51.65	37.69
		51.65	6,159,589.05



Particulars	Note No.	As at	As at
		31.03.2024	31.03.2023
		₹ In Lakhs	₹ In Lakhs
(ii) Intangible Assets	11b	-	-
(b) Non-current investments	12	4,836.50	4,837.13
(c) Long-term loans and advances	13	134,575.59	121,995.79
(d) Other Non-current assets	14	664.14	1,135.48
		140,127.88	128,006.09
2 Current assets			
(a) Cash and cash equivalents	15	312.82	2,222.55
(b) Short-term loans and advances	16	20,767.66	19,564.67
(c) Other current assets	17	1,328.28	622.22
		22,408.76	22,409.44
TOTAL		162,536.64	150,415.53


Profit and Loss of Cent Bank Home Finance Limited As at 31st March, 2024 (CIN: U65922MP1991PLC006427)

Particulars	Note No.	For the year ended	For the year ended
		31.03.2024	31.03.2023
		₹ In Lakhs	₹ In Lakhs
A INCOME			
1 Revenue from operations	18	16,202.54	14,092.92
2 Other income	19	27.34	-
3 Total Income (1+2)		16,229.88	14,092.92
B Expenses			
4 (a) Employee benefits expense	20	1,290.48	1,132.45
5 (b) Finance costs	21	9,384.07	7,625.33
6 (c) Depreciation and amortisation expense	11a	17.29	11.56
7 (d) Other expenses	22	1,594.93	1,135.35
8 (e) Contingent Provision for Standard Assets (including Covid19 Restructuring Scheme Provision - refer Note No 5)	23	(130.68)	11.11
9 (f) Provisions for Non-Performing & Doubtful Debts		526.27	607.02
10 (g) Writen off		-	-
11 Total expenses (4+5+6+7+8+9)		12,682.36	10,522.82
C Profit before tax and extraordinary items (3-11)		3,547.52	3,570.10
D Extraordinary items			
Add:- Extraordinary Item	24	-	-
Less/(Add):-Prior period Adjustements-Expenses/(Income)		163.43	(14.63)
E Profit / (Loss) before tax (C-D)		3,384.09	3,584.73
F Tax expense:			
(a) Current year tax expense		840.02	442.40
(b) Provision/(Reversal) for tax of previous years		(0.48)	(1.78)
(c) Deferred tax Liabilities/ (Assets) of current year other than d above		(93.57)	398.75
(d) Deferred tax liability on special reserves of current Year		128.02	69.30
Tax Expense		873.99	908.67
G Profit from continuing operations (E-F)		2,510.10	2,676.06
H Profit for the year		2,510.10	2,676.06
(Statement of Profit and Loss without stating EBITDA)			
I Earnings per share (of ₹10/- each):			
(a) Basic		10.04	10.70
(b) Diluted		10.04	10.70
J Notes to accounts and disclosure as per NHB/RBI	24		



Centbank Financial Services Limited

Centbank Financial Services Limited (CFSL) specializes in providing a range of trusteeship services, including debenture/ security trusteeship, executor and trusteeship, and the management of private and charitable trusts. The company is registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to undertake debenture trusteeship activities.

For the financial year ending 31st March 2024, CFSL reported a net profit after tax of ₹2.98 crore, marking a significant increase from the net profit of ₹1.62 crore for the previous year ending 31st March 2023.

The earnings for each segment are detailed as follows. The fees from executor trusteeship amounted to ₹1,50,64,886 in FY 2023-24, compared to ₹49,90,675 in FY 2022-23. The fees from debenture and security trusteeship reached ₹1,53,66,722 in FY 2023-24, up from ₹62,97,669 in the previous fiscal year. The fees from the safe custody of documents were ₹4,700 in FY 2023-24, compared to ₹34,300 in FY 2022-23. Other income, including interest and dividends, totalled ₹2,24,64,847 in FY 2023-24, slightly lower than the ₹2,39,23,400 earned in FY 2022-23. Overall, the total income for FY 2023-24 was ₹5,29,01,155, compared to ₹3,52,46,044 in FY 2022-23.

The Earnings Per Share (EPS) for FY 2023-24 stood at ₹595.98, significantly higher than the ₹324.50 reported for FY 2022-23.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS


Balance sheet of Centbank Financial Services Limited

Particulars	Note No.	As at 31 March, 2024 (₹ in lakhs)	As at 31 March, 2023 (₹ in lakhs)
I EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	1	500	500
(b) Reserves and Surplus	2	3,248.42	3,050.43
2 Non-Current Liabilities			
(a) Other long-term liabilities	3	70.76	70.76
(b) Long-term provisions	4	6.17	6.82
3 Current Liabilities			
(a) Other current liabilities	5	1,608.83	1,107.01
(b) Short-term Provisions	6	1.44	0.68
TOTAL		5,435.62	4,735.70
II ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment and Intangible assets	7		
(i) Property, Plant and Equipment		9.34	3.99
(ii) Intangible Assets		0.20	0.30
(iii) Capital work-in-progress		-	-
(b) Non-current Investments	8	597.60	597.60
(c) Deferred tax assets (net)	9	3.50	3.02
(d) Other non-current assets	10	2,554.26	2,035.67
2 Current assets			
(a) Current Investments	11	-	-
(b) Trade Receivables	12	9.19	3.62
(c) Cash and cash equivalents	13	2,160.16	2005.61
(c) Other current assets	14	101.37	85.89
TOTAL		5,435.62	4,735.70


Profit and Loss of Centbank Financial Services Limited

Particulars	Note	For the year ended 31 st March 2024 (₹ in lakhs)	For the year ended 31 st March 2023 (₹ in lakhs)
INCOME			
Revenue from Operations	15	304.37	113.23
Other Income	16	224.64	239.23
I. Total Income (1+2)		529.01	352.46
EXPENSES			
Employee Benefit Expenses	17	71.72	73.63
Depreciation and Amortisation Expenses	18	2.13	0.68
Other Expenses	19	79.43	76.64
II. Total expenses		153.28	150.95
III. Profit / (Loss) before tax	(I- II)	375.73	201.51
IV. Tax expense:			
(1) Current tax		97.00	41.00
(2) Deferred tax		(0.48)	(1.57)
(3) Prior year tax expense		(18.78)	(0.17)
		77.74	39.26
V. Profit(Loss) for the period	(III-IV)	297.99	162.25
VI. Earnings per share			
Equity shares of par value of ₹ 1000/- each			
(a) Basic (In ₹)		595.98	324.50
(b) Diluted (In ₹)		595.98	324.50

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Central Depository Services Ltd. (CDSL)

The bank currently serves as a Depository Participant in partnership with Central Depository Services Ltd. (CDSL). All operations are centralized and managed through our Nodal Office, the Capital Market Cell, located at the Emerging Business Branch in Fort, Mumbai.

All branches are equipped to facilitate the opening of Demat accounts using OLAO (CDSL Software). Additionally, the bank offers a 3-in-1 E-trading facility, which combines trading, Demat, and savings accounts, through a tie-up with Motilal Oswal Financial Services Ltd. As of 31st March 2024, the bank has 27,716 Demat account holders. The Capital Market Cell also serves as the Nodal office for ASBA services.

Indo-Zambia Bank Ltd. (IZBL)

The Indo-Zambia Bank Ltd. in Zambia is a joint venture between the Government of Republic of Zambia and the Government of India, represented by Bank of Baroda,

Bank of India, and Central Bank of India. Each Indian bank holds a 20% equity stake, while the Industrial Development Corporation (IDC), a government-owned investment company, holds the remaining 40% on behalf of the Zambian government.

Established in 1984, Bank operates on a calendar year basis. As of December 31, 2023, our bank holds a total of 8,32,00,000 shares valued at Kwacha 1 each. Bank has shown significant growth, with a 27.37% increase in deposits (totalling 12673.12 Million Kwacha) and a 39.49% increase in advances (totalling 5820.41 Million Kwacha) compared to the previous year. The Bank for the very first time has crossed the Operating Profit of Kwacha 1 Billion. With its strong performance, Bank has now become the Fifth largest bank in Zambia in terms of Asset Base. For the calendar year ended on December 31, 2023, Info Zambia Bank recorded a net profit of KW 604.33 Mio (equivalent to INR 193.82 crore). Furthermore, we have received a net dividend of INR 6.83 crore from Indo Zambia Bank for the year 2023.

RRB data

Details as on 31.03.2024				Amt in ₹ Crore			
Name of RRBs with its HO & State	No of District & State	Total Deposit	Total Advance	Gross NPA	Net Profit		
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK, COOCH BEHAR, WEST BENGAL	5/142	4,501.61	3,716.31	151.75	81.01		
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK, MUZAFFARPUR, BIHAR	18/1027	19,266.18	13,908.15	1,873.88	90.89		



Corporate Governance Report

Bank's Philosophy of Corporate Governance

Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.

The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc., issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.




Board of Directors

A) COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank with vested in the Board of Directors presided over by the Chairman.

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India, Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

The Board of Bank consists of optimum combination of 04 Executive Directors, 02 Non-Executive Non-Independent Directors (including 01 Woman Director) and 03 Non-Executive Independent Directors as on 31.03.2024.



The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Banking Regulation Act, 1949 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines prescribes the following skills, expertise or competencies required for appointment of Directors on the Board of Bank.

- i. Accountancy
- ii. Agriculture and Rural Economy
- iii. Banking



- iv. Co-operation
- v. Economics
- vi. Finance
- vii. Law
- viii. Small-scale industry
- ix. Information Technology
- x. Public Policy etc., or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the Bank.

The Board of Directors of Bank have above professional knowledge, skill sets and experience thereby bringing about an enabling environment for value creation through sustainable business growth.

In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank. The Board of Directors of Bank function in accordance with the powers delegated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS OF BANK DURING 01.04.2023 TO 31.03.2024

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2024	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of ACB/ SRC* of Listed entities (including this Bank) as on 31.03.2024		Directorship of other Companies as on 31.03.2024	Whether attended last AGM held on 30.06.2023
						Member	Chairman		
1.	Shri M V Rao	Managin Director and Chief Executive Officer (Whole Time Director)	From 01.03.2021	Nil	Banking	SRC	ACB**	1. United India Insurance Co. Ltd. 2. Export Import Bank of India 3. IIBF	Yes
2.	Shri Vivek Wahi	Executive Director (Whole Time Director)	From 10.03.2021	Nil	Banking	SRC	Nil	1. Indo Zambia Bank Ltd.	Yes
3.	Shri Rajeev Puri	Executive Director (Whole Time Director)	From 10.03.2021 to 30.06.2023	Nil	Banking	Nil	Nil	Nil	Yes
4.	Shri M V Murali Krishna	Executive Director (Whole Time Director)	From 01.12.2022	12025	Banking	SRC	Nil	1. Cent Bank Financial services Ltd. 2. Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes
5.	Shri Mahendra Dohare	Executive Director (Whole Time Director)	From 09.10.2023	Nil	Banking	SRC	Nil	Nil	No
6.	Shri Hardik Mukesh Sheth	Government of India Nominee Director (Non-Executive Director)	From 11.04.2022	Nil	Banking and Finance	Nil	Nil	Nil	No
7.	Shri P. J. Thomas	RBI Nominee Director (Non-Executive Director)	From 28.09.2020 to 14.07.2023	Nil	Banking and Finance	Nil	Nil	Nil	No
8.	Smt. Charulatha S. Kar	RBI Nominee Director (Non-Executive Director)	From 14.07.2023	Nil	Banking and Finance	ACB	Nil	Nil	No



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2024	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of ACB/ SRC* of Listed entities (including this Bank) as on 31.03.2024		Directorship of other Companies as on 31.03.2024	Whether attended last AGM held on 30.06.2023
						Member	Chairman		
9	Shri Dinesh Pangtey	Shareholder Director (Non-Executive Independent Director)	From 01.07.2021	100	Finance	SRC	Nil	Nil	Yes
10	Shri Pradip Pranlal Khimani	Part Time Non-official Director (Non-Executive Independent Director)	From 21.12.2021	Nil	Finance	ACB	Nil	Nil	Yes
11	Shri Priavrat Sharma	Part Time Non-official Director under Chartered Accountant Category	From 08.05.2023	Nil	Finance	SRC	ACB	Nil	Yes

***ACB means Audit Committee of Board and SRC means Stakeholder Relationship Committee**

**** Chairman of ACB at united India Insurance Co. Ltd.**

Changes in composition of Board of Directors of Bank took place during the year 2023-24:

- Shri Priavrat Sharma was appointed as part time non-official Director under chartered accountant category by the Central Government w.e.f 08.05.2023.
- Shri Rajeev Puri ceased to be Executive Director of the Bank on account of superannuation from the services of Bank on 30.06.2023.
- Smt. Charulatha S Kar was appointed as RBI Nominee Director of Bank by the Central Government w.e.f 14.07.2023 in place of Shri P. J. Thomas.
- Shri Mahendra Dohare was appointed as an Executive Director of the Bank by the Central Government w.e.f 09.10.2023.

Brief Profile of the Directors of the Bank as on 31.03.2024

1. Shri M V Rao, Managing Director and Chief Executive Officer

Shri M.V. Rao is the Managing Director & CEO of Central Bank of India since 1st March, 2021. Before assuming charge of the current position, Shri M.V. Rao served as Executive Director of Canara Bank for over three years.

A seasoned banker, Shri Rao is a Post Graduate in Agriculture and began his professional career with erstwhile Allahabad Bank (now Indian Bank) in the year 1988. With over three and a half decades of experience in leadership roles, Shri Rao's expertise extends to all facets of banking, including Corporate Credit, Retail Assets, Treasury Management, Human Resources, Credit Policy & Monitoring, Stressed Assets

Management, Digital Banking, Risk Management, Business Process Transformation etc.

As Executive Director, Shri Rao oversaw the smooth merger of Syndicate Bank with Canara Bank.

Shri Rao is credited with bringing about a turnaround in the performance of Central Bank of India which is now in an advanced phase of transformation into a Digital Bank. Under his leadership, the Bank has made rapid strides in all facets of banking operations.

Being Chairman of the Negotiating Committee constituted by IBA, Shri Rao was instrumental in the smooth and timely conclusion of recently signed industry-level wage revision settlement/joint note between IBA and Unions/Associations representing officers and employees in the banking sector.

Shri Rao is a Director on the Board of Export Import Bank of India (Exim Bank) and United India Insurance Co. Ltd and National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. In addition, he is also a Member of the Depositor Education and Awareness Fund Committee of the Reserve Bank of India, Chairman of Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), Mumbai, Vice Chairman of Institute of Banking & Finance (IIBF), Mumbai and a Member on the Governing Board of Indian Institute of Bank Management, Guwahati.

Recently, Shri Rao has been elected as Chairman of Indian Banks' Association.

2. Shri Vivek Wahi, Executive Director

Shri Vivek Wahi has taken over charge as Executive Director of Central Bank of India w.e.f. 10th March, 2021. Prior to joining Central Bank of India, He was Chief



General Manager of Bank of India.

He joined Banking Industry (Bank of India) as Probationary Officer in 1990, after completing his B.Tech from NIT, Kurukshetra. He possesses rich Banking experienced has worked in all important verticals of the Bank like Branch Banking, Overseas Dealing Room, Heading Large Corporates Credit Branch, Zonal Manager, Treasury Head, Field GM etc. He was posted as Zonal Manager of Bank's Mumbai South Zone, the Largest Zone on Business Mix parameters. He has also headed Bank of India's Treasury at Mumbai for more than 2 years. He has also worked as Field General Manager of Northern Territory of the Bank comprising 6 states having headquarter at New Delhi.

3. **Shri M V Murali Krishna, Executive Director**

Shri MV Murali Krishna has taken over charge as Executive Director of Central Bank of India w.e.f. 01st December, 2022. Prior to joining Central Bank of India, He was Chief General Manager of Bank of Baroda.

Shri M.V. Murali Krishna is a MBA in Banking and Finance. He began his career with Bank of Baroda as Probationary Officer and has over three decades of professional banking experience in leadership roles. His expertise extends to all major areas of banking, including Corporate Credit, International Operations, Rural and Agriculture Banking, Financial Inclusion, NRI business etc.,

4. **Shri Mahendra Dohare, Executive Director**

Shri Mahendra Dohare has been appointed as Executive Director of Central Bank of India w.e.f. 9th October, 2023. Prior to joining Central Bank of India, He was Chief General Manager of Punjab National Bank.

Shri Mahendra Dohare is a MBA in Marketing & Finance. He is a certified Associate of Indian Institute of Bankers. He also holds diploma in computer application and various certification from IIBF. He is also NET qualified. His last posting in Punjab National Bank was head of Business Acquisition & Relationship Management Division. He began his career as a Probationary officer with Corporation Bank and subsequently moved to United Bank of India which was merged with Punjab National Bank. He is having rich experience of professional Banking of more than 24 years. As CGM of PNB, he was Leading & Playing an instrumental role in setting up a unified retail division (Business Acquisition & Relationship Management) to drive business. He also served as a Director on the Board of PNB Cards & Services Limited and Tripura Gramin Bank.

5. **Shri Hardik Mukesh Sheth, Government of India Nominee Director**

Shri Hardik Mukesh Sheth was nominated as Government Nominee Director of Central Bank of India w.e.f. 11th April 2022. He is presently serving as a Director with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

He is a MBA (Finance) and a US CPA. Prior to joining the ministry, he has almost 19 years of Banking experience wherein he has worked with few multinational as well as public sector bank (State Bank of India) across various functions, including Risk Management, Credit Management, Corporate Credit, Branch Operations, Administration amongst others. He has an experience of handling large team sizes and various branches under himself. He brings with him a holistic view of the banking industry.

6. **Smt Charulatha S. Kar, RBI Nominee Director**

Smt. Charulatha S. Kar was nominated as RBI Nominee Director of Central Bank of India w.e.f. 14th July, 2023.

She holds a Master's Degree in Commerce from the University of Mumbai specialising in Banking and Finance. She has done post-graduate Diploma in Treasury and Forex Management from the ICFAI, Tripura. She is also a Certified Associate of the IIB&F. She has also completed the Advanced Management Program at The Wharton School, University of Pennsylvania, USA as part of the Leadership and Executive Education Programme of the RBI. She joined RBI as an officer in 1991 and has worked in various RBI Regional and Central offices at Ahmedabad, Chennai and Mumbai. She is currently the Chief General Manager-in-Charge of the Human Resource Department of Central Security Cell Department of Reserve Bank of India (RBI). Her areas of expertise include government banking, internal financial accounts, information technology and payment and settlement systems. She has been a Member of Faculty in the RBI Training College at Chennai for over five years. She has also been on deputation to the Training institute of the Central Bank of Oman at Muscat for two years. She has represented the RBI in International Working Groups of the Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements which studied and published reports on Innovations in Retail Payments, Role of Non-banks in Retail Payments and Fast Payments. She has also represented RBI as a speaker and resource person many domestic and international forums / seminars and workshops.

7. **Shri Dinesh Pangtey, Shareholder Director**

Shri Dinesh Pangtey was elected as Shareholder Director of Central Bank of India with effect from 1st July, 2021 for a period of three years.



Dinesh Pangtey has a Bachelor's Degree in Science. He has experience in the field of Finance, marketing, administration, Asset Management and related areas. He has held the post of Chief Executive Officer of LICHL AMC Limited and LIC Mutual Fund Asset Management Limited. He also had more than 3 decades of experience in Life insurance business in different positions.

8. Shri Pradip Pranlal Khimani, Part Time Non-Official Director

Shri Pradip Pranlal Khimani was nominated as Part Time Non-Official Director of Central Bank of India w.e.f. 21st December, 2021 for a period of three years. He is Masters in Commerce in Statistics, Costing, Industry, Modern Finance and Business Management from Saurashtra University. Presently, He is the Chairman of Saraswati School, Junagadh (Gujarat). He is also Member in Girnar Yatratham Vikas Mandal, Junagadh and Financial advisor of Indian Maritime University, Chennai. Earlier, he served as the Director, Gujarat Tourism Corporation and the Chairman of Standing committee, Municipal Corporation, Junagadh. He is the awardee of "Bharat Jyoti Award" by India International Friendship Society, "Global Indian of the Year Award" By National Development Forum and several other awards from several associations/institutions.

9. Shri Priavrat Sharma, Part-time Non-Official Director under Chartered Accountant Category

Shri Priavrat Sharma was nominated as Part-time Non-Official Director under Chartered Accountant Category of Central Bank of India by Government of India on 8th May, 2023 for a period of three years. Shri Priavrat Sharma, is a Bachelor in Commerce, Fellow Chartered Accountant (FCA) by qualification. He is having experience of more than 28 years in area of Audit, Due Diligence, Taxation, Financial planning, Company Law matters, Information system Audit, FEMA, Management Consultancy etc., Shri Priavrat Sharma is Partner of Priavrat Sharma & CO, (CA Firm), Jaipur. He is also Director on Board of "Brahm Federation of Commerce and Industry".

Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers of the Bank has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is available on the Bank's website <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Code%20of%20conduct%20for%20Bank's%20BOD%20and%20Senior%20Management%202023-24.pdf> All the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed the compliance of the code.

Confirmation by the Board with respect to Independence of Independent Directors:

Based on the disclosures received from all the Independent Directors, the Board opined that all the Independent Directors fulfilled the criteria of independence as specified in Companies Act, 2013 as well as in SEBI (LODR) Regulations, 2015 and are independent of the management.

Separate meeting of Independent Directors:

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, meeting of Independent Directors of the Bank was held on 29.02.2024 during the financial year 2023-24.

Performance Evaluation of Board Members:

The performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors is done by Board of Directors on annual basis.

Familiarization/ training programmes:

The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2023-24 are available on the Bank's website <https://centralbankofindia.co.in/en/investor-relations>

Inter se relationship:

None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

A) BOARD MEETINGS

The Board of bank meets at regular intervals to discuss and decide Bank's business policy and strategy apart from other businesses. The Board oversees implementation of business policies, Governance structure and performance of Management for achieving its objectives. The Board has constituted various committees/sub committees to facilitate the smooth and efficient flow in decision-making process. The meetings of the Board of Directors are generally held at the Bank's Central office at Mumbai. Directors are also provided with video conferencing facility so as to participate in meetings of Board and its Sub-Committees.

During the Financial Year 2023-24, 10 meetings of Board of Directors were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015:



During the year, 10 Board Meetings were held on the following dates:

29.04.2023	05.09.2023	19.01.2024
24.05.2023	20.10.2023	28.02.2024
30.06.2023	29.11.2023	
17.07.2023	02.01.2024	

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as under:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	10	10	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	10	10	01.04.2023-31.03.2024
Shri Rajeev Puri	3	3	01.04.2023-30.06.2023
Shri M V Murali Krishna	10	10	01.04.2023-31.03.2024
Shri Mahendra Dohare	5	5	09.10.2023-31.03.2024
Shri Hardik Mukesh Sheth	9	10	01.04.2023-31.03.2024
Shri P J Thomas	3	3	01.04.2023-14.07.2023
Smt Charulatha S Kar	6	7	14.07.2023-31.03.2024
Shri Pradeep Pranlal Khimani	10	10	01.04.2023-31.03.2024
Shri Dinesh Pangtey	10	10	01.04.2023-31.03.2024
Shri Priavrat Sharma	9	9	08.05.2023-31.03.2024

B) DETAILS OF SUB - COMMITTEES OF THE BOARD

As on date, there are total 15 Committees of the Board constituted under the prescribed rules/regulations and directives issued by Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and by the Board itself. Details of these Sub-Committees are as under:-

- i) Management Committee of Board
- ii) Credit Approval Committee
- iii) Audit Committee of the Board
- iv) Risk Management Committee
- v) Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
- vi) Customer Service Committee
- vii) Information Technology Strategy Committee.
- viii) Stakeholders Relationship Committee
- ix) Nomination and Remuneration Committee
- x) Vigilance Committee
- xi) Performance Evaluation Committee
- xii) Human Resource Committee

- xiii) Committee of the Board for Monitoring of Recovery
- xiv) Capital Raising Committee
- xv) Committee to the Board to Review the Identification of Willful Defaulter & Declaring of Non Cooperative Borrowers

i) Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposal, compromise/write off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2024, it comprised of 6 members, consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director and Independent Director. The meetings of the Committee is chaired by Shri M.V. Rao, MD&CEO.

The Management Committee of the Board met 13 times during the year on the following dates:

19.04.2023	10.08.2023	29.11.2023	27.03.2024
16.05.2023	05.09.2023	22.12.2023	
21.06.2023	26.09.2023	09.02.2024	
30.06.2023	12.10.2023	29.02.2024	



Attendance record of the members was shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	13	13	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	12	13	01.04.2023-31.03.2024
Shri Rajeev Puri	4	4	01.04.2023-30.06.2023
Shri M V Murali Krishna	13	13	01.04.2023-31.03.2024
Shri Mahendra Dohare	6	6	09.10.2023-31.03.2024
Shri P J Thomas	4	4	01.04.2023-14.07.2023
Smt Charulatha S Kar	5	9	14.07.2023-31.03.2024
Shri Dinesh Pangtey	12	12	08.05.2023-31.03.2024

ii) Credit Approval Committee:

Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercised the powers of the Board with regards to credit proposals from above ₹100 crore upto ₹400.00 crore for individual borrower and for group companies/borrowers, credit proposals from above ₹200 Crore upto ₹800 crore, compromise/ write off proposals involving sacrifice above ₹10 crore and upto ₹50 crore etc. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2024, the Committee consists of Managing Director and Chief Executive Officer, 3 Executive Directors, General Managers in charge of Credit, Accounts/ Finance, Credit Monitoring & Policy and Vertical GM's of which proposal are being placed and Chief Risk Officer. The meetings of the Committee is chaired by Shri M.V. Rao, MD&CEO.

The Credit Approval Committee met 16 times during the year on the following dates:

24.04.2023	08.08.2023	10.11.2023	22.03.2024
15.05.2023	28.08.2023	06.12.2023	
09.06.2023	15.09.2023	29.12.2023	
04.07.2023	27.09.2023	14.02.2024	
25.07.2023	23.10.2023	19.03.2024	

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	16	16	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	16	16	01.04.2023-31.03.2024
Shri Rajeev Puri	3	3	01.04.2023-30.06.2023
Shri M V Murali Krishna	16	16	01.04.2023-31.03.2024
Shri Mahendra Dohare	7	7	09.10.2023-31.03.2024

iii) Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India, Government of India and Regulation 18 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Audit Committee are as under:

1. Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/ Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
2. Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
3. Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;



4. Following up in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacting with the External Auditors before finalization of the quarterly/ half yearly/ annual financial accounts and reports;
5. Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
6. Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit; Qualifications in the Draft Audit Report; To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern; Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
7. Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
8. Matters as mentioned in SEBI (LODR) Regulations, 2015 and as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

As on 31.03.2024, Audit Committee consists of 02 Independent Directors and RBI Nominee Director. The meetings of the Committee is chaired by Shri Priavrat Sharma, Independent Director.

During the year, the Audit Committee met 9 times on the following dates:

29.04.2023	18.08.2023	28.11.2023
24.05.2023	26.09.2023	19.01.2024
17.07.2023	20.10.2023	28.02.2024

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri Priavrat Sharma	8	8	08.05.2023-31.03.2024
Shri Dinesh Pangtey	1	1	01.04.2023-08.05.2023
Shri P. J. Thomas	2	2	01.04.2023-14.07.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	9	9	01.04.2023-31.03.2024
Smt Charulatha S Kar	7	7	14.07.2023-31.03.2024

The Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

iv) Risk Management Committee:

Pursuant to the Reserve Bank of India circular dated 26.04.2021 on Corporate Governance in Banks and Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Committee was constituted to oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Risk Management Committee are as under:

1. The Committee will take both long term and short term view of the risks faced by the Bank.
2. Keeping the long term interest and implications in mind, it will articulate and proactively update the risk philosophy of the Bank.
3. From a more operational perspective, it will review the risk profile of the Bank and issue instructions/ guidelines to the appropriate entities to better manage the risk.
4. The Committee would be apex committee for convergence of various risk management efforts and policy guidelines. It would facilitate providing board direction on articulating the risk management philosophy of the Bank and also the risk profile of the Bank and providing guidelines. It would take an integrated view of risk the Bank is willing to take and provide broad directions for indicating the risk appetite for the Bank.
5. It would also review the credit risk management policies to ensure that they are compatible with the risk philosophies and risk preferences. It would also create and build organisational wide awareness and appreciation of risk management policies. It would be reviewing periodically the policies and guiding principles for managing the Bank's operational risk. Also the Committee would review periodically information to monitor the compliance with the policies,



6. Creating awareness and appreciation of ALM issues throughout the Bank. Using appropriate guidelines in the areas of Balance Sheet structure, funding structure pricing and corporate planning so as to maintain the Bank's desired risk preferences and Balance Sheet profile.
7. Reviewing periodically the instructional mechanism that is put in place for attending to functions of risk management and Risk based supervision.
8. The Committee will devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including credit risk,

As on 31.03.2024, Risk Management Committee consists of 01 Executive Director, 02 Independent Directors and Government of India Nominee Director. The meetings of the Committee is chaired by Shri Pradip Pranlal Khimani, Independent Director.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

24.05.2023 10.08.2023 28.11.2023 20.02.2024

The attendance recorded of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Hardik Mukesh Sheth	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Dinesh Pangtey	4	4	01.04.2023-31.03.2024

v) The Special Committee of the Board For Monitoring of Large Value Frauds:

Pursuant to the Reserve Bank of India circular dated January 14, 2004, the Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds was constituted for monitoring and follow up of cases of frauds involving amount of ₹1 crore and above exclusively, while Audit Committee may continue to monitor all the cases of frauds in general. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Committee are as under:

- (1) Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetuation of the fraud and put in place measures to plug the same.
- (2) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to Top Management of the Bank and RBI.
- (3) Monitor progress of CBI/Police Investigation, and recovery position and
- (4) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- (5) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds such as strengthening of internal controls.
- (6) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

As on 31.03.2024, the Committee consists of MD&CEO, 03 Executive Directors, Government of India Nominee Director and 02 Independent Directors. The meetings of the Committee is chaired by Shri M.V. Rao, MD&CEO.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

24.05.2023 10.08.2023 28.11.2023 29.02.2024

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Rajeev Puri	1	1	01.04.2023-30.06.2023
Shri M V Murali Krishna	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Mahendra Dohare	2	2	09.10.2023-31.03.2024
Shri Hardik Mukesh Sheth	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Priavrat Sharma	4	4	08.05.2023-31.03.2024



vi) Customer Service Committee of the Board:

Customer Service Committee of the Board was constituted as per the advice of the RBI letter dated August 14, 2004 read with Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services set up by Reserve Bank of India under the Chairmanship of Dr. S. S. Tarapore with a view to support broad based improvement in customer services in relation to various banking services. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Customer Service Committee are as under:

- i) To bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank.
- ii) Ensure the compliance with the recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services in Banks
- iii) Initiate innovative measures for enhancing the quality of customer service und improving the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all levels.

As on 31.03.2024, the Committee consists of MD&CEO, 03 Executive Directors and 02 Independent Directors. The meetings of the Committee is chaired by Shri M.V. Rao, MD&CEO.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

16.05.2023 10.08.2023 28.11.2023 20.02.2024

The attendance recorded of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Rajeev Puri	1	1	01.04.2023-30.06.2023
Shri M V Murali Krishna	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Mahendra Dohare	2	2	09.10.2023-31.03.2024
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Priavrat Sharma	4	4	08.05.2023-31.03.2024

vii) IT Strategy Committee of the Board:

As part of IT Governance, RBI has directed that the Banks need to formulate a Board approved IT Strategy/plan document and also ensure creation of an exclusive Board level IT Committee with a minimum of two Directors as members, one whom should be an independent Director. All members of the IT Strategy Committee would need to be technically competent while at least one member would need to have substantial expertise in managing guiding technology initiatives. The scope of the Committee was later on broad based by the Board of Directors.

Roles & objectives

- i) Approving IT strategy and policy documents.
- ii) Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- iii) Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- iv) Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- v) Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- vii) Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth
- viii) Monitoring the method that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
- viii) Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth
- ix) Becoming aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.



- x) Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- xi) Issuing high-level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- xii) Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT.
- xiii) Overseeing the aggregate funding of IT at a bank- level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks .
- xiv) Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).

As on 31.03.2024, the Committee consists of MD&CEO, 03 Executive Directors, 02 Independent Directors and Government nominee director. The meetings of the Committee is chaired by Shri Pradip Pranlal Khimani, Independent Director.

The Committee met 7 times during the year on the following dates:

19.04.2023	16.05.2023	30.06.2023	10.08.2023	02.11.2023	08.12.2023	20.02.2024
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	6	7	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	6	7	01.04.2023-31.03.2024
Shri Rajeev Puri	3	3	01.04.2023-30.06.2023
Shri M V Murali Krishna	7	7	01.04.2023-31.03.2024
Shri Mahendra Dohare	3	3	09.10.2023-31.03.2024
Shri Hardik Mukesh Sheth	6	7	01.04.2023-31.03.2024
Shri Dinesh Pangtey	1	1	01.04.2023-08.05.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	7	7	01.04.2023-31.03.2024
Shri Priavrat Sharma	6	6	08.05.2023-31.03.2024
Prof. N. Balakrishnan (Invitee)	7	7	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vireshwar Kumar (Invitee)	2	2	08.12.2023-31.03.2024

viii) Stakeholders' Relationship Committee:

Pursuant to Regulation 20 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has constituted the Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

As on 31.03.2024, the Committee consists of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and 02 Independent Directors. The meetings of the Committee is chaired by Shri Dinesh Pangtey, Independent Director.

The Committee met 4 times during the year 2023-24 on the following dates:

16.05.2023	10.08.2023	28.11.2023	20.02.2024
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri M V Rao	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Rajeev Puri	1	1	01.04.2023-30.06.2023
Shri M V Murali Krishna	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Mahendra Dohare	2	2	09.10.2023-31.03.2024
Shri Dinesh Pangtey	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Priavrat Sharma	4	4	08.05.2023-31.03.2024



The details of Investor Grievances for the year 2023-24 (from 01.04.2023 to 31.03.2024) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	Nil
2	Letters for Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	Nil
3	Non Receipt of Dividend Warrants	Nil
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	Nil
5	Non Receipt of Refund Order	Nil
6	Non Receipt of Rejected DRF's	Nil
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	Nil
8	Total Grievances received	Nil
9	Total Grievances attended/resolved	Nil
10	Total complaints pending at the end of the year	Nil

We confirm that no investors' complaints remained un- attended/pending for more than 30 days.

ix) Nomination and Remuneration Committee:

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS) communication no. F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 on PSB Governance Reforms on strengthening the Board committee system read with Reserve Bank of India letter No. RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No.9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019, Bank has constituted a Nomination and Remuneration Committee for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub-section(3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) Act, 1970 and role as specified in SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2024, the Committee consists of 03 non-executive and Independent Directors. The meeting of the Committee is chaired by Shri Priavrat Sharma, Independent Director.

The Committee met once during the year 2023-24 on the following date:

02.01.2024

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Priavrat Sharma	1	1	08.05.2023-31.03.2024
Shri Dinesh Pangtey	1	1	01.04.2023-31.03.2024
Shri Pradip Pranlal Khimani	1	1	01.04.2023-31.03.2024

x) Vigilance Committee:

In terms of Government of India guidelines, the Bank has constituted Vigilance Committee to review vigilance disciplinary cases and departmental enquiries. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

As on 31.03.2024, the Vigilance Committee consist of MD&CEO, Government of India Nominee Director and Reserve Bank of India Nominee Director. The meetings of the Committee is chaired by Shri M.V. Rao, MD&CEO.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

16.05.2023 05.09.2023 28.11.2023 29.02.2024

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Hardik Sheth	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri P J Thomas	1	1	01.04.2023-14.07.2023
Smt. Charulatha S Kar	3	3	14.07.2023-31.03.2024



xi) Human Resource Committee of the Board:

HR Committee of the Board was constituted on 30.10.2013 vide Communication F.No.9/18/2009-IR dated March 2012 of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India to consider various HR related issues. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Committee are as under:

- Five year Manpower Planning & its Annual Review
- Quarterly Review of the key critical and leadership positions for Succession Planning,
- Quarterly monitoring exercise of grooming identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified key critical positions
- Any other HR issue which is considered as critical and crucial, not being HR Policies, individual issues or bilateral issues relating to Award Staff involving Settlements under Industrial Disputes Act, 1947 with Majority Union with Award Staff, Policy issues relating to Officers which are bilateral etc.) thereby require to be referred to the Committee.

As on 31.03.2024, the Human Resource Committee consists of MD&CEO, 03 Executive Directors, Government of India Nominee Director. The meetings of the Committee is chaired by Shri M.V. Rao, MD&CEO.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

16.05.2023	10.08.2023	02.11.2023	20.02.2024
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Rajeev Puri	1	1	01.04.2023-30.06.2023
Shri M V Murali Krishna	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Mahendra Dohare	2	2	09.10.2023-31.03.2024
Shri Hardik M Sheth	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri. S. Sengupta (Invitee)	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Ramkumar Krishnaswamy (Invitee)	0	1	01.04.2023-07.08.2023

xii) Committee of the Board for Monitoring of Recovery:

Committee of the board for monitoring of recovery was constituted as a sub-committee of the Board to monitor stressed assets of the Bank and recovery in NPA accounts. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Committee are as under:

- To monitor the progress in Recovery on regular basis, examine all possible options of Recovery and implement the same.
- To analyze the position of Special Mention Accounts and to chalk out strategy to arrest slippage.

As on 31.03.2024, the Committee consists of MD&CEO, 03 Executive Directors, Government of India Nominee Director and 02 Independent Directors. The meetings of the Committee is chaired by Shri M.V. Rao, MD&CEO.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

24.05.2023	10.08.2023	28.11.2023	29.02.2024
------------	------------	------------	------------



The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Rajeev Puri	1	1	01.04.2023-30.06.2023
Shri Mahendra Dohare	2	2	09.10.2023-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri. Hardik M Sheth	3	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Dinesh Pangtey	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2023-31.03.2024

xiii) Capital Raising Committee:

The Board of the Bank has constituted Capital Raising Committee to look after the activity of raising of Tier 1 and Tier 2 capital required for the Bank and takes all operative steps in connection therewith. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2024, the Committee consist of MD&CEO and 03 Executive Directors. The meetings of the Committee is chaired by Shri M.V. Rao, MD&CEO.

Committee met 2 times during the year on the following dates:

23.08.2023	30.08.2023
------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	2	2	01.04.2023-31.03.2024
Shri Vivek Wahi	2	2	01.04.2023-31.03.2024
Shri M V Murali Krishna	2	2	01.04.2023-31.03.2024
Shri Mahendra Dohare	0	0	09.10.2023-31.03.2024

xiv) REVIEW COMMITTEE FOR DECLARING OF NON CO-OPERATIVE BORROWER AND IDENTIFICATION OF WILFUL DEFAULTERS

In terms of the RBI Circular, Bank has constituted the Review Committee for Declaring of Non Co-operative Borrower and Identification of Wilful Defaulters. The Role of the Committee is to review the order of the Internal Committee for declaring of Non-Cooperative Borrower and Wilful Defaluters as per RBI Guidelines. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2024, the Committee consists of MD&CEO and 02 Independent Directors. The meetings of the Committee is chaired by Shri M.V. Rao, MD&CEO.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

30.06.2023	26.09.2023	28.11.2023	20.02.2024
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Dinesh Pangtey	4	4	01.04.2023-31.03.2024
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2023-31.03.2024



xv) PERFORMANCE EVALUATION COMMITTEE OF THE BOARD

In terms of Government of India guidelines, Bank has constituted the Performance Evaluation Committee to consider and review the performance evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors & General Managers in-charge of Internal control functions. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2024, the Committee consists of Government of India Nominee Director and 02 Independent Directors. The meeting of the Committee is chaired by Shri Dinesh Pangtey, Independent Director.

The Committee met once during the year on the following date.

05.09.2023

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Dinesh Pangtey	1	1	01.04.2023-31.03.2024
Shri Hardik M Sheth	1	1	01.04.2023-31.03.2024
Shri Priavrat Sharma	1	1	01.04.2023-31.03.2024

3. Remuneration of Directors

The Non Official (Independent) Directors / Non-Executive Directors were paid sitting fees of ₹ 40,000 for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 20,000 for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board. Sitting fees is not being paid to the Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India/ Reserve Bank of India. For Chairing the meetings of Board of Directors and Committees thereof, an additional sitting fee of ₹10,000 and ₹5,000 respectively were paid.

During the year under review, the Bank has paid ₹ 12,80,000/- (Rupees Twelve Lakh Eighty Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹24,90,000/- (Rupees Twenty Four Lakh Ninety Thousand only) towards attending meetings of the Sub-Committee of the Board.

Details of sitting fees paid during the Year 2023-24 are as under:

Name of Director	Sitting Fees Paid for FY 2023-24 (Amount in ₹)
Shri Dinesh Pangtey	10,70,000
Shri P.J. Thomas	2,60,000
Shri Pradip Pranlal Khimani	12,15,000
Shri Priavrat Sharma	9,85,000

Besides this during the financial year, sitting fees of ₹60,000/- were paid to Shri S. Sengupta for attending the meetings of Human Resource Committee of the Board and sitting fees of ₹1,40,000/-to Prof. N. Balakrishnan and ₹40,000/- to Shri Vireshwar Kumar for attending meetings of IT Strategy Committee of the Board.

During the financial year 2023-24, the following amounts have been paid to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr.	Name	Rupees in Lakh
1.	Shri M V Rao, Managing Director & CEO	44.46
2.	Shri Vivek Wahi, Executive Director	37.11
3.	Shri Rajeev Puri, Executive Director (upto 30.06.2023)	13.52
4.	Shri M V Murali Krishna, Executive Director	33.96
5.	Shri Mahendra Dohare, Executive Director (from 09.10.2023)	15.73
Total		144.78

4. Compliance Officer

Shri Chandrakant Bhagwat, Assistant General Manager/ Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges.

5. Secretarial Audit

Bank has appointed M/s SG & Associates, Company Secretaries, Mumbai as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit for the financial year ended 31.03.2024. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.



6. Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc during the financial year 2023-24

Bank has raised ₹ 1500 crore on 30.08.2023 by issuance and allotment of non convertible redeemable unsecured Basel III compliant Tier II Bonds (Series VI) in the nature of Debenture of the face value of ₹ 1.00 crore each.

The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier II capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long term resources of the Bank. The funds raised are being utilized for the above purpose.

7. Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi and Marathi newspapers, such as Business Standard, Financial Express, Tarun Bharat, Jansatta, Loksatta etc., The results alongwith presentation to analysts, press release on financial performance and official news releases were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in. All periodical compliances /filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS), and same are also posted on Banks Website for dissemination.

8. Code of Conduct

The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management has been approved by the Board of Directors. Copy of the same is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations". All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.

The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prohibition of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations under following weblink- https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/PIT_Policy.pdf

9. Other Disclosures

9.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or

the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.

9.2 It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

9.3 The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market.

9.4 No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the last 3 years.

9.5 The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2023-24 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.

9.6 "Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web based portal in the name of "Cent e-Whistleblower" to facilitate reporting of malpractices by Employees and Directors without revealing their identities, which would be known to the General Manager – Human Capital Management. Directors and all Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees." No personnel has been denied access to the Audit Committee.

9.7 The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

9.8 Outstanding global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.

9.9 Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required in the FY 2023-24 – Nil.



- 9.10 We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.
- 9.11 Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – The funds are raised with the primary objective of augmenting and strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.
- 9.12 Policy for determining 'material' subsidiaries is available on website of the Bank at <https://www.centralbankofindia.co.in> under the link "Investor Relations under following weblink. <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/DETERMINING-MATERIAL-SUBSIDIARIES.pdf>
- 9.13 Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank at <https://www.centralbankofindia.co.in> under the link "Investor Relations under following weblink <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Related-Party-Transaction-Policy.pdf>
- 9.14 Bank has framed Dividend Distribution Policy and the same is available on Bank's website i.e. <https://www.centralbankofindia.co.in>

[https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Dividend-Distribution-Policy%20\(2\).pdf](https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Dividend-Distribution-Policy%20(2).pdf)

- 9.15 During the Financial Year 2023-24 total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part, was ₹32.63 crore (excluding GST).
- 9.16 Certificate from a company secretary in practice has been obtained that none of the Directors on the Board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority and same is annexed to the report.
- 9.17 The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C, D and E of Schedule V to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

Position for the year 2023-24

No. of complaints pending at the beginning of the year	1
No. of complaints received during the year	3
Total No. of cases	4
No. of complaints disposed of during the year	4
No. of cases pending at the end of the year (Pending 1 case has been disposed on 20.04.2023)	0

10. Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense and also allowed reimbursement of expenses in performance of his/her duties.	Yes, implemented. However post of Non –Executive Chairman is vacant since 23.05.2021.
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has submitted its financial results on Quarterly, Half yearly and Yearly basis to Stock Exchanges and published the same in Newspapers. Besides this, the financial results were also posted on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in Also, Quarterly Financial results of Bank emailed to all the Shareholders and Bondholders of the Bank.
3.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is reporting to the Audit Committee of the Board.



11. General Shareholder Information

17th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Tuesday, 16th July, 2024 at 11:00 AM at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2023-24.
2. Date of Book Closure: 10th July, 2024 to 16th July, 2024. (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2023-24.

12. Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
Sixteenth Annual General Meeting	30 th June 2023, 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2023, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2023, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. Approved and adopted appointment of Shri Hardik Mukesh Sheth as Government Nominee Director on the Board of the Bank. 3. Approved and adopted appointment of Shri M.V. Murali Krishna as Executive Director on the Board of the Bank. 4. Approved and adopted appointment of Shri Priavrat Sharma as Non-Official Director under CA category on the Board of the Bank. 5. Approved and adopted raising of Equity capital aggregate upto ₹2500 crore through various modes such as QIP/FPO/Rights.
Fifteenth Annual General Meeting	10 th August, 2022, 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2022, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2022, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.



Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
Fourteenth Annual General Meeting	10 th August, 2021, 11.00AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	<ol style="list-style-type: none"> Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2021, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2021, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. Appropriation of accumulated losses as on 31.03.2021 from share premium account-Special Resolution
Extra-ordinary General Meeting	18 th May, 2021 11.00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	Issue of 280,53,76,972 Equity Shares of face value of ₹ 10 at an issue price of ₹ 17.11 aggregating ₹ 4800 crore on Preferential Basis to President of India (Government of India) – Special Resolution

No special resolution was passed in last year through postal ballot and no special resolution is proposed to be conducted through postal ballot.

13. Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE) Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2023-24 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2024

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crore)	ISIN	Rating
Basel III Complaint Sr III	29.03.2019	500.00	INE483A09286	CRISILAA-
Basel III Complaint Sr IV	30.09.2019	500.00	INE483A08023	CRISILAA-/ICRA AA-
Basel III Complaint Sr V	20.03.2020	500.00	INE483A08031	CRISILAA- /IND AA-
Basel III Complaint Sr VI	30.08.2023	1500.00	INE483A08049	CRISILAA-/ICRA AA-
Total		3000.00		

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2023-24 to the Stock Exchange.

**Market Price Data:**

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

Month	NSE			NSE Nifty	
	High Price	Low Price	No. of Shares	High	Low
	(₹)	(₹)			
April 2023	30.45	23.95	176572740	43302.05	40535.90
May 2023	31.20	25.95	44114644	44498.60	42582.20
June 2023	29.80	26.55	144946194	44787.10	43345.95
July 2023	32.65	29.75	152020532	46369.50	44547.80
August 2023	36.35	29.80	258252602	45782.75	43600.35
September 2023	56.00	45.15	996483113	46310.40	43830.75
October 2023	49.80	40.85	283522637	44710.55	42105.40
November 2023	47.75	43.80	103575962	44764.80	42589.65
December 2023	53.00	46.20	274501476	48636.45	44531.75
January 2024	54.35	49.25	320542087	48450.00	44429.00
February 2024	76.90	58.30	755646764	47363.40	44633.85
March 2024	61.65	55.80	128903280	48161.25	45828.80

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

Month	BSE			SENSEX	
	High Price	Low Price	No. of Shares	High	Low
	(₹)	(₹)			
April 2023	30.40	23.94	21155489	61209.46	58793.08
May 2023	31.21	25.92	116098765	63036.12	61002.17
June 2023	29.74	26.53	14770423	64768.58	62359.14
July 2023	32.59	29.75	12871096	67619.17	64836.16
August 2023	36.35	29.80	24383786	66658.12	64732.57
September 2023	55.33	45.21	48019631	67927.23	64818.37
October 2023	49.75	40.84	22978762	66592.16	63092.98
November 2023	47.74	43.57	6885268	67069.89	63815.35
December 2023	53.00	46.20	27475007	72484.34	67149.07
January 2024	54.34	49.29	21219981	73427.59	70001.60
February 2024	76.85	58.36	57303173	73413.93	70809.84
March 2024	61.65	55.80	9604030	74245.17	71674.42

14. Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Registrar and Transfer Agent for Equity Shares:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai – 400 083
Tel: 022-4918 6270
Fax: 022-4918 6060
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in



Registrar and Transfer Agent for listed non-convertible Debt securities:

MCS Share Transfer Agent Ltd
Office No. 3B3, 3rd Floor, B Wing
Gundecha Onclave Premises Co-op Soc. Ltd.
Kherani Road, Sakinaka,
Andheri (East), Mumbai – 400 072
Tel: 022 – 2851 6021
Email Id: helpdeskmm@mcsregistrars.com

Debenture Trustee for listed non-convertible Debt securities:

IDBI Trusteeship Services Limited
Universal Insurance Building,
Ground Floor, Sir P.M. Road, Fort,
Mumbai – 400 001
Tel : 022-4080 7000
Fax :022-66311776
E-mail ID: itsl@idbitrustee.com

Address for correspondence with the Bank:

Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India,
9th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel: 022- 6638 7575/7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: agmcompsec@centralbank.co.in;
investors@centralbank.co.in

15. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

i) Distribution of shareholdings as on 31.03.2024 (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.)

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	562867	85.9385	56501298	0.6509
501-1000	43574	6.653	36417590	0.4195
1001-2000	22420	3.4232	34786095	0.4007
2001-3000	8353	1.2754	21847948	0.2517
3001-4000	4003	0.6112	14426657	0.1662
4001-5000	4109	0.6274	19798183	0.2281
5001-10000	6324	0.9656	46543797	0.5362
10001 and above	3313	0.5059	8450617864	97.3468
Total	654963	100	8680939432	100



ii) **Share Holding of persons belonging to the category “Public” and holding more than 1% of the total number of shares**

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY “PUBLIC” AND HOLDING MORE THAN 3% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES

Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	227021558	2.6152

iii) **Share Holding of persons belonging to the category “Public” and holding more than 1% of the total number of shares**

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY “PUBLIC” AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES

Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Nil	Nil	Nil

iv) **Shareholding pattern as on 31.03.2024**

Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government (President Of India)	8080391687	0	1	0	8080391687	93.0820
Public	311755189	34195	644509	82	311739384	3.5902
Life Insurance Corporation (Insurance Companies)	227022227	0	3	0	227022227	2.6158
Other Bodies Corporate	14322746	90	860	1	14322836	0.1650
Hindu Undivided Family	10105733	0	6378	0	10105733	0.1164
G I C & Its Subsidiaries	6531875	0	4	0	6531875	0.0752
Non Resident Indians	3164541	121600	1646	1	3286141	0.0379
Clearing Members	19641	0	19	0	19641	0.0002
Mutual Funds	9509780	0	21	0	9509780	0.1095
Non Resident (Non Repatriable)	2007287	0	1320	0	2007287	0.0231
Body Corporate - Ltd Liability Partnership	883962	0	56	0	883962	0.0102
Trusts	162296	0	18	0	162296	0.0019
NBFCs registered with RBI	158269	0	5	0	158269	0.0018
Nationalised Banks	32876	0	2	0	32876	0.0004
Non Nationalised Banks	20517	0	4	0	20517	0.0002
FPI (Corporate)	14652485	0	31	0	14652485	0.1688
Foreign Inst Investor	41736	0	1	0	41736	0.0005
Government Companies	700	0	1	0	700	0.00
TOTAL :	8680783547	155885	654879	84	8680939432	100

v) **Statement showing details of locked-in shares**

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
1.	President Of India	2805376972	34.72
2.	Public	0	0
	Total	2805376972	34.72



vi) Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

vii) Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

viii) Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.) as on 31.03.2024 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	84	155885	0.01%
NSDL	162693	403544516	4.66%
CDSL	492186	8277239031	95.33%
Total	654963	8680939432	100.00%

ix) Dematerialization of physical holdings – a special request

We request the shareholders to demat their physical holding. For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participants, where they maintain demat accounts. Benefits of dematerialization are as follows:

- Hassle free transfer
- No threat of loss of share certificate
- Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits
- Nomination facility
- Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support the green initiatives.

Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 as amended in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA



S.No	Form	Purpose
1.	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2.	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3.	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4.	Form SH-13	Nomination Form
5.	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section. Folios wherein any one of the cited details / documents (i.e. PAN, KYC, Bank Details and Nomination) are not available with us, on or after 1st October 2023, shall be frozen as per the aforesaid SEBI circular

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address at the earliest

• **Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination.**

- a) The folios wherein any one of the cited document/details as in para above are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA
- b) The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible:
 - ✓ to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in para above
 - ✓ for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Bank to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 4 of this Circular
- c) Frozen folios shall be referred by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/ or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025
- d) The RTA shall revert the frozen folios to normal status upon receipt of all the Documents/details as in para above.

Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialized form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

x) **Shares in Unclaimed Suspense Account:**

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2024 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	233	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	233	32,853



Note – Voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares. Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2023-24.

Place : Mumbai
Date : 28th May, 2024

Sd/-
[M V Rao]
Managing Director and Chief Executive Officer

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members,
Central Bank of India

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Central Bank of India ("the Bank"), for the year ended on March 31, 2024 as stipulated in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations).

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination has been limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

We have examined the relevant records and documents maintained by the Bank for the purposes of providing reasonable assurance on the compliance with corporate governance requirements by the Bank.

Based on our examination of the relevant records and according to the information and explanations provided to us and the representations provided by the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C, D and E of Schedule V of the Listing Regulations during the year ended March 31, 2024 with the following observations:

1. Number of Independent Directors were less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI (LODR) Regulations, 2015.
2. There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI (LODR) Regulations, 2015.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

**For SG & Associates
Practicing Company Secretaries**

Suhas Ganpule

Proprietor

Membership No: 12122

C. P. No: 5722

UDIN:A012122F000470239

Place: Mumbai

Date: 28th May, 2024



CERTIFICATE UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

- a. We have reviewed Financial Statements of Central Bank of India for the Quarter and Year ended March 31, 2024 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These Statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - II. These Statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the Quarter and Year ended March 31, 2024, which is fraudulent, illegal or volatile of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of

such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

- d. We have indicated to the Auditors and the Audit committee:
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the Quarter and Year ended March 31, 2024.
 - II. There is no significant changes in accounting policies during the Quarter and Year ended March 31, 2024 and the same have been disclosed in the notes to the financial statement and,
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or any employee having a significant role in the Bank's Internal Control System over financial reporting.

(MUKUL N. DANDIGE)
GENERAL MANAGER –
F&A & CFO

(M V RAO)
MANAGING DIRECTOR
& CEO

Place : Mumbai
Date : 30th April, 2024

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT 2023-24

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Entity	Central Bank of India
3. Year of Incorporation	1911
4. Registered office address	Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai – 400 021
5. Corporate office address	Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai – 400 021
6. E-mail id	investors@centralbank.co.in
7. Telephone	+91 22 6638 7777
8. Website	www.centralbankofindia.co.in
9. Financial year for which reporting is being done	2023-24
10. Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	Equity Shares are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
11. Paid-up capital	₹ 8680.94 crore
12. Name and contact details of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Poppy Sharma General Manager Phone No. +91 22 6638 7880 E-mail id – gmhrd@centralbank.co.in
13. Reporting boundary	Disclosures made in this report are on a standalone basis and pertains to Central Bank of India

II. Products/Services

14. Details of business activities

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover
1.	Financial and Insurance Service	Banking Activities by Central, Commercial Bank	100

15. Products/services sold by the entity

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total turnover contributed
1.	Financial Services – Monetary Intermediation of commercial banks, saving banks, postal saving banks and discount houses (Central Bank of India is engaged in providing a wide range of Banking and financial services including retail banking, corporate banking and treasury operations)	64191	100

III. Operations -

16. Number of locations where plants and/or operations/Offices of the entity are situated

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	Not Applicable*	20266	20266
International		Nil	Nil

*The entity is Bank and hence does not undertake any manufacturing activity.

**includes branches, ATMs, BC outlets (4500+4084+11682).



17. Markets served by the entity

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States and UTs)	Pan-India
International (No. of countries)	Nil

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Not applicable

c. A brief on types of customers -

Bank offers various types of Banking products and services to its diverse group customers under Retail, Agriculture, MSME, Corporate and Wholesale Banking Segments. Our Bank deals with customers who are associated with Bank in any arrangement like Depositor, Borrower, Service provider, Government Service Provider, etc.,

IV. Employees

18. Details as the end of Financial Year 2023-24 -

a. Employees (including differently abled):-

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	31610	23256	73.57	8354	26.43
2.	Other than Permanent (E)	00	00	00	00	00
3.	Total employees (D + E)	31610	23256	73.57	8354	26.43

b. Differently abled Employees:-

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	870	682	78.39	188	21.61
2.	Other than Permanent (E)	00	00	00	00	00
3.	Total differently abled employees (D + E)	870	682	78.39	188	21.61

19. Participation/inclusion/representation of women –

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B/A)
Board of Directors	9	1	11.11%
Key Management Personnel	11	1	9.09%

20. Turnover rate for permanent employees –

	FY 2022			FY 2023			FY 2024		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	2.4%	2.5%	2.5%	1.4%	0.68%	1.04%	0.71%	2.03%	1.37%



V. Holding, subsidiary and associate companies (including joint ventures)

21. (a) As at March 31, 2024

S. No.	Name (A)	Subsidiary/ Associates	% of shares held	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the Bank? (Yes/No)
1.	Cent Bank Home Finance Limited	Subsidiary	64.40	No
2.	Centbank Financial Services Limited	Subsidiary	100.00	No
3.	Uttar Bihar Gramin Bank	Associates	35.00	No
4.	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank	Associates	35.00	No
5.	Indo Zambia Bank Limited	Joint Venture	20.00	No

VI. CSR Details

22. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013 : No

(ii) Turnover (Total Income) (in ₹) : ₹35434 crore

(iii) Net worth (in ₹) : ₹28053.33 crore

(iv) Total amount spent on CSR for FY24 - ₹8.31crs

VII. Transparency and Disclosures Compliances

23. Complaints/grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC)

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanisms in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	Financial Year 2023-24			Financial Year 2022-23		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes https://www.centralbankofindia.co.in/en	-	-	-	-	-	-
Investors (other than shareholders)	Yes https://www.centralbankofindia.co.in/en/investor-relations	-	-	-	-	-	-
Shareholders	Yes https://www.centralbankofindia.co.in/en/investor-relations	0	0	NA	3	0	NA
Employees	Yes https://www.centralbankofindia.co.in/en	138	10	NA	241	196	NA
Value Chain Partners	Yes https://www.centralbankofindia.co.in/en	-	-	-	-	-	-
Others including customers (Bank Portal +ATM+CPGRAMS+INGRAMS+MSME+RETAIL)	Yes https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/2024-04/CUSTOMER-GRIEVANCES-POLICY.pdf	123195	2990	-	146352	2116	-

Existing Toll Free Numbers are surrendered and New Toll Free Number is 1800 3030



24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues:-

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1.	Tie-up with Fintech companies for delivering financial services.	Opportunity	Fintech is enabling and empowering the next generation of consumers who are highly tech-savvy and have greater financial literacy but had a paucity of time. These customers can avail the services on the go. With the enablers like the use of Artificial intelligence for credit decisions based on algorithms, APIs for e-documentation, and system integrations any bank can excel and deliver the desired services and can enhance its asset/liabilities portfolios.	Though the activity has inherent risks, however with appropriate risk mitigates in place, the risk can be reduced substantially.	The adoption of newer technology will help any bank to provide financial services across the ecosystem even without having a brick and mortar structure more swiftly and enhance its asset/liability portfolio.
2.	Sustainable Development Goals -"Green Fixed Deposits"	Opportunity	Green Deposits will help enhance Central Bank of India's participation in projects directly supporting United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) and empower our depositors to opt for financial products that have a positive impact on the environment, and the society at large.	Green deposit is offered at special rates which are above other fixed deposit rates.	Positive: Safeguarding our environment from climate change is the need of the hour. Hence there is immense scope to increase green deposits in the country.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



3. Green Financing	Opportunity	<p>The government often employs SDGs as a framework to achieve a more sustainable future for all and companies are increasingly setting the corporate target to align with those SDGs.</p> <p>Encourage dealers to sell more electric vehicles by providing incentives to dealers and sales executives.</p> <p>Charging lower interest rates on electrical vehicle loans than fossil fuel vehicle loans to attract more customers.</p>	<p>Access to a diversified pool of green finance like water management, waste management, affordable green housing, green vehicle financing, etc.</p>	<p>Positive:</p> <p>Immense scope to build a larger green Portfolio.</p>
---------------------------	--------------------	---	--	--

SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

The National Guidelines for Responsible Business Conduct (NGRBC) as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs advocates nine principles referred as P1-P9 as given below:

P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders
P5	Businesses should respect and promote human rights
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment
P7	Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
c. Web Link of the Policies, if available	<p>https://www.centralbankofindia.co.in/</p> <p>Some policies may also include a combination of internal policies of the Bank which are accessible to all internal stakeholders and policies placed on the Bank's website.</p>								



Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes/No)	Yes. The Bank has translated the policies as applicable and adapted the same into procedures and practices in all spheres of activities that the Bank undertakes.								
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Yes. The Bank's Code of Conduct largely adopts the above-mentioned principles and the Bank expects its stakeholders to adhere to the same in all their dealings.								
4. Name of the national and international codes/certifications/labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Not Applicable.								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	No any specific target is being set under the aforesaid policies. However, compliance with these principle/s is our commitment and goal.								
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	Not Applicable.								
Governance, leadership and oversight									
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (<i>listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure</i>)	<p>The Bank aims to enhance financial inclusion in the country. The Bank's commitment to ESG standards is best reflected in its core principles, which are ingrained in all aspects of its operations. Kindness, fairness, efficacy, and efficiency are the foundation ideals of the Bank. Sound governance standards, according to the Bank, are a key instrument for creating long-term value for all of its stakeholders and promoting sustainability. One of the Bank's fundamental and core values is respect for human rights. Climate change is not only an environmental issue, but also a business risk, according to the Bank. In its lending policies, the Bank is boosting its due diligence on social and environmental impact.</p>								
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Shri M V Murali Krishna, Executive Director								
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes, All committees look after the sustainability related issues as per their agenda specific requirement.								
10. Details of Review of NGRBCs by the Bank	<p>Subject for Review</p> <p>Review of principles undertaken by and frequency</p>								
Performance against above policies and follow up action	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
	As a practice, BR policies of the Bank are reviewed periodically or on a need basis by department heads and competent authority. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes to policies and procedures are implemented.								
Compliance With statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.								
11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	Assessment/ Evaluation of policies of Bank is carried out through Internal process and external advise is also obtained, wherever required. The Policies of Bank are reviewed by Compliance and Risk Management Department on regular basis. All Policies are reviewed and approved by Sub committees of Board and Board of Directors on annual basis.								
12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:	Not Applicable								



SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:			
Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/principles covered under the training and the impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	6	<ul style="list-style-type: none"> It & Cyber Security Training Directors Development Programme Conferences 	66.67%
Key Managerial Personnel	11	Trainings/Conferences related to various functional areas as well as Leadership Development Program	84.62%
Employees other than BoD and KMPs	1847	Trainings related to various functional areas as well as Behavioural aspects	91.83%

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format.

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Preferred (Yes/No)
Penalty/Fine Settlement Compounding fee	Penalty/Fine/Settlement/Compounding fee, if any paid by the Bank is not material as per the Materiality policy of the Bank. Necessary disclosures in this regard is submitted to Stock exchanges and same are also hosted on Bank's website.				
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/judicial institutions	Brief of the Case	Has as appeal been preferred? (Yes/No)	
Imprisonment	Nil	Nil	Nil	Nil	
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non- monetary action has been appealed.

Case Details	Name of the regulatory/enforcement agencies/ judicial institutions
Nil	Nil

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes. There is a whistle blower policy and the same is available on Bank's internal portal.

The Policy provides a secure and confidential platform to report any act of malpractices, frauds, negligence, misappropriation, abuse of authority etc. Besides this Bank has Policy on code of ethics, business conduct and conflict of Interest.

Our Whistleblower Policy is an extension of Banks Code of Conduct formulated with an aim to promote good Corporate Governance, instill faith and make the employees feel empowered about their decision to blow the



whistle in order to voice their concerns in case of unethical behaviour and/or actual or suspected fraud and/or misconduct and/or violation of Bank's Code of Conduct, without fair of reprisal.

The details regarding whistleblower policy can be accessed online via link https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Whistle_blower_policy_1.pdf

The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations. We also have a comprehensive policy on Code of Ethics, Business Conduct & Conflict of Interest.

The Code of Ethics, Business Conduct and Conflict of Interest Policy can be accessed online via link <https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX I CODE OF ETHICS BUSINESS CONDUCT CONFLICT OF INTEREST.pdf>

Bank has also introduced a scheme of Rewarding employees who reports information on any potential fraud/ Malpractices etc. the details of the scheme is also widely published at Bank's dedicated staff only portal.

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	Financial Year 2023-24	Financial Year 2022-23
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	14*	11*
Workers	NIL	NIL

* Total CBI cases received for prosecution permission (either sanctioned or declined from Bank level)

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	Financial Year 2023-24		Financial Year 2022-23	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	-	Nil	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	-	Nil	-

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Nil

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total number of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
Nil	Nil	Nil

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If Yes, provide details of the same.

The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations. We also have a comprehensive policy on Code of Ethics, Business Conduct & Conflict of Interest.

The policy can be accessed online via

<https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX I CODE OF ETHICS BUSINESS CONDUCT CONFLICT OF INTEREST.pdf>



PRINCIPLE 2 Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

- Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

Not Applicable

Given the nature of business of the Bank, the relevance of the above is largely restricted to information technology (IT) capex. In FY24, Capex incurred towards IT hardware and software, which facilitated the enhanced digital initiatives of the Bank was 1.68% of total revenue. Greater adoption of digital platforms not only brings in increased efficiencies of operations but also ensures substantially reduced consumption of paper.

	Current Financial Year	Previous Financial Year	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	NA	NA	NA
Capex	NA	NA	NA

- Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? **Yes**
 - If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

All Purchases are made from registered /licensed vendors.

- Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste. – **Not Applicable**
- Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.- **Not Applicable**

Leadership Indicators

- Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)?

No

If yes, provide details in the following format?

NIC Code	Name of Product/Service	% of total Turnvoer contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
----------	-------------------------	---------------------------------	--	---	--

Not Applicable

- If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same. – **Not Applicable**
- Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry). - **Not Applicable**
- Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format: **Not Applicable**
- Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category - **Not Applicable**



PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

Category	% of employees covered by										
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
	Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)	
Permanent employees											
Male	23256	23256	100	23256	100	0	0	23256	100	00	00
Female	8354	8354	100	8354	100	8354	100	0	0	00	00
Total	31610	31610	100	31610	100	8354	100	23256	100	00	00

b. Details of measures for the well-being of workers: **Not Applicable**

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2023-24 Current Financial Year			FY 2022-23 Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF	8246 (26.13%)	N.A.	Y	9782 (31.79%)	N.A.	Y
Gratuity	31556 (100%)	N.A.	N.A.	30774 (100%)	N.A.	N.A.
ESI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pension	8190 (25.95%)	N.A.	N.A.	9700 (31.52%)	N.A.	N.A.
NPS	23310 (73.87%)		Y	20992 (68.21%)		Y

3. Accessibility of workplaces

Are the premises/offices of the entity accessible to differently-abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Various branches/offices of our Bank have ramps/lifts for easy movement of differently-abled people. Most of our branches/ offices are located either on the ground floor or have elevators and infrastructure for differently-abled individuals.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web link to the policy.

Yes, in keeping with the provisions of the Rights of Person with Disabilities Act 2016, our Bank has formulated an "Equal Opportunity Policy" which bestows special attention to the differently-abled persons and aims at creating employment opportunities for people with disabilities and also creating for them a conducive working environment free from any kind of discrimination.

The Equal Opportunity Policy of Central Bank of India is applicable to all the differently-abled employees of the Bank without any discrimination, on the grounds of age, colour, marital status, physical ability, nationality, race, religion, sex, sexual orientation, or any other relevant for the purpose.

The policy can be accessed online through the following link

https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/CBoI_Equal_Opportunity_Policy.pdf



5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	99.64%		
Female	100%	99.29%	Not Applicable	
Total	100%	99.46%		

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	N.A
Other than Permanent Workers	N.A
Permanent Employees	Yes (Bank has a well-defined and structured Grievance Redressal Mechanism in place for all its Employees)
Other than Permanent Employees	N.A

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity

Category	FY 2023-24 Current Financial Year			FY 2022-23 Previous Financial Year		
	Total Employees/workers in respective category (A)	No. of Employees/workers in respective category who are part of association(s) or union. (B)	% (B / A)	Total Employees/workers in respective category (C)	No. of Employees/workers in respective category who are part of association(s) or union. (D)	% (D / C)
Total Permanent Employees	31610	27224	86.12	30770	27662	89.89
- Male	23256	20349	87.50	23022	20655	89.71
- Female	8354	7375	88.28	7748	7007	90.43

8. Details of training given to employees and workers :

Category	Financial Year 2023-24					Financial Year 2022-23				
	Total (A)	On Health and safety measures		On skill upgradation		Total (A)	On Health and safety measures		On skill upgradation	
		No. (B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)		No.(B)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)
Male	23256	23256	100%	21273	91.47%	23022	5030	21.84%	19938	86.60%
Female	8354	8354	100%	7754	92.82%	7748	2305	29.74%	6756	87.19%
Total	31610	31610	100%	29027	91.83%	30770	7335	23.83%	26694	86.75%

Training & Awareness Programs on Health & safety Measures have been conducted through “Weekly Staff Meeting” Agendas and “Information on the Run” topics covering all the staff Members.



9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Performance of all the Officers employees are assessed through Performance Management System after the close of FY

Category	FY (2023-24)			PY (2022-23)		
	Total (A)*	No. (B)	% (B / A)	Total (C)*	No. (D)	% (D / C)
Employees						
Male	23256	19156	82.37	23022	17258	74.96%
Female	8354	7669	91.80	7748	6470	83.51%
Other	0	0	0.00	0	0	0.00
Total	31610	26825	84.86	30770	23728	77.11
Workers						
Male	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

* Above data is in respect of Officers & Clerks Employees only as PMS is applicable to Officers & Clerks Employees in Our Bank. For FY 2023-24 PMS has been launched.

** Performance Appraisal process is underway, shall be finalized in due course.

10. Health and safety management system:

- a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

There are no occupational health and safety risks owing to the nature of the business. However, Bank has adopted certain safety measures with respect to fire incident. Bank conducts training program on fire safety incident such as evacuation drills, use of fire extinguishers/ fire fighting equipment's. Bank has appointed first aid marshals at offices and training have been imparted to them so that they can act in case of medical emergencies / incident. Marshals have been provided with safety kit and first aid medical kit.

- b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Given the nature of business, this is not directly applicable.

- c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

Given the nature of business, this is not directly applicable.

- d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

All Employees are provided with Facility of 24x7 unlimited Tele-medical consultancy services. All Employees of Bank are covered under Group Health Insurance policy as envisaged by IBA. Expenses incurred over and above the sum insured are also covered under Corporate Buffer subject to availability and its terms & conditions.

11. Details of safety related incidents, in the following format

Safety Incident/Number	Category	FY 2023-24	FY 2022-23
		Current Financial Year	Previous Financial Year
Lost Time Injury Frequencies Rate (LTIFR) (per one million - person hours worked)	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

- I. All Employees are provided with Facility of 24x7 unlimited Tele-medical consultancy services.
- II. All Employees are provided with confidential Counseling service from profession counselors under Employee Assistance Program to extend mental support and guidance to overcome daily life challenge.
- III. All Employees of Bank are covered under the Group Health Insurance policy as envisaged by IBA. In case the limit is exhausted, there is also a facility of Corporate Buffer as defined under the provisions of the 10th Bipartite Settlement.
- IV. In case of injuries sustained while on duty, all other expenses not covered under Medical Insurance Scheme are borne by the bank. Special Leave is also provided to such employees during the period of hospitalization.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	Financial Year 2023-24			Financial Year 2022-23		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Health & Safety	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

14. Assessments for the year:

No such incident of visits by any officials has been reported by any RO/ZO.

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Nil
Working Conditions	Nil

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Safety related to Fire drills, evacuation safety, branch security etc are carried out by training provided for the same.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of
 - (A) Employees (Y/N) - Yes. The Bank offers an ex-gratia amount of ₹ 40000/- as funeral expenses to the family of the deceased immediately upon intimation of death. In addition, Bank may offer the compassionate appointment to the spouse/dependent of the deceased employee as per terms & conditions of the Banks Compassionate Appointment Policy. Terminal Benefits like provident fund, gratuity, PL encashment etc. are settled on a priority basis. The Bank assists the family in exercising such options.
 - (B) Workers (Y/N). – **Not Applicable**
2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

Not Applicable
3. Provide the number of employees/workers having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment.

Data related to ill-health/ injury is not maintained since any expenses arising out of the same are being settled under Group Health Insurance Scheme.



	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	Financial Year 2023-24	Financial Year 2022-23	Financial Year 2023-24	Financial Year 2022-23
Employees	Nil	Nil	Nil	Nil
Workers	NA	NA	NA	NA

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? - **Yes, Pre-Retirement training program are arranged and conducted for all retiring employees for managing their post-employment life.**

5. Details on assessment of value chain partners:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Nil
Working Conditions	Nil

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners. **Not Applicable**

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

- Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.
There is not any specific process for identifying such groups, however, those who are availing our banking product or services including employee and shareholders are considered as stakeholder.
- List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Employees	No	Email, SMS, Staff meetings/ conference, Intranet portal.	Frequent and need based	Employer Employee engagement, feedback of employees, Road map to achieve business goals, vision and mission of Bank, Performance appraisal, Resolving grievances
Shareholders	No	Email, SMS, newspaper advertisement, notice board, website, Annual General Meetings, intimation to stock exchanges, annual/ quarterly financials and investors meetings/ conferences	Frequent and need based	Dissemination of financial progress and other key developments of Bank to Shareholders.
Customers	No	Letter, Email, SMS, Meetings, Website, Outreach customer programme, Social Media	Frequent and need based	Maintaining Bank Customer relationship, Offering Better banking products and services to customers, Resolving grievances, if any.
Channel Partners and Key Partners	NA	NA	NA	NA



Reserve Bank of India	No	Letter, Email, Meetings	Engagement through Letters, Emails are on regular basis. Meetings are conducted on Monthly/ Bi-monthly/ Quarterly basis or as and when required.	<ul style="list-style-type: none"> • Performance of the Bank. • Risk and Compliance issues and measures taken for its mitigation.
Government of India	No	Letter, Email, Meetings	Engagement through Letters, Emails are on regular basis. Meetings are conducted as and when required.	<ul style="list-style-type: none"> • Performance of the Bank. • Compliance of Regulatory/ Statutory guidelines.
Communities and NGOs	NA	Letter, Email, Meetings, Advertisements, Website, Social Media	Frequent and need based	Supporting the society at large by making donations, providing financial aid to calamity affected people, training program for self-help Groups SHG.

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

Consultation between Stakeholders and the Bank on various economic and other aspects is through various Board/ Sub committee meetings.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Inputs and suggestions of shareholders are being incorporated into the policies and activities wherever considered feasible.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

Bank being Scheduled Commercial Bank is regulated by guidelines of Reserve Bank of India and Government of India. Bank offers Banking products and services to its customers, marginal weaker section/ Vulnerable stakeholders groups in line with priority sector lending norms. Bank also conducts campaign for providing financial inclusion products and services to its customers

PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2023-24 Current Financial Year			FY 2022-23 Previous Financial Year		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	%(D/C)
Employees						
Permanent	31610	31610	100%	30770	3880	12.60%
Other than permanent	0	0	0	0	0	0
Total Employees	31610	31610	100%	30770	3880	12.60%



Workers						
Permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Other than permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Total Workers	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

* Training & Awareness Programs on Human Rights Issues (Viz. PoSH etc) have been conducted through "Weekly Staff Meeting" Agenda and "Information on the run" topic covering all the staff Members.

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 2023-24 Current Financial Year			FY 2022-23 Previous Financial Year		
	Total (A)	No. of employees/workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. of employees/workers covered (D)	%(D/C)
Employees						
Permanent	31610	31610	100%	30770	30770	100%
Male	23256	23256	100%	23022	23022	100%
Female	8354	8354	100%	7748	7748	100%
Other than permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Male	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Female	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3. Details of remuneration/salary/wages, in the following format:

	Male		Female	
	Number	Median remuneration/salary/ wages of respective category	Number	Median remuneration/salary/ wages of respective category
Board of Directors (BoD) (Excluding sitting fees of non-official and shareholder directors)	4	308448	Nil	Nil
Key Managerial Personnel	10	280819.29	1	278877.47
Employees other than BoD and KMP	23247	98429.48	8353	87797.52

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? **No**

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights Issues.

The Bank is committed to conducting business and dealing with all its stakeholders and staff with the highest ethical standards and in compliance with all applicable regulations. We ensure to maintain a healthy and safe environment for our workforce irrespective of their caste, Gender, Work, designation etc. Representations received on the platform of Human rights are dealt with fairly and transparently at the Regional and Zonal level.

Bank has constituted a Board for review and assessment of all representation received on a quarterly basis. Bank has also policy on code of ethics, Business conduct, and conflict of Interest and has "Zero tolerance" for any deviation in the provision of the said policy

Bank has laid down a grievance redressal mechanism for employees to report their concern and secure rightful resolution thereof at faster turnaround time.



6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2023-24 Current Financial Year			FY 2022-23 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	3	0	0	5	1	Pending Compliant disposed on 20.04.2023
Discrimination at workplace	0	0	0	0	0	0
Child Labour	0	0	0	0	0	0
Wages	0	0	0	0	0	0
Other human						
Rights related issues	0	0	0	0	0	0

7. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Committee has been constituted at all Regional offices and Zonal offices under the provisions of POSH Act, 2013. Policy is made widely available at bank's website and dedicated staff only portal to keep employees informed of the provisions of the act and severe consequence in violation thereof. Bank Also conducts training and workshop to make employees aware of the PoSH Act.

8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? **Yes**

9. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Nil
Forced/involuntary labour	Nil
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.

No complaints have been received under human rights grievances/complaints.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

The Bank endeavors to maintain a safe environment along with providing equal opportunity to all the staff members. Issues related to discrimination based on sex, gender, nationality, religion, disability, language etc. are subject to free and neutral scrutiny based on the nature of the issue as per provisioning of the Bank's Policy and regulatory stipulations the same is being resolved as per applicable policy, laws, and regulations

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently-abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

Various branches/offices of our Bank, have ramps/lifts for easy movement of differently-abled people. Most of our branches/ offices are located either on the ground floor or have elevators and infrastructure for differently-abled individuals.



4. Details on assessment of value chain partners:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Nil
Forced/involuntary labour	Nil
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above. **Not Applicable**

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	FY 2023-24	FY 2022-23
	Current Financial Year	Previous Financial Year
Total electricity consumption (A)	702.00 lakh kwh	627.03 lakh kwh
Total fuel consumption (B)	NIL	NIL
Energy consumption through other sources (C)	NIL	NIL
Total energy consumption (A+B+C)	702.00 lakh kwh	627.03 lakh kwh
Energy intensity per rupee of turnover (Total electricity consumption / turnover in rupees)	N/A	N/A

Note: - Bank is taking its best efforts to reduce the electricity consumption as a part of ESG Initiative. Further, Bank has also installed solar equipment of few of its Branches/Regions/Zonal offices to consume power generated by green channels and to reduce use of power generated by connected channels.

- Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any. **No**
- Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:
The Bank's usage of water is restricted to human consumption purposes only. Efforts have been made to ensure that water is consumed judiciously in the office premises. The Corporation ensures that the domestic waste (sewage) from office and branches are not let into water bodies.
- Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.
No
- Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format: **Not Applicable**
- Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format: **Not Applicable**
- Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details. **Not Applicable**



8. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 2023-24 Current Financial Year	FY 2022-23 Previous Financial Year
Total Waste generated		
Plastic waste (A)	*	*
E-waste (B)(₹ In lakh)**	9.00	5.45
Bio-medical waste (C)	Not Applicable	Not Applicable
Construction and Demolition waste (D)		
Battery waste (E)		
Radioactive waste (F)		
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)		
Other Non-hazardous Waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)		
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)	9.00	5.45

*Wastes are disposed off through authorized re-sellers.

** Weight wise data not available.

9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Wastes are disposed off through authorized re-sellers as per guidelines. Equipment used are compliant to latest guidelines. No usage of hazardous and toxic chemicals in our products.

10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format: Not Applicable

11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year: **Not Applicable**

12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format: **Yes**

Leadership Indicators

1. Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format:

Parameter	FY 2023-24 Current Financial Year	FY 2022-23 Previous Financial Year
From renewable sources		
Total electricity consumption (A)	Nil	Nil
Total fuel consumption (B)	Nil	Nil
Energy consumption through other sources (C)	Nil	Nil
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	Nil	Nil
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D)	Nil	Nil
Total fuel consumption (E)	Nil	Nil
Energy consumption through other sources (F)	Nil	Nil
Total energy consumed from renewable sources (D+E+F)	Nil	Nil



2. Provide the following details related to water discharged: Not Applicable

Parameter	FY 2023-24 Current Financial Year	FY 2022-23 Previous Financial Year
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Surface water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) Third party water		
- No treatment	Not Applicable	Not Applicable
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Seawater / desalinated water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

3. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres): **Not Applicable**

4. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format: **Not Applicable**

5. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities. **Not Applicable**

6. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives: **Not Applicable**

7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

Yes, Our Bank has a Board approved BCP/ DR policy and it is circulated to all concerned for implementation. Each Department has identified its critical business functions and had a plan of action for resumption & recovery of critical Business processes in case of any eventuality/ disaster. The DR drills are being conducted by respective Departments for ensuring the robustness of the DR arrangements. Each branch has identified & linked to two nearby branches and are mapped by ROs to ensure the immediate start of all business activity of the Branch affected vide Circular no. 2986 dated 04.02.2022. The DR Drills are being carried out at periodic intervals for ensuring robust working of critical systems. The result of the DR drills is recorded & is being shared to respective verticals to take appropriate remedial /recovery measures.

8. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?

No Adverse impact on the environment.

9. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts. **Not Applicable**



PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations. - 10
- b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body the entity is a member of/ affiliated to.

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Indian Banks Association (IBA)	National
2	Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	National
3	Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)	National
4	National Institute of Bank Management (NIBM)	National
5	National Payment Corporation of India (NPCI)	National
6	International Chamber of Commerce (ICC)	National
7	Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)	National
8	Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)	National
9	Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)	National
10	Financial Services Institution Bureau	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
	Nil	

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
1.	KYC-AML Policy	Bank's	YES	ANNUAL	https://www.centralbankofindia.co.in/en
2.	Government Business Policy	Internal Policy	YES	ANNUAL	
3.	Cheque Collection Policy		YES	ANNUAL	
4.	Policy on Bank Deposits		YES	ANNUAL	
5.	Policy on Safe Deposit Locker		YES	ANNUAL	
6.	Record Maintenance Policy		YES	ANNUAL	
7.	Policy for settlement of claim of Deceased depositors and return of Articles in safe Deposit Lockers/ Safe Custody and Policy for Settlement of claims in respect of Missing Persons		YES	ANNUAL	
8.	Policy for Senior Citizens/ Disabled/ Incapacitated Account holders		YES	ANNUAL	
9.	Compensation Policy		YES	ANNUAL	
10.	Policy on Customer Grievances Redressal Mechanism		YES	ANNUAL	
11.	Customer Rights Policy		YES	ANNUAL	



PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year. **Not Applicable**
2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format: **Not Applicable**
3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.
Grievance redressing mechanism is in place as per policy.
4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:
No such data available.

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above): **No negative social impact reported.**
2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies: **Not applicable**
3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? **Yes**
(b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure? **Micro & Small Enterprises**
(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute? **No such data available**
4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge: **Not Available**
5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved. **Not Available**
6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

				Amt in Crs
S r no	Name	NGO / Institute	Purpose	Amount
1	Paralympic Committee of India (Diabled Sports)	Paralympic Committee of India	Asia Paralympic Games	2.00
2	Gujrat foundation for enterpreneurial excellence (GFEE) (I Create International centre for Entreprenurial and Technology)	Gujrat foundation for enterpreneurial excellence (GFEE)	Contribution to I create empowering the startup Ecosystem	1.00
3	SPARC School for potential Advancement and Restoration of Confidence India (Phyically Challenged) (NGO)	Scholl for potential advancement and restoration of confidence lucknow (NGO)	Supporting with Neurological Impairment Disability of Children/Persons	0.25
4	Sri Saraswathi Sisu Mandir a English Medium High School (Mordenization & Skill developement Centre)	Sri Saraswathi Sisu Mandir Vidya Peetham Anathapuram Samithi	Modenisation and skill development in SSSM High Scholl Triputi AP	0.25



S r no	Name	NGO / Institute	Purpose	Amount
5	New Pediatric Super Speciality Hospital Tirupati (Pranadana Trust)	Sri Padmavati Children's hospital Tirupati	Blood Bank equipment for the new pediatric super speciality hospital	1.00
6	Sahiithi Gagan Mahal Trust (Water Plant) (NGO)	Scholl and College of Sahiithi gagan Mahal Trust (NGO)	R O Plant	0.11
7	SLNSD Hyderabad (2 Battery Operated Vehicle)	Sri Laxmi Narshima Swamy Devasthanam Hyderabad	Two Battery operated vehicle 6 seater AP	0.13
8	Vijay Marie Hospital & Educational Society Hyderabad	Vijay Marie Hospital & Educational Society Hyderabad	Eco Vehicle	0.07
9	Modern High School Guwahati	Modern High School, Geeta Nagar, Guwahati	Infrastructure upgradation of Modern High School, Guwahati	0.01
10	NECBDC (Health Safety Kit to Bamboo Workers of North East) Guwahati	North East Cane and Bamboo Development Council	Health Safety Kits to 100-120 Bamboo Workers of North East Region, Guwahati	0.07
11	Socio Economic Research Institute Patliputra Bihar (HILNET LLIN Mosquito Net) (NGO)	Socio Economic Research Institute, New Delhi (NGO)	Public Health Care, Program initiative for prevention of Vector-Borne Diseases	0.05
12	Establishing a Chair Professor at IIM, Mumbai in our Banks Name	Indian Institute of Management, Mumbai	Chair Professor at IIM Mumbai	1.00
13	Bharat Yoga Mala, Kaivalyadhama Yoga	Yoga Mala, Kaivalyadhama Yoga at Four Centres	Yoga provided to health	0.10
14	Cardiac Ambulance Project for Pandit Dindaya Uppdehayay Shaikshanik Sewabhavi Sanstha, Nanded (M.S)	Pandit Dindayal Uppdehayay Shaikshanik Sewabhavi Sanstha, Nanded (M.S.)	Cardiac Ambulance Project.	0.41
15	Alok Charitable Trust Socio-Economic Transformation through Education and Health in Gangagarh Village, Bulandshahar U.P.	Education and Health in Gangagarh Village, Bulandshahar U.P.	Alok Charitable Trust	0.02
16	Healthcare Benefit Programme for Prevention of Vector-Borne Diseases (VBDs) at Alipurduar, West Bengal	Socio Economic Research Institute (SERI)	Vector-Borne Diseases (VBDs), Alipurduar, West Bengal	0.05
17	Sri Kanchi Kamakoti Peetam Charitable Trust	Sankaralayam, Chetpet, Chennai.	Educational activities both Traditional and Contemporary, Ayurveda Education and Ayurveda Hospital and Field of Healthcare in Contemporary Medicine	0.50
18	Attendants of Inpatients/ outpatients in old Government Hospital, Vijayawada (A.P)	Attendants of Inpatients/ outpatients in old Government Hospital, Vijayawada (A.P)	Attendants of Inpatients/ outpatients	0.02



S r no	Name	NGO / Institute	Purpose	Amount
19	R-Seti	Construction of R-SETI building at various locations (Ballia/Lucknow, Katihar/ Patna, Deogarh/Kolkata)	Impart training skills for productive employment	1.06
20	SPARC School for potential Advancement and Restoration of Confidence India (Phycically Challenged) (NGO)	Scholl for potential advancement and restoration of confidence lucknow (NGO)	Supporting with Neurological Impairment Disability of Children/Persons	0.20
Total				8.30

PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

- Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

Grievance Redressal Mechanism:

To meet the needs of the Bank, the Grievance Redressal Mechanism has been improved. At each level of the Grievance Redressal Mechanism, duties and responsibilities have been clearly recognised and defined. To speed up the grievance redressal process, mechanisms for resolving complaints and Standard Operating Procedures have been created at all levels.

Grievance Redressal Policy: -

This policy aims at minimizing instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanisms and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances. The review mechanism should help in identifying shortcomings in product features and service delivery.

Customer care details on the website:-

The Bank has updated call centers details, helpline numbers for internet banking, mobile banking, UPI and BHIM app, NEFT handling team, nodal officers for pension, Banking Ombudsman, Customer Service, and Grievance Redressal nodal officer at Regional Office and Zonal Office on its website.

Further complaints can be submitted through Central Bank of India customer login <https://www.centralbankofindia.co.in/ogrs/customerlogin> also customers can call on 18003030

- Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not Applicable
Safe and responsible usage	
Recycling and/or safe disposal	



3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2023-24 Current Financial Year			FY 2022-23 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Data privacy	-	-	-	-	-	-
Advertising	-	-	-	-	-	-
Cyber-security	-	-	-	-	-	-
Delivery of Essential services	-	-	-	-	-	-
Restrictive Trade Practices	-	-	-	-	-	-
Unfair Trade Practices	-	-	-	-	-	-
Other	123195	2990		146352	2116	

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues: **Not Applicable**
5. 5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, Since this is an internal document and not available on website.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

Corrective actions taken on issues relating to cyber security include:

- **2FA for digital transactions**
- **SMS to customers**
- **Alert Monitoring**

Leadership Indicators

1. Channels/platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).
- a) **website <https://centralbankofindia.co.in/en>,**
 - b) **Mobile Banking application in the name of “Cent Mobile” available at the play store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.CentralBank&pli=1>) and app store (<https://apps.apple.com/in/app/centmobile/id1053790727>),**
 - d) **Social media network over Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCAIZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ), X (https://x.com/centralbank_in), Facebook (<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>), LinkedIn (<https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia>) and Instagram (<https://www.instagram.com/centralbankofindiaofficial>)**
 - f) **Toll-free number 1800 30 30.**



2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

We are taking the following necessary steps for educating customers about the safe and responsible usage of Banks products and services:

- a) **Customers are informed about security tips via social media platforms such as Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, and X.**
 - b) **Other platforms, such as Internet Banking and Mobile Banking, are used to raise awareness.**
 - c) **Customers are receiving Security Awareness Messages through SMS from the Bank.**
 - d) **Bank customers receive Cyber Security Awareness Tips through SMS when they receive transactional SMS/OTP SMS.**
 - e) **For customer awareness, security awareness messages are displayed on ATM slips.**
 - f) **Various Security Awareness Standees are prominently presented.**
3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Customers are informed through SMS or mail about any disruption due to technical reasons.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? If yes, provide details in brief.

No

Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products/services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

Yes

5. Provide the following information relating to data breaches:

- a. **Number of instances of data breaches along-with impact** – No instance Reported yet
- b. **Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers** – Not Applicable



Dividend Distribution Policy of Bank

Bank has framed Dividend Distribution Policy and the same is available on Bank's website i.e

<https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Dividend%20Distribution%20Policy%202023-24.pdf>



KISHORE & KISHORE

Chartered Accountants
C-7, Sector E (New), Aliganj,
Lucknow- 226024 (U.P.)

A D B & COMPANY

Chartered Accountants,
First Floor, Mahavir Gaushala Complex
K.K. Road, Moudhapara,
Raipur – 492001 (C.G.)

A.R. & Co

Chartered Accountants
A-403, Gayatri Apartments
Airlines Group Housing Society Plot No 27,
Sector -10, Dwarka, New Delhi – 110075

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

**The Members of
Central Bank of India
Mumbai**

Report on Audit of the Standalone Financial Statements Opinion

- We have audited the accompanying standalone financial statements of Central Bank Of India ('the Bank'), which comprise the Standalone Balance Sheet as at 31st March 2024, the Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Head Office, 12 Zones and
 - 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us
 - 20 branches audited by us
 - 1356 branches audited by respective statutory branch auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement are the returns from 3124 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 27.74 per cent of advances, 47.37 per cent of deposits, 31.70 per cent of interest income and 44.95 per cent of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required for the Bank and are in conformity with

accounting principles generally accepted in India and:

- the Standalone Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2024;
- the Standalone Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- the Standalone Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements" section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matter

- We draw attention to:
 - Note no. 15 (f)(iv) of the Statement regarding deferred tax, wherein on the basis of tax review made by the Bank's management with respect to the possible tax benefits arising out of the timing



difference, the net deferred tax asset of ₹ 4,294.57 crore is recognised as on 31st March 2024 (₹ 5,798.90 crore as on 31st March 2023).

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our

be communicated in our report.

Key Audit Matters

1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances (refer Schedule 9 read with Note 3 of Schedule 17 to the standalone financial statements)

Advances comprise substantial portion of the Bank's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein.

Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provisions on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the standalone financial statements of the Bank.

professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended 31st March 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to

Auditors' response

Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.

In particular:

- We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
- We assessed and evaluated the process of identification of NPAs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- We have analyzed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.

In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have:

- timely recognized the depletion in the value of available security.
- made adequate provisioning based on such time-to-time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package.
- We placed reliance upon the Independent Auditor's Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.



Key Audit Matters

Auditors' response

2. Investments

Investment portfolio of the Bank comprises of investments in government securities, bonds, debentures, shares, security receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets.

Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 5 of Schedule 17 to the standalone financial statements)

The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc.

As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments.

Hence, the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/ depreciation related to Investments. In particular:

- We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non- Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.
- Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines.
- We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided.
- We assessed that the standalone financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Key Audit Matters

Auditors' response

3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process

The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions.

The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use.

The Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services.

Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the standalone financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular:

- We obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.
- We tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner.
- We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the standalone financial statements, information other than the standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon.

4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims:

Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 13 of Schedule 17 and Note No. 15(h) of Schedule 18).

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet.

Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability.

However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/ unascertainable at this stage.

Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter.

We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.

We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank.

We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.



Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, Business Responsibility, Dividend Distribution Policy and Sustainability Report 2023-24 and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and the Pillar 3 disclosures under Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date prior to the date of auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities;

selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the standalone financial statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.



- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone financial statements, including the disclosures, and whether the Standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements/ information of 1356 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹ 2,07,912 crore as at 31st March 2024 and total revenue of ₹ 8,313 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 30.08 per cent of advances, 48.99 per cent of deposits and 16.02 per cent of non-performing assets as at 31st March 2024 and 38.33 per cent of revenue for the year ended on that date. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
9. In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 3124 branches certified by the respective branch's management whose financial statements/ information reflect total assets of ₹ 1,13,873 crore as at 31st March 2024 and total revenue of ₹ 7,632 crore for the year ended on that date. These unaudited branches cover 27.74 per cent of advances, 47.37 per cent of deposits and 15.82 per cent of non-performing assets as on 31st March 2024 and 35.19 per cent of revenue for the year then ended.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The standalone Balance sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and



- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required by letter No. DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

- a) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
- c) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter No. DOS. ARG. No. 6270/ 08.91.001/2019-

FOR KISHORE & KISHORE
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000291N

CA P.R. KARANTH
PARTNER
M. No. 018808
UDIN: 24018808BKDZIJ2220

For ADB & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 005593C

CA BANKIM SHUKLA
PARTNER
M. No. 074272
UDIN: 24074272BKEHFU9660

Place : Mumbai
Date : 30.04.2024

20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements as at 31st March 2024.

12. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- b) the standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

FOR A.R. & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.002744C

CA PAWAN GOEL
PARTNER
M.No.072209
UDIN: 24072209BKFDGL6298



ANNEXURE “A” TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

(Referred to in paragraph 11 (e) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of Central Bank of India (“the Bank”) as at March 31, 2024 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank’s branches.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor’s Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit

evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

4. A Bank’s internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank’s internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank’s assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

5. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any



evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

6. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2024, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance

FOR KISHORE & KISHORE
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000291N

CA P.R. KARANTH
PARTNER
M. No. 018808
UDIN: 24018808BKDZIJ2220

For ADB & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 005593C

CA BANKIM SHUKLA
PARTNER
M. No. 074272
UDIN: 24074272BKEHFU9660

Place : Mumbai
Date : 30.04.2024

Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

7. Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 185 (One Hundred Eighty Five) branches is based on the corresponding reports of the respective Central Statutory Auditors / Statutory Branch Auditors of those branches.

During our testing of the internal financial controls over financial reporting and based on the reports, certain matters were noticed by us where scope of improvement is there to further strengthen the process including but not limited to testing of Risk Control Matrix (RCM) at various departments of Head Office.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

FOR A.R. & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.002744C

CA PAWAN GOEL
PARTNER
M.No.072209
UDIN: 24072209BKFDGL6298



Balance sheet

as at March 31, 2024

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	As at 31-Mar-24 (₹)	As at 31-Mar-23 (₹)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	8,68,09,394	8,68,09,394
Reserves and Surplus	2	23,46,70,251	20,42,79,672
Deposits	3	3,85,01,13,226	3,59,29,64,686
Borrowings	4	19,80,56,503	8,11,87,478
Other Liabilities and Provisions	5	9,70,77,473	9,64,13,598
TOTAL		4,46,67,26,847	4,06,16,54,828
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	22,95,46,891	27,43,29,198
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	14,65,28,074	16,66,67,335
Investments	8	1,43,92,34,863	1,36,58,34,760
Advances	9	2,43,40,62,841	2,02,98,43,065
Fixed Assets	10	5,33,57,390	4,77,62,762
Other Assets	11	16,39,96,788	17,72,17,708
TOTAL		4,46,67,26,847	4,06,16,54,828
Contingent Liabilities	12	96,29,07,575	1,32,69,62,172
Bills for Collection	-	10,05,70,676	11,03,90,657
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

VIVEK WAHI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

M. V. RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

CHARULATHA S. KAR
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**
Chartered Accountants
F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)
PARTNER
M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)
PARTNER
M. No. 074272

Place: Mumbai

Date: April 30, 2024



Profit and Loss Account

for the year ended March 31, 2024

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	Year ended 31-Mar-24 (₹)	Year ended 31-Mar-23 (₹)
I. INCOME			
Interest Earned	13	30,72,22,358	25,54,18,923
Other Income	14	4,71,12,798	4,08,37,083
TOTAL		35,43,35,156	29,62,56,006
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	17,82,59,122	13,85,50,976
Operating Expenses	16	10,24,49,154	8,88,67,355
Provisions and Contingencies		4,81,36,300	5,30,15,663
TOTAL		32,88,44,576	28,04,33,994
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE Y.T.D. BEFORE PRIOR PERIOD ITEM			
		2,54,90,580	1,58,22,012
Less: Prior period Item		-	-
Net Profit / (Loss) for the Y.T.D after Prior period item		2,54,90,580	1,58,22,012
Profit / (loss) brought forward		-	-
TOTAL		2,54,90,580	1,58,22,012
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		63,72,645	39,55,503
Investment Fluctuation Reserve		13,74,460	5,47,509
Capital Reserve		3,60,861	13,32,997
Investment Reserve		4,45,596	9,300
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-	-
Staff Welfare Fund		-	-
Revenue Reserve		-	-
Fund in lieu of Insurance		-	-
Proposed Dividend - Preference Capital		-	-
Proposed Dividend - Equity Capital		-	-
Dividend Tax		-	-
Balance carried over to Balance Sheet (B/F losses adjusted against Share Premium)		1,69,37,018	99,76,703
TOTAL		2,54,90,580	1,58,22,012
EPS (Basic & Diluted) in ₹ (nominal value ₹ 10/- per share)		2.94	1.82
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

VIVEK WAHI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

M. V. RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

CHARULATHA S. KAR
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**
Chartered Accountants
F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)
PARTNER
M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)
PARTNER
M. No. 074272

Place: Mumbai
Date: April 30, 2024



Schedules forming part of the Balance Sheet

as at March 31, 2024

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-24		As at 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		10,00,00,000		10,00,00,000
1000,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each (prev year 1000,00,00,000 equity shares) of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares		8,68,09,394		8,68,09,394
8680939432 Equity Shares (previous year 8680939432 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 8080391687 Equity shares of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		8,68,09,394		8,68,09,394
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		2,72,03,582		2,32,48,079
Additions during the year		63,72,645		39,55,503
		3,35,76,227		2,72,03,582
II. Capital Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		1,87,72,225		1,74,39,228
Additions during the year		3,60,861		13,32,997
		1,91,33,086		1,87,72,225
III. Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		3,64,95,852		3,71,49,448
Additions - during the year		49,00,000		-
Less : Transfer to Revenue and Other Reserves		5,48,671		6,53,596
Deductions during the year		-		-
		4,08,47,181		3,64,95,852
IV. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet		7,46,66,328		7,46,66,328
Less: Transferred to the Balance in P & L A/c		-		-
Additions during the year		-		-
		7,46,66,328		7,46,66,328
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act				
		10,00,000		10,00,000
VI. Revenue and Other Reserves				
i) Investment Fluctuation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		71,28,429		65,80,920
Add : Addition during the year		13,74,460		5,47,509
Additions/Adjustment during the year (Refer Note 2a of schedule 18)		-		-
Less: Deductions during the year		-		-
		85,02,889		71,28,429



(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-24		As at 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1,23,146		1,13,846	
Add : Transfer from Revaluation Reserve	4,45,596		9,300	
Additions/Adjustment during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-		-	
		5,68,742		1,23,146
iii) Revenue Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	2,89,13,406		2,82,59,810	
Add : Transfer from Revaluation Reserve	5,48,671		6,53,596	
Additions/Adjustment during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-		-	
		2,94,62,077		2,89,13,406
VI. Balance in Profit and Loss Account				
Balance as per last Balance Sheet	99,76,703		-	
Additions during the year	1,69,37,018		99,76,703	
		2,69,13,721		99,76,703
TOTAL		23,46,70,251		20,42,79,672
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	70,98,342		98,44,694	
ii) From Others	18,24,85,387		17,78,05,030	
		18,95,83,729		18,76,49,724
II. Savings Bank Deposits		1,73,72,09,212		1,62,53,14,529
III. Term Deposits				
i) From Banks	49,27,343		47,20,164	
ii) From Others	1,91,83,92,942		1,77,52,80,269	
		1,92,33,20,285		1,78,00,00,433
TOTAL		3,85,01,13,226		3,59,29,64,686
B. i) Deposits of Branches in India		3,85,01,13,226		3,59,29,64,686
ii) Deposits of Branches outside India		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	11,01,00,000		1,76,40,000	
ii) Other Banks	28,14,737		-	
iii) Other Institutions & Agencies	5,51,41,766		3,85,47,478	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	-		-	
v) Upper Tier II bonds	-		-	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	-		-	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	3,00,00,000		2,50,00,000	
		19,80,56,503		8,11,87,478
II. Borrowings outside India		-		-
TOTAL		19,80,56,503		8,11,87,478
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-24		As at 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable		99,14,552		94,93,094
II. Inter Office Adjustments (Net)		-		19,468
III. Interest Accrued		64,41,814		88,83,232
IV. Deferred Tax Liability		-		-
V. Others (including provisions)		8,07,21,107		7,80,17,804
TOTAL		9,70,77,473		9,64,13,598
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		1,42,61,838		1,50,01,104
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	21,52,85,053		16,52,98,094	
In Other Accounts	-		9,40,30,000	
		21,52,85,053		25,93,28,094
TOTAL		22,95,46,891		27,43,29,198
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	2,91,322		4,01,113	
b) In Other Deposit Accounts	1,548		5,724	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		-	
b) With Other Institutions	-		-	
		2,92,870		4,06,837
II. Outside India				
a) In Current Accounts	19,44,554		20,02,668	
b) In Other Deposit Accounts	14,42,90,650		16,42,57,830	
c) Money at Call & Short Notice			-	
		14,62,35,204		16,62,60,498
TOTAL		14,65,28,074		16,66,67,335
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	1,12,72,08,365		1,03,00,04,109	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	75,94,338		74,05,595	
iv) Debentures and Bonds	29,15,91,774		31,89,82,562	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	73,95,862		67,00,687	
vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	49,69,639		22,66,922	
		1,43,87,59,978		1,36,53,59,875
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		4,74,885		4,74,885
TOTAL		1,43,92,34,863		1,36,58,34,760



(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-24		As at 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
* Investments in India				
Gross Value	1,49,49,06,413		1,42,60,54,028	
Less: Provision for Depreciation	5,61,46,435		6,06,94,153	
Net Value		1,43,87,59,978		1,36,53,59,875
** Investments outside India				
Gross Value	4,74,885		4,74,885	
Less: Provision for Depreciation	-		-	
Net Value		4,74,885		4,74,885
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	2,63,85,662		3,09,41,503	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	86,61,26,829		79,22,28,112	
iii) Term Loans	1,54,15,50,350		1,20,66,73,450	
TOTAL		2,43,40,62,841		2,02,98,43,065
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	2,02,39,22,296		1,80,31,15,772	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	1,24,01,090		75,94,346	
iii) Unsecured	39,77,39,455		21,91,32,947	
TOTAL		2,43,40,62,841		2,02,98,43,065
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	1,14,07,00,488		96,55,61,814	
ii) Public Sector	2,87,63,043		2,40,71,293	
iii) Banks	10,118		2	
iv) Others	1,26,45,89,192		1,04,02,09,956	
TOTAL		2,43,40,62,841		2,02,98,43,065
(II) Advances outside India		-		-
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31 st March of the preceding year	4,88,29,312		4,88,11,918	
Additions during the year	49,23,493		17,394	
Total		5,37,52,805		4,88,29,312
Deductions / Adjustments during the year	-		-	
Total		5,37,52,805		4,88,29,312
Depreciation to date	1,05,59,264		99,17,382	
Total		4,31,93,541		3,89,11,930
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31 st March of the preceding year	3,81,55,228		3,65,50,165	
Additions / Adjustments during the year	63,04,912		31,75,811	
Total		4,44,60,140		3,97,25,976
Deductions / Adjustments during the year	11,91,115		15,70,747	
Total		4,32,69,025		3,81,55,229
Depreciation to Date	3,31,05,176		2,93,04,397	
Total		1,01,63,849		88,50,832
TOTAL (I & II)		5,33,57,390		4,77,62,762

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-24		As at 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	2,13,96,348		2,00,03,448	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	4,51,57,430		4,26,12,315	
III. Stationery and Stamps	2,10,310		2,28,747	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Deferred Tax Assets	4,29,45,820		5,79,89,094	
VI. Inter Office Adjustments (Net)	8,77,226		-	
VII. Others	5,34,09,654		5,63,84,104	
TOTAL		16,39,96,788		17,72,17,708
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		41,21,046		12,48,708
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions (includes appeals filed by the Income Tax Department of ₹ 54125695 ('000s omitted) as at 31 st Mar 2024 as against ₹ 54125695 ('000s omitted) as at 31 st Mar 2023.		5,96,46,738		5,96,96,875
II. Liability for partly paid Investments		1,25,02,962		1,26,58,798
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts		73,62,84,486		1,10,82,31,495
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	9,84,80,561		9,19,06,778	
b) Outside India	3,61,119		52,11,840	
		9,88,41,680		9,71,18,618
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		1,89,46,706		2,21,49,908
VI. Other item for which the bank is contingently liable		3,25,63,957		2,58,57,770
TOTAL		96,29,07,575		1,32,69,62,172



Schedules forming part of the Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2024

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-24 (₹)	YEAR ENDED 31-Mar-23 (₹)
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	19,70,71,616	14,92,15,975
II. Income on Investments	9,51,03,914	8,71,50,871
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds	1,12,02,930	1,44,38,269
IV. Others	38,43,898	46,13,808
TOTAL	30,72,22,358	25,54,18,923
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,83,83,475	1,78,68,585
II. Profit on Sale of Investments (Net)	63,68,616	27,31,959
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	7,29,606	24,811
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(1,46,652)	(13,396)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	24,74,428	30,34,878
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	78,337	79,454
VII. Miscellaneous Income	1,92,24,988	1,71,10,792
TOTAL	4,71,12,798	4,08,37,083
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	16,90,80,745	13,38,78,269
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	32,59,836	10,02,473
III. Others	59,18,541	36,70,234
TOTAL	17,82,59,122	13,85,50,976
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	6,31,21,487	5,60,39,653
II. Rent, Taxes and Lighting	59,56,728	52,70,766
III. Printing and Stationery	4,01,862	3,29,020
IV. Advertisement and Publicity	2,48,446	1,74,027
V. Depreciation on Bank's property	49,96,401	38,58,573
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	12,338	8,783
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	3,26,312	3,52,812
VIII. Law Charges	3,55,181	2,55,299
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	8,81,322	9,36,169
X. Repairs and Maintenance	14,80,646	14,73,110
XI. Insurance	46,83,068	44,14,464
XII. Other Expenditure	1,99,85,363	1,57,54,679
TOTAL	10,24,49,154	8,88,67,355

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background

Central Bank of India (the Bank) is a body corporate registered under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. The principal business is providing banking and financial services with wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies and institutional customers. The business is conducted through its branches in India. The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

B. Basis of preparation:

The financial statements have been prepared following the going concern concept and under historical cost convention except in respect of revaluation of premises and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the banking industry in India.

C. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/ materialised.

D. Significant accounting policies:

1. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

2. Revenue recognition:

2.1 General

- a) Income/ expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income accounted on cash basis as per regulatory provisions.

2.2 Income from investments

- a) The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, profit on sale of investments in the Held to Maturity (HTM) category is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".
- (b) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
 - (i) on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
 - (ii) on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- (c) Dividend income is recognized when right to receive the dividend is established.
- (d) Upside on security receipts is recognised on realisation as 'Other income'.

2.3. Sale of financial assets

Financial Assets sold are recognized as under:

The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI. When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account in the year of sale.

In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

2.4. Fee based income

Commission on letters of credit, bank guarantee and deferred payment guarantee are recognised on accrual basis proportionately over the period. All other commission and fee income are recognised on their realisation.

2.5 Others

- a) Interest on income tax refund is accounted on receipt of refund order(s)/ intimation from Income Tax Department and acceptance by the Bank.



b) Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

3. Advances:

3.1 Based on the guidelines/ directives issued by the RBI, loans and advances are classified as performing and non-performing, as follows:

The term loan is classified as a non-performing asset, if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90days.

An overdraft or cash credit is classified as a non-performing asset, if, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the previous 90 days period.

The bills purchased/ discounted are classified as non-performing asset if the bill remains overdue for a period of more than 90days.

The agricultural advances are classified as a non-performing if, (i) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and (ii) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one cropseason.

Non-performing assets are classified into sub-standard, doubtful and loss Assets, based on the following criteria stipulated byRBI:

- Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12months.
- Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully writtenoff.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-standard assets:

A general provision of 15% on the totaloutstanding.

- Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percentab-initio).

- Unsecured Exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available -20%.

Doubtful Assets:

- Secured portion:	
Up to one year	25%
One to three years	40%
More than three years	100%
- Unsecured portion	
	100%
Loss Assets	100%

- Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and claims received from CGTSI/ ECGC,etc.
- For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which inter alia require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced fromadvances.
- In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the NetNPAs.
- In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by theregulators.
- Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year ofrecovery.
- Additional provisions higher than regulatory norms are made in specific assets in view of the identified weakness and/ or prevailing economic situation.
- Partial recoveries in non-performing account (including partially written off accounts) are appropriated in the following order:
 - Principal Overdues /Irregularities
 - Unrealised interest
 - Partial Written Off principal
 - Uncharged Interest
 - Unrealised charges



In case of suit filed/SARFAESI/ recalled accounts, recovery is appropriated in the following order:

- i. Ledger outstanding balance
- ii. Unrealised interest
- iii. Partial Written Off principal
- iv. Uncharged Interest
- v. Unrealised charges

However, where any borrower account is required to be classified as non-performing from an earlier date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances

4 Provision for country exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off- credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures.

5. Investments:

Investments are accounted for in accordance with the extant guidelines of investment classification and valuation, as given below:

5.1 Classification:

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity (HTM)", "Held for Trading (HFT)" and "Available for Sale (AFS)" categories.

For disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, investments are classified as Investments in India and outside India. Under each category, the investments in India are further classified as

- a) Government Securities
- b) Other Approved Securities
- c) Shares
- d) Debentures and Bonds
- e) Subsidiaries, joint ventures/associates and sponsored institutions; and
- f) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

The investments outside India are further classified under 3 categories

- a) Government Securities

- b) Subsidiaries and Joint Ventures/Associates
- c) Other Investments

5.2 Basis of Classification:

- a) Held to Maturity: Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- b) Held for Trading: Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".
- c) Available for Sale: Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)".
- d) Transfer of Securities between categories: An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the regulatory guidelines.
- e) Investments in subsidiaries, joint ventures/ associates and sponsored institutions are classified as HTM except in respect of those investments which are acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal. Such investments are classified as AFS.

5.3 Valuation:

The transactions in all securities are recorded on a Settlement Date and cost is determined on the weighted average cost method.

- A. Incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- B. Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to the Profit and Loss Account as revenue expenses.
- C. Broken Period interest paid/ received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/ sale consideration.

- a) Valuation of investments classified as Held to Maturity:** The investments classified under this category are carried at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium is accounted as expense.

Investments (in India and abroad) in subsidiaries, joint ventures/associates are valued at historical cost. A provision is made



for diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost (i.e. book value).

b) Valuation of investments classified as Available for sale and Held for Trading:

Investments classified as Available for Sale and Held for Trading are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines and the net depreciation if any, of each group for each category (viz.(i) Government securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Bonds and Debentures, (v) Subsidiaries and Joint Ventures/Associates and (vi) others) is provided for and net appreciation is ignored.

c) Valuation policy in event of inter category transfer of investments:

Transfer of securities from HFT/ AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition cost/ book value. On transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided, in the Profit and Loss Account.

d) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Securitisation Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR):

i) The investment in security receipts obtained by way of sale of NPA to SC/ RC, is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR.

ii) SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

e) Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

5.4 Investments (NPI):

Investments are classified as performing and non-performing, based on "Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021" (as amended) and "Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances", as under:

- a) Interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days. The same is applied to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- b) In the case of equity shares, in the event the investment in shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c) The Bank also classifies an investment as a non-performing investment, in case any credit facility availed by the same borrower/ entity has been classified as a non-performing asset and vice versa.
- d) The investments in debentures/ bonds, which are deemed to be advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

5.5 Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions

The Bank enters into repurchase and reverse repurchase transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and also with market participants. Repurchase transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse repurchase transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

- a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo (other than LAF) are accounted as overnight Tri-party Repo (TREPS) dealing and settlement.
- b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.



- c) The above entries are reversed on the date of maturity. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).
- d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

6. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

6.1 Derivatives used for hedging are accounted as under:

- a) In cases where the underlying assets/ liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- b) Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying assets/ liabilities are also marked to market.
- c) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/ liabilities.

6.2 Derivatives used for trading are accounted as under:

- a) Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and BSE.
- b) Mark to market profit or loss is accounted by credit/ debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in the Bank's profit and loss account on final settlement.
- c) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market losses are booked and gains, if any, are ignored on net basis.
- d) Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/ expense under the above head.

7. Transactions involving foreign exchange:

- 7.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate

between the reporting currency and the foreign currency.

- 7.2 Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India ("FEDAI") closing (spot/ forward) rates and the resultant profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign currency non-monetary items, which are carried at historical cost, are reported using the exchange rate on the date of the transaction.

Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

- 7.3 Outstanding foreign exchange spot and forward contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate.
- 7.4 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- 7.5 Gains/ Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the profit and loss account.

8. Fixed assets and depreciation:

- 8.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortisation.

Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes and professional fees incurred on the asset before it is put to use.

- 8.2 Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 8.3 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

- a) Premises at varying rates based on estimated life
- b) Furniture, Lifts, Safe Vaults 10%
- c) Vehicles, Plant & Machinery 20%



- d) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. 15%.
- e) Computers including Systems Software 33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

- 8.4 Other fixed assets are depreciated on Straight Line Method on the basis of estimated useful life of the assets.
- 8.5 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.
- 8.6 Where it is not possible to segregate the cost of land and premises, depreciation is charged on the composite cost.
- 8.7 In case of assets, which have been revalued, the depreciation/ amortization is provided on the revalued amount and is charged to the Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation/ amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to 'Revenue and Other Reserves'.
- 8.8 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year.

No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year on assets sold after 30th September.
- 8.9 The Bank considers only immovable assets for revaluation. Properties acquired during the last three years are not revalued. Valuation of the revalued assets is done every three years thereafter.
- 8.10 The increase in net book value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account.

Additional depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.
- 8.11 The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

9 Leases:

Leases where risks and rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS-19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit and Loss

account on a straight-line basis over the lease term in accordance with AS 19.

10 Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset and such impairment losses, if any, on fixed assets are recognised and charged to Profit & Loss Account in accordance with Accounting Standard-28 Impairment of Assets.

11. Employee Benefits:

11.1 Employee benefits are accrued in the year in which services are rendered by the employees.

11.2 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

11.3 Defined benefit plans:

The Bank operates Gratuity and Pension schemes which are defined benefit plans.

- a) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation.
- b) The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions



periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

- c) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.
- d) When the benefits of the plan are changed, or when a plan is curtailed or settlement occurs, the portion of the changed benefit related to past service by employees, or the gain or loss on curtailment or settlement, is recognized immediately in the profit or loss account when the plan amendment or when a curtailment or settlement occurs.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.

- e) Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

11.4 Defined Contribution Plan:

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account

12. Accounting for Taxes on Income:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – “Accounting for Taxes on Income” respectively.

Deferred tax is recognized on timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future

taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss Account.

13. Provisions, Contingencies and Contingent assets:

13.1 In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

13.2 No provision is recognised for:

- a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- b) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

13.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is made on estimated basis.



13.4 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

14 Special Reserves:

Revenue and other Reserve include Special Reserve created under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that it has no intention to make withdrawal from the Special Reserve. 15 Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 – “Segment Reporting” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

15 Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment

as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 – “Segment Reporting” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

16 Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – “Earnings per Share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

VIVEK WAHI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

M. V. RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

CHARULATHA S. KAR
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**
Chartered Accountants
F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)
PARTNER
M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)
PARTNER
M. No. 074272

Place: Mumbai
Date: April 30, 2024


SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
1. Regulatory Capital:
a) Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	PARTICULARS	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
1.	Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	23,966.45	20,099.54
2.	Additional Tier 1 Capital	NIL	NIL
3.	Tier 1 Capital (i+ii)	23,966.45	20,099.54
4.	Tier 2 Capital	5,037.52	3,334.76
5.	Total Capital (Tier 1+ Tier 2)	29,003.97	23,434.30
6.	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	192,320.00	165,934.44
7.	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.46%	12.11%
8.	Tier 1 Ratio (Tier 1 Capital as a percentage of RWAs)	12.46%	12.11%
9.	Tier 2 Ratio (Tier 2 Capital as a percentage of RWAs)	2.62%	2.01%
10.	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	15.08%	14.12%
11.	Leverage Ratio	5.13%	4.73%
12.	Percentage of the shareholding of Government of India	93.08%	93.08%
13.	Amount of paid-up Equity Capital raised during the year	NIL	NIL
14.	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year , which: Give list as per instrument type (Perpetual non-cumulative preference shares, perpetual debt instrument etc.). Commercial banks (Excluding RRBS) shall also specify if the instrument are Basel II or Basel III compliant	NIL	NIL
15.	Amount of Tier 2 Capital raised during the year Amount of Tier 2 capital raised during the year , of which : Give list as per instrument type (Tier 2 debt Instruments) Commercial banks shall also specify if the instrument are Basel II or Basel III compliant	1,500.00 (Note1)	NIL

Note 1: The Bank has raised Basel III compliant Tier 2 debt instruments of ₹ 1,500.00 Crore through private placement in terms of RBI Master Circular No RBI/2023-24/31 /DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 dated May 12, 2023 on Basel III Capital Regulations covering criteria for inclusion of debt capital instrument as Tier II Capital and SEBI (NCS) Regulations, 2021.

b) Draw down from reserves

During the year, there has been no draw drawn from Reserve to Profit & Loss account.

2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at 31st March, 2024: -

(Amount in ₹ Crore)

Period	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 to 2 months	Over 2 months and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	1,545.12	5,210.88	4,980.29	11,627.45	17,427.58	17,225.67	41,764.74	66,831.89	86,887.05	67,834.02	63,676.62	3,85,011.32
Previous Year	1311.55	2376.65	2802.9	4480.05	9042.61	8621.61	13472.65	27,091.36	1,63,227.91	65,484.08	61,385.10	3,59,296.47
Advances	1,240.24	821.79	953.48	6,316.01	6,206.31	17,347.30	8,573.67	18,479.89	98,820.32	21,748.74	62,898.52	2,43,406.28
Previous Year	2,529.18	1,374.65	1,576.61	5,997.23	2,425.41	6,461.41	7031.48	17,481.67	92,283.09	16,828.40	48,995.17	2,02,984.31
Investments	28,377.28	1,191.03	613.92	2,312.09	3,167.55	2,732.46	4659.5	8,712.53	23,307.68	21,886.30	46,963.15	1,43,923.49
Previous Year	39,115.63	975.37	673.49	3,371.22	4,277.62	1,036.88	1929.7	9,748.60	16,739.45	21,385.58	37,329.95	1,36,583.48
Borrowings #	5.17	11,291.47	96.53	-	96.53	258.72	397.92	623.53	4,027.96	7.81	-	16,805.65
Previous Year	3.97	1,764.00	100.69	-	100.69	261.91	410.40	974.49	1,984.36	17.12	1.12	5,618.75
Foreign Currency assets	17.96	2,878.14	73.00	287.54	5,371.00	7,658.53	7,121.71	5,883.82	17.59	-	-	29,309.29
Previous Year	30.01	3,061.65	274.60	15,802.31	-	5,122.99	13,615.23	8,170.13	176.34	0.16	-	46,253.43
Foreign Currency liabilities	0.29	2,227.02	87.26	698.12	6,600.40	8,263.56	13,767.47	11,257.35	5.25	-	-	42,906.71
Previous Year	63.31	2,924.37	1,358.93	19,480.74	129.69	6,487.89	17,900.09	12,817.58	1,362.38	0.16	-	62,525.15

Note: - # Excluding those considered under Tier II Capital.

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

The Liquidity Risk Management of the Bank is governed by the Asset Liability Management (ALM) Policy approved by the Board. Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{(High Quality Liquid Assets (HQLA))}}{\text{(Total net cash outflow over the next 30 calendar days)}} \geq 100\%$$

(High Quality Liquid Assets (HQLA))

(Total net cash outflow over the next 30 calendar days)

≥ 100%

≥ 100%

(High Quality Liquid Assets (HQLA))

(Total net cash outflow over the next 30 calendar days)

≥ 100%

≥ 100%



Liquidity Coverage ratio (LCR) – Quantitative Disclosure

(Amount in ₹ Crore)

	Quarter Ended 30.06. 2023		Quarter Ended 30.09.2023		Quarter Ended 31.12.2023		Quarter Ended 31.03.2024	
	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets								
1 Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		103787		101186		88853		98005
Cash Outflows								
2 Retail deposits and deposits from small business customers of which:								
(i) Stable deposits	169133	8457	170614	8531	172139	8607	163784	8189
(ii) Less stable deposits	153213	15321	157098	15710	160534	16053	175026	17503
3 Unsecured wholesale funding of which:								
(i) Operational deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) Non-operational deposits (all counterparties)	35509	14894	35740	14992	36901	15455	36287	15691
iii) Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Secured wholesale funding		0		0		0		0
5 Additional requirements, of which								
(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	12273	12273	10618	10618	7610	7610	8294	8294
(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) Credit and liquidity facilities	2791	2493	2558	2522	2635	2599	2617	2580
6 Other contractual funding obligations	3150	3150	3055	3055	3300	3300	2997	2997
7 Other contingent funding obligations	157141	7630	167469	8155	159581	7757	163313	7930
8 Total Cash Outflows		64216		63583		61381		63185
Cash Inflows								
9 Secured lending	0	0	0	0	0	0	38	0
10 Inflows from fully performing exposures	3264	3264	2247	2247	2685	2685	3035	3035
11 Other cash inflows	23416	21146	20114	18565	16513	13955	14609	12364
12 Total Cash Inflows	26680	24410	22361	20813	19198	16641	17682	15399
	Total Adjusted Value						Total Adjusted Value	
13 TOTAL HQLA		103787		101186		88853		98005
14 Total Net Cash Outflows		39806		42770		44740		47785
15 Liquidity Coverage Ratio (%)		260.73%		236.58%		198.60%		205.09%

In accordance with RBI guidance vide circular No.RBI/2014-15/529 DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated 31st March 2015, average weighted and unweighted amounts have been calculated taking simple daily average. The Bank has considered 90 data points for the quarter January 2024 to March 2024.



Liquidity Coverage ratio (LCR) – Qualitative Disclosure

Line items significant to LCR	Explanatory Notes
A. The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation	<p>The main drivers of LCR results are :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR. The major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF), FALLCR & excess SLR investments. 2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow. 3) Another major driver of LCR is Cash Inflow. The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.
B Intra-period changes as well as changes over time	Not Applicable
C The composition of HQLA	<p>The HQLA comprises of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments (net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) and 2% of NDTL applicable for MSF and 16.00% of NDTL (FALLCR) as per RBI circular no. RBI/2022-23/25 DOR.LRG.REC.19/21.04.098/2022-23 dated 18/04/2022 and overnight balances held by banks with RBI under SDF as per RBI circular no RBI/2022-23/141DOR.LRG.REC.83/03.10.001/2022-23 dated 23/11/2022. 2. Level 2A assets comprises of Special (Discom) Bonds issued by State Government, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies and bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies. 3. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies. 4. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.
D Concentration of funding sources	Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).
E Derivative exposures and potential collateral calls	<p>Derivative exposure of the bank consists of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OTC Derivatives <ol style="list-style-type: none"> a) Forwards b) Currency Swaps c) Interest Rate Swap 2. Exchange Traded Derivatives <ol style="list-style-type: none"> a) Currency Futures b) Interest Rate Futures <p>Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement , is signed with the counterparties.</p> <p>At present, the Bank does not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.</p> <p>For exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market.</p> <p>All Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). Bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) with CCIL for guaranteed settlement of Interbank USD/INR Swaps and Forwards.</p>



Line items significant to LCR	Explanatory Notes
	The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/CCP as and when the call is made for the same.
F Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored. A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. Bank doesn't have currency mismatch in LCR as bank does not have exposure in 'significant' currency.
G Degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, ALM team & other functional units are seamless.
H Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None
I Other Information	Other contingent liabilities including undrawn credit and liquidity commitments are also suitably addressed.

The average LCR for the quarter ended March 31, 2024 was at 205.09% as against 285.51% for the quarter ended March 31, 2023 and well above the regulatory prescribed minimum requirement of 100%. The average HQLA for the quarter ended March 31, 2024 was ₹ 98,005.00 crore as against ₹ 1,06,207.00 crore for the quarter ended March 31, 2023.

The average LCR for the year ended March 31, 2024 was at 205.09% as against 302.34% for the year ended March 31, 2023.

c) Net Stable Funding ratio (NSFR): (This has not been audited by Statutory Central Auditor)

Reserve Bank of India vide its circular no. BR.BP.BC.No.106/21.04.098/2017-18 May 17, 2018 had issued guidelines on "Basel III Framework on Liquidity Standards – Net Stable Funding Ratio (NSFR)". The guidelines for NSFR were effective from October 1, 2021.

The objective of NSFR is ensure reduction in funding risk over a longer time horizon extending to one year by requiring banks to fund their activities in relation to the composition of their assets and off balance sheet activities, with sufficiently stable sources of funding on an on-going basis. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in the regular sources of funding. NSFR limits over-reliance on short term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on and off balance sheet items, and promotes funding stability.

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available Stable Funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required Stable Funding") (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the Bank as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. The Available Stable Funding (ASF) is primarily driven by the total regulatory capital as per Basel III Capital Adequacy guidelines stipulated by RBI and deposits from retail customers, small business customers and non-financial corporate customers. Under the Required Stable Funding (RSF), the primary drivers are unencumbered performing loans with residual maturities of one year or more.

The runoff factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline is 100% on an on-going basis.

The Liquidity Risk Management of the Bank is governed by the Asset Liability Management (ALM) Policy approved by the Board. The Asset Liability Committee (ALCO) is a decision-making unit responsible for implementing the liquidity and interest rate risk management strategy of the Bank in line with its risk management objectives and ensures adherence to the risk tolerance/limits set by the Board.

Central Bank of India on standalone basis maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹ 3, 76,703.47 crore against the RSF requirement of ₹ 2,43,138.59 crore as on 31st March 2024. The NSFR for the quarter ended Mar 2024 is at 154.93%.

Quantitative Disclosure of NSFR Components are:

NSFR Disclosure (₹ in Crore)	Mar-24				Dec-23				Sep-23				Jun-23							
	Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity							
	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr	Weighted value	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr	Weighted value	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr	Weighted value	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr	Weighted value
1. Total NSFR	31031.72	0.00	3050.00	34031.72	31065.00	0.00	3050.00	34000.00	30900.00	32110.70	0.00	30245.57	0.00	31500.00	30785.97	0.00	30245.57	0.00	31500.00	30785.97
2. Government securities	31031.72	0.00	3050.00	34031.72	31065.00	0.00	3050.00	34000.00	30900.00	32110.70	0.00	30245.57	0.00	31500.00	30785.97	0.00	30245.57	0.00	31500.00	30785.97
3. Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	0.00	0.00	31070.65	290084.89	0.00	0.00	189129.37	0.00	176867.27	0.00	0.00	211467.78	0.00	197709.88	236491.80	0.00	0.00	0.00	236491.80	221094.42
5. Stable deposits	0.00	0.00	269932.10	0.00	198589.50	0.00	132015.88	0.00	135266.03	0.00	0.00	14772.69	0.00	160388.85	155951.11	0.00	0.00	0.00	155951.11	165984.30
6. Non-stable deposits	0.00	0.00	103162.15	0.00	91504.40	0.00	56112.49	0.00	50501.24	0.00	0.00	63690.08	0.00	57321.08	71455.69	0.00	0.00	0.00	71455.69	64310.12
7. Wholesale funding (8+9)	196681.13	1223.794	9400.63	198142.52	197954.66	0.00	9878.71	148562.26	197954.66	197954.66	0.00	12809.21	10603.46	17028.31	10228.83	69930.25	10228.83	0.00	10228.83	14570.94
8. Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Other wholesale funding	196681.13	1223.794	9400.63	198142.52	197954.66	0.00	9878.71	148562.26	197954.66	197954.66	0.00	12809.21	10603.46	17028.31	10228.83	69930.25	10228.83	0.00	10228.83	14570.94
10. Other liabilities and equity not included in the above categories	2722.86	9010.78	701.13	39871.93	89871.93	8210.29	3541.32	2588.57	146585.65	146585.65	6566.35	4693.48	3137.14	116257.77	116257.77	4575.79	7763.20	2736.70	87620.15	87620.15
11 Total ASFR (14+17+10)				376703.27	376703.27				376134.28	376134.28				363086.00	363086.00				354071.48	354071.48
14. Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	0.00	0.00	0.00	14181.20	14181.20	0.00	0.00	0.00	7703.17	7703.17	0.00	0.00	0.00	8033.24	8033.24	0.00	0.00	0.00	10517.95	10517.95
15. Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Performing bonds and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	3152.47	2463.98	114772.94	89112.08	0.00	3176.06	1882.88	83887.09	83887.09	0.00	1075.15	4059.37	109078.64	84472.21	0.00	1403.40	3759.20	97325.53	75875.53
17. Performing bonds to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Performing bonds to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and loans to performing banks to financial institutions	0.00	3152.47	2463.98	1704.86	1704.86	0.00	3176.06	1882.88	14181.15	14181.15	0.00	1075.15	4059.37	0.00	2190.96	0.00	1403.40	3759.20	2090.11	2090.11
19. Performing bonds to non-financial corporate clients, loans to retail clients, loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	0.00	0.00	69837.08	69837.08	0.00	0.00	0.00	81784.60	65229.08	0.00	0.00	0.00	83096.25	65392.70	0.00	0.00	0.00	71717.16	56939.98
20. With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	23717.87	15416.62	0.00	0.00	0.00	21439.15	13933.45	0.00	0.00	0.00	26195.27	17027.12	0.00	0.00	0.00	20098.02	13067.71
21. Performing residential mortgages of which:	0.00	0.00	0.00	27030.99	17570.14	0.00	0.00	0.00	26522.86	17239.66	0.00	0.00	0.00	25982.40	16888.56	0.00	0.00	0.00	25608.36	16645.44
22. With a risk weight of less than or equal to 35% under the Standardized Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	27030.99	17570.14	0.00	0.00	0.00	26522.86	17239.66	0.00	0.00	0.00	25982.40	16888.56	0.00	0.00	0.00	25608.36	16645.44
23. Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, & are hedge-traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	4995.475	17769.66	106786.43	138115.16	0.00	5194.153	15334.44	118457.62	147334.49	0.00	47424.59	20489.95	95655.26	126231.72	0.00	38225.57	21323.28	95177.15	123924.53
25. Physical traded commodities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Assets treated as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of NSFR derivative liabilities below deduction of valuation margin posted	0.00	0.00	0.00	13874.80	11793.48	0.00	0.00	0.00	28618.50	24325.40	0.00	0.00	0.00	19116.31	16248.86	0.00	0.00	0.00	37599.31	31954.41
27. NSFR derivative assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. NSFR derivative liabilities below deduction of valuation margin posted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29. All other assets not included in 25-28	0.00	4991.839	17769.66	43167.81	126285.22	0.00	51915.43	15334.44	89839.03	127982.59	0.00	47424.59	20489.95	76509.72	109953.63	0.00	38225.57	21323.28	91259.79	120571.07
30. Off-balance sheet items	0.00	0.00	0.00	243138.50	243138.50	0.00	0.00	0.00	108460.87	360204.61	0.00	0.00	0.00	104276.81	352920.05	0.00	0.00	0.00	214905.62	38472.61
31. Total NSFR (14+15+16+24-30)				1549358	1549358				1549358	1549358				1549358	1549358				1549358	1549358
32. Net Stable Funding Ratio (%)				154.9358	154.9358				154.9358	154.9358				154.9358	154.9358				154.9358	154.9358

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

3. Investments

a. Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2024

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Investments in India					Investments Outside India						
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	others	Total investments in India (A)	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	others	Total investments outside India (B)	Total Investments (A+B)
Held to Maturity												
Gross	81,992.89	-	7.54	24,132.22	739.59	103.95	106,976.18	-	47.49	-	47.49	107,023.67
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	81,992.89	-	7.54	24,132.22	739.59	103.95	106,976.18	-	47.49	-	47.49	107,023.67
Available for Sale												
Gross	30,107.46	-	2,135.07	6,337.56	-	3,153.23	41,733.31	-	-	-	-	41,733.31
Less: Provision for depreciation and NPI	160.65	-	1,383.18	1,310.60	-	2,760.22	5,614.64	-	-	-	-	5,614.64
Net	29,946.81	-	751.89	5,026.96	-	393.01	36,118.67	-	-	-	-	36,118.67
Held to Trading												
Gross	781.14	-	-	-	-	-	781.14	-	-	-	-	781.14
Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	781.14	-	-	-	-	-	781.14	-	-	-	-	781.14
Total Investment												
Gross	112,881.49	-	2,142.61	30,469.77	739.59	3,257.18	149,490.64	-	47.49	-	47.49	149,538.13
Less: Provision for non-performing investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Less: Provision for depreciation and NPI	160.65	-	1,383.18	1,310.60	-	2,760.22	5,614.64	-	-	-	-	5,614.64
Additional provision as per 07 June 2019 circular												
Net	112,720.84	-	759.43	29,159.18	739.59	496.96	143,876.00	-	47.49	-	47.49	143,923.49

(Amount in ₹ Crore)

Note: Above Amount includes encumbered securities as at March 31st, 2024

Collateral/Margin with CCIL - TREPS

Margin & Default Fund with CCIL, Securities with NSE clearing, MCX clearing, RBI RTGS

Securities with RBI for Repo

Total **Face Value**
9,600.00
9,583.00
16,500.00
35,683.00

Note: Above amount includes securities to face Value of ₹ 9,600.00 crore as collateral with CCIL, securities of ₹ 3,132.00 crore as margin & Default fund with CCIL, securities of ₹ 22,880.00 crore with RBI for REPO and RTGS, securities of ₹ 71.00 crore with NSE clearing respectively as on March 31st, 2024.

As at 31.03.2023

(Amount in ₹ Crore)



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आरम्भ लिए 'केन्द्रिय'

'CENTRAL' TO YOU SINCE 1911

Particulars	Investments in India					Investments Outside India						
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	others	Total investments in india (A)	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	others	Total investments outside india (B)	Total Investments (A+B)
Held to Maturity												
Gross	79,210.20	-	7.54	26,891.93	670.07	183.52	106,963.25	-	47.49	-	47.49	107,010.74
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	79,210.20	-	7.54	26,891.93	670.07	183.52	106,963.25	-	47.49	-	47.49	107,010.74
Available for Sale												
Gross	23,901.47	-	2,836.63	6,099.68	-	2,712.41	35,550.20	-	-	-	-	35,550.20
Less: Provision for depreciation and NPI	203.21	-	2,084.58	1,093.35	-	2,669.24	6,050.39	-	-	-	-	6,050.39
Net	23,698.26	-	752.05	5,006.33	-	43.18	29,499.81	-	-	-	-	29,499.81
Held to Trading												
Gross	91.96	-	-	-	-	-	91.96	-	-	-	-	91.96
Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	91.96	-	-	-	-	-	91.96	-	-	-	-	91.96
Total Investment												
Gross	103,203.62	-	2,844.17	32,991.61	670.07	2,895.93	142,605.40	-	47.49	-	47.49	142,652.89
Less: Provision for non-performing investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Less: Provision for depreciation and NPI & Additional provision as per 07 June 2019 circular	203.21	-	2,084.58	1,093.35	-	2,669.24	6,069.42	-	-	-	-	6,069.42
Net	103,000.41	-	759.59	31,898.26	670.07	226.69	136,535.99	-	47.49	-	47.49	136,583.47
(Amount in ₹ Crore)												
Note: Above Amount includes encumbered securities as at March 31st, 2023												
Collateral/Margin with CCIL - TREPS												
Margin & Default Fund with CCIL, Securities with NSE clearing, MCX clearing, RBI RTGS												
Securities with RBI for Repo												
Total											22,972.00	

Note: Above Amount includes securities to face Value of ₹ 9,849.00 crore as collateral with CCIL, securities of ₹ 4,022.00 crore as margin & Default fund with CCIL, securities of ₹ 9,030.00 crore with RBI for REPO and RTGS, securities of ₹ 71.00 crore with NSE clearing respectively as on March 31st, 2023.

FINANCIALS

STATUTORY

NOTICE

CAPITALS

STRATEGY

ABOUT


b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ crore)

Sr. Items No.	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening balance	6,050.39	5,972.31
b) Opening balance for Additional Provision for NPI as per 07 June 2019 RBI Circular*	19.03	47.90
c) Add: Provisions made during the year	770.61	1,206.90
d) Less: Provision utilized during the year	519.87	341.11
e) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	705.52	816.58
f) Closing balance	5,614.64	6,069.42
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
Opening Balance	712.84	658.09
Add: Amount transferred during the year	137.45	54.75
Less: Drawdown	0.00	0.00
Closing Balance	850.29	712.84
iii) Closing Balance of Investment in AFS & HFT Category	42,514.45	35,642.15
iv) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investment in AFS and HFT/ Current Category	2%	2%

*Additional Provision for NPI as per 07 June 2019 RBI Circular has been used for netting from current Financial Year onwards.

c) Sale and transfer to / from HTM category

As per the directives of reserve Bank of India and our Investment Policy, profit on sale of investments under HTM category should be first taken to P&L account and thereafter be appropriated to the Capital Reserve Account.

Profit on sale/redemption of HTM securities amounted to ₹ 739,546,016.46 for the Financial Year ended March 31, 2024.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Category	FY 2023-24	FY 2022-23
Profit on sale of securities	HTM	677,896,762.55	129,689,456.04
Profit on redemption of securities	HTM	61,649,253.91	3,972,322.51
Total		739,546,016.46	133,661,778.55

During the year ended March 31, 2024 the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year, sale to RBI under pre- announced Open Market Operation auctions and repurchase of Government securities by the government of India) had not exceeded 5% of the Book Value of the Investment held in HTM category at the beginning of the year.

d) Non-SLR investment portfolio
i. Non-Performing Non-SLR Investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	31.03.2024	31.03.2023
a) Opening Balance	2,266.83	2,653.79
b) Additions during the year since 1 st April	213.02	684.26
c) Reductions during the above period	562.61	1,071.22
d) Closing balance	1,917.24	2,266.83
e) Total provisions held	1,917.24	2,261.67

ii. Issuer-wise composition of Non-SLR Investments: 31st March 2024

Sr. Issuer No.	(1) (2)	(3) Amount		(4) Extent of Private Placement		(5) Extent of 'Below Investment Grade' Securities		(6) Extent of 'Unrated' Securities		(7) Extent of 'Unlisted' Securities	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
a) PSUs		4,627	4,880	505	351	-	-	22	22	1,324	1,500
b) FIs		2,109	2,134	297	-	-	-	-	-	-	-
c) Banks		1,010	174	647	56	-	68	69	69	68	69
d) Private Corporates		2,512	4,483	393	3,713	1,086	735	-	-	588	710
e) Subsidiaries/ Associate		787	718	787	718	-	-	787	718	787	718
f) Others		25,611	27,060	-	-	25,611	282	25,329	27,096	22,659	23,134
TOTAL		36,657	39,449	2,629	4,838	26,697	1,017	26,206	27,905	25,427	26,131
g) Provision held towards depreciation		5,454	5,847	-	-	-	-	-	-	-	-
NET TOTAL		31,203	33,602	2,629	4,838	26,697	1,017	26,206	27,905	25,427	26,131

e. Repo Transactions (in face value terms)

The details of face value of securities Purchased/Sold under Repo Agreement for the year ended March 31, 2024 are as follows:

Particulars	Minimum outstanding during the year			Maximum outstanding during the year			Daily Average outstanding during the year			Outstanding as on March 31, 2024		
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023
i) Securities sold under Repo												
a) Government Securities			20			16,791			1,993			11,985
b) Corporate debt securities			-			-			-			-
c) Any other securities			-			-			-			-
ii) Securities purchased under Reverse Repo												
a) Government Securities			5			8,276			395			-
b) Corporate debt securities			-			-			-			-
c) Any other securities			-			-			-			-

The details of face value of securities Purchased/Sold under Repo Agreement for the year ended March 31, 2023 are as follows:

Particulars	Minimum o/s during the year		Maximum o/s during the year		Daily Average o/s during the year		Outstanding as on March 31, 2023	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
i) Securities sold under Repo								
a) Government Securities			1,666.00		1,866.00	1,718.00		1,666.00
b) Corporate debt securities			-		-	-		-
c) Any other securities			-		-	-		-
ii) Securities purchased under Reverse Repo								
a) Government Securities			5,352.00		31,918.00	17,051.00		-
b) Corporate debt securities			-		-	-		-
c) Any other securities			-		-	-		-

f. Details of Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) as on 31.03.2024:-

There are no Government Security Lending (GSL) transactions during the year as well as in previous year by Bank.

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

	Standard		Non-P performing				Total	
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-P performing	Total		
	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023
Gross Standard Advances and NPAs	199,392.00	161,556.00	22,185.95	5,631.89	18,386.25	28,156.22	217,778.21	189,712.22
Opening balance								
Add: Additions during the year		2,346.22	10,408.00	2,871.97	5,124.35	4,075.72	5,124.35	4,075.72
Less: Reduction during the year					12,170.26	13,845.69	12,170.26	13,845.69
Closing balance	240,404.00	199,392.00	7,559.02	1,486.36	11,340.34	18,386.25	251,744.67	217,778.21
Reductions in Gross NPAs due to:								
i) Upgradation					458.57	658.14	458.57	658.14
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1,710.24	2,929.30	1,710.24	2,929.30
iii) Technical/ Prudential Write-offs					9,849.40	9,856.46	9,849.40	9,856.46
iv) Write-offs other than those under (iii) above					152.06	401.79	152.06	401.79
Provisions (excluding Floating Provisions)								
Opening balance of provisions held	2,086.50	1,624.94	7,960.50	4,850.65	13,654.91	20,465.86	15,741.41	22,090.80
Add: Fresh provisions made during the year		843.76	674.87	2,532.60	3,783.17	3,962.29	3,769.79	4,423.85
Less: Excess provision reversed/Write-off loans					10,281.47	10,773.24	10,281.47	10,773.24
Closing balance of provisions held	2,073.12	2,086.50	5,840.46	727.56	7,156.61	13,654.91	9,229.73	15,741.41
Net NPAs								
Opening Balance						6,675.17		
Add: Fresh Additions during the year		1,463.81	2,127.91	4,271.63	3,591.72	3,134.41		
Less: Reductions during the year					4,743.61	6,217.86		
Closing Balance		1,678.32	1,323.63	2,127.91	3,001.95	3,591.72		
Floating P provisions								
Opening Balance								
Add: Additional provisions made during the year								
Less: Amount drawn down during the year								
Closing balance of floating provisions								
Technical write-offs and the recoveries made thereon								
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts							29,402.12	21,992.41
Add: Technical write-offs during the year							9,849.40	9,856.46
Sub Total (A)							39,251.51	31,848.87
Less: Recoveries made from previously technical written-off accounts during the year (B)*							1,925.54	1,227.24
Less: Upgradation							129.76	0.16
Less: conversion to Regular Write off							1,804.93	1,219.35
Closing balance as at March 31, 2023 (A-B)							35,391.28	29,402.12

Specific Note:

* includes Recoveries received through SRs/OCD of ₹ 499.68 crore.

General Note:

For prudential write off accounts, amounting to ₹ 1,487.57 crore (Previous year 1762.66 crore) and during the year recovery in such accounts is ₹ 7.46 crore (Previous year ₹ 55.34 crore).



Ratios (in percent)	31.03.2024	31.03.2023
Gross NPA to Gross Advances	4.50	8.44
Net NPA to Net Advances	1.23	1.77
The Provisioning Coverage Ratio with Technical Write Off	93.58	92.48
The Provisioning Coverage Ratio without Technical Write Off	73.53	80.47

b) Sector- wise Advances and Gross NPAs

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Sector	31.03.2024			31.03.2023		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i) Priority Sector							
a)	Agriculture and allied activities	46,063.46	3,321.82	7.21	42,110.35	5,038.79	11.97
	Farm Credit	41,313.05	3,140.08	7.60	38,289.59	4,718.76	12.32
b)	Industry	21,223.64	1,245.17	5.87	16,390.21	1,548.30	9.45
	Other Industries	9,946.88	867.08	8.72	4,886.78	445.50	9.12
	Textiles	2,607.17	136.05	5.22	2,455.03	260.80	10.62
	Basic Metal & Metal Products	-	-	-	2,136.41	193.47	9.06
	Engineering	-	-	-	1,982.19	90.44	4.56
c)	Services	28,701.34	1,580.36	5.51	23,581.66	2,662.35	11.29
	Trade	14,293.78	6.80	0.05	11,398.28	1,151.59	10.10
	Other Services	13,898.62	1,573.56	11.32	11,065.87	1,402.63	12.68
d)	Personal loans	22,147.47	675.72	3.05	21,431.54	859.76	4.01
	Housing Loan	20,090.44	370.85	1.85	19,188.98	505.30	2.63
	Education Loan	-	-	-	2,242.55	354.46	15.81
	Subtotal (i)	118,135.91	6,823.06	5.78	103,513.76	10,109.20	9.77
ii) Non-Priority Sector							
a)	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
b)	Industry	34,651.64	1643.71	4.74	56,662.52	2,145.38	3.79
	Other Industries	-	-	-	24,914.49	34.25	0.14
	Infrastructure	22,815.29	601.88	2.64	22,950.38	1,178.59	5.14
	Basic Metal and Metal Products	5,700.54	368.52	6.46	-	-	-
c)	Services	49,907.90	1,990.18	3.99	16,308.26	5,460.31	33.48
	NBFC	28,798.29	1.40	0.00	-	-	-
	Financial Intermediation DFIs Viz. SIDBI and NABARD	10,171.00	-	-	6,099.97	-	-
	Other Services	6,247.33	-	-	-	-	-
d)	Personal loans	49,049.22	883.38	1.80	41,294.46	671.36	1.63
	Housing Loan	23,969.19	135.06	0.56	19,604.02	238.82	1.22
	Other Retail Scheme	14,993.90	243.70	1.63	17,060.00	356.00	2.09
	Sub-total (ii)	133,608.76	4,517.28	3.38	114,265.24	8,277.05	7.24
	Total (I + ii)	251,744.68	11,340.34	4.50	217,779.00	18,386.25	8.44

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



c) Overseas assets, NPAs and Revenue:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

d) Particulars of Resolution Plan & Restructuring:

i. Restructuring of advances in terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019

Asset Classification of advances subject to Resolution Plan & restructuring	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023	
	Number of Borrower	Amount outstanding	Number of Borrower	Amount outstanding
Standard	2	1,074.18	2	1,334.33
Sub Standard	-	-	-	-
Doubtful	6	2,649.01	8	3,476.16
Total	8	3,723.19	10	4,810.49

As per RBI circular DBR. No. BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019, the bank has implemented Resolution Plans for 8 borrowers (Total 10 borrowers was there at March 31, 2023) having total exposure of ₹ 3,723.19 crore (₹ 4,810.49 crore as at March 31, 2023) at the time of implementation. The total exposure outstanding in such resolved accounts as at March 31, 2024 is ₹ 1,978.56 crore (₹ 1,930.09 crore for March 31, 2023).

e) Divergence in asset classification and provisioning:

No disclosure on divergence in asset classification and provision for NPAs is required with respect to RBI's supervisory process for the year ended March 31, 2024, based on the conditions mentioned in RBI circular No. DOR.ACC.REC. No.74/21.04.018/2022-23 dated 11th October 2022.

f) Disclosure of Transfer of Loan Accounts (SMAs & NPAs) in terms of RBI Circular No. DOR.STR. REC.51/21.04.048/ 2021-22 dated 24th September 2021

Details of stressed loans (NPA) transferred during the year:

Particulars	To ARCs/NARCL		To permitted transferees		To other transferees	
	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023
No: of accounts	4	4				
Aggregate principal outstanding of loans transferred	282.68	313.75				
Weighted average residual tenor of the loans transferred	6 Months	NIL				
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	66.75	164.75				
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	23.63	41.60				

ii. The Bank has not transferred any Special Mention Account and loan not in default.

iii. There are no loans acquired (NPA) during the year during the current year as well as in previous year.

iv. There are no Standard Assets transferred or acquired during the current year as well as in previous year.



v. Details of Standard Assets Acquired through assignment/Novation and Loan Participation*:

a. Pool Buyout

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023
No. of accounts Purchased during the year	18,7761	15,0491
Aggregate outstanding	1,208.52	1,020.00
Weighted average maturity	15.63	38.25
Weighted average holding period	3.47	6.74
Retention of beneficial economic interest	10%	10%
Coverage of tangible security coverage	93.55%	95.29%
Rating wise distribution of rated loans	NA	NA

b. Co-Lending

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023
No. of accounts Purchased during the year	95,337	56,846
Aggregate outstanding	7,101.64	5,106.02
Weighted average maturity	104.00	175.00
Weighted average holding period	NA	NA
Retention of beneficial economic interest	20%	20%
Coverage of tangible security coverage	51.50%	87%
Rating wise distribution of rated loans	NA	NA

*Note: Specifically, a transfer should disclose all instances where it has agreed to replace loans transferred to transferee(s) or pay damages arising out of any representation or warranty.

vi. Recovery ratings assigned to Security Receipts held by bank as on 31.03.2024:

Bank is holding an investment of ₹ 2,383.95 crore in security receipts (SR) as on 31.03.2024. Rating wise distribution of the same is as under:

(Amount in ₹ crore)

Rating of SR	Book Value 31.03.2024	Book Value 31.03.2023
R1	120.00	3.08
R2	115.45	156.68
R3	99.84	60.69
R4	-	17.18
R5	-	31.56
Rating Withdrawn	2048.67	2,065.93
Grand Total	2383.95	2,335.13



g) Fraud Accounts

In terms of RBI circular RBI/2015-16/376/DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 details of Fraud and Provision are as below:-

Bank holds full provision as applicable against outstanding balance as on 31.03.2024 in respect of frauds reported during the year ended 31.03.2024.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	During the FY Ended 31.03.2024		During the FY Ended 31.03.2023	
	No	Amount	No	Amount
Number of frauds reported				
a. Borrowal frauds	66	163.56	56	1,084.77
b. Non Borrowal frauds (Other than Digital frauds)	64	21.27	63	21.93
c. Digital frauds	2,269	10.41	414	1.87
Total Amount involved in fraud (₹ crore)	2,399	195.24	533	1,108.57
Amount of provision made for such frauds* (₹ crore)		195.24		1,108.57
Amount of Unmortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)		0		0

*Amount consists of recovery/Digital frauds in which payment is not required to be made/etc. in which provision is not required.

h) Resolution of Covid-19 related Stress:

i. Disclosure regarding accounts restructured under resolution framework 1.0 & 2.0 as on 31.03.2024

(Amount in ₹ crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of the previous half-year (A)**	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year***	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of this half-year
Personal Loans #	1,655.71	61.78	NIL	75.22	1,518.71
Corporate persons*	912.29	72.91	NIL	7.59	831.79
Of which MSMEs	183.00	8.53	NIL	26.38	148.09
Others	1,856.83	108.47	NIL	181.59	1,566.77
Total	4,424.83	243.16	NIL	264.40	3,917.27

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

**Includes accounts where request received till September 30, 2021 and implemented subsequently. Customer-wise exposure has been taken in disclosure after adjustment of new addition and up gradation of accounts.

*** Includes net change in exposure during the period.

Personal loan represents retail advances.



ii. Disclosure on Restructured Accounts to MSME Borrowers:

In accordance with RBI circular no. DBR No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01,2019, DOR No. BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and RBI/2020-21/17 DOR No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Services Tax(GST), the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2024 are as under:

No of Accounts Restructured	# Amount (₹ in Crore)
16,146.00	1,765.45

Standard Restructured accounts exposure. The Bank has maintained additional provision on standard restructured accounts at 5% & 10% whichever applicable.

iii. Disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order:

As per directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018- 19 dated 21.06.2019 (as amended from time to time) disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, M/s. SEL MANUFACTURING CO LTD with an Outstanding Balance of ₹ 45,112,763.50 is classified as Standard as per Court orders vide Hon'ble NCLT Chandigarh Bench No. NCLT/No/CHD/REG/4010 dated 18/02/2021; however Bank is holding provision of ₹ 6,766,914.52 as per IRAC Norms, including provision for unrealized interest on prudent basis.

iv. Additional Provisions at higher than prescribed rates:

In compliance to the RBI guidelines on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances vide RBI/2023-24/06 DOR.STR.REC.3/21.04.048/2023-24 dated 01.04.2023, Point No. 5.7.2, Bank, after evaluation of various sectors, had changed the sectors considered as Stress for the purview of additional provision at higher than prescribed rates in Standard Advances. Accordingly, Vide Board Agenda No. BM/756/2023-24/10/CAT-4/2.03 Dated 28.02.2024 Stressed Sector has been reviewed as under;

		(Amount in ₹ crore)
Sr. No	Sector	Additional Provision Held/ Reversed as on 31.03.2024
1.	Airline Sector (Added to Stressed Sector in Quarter 4)	0.03
2.	Gems & Jewellery Sector (Added to Stressed Sector in Quarter 4)	5.98
3.	Telecom Sector (Continued to be Covered under Stressed Sector in Quarter 4)	0.00
4.	Tourism & Hospitality Sector (Removed from Stressed Sector in Quarter 4)	(4.44)
5.	Road Sector (Removed from Stressed Sector in Quarter 4)	(37.95)

Accordingly, Additional Provision at higher than prescribed rates in Standard Advances in Stressed Sector during March 31, 2024 is ₹ 6.01 crore (₹ 30.89 Crore as on 31.03.2023)

i) Disclosure with respect to NCLT provisions:

As per RBI circular No. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 5,883.23 crore including FITL of ₹ 125.00 crore as at 31st March 2024 (₹ 6,316.13 crore for March 31, 2023 including FITL of ₹ 127.90 crore) i.e. 100 % of total outstanding including Investment as at 31st March, 2024.

j) Disclosure in respect of Additional Provision to be made as per RBI guidelines on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets dated 07.06.2019:-

RBI vide their circular no. RBI/ 2018-19/ 203 DBR. No.BP.BC. 45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Asset issued guidelines for implementation of Resolution Plan, also containing requirements of additional provision as per Para 17 of this RBI circular. The outstanding in such cases as at March 31, 2024 is ₹ 756.51 crore (₹ 1,602.59 crore for March 31, 2023) and in compliance of the above RBI circular, the Bank has held additional provision of ₹ 117.44 crore as at March 31, 2024 (₹ 251.26 crore for March 31, 2023) and hold total provision of ₹ 480.18 crore (₹ 1,116.67 crore for March 31, 2023) as at March 31, 2024.


k) Disclosure in respect of ILFS and ILFS entities

In terms of RBI circular no RBI/2018-19/175 DBR.BP.BC.No.37/21.04.048/2018-19 dated 24.04.2019

(Amount in ₹ crore)

Amount Outstanding	Of (1), total amount of exposures which are NPAs as per IRAC norms and not classified as NPA.	Provisions required to be made as per IRAC norms	Provisions actually held	Description
1	2	3	4	5
193.31	0.00	193.31	193.31	ILFS FIN SER CP
0.00	0.00	0.00	0.00	ILFS EQ*
0.00	0.00	0.00	0.00	New TIRUPUR*
193.31	0.00	193.31	193.31	TOTAL

* Investment in Shares Written off in FY 2023-24

(Amount in ₹ crore)

Amount Outstanding	Of (1), total amount of exposures which are NPAs as per IRAC norms and not classified as NPA.	Provisions required to be made as per IRAC norms	Provisions actually held	Description
1	2	3	4	5
193.31	0.00	193.31	193.31	ILFS FIN SER CP
16.49	0.00	16.49	16.49	ILFS EQ
2.47	0.00	1.02	1.02	New TIRUPUR
212.27	0.00	210.82	210.82	TOTAL

l) Countercyclical Provisioning Buffer

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
A Opening balance in the Countercyclical Provisions account	-	-
B The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	-	-
C Amount of draw down made during the Accounting Year.	-	-
D Closing balance in the Countercyclical Provisions account	-	-

m) Provision on Standard Assets

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2024	31.03.2023
Provisions towards Standard Assets held	2,073.12	2,086.50



n) Disclosure on Large Exposure framework:

Details of Accounts where bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) Framework in respect of any Individual and Group Account based on Tier-1 capital, are as below:-

As of 31.03.2024

Large Exposures to counterparties (Single as well as group of connected counterparties) bank's eligible capital base. (Tier I Capital as of 31.03.2024 ₹ 23,966.45 Crore)

(Amount ₹ in Crore)

Sr. No.	Borrower/ Customer Name	Whether Single (S) or Group (G) of connected Counter parties	Exposure Amount	Exposure as % of Tier I Capital ₹ 23,966.45 Crore
NIL				

o) Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz. Rights Licenses Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9: NIL

5. Exposures

a) Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ crore)

Category	31.03.2024	31.03.2023
(A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	47,511.10	43,911.97
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	22,875.41	14,518.35
Out of which, Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances.		
(Exposure would also include non-fund based (NFB) limits).		
(ii) Commercial Real Estate –		
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits:	3,374.20	2,692.08
(iii) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures-		
- Residential	0.00	0.00
- Commercial Real Estate	0.00	0.00
(B) Indirect Exposure		
(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	12,520.07	11,680.01
Total Exposure to Real Estate Sector	63,405.37	58,284.06

b) Exposure to capital market

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
i) Direct Investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	271.14	406.45
ii) Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs) convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	0.98	1.01



(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.00	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances. Debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	36.24	120.53
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	341.12	484.39
vi) Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii) Bridge Loans to the companies against expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix) Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x) All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered)	397.33	437.86
Total Exposure to Capital Market	1,047.11	1,450.24

c) Risk Category-wise Country Exposure :

Risk Category	Exposure (net) as at March 31 st (2024)	Provision held as March 31 st (2024)	Exposure (net) as at March 31 st (2023)	Provision held as March 31 st (2023)
Insignificant	482.21	NIL	224.30	NIL
Low	259.93	NIL	242.12	NIL
Moderately Low	NIL	NIL	NIL	NIL
Moderate	75.04	NIL	62.44	NIL
Moderately High	NIL	NIL	NIL	NIL
High	2.54	NIL	1.42	NIL
Very High	4.04	NIL	3.30	NIL
Restricted	0.68	NIL	5.27	NIL
Off-Credit	9.15	NIL	0.33	NIL
Total	833.61	NIL	539.18	NIL

As the Bank's Net Funded exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1 % of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.


d) Unsecured Advances

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Total unsecured advances of the bank	46,927.33	20,737.90
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

e) Factoring Exposures:

There is no factoring exposure as at 31.03.2024 or 31.03.2023.

f) Intra-Group Exposures

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Total amount of intra-group exposures	1,374.74	1,316.91
Total amount of top-20 intra-group exposures	1,374.74	1,316.91
Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.43%	0.42%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon if any	NIL	NIL

g) Unhedged Foreign Currency exposure:

The Bank has put in place a Board approval policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum (Executive Brief) prepared at the time of origination and review of a credit facility covers the required details viz. Total Foreign Exchange exposure, of which hedged position & if un-hedged, how the borrower plans to cover.

Provision on the un-hedged portion of foreign portion of currency exposures of customers is made on quarterly basis.

As per the Board approval policy, all Advances involving foreign currency lending of USD 1 million or equivalent and above is mandatory to be hedged unless specially permitted by the competent authorities. However hedging need not be insisted in the following cases

- Where Forex loans are extended to finance exports, hedging need not be insisted. However it should be ensured that such customers have uncovered receivables to cover the loan amount.
- Where Forex loans are extended for meeting forex expenditure.
- In respect of advances involving foreign currency loans below USD 1 million or equivalent:
- In case of corporates who are rated "A" and above, Competent Authority may permit allowing advances involving foreign currency loans without insisting for hedging.
- Customers who do not satisfy the conditions stipulated above will be required to provide cash margin, if they prefer to keep exposure open, to the extent of the forward premium prevailing for the tenor of un-hedged exposure.

Movement of Provision is as under:-

Particulars	For the year ended March 2024	For the year ended March 2023
Opening Balance Provision account	7.61	4.18
The quantum of provisions made in the accounting year (including exchange difference)	0.00	3.43
Amount Reverse during the accounting year	3.33	0.00
Closing balance in the provisions account	4.28	7.61



In accordance with RBI guidelines, as at March 31, 2023, the amount of bank's credit exposure against un-hedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹. 509.29 crore (Total UFCE Exposure of ₹ 1,575.24 crore). The additional RWA on this exposure is ₹ 92.71 crore against this additional minimum capital requirement is ₹ 10.66 crore.

Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Un-hedged Foreign Currency in terms of RBI circular RBI/2022-23/131 DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of ₹. 4.28 crore as on March 31, 2024 (Previous Year ₹. 7.61 Crore as on March 31, 2023)

CATEGORY	31.03.2024	31.03.2023
Unhedged Foreign Currency exposure	8,226.59	9,375.38
Based on the available financial statements and the declaration from borrowers, the Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. NO.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of Unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures. Provisions held for Unhedged Foreign Currency exposure	4.28	7.61

h) Single Borrower and Group Borrower exposure limits:

The Bank had taken single borrower exposure & Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

6. Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

a) Concentration of deposits:

(Amount in ₹ crore)		
Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Total deposits of the twenty largest depositors	13,342.18	14,559.22
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	3.46%	4.05%

b) Concentration of Advances*

(Amount in ₹ crore)		
Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Total Advances (Credit Exposure) to Top 20 largest borrowers	46,126.29	35,269.83
Total Advances (Credit Exposure)	3,01,623.29	2,98,649.76
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	15.29%	11.81%

*Represent Credit exposure as per RBI Norms

c) Concentration of Exposures**

(Amount in ₹ crore)		
Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Total exposure to twenty largest borrowers/customers	47,766.49	37,574.72
Total Exposure	3,17,606.10	3,16,640.07
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	15.04%	11.87%

** Represent credit and investment exposure


d) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Total Exposure to top twenty NPA accounts	14,784.50	13,895.20
Percentage of exposures to the top twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	31.64%	29.08%

7. Derivatives
a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	The Notional Principal of Swap agreements	8,520.00	5,625.00
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements.	55.57	63.71
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	55.57	63.71
	*Forward rate Agreement	NIL	NIL

b) Nature and Terms of Interest rate swap:

INSTRUMENT	NATURE	NOS	NOTIONAL PRINCIPAL	BENCHMARK	TERMS
IRS	HEDGING	110	20,250,000,000	MIBOR	FIXED PAY VS FLOATING RECEIVABLE
IRS	TRADING	161	27,350,000,000	MIBOR	FIXED PAY VS FLOATING RECEIVABLE
IRS	TRADING	201	37,600,000,000	MIBOR	FLOATING PAY VS FIXED RECEIVABLE

c) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2024 (instrument wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

d) Disclosures on risk exposure in derivatives:
i) Qualitative Risk Exposure

- The Bank currently deals in over the counter (OTC) interest rate and currency derivatives as also in Interest Rate Futures and Exchange Traded Currency Derivatives. Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are rupee interest rate swaps and foreign currency interest rate swaps. Currency derivatives dealt by the Bank are USD/ INR currency swaps and cross currency swaps. The products are offered to the Bank's customers to hedge their exposures and the Bank also enters into derivatives contracts to cover off such exposures. Derivatives are used by the Bank both for trading as well as hedging balance sheet items.
- Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates/exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Policy for Derivatives" approved by the Board



prescribes the market risk parameters (Greeks limits, Loss Limits, cut-loss triggers, open position limits, duration, modified duration, PV01 etc.) as well as customer eligibility criteria (credit rating, tenure of relationship, limits and customer appropriateness and suitability of policy (CAS) etc.) for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties satisfying the criteria prescribed in the Policy. Appropriate limits are set for the counterparties taking into account their ability to honor obligations and the Bank enters into ISDA agreement with each counter party.

- c) The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees efficient management of these risks. The Bank's Market Risk Management Department (MRMD) identifies, measures, monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.
- d) The accounting policy for derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17: Significant Accounting Policies (SAP) for the financial year 2023-24.
- e) Interest Rate Swaps are mainly used for hedging of the assets and liabilities.
- f) Majority of the swaps were done with First class counterparty banks.
- g) Derivative transactions comprise of swaps which are disclosed as contingent liabilities. The swaps are categorized as trading or hedging.
- h) Derivative deals are entered with only those interbank participants for whom counterparty exposure limits are sanctioned. Similarly, derivative deals entered with only those corporates for whom credit exposure limit is sanctioned. Collateral requirements for derivative transactions are laid down as a part of credit sanctions terms on a case-by-case basis. Such collateral requirements are determined based on usual credit appraisal process. The Bank retains the right to terminate transactions as a risk mitigation measure in certain cases.

II. Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2024		31.03.2023	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
a)	For hedging	16,128.56	2,025.00	22,743.18	1,760.00
b)	For trading	50,651.26	6,495.00	58,657.64	3,865.00
ii)	Marked to Market Positions				
a)	Asset (+)	167.21	55.57	457.57	63.71
b)	Liability (-)	105.26	45.40	480.90	38.10
iii)	Credit Exposure	1,335.60	85.20	1,628.02	54.80
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
a)	On hedging derivatives	-	0.64	-	0.71
b)	On trading derivatives	-	0.30	-	0.28
v)	Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year				
a)	On hedging	-	Max-0.71 Min-0.29	-	Max-0.71 Min-0.47
b)	On trading	-	Max-0.30 Min-0.01	-	Max-0.28 Min-0.01

e. Credit Default Swaps

Bank has not taken any position in Credit Default Swap in the financial year 2023-24.



8. Disclosure Relating to securitization

Policy on Securitization of Standard Assets in line with RBI Guidelines has been approved by our Bank's Board. At present our Bank has no exposure under this segment.

9. Off-Balance Sheet SPVs sponsored

The Bank had not floated any off Balance Sheet SPV.

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
i) Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	1,270.55	1,085.73
ii) Add: Amount transferred to DEA Fund during the year	384.37	209.65
iii) Less: Amount reimbursement by DEA Fund towards claims	109.42	24.83
iv) Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	1,545.50	1,270.55

Closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, are also included under 'Schedule 12-Contingent Liabilities-Other items for which the bank is contingently liable or 'Contingent Liabilities –Others,' as the case may be.

11. Disclosure of Complaints:

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of ombudsman :

Sr. Particulars No.	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023
Complaints received by the bank from its customers		
1 Number of complaints pending at beginning of the year	494	384
2 Number of complaints received during the year	26,554	28,399
3 Number of complaints disposed during the year	25,962	28,289
3.1 Of which, number of complaints rejected by the bank	302	0
4 Number of complaints pending at the end of the year	1,086	494
Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5 Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	5,752	4,832
5.1 Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	5,473	4,610
5.2 Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by Office of Ombudsman	267	222
5.3 Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0	2
6 Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.


b) Top five Grounds of Complaints received by the bank from customers:

Grounds of complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, Number of complaints beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
FY 2023-24					
ATM Transactions	1,622	96,641	(-)22.05	1904	0
Internet/Mobile/E-banking	16	902	(-)631.93	137	0
Facilities for customers visiting the branch etc.	98	5,281	(-)30.24	102	0
A/C Opening/difficulty in operation of account-General Banking	2	89	(+)16.85	1	0
Loans & Advances	36	1,632	(+)38.05	32	0
Others	342	18,650	(+)25.82	814	0
Total	2,116	123,195		2,990	0
FY 2022-23					
ATM Transactions	539	117953	(-)23.97	1622	0
Internet/Mobile/E-banking	8	6602	300.12	16	0
Facilities for customers visiting the branch etc.	22	6878	233.56	98	0
A/C Opening/difficulty in operation of account-General Banking	7	74	(-)95.16	2	0
Loans & Advances	6	1011	51.80	36	0
Others	341	13834	(-)38.50	342	0
Total	923	146352		2116	0

c) Investors' Complaints:

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023
1	Pending at the beginning of the year	-	-
2	Received during the year	-	3
3	Redressed during the year	-	3
4	Pending at the end of the year	-	-

12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India -

During the financial year ended March 31, 2024, the Reserve Bank of India has levied/imposed a penalty of ₹ 0.84 crore on May 26, 2023 for non-compliance with certain provisions of 'Reserve Bank of India (Frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs) directions 2016' and 'Master Circular on Customer Service in Banks'. Penalty amount was paid to RBI on May 31, 2023.

13. Disclosure on Remuneration

(Amount in ₹ crore)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2024	31.03.2023
Shri. M V Rao	Managing Director & CEO	0.44	0.41
Shri. Vivek Wahi	Executive Director	0.37	0.34
Shri. Rajeev Puri (till 30.06.2023)	Executive Director	0.14	0.37
Shri. M V Murali Krishna	Executive Director	0.34	0.10
Shri. Mahendra Dohare (w.e.f. 09.10.2023)	Executive Director	0.16	0.00
Total		1.45	1.22

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – “Related Party Disclosure” issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.



Further, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

Sr. No.	Items	31.03.2024	31.03.2023
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.60%	7.07%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.17%	1.13%
(iii)	Cost of Deposits	4.61%	3.92%
(iv)	Net Interest Margin	3.40%	3.47%
(v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.82%	1.90%
(vi)	Return on Assets	0.63%	0.44%
(vii)	Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ Crore)	19.94 Crore	18.45 Crore
(viii)	Profit per employee (in ₹ Crore)	0.08	0.05

* Figures have been regrouped/recalculated to conform the current year classification

b) Bancassurance Business:

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the current year and previous year.

Fees/brokerage received in respect of the Bancassurance Business undertaken is as under:

Particulars	31.03.2024		31.03.2023	
	No. of policies	Amount (in ₹ crore)	No. of policies	Amount (in ₹ crore)
Life	68,225	114.87	66,509	78.86
Non-Life	2,67,953	14.33	2,48,089	12.27
Total	3,36,178	129.20	3,14,598	91.13

c) Marketing and distribution

There are no Marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by bank.

d) Disclosure regarding priority sector lending certificates

i. The bank has sold PSLC during FY 2022-23 and FY 2023-24 as follows:

(Amount in ₹ crore)

Category	Year Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2023
PSLC Micro Enterprises	-	700.00
PSLC Agriculture	-	-
PSLC General	-	1,000.00
PSLC Small and Marginal Farmers	1,500.00	2,950.00
Total	1,500.00	4,650.00

ii. The Bank has not purchased PSLC during FY 2022-23 and FY 2023-24.

e) **Provisions and Contingencies:** - Refer note no 15(h) of Disclosure requirements as per the Accounting Standard-29 hereafter in this Schedule.

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

RBI vide Circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 deferred implementation of Ind AS till further notice. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS financial statements every half year. Accordingly, the Bank is preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS financial statements every half year after approval by Management.



g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ crore)

Provisions debited to Profit and Loss Account	31.03.2024	31.03.2023
i) Payment of DICGC Insurance Premium	454.58	431.32
ii) Arrears in payment of DICGC premium	-	-

h) Disclosure on amortization of expending on account of enhancement in family pension of employees of Banks :-

RBI vide their Circular No.: RBI/2021-22/105 DORACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the additional liability on account of revision in family pension for employees over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ended 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Based on the Actuarial Valuation report obtained by the Bank the additional liability on account of revision in family pension for employees is arrived at ₹ 821.95 crore. Bank has opted to amortize the same as per the said circular of RBI and has charged an amount of ₹ 544.52 crore out of ₹ 821.95 crore to the Profit & Loss account during the financial year ended 31st March, 2022. During the year ended March 31, 2024, the Bank has charged ₹ 113.03 crore to the Profit and Loss account. The unamortized expense being carried forward to subsequent years is NIL.

i) Balancing of Books / Reconciliation:

a) The parent Bank is under process of reconciling the outstanding balances/entries in various heads of accounts included in Inter office adjustment (IBR) account.

The Net balance of IBR account as at March 31, 2024 is ₹ 87.72 crore (net debit) and as at 31st March, 2023 is ₹ 1.95 crore (net credit).

b) The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM Department
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department and other balances
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances
- GST
- Fixed Asset
- Other Assets
- Other Liabilities

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

j) Details of Letter of Comfort issue by Banks and outstanding as on 31.03.2024:-

There are no Letter of Comfort issued during the year as well as in previous year by Bank.

k) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits :-

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023	Cumulative*
Total green deposits raised (A)	37.09	10.46	47.55
Use of green deposit funds**			
(1) Renewable Energy	37.09	10.46	47.55
(2) Energy Efficiency			
(3) Clean Transportation			
(4) Climate Change Adaptation			
(5) Sustainable Water and Waste Management			



(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023	Cumulative*
(6) Pollution Prevention and Control			
(7) Green Buildings			
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use			
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation			
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	37.09	10.46	47.55
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	0	0	0
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects			

* This shall contain the cumulative amount since the RE started offering green deposits. For example, if a bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ending March 31, 2025, would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023, till March 31, 2025. Further, the actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds shall be given under this disclosure. **Under each category, REs may provide sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector. For example, REs may provide sub-categories like solar energy, wind energy, etc. under "Renewable Energy".

I) Additional disclosure related to other asset & other liabilities:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Schedule 5 other liabilities-IV-5 any item under "others (including provisions)" exceed 1% of total assets	NIL	NIL
Schedule 11 other asset –VI any item under "others" in other assets exceeds 1% of the total assets	NIL	NIL
Schedule 14-VII "other miscellaneous income" any item under this head exceeds 1% of total income	Recovery received in accounts written off ₹1,433.32 crore which is 4.05% of other Total income.	Recovery received in accounts written off ₹1,282.59 crore which is 4.33% of other Total income.
Schedule 16-XII "other expenditure" any item under this head exceeds 1% of total income	NIL	NIL

15. Disclosure Requirements as per the Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

a) Accounting Standard-15 "Employee Benefits":

- Defined Benefit Plans, Employee's pension plan and Gratuity plan

The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plans and Gratuity Plan as per Actuarial Valuation by the independent Actuary appointed by the parent bank:-

(Amount ₹ in crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY(22-23)	FY(23-24)	FY(22-23)
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation				
Opening Defined Benefit Obligation 1 st April, 2023	16,729.00	16,237.43	1,651.72	1,730.20



(Amount ₹ in crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY(22-23)	FY(23-24)	FY(22-23)
Current Service Cost	137.03	85.97	104.79	107.84
Interest Cost	1,237.95	1,177.21	112.99	109.69
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
Actuarial Losses (gains)	1,199.14	909.56	122.95	(15.07)
Benefits Paid	(1,798.53)	(1,681.17)	(239.63)	(280.94)
Direct Payment by Bank	-	-	-	-
Closing Defined Benefit Obligation at 31 st March, 2024	17,504.59	16,729.00	1,752.82	1,651.72
Change in Plan Assets				
Opening Fair Value of Plan Assets as at 1 st April, 2023	16,483.92	15,807.88	1,637.42	1,630.51
Expected Return on Plan Assets	1,153.26	1,133.25	118.88	110.79
Contributions by Employer	1,342.40	1,327.65	177.73	231.29
Expected Contributions by the employees	-	-	-	-
Benefits Paid	(1,798.53)	(1,681.17)	(239.63)	(280.94)
Actuarial Gains /(Loss) on Plan Assets	191.76	(103.69)	31.63	(54.23)
Closing Fair Value of Plan Assets as at 31 st March, 2024	17,372.81	16,483.92	1,726.03	1,637.42
Amount Recognized in the Balance Sheet				
Present Value of Funded obligation at 31 st March, 2024	17,504.59	16,729.00	1,752.82	1,651.72
Fair Value of Plan Assets at 31 st March, 2023	(17,372.81)	(16,483.92)	(1,726.03)	(1,637.42)
Unrecognized past service Cost	-	-	-	-
Deficit/(Surplus)	131.78	245.08	26.79	14.30
Net Liability/(Asset)	131.78	245.08	26.79	14.30
Net Cost Recognized in the Profit and Loss Account				
Current Service Cost	137.03	85.97	104.79	107.83
Past Service Cost-Recognized	-	657.56	-	-
Interest Cost	1,237.95	1,177.21	112.99	109.69
Expected Return on Plan Assets	(1,153.26)	(1,133.26)	(118.88)	(110.79)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	1,007.38	1,013.25	91.31	39.17
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	1,229.09	1,800.74	190.21	145.90
Reconciliation of Expected Return and Actual Return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1,153.26	1,133.26	118.88	110.79
Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	191.76	(103.69)	31.63	(54.24)
Actual Return on Plan Assets	1,345.02	1029.57	150.51	56.55



(Amount ₹ in crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY(22-23)	FY(23-24)	FY(22-23)
Reconciliation of Opening and Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet				
Opening Net Liability /(Asset) as at 1 st April, 2023	245.08	(228.01)	14.30	99.69
Expenses as Recognized in Profit and Loss Account	1,229.09	1,800.74	190.21	145.90
Employer's Contribution	(1,342.40)	(1,327.65)	(177.73)	231.29
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	131.77	245.08	26.78	14.30

Investment under Plan Assets of Pension Funds & Gratuity Fund as on 31st March, 2024 are as follows-

CATEGORY OF ASSETS	PENSION FUND	GRATUITY FUND
	% OF PLAN ASSETS	% OF PLAN ASSETS
Central Govt. Securities	0.22	0.82
State Govt. Securities	16.93	37.99
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	16.46	28.69
Mutual Funds	3.42	2.80
Insurer Managed Funds	62.95	29.36
Others	0.02	0.34
Total	100.00	100.00

Particulars	Pension Plan	
	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY(22-23)
Principal Actuarial Assumptions		
Discount Rate	7.20%	7.40%
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.20%	7.40%
Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%
Pension Escalation Rate	4.00%	4.00%
Attrition Rate	2.50%	2.50%
Mortality Table	IALM(2012-14)	

Particulars	Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY(22-23)
Principal Actuarial Assumptions		
Discount Rate	7.20%	7.40%
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.20%	7.40%
Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%
Attrition Rate	2.50%	2.50%
Mortality Table	IALM(2012-14)	

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

**SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN**

GRATUITY PLAN		YEAR ENDED			
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
Liability at the end of the year	1,623.23	1,726.66	1,730.20	1,651.72	1,752.82
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,720.32	1,534.62	1,630.51	1,637.42	(1,726.03)
Difference	(97.09)	192.04	99.69	14.30	26.79
Amount Recognized in the Balance Sheet	(97.09)	192.04	99.69	14.30	26.79

EXPERIENCE ADJUSTMENT		YEAR ENDED			
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
On Plan Liability (Gain)/ Loss	(6.34)	249.60	145.94	(15.07)	122.94
On Plan Asset (Loss) / Gain	(3.38)	32.99	45.41	(54.23)	31.64

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

PENSION PLAN		YEAR ENDED			
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
Liability at the end of the year	15,421.82	15,557.67	16,237.43	16,729.00	17,504.59
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	14,939.64	15,198.04	15,807.88	16,483.92	17,372.81
Difference	482.18	359.63	429.55	245.08	131.78
Amount unrecognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	-	-	277.43	-	-
Amount Recognized in the Balance Sheet	482.18	359.63	152.12	245.08	131.78
Amount Recognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	-	-	544.52	277.43	-

EXPERIENCE ADJUSTMENT		YEAR ENDED			
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
On Plan Liability (Gain)/ Loss	12.65	2,279.00	847.41	1,126.87	1,199.14
On Plan Asset (Loss) / Gain	346.19	276.30	98.07	1,013.25	191.75

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for next year is ₹ 131.78 crore and ₹ 26.79 Crore respectively which is to be received in the FY 2024-25.

ii. Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Protean eGov Technologies Ltd (Formerly NSDL e-Governance Infrastructure Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During FY 2023-24, the bank has contributed ₹ 252.94 crore (Previous year ₹ 244.48 crore).

iii. Employees' Provident Fund:-

During the year bank has recognized expenses of ₹ 0.77 crore and corresponding year ₹ 0.96 crore on account of employer contribution for the employees covered under PF option Scheme i.e. PF Optees.

iv. A) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹ 131.38 crore (Previous Year ₹ 78.70 crore) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.


Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) - Privilege Leave Benefits
Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY (22-23)
Defined Benefit Obligation	1,201.71	1,070.33
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	1,201.71	1,070.33

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY (22-23)
Discount Rate	7.20%	7.45%
Salary Growth Rates	5.00%	5.00%

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY (22-23)
25 & Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table
Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY (22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

B) Other Long Term Employee Benefits
1. Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Retirement Benefits
Asset and Liabilities

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY (22-23)
Defined Benefit Obligation	8.09	2.74
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	8.09	2.74

Financial Assumptions

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY (22-23)
Discount Rate (P.a)	7.20%	7.40%
Inflation Rate (p.a)	-	-
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

**Withdrawal rates Per Annum**

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY (22-23)
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table**Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality)IALM**

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY (22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

2. Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Long Service Benefits**Asset and Liabilities**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY (22-23)
Defined Benefit Obligation	1.33	1.21
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	1.33	1.21

Financial Assumptions (Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Discount Rate (P.a)	7.20%	7.40%
Inflation Rate (p.a)	-	-
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table**Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality)IALM**

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%



C) Accounting Standard 17 –

Segment Reporting

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognized Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:-

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury –

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking –

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts, Trust / Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking and Stressed Assets Management Branch. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients.

iii. Retail Banking –

The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹ 7.50 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. **Other Banking business –**

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

Secondary (Geographical Segment)

- 1) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- 2) The Bank has only one geographical segment i.e. Domestic Segment.

(Amount in ₹ crore)

Business Segment	Business Segment (Solo)								Total	
	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations			
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23		
Particulars	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Revenue	11,812.74	10,974.59	8,279.47	6,564.56	15,013.91	11,701.76	-	-	35,106.12	29,240.91
Result	2,704.34	2,585.67	702.13	1,226.84	775.73	(1,208.26)	-	-	4,182.20	2,604.25
Unallocated Expenses									(128.82)	41.09
Operating Profit									4,053.38	2,645.34
Income Taxes									1,504.32	1,063.14
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									2,549.06	1,582.20
Other Information:										
Segment Assets	184,685.69	184,294.75	96,548.66	77,326.33	151,756.14	130,251.75	-	-	432,990.49	391,872.83
Unallocated Assets									13,682.19	14,292.65
Total Assets									446,672.68	406,165.48
Segment Liabilities	179,376.86	179,578.72	91,432.83	73,563.83	143,715.03	123,914.02	-	-	414,524.72	377,056.57
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									414,524.72	377,056.57

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

The Bank has only one geographical segment i.e. Domestic Segment



D) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

List of Related Parties:

I. Key Managerial Personal –

Name of Director	Designation
i) Shri. M V Rao	Managing Director & CEO
ii) Shri. Vivek Wahi	Executive Director
iii) Shri. Rajeev Puri (till 30.06.2023)	Executive Director
iv) Shri. M V Murali Krishna	Executive Director
v) Shri. Mahendra Dohare (w.e.f. 09.10.2023)	Executive Director

II. Subsidiaries –

i) Cent Bank Home Finance Limited
ii) Cent Bank Financial Services Limited

III. Associates –

i) Regional Rural Banks –
a) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Bihar)
b) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (West Bengal)
ii) Indo – Zambia Bank Ltd., Zambia

E) Accounting Standard -10 & Accounting Standard - 19 & (Freehold & Leases)

- i. The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2024 based on valuation reports of external independent valuers' and approved by the Board of Directors and ₹ 490.00 crore (₹ 329.98 crore for Freehold properties and ₹ 160.02 crore. For Leasehold properties) increases in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.
- ii. In case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 54.87 crore (₹ 38.71 crore for Freehold properties and ₹ 16.16 crore for Leasehold properties) for F.Y. 2023-24 upto March 2024 (previous year 2022-23 ₹ 65.36 crore) is transferred from 'Revaluation Reserves' and credited to "Revenue and Other Reserves". Depreciation on increased value on account of revaluation has not been considered for the financial year ending 31.03.2024.
- iii. Land obtained on lease by bank includes market value of buildings as on 31.03.2024 for ₹ 6.36 crore (previous year ₹ 8.99 crore) with written down value as NIL (previous year NIL), the lease period of which has expired and the bank is still having its offices/building on these lands and vacant land obtained on lease by the Bank includes market value as on 31.03.2024 is ₹ 16.43 crore with written down value as NIL, where the lease period is expired, perusing with authorities for lease renewals.
- iv. As per AS-19, operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.
 - i) Liability for Premises taken on Non-Cancellable operating lease are ₹ NIL as on 31.03.2024
 - ii) Amount of lease payments recognized in the P&L Account for operating lease is ₹ 454.39 crore as on 31.03.2024 (Previous year ₹ 392.02 crore).
- v. Additional Disclosure:
 - a) Premises obtained by bank include own property of ₹ 37.13 crore for which registration formalities are still under progress.
 - b) The title of property amounting to ₹ 37.13 crore acquired on disposal of security are not in favour of the Bank as the matter is sub-judice.



F) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 have been arrived at as follows:

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in crore)	2,549.06	1,582.20
Weighted Average number of Equity Share (No.)	8,68,09,39,432	8,68,09,39,432
Basic Earnings per Share (₹) *	2.94	1.82
Diluted Earnings per Share (₹) *	2.94	1.82
Nominal Value per Share (₹)	10	10

G) Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income

Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

- Claims against the bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (schedule 12) includes ₹ 5,964.67 crore (previous year ₹ 5,969.69 crore) towards disputed Income Tax liability of the parent Bank. It includes Income tax appeals at various levels by bank and Income tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case. Payments/ adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (schedule 11). Disputed service tax matter as on March 31st, 2024 is ₹ 9.12 crore.
- Government of India has inserted Section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019 which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at a reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The Bank has assessed the applicability of the act and opted to continue the existing tax rate (i.e. 34.944%) for the financial year ended March 31st, 2024.
- In the Opinion of the Management, the provisions of Section 115JB of the Income Tax Act, 1961 are not applicable. Without prejudice to this stand, the Bank has recognized a MAT tax provision of ₹ 275.33 crore for the current financial year and the entire sum, being MAT credit entitlement (₹ 1,960.90 crore as on 31.03.2024) under section 115 JAA of the Income Tax act, 1961 has been recognized and treated as an asset. The applicability of provisions of Section 115JB (post amendment by the Finance Act, 2012) of the Income Tax Act, 1961 is under adjudication before Special Bench of Income Tax Appellate Tribunal, Mumbai.
- Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 4,294.57 crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2024. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2024 are as under:

(Amount ₹ in crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Business Loss	3,124.24	2,270.61	-	-
Provision for Leave Encashment	419.93	374.02	-	-
Provision for Loans and Advances	1,570.95	3,945.44	-	-
Interest on Income Tax Refund	-	-	61.87	40.96
Interest accrued but not due on investments	-	-	747.67	699.00
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	-	-	34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets	-	-	(23.94)	16.26
TOTAL	5,115.12	6,590.07	820.54	791.16
Net Deferred Tax Asset/Liability	4,294.58		-	

Net decrease in Deferred Tax Assets for the Financial Year 2023-24 is ₹ 1,504.33 crore (Previous year ₹ 1,063.14 crore) has been recognized in profit & loss account.

g) Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2024 requiring recognition in terms of the Standard


H) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(Amount in ₹ crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2024	31.03.2023
Provisions/Depreciation on Investment (NPI)	(264.90)	214.59
Provision towards NPA	3,391.39	3,531.55
Provision towards Standard Asset	52.01	680.54
Provision made for Taxes	1,504.33	1,063.14
Provision for Restructured Advances	(33.83)	(221.81)
Other Provisions	164.63	30.80
TOTAL	4,813.63	5,301.57

I) Additional Disclosures:-

Implementation of the Guidelines on Information Security Electronic Banking Technology Risk Management and Cyber Frauds. The bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 28.02.2024.

J) Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006:- There has been no reported case of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

K) In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) Lending of ₹ NIL has been undertaken. Accordingly, these have been adjusted from the advances of the Bank. Interest income of ₹ NIL has been recognized against these borrowings.

L) Disclosure with respect to spreading of MTM losses in asset:

This has reference to RBI circular RBI/2017-18/200 DBR No BP.BC.113/21.04.048/2017-18 dated 15 June 2018 regarding the option to spread provisioning for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT on account of sharp increase in the yields on Government Securities: NIL

M) Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm current year's classification.

VIVEK WAHI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

M. V. RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

CHARULATHA S. KAR
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**
Chartered Accountants
F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)
PARTNER
M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)
PARTNER
M. No. 074272

Place: Mumbai
Date: April 30, 2024



Standalone Cash Flow Statement

for the year ended March 31, 2024

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31-03-2024	31-03-2023
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before taxes	4,053.39	2,645.34
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	499.64	385.86
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	(267.26)	214.10
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	3,391.39	3,309.74
	Provision for Standard Assets	52.01	680.54
	Provision for Other items (Net)	133.16	34.05
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	14.67	1.34
	Dividend Received from Subsidiaries	(7.83)	(7.95)
	Sub total	7,869.17	7,263.02
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	25,714.85	16,604.53
	Increase / (Decrease) in Borrowings	11,686.90	644.39
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	14.37	231.32
	(Increase) / Decrease in Advances	(43,813.36)	(38,123.31)
	(Increase) / Decrease in Investments	(7,072.75)	3,989.37
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(60.89)	894.46
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc.)	(254.51)	(297.96)
	Sub total	(13,785.39)	(16,057.20)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(5,916.22)	(8,794.18)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.01	3.62
	Purchase of Fixed Assets	(586.77)	(212.07)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	7.83	7.95
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(575.93)	(200.50)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	-	-
	Share Application Money	-	-
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	-
	Dividend Tax	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-	-



(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31-03-2024	31-03-2023
D	NET INCREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A + B + C) OR (F - E)	(6,492.15)	(8,994.68)
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	27,432.92	38,033.70
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	16,666.73	15,060.63
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	44,099.65	53,094.33
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	22,954.69	27,432.92
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	14,652.81	16,666.73
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	37,607.50	44,099.65

Notes:

- The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

VIVEK WAHI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

M. V. RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

CHARULATHA S. KAR
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**
Chartered Accountants
F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)
PARTNER
M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)
PARTNER
M. No. 074272

Place: Mumbai

Date: April 30, 2024

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS

**KISHORE & KISHORE**

Chartered Accountants
C-7, Sector E (New), Aliganj,
Lucknow- 226024

A D B & COMPANY

Chartered Accountants
First Floor, Mahavir Gaushala Complex
K.K. Road, Moudhapara,
Raipur – 492001 (C.G.)

A.R. & Co

Chartered Accountants
A-403, Gayatri Apartments Airlines Group Housing
Society Plot No 27, Sector -10, Dwarka
New Delhi – 110075

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of
Central Bank of India
Mumbai

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Central Bank of India ('the Parent Bank') which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2024, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements") which includes:
 - a) audited standalone financial statements of the Parent Bank audited by us;
 - b) audited financial statements of one subsidiary – Centbank Financial Services Limited – audited by other auditor
 - c) unaudited financial statements of one subsidiary – Cent Bank Home Finance Limited
 - d) unaudited financial statements of three (3) associates –
 - (i) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur;
 - (ii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar
 - (iii) Indo-Zambia Bank Limited.

The above entities together with the Parent Bank are referred to as "the Group".

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the

other auditors on separate financial statements of subsidiaries, the unaudited financial statements and other financial information of the associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- a) the consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2024;
- b) the consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- c) the consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the consolidated financial statements.



Emphasis of Matter

3. We draw attention to:

- a) Note no. 4.7 of Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding deferred tax, wherein on the basis of tax review made by the Parent Bank's management with respect to the possible tax benefits arising out of the timing difference, the net deferred tax asset of ₹ 4,283.51 crore is recognised as on 31st March 2024 (₹ 5,788.19 crore as on 31st March 2023).

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended 31st March 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters

1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances (refer Schedule 9 read with Note 3 of Schedule 17 to the consolidated financial statements)

Advances comprise substantial portion of the Group's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein.

Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provisions on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the financial statements of the Group.

Auditors' response

Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular:

- » We have evaluated and understood the Parent Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
- » We assessed and evaluated the process of identification of NPAs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- » We have analyzed and understood key IT systems/applications used, operational effectiveness of relevant controls including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
- » In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have:
 - timely recognized the depletion in the value of available security.
 - made adequate provisioning based on such time-to-time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package.
- » We placed reliance upon the Independent Auditor's Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.



Key Audit Matters	Auditors' response
<p>2. Investments</p> <p>Investment portfolio of the Group comprises of investments in government securities, bonds, debentures, shares, security receipts and other approved securities which are classified under three categories: Held to Maturity (HTM), Held for Trading (HFT), and Available for Sale (AFS). Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets.</p> <p>Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 5 of Schedule 17 to the consolidated financial statements)</p> <p>The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc.</p> <p>As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments.</p> <p>Hence, the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/ depreciation related to Investments. In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> » We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Parent Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non- Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments. » We tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. » We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. » We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. » We assessed that the financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.
<p>3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process</p> <p>The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions.</p> <p>The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use.</p> <p>The Parent Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services.</p> <p>Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive Impact on the financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> » We obtained an understanding of the Parent Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. » We tested the design, implementation, and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner.



Key Audit Matters

Auditors' response

4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims:

Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 14 of Schedule 17 and Note No. 4.10 of Schedule 18).

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet.

Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability.

However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/ unascertainable at this stage.

Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a Key Audit Matter.

» We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements, information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon.

We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.

We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank.

We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/ or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/ litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Information other than the consolidated financial statements and Auditors' report thereon

5. The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and the Pillar 3 disclosures under Capital Adequacy Framework (Basel

III disclosures) and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.



When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time ("RBI guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates are responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors are also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements

as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.



- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group of which we are the independent auditors and whose financial information we have audited, to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these

matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. Incorporated in these consolidated financial statements are the:
 - (a) We did not audit the financial statements/information of 1356 branches included in the standalone financial statements of the Parent Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹ 2,07,912 crore as at 31st March 2024 and total revenue of ₹ 8,313 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
 - (b) In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 3124 branches included in the standalone financial statements of the Parent Bank certified by the respective branch's management whose financial statements/information reflect total assets of ₹ 1,13,873 crore as at 31st March 2024 and total revenue of ₹ 7,632 crore for the year ended on that date.
 - (c) We did not audit the financial statements / information of one subsidiary whose financial statement reflects total assets of ₹ 54.36 crore as at 31st March 2024 and total revenues of ₹ 5.29 crore for the year ended on that date as considered in the consolidated financial statements. These financial statements / information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, is based solely on the report of the other auditors.
 - (d) We did not audit the financial statements / information of one subsidiary whose financial statement reflects total assets of ₹ 1625.37 crore as at 31st March 2024 and total revenues of ₹ 162.30 crore for the year ended on that date as considered



in the consolidated financial statements. These financial statements / information are not audited so far and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, is based solely on such unaudited financial statements certified by the management and according to the information and explanations given to us by the Board of Directors, these financial results / financial information are not material to the Group.

- (e) The consolidated financial statements include the Group's share of net profit of ₹ 100.64 crore for the year ended 31st March 2024 in respect of 3 associates, whose financial statements / financial information have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates is based solely on such unaudited Financial Statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, based on our audit and on the consideration of reports of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries and associates as noted in the "Other Matters" paragraph, we report, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report, to the extent applicable that:
- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

- b) The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Group; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Parent Bank so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- b) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Parent Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the consolidated Balance Sheet, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

12. As required under the provisions of Section 30(2) of the Banking Regulation Act, 1949 by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated 17th March 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated 19th May 2020 issued by the RBI, we further report that:

- a) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
- c) As the Parent Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2)



of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Parent Bank.

On the basis of the reports of the statutory auditors of one subsidiary incorporated in India, none of the directors of the that subsidiary incorporated in India is disqualified as on 31st March 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

FOR KISHORE & KISHORE
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000291N

CA P. R. KARANTH
PARTNER
M. No. 018808
UDIN: 24018808BKDZIK4729

For ADB & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 005593C

CA BANKIM SHUKLA
PARTNER
M. No. 074272
UDIN: 24074272BKEHFV9090

Place: Mumbai
Date: 30.04.2024

- e) As per para 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone Financial Statements of Public Sector Banks. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over Financial Reporting with reference to Consolidated Financial Statements.

FOR A.R. & Co
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.002744C

CA PAWAN GOEL
PARTNER
M.No.072209
UDIN: 24072209BKFDGM1385

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2024

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	As on 31-Mar-24 (₹)	As on 31-Mar-23 (₹)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	8,68,09,394	8,68,09,394
Reserves and Surplus	2	23,69,34,722	20,53,57,914
Minority Interest	2A	7,61,619	6,73,138
Deposits	3	3,85,54,07,764	3,59,77,51,185
Borrowings	4	20,01,28,769	8,33,39,157
Other Liabilities and Provisions	5	9,76,73,453	9,68,66,358
TOTAL		4,47,77,15,721	4,07,07,97,146
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	22,95,47,930	27,43,29,199
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	14,65,30,059	16,66,90,249
Investments	8	1,44,01,00,245	1,36,56,93,837
Advances	9	2,44,39,92,774	2,03,89,32,569
Fixed Assets	10	5,33,63,509	4,77,66,959
Other Assets	11	16,40,92,308	17,72,95,437
Goodwill on Consolidation		88,896	88,896
TOTAL		4,47,77,15,721	4,07,07,97,146
Contingent Liabilities	12	96,29,97,995	1,32,70,78,967
Bills for Collection		10,05,70,676	11,03,90,657

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet

VIVEK WAHI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

M. V. RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

CHARULATHA S. KAR
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**
Chartered Accountants
F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)
PARTNER
M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)
PARTNER
M. No. 074272

Place: Mumbai

Date: April 30, 2024



Consolidated Profit and Loss Account

for the year ended March 31, 2024

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	Year ended 31-Mar-24 (₹)	Year ended 31-Mar-23 (₹)
I. INCOME			
Interest Earned	13	30,84,89,210	25,65,71,000
Other Income	14	4,71,30,609	4,08,44,939
TOTAL		35,56,19,819	29,74,15,939
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	17,88,23,691	13,90,51,019
Operating Expenses	16	10,27,48,949	8,90,99,979
Provisions and Contingencies		4,82,87,378	5,31,71,633
TOTAL		32,98,60,018	28,13,22,631
Share of earning/(loss) in Associates		10,06,367	7,90,621
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities Interest		2,67,66,168	1,68,83,929
Less: Minority Interest		89,360	96,145
Consolidated Profit/(Loss) for the year attributable to the Group		2,66,76,808	1,67,87,784
Add: -Brought forward consolidated Profit/(Loss) attributable to the Group		1,02,47,511	(5,42,285)
Add- Adjustment in Profit & Loss		-	(1,14,541)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		63,72,645	39,55,503
Transfer to Other Reserve		22,51,113	19,27,944
a. Capital Reserve		3,60,861	13,32,997
b. Revenue Reserve		19,236	10,296
c. Investment Reserve		4,45,596	9,300
d. Proposed Dividend- Equity Share Capital		-	-
e. Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		50,960	27,842
f. Investment Fluctuation Reserve		13,74,460	5,47,509
Transfer to Government/Proposed Dividend		-	-
Balance Carried over to the Balance Sheet		2,83,00,561	1,02,47,511
TOTAL		3,69,24,319	1,61,30,958
Earnings Per Share (In ₹)- Basic (Nominal Value ₹ 10/- per share)		3.07	1.93
Earnings Per Share (In ₹)- Diluted (Nominal Value ₹ 10/- per share)		3.07	1.93

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account

VIVEK WAHI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

M. V. RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

CHARULATHA S. KAR
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

Priavrat Sharma
Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**
Chartered Accountants
F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)
PARTNER
M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)
PARTNER
M. No. 074272

Place: Mumbai
Date: April 30, 2024



Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2024

(000's Omitted)

PARTICULARS	As on 31-Mar-24		As on 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital	10,00,00,000		10,00,00,000	
1000,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Subscribed Capital	8,68,09,394		8,68,09,394	
(8680939432 Equity Shares of ₹ 10 each)				
Paid up	8,68,09,394		8,68,09,394	
(8680939432 Equity Shares of ₹ 10 each)				
8680939432 Equity Shares (previous year 8680939432 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 8080391687 Equity shares of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL	8,68,09,394		8,68,09,394	
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,72,03,582		2,32,48,079	
Additions during the year	63,72,645		39,55,503	
	3,35,76,227		2,72,03,582	
II. Capital Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1,88,02,225		1,74,69,228	
Additions during the year	3,60,861		13,32,997	
	1,91,63,086		1,88,02,225	
III. Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	3,64,95,852		3,71,49,448	
Additions - Adjustments during the year	49,00,000		-	
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves	5,48,671		6,53,596	
Deductions during the year	-		-	
	4,08,47,181		3,64,95,852	
IV. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	7,46,66,328		7,46,66,328	
Additions/Adjustments during the year	-		-	
Reduction during the year	-		-	
	7,46,66,328		7,46,66,328	
V. Other Reserves				
a). Special Reserve U/S 36 (1)(viii)				
Balance as per last Balance Sheet	16,09,359		15,81,517	
Additions/Adjustments during the year	50,960		27,842	
Reduction during the year	-		-	
	16,60,319		16,09,359	



(000's Omitted)

PARTICULARS	As on 31-Mar-24		As on 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
VI. Revenue and Other Reserves				
i) Investment Fluctuation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	71,28,429		65,80,920	
Add:- Addition during the year	13,74,460		5,47,509	
Less:- Deduction during the year	-		-	
		85,02,889		71,28,429
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1,23,146		1,13,846	
Add:- Addition during the year	4,45,596		9,300	
Less: Deductions during the year	-	5,68,742	-	1,23,146
iii) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,90,81,482		2,84,17,590	
Add: Transfer from Revaluation Reserves	5,48,671		6,53,596	
Additions/Adjustment during the year	19,236		10,296	
Add: Opening Balance Adjustments	-		-	
Add/Less: Adjustments during the year	-		-	
		2,96,49,389		2,90,81,482
VII. Balance in Profit and Loss Account				
Balance as per last balance sheet	1,02,47,511		(5,42,285)	
Add:- Adjustment in Profit & Loss	-		(1,14,541)	
Add:- Profit for the year after appropriation of Profit	1,80,53,050		1,09,04,337	
		2,83,00,561		1,02,47,511
Total		23,69,34,722		20,53,57,914
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	7,37,119		6,48,638	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		7,61,619		6,73,138
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	70,98,342		98,44,694	
ii) From Others	18,22,83,881		17,74,74,505	
		18,93,82,223		18,73,19,199
II. Savings Bank Deposits		1,73,72,09,212		1,62,53,14,529
III. Term Deposits				
i) From Banks	65,41,082		68,57,251	
ii) From Others	1,92,22,75,247		1,77,82,60,206	
		1,92,88,16,329		1,78,51,17,457
TOTAL (I,II and III)		3,85,54,07,764		3,59,77,51,185
B. i) Deposits of Branches in India		3,85,54,07,764		3,59,77,51,185
ii) Deposits of Branches outside India		-		-

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



(000's Omitted)

PARTICULARS	As on 31-Mar-24		As on 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	11,01,00,000		1,76,40,000	
ii) Other Banks	28,14,737		-	
iii) Other Institutions & Agencies	5,72,14,032		4,06,99,157	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	-		-	
v) Upper Tier II bonds	-		-	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	-		-	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	3,00,00,000		2,50,00,000	
	20,01,28,769		8,33,39,157	
II. Borrowings outside India				
			-	
TOTAL	20,01,28,769		8,33,39,157	
Secured borrowings included in I & II above		-		-
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	99,14,552		94,93,095	
II. Inter Office Adjustments (Net)	-		19,468	
III. Interest Accrued	64,93,844		89,15,697	
IV. Deferred Tax Liabilities (Net)	-		-	
V. Others(including provisions)	8,12,65,057	9,76,73,453	7,84,38,098	9,68,66,358
TOTAL	9,76,73,453		9,68,66,358	
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		1,42,62,877		1,50,01,105
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	21,52,85,053		16,52,98,094	
In Other Accounts	-		9,40,30,000	
		21,52,85,053		25,93,28,094
TOTAL (I and II)		22,95,47,930		27,43,29,199
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	2,93,307		4,05,075	
b) In Other Deposit Accounts	1,548		24,676	
		2,94,855		4,29,751
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		-	
b) With Other Institutions	-		-	
		-		-
TOTAL.... I		2,94,855		4,29,751
II. Outside India				
a) In Current Accounts	19,44,554		20,02,668	
b) In Other Deposit Accounts	14,42,90,650		16,42,57,830	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
TOTAL.... II		14,62,35,204		16,62,60,498
TOTAL.... (I + II)		14,65,30,059		16,66,90,249



(000's Omitted)

PARTICULARS	As on 31-Mar-24		As on 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in :				
i) Government Securities	1,12,75,91,015		1,03,03,86,822	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	75,94,335		74,05,592	
iv) Debentures and Bonds	29,16,51,534		31,90,42,322	
v) Associates	54,76,078		41,79,213	
vi) Others				
a) UTI Shares & Commercial Papers				
Mutual Fund Units etc.	49,69,639		22,66,922	
Total I		1,43,72,82,601		1,36,32,80,871
II. Investments outside India in				
i) Government Securities	-		-	
ii) Associates	28,17,644		24,12,966	
iii) Other Investments	-		-	
Total II		28,17,644		24,12,966
TOTAL (I and II)		1,44,01,00,245		1,36,56,93,837
III. Investments in India :				
Gross Value of Investments	1,49,34,29,036		1,42,39,75,024	
LESS: Aggregate of Provision for Depreciation	5,61,46,435		6,06,94,153	
Net Investments		1,43,72,82,601		1,36,32,80,871
IV Investments outside India :				
Gross Value of Investments	28,17,644		24,12,966	
LESS: Aggregate of Provision for Depreciation	-		-	
Net Investments		28,17,644		24,12,966
TOTAL		1,44,01,00,245		1,36,56,93,837
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	2,63,85,662		3,09,41,503	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	86,50,95,143		79,06,06,898	
iii) Term Loans	1,55,25,11,969		1,21,73,84,168	
TOTAL (i,ii and iii)		2,44,39,92,774		2,03,89,32,569
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets	2,03,93,92,687		1,81,72,28,464	
Including advances against Book Debts				
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	1,24,01,090		75,94,346	
iii) Unsecured	39,21,98,997		21,41,09,759	
TOTAL (i,ii and iii)		2,44,39,92,774		2,03,89,32,569
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	1,14,20,69,133		96,68,04,431	
ii) Public Sector	2,87,63,043		2,40,71,293	
iii) Banks	10,118		2	
iv) Others	1,27,31,50,480	2,44,39,92,774	1,04,80,56,843	2,03,89,32,569
TOTAL (i,ii, iii and iv)		2,44,39,92,774		2,03,89,32,569
(II) Advances outside India		-		-

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



(000's Omitted)

PARTICULARS	As on 31-Mar-24		As on 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31 st March of the preceding year	4,88,29,312		4,88,11,918	
Additions during the year	23,493		17,394	
Additions on account of revaluation during the year	49,00,000		-	
Total	5,37,52,805		4,88,29,312	
Deductions / Adjustments during the year	-		-	
Total	5,37,52,805		4,88,29,312	
Depreciation to date	1,05,59,264		99,17,382	
TOTAL.... I		4,31,93,541		3,89,11,930
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31 st March of the preceding year	3,81,90,109		3,65,83,009	
Additions / Adjustments during the year	63,08,617		31,77,913	
Total	4,44,98,726		3,97,60,922	
Deductions/Adjustments during the year	11,91,273		15,70,812	
Total	4,33,07,453		3,81,90,110	
Depreciation to Date	3,31,37,485		2,93,35,081	
TOTAL.... II		1,01,69,968		88,55,029
TOTAL.... (I + II)		5,33,63,509		4,77,66,959
III. Capital-work-in progress				
Total (I, II & III)		5,33,63,509		4,77,66,959
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Inter office adjustments (Net).	8,77,226		-	
II. Interest accrued	2,14,95,727		2,00,13,999	
III. Tax paid in advance/tax deducted at source	4,51,58,776		4,26,64,929	
IV. Stationery and Stamps	2,10,310		2,28,747	
V. Non-banking assets acquired in Satisfaction of claims	-		-	
VI. Deferred Tax Assets	4,28,35,179		5,78,81,749	
VII. Others	5,35,15,090		5,65,06,013	
		16,40,92,308		17,72,95,437
TOTAL		16,40,92,308		17,72,95,437



(000's Omitted)

PARTICULARS	As on 31-Mar-24		As on 31-Mar-23	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		41,21,046		12,48,708
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions		5,96,46,738		5,96,96,875
(includes appeals filed by the Income Tax Department of ₹ 54125695 ('000s omitted) as at 31 st Mar 2024 as against ₹ 54125695 ('000s omitted) as at 31st Mar 2023.				
II. Liability for partly paid Investments		1,25,02,962		1,26,58,798
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts		73,62,84,486		1,10,82,31,495
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	9,84,80,561		9,19,06,778	
b) Outside India	3,61,119		52,11,840	
		9,88,41,680		9,71,18,618
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		1,89,46,706		2,21,49,908
VI. Other items for which the bank is contingently liable		3,26,54,377		2,59,74,565
TOTAL		96,29,97,995		1,32,70,78,967

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



Schedules forming part of the Consolidated Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2024

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-24 (₹)	YEAR ENDED 31-Mar-23 (₹)
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	19,82,20,682	15,02,53,615
II. Income on Investments (Including Dividend)	9,51,39,133	8,71,84,229
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1,12,02,930	1,44,38,269
IV. Others	39,26,465	46,94,887
TOTAL	30,84,89,210	25,65,71,000
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,83,84,698	1,78,69,428
II. Profit on sale of land, buildings and Other Assets	15	1
Less: Loss on sale of land, buildings and Other Assets	1,46,652	13,396
III. Profit on Exchange transactions	24,74,428	30,34,878
Less: Loss on Exchange transactions	-	-
IV. Profit on sale of Investments (Net)	63,68,616	27,36,829
Less: Loss on sale of Investments	-	-
V. Profit on revaluation of Investments	7,29,606	24,811
Less: Loss on revaluation of Investments	-	-
VI. Miscellaneous Income		
a. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	68,337.00	64,454.00
b. Others	1,92,51,561	1,71,27,934
TOTAL	4,71,30,609	4,08,44,939
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	16,94,88,559	13,42,73,336
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	33,87,496	10,57,783
III. Others	59,47,636	37,19,900
TOTAL	17,88,23,691	13,90,51,019



(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-24 (₹)	YEAR ENDED 31-Mar-23 (₹)
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	6,32,57,705	5,61,56,968
II. Rent, Taxes and Lighting	59,75,203	52,85,758
III. Printing and Stationery	4,03,765	3,30,635
IV. Advertisement and Publicity	2,50,496	1,75,363
V. a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	49,98,343	38,59,798
b) Depreciation on Leased Assets	-	-
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	13,794	10,258
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	3,29,209	3,54,756
VIII. Law Charges	3,71,473	2,73,403
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	8,83,199	9,37,895
X. Repairs and Maintenance	14,82,443	14,74,942
XI. Insurance	46,83,110	44,14,494
XII. Amortisation of Goodwill, if any	-	-
XII. Other Expenditure	2,01,00,209	1,58,25,709
TOTAL	10,27,48,949	8,90,99,979

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY

FINANCIALS



SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONSOLIDATED)

A. Background

Central Bank of India (the Bank) is a body corporate registered under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. The principal business is providing banking and financial services with wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies and institutional customers. The business is conducted through its branches in India. The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

B. Basis of preparation:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the revaluation of premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, National Housing Bank Act 1987, the Housing Finance Companies (NHB) Directions 2010, Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

C. Basis of Consolidation

Consolidated financial statements of the Group (comprising of 2 Subsidiaries, 3 Associates [including 2 RRBs]) have been prepared on the basis of:

- a) Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)
- b) Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of Parent and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealized profit/ losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI.
- c) Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory

requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.

- d) The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit/ loss is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period proportionate share of profit/ loss is taken based on unaudited figures.
- e) The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the Company's separate Financial Statements except as otherwise stated.

Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of:

- a. The amount of equity attributable to the minority as at the date on which investments in a subsidiary is made, and
- b. The minority share of movements in equity since date of parent-subsidiary relationship came into existence.

D. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/ materialised.

E. Significant accounting policies:

1. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

2. Revenue recognition:

I Parent Bank

2.1 General

Income/ expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income accounted on cash basis as per regulatory provisions.



2.2 Income from investments

- a) The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, profit on sale of investments in the Held to Maturity (HTM) category is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".
- b) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
 - (i) on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/redemption.
 - (ii) on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- c) Dividend income is recognized when right to receive the dividend is established.
- d) Upside on security receipts is recognised on realisation as 'Other income'.

2.3. Sale of financial assets

Financial Assets sold are recognized as under:

- a) The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI. When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
- b) In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account in the year of sale.
- c) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

2.4. Fee based income

Commission on letters of credit, bank guarantee and deferred payment guarantee are recognised on accrual basis proportionately over the period. All other commission and fee income are recognised on their realisation.

2.5 Others

- a) Interest on income tax refund is accounted on receipt of refund order(s)/ intimation from Income Tax Department and acceptance by the Bank.

- b) Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

II Subsidiaries

- a) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).
- b) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges, interest on income tax refunds and other income etc. are recognized on receipt basis.
- c) In case of Cent bank Financial Services Ltd., the subsidiary, income in relation to Executor Trusteeship business is accrued on occurrence of transactions relating to trust account. Revenue from debenture and security trusteeship services is recognized on period basis and accounted on accrual basis except the income from debenture trusteeship business of suit filed and/or BIFR companies, which is accounted on receipt basis.

3. Advances:

I Parent bank

3.1 Based on the guidelines/ directives issued by the RBI, loans and advances are classified as performing and non-performing, as follows:

- a) The term loan is classified as a non-performing asset, if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.
- b) An overdraft or cash credit is classified as a non-performing asset, if, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the previous 90 days period.
- c) The bills purchased/ discounted are classified as non-performing asset if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.
- d) The agricultural advances are classified as a non-performing if, (i) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and (ii) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.



3.2 Non-performing assets are classified into sub-standard, doubtful and loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

- a) **Sub-standard:** A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- b) **Doubtful:** A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- c) **Loss:** A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-standard assets:

- i. A general provision of 15% on the total outstanding.
- ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio).
- iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%.

Doubtful Assets:

- Secured portion:

Up to one year	25%
One to three years	40%
More than three years	100%

- Unsecured portion 100%

Loss Assets 100%

3.4 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and claims received from CGTSI/ ECGC, etc.

3.5 For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which inter alia require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.

3.6 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are

reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

3.7 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.8 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

3.9 Additional provisions higher than regulatory norms are made in specific assets in view of the identified weakness and/ or prevailing economic situation.

3.10 Partial recoveries in non-performing account (including partially written off accounts) are appropriated in the following order:

- i. Principal Overdues / Irregularities
- ii. Unrealised interest
- iii. Partial Written Off principal
- iv. Uncharged Interest
- v. Unrealised charges

In case of suit filed/SARFAESI/ recalled accounts, recovery is appropriated in the following order:

- i. Ledger outstanding balance
- ii. Unrealised interest
- iii. Partial Written Off principal
- iv. Uncharged Interest
- v. Unrealised charges

However, where any borrower account is required to be classified as non-performing from an earlier date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances

II Subsidiaries

a) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, provisions on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank.

b) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, Interest income is recognized on accrual basis except in case of Non-Performing Assets (NPA) where interest is accounted on realization. In loans, the repayment is received by the way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the month. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI



monthly interest is charged. Recovery in case of NPA is appropriated first towards interest portion of overdue EMIs and thereafter towards principal portion of overdue EMIs.

4 Provision for country exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures.

5. Investments:

I Parent bank

Investments are accounted for in accordance with the extant guidelines of investment classification and valuation, as given below:

5.1 Classification:

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity (HTM)", "Held for Trading (HFT)" and "Available for Sale (AFS)" categories.

For disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, investments are classified as Investments in India and outside India.

Under each category, the investments in India are further classified as

- Government Securities
- Other Approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries, joint ventures/associates and sponsored institutions; and
- Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

The investments outside India are further classified under 3 categories

- Government Securities
- Subsidiaries and Joint Ventures/Associates
- Other Investments

5.2 Basis of Classification:

Classification of an investment is done at the time of purchase into the following categories:

- Held to Maturity: Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- Held for Trading: Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".
- Available for Sale: Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)".
- Transfer of Securities between categories: An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the regulatory guidelines.
- Investments in subsidiaries, joint ventures/ associates and sponsored institutions are classified as HTM except in respect of those investments which are acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal. Such investments are classified as AFS.

5.3 Valuation:

The transactions in all securities are recorded on a Settlement Date and cost is determined on the weighted average cost method.

- Incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to the Profit and Loss Account as revenue expenses.
- Broken Period interest paid/ received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/ sale consideration.
 - Valuation of investments classified as Held to Maturity: The investments classified under this category are carried at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium is accounted as expense.

Investments (in India and abroad) in subsidiaries, joint ventures/ associates are valued at historical cost. A provision is made for diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.



- Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost (i.e. book value).
- b) Valuation of investments classified as Available for sale and Held for Trading: Investments classified as Available for Sale and Held for Trading are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines and the net depreciation if any, of each group for each category (viz. (i) Government securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Bonds and Debentures, (v) Subsidiaries and Joint Ventures/Associates and (vi) others) is provided for and net appreciation is ignored.
- c) Valuation policy in event of inter category transfer of investments:
- i) Transfer of securities from HFT/ AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- ii) Transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition cost / book value. On transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided, in the Profit and Loss Account.
- d) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Securitisation Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts:
- i) The investment in security receipts obtained by way of sale of NPA to SC/ RC, is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR.
- ii) SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.
- e) Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

5.4 Investments (NPI):

Investments are classified as performing and non-performing, based on "Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021" (as amended) and "Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances", as under:

- a) Interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days. The same is applied to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- b) In the case of equity shares, in the event the investment in shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c) The Bank also classifies an investment as a non-performing investment, in case any credit facility availed by the same borrower/ entity has been classified as a non-performing asset and vice versa.
- d) The investments in debentures/ bonds, which are deemed to be advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

5.5 Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions

The Bank enters into repurchase and reverse repurchase transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and also with market participants. Repurchase transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse repurchase transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

- a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo (other than LAF) are accounted as overnight Tri-party Repo (TREPS) dealing and settlement.
- b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.



- c) The above entries are reversed on the date of maturity. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).
- d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

II Subsidiaries

In case of Subsidiaries, the Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the non-current investment is made only, if the diminution in the value is of permanent nature.

6. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

6.1 Derivatives used for hedging are accounted as under:

- a) In cases where the underlying assets/ liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- b) Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying assets/ liabilities are also marked to market.
- c) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/ liabilities.

6.2 Derivatives used for trading are accounted as under:

- a) Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and BSE.
- b) Mark to market profit or loss is accounted by credit/ debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in the Bank's profit and loss account on final settlement.
- c) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market losses are booked and gains, if any, are ignored on net basis.

- d) Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/ expense under the above head.

7. Transactions involving foreign exchange:

7.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.

7.2 Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India ("FEDAI") closing (spot/ forward) rates and the resultant profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign currency non-monetary items, which are carried at historical cost, are reported using the exchange rate on the date of the transaction.

Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

7.3 Outstanding foreign exchange spot and forward contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate.

7.4 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

7.5 Gains/ Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the profit and loss account.

8. Fixed assets and depreciation:

I Parent bank

8.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortisation.

Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes and professional fees incurred on the asset before it is put to use.

8.2 Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.



8.3 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

- a. Premises At varying rates based on estimated life
 - a) Furniture, Lifts, Safe Vaults 10%
 - b) Vehicles, Plant & Machinery 20%
 - c) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. 15%.
 - d) Computers including Systems Software 33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

8.4 Other fixed assets are depreciated on Straight Line Method on the basis of estimated useful life of the assets.

8.5 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

8.6 Where it is not possible to segregate the cost of land and premises, depreciation is charged on the composite cost.

8.7 In case of assets, which have been revalued, the depreciation/ amortization is provided on the revalued amount and is charged to the Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation/ amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to 'Revenue and Other Reserves'.

8.8 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year.

No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year on assets sold after 30th September.

8.9 The Bank considers only immovable assets for revaluation. Properties acquired during the last three years are not revalued. Valuation of the revalued assets is done every three years thereafter.

8.10 The increase in net book value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account.

Additional depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

8.11 The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

II Subsidiaries

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Cost includes all expenses incidental to expenses to the acquisition of fixed assets.

b) Depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, intangible assets have been amortized considering the economic life of the asset to be 5 years by the Management and amortized accordingly.

9 Leases:

Leases where risks and rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS-19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit and Loss account on a straight-line basis over the lease term in accordance with AS 19.

10 Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset and such impairment losses, if any, on fixed assets are recognised and charged to Profit & Loss Account in accordance with Accounting Standard-28 Impairment of Assets.

11. Employee Benefits:

11.1 Employee benefits are accrued in the year in which services are rendered by the employees.

11.2 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

11.3 Defined benefit plans:

The Bank operates Gratuity and Pension schemes



which are defined benefit plans.

- a) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation.
- b) The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.
- c) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.
- d) When the benefits of the plan are changed, or when a plan is curtailed or settlement occurs, the portion of the changed benefit related to past service by employees, or the gain or loss on curtailment or settlement, is recognized immediately in the profit or loss account when the plan amendment or when a curtailment or settlement occurs.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.
- e) Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

11.4 Defined Contribution Plan:

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to

Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account

12. Accounting for Taxes on Income:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – “Accounting for Taxes on Income” respectively.

Deferred tax is recognized on timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss Account.

13. Sundry Unallocated Income and Proceeds

In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries cannot be ascertained, such amounts have been accounted in nominal account “Sundry Party Unclaimed Dividend / Interest” and “Unallocated / Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities”.

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

14. Provisions, Contingencies and Contingent assets:

14.1 In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the



Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 No provision is recognised for:

- a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- b) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is made on estimated basis.

14.4 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

15 Special Reserves:

Revenue and other Reserve include Special Reserve created under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that it has no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

16 Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 – “Segment Reporting” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

17 Earnings per Share:

- a) The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – “Earnings per Share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.
- b) Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

VIVEK WAHI

Executive Director

M V MURALI KRISHNA

Executive Director

MAHENDRA DOHARE

Executive Director

M. V. RAO

Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH

Director

CHARULATHA S. KAR

Director

DINESH PANGTEY

Director

PRADIP P. KHIMANI

Director

PRIAVRAT SHARMA

Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**

Chartered Accountants

F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**

Chartered Accountants

F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**

Chartered Accountants

F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)

PARTNER

M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)

PARTNER

M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)

PARTNER

M. No. 074272

Place: Mumbai

Date: April 30, 2024



SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1. Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements

- 1.1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (Parent Bank), its two subsidiaries (collectively referred to as "the Group") and share of profit / loss in three Associates consisting of two Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited as per details given below:

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2024	Ownership interest as at March 31, 2023
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

- 1.2. The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of Parent Bank i.e. 31st March, 2024, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken on unaudited figures for the financial year ended 31.03.2024. Financial Statement of Indo Zambia Bank is prepared as per the accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the Management the impact is not material.
- 1.3. The accumulated share of profit/ loss of the Parent Bank in the associates has been added to/ reduced from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated reserves of the Group.
- 1.4. Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits received/ liabilities are for shorter tenure, resulting in mismatch of assets and liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.
- 1.5. Financial Statements of one of the Subsidiaries are audited by an auditor other than auditor of parent bank and another subsidiary financials is unaudited and certified by the management. The financial statements of three associates are unaudited and certified by the management.
2. In the preparation of consolidated financial statements, wherever, different accounting policies for similar transactions have been followed by subsidiaries and associates, adjustments have not been made as in the opinion of management of the Bank the same are not material.

3. PARENT BANK

3.1. CAPITAL:

- 3.1.1. Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2024 is ₹ 8,680.94 crore, the President of India (Government of India) has not infused any fresh capital during the Financial Year 2023-24. The shareholding of President of India (Government of India) in the Bank is 93.08%.

3.2. Balancing of Books / Reconciliation:

- 3.2.1. The parent Bank is under process of reconciling the outstanding balances/entries in various heads of accounts included in Inter office adjustment (IBR) account.

The Net balance of IBR account as at 31st March, 2024 is ₹ 87.72 crore (net debit) and as at 31st March, 2023 is ₹ 1.95 crore (net credit).

- 3.2.2. The reconciliation of the following items is in progress.

- » Inter Branch Office Balance
- » Inter Bank Accounts
- » Suspense Accounts
- » Clearing & other Adjustment Accounts
- » Certain balances in nominal account
- » Nostro Accounts



- » Balances related to ATM Department
- » Mirror Accounts maintained by Central Card Department and other balances
- » Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances
- » Fixed Asset
- » Other Assets
- » Other Liabilities

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3. Income Tax:

3.3.1. Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.3.2. Claims against the bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (schedule 12) includes ₹ 5,964.67 crore (previous year ₹ 5,969.69 crore) towards disputed Income Tax liability of the parent Bank. It includes Income tax appeals at various levels by bank and Income tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case. Payments/ adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (schedule 11). Disputed service tax matter as on March 31st, 2024 is ₹ 9.12 crore.

3.3.3. Government of India has inserted Section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019 which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at a reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The Bank has assessed the applicability of the act and opted to continue the existing tax rate (i.e. 34.944%) for the financial year ended 31st March, 2024.

3.3.4. In the Opinion of the Management, the provisions of Section 115JB of the Income Tax Act, 1961 are not applicable. Without prejudice to this stand, the Bank has recognized a MAT tax provision of ₹ 275.33 crore for the current financial year and the entire sum, being MAT credit entitlement (₹ 1,960.90 crore as on 31.03.2024) under section 115 JAA of the Income Tax act, 1961 has been recognized and treated as an asset. The applicability of provisions of Section 115JB (post amendment by the Finance Act, 2012) of the Income Tax Act, 1961 is under adjudication before Special Bench of Income Tax Appellate Tribunal, Mumbai.

3.4. Advances / Provisions:

Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

3.5. Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the financial year ended March 31, 2024, the Reserve Bank of India has levied/imposed a penalty of ₹ 0.84 crore on May 26, 2023 for non-compliance with certain provisions of 'Reserve Bank of India (Frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs) directions 2016' and 'Master Circular on Customer Service in Banks'. Penalty amount was paid to RBI on May 31, 2023.

4. Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India.



4.1. Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy no.9. However, the said income is not considered to be material.

4.2. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

4.2.1. Defined Benefit Plans

i. Defined Benefit Plans, Employee's pension plan and Gratuity plan

The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plans and Gratuity Plan as per Actuarial Valuation by the independent Actuary appointed by the Parent bank:-

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY(22-23)	FY(23-24)	FY(22-23)
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation				
Opening Defined Benefit Obligation 1 st April, 2023	16,729.00	16,237.43	1,651.72	1,730.20
Current Service Cost	137.03	85.97	104.79	107.84
Interest Cost	1,237.95	1,177.21	112.99	109.69
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
Actuarial Losses (gains)	1,199.14	909.56	122.95	(15.07)
Benefits Paid	(1,798.53)	(1,681.17)	(239.63)	(280.94)
Direct Payment by Bank	-	-	-	-
Closing Defined Benefit Obligation at 31 st March, 2024	17,504.59	16,729.00	1,752.82	1,651.72
Change in Plan Assets				
Opening Fair Value of Plan Assets as at 1 st April, 2023	16,483.92	15,807.88	1,637.42	1,630.51
Expected Return on Plan Assets	1,153.26	1,133.25	118.88	110.79
Contributions by Employer	1,342.40	1,327.65	177.73	231.29
Expected Contributions by the employees	-	-	-	-
Benefits Paid	(1,798.53)	(1,681.17)	(239.63)	(280.94)
Actuarial Gains /(Loss) on Plan Assets	191.76	(103.69)	31.63	(54.23)
Closing Fair Value of Plan Assets as at 31 st March, 2024	17,372.81	16,483.92	1,726.03	1,637.42
Amount Recognized in the Balance Sheet				
Present Value of Funded obligation at 31 st March, 2024	17,504.59	16,729.00	1,752.82	1,651.72
Fair Value of Plan Assets at 31 st March, 2024	(17,372.81)	(16,483.92)	(1,726.03)	(1,637.42)
Unrecognized past service Cost	-	-	-	-
Deficit/(Surplus)	131.78	245.08	26.79	14.30
Net Liability/(Asset)	131.78	245.08	26.79	14.30
Net Cost Recognized in the Profit and Loss Account				
Current Service Cost	137.03	85.97	104.79	107.83
Past Service Cost-Recognized	-	657.56	-	-



(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY(22-23)	FY(23-24)	FY(22-23)
Interest Cost	1,237.95	1,177.21	112.99	109.69
Expected Return on Plan Assets	(1,153.26)	(1,133.26)	(118.88)	(110.79)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	1,007.38	1,013.25	91.31	39.17
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	1,229.09	1,800.74	190.21	145.90
Reconciliation of Expected Return and Actual Return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1,153.26	1,133.26	118.88	110.79
Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	191.76	(103.69)	31.63	(54.24)
Actual Return on Plan Assets	1,345.02	1,029.57	150.51	56.55
Reconciliation of Opening and Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet				
Opening Net Liability /(Asset) as at 1 st April, 2023	245.08	(228.01)	14.30	99.69
Expenses as Recognized in Profit And Loss Account	1,229.09	1,800.74	190.21	145.90
Employer's Contribution	(1,342.40)	(1,327.65)	(177.73)	231.29
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	131.77	245.08	26.78	14.30

Investment under Plan Assets of Pension Funds & Gratuity Fund as on 31st March, 2024 are as follows-

CATEGORY OF ASSETS	PENSION FUND	GRATUITY FUND
	% OF PLAN ASSETS	% OF PLAN ASSETS
Central Govt. Securities	0.22	0.82
State Govt. Securities	16.93	37.99
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	16.46	28.69
Mutual Funds	3.42	2.80
Insurer Managed Funds	62.95	29.36
Others	0.02	0.34
Total	100.00	100.00

Principal Actuarial Assumptions	Pension Plan	
	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY(22-23)
Discount Rate	7.20%	7.40%
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.20%	7.40%
Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%
Pension Escalation Rate	4.00%	4.00%
Attrition Rate	2.50%	2.50%
Mortality Table	IALM(2012-14)	


Principal Actuarial Assumptions

	Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year
	FY(23-24)	FY(22-23)
Discount Rate	7.20%	7.40%
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.20%	7.40%
Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%
Attrition Rate	2.50%	2.50%
Mortality Table	IALM(2012-14)	

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(Amount in ₹ crore)

GRATUITY PLAN AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	YEAR ENDED				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
Liability at the end of the year	1,623.23	1,726.66	1,730.20	1,651.72	1,752.82
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,720.32	1,534.62	1,630.51	1,637.42	(1,726.03)
Difference	(97.09)	192.04	99.69	14.30	26.79
Amount Recognized in the Balance Sheet	(97.09)	192.04	99.69	14.30	26.79

EXPERIENCE ADJUSTMENT AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	YEAR ENDED				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
On Plan Liability (Gain)/ Loss	(6.34)	249.60	145.94	(15.07)	122.94
On Plan Asset (Loss) / Gain	(3.38)	32.99	45.41	(54.23)	31.64

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(Amount in ₹ crore)

PENSION PLAN AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	YEAR ENDED				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
Liability at the end of the year	15,421.82	15,557.67	16,237.43	16,729.00	17,504.59
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	14,939.64	15,198.04	15,807.88	16,483.92	17,372.81
Difference	482.18	359.63	429.55	245.08	131.78
Amount unrecognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	-	-	277.43	-	-
Amount Recognized in the Balance Sheet	482.18	359.63	152.12	245.08	131.78
Amount Recognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	-	-	544.52	277.43	-

(Amount in ₹ crore)

EXPERIENCE ADJUSTMENT AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	YEAR ENDED				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
On Plan Liability (Gain)/ Loss	12.65	2,279.00	847.41	1,126.87	1,199.14
On Plan Asset (Loss) / Gain	346.19	276.30	98.07	1,013.25	191.75

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for next year is ₹ 131.78 crore and ₹ 26.79 crore respectively which is to be received in the FY 2024-25.



ii. Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (NSDL) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During 2023-24, the bank has contributed ₹ 252.94 crore (Previous year ₹ 244.48 crore).

iii. Employees' Provident Fund:-

During the year bank has recognized expenses of ₹ 0.77 crore and corresponding previous year ₹ 0.96 crore on account of employer contribution for the employees covered under PF option Scheme i.e. PF Optees.

iv. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹ 131.38 crore (Previous Year ₹ 78.70 crore) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

a) Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) - Privilege Leave Benefits

Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
Defined Benefit Obligation	1,201.71	1,070.33
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	1,201.71	1,070.33

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
Discount Rate	7.20%	7.45%
Salary Growth Rates	5.00%	5.00%

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
25 & Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%



B) Other Long Term Employee Benefits

1. Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Retirement Benefits

Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
Defined Benefit Obligation	8.09	2.74
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	8.09	2.74

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
Discount Rate (P.a)	7.20%	7.40%
Inflation Rate (p.a)	-	-
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
25 & Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality)IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

2. Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Long Service Benefits

Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
Defined Benefit Obligation	1.33	1.21
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	1.33	1.21

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
Discount Rate (P.a)	7.20%	7.40%
Inflation Rate (p.a)	-	-
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable



Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality)IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (23-24)	FY (22-23)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

4.3. Accounting Standard 17 – Segment Report of the Group

CONSOLIDATED SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognized Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

The following are the primary segments of the Bank:-

- » Treasury
- » Corporate / Wholesale Banking
- » Retail Banking
- » Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

- » Treasury – The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.
- » Corporate / Wholesale Banking – The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts, Trust / Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking and Stressed Assets Management Branch. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients.
- » Retail Banking – The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹ 7.50 crore (including Fund Based and Non-Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures. This segment also includes agency business and ATMs.
- » Other Banking business – Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.
- » Secondary (Geographical Segment)
 - i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
 - ii) The Bank has only one geographical segment i.e. Domestic Segment



(Amount in ₹ crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Revenue	11,812.74	10,974.59	8,279.47	6,564.56	15,138.53	11,815.46	3.57	2.22	35,234.31	29,356.83
Result	2,704.34	2,585.67	702.13	1,226.84	809.78	(1,172.81)	2.39	1.24	4,218.64	2,640.94
Unallocated Expenses									(128.82)	41.09
Operating Profit									4,089.82	2,682.03
Income Taxes									1,513.84	1,072.70
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	91.70	69.45
Net Profit									2,667.68	1,678.78
Other Information:										
Segment Assets	184,685.69	184,294.75	96,548.66	77,326.32	152,836.43	131,141.05	7.33	8.88	434,078.11	392,771.00
Unallocated Assets									13,693.46	14,308.71
Total Assets									447,771.57	407,079.71
Segment Liabilities	179,376.86	179,578.72	91,432.83	73,563.83	144,570.60	124,708.58	16.87	11.85	415,397.16	377,862.98
Unallocated Liabilities										-
Total Liabilities									415,397.16	377,862.98

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

The Group has only one geographical segment i.e. Domestic Segment

4.4. Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party (of Parent Bank)

4.4.1. List of Related Parties:

Key Managerial Personnel as on 31.03.2024

Sr. No.	Name	Designation
PARENT BANK		
i.	Shri M V Rao	Managing Director & CEO
ii.	Shri Vivek Wahi	Executive Director
iii.	Shri Rajeev Puri (till 30.06.2023)	Executive Director
iv.	Shri M V Murali Krishna (w.e.f. 01.12.2022)	Executive Director
v.	Shri Mahendra Dohare (w.e.f. 09.10.2023)	Executive Director
SUBSIDIARIES		
CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED		
i.	Shri Sunil Kumar Naik	Managing Director
ii.	Ms Aarti Sharma (till 31.12.2023)	Company Secretary
iii.	Ms Jaya Tiwari (w.e.f. 01.01.2024)	Company Secretary
CENT BANK HOME FINANCE LIMITED		
i.	Shri Kushal Pal	Managing Director
ii.	Shri Sachin Sudhakar	General Manager
iii.	Shri Suyogya Chandra Mehta	Chief Financial Officer
v.	Shri Ashish Shrivastava (till 07.03.2024)	Company Secretary



4.5.2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons:

(Amount in ₹ crore)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2024	31.03.2023
PARENT BANK			
Shri. M V Rao	Managing Director & CEO	0.44	0.41
Shri. Vivek Wahi	Executive Director	0.37	0.25
Shri. Rajeev Puri (till 30.06.2023)	Executive Director	0.14	0.34
Shri. M V Murali Krishna	Executive Director	0.34	0.37
Shri. Mahendra Dohare (w.e.f. 09.10.2023)	Executive Director	0.16	0.10
SUBSIDIARIES			
CFSL			
Shri S. Venkataraman (Resigned as MD on 16.6.2022)	Managing Director	-	0.05
Shri Sunil Kumar Naik (Appointed as MD on 19.7.2022)	Managing Director	0.26	0.18
Ms Aarti Sharma (till 31.12.2023)	Company Secretary	0.07	0.08
Ms Jaya Tiwari (w.e.f. 01.01.2024)	Company Secretary	0.02	-
CBHFL			
Shri Kushal Pal	Managing Director	0.37	0.30
Shri Sachin Sudhakar	General Manager	0.36	0.30
Shri Suyogya Chandra Mehta	Chief Financial Officer	0.18	0.16
Shri Ashish Shrivastava (till 07.03.2024)	Company Secretary	0.13	0.12

Note: Keeping in line with para 9 of the AS - 18 - "Related Party Disclosure" issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

Further, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

4.5. Accounting Standard -10 & Accounting Standard - 19 & (Freehold & Leases)

- i. The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2024 based on valuation reports of external independent valuers' and approved by the Board of Directors and ₹ 490.00 crore (₹ 329.98 crore for Freehold properties and ₹ 160.02 crore. For Leasehold properties) increases in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.
- ii. In case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 54.87 crore (₹ 38.71 crore for Freehold properties and ₹ 16.16 Crore for Leasehold properties) for F.Y. 2023-24 upto March 2024 (previous year 2022-23 ₹ 65.36 crore) is transferred from 'Revaluation Reserves' and credited to "Revenue and Other Reserves". Depreciation on increased value on account of revaluation has not been considered for the financial year ending 31.03.2024.
- iii. Land obtained on lease by bank includes market value of buildings as on 31.03.2024 for ₹ 6.36 Crore (previous year ₹ 8.99 Crore) with written down value as NIL (previous year NIL), the lease period of which has expired and the bank is still having its offices/building on these lands and vacant land obtained on lease by the Bank includes market value as on 31.03.2024 is ₹ 16.43 Crore with written down value as NIL, where the lease period is expired, perusing with authorities for lease renewals.
- iv. As per AS-19, operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.
 - i) Liability for Premises taken on Non-Cancellable operating lease are ₹ NIL as on 31.03.2024
 - ii) Amount of lease payments recognized in the P&L Account for operating lease is ₹ 454.39 Crore as on 31.03.2024 (Previous year ₹ 392.02 crore).



v. Additional Disclosure:

Premises obtained by bank include own property of ₹ 37.13 crore for which registration formalities are still under progress.

The title of property amounting to ₹ 37.13 crore acquired on disposal of security are not in favour of the Bank as the matter is sub-judice.

4.6. Earnings per Share as per AS 20 has been arrived at as follows:

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Net Profit / (Loss) after Tax available for Equity Share Holder (Amount in ₹ crore)	2,667.68	1,678.78
Weighted Average number of Equity Share (No.)	8,680,939,432	8,680,939,432
Basic Earnings per Share (₹)	3.07	1.93
Diluted Earnings per Share (₹)	3.07	1.93
Nominal Value per Share (₹)	10	10

4.7. Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income (of the Group)

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 4,283.51 crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2024.

Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2024 are as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Parent Bank:-				
Business Loss	3,124.24	2,270.61		
Provision for Leave Encashment	419.93	374.02		
Provision for Loans and Advances	1,570.95	3,945.44		
Interest on Income Tax Refund			61.87	40.96
Interest accrued but not due on investments			747.67	699.00
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961			34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets			(23.94)	16.26
Subsidiary:-				
Cent Bank Home Finance Ltd.				
Provision on Advances	7.34	5.97		
Depreciation on Fixed Assets	0.01	0.01		
Others	0.13	0.23	1.98	1.63
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961			16.61	15.33
Cent Bank Financial Services Ltd (Net)	0.04	0.03		
TOTAL	5,122.64	6,596.31	839.13	808.12
Net Deferred Tax Asset/Liability	4,283.51	5,788.19		-

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2023-24 is ₹ 1,504.68 crore (Previous year ₹ 1,067.78 crore) has been recognized in profit & loss account.

4.8. Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at 31st March, 2024 requiring recognition in terms of the Standard.



4.9. Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets (of Parent Bank)

4.9.1. Provisions and Contingencies

	(Amount in ₹ crore)	
Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2024	31.03.2023
Provisions/Depreciation on Investment (NPI)	(264.90)	214.59
Provision towards NPA	3,391.39	3,531.55
Provision towards Standard Asset	52.01	680.54
Provision made for Taxes	1,504.33	1,063.14
Provision for Restructured Advances	(33.83)	(221.81)
Other Provisions	164.63	30.80
TOTAL	4,813.63	5,301.57

5. Other Disclosures:-

5.1 Corporate Social Responsibility

During the year Cent Bank Home Finance Limited the subsidiary has spent ₹ 0.69 crore (Previous year ₹ 0.58 crore towards corporate social responsibility under section 135 of companies Act 2013 and rules thereof.

5.2 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

	(Amount in ₹ crore)	
Ratios (in percent)	31.03.2024	31.03.2023
Gross NPA to Gross Advances	4.50	8.44
Net NPA to Net Advances	1.23	1.77
The Provisioning Coverage Ratio with Technical Write Off	93.58	92.48
The Provisioning Coverage Ratio without Technical Write Off	73.53	80.47

5.3 Centbank Financial Services Limited, the subsidiary, holds investments in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.

5.4 The Company has not transferred or allocated dividend, interest and other corporate benefits received over a period of time from various companies/undertakings, amounting to ₹ 1.59 Crore to the trusts/ beneficiaries, on whose behalf the investment portfolios are held under trusteeship services. The said amount stood at ₹ 2.06 Crore as on March 31, 2023 and has decreased to ₹ 1.59 Crore as at March 31, 2024. This decrease is mainly due to company has from this year onwards started collecting Annual Maintenance charges on unclaimed dividend as per board's Resolution (BM/436/8 meeting dt.30.9.2023) @ 4 % p.a. from the base year 1.4.2009 where holding of funds is 7 years or more. Company has collected maintenance of ₹ 0.61 Crore, of which ₹ 0.58 Crore pertains to period from 1.4.2009 to 31.3.2023, In our opinion current year profits are overstated to that extent.

Similarly, the Company has not transferred or allocated sales/ redemption proceeds of shares/ debentures amounting to ₹ 0.18 Crore to the respective trust/beneficiary, since it pertains to the debentures already sold. The same is outstanding since 2005-06. The company has kept the above funds in current account with its bank since long.

5.5 In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) Lending of ₹ NIL has been undertaken. Accordingly, these have been adjusted from the advances of the Parent Bank. Interest income of ₹ NIL has been recognized against these borrowings.

5.6 Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds.

The Parent Bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 28.02.2024.

5.7 Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.



5.8 Disclosure with respect to NCLT provisions:

As per RBI circular No. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 5,883.23 crore including FITL of ₹ 125.00 crore as at 31 March 2024 (₹ 6,316.13 crore for March 31, 2023 including FITL of ₹ 127.90 crore) i.e. 100 % of total outstanding including Investment as at March 31, 2024.

5.9 In accordance with RBI circular no. DBR No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01,2019, DOR No. BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and RBI/2020-21/17 DOR No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Services Tax(GST), the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2024 are as under:

No of Accounts Restructured	Amount in ₹ Crore
16,146.00	1,765.45

5.10 Disclosure on amortization of expending on account of enhancement in family pension of employees of Banks :-

RBI vide their Circular No.: RBI/2021-22/105 DORACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the additional liability on account of revision in family pension for employees over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ended 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Based on the Actuarial Valuation report obtained by the Bank the additional liability on account of revision in family pension for employees is arrived at ₹ 821.95 crore. Bank has opted to amortize the same as per the said circular of RBI and has charged an amount of ₹ 544.52 crore out of ₹ 821.95 crore to the Profit & Loss account during the financial year ended 31st March, 2022. During the year ended March 31st, 2024, the Bank has charged ₹ 113.03 crore to the Profit and Loss account. The unamortized expense being carried forward to subsequent years is NIL.

5.11 Additional disclosure related to other asset & other liabilities:

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Schedule 5 Other liabilities-IV-5 any item under "others (including provisions)" exceeds 1% of total assets	Nil	Nil
Schedule 11 Other asset -VI any item under "others" in other assets exceeds 1% of the total assets	Nil	Nil
Schedule 14-VII "other miscellaneous income" any item under this head exceeds 1% of total income	Recovery received in accounts written off ₹1,433.32 Crore which is 4.05% of other Total income.	Recovery received in accounts written off ₹1,282.59 crore which is 4.33% of other total income.
Schedule 16-XII "other expenditure" any item under this head exceeds 1% of total income	Nil	Nil

5.13 Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

VIVEK WAHI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

M. V. RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

CHARULATHA S. KAR
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**
Chartered Accountants
F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)
PARTNER
M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)
PARTNER
M. No. 074272

Place: Mumbai
Date: April 30, 2024



Consolidated Cash Flow Statement

for the year ended March 31, 2024

(₹ In Crore)

A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/(Loss) before Taxes & Minority Interest	4,190.46	2,761.10
I Adjustments for:		
Depreciation on fixed assets	499.83	385.98
Depreciation on investments (including on matured debentures)	(267.26)	214.10
Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	3,396.65	3,537.62
Provision for Standard Assets	50.71	680.65
Provision for Other items (Net)	134.80	(187.91)
(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	14.66	1.34
Sub total	8,019.85	7,392.88
II Adjustments for :		
Increase / (Decrease) in Deposits	25,765.66	16,610.56
Increase / (Decrease) in Borrowings	11,678.96	670.62
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	30.00	148.79
(Increase) / Decrease in Advances	(43,902.67)	(38,392.11)
(Increase) / Decrease in Investments	(7,173.38)	3,979.60
(Increase) / Decrease in Other Assets	(69.76)	1,111.09
Direct Taxes Paid (Net of Refund etc.)	(258.57)	(307.77)
Sub total	(13,929.76)	(16,179.22)
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(5,909.91)	(8,786.34)
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / Disposal of Fixed Assets	3.02	3.62
Purchase of Fixed Assets	(587.25)	(212.28)
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(584.23)	(208.66)
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital (Including Share Premium)	-	-
Share Application Money	-	-
Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	-
Dividend Tax	-	-
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-	-



(₹ In Crore)

D	NET INCREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A + B + C) OR (F - E)	(6,494.14)	(8,995.00)
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	27,432.92	38,033.70
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	16,669.02	15,063.24
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	44,101.94	53,096.94
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	22,954.79	27,432.92
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	14,653.01	16,669.02
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	37,607.80	44,101.94

Notes:

- The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

VIVEK WAHI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

M. V. RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

CHARULATHA S. KAR
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

As per our report of even date

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

For **A D B & COMPANY**
Chartered Accountants
F.R. No. 005593C

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808

(CA PAWAN GOEL)
PARTNER
M. No. 072209

(CA BANKIM SHUKLA)
PARTNER
M. No. 074272

Place: Mumbai
Date: April 30, 2024

ABOUT

STRATEGY

CAPITALS

NOTICE

STATUTORY


FINANCIALS



PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES OF BANK AS ON 31.03.2024

The said disclosures are available on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in under the following link:

https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Basel-Disclosure/Updated_Final_BASEL-III-Disclosures-as-on-31.03.2024.pdf





सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.dickensonworld.com DICKENSON

www.centralbankofindia.co.in

Central Office, Chandermukhi Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021.



Like us on
<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>



Follow us on
https://x.com/centralbank_in



Find us on
https://www.youtube.com/channel/UCAIZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ



Follow us on
<https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia>



Follow us on
<https://www.instagram.com/central-bankofindiaofficial/>



एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2023-24
डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें
Please Scan the QR Code to download
the Annual Report 2023-24